

तीसरी पंचवर्षीय योजना

योजना-पायोग, भारत-नगर
जी. पी. से प्रकाशित

मूल्य 7 50

	पृष्ठ
26 उद्योग	470
27 खनिज पदार्थ और तेल	536
28 परिवहन और संचार-साधन	564
29 शिक्षा	602
30 तकनीकी शिक्षा	641
31 वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी-विषयक अनुसंधान	651
32 स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन	688
33 आवास तथा शहरी और ग्रामीण आयोजन	716
34 पिछड़े वर्गों का कल्याण	736
35 कल्याण-कार्यक्रम	752
उपमहान	766
परिदृष्ट	767
परिवर्तन-तालिका	801
सुद्धि-पत्र	802

	पृष्ठ
कृषि	66
उद्योग	69
सूनिज पदार्थ	72
ग्राम और लघु उद्योग	73
विजली	74
परिवहन और संचार-साधन	74
नामाजिक सेवाएँ	76
रोजगार	80
राष्ट्रीय आय	81
अनुबन्ध	83
अध्याय 6 योजना के लिए वित्तीय साधन	100
साधन भौतिक और वित्तीय	102
नरकारी क्षेत्र के लिए वित्त-व्यवस्था	103
राज्य-नरकारी के साधन	112
अतिरिक्त कराधान	113
निजी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग	116
विदेशी साधन	118
भुगतान-मन्तुलन पहली और दूसरी योजनाएँ	119
तीसरी योजना की विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ	121
उपसंहार	128
अनुबन्ध	131
अध्याय 7 नीसरी योजना के लिए मूल्य-नीति	132
पहली योजना में मूल्य	132
दूसरी योजना में मूल्य	134
तीसरी योजना के लिए दृष्टिकोण	135
मूल्य-नीति का क्षेत्र और नीसाएँ	138
मूल्य-नीति के अंग	140
निर्वाह-शक्ति का क्षेत्र	141
साधनाई क्षेत्र खुले बाजार की गतिविधियाँ	143
अध्याय 8 विदेशी व्यापार का विकास	145
साधन की समीक्षा	145
निर्वाह की समीक्षा	146
व्यापार की दिशा	148
सामान्य योजना में निर्वाह के उद्देश्य	150
निर्वाह बढ़ाने में निर्यात-बाधाएँ	151

	पृष्ठ
अध्याय 9 सन्तुलित प्रादेशिक विकास	155
सामान्य दृष्टिकोण	155
प्रादेशिक विकास की नीतिया	156
तीसरी योजना मे प्रादेशिक सम्भावनाएं	159
प्रादेशिक विकास का अध्ययन	164
अध्याय 10 रोजगार और जनशक्ति	167
समस्या का विश्लेषण	167
तीसरी योजना मे अतिरिक्त रोजगार	169
रोजगार और योजना की कार्यान्विति	173
ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग	175
शिक्षित बेरोजगार	177
अध्याय 11 कर्मचारियों की आवश्यकता और प्रशिक्षण-कार्यक्रम	180
जनशक्ति का आयोजन	180
इजीनियरी, टेक्नोलॉजी और विज्ञान	182
कृषि और ग्रामीण विकास	187
शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण	190
प्रशासन, अक-सकलन और तकनीकी सहायता	191
अध्याय 12 प्राकृतिक साधन	194
प्रस्तावना	194
भूमि-साधन	196
वन-साधन	199
जल-साधन	200
मछली-उद्योग	202
खनिज साधन	203
बिजली -	207
समुद्री साधन	209
सर्वेक्षण और कार्यक्रम	210
अध्याय 13 सहकारिता	213
सहकारिता और योजनावद्ध विकास	213
सहकारी ऋण	214
सहकारी हाट-व्यवस्था	219
सहकारी विधायन	220
सहकारी कृषि	222
उपभोक्ता-सहकारी समितिया	224
औद्योगिक सहकारी समितिया	225

	पृष्ठ
श्रमिक और निर्माण-सहकारी समितिया	226
आवास-सहकारी समितिया	227
अन्य ऋणतर सहकारी समितिया	228
सहकारिता का प्रगिक्षण और प्रगासन	229
अनुबन्ध	231
अध्याय 14 . भूमि-नुधार	233
तीसरी योजना के उद्देश्य	233
विचौलियो के पट्टो की समाप्ति	234
लगान में कमी	235
कास्त की सुरक्षा	236
कास्त के अतिकार की पुन प्राप्ति	238
कास्तकार के लिए स्वामित्व-अधिकार	240
जोत की अतिकतम नीमा	242
अतिकतम नीमा में छूट	243
पुनर्व्यवस्था की योजनाए	245
चकवन्दी	246
भूमि-प्रबन्ध-सम्बन्धी विधान	246
कार्यान्विति की समस्याए	247
अनुबन्ध	248
अध्याय 15 श्रम-नीति	265
नए परिवर्तन	265
मार्ग और दृष्टिकोण	267
श्रौद्योगिक सम्बन्ध	268
पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा	270
काम की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण	272
रोजगार तथा प्रगिक्षण-योजनाए	274
उत्पादकता	275
अनुबन्धान	277
अध्याय 16 सरकारी उद्योगो का मगठन	278
अध्याय 17 प्रगासन और योजना की कार्यान्विति	290
प्रगासकीय समस्याए	290
प्रगासन-कुशलता और उनके मानदंड	291
सरकारी क्षेत्र की परियोजनाए	294
कर्मचारी-वर्ग	296
निर्माण में मितव्ययिता	297
आयोजन के लिए मकन	301

अध्याय 18 : जनता का सहयोग और अक्षग्रहण	पृष्ठ 304
दृष्टिकोण	304
पहली दो योजनाओं में जन-सहयोग	306
प्राथमिकताएं और कार्यक्रम	307
संगठन और तकनीकें	310
प्रशिक्षण, अनुसन्धान और मूल्यांकन	312
विकास-कार्यक्रम	
अध्याय 19 . कृषि-उत्पादन	313
पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति	-- 313
तीसरी योजना का दृष्टिकोण	-- 316
कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम ..	-- 318
छोटी सिंचाई-योजनाएं	-- 319
तीसरी योजना में उत्पादन के अनुमान	-- 330
कृषि-कार्यक्रम के अन्य पहलू	-- 332
अनुबन्ध	337
अध्याय 20 सामुदायिक विकास	346
परिचय	346
विकास की समीक्षा	346
कृषि-विस्तार	349
ग्रामीण उत्पादन-योजनाएं	350
पचायती राज	351
ज़िला-प्रशासन का पुनर्गठन	354
निम्न वर्ग और रोजगार की समस्या	355
अध्याय 21 पशुपालन, दूध-उद्योग और मछली-उद्योग	357
पशुपालन	357
प्रगति की समीक्षा	358
तीसरी योजना के कार्यक्रम	358
दूध-उद्योग और दूध की आपूर्ति	366
प्रगति की समीक्षा	366
तीसरी योजना के कार्यक्रम	367
अनुसन्धान, प्रशिक्षण और शिक्षा	369
मछली-उद्योग	370
प्रगति की समीक्षा	370
तीसरी योजना के कार्यक्रम	370
अनुसन्धान और शिक्षा	373

	पृष्ठ
अध्याय 22 वन और मिट्टी-रक्षण	375
वन	375
प्रगति की समीक्षा	376
तीसरी योजना के कार्यक्रम	376
मिट्टी-रक्षण	380
प्रगति की समीक्षा	380
तीसरी योजना के कार्यक्रम	381
अध्याय 23 खेतिहर श्रमिक	386
प्रगति की समीक्षा	386
तीसरी योजना के कार्यक्रम	388
अध्याय 24 सिंचाई और बिजली	391
सिंचाई	391
पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम	393
तीसरी योजना के कार्यक्रम	394
आर्थिक लाभ	398
सिंचाई का उपयोग	400
अन्वेषण, अनुमन्वान और डिजाइन	402
बिजली	406
शक्ति के माघन	406
बिजली-विक्रम की वर्तमान स्थिति	409
बिजली-विक्रम का परिश्रेक्ष	409
तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम	410
भौतिक लाभ और भोपानीकरण	411
वित्तीय व्यय	412
उपभोग का स्वरूप	414
माव का बिजलीकरण	415
शक्ति के भमन्विन विहाम की नमन्व्याए	418
दिनीय वहू	419
धनुवन	422
अध्याय 25 ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	446
योजनाबद्ध विहाम में भयिका	446
प्रगति की नमोक्षा	447
तीसरी योजना का उद्दिशेय	451
अनन्वेषण और आरक्षण	456
उद्योग, शक्ति और उद्योग	457
रेहन-उद्योग और नान्दियन-उद्योग	462

	पृष्ठ
हस्तशिल्प	463
छोटे पैमाने के उद्योग	465
नियोजन	468
निर्यात	468
अक-सकलन	469
अध्याय 26 • उद्योग	470
दो योजनाओं की अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा	470
औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए वित्त-व्यवस्था	473
तीसरी पंचवर्षीय योजना उद्देश्य और समग्र दृष्टिकोण	475
औद्योगिक विकास-कार्यक्रम	477
सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम	479
निजी क्षेत्र के कार्यक्रम	481
निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए वित्त-व्यवस्था	482
औद्योगिक कार्यक्रम की मुख्य घाते	483
घातुकर्म-उद्योग	483
इंजीनियरी उद्योग—भारी और हल्के	489
ढलाई और गढ़ाई के कारखाने	490
औद्योगिक मशीनें	491
मशीनी औजार	492
रेल के इंजिन और डिब्बे	493
जहाज-निर्माण	493
ढाचा-विषयक मामान	494
कारखानों और विजलीघरों के वायुनर	494
मोटर तथा उससे सम्बद्ध उद्योग	494
अन्य इंजीनियरी उद्योग	495
रसायन एवं अन्य सम्बद्ध उद्योग	496
अकार्बनिक रसायन	496
कार्बनिक रसायन	500
पेट्रोलियम-शोधन	501
श्रीपध, आदि	503
प्लास्टिक	504
सापट कोक	504
मीनेट	504
काच और काच का मामान	505
कच्ची फिल्में	505
उपभोक्ता-सामान-उद्योग	505
विकास की समन्याएँ और आम सिफारिशें	508

	पृष्ठ
सन् 1965-66 में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति	510
अनुबन्ध	511
अध्याय 27 खनिज पदार्थ और तेल	536
पहली और दूसरी योजनाओं के काल में हुई प्रगति की समीक्षा	536
कोयला	536
खनिज तेल	540
खनिज उत्पादन	541
खनिज सर्वेक्षण	543
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम	546
कोयला	546
सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम	548
निजी क्षेत्र के कार्यक्रम	550
खनिज तेल	556
खनिज लोहा	558
अन्य खनिज परियोजनाएँ	559
खनिज पदार्थों की आवश्यकताएँ	561
खनिज सर्वेक्षण	561
अध्याय 28 परिवहन और संचार-साधन	564
पहली दो योजनाओं का अनुभव—संक्षिप्त समीक्षा-	564
रेल और सड़क-यातायात की प्रवृत्तियाँ	567
परिवहन का समन्वय तीसरी योजना में निहित दृष्टिकोण	568
तीसरी योजना में परिवहन और संचार के लिए नियत राशियाँ	570
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम	571
रेलें	571
सड़कें	578
सड़क-परिवहन	581
अन्तर्वेशीय जल-परिवहन	583
जहाजरानी	585
पत्तन और बन्दरगाह	587
प्रकाश-स्तम्भ	590
नागरिक विमान-परिवहन	590
पर्यटन	593
संचार-साधन	594
झाक और तार	595
दूरमुद्रक-कारखाना	597
भारतीय टेलीफोन-उद्योग	597

	पृष्ठ
समुद्रपार-संचार-सेवा	598
ऋतु-विज्ञान	598
वेतार-आयोजन और समन्वय	599
प्रसारण	599
अध्याय 29 शिक्षा	602
शिक्षा और राष्ट्रीय विकास	602
उपलब्धिया और लक्ष्य	602
व्यय	606
पूर्व-विद्यालय-शिक्षा	608
प्रारम्भिक शिक्षा	608
बुनियादी शिक्षा	612
बुनियादी और अन्य विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक	613
सामुदायिक प्रयत्न	613
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	614
विश्वविद्यालय-शिक्षा	620
लड़कियों की शिक्षा	622
छात्रवृत्तियाँ	623
शिक्षकों के वेतन-मान और नौकरी की परिस्थितियाँ	625
शैक्षणिक अनुसन्धान और महत्वपूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण	626
पाठ्य पुस्तकें	627
परीक्षा-पद्धति में सुधार	627
शारीरिक शिक्षा, खेल और युवा-कल्याण-कार्यक्रम	629
समाज-शिक्षा और वयस्क-साक्षरता	629
सांस्कृतिक कार्यक्रम	631
राष्ट्रीय एकता	633
अनुबन्ध	635
अध्याय 30 तकनीकी शिक्षा	641
विस्तार-कार्यक्रम	642
शिक्षक	646
शिल्पियों का प्रशिक्षण	646
अनुबन्ध	649
अध्याय 31 वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान	561
वैज्ञानिक अनुसन्धान की भूमिका	651
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद्	655
वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय	659
परमाणु-शक्ति-विभाग	661

	पृष्ठ
कृषि तथा मत्स्य क्षेत्रों में अनुसन्धान	666
चिकित्सा-मन्वन्धी अनुसन्धान	672
अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम	673
चीनी, पटनन और अन्य उद्योग	678
विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर टेक्नोलॉजी की मन्धाओं में अनुसन्धान	680
वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग	682
वैज्ञानिक औद्योगिक	684
मानकीकरण, विम्म-नियन्त्रण और उत्पादकता	685
अध्याय 32 स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन	688
स्वास्थ्य	689
प्रगति और कार्यक्रम	689
पानी की व्यवस्था और मफाई	691
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइया, अस्पताल और औपघालय	694
मक्रामक रोगों को रोकथाम	696
डाक्टरों शिक्षा और अनुसन्धान	699
अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रशिक्षण	700
स्वास्थ्य-शिक्षा	702
स्वास्थ्य-बीमा	702
स्कूली छात्रों का स्वास्थ्य	702
मातृ और शिशु-स्वास्थ्य	703
मानसिक स्वास्थ्य	703
महत्त्वपूर्ण आकड़े	704
औषध	704
लाद्य में मिलावट	705
देशी चिकित्सा-प्रणालिया	706
पोषण	709
भविष्य के लिए आयोजन	711
परिवार-आयोजन	711
अध्याय 33 आवास तथा गहरी और ग्रामीण आयोजन	716
व्यय-परिमाण और लक्ष्य	718
आवास-मडल	719
भूमि-अधिग्रहण और विकास	720
औद्योगिक श्रमिकों का आवास	720
गोदी-कर्मचारियों के लिए आवास	721
निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास	722

	पृष्ठ
वागान-मजदूरो का आवास	722
मध्यवित्त-वर्ग के लिए आवास	723
राज्य-सरकारो के कर्मचारियो के लिए किराए के आवास	724
गन्दी वस्तियो की मफार्ड और सुधार	724
शहरी आयोजन और भूमि-नीति	726
ग्रामीण आवास और आयोजन	730
आवास-मम्बन्धी आकडे	733
अनुमन्वान और प्रशिक्षण	735
अध्याय 34 पिछडे वर्गों का कल्याण	736
नामान्य तथ्य	736
अनुसूचित आदिम जातिया	738
तीसरी योजना के कार्यक्रम	740
विकाम की समस्याए	743
अनुसूचित जातिया	747
असूचित आदिम जातिया	750
अध्याय 35 कल्याण-कार्यक्रम	752
समाज-कल्याण	752
मद्य-निषेध	757
विस्थापित व्यक्तियो का पुनर्वासि	760
पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	761
पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	762
तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम	763
पुनर्वासि और विकाम	764
उपमहार	766
परिशिष्ट	767
परिवर्तन-नालिका	801
शुद्धि पत्र	802

भूमिका

इस रिपोर्ट में तीसरी पंचवर्षीय योजना के विकास-सम्बन्धी उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया है।

विगत दो पंचवर्षीय योजनाओं ने आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की बुनियादें मजबूत करने में सहायता दी है और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति को प्रोत्साहित किया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सविधान के सामाजिक लक्ष्यों को अधिक ठोस रूप देना है तथा इससे उस महान् प्रगति का आभास मिलता है, जो उन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में हुई है। इसमें पहली दो योजनाओं की सफलताओं और विफलताओं को दृष्टि में रखते हुए अगले 15 वर्षों या इससे भी अधिक अवधि में पूरे किए जानेवाले विकास-कार्यों को प्रस्तुत किया गया है।

तीसरी योजना तैयार करने का काम सन् 1958 के अन्त में प्रारम्भ हुआ और इसे तीन प्रमुख चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण जुलाई 1960 के आरम्भ में प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन के साथ समाप्त हुआ और इस अवधि में राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार-द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलों ने विस्तृत अध्ययन किया। ससद् ने अगस्त 1960 में प्रारम्भिक रूपरेखा को सामान्य स्वीकृति प्रदान की।

प्रारम्भिक रूपरेखा पर देश-भर में विचार-विमर्श हुआ और इसके आधार पर राज्यों की योजनाएँ तैयार की गईं। इन पर सितम्बर-नवम्बर 1960 में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ मिलकर विचार-विमर्श किया गया। जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने तीसरी योजना के सम्पूर्ण आकार और स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दी, परिषद् ने तीसरी योजना के लिए साधनों के अधिकतम सग्रह के उपयोग पर सुझाव देने के लिए एक वचन-समिति भी नियुक्त की। अन्त में, 31 मई और 1 जून, 1961 को राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने तीसरी योजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट पर विचार किया और सामान्यतः उसे स्वीकृति दी।

नवम्बर 1960 में पाच ससदीय समितियों ने तीसरी योजना के उद्देश्यों तथा प्राय-मिकताओं पर सावधानी से विचार किया। इस रिपोर्ट में उक्त समितियों के सुझावों और टीकाओं से लाभ उठाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है। मध्य-मध्य पर विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध समसदस्यों की समिति के मसदा, जिसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री थे, योजना के विभिन्न पहलू विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। योजना-आयोग ने सम्बद्ध ससदस्यों की सलाहकार समिति ने भी विभिन्न चरणों में योजना पर विचार-विमर्श किया।

योजना-निर्माण की सम्पूर्ण अवधि में प्रमुख लोकनेताओं, विद्वानों, व्यावसायिक सचो, उद्योगी एवं श्रमिकों से सम्बद्ध मण्डलों तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञों ने उदारनापूर्वक अपने समय और अनुभवों का लाभ प्रदान किया। योजना-आयोग को अपने अर्थशास्त्रियों और विज्ञानवेत्ताओं के मडलों तथा भूमि-सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवाहन-सम्बन्धी

मडलों के परामर्श और सुझावों का भी लाभ प्राप्त हुआ। कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन, अनु-सन्धान-कार्यक्रम-समिति, योजना की परियोजनाओं-सम्बन्धी ममिति, केन्द्रीय अक-सकनन-संगठन, भारतीय अक-मकलन-सस्था और अनुसन्धान के क्षेत्र में सलग्न अन्य संगठनों के अध्ययन के परिणामों में भी आयोग को सहायता मिली। जिला, खड और ग्राम-स्तर पर—विशेष रूप में कृषि, महकारिता, शिक्षा एव ग्रामोद्योगों के विकास के सम्बन्ध में—योजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय योजना तथा राज्यों की योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया का एक अविच्छेद्य अंग था। ये स्थानीय योजनाएँ पचायती राज की मफलता का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि पचायती राज के जरिए हर क्षेत्र के निवासियों पर अपने विकास के लिए पहल करने, जिम्मेदारी सम्भालने और तीव्र प्रगति के लिए समुचित उपाय तथा साधन ढूढने का भार डाला गया है।

इस प्रकार, तीसरी योजना की तैयारी एक विशाल राष्ट्रीय प्रयत्न था, जिसमें अनेक क्षेत्रों से मूल्यवान सहयोग मिला है और हर चरण पर राज्य-सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों का घनिष्ठतम सहयोग रहा है।

तीसरी योजना अगले 15 वर्षों या इससे भी अधिक समय के दीर्घकालीन विकास की एक बड़ी योजना का प्रथम चरण है। उस बड़ी योजना की तैयारी का काम अब हाथ में लिया जाएगा। इस योजना की अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था का सिर्फ तेजी से विस्तार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मचालित भी बनाना चाहिए। इस दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों के विकास, कृषिगत एव औद्योगिक प्रगति, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन और प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विकास की एक सुमम्बद्ध योजना को एक सामान्य स्वरूप देना है।

इस योजना में पांच वर्ष की अवधि के लिए बड़े-बड़े उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित किए गए हैं। 'बड़े' वे निर्फ विगत योजनाओं की तुलना में हैं, देश की आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने की देश की सामर्थ्य की दृष्टि में नहीं। वस्तुतः वे न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रकट करते हैं, जिनकी पूर्ति होनी ही चाहिए, परन्तु उनका मूल उद्देश्य अत्यधिक तात्कालिकता अनुभव करने तथा उसे पूरा करने के लिए सधन प्रयत्नों का मार्ग प्रशस्त करना है।

परन्तु साथ ही, कार्य की विशालता और बहुमूली चुनौतियों को भी कम नहीं समझा जाना चाहिए। योजना में सबसे अधिक बल व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी कार्यान्विति तथा दोषहीनता और ऐसी परिस्थितियों के निर्माण पर दिया जाना चाहिए, जिनमें अधिकतम उत्पादन हो, अधिकतम लोगों को रोजगार मिले तथा मानवीय साधनों का अधिकतम विकास हो। सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा समाजवाद की स्थापना के लिए अनुदान और राष्ट्रीय एकता ही आधार-सदृश हैं। तीसरी योजना में हर कदम पर और हर स्तर पर निष्ठावान नेतृत्व की आवश्यकता होगी, सरकारी कर्म-चारियों ने कर्तव्यपरायणता और कुशलता के उच्चतम स्तर की अपेक्षा की जाएगी, तथा जनता में व्यापक रूप में योजना के प्रति समझदारी एव सहयोग-भाव बढ़ाने और भविष्य में उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा हिस्सा निभाने तथा अपेक्षाकृत अधिक बोझ उठाने के लिए तत्पर करने की आवश्यकता होगी।

योजना-आयोग

अध्यक्ष .

जवाहरलाल नेहरू

उपाध्यक्ष :

गुलजारीलाल नन्दा

सदस्य :

भोरारजी शार० देसाई

बी० के० कृष्णमेनन

सी० एम० त्रिवेदी

श्रीमन्नारायण

टी० एन० सिंह

ए० एन० खोसला

पी० सी० महलानवीस

सचिव .

विष्णु सहाय

अतिरिक्त सचिव :

तरलोक सिंह

योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य

(1)

भूमिका

भारत के विकास का मूलभूत उद्देश्य, निश्चित रूप से, यह होना चाहिए कि भारतीय जनता को सुचारु जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले। वस्तुतः सब देशों का अपनी जनता के प्रति यही उद्देश्य होता है, यद्यपि सुचारु जीवन की व्याख्या विभिन्न प्रकार से हो सकती है। मारे विश्व को ध्यान में रखते हुए, भारत के साथ-साथ अन्य देशों के लिए भी इस उद्देश्य की पूर्ति इस बात से गहरा सम्बन्ध रखती है और इसी पर निर्भर करती है कि विश्व में शान्ति कायम रहे। आधुनिक हथियारों से लड़े जानेवाले युद्ध में न केवल उन्नति की सब आशाओं पर पानी फिर जाएगा, अपितु मानव-जाति का अस्तित्व भी मकट में पड़ जाएगा। इसलिए, शान्ति का सबसे अधिक महत्व है और राष्ट्रीय उन्नति के लिए वह सबसे पहले जरूरी है। जब तक अर्द्धविकसित और निर्धनताग्रस्त राष्ट्र तथा लोग रहेंगे, तब तक वे स्वयं शान्ति-रक्षा के लिए अनिवार्य मकट बने रहेंगे। इसलिए अब इस बात को अधिक-से-अधिक स्वीकार किया जा रहा है कि विश्व की शान्ति और कल्याण के लिए प्रत्येक देश में गरीबी, बीमारी और अज्ञान का अन्त होना चाहिए, जिसमें एक उन्मुक्त मानवता का निर्माण हो सके।

2 प्रत्येक प्रमुख संस्कृति और मन्थता की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनकी जड़ भूतकाल में जमी रहती है और जिन पर उस संस्कृति की छाप होती है। भारत पर, जिनका हज़ारों साल पुराना इतिहास है, अब भी अपनी निजी विशेषताओं की गहरी छाप मौजूद है। परम्परागत समाज और भूतकाल की अवरोध अर्थव्यवस्था के, जिसे औपनिवेशिक शासन ने कुछ हद तक जड़ीभूत कर दिया था, परिणामस्वरूप व्यापक और भयंकर गरीबी ने आज उन विशेषताओं को ढक दिया है। पर संस्कृति की ये आवश्यक बातें ऊपरी तौर पर समाज की परम्परागत रचना के साथ जुड़ी रहने पर भी किसी भी तरह उमका अविच्छेद्य अंग नहीं है। दरअसल, ये नैतिक और आचार-शास्त्र के कुछ ऐसे मूल्य हैं, जिन्होंने भूतकाल में कई युगों तक भारतीय जीवन को प्रभावित किया है, चाहे जनता इनके अनुसार अपना जीवन भले न बिता सकी हो। ये मूल्य भारत के चिन्तन का एक अंग हैं, यद्यपि यह चिन्तन आधुनिक विश्व की वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल सम्पत्ता के प्रभाव की ओर अधिकाधिक उन्मुख है। कुछ हद तक भारत की समस्या यह है कि इन दोनों के बीच किस प्रकार मेल पैदा किया जाए। आधुनिक जगत में, सम्भवतः अन्य कोई देश भाषी पैदा नहीं कर सकता था, टैंगोर का भी, जिनका जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण एकदम आधुनिक था, भारत की प्राचीन संस्कृति और चिन्तन-पद्धति की ओर झुकाव था। इस प्रकार, उनका सन्देश इन दोनों के बीच सम्बन्ध का मन्देश है।

3. भारत की 40 करोड़ ने भी कुछ अर्थिक जनता के लिए सुखद जीवन की व्यवस्था करना एक महान् कार्य है और इन लक्ष्य की उपलब्धि में बहुत समय लगेगा। पर इनमें कम लक्ष्य की बात नहीं सोची जा सकती, क्योंकि वर्तमान में उठाया गया प्रत्येक पग अन्तिम उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। बनाई जा रही योजनाओं के पीछे भविष्य की दृष्टि है—ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार भारतीय जनता के दीर्घकालीन राष्ट्रीय नर्षर्ष के पीछे स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की दृष्टि थी। इन योजनाओं में भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास है। अपनी मौजूदा दिक्कतों के प्रति हम पूर्णतः नजग हैं और इनके नाथ ही हमें यह दृढ़ विश्वास है कि इन दिक्कतों पर विजय पा ली जाएगी। आयोजन के पिछले दन सालों में प्राप्त अनुभव और अब तक के बड़े-बड़े नामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने यह धारणा पैदा कर दी है कि भारत विश्वासपूर्वक आनेवाले समय में सतत आर्थिक प्रगति की आशा कर सकता है। इस प्राचीन भूमि में भी, जहा चिरकाल में परम्पराओं का राज्य रहा है, परिवर्तन की ऐसी हवाएं बह रही हैं, जो न केवल नगर-निवासी को, किन्तु अपने खेतों में काम करनेवाले किसानों को भी प्रभावित कर रही हैं। प्रत्येक पग पर नए गतिरोध और नई चुनौतियां सामने आती हैं। इनका मुकाबला नाहम और बिदवान के साथ करना होगा। ज्यो-ज्यो भारत की विकास-योजनाओं का नाटक आगे बढ़ता है, त्यो-त्यो भारत के परिवर्तनरत स्वरूप ने एक नया उल्लाह एक नई उत्तेजना, परिलक्षित होती है।

4. इन समय सर्वप्रथम ध्यान देने-योग्य नमस्या गरीबी और इसने पैदा होनेवाली नारी बुगडियों का मुकाबला करने की है और यह बात समझ ली गई है कि यह काम केवल नामाजिक और आर्थिक प्रगति ने ही हो सकता है। इसके फलस्वरूप एक ऐसी समाज का निर्माण होगा, जो टेक्नोलाजिकल दृष्टि में परिपक्व होगा, और एक ऐसी नामाजिक व्यवस्था बनेगी, जिसमें सब नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए बुनियादी नामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने होंगे और प्राचीन परम्परागत व्यवस्था के स्थान पर एक नवगत समाज कायम करना होगा। इन दिना में बटने के लिए न केवल विज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी का दृष्टिकोण और उसका प्रयोग अपनाना होगा, बल्कि नामाजिक रिवाजों और नस्याओं में भी दूरगामी परिवर्तन करने होंगे। कुछ नांमा तक पिछली कई पीढ़ियों ने भारतीय मानस में इन दोनों प्रगट के परिवर्तनों के लिए तत्पन्ता मौजूद हैं। बीमे-बीमे, इनने ज्यादा ठोस रूप ग्रहण किया है और अब यह आयोजन का आधार बन गई है।

5. यह धान अपनिहार्य धी कि भाग्न के स्वतन्त्रता-नर्षर्ष-वानु में स्वाधीनता ग राजनीतिक पक्ष अन्य नव चीजों पर हावी हो जाता है। फिर भी, शुरू में ही भाग्न की राष्ट्रीयता में आर्थिक चिन्तन और समाज-नुधार के तत्व बड़ी मात्रा में मौजूद थे। कुछ हद तक यह बात एक राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए असाधारण थी। गम नांमा ही गरीबी को दूर करने तथा भाग्न के नामाजिक और आर्थिक जीवन के नमन्न टांचे के पुनर्निर्माण के लिए स्वतन्त्रता को ही अनिवार्य माधम माना जाता था। गामनाई तीगोरी ने नेवर, जिनका पद 'दि पावर्टी फ्रण्ड इंडिया' (भारत की गरीबी) निर्यात सेन 1876 में देन किया गया था, फरवरी अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्रान में सर्वोच्च स्थान दिया। ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आन्दोलन

बढा और उसका विस्तार भारत की जनता के मध्य हुआ, इसका सामाजिक तत्व प्रबलतर होता गया। महात्मा गांधी के आधिपत्य के साथ, यह आन्दोलन बडी तेजी से भारत के किसानो और मजदूरो मे फैला। गांधीजी के लिए स्वतन्त्रता केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि उसका मतलब ग्राम लोगो को गरीबी और अंध पतन से उठा उठाना था। उन्होंने भारतीय जनता के साथ अपने को मिला दिया, विशेषत उनके साथ, जो सामाजिक व्यवस्था मे एकदम निम्न श्रेणी के थे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ने ग्राम जनता की अधिकाधिक सेवा में अपने को सलग्न किया और क्रमशः अधिक-से-अधिक किसान इसमें सम्मिलित हुए। फलस्वरूप इसके कार्यक्रम में कृषि-सम्बन्धी समस्या ने एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया—ठीक वैसे ही, जैसे गांधीजी के नेतृत्व में दलितो और अधिकारहीनो का उत्थान इस आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बना।

6 इस प्रकार, स्वतन्त्रता के लिए राजनीतिक सघर्ष जैसे-जैसे विकसित हुआ और इसने विशाल आन्दोलनो का रूप धारण किया, वैसे-वैसे इसका सम्बन्ध कुछ सीमा तक भारत की दुनियादी, सामाजिक और आर्थिक समस्याओ के साथ और खास तौर पर कृषि-समस्याओ के साथ जुडा। स्वतन्त्रता-सघर्ष के सामाजिक और आर्थिक ध्येय निरन्तर अधिक रूप में स्पष्ट होते गए। सन् 1931 में एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम और सन् 1936 में एक कृषि-कार्यक्रम स्वीकार किया गया। सन् 1938 के अन्त में एक राष्ट्रीय आयोजन-समिति गठित की गई, और इस प्रकार आयोजन के विचार ने भारत में प्रमुखता प्राप्त की। परन्तु शीघ्र ही द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण, राष्ट्रीय आयोजन-समिति अपना काम प्रभावशाली ढंग से न कर सकी और इस अवधि में इसके कई सदस्यो को जेल भेज दिया गया। पर इसने आयोजन के लगभग सभी पहलुओ पर विचार कर लिया था और अन्त में एक ऐसी अध्ययन-माला भी प्रस्तुत की थी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक नीतियो तथा कार्यक्रमो के बारे में विवरण दिया गया था, जो स्वतन्त्रता के बाद आयोजन के और अधिक सगठित प्रयास का आधार बने।

7 द्वितीय विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप, परिस्थितियो से बाध्य होकर, भारत में कुछ उद्योगो का विकास हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भी, अन्तरिम सरकार ने आयोजन की ओर ध्यान दिया और एक सलाहकार आयोजन-बोर्ड कायम किया, जिसका काम आयोजन के लिए समस्त उपलब्ध सामग्री का संग्रह करना था। देश-विभाजन के भयकर परिणामो और बडी मर्यादा में जनता के बेघरवार होकर पाकिस्तान में भारत और भारत से पाकिस्तान जाने के कारण, इस बोर्ड की सिफारिशो को क्रियान्वित करने में कुछ देर हो गई। सन् 1950 के प्रारम्भ में भारत की सचिवालय सभा-द्वारा नया सचिवालय मजूर किए जाने के बाद भारत-सरकार ने योजना-आयोग स्थापित किया, जिसका उद्देश्य देश के भौतिक, पूंजीगत और मानवीय साधनो का मूल्यांकन करना और इनके अत्यधिक प्रभावशाली एवं सन्तुलित उपयोग की योजना बनाना था।

8 सचिवालय में दुनियादी उद्देश्य 'राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों' में बड़े गए हैं। इन 'निदेशक सिद्धान्तों' में भी कहा गया है कि

"राज्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयत्न एक ऐसी नामाजिन

व्यवस्था की यथानुभव प्रभावशाली रूप में स्थापना और उसकी रक्षा करके करेगा, जिसके अन्तर्गत न्याय—सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक—राष्ट्रीय जीवन की नमस्सन्ध्याओं में व्याप्त होगा।”

यह भी कहा गया है कि :

“राज्य अपनी नीति का संचालन खान तौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करेगा

- (अ) नागरिकों को—सुखों और सुविधों, दोनों को समान रूप से—जीवन-निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्राप्त होगा,
- (आ) समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का वितरण इन प्रकार किया जाएगा कि सर्वांगीण रूप से सबका भला हो,
- (इ) आर्थिक प्रणाली की कार्यप्रणति का परिणाम ऐसा न हो कि धन और उत्पादन के साधनों का जमाव आम जनता के हितों के विरुद्ध हो जाए,

दिसम्बर 1954 में इन सामाज्य निदानों को और भी निश्चित दिशा प्रदान की गई, जब मन्द ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य-रूप में ‘समाजवादी ढंग के समाज’ का आदर्श स्वीकार किया। यह निदान्त जिसमें समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्य तथा योजनावद्ध विकास के प्रति दृष्टिकोण मूर्तिमान हैं अचानक किन्हीं परिवर्तन का सूचक नहीं था बल्कि इनकी जड़े भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में गहरे रूप में मौजूद थीं।

9 इन प्रकार स्वतन्त्रता के बाद दो मुख्य लक्ष्यों ने भारत के योजनावद्ध विकास का पथ-प्रदर्शन किया है—भौकतान्त्रिक साधनों में एक द्रुत विस्तारशील और टेक्नो-नाजी की दृष्टि में पर्याप्त प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का निर्माण, और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, जो न्याय पर आधारित हो और प्रत्येक नागरिक को समान अनुभव प्रदान करे। एक परम्परागत समाज को एक शक्तिशाली समाज में बदलना—वह भी एक ऐसे देश में, जिसकी आवादी विशाल हो और जहाँ के लोग अपनी प्राचीन ऋतियों में बुरी तरह रूढ़ हैं—एक बहुत बड़ा काम था। चूंकि यह काम शान्तिमय और लोकतान्त्रिक साधनों में तथा जनता की रजामन्दी में करना था, इसलिए यह और भी कठिन हो गया। परन्तु यह अनिवार्य था कि भारत शान्तिमय और लोकतान्त्रिक साधनों को स्वीकार करता, क्योंकि स्वतन्त्रता-संग्राम में भी वह इन्हीं तरीकों को काम में लाया था।

10 इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, पहली पञ्चवर्षीय योजना ने सीमित साधनों और अपर्याप्त तथ्यों के आधार पर इन काम को हाथ में लिया। इसमें जो तात्कालिक उद्देश्य रखे गए थे, वे पूरे हुए और इन सफलता ने राष्ट्र में विश्वास पैदा किया। दूसरी पञ्चवर्षीय योजना कुछ अधिक अनुभव और अधिक ज्ञान पर आधारित थी। इनमें अपेक्षाकृत बड़े लक्ष्य निश्चित किए गए और ‘समाजवादी ढंग के समाज’ के निदान्त के आधार पर आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए एक दीर्घकालीन

नीति स्वीकार की गई। योजनावद्ध विकास किस प्रकार किया जा सकता है, उसका वर्णन करते हुए दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में कहा गया

“एक अर्द्धविकसित देश के मामले में केवल मौजूदा आर्थिक और सामाजिक मन्दाओं के ढाँचे के भीतर और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने का ही मसाला नहीं होता, बल्कि उन्हें इस तरह ढालने और बनाने का भी सवाल होता है, जिसमें वे और अधिक विस्तृत और गहरे सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली ढंग में अपना अदान कर सकें।

“उन मूल्यों अथवा दृष्टियों को जहाँ से एक वाक्य में संक्षिप्त कर दिया गया है, 'समाजवादी ढंग का समाज'। निश्चय ही, इसका मतलब यह है कि प्रगति की दिशा निश्चित करते समय दृष्टियाँ आचार निर्जीव नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ होना चाहिए और विकास का स्वरूप तथा सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध का ढाँचा ऐसा होना चाहिए कि उसमें न केवल पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय आय और रोजगार की वृद्धि हो, बल्कि आय और धन के मामले में और अधिक समानता की स्थिति पैदा हो। उत्पादन, वितरण, खपत और पूँजी-विनियोग—दरअसल समस्त महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों—में सम्वद्ध प्रमुख निर्णय ऐसी एजेंसियों-द्वारा किए जाने चाहिए, जिन्हें सामाजिक उद्देश्य की जानकारी हो। आर्थिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों को ज्यादा-से-ब्यादा प्राप्त होने चाहिए, जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुविधाएँ प्राप्त हैं, और आय, धन तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में अग्रगण्य कमी होनी चाहिए। समस्या इस प्रकार की अवस्थाएँ पैदा करने की है, जिनमें एक मामूली आदमी को, जिसे सगठित प्रयत्न-द्वारा प्राप्त होनेवाली विकास की बहुत सारी सम्भावनाओं को देखने और उनमें भाग लेने का बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ है, यह अवसर प्राप्त हो कि वह अपने लिए उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने और देश के लिए और अधिक समृद्धि बढ़ाने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके। इस प्रक्रिया में वह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ऊँचा उठता है। इस प्रकार, श्रम की उदग्र चलिष्णुता श्रम की क्षैतिज चलिष्णुता से कम आवश्यक नहीं है, क्योंकि आग को विनष्ट करने और प्रयत्न को निकम्मा बनाने के लिए इससे अधिक और कोई भावना नहीं हो सकती कि जन्म की घटना अथवा छोटी स्थिति से जीवन का प्रारम्भ होता किसी योग्य व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक स्तर में ऊँचा उठने से रोके।

“समाजवादी ढंग के समाज को कोई निश्चित अथवा अपरिवर्तनीय स्वरूप नहीं मानना चाहिए। यह किसी सिद्धान्त अथवा रुढ़ि से उद्भूत नहीं है। हर एक देश अपनी प्रतिभा और परम्पराओं के अनुसार विकसित होता है। ऐतिहासिक परिस्थितियों को धृष्टि में रखकर ही समय-समय पर आर्थिक और सामाजिक नीति का निर्माण करना

पड़ता है। यह न तो जरूरी है और न ही वाछनीय कि अर्थ-व्यवस्था एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर की तरह हो अथवा एक ऐसी सस्था बन जाए, जिसमें उसके स्वरूप और काम करने के ढंग के बारे में परीक्षण करने की गुंजायश ही न रहे। सरकारी क्षेत्र के विस्तार का यह मतलब भी नहीं है कि निर्णय करने और अधिकार के प्रयोग का केन्द्रीकरण हो। वस्तुतः उद्देश्य यह होना चाहिए कि कामों का ठीक ढंग से घटवारा हो और सरकारी उद्यमों को विस्तृत निदेशों और व्यवहार में आनेवाले नियमों के ढांचे के भीतर काम करने की पूरी तौर पर स्वतन्त्रता मिले।

“समाजवादी ढंग के समाज में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति—जीवन-स्तर को ऊंचा करना, सबके लिए समान अवसर सुलभ करना, सुविधाहीन वर्गों में उद्यम की भावना बढ़ाना और समाज के सब हिस्सों में साझेदारी की भावना का निर्माण करना—पर जोर दिया जाता है। ये निश्चित लक्ष्य मूलभूत निर्णयों की क्रमोत्ती है। सविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में खुलासे के साथ इस दृष्टिकोण का संकेत किया गया है, समाजवादी ढंग के समाज में इस दृष्टिकोण की ओर अधिक मूर्त अभिव्यक्ति है। आर्थिक नीति और सत्यागत परिवर्तन का आयोजन इस ढंग से करना होगा कि लोकतान्त्रिक ढंग से और सबके हित में आर्थिक प्रगति हो। लोकतन्त्र के विषय में कहा गया है कि वह विशेष सत्यागत व्यवस्थाओं की अपेक्षा जीवन का एक तरीका है। समाजवादी ढंग के बारे में भी यही कहा जा सकता है।”

(2)

✓ योजनावद्ध विकास

11 जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, तब भारत का औद्योगिक आधार बड़ा दुर्बल था। परम्परागत खेती-बाड़ी के ढांचे के बोझ के नीचे उसके लाखों ग्रामवासी पिस रहे थे। जन-संख्या के बढ़ते हुए दबाव की पृष्ठभूमि में अवरुद्ध आर्थिक विकास की लम्बी यवधि, जिसके बाद विद्रव्य-युद्ध का बोझ पड़ा, के परिणामस्वरूप भारत की अर्थ-व्यवस्था कमजोर हो गई थी। चारों ओर गरीबी और अभाव का बोलबाला था। देश के विभाजन ने लाखों लोगों को अपने घरों से उखाड़ दिया था और आर्थिक जीवन विष्ट्रम हो गया था। कृषि और उद्योग का उत्पादन निम्न स्तर पर पहुंच गया था। आवश्यकताओं के अनुपात में, उपलब्ध स्वदेशी वस्तु वहुत कम थी। स्वतन्त्रता का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता था, जब आर्थिक नींव काफी मजबूत हो जाती। अधिकांश ने नाराजिकता के समान अधिकारों की व्यवस्था कर दी और अब इनकी अभिव्यक्ति जीवन-स्तर को ऊंचा करने और जन-समुदाय के लिए और अधिक अवसर प्रदान करने में लागू हो गयीं थीं। यह जरूरी था कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का

पुनर्निर्माण हो, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति की नीव रखी जाए और शिक्षा तथा अन्य समाज-सेवाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की जरूरत थी, जिसमें आर्थिक और सामाजिक जीवन के समूचे स्वरूप समा जाए। इसके साथ-साथ साधनों का संग्रह करने के लिए प्रयत्नों की, प्राथमिकताएँ और लक्ष्य निर्धारित करने की, एवं परिवर्तन तथा टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी उन्नति के लिए विशाल दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, योजनावद्ध विकास एक ऐसा साधन था, जिससे यथासम्भव द्रुत गति से उन्नति का ऊँचा स्तर प्राप्त किया जाता, आर्थिक और सामाजिक जीवन की सस्थाओं का पुनर्निर्माण होता, और राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिए जनता की शक्तियों का सञ्चय किया जा सकता।

12 पञ्चवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, उसके मुख्य अंगों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत उद्देश्य यह है कि सतत आर्थिक उन्नति के लिए दृढ़ आचार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोजगार के लिए अवसरों की और अधिक बढ़ाया जाए, और आम लोगों के जीवन-स्तर तथा काम करने की परिस्थितियों को सुधारा जाए। विकास की योजना में पहली प्राथमिकता, निश्चय ही, कृषि की है और जहाँ तक सम्भव हो, कृषि-उत्पादन को उच्चतम स्तर तक बढ़ाना है। पञ्चवर्षीय योजनाओं में ऐसे सर्वांगीण और विविध प्रकार के प्रयत्नों का समावेश है, जिससे किसान के दृष्टिकोण और उसके चारों ओर की अवस्थाओं में परिवर्तन आ सके। कृषि की उन्नति और मानवीय साधनों का विकास, ये दोनों ही बातें समान रूप से उद्योग की प्रगति पर अवलम्बित हैं। उद्योग से न केवल नए औजार मिलते हैं, बल्कि किसानों का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज भारत के अधिकांश कृषक नए औजार काम में ला रहे हैं और खेती के नए तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं तथा इससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। भारत के गांवों में वाइसिकिलों का बड़ी संख्या में आना न केवल जीवन-स्तर के ऊँचा होने का परिचायक है, बल्कि एक नए और परिवर्तनशील दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। खेती और उद्योग को विकास की एक ही प्रक्रिया के अभिन्न अंग मानना चाहिए। इसलिए योजनावद्ध विकास के द्वारा उद्योग की प्रगति को तेज करना होगा और आर्थिक उन्नति में गति लानी होगी। खास तौर पर, भारी उद्योगों और मशीन-निर्माण-उद्योगों को विकसित करना होगा, सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना होगा और एक बड़े तथा उन्नतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना होगा। सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के उद्योगों के साथ-साथ ऐसे उद्योगों के, जो जनोपयोगी सेवा से सम्बद्ध हैं, और अधिक विकास के लिए खास तौर पर व्यवस्था करे तथा जहाँ तक जरूरी हो, अन्य उद्योगों को भी हाथ में ले। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार, राज्य-व्यापार को भी वृद्धिशील पैमाने पर हाथ में लेना होगा। संक्षेप में, विकास की योजना में, प्राप्त एजेंसियों का पूरा लाभ उठाते हुए, सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि वह पूरे तौर पर, और तुलनात्मक दृष्टि से भी, निजी क्षेत्र से अधिक तेजी से विकसित हो।

13 अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार के साथ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों के विकास के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं, और कई प्रकार से दोनों के कार्य परस्पर-पूरक हैं। निजी क्षेत्र में केवल-संगठित उद्योग ही शामिल नहीं हैं, किन्तु कृषि, छोटे उद्योग,

पड़ता है। यह न तो जल्दरी है और न ही वाछनीय कि अर्थ-व्यवस्था एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर की तरह हों अथवा एक ऐसी सत्था बन जाए, जिसमें उसके स्वरूप और काम करने के ढंग के बारे में परीक्षण करने की गुंजायग ही न रहे। सरकारी क्षेत्र के विस्तार का यह मतलब भी नहीं है कि निर्णय करने और अधिकार के प्रयोग का केन्द्रीकरण हो। वस्तुतः उद्देश्य यह होना चाहिए कि कामों का ठीक ढंग से बटवारा हो और सरकारी उद्यमों को विस्तृत निदेशों और व्यवहार में आनेवाले नियमों के ढांचे के भीतर काम करने की पूरी तौर पर स्वतन्त्रता मिले।

“समाजवादी ढंग के समाज में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति—जीवन-स्तर को ऊंचा करना, सबके लिए समान अवसर सुलभ करना, नृविघ्नाहीन वर्गों में उद्यम की भावना बढ़ाना और समाज के सब हिस्सों में साझेदारी की भावना का निर्माण करना—पर जोर दिया जाता है। ये निश्चित लक्ष्य मूलभूत निर्णयों की कसौटी हैं। संविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में खुलासे के साथ इस दृष्टिकोण का संकेत किया गया है, समाजवादी ढंग के समाज में इस दृष्टिकोण की ओर अधिक मूर्त अभिव्यक्ति है। आर्थिक नीति और सत्थागत परिवर्तन का आयोजन इस ढंग से करना होगा कि लोकतान्त्रिक ढंग से और सबके हित में अधिक प्रगति हो। लोकतन्त्र के विषय में कहा गया है कि वह विशेष सत्थागत व्यवस्थाओं की अपेक्षा जीवन का एक तरीका है। समाजवादी ढंग के बारे में भी यही कहा जा सकता है।”

(2)

✓ योजनावद्ध विकास

11 जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, तब भारत का औद्योगिक आधार बड़ा दुर्बल था। परम्परागत खेती-बाड़ी के ढांचे के बोझ के नीचे उसके लाखों ग्रामवासी पिस रहे थे। जन-संख्या के बढ़ते हुए दबाव की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की लम्बी त्रबधि, जिनके बाद विश्व-युद्ध का बोझ पड़ा, के परिणामस्वरूप भारत की अर्थ-व्यवस्था कमजोर हो गई थी। चारों ओर गरीबी और अभाव का बोलबाला था। देश के विभाजन ने लोगों को अपने घरों से उखाड़ दिया था और आर्थिक जीवन विध्वंस हो गया था। कृषि और उद्योग का उत्पादन निम्न स्तर पर पहुंच गया था। आय-व्ययनाओं के अनुपात में, उपलब्ध स्वदेशी वस्तु बहूत कम थी। उत्पादन का स्तर नती पूरा होना था, जब आर्थिक नींव काफी मुदूद हो जाती। निर्माण के माग-सूचना के समान अतिरिक्त की व्यवस्था कर दी और अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए और अधिक अवसर प्रदान करने की योजना ही होनी थी। यह उद्देश्य था कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का

पुनर्निर्माण हो, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति की नींव रखी जाए और शिक्षा तथा अन्य ममाज-सेवाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की जरूरत थी, जिसमें आर्थिक और सामाजिक जीवन के समूचे स्वरूप समा जाए। इसके साथ-साथ साधनों का संग्रह करने के लिए प्रयत्नों की, प्राथमिकताएं और लक्ष्य निर्धारित करने की, एवं परिवर्तन तथा टेक्नोलाजी-सम्बन्धी उन्नति के लिए विशाल दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, योजनावद्ध विकास एक ऐसा साधन था, जिससे यथासम्भव द्रुत गति से उन्नति का ऊचा स्तर प्राप्त किया जाता, आर्थिक और सामाजिक जीवन की समस्याओं का पुनर्निर्माण होता, और राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिए जनता की शक्तियों का मचय किया जा सकता।

12 पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, उसके मुख्य अंगों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत उद्देश्य यह है कि सतत आर्थिक उन्नति के लिए दृढ़ आधार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोजगार के लिए अवसरों को और अधिक बढ़ाया जाए, और आम लोगों के जीवन-स्तर तथा काम करने की परिस्थितियों को सुधारा जाए। विकास की योजना में पहली प्राथमिकता, निरक्षरता, कृषि की है और जहाँ तक सम्भव हो, कृषि-उत्पादन को उच्चतम स्तर तक बढ़ाना है। पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसे सर्वांगीण और विविध प्रकार के प्रयत्नों का समावेश है, जिससे किसान के दृष्टिकोण और उसके चारों ओर की अवस्थाओं में परिवर्तन आ सके। कृषि की उन्नति और मानवीय साधनों का विकास, ये दोनों ही बातें समान रूप से उद्योग की प्रगति पर अवलम्बित हैं। उद्योग से न केवल नए औजार मिलते हैं, बल्कि किसानों का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज भारत के अधिकांश कृषक नए औजार काम में ला रहे हैं और खेती के नए तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं तथा इससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। भारत के गांवों में वाइसिकिलों का बड़ी संख्या में आना न केवल जीवन-स्तर के ऊचा होने का परिचायक है, बल्कि एक नए और परिवर्तनशील दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। खेती और उद्योग को विकास की एक ही प्रक्रिया के अभिन्न अंग मानना चाहिए। इसलिए योजनावद्ध विकास के द्वारा उद्योग की प्रगति को तेज करना होगा और आर्थिक उन्नति में गति लानी होगी। खास तौर पर, भारी उद्योगों और मशीन-निर्माण-उद्योगों को विकसित करना होगा, सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना होगा और एक बड़े तथा उन्नतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना होगा। सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि वुनियादी और नीतिमूलक महत्व के उद्योगों के साथ-साथ ऐसे उद्योगों के, जो जनोपयोगी सेवा से सम्बद्ध हैं, और अधिक विकास के लिए खास तौर पर व्यवस्था करे तथा जहाँ तक जरूरी हो, अन्य उद्योगों को भी हाथ में ले। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार, राज्य-व्यापार को भी वृद्धिशील पैमाने पर हाथ में लेना होगा। संक्षेप में, विकास की योजना में, प्राप्त एजेसियों का पूरा लाभ उठाते हुए, सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि वह पूरे तौर पर, और तुलनात्मक दृष्टि से भी, निजी क्षेत्र से अधिक तेजी से विकसित हो।

13 अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार के साथ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों के विकास के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं, और कई प्रकार से दोनों के कार्य परस्पर-पूरक हैं। निजी क्षेत्र में केवल संगठित उद्योग ही शामिल नहीं हैं, किन्तु कृषि, छोटे उद्योग,

व्यापार, इमांनत और निर्माण तथा दूसरे क्षेत्रों में किए जानेवाले बहुत-से अन्य कार्य भी शामिल हैं। धमग इन प्रयत्न को महकारी स्वल्प ग्रहण करना है। सरकार ने जिन कार्यक्रमों को हाय में लिया है, उनके मुख्य लक्ष्य हैं कृषि के, विशेषत सिंचाई के, विकान की सुविधाओं का विस्तार, अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए जल्दरी चीजों— जैसे, रेल और सडक-यातायात, बन्दरगाह और विजलीघर—का निर्माण, और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार। इन सुविधाओं के ढाग जिन कार्यों को बटावा मिलता है, वे अधिकतर निजी व्यक्तियों और संगठनों के हाय में हैं और उनमें से अधिक-से-अधिक की नहायता की जा रही है। इन प्रकार, पंचवर्षीय योजनाएं व्यक्तिगत साहन और महकारी तथा मम्मिलित प्रयत्न के क्षेत्र का विस्तार करती हैं। बडे पैमाने के औद्योगिक उद्यम के मीमित क्षेत्र में ही मुख्यत यह प्रयत्न उठना है कि देश की विशेष परिस्थितियों में, अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव के अनुसार और नामाजिक लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए, खान प्रकार के काम सरकारी क्षेत्र को दिए जाए अथवा निजी क्षेत्र को। देश के योजनाबद्ध विकान को दृष्टि में रखते हुए, निजी क्षेत्र के पान एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें वह विकान और विस्तार कर सकता है। निश्चय ही, इने राष्ट्रीय आयोजन के ढाचे के भीतर और उनके नामान्य उद्देश्यों के साथ नमन्वय रखते हुए काम करना होगा तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों पर लगातार यह जोर दिया जाएगा कि नमूचे समुदाय के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं, उनका वे पालन करेंगे। साथ ही, निजी क्षेत्र को जो अवसर दिए जाए, उनके बारे में भी यह देखना जरूरी है कि कुछ थोड़े-से व्यक्तियों तथा व्यापारियों के हाय में अधिक शक्ति जमा न हो जाए और आय तथा धन के क्षेत्र में जो विपमताएं हैं, वे निरन्तर कम होती जाएं।

14 पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के जिस रूप की कल्पना की गई है, उनमें यह आशा की गई है कि सहकारिता आर्थिक जीवन की कई शाखाओं में संगठन का क्रमश मुख्य आधार बनेगा— विशेषत कृषि, लघु उद्योग, वितरण, निर्माण और न्यानीय नमुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के क्षेत्र में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण और छोटे पैमाने के उद्योगों का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा जहा उपयोगमूलक तथा अन्य सामान और बडे पैमाने पर रोजगार मिलता है, वहां वे राष्ट्रीय आय के अधिक न्यायसंगत वितरण का तरीका पेश करते हैं और कुशलता तथा जन-शक्ति के प्राप्त साधनों के प्रयोग के साधन प्रदान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विकान के स्तरों में जो विपमताएं हैं, उन्हें निरन्तर कम करना होगा और उद्योगीकरण से जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनका देश के विभिन्न भागों में समान रूप में फैलाव करना होगा। जैसा कि औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कहा गया है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्येक क्षेत्र की औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी अर्थव्यवस्था के मन्तुलित और समन्वित विकास के द्वारा और योजनाबद्ध नगरीकरण तथा आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के विकास द्वारा करनी होगी। विकास के प्रारम्भिक चरणों में, प्राय एक कुविधा का नामना करना पडता है। क्या यह बेहतर है कि पहले उन क्षेत्रों के विकास पर शक्ति कोन्द्रित की जाए, जो अधिक अनुकूल स्थानों पर मौजूद हैं और इस प्रकार लगाई गई पूंजी का अधिक जल्दी और बडी मात्रा में लाभ मिल जाए, अथवा देश के और अधिक मन्तुलित विकास पर ध्यान दिया जाए तथा इस दिशा में

अधिक पिछड़े हुए इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? आर्थिक बातों को निश्चय ही महत्व देना होगा, पर कुछ सामाजिक और प्रादेशिक स्वरूपों को भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। निश्चय ही, ज्यो-ज्यो आर्थिक व्यवस्था का विकास होगा, त्यो-त्यो यह सम्भव होता जाएगा कि कम विकसित क्षेत्रों में अधिक सघन विकास का इन्तजाम किया जाए।

15 जिन नीतियों का ऊपर वर्णन किया गया है, वे आर्थिक विकास को शीघ्र प्राप्त करने और समाजवादी ढंग के समाज को मूर्त रूप देने के कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार की योजना में, सामाजिक नीतियों और आर्थिक प्रगति की दिशा निर्धारित करने में मूलभूत सिद्धान्त समूचे समाज का और खास तौर पर इसके निर्बल अंगों का हित होना चाहिए। द्रुत गति से विकासशील अर्थव्यवस्था में उसकी सफलता और शक्ति के द्वारा सगठन और प्रबन्ध तथा सामाजिक नीति की नई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मौजूदा सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का समय-समय पर इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका क्या है। जब ये संस्थाएँ सामाजिक उद्देश्य को उचित रूप से पूरा न करे अथवा योजना-वद्ध विकास के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में चूक जाएँ, तब उनका स्थान नई संस्थाओं को देना होगा, अथवा उनमें परिवर्तन लाना होगा।

16 विकास की योजनाओं से उन परिवर्तनों का, जो देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में आ रहे हैं और उस दिशा का, जिस ओर इस ढांचे का पुनः सगठन करना होगा एवं उसे मजबूत बनाना होगा, पता चलता है। लोकतन्त्र में परिवर्तन के ये कदम एक बड़ी सीमा तक जनता की समझदारी में वृद्धि और जनता की प्रतिक्रिया पर तथा बड़ी संख्या में जनता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर निर्भर करते हैं। आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के अतिरिक्त, आयोजन के शिक्षा-सम्बन्धी अंगों का बड़ा महत्व है। योजनाओं को बनाने और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी अधिक-से-अधिक लोगों में बाँटने और सब प्रकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण-संस्थाओं और स्वैच्छिक समाज-सेवी संस्थाओं-द्वारा आयोजन की प्रक्रिया में योगदान करने के रूप में इस बात पर विशेष बल दिया गया है। सम्पूर्ण समुदाय की ओर से राज्य पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह वैयक्तिक, विभागीय अथवा प्रादेशिक स्वार्थों के मुकाबले में राष्ट्र की विस्तृत दीर्घकालीन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करे और जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उनका निश्चय करे।

(3)

समाजवाद की ओर प्रगति

17 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में यह मूलभूत त्थन दिया गया है कि लोकतान्त्रिक विधि से और जनता के व्यापक योगदान-द्वारा समाजवादी आधार पर किए जानेवाले विकास से तीव्र आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार की सम्भावनाओं का विस्तार होगा, साथ ही, आय और धन की विषमताओं में कमी आएगी, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण रुकेगा और एक स्वतन्त्र तथा समानतामूलक समाज के उपयुक्त

मूल्यों तथा मनोवृत्ति का जन्म होगा। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। जहाँ जनता का एक बड़ा समुदाय गरीबी की चक्की में पिमता है, वहाँ सामाजिक न्याय, काम करने के अधिकार, ममान अवसर और जीवन के न्यूनतम स्तर-निर्धारण की बातें बहुत आवश्यक हो जाती हैं और उनकी शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था अपेक्षित होती है। इसलिए, आर्थिक गतिविधियाँ इन प्रकार समूचित की जानी चाहिए कि उत्पादन और विकास तथा न्याय-मगत वितरण की आवश्यकताएँ पूरी हो। सब नागरिकों के—खास तौर पर उनके, जो निम्न आय-वर्ग में हैं अथवा जिन्हें काम का अवसर नहीं मिलता—जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह जरूरी है कि लम्बी अवधि तक लगातार आर्थिक विकास का ऊँचा स्तर कायम रखा जाए। आवादी में वृद्धि और मूलभूत उत्पादन-शक्तियों के साथ-साथ आर्थिक तथा सामाजिक मदों में, जिनका लाभ काफी समय बाद मिलता है, पूजी लगाने की ज़रूरत का विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ता है। एक ओर, वे बड़े समय में जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के क्षेत्र को नीमित कर देते हैं और दूसरी ओर, अगर ये लक्ष्य पूरे भी हो, तो इनका बोझ सबको शेलना पड़ेगा और समुदाय के हर हिस्से को अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना पड़ेगा।

18 समाजवाद की ओर उन्मुख प्रगति कई दिशाओं में होती है और प्रत्येक दिशा दूसरी दिशाओं के मूल्य को बढ़ाती है। सब से बड़ी बात यह कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सुदक्ष होगी चाहिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए, और दृढ़ता से ऐसे स्तर तक बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए जिनसे सर्व-नाधारण का कल्याण हो सके। एक अद्वैतिकृत देश में, आर्थिक प्रगति की उच्च दर, और एक बड़े सरकारी क्षेत्र का विकास और महकारिता का क्षेत्र, उन मुख्य माथनों में हैं, जिनमें समाजवाद की ओर सन्नमण करने में शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात यह कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। पहले कदम के रूप में, इसे बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, खास तौर पर, सड़क, रोज़गार, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और मफ़ाई की उचित व्यवस्था, रिहायश के हालात में सुधार और आय का एक निम्नतम स्तर, ताकि अवस्था के अनुसार न्यूनतम जीवन-स्तर अवश्य प्राप्त हो सके। तीसरी बात यह कि इनके अन्तर्गत जो नावैजिक नीतियाँ अपनाई जाएँ, उनके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था न केवल पहले से मौजूद आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करे, बल्कि इन बात का भी भरोसा दिनाए कि आर्थिक शक्ति और एकाधिकार के केन्द्रीकरण के बिना अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विस्तार हो। अन्त में, लोकतन्त्र और समाजवाद के आधार पर विकसित होनेवाले समाज में यह बात ज़रूरी है कि सामाजिक मूल्यों और प्रेरणाओं पर सर्वाधिक धन दिया जाए और समुदाय के सब वर्गों में ऐसी भावना पैदा की जाए, जिनमें सामाजिक और कर्तव्य का ऊँचा स्थान हो। कठोर जात-पात और आर्थिक विभिन्नताओं के कारण, भाव के सामाजिक ढांचे में पहले से ही आर्थिक प्रगति अवरुद्ध होनेवाले गतिशील एवं सकारण विद्यमान हैं। अब, जब कि कुछ पुगने भेद हूँ ने है और उन्हें हूँ करने की प्रक्रिया को समझ तीव्र किया जा रहा है, नगरी-रण को प्राथमिक उद्योग के विनाम के फलस्वरूप आय और अवसरों के स्तर में न्यूनतरता पैदा होने की प्रवृत्ति दिनाई पट नहीं है। यह प्रवृत्ति खून-नहन के दंग में सामाजिक समरण में और नगरी-रण की भावना में प्रकट हो रही है। सरकारी

नीति का उद्देश्य यह है कि इन अर्वाञ्छनीय प्रवृत्तियों पर रोक लगे और इनके चलते उस समाज के निर्माण में बाधा न पड़े, जो मूलतः भीतर से संगठित है और जो सामान्य मूल्यों तथा सामूहिक नागरिकता की भावना से बल प्राप्त करता है।

(4)

समान अवसर

19 अवसरों की समानता और राष्ट्रीय न्यूनतम आय प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त यह है कि हरेक आदमी के लिए, जो काम चाहता है, लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था हो। एक अर्द्धविकसित देश में पूरा रोजगार न मिलने का कारण आर्थिक ढाँचे में कुछ मूलभूत अभावों की उपस्थिति होता है। जब तक औद्योगिक बुनियाद बहुत मजबूत न हो और शिक्षा तथा अन्य समाज-सेवाएँ विकसित न हों, तब तक अर्थ-व्यवस्था में विकास की वह गति नहीं आ सकती, जिससे 'समूची श्रम-शक्ति को उचित वेतन-स्तर पर काम दिया जा सके। विकास की इन प्रक्रियाओं में निश्चय ही समय लगता है और इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर कोशिशें और पूँजी दरकार होती है, जिसकी उपलब्धि ऐसे देश की अर्थव्यवस्था की पहली अवस्थाओं में उसकी शक्ति से बाहर की बात होती है। उन इलाकों में 'गरीबी बहुत ज्यादा है, जहाँ या तो आवादी बहुत अधिक है, अथवा स्थानीय साधनों के अल्प विकास के कारण उत्पादन के स्तर निम्न है और निरन्तर काम का अभाव है। इसलिए काम के अतिरिक्त अवसर होने चाहिए, जिससे न्यूनतम आयवाले वर्ग भी उत्पादनशील रोजगार से इतना तो कमा ही लें, जिससे अपनी न्यूनतम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तीसरी योजना में यह कल्पना की गई है कि बड़े और छोटे उद्योगों, कृषि और आर्थिक तथा समाज-सेवा के विकास के कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्रामीण कामों के लिए भी बड़े पैमाने के कार्यक्रम होंगे—विशेषतः, उन इलाकों में जहाँ आवादी घनी है और उस समय के लिए, जब खेती-बारी का काम कम हो जाने के कारण, लोगों के पास काम-बन्धों की कमी पड़ जाती है।

20 उन्नत देशों में, आवादी के विभिन्न वर्गों के लिए अवसरों की अधिक समानता और अधिक सामाजिक स्थिरता की स्थिति पैदा करने के क्षेत्र में शिक्षा के विकास और अन्य समाज-सेवाओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाज-सेवाओं ने आय के पुनर्वितरण और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी बड़ी सहायता दी है। भारत में भी समाज-सेवाओं के विस्तार का ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा—खास तौर पर प्रारम्भिक स्तर पर मुफ्त और ग्राम शिक्षा के विस्तार से, शिल्पगत, और ऊँची शिक्षा के अधिक अवसर देने से, छात्रवृत्तियाँ तथा सहायता के अन्य उपाय करने से, और स्वास्थ्य, सफाई, पानी की आपूर्ति एवं रिहायश की दशाओं में सुधार करने से। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम, ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ग्राम-स्तर पर स्थानीय विकास के लिए और औद्योगिक मजदूरों की रिहायश और गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम केवल समाज-सेवाओं के विस्तार के रूप में ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की योजना के सबल अन्तरिक तत्व के रूप

में भी स्वीकार किए जाने चाहिए। तीनरी योजना तथा बार ती पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार की तथा अन्य सामाजिक सुविधाएँ पिछले दशक की तुलना में अधिक विस्तृत रूप में उपलब्ध करनी होंगी। उनमें अधिक व्ययों की जगह होगी—न केवल सरकार को, बल्कि प्रत्येक समुदाय को वे सचन जटाने में और स्वच्छिदर कार्यकर्ताओं को अधिक-से अधिक गल्या में उभरे भाग लेना होगा।

21 जैसे-जैसे अधिक विकास का काम बढ़ता है, उन्हे-उन्हे सामाजिक सुखा और बीमे को ऊची प्राथमिकता मिलती जागी। औद्योगिक मजदूरों के लिए प्राविष्ट फंड और स्वास्थ्य-बीमा की योजना के द्वारा इन दिना में प्राथमिक प्राथमिक काम करने ही उठा लिए गए हैं। तीनरी योजना की अधिक में, औद्योगिक मजदूरों के लिए रोजगार-महायता की योजना चालू करने का प्रस्ताव है और अन्याय व्यक्तियों, प्रनाओं और शारीरिक दृष्टि में अक्षम व्यक्तियों को, जिनकी सहायता और निराला का बाँट साधन नहीं है, महायता और गहल प्रदान करने की दिशा में एक छोटे पमाने पर काम आरम्भ करने की योजना है। उन इलाकों में, जहाँ ग्रामीण बायो ने मन्वद कार्यक्रम चालू किए गए हैं, काम चाहनेवाले व्यक्तियों के नाम पञ्चवर्षीय करने में सुविधाएँ सुलभ की गई हैं। इस प्रकार सचन अधिक विकास के साथ-साथ नमाज-सेवाएँ प्रशिक्षण, और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का आरम्भ—ये नव बातें समुदाय के विभिन्न अंगों के लिए अधिक समान अवसर देने की दिशा में कुछ दूर तक सहायक हो सकती हैं।

22 कृषि-उत्पादन में वृद्धि, आधुनिक उद्योग और परिवहन तथा विजली का विकास और अर्थव्यवस्था में सरकारी और सहकारिता के क्षेत्रों का विकास—इन सबमें ऐसे हालात पैदा होंगे, जिनसे समाजवाद की और बढ़ना और जीवन-स्तर को सुधारना सम्भव हो सकेगा। उस दिशा में इनका और अधिक सामाजिक महत्व होगा, जिनमें समुदाय के स्तर पर समाजवाद विकसित होता है और व्यापक स्थानीय पमाने पर सहयोग प्राप्त करता है। समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्य ज्यों-ज्यों अधिक व्यापक होंगे और उनका प्रभाव दिनानुदिन के दृष्टिकोण और व्यवहारों पर पड़ेगा, त्यों-त्यों समुदाय के सब वर्गों के लिए विस्तृत अवसर गुल्लेंगे—जान तौर पर उन लोगों के लिए, जो कम सुविधा-प्राप्त हैं।

23 भारत की विकास-योजनाओं का एक बड़ा भाग सामुदायिक विकास के द्वारा आम जनता तक पहुँचता है। इसलिए ग्रामीण जनता में समुदाय के स्तर पर समाजवाद के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास-आन्दोलन को जो भूमिका प्रदान की गई है, उस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। सब से बढ़कर, सामुदायिक विकास को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन का स्तर ऊँचा उठे और उपलब्ध मानव-शक्ति तथा अन्य साधनों का अधिक उपयोग हो। इस आन्दोलन में स्थानीय पहल एवं दायित्व और सहकारी आत्म सहायता के विकास पर जोर दिया गया है और इसका लक्ष्य एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत विकास के कार्यक्रमों का नेतृत्व करना है, जिनमें कृषि, सहकारिता, सिंचाई, लघु ग्राम-उद्योग, गावों में विजली की व्यवस्था और कृषि-सम्बन्धी सुधार शामिल हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य एक ऐसी विकासशील सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के

विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ तैयार करना है जिसका ढाँचा विविध व्यवसायगत हों और जिसमें समुदाय के निर्वहण अगो को शीघ्रता से, शेष सवल अगो के समकक्ष पहुँचने का अवसर मिले। सहकारी कृषि-औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास आवश्यक है, ताकि उद्योगीकरण के लाभों का विस्तार समानता के साथ आवादी के विभिन्न भागों में और विभिन्न क्षेत्रों में हो तथा प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण और औद्योगिक विकास के बीच अधिक मात्रा में समन्वय हो।

24 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास-आन्दोलन की नवीनतम देन 'पंचायती राज' है। ग्राम, खण्ड और जिला के स्तर पर विकास का दायित्व गाव की पंचायतों, पंचायत-समितियों और जिला-परिषदों को सौंपा गया है और इन्हें काफी अधिकार दिए गए हैं। जिनके भीतर प्रशासन के ढाँचे और ग्राम-विकास के स्वरूप में यह एक क्रान्ति-कारी परिवर्तन है और ग्रामीण वातावरण को बदलनेवाले इसके उल्लेखनीय परिणाम सामने आ रहे हैं।

25 गावों में, मूल-स्तर पर समाजवाद के निर्माण का काम उस समय सुभीते के साथ हो जाता है, जब भूमि-सुधार और सहकारी विकास की नीतियों को कार्यान्वित किया जाता है और प्रत्येक ग्रामीण समुदाय के भीतर भूदान और श्रमदान तथा सामान्य दायित्व की भावना पनपने लगती है। कस्बों और शहरों में भी उचित सामाजिक नीतियों की समान रूप से आवश्यकता है। नागरिक क्षेत्रों में लोगों के आ-आकर बसते जाने में न केवल वहाँ के अधिकांश निवासियों के जीवन-स्तर में गिरावट आती है, बल्कि जमीन-जायदाद की कीमतें चढ़ जाने से भी कई नई प्रकार की विपमताएँ पैदा हो जाती हैं। इनके निरोध के लिए कई प्रकार के उपायों का अवलम्बन किए जाने की जरूरत है, जैसे—भूमि के उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक आयोजन करना, भूमि हस्तगत करने के लिए बड़े पैमाने के कार्यक्रम, रिहायश और भूमि देने-सम्बन्धी ऐसी नीतियों का अवलम्बन, जिनसे कम आयवाले और गरीब लोगों को सहायता पहुँचे, पूंजीगत मुनाफों और शहरी जायदादों पर उचित कराधान, दिखावटी और निकम्मी इमारतों के निर्माण की रोकथाम, तथा रैयती और लगानों की शर्तों पर सार्वजनिक कड़ी नज़र।

(5)

आर्थिक शक्ति का वितरण

26 पिछले षण्क में सगठित निजी क्षेत्र की अभिवृद्धि से यह प्रश्न सामने आया है कि किन साधनों में आर्थिक विकास प्राप्त किया जाए, ताकि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण न हो और एकाधिकार की प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव न हो। यह तय है कि शीघ्र आर्थिक विकास की प्रक्रिया से सुब्यवस्थित कम्पनियों को अपना आकार बढ़ाने और व्यवसाय उद्योग के नए क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। नई कम्पनियों और छोटे व्यवसाय-उद्योगों के मुकाबले में उन्हें सगठन और विशेषज्ञों का, पूंजी-बाजार में पहुँचने और विदेशी सहयोग-प्राप्ति का लाभ मिल जाता है, सामान्यतः उन्हें ऐसे साधनों का भी लाभ प्राप्त होता है, जिन्हें प्रयुक्त करने की स्थिति में वे होते हैं। किसी

उद्योग में पूंजी-विनियोग के लिए उपलब्ध भावनों का एक महत्वपूर्ण भाग मगठिन क्षेत्र के अन्तर्गत ही तैयार होता है। इस कारण भी किन्ही नई इकाई को तुलना में पहले ने विद्यमान इकाई को अपना विस्तार करने की अधिक नुविधा रहती है। कई उद्योगों में टेक्नोलाजी की दृष्टि में बड़े पैमाने की इकाइया स्थापित करना विशेष उपयुक्त होता है और इसके चलते पूंजीगत एवं उत्पादन-व्यय में बचत होती है। फलन, कई कठिन समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं। एक और, पंचवर्षीय योजनाओं में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार ये विद्यमान बड़े व्यवसाय-उद्योग जित हद तक विकास-कार्य को हाथ में लेते हैं और बड़े पैमाने पर काम किए जाने के कारण अनिवार्यतः होनेवाली बचत का लाभ उठाते हैं, उसी हद तक अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक होने हैं। दूसरी ओर, कुछ छोटे लोगों के हाथ में अत्यधिक आर्थिक शक्ति के आ जाने और उनके द्वारा उसके मनचाहे ढंग से प्रयोग के कारण लोकतन्त्र के शक्ति-सन्तुलन में, गडबडी पैदा हो जाती है, सामाजिक ढांचा नए खिचावों और तनावों का शिकार हो जाता है और आर्थिक अवसरों का विस्तार अवरुद्ध हो जाता है।

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का मुकाबला कई प्रकार के उपायों ने करना होगा—पहला सरकारी क्षेत्र का उन क्षेत्रों में विस्तार, जहाँ बड़े पैमाने की इकाइयाँ और भारी पूंजी लगाने की आवश्यकता हो, दूसरा, नए आनेवालों, मध्यम तथा छोटी इकाइयों और उन उद्योगों के लिए, जो सहकारिता पर आधारित हों, अवसरों का विस्तार, और तीसरा, नियन्त्रण और नियमन-विषयक सरकारी अधिकारों का मशकत प्रयोग और उचित वित्तीय कार्रवाई। मक्षेप में, उद्देश्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोका जाए, बल्कि औद्योगिक संगठन के ऐसे स्वरूप को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उत्पादन के ऊँचे स्तर प्राप्त हों, और राष्ट्रीय आयोजन के ढांचे के भीतर नए उद्यमियों, मध्यम और छोटे पैमाने के व्यवसाय-उद्योग और सहकारी मगठनों को विकसित कर पुरा मीठा मिल सके।

27 आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए राज्य के पास जो एक निर्णायक अस्त्र है, वह है सरकारी क्षेत्र का द्रुत विस्तार। इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। आर्थिक ढांचे में जो मूलभूत कमियाँ होंगी, उन्हें दूर करने में यह सहायता करेगा और साथ ही, धन और बढी आयों को निजी रूप से लोगों के हाथों में जमा होने से रोकेगा। बिजली पैदा करने और उसके वितरण में अर्ध सरकारी क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है और इसका शीघ्रता से विस्तार किया जा रहा है। परिवहन में भी इसका भाग निरन्तर बढ़ रहा है। बड़े उद्योगों और खनिज उद्योगों में भी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, सरकारी क्षेत्र का कुल पूंजी-विनियोग, निश्चय ही, निजी क्षेत्र में ज्यादा होगा। 1950-51 की तुलना में तीनरी योजना के अन्त तक संगठित उत्पादक उद्योगों में सरकारी क्षेत्र का अग्रदान 2 प्रतिशत में कुछ कम से बढ़कर करीब एक-धीवाई हो जाएगा। इसी प्रकार, खनिज-उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा एक-दशमाग से कुछ कम से बढ़कर एक-तिहाई से कुछ अधिक हो जाएगा। ये उल्लेखनीय नए परिवर्तन हैं, पर इनके साथ ही उन भावनों को और विशेष ध्यान देना होगा, जिनमें सरकारी क्षेत्र की विस्तार-शक्तता अधिक तेजी से बढ़े—जैसे

उसकी कार्य-मचालन की कुशलता बढ़े, प्रशिक्षित प्रशासकीय और तकनीकी कर्मचारियों की अधिक संख्या में उपलब्ध हो और अधिक लाभ प्राप्त करने की उसकी योग्यता में वृद्धि हो। यह भी जरूरी है कि अधिकतम सीमा तक, जहां तक सम्भव हो, सरकारी उद्योगों के भवन-निर्माण और सम्भरण के काम सार्वजनिक और सहकारी संस्थाओं को माँपे जाए। जैसे-जैसे सरकारी क्षेत्र का योगदान सापेक्ष रूप से बढ़ेगा वैसे-वैसे आर्थिक विकास में उसकी भूमिका क्रमशः उल्लेखनीय होती जाएगी और सरकार अधिक मजबूत स्थिति में होकर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप और पद्धति का निर्धारण कर सकेगी।

28 निजी क्षेत्र को कार्य का जो क्षेत्र सौंपा गया है, उसके अन्तर्गत नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्योग में स्वामित्व विस्तृत आधार पर हो, उद्यम का फैलाव हो और नए आनेवालों के लिए उदार सहूलियतें हो तथा सहकारी संगठनों का विकास हो। इन उद्देश्यों को पूरा करने के साधन बहुत हद तक पहले से ही प्राप्त हैं, पर जरूरत इस बात की है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारें और उनके नीचे काम करनेवाली विभिन्न संस्थाएँ पिछले सालों की अपेक्षा अब इनका अधिक सोद्देश्यता के साथ और ज्यादा महयोग से इस्तेमाल करें। नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस और मीजूदा इकाइयों के विस्तार को मजूरी देते समय इस बात की काफी सावधानी बरतना आवश्यक है कि विद्यमान बड़े व्यवसायों का बहुत अधिक विकास न हो जाए, नई कम्पनियों को व्यवसाय-क्षेत्र में प्रवेश करने की सुविधा मिले और छोटे तथा मध्यम उद्योगों और सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन प्राप्त हो। पिछले सालों में कई वित्तीय एवं प्रोत्साहनमूलक संस्थाएँ स्थापित की गई हैं—जैसे, औद्योगिक वित्त-निगम, राज्य-वित्त-निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं पूँजी-विनियोग-निगम आदि। दूसरी पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर इन तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपनी मीजूदा प्रशासकीय नीतियों और काम के तरीकों पर फिर से विचार करना चाहिए, ताकि उद्योग में नए प्रवेश करनेवालों, मध्यम तथा छोटे उद्योगों और सहकारी उद्योगों को उनकी सहायता शीघ्र और पर्याप्त परिमाण में प्राप्त हो। उन्हें ऐसे समुचित तरीके भी ढूँढने चाहिए, जिनसे इन दिशाओं में हुई प्रगति को जांचा जा सके। स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ-साथ अन्य व्यापारी बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे मध्यम, छोटे और सहकारी उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में ज्यादा हिस्सा लेंगे। जीवन-बीमा-निगम के साधन भी इन उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत सहायक हो सकते हैं। हाल में स्थापित किया गया पूँजी-विनियोग-केन्द्र नए उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा सुलभ करने में सहायता दे सकता है। अन्त में, औद्योगिक वस्तियों की भूमिका और ग्राम तथा लघु उद्योगों, ग्रामीण विजली-व्यवस्था, प्रादेशिक आयोजन और नए नगरों की अवस्थिति के कार्य-क्रमों की भी संक्षेप में चर्चा कर ली जाए, जिनके बारे में आगे के अध्यायों में विचार किया गया है। ये विकास-कार्यक्रम उद्योगीकरण के लाभों को छोटे शहरों और गांवों तक ले जाने-सम्बन्धी पंचवर्षीय योजनाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण निश्चित कारवाइयों में स्थान रखते हैं।

29 एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सामाजिक नीति का एक मुख्य अंग कराधान है और योजना की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे साधनों—जैसे, बट्टा (रिबेट) रिआयन

और प्रोत्साहन—का उपयोग करना ही पड़ता है, जिनमें आर्थिक सहायों के केन्द्रीकरण पर रोक लगे और नई इकाइयों तथा मध्यम और छोटे पैमाने के व्यवसायों तथा सहकारिता-उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसके लिए जरूरी परम्पराएँ पहले से ही व्यक्तिगत और सामूहिक कर्माधान, पन बन, दान कर, पञ्जीगन नाम कर और सम्पत्ति कर के अन्तर्गत विद्यमान हैं। उनका गगनचिंत रूप में प्रयोग होना चाहिए। न के बचने और कर को टालने में सम्बद्ध नमस्कारों और उनके निगबरण के उपायों पर सावधानी में विचार किया जा रहा है। 1956 के कम्पनी अधिनियम के पाग होने तथा उसमें हाल में किए गए मशोधनों ने कम्पनी की व्यवस्था-सम्बन्धी कनिष्ठ बातों—जैसे, अन्त सम्बद्ध पूजा-विनियोग, परस्पर-सम्बद्ध निर्देशकता, आन्तरिक साधनों का प्रयोग और निर्देशकों तथा अन्य उच्चन्तर्गीय व्यवस्था कर्मचारियों का वेतन आदि—पर अधिक समीप में नजर रखी जा सकती है और ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिनसे इनके बारे में कानूनी व्यवस्थाओं का अधिक प्रभावशाली ढंग से पानन हो सके और औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिदानों का भी आवश्यकता के अनुसार, उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकता है। सक्षेप में, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण ने सम्बद्ध नमस्कारों ने निवटने के लिए मुख्य उद्देश्यों पर पहले से ही एकमत कायम है और इसके लिए आवश्यक कानून तथा आदेश भी एक बड़ी हद तक उपलब्ध हैं। इसलिए वर्तमान मन्दिर्भ में यह बात विवेक महत्वपूर्ण है कि इन उपायों में निहित तत्व और उन्हें अमन में लाने के लिए प्रयुक्त साधन और प्रशासकीय तरीके व्यवहारत एने हों, जो विस्तृत सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति में सहायता पहुँचाएँ और तीसरी योजना के कामों और प्रावधानों को दृष्टि में वर्तमान व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार किया जाए।

(6)

आय में विपमताएँ

30 आर्थिक विकास की प्रक्रिया के नशवन होने में पहले एक बड़े आय तक परम्परागत समाज में चिरकाल से प्रचलित विशेष तत्व—जैसे, सामन्ती अधिकार और जायदाद अथवा सामाजिक ढाँचे के साथ जुड़े हुए विशेष अधिकार तथा बाधाएँ—विपमताएँ पैदा करते हैं। अतीत के इन भन्नावशेषों को पहले गिराना होगा। आयोजित विकास के द्वारा इस प्रक्रिया को तेज करना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था को भीतर से कम रुकावटों का सामना करना पड़े और वह आगे बढ़ने में समर्थ हो सके। अतः भूमि-सुधार के कार्यक्रम को जिसमें विचौलियों के अधिकारों का अन्त, काश्तकारों की सुरक्षा और लगान में कमी और कृषि-भूमि पर जीत की अधिकतम सीमा के अनिवार्य रूप में प्रयोग पर बल दिया गया था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्तियों को विमुक्त करने के लिए आवश्यक समझा गया। इस दिशा में प्रगति हुई है, पर काश्त-विषयक सुधारों के पर्याप्त रूप में कार्यान्वित न किए जाने के कारण और काश्त की अधिकतम सीमा के कार्यक्रम को पूरा करने में देरी होने के कारण, जितनी आशा थी, उतना काम नहीं हो सका है। राज्यों में जो कानून बने हैं, उन्हें अमल में लाने के लिए अब अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

31 औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण आय और सम्पत्ति में जो विषमताएँ पैदा होनी हैं, उनमें कहीं पैचीदा समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इनमें पहली समस्या का सम्बन्ध अजिन आय के स्तरों की विभिन्नता में है। उन्नत देशों में अब इनमें बहुत कमी आ गई है। दूसरी ओर, अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के पहले चरण में विशेष उपाय न करने पर इनके और अधिक बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। ऐसा विभिन्न कारणों से होता है—विशेषतः प्रशिद्धित व्यक्तियों की मार्पेक्षिक कमी, सामाजिक परिवर्तनशीलता के अभाव और मुद्रास्फीति के प्रभावों की उपस्थिति के कारण। यहाँ अपनी समस्या यह है कि उच्चतर और निम्नतर आयों के फैलाव को कम किया जाए और न्यूनतम के स्तर को ऊँचा किया जाए। इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है और ऐसे पग उठाने की जरूरत पड़ती है, जिनसे यह पूरा भरोसा हो कि अर्थव्यवस्था की समस्त शाखाओं में मार्पेक्षिक और निजी दोनों में—योग्यता के आधार पर अवसरों का द्रुत गति में विस्तार हो रहा है। कर-सम्बन्धी नीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका इन तरह प्रयोग होना चाहिए कि ऊँची आय वालों की कमाई युक्तियुक्त स्तर तक लाई जा सके। इस समय यह प्रश्न कड़ी सीमाएँ निश्चित करने-विषयक प्रयत्न का उतना नहीं है, जितना मार्पेक्षिक नीति और मार्पेक्षिक चिन्तन-धारा को सामान्य निर्देश देने का। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि कराधान-जाच-आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि कर देने के बाद, आय की उपयुक्त परिधि औसतन पारिवारिक आय की करीब 30-गुनी होनी चाहिए। मोटे तौर पर प्रस्तुत किया गया यह लक्ष्य क्रमशः अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में प्राप्त किया जाना चाहिए। अधिकांश जनता की निम्न आय के कारण, यह परिधि भी काफी विषमता की ओर बढ़ेगी, परन्तु उच्चो-उच्चो निम्नतर आयों में वृद्धि होगी, ल्यो-ल्यो इसमें और कमी आती जाएगी।

32 आय की विषमताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण और अग्रामीण आय के बीच की खाई में सम्बद्ध है, जो औद्योगिक और आर्थिक विकास के प्रभाव के कारण बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाती है। ग्रामीण और नागरिक आय के बीच की इस खाई को पाटने के कुछ मुख्य उपाय ये हैं—कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में बढ़ोतरी, भूमि पर निर्भरता में कमी, उद्योग के विस्तार और सामाजिक सेवाओं के पर्याप्त विकास से आर्थिक स्वरूप की विविधता, और कृषि-सम्बन्धी ऐसी मूल्य-नीति, जो नागरिक उपभोक्ता के लिए समुचित होने के साथ-साथ किसान के हित की रक्षा करनेवाली हो। बहुमूल्यक ग्रामीण आवादीवाले देश में इन नीतियों का बड़ा महत्व है।

33 एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, ऊँची आय मुख्य रूप से पूँजी के लाभ से, व्यापार से और सट्टे के लाभों से तथा कानून-द्वारा मजूरशुद्धा एक अथवा दूसरे प्रकार के भत्तों से प्राप्त होती है। अतः इन सम्बन्ध में दोतरफा कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली, सामाजिक नीति-द्वारा यानी, पूँजी पर लाभ, सट्टा, इत्यादि से जो आय हो, वह अवश्य सीमित होनी चाहिए और सरकार को उसमें उचित हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए। और दूसरी, कर-व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार-द्वारा, अर्थात् इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसी आयों पर पूरा कर लगे, आय से बचाव के प्रति कठोर कार्रवाई हो और कर को टालने के अवसर कम से कम पैदा हो।

34 रोजगार के द्रुत विकास और विस्तार के कारण, उद्योग में और सेवाओं में लगे श्रमिकों की बड़ी सख्या की और अपने धन्वे में लगे लोगों की—जैसे, किसान और कुशल कारीगर आदि की—आय में स्थिर रूप से और उत्पादकता के अनुपात में वृद्धि होने की सम्भावना है। वे लोग, जो एक निश्चित आय प्राप्त करते हैं, प्रायः निम्न-मध्य श्रेणी-वर्गों में आते हैं, इन्हें अनिवार्य रूप से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मूल्यों में दीर्घकालीन बढ़ाव की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर, इन वर्गों में, महिलाओं के अधिक सख्या में रोजगार में प्रवेश करने और रोजगार की बढ़ोतरी में, पारिवारिक आय के बढ़ने के क्षेत्र विस्तृत हो गए हैं। इस वर्ग के लिए और साथ ही निम्नतम आय के वर्गों के लिए, यह जरूरी है कि आवश्यक चीजों के दाम नीचे रखे जाएं और सामाजिक सेवाएं, विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास, इनकी सहज पहुंच के भीतर रहें। इस शिक्षा के दूसरे किनारे पर, सबसे अधिक ध्यान उनकी ओर दिया जाना चाहिए, जो एकदम बेरोजगार हैं अथवा धीरे-धीरे रोजगार से पीड़ित हैं। रोजगार के अवसरों की सर्वाधिक प्राथमिकता इन्हीं लोगों के लिए है। रोजगार के साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लाभ भी यथासम्भव पूरी तौर पर इन तक पहुंचाने चाहिए।

(7)

आर्थिक और सामाजिक समन्वय

35 एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, समाजवादी ढंग का समाज प्रगति की एक मूल्य दिशा प्रस्तुत करता है। यह अर्थव्यवस्था दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक बेचोदा होती जा रही है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और अन्य तत्वों की विविधता का निरन्तर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। निश्चय ही, एक सामूहिक प्रक्रिया-द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो विभिन्न मार्गों-द्वारा प्राप्त उन्नति का परिणाम होती है। कई कारणों से, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शीघ्रता और कदम जल्दी बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। यह ठीक है कि अगर सामाजिक लक्ष्य उपलब्ध करने हैं, तो आर्थिक नींव दृढ़ होनी चाहिए। इसके साथ ही, आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच किसी प्रकार की रुकावट में नए दबाव पैदा हो जाते हैं। बहुत ही विस्तृत तथ्य इस समय नहीं मिल रहे हैं और इनके बिना निश्चित उपाय निर्धारित कर सकना कठिन है। इसलिए, योजना-आयोग के द्वारा अक्टूबर 1960 में नियुक्त एक विशेषज्ञ-समिति जीवन-स्तर में आए परिवर्तनों पर, जो पहली और दूसरी योजना की अवधि में आए हैं, ध्यान दे रही है, आय और सम्पत्ति के वितरण-सम्बन्धी हाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रही है, और स्वयं तीन पाठ्य बातों की जांच कर रही है कि आर्थिक व्यवस्था को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप क्या तक सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण हुआ है।

36 प्रगति के विभिन्न मार्गों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि विभिन्न उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों के बीच अनिसंगतता हो। इनके बीच गति स्थापित करनी होगी। यद्यपि योजनावद्ध विकास का दावा किया जा रहा है और वास्तविक कारणों से देते समय इसे दृढ़ और अधिक

शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। सार्वजनिक प्रशासन और आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया है, उनका पूरा-पूरा और दृढ़ता के साथ कार्यान्वयन होना चाहिए तथा मूल्यांकन के लिए अधिक गम्भीर कमीटियों का अवलम्बन करना चाहिए। इसके अलावा हर हालत में नैतिक, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों पर पर्याप्त जोर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आर्थिक प्रगति को मार्थकता प्राप्त होती है। अगर राष्ट्र में आवश्यक एकता और अनुशासन हो, तो विकास के बोझों को सहन करने की तत्परता और समुदाय के विभिन्न अंगों में इन बातों की समझदारी कि मीजुदा सकटकाल में आर्थिक और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान होना चाहिए, उससे कहीं तेजी से बढ़ेगी, जितनी सामान्य तौर पर बढ़ती है। पहले से कार्यान्वित नीतियाँ सामाजिक प्रगति को बल प्रदान करने, श्रमिक-मधो, सहकारिता-आन्दोलन, स्वैच्छिक नस्याओं और विश्वविद्यालयो-जैसी शक्तियों को मजबूत करने तथा ग्रामीण तथा नागरिक समुदायों में विस्तृत आधार पर रचनात्मक नेतृत्व विकसित करने के क्षेत्र में बड़ी सहायक होगी। आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार के विकास को रोकने में भी ये शक्तियाँ महत्त्वपूर्ण होंगी तथा सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धों को दृढ़ करेंगी और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करने, समान अवसर और न्यूनतम जीवन-स्तर के अधिकार का आश्वासन देंगी। अन्तिम विश्लेषण में यह प्रकट होता है कि आर्थिक विकास एक लक्ष्य को प्राप्त करने का मावन-मात्र है। यह लक्ष्य है सम्मिलित प्रयास और त्याग-द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसमें जाति, वर्ग और विशेषाधिकारियों का स्थान न हो, और जो समुदाय के प्रत्येक अंग को और देश के ममस्त भागों को आगे बढ़ने तथा राष्ट्रीय कल्याण में योगदान करने के अधिकतम अवसर प्रदान करे।

37 आयोजन एक निरन्तर चलनेवाली प्रक्रिया है और छोटी-छोटी अवधियों के लिए उसे वाटा नहीं जा सकता। इस प्रकार, तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली और दूसरी योजनाओं का परवर्ती विस्तार और अगला हिस्सा है तथा इसके द्वारा चौथी तथा आगे की योजनाओं का रास्ता साफ होगा। आयोजन वाञ्छित लक्ष्य की ओर सतत चलने-वाला एक आन्दोलन है, और इसी कारण ममस्त मुख्य निर्णय उन अधिकरणों-द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें इन लक्ष्यों और इनमें अन्तर्निहित सामाजिक उद्देश्यों की जानकारी है। पंचवर्षीय अवधि पर विचार करते समय भी, आगामी और दीर्घकालीन आयोजन को हमेशा ध्यान में रखना होगा। वस्तुतः सब अंगों को दृष्टि में रखते हुए आयोजन करना ही आयोजन की प्रक्रिया का सार है। ज्यों-ज्यों यह प्रक्रिया विकसित होती है, त्यो-त्यो जनता के विकास के क्षेत्र में एक विस्तारात्मक सगति आती है, और लोगों में उद्यम तथा सफलता की भावना विकसित होती है, वे जीवन की उद्देश्यात्मकता के प्रति मजबूत होते हैं और यह अनुभव करते हैं कि एक इतिहास के निर्माण में वे योगदान कर रहे हैं। अन्ततोगत्वा, मानव और उसके व्यक्तित्व का विकास ही सर्वोपरि चीज है। यद्यपि आयोजन में भौतिक पूँजी-विनियोग की जरूरत पड़ती है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात मानव में पूँजी-विनियोग करना है। अपनी सारी परेशानियों और समस्याओं के साथ, भारत की जनता आज एक नए ममार की सीमा पर निवास करती है, जिसके निर्माण में वह स्वयं सहायता कर रही है। इस सीमा को पार करने के लिए जनता के पास उत्साह और उद्यम, धैर्य की भावना, कठोर श्रम की शक्ति तथा भविष्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए।

दीर्घकालीन आर्थिक विकास

(1)

व्यापक दृष्टि की आवश्यकता

खपत, वचत उत्पादकता और रोजगार के निम्न स्तर उन केंद्रीय समस्या के विभिन्न पहलू हैं, जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के समान भारत के मामले में उभर रहे हैं। बुनियादी तौर पर, मुख्य कार्य ज्ञान-विज्ञान और टेक्नोलॉजी के यथामुभव अधिक प्रयोग के द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास करना तथा एक सुविचारित दीर्घकालीन योजना के तहत के अन्तर्गत ही मण्डलान्तरण करना करना है। अधिकांश जनता के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार करने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए काफी मात्रा में और निरन्तर आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिए।

2 गत कई दशकियों में भारत की अर्थव्यवस्था जड़बत रही है। इसका विकास-क्रम मुश्किल से जनसंख्या की वृद्धि से कुछ अधिक रहा है। गत दशकियों में इनमें प्रतिशत 4 प्रतिशत वार्षिक की प्रगति हुई है। कुल राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि लगभग 42 प्रतिशत की है। इस सामान्य-नी वृद्धि से दूसरी योजना में विद्यमान रूप में निम्न अर्थव्यवस्था के विकास-सामर्थ्य का पूरा भरोसा नहीं मिलता है। जब कि कृषि और नम्बड क्षेत्रों में, जिन में राष्ट्र की आधी आय प्राप्त होती है, आय में वृद्धि एक-तिहाई से कुछ ही अधिक हुई है। मण्डित उत्पादन-क्षेत्र की कुल आय बट कर लगभग दोगुनी हो गई है। मण्डित उद्योग के क्षेत्र में भी पूर्णतः सामान-उद्योगों की उन्नति अत्यन्त में काफी तेज रही है। फिर भी, चूंकि जनसंख्या में वृद्धि अनुमान में अधिक हुई है इसलिए प्रति व्यक्ति आय में केवल 16 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी है। इसी अवधि में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की द्रुत प्रगति और उन्नत देशों में प्राप्त की गई विकास की तेज रफ्तार के कारण उन्नत और कम उन्नत देशों के बीच की विषमताएं और भी बढ़ गई हैं। गत दशकियों में भारत में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उनमें यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश जनता के जीवन-स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक विकास की गति को काफी तेज करना होगा और जनसंख्या में वृद्धि की दर को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे।

3 इन पृष्ठभूमि में, भारत के भावी विकास के बारे में संक्षेप में विचार करना, समस्त के आवश्यक तत्वों का पता लगाने का प्रयत्न करना और आगामी 15 वर्षों या उनमें भी अधिक समय के आर्थिक विकास के स्वरूप की रूपरेखा तैयार करना उपयोगी होगा। विकास की प्रक्रिया का क्रम मजबूत होता है, जिसमें प्रत्येक अवधि की प्राथमिकताएं और लक्ष्य भविष्य के एक बड़े व्यापक चित्र के साथ सम्बद्ध होते हैं। दीर्घकालीन भावी स्वरूप का वास्तविक महत्व इन समय किए जानेवाले निर्णयों में सम्बद्ध होता है, क्योंकि इन प्रकार की एक व्यापक दृष्टि के अभाव में किए जानेवाले निर्णय गलत और व्ययनाभ्य हो सकते हैं और उनमें बाद में बड़े पैमाने पर संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब एक दीर्घकालीन

योजना पर्याप्त विस्तार के साथ बनाई जाती है, तब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर-निर्भरता स्पष्ट हो जाती है और अर्थव्यवस्था के विकास में सम्भावित बाधाओं को समझने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि और निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के कारण उत्पन्न मांग और सम्भरण की समस्याओं का विश्लेषण करने से भावनों के समुचित प्रयोग, मात्रा और स्थिति की अर्थव्यवस्थाओं, और आर्थिक गतिविधियों के प्रादेशिक आधार पर वितरण के सम्बन्ध में सुस्थिर एवं सामयिक निर्णय करने में सहायता मिलती है। यह अन्तिम बात, प्रादेशिक आधार पर वितरण की बात, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत-जैसे विशाल एवं विविधतामय देश में कुछ ऐसी समस्याओं को, जिनका सम्बन्ध प्रादेशिक ढंग के गतिरोधों में हो, केवल एक ऐसी दीर्घकालीन योजना से ही हल किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय विकास के एक वृहत्तर ढांचे में विभिन्न प्रदेशों को उपयुक्त स्थान प्रदान करे। विधेय रूप से इस बात की आवश्यकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जिममें विजली, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, और तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, विविष्ट रूप में अग्रिम आयोजन किया जाए। प्रत्येक चरण पर इन क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम सुविचारित, समग्र रूप से स्वीकृत तथा नियत अवधि के अग्रे भी विस्तारशील होने चाहिए। इन क्षेत्रों में निरन्तर समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है, और इनके परिणाम अनेक वर्षों में उपलब्ध होते हैं। विकास की दीर्घकालीन दृष्टि जहाँ नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रगति के मूल्यांकन में उपयोगी पथ-प्रदर्शक हो सकती है, वहाँ वास्तविक उपलब्धियों और अनुभवों के आकार पर समय-समय पर स्वयं इसका भी मूल्यांकन होते रहना चाहिए।

4 पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाओं को देश के दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक विकास में सोपान-सदृश माना गया था। पहली योजना ने सन् 1951 से लेकर सन् 1981 तक की अवधि में विस्तृत आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक सामान्य शुरुआत की। जनसंख्या में वृद्धि की गति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात, जो विकास के प्रत्येक स्तर पर पुनः पूँजी-विनियोग के रूप में प्रयुक्त हो सकती थी, और किए गए पूँजी-विनियोग के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के बारे में कुछ कल्पनाएँ की गईं थी। विकास के इस स्वरूप में यह आशा की गई थी कि सन् 1950-51 का राष्ट्रीय आय का स्तर सन् 1970-71 तक तथा प्रति व्यक्ति आय का परिमाण सन् 1977-78 तक दुगुना हो जाएगा। पहली योजना को कल्पनाओं एवं धारणाओं की अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में, जो योजना के प्रथम पाँच वर्षों के लिए अनुमानित परिमाण से कहीं अधिक रहा, दूसरी योजना की रिपोर्ट में विवेचना की गई और यह सुझाया गया कि सन् 1950-51 की तुलना में राष्ट्रीय आय सन् 1967-68 तक और प्रति व्यक्ति आय सन् 1973-74 तक दुगुनी हो जा सकती है। जनसंख्या में वृद्धि और पहली तथा दूसरी योजनाओं की 10 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय आय में वस्तुतः हुई वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था का अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाए। जनसंख्या में वृद्धि तथा सम्भावित प्रवृत्तियों को देखते हुए, राष्ट्रीय आय में निरन्तर 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होने के बावजूद, दूसरी योजना की इस आशा का पूरा होना कठिन प्रतीत होता है कि सन् 1950-51 का प्रति व्यक्ति आय का स्तर पाँचवीं योजना के मध्य तक दुगुना हो जायगा।

5 एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में, जहाँ प्रति व्यक्ति पूँजी बहुत कम हो, जनसंख्या में वृद्धि की तीव्र गति के कारण वचत की दर बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है, जब कि वचत ही उच्च उत्पादकता और आय-वृद्धि के क्षेत्र में सफलता का बहुत-कुछ निश्चय करती है। इसके अतिरिक्त, पूँजी-विनियोग के सीमाबद्ध रहने पर उनका एक काफी बड़ा भाग पूँजीगत सामान-उद्योगों में कमी बरके अनिवार्य उपभोक्ता मानप्रियों के उत्पादन में लगाना पड़ता है। इनके फलस्वरूप भी उन्नति की गति धीमी पड़ जाती है।

आर्थिक विकास की तुलना में जनसंख्या के महत्व को सन् 1961 की जनगणना के परिणामों से समझा जा सकता है। भारत की जनसंख्या में सन् 1951 और सन् 1961 के बीच हुई वृद्धि (जनसंख्या 7 करोड़ 70 लाख) पिछली दो दशकद्वियों में हुई वृद्धि (लगभग 8 करोड़ 20 लाख) के आनपास बढती है।

सन् 1959 के प्रारम्भ में, जन्म और मृत्यु की दर-सम्बन्धी कुछ धारणाओं के आधार पर, केन्द्रीय नाखिकी-संगठन ने जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कतिपय अनुमान लगाए थे, जिन्हें जनगणना होने तक तीसरी योजना की तैयारी के लिए एक कार्यकारी आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। नीचे की तालिका में जनसंख्या में वृद्धि के इन अनुमानों को, सन् 1961 की जनगणना के परिणामों के आधार पर अस्थायी रूप से कूटे गए अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है। सन् 1961 की जनगणना के विस्तृत आँकड़ों का और अधिक अध्ययन किए जाने तक, इनका योजना के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है।

तालिका-संख्या 1

भारत की जनसंख्या का अनुमान

(करोड़ में)

	1961	1966	1971	1976
केन्द्रीय नाखिकी-संगठन का अनुमान (1959)	43 1	48 0	52 8	57 8
अस्थायी अनुमान (1961)	43 8	49 2	55 5	62 5

सन् 1971 और सन् 1976 के लिए वर्तमान अस्थायी अनुमानों के आधार पर, सन् 1961 से सन् 1976 तक की अवधि में जनसंख्या में कुल वृद्धि 18 7 करोड़ तक के आनपास हो सकती है। जनसंख्या में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि इन अवधि में अधिको की संख्या में 7 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। इनमें से 1 करोड़ 70 लाख की वृद्धि तो तीसरी योजना की अवधि में ही होगी। इन बड़े हुए अधिको में से लगभग दो-तिहाई को कृषि में निम्न कामों में लगाने की आवश्यकता होगी। स्पष्टतः यह एक बहुत

*जिन धारणाओं के आधार पर जनसंख्या में वृद्धि के अनुमान तैयार किए गए हैं, उन्हें परिशिष्ट (ग) में प्रस्तुत किया गया है।

बड़ा काम है और इसके लिए आगामी 15 वर्षों में आवश्यक विकाम के स्वरूप और गति के बारे में पुन विचार करना होगा ।

(2)

दीर्घकालीन विकास का मार्ग-निर्धारण

6 विभिन्न तथ्यों के कारण, जिनकी ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुका है, अनिवार्य रूप से आगामी तीन योजनाओं की अवधि में आर्थिक उन्नति की सभी सम्भावनाओं को पूर्णत और प्रभावशाली ढंग से गतिशील करना होगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की एक व्यापक नीति के आधार पर आगे बढ़ा जाए । इसी से अर्थव्यवस्था के द्रुत गति से विस्तृत होने की एव उसके न्यूनतम सम्भव समय में ही आत्मनिर्भर और आत्मचालित होने की गारण्टी मिलेगी । तीसरी और बाद की योजनाओं की पूर्ति के लिए नीति का जो स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, उसमें कृषि और उद्योग, आर्थिक और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास तथा घरेलू और विदेशी साधन-स्रोतों की परस्पर-निर्भरता पर विशेष बल दिया गया है । इसमें वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी-विषयक प्रगति के लिए अपनाए जानेवाले उपायों एव उत्पादकता के आम स्तर को ऊँचा उठाने-सम्बन्धी कार्रवाइयों तथा जनसंख्या, रोजगार और सामाजिक परिवर्तन-विषयक नीतियों पर भी बहुत बल दिया गया है ।

7 कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था : गावों में उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग एव स्थानीय साधनों के अर्थव्यवस्था के प्रयोग पर आधारित कृषि-विकास देश के द्रुत विकास की कुर्जी है । अभी कृषि-उपज का परिमाण इतना कम है कि पर्याप्त सिंचाई-व्यवस्था, खाद, सुधरे हुए बीजों और औजारों की आपूर्ति, कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, भूमिकाशत-विषयक सुधार तथा सहकारिता के आधार पर कृषि-अर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा 'बहुत थोड़े समय में ही उत्पादन के स्तर में भारी वृद्धि की जा सकती है । अन्य क्षेत्रों की तरह, जिनमें अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध साधनों के भरपूर उपयोग से प्रगति की जा सकती है, कृषि-उत्पादन में भी उस हद तक वृद्धि की जानी चाहिए, जितनी भौतिक रूप से सम्भव है । विकास के वर्तमान चरण में खाद्यान्नों के माथ-साथ कपास, तेलहन और अन्य व्यावसायिक वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन भी समान रूप में महत्वपूर्ण है । एक बार यदि उत्पादन की क्षमता का निर्माण हो जाए, तो अपेक्षाकृत कम समय में ही उसे समुदाय की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल भी किया जा सकता है । इस अवधि में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे हैं—कृषि की एक विविधतापूर्ण और सुदृढ़ पद्धति का विकास, जिसमें पशुपालन, दूध-उत्पादन, मांस-उत्पादन, मछलीपालन और कुक्कुट-पालन आदि भी शामिल हैं, समस्त जनता के लिए सन्तुलित और पर्याप्त आहार की व्यवस्था, तथा व्यावसायिक फसलों का विकास जिससे उद्योग और निर्यात की बढ़ती हुई जरूरतें पूरी की जा सकें ।

8 कृषि-विकास के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई-सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता होती है । अनुमान है कि कुल सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से इस समय सिंचाई की टेक्नोलॉजी-विषयक सम्भावनाएँ बढ़कर 17 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि के लिए हो गई हैं ।

इसमें 10 करोड़ एकड़ भूमि बड़े और मध्यम तथा शेष छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों द्वारा निश्चित है। सिंचाई और निश्चित वर्षा का लाभ उठाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकताओं का हाल में जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार 40 लाख टन नत्रजनयुक्त, 20 लाख टन फास्फेटयुक्त और 10 लाख टन पोटैशियमयुक्त उर्वरक चाहिए। परन्तु सिंचाई की सम्पूर्ण सम्भावनाओं का लाभ उठाने के बाद भी भारत की कुल कृषि-भूमि में नई वर्षा पर ही निर्भर करेगी। इसलिए विकास-कार्यक्रम में भूमि और नदी-नदरक्षण को उच्च प्राथमिकता मिलती ही रहनी चाहिए।

9 किन्हीं भी दीर्घकालीन योजना में कृषि-विकास की सम्भावनाओं का इन क्षेत्रों में प्राप्त सफलताओं से गहरा सम्बन्ध होता है।

- (क) टेक्नोलॉजी-विषयक परिवर्तन, विशेष रूप से वैज्ञानिक कृषि-पद्धति, मुषरे हुए उपकरणों एवं अन्य औजारों का उपयोग;
- (ख) ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति का पूर्ण उपयोग और अधिकतम स्थानीय प्रयास का संचालन,
- (ग) नहकारिता के आचार पर, जिसमें सेवा, ऋण, हाट-व्यवस्था, विधायन और वितरण तथा सहकारी कृषि भी शामिल है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन;
- (घ) भूमि-प्रयोग के व्यवस्थित आयोजन, बहुविध फसलों का विस्तार और बुवाई के मुषरे हुए तरीकों के द्वारा उपलब्ध भूमि का मनुष्यत उपयोग, तथा
- (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में निम्न कार्यों का इस प्रकार विस्तार, जिससे पेशे-नम्बन्धी स्वरूप में विविधता आए और कृषि पर निर्भर रहनेवालों की संख्या में कमी हो।

ये लक्ष्य पहले ही स्वीकार कर लिए गए हैं तथा इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। फिर भी, प्रत्येक क्षेत्र में प्रयत्नों को जोरदार और तीव्र किया जाना चाहिए।

10 बुनियादी और भारी उद्योग : यह ठीक है कि कृषि और उद्योग एक ही विकास-प्रक्रिया के परस्पर परिपूरक रूप में सम्बद्ध हो रहे हैं, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि द्रुत आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में उद्योग की भूमिका विशेष प्रमुख है। अपने प्राकृतिक साधन-स्रोतों के कारण भारत पर्याप्त औद्योगिक प्रगति कर सकता है। भारत में 'मिनिमलोग, मैग्नीट, वाकनाइट, कोयला, अबरन और खनिज थोरियम—जैसी परमाणविक सामग्रियों' के प्रचुर भण्डार हैं। सर्वेक्षण और खोजों से तेल-स्रोतों की सम्भावनाओं पर भी हमें विश्वास है। पनबिजली पैदा करने की भी क्षमता प्रभूत है। अच्छी विद्युत के गैर-निज स्रोतों के बड़े आकार में उत्पादन होने के कारण भारत उचित नागत पर उत्पादन का न्यून उत्पादन करने में समर्थ है। उत्पादन और अन्य बुनियादी वस्तुओं पर प्रयोग करने वाले में निर्माण करने की अपनी क्षमता तथा घरेलू बाजार के विस्तार करने वाले के कारण भारत उच्च स्थिति में है कि मशीनों का तथा विकास के लिए आवश्यक उपकरणों का उत्पादन और मशीनों के विविध नामाने का उत्पादन कर सके।

के कारण मृत्यु-दर में, विधेयत वाल-मृत्युओं की संख्या में, और कमी हो जाएगी और यह भी सम्भव है कि कुछ समय तक जन्म-संख्या की गति में वृद्धि की प्रवृत्ति रहे। इसलिए एक उपयुक्त अवधि में जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करने का लक्ष्य योजनावद्ध विकास के केन्द्र में होना चाहिए। अतएव, परिवार-आयोजन का कार्यक्रम, जिसमें बहुत अधिक शिक्षण, बड़े पैमाने पर सुविधाओं और परामर्श देने की व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी जनसमाज में व्यापक लोकप्रिय प्रयत्न भी शामिल हैं, नर्द्वाविक महत्व का है।

14 रोजगार . एक विशाल जनसंख्यावाले देश में, जहाँ अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर करती है, विकास का पिछड़ापन सबसे अधिक बेकारी की उग्र समस्या में प्रतिबिम्बित होता है। जब तक आर्थिक ढांचा सुदृढ़ नहीं हो जाता और उपकरणों और कच्चे माल की बटती हुई आवश्यकताओं को अर्थव्यवस्था अपने ही माधन-स्रोतों से पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाती तब तक वृद्धिशील उत्पादक कार्यों में अतिरिक्त श्रमिकों को भी एक उचित वेतन-स्तर पर खपाना बड़ा कठिन होता है। सक्रमण-काल में ग्रामीण मार्गजनिक कार्य विकास की योजना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर भी, यह आशा की जाती है कि यदि आगामी तीन योजनाओं में विकास-कार्यों को इस अध्याय में बताए गए पैमाने पर अजाम दिया गया, तो कृषि से निम्न क्षेत्र में भी उत्पादक रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में बटने चाहिए।

15 सामाजिक नीति . एक ऐसे देश में, जहाँ अधिकतर जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, जीवन-यापन का स्तर बहुत नीचा है और प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताएँ बहुत व्यापक हैं, वहाँ विकास के सामाजिक पहलू अधिक पहलू से कम महत्व के नहीं होते। बढ्मूल शहरी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए द्रुत गति में विकास-शील अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। फिर भी, आर्थिक विकास की प्रगति के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की विषमताएँ बढ सकती हैं, देश के विभिन्न भागों में विकास के स्तर में अन्तर बढ सकता है और आर्थिक विषमता की समस्याएँ कुछ विकट बन सकती हैं। इस सम्बन्ध में सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप रूप रूपाय के स्वरूप का विकास विशेष महत्व रखता है। दीर्घकालीन विकास की किसी भी योजना में इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि पूर्व वर्णित सामाजिक उद्देश्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके।

16 विकास के लिए माधन एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए, जिनमें उन्नति की उच्च गति का क्रम बना रह सके, जो बातें आवश्यक हैं, उनमें पर्याप्त स्वदेशी पूँजी की व्यवस्था, निर्मात बटाने के लिए यथामन्त्र प्रयत्न और नम्रमन-मान की नाजुक अवधि में विदेशी सहायता की सुलभता का भी स्थान है।

वचन करने और निर्माण में वृद्धि-सम्बन्धी प्रगति मुख्यतः इन बात पर निर्भर करती है कि समुदाय किनना भार बहन करने को तत्पर है। यह एक दशाब्दी में एक विशाल के परिणामस्वरूप आर्थिक उन्नति की स्थिति बनाए हो गई है। अभी परिवर्तन करना या न बनना ही सम्भव है कि अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त उत्पादन के स्तर में उन्नति का भाग लेने का जीवन-स्तर सुधारने में ही लगाया जाना चाहिए। फिर भी, तब तक केन्द्र और भावि एव सामाजिक सेवाओं का, जिन पर आर्थिक

उन्नति निर्भर करती है, विकास करना है, तो आगामी कई वर्षों तक खपत के स्तर में, विशेषतः ऐसी वस्तुओं या ऐसी सेवाओं के स्तर में, जिन्हें भारत के आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणों में अनावश्यक समझा जाता है, सीमित मात्रा में ही उचित सम्भव है। यह व्याम प्रजातन्त्र को समाज के व्यापक हित की दृष्टि में सर्वसाधारण की सहमति में करना ही होना है और इनके लिए समुचित सामाजिक नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं।

द्वितीय की नीति-रचना का एक बुनियादी उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करना है, जिनमें यथाशीघ्र विदेशी सहायता पर निर्भरता की स्थिति समाप्त हो जाए। इसके लिए निर्णयित ढाँचा व्यापक पैमाने पर विस्तार आवश्यक है। तीसरी योजना में निर्यात-वृद्धि का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसका उद्देश्य चौथी और पाँचवी योजनाओं में निर्यात के और अधिक प्रयत्नों के लिए एक मुदृढ आधार स्थापित करना है। इसके लिए नम्रत में नयम, निर्यात के लिए आवश्यक फालतू माल प्राप्त करने के उपाय, और उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन और वितरण के व्यय में कमी करने सम्बन्धी नीतियाँ अपनानी होंगी।

17 विदेशी सहायता : मन्त्रमण की अवधि में बुनियादी और भारी उद्योगों तथा मशीनों के निर्माण की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों ने, जिसके बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, भुगतान-सन्तुलन की समस्या को बड़ा दिया है। आयात की स्थान-भूति का प्रश्न अनिवार्यतः देश में ही उत्पादन-क्षमता के विकास के प्रश्न के साथ सम्बद्ध है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के मामले में, जो देश के ही साधनों को अधिकतम गतिशील बनाने के लिए प्रयत्नशील होती है, यह कठिनाई आती है कि उसके विकास के प्रयत्न आयात की, विशेषतः मशीनों, कच्चे माल और पुर्जों के आयात की, आवश्यकता को बढ़ा देते हैं, जिनका एक अवधि तक वह अपने निर्यात से अर्जित राशि में भुगतान नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में विदेशी सहायता की आवश्यकता अनिवार्य होती है। इस प्रकार की सहायता ने भारत की आर्थिक उन्नति को गति देने में बड़ा भारी काम किया है और इसका महत्व बहुत अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की और एक देश-द्वारा दूसरे देश को दी जानेवाली सहायता का, कम उन्नत देशों के आर्थिक विकास के लिए जो महत्व है, वह विश्व-समुदाय के निर्माण की तुलना में, जिसमें प्रत्येक देश अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे देश के विकास के लिए कुछ देता है, कम नहीं है। यह एक ऐसा दायित्व है, जिसे भारत स्वीकार करता है और जैसे-जैसे उसकी अर्थव्यवस्था विकसित होगी, वह अपने साधनों की सीमा में रहते हुए अन्य विकासरत देशों के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(3)

1961-76 के लिए दृष्टिकोण

18 तीसरी योजना के निर्माण-काल के प्रारम्भ में, दूसरी योजना के सुझाव को स्वीकार करते हुए 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विकास की निरन्तर गति की बात सोची गई थी। 5 वर्ष पूर्व जनसंख्या वृद्धि की दर के बारे में जो धारणा बनाई गई थी, उसके अनुसार इससे प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में 4 प्रतिशत से कुछ कम की

वृद्धि होगी। अब यह अन्दाजा लगाया गया है कि आगामी 15 वर्षों तक जनसंख्या में प्रति वर्ष दो प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि होगी। इन अवधि में अर्थव्यवस्था को अनेक क्षेत्रों की—खाद्यान्न और कच्चा मान, कपड़ा, इस्पात, कोयला, बिजली परिवहन, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं और प्रगतिवित्त जनशक्ति की—बढती हुई विशाल मांगों को पूरा करना होगा। इन परिस्थितियों में, यह विचार किया गया है कि आगामी 15 वर्षों में विकास की न्युक्ते गति 6 प्रतिशत वार्षिक के यथा-सम्भव निकट होनी चाहिए। तीसरी योजना के लिए भौतिक कार्यक्रमों और लक्ष्यों को निर्धारित करते समय इस विचार को सामान्यतः नामने रखा गया। यदि इन्हें योजना के अनुसार 5 वर्ष की अवधि में पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया, तो कुल राष्ट्रीय आय में 34 प्रतिशत की या 6 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हो जाएगी। इनके लिए जिन अन्य महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, वे हैं आर्थिक स्थिरता-विषयक परिस्थितियों को बनाए रखना और अधिकांश जनता के जीवनयापन-व्यय के स्तर को नीचे रटना, विदेशी सावनों की पर्याप्तता और समय पर मुलभता, राष्ट्रीय आय के 12 प्रतिशत से कुछ अधिक स्वदेशी बचत का पुन विनियोग, उद्योग, परिवहन और बिजली के अधीन कार्यक्रमों का पूर्णतः समन्वित और नुचारे रूप से परिपालन, सभी स्तरों पर कृषि-विषयक एव अन्य कार्यक्रमों का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन, और आयोजन तथा पूरा किए गए कामों के मूल्यांकन के लिए सुधरी हुई तकनीकों का प्रयोग जहाँ तीसरी योजना की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में सघन प्रयास किए जाएं वहाँ विकास की वास्तविक गति इन बात पर निर्भर करेगी कि इन शर्तों को कहा तक पूरा किया गया है।⁴

19 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए यह अपेक्षा की गई है कि 1960-61 के मूल्यों के आधार पर दूसरी योजना के अन्त की राष्ट्रीय आय 14,500 करोड़ ₹० से बढकर तीसरी योजना के अन्त में 19,000 करोड़ ₹०, चौथी योजना के अन्त में 25,000 करोड़ ₹० और पाचवी योजना के अन्त में 33,000 करोड़ ₹० से 34,000 करोड़ ₹० तक हो जानी चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि को भी देखते हुए, इन अनुमानों के आधार पर, 1960-61 के अन्त की प्रति व्यक्ति औसत आय 330 ₹० से बढकर 1966, 1971 और 1976 में क्रमशः 385, 450 और 530 ₹० हो जाएगी। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के इन अनुमानों में निहित विनियोग की मात्रा और दर में वृद्धि प्राप्त करना नुगम नहीं है फिर भी, सावनों और विज्ञान एवं आवुनिक टेक्नोलॉजी-द्वारा उपलब्ध जानकारीयों की पृष्ठभूमि में तथा उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक प्रश्रियाओं के बारे में नमसदारी बढने के कारण यह विचार किया गया है कि जन जो नक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें व्यवहारन-पूरा भी किया जा सकता है।

20 ऊपर जिन पैमाने पर विकास की बात कही गई है तथा जिनमें वास्तविक उपनिधि के नमय और अधिक नुधार किया जाना चाहिए, उसके अनेक महत्वपूर्ण फलितार्थ

⁴ चौथे और पाचवें अध्याय में तीसरी योजना में 5 प्रतिशत से कुछ अधिक वार्षिक की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो लक्ष्य सुझाया गया है, वह इन शर्तों पर विचार के उपरान्त किए गए सम्पूर्ण निर्यात के रूप में है।

है। इसका यह तकाजा है कि देश के जनशक्ति विपयक-साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए सधन रूप से और अनवरत प्रयास किया जाए, पूँजी-विनियोग के लिए उपलब्ध स्रोतों का अधिक-से-अधिक उपयुक्त ढंग से प्रयोग किया जाए, स्वदेशी बचत पर बल दिया जाए और उसे पुनः उपयुक्त क्षेत्रों में लगाया जाए तथा निर्यात के विस्तार के लिए स्वदेशी उत्पादन का काफी अतिरिक्त माल प्राप्त किया जाए। राष्ट्रीय आय के अनुपात में कुल पूँजी-विनियोग की मात्रा वर्तमान 11 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी, चौथी और पाचवी योजनाओं के अन्त में क्रमशः 14-15, 17-18 और 19-20 हो जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में तीसरी योजना में कुल विनियोग के लिए निर्धारित राशि 10,500 करोड़ रु० की तुलना में चौथी और पाचवी योजनाओं में यह राशि लगभग 17,000 करोड़ रु० और 25,000 करोड़ रु० होनी चाहिए। इसी अनुपात से स्वदेशी बचत की मात्रा भी, जो अभी 8.5 प्रतिशत है, तीसरी, चौथी और पाचवी योजनाओं के अन्त में बढ़कर क्रमशः राष्ट्रीय आय का 11.5, 15-16 और 18-19 प्रतिशत हो जानी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि कुल नियोजित राशि में विदेशी सहायता का अनुपात क्रमशः कम होता जाएगा और पाचवी योजना के अन्त में अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि वह विदेशी पूँजी के सामान्य नियोजन के अतिरिक्त विदेशी सहायता पर निर्भर किए बिना सन्तोषजनक गति से विकसित हो सकेगी।

21 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दीर्घकालीन योजनाओं के व्यावहारिक व्याज का एक बहुत बड़ा भाग वर्तमान योजनाओं पर काम करने और निर्णय लेने में पथ-प्रदर्शन और पहले से ही आयोजन के बारे में सुविधाएँ प्रदान करने में निहित है। वृत्तियाँ उद्योगों में इन बातों का विशेष महत्व है। इन मामलों में, समन्वित विकास से सम्बद्ध तकनीकी और अन्य समस्याओं, भौतिक साधनों और विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी पेचीदगियों, और आर्थिक गतिविधियों का स्थान निर्धारित करने-सम्बन्धी प्रश्नों पर सुदीर्घ अध्ययन और तैयारी की आवश्यकता होती है। तीसरी योजना के प्रारम्भिक अध्ययनों के क्रम में सन् 1970-71 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता के अनुमानित लक्ष्य इस प्रकार सुझाए गए हैं

तालिका-संख्या 2

1970-71 में उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य

वस्तु	क्षमता का लक्ष्य
उत्पात की सिल्लियाँ	180-190 लाख टन
कच्चा लोहा	30-40 लाख टन
शुद्धीनियम	2 3-2 5 लाख टन
विजली	210-230 लाख किलोवाट
कोयला	17-18 करोड़ टन
तेलशोधन	180-200 लाख टन
मत्रजन्युक्त उर्वरक (मत्रजन में)	20-22 लाख टन
मीमेण्ट	2 4-2 6 करोड़ टन
मशीन-निर्माण	1 600 करोड़ रुपये का उत्पादन
रेलवे-द्वारा माल-परिवहन—लम्बी दूरी का यातायात	38-42 करोड़ टन
गाद्यान्त्र	12 5 करोड़ टन
निर्यात	1,300-1,400 करोड़ रुपये

इन लक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि इन दिना में शिक्षा अधिन प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। तकनीकी स्तर पर और अधिक अध्ययन करने की दिशा में भी इन्हें उपयोगी आधार बनाया जा सकता है।

(4)

दीर्घकालीन विकास-योजना की तैयारी

22 विगत वर्षों में दीर्घकालीन योजना की नैवागि के लिए नई तकनीकी और सिद्धान्तों के विकास के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। आधुनिक आयोजन के लिए इनका प्रयोग मुख्यतः उपलब्ध तकनीकी और आकड़ों-सम्बन्धी सूचनाओं की कौटि प निर्भर करता है। तदनुसार ही, तीमरी योजना में उपलब्ध आकड़ों एवं तकनीकी सूचनाओं में परिष्कार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में ठीक अनुपात रखने और जटिल सम्बन्धों का विश्लेषण करने के लिए उनकी विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। विकास के प्रत्येक चरण में सम्पूर्ण कार्यक्रम को एक अविच्छिन्न भौतिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। कच्ची सामग्रियों, महायक उत्पादनों, मशीनों और आवश्यक सेवाओं (यथा, बिजली और पम्पिंहत तथा आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों) का उचित मात्रा और नक्या में ठीक समय पर उपलब्ध होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होनेवाले उत्पादनों का ठीक समय पर विनिमोग या स्वपत के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। स्वदेशी वचन और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता उत्पादन और खपत की मात्रा को ठीक समय पर पूरा करनेवाली होनी चाहिए। आर्थिक, तकनीकी और सत्या-सम्बन्धी विश्लेषण बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इनमें प्रत्येक नियत अवधि में उपनोष्ठाओं की मात्रा और सेवाओं-सम्बन्धी मात्रा का अनुमान, महायक सामान, कच्ची सामग्रियों और तकनीकी कर्मचारियों की मात्रा का निश्चय करने के उद्देश्य से अन्त उद्योग-सम्बन्धों का अध्ययन, और विनिमोग की आवश्यकताओं, आयात में कमी को सम्भावनाओं तथा निर्यात का विकास भी शामिल होना चाहिए।

23 एक ऐसे देश के लिए, जहाँ बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ हैं, जहाँ जनसत्या विद्यालय और निरन्तर बढ़नेवाली है और जहाँ परस्पर मित्र परिस्थितियाँ हैं, विकास की एक दीर्घकालीन योजना, जिसमें विविष्ट कार्यक्रम और नीतियाँ बटाई गई हों, सफल आयोजन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार की योजना न केवल व्यापक राष्ट्रीय आधार पर बनाई जानी चाहिए, अपितु इनमें देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के विकास की सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन्नति की गति को धीमा किए बिना ही विकास के लाभ को यथासम्भव व्यापक क्षेत्र में विस्तारित किया जा सके। इसलिए दीर्घकालीन योजना को आर्थिक और सामाजिक विकास का एक ऐसा सामान्य स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं को ध्यान में रखे तथा उनको राष्ट्रीय प्रगति के समन्वित प्रयत्नों के साथ सम्बद्ध करे। इस आधार पर एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिए केन्द्र और राज्यों के विभिन्न सरकारी अधिकरणों में और वैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिक अनुसन्धान करनेवाली प्रमुख संस्थाओं में निरन्तर और निकट सम्पर्क तथा सहयोग होना चाहिए।

दीर्घकालीन योजना की रूपरेखा को प्राप्त नवीनतम आकड़ों और सूचनाओं के आधार पर पूरा किया जाएगा और समय-समय पर योजना में टेक्नोलॉजी-विषयक विकास, साधनों की अधिक जानकारी और अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन और परिवर्द्धन किए जाएंगे। इस ढंग से योजना-आयोग और कुछ स्वतन्त्र अनुसन्धान-संस्थाओं ने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है। साथ ही, सोचा गया है कि आगामी 3 वर्षों में पर्याप्त साधन-शक्ति लगा कर विकास की एक ऐसी ममय योजना तैयार की जाए, जिसकी परिधि में पाचवी योजना की समाप्ति तक की अवधि आ जाए

आयोजन के दस वर्ष

पहली और दूसरी योजनाएं

मार्च 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के साथ-साथ भारत के योजनाबद्ध विकास का प्रथम दशक भी समाप्त हुआ। इस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का द्रुत गति में विस्तार हुआ, देश के भावी नामाजिक और आर्थिक स्वरूप की रूपरेखा निश्चिन हुई और पिछले अध्यायों में वर्णित मूलभूत उद्देश्यों तथा दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नींव भी रखी गई।

2 पहली पंचवर्षीय योजना ने ऐसी कई परियोजनाएँ हाथ में लीं जिन्हें पहले ही तैयार किया गया था और उन्हें समस्त देश के आर्थिक तथा नामाजिक विकास की सुगमगठित योजना के साथ सम्बद्ध किया। इन योजना का, जिनमें कृषि, सिंचाई विजली और परिवहन पर बल दिया गया, उद्देश्य यह था कि भविष्य में अधिक तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति करने का आधार तैयार हो जाए। देश के आर्थिक विकास में नामाजिक परिवर्तन और नस्यागत मुद्दों पर बल देते हुए इन योजना ने कुछ मूलभूत नीतियों को जन्म दिया, जिन्हें दूसरी योजना के अन्तर्गत और अधिक विकसित किया गया।

पहली योजना के कुछ उत्प्रेरणीय अंग ये पुराने ढंग की भूमि-मदति में, जिसमें कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में बाधा पड़ रही थी, मुद्दों विभाजन नामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अंग के रूप में गण्ट्यापी कृषि-विस्तार-सेवा की स्थापना, महत्कारिता-आन्दोलन को पुनः नवल बनाना, बड़े पैमाने पर सिंचाई और विजली की सुविधाओं का विस्तार, देश के प्रथमकीय टाचे को सुधारना और दृढ़ बनाना तथा कृषि और उद्योग को कर्ज देना, छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने और आवादी के पिछड़े हुए अंगों को विशेष सहायता देने के लिए कुछ विविष्ट सम्पादनों की स्थापना। इन योजना में तीव्र आर्थिक प्रगति और नामाजिक व्यापक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न करने की महती आवश्यकता को और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया गया। इनमें जनता को केवल वे उद्देश्य ही नहीं बनाए, जिनके लिए काम किए जाने की उम्मीद थी, बल्कि वे नायन भी बतलाए, जिनकी महत्पता में परम्परा-स्वयमेवा, महत्कारिता एवं स्थानीय नायनों के नगठन-द्वारा उन्हें पूर्ण विना पान करना था।

3 पहली योजना के अन्तर्गत जो मूलभूत नीतियाँ स्वीकार की गई थी, उन्हें दूसरी योजना के अन्तर्गत बढम अंगों और बढा गये यह निश्चिन किया गया कि पूँजी-वित्तियोग, उत्पादन और योजना में अग्रिम वृद्धि हो। इन दूसरी योजना का मुख्य योगदान यह रहा कि इनमें अर्थव्यवस्था को अगली महत्पूर्ण विज्ञान-अर्थव्यवस्था की ओर प्रेरित किया, जो कि देश-भर परने ही स्वीकृत योजनाबद्ध विज्ञान की नीति का एक स्वायत्तगन परिणाम था। इनमें अर्थव्यवस्था को अगली उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि

भारत में प्राकृतिक साधनों के पहले से पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहने के कारण आगामी 15 या 20 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को द्रुत गति देने के कार्यक्रम का यह एक आवश्यक अंग था। इस योजना में यह बात भी अधिक स्पष्ट रूप में कही गई कि देश के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र की कितनी प्रमुख भूमिका होगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति अधिक तेज करने और भविष्य में द्रुत विकास के अनुकूल अवस्थाओं का निर्माण करने पर जोर देने के साथ-साथ दूसरी योजना ने राष्ट्र के सामने समाजवादी ढंग का समाज बनाने का लक्ष्य प्रस्तुत किया। रोजगार के अवसर अधिक बढ़ाने, आय तथा सम्पत्ति की विपमताओं को कम करने और आर्थिक शक्ति के अधिक न्यायसंगत वितरण के उद्देश्यों को भी इसने निश्चित किया।

4 आर्थिक आयोजन के परिणामस्वरूप पूँजी-विनियोग की दर में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई, विशेषतः उन दिशाओं में, जिनसे देश के आर्थिक विकास में गति आ सकती थी। अर्थव्यवस्था में कुल पूँजी-विनियोग (निजी तथा सरकारी, दोनों) पहली योजना के प्रारम्भ की राशि 500 करोड़ रु० वार्षिक से बढ़ कर पहली योजना के अन्त में 850 करोड़ रु० वार्षिक तक और दूसरी योजना के अन्त में लगभग 1,600 करोड़ रु० वार्षिक तक पहुँच गया। उपर्युक्त अवधियों में सरकारी अधिकारियों-द्वारा पूँजी-विनियोग की राशियाँ क्रमशः 200 करोड़ रु०, 450 करोड़ रु० और 800 करोड़ रु० रही। मौजूदा कीमतों के अनुसार, दोनों योजनाओं की अवधि में कुल पूँजी-विनियोग 10,110 करोड़ रु० का हुआ, जिसमें से 5,210 करोड़ रु० का श्रेय सरकारी क्षेत्र को और 4,900 करोड़ रु० का श्रेय निजी क्षेत्र को था। दोनों योजनाओं का व्योरा नीचे दिया गया है

तालिका-सक्या 1

पहली और दूसरी योजनाओं में व्यय तथा पूँजी-विनियोग*

(करोड़ रु०)

क्षेत्र	पहली योजना	दूसरी योजना	योग
	1951-56	1956-61	
सरकारी क्षेत्र का व्यय	1,960	4,600	6,560
सरकारी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग	1,560	3,650	5,210
निजी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग†	1,800	3,100	4,900
समस्त पूँजी-विनियोग	3,360	6,750	10,110

* मौजूदा कीमतों के अनुसार

† पहले निजी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग पहली योजना में 1,600 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 2,400 करोड़ रु० दिखाया गया था। पूरी सूचना प्राप्त होने पर इन अनुमानों को सशोधित किया गया है। सरकारी क्षेत्रों से हस्तान्तरित साधन इसमें शामिल नहीं हैं।

5 नीचे की तालिका में सरकारी क्षेत्र के व्यय के विकास की विभिन्न मदों में वितरण दिखाया गया है

तालिका-संख्या 2

व्यय का वितरण

(करोड़ रुपये)

मद	पहली योजना		दूसरी योजना	
	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
कृषि और सामुदायिक विकास	291	15	530	11
बढ़ी और मध्यम सिंचाई	310*	16	420	9
विजली	260	13	445	10
ग्राम और छोटे उद्योग	43	2	175	4
उद्योग और खनिज पदार्थ	74	4	900	20
परिवहन और संचार-साधन	523	27	1,300	28
सामाजिक सेवाएँ और विधि	459	23	830	18
योग	1,960	110	4,600	100

व्यय-वितरण में परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि दोनों योजनाओं में किस प्रकार अलग-अलग मदों पर बल दिया गया। पहली योजना में ऐसे कार्यक्रमों पर ज्यादा बल दिया गया था, जिनमें देश की कृषि-शक्ति का विकास होता। इसलिए योजना के कुल खर्च का 31 प्रतिशत भाग कृषि और सिंचाई के लिए निश्चित किया गया। दूसरी योजना में औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया और उद्योगों तथा खनिज पदार्थों का सापेक्ष भाग 4 प्रतिशत में बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया। परिवहन और संचार-साधनों को दोनों ही योजनाओं में ऊंची प्राथमिकता दी गई। सामाजिक सेवाओं और विविध मदों को पहली योजना के कुल व्यय का 23 प्रतिशत भाग और दूसरी योजना के कुल व्यय का 18 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ।

वित्त-व्यवस्था का स्वरूप

6 दोनों योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के व्यय के लिए जो वित्त-व्यवस्था हुई, वह पगने पृष्ठ पर दी गई है।

* इसमें बाढ़-निवारण शामिल है।

तालिका-सख्या 3

सरकारी क्षेत्र में वित्तीय साधन

(करोड़ रु०)

	पहली योजना		दूसरी योजना	
	वास्तविक	प्रतिशत	अनुमानित	प्रतिशत
योजना पर व्यय	1,960	100	4,600	100
आन्तरिक साधन	1,772	90	3,510	76
विदेशी सहायता	188	10	1,090†	24

विशेष रूप से दूसरी योजना की अवधि में, कर-सम्बन्धी प्रयत्नों में पर्याप्त वृद्धि की गई। कई नए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाए गए। साधनों के अभाव को कुछ तो घाटे की वित्त-व्यवस्था से और कुछ विदेशी सहायता से पूरा किया गया। दूसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में बजट-सम्बन्धी घाटे कुछ ज्यादा थे। परवर्ती वर्षों में उन्हें घटाने की कोशिश की गई। दूसरी योजना की अवधि में वास्तविक घाटे की वित्त-व्यवस्था 948 करोड़ रु० की थी।

7 पहली योजना की अवधि में भुगतान-सन्तुलन ने कोई समस्या पैदा नहीं की। सम्पूर्ण योजना-अवधि में वास्तविक घाटा 318 करोड़ रु० का रहा। इस घाटे को 196 करोड़ रु० तक विदेशी सहायता से और 122 करोड़ रु० देश के विदेशी मुद्रा-कोष से निकाल कर पूरा किया गया। चूंकि दूसरी योजना में उद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया था, इसलिए स्वभावतः ही विदेशी मुद्रा के अधिक व्यय की आवश्यकता उपस्थित हुई। दूसरी योजना की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि पाच वर्ष की अवधि में भुगतान-सन्तुलन की मद में कुल घाटा करीब 1,100 करोड़ रु० का होगा और इसमें से करीब 400 करोड़ रु० की पूर्ति विदेशी सहायता से की जाएगी। परन्तु योजना आरम्भ में ही कुछ अप्रत्याशित भुगतान-सन्तुलन-सम्बन्धी कठिनाइयों में फस गई और सन 1958 में उस पर पुनः विचार करना पड़ा। कम आवश्यक आयातों पर कुछ कठोर बन्धनों लगानी पड़ी। दूसरी योजना की अवधि में विदेशी मुद्रा-कोष से 600 करोड़ रु० निकालने पड़े। इसके अतिरिक्त, 872 करोड़ रु० तक की विदेशी सहायता का सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, पी० एल० 480 सहायता के अन्तर्गत 534 करोड़ रु० की वस्तुएं आयात करनी पड़ी और 55 करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से निकालने पड़े।

* इसमें सरकारी ऋण में रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक द्वारा पी० एल० 480 की जमा राशियों से दी गई राशिया शामिल हैं।

† इसमें सन 1960-61 में विश्व सिविलियरिटियो में पी० एल० 480 क कोष से रिजर्व बैंक द्वारा किया गया पूजी-विनियोग शामिल है।

8 पिछले 10 वर्षों में विकान की गति एक-जैमी नहीं रही है। उसमें कई उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव आते रहे—कभी प्राकृतिक शरणाग्र भयवा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से और कभी कार्यान्वयन-मन्वनी कमजोरियों ने। पहली योजना की श्रमधि में, अधिकांशतः कृषि-उत्पादन में विशेष प्रगति होने के कारण राष्ट्रीय आय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य 12 प्रतिशत का ही था। दूसरी श्रमधि योजना में राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, जब कि लक्ष्य 25 प्रतिशत का था।

9 पर समूचे दशक पर विचार करते समय जो चित्र हमारे सामने आना है, वह चौमुखी उन्नति का है। बुनियादी सुविधाएँ—जैसे, बिजली, विजली और परिवहन, जो कि कृषि-मन्वनी और औद्योगिक विकास के लिए जरूरी हैं—बहुत विस्तृत हुई हैं। बहुमूल्य खनिज-भण्डार मिले हैं, जो छोटे अंगवटे उद्योगों को जन्म तो को पूरा करेंगे। मुख्यतः विदेशी मुद्रा के संकट के कारण कुछ देरी होने के बावजूद तर्क परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और इनमें से कुछ ने तो उत्पादन शुरू भी कर दिया है—शेष निरन्तर भविष्य में ही उत्पादन शुरू करेंगी। कृषि-उत्पादन करीब 41 प्रतिशत और गन्धारों वा उत्पादन करीब 49 प्रतिशत बढ़ गया है। नगठित उत्पादक उद्योगों का शुद्ध उत्पादन करीब दुगुना हो गया है। इनमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा 15 प्रतिशत में बढ़ कर 84 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि मुख्यतः इस्पात, वोल्टा-मनन और भारी रसायन-जैमे महत्वपूर्ण उद्योगों में हुई है। इसके साथ ही, विजली-उत्पादन की क्षमता में भी बड़ा विस्तार हुआ है और देश की परिवहन और संचार-पद्धति में काफी सुधार हुआ है, मुख्यतः सरकारी क्षेत्र में। नगठित उद्योगों का आमतौर पर विस्तार हुआ है और कार्यरत कम्पनियों की चुकता पूँजी दुगुनी ने भी बढ़ाई है। इसके साथ ही, ग्राम और लघु उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएँ पहले की अपेक्षा वही अधिक विस्तृत हुई हैं। अस्पतालों और दवाखानों की सख्या उल्लेखनीय रूप में बढ़ी है, मलेरिया के उन्मूलन के लिए खास उपाय काम में लाए गए हैं और स्वास्थ्य की दशा में आम तौर पर सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन-नीमा में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु आबादी में वृद्धि होते रहने के कारण प्रति व्यक्ति आय में केवल 16 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी है।

10 पिछले दशक में अर्थव्यवस्था के विकास का एक सामान्य परिचय अगले पृष्ठ की तालिका में दिए गए कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों और अध्याय 5 के अनुबन्ध 1 में प्रस्तुत विस्तृत आकड़ों ने प्राप्त किया जा सकता है।

विकास-सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य

विषय	इकाई	1950-51		1955-56	1960-61	1960-61 में तुलना में में प्रतिशत वृद्धि
		(1)	(2)			
राष्ट्रीय आय (1960-61 की कीमतों पर)	करोड़ रु०			12,130	14,500	42
आवासी प्रति व्यक्ति आय	लाख			3,970	4,380	21
(1960-61 की कीमतों पर)	रु०			284	306	19
कृषि-उत्पादन का सूचनाक	1949-50 = 100			96	117	41
साधान-उत्पादन	लाख टन			522 [†]	658 [‡]	46
नग्नजन्तु उर्वरक की खपत	हजार टन नग्नजन्तु के रूप में			55	105	318
सिंचित क्षेत्र (शुद्ध योग)	लाख एकड़			515	562	36
सहकारिता-आन्दोलन (किसानों को पेशगी)	करोड़ रु०			22 9	49 6	773
औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक	1950-51 = 100			100	139	94

† उत्पादन के अनुमान सन् 1956-57 तक सांख्यिकी और अनुमान के तरीकों में परिवर्तनों के अनुसार ठीक किए गए हैं।

तालिका-सख्या 4—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निम्नलिखित का उत्पादन	लाख टन	14	17	35	150
इस्पात की सिल्लिया	हजार टन	37	73	185	400
एलुमीनियम	मूल्य करोड़ रु० में	0.31	0.78	5.5	1518
मशीनी औजार (वर्गीकृत)	हजार टन	99	161	363	267
गन्धक-अम्ल	लाख टन	—	16	57	—
पेट्रोलियम की चीजें					
गन्धक					
मिल का बना	करोड़ गज	372	510.2	512.7	38
खादी, हथकरघा और विजली का करघा	करोड़ गज	89.7	117.3	231.9	162
रोग	करोड़ गज	461.7	687.5	717.6	62
खनिज पदार्थ					
खनिज लोहा	लाख टन	32	13	107	231
कोयला	लाख टन	323	381	516	69
नियॉल	करोड़ रु०	624	609	615	3
विजली स्थापित क्षमता	लाख फिलोवाट	23†	31†	57	118
रेलवे माल ढेर जाया गया	लाख टन	915	1110	1510	68
सबसे पक्की, राष्ट्रीय राजमार्ग-सहित	हजार मील	97.5	122	111	18
चाय व्यावसायिक गाँविया	हजार (मल्या)	116	166	210	81

† ये आंकड़े कैलेंडर-वर्ष 1950 और 1955 से सम्बन्धित हैं।

कृषि

11 सन 1949-50 के बाद कृषि-उत्पादन की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है

तालिका-सत्या 5

कृषि-उत्पादन का सूचनांक

(1949-50=100)

	1950-51	1955-56	1960-61
सब फसलें	96	117	135
खाद्य-फसलें	91	115	132
अन्य फसलें	106	120	142

वर्ष-प्रति-वर्ष उत्तार-चढ़ाव की स्थिति रहने के बावजूद विस्तार के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। विकास की सामूहिक दर करीब 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, जो कि पिछले किमी भी दशक की तुलना में अधिक है। पिछले दशक में खाद्यान्न-उत्पादन का औसत स्तर लगभग 5 करोड़ टन था, जिसे पहली योजना के शुरू में ही पार कर लिया गया और सन 1960-61 में 7 करोड़ 60 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जब कि सन 1949-50 में यह परिमाण 5 करोड़ 76 लाख टन और सन 1950-51 में 5 करोड़ 22 लाख टन था। इस दशक में प्रति एकड़ उपज भी बढ़ी। उदाहरण के लिए चावल की औसत प्रति एकड़ उपज सन 1946-47 से सन 1950-51 तक के पांच वर्षों की अवधि में 694 पींड थी। पहली योजना में यह परिमाण बढ़ कर 727 पींड और दूसरी योजना में 807 पींड हो गया। मुख्य कृषि-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि इस प्रकार हुई

तालिका-सत्या 6

मुख्य फसलों का उत्पादन

फसल	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61
खाद्यान्न (अनाज और दालें)	लाख टन	522	658	760
तेलहन	लाख टन	51	56	71
गन्ना (गुड़)	लाख टन	56	60	80
कपास	लाख गांठें	29	40	51
पटसन	लाख गांठें	33	42	40

*नवीनतम अनुमानों के अनुसार सन 1960-61 में 7 करोड़ 80 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न-उत्पादन होने की उम्मीद है।

12 इन दशक में खेती, नामुदायिक विकास और सिंचाई पर कुल 1,551 करोड़ रु० खर्च हुए। कृषि-उत्पादन के जो मुख्य कार्यक्रम हाथ में लिए गए, उनका सम्बन्ध सिंचाई के विस्तार, रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, खाद के स्थानीय माधनों के विकास, मुधरे हुए बीजों के बहुगुणन और वितरण तथा उन्नत कृषि-तरीकों को अपनाते और भूमि के पुनरुद्धार एवं विकास में था।

13 अनुमान है कि निश्चित कुल क्षेत्र का परिमाण सन 1950-51 के 515 लाख एकड़ से बढ़ कर सन 1960-60 में लगभग 700 लाख एकड़ हो गया। पहली और दूसरी योजनाओं में जो बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाएँ शुरू की गई थी, उनके पूर्ण विनाश हो जाने पर करीब 380 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सम्भव हो सकेगी। सन 1960-61 के अन्त तक करीब 40 लाख एकड़ क्षेत्र का पुनरुद्धार किया गया। करीब 5 लाख एकड़ क्षेत्र में मशीन-द्वारा खेती की व्यवस्था की गई और भूमि-मुधार का काम करीब 15 लाख एकड़ क्षेत्र में हुआ। देश के समस्त कृषि-क्षेत्र के लिए मुधरे हुए बीज मुलभ करने की एक योजना के अन्तर्गत लगभग 4,000 बीज-प्लान्टे कायम किए गए। सन 1950-51 और सन 1960-61 के बीच नवजनयुक्त उर्वरकों की खपत (नवजन की मात्रा के अनुसार) 55 हजार टन से बढ़ कर 2 3 लाख टन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत (पी₂ ओ₅ की मात्रा के अनुसार) 7,000 टन से बढ़ कर 70,000 टन हो गई। शहरी खाद और खाद के स्थानीय माधनों के विकास पर भी ध्यान दिया गया। अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्त तक 118 लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद डालने की व्यवस्था की गई। करीब 27 लाख एकड़ क्षेत्र भूमि-मरक्षण-कार्यक्रमों के अन्तर्गत आया। पशुपालन, मछलीपालन, दूध-आपूर्ति, सड्डियों और फलों की खेती तथा वन-रोपण के विकास के लिए भी उपाय किए गए। उदाहरण के लिए, दूध का उत्पादन 170 लाख टन से बढ़ कर 220 लाख टन और मछली का उत्पादन 7 लाख टन से बढ़ कर 14 लाख टन हो गया। वन-रोपण का कार्यक्रम लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र में लागू किया गया।

14 विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के अतिरिक्त पहली और दूसरी योजनाओं में कृषि-विषयक स्वरूप को पुनर्गठित करने के बारे में भी सोचा गया। इस दिशा में जो उपाय किए गए, उनमें विचौलियों (जैम, जमींदारों और जागीरदारों) का उन्मूलन, काब्त के अधिकारों की रक्षा और उनमें सुधार तथा जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करना शामिल है। कई राज्यों में चकवन्दी को प्रोत्साहन देने के भी प्रयत्न किए गए। खेतिहर श्रमिकों की आर्थिक अवस्था सुधारने के कार्यक्रम में गैर-आवाद तथा फिर से सुधारी हुई जमीनों पर उन्हें बसाने और कानून-द्वारा उनका न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करने की बातें भी शामिल की गईं।

15 पिछले दशक में कृषि-अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कई अत्यधिक उल्लेखनीय काम हुए, उनमें सामुदायिक विकास-आन्दोलन के एक अभिन्न अंग के रूप में समस्त देश में विस्तार-सेवाओं की व्यवस्था करना और ग्रामीण विकास-कार्य का लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण उल्लेखनीय है। दूसरी योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास-आन्दोलन के अन्तर्गत करीब 3,70,000 गावों और देश की आधी से अधिक ग्रामीण जनता

आ गई थी। लगभग 60,000 ग्राम-सेवको और तकनीकी अधिकारियों को विस्तार-कार्य में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिला-स्तर से नीचे विकास की जिम्मेदारी नार्वजनिक संस्थाओं को हस्तान्तरित की जा रही है, ताकि विकास-कार्यक्रमों की तैयारी और कार्यान्विति, दोनों में जनता का पूरा-पूरा सहयोग मिल सके। गाव प्राथमिक इकाई होगा और ग्राम-स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व और पहल करने का काम पूरी तरह ग्राम-पंचायत और ग्राम-सहकारिता-समिति को सौंप दिया जाएगा। पिछले दशक में सहकारिता-आन्दोलन ने काफी प्रगति की है। दूसरी योजना के अन्त तक 2,10,000 प्राथमिक कृषि-समितियां थीं। यह संख्या मई 1950-51 की तुलना में लगभग दुगुनी थी। लगभग 1,870 नहकारी क्रय-विक्रय-समितियां और 41 नहकारी चीनी-कारखाने स्थापित किए गए। सहकारी खेती की दिशा में कई उपयोगी परीक्षण आरम्भ किए गए और सहकारी खेती की प्रगति के लिए 'राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार मण्डल' कायम किया गया।

उद्योग

16 पिछले दशक में उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है—तीव्रता की दृष्टि से भी और औद्योगिक विकास के स्वरूप की दृष्टि से भी।

इस प्रवृत्ति का थोड़ा संकेत औद्योगिक उत्पादन के निम्नलिखित सूचनाओं से मिलता है।

तालिका-संख्या 7

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक*

(1950-51 = 100)

वर्ग	1955-56	1960-61
सामान्य सूचनांक	139	194
सूती वस्त्र	128	133
लोहा और इस्पात	122	238
मशीनें (सब तरह की)	192	503
रसायन	179	288

17 इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक करीब 7 प्रतिशत प्रति वर्ष विस्तार की सामूहिक दर बताता है। परन्तु वास्तविक वृद्धि उपर्युक्त अंकों-द्वारा निर्दिष्ट वृद्धि से कहीं अधिक हुई थी, क्योंकि कई नए उद्योगों को, जिन्होंने सामान्यतः अधिक उल्लेखनीय प्रगति की है, सूचनपत्र में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया है।

*यह सूचनांक वस्तुतः सरकारी सूचनांक ही है, सिवाय इसके कि तुलना का आधार केंद्रित वर्ष 1951 से बदल कर वित्तीय वर्ष 1950-51 कर दिया गया है, ताकि योजनाकाल में हुई उन्नति को सुविधा से मापा जा सके।

18 औद्योगिक उन्नति के परिमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण बात उसकी विस्तार की दिशा है, खास तौर पर, दूसरी योजना के अन्तर्गत। पहली योजना की अवधि में बड़े उद्योग के लिए जो प्रस्ताव प्रारम्भ में किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पहले से मौजूद कारखाने अपनी क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करें। इस हल्के प्रोत्साहन से भी, औद्योगिक उत्पादन इन पाच वर्षों में 39 प्रतिशत बढ़ गया।

19 पहली योजना के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने के बाद बड़ी हद तक नए उद्योगों का, खास तौर पर पूंजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगों का, जो कि किसी भी द्रुत औद्योगिक विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम की बुनियाद है, विकास करना सम्भव हुआ। औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने में धातु-शोधन, मेकैनिक्ल और विजली-सम्बन्धी इंजीनियरी तथा रासायनिक उद्योगों ने जो सफलता प्राप्त की है, उसके आधार पर और हाल में ही भारी मशीन बनाने-वाली जो परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ानेवाले द्रुत विकास के लिए जिन बुनियादी शर्तों को पूरा करने की जरूरत होती है, उनमें से कुछ पिछले दशक में सफलता के साथ पूरी की जा चुकी हैं।

20 बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास में सरकारी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। इस दशक में सरकारी क्षेत्र ने उद्योगों और खनिज पदार्थों पर कुल 974 करोड़ ₹० खर्च किए। केवल दूसरी योजना की अवधि में ही 870 करोड़ ₹० की पूंजी लगाई गई, जो सरकारी एवं निजी संगठित उद्योग में लगी कुल पूंजी का 56 प्रतिशत भाग थी। इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उद्योग भारी अथवा बुनियादी ढाँचे के थे। इस बात से न केवल सरकारी क्षेत्र को सबल बनने में सहायता मिली है, बल्कि निजी क्षेत्र में मध्यम और हल्के उद्योगों की द्रुत प्रगति में सहायक परिस्थितियाँ भी पैदा हुई हैं।

21 सरकारी क्षेत्र में इस्पात के तीन नए कारखानों की स्थापना और निजी क्षेत्र के दो कारखानों के विस्तार के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया। नई परियोजनाएँ अब उत्पादन की अवस्था में पहुँच गई हैं और इस्पात की सिल्लियों का उत्पादन सन 1950-51 के 14 लाख टन से बढ़ कर सन 1960-61 में 35 लाख टन पर तथा कच्चे लोहे का उत्पादन 3 5 लाख टन से बढ़ कर 9 लाख टन पर पहुँच गया है। अन्य आवश्यक औद्योगिक सामान—जैसे, एलुमीनियम, सीमेण्ट, भारी रसायन, और रंग के सामान, कोयला और पेट्रोल-सदृश ईंधन एवं विजली—की भी उपलब्धता सन 1950-51 के बाद काफी बढ़ी है।

22 दूसरी उल्लेखनीय बात मशीन-निर्माण-उद्योग का द्रुत विकास है। भारत अब खेती और परिवहन में काम आनेवाले तथा रसायन और औषध, कपड़ा, पटसन, सीमेण्ट, चाय, चीनी, आटा और तेल की मिलें, कागज, खनिज आदि उद्योगों के लिए क्रमशः अधिक परिमाण में मशीनी औजार और मशीनें तैयार कर रहा है। डीजेल तथा बिजली के इंजनों को छोड़ कर रेलवे के लिए आवश्यक अधिकांश मशीनें और उपकरण तैयार करने की स्वदेशी क्षमता बढ़ गई है। बहुत-सारे विजली के सामान और वैज्ञानिक यन्त्रादि भी अब देश में ही बनने लगे हैं। देश में उत्पादित बर्गीकृत मशीनों औजारों का मूल्य सन 1950-51 के 34 लाख ₹० से बढ़ कर सन 1960-61 में 550 लाख ₹० तक पहुँच गया है। अभी हाल में

राजी में भारी मशीन-निर्माण-सयन्त्र और ढलाई-गढाई-सयन्त्र तथा दुर्गापुर में कोयला-खनन-मशीन-सयन्त्र लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं । विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनों और पूंजीगत सामान का कुल मूल्य इस दशक के प्रारम्भ की तुलना में 11-गुना बढ़ गया है । भोपाल में भारी विजली-सम्बन्धी परियोजना प्रारम्भिक उत्पादन की अवस्था में पहुँच गई है । जब यह परियोजना पूर्णतः कार्यान्वित हो जाएगी, तब 25 करोड़ रु० कीमत के उपकरण तैयार होने लगेंगे ।

23 रासायनिक उद्योगों, खास तौर पर औषध, भारी रसायन और उर्वरक-उद्योगों, ने भी जो प्रगति की है, वह उल्लेखनीय है और इनमें अनेक प्राथमिक कार्यात्मिक रामायनों की उत्पादन-क्षमता बढ़ी है ।

24 महत्वपूर्ण उद्योगों को—जैसे, पटसन, सूती वस्त्र और चीनी-उद्योगों को—आधुनिक स्वरूप देने और उनकी पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है । पटसन-उद्योग में, कताई-क्षेत्र में, यह कार्यक्रम काफी आगे बढ़ चुका है । पटसन-उद्योग के प्रारम्भिक और कताई-विभाग के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक अधिकांश मशीनों का निर्माण देश में ही किया गया है ।

25 इस विचाराधीन अवधि की एक दूसरी नफलता यह है कि देश में बननेवाली औद्योगिक वस्तुओं में स्वदेशी सामग्रियों की मात्रा काफी बढ़ी है । देश के औद्योगिक विकास का एक दूसरा सकेत यह है कि कई नई औद्योगिक चीजें यहाँ बनने लगी हैं—जैसे, औद्योगिक वायलर, पीमनेवाली मशीनें और अन्य प्रकार के मशीनी औजार, ट्रैक्टर, औद्योगिक विस्फोट के पदार्थ, नल्फा और एंटीवायोपेटिक दवाएँ, डी० डी० टी०, अन्नकारी कागज, मोटर-साइकिलें और स्कूटर, कैलगियम कारवाइड, रजक, रेडिवाले कपडे, इत्यादि ।

26 उपभोक्ता सामान-उद्योगों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है । पुराने उद्योगों—जैसे कपड़ा और चीनी—के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है । इसके अलावा, विशेष जीवन-कालवाली चीजें—जैसे, मोटर-गाड़ियाँ, वाइमिकिलें, मोटर-साइकिलें, स्कूटर, पन्ने, रेडियो, विजली की बत्तियाँ और सिलाई की मशीनें—का निर्माण करनेवाले उद्योगों में और अधिक प्रगति हुई ।

27 नीचे की तालिका से इस बात की कुछ जानकारी मिल जाएगी कि पहले दशक में महत्वपूर्ण उत्पादक और उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है ।

तालिका-संख्या 8

महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पादन

वस्तु	इकाई	1950-51	1960-61
इस्पात की मिलिया	लाज़ टन	14	35
अलुमीनियम	हजार टन	3 7	18 5
डॉजल इंजिन	हजार (संख्या)	5 5	40
विजली के तार (ए० सी० एन० आर० कंडक्टर)	हजार टन	1 7	22

तालिका-संख्या 8—जारी

वस्तु	इकाई	1950-51	1960-61
नत्रजनयुक्त उर्वरक (नत्रजन की मात्रा)	हजार टन	9	110
फास्फेटयुक्त उर्वरक (पी० ₂ ओ० ₅ की मात्रा)	हजार टन	9	55
गन्धक-अम्ल	हजार टन	99	363
सीमेंट	लाख टन	27	85
सूती वस्त्र (मिल का वना)	करोड़ गज	372	512 7
चीनी*	लाख टन	11	30
कागज और गत्ता	हजार टन	114	350
वाइसिकिलें (केवल सगठित क्षेत्र)	हजार (संख्या)	101	1,050
मोटर-गाडिया	हजार (संख्या)	16 5	53 5

खनिज पदार्थ

28 विचाराधीन अवधि का एक दूसरा उल्लेखनीय अंग यह है कि खनिज पदार्थों की खोज और उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। देश के खनिज साधनों की खोज करनेवाले, मूल्यांकन करनेवाले और उन्हें उपलब्ध करनेवाले सगठनों को काफी मजबूत बनाया गया। जिन मुख्य खनिज पदार्थों के मामले में सफलता के साथ खोज और उत्पादन किया गया, वे थे—कोयला, खनिज लोहा और वाक्साइड। कोयले का उत्पादन सन 1950-51 के 323 लाख टन से बढ़ कर सन 1960-61 में 546 लाख टन हो गया। इसी तरह, वाक्साइड का उत्पादन सन 1951 के 64 हजार टन से बढ़ कर सन 1960 में 377 हजार टन हो गया। इनमें से अधिकांश बढ़ोतरीया दूसरी योजना की अवधि में हुईं।

29 देश में खनिज तेल का उत्पादन अभी तक तो कम है, पर असम के नहरकटिया क्षेत्र में बहुमूल्य तेल-स्रोत प्राप्त हुए हैं और गुजरात के खम्भात-अकलेश्वर क्षेत्र में काफी तेल विद्यमान रहने के संकेत मिले हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जाच-पड़ताल चल रही है। तेल-उपलब्धि के स्वदेशी स्रोत स्थापित करने के महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए एक 'तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग' कायम किया गया, जो कि काफी बड़े पैमाने पर भूगर्भ-सम्बन्धी सर्वेक्षण, भूभौतिकी जाचों तथा तेल की खोज करने का काम करता है। नूनमती और वरौनी में दो नरकारी तेल-शोधक-केन्द्रों की स्थापना का काम हाथ में लिया गया और सन 1959 में तेल-उत्पादनों के वितरण के लिए 'इंडियन आयल कम्पनी' नामक एक नरकारी संस्था का निर्माण किया गया।

ग्राम और लघु उद्योग

30 विस्तारशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक अभिन्न अंग के रूप में ग्राम और लघु उद्योगों का विकास धरु ने ही पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों में में एक रहा है।

* फसल-वर्ष, नवम्बर-अक्टूबर से सम्बद्ध

यह आशा की जाती है कि इनसे स्थानीय साधनों का अधिक पूर्ण रूप में उपयोग हो सकेगा और उपभोक्ता-सामान की वृद्धिशील भाग का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सकेगा। ये खेती और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम देंगे और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पिछले दशक में, इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार की ओर से 218 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों—जैसे, हथकरघा-उद्योग, खादी और ग्राम-उद्योग, हस्तशिल्प, नारियल-जटा-उद्योग और रेगम-उद्योग—के विकास के समन्वित कार्यक्रम तैयार करने, उन्हें दिशा-निर्देश देने तथा कुछ हद तक कार्यान्वित करने के लिए कई अखिल भारतीय मण्डल कायम किए गए हैं। एक औद्योगिक विस्तार-सेवा को जन्म दिया गया और प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग-सेवा-संस्थान कायम किए गए—नाथ ही, 53 विस्तार-केन्द्र भी स्थापित किए गए। करीब 50 औद्योगिक वस्तियां, जिनमें बिजली का इस्तेमाल करनेवाले एक हजार से अधिक छोटे कारखाने हैं, कायम की गईं। ऋण, तकनीकी परामर्श और कच्चा माल सुलभ करने तथा किस्त-खरीद की शर्तों पर आयातित एव देशी मशीनों देने की विशेष व्यवस्था की गई। पिछले दस साल की एक खान बात यह है कि थोड़ी पूंजी से छोटे व्यवसाय करनेवाले लोगों के एक प्रबल वर्ग का विकास हुआ है। पिछले 5 वर्षों में कई उद्योगों में—खासकर, मशीनी औद्योग, सिलाई की मशीनों, बिजली के मोटर और पम्पे, वाइसिकिल्स, इमारती लोहे का सामान और दस्ती औजार के क्षेत्र में उत्पादन 25 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा है। उत्पादन तो और अधिक होता, पर कुछ बुनियादी कच्ची सामग्रियों—जैसे, इस्पात और अलौह धातुओं—की कमी के कारण ऐसा न हो सका। परम्परागत उद्योगों में, जिनमें काफी रोजगार की गुंजायश रहती है, हथकरघा-वस्त्र का उत्पादन 74.2 करोड़ गज से बढ़ कर करीब 190 करोड़ गज हो गया। इनी तरह, सन 1950-51 और नव 1960-61 के बीच खादी का उत्पादन 73 लाख गज से बढ़ कर 740 लाख गज और कच्चे रेगम का उत्पादन करीब 25 लाख पींड से बढ़ कर 36 लाख पींड हो गया। इस अवधि में सरकारी गारदी पर छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों-द्वारा उधार दिलवाने की सुविधाओं का विस्तार करने-सम्बन्धी एक योजना चालू करने, बुनकरों की सहकारी समितियों को बिजली के करघे खरीदने के लिए सहायता देने तथा सुधरे हुए (अम्बर) चर्रों के निर्माण और बितरण को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए गए।

बिजली

31 बड़े और छोटे, दोनों ही तरह के उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त बिजली की व्यवस्था बुनियादी ढर्रहों में से एक है। पनबिजली और तापीय बिजली की कई परियोजनाएँ इन अवधि में तैयार की गईं और बिजली के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल पूंजी-बिनियोग 705 करोड़ रु० का हुआ। चार बहुदृष्टीय परियोजनाएँ—दामोदर-घाटी, भावडा-मंगल, तुंगभद्रा और हीराकुड—जो पहली योजना में पहले ही आरम्भ की गई थीं, नदी-घाटी-विकास के नम्बद्ध कार्यक्रम के साथ नयुक्त कर दी गईं। पिछले दशक में जो नदी-घाटी परियोजनाएँ शुरू की गईं, उनमें चम्बल, रिहन्द, कोयना और नागार्जुन-नागर उल्लेखनीय हैं। तापीय शक्ति के उत्पादन का भी एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया। पिछले दशक में पनबिजली की स्थापित क्षमता 5.6 लाख किलोवाट

से बढ़ कर 19.3 लाख किलोवाट हो गई और तापीय शक्ति की स्थापित क्षमता 17 4 लाख किलोवाट से बढ़ कर 37 7 लाख किलोवाट हो गई। इस प्रकार, कुल स्थापित क्षमता सन 1950 के 23 लाख किलोवाट से बढ़ कर सन 1960-61 में 57 लाख किलोवाट हो गई। यह वृद्धि यद्यपि प्रभावशाली है, तथापि 69 लाख किलोवाट के लक्ष्य से काफी कम है। यह कमी बहुत-कुछ दूसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में उपस्थित विदेशी मुद्रा की दिक्कतों और कुछ बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होने के कारण हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में विजली पहुँचाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने और आधुनिक बनाने के लिए इसे ज़रूरी समझा गया था। विजलीवाले कस्बों और गावों की संख्या सन 1950-51 के 3,687 से बढ़ कर सन 1960-61 में 23,000 हो गई।

परिवहन और संचार-साधन

32 पिछले दशक में देश की परिवहन-व्यवस्था का काफी सुधार और विस्तार हुआ। सरकारी क्षेत्र में इस मद में कुल व्यय 1,823 करोड़ ₹० का हुआ। पहली योजना में मुख्य काम यह था कि रेल-इंजिनो और डिब्बों और स्थिर सम्पत्ति का पुनर्संस्थापन और परिवर्तन किया जाए, क्योंकि लड़ाई और देश-विभाजन के कारण इनकी दशा बहुत विगड़ गई थी। कृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूसरी योजना में रेल-इंजिनो और डिब्बों की वृद्धि एवं नई रेल-लाइनों के निर्माण-द्वारा अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की गईं। सड़क-परिवहन, जहाज़-रानी और हवाई सेवाओं में भी काफी विस्तार किया गया। परिवहन-सेवाओं का पिछले दशक में जो विकास हुआ, उसकी एक श्राकी नीचे की तालिका में मिल सकती है।

तालिका-संख्या 9

परिवहन

विषय	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61
रेलवे				
नई लाइनें विद्यार्ई गईं	मील	—	380*	800*
इंजिन तथा डिब्बे				
इंजिन	हज़ार (संख्या)	8 5	9.2	10 6
नवारी डिब्बे	हज़ार (संख्या)	20 5	23 2	28 2
माल गाड़ी के डिब्बे	हज़ार (संख्या)	222 4	268 5	341
यान्त्री-मील	श्रव में	413	388	486
ढोया गया वोल	लाख टन	915	1140	1540

* इसका सम्बन्ध क्रमशः सन 1955-56 और सन 1960-61 को समाप्त होनेवाले पाच वर्षों से है।

तालिका-संख्या 9—जारी

विवरण	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61
सड़कें				
पक्की-सड़कें—राष्ट्रीय	हजार मील	97	122	144
राजपथ-सहित				
कच्ची सड़कें	हजार मील	151	195	250
सड़क-परिवहन				
चालू-व्यावसायिक	हजार (संख्या)	116	166	210
गाड़िया				
जहाजरानी				
टन-भार	लाख टॉन रजिस्टर्ड टन	3 9	4 8	9
मुएय घन्दरगाह				
क्षमता	लाख टन	200	250	370

33 औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार का प्रभाव संचार-सुविधाओं की मांग पर भी पड़ा। सन 1950-51 और सन 1960-61 के बीच डाक से भेजी जानेवाली सामग्रियों की संख्या करीब 80 प्रतिशत बढ़ी और टूक टेलीफोनो की संख्या में करीब पांच-गुनी वृद्धि हुई। डाकघरों की संख्या 36,000 में बढ़कर 77,000 और टेलीफोनो की संख्या 1,68,000 से बढ़ कर 4,60,000 हो गई। प्रसारण के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। प्रत्येक भाषा-क्षेत्र में एक प्रसारण-केन्द्र की व्यवस्था की गई। सन 1960-61 में इनकी संख्या 28 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो-सेट लगाने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया। इस अवधि में रेडियो-लाइसेंसों की संख्या करीब चौगुनी हो गई।

सामाजिक सेवाएँ

31 योजनाबद्ध विकास का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-सुधारों की सुविधाएँ प्रदान कर देना के मानवीय साधनों का विकास किया जाए। पत्नी और इगनी योजनाओं में सामाजिक सेवाओं को काफी महत्व दिया गया था और इन उद्यमों में कुल 1,289 करोड़ रु० उनके विकास पर खर्च किए गए, पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुत बड़ा धन भी है।

35 शिक्षा क्षेत्र के क्षेत्र में बड़मुनी विद्यालय हुआ। विद्यालयों में छात्रों की संख्या सन 1950-51 में 235 लाख से बढ़ कर सन 1960-61 में 435 लाख हो गई, यानी 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या सन 1950-51 में 11 लाख 42 हजार 611 प्रतिशत, सन 1960-61 में 22 लाख 8 हजार 611 प्रतिशत, यानी 100 प्रतिशत से बढ़ कर 120 प्रतिशत हो गई, पर सन 1950-51 में 17 लाख 60 हजार 611 प्रतिशत से बढ़ कर 27 लाख 60 हजार 611 प्रतिशत हो गई।

46 और कालेजो की सख्या 542 से बढ कर 1,050 हो गई। इसमें इटरमीडिएट कालेज शामिल नहीं है।

36 तकनीकी शिक्षा विकास का मूलाधार है, अत उसकी सुविधाओ पर विशेष जोर दिया गया। पहले से विद्यमान सस्थाओ में सुविधाओ का विस्तार और सुधार किया गया तथा पिछले दस साल में 51 नए डिग्री कालेज और 110 पालिटेकनिक खोले गए। इन सस्थाओ में छात्रो की कुल सख्या सन 1950-51 के 10,000 से बढ कर सन 1960-61 में 39,400 हो गई। नए निकलनेवाले इजीनियरी के स्नातको की सख्या लगभग तीन-गुनी और डिप्लोमाधारियो की सख्या तीन-गुनी से भी ज्यादा बढी। सरकारी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक सस्थानो मे, खासकर इस्पात और विजली के सन्धन्वो में, तकनीकी शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई। छोटे पैमाने के विभिन्न उद्योगो की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रशिक्षण-सुविधाए दी गई। कृषि और पशु-चिकित्सा कालेजो में छात्रो का वाषिक प्रवेश करीब चार-गुना बढ गया।

37 वैज्ञानिक अनुसन्धान : वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान को अधिक प्राथमिकता दी गई और कई नई अनुसन्धान-सस्थाए स्थापित की गईं। इनमें 20 राष्ट्रीय प्रयोगशालाए और 3 प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र भी शामिल हैं। न्यूक्लियर विज्ञान के बुनियादी और व्यावहारिक अनुसन्धान तथा परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और एक सशक्त वैज्ञानिक एव तकनीकी संगठन कायम किया गया, जिसके चलते विदेशी तकनीकी परामर्श के बिना ही इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणो तथा सन्धन्वो का डिजाइन बनाने और विकास करने में सहायता मिली। विश्वविद्यालयो के अनुसन्धान-विभागो को भी काफी सुदृढ बनाया गया।

38 स्वास्थ्य : स्वास्थ्य-सेवाओ का काफी विस्तार हुआ। नए अस्पताल, दवाखाने, स्वास्थ्य-टुकडिया और प्रसूति तथा शिशु-कल्याण-केन्द्र बढी सख्या में खोले गए। जल-व्यवस्था और सफाई, छूत के रोगो पर नियन्त्रण और प्रशिक्षण-सुविधाओ के विस्तार से सम्बद्ध विशेष कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए। सन 1950-51 में 8,600 चिकित्सा-सस्थाए थी, जिनमें करीब 1,13,000 गय्याए थी। सन 1960-61 में ये सस्थाए बढ कर क्रमश 12,600 और 1,85,600 हो गईं। इसके अतिरिक्त, 2,800 प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र खोले गए। मेडिकल कालेजो की सख्या 30 से बढ कर 57 हो गई और प्रैक्टिस करनेवाले डाक्टर 56,000 से बढ कर 70,000 हो गए। मारा देश मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गया है। इन सब उपायो के परिणाम-स्वरूप, जन्म के आधार पर औसत जीवन-काल में पिछले 10 साल मे करीब 10 साल की वृद्धि हुई है।

39 पहली योजना के प्रारम्भ में ही परिवार-आयोजन को उन्नत करने का काम सरकारी नीति के रूप में हथ में लिया गया था और सन 1960-61 में 549 शहरी केन्द्र तथा 1,100 ग्रामीण केन्द्र परिवार-आयोजन के काम में लगे हुए थे। परिवार-आयोजन के काम ने लगी हुई कई गैर-सरकारी सस्थाओ को विनोद वित्तीय एव तकनीकी सहायता दी गई। पर यह कार्यक्रम पूरा करना दडा ही फठिन है और इनके जम में कई पेशीदा ममस्थाए खडी हो जाती हैं। काफी समय तक चलनेवाले निरन्तर और नजन

प्रयत्नों से ही परिवार-आयोजन एक लोकप्रिय आन्दोलन का रूप लेगा और आम लोग इसे स्वीकार करेंगे।

40 आवास : आवादी बड़ने और गहरी तथा औद्योगिक विस्तार की तीव्र गति के कारण, आवास की समस्या, काफी कठिन हो गई है। गन्दी वस्तियों की सफाई और सुधार तथा औद्योगिक श्रमिकों तथा कम आय-वर्गवालों के लिए आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कुछ काम हाथ में लिए गए। ग्रामीण आवास की समस्या को हल करने के लिए भी कुछ प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। पर इस समस्या की विशालता को देखते हुए, जो नाबन मुह्य्या किए जा सकते थे, वे बहुत ही कम थे। अतः आवास-समस्या, के समाधान के क्षेत्र में बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई है और आवास की समस्या, विशेषतः गहरी क्षेत्रों में, चिन्ताजनक है।

41 सामाजिक कल्याण : अनुसूचित आदिम जातियों, हरिजनों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष कल्याणमूलक कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इस अवधि में 36 लाख एकड़ जमीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी गई तथा 26 लाख एकड़ जमीन अन्य पिछड़े हुए वर्गों को दी गई। इन वर्गों के करीब 68,000 मैट्रिक पाठ छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं। इन वर्गों के जिन लोगों के सामने खान दिक्कतें आईं, उन्हें वित्तीय सहायता, शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ और रोजगार के अवसरों-द्वारा सहायता दी गई, ताकि वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार सकें और समाज के बाकी लोगों के साथ पूरे तौर पर मिल जाएं।

42 पुनर्वास : देश-विभाजन के बाद करीब 89 लाख विस्थापित लोग भारत आए—47 लाख पश्चिम-पाकिस्तान से और बाकी पूर्व-पाकिस्तान से। पहली और दूसरी योजनाओं में इनकी सहायता और पुनर्वास को प्रमुखता दी गई। पहली योजना शुरू होने से पहले इनके पुनर्वास पर 71 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास पर किया गया कुल खर्च करीब 168 करोड़ रु० पडा। इसमें से करीब 71 करोड़ रु० आवास पर, 31 करोड़ रु० शिक्षा और शिल्प-अभिक्षण पर, 29 करोड़ रु० कृषि-कार्य के लिए ग्रामीण कर्ज पर, 11 करोड़ रु० छोटे उद्योगों, व्यापार और व्यवसाय के लिए गहरी कर्ज पर और बाकी रुपये विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए गए। विस्थापित लोगों को आवास दिलाने के लिए कई नगर और नई वस्तियां बसाई गईं और 7 लाख से ज्यादा रिहायशी मकान सरकार-द्वारा अथवा सरकारी सहायता से विस्थापित व्यक्तियों-द्वारा बनाए गए। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित कृषक-परिवारों को पुनः आवास दिलाने के लिए दूसरी योजना की अवधि में दख्खन-क्षेत्र के विकास का काम शुरू किया गया।

43 रोजगार : सन 1951 से सन 1961 के बीच के दस वर्षों में आबादी में 770 लाख की वृद्धि हुई। इनमें बेरोजगारी का मनना और भी उग्र हो गया है। अनुमान है कि दूसरी योजना की अवधि में रोजगार के अतिरिक्त अवसर करीब 80 लाख व्यक्तियों के लिए मिलाने, जिनमें से 65 लाख को कृषि-क्षेत्र में बाहर काम दिया गया। दूसरी योजना के अन्त में बेरोजगार लोगों की कुल संख्या अनुमानतः 90 लाख थी।

44 उच्च शिक्षण वर्गों में घट गयी पढ़ाई का मतलब है कि पिछले 10 साल में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण में गति उन्नति हुई। नाच ही, इस अवधि में बोल और दबाव भी

कम नहीं पड़े। ये उस अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई पीड़ाएँ हैं, जो गहरी गरीबी और कई दशकों से आर्थिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए सघर्ष कर रही हैं। हर एक दिशा में नया क्षेत्र प्राप्त किया गया है और अमूल्य अनुभवों का लाभ हुआ है। निश्चय ही, इस कार्य में ऐसी कमियाँ और भूलें भी हुई होंगी, जिनसे बचा जा सकता था। हमारे आर्थिक और सामाजिक ढाँचे में कई कमजोरियाँ हैं, जो अभी तक मौजूद हैं। देश की विकास-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है। फिर भी, ये सब देश के इतिहास के एक प्रेरक काल के हिस्से हैं—यह निरन्तर प्रयास की एक कहानी है, जो देश के कोने-कोने में पहुँच रही है और जनता के समस्त अंगों को अपनी सीमा के अन्तर्गत ला रही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उनके क्षेत्र और महत्व को प्रकट करते हुए वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का तथा अनेक वर्षों की परिधि में विस्तृत आर्थिक प्रगति का लेखा-जोखा दिया जाता है। इनके साथ ही इनमें देश के आधारभूत सामाजिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में विकसन के आगामी चरण एवं दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति की सम्भावनाओं का भी चित्रण किया जाता है। इन परवर्ती विषय के बारे में दूनरे और तीसरे अध्याय में प्रकाश डाला गया है। तीसरी योजना के निर्माण के समय निम्नलिखित मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है —

1. राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना, और पूँजी-विनियोग को ऐसा स्वरूप प्रदान करना कि वृद्धि की यह गति परवर्ती योजनाकालों में भी बनी रहे,
2. खाद्यान्नों के बारे में स्वावलम्बी होना और कृषि-उत्पादन को इतना बढ़ाना कि उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें,
3. उत्पात, रसायन, ईंधन और विजली-सरीखे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन-निर्माण की क्षमता को इतना बढ़ाना कि आगामी दस वर्षों की अवधि में और अधिक उद्योगीकरण की आवश्यकताएँ देश में निमित्त साधनों से ही पूरी की जा सकें;
4. देश की जनशक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग करना और रोज़गार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना, तथा
5. क्रमशः अवसरों की अधिकतम समानता प्रदान करना, आय और सम्पत्ति की विषमता में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति का अधिक समान रूप से वितरण करना।

2 तीसरी योजना का काल गत एक दशक था जिनमें कुछ अधिक समय में हुए उन सभन विकसन के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें देश आत्म-निर्भर और आत्मचालित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रथम और दूसरी योजनाओं में जो प्रगति हुई है, उनके परिणामस्वरूप द्रुत आर्थिक उन्नति का आधार स्थापित हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब अपने आकार और कार्यक्षेत्र के विस्तार के कारण पहले से कहीं अधिक विद्यान हो गई है। इसके साथ ही वह अधिक गतिशील और जटिल भी हुई है। सभी क्षेत्रों में भागों की संख्या और आकार बढ़ता जा रहा है। उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भी पर्याप्त पूँजी का विनियोग करने की जरूरत पड़ेगी, जिनका साथ केवल चौथी योजना की अवधि में ही उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए तीसरी योजना में अधिकतम सम्भव पूँजी-विनियोग की आवश्यकता होगी।

3 तीसरी योजना में विकसन का नानान्य स्वरूप अनिवार्यतः और अधिक-उत्पन्न-दूनरी योजना के बुनियादी ढर्रे और प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही होगा। फिर

भी, कुछ महत्वपूर्ण मामलो में तीसरी योजना का दृष्टिकोण विकास की समस्याओं के प्रति अधिक व्यापक होगा तथा इसमें अधिक जोरदार प्रयत्नो और द्रुत गति से काम करने की भावना की आवश्यकता होगी। तीसरी योजना का लक्ष्य विशेष रूप से कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाना, उद्योगो, बिजली और परिवहन का विकास करना, औद्योगिक और टेक्नोलाजी-विषयक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाना, श्रवसरो की समानता तथा समाजवादी ढंग के समाज की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करना और समस्त श्रमिक-वर्ग को रोजगार प्रदान करना है। इन लक्ष्यो को लेकर बनाई गई विकास की योजना अनिवार्य रूप से अपनी पूर्ति के लिए देणवासियो से दूरगामी आशाएं रखती है। यह आवश्यक है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विकास का व्यय-भार समान रूप से वितरित किया जाए और प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत आर्थिक, वित्तीय एवं अन्य नीतियो से अधिकतम जनता का कल्याण-भावन हो और उसके जीवन-स्तर में सुधार आए।

4 तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमो में उच्चतम प्राथमिकता अनिवार्यतः कृषि को दी गई है। प्रथम दो योजनाओ में, और विशेष रूप से दूसरी योजना में, जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह प्रकट हो गया है कि इस समय कृषि-उत्पादन की जो मन्द गति है, वह देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति को सीमित रखनेवाले प्रमुख कारणो में से एक है। इसलिए कृषि-उत्पादन यथासम्भव अधिक बढ़ाना पडेगा और कृषि-विषयक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करने होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विभिन्न दिशाओ में मोडना होगा और कृषि पर निर्भर रहनेवाले लोगो के अनुपात को क्रमशः कम करना पडेगा। यदि ग्रामीण जनता की आमदनी और जीवन-स्तर को निरन्तर उन्नत करना है और अन्य क्षेत्रो के समान ही उनकी आमदनी की गति को बनाए रखना है, तो इन लक्ष्यो को सामने रखना ही होगा। तीसरी योजना की अवधि में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हें पूरा करने में प्रेरक विचार यही रहा है कि भौतिक दृष्टि से जो-कुछ भी व्यावहारिक है, उसे वित्तीय दृष्टि से सम्भव बनाया जाए और प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता यथासम्भव अधिक विकसित की जाए।

जिला, खण्ड और ग्राम-स्तरो पर लोकतान्त्रिक सस्थाओ की स्थापना से, ग्रामीण क्षेत्रो में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पहल करने तथा उसको मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी लोकप्रिय सगठनो—जिला-परिषदो, पंचायत-समितियो, ग्राम-पंचायतो एवं सहकारी समितियो—पर होगी। ग्रामीण विकास के ढांचे में मेवा सहकारी समितियो का सगठन ग्राम-समाज को प्राथमिक इकाई मान कर किया जाना चाहिए। नहकारी कृषि, जो कि ग्रामीण विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सहकारिता के विक्राम और ग्राम-स्तर पर सामुदायिक विक्राम के प्रति दृष्टिकोण का तर्क-मगत रूप है।

तीसरी योजना में कृषि के लिए एक ऐसे पैमाने पर सयुक्त रूप से प्रयत्न करने पर बल दिया गया है, जिनमें खेतिहर श्रमिको के लाखो परिवार, ग्राम-उत्पादन-योजनाओ, और विशाल स्तर पर आयोजित सिंचाई, भूमि-नरक्षण, मृत्क कृषि, वन लगाने, तथा स्थानीय खाद-सम्बन्धी साधनो के विक्राम-कार्यक्रमो में भाग ले सकें। इन्हीलिए योजना का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध जनशक्ति का नाम उठाना है।

यह लक्ष्य योजना में निहित विकास-कार्यक्रमों तथा गावों में उपलब्ध जनशक्ति-विषयक साधनों का उपयोग करनेवाले, विशेषतः कृषि-उत्पादन को बढ़ानेवाले व्यापक ग्राम-निर्माण-कार्यक्रमों-द्वारा प्राप्त किया जाना है।

5 दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी इस्पात, ईंधन और बिजली, मशीनों का निर्माण और रासायनिक उद्योग, आदि-जैसे बुनियादी उद्योगों का विकास देश की द्रुत आर्थिक प्रगति के लिए आवारमूत महत्व रखता है। इन्हीं उद्योगों से इस बात का निश्चय होगा कि देश की अर्थव्यवस्था किस गति से आत्मनिर्भर और आत्म-चालित बनेगी। औद्योगिक विकास के लिए कार्यक्रम समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को सामने रख कर बनाए गए हैं। इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों पर एक साथ ही विचार किया गया है। अर्थव्यवस्था के विकास में जहाँ निजी क्षेत्र को अपना पर्याप्त योगदान करना है, वहाँ सरकारी क्षेत्र की भूमिका और अधिक प्रभावपूर्ण होगी। एक विस्तारशील सरकारी क्षेत्र, जो विशेष-रूप से बुनियादी उद्योगों के विकास में लगा हुआ है तथा जो विकास के लिए बड़ी मात्रा में माल तैयार कर रहा है, अपने-आप में ही इस बात का एक महत्वपूर्ण निष्पत्तिक तथ्य है कि अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा, तीसरी योजना में औद्योगिक ढाँचे में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के प्रयत्न जारी रखे जाएंगे। इसके लिए बड़े और लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित किया जाएगा, उद्योगीकरण के लाभ को कस्बों और गावों में पहुँचाया जाएगा और परम्परागत ग्रामोद्योगों में मुश्करी हुई तकनीकों लागू की जाएगी।

6 तीसरी योजना में शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। एक ऐसी विकास-योजना में, जो जनता की समझदारी, सहयोग और स्वैच्छिक प्रयत्नों को बहुत अधिक महत्व देती है, ऐसे कार्यक्रमों पर जितना भी बल दिया जाए कम है। आर्थिक और सामाजिक विकास में एक उचित सन्तुलन स्थापित करने और योजना के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक हैं। समाज के शिक्षा-सम्बन्धी आचार को सुदृढ़ और जनता के जीवन-स्तर को उन्नत किए बिना बड़े पैमाने पर तकनीकी परिवर्तन करना और उत्पादकता बढ़ाना सम्भव नहीं है। योजना में दिए गए सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कुछ कार्यक्रमों—यथा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, तकनीकी शिक्षा और शिल्पियों का प्रशिक्षण, परिवार-आयोजन और आवास तथा शहरी विकास आदि—का प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के साथ सम्बन्ध है। ऐसे और भी अनेक कार्यक्रम हैं, जो व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य हैं तथा कालान्तर में जिनका आर्थिक उन्नति को गति देने में बहुत बड़ा हाथ रहेगा। ये कार्यक्रम शिक्षा-मुविषाओं का विस्तार, रोगों पर नियन्त्रण, स्वास्थ्य और चिकित्सा-सेवाओं का विकास, छात्रवृत्तियाँ, बन्वों और गावों में पीने के पानी की आपूर्ति और मनुष्य के कम उन्नत वर्गों के लिए कल्याण-सेवाओं की व्यवस्था, आदि हैं। उप-स्तर माध्यामिक शिक्षा, अनुसंधान तीसरी योजना में इन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रवृत्तियों को बढ़ाएँ हैं। फिर भी, यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों योजना आगे बढ़ेगी, त्यो-त्यो कुछ क्षेत्रों में—विशेषतः, शिक्षा, रोगों में जन-आपूर्ति और परिवार-आयोजन के क्षेत्र में—प्रतिस्पर्धी प्रगति करने के लिए उनी सम्भव प्रयत्न करने होंगे।

7 जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, जब तक अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक समस्त श्रमिक वर्ग को उचित पारिश्रमिक के साथ रोजगार दे सकना बड़ा कठिन है। इसलिए द्विविध कार्यक्रम अपनाते की आवश्यकता है। प्रथमतः, योजना में सम्मिलित विकास-कार्यक्रमों को इस ढंग से सम्पन्न करना होगा कि उनसे अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके। उन्हें समन्वित ढंग से पूरा किया जाना चाहिए तथा वे प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल हों। दूसरी बात, अनेक क्षेत्रों में जहाँ, जनशक्ति का उपयोग अधिक सघन स्तर पर किया जा सकता है, योजना में निहित विकास-कार्यक्रमों को तेजी से अग्रिम दिया जा सकता है, तथा उन्हें उसी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जितनी योजना के परवर्ती सोपानों के लिए आवश्यक हो। विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, साथ ही अर्द्धरोजगारी भी अधिक है, इसी प्रकार की कार्रवाई करना आवश्यक है। वर्तमान आकलन के अनुसार इस योजना के विकास-कार्यक्रमों में 1 करोड़ 40 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा, जब कि इस अवधि में श्रमिकों की संख्या में 1 करोड़ 70 लाख की वृद्धि होने की सम्भावना है। बाकी श्रमिकों को बड़े पैमाने के ग्रामीण निर्माण-कार्यों, ग्राम और लघु उद्योगों तथा अन्य साधनों-द्वारा काम में लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

8 तीसरी योजना तैयार करते समय समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की और अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया है। योजना में गत 10 वर्षों के विकास के परिणामों, जनता की बढ़ती हुई आशा-आकांक्षाओं, जनसंख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण के फलितार्थों तथा देश के घरेलू साधनों को अधिकतम रूप में गतिशील करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। ऐसी स्थिति में, कम व्यापक योजना एकदम अपर्याप्त सिद्ध होती। 5 प्रतिशत की गति से प्रति वर्ष आय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय आय के 14 प्रतिशत से भी अधिक अक्ष का विनियोग किया जाए। इस समय विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का 11.5 प्रतिशत भाग है। इसके लिए स्वदेशी बचत की गति को, जो इस समय 8.5 प्रतिशत है, बढ़ा कर तीसरी योजना के अन्त तक 11.5 प्रतिशत करना होगा। यह आवश्यक है कि मुख्य रूप से विदेशों से ऐसी मशीनों के आयात का भुगतान करने के लिए, जिनका निर्माण शीघ्र ही देश में सम्भव नहीं है, तथा अदायगी के सन्तुलन को बनाए रखने के लिए स्वदेशी साधनों को पर्याप्त विदेशी सहायता से बढ़ाया जाए। विकास के इस चरण में बाह्य साधनों एवं सहायता पर निर्भरता तीसरी योजना की अवधि में आयात की स्थान-पूति तथा निर्यात-द्वारा आय बढ़ाने के लिए अपनाई गई नीतियों और की गई कार्रवाइयों के महत्व को ही प्रकट करती है।

9 तीसरी योजना के उत्पादन-कार्यक्रमों में खाद्यान्न और उपभोक्ता-सामग्री उपलब्ध करने के सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी कभी-कभी, सम्भव है, मुद्रास्फीति का दबाव पड़े। इसीलिए योजना में मूल्य-नीति का भी निर्धारण किया गया है जिससे इस बात की गारण्टी मिले कि सम्बद्ध मूल्यों का उतार-चढ़ाव प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप ही होगा तथा ऐसी अनिवार्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य, जो कम आयवाले लोगों की उपभोग-सूची में आ गई है, अनुचित रूप से नहीं

बटेगा। यह भी आवश्यक है कि अपेक्षाकृत कम अनिवायं यन्त्रों और मेशाओं के उपयोग में समय में काम लिया जाए। उनके साथ ही, उत्पादन के स्तर पर निम्नय करते समय इन बातों की आवश्यकता बरनी जानी चाहिए कि अपेक्षाकृत कम आवश्यक सामान के उत्पादन और सेवाओं में मौमित माना में उपलब्ध होनेवाले साधनों का उपयोग न हो। ये कदम न केवल आर्थिक स्वायत्तता की स्थिति में द्रुत विकास के लिए आवश्यक के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्वदेशी साधन और तीसरी योजना के मकदम परिपालन के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए भी आवश्यक हैं। तीसरी योजना के लिए आवश्यक साधन किन्तु इतने तक जुटाए जा सकते हैं, यह बहुत-बहुत इन बातों पर निर्भर करता है कि इनका परिपालन किन प्रकार किया जाना है—विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण और मंचालन किन प्रकार होता है, किन चीजों तक रुकिए, उद्योग, विजली, परिवहन, आदि की उपलब्ध क्षमता या उपयोग किया जाना है और किसे पैमाने पर देश की जनशक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः अद्यापि न तीसरी योजना के लिए जो वित्तीय आवश्यकताएँ बताई गई हैं, वे स्पष्टतः इन समय उपलब्ध साधनों के अनुमान में कहीं अधिक हैं। विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए और बड़े पैमाने पर वित्तीय साधन जुटाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हाल ही में किए गए अध्ययनों ने प्रष्ट हुआ है कि अनेक क्षेत्रों में यह विद्यालय पर्याप्त व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर सकता है।

10 तीसरी योजना में परियोजनाओं के तोषान निश्चित करने समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है कि वे परस्पर अविच्छिन्न रहें। विकास के प्रत्येक चरण पर योजनाओं की एक शृंखला का काम चालू रहना चाहिए, जिनमें आयोजन और काम की प्राप्ति में निरन्तरता का काम जारी रहे। दीर्घकाल में तैयार होनेवाली और अपेक्षाकृत कम समय में पूरी होनेवाली परियोजनाओं में भी एक मनुजल रहना चाहिए। परियोजनाओं के विकास-तोषानों का निर्धारण करने में भीतिक आयोजन की आवश्यकताओं का, विशेष रूप से जनशक्ति के आयोजन और साधन नामधियों एवं महायक सेवाओं की व्यवस्था का, जिनमें विजली और परिवहन भी शामिल है, कड़ाई से ध्यान रखना चाहिए। उद्योग, परिवहन और विजली से सम्बद्ध क्षेत्रों में, विकास के प्रत्येक तोषान में, आयोजन में और उस पर अमल करने में निकट सामञ्जस्य स्थापित करना चाहिए। यह न केवल नई परियोजनाओं के लिए अपितु वर्तमान मयन्त्रों से उत्पादन के बड़े हुए स्तर को प्राप्त करने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। तीसरी योजना में, विजली, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ जो औद्योगिक कार्यक्रम सम्मिलित है, उसे इन ढंग से बनाया गया है, कि उसमें निरन्तरता और सम्पूर्णता बनी रहे। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को, जिनसे अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विकास की सामर्थ्य बढ़ाने में सहायता मिलती है, प्रारम्भ करने में और उन्हें न्यूनतम समय में पूरा करने में प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। बड़ी परियोजनाओं में बहुत कम समय लगता है, परन्तु प्रारम्भ में उनके लिए अपेक्षाकृत कम पूँजी-निधियोग की आवश्यकता होती है। जन्मे सम्बद्ध प्रारम्भिक काम में तीव्रता लाने से काफी कीमती समय बचाया जा सकता है।

11 दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी राज्यों की योजनाओं का देश की अर्थव्यवस्था के द्रुत विकास में अत्यधिक महत्व है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य, जो

रूपि, निधा, अन्य नामाजिक गेवाओं और ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के बारे में है, किस नामा तत् प्राप्ति कि जा सकते हैं। यह उन बात पर निर्भर करता है कि राज्य-सरकार अपनी योजनाओं को निरनी गफलता के साथ पूरा करती है। सामूहिक रूप में जन-कल्याण के साथ उभरा गहरा गम्बन्ध है और गहन अद्य तक उन्ही के द्वारा ममाज के निर्वल-वर्ग के तथा कम उन्नत क्षेत्रों के जीवन-स्तर को ऊना उठाया जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योगों, विशेषत वुनियादी और भारी उद्योगों के विज्ञान के साथ राज्यों की योजनाओं को बड़े पैमाने पर विजली और तन्वीकी विद्या के विकास के लिए, श्रावाम और गहरी विकास के कार्यक्रमों के लिए और ग्रामीण तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निकट एकीकरण की कार्यवाहिया करने के लिए प्रवस्था करनी है। तीसरी योजना में राज्यों की योजनाओं का निर्माण एवं उनके आकार और स्वरूप का निश्चय करते हुए यथामन्भव इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है।

12 भारतीय अर्थव्यवस्था के निदेयन और प्रवन्ध के लिए तीसरी योजना में श्रायोजन और उनकी पूति में सुधरे हुए तरीकों और मशीनों की उन्नत साख्यिकी और श्राथिक बुद्धिमत्ता की, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एव अन्य विकास-कार्यों को भली प्रकार मन्जने की, देश के महत्वपूर्ण साधन-स्रोतों के पूर्ण ज्ञान की और सामान्य रूप से विधनेपण और अनुसन्धान-कार्यों के अधिक व्यवस्थित और पडतिपूर्ण होने की आवश्यकता अतीत की अपेक्षा वही अधिक है। प्रत्येक बड़े कार्यक्रम, बड़ी परियोजना या सम्बद्ध परियोजना-समूहों की प्रगति का सावधानीपूर्ण मूल्याकन आवश्यक है। तीसरी योजना में इन बात की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, एक बड़े क्षेत्र में आकड़ों—विशेष रूप से राष्ट्रीय श्राय और पूजी-निर्माण के अनुमानों, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, वितरण और रोजगार-सम्बन्धी आकड़ों, महत्वपूर्ण मख्याओं और उपभोक्ता-व्यय, जीवन-यापन के व्यय तथा श्राय के वितरण-सम्बन्धी आकड़ों के सग्रह और ग्रव्ययन—में सुवार की आवश्यकता है।

13 पहली दो योजनाओं में श्राथिक और सामाजिक अध्ययन का जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया था, अब उसके परिणाम उपलब्ध हो गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नगरों में श्रायो से जनता के प्रवजन और रोजगार की स्थिति की जाच करना, भूमि-सुधार और फार्म-प्रवन्ध का अध्ययन करना, कुटीरोद्योगों और छोटे उद्योगों का सर्वेक्षण, निचाई के लाभ का मूल्याकन और समाज-कल्याण तथा प्रशासन की मुख्य समस्याओं का अध्ययन करना था। एक निश्चित सीमा तक अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलू के विश्लेषणात्मक अध्ययन का कार्य भी हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के अनुसन्धान-कार्यक्रम में, जो विश्वविद्यालयों, प्रमुख अनुसन्धान-संस्थाओं, योजना-श्रायोग और अन्य अभिकरणों-द्वारा पूरा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूजी-विनियोग की क्षमता, मूल्य-नीतिया और तकनीकें, विदेशी व्यापार और भुगतान-सन्तुलन, योजनावद्ध विकास के सम्बन्ध में सगठन और प्रशासन की समस्याएँ, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सधर्प की समस्याएँ, भूमि-सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम के कामों, सहकारिता, सामुदायिक विकास, गावों में विजली पहुचाना, लघु उद्योगों एव ऐसी ही अन्य समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से अनेक अध्ययनों का दीर्घकालीन विकास की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण लाभ होगा। इनसे तीसरी योजना में विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत सुविधा होगी, और ये कार्यों के मूल्याकन के लिए एक

कसीटी प्रदान करने तथा देश के विभिन्न भागों में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होंगे।

14 तीसरी योजना की श्रवण में राष्ट्र को उत्तनी सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करना है, जितनी उसने पहली और दूसरी योजनाओं के दस वर्षों में प्राप्त की है। यह कार्य आकार की दृष्टि से बहुत विशाल, अनिवार्य और वर्तमान और भविष्य, दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रशासनात्मक फलितार्थ बड़े व्यापक हैं और इसके लिए कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता के उच्चतम स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता है। योजना को प्रभावशाली ढंग से मूर्त रूप देने के लिए साधनों को अधिकतम गतिशील बनाने की, बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखने की, प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर साधनों के सामंजस्य और संग्रह की, कठिनाइयों और समस्याओं को पहले से ही समझने की, विकास के लिए उपयुक्त अवसर का लाभ उठाने में तत्परता की, और इन सबसे अधिक ऐसे व्यक्तियों और संगठनों की आवश्यकता है, जो दक्ष और जानकार हैं तथा योजना के लक्ष्यों के साथ जिनका तादात्म्य है। विकास की योजना चाहे कितनी ही विस्तृत और निश्चित क्यों न हो, वह एक ढांचा ही है, जो विविधतापूर्ण स्थितियों में जीवन-यापन और कार्य करनेवाले करोड़ों लोगों के सामने एक राष्ट्रीय प्रयत्न में भाग लेने के लिए कार्य का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता विभिन्न तथ्यों पर—विकास के बोझ और उसकी चुनौतियों को व्यापक रूप से समझने, नई उत्पादक शक्तियों के मोचन, आधुनिक विज्ञान और तकनीकों के अविभाज्य प्रयोग, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं में परिवर्तन तथा अन्ततः इस विश्वास के वातावरण पर कि द्रुत आर्थिक विकास सामाजिक न्याय और व्यापक आर्थिक अवसर के लिए साधन-स्वरूप है—निर्भर करती है। तीसरी योजना में जिस प्रगति की कल्पना की गई है, उसे पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये कुछ मुख्य शर्तें हैं।

अध्याय 5

तीसरी योजना की रूपरेखा

भौतिक लक्ष्य

तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यों पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला गया है। अगर ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो यह जरूरी है कि अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न्यूनतम विकास अवश्य हो जाए। तीसरी योजना के भौतिक लक्ष्य इन न्यूनतम आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर निश्चित किए गए हैं। इन लक्ष्यों की व्योरेवार सूची इस अध्याय के अनुबन्ध 1 में दी गई है। अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत की और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। नीचे की तालिका में कुछ प्रमुख लक्ष्य शामिल किए गए हैं ताकि योजना का सार-रूप सामने आ जाए

तालिका-संख्या 1

प्रमुख लक्ष्य

विषय	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
कृषि-उत्पादन का सूच- नाक	1949-50 = 100	135	176	30
खाद्यान्न-उत्पादन	लाख टन	760	1,000	32
नग्नजनयुक्त उर्वरक की खपत	हजार टन नग्नजन	230	1,000	335
सिंचित क्षेत्र (विशुद्ध योग)	लाख एकड़	700	900	29
सहकारिता-आन्दोलन किसानों को पेंगगी	करोड़ रु०	200	530	165
औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक	1950-51 = 100	194	329	70
निम्नलिखित उत्पादन :				
रूपात की निल्लिया	लाख टन	35	92	163
अल्पभूमिनियम	हजार टन	18 5	80	332

तालिका-संख्या 1—जारी

नियम	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
------	------	---------	---------	---

तालिका-संख्या 1—जारी

विषय	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
उपभोग-स्तर				
खाद्य	प्रति दिन प्रति व्यक्ति कैलोरिया	2,100	2,300	10
कपडा,	प्रति वर्ष प्रति व्य- क्ति गज	15 5	17 2	11

भौतिक कार्यक्रम

2 आवादी में वृद्धि, जनता की बढ़ती हुई आशाएँ और आगामी दो या तीन योजना-अवधियों में आत्मन्वित विकास की स्थिति प्राप्त करने की शीघ्र आवश्यकता यह जरूरी बना देते हैं कि अगले पांच वर्षों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक-सम्भव उपाय किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना-अवधि में ही ऐसी कुछ कार्रवाइया की जानी चाहिए, जिनसे चौथी योजना की भूमिका तैयार हो। तीसरी योजना के भौतिक कार्यक्रम इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख कर ही तैयार किए गए हैं। इन सब कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल व्यय 8,000 करोड़ रु० से कुछ ज्यादा का और निजी क्षेत्र में लगभग 4,100 करोड़ रु० का बैठेगा।

3 यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के, जिसमें विजली, परिवहन, तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान शामिल हैं, कार्यक्रम परस्पर सयुक्त रूप से प्राथमिकता की स्वीकृत योजना के अनुसार इस प्रकार चलने चाहिए कि आवश्यक विदेशी मुद्रा और कर्मचारी उपलब्ध होने के साथ-साथ सम्बद्ध आन्तरिक साधन भी तैयार रहें, ताकि द्रुत प्रगति में बाधा न पड़े। कृषि, लघु उद्योगों और सामाजिक सेवाएँ, जैसे क्षेत्रों में, जहाँ स्थानीय सामुदायिक प्रयत्नों और जन-सहयोग को आकृष्ट करने के अच्छे अवसर हैं और जहाँ आयात की गई वस्तुओं का प्रभन प्रयत्नों को शिथिल नहीं करता, वहाँ भौतिक शक्ति की अधिकतम सीमा तक कार्य-भूति का प्रयत्न होना चाहिए, उसे देश की न्यूनतम आवश्यकताओं से कम तो रहना ही नहीं चाहिए। वस्तुतः औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी क्षेत्रों में जैसे-जैसे उत्पादक परियोजनाएँ कार्यान्वित हो और अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध हो, वैसे-वैसे उन परियोजनाओं के क्षेत्र को विस्तृत करने की दिशा में अतिरिक्त साधन जुटाना सम्भव होना चाहिए, जिनमें रोजगार देने की विस्तृत सामर्थ्य है, पर जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

¹ इसमें 200 करोड़ रु० की चहूँ राशि शामिल नहीं है, जिसका अनुमानित हस्तान्तरण सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में किया गया है।

4 इन बातों से यह प्रकट होता है कि पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन के लिए जिन भौतिक कार्यक्रमों को स्वीकृत किया जाए, वे योजना-निर्माण के समय उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर ही सीमित न हों, हालांकि व्यय का निश्चय अवश्य ही वर्ष-प्रति-वर्ष वास्तव में उपलब्ध साधनों के मुताबिक करना पड़ेगा। अनुभवों से यह पता चला है कि योजना तैयार करते समय जो वित्तीय साधन दृष्टि में हों, उन्हीं के अनुसार अगर पांच वर्ष की योजना तैयार की जाए, तो उन सम्पूर्ण अवसरों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता, जो योजना के कार्यान्वयन की अवधि में उपस्थित होते हैं।

वित्तीय व्यवस्थाएँ

5 अभी 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया गया है। परन्तु हाल के अभ्ययनों से पता चलता है कि अगर देश की वचत को केंद्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, तो कुछ अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं। वस्तुतः योजना में शामिल किए गए भौतिक लक्ष्य जिस हद तक पूरे होंगे, उसी हद तक अतिरिक्त वित्तीय साधनों में वृद्धि की सम्भावनाएं भी बढ़ेंगी। भारत की विकास-योजनाएँ जिस प्रकार मित्र देशों, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास-बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर रही हैं, उसे दृष्टि में रखते हुए यह आशा करना युक्तिसंगत होगा कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विदेशी मुद्रा की कमी कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। दूसरी ओर, ज्यों-ज्यों योजना की प्रगति होगी, त्यों-त्यों यह बात भी सामने आ सकती है कि कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुछ परियोजनाएँ तीसरी योजना की अवधि में पूरी नहीं हो सकेंगी और पूंजी-विनियोग का कुछ मांग, दरअसल, चौथी योजना के प्रारम्भिक चरण तक के लिए विलम्बित करना होगा। परियोजनाओं का एक बड़ा भाग—विशेषतः उद्योग और खनन के क्षेत्र में—अपेक्षाकृत अधिक समय की मांग करता है और प्रायः कठिन तकनीकी समस्याओं का सामना करता है। औद्योगिक संयंत्रों के डिजाइन बनाने और उन्हें तैयार करने अथवा सहायक विकास-कार्यों को हाथ में लेने, या जल्दी उपकरणों और पुर्जों की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ परियोजनाओं को तीसरी योजना की अवधि से आगे ले जाना पड़ सकता है। इस प्रकार के हेर-फेर के बावजूद इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो परियोजनाएँ बहुत आवश्यक हैं, वे समय पर पूरी हो जाएं।

6 अगले पृष्ठ की तालिका में 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय का मुख्य मदों में वितरण दिखाया गया है।

सरकारी क्षेत्र में कुल 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय की जो व्यवस्था की गई है, उसमें पूंजी-विनियोग* की राशि 6,300 करोड़ रु० और कर्मचारियों, सहायता-अनुदानों आदि पर व्यय आदि के द्योतक चालू व्यय† की राशि 1,200 करोड़ रु० है। इन राशियों

* भौतिक सम्पत्ति (जैसे, भवन, संयंत्र और उपकरण) के निर्माण पर होनेवाला खर्च पूंजी-विनियोग है। इस खर्च में सम्पत्ति के निर्माण के लिए आवश्यक कर्मचारियों का खर्च भी शामिल है। मोटे तौर पर, इसे पूंजी-खाते का खर्च माना जाता है।

† चालू व्यय का मतलब मोटे तौर पर योजना के कार्यक्रमों पर राजस्व-खाते में होनेवाले व्यय स ह। यह खर्च 'पूंजी-विनियोग' के नाम से उल्लिखित खर्च से भिन्न है।

तालिका-संख्या 2

वित्तीय व्यवस्थाएं

(करोड़ रु०)

मह	दूसरी योजना		तीसरी योजना—वित्तीय व्यवस्थाएं				योग	प्रतिशत
	कुल व्यय	प्रतिशत	राज्य	संघीय क्षेत्र	केन्द्र	योग		
कृषि और सामुदायिक विकास	530	11	919	24	125	1,068	14	
बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाएँ	420	9	630	2	18	650	9	
बिजली	445	10	880	23	109	1,012	13	
ग्राम और लघु उद्योग	175	4	137	4	123	264	4	
संगठित उद्योग और खनिज पदार्थ	900	20	70	—	1,450	1,520	20	
परिवहन और संचार-संकेत	1,300	28	226	35	1,225	1,486	20	
सामाजिक सेवाएँ और विविध	830	18	863	87	350	1,300	17	
इन्वेण्टरिया	—	—	—	—	200	200	3	
योग	4,600	100	3,725*	175	3,600	7,500	100	

* यह आकड़ा अगले पैराग्राफ और अध्याय 6 के 27-वें पैराग्राफ में उल्लिखित बातों के प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है।

में स्थानीय सस्थाओं—जैसे, नगरपालिकाएँ, पंचायतें, इत्यादि—के विकास-कार्यक्रमों पर होनेवाले खर्च का केवल वह अंश शामिल है, जिसकी व्यवस्था अपने योजना-व्यय के रूप में केन्द्रीय और राज्य-सरकारें करती हैं। इनमें खर्च के वे अंश शामिल नहीं हैं, जिनकी व्यवस्था स्थानीय सस्थाएँ अपने साधनों से करती हैं। इसी प्रकार, इनमें वे अंशदान भी शामिल नहीं हैं, जो नकद तथा जिस के रूप में स्थानीय परियोजनाओं में—जिनमें स्थानीय लोगों का सहयोग होता है—स्थानीय लोगों-द्वारा दिया जाता है।

7 ऊपर की तालिका में राज्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था 3,725 करोड़ रु० की दिखाई गई है। राज्यों की योजनाओं में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनकी कुल लागत लगभग 3,847 करोड़ रु० है। राज्यों के राजस्व में हाल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि अगर पर्याप्त अतिरिक्त कराधान किया जाए, तो राज्यों के लिए यह सम्भव होगा कि वे अपनी योजनाओं के भौतिक कार्यक्रमों के खर्च के लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था स्वयं कर लें। इस प्रकार, भौतिक कार्यक्रमों और वित्तीय साधनों के बीच जो अन्तर रह जाता है, वह मुख्यतः केन्द्र से ही सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों में विदेशी साधनों पर निर्भर करनेवाले कार्यक्रमों का अनुपात अधिक है—जैसे, उद्योग, खनिज पदार्थ, परिवहन और संचार-साधन। जब विदेशी मुद्रा सुलभ हो जाएगी, तो आवश्यक रूप-विषयक माधनों को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे।

8 जैसा कि पहले कहा गया है, योजना में सरकारी क्षेत्र-द्वारा किए जानेवाले खर्च ही शामिल नहीं है—इनमें निजी क्षेत्र-द्वारा किए जानेवाले खर्च भी शामिल हैं। निजी क्षेत्र-द्वारा पूँजी-विनियोग का अनुमान 4,100 करोड़ रु० है। योजना के प्रमुख मंदा में सरकारी और निजी क्षेत्र के पूँजी-विनियोग का चोरा अगले पृष्ठ पर दिया जाता है।

9 10,400 करोड़ रु० के पूँजी-विनियोग के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान 2,030 करोड़ रु० ने कुछ अधिक लगाया गया है। सरकारी और निजी पूँजी-विनियोग का स्तर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के 1,600 करोड़ रु० से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त में 2,600 करोड़ रु० हो जाने की आशा है। केवल सरकारी क्षेत्र के मन्दमें में एक अंश 800 करोड़ रु० और 1,700 करोड़ रु० है।

10 तानिषा-मरया 3 में यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना में कुल पूँजी-विनियोग में नगमग 54 प्रतिशत की वृद्धि रनी गई है—70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में और 32 प्रतिशत निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र का अनुपात तो यहा तक ऊचा होगा कि उसका व्यय वित्तीय व्ययम्पा के 7,500 करोड रु० ने घट कर 8,000 करोड रु० की भौतिक योजना के करीब री जाग्गा ।

दूसरी और तीसरी योजनाओं में पूंजी-विनियोग -

(करोड़ रु०)

भवे	दूसरी योजना				तीसरी योजना			
	सरकारी	निजी	योग	प्रतिशत	सरकारी	निजी	योग	प्रतिशत
ग्राम और सामुदायिक विकास	210	625	835	12	660	800	1,460	14
बरी और मध्यम सिंचाई-परि- योजनाएँ	420	1	420	6	650	4	650	6
विजनी	445	40	485	7	1,012	50	1,062	10
ग्राम और लघु उद्योग	90	175	265	4	150	275	425	4
गण्डित उद्योग और खनिज पदार्थ	870	675	1,545	23	1,520	1,050	2,570	25
परिवहन और संचार-संयंत्र	1,275	135	1,410	21	1,486	250	1,736	17
सामाजिक सेवाएँ और विविध	340	950	1,290	19	622	1,075	1,697	16
रू.प्लानिंग	—	500	500	8	200	600	800	8
योग	3,650	3,100†	6,750	100	6,300	4,100†	10,400	100

*द्वि-वि और सामुदायिक विकास के अन्तर्गत सम्मिलित
सरकारी से निजी क्षेत्र में दो गई रकम को छोड़कर

अनुबन्ध 2 में इस विषय में पूरे व्योरे दिए गए हैं। राज्यों और केन्द्र के बीच जो व्यवस्था की गई है, उसका आकार यह है कि सामान्यतः राज्य-सरकारों-द्वारा जिन विकास-योजनाओं का कार्यान्वयन होना है, वे राज्य-योजना का अंग मानी जाएगी और योजनाओं की कुछ सीमित श्रेणियाँ ही ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय मन्त्रालयों की योजनाओं में केन्द्रीय सरकार-द्वारा प्रेरित मानी जाएगी। इस प्रकार, राज्यों की योजनाओं के क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया है और उनके विकास-कार्यक्रमों के संगठित कार्यान्वयन को सुविधापूर्ण बनाया गया है।

12 प्रत्येक राज्य की योजना निश्चित करते समय उसकी आवश्यकताओं, समस्याओं, अब तक की प्रगति और विकास के मार्ग में आनेवाली रुकावटों, प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि में उसका सम्भावित अक्षदान, विकास की शक्ति और अपने विकास-कार्यक्रमों में राज्य-द्वारा प्रस्तुत किए जा सकनेवाले साधनों का ध्यान रखा जाता है। आवश्यकताओं और समस्याओं का मूल्यांकन करते समय इन-जैसी बातों को ध्यान में रखा गया आवादी क्षेत्र, आय और व्यय के स्तर, कुछ खास प्रकार की सेवाओं की प्राप्ति—जैसे, मडकें, स्कूल और अस्पताल, दूसरी योजना में वचनबद्ध कार्यक्रम या विशेष कार्यक्रम, और तकनीकी तथा प्रशासकीय सेवाएँ कदा तक प्राप्त हो सकती हैं। इस बात का भी खान ध्यान रखा गया कि ऐसे राज्य, जिनके साधन अनिवार्यतः कम हैं, अपनी विकास-योजनाओं को इतना सीमित न कर दें कि वे एकदम अपर्याप्त हो जाएँ—वह भी केवल इस कारण से कि उनके साधन कम हैं। इसके साथ ही, जो राज्य अपने साधनों का सग्रह करने में अधिक परिश्रम कर सकते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर विकास-कार्य हाथ में लेने होंगे। राज्यों और स्थानीय क्षेत्रों की योजनाओं में 4,022 करोड़ रु० के जो कार्यक्रम रखे गए हैं, उनका राज्यवार व्योरा तथा पहली और दूसरी योजनाओं की राज्यवार तुलनात्मक सख्या इस अध्याय के अनुबन्ध 3 में दी गई है। राज्यों और विकास की मदों के सन्दर्भ में विस्तृत व्योरा इस रिपोर्ट के अन्त में परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

13 भौतिक कार्यक्रमों और वित्तीय व्यवस्था की मोटे तौर पर ऊपर जो चर्चा की गई है, उससे यह पता चलता है कि योजना में किस प्रकार सर्वमुखी प्रयत्न किया गया है और इसके विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों पर सापेक्ष रूप से कितना जोर दिया गया है। इस सामान्य ढांचे के अन्तर्गत योजना में विकास के कई कार्यक्रम हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के अगले अध्यायों में दिया गया है। फिर भी, परवर्ती पैराग्राफों में इन कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

कृषि

14 कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास के लिए जो कार्यक्रम तीसरी योजना में शामिल किए गए हैं, उन पर कुल व्यय 1,718 करोड़ रु० का बैठेगा, जब कि दूसरी योजना में इनका अनुमानित व्यय 950 करोड़ रु० था। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य यह है कि आगामी पांच वर्षों में कृषि-उत्पादन में वृद्धि की गति लगभग दुगुनी हो जाए। खाद्यान्नों का उत्पादन 30 प्रतिशत और अन्य फसलों का उत्पादन 31 प्रतिशत बढ़ने की आशा है, जैसा कि अगली सालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-संख्या 4

कृषि-उत्पादन का सूचनाक

(1949-50 = 100)

फसलें	1960-61	1965-66	1960-61
			की अपेक्षा 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
सब फसलें	135	176	30
खाद्यान्न	132	171	30
अन्य फसलें	142	186	31

15 वृद्धि की इस ऊँची गति को प्राप्त करने के लिए कई दिशाओं में सधन प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। प्रथमतः, सिंचाई के विस्तृत कार्यक्रम—जिनमें बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई-योजनाएँ भी शामिल होंगी—हाथ में लिए जाएँगे। इससे करीब 2 करोड़ एकड़ जमीन में सिंचाई का विस्तार हो जाएगा, जिससे शुद्ध सिंचित क्षेत्र करीब 9 करोड़ एकड़ हो जाएगा। दूसरी बात, करीब 2 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन में शुष्क खेती की तकनीकें काम में लाई जाएँगी और 1 करोड़ 10 लाख एकड़ जमीन में भूमि-संरक्षण का काम किया जाएगा। तीसरे, उर्वरकों की खपत बढ़ानी पड़ेगी—नत्रजनयुक्त उर्वरकों की खपत में पाच-गुनी वृद्धि का लक्ष्य है, यानी इसे 2,30,000 टन (नत्रजन की मात्रा) से बढ़ा कर 10 लाख टन करना है, इसी तरह, फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत में 6-गुनी वृद्धि होनी है, अर्थात् यह परिमाण 70,000 टन (पी₂ओ₅ की मात्रा) से बढ़ा कर 4,00,000 टन करना है। हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र 118 लाख एकड़ से बढ़ा कर 410 लाख एकड़ किया जाएगा। 5 करोड़ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में पौधों की रक्षा के उपाय करने होंगे। चौथी बात, सुघरे हुए कृषि-उपकरणों और मशीनों के एक बड़े कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी काम में लाने के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा। कृषि-उपकरणों का एक विशाल कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक केंद्र कायम किया जाएगा, जहाँ सुघरे हुए ढग के उपकरण बनाने, उनकी जांच करने, डिजाइन तैयार करने और तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था होगी, निर्माताओं को काफी मात्रा में लोहा और इस्पात देने का इन्तजाम होगा, सुघरे हुए उपकरणों की आपूर्ति, खरीद और उत्पादन के लिए ऋण देने की व्यवस्था होगी और राज्यों में कृषि-इंजीनियरी-सम्बन्धी कर्मचारी-मण्डल को मजबूत किया जाएगा। पाचवीं बात, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का अक्टूबर 1963 तक देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार, तकनीकी सहायता और सामान्य तक देश के सभी किसानों को पहुँच हो जाएगी। सब गावों में पंचायतें और सहकारी समितियाँ स्थापित हो जाएँगी। जिला और खण्ड-स्तरीय पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना से सभी क्षेत्रों की जनता पर विकास का दायित्व और पहल का भार पड़ेगा। आशा की जाती है कि सेवा-सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या बढ़ कर लगभग 3 करोड़ 70 लाख हो जाएगी, अर्थात् समस्त कृषि-परिवारों का लगभग दो-तिहाई भाग इनके अन्तर्गत आ जाएगा। सहकारी

ऋण के काफी विस्तार का लक्ष्य है—अल्प और मध्यमकालीन अग्रिम धन के सम्बन्ध में यह लक्ष्य करीब 530 करोड़ रु० का और दीर्घकालीन ऋण का लक्ष्य 150 करोड़ रु० (आशोधित ऋण) का है। सहकारी क्रय-विक्रय-समितियों की संख्या 1,869 से बढ़ा कर 2,470 की जाएगी। मड़ियों में करीब 980 नए माण्डारण-गोदाम बनाए जाएंगे और सहकारिता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 9,200 छोटे गोदामों का निर्माण किया जाएगा। 25 नए सहकारी चीनी-कारखाने कायम किए जाएंगे और चावल, कपास, पटसन, मूंगफली, फल, इत्यादि के लिए सहकारी आधार पर विवायन-इकाइया स्थापित करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता-माण्डार और सहकारिता के आधार पर 50 थोक माण्डार कायम करने का भी कार्यक्रम है। सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयत्न जारी रहेंगे और सारे देश में अग्रगामी परीक्षण के तौर पर 3,200 सहकारी फार्म संगठित किए जाएंगे। छठी बात, कुछ चुने हुए जिलों को, जहां खास तौर पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ हैं और निश्चित रूप से वर्षा होती है, सधन कृषि-विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा, ताकि कृषि-उत्पादन बढ़ सके। आरम्भ में, प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का एक जिला चुना गया है। यह महत्वपूर्ण नया कार्यक्रम इन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता, उर्वरक, सुधरी हुई ऋण-व्यवस्था और अन्य वस्तुएँ ग्राम-पंचायतों तथा सहकारी समितियों के माध्यम से सभी किसानों तक पहुँचाएँगी। इससे उत्पादन और क्रय-विक्रय-योग्य फालतु खाद्यान्न, दोनों की वृद्धि में सहायता मिलेगी।

16 इन विभिन्न कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि मुख्य फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

तालिका-संख्या 5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

फसल	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61
				की अपेक्षा 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	लाख टन	760	1,000	32
तेलहन	लाख टन	71	98	38
गन्ना*	लाख टन	80	100	25
कपास	लाख गांठें	51	70	37
पटसन	लाख गांठें	40	62†	55

इस वृद्धि का एक बड़ा भाग प्रति एकड़ उपज में सुधार के जरिए मिलने की आशा है। उदाहरण के लिए, यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में चावल की औसत उपज प्रति एकड़ 1,030 पींड होगी, जबकि दूसरी योजना की अवधि में यह मात्रा 807 पींड थी।

* खाइसारी या गुड के रूप में

† इसमें मेस्टा की फसल शामिल नहीं है, जिसके द्वारा सन् 1965-66 में 13 लाख गांठें प्राप्त होगी।

17- इन लक्ष्यों की पूर्ति के साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाएगी और प्रति व्यक्ति खाद्य-उपलब्धि सन् 1960-61 के 16 औंस प्रति दिन से बढ़ कर सन् 1965-66 में 17 5 औंस प्रति दिन हो जाएगी । कपड़े की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सन् 1960-61 के 15 5 गज से बढ़कर सन् 1965-66 में 17 2 गज हो जाएगी । फल और सब्जियों-जैसे सहायक खाद्यों के उत्पादन पर, जिनके लिए माग देश में लगातार बढ़ रही है, विशेष जोर दिया जाएगा और यह प्रयत्न किया जाएगा कि लोगों को वर्तमान की अपेक्षा अधिक सन्तुलित भोजन प्राप्त हो । चाय, काफी, रबर, नारियल, सुपारी, तम्बाकू, काली मिर्च, इलायची और लाख-जैसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे, क्योंकि विदेशी मुद्रा के अर्जन तथा वचत की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं ।

18 पशुपालन, दूध-व्यवसाय, मछलीपालन और वन-रक्षा के सुधार के लिए भी तीसरी योजना में बड़े-बड़े कार्यक्रम शामिल किए गए हैं । सघन पशु-विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही स्थापित केन्द्र ग्राम-खेतों में से 55 का विस्तार किया जाएगा और महत्वपूर्ण नस्ल-क्षेत्रों में 38 नए खंड कायम किए जाएंगे । पशु-अस्पतालो और शोधालयों की संख्या 4,000 से बढ़ा कर 8,000 की जाएगी और पशुओं की महामारी का निवारण करने के लिए पहले से ही जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा । ऊन का उत्पादन 7 करोड़ 20 लाख पींड से बढ़ा कर 9 करोड़ पींड किया जाएगा । दूध का उत्पादन 2 करोड़ 20 लाख टन से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख टन किया जाएगा । एक लाख से ज्यादा आवादी-वाले 55 शहरों में दूध उपलब्ध करने की नई योजनाएँ हाथ में ली जाएंगी । 8 ग्रामीण मक्खन-उत्पादन-केन्द्र, 4 दूध-उत्पादन-कारखाने और 2 पनीर-कारखाने लगाए जाएंगे । मछली का उत्पादन 14 लाख टन से बढ़ा कर 18 लाख टन किया जाएगा, 4,000 मछली पकड़नेवाली नौकाओं में मशीनें लगाई जाएंगी और 35 बड़े पोत देश के मछली पकड़नेवाले बेटों में जोड़े जाएंगे । जंगलों को विकसित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, 7,00,000 एकड़ क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्ष लगाए जाएंगे, 6,00,000 एकड़ क्षेत्र के उजाड़प्राय जंगलों को फिर तरौताचा किया जाएगा और 12,00,000 एकड़ क्षेत्र में ग्राम-वर्ती जंगल लगाए जाएंगे । इस मद में पूँजी-विनियोग करने से पहले सारे देश का सर्वेक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि इमारती लकड़ी और लुगदी पर आधारित बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास की क्षमता देश में कहा तक है ।

उद्योग

19 तीसरी योजना में मूलभूत महत्व का कार्यक्रम उद्योगों के विस्तार से सम्बद्ध है खास तौर पर, पूँजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगों के विस्तार से । इसमें मशीन-निर्माण और प्रदन्व-सम्बन्धी कुशलता, तकनीकी जानकारी और डिजाइन-क्षमता पर विशेष जोर दिया गया है । इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया है, पर योजना के ढाँचे के भीतर निजी क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाने की आशा की जाती है । संगठित निर्माण उद्योगों के विशुद्ध उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा सन् 1960-61 के एकदशमास से भी कुछ कम से बढ़ कर सन् 1965-66 में करीब एक-चौथाई हो जाने की आशा है और इसका एक बड़ा अंश पूँजीगत और उत्पादक सामान होगा । उद्योगों और खनिज

पदार्थों के विकास के लिए योजना में 1,882 करोड़ रु० का एक कार्यक्रम है, परन्तु अभी वित्तीय व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में 1,520 करोड़ रु० की ही की गई है। इसके अतिरिक्त, आशा की जाती है कि निजी क्षेत्र 1,050 करोड़ रु० की व्यवस्था करेगा। साथ ही, आशा की जाती है कि युद्ध से पूर्व के कुछ उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लगाने की मदद में होनेवाले खर्च को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र लगभग 150 करोड़ रु० की व्यवस्था करेगा।

20 सम्पूर्ण तीसरी योजना में उन उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था को आत्मचालित बनाने में महायुक्त हो सकते हैं—जैसे, इस्पात, मशीन-निर्माण और उत्पादक सामान। योजना में इन मामलों को खरीदने के लिए विदेशी सहायता पर यथाशीघ्र कम-से-कम निर्भर रहने की स्थिति पैदा करने और निर्यात के आधार को विस्तृत करने की प्रेरणा देने पर भी बल दिया गया है। उपभोक्ता-सामान के उत्पादन को भी काफी बढ़ाया जाएगा, मुख्यतः निजी क्षेत्र में आशा की जाती है कि इन सबके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, पर इस वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण बात होगी, लोहा और इस्पात, मशीनों और रसायनों के क्षेत्र में विकास। इसकी एक क्षात्री निम्नलिखित तालिका से मिल सकती है

तालिका-संख्या 6

औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक*

(1950-51=100)

वर्ग	1960-61	1965-66	1960-61 की अपेक्षा 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
सामान्य सूचनांक	194	329	70
सूती वस्त्र	133	157	18
लोहा और इस्पात	238	637	168
मशीनें (सब तरह की)	503	1,224	143
रसायन	288	720	150

जैसा कि पहले कहा गया है इस सूचनपत्र में कई नए उद्योगों को शामिल नहीं किया गया है और अब इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

21 तीसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में जो बड़ी औद्योगिक परियोजनाएँ शामिल की गई हैं, वे धातु-शोधन, औद्योगिक मशीनों, मशीनी औजारों, उर्वरकों, दुनियादी रसायनों और अन्तराणविकों, आवश्यक शीपथों तथा पेट्रोल-शोधन से सम्बद्ध हैं। लोहा और इस्पात के मामले में कुल क्षमता के प्रस्तावित लक्ष्य है, 1 करोड़ 2 लाख टन इस्पात की तुलना

*ये सूचनांक 'वस्तुतः' सरकारी सूचनांक ही हैं, सिवाय इसके कि तुलना का आधार सन् 1951 के कैलेंडर-वर्ष से बदल कर सन् 1950-51 का वित्तीय वर्ष कर दिया गया है, ताकि योजनाकाल में हुए विकास को आकने में सुविधा हो।

और 15 लाख टन कच्चा लोहा। इन लक्ष्यों की पूर्ति 59 लाख टन क्षमता का राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित सरकारी इस्पात के कारखानों से होगी। बोकारो में स्थापित किए जा रहे चौथे इस्पात के कारखाने से भी इसमें मदद मिलेगी। निजी क्षेत्र में भी इस्पात-विषयक क्षमता का कुछ विस्तार होगा। इस विस्तार का मुख्य साधन स्क्रैप पर आधारित बिजली की मट्टियां होंगी, जिनसे पुनरावेष्टन के लिए विलेटो की आपूर्ति बढ़ जाएगी। आशा की जाती है कि करीब 2,00,000 टन कच्चे लोहे का उत्पादन तीसरी शिफ्ट की मट्टियों में होगा, जिन्हें निजी क्षेत्र में विकेंद्रित आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। श्रीज्वार, मिश्रित धातु, और स्टेनलेस इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है और यह आशा की जाती है कि 2,00,000 टन उत्पादन का लक्ष्य सन् 1965-66 तक पूरा हो जाएगा। अलौह धातुओं के क्षेत्र में, योजना का लक्ष्य 80,000 टन अल्पयुमीनियम का उत्पादन करने का है और देश में पहला जस्ता पिघलानेवाला कारखाना लगाने का है, जिसकी क्षमता 15,000 टन की होगी। तांबे का उत्पादन 8,900 टन से बढ़कर 20,000 टन हो जाने की आशा है।

22 तीसरी योजना की श्रवण की सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, मशीन-निर्माण और इंजीनियरी-उद्योगों का विकास। मशीन-निर्माण के लिए विशेष रूप से आवश्यक बलार्ड-गडार्ड की क्षमता का तीसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा। राजी के पास एक भारी मशीनी सयन्त्र लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन-क्षमता पूर्ण विकास हो जाने पर 80,000 टन की होगी और यह प्रति वर्ष 10 लाख टन इस्पात-निर्माण की क्षमतावाले एक कारखाने की स्थापना के लिए श्रवणकाश जरूरी सामान तैयार करेगा। तीन भारी बिजली-उपकरण-परियोजनाओं की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सन् 1971 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट के हिसाब से बिजली-उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त बिजली-सम्बन्धी उपकरण प्राप्त हो सकें। मशीनी श्रवण के क्षेत्र में, मौजूदा मशीनी श्रवण-कारखानों का विस्तार करने और सरकारी क्षेत्र में दो नए सयन्त्र स्थापित करने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में भी, मशीनी श्रवण के उत्पादन के पर्याप्त विस्तार की आशा है और मशीनी श्रवण के उत्पादन का लक्ष्य 30 करोड़ रु० रखा गया है। मोटर-गाड़ी-उद्योग में 30,000 सवारी गाड़ियों और 60,000 व्यावसायिक गाड़ियों का लक्ष्य रखा गया है।

23 अकार्बनिक उर्वरकों का उत्पादन नग्नजन के रूप में करीब 1,10,000 टन से बढ़ा कर 8,00,000 टन किया जाएगा। फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है। गन्धक-अम्ल के उत्पादन का लक्ष्य 15 लाख टन और कार्बोनाट सोडा का 3,40,000 टन रखा गया है। कार्बनिक रसायनों, प्लास्टिक, रजको और श्रवणों का भी उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। सीमेन्ट के उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड़ 30 लाख टन रखा गया है और शोधक कच्चे तेल का 1 करोड़ 10 लाख टन। तीसरी योजना में ग्रामिन की गई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं सनतनगर में सञ्चालित श्रवण-परियोजना, श्रुतिकेस के पास एटिबायोडिक्स सयन्त्र और केरल में फाइटो-केमिकल-परियोजना। उपभोक्ता-सामान उद्योगों के क्षेत्र में, कपड़ा, कागज, चीनी, खाद्य तेल, घड़ियों, इत्यादि की उत्पादन-क्षमता काफी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

24 तीसरी योजना के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक लक्ष्यों की संक्षिप्त सूची नीचे दी जाती है

तालिका-संख्या 7

औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य

वस्तु	इकाई	1960-61	1965-66
इस्पात की सिल्लिया	लाख टन	35	92
अल्युमीनियम	हज़ार टन	18 5	80
डीज़ल इंजिन	हज़ार (संख्या)	40	66
ट्रैक्टर	हज़ार (संख्या)	2	10
विजली के तार (ए० सी० एस० आर० कडक्टर)	हज़ार टन	22	44
नम्रजनयुक्त उर्वरक	हज़ार टन नम्रजन	110	800
फास्फेटयुक्त उर्वरक	हज़ार टन पी ₂ ओ ₅	55	400
गन्धक-अम्ल	हज़ार टन	363	1,500
कास्टिक सोडा	हज़ार टन	100	340
सीमेंट	लाख टन	85	130
पेट्रोल के उत्पादन	लाख टन	57	99
मशीनी औद्योगिक (वर्गीकृत)	मूल्य लाख रुपये में	550	3,000
बाल और रोलर बियरिंग	लाख (संख्या)	29	140
सूती वस्त्र (मिल का बना)	करोड़ गज	512 7	580
चीनी*	लाख टन	30	35
कागज़ और गत्ता	हज़ार टन	350	700
वाइसिफिले (केवल संगठित क्षेत्र)	हज़ार (संख्या)	1,050	2,000
सिलाई की मशीनें (केवल संगठित क्षेत्र)	हज़ार (संख्या)	297	700
मोटरवाहिया	हज़ार (संख्या)	53 5	100

खनिज पदार्थ

25 तीसरी योजना में उद्योगों के विस्तार पर अधिक जोर दिए जाने के कारण खनिज पदार्थों के विकास का एक संघन कार्यक्रम अपनायने की आवश्यकता है। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे भी हैं, जिनकी विदेशों में अच्छी खपत है और विदेशी मुद्रा-अर्जन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। विजली, रेलवे, इस्पात, सीमेंट तथा कुछ अन्य ऐसे उद्योगों के कार्यक्रम को देखते हुए, जिनमें कोयले की बड़ी खपत होती है, तीसरी योजना में कोयले का उत्पादन-लक्ष्य 970 लाख टन रखा गया है। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए कोयला-उत्पादन का लक्ष्य 600 लाख टन रखा गया था। अब उसमें 370 लाख टन की वृद्धि करके उत्पादन के इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त 370 लाख टन में से 200 लाख टन सरकारी क्षेत्र

*कसल-वर्ष, नवम्बर-अक्तूबर से सम्बद्ध

से और 170 लाख टन निजी क्षेत्र से आएगा। इस्पात और कच्चे लोहे के लिए प्रस्तावित लक्ष्यो को पूरा करने के हेतु करीब 2 करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता पडने का अनुमान है। निर्यात के लिए 1 करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता पडेगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में खनिज लोहे की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य 3 करोड़ 20 लाख टन निश्चित किया गया है। विजली के काम आनेवाले ताबे के वार्षिक 11,500 टन उत्पादन के लिए नई तावा-खानो की खोज और खुदाई की व्यवस्था की गई है। विहार में पाइराइट की खानो की खोज, मध्यप्रदेश में हीरे की खानो के विकास, यूरेनियम काटने और उसके विघायन तथा मैंगनीज, वाक्साइट, जिप्सम और चूने के पत्थर की खानो की सघन खोज के लिए भी इस योजना में व्यवस्था है।

26 देश में खनिज तेल-साधनो की खोज और निकासी के काम को ऊंची प्राथमिकता दी गई है। तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग अब बड़े पैमाने पर काम करेगा, ताकि नए सुरक्षित भाडारो का पता लगे और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था हो। खोदने का काम देश के अधिकांश आधापूर्ण तलछटवाले क्षेत्रो में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार की ओर से विदेशी कम्पनियो को तेल की इस खोज में परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया गया है। आशा है कि असम-आयल-कम्पनी और भारत-सरकार का संयुक्त उद्यम 'आयल इण्डिया' वार्षिक 275 लाख टन कच्चा तेल का उत्पादन करने लगेगा। सन् 1962 में पहली बार सरकार उत्पादक के रूप में तेल-शोधन के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। नूनमती और बरोनी के तेल-शोधन-केन्द्रो और गुजरात के परियोजित तेल-शोधन-केन्द्र के पूरा हो जाने पर स्वदेशी तेल-शोध-क्षमता में सरकार का हिस्सा 47 प्रतिशत हो जाएगा।

ग्राम और लघु उद्योग

27 बड़े उद्योगो के साथ-साथ, ग्राम और लघु उद्योगो का भी विकास किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर मिलें और उपभोक्ता-सामान तथा कुछ उत्पादक सामान के उत्पादन में वृद्धि हो। लघु उद्योगो के क्षेत्र में पहले ही काफी प्रगति की जा चुकी है। लघु उद्योग आधुनिक टेक्नोलॉजी और विजली के उपयोग के लाभो को बड़े हुए रोजगार के अवसरों और छोटे व्यवसायियो तथा सहकारी समितियो के लिए अधिक अवसरों के लाभो को परस्पर जोडते है। तीसरी योजना में इन उद्योगो की और तेज प्रगति होने और कस्बो तथा ग्रामीण क्षेत्रो में इनके बड़ी मात्रा में फैलने की आशा है। ग्राम और लघु उद्योगो के कार्यक्रमो के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल 264 करोड़ रु० रखे गए है, जबकि दूसरी योजना में इस मद में करीब 175 करोड़ रु० खर्च किए गए थे। कुछ अन्य कार्यक्रमो — जैसे, सामुदायिक विकास, विस्थापितो का पुनर्वास, सामाजिक कल्याण और पिछडे वर्गों का कल्याण—से भी अतिरिक्त राशिया उपलब्ध होगी। निजी क्षेत्र में पूजी-विनियोग का अनुमान लगभग 275 करोड़ रु० है। छोटे उद्योगपतियो को बैंको से ऋण लेने के लिए सरकारी गारण्टी देने का भी प्रस्ताव है। दूसरी योजना की अवधि में, जहा करीब 120 औद्योगिक वस्तियो की स्थापना के लिए अनुमति दी गई थी, वहा तीसरी योजना की अवधि में 300 नई औद्योगिक वस्तिया स्थापित की जाएगी। कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रो में जहा विजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुलभ हैं या निकट भविष्य में हो जाएगी, वहा ग्रामीण औद्योगिक वस्तिया, भी स्थापित की

जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग-आयोग कुछ चुनी हुई ग्राम-इकाइयों में मगठिन ग्रामीण विकास की और विशेष ध्यान देगा। ऐसी 3,000 ग्राम-इकाइया तीसरी योजना की अवधि में शुरू की जाएगी। हथकरघे, विजली के करघे और ग्वादी-उद्योगों-द्वारा कपड़े का उत्पादन सन् 1960-61 के 235 करोड़ गज में बढ़ कर 1965-66 में 350 करोड़ गज हो जाने की आशा है। इसी तरह, कच्चा रेशम का उत्पादन 36 लाख पौंड में बढ़ कर 50 लाख पौंड हो जाएगा। नारियल-जटा और हस्तशिल्पों के कार्यन्वय भी समर्थित और विस्तृत किए जाएंगे।

बिजली

28 बड़े तथा लघु, दोनों तरह के उद्योगों के विकास के लिए, बिजली बहुत जरूरी है। इसलिए तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन को ऊंची प्राथमिकता दी गई है। बिजली के विकास का कार्यक्रम—सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्र मिलाकर—कुल 1,089 करोड़ रु० का है। तीसरी योजना के अन्त तक बिजली की उत्पादन-क्षमता—उन योजनाओं-सहित, जो पहले से चालू हैं, जिनका निर्माण हो रहा है और जिनकी जांच की जा रही है—134 लाख किलोवाट तक बढ़ जाने की आशा है। इसमें से 127 लाख किलोवाट बिजली व्यावसायिक उपयोग में आएगी, जबकि दूसरी योजना के अन्त में कुल 57 लाख किलोवाट बिजली इस काम में आती थी। अनुमान है कि 4,500 करोड़ किलोवाट-घंटा बिजली सन् 1965-66 में पैदा होने लगेंगी, जबकि सन् 1960-61 में 1,985 करोड़ किलोवाट-घंटा बिजली तैयार होती थी। संचरण-मय का विस्तार सन् 1960-61 के 84,000 सर्किट-मील में बढ़ा कर सन् 1965-66 में 1,50,000 सर्किट-मील में किया जाएगा। बिजलीवाले कस्बों और गावों की संख्या सन् 1960-61 के 23,000 में बढ़ा कर सन् 1965-66 में 43,000 की जाएगी। आशा की जाती है कि अमली तौर पर 5,000 या इससे अधिक आबादीवाले सभी कस्बों और गावों तथा 2,000 से 5,000 के बीच की आबादीवाले आधे कस्बों और गावों को बिजली प्राप्त हो जाएगी। 3 लाख किलोवाट क्षमता का एक न्यूक्लियर शक्ति-केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा, जो तीसरी योजना की अवधि में 1.5 लाख किलोवाट बिजली और शेष चौथी योजना के पहले वर्ष में उपलब्ध करेगा। परन्तु स्थापित उत्पादन-क्षमता का एक बड़ा हिस्सा 74 लाख किलोवाट तापीय सयन्नों से प्राप्त होगा और 51 लाख किलोवाट पनबिजली-सयन्नों से।

परिवहन और संचार-साधन

29 पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने यह अच्छी तरह बता दिया है कि आर्थिक विकास में परिवहन और संचार-साधनों का कितना अधिक महत्व है। इस शीर्षक के अन्तर्गत जो कार्यक्रम हैं, उनकी कुल लागत 1,655 करोड़ रु० आएगी, जबकि फिलहाल वित्तीय व्यवस्था 1,486 करोड़ रु० की ही है। यद्यपि पहली दो योजनाओं में इस क्षेत्र में बहुत-सारा पूंजी-विनियोग किया गया था, तथापि तीसरी योजना में इसके भावी विकास के लिए एक ठोस कार्यक्रम रखा गया है। रेलवे के विकास का कार्यक्रम सन् 1960-61 में माल-यातायात के परिमाण, 1,540 लाख टन, के सन् 1965-66 में बढ़कर 2,450 लाख टन हो जाने के अनुमान पर आधारित है। माल-यातायात में इस प्रतिशत वृद्धि के समय 90 प्रतिशत भाग का श्रेय लोहा और इस्पात, खनिज पदार्थों, कोयला, सीमेंट और

रेलवे-मामग्रियों के यातायात को प्राप्त होने की आशा है। 1,200 मील लम्बी नई रेल-लाइनों विद्यमाने, 1,600 मील लम्बी इकहरी लाइनों को दोहरा करने, डीजल और विजली के इंजिन तैयार करने और कुछ अन्य वस्तुओं के लिए, जिनका अभी तक आयात हो रहा है, योजना में व्यवस्था की गई है। सड़क के कार्यक्रम में 25,000 मील लम्बी पक्की सड़कें बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, मीजूदा सड़कों का सुधार करने, जैसे पुल बनाना, टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना और सड़कों की दशा सुधारना, के लिए भी व्यवस्था की गई है। सड़क-परिवहन का काम, अधिकांशतः निजी क्षेत्र में होगा। आशा है कि व्यावसायिक गाड़ियों की संख्या सन् 1960-61 के 2 1 लाख से बढ़ कर सन् 1965-66 में 3 65 लाख हो जाएगी। सड़क-द्वारा माल-यातायात की मात्रा में अगले पांच वर्षों में 120 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। योजना में बड़े और छोटे बन्दरगाहों के विकास और जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल-परिवहन, अमैनिंक हवाई परिवहन, डाक और तार तथा प्रसारण-सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। परिवहन और संचार-साधनों के क्षेत्र में, तीसरी योजना के अन्तर्गत, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थिर किए गए हैं, उनकी एक क्षात्री निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका-संख्या 8
परिवहन और संचार-साधन

मद	इकाई	1960-61	1965-66
रेलवे :			
नई लाइनें	मील	800*	1,200*
नई दोहरी लाइनें	मील	1,300*	1,600*
माल ले जाया गया	लाख टन	1,540	2,450
सड़कें और सड़क-परिवहन :			
राष्ट्रीय राजपथ-सहित पक्की सड़कें	हजार मील	144	169
चालू गाड़ियां :			
व्यावसायिक गाड़िया	हजार (संख्या)	210	365
यात्री गाड़िया	हजार (संख्या)	50	80
माल ढोनेवाली गाड़िया	हजार (संख्या)	160	285
जहाजरानी :			
टन-भार	लाख ग्रीस रजिस्टर्ड टन	9	10 9
बन्दरगाह :			
बड़े बन्दरगाह—क्षमता	लाख टन	370	490
संचार-साधन :			
डाकघर	हजार (संख्या)	77	94
तारघर	हजार (संख्या)	6 5	8 5
टेलीफोन	हजार (संख्या)	460	660

*उल्लिखित वर्ष में समाप्त होनेवाली पांच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध

सामाजिक सेवाएं

30 वैज्ञानिक अनुसन्धान वैज्ञानिक अनुसन्धान को, विनोद उद्योगों और कृषि के विकास पर गहरा प्रभाव डालनेवाले वैज्ञानिक अनुसन्धान को, नवन किया जाएगा। पेट्रोलियम-टेक्नोलॉजी-जैसे क्षेत्रों में अनुसन्धान करने और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास तथा उत्पादन करने के लिए नई नस्थाए स्थापित की जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में उद्योगों और कृषि की बेकार जानेवाली चीजों के उपयोग और उन्हें ठिकाने लगाने की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों और तकनीकी मस्थानों में बुनियादी अनुसन्धान की सुविधाएँ बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी। विजली-उत्पादन के लिए न्यूक्लियर शक्ति के उपयोग और कृषि, जीव-विज्ञान, उद्योग तथा चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में आइसोटोपों के उपयोग की दिशा में जो अमूल्य काम किया गया है, उन्हें और भी विस्तृत तथा सुदृढ़ किया जाएगा। आधा की जाती है कि परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान के इलेक्ट्रॉनिक-विभाग का उत्पादन-अनुभाग तीसरी योजना की अवधि में 8 करोड़ रु० मूल्य के उपकरण तैयार करेगा। भारतीय परिस्थितियों और यहाँ उपलब्ध सामग्रियों के अनुकूल प्रोटोटाइप न्यूक्लियर शक्ति-केन्द्रों का डिजाइन तैयार करने और उनका विकास करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि चौथी योजना की अवधि में देश को न्यूक्लियर शक्ति-केन्द्रों के डिजाइन तैयार करने और उनके निर्माण के मामले में विदेशों से परामर्श लेने की बिल्कुल ही जरूरत न पड़े। चूँकि उच्च किस्म के थोरियम का सार का सबसे बड़ा भांडार भारत में है, इसलिए अनुसन्धान और विकास का काम इन दीर्घावधि-उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए कि विजली के रूप में प्रयुक्त होने-योग्य विकास थोरियम का करना है।

31 तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा का देश के औद्योगिक और कृषि-विकास के कार्यक्रम से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना के लिए कुल 1,51,000 और चौथी योजना के लिए 2,00,000 प्रशिक्षित इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। तीसरी योजना में इंजीनियरों में सम्बद्ध धन्वों के लिए करीब 8,10,000 कुशल कर्मचारियों की और गैर-इंजीनियरी धन्वों के लिए करीब 4,60,000 कुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी। चौथी योजना की अवधि में यह जरूरत बहुत बढ़ा दी जाएगी। इस मांग को पूरा करने के लिये ने इंजीनियरी कालेजों की प्रवेश-क्षमता को 13,860 से बढ़ा कर 19,140 किया जाएगा और पॉलिटेक्निकों की संख्या 25,570 से बढ़ा कर 37,390 की जाएगी। इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी की अशकालीन और पत्र-व्यवहार-द्वारा पढाई भी शुरू की जाएगी। शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या भी सन् 1965-66 तक बढ़ा कर 318 कर दी जाएगी और रोजगार में लगे औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कारखाना के भीतर और सायकालीन कक्षाएँ चलाई जाएगी। कुशल कर्मचारियों और शिल्पियों के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का प्रवन्ध करने के लिए तीन मीजुदा केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थाओं की शक्ति दुगुनी कर दी जाएगी और तीन नई नस्थाएँ कायम की जाएगी। इन संस्थाओं ने प्रशिक्षण लेकर निकलनेवाले शिक्षकों की संख्या करीब 8,000 तक हो जाने की आशा है। कृषि-कालेजों की प्रवेश-क्षमता 4,600 से बढ़ा कर 6,200 और पशु-चिकित्सा-कालेजों की प्रवेश-क्षमता 1,300 से बढ़ा कर 1,460 की जाएगी।

ऊपर उल्लिखित इजीनियरी और तकनीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है, उनमें शामिल हैं वैज्ञानिक, शिक्षक, सस्था-शास्त्री, प्रशासक, प्रबन्धक और सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के लिए तथा सामाजिक कल्याण और पिछड़े वर्गों के कार्यक्रमों के लिए कर्मचारी-मण्डल। सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए, विशेषतः विज्ञान के शिक्षकों के लिए, दूसरी योजना की अवधि में जहाँ कमी अनुभव की गई थी, वहाँ अब अधिक प्रशिक्षण-सुविधाएँ रखी गई हैं। तीसरी योजना में करीब 59,000 अतिरिक्त कर्मचारियों को खण्ड-विकास-अधिकारी, कृषि, पशुपालन, उद्योग, सहकारिता और पंचायतों के विस्तार-अधिकारी, ओवरसियर, सामाजिक शिक्षा-नगठनकर्ता, ग्राम-सेवक और ग्राम-सेविका के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ श्रेणियों के कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता 14,000 के आन-पास होगी। महिलाओं, बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए विविध कल्याण-कार्यक्रमों को अजाम देने के हेतु करीब 3,000 कार्यकर्ताओं और निरीक्षकों की आवश्यकता होगी। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करनेवाली स्वीच्छिक संस्थाओं को करीब 5,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए खण्ड-विकास-अधिकारियों, विस्तार-अधिकारियों, ग्राम-सेवकों, चिकित्सा-कर्मचारियों और अन्य कार्यकर्ताओं की 14,000 से भी अधिक संख्या में आवश्यकता होगी। तीसरी और चौथी योजनाओं में संस्था-शास्त्रियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी और उन्हें विध्वविद्यालयों तथा अन्य विशिष्ट संस्थाओं—जैसे, भारतीय अक-सकलन-मस्थान और कृषि-अनुसन्धान एवं अक-सकलन-मस्थान—में प्रशिक्षित किया जाएगा। औद्योगिक संस्थाओं के लिए भी प्रशासकीय और प्रबन्धीय कर्मचारियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी तथा उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ दूसरी योजना की अवधि में स्थापित संस्थाओं, कलकत्ता एवं अहमदाबाद में स्थापित होनेवाली नई संस्थाओं और बम्बई के औद्योगिक इजीनियरी-प्रशिक्षण-संस्थान में उपलब्ध की जाएगी।

32 सामान्य शिक्षा तीसरी योजना में यों तो सभी स्तरों पर शिक्षा-सुविधाओं के विस्तार की बात नोची गई है, पर इसकी एक विशिष्ट बात है, 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मारे देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। कुछ पिछड़े हुए इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मन्द गति को स्वीकार करते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि इन अवधि में शिक्षा प्राप्त करनेवाले बच्चों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि होगी—6-11 वय-वर्ग 61 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत, 11-14 वय-वर्ग 22 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत, और 14-17 वय-वर्ग 11 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत। विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या सन् 1960-61 के 4 35 करोड़ से बढ़कर सन् 1965-66 में 6 39 करोड़ हो जाएगी। तीसरी योजना में अनुमानतः 5 51 लाख शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसलिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का काफी विस्तार किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या सन् 1960-61 के 9 लाख से बढ़कर सन् 1965-66 में 13 लाख हो जाने की आशा है। तीसरी योजना में एक बड़ा काम वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने का है जिसका लक्ष्य यह होगा कि समस्त छात्रों में विज्ञान के छात्रों का अनुपात करीब 43 प्रतिशत हो जाए। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान-शिक्षित लोगों की

भाग निरन्तर बढ़ रही है, उदाहरण के लिए, विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षक चाहिए, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी मश्याओं के लिए विज्ञान के शिक्षा-प्राप्त छात्र चाहिए, और उद्योगों में वैज्ञानिक कर्मचारी चाहिए। अतः विज्ञान की शिक्षा का प्रसार आवश्यक है।

33 तीसरी योजना की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होगी—बड़ी संख्या में छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था, जिसमें प्रतिभाग्यालो युवा छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कालेजों में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस मद के अन्तर्गत अमी छात्रवृत्तियों के लिए जितने धन की व्यवस्था है, तीसरी योजना में उसमें 10 करोड़ रु० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

34 स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन स्वास्थ्य-सेवाओं के क्षेत्र में, तीसरी योजना का उद्देश्य वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार करना है। इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध आवासीय क्षेत्रों के आस-पास की सफाई, छूत की बीमारियों का नियन्त्रण, मार्बजिनिक स्वास्थ्य-सेवाओं (प्रसूति-शिशु-कल्याण, स्वास्थ्य-शिक्षा और पुष्टिकर भोजन-महित) की व्यवस्था, परिवार-आयोजन, और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-कर्मचारियों के प्रशिक्षण में है। मलेरिया-उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा कर दिया जाएगा और चेचक तथा क्षय-रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू किया जाएगा। विशेष रोगाक्रान्त क्षेत्रों में हीजे के नियन्त्रण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तीसरी योजना की श्रवधि में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों की संख्या 2,800 से बढ़ कर 5,000 और अस्पतालों में शय्याओं की संख्या 1,85,600 से बढ़ा कर 2,40,100 की जाएगी। प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों की संख्या 70,000 से बढ़ कर 81,000 और नर्सों की संख्या 27,000 में बढ़ कर 45,000 हो जाने की आशा है। इस योजना में शामिल अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का सम्बन्ध देशी चिकित्सा-पद्धतियों के विकास, स्वास्थ्य-शिक्षा, स्वास्थ्य-सीमा, विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा, प्रसूति एवं शिशु-कल्याण तथा पीष्टिक भोजन से है।

35 आवादी में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण, तीसरी योजना में परिवार-आयोजन-कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यक्रमों में इन बातों की व्यवस्था की गई है (क) परिवार-आयोजन के लिए शिक्षा और प्रेरणा, (ख) सेवाओं की व्यवस्था, (ग) प्रशिक्षण, (घ) आपूर्ति, और (ङ) अनुसन्धान। यह निश्चय किया गया है कि इस विषय का ठीक प्रकार से ज्ञान फैलाने और परिवार-आयोजन को सफल बनाने में गैर-सरकारी संस्थाओं का पूरा-पूरा सहयोग लिया जाए। परिवार-आयोजन-विषयक गतिविधियों को सामान्य स्वास्थ्य-सेवाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा और परिवार-आयोजन-सेवाओं की—जिनमें वन्व्याकरण की सुविधाएँ भी शामिल हैं—चिकित्सा और स्वास्थ्य-केन्द्रों के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। परिवार-आयोजन-केन्द्रों की संख्या 1,649 से बढ़ कर 8,200 हो जाएगी।

36 ग्रामीण जल-आपूर्ति और स्थानीय विकास-कार्य तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में कहा गया था कि स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये तीन मुख्य सुविधाएँ दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए (क) पीने के पानी की व्यवस्था, (ख) प्रत्येक गाँव को सबसे निकटस्थ मुख्य सड़क अथवा रेलवे-स्टेशन से जोड़नेवाली सड़कों का निर्माण, और (ग) ग्रामीण विद्यालय-भवनो की व्यवस्था, जो सामुदायिक केन्द्र और ग्राम-पुस्तकालय का भी काम दे सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गाँवों

में पीने के पानी की सन्तोषजनक व्यवस्था करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह विचार किया गया है कि ग्रामीण जल-आपूर्ति-के कार्यक्रम पर समस्त प्रयत्नों को केन्द्रित किया जाए। अन्य ग्रामीण सुविधाओं की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों और जन-शक्ति के पूर्णतर उपयोग के लिए शुरू किए जानेवाले ग्रामीण कार्यक्रमों-द्वारा की जाए।

तीसरी योजना का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, इस योजना के अन्त तक अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था अधिकांश ग्रामों में हो जाए। यह बात ज्ञात है कि इस लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं है और इसके लिए इस कार्यक्रम को पूरा करने में सलग्न सभी सस्थाओं को सघन प्रयत्न करना होगा तथा उनके बीच प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना होगा। ग्रामीण जल-आपूर्ति की समस्या का सर्वेक्षण कई राज्यों में किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अवस्थाओं का उचित ध्यान रखते हुए, ग्राम जल-आपूर्ति के कार्यक्रम के लिए जो साधन रखे गए हैं, उनका इस्तेमाल (क) पिछड़े हुए इलाकों में, (ख) सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत न आनेवाले क्षेत्रों में, (ग) पूर्व-विस्तार-खण्डों में, और (घ) उन खण्डों में करने का इरादा है, जो सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के पहले और दूसरे सोपान को पार कर चुके हैं।

37 तीसरी योजना में द्रुत गति से बढ़नेवाली शहरी आवादी के लिए भी पर्याप्त जल-आपूर्ति का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी योजना में अनुमानत 112 करोड़ रु० की लागत की लगभग 664 जल-आपूर्ति एवं जल-निकासी से सम्बन्धित योजनाओं को हाथ में लिया गया था। इनमें से जो योजनाएँ अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, वे पूरी की जाएगी और आगामी पाच वर्षों में कुछ नई शहरी योजनाएँ शुरू की जाएगी।

38 आवास : आवादी के बढ़ने और शहरों की ओर लोगों का झुकाव होने के कारण आवास की समस्या पहले से ही बड़ी गम्भीर है तथा भविष्य में इसके और भी गम्भीर होने की आशंका है। स्पष्टतः इस समस्या का हल केवल सरकारी पूँजी-विनियोग से सम्भव नहीं है, यद्यपि कुछ सीमा तक सरकारी पूँजी-विनियोग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तीसरी योजना में उन उपायों का काफी विस्तार किया जाएगा, जिन्हें पहली दोनो योजनाओं के काल में अपनाया गया था। इसके साथ ही, यह योजना सरकार-द्वारा इस मद में किए गए पूँजी-विनियोग की उद्योगों के लिए स्थान चुनने और उन्हें फैला कर कायम करने के बारे में उचित नीतियों का अवलम्बन करके, महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों की 'मास्टर योजना' तैयार करके और सरकारी तथा निजी, दोनो प्रकार के विभिन्न सस्थानों-द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय करके अनुपूर्ति करेगी। इसमें यह प्रस्ताव भी शामिल है कि केन्द्र में और राज्यों में आवास-मण्डल कायम किए जाए, ताकि कम और मध्यम आय के अधिकांश लोग स्वयं अपने मकान बनवाने में समर्थ हो सकें। औद्योगिक श्रमिकों और कम आयवालों के आवास, गन्दी धस्तियों की सफाई और उनका सुधार तथा भूमि प्राप्त करके उसका विकास करने के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी जाएगी। कई शहरों में नगर-आयोजन और नगर-विकास के तरीकों को हाथ में लिया जाएगा। कलकत्ता की कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनके कारण देश के पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष समस्या उत्पन्न हो गई है, केन्द्रीय योजना में तो 10 करोड़ रु० की व्यवस्था की ही गई

है, पश्चिम-बंगाल की योजना में भी 10 करोड़ रु० रखे गए हैं। दूसरी योजना में ग्रामीण आवास का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका सम्बन्ध नामुदायिक विकास-कार्यक्रम के माथ और भी गहरा कर दिया जाएगा और ईंटों के भट्टे लगाने, इमारती सामान बनाने, नए मकान बनाने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करने और खेतों पर अधिकारी की आवास-अवस्थाओं में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

39 सामाजिक कल्याण : सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विविध कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उनमें सबसे ऊँची प्राथमिकता शिशु-कल्याण-सेवाओं को दी गई है। यह निश्चय किया गया है कि समस्त कल्याण-कार्यक्रमों का स्पष्ट झुकाव शिशु-कल्याण की ओर होना चाहिए। इन कार्यक्रमों की एक विंगिट बात यह है कि रोगों का इलाज करने की अपेक्षा उनके निरोध पर अधिक बल देने का प्रस्ताव रखा गया है और तदनुसार न केवल अपंग बच्चों के मामले में ही, बल्कि सभी बच्चों के लिए शिशु-स्वास्थ्य-सेवा का संगठन किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर, विखरी हुई सेवाओं को संगठित किया जाएगा। बच्चों में अपराध-वृत्तियों को रोकने के लिए राज्य-सरकारों को सत्यापन स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। बच्चों का शिक्षावृत्ति के लिए उपयोग करने के रिवाज का कठोरता से मुकाबला किया जाएगा। शिक्षावृत्ति रोकने के कार्यक्रम में सबसे अधिक जोर बच्चों-द्वारा भीख भगवाना रोकने पर दिया जाएगा। आरम्भ में यह कार्यक्रम बड़े शहरो, तीर्थस्थानों और पर्यटन-केन्द्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। महिलाओं के लाभ के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में महिला-मण्डलों (स्थानीय स्वैच्छिक महिला-संस्थाओं) को पुष्ट करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पिछड़े हुए वर्गों के लिए दूसरी योजना में जो उपाय हाथ में लिए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग 300 विशेष विकास-खण्ड परिगणित जातियों के लिए बनाए जाएंगे और वन-सहकारिता-संस्थाओं के कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर, विशेषतः उन्हें आवास देने के लिए दण्डकारण्य के विकास पर, पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा।

40 वैज्ञानिक अनुसन्धान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण, इत्यादि कार्यक्रमों के लिए सामान्य शीर्षक 'सामाजिक सेवाएँ और विविध' के अन्तर्गत कुल 1,526 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। इसके मुकाबले में, अग्नी विस्तीय व्यवस्था केवल 1,300 करोड़ रु० की हो सकती है। योजना को कार्यान्वित करते समय इस कमी को पूरा करने की हर कोशिश की जाएगी।

रोजगार

41 तीमरी योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनमें 140 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की आशा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि आवादी में तीव्र वृद्धि होने के कारण तीमरी योजना के अन्तर्गत श्रमिक-वर्गों में नए-नए प्रवेश करनेवालों की संख्या 170 लाख तक होगी, यह बात न्याय जरूरी है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। यह काम कुछ अम तरु, ग्राम और लघु उद्योगों तथा कृषि के विस्तार से पूरा हो सकेगा। इनके अतिरिक्त, प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विशेष राज्य-योजनाएँ मंगटिन की जाएं। अपने वर्तमान प्राथमिक स्वरूप के अनुसार यह कार्यक्रम तीमरी योजना के पहले वर्ष में अतीतन एक लाख लोगों को एक वर्ष में 100 दिन का काम देने के लिए आगे चलकर, योजना के अन्तिम वर्ष में, इन कार्यक्रम

से 25 लाख लोगो को काम मिल सकेगा। पांच वर्ष की अवधि में इस कार्यक्रम पर कुल खर्च करीब 150 करोड़ रु० का बैठेगा।

42 योजना के विभिन्न कार्यक्रमो में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सस्थाओ के जरिए विशेष प्रयत्न किया जाएगा। इन सस्थाओ को इस बात के लिए उत्साहित करना होगा कि वे केवल सामाजिक कल्याण पर जोर देने के स्थान पर निर्माण-कार्य-जैसी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियो पर जोर दे। लोककार्य-क्षेत्र-कार्यक्रम के जरिए इन सस्थाओ को इस बात के लिए सुविधाए दी जाएगी कि वे ग्रामीण क्षेत्रो में कल्याणमूलक और उत्पादनमूलक, दोनो प्रकार के कार्यक्रमो में प्रभावशाली ढंग से हिस्सा ले सकें।

43 देश की आवश्यकताओ को दृष्टि में रखते हुए, तीसरी योजना में शामिल किए गए लक्ष्य किसी भी प्रकार ऊंचे नहीं हैं, बल्कि निश्चित रूप से अपर्याप्त हैं। इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उपलब्ध साधनो का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करके, अतिरिक्त साधनो की खोज करके और कार्यकुशलता बढ़ा कर इन लक्ष्यो को प्राप्त किया जाए। तीसरी योजना को कार्यान्वित करते समय केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी और इस क्रम में परियोजनाओ के विशुद्ध सन्तुलन और सोपानीकरण तथा खर्च पर पूरा-पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। यह सम्भव है कि पूरे प्रयत्न के बावजूद कुछ परियोजनाए चौथी योजना में चली जाए, पर इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसी परियोजनाए, जो राष्ट्रीय आय के निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक हैं और अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रो के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें सुदृढ़ करने से अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और आत्मचालित होगी, उन्हें अवश्य ही समय पर पूरा कर दिया जाए।

राष्ट्रीय आय

44 यह अनुमान लगाया गया है कि योजना में शामिल किए गए सभी कार्यक्रम यदि समय पर पूरे हो जाए, तो राष्ट्रीय आय में (सन् 1960-61 की कीमतों के आधार पर) करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो का विशुद्ध उत्पादन करीब 25 प्रतिशत बढ़ जाएगा, खानो और कारखानो का उत्पादन करीब 82 प्रतिशत बढ़ेगा और अन्य क्षेत्रो का उत्पादन करीब 32 प्रतिशत बढ़ेगा। कृषि, खानो और कारखानो-सम्बन्धी ये अनुमान अधिकतर योजना में मिश्रित उत्पादन के लक्ष्यो पर आधारित हैं। परन्तु अन्य क्षेत्रो के मामले में अप्रत्यक्ष अनुमान लगा सकना ही सम्भव है और कई मामलो में मूलभूत तथ्य सर्वथा अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय आय में अनुमानित 34 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कई कठोर शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त का सम्बन्ध इस अवधि में किए जानेवाले कुल पूँजी-विनियोग से है। जैसा कि इस अध्याय के अनुबन्ध 2 में मकते किया गया है, तीसरी योजना में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं—विशेषत उद्योग और परिवहन के अन्तर्गत—उनके लिए योजना में अभी जितने वित्त और साधनो की व्यवस्था की गई है, उनमें कहीं अधिक पूँजी-विनियोग की जरूरत पड़ेगी। साधनो के सग्रह में ज्यादा प्रयत्न करने में, जैसा कि निश्चित किया गया है, यह आशा की जाती है कि यह अभाव की खाई कम हो जाएगी और सम्भव है कि पूरी तरह पट भी जाए। फिर भी, मौजूदा अनुमान पर और पहले कहीं गई बातों

को दृष्टि में रखते हुए, यह समझा जाता है कि तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय कम-से-कम 30 प्रतिशत बढ़ेगी। यह राशि जो दूसरी योजना के अन्त में (सन् 1960-61 की कीमतों के आधार पर) 14,500 करोड़ रु० थी, तीसरी योजना के अन्त तक करीब 19,000 करोड़ रु० हो जाएगी। आवादी के वर्तमान अनुमानों के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय सन् 1960-61 के 330 रु० से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त में करीब 385 रु० हो जाएगी।

अनुसूच्य 1
उत्पादन और विकास—प्रगति और लक्ष्य

सौरज	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1960-61	1960-61	1960-61
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	रुपि और अनुसूचित विभाग							
1.1	अतिरिक्त गांव							
	गांव टन	522(रु)	658 (रु)	760	1,000	16	32	
	गांव गांठे	29	10	51	70	76	37	
	गांव टन	56	60	80	100	43	25	
	गांव टन	51	56	71	98	39	38	
	गांव गांठे	33	12	10	62(रु)	21	55	

(रु) उत्पादन के अनुमानों में वर्ष 1956-57 तक एकत्र गांव गांठे और गांठे एकत्र करने की विधि में परिवर्तन के अनुसार सशोधन कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त योजना में वर्ष 1956-57 तक एकत्र गांव गांठे और गांठे एकत्र करने की विधि में परिवर्तन के अनुसार सशोधन कर दिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	गारा पीट	6,130	6,780	7,250	9,000	18	21
2	गारा पीट	257	298	300	325	17	8
3	गारा पीट	7	10	14	18	100	29
4	गारा पीट	171	193	220	253	29	15
5	गारा पीट	600	650	720	900	20	25
6	गारा पीट	515	502	700	900	36	29
7	गारा पीट	—	27	12	36	—	200
8	गारा पीट	—	7	20	110	—	450
9	गारा पीट	55	105	230	1,000	318	335
10	गारा पीट	7	13	70	400	900	471
11	गारा पीट	—	—	4,000	4,800	—	20
12	गारा पीट	—	1,069	3,110	5,223	—	68
13	गारा पीट	—	106	368	550	—	49
14	गारा पीट	—	690	2,040	3,590	—	76
15	गारा पीट	105	160	210	230	100	10

तीसरी पंक्तियों की योजना

दिए गए श्रल्प और मध्यमकालीन

श्रृण

2. विजली

2 1 विजली

स्थापित क्षमता,

उत्पादित विजली

2 2 विजलीवाले गाव और कस्बे

3. खनिज पदार्थ

खनिज लोहा

कोयला

4. बड़े उद्योग

4 1 धातु-शोधन-उद्योग

इस्पात की मिलिया

तैयार इस्पात

कच्चा लोहा (बिक्री के लिए)

मिश्र धातु, औजार और विशेष

इस्पात (तैयार)

(ग) पांच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध

(घ) काल्पनिक-वर्ष से सम्बद्ध

करोड़ रु०	22 9	49.6	200	530	773	165
लाख किलो-वाट	23 (घ)	34 (घ)	57	127	148	123
करोड़ किलो-वाट घंटे	657.5 (घ)	1,077.7 (घ)	1,985	4,500	202	127
हजार (संख्या)	3 7	7 4	23	43	523	87
लाख टन	32	43	107	300	234	180
लाख टन	323	384	546	970	69	76
लाख टन	14	17	35	92	150	163
लाख टन	10	13	22	68	120	209
लाख टन	3 5	3 8	9	15	157	67
हजार टन	—	—	40	200	—	400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
६. सुशोभित	रुज्जार ह्य	7.7	7.3	18.5	80	100	3.32
कम (यदिग भाषिय मोर रिगिरी म पुसुप)	रुज्जार ह्य	6.0	7.5	8.9	20	35	1.25
७. संशुद्धि मोर संशुद्धि मोर रिगिरी रुज्जार	मूल्य लाग रु० मे	—	34 (घ)	60	450	—	0.50
मोरी रि मरी	मूल्य लाग रु० मे	—	19	330	1,000	—	203
मोरी रि मरी	मूल्य लाग रु० मे	—	—	40	2,500	—	6,150
मोरी रि मोर (रुज्जार)	मूल्य लाग रु० मे	31	78	550	3,000	1,518	4.45
मोरी रि मोर रिगिरी	लाग (रुज्जार)	1	9	29	140 (घ)	2,800	383
मोरी रि मरी (रिगिरी)	रुज्जार (रुज्जार)	5.5	10	40	66	627	65
मोरी रि मरी	रुज्जार	—	—	2,000	10,000	—	400
मोरी रि मोर (200 रुज्जार-रिगिरी मोरी रि मरी)	रुज्जार मूल्य- रिगिरी	100	272	700	2,500 (घ)	600	257

विजली के ट्रांसफार्मर (33 किलोवाट और नीचे)	179	625	1,200	3,500	570	192
विजली के तार (ए० सी० एस० धार०) कठकटर	1.7	9.7	22	44	1,194	100
4.3 रेलवे-इंजिन वाष्पचालित	7	179	295	1,175 (ग)	3,214	—
टीअसचालित	—	—	—	434 (ग)	—	—
विजलीचालित	—	—	—	232 (ग)	—	—
4.4 रबर-उत्पादन मोटरगाडियों के टायर	—	9	13.5	30	—	122
वाइसिकलो के टायर	—	58	110	310	—	182

- (ग) पाच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध
 (घ) फेलेडर-वर्ष से सम्बद्ध
 (ङ) तीन पालियो में पूरा काम करने से सम्बद्ध
 (च) 300 अवध-शक्ति और नीचे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सूचना							
समाप्त	हजार टन	9	79	110	800	1,122	627
	गणना						
प्राप्त	हजार टन	9	12	55	400	511	627
	पी. पी. डी.						
समाप्त	हजार टन	99	164	363	1,500	267	313
समाप्त	हजार टन	45	81	145	450	222	210
समाप्त	हजार टन	11	35	100	340	809	240
समाप्त	टन	—	83 (घ)	150	1,000	—	567
समाप्त	टन	—	284	2,800	2,800	—	—
समाप्त	लाय पाउंड	—	40	115	180	—	57
16 फरवरी 1956							
निर्माण क्षेत्र	हजार (सख्या)	33	111	297	700	800	136
निर्माण क्षेत्र	हजार (सख्या)	101	513	1,050	2,000	940	90
निर्माण क्षेत्र	हजार (सख्या)	—	1.5	18	50	—	178
निर्माण क्षेत्र	हजार (सख्या)	16.5	25.3	53.5	100	224	67

जहाजनिर्माण	—	50 (ग)	20	50-60	—	150-200
हजार और रजिस्टर्ड टन	—	—	—	—	—	—
सूती वस्त्र (मिल के बने)	372	510 2	512 7	580	38	13
रेयन फिलामेंट	4	160	470	1,400	11,650	198
चीनी (छ)	11 2	18 6	30	35	168	17
हस्पताल का इमारती सामान	—	90	150	1,000	—	567
सीमेंट	27	46	85	130	215	53
पेट्रोलियम के उत्पादन	—	36	57	99	—	74
कागज और गत्ता	114	187	350	700	207	100
प्लास्टिक	—	0 7	10	74	—	640
शीशा और शीशे का सामान	92	125	225	440	145	96
औद्योगिक गैसे-आक्सीजन	—	—	7,000	16,500	—	136
एफ० टी०	—	—	—	—	—	—
5 शान और लघु उद्योग	—	—	—	—	—	—
खादी परम्परागत,	73	289	480	35,000	558	—
शस्त्र	—	—	260	—	—	49
हथकरा	7,420	14,710	19,000	—	1,560	—
विजली का करवा	1,480 (घ)	2,730 (घ)	3,750	—	1,530	—
रेयाम	25 (ज)	32 (घ)	36 (घ)	50	44	43

- (ग) पाच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध
- (घ) कॅलेबर-वर्ष से सम्बद्ध
- (छ) फसल-वर्ष, नवम्बर-अक्टूबर, से सम्बद्ध
- (ज) कॅलेबर-वर्ष 1951 से सम्बद्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
परिवहृत शीर संचार-साधन							
3 1 परिवहृत-संचार							
रेलवे माल डीया गया	लाख टन	91.5	1,140	1,540	2,450	68	59
पक्की सड़कें राष्ट्रीय राजपथ-सहित	हजार मील	97.5	122	144	169	48	17
सड़क-परिवहन : चालू व्यावसायिक गाड़ियां	हजार (संख्या)	116	166	210	365	81	74
जहाजराणी	लाख शीत रजिस्टर्ड टन	3.9	4.8	9	10.9	130	21
प्रमुख बन्दरगाह : माल चढाते-उतारते की क्षमता	लाख टन	200	250	370	490	85	32
6 2 संचार-साधन							
डालफर	हजार (संख्या)	36	55	77	94	114	22
तारपर	हजार (संख्या)	3.6	5.1	6.5	8.5	81	31
टेलीफोन	हजार (संख्या)	168	280	460	660	174	43
7. शिक्षा							
7.1 सामान्य शिक्षा विद्यालयों में छात्र	लाख (संख्या)	235	313	435	639	85	47

विद्यालय जामेवाले छात्रों का प्रतिशत .

विभिन्न वय-वर्गों में

प्राथमिक-स्तर	6-11 वर्ष	42.6	52.9	61.1	76.4	79 (अ)	45(अ)
माध्यमिक-स्तर	11-14 वर्ष	12.7	16.5	22.8	28.6	102 (अ)	55(अ)
उच्चतर माध्यमिक-स्तर	14-17 वर्ष	5.3	7.8	11.5	15.6	139 (अ)	57(अ)
शिक्षण-संस्थाएँ							
प्राथमिक/जूनियर बुनियादी विद्यालय	हजार (संख्या)	209.7	278.4	342	415	63	21
माध्यमिक/सीनियर बुनियादी विद्यालय	हजार (संख्या)	13.6	21.7	39.6	57.7	191	46
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	हजार (संख्या)	7.3	10.8	16.6	21.8	128	31
वहूँदेशीय विद्यालय	हजार (संख्या)	—	0.3	2.1	2.4	—	14
7.2 तकनीकी शिक्षा							
इजीनियरी और टेक्नोलॉजी							
डिप्लोमा-स्तर (प्रवेश)	संख्या	4,120	5,890	13,858	19,137	236	38
डिप्लोमा-स्तर (प्रवेश)	संख्या	5,900	10,480	25,570	37,390	333	64
डिप्लोमा-स्तर (प्रवेश)	संख्या	1,060(ब)	1,989	4,600	6,200	334	35
पशु-चिकित्सा-कॉलेज (प्रवेश)	संख्या	434	1,269	1,300	1,460	200	12

(अ) रजिस्टर में दर्ज संख्याओं के आधार पर

(ब) सन् 1951-52 से सम्बद्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
५१	सम्पन्न						
	सम्पन्न और योगदान	8 6	10	12 6	14 6	47	16
	सम्पन्न--सम्पन्न	113	125	186	240	65	29
	सम्पन्न-सम्पन्न	—	725	2,800	5,000	—	79
	सम्पन्न-सम्पन्न	—	147	1,649	8,200	—	397
५२	सम्पन्न						
	सम्पन्न (सम्पन्न)	2,500	3,500	5,800	8,000	132	38
	सम्पन्न (सम्पन्न)	56	65	70	81	25	16
	सम्पन्न (सम्पन्न)	15	18 5	27	45	80	67
	सम्पन्न (सम्पन्न) और सम्पन्न-सम्पन्न	8	12 8	19 9	48 5	149	144
	सम्पन्न (सम्पन्न)	1.8	6.4	11 5	40	539	248
	सम्पन्न-सम्पन्न और सम्पन्न-सम्पन्न	3 5	4	6	19 2	71	220

(८) प्रतिशत करते हुए सम्पन्न लेखा करते हुए

अनुबन्ध 2

दूसरी योजना का व्यय और तीसरी योजना के शैतिक कार्यक्रमों की लागत—शीर्षकवार अनुमान

(लाख रु०)

विकास का शीर्षक	दूसरी योजना का अनुमानित व्यय				तीसरी योजना के कार्यक्रमों की अनुमानित लागत						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		राज्य	सघीय क्षेत्र	राज्य और सघीय क्षेत्र	केन्द्र	योग	राज्य	सघीय क्षेत्र	राज्य और सघीय क्षेत्र	केन्द्र	योग
कृषि-उत्पादन	8,367	268	8,635	1,075	9,810	18,351	598	18,949	3,658	22,607	
छोटी मिल्नाई	9,166	-98	9,264	230	9,494	17,269	177	17,446	230	17,676	
भूमि-उत्पन्न	1,553	8	1,561	200	1,761	5,732	246	5,978	1,295	7,273	
पशुपालन	1,869	73	1,942	200	2,142	4,592	172	4,764	680	5,444	
इलेक्ट्रिसिटी और दूर-संचालन	958	3	961	244	1,205	3,086	24	3,110	498	3,608	
उद्योग	1,656	122	1,778	150	1,928	4,204	268	4,472	667	5,139	
मत्स्यपालन	710	26	736	170	906	2,090	102	2,192	672	2,864	
शासन, व्यवस्थापक और सामाज्य	310	18	328	170	498	843	10	853	3,300	4,153	
(1) कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	24,589	616	25,205	2,439	27,644	56,167	1,597	57,764	11,000	68,764	
मत्स्यपालन	3,278	55	3,333	50	3,383	6,959	151	7,110	900	8,010	
शासनिक विभाग	18,711	463	19,207	200	19,407	28,189	578	28,767	600	29,367	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
गावांची	460	30	190	1,976 (क)	2,466	2,824	56	2,880	—	2,880
(-) सामुदायिक विकास प्रोग्राम	22,182	548	23,030	2,226	25,256	37,972	785	38,757	1,500	40,257
सहकारिता	34,479	21	34,500	2,717	37,217	58,121	10	58,131	1,803	59,934
मि. मॅ. (ख)	(ख)	(ख)	(ख)	4,800	4,800	5,995	137	6,132	—	6,132
वा.प.मि.ग.ग.प.	11,882	914	42,796	1,753	44,549	88,315	2,345	90,660	11,312	1,01,972
विजली										(ग)
(1) सिंचाई प्रोग्राम	76,361	935	77,296	9,270	86,566	1,52,431	2,492	1,54,923	13,115	1,68,038
उद्योग प्रोग्राम	2,859	2	2,861	87,128	89,989	7,958	32	7,990	1,80,240	1,88,230
ग्राम प्रोग्राम	6,949	294	7,243	10,323	17,566	13,703	425	14,128	12,300	26,428
(1) उद्योग प्रोग्राम	9,808	296	10,104	97,451	1,07,555	21,661	457	22,118	1,92,540	2,14,658
रेलवे	—	—	—	86,011	86,011	—	—	—	94,000	94,000
सडके	14,326	1,598	15,924	6,440	22,364	21,830	2,575	24,405	8,000	32,405
सुडन-परिवहन	1,502	91	1,593	225	1,818	2,044	559	2,603	—	2,603
पर्यटन	144	13	157	60	217	394	22	416	350	766
बन्दरगाह	314	45	359	2,980	3,339	490	18	508	12,500	13,008

जहलजगनी	—	—	5,268	—	263(घ)	263	5,500	5,763
डक और तार	—	—	5,059	—	—	—	7,900	7,900
ग्रामीण विमाल-सेवा	—	—	4,900	—	—	—	5,500	5,500
प्रसारण	—	—	468	—	—	—	1,100	1,100
ग्रन्थ परिवहन	52	99	53	204	273	25	1,200	1,498
ग्रन्थ संचार-साधन	—	—	327	—	—	—	930	930
(5) परिवहन और संचार-साधन	16,338	1,846	18,184	1,11,791	1,29,975	25,031	3,462	28,493
सामान्य शिक्षा और								
सांस्कृतिक कार्यक्रम	16,011	721	16,732	4,072	20,804	31,906	2,104	34,010
तकनीकी शिक्षा	2,141	31	2,172	2,600	4,772	6,986	173	7,159
बैंगनिक और टेक्नोलॉजी-								
विषयक अनुसंधान	—	—	—	—	—	—	—	7,000
स्नाय्य	13,021	566	13,587	8,047	21,634	27,114	2,566	29,680
खावास	6,411	266	6,677	1,356	8,033	9,620	2,076	11,696
पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,080	214	5,294	2,647	7,941	7,498	389	7,887

(क) स्थानीय विकास-कार्यों का खर्च शामिल है।

(ख) तृतीय योजना में वाड-नियंत्रण का व्यय केन्द्र के अन्तर्गत विखाया गया है।

(ग) दृग्गर्भ बमोहर घाटी-विभाग के विजली-कार्यक्रम और बण्डोल तापीय केन्द्र की आंशिक व्यवस्था शामिल है।

(घ) अनुमान और निजी-उद्योग-समूह के लिए

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
127	10	307	1,191	1,518	1,018	131	1,162	1,600	2,762
1 759	12	781	1,200	1,981	2,519	189	2,708	1,100	7,108
—	—	—	6,311	6,311	—	—	—	1,000	1,000
—	—	—	—	—	31 (7)	—	34	5,000	5,031
17,760	1,920	15,580	27,111	73,021	86,725	7,611	91,136	17,300	1,11,636
107	7	110			322	27	319	500	849
276	21	297			562	58	620	600	1,220
115	11	159	5,086 (7)	9,980	310	65	375	—	375
3,106	—	3,196			2,175	—	2,475	—	2,175
507	25	532			1,075	933	2,008	4,100	6,108

(7) निधि	4,787	97	4,884	5,086(ब)	9,980	4,744	1,083	5,827	5,208	11,027
संबंध	1,98,135	6,158	2,04,293	2,55,707	4,80,000	3,84,731	17,487	4,02,218	4,07,635	8,09,853
						(ख)				(ज)

- (2) इस राशि के प्रतिरक्त तीसरी योजना की उच्चतम स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में आवश्यक फेर-बदल करके 'जन-सहयोग' के लिए व्यय की व्यवस्था करनी होगी : आन्ध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में 6-6 लाख रुपये, मैसूर में 5 लाख २० और असम में 1 लाख २०।
- (3) परमाणु-शक्ति-विभाग, विद्युत-मन्त्रालय की योजनाओं और निर्माण, आवास तथा सम्भरण-मन्त्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत निवासजन्य एवं गार्डियन-भवनो के निर्माण पर होनेवाला अनुमानित व्यय भी इसमें शामिल है।
- (4) पश्चिम-बंगाल के खर्च के बंटवारे में इन बातों के अन्तर्गत फेर-बदल सम्भव है : (क) दामोदर-घाटी-निगम में पश्चिम-बंगाल का हिस्सा, और
- (ग) यूपीएम 43 करोड़ २० मूल्य के अनुमानित साधनों में वृद्धि; राज्य-सरकार इन साधनों को 90 करोड़ २० से भी ऊपर ले जाने की शक्ति रखती है, जैसा कि अध्याय 6 में 'योजना के लिए वित्तीय साधन' में दिखाया गया है।
- (5) इन्वेंट्रियों के लिए रली गई 200 करोड़ २० की रकम इसमें शामिल नहीं है।

अनुबन्ध 3

राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में व्यय-व्यवस्था

(करोड़ रु० में)

	पहली योजना (वास्तविक)	दूसरी योजना (अनुमानित)	तीसरी योजना (क्षर्च का कार्यक्रम)
राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र			

अनुबन्ध 3—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
अटमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह	2	3	9 8
दिल्ली	10	14	81 8
हिमाचल प्रदेश	8	16	27 9
मणिपुर	2	6	12 9
नागा पहाडिया और त्वेनसाग-क्षेत्र	—	4	7 1
त्रिपुरा	3	9	16 3
लक्षदीव, अमीनदीव और मिनिकाय-द्वीप-समूह	—	0 4	1
उत्तर-पूर्व सीमा एजेन्सी	4	5 6	7 1
पांडिचेरी	1	4	6 9
योग—केंद्रशासित क्षेत्र	30	62	174 8 (घ)
योग—समस्त भारत	1,457	2,043	4,022 1

(घ) इसमें 4 करोड़ २० ली वह राशि शामिल है, जिसका बटवारा नहीं किया गया है।

योजना के लिए वित्तीय साधन

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत जो विकास-कार्यक्रम रखे गए हैं, उन पर 8,000 करोड़ रु० से कुछ अधिक खर्च बैठने का अनुमान है। ये कार्यक्रम एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और इनके पूर्णतः तथा व्यवस्थित रूप में कार्यान्वयन की हर कोशिश की जानी चाहिए। फिर भी कुछ अनिश्चितताओं के लिए जगह रखनी ही पड़ेगी। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर किया जानेवाला वास्तविक खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आवश्यक विदेशी मुद्रा कहा तक मिलती है और आवश्यक पूंजीगत सामान तथा उपकरणों का कब तक आयात हो सकता है एवं उन्हें लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का सम्बन्ध कुछ अन्य पूरक परियोजनाओं की प्रगति से भी सम्बद्ध है। पूंजी-विनियोग-कार्यक्रम के किसी एक भग में भी पिछड़ने का अन्य भगों की प्रगति पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी योजना में यह निश्चय किया गया है कि स्वदेशी साधनों का सग्रह करने और स्वीकृत कार्यक्रमों को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिकाधिक प्रयत्न किया जाएगा। फिर भी, खर्च के लिए धन की कुछ कमी अपरिहार्य हो सकती है और स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों में सम्बद्ध व्यय का कुछ अंश चौथी योजना में चला जा सकता है। जहाँ तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, यह माना गया है कि योजनाकाल में इस प्रकार की सहायता के क्षेत्र में वास्तविक अदायगी की कुल रकम 2,100 करोड़ रु० तक (भुगतान की देनदारियाँ पूरी करने के लिए प्राप्त सहायता के अतिरिक्त) सीमित रहेगी, यद्यपि वर्तमान अनुमान के आधार पर आवश्यकताएँ कहीं अधिक हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना में 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय की व्यवस्था की गई है—6,300 करोड़ रु० पूंजी-विनियोगमूलक व्यय के रूप में और 1,200 करोड़ रु० नानाजिक सेवाओं और अन्य विकासमूलक अनावर्तक कार्यों पर चालू व्यय के रूप में। ऐसा अनुभव किया जाता है कि यदि उत्पादन और वचत की भांश में वृद्धि हो, तो अभी जिन वित्तीय व्यवस्थाओं की बान लीची गई है, उनमें सुधार हो सकता है। अतः अभी नाधनों के जित स्तर की कल्पना की गई है, उन्ने और आगे बढ़ कर स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करना हमारा ध्येय होना चाहिए।

2. सरकारी क्षेत्र में 6,300 करोड़ रु० के पूंजी-विनियोगमूलक व्यय की जो व्यवस्था की गई है, उनमें से करीब 200 करोड़ रु० कृषि, उद्योग, आवास, इत्यादि क्षेत्रों में कुछ प्रमुख पूंजी-विनियोगों की सहायता के लिए निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित किए जाएंगे। तीसरी योजना में निजी पूंजी-विनियोगों का अनुमान 4,300 करोड़ रु० का है; निजी क्षेत्र को करीब 4,100 करोड़ रु० के साधनों की व्यवस्था करनी होगी।

3 इन प्रकार, तीसरी योजना का कुल पूंजी-विनियोगमूलक कार्यक्रम 10,400 करोड़ रु० का है—6,100 करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में और 4,300 करोड़ रु० निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र की कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रु० की व्यवस्था करनी है, क्योंकि

ऊपर कही गई 200 करोड़ रु० की रकम और चालू व्यय के लिए 1,200 करोड़ रु० का भार भी उस पर है।

4 पाच वर्ष की अवधि में 10,400 करोड़ रु० से अधिक के पूजी-विनियोग का मतलब यह है कि अभी राष्ट्रीय आय के करीब 11 प्रतिशत का जो पूजी-विनियोग होता है, उसे बढ़ा कर लगभग 14 प्रतिशत किया जाए। इस पूजी-विनियोग के एक अंश की पूर्ति विदेशी सहायता से होगी। स्वदेशी बचत की दर को राष्ट्रीय आय के करीब 8.5 प्रतिशत से बढ़ा कर तीसरी योजना के अन्त तक करीब 11.5 प्रतिशत करना होगा। यह स्पष्ट है कि योजना में दर्शाए गए स्तर के अनुसार कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकतम प्रयत्न करना होगा और स्थिरतापूर्वक ऐसी आर्थिक नीतियों का अनुसरण करना होगा, जिनसे पूजी-विनियोग की जरूरतों के कारण मर्यादित सीमाओं के भीतर उपभोग का स्तर बना रहे। उत्पादन बढ़ाने और आगे विस्तार की शक्ति को दृढ़ करने की दिशा में पिछले दशक में जो प्रगति की गई है, उसे दृष्टि में रखते हुए, पूजी-विनियोग और बचत के लक्ष्य तथा योजना के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, बशर्ते कि सभ्रह और उनका उपयोग कुशलतापूर्वक हो तथा विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती जाए।

5 पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था में पूजी-विनियोग की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहली योजना के प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग करीब 200 करोड़ रु० का किया गया था। पहली योजना के अन्त तक यह राशि लगभग 450 करोड़ रु० पर पहुँच गई। दूसरी योजना के पहले ही साल, सन् 1956-57 में, यह मात्रा 500 करोड़ रु० तक पहुँच गई और दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में करीब 800 करोड़ रु० का पूजी-विनियोग हुआ। इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग में पिछले 10 वर्षों में वित्तीय दृष्टि से लगभग चार-गुनी वृद्धि हुई। दूसरी योजना में निजी क्षेत्र में भी पूजी-विनियोग का स्तर ऊँचा रहा। इस पूजी-विनियोग के विस्तृत तथ्य तो अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, पर यह उल्लेखनीय है कि बड़े तथा मध्यम उद्योगों और खनिज क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में औसत रूप से 145 करोड़ रु० का पूजी-विनियोग हुआ, जब कि पहली योजना की अवधि में यह राशि 45 करोड़ रु० ही थी।

6 पहली योजना में पूजी-विनियोग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई—पूजी-विनियोग की मात्रा राष्ट्रीय आय के लगभग 5 प्रतिशत से बढ़ कर 8 प्रतिशत हो गई। कृषि और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय उत्पादन-वृद्धि पहली योजना की अवधि में हुई, उससे स्वदेशी मूल्य-स्तर और भुगतान-सन्तुलन पर बिना कुछ विशेष बोज़ डाले पूजी-विनियोग की दर बढ़ाना सम्भव हो गया। वस्तुतः पहली योजना के लगभग मध्य-काल में कीमतें बड़ी तेजी से गिरी और योजना के अन्त में थोक मूल्यों का सूचकांक पूर्व-कोरिया-स्तर की तुलना में 8 प्रतिशत कम हो गया।

7 दूसरी योजना में पूजी-विनियोग का जो स्तर निश्चित किया गया, वह पहली योजना की तुलना में काफी ऊँचा था। पूजी-विनियोग का स्वरूप भी उल्लेखनीय रूप से भिन्न था। उद्योग, परिवहन और बिजली में सरकारी क्षेत्र-द्वारा कुल 2,650 करोड़ रु० के पूजी-विनियोग की व्यवस्था की गई, जबकि पहली योजना में इन मदों में कुल मिला कर 820 करोड़ रु० की ही व्यवस्था थी। दूसरी योजना में उद्योग, परिवहन और बिजली पर निजी पूजी-विनियोग की राशि 1,025 करोड़ रु० निश्चित की गई, जब कि पहली योजना

में यह राशि केवल 310 करोड़ ६० थी। इन विकासमूलक कार्यों का अर्थव्यवस्था पर ज्यादा भार पडा, खास तौर पर भुगतान-मन्तुलन पर।

साधन : भौतिक और वित्तीय

8 किसी अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में आयोजन की मुख्य समस्या यह होगी है कि विकास की पर्याप्त गति प्राप्त करने के लिए साधनों को एकत्र कैसे किया जाए। यह समस्या आवश्यक भौतिक साधनों और उनकी उपलब्धि के रूप में अथवा योजना में शामिल नरकारी और निजी विभिन्न विकास-कार्यक्रमों की मागत को पूरा करने के लिए वित्तीय साधनों की खोज के रूप में नामने आ सकती है। इन दोनों ही बातों पर यदि विस्तार से विचार करें, तो नतीजा एक ही निकलना चाहिए। भौतिक साधन अतमान हैं और ऐसे विस्तृत भौतिक सन्तुलन तैयार करने का काम, जिन पर व्यवहारत बरोसा किया जा सके, खान तौर पर इस बात को दृष्टि में रखते हुए कठिन है कि पर्याप्त तथ्य उपलब्ध नहीं हैं और अपरिहार्य रूप से अनेक स्थलों पर केवल अनुमान ने काम चलाना पड़ेगा। वित्तीय साधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय भी कुछ सीमाएँ उपस्थित होती हैं। सामान्यतः प्रत्येक परियोजना-अधिकारी आवश्यक वित्तीय साधनों का अनुमान लगाते समय इस धारणा से काम लेता है कि वर्तमान कीमतों पर जितने भी वास्तविक साधन चाहिए, वे प्राप्त हो सकते हैं, वह इस बात का खयाल नहीं करता कि दूसरे परियोजना-अधिकारियों अथवा स्वयं अर्थव्यवस्था की ही कुछ आवश्यकताएँ हो सकती हैं। इसी स्थल पर वित्तीय और भौतिक सम्भावनाओं का सम्मिलित रूप से मूल्यांकन करने की जरूरत सामने आती है। अन्त में यह प्रश्न सामने आता है कि क्या वित्तीय उर्ध्व के बराबर ही भौतिक साधन उपलब्ध हैं? इन बात का ध्यान रखना जरूरी है और योजना में प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन-वृद्धि तथा कुछ प्रकार के साधनों की विदेशी से उपलब्धि का निश्चय करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

9 अधिक विकास की कोई योजना केवल पूरे किए जानेवाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सूची नहीं होती, यह एक ऐसी दस्तावेज होती है, जिनमें समुदाय के लिए उपलब्ध समस्त साधनों का बटवारा, उनके विभिन्न उपयोगों की दृष्टि से किया जाता है। स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की व्यवस्था करनी होगी और इनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अन्वय जो नागों तथा फेर-बदल आवश्यक हो, उन्हें भी दृष्टि में रखना होगा। इन दुरूह परस्पर-सम्बन्धों का हमेशा बहुत पहले ही निश्चय कर सकना सम्भव नहीं है। अत आखिर में पूजी-विनियोग के स्तर और साधन-संग्रह के स्वरूप पर इन निष्कर्षों को दृष्टि में रखते हुए विचार करना होगा कि सामान्य सम्भावनाएँ क्या हैं। इन निष्कर्षों पर समय-समय पर पुनर्विचार करना होगा और योजना में इतनी जगह रखनी होगी कि निर्धारित व्यय में आवश्यकतानुसार हेर-फेर किए जा सकें। परन्तु चूक उद्देश्य स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करना है और चूक इनमें किसी प्रकार की कटौती अथवा मन्द गति भावी विकास की गति को प्रभावित करेगी, इसलिए आवश्यक साधनों के संग्रह पर पूरा ध्यान देना होगा। इन प्रकार साधन-संग्रह की तकनीकों और इनमें से प्रत्येक के सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग ने उपयोग की सम्भावनाओं पर निरन्तर दृष्टि रखनी होगी।

10 साधन-संग्रह के प्रश्न पर चाहे कोई इस बात से विचार आरम्भ करे कि विभिन्न उपायो से कितने साधनो का संग्रह हो सकता है अथवा इस बात से शुरुआत करे कि खर्च की राशि क्या है, ये दोनों ही बातें सिद्धान्त की अपेक्षा प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। परिणामो पर पहुचने का तरीका इन दोनों को ही आकने और दोबारा आकने का है, ताकि आवश्यक प्रयत्नो के सन्तुलित स्तर और एक निश्चित अवधि मे प्राप्त हो सकने-वाले परिणामो का निश्चय किया जा सके। साधन किसी निश्चित कोष के समान नही होते, कि जब जितना चाहा, ले लिया, वे कुछ अश तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि पूजी-विनियोग कितना होता है और योजनाकाल में उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। इसलिए विकास की किसी योजना को उस दृष्टि से स्वीकार करना होगा कि प्रस्तावित पूजी-विनियोग की राशि और स्वरूप क्या वे परिणाम देते हैं, जो कतिपय आर्थिक और सामाजिक मापदंडो से पर्याप्त हो, और क्या योजना-काल में साधनो के विकास की दृष्टि से प्रस्तावित खर्च इस प्रकार पूरे किए जा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर कोई गहरा आघात अथवा दबाव न पड़े। इन बातो के सन्तुलित स्वरूप के आधार पर ही कार्यक्रमो के सोपानीकरण और वित्तीय खर्च के सीमा-निर्धारण के बारे में निश्चय किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के लिए वित्त-व्यवस्था

५11 पिछले लगभग दो वर्षों में तीसरी योजना के लिए साधनो की स्थिति का सविस्तर अध्ययन किया गया है। योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में जो अनुमान पेश किए गए थे, वे केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारो के सन् 1960-61 के वजटो पर आधारित थे। अगस्त-सितम्बर 1960 में राज्य-सरकारो के साथ तीसरी योजना की अवधि में उनके पास उपलब्ध साधनो का निश्चय करने के लिए विचार-विमर्श हुआ। इनमें से कुछ अनुमानो पर राज्यों के साथ उनके योजना-व्यय के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते समय फिर विचार किया गया। इन तथ्यो के आधार पर और केन्द्रीय सरकार के सन् 1960-61 के वजट पर अधिक गौर से विचार करने के बाद, केन्द्रीय सरकार और राज्यों को उपलब्ध हो सकनेवाले वित्तीय साधनो के सशोधित अनुमान राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष जनवरी 1961 में पेश किए गए। इन अनुमानो के प्रकाश में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने यह निश्चय किया कि तीसरी योजना के लिए उपलब्ध साधनो का मूल्य 7,500 करोड़ २० मानना चाहिए, हालाकि स्वीकार किए जा रहे श्रौतिक कार्यक्रमो की लागत इससे कहीं ज्यादा थी। अगले पृष्ठ पर दी गई की तालिका में राष्ट्रीय विकास-परिषद्-द्वारा स्वीकृत साधनो के अनुमान और प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुमान प्रस्तुत हैं।

तालिका-संख्या 1

तीसरी योजना के लिए साधन

(प्रारम्भिक स्वरूपा के अनुमान और राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक जतवरी 1961 में पेश किए गए अनुमान)

(करोड़ ₹०)

शीर्षक	प्रारम्भिक स्वरूपा के अनुमान		राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक जतवरी 1961 में पेश किए गए अनुमान		योग
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	
1 चानू राजस्व से बची राशि, करारपाल की रकम 1960-61 की दरों के अनुसार	385	-35	433	-12	421
2 रेलवे का प्रसादान	150	—	71	—	71
3 ग्रन्थ सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत	300	140	300	149	449
4 जनता से प्राप्त ऋण (विशुद्ध)	520	330	500	350	850
5 छोटी बचतें (विशुद्ध)	190	360	208	377	585
6 प्राविडेंट फंड (विशुद्ध)	170	60	170	79	249
7 इस्पात-समीकरण-कोष (विशुद्ध)	160	—	160	—	160
8 योजना-निम्न व्ययों के बाह्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों का योग	325	-205	441	-233	208
9 1 से 8 तक का योग	2,200	650	2,283	710	2,993
10 अतिरिक्त करारधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	1,100	550	1,100	610	1,710
11 विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई प्राप्तियां	2,200	—	2,200	—	2,200
12 घाटे की प्रत्येकवस्था	550	—	524	26	550
योग	6,050	1,200	6,107	1,346	7,453

12 राष्ट्रीय विकास-परिपद ने यह विचार व्यक्त किया कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए, साधनों के अनुमान में निदिष्ट 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय और स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए 8,000 करोड़ रु० से भी अधिक की आवश्यकता के बीच की खाई को पाटने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए। स्पष्टतः इस समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि कहीं विशाल आवश्यकताओं के मुकाबले में स्वदेशी बचतों को कितना बढ़ाया जा सकता है। परिषद् ने इस दिशा में अधिक सम्भावनाओं का अध्ययन और खोज करने के लिए एक समिति नियुक्त की। पिछले कुछ महीनों में केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के सन् 1961-62 के बजटों का और भी अध्ययन किया गया है और पिछले पृष्ठ की तालिका में दिखाए गए प्रत्येक मद के अन्तर्गत अधिक साधन प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जाच की गई है। इस जाच के प्रकाश में, समिति ने यह अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों-द्वारा प्राप्त किए जा सकनेवाले साधनों की कुल मात्रा के बारे में अधिक आशा-पूर्ण भ्रवसर मौजूद है। ताजे बजट-अनुमानों से पता चलता है कि राजस्व के मामले में पहले की अपेक्षा अधिक आशापूर्ण स्थिति है। परन्तु अभी वह स्थिति नहीं आई है कि भौतिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं और वित्तीय व्यवस्थाओं के बीच की खाई को पाटने के सम्बन्ध में सविस्तर उपाय बताए जा सकें। यह भी जरूरी है कि विदेशी मुद्रा-विपयक साधनों के बारे में जो सीमाएँ हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाए। साधनों का संग्रह करने में प्रति वर्ष जो प्रगति हो, उसके प्रकाश में इस समस्या पर निरन्तर विचार करते रहना पड़ेगा। तदनुसार ही, वित्तीय व्यय की राशि जहाँ 7,500 करोड़ रु० रखी जा रही है, वहीं बचतों का अधिक प्रभावशाली ढंग से संग्रह करके इस अनुमान में सुधार लाने और वर्तमान खाई को पाटने की लगातार कोशिश की जाएगी।

13 सरकारी क्षेत्र की योजना की वित्त-व्यवस्था किस तरह करने का निश्चय किया गया है, यह नीचे की तालिका में प्रस्तुत है। तुलना के लिए, दूसरी योजना के वित्त के प्रत्येक मुख्य स्रोत को भी इसमें दिखाया गया है :

तालिका-संख्या 2

वित्तीय साधन

(दूसरी और तीसरी योजनाओं के अनुमान)

(करोड़ रु०)

शीर्षक	दूसरी योजना		तीसरी योजना
	प्रारम्भिक अनुमान	वर्तमान अनुमान	
1 चालू राजस्व से बचत (अतिरिक्त कराधान को छोड़ कर)	350	-50	550
2 रेलवे का अशदान	150	150 (क)	100

(क) बड़े हुए किराए और भाडे शामिल हैं।

शीर्षक	दूसरी योजना		तीसरी योजना
	प्रारम्भिक अनुमान	वर्तमान अनुमान	
3 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत	(ख)	(ख)	450
4 जनता से ऋण (विशुद्ध)	700	780 (ग)	800
5 छोटी बचतें (विशुद्ध)	500	400	600
6 प्राविडेंट फंड (विशुद्ध)		170	265
7 इस्पात-समीकरण-कोष (विशुद्ध)	250	38	105
8 योजना-मित्र व्ययों के बाद विविध पूंजीगत प्राप्तियों का शेष		22	170
9 1 से 8 तक का योग	1,950	1,510	3,040
10 प्रतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	450 (घ)	1,052	1,710
11 विदेशी सहायता के रूप में वजट में दिखाई गई प्राप्तियां	800	1,090 (ङ)	2,200
12 घाटे की अर्थव्यवस्था	1,200	948	550
योग	4,800	4,600	7,500

14 दूसरी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में कुल वित्तीय व्यय प्रारम्भ में स्वीकार किए गए लक्ष्य से कम, परन्तु संशोधित लक्ष्य से कुछ अधिक हुआ। मुद्रास्फीति के दबाव और भुगतान-सन्तुलन की दिक्कतों के कारण, जो योजना के प्रारम्भिक चरणों में ही पैदा हुईं, यह जरूरी हो गया कि साधनों की स्थिति पर फिर से विचार किया जाए और तब यह निश्चय किया गया कि (क) पांच वर्षों की अवधि में होनेवाले व्यय की राशि को

(ख) तालिका के शीर्षक 1 और 8 में शामिल है।

(ग) पी० एल० 480-कोशों में से लेकर स्टेट बैंक-द्वारा किया गया पूंजी-वित्तियोग शामिल है।

(घ) इसके अलावा, 400 करोड़ रु० की कमी प्रतिरिक्त स्वदेशी प्रयत्नों से पूरी करनी थी।

(ङ) रिजर्व बैंक-द्वारा विशेष सिक्यूरिटियों में सन् 1960-61 में पी० एल० 480-कोशों से लेकर लगाई गई पूंजी शामिल है।

4,500 करोड़ रु० तक या इसके आसपास सीमित किया जाए, और (ख) बड़े पैमाने पर विदेशी नहायता प्राप्त की जाए तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ति पर सारे प्रयत्न केन्द्रित किए जाए। दूसरी योजना में अतिरिक्त कराधान निश्चित लक्ष्य से ऊँची अधिक किया गया। दूसरी ओर, चालू राजस्व से प्राप्त वचत में योजना-निर्माण के समय लगाए गए अनुमानों की तुलना में 400 करोड़ रु० की विगुद्ध कमी हुई। छोटी वचतों के क्षेत्र में भी पाच वर्षों की अवधि में जमा की गई राशि पहले निश्चित की गई राशि की तुलना में लगभग 100 करोड़ रु० कम रही। दूसरी योजना की अवधि में घाटे की अर्थव्यवस्था निश्चित नीमा के अन्दर ही हुई। इम घाटे की अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोषा से लेकर पूरा किया गया। इसके बावजूद कीमतों में जो वृद्धि हुई है उससे पता चलता है कि आनेवाले वर्षों में घाटे की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र सीमित है।

15 दूसरी योजना के अनुभव इस बात पर विशेष रूप से बल देते हैं कि तालिका में दर्शाए गए प्रत्येक स्रोत से प्राप्तव्य असादान के अनुमान में 'चाहे कितनी ही सावधानी बरती जाए, व्यावहारिक रूप में उनसे अलग-अलग प्राप्त होनेवाली राशियां इन अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि अगले पाच वर्षों के लिए समूची वित्तीय योजना की पर्याप्तता पर ध्यान दिया जाए, न कि प्रत्येक स्रोत के अलग-अलग अनुमान पर। उदाहरण के लिए, राजस्व से वचत के अनुमान इस आधार पर लगाए जाने चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के फलस्वरूप करो की वृद्धि से कितना-कुछ प्राप्त होगा। परन्तु अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति में वर्ष-प्रति-वर्ष परिवर्तन आ सकता है और कर की आमदनी इस बात पर निर्भर करेगी कि नई आमदनी का झुकाव किस ओर होता है। इसी प्रकार, खर्च के मामले में, योजना-भिन्न खर्च—विकासमूलक और अर्थविकासमूलक, दोनों—की प्रवृत्तियों का अनुमान मोटे तौर पर विशालता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। अनुमान करते समय थोड़ा-सा भी अन्तर आ जाने से इस मद के अन्तर्गत कुल राशि में काफी बड़ा अन्तर आ सकता है, क्योंकि न केवल केन्द्रीय वजट के, बल्कि 15 राज्यों के वजटों के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं। फिर रेलवे-भिन्न सरकारी उद्योग-व्यवसायों की वचत के आकड़े झूठे हैं। कुछ परियोजनाएँ अभी उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में हैं और कुछ योजनाकाल के उत्तरार्द्ध में उत्पादन आरम्भ करेगी। इन सब परियोजनाओं की इकाईवार लागत के अनुमान पूर्णतः सूक्ष्म किस्म के नहीं हैं—ये अनुमान मोटे तौर पर लगाए गए हैं, वर्तमान स्थिति में वचत के जो अनुमान लगे गए हैं, वे केवल मोटे तौर पर ही कुछ संकेत दे सकते हैं। साधन जुटाने के विभिन्न तरीके कुछ स्तरों पर, एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं और यह सम्भव है कि जब एक स्थिति में कराधान-द्वारा अधिक प्राप्त किया जा सकता है, वही दूसरी स्थिति में बाजार से कर्ज लेना अधिक सुफलदायक सिद्ध हो। विदेशी नहायता की समय पर उपलब्ध भी स्वदेशी वचत और पूँजी-विनियोग के प्रयत्नों पर प्रभाव डालती है। आगे के पैराग्राफों में तीसरी योजना के अनुमानों की शीर्षकवार व्याख्या की गई है।

16 राजस्व से वचत : तीसरी योजना में केन्द्रीय और राज्य-सरकारों की कुल राजस्वगत आय का अनुमान 9,250 करोड़ रु० है, जब कि सन् 1960-61 में अनुमानित आय (संशोधित अनुमान) 1,600 करोड़ रु० थी। विकासमूलक और अर्थविकासमूलक कुल खर्च, जिसमें दूसरी योजना की अवधि में पूरी की गई योजनाओं के साज-सामान पर

होनेवाला खर्च भी शामिल है, लगभग 8,700 करोड़ रु० तक बैठने का अनुमान है। इस प्रकार, योजना के खर्च को पूरा करने के लिए उपलब्ध बचत की राशि सम्पूर्ण योजनाकाल में, वर्तमान अनुमान के अनुसार, केवल 550 करोड़ रु० ठहरती है। आय के अनुमानों का हिसाब लगाते समय प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में होनेवाली वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में प्रत्याशित वृद्धि का भी ध्यान रखा गया है। खर्च के क्षेत्र में, विगत प्रवृत्तियों को ही आगे बढ़ाया गया है, परन्तु साथ ही थोड़े-बहुत परिवर्तनों की भी छूट दी गई है और दूसरी योजना से सम्बद्ध कतिपय उन योजनाओं के लिए नियत खर्च की व्यवस्था की गई है, जो योजना के पूरा हो जाने के उपरान्त राजस्व पर एक पूर्ववर्ती भार सिद्ध होगी। दूसरी योजना के मुकाबले तीसरी योजना की अवधि में राजस्व से बचत में काफी वृद्धि इस बात की द्योतक है कि पिछले दो वर्षों में अंशतः बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण और अशत अतिरिक्त कर-प्रयत्नों के कारण करों से प्राप्त आय में कितनी वृद्धि हुई है। सन् 1961-62 में जो कराधान किया गया है, वह इस मद में शामिल नहीं किया गया है, यह 1,710 करोड़ रु० के अतिरिक्त कर-प्रयत्न का हिस्सा है, जो तीसरी योजना के लिए निश्चित किया गया है।

17 रेलवे का अंशदान : कार्य-संचालन-व्यय (इसमें निर्माणरत लाइनों का खर्च शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसे पूंजी-विनियोग माना जाता है) को निकाल देने के बाद रेलवे की प्रत्याशित चालू आमदनी में से जो कुछ बचता है, उसे रेलवे के अंशदान के रूप में ग्रहण किया जाता है। वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार इसमें से घिसाई का व्यय, सूद और लाभार्थ की अदायगी भी निकाल दी गई है। दूसरी योजना में रेलवे के अंशदान की राशि 150 करोड़ रु० ठहरी थी। इसमें दूसरी योजना की अवधि में किराया और माल-भाड़े में वृद्धि करने से प्राप्त आमदनी भी शामिल थी। तीसरी योजना में यह राशि अनुमानित रूप से 100 करोड़ रु० निश्चित की गई है, परन्तु इसमें उन अतिरिक्त साधनों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी व्यवस्था योजना की अवधि में किराए और माल-भाड़े में वृद्धि करके रेलवे कर सकती है।

18 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों से होनेवाली बचत . सरकारी उद्योग-व्यवसायों के कार्य-संचालन-व्यय, पुराने यन्त्रों के स्थान पर नए यन्त्र लगाने-विषयक व्यय, सूद और लाभार्थ को निकाल देने के बाद उनकी आमदनी से जो भावना बच जाते हैं, वे इस मद में शामिल किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इसमें केवल विशुद्ध मुनाफा ही नहीं आता, बल्कि इन उद्योग-व्यवसायों के घिसाई-नुरक्षित कोश तथा अन्य कोशों की विशुद्ध वृद्धिया भी शामिल होती हैं—इसके पीछे भन्तव्य यह होता है कि इन उद्योग-व्यवसायों के विस्तार-कार्य-क्रमों के लिए वित्त की व्यवस्था करने में इन कोशों का उपयोग किया जाएगा। यह अनुमान अभी कच्चा ही है, क्योंकि जिन तथ्यों पर यह आधारित है, वे अभी काफी पक्के नहीं हैं। कुल 450 करोड़ रु० की अनुमानित बचत में से 300 करोड़ रु० का श्रेय केन्द्रीय सरकार के उद्योग-व्यवसायों—अर्थात् लोहा और इस्पात, उर्वरक, तेल-कम्पनिया, तेल-शोधन, ढाक और तार, इत्यादि—को मिलेगा और बाकी 150 करोड़ रु० राज्य-सरकारों के उद्योग-व्यवसायों—जैसे, विजली-मंडल, परिवहन-संस्थाएँ, इत्यादि—से प्राप्त होंगे।

19 जनता से ऋण . दूसरी योजना की अवधि में जनता से 780 करोड़ रु० ऋण के रूप में लिए गए। इस दिशा में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए 800 करोड़ रु० का

लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस रकम में इनामी वाढ-योजना से होनेवाला शुद्ध धन-समग्र ही सम्मिलित है। तीसरी योजना के लिए निश्चित लक्ष्य की दूसरी योजना में लिए गए कुल ऋण से तुलना करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरी योजना की राशि में स्टेट बैंक आफ इण्डिया-द्वारा पी० एल० 480-कोश से धन लेकर सरकारी सिक्कूरिटियों की खरीद के साथ-साथ रिजर्व बैंक-द्वारा की गई सरकारी सिक्कूरिटियों की खरीद की भारी रकम भी शामिल है। जनता-द्वारा, जिसमें व्यावसायिक बैंक भी शामिल है, सरकारी ऋण में किए गए पूजी-विनियोग की रकम, यदि रिजर्व बैंक के पूजी-विनियोग को निकाल दे, तो 300 करोड़ रु० से भी कम ठहरती है। तीसरी योजना की अवधि में अमेरिकी सरकार-द्वारा प्रदत्त पी० एल० 480-कोश की रकम रिजर्व बैंक के पास रहेगी, जो इस उद्देश्य के लिए खास तौर पर जारी की गई सिक्कूरिटिया खरीदेगी। इस खाते के अन्तर्गत प्राप्त उधार की विदेशी सहायता के अन्तर्गत गिना गया है। इस उधार-कार्यक्रम को रिजर्व बैंक जो भी सहायता देगा, वह घाटे की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत माना जाएगा। तीसरी योजना के लिए 800 करोड़ रु० का जो अनुमान लगाया गया है, उसके पीछे यह धारणा है कि जीवन-जीमा-निग्रम, विभिन्न प्राविडेंट फंड तथा अन्य पूजी-विनियोगकर्ताओं-द्वारा सरकारी सिक्कूरिटियों की खरीद की मात्रा बढ़ेगी। व्यावसायिक बैंको-द्वारा भी उल्लेखनीय परिमाण में सरकारी सिक्कूरिटियों में पूजी-विनियोग की आशा की गई है। बैंको-द्वारा सामान्य तौर पर दी जानेवाली अग्रिम धन की रकम के अलावा, विजली-मंडलों या राज्य-सरकारों के अन्य उद्योग-व्यवसायो-द्वारा लिए जानेवाले ऋणों को राज्यों के सार्वजनिक ऋण-विषयक लक्ष्यों में शामिल किया गया है। परन्तु उपर्युक्त अनुमान में सहकारिता-क्षेत्र की आवश्यकताएं शामिल नहीं की गई हैं। योजना में इस क्षेत्र के काफी विस्तार की गुंजायश रखी गई है और केन्द्रीय तथा राज्यीय ऋणों में जनता कितनी पूजी लगा सकती है, इसका हिसाब करते समय सहकारी समितियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। वाजार से उधार लेने की जो मात्रा निश्चित की गई है, उससे व्यावसायिक बैंको के साधनों का पर्याप्त विकास होगा और निजी क्षेत्र को बैंको से मिलनेवाले उधार का सावधानीपूर्वक नियमन करना होगा।

20 छोटी बचतें : दूसरी योजना में छोटी बचतों का लक्ष्य 500 करोड़ रु० का था, अब अनुमान है कि वास्तव में 400 करोड़ रु० जमा हुए। छोटी बचतों की सम्भावनाएं विस्तृत हैं और जैसे-जैसे आय बढ़ेगी, वैसे-वैसे इनमें भी वृद्धि होगी। अभी तक यह आन्दोलन मुख्यतः शहरी और कस्बा-क्षेत्रों तक ही सीमित है। आगामी वर्षों में ग्रामीण बचत का एक उल्लेखनीय अंश सहकारिता-संस्थाओं को प्राप्त होगा। सहकारी क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था करना वस्तुतः उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना सरकारी क्षेत्र के साधनों का विस्तार। फिर भी, छोटी बचतें एक ऐसे आशाप्रद क्षेत्र की द्योतक हैं, जिसमें अधिक प्रयत्न करने से ज्यादा अच्छे परिणाम, निकल सकते हैं। यह सवाल उचित सगठन का है और वर्तमान क्षेत्रीय अभिकरण किस प्रकार मजबूत किए जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है।

21 प्राविडेंट फंड इस्पात-समीकरण-कोश और योजना-भिन्न व्यय के पश्चात् विविध पूजोगत प्राप्तियों की बचत : दूसरी योजना में प्राविडेंट फंडों में विशुद्ध रूप से 170 करोड़ रु० की नई राशि जमा हुई थी। तीसरी योजना में इस राशि का अनुमान 265

करोड़ ६० है। इनका एक कारण यह है कि केन्द्र और राज्यों में कुछ वर्गों के कर्मचारियों के वेतनभ्रम बढ़ गए हैं और केन्द्र में अनिवार्य रूप से प्राविडेंट फंड योजना चालू की गई है। इस्पात-समीकरण-कोश के अन्तर्गत तीसरी योजना के काल में विशुद्ध प्राप्ति का अनुमान 105 करोड़ ६० है। पूंजीगत प्राप्तियों की अन्य मदों में जिनमें खुशहाली कर, कोश और धरोहर भी शामिल हैं, तीसरी योजना की अवधि में कुल 170 करोड़ ६० का आय का अनुमान है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि 22 करोड़ ६० थी। पूंजी-खाते में आय धीरे-धीरे बढ़ने की बहुमूल्य मदों का यह विशुद्ध परिणाम है। आय के मुख्य साधन ये हैं—खुशहाली कर, स्थानीय ससंस्थाओं, किसानों और अन्य लोगों को दिए गए कर्जों और पेशगी की बसुली, राजस्व से कोशों को हस्तान्तरण, तथा विविध धरोहरों, कोशों, प्रेषणों, आदि के अन्तर्गत विशुद्ध प्राप्ति। व्यय के क्षेत्र में, उल्लेखनीय मदें ये हैं—विस्थापितों और जमीन्दारों को मुआवजा, किसानों को कर्ज और पेशगी, राज्य-व्यापार के कारण यदि कोई घाटा हो, तो वह, और योजना-भिन्न खर्च की अन्य मदें, जिनमें योजना से बाहर के नागरिक कामों पर होनेवाले खर्च भी शामिल हैं। तीसरी योजना के लिए 170 करोड़ ६० का अनुमान पिछली प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के उपरान्त इस धारणा पर लगाया गया है कि योजना-भिन्न पूंजीगत खर्च कम-से-कम किया जाएगा। यह अनुमान लगाते समय यह भी ध्यान लिया गया है कि बकाया कर्ज और पेशगी रकमों की बसुली में तीसरी योजना की जाएगी।

22 विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई प्राप्तियां इन मदों के अन्तर्गत दिग्गया गया 2,200 करोड़ ६० का उधार योजना की कुल 3,200 करोड़ ६० की विदेशी सहायता की राशि में सम्बद्ध है। 3,200 करोड़ ६० की सम्पूर्ण राशि सरकारी कोश में नहीं आएगी। विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त कुल धन में से 450-500 करोड़ ६० उन ऋणों की अदायगी में जाएंगे, जिनका भुगतान तीसरी योजना की अवधि में करना आवश्यक हो जाएगा। करीब 300 करोड़ ६० सीधे निजी क्षेत्र में निजी पूंजी-विनियोग के रूप में, अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम और अमेरिकी आयात-निर्यात-बैंक-सदृश संस्थाओं से प्राप्त ऋणों के रूप में चले जाएंगे। 200 करोड़ ६० अमेरिकी सरकार-द्वारा रुपया-विपयक साधनों के संचय के रूप में रखे जा सकते हैं, जिनके बारे में पहले ही समझौता हो चुका है, और साथ ही इन राशि में पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात के लिए अतिरिक्त स्टॉक रखने की भी व्यवस्था हो सकती है। इन प्रकार, कुल मिला कर करीब 1,000 करोड़ ६० बजट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अतः, 3,200 करोड़ ६० की कुल विदेशी सहायता के बावजूद केवल 2,200 करोड़ ६० ही इन मदों के अन्तर्गत हिस्सा वित्तित जा सकता है।

करना होगा और सानुपातिक आवश्यकताओं तथा सम्पूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था की ग्रहण-शक्ति के आधार पर भीमाएँ निर्धारित करनी होंगी। इन सब बातों को मोटे तौर पर ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना में घाटे की अर्थव्यवस्था की सीमा 550 करोड़ रु० निश्चित की गई है। रिजर्व बैंक-द्वारा सहकारी समितियों को सीधे उधार दिए जाने की बात इसमें शामिल नहीं है। परन्तु घाटे की अर्थव्यवस्था के सिलसिले में कितने धन का प्रबन्ध किया जाए, इसका निश्चय वर्ष-प्रति-वर्ष उपस्थित होनेवाली आर्थिक प्रवृत्तियों के आधार पर करना होगा। सरकारी या निजी, किसी भी क्षेत्र में योजना को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य आवश्यकता वास्तविक साधनों की होती है, और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस दर से उत्पादन बढ़ता है और किस हद तक समुदाय उपभोक्ता-सामान का कम उपयोग करने तथा बचतों का विस्तार करने के लिए तैयार है। एक सीमा तक घाटे की अर्थव्यवस्था का विकासशील आयोजन में स्थान होता है, पर अगर यह ऐसे समय अनुचित रीति से क्रय-शक्ति बढ़ाती है, जब कि योजना में निर्धारित सीमा तक उपभोग का स्तर रखने के लिए क्रय-शक्ति को दबाने की जरूरत हो, तो अर्थव्यवस्था के लिए इसके परिणाम अल्पतः घातक हो सकते हैं।

24 तीसरी योजना के लिए केन्द्र और राज्यों के साधनों के पृथक्-पृथक अनुमान नीचे की तालिका में दिए गए हैं

तालिका-संख्या 3
तीसरी योजना के लिए साधन

शोषक	केन्द्र	(करोड़ रु०)	
		राज्य	योग
1 चालू राजस्वों से बचत (अतिरिक्त कराधान को छोड़ कर)	410	140	550
2 रेलवे का अक्षदान	100	—	100
3 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत	300	150	450
4 जनता से ऋण (विशुद्ध)	475	325	800
5 छोटी बचतें (विशुद्ध)	213	387	600
6 प्राविडेंट फंड (विशुद्ध)	183	82	265
7 इस्पात-समीकरण-कोश (विशुद्ध)	105	—	105
8 योजना-भिन्न खर्चों के उपरान्त विविध पूंजीगत प्राप्तियों का शेष	428	-258	170
9 1 से 8 तक का योग	2,214	826	3,040
10 अतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	1,100	610	1,710
11 विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई प्राप्तियाँ	2,200	—	2,200
12 घाटे की अर्थव्यवस्था	524	26	550
योग	6,038	1,462	7,500

राज्य-सरकारों के साधन

25 अगस्त-नवम्बर में राज्यों के साथ हुए विचार-विनिमय ने यह पता चला कि उनके साधनों का कुल योग 1,416 करोड़ रु० है। इस अध्याय के अन्त में दिए गए अनुबन्ध 1 में इस अनुमान का राज्यवार विवरण दिया गया है। इस अनुमान में दो कारणों से पुनर्विचार की आवश्यकता हुई— (1) तीसरी योजना में केन्द्र से नए उधार लेने पर मूढ़ की जिम्मेदारी, और (2) जनता से ऋण लेने के पहले अनुमानों में कमी। विचार-विनिमय के समय केन्द्र से प्राप्त ऋणों के बारे में सूद की जिम्मेदारी का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सका था। और उस समय अस्थायी तौर पर जो राशियां निर्दिष्ट की गई थीं, वे कम साबित हुईं। जनता से लिए गए ऋणों के क्षेत्र में भी, विचार-विनिमय के बाद जो अनुमान लगाया गया था, उसमें सशोधन करना पड़ा, ताकि केन्द्र और राज्यों, दोनों के सम्पूर्ण अनुमान के साथ उसका मेल बैठ सके। ये दोनों सशोधन कर लेने के बाद राज्यों के साधनों का अनुमान 1,346 करोड़ रु० ठहरता है।

26 सन् 1961-62 के बजट के आघार पर राज्यों के साधनों के बारे में आगे विचार करने पर पता चला कि राज्यों के साधनों की स्थिति अधिक अच्छी है; अब राज्यों के साधनों का कुल योग 1,462 करोड़ रु० होता है। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण आयकर और विभाजनिय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत केन्द्र से बड़े परिमाण में होनेवाले साधनों का हस्तान्तरण है। राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष जनवरी 1961 में राज्यों के साधनों के मन्वन्ध में जो अनुमान पेश किए गए और अनी हाल में सन् 1961-62 के बजटों के प्रकाश में जिन पर फिर से विचार किया गया, वे नीचे की तालिका में प्रस्तुत हैं

तालिका-संख्या 4

तीसरी योजना के लिए राज्यों के साधन

शीर्षक	(करोड़ रु०)	
	जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष पेश किए गए अनुमान	1961-62 के बजटों के प्रकाश में तैयार किए गए अनुमान
1 चालू राजस्वों की वचत . 1960-61 के कराधान के आघार पर	-12	140
2 सरकारी उद्योग-व्यवसायों की वचत	149	150
3 जनता से ऋण (विमुद)	350	325
4 छोटी वचतें (विमुद)	377	387
5 प्रॉजिक्ट फंड (विमुद)	79	82

तालिका-संख्या 4—जारी

(करोड़ रु०)

शीर्षक	जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष पेश किए गए अनुमान	1961-62 के बजटों के प्रकाश में तैयार किए गए अनुमान
6. योजना-भिन्न खर्चों के पश्चात् विविध पूंजीगत प्राप्ति- यो का शेष	-233	-258
7. 1 से 6 तक का योग	710	826
8 अतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	610	610
9 घाटे की अर्थव्यवस्था (अर्थात् सिक्यूरिटियों की विक्री)	26	26
योग	1,346	1,462

इस सशोधित अनुमान का राज्यवार विवरण तैयार करना अभी बाकी है।

27 राज्यों के 1,462 करोड़ रु० के साधनों और 2,375 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता को मिला कर राष्ट्रीय योजनाओं के लिए 3,837 करोड़ रु० की व्यवस्था हो जाती है। यह राशि राष्ट्रीय योजनाओं के लिए निर्धारित व्यय की रकम 3,847 करोड़ रु० के बहुत निकट है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम की सीमा और राज्यों के वित्तीय साधनों के बीच की खाई बहुत नगण्य हो जाती है। खर्च में, खास कर योजना-भिन्न खर्च में, दृढ़तापूर्वक किफायतशारी करके अपने ही साधनों से आमीण रोजगार-योजनाओं के खर्च में कुछ वृद्धि कर सकना राज्यों के लिए सम्भव हो सकता है।

अतिरिक्त कराधान

28 दूसरी योजना में, प्रारम्भ में अतिरिक्त कराधान का लक्ष्य 450 करोड़ रु० स्वीकार किया गया था। फिर यह देखा गया कि यह लक्ष्य अपर्याप्त है और दूसरी योजना की वित्त-योजना में 400 करोड़ रु० की जो कमी दिखाई गई है, उसका एक भाग अतिरिक्त कराधान-द्वारा पूरा करना होगा। दूसरी योजना की अवधि में वास्तव में 1,052 करोड़ रु० का कुल अतिरिक्त कराधान किया गया, जो कि प्रारम्भिक लक्ष्य और ऊपर निर्दिष्ट कमी के योग से भी अधिक था। परन्तु इतना अतिरिक्त कराधान करने के बावजूद, राष्ट्रीय आय में कर-राजस्व का अनुपात दूसरी योजना के प्रारम्भ के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी योजना के अन्त तक करीब 8.9 प्रतिशत तक ही पहुँचा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप करो की आय में होनेवाली स्वाभाविक वृद्धि और तीसरी योजना की अवधि में प्रस्तावित 1,710 करोड़ रु० के अतिरिक्त कराधान से तीसरी योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में कर-राजस्व का अनुपात बढ़ कर 11.4 प्रतिशत हो जाएगा। तीसरी योजना की आवश्यकताओं और आय में प्रत्याशित

वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कराधान की यह मात्रा आवश्यक होने के साथ-साथ व्यवहारिक भी है। सन् 1961-62 के केन्द्रीय बजट में इस दिशा में एक ठोस गुरुआत भी कर दी गई है।

29 पहली और दूसरी दोनों योजनाओं में इन बात पर जोर दिया गया था कि एक विकानरत अर्थव्यवस्था में, मरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए नुपुष्ट पूँजी-व्यवस्था के क्षेत्र में मार्बजनिज बचत का क्रमिक विकास एक आवश्यक तत्व है। निस्सन्देह, कराधान की भी अपनी सीमाएँ हैं और एक निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाए जानेवाले नुदूढ़ कगावान के उपायों का निश्चय करते समय अनेक दुरुह आर्थिक तथा अन्य समस्याओं का ध्यान रखना पडता है। सरकारी क्षेत्र में पूँजी-विनियोग के कार्यक्रमों के लिए काफी हद तक निजी क्षेत्र की सम्पूर्ण बचत के एक भाग को सरकारी कोष में पहुँचाना होता है। जनता ने ऋण लेने और छोटी बचतों के कार्यक्रमों का शुकाव इनी और होना चाहिए। इनके साथ ही, मरकारी क्षेत्र में पूँजी-विनियोग के लिए वित्त-व्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक बचतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सार्वजनिक बचत में तात्पर्य है योजना-भिन्न व्यय के उपरान्त राजस्वगत प्राप्तियों का शेष और सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचतों का योग। इन उद्योग-व्यवसायों के उत्पादनों के सम्बन्ध में मूल्य-नीति निश्चित करते समय इन उद्योगों की बचत में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकास-कार्य के लिए वित्त-व्यवस्था की दिशा में सरकारी उद्योग-व्यवसायों के मुनाफे में वृद्धि और उनके पुन विनियोग का बडा महत्वपूर्ण स्थान है।

30 कराधान के विभिन्न स्वरूपों में से किन-किन को अपनाया जाए, इसका निश्चय करते समय उनके वर्तमान स्तरों और उनमें सम्भावित वृद्धियों को ध्यान में रचना होगा। एक विकानरत अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के कराधान की गुजायग रहती है। प्रत्यक्ष कराधान की प्रवृत्ति उपभोग की मात्रा कम करने और व्यय-योग्य आमदनियों में कमी करके पुन विनियोग-योग्य बचत बढ़ाने की होती है। उपभोग की क्षति को दबा कर रखने और व्यय होने-लायक आय को कम करता हुआ पूँजी-विनियोग के साथ बचत को विस्तृत करने की प्रेरणा देता है। अप्रत्यक्ष कराधान नचें की गई आमदनी के मुकाबले में नरीद नकने-लायक माल की मात्रा में कम नाकर अपना काम करता है। कराधान के इन दोनों तरीकों के नानुपातिक नामों का निर्णय उड़ी गम्भीरता से किया जाना चाहिए। अमली तथ्य यह है कि विकास के परिणामस्वरूप जो बचतें होती हैं, उन्हें ठीक स्थान पर काम में लाया जाए, ताकि अतिरिक्त कराधान ठीक दिशा में हो सके। तीसरी योजना की अवधि में कर लगावे-विषयक शर्तवाहियों का निश्चय वर्ष-प्रति-वर्ष पैदा होनेवाली आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रख कर करना होगा। पालु यहा यह भी उल्लेखनीय है कि नर्वयोग की दृष्टि से अलग कराधान अर्थयोग्य है, तो इसका मतलब न केवल पूँजी-विनियोग के लिए भारी गति होगा, बल्कि इनके चलने स्वदेशी कीमती पर भी भारी बोझ पड़ेगा, जो कराधान के दबने को प्रभावित करेगा और आर्थिक विषमताओं को बढाएगा।

31 आप-र-के क्षेत्र में, आम तौर पर दरें बढ़ाने का क्षेत्र सीमित है, हालांकि विशेष आप-र-की ग-रि दरों में समय-समय पर परिवर्तन करना आवश्यक ही माना है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य निश्चय ही मार्बजनिज माधनों का विलान

और विभिन्न आय-वर्गों के बीच बोझ का उचित वितरण होना चाहिए। व्यक्तिगत आमदनियों और सम्पत्ति पर इस समय कई प्रकार के अन्वय कर हैं—जैसे, घन-कर, पूजीगत लाभ-कर, व्यय-कर और सम्पत्ति-कर। इन करों से आमदनी अपेक्षाकृत कम होती है। इन करों का सामूहिक उद्देश्य न केवल सरकारी कोश के लिए अधिक घन की व्यवस्था करना है, बल्कि आर्थिक विपमता में कमी लाना भी है। इस सन्दर्भ में यह जरूरी है कि सम्बद्ध कर-कानून ऐसे हो कि कर छिपाने की कम-से-कम गुजायश हो। सामूहिक आय पर कराधान के मामले में, इस समय कई प्रकार के प्रलोभन और रिआयतें पूजी-विनियोग के लिए दी जा रही हैं। पिछले पांच वर्षों में निजी पूजी-विनियोग के उच्च-स्तर में इसका योगदान कुछ कम नहीं है। इन प्रलोभनों और रिआयतों पर निरन्तर ध्यान देते रहना होगा, ताकि उनका लाभ उस ढंग के पूजी-विनियोग को ही मिले, जिन्हें योजना में ऊंची प्राथमिकता मिली है। जब ये रिआयतें दी जा रही हैं, तब यह खास तौर पर जरूरी हो जाता है कि कम्पनियों के खर्च के खातों की सावधानी से जाच की जाए और कर-कानूनों में इस बात के लिए समुचित व्यवस्था रहे कि व्यर्थ के खर्च यदि पूरी तरह समाप्त नहीं किए जा सकते हो, तो न्यूनतम तो रहें ही।

32 तीसरी योजना की अवधि में अप्रत्यक्ष कराधान में पर्याप्त वृद्धि होगी। भारत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, जिन पर प्रत्यक्ष कर लगता है। तीसरी योजना के काल में प्रत्यक्ष करों के सग्रह में यद्यपि सुधार की सम्भावना है, तथापि योजना के लिए जरूरी साधन तब तक नहीं बढ़ सकते, जब तक विस्तृत पैमाने पर उपभोक्ता-सामग्रियों पर कर न लगाए जाए। उपभोग की अन्तिम स्थिति में इस प्रकार का कराधान कुछ मामलों में बड़ा प्रभावशाली होगा। अन्य मामलों में, मध्यवर्ती उत्पादनों अथवा कच्चे माल पर यह अधिक उचित सिद्ध होगा। इस प्रकार का अप्रत्यक्ष कर स्वदेशी उपभोक्ता-द्वारा दी जानेवाली कीमत को बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाता है। यह एक त्याग है, जिसे योजना के एक अंग के रूप में स्वीकार करना होगा। यह भी भूलना चाहिए कि अगर कराधान अपर्याप्त है, तो सम्भावित लाभ विचीलियों और व्यापारियों को अनुचित मुनाफे के रूप में मिलेगा। इन अप्रत्यक्ष करों में से कुछ गरीब लोगों पर असर डालते हैं। पर अधिकांश उन्हीं लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनकी आमदनी अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरे शब्दों में, अप्रत्यक्ष करों में भी क्रमिक विकास का तत्व होता है। परन्तु इस सच्चाई से बचने का कोई उपाय नहीं है कि भारत-जैसे देश में, जहाँ के अधिकांश लोग गरीब हैं, योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन तब तक उपलब्ध नहीं हो सकते, जब तक जनता के समस्त वर्ग कुछ त्याग करने के लिए तत्पर न हों।

— 33 अन्त में, इस सन्दर्भ में एक शब्द कराधान-द्वारा प्रतिरिक्त साधन जुटाने में राज्य-सरकारों की भूमिका के बारे में कहना जरूरी है। इनमें कोई सन्देह नहीं कि अतिरिक्त कर-प्रयत्नों के एक बड़े भाग की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है, पर राज्य-सरकारों का भी इस क्षेत्र में सक्रिय होना और अपनी भूमिका निभाना कम जरूरी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कराधान का काम मुख्यतः उन्हीं को करना है। उन्हें राजस्व के लचीले साधनों—जैसे, विक्री-कर—का प्रभावपूर्ण ढंग में उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना होगा। पिछले कुछ वर्षों में इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-सग्रह में

उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, पर विभिन्न राज्यों से हुए विचार-विनिमय से पता चलता है कि इस मामले में प्रशासन-व्यवस्था को कड़ा करने की अभी काफी गुंजायश है। वर्तमान अनुमान के अनुसार, तीसरी योजना में निश्चित अतिरिक्त कराधान के 1,710 करोड़ रु० के लक्ष्य में से लगभग 610 करोड़ रु० की व्यवस्था राज्यों को करनी होगी। सन् 1961-62 में राज्यों-द्वारा अतिरिक्त कराधान आशा से कम हुआ। यह जरूरी है कि आनेवाले वर्षों में इस कमी को पूरा किया जाए। राज्य-सरकारों के उद्योग-व्यवसायों को भी अपनी बचत का विस्तार करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

निजी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग

34 प्राप्त किए जानेवाले साधनों की दृष्टि से, सरकारी और निजी क्षेत्रों के पूंजी-विनियोग-कार्यक्रमों पर एक साथ ही विचार करना होगा, क्योंकि दोनों बचत के एक ही स्रोत से शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि अगर ऊपर उल्लिखित तरीके से सरकारी पूंजी-विनियोग-कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था करनी है, तो क्या निजी क्षेत्र उन कार्यक्रमों को पूरा कर सकेगा, जिनका दायित्व इस योजना में उसके ऊपर लादा गया है। इन प्रश्नों को एक दूसरे ढंग से भी पेश किया जा सकता है - निजी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग के कार्यक्रमों की पूर्ति के बाद, क्या सरकारी क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटा सकने में समर्थ होगा? इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्टतः उन अनुमानों पर, जो कुल बचतों की प्रगति के सम्बन्ध में लगाए जा सकते हैं, और उन्हें व्यवस्थित करने की तकनीकों की पर्याप्तता पर निर्भर करता है। बहुत-कुछ इन बातों पर निर्भर करता है कि कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है और उपभोग पर लगाई गई विभिन्न रूकावटें कहाँ तक पर्याप्त हैं। चूंकि अप्रत्याशितता के एक बड़े हिस्से के पूंजी-विनियोग और बचतों के बारे में प्राप्त तथ्य अपर्याप्त हैं, इसलिए यह सम्भव नहीं है कि निजी पूंजी-विनियोग के लिए कोशों के उपयोग और स्रोतों के बारे में सर्वथा यथार्थ अनुमान लगाए जा सकें। पर, मोटे तौर पर, दूसरी योजना की अवधि में नामने प्राई प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए और तीसरी योजना की अवधि में सम्भावित प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए यह अनुभव किया जाता है कि निजी पूंजी-विनियोग के लिए कुल 4,300 करोड़ रु० की वित्तीय व्यवस्था हो सकती है, जो कि बचतों पर सरकारी क्षेत्र के दावों के अनुकूल सिद्ध होगी।

35 अगले पृष्ठ की तालिका में यह दिखाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि में मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग के सम्भावित स्तर क्या होंगे। इनके साथ तुलना के लिए दूसरी योजना के प्रारम्भिक अनुमान और परवर्ती प्रवृत्तियों के प्रकाश में गंभीरतः पूंजी-विनियोग के अनुमान भी दिए गए हैं।

पूजी-विनियोग के लिए कुल 1,350-1,400 करोड़ ₹० की जरूरत है, वहा उपलब्ध माधन आवश्यकता के अनुपात में कुछ कम मालूम होते हैं। इन आचार पर, इत क्षेत्र के कुछ कार्यक्रम, चौथी योजना में चले जा सकते हैं, खास तौर पर इसलिए कि उनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

36 निजी क्षेत्र के पूजी-विनियोग की कूल राशि 4,300 करोड़ ₹० में से 200 करोड़ ₹० की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र से साधनों के हस्तान्तरण-द्वारा होगी। रिजर्व बैंक-द्वारा कृषि, लघु उद्योगों और सहकारी समितियों को सहायता भी बड़े पैमाने पर दी जाएगी। निजी क्षेत्र को 300 करोड़ ₹० तक की विदेशी सहायता मिल सकेगी। दूसरी योजना की अवधि में निजी क्षेत्र के पूजी-विनियोग का स्तर काफी ऊचा था और इन बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि विकान-श्रकिया-द्वारा उत्पन्न अवसरो से निजी उद्योग-व्यवसाय अधिकारिक लाभ उठाने को तैयार है। निजी क्षेत्र में 4 300 करोड़ ₹० तक का पूजी-विनियोग किया जा सकता किनी भी प्रकार कठिन नहीं प्रतीत होता। ऊपर की तालिका में दिए गए कुछ अनुमान—जैसे, आवास, और अन्य इमारती काम तथा परिवहन—अधिक बढाए जा सकते हैं। कृषि में पूजी-विनियोग अगत ग्रामीण क्षेत्र की वचतो और अक्षत सरकार तथा सहकारी संस्थाओं-द्वारा कृषि को दी जानेवाली सहायता पर निर्भर करता है। योजना में परिकल्पित कृषि-उत्पादन-वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सम्भवत यह बाध्यगीय होगा कि तालिका में दिखाए गए आकडे से कही अधिक पूजी-विनियोग कृषि के क्षेत्र में हो। हालांकि जैना कि पहले कहा गया है, सारा पूजी-विनियोग एक तरह से वचन के एक ही स्रोत से वित्त प्राप्त करता है, फिर भी यह मानना पडेगा कि कुछ वचतों एक खास दिशा में ही प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, एक किमान या छोटा कारीगर वचत करने के लिए तैयार होगा, अगर उसे अपने ही खेत या कारखाने में पूजी लपाना है। इन प्रकार, पूजी-विनियोग करने और बचन-सम्बन्धी निर्णय एक-दूसरे के साथ जुडे हुए हैं। आवास के बारे में भी यही बात कुछ हद तक लागू होती है। अगर इस ढग के पूजा-विनियोग को कम किया गया, तो सम्भवत वचतों भी कम होंगी। फिर भी, यह बात माननी होगी कि एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में निजी पूजी-विनियोग—खान तौर पर वह पूजी-विनियोग, जो मगठित पूजा-आलाग से रक्त खींचता है—पूजा-विनियोग के सम्पूर्ण साधनों की सीमा और सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नियमित किया जाना चाहिए।

विदेशी साधन

37 विदेशी साधनों की समस्या एक ऐसे देश के लिए बटी कठिन होती है, जो उद्योगीकरण की प्राथमिक अवस्था में होता है। काफी प्रयत्न करके वह अपने विदेशी मुद्रा-प्रदान में वृद्धि कर सकता है, पर अर्थव्यवस्था की बुद्धिशील आयात-प्रावश्यकताओं को पूरा करने में वह वर्षों तक सफल नहीं हो सकता। आन्तरिक साधनों की कमी को पूरा करना या अर्थव्यवस्था का विचित्र दशा में रख कर पूरा किया जा सकता है। पर विदेशी मुद्रा एक सिंगल साधन है, जिसका उठान या तो अधिक मात्रा में किए गए निर्यात से होता है अथवा विदेशी साधनों की प्राप्ति से। पहली योजना की अवधि में भारत के आयात-सम्बन्धित पर बड़ा ढेरा दबाव पडा था, पर दूसरी योजना के पहले दो वर्षों में विदेशी

मुद्रा-कोश में तेजी से 481 करोड़ रु० की गिरावट आ गई। परवर्ती वर्षों में इस कोश से धीरे धीरे राशि निकाली गई और तीसरी योजना का प्रारम्भ इस सुरक्षित कोश की ऐसी अवस्था से होता है, जिसमें धीरे धीरे उल्लेखनीय ह्रास की गुंजायश नही है।

38 तीसरी योजना इस आधार पर बनाई गई है कि प्राप्त करनेवाले और देनेवाले, दोनों देशों के लिए यह लाभकारी होगा कि अपेक्षाकृत थोड़े समय के लिए विदेशी सहायता की पर्याप्त राशि दे दी जाए, न कि अनिश्चित अवधि के लिए सहायता की विभिन्न और अनिश्चित राशियों का क्रम चलता रहे। तीसरी और चौथी योजनाओं में भारत में विकास के प्रयत्न पूंजीगत सामान और मशीन-निर्माण-उद्योगों के विकास पर केन्द्रित करने होंगे और इनके साथ ही खनन, विजली और परिवहन का ऐसे स्तर पर विकास करना होगा कि देश इस अवधि में उन पूंजीगत सामानों और मशीनों का एक बड़ा भाग स्वदेश में ही पर्याप्त मात्रा में बनाने लगे, जिनकी उसे पूंजी-विनियोग के ऊंचे स्तर को पुष्ट करने के लिए आनेवाले वर्षों में जरूरत पड़ेगी। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को अधिकतम उन्नत करने और निकट भविष्य में दृढ़ विदेशी मुद्रा की स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता की दृष्टि से, यह एक प्राथमिक बात है। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएँ—विदेशी सहायता की आवश्यकताएँ भी—तीसरी योजना में काफी बड़ी होंगी।

भुगतान-सन्तुलन : पहली और दूसरी योजनाएं

39 पहली योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि-उत्पादन बढ़ाना और विकास के प्रमुख आर्थिक अंगों—जैसे, सिंचाई, विजली और परिवहन—को सुसंगठित करना था। उद्योग के क्षेत्र में, सबसे अधिक जोर विद्यमान क्षमता का अधिक पूर्णता से उपभोग करने पर था। उद्योग और खनिज पदार्थों की मदों में सरकारी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग कुल व्यय-राशि का एक छोटा अंश-मात्र ही था। पहली योजना में प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 400 करोड़ रु० था। योजना के पहले साल—सन् 1951-52—में भुगतान-सन्तुलन का घाटा 234 करोड़ रु० का था, पर बाद के वर्षों में कृषि और उद्योग के उत्पादनो में वृद्धि होने से स्थिति काफी सुधर गई। सम्पूर्ण योजना-अवधि में भुगतान-सन्तुलन का घाटा 318 करोड़ रु० रहा। इसमें से 196 करोड़ रु० विदेशी सहायता से और 122 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा-कोश से रकम निकाल कर पूरा किया गया।

40 अगले पृष्ठ की तालिका में दूसरी योजना की अवधि की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति प्रस्तुत की गई है। (सन् 1960-61 की सख्याओं में सशोधन सम्भावित है)।

तालिका-संख्या 6

भारत का भुगतान-सन्तुलन—दूसरी योजना

वर्ष	योग				
	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61 प्रारम्भिक
1. निर्यात	635	594	576	623	625
2. आयात	1,099	1,233	1,030	923	1,075
3. व्यापार-सन्तुलन	-464	-639	-454	-300	-450
4. श्रृंखला (शुद्ध) (सरकारी दानों का छोड़ कर)	111	102	81	71	55
5. चालू खाता (शुद्ध)	-353	-537	-373	-229	-395
6. पूंजीगत लेन-देन (शुद्ध) (सरकारी ऋणों को छोड़ कर)	-36	-23	-10	-58	-45
7. कुल शेष वित्त-व्यवस्था	-389	-560	-383	-287	-410
(क) विदेशी सहायता (जिसमें पी० एल० 480 और 665-सहायता शामिल है)	113	285	341	295	392
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से निफासी (शुद्ध)	55	35	—	-24	-11
(ग) विदेशी मुद्रा-कोष का उपयोग	221	260	42	16	59
योग	389	560	383	287	440
					2,059

(करोड़ रु०)

भुगतान-सन्तुलन का घाटा पाच वर्षों की अवधि में अनुमानत लगभग 2,100 करोड़ रु० का हुआ, जब कि योजना का अनुमान 1,100 करोड़ रु० का था। योजना प्रारम्भ होने के तत्काल बाद ही, विदेशी खाते पर भारी बोझ पडा और दो साल के अन्दर विदेशी मुद्रा के साधनों में 481 करोड़ रु० की कमी आ गई। सन् 1958 में आर्थिक स्थिति पर पुन विचार करके यह निश्चय किया गया कि योजना में कुछ कमी कर दी जाए और अनिवार्य परियोजनाओं पर ही बल दिया जाए। योजना के लिए काम में लाई गई कुल विदेशी सहायता प्रारम्भ में निश्चित किए गए स्तर से 50 प्रतिशत अधिक सावित हुई। विदेशी सहायता के साधनों से निकासी 600 करोड़ रु० तक पहुच गई, जब कि योजना का अनुमान कुल 200 करोड़ रु० का था।

41 दूसरी योजना में विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी जो प्रतिकूल स्थिति उपस्थित हुई, उसका कारण कुछ तो यह था कि योजना की सीधी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का अनुमान कम लगाया गया, और कुछ यह कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आयात की आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया। योजना के प्रारम्भिक काल में निजी पूजी-विनियोग की गति में जो वृद्धि हुई, उससे भी विदेशी मुद्रा की दिक्कतें पैदा हुई, यद्यपि इससे योजनाकाल के समूचे योग के घाटे की अपेक्षा सम्भवत घाटे की काल-स्थिति पर ही अधिक प्रभाव पडा। आयोजन की इन कमियों के कारण पैदा हुई दिक्कतें योजनाकाल में खेती की दो खराब फसलों के कारण ज्यादा बढ गई। योजना के भुगतान-सन्तुलन के अनुमान में 60 लाख टन खाद्यान्न के आयात की व्यवस्था थी, परन्तु वस्तुत योजनाकाल में करीब 2 करोड़ टन खाद्यान्नो का आयात हुआ। कच्ची कपास का आयात भी काफी बडी मात्रा में हुआ। परन्तु विदेशी मुद्रा के इस सकट के पैदा होने के समय से कडी आयात-नीति का अवलम्बन किया गया है। अर्द्धवार्षिक आचार पर, विदेशी मुद्रा के आवटन का एक कठोर तरीका अपनाया गया है और विदेशी सहायता के अन्तर्गत न आनेवाला कोई महत्वपूर्ण नया बायदा नहीं किया गया है।

तीसरी योजना की विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताएं

42 पाच वर्ष की अवधि के लिए भुगतान-सन्तुलन की प्रवृत्तियों के अनुमान अनिवार्यत कठिनाइया उपस्थित करते हैं, और उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में इस विशेष स्थिति में इन्हें सर्वोत्तम निर्णय के रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है। जून 1960 मे प्रस्तुत तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में पाच साल की अवधि के लिए निर्यात की आय का अनुमान 3,450 करोड़ रु० लगाया गया था। अदृश्यों की शुद्ध आमदनी का अनुमान 120 करोड़ रु० था। उसमें यह कहा गया था कि इन कुल प्राप्तियों से, कार्य-संचालन के लिए किए जानेवाले कुल 3,570 करोड़ रु० के आयात का भुगतान किया जाएगा। इस आचार पर, तीसरी योजना के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता बढ कर 2,600 करोड़ रु० हो गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

(करोड़ रु०)

1 योजना की परियोजनाओं के लिए जरूरी पूंजीगत सामान और उपकरणों के आयात के लिए भुगतान	1,900
2 पूंजीगत सामान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कल-युद्ध, मन्तुलन-उपकरण इत्यादि	200
3 पूरी होनेवाली देनदारियों के लिए पुन वित्त-व्यवस्था	500
योग	2,600

इस योग में पी० एल० 480 के आयात शामिल नहीं हैं। अभी कुछ महीने पहले, अमेरिकी सरकार के साथ करीब 600 करोड़ रु० मूल्य के खाद्यान्न के आयात के लिए किए गए समझौते को दृष्टि में रखते हुए, योजनाकाल में भुगतान-मन्तुलन की कमी का अनुमान 3,200 करोड़ रु० है।

43 इन अनुमानों पर पिछले महीनों में फिर विचार किया गया है। तीसरी योजना के कुल पूंजी-विनियोग की राशि 10,400 करोड़ रु० नियत की गई है और इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान 2,030 करोड़ रु० है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरकारी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग की राशि 6,100 करोड़ रु० निश्चित की गई है, परन्तु इस क्षेत्र में कुल व्यय की राशि 7,500 करोड़ रु० है, निजी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग की राशि 4,300 करोड़ रु० है। इन पूंजी-विनियोग-कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएँ नीचे की तालिका में दिखाई गई हैं।

तालिका-संख्या 7

तीसरी योजना में पूंजी-विनियोग और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएँ

(करोड़ रु०)

वर्ग	कुल पूंजी-विनियोग	विदेशी मुद्रा
क सरकारी क्षेत्र		
1 कृषि और सामुदायिक विकास	610	30
2 बड़ी और मध्यम निचाई	650	50
3 बिजली	1,012	320
4 ग्रान और लघु उद्योग	100	20
5 दूध और मध्यम उद्योग तथा लघु पदार्थ (तेल-महिन)	1,470	690
6 परिवहन और संचार-साधन	1,486	320
7 सामाजिक सेवाएँ और विविध	572	90
8 इन्वेंट्रिमा	200	*
पुन (सामग्री क्षेत्र)	6,100	1,520

* इन्वेंट्रिमा के घनगन विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएँ अन्य वर्गों में शामिल कर ली गई हैं।

तालिका-सख्या 7—आरी

मदें	कुल पूजी- विनियोग	विदेशी मुद्रा
ख निजी क्षेत्र		
1 वडे और मध्यम उद्योग, त्वनिज पदार्थ तथा परि- वहन	1,350	495
2 ग्राम और लघु उद्योग	325	15
3 अन्य	2,625	नही
योग (निजी क्षेत्र)	4,300	510
ग. सर्वयोग(क+ख)	10,400	2,030

44 योजना की परियोजनाओं से सम्बद्ध आयात की इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त कच्चा माल, कल-पुर्जे, पुरानी मशीनों को बदलना, इत्यादि के रूप में अर्थव्यवस्था की सामान्य आवश्यकताएँ भी हैं। अनुमानों में ऐसे आयातों के लिए 3,650 करोड़ रु० की व्यवस्था है। प्रारम्भिक रूपरेखा में की गई व्यवस्था की तुलना में यह राशि 80 करोड़ रु० अधिक है। दरअसल, जरूरतें ज्यादा हैं, पाच वर्ष की अवधि के लिए 3,800 करोड़ रु० का अनुमान अधिक नहीं होगा, फिर भी, वर्तमान स्थिति में इस काम के लिए इससे अधिक साधनों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि क्षमता का कुछ कम उपयोग वर्दाहित करना ही पड़ेगा।

45 सन् 1961-62 में निर्वाह-आयातों का अनुमान 746 करोड़ रु० का है। योजना के उत्तरार्द्ध में इनमें कमी आएगी, जब कच्ची कपास, लोहा और इस्पात, अल्युमीनियम, औद्योगिक मशीनों और परिवहन-उपकरणों, रासायनिक अन्तःरायको, इत्यादि का उत्पादन योजना की अवधि में क्रमिक रूप से बढ़ेगा। स्वदेशी उत्पादन में इन वृद्धियों के परिणामस्वरूप आयात के क्षेत्र में कुछ वचत होगी, पर इसके साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताएँ बढ़ेंगी और आयात में वृद्धि अवश्यम्भावी हो जाएगी।

46 योजना में शामिल किए गए पूजी-विनियोग-कार्यक्रमों के लिए मशीनों और परिवहन-उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के हेतु आवश्यक यन्त्रों तथा अन्य मध्यवर्ती उत्पादनों के आयात के लिए प्रारम्भिक रूपरेखा में 200 करोड़ रु० की जो व्यवस्था की गई थी, उसे स्थिर रखा गया है। इस सम्बन्ध में इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि निर्वाह-जन्य आयात और विकासमूलक आयात के बीच कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती। ऊपर उल्लिखित 200 करोड़ रु० की व्यवस्था मुख्यतः इस तथ्य को प्रधानता देने के लिए की गई है कि योजना की परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिए न केवल पूरी मशीनों के आयात की, बल्कि उन सामानों के भी आयात की जरूरत होती है, जिनसे देश में उपकरण तैयार किए जा सकते हैं। पूर्ण क्षमता-स्तर पर पूजीगत सामान का उत्पादन जारी रखने के लिए जिन विभिन्न उपकरणों और मध्यवर्ती उत्पादनों की आवश्यकता होती है, उनका जोड़ और भी ऊंची संख्या तक पहुँचता है, और जैसे-जैसे

मशीन-निर्माण की क्षमता बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाएँगी। मोटे तौर पर, 3,650 करोड़ रु० के अनुमान में जिन अन्य निर्वाह-आयातों को शामिल किया गया है, उनमें से अनेक का उपयोग पूंजीगत सामान का उत्पादन बढ़ाने में होगा। उदाहरण के लिए, अलौह घातुओं का एक मुख्य उपयोग ऐसे तार (केबल) बनाने में है, जो विजनी की संचरण-व्यवस्था का अंग होते हैं, और इस्पात की अनुमानित खपत का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत उपकरणों के निर्माण और रचना में जाएगा। इस प्रकार, ऐमें आयातों की वित्त-व्यवस्था के लिए प्राप्त विदेशी सहायता का योजना की पूर्ति में वैसे ही प्रथम योगदान होता है, जैसा मशीनों और उपकरणों के आयात का, और वस्तुतः यह बात महत्वपूर्ण है कि योजना के लिए कुल सहायता का एक अंश ऐमें परियोजना-भिन्न आयातों के रूप में प्राप्त हो।

47 पिछले कुछ समय से यह स्पष्ट है कि अगर देश की बढ़ती हुई आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में आना है और विदेशी खाते में सन्तुलन लाने की ओर क्रमशः बढ़ना है, तो निर्यात के लिए अत्यन्त सघन प्रयत्न करना अनिवार्य है। जैसा कि पहले कहा गया है, उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था इतनी सबल हो जाए कि निर्यात-द्वारा वह काफी कमा सके, और करीब 10 वर्ष की अवधि में विदेशी सहायता पर निर्भरता में खासी कमी आ जाए। पिछले दो-तीन वर्षों से निर्यात-वृद्धि पर काफी जोर दिया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इससे सम्बद्ध त्याग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाए और तदनुसार ही सतत प्रयत्न किए जाए, ताकि ऐमें परिणाम निकल सकें, जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। उन भागों का, जिन पर चल कर इन प्रयत्नों को सघन किया जा सकता है और जिनके द्वारा निर्यात की स्थिति सुधर सकती है, विवरण एक अन्य अध्याय में दिया गया है।

48 परवर्ती तथ्यों के अनुसार, भुगतान-सन्तुलन को कुछ अन्य मदों का भी फिर से अनुमान लगाया गया है। विम्बलिखित तालिका में तीसरी योजना के लिए भुगतान-सन्तुलन के अनुमान अपने वर्तमान रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-संख्या 8

तीसरी योजना में विदेशी भुद्रा की आवश्यकताओं के लिए वित्त-व्यवस्था

(करोड़ रु०)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना	1961-62	वार्षिक औसत तीसरी योजना
क धाय				
1 निर्यात	3,053	3,700	667	740
2 अदृश्य (शुद्ध) (सरकारी दान छोड़ कर)	420*	—	22	—

*पी० एल० 480 के आयातों के लिए आरम्भ में भारत ने जो माल-भाड़ा चुकाया था, उसकी अमेरिका-द्वारा वापसी इसमें सम्मिलित है।

तालिका-संख्या 8—जारी

	दूसरी योजना कुल	तीसरी योजना कुल	1961- 62	वार्षिक श्रीसत तीसरी योजना
3 पूजीगत लेन-देन (शुद्ध) (सरकारी ऋणों की प्राप्ति और निजी विदेशी पूजी-विनियोग को छोड़ कर)	-172	-550	-133	-110
4 विदेशी सहायता	927 @	2,600	575†	520
5 विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से निकासी योग (1 से 5)**	598	—	—	—
	4,826	5750	1,131	1,150
ख भूगतान				
1 योजना की परियोजनाओं के लिए मशीनों-उपकरणों के आयात		1900	325	380
2 पूजीगत सामान का उत्पादन बढ़ाने के लिए कल-पुर्जों और अन्तरायक उत्पादन, आदि	4,826	200	60	40
3 निर्वाह-आयात		3,650	746	730
योग (1 से 3)	4,826	5,750	1,131	1,150

49 ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना की अवधि में निर्यात से कुल प्राप्ति का अनुमान इस समय 3,700 करोड़ रु० लगाया गया है, जब कि दूसरी योजना में वास्तविक प्राप्ति 3,053 करोड़ रु० की हुई और प्रारम्भिक रूपरेखा में 3,450 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया। पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था की आयात की आवश्यकताओं के बारे में विशेष अध्ययन किया गया है और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह साफ जाहिर है कि निर्यात के बारे में जब तक भागे पर्याप्त कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे, अर्थव्यवस्था की प्रगति भयंकर रूप से सकटग्रस्त रहेगी। तालिका में जो 3,700 करोड़ रु० का अनुमान दिखाया गया है, वह न्यूनतम है, आवश्यकता दरअसल अधिक की है। परन्तु निर्यात के पनपने में समय लगता है और यह यथार्थ अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है कि पाच वर्षों में आयात के वास्तविक स्तर क्या होंगे।

@ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोश से विशुद्ध निकासी इसमें सम्मिलित है।

† नीचे दिखाए गए आयातों की वित्त-व्यवस्था के लिए आवश्यक विदेशी सहायता का स्रोत है।

* दी० एल० 480 के आयात दोनों ओर से छोड़ दिए गए हैं—लगभग 534 करोड़ रु० दूसरी योजना के लिए और 600 करोड़ रु० तीसरी योजना के लिए।

3,700 करोड़ रु० का अनुमान समस्त मुख्य वस्तुओं के सम्भावित निर्यात के बारे में अध्ययन करने के पश्चात् लगाया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। सम्पूर्ण योजनाकाल में निर्यात की प्रवृत्तियों का सर्वोच्च स्तर पर परीक्षण होते रहना चाहिए और ऐसे दृढ़ कदम उठाए जाने चाहिए कि निर्यात की आय अतिशय अधिक बढ़े। इस सन्दर्भ में दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है—पहली यह, कि उत्पादन-वृद्धि से जहाँ निर्यात के लिए उपलब्ध सामग्रियों की मात्रा बढ़ेगी, वहाँ इस सकटकाल में विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ानी होगी, भले ही इसके लिए देश में खपत बहुत कम करनी पड़े। दूसरी बात यह, कि निर्यात उसी हद तक बढ़ेगा, जिस हद तक हमारे उत्पादन प्रतियोगिता में ठहरने-योग्य होंगे। आगामी वर्षों में यह जरूरी होगा कि निर्यात के हित में न केवल उपभोग में कटौती की जाए, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाई जाए और उत्पादन-व्यय कम किया जाए।

50 पिछले पांच वर्षों में अदृश्यों से शुद्ध प्राप्ति की राशि में गिरावट आई है। सन् 1956-57 में जहाँ यह राशि 111 करोड़ रु० थी, वहाँ सन् 1959-60 में 71 करोड़ रु० रह गई। सन् 1960-61 में शुद्ध प्राप्ति का अनुमान केवल 55 करोड़ रु० है। गिरावट की यह प्रवृत्ति एक ओर सूद और लाभों की मदों में बढ़ते हुए भुगतान को प्रकट करती है और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कमी को। तीसरी योजना की अवधि में कुल प्राप्ति में, विशेषतः विदेश-यात्रा, परिवहन और बीमे के अन्तर्गत, सुधार की आशा है। पर यह सुधार दूसरी और तीसरी योजना के अणुओं की सूद-सम्बन्धी देनदारियों में वृद्धि के कारण व्यर्थ हो जाएगा। पी० एल० 480 के आयातों के माल-भाड़े के 50 प्रतिशत का भुगतान करने की भी व्यवस्था करनी होगी। सन् 1961-62 में अदृश्यों पर 22 करोड़ रु० की वचत का अनुमान है। पर आगामी वर्षों में इसमें क्रमशः कमी होती जाएगी, यहाँ तक कि पांच वर्ष की अवधि में अदृश्यों के क्षेत्र में आय और भुगतान लगभग बराबर हो जाएंगे।

51 तीसरी योजना की अवधि में जिन उधारों और अणुओं का भुगतान करना है, उनका योग 450 करोड़ रु० है। अन्य पूंजीगत लेन-देन के चलते भी 41 करोड़ रु० के देन में बाहर जाने का अनुमान है। सिन्धु-जल-सन्धि के अन्तर्गत पाकिस्तान को और भी भारतीय मुद्रा की वापसी के लिए कुवैत को देने के हेतु भी 59 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। इन प्रकार, तीसरी योजना की अवधि में पूंजीगत भुगतान के लिए कुल 550 करोड़ रु० की व्यवस्था करनी होगी।

52 इन नारी विवेचना का परिणाम यह निकलता है कि भुगतान-मन्तुनन की स्थिति पर दबाव ज़्यादा है और 3,700 करोड़ रु० तक के निर्यात के वास्तविक विदेशी खाने में मुश्किल से मन्तुनन आसकेगा। निर्यात का यह लक्ष्य पूरा करना सहज नहीं है। इसके लिए यह जरूरी है कि विदेशों में स्थिति अनुकूल हो और स्वदेशी नीति-विषयक निर्णयों में निर्यात को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। इन सम्बन्ध में यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि योजना के लिए अर्थात् और मामलों की आयात-आवश्यकताएँ 130 करोड़ रु० अधिस हैं, अर्थात् पन्ने के 1,900 करोड़ रु० के अनुमान की तुलना में 2,030 करोड़ रु०। उधार की माँग में दिए गए अनुमानों में यह मान लिया गया है कि विदेशी सहायता में से उच्च प्राप्ति के आयातों के लिए भुगतान कुल 1,900 करोड़ रु० तक सीमित होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बराबा रकम को पूरा करने के लिए सैनिक में निर्दिष्ट

रकम से भी अधिक निर्यात-विपयक आय करनी होगी। तीसरी योजना के लिए कुल विदेशी सहायता 2,600 करोड़ ६० ली जा रही है। प्रारम्भिक रूपरेखा में भी यह राशि इतनी ही थी। यह राशि पी० एल० 480 के आयातों के अतिरिक्त है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, चूंकि भुगतान-सन्तुलन की स्थिति अभी जटिल बनी रहेगी, इसलिए तीसरी योजना की अवधि में यह जरूरी होगा कि विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी वजट और उसके वटवारे का तरीका कठोर रहे। स्पष्टतः आगामी वर्षों में इस बात की बहुत कम गुंजायश है कि किसी नई औद्योगिक क्षमता के लिए लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि इसके लिए योजना में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे मामलों में भी, जहां मशीनों और उपकरणों के आयात के लिए वित्त-व्यवस्था विदेशी भाधनों से की जा सकती है, यह बात सोचनी होगी कि उनसे सम्बद्ध कच्चा सामान, उपकरण, फालतू पुर्जें इत्यादि की व्यवस्था हो सकेगी या नहीं। दूसरे शब्दों में योजना के औद्योगिक लक्ष्यों में किन्नी प्रकार के सुधार के बारे में सभी दृष्टियों से सोचना होगा, जिनमें ये बातें भी शामिल होंगी—विदेशी मुद्रा, सहायक स्वदेशी भाधनों, और पर्याप्त परिवहन, विजली, तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता।

53 दूसरी योजना के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास-बैंक तथा कई मित्र देशों में बहुमूल्य सहायता मिली। सन् 1960 के शुरु में बैंक ने तीन प्रमुख बैंक-विशेषज्ञों का एक दल भारत की विकास-सम्बन्धी समस्याओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए भेजा। इस दल की रिपोर्ट में प्रसंगवश उन मोटे तरीकों का संकेत किया गया था, जिनमें तीसरी योजना में परिकल्पित कार्यों की पूर्ति के लिए विदेशी साधन सहायक हो सकते हैं। इसके बाद, बैंक का एक विशेषज्ञ-दल इस देश में आया और उसने योजना का कई बार और तकनीकी दृष्टि से अध्ययन किया, जिसमें विदेशी मुद्रा-विपयक पहलू भी शामिल था। पिछले कुछ समय में विदेशों में इस बात को आम मान्यता दी जा रही है कि विकास-सम्बन्धी सहायता को सर्वाधिक प्रभावशाली और लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सहायता कई साल के लिए पूरे भरोसे के साथ दी जाए, न केवल वित्तीय परियोजनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि सम्पूर्ण विकास-कार्यक्रम को दृष्टि में रखना चाहिए, और भुगतान की शर्तें सहायता प्राप्त करनेवाले देश की आवश्यक निर्यात-वृद्धि पैदा करने की ताकत के अनुकूल तय होनी चाहिए। स्पष्टतः ये सबाल उद्योगीकृत देशों और सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सुदृढ़ कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं।

54 विद्यमान लगभग एक वर्ष में, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास-बैंक के तत्वा-वधान में भारत के आर्थिक विकास में विलम्ब रूखनेवाले मित्र राष्ट्रों के सघों की कई बैठकें हुई हैं और यह सन्तोष की बात है कि इन सघों की 31 मई से 2 जून, 1961 तक हुई अन्तिम बैठक में भारत को कुल 1,089 करोड़ ६० (228 6 करोड़ डालर) की सहायता का विश्वास दिलाया गया है ताकि उसके भुगतान-सन्तुलन को अविश्वसनीय सहायता मिल सके और सन् 1961-62 तथा 1962-63 में आयात के लिए जो आर्डर दिए जाने हैं, वे मुख्य रूप से पूरे हो सकें। अमेरिका इस बात के लिए तत्पर हो गया है कि वह सबसे बड़ा हिस्सा, कुल राशि का 50 प्रतिशत से कुछ कम भाग (104 5 करोड़ डालर), देगा। यह राशि 130 करोड़ डालर की पी० एल० 480 वस्तु-सहायता के अतिरिक्त होगी, जिनके बारे में पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इन मित्र राष्ट्र-सघ के अन्य सदस्यों ने भाग के लिए

591 करोड़ रु० (124 1 करोड़ डालर) की सहायता देने की स्वीकृति दी, जिससे मुख्यतः तीसरी योजना के पहले दो वर्षों की बचनबद्धता पूरी होगी। विभिन्न देशों-द्वारा स्वीकृत राशियाँ इस प्रकार हैं—पश्चिम-जर्मनी 42 5 करोड़ डालर, ब्रिटेन 25 करोड़ डालर, जापान 8 करोड़ डालर, कनाडा . 5 6 करोड़ डालर, फ्रांस 3 करोड़ डालर, और अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ के साथ मिल कर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक 40 करोड़ डालर। सोवियत संघ पहले ही 238 करोड़ रु० के दो पूर्ववर्ती ऋणों का उपयोग तीसरी योजना की परियोजनाओं के लिए करने की अनुमति दे चुका है। कुछ अन्य मित्र देश भी, जैसे, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड—67 करोड़ रु० तक का उधार तीसरी योजना के लिए देने का बचन दे चुके हैं।

55 दूसरी योजना के अधिकारों से प्राप्त कुल अविशिष्ट सहायता 365 करोड़ रु० तक की है। ऊपर उल्लिखित नई सहायता के साथ मिल कर कुल राशि तीसरी योजना के लिए एक उत्साहजनक प्रारम्भ है। मित्र राष्ट्रों की और भी बैठकें होगी, जिनमें तीसरी योजना की प्रगति पर विचार किया जाएगा और योजना के लिए भारत की भावी आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। कुछ अन्य देशों ने भी, जो इस मित्र-बंध के सदस्य नहीं हैं, भारत की योजनाओं में दिलचस्पी प्रकट की है। इस प्रकार विदेशी सहायता के क्षेत्र में सशान उत्साहजनक है। इनसे यह प्रकट होता है कि विद्वह के अर्द्धविकसित देशों के विकास में सहायता देने की समस्या के प्रति किन प्रकार इन देशों का सहस्रपूर्ण और सहयोगात्मक दृष्टिकोण है। इसके साथ ही, ये सहायताएं प्रबल रूप से यह दर्शाती हैं कि हमें अपने स्वदेशी साधनों को जुटाने में कितना अधिक प्रयत्न करना चाहिए और प्रत्येक सम्भव उपाय से यह विद्वहवास पैदा करना चाहिए कि जो सहायता उपलब्ध होती है, वह अविलम्ब अर्थव्यवस्था के पूर्णतम लाभ के लिए प्रयुक्त की जाएगी। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि निरन्तर और वृद्धिशील पैमाने पर निर्यात-वृद्धि करने के लिए पूरे प्रयत्न किए जाने चाहिए। यह आशा की जाती है कि उद्योगीकृत देश अपनी ओर से इस बात में सहायता देंगे कि विकसित देशों से आयात करने में जो रुकावटें पैदा होती हैं, वे दूर हों।

56 भुगतान-सन्तुलन की जो दिक्कतें इस समय देश के नामने हैं, वे अल्पकालीन या अस्थायी नहीं हैं, इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वे आनेवाले कई वर्षों तक जारी रहेंगी। इस अवधि के लिए विदेशी सहायता जरूरी है, पर उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश अधिक-से-अधिक आत्मनिर्भर हो, ताकि 10 या 12 वर्षों के भीतर वह इस योग्य हो जाए कि अपने ही उत्पादन और बचत से पर्याप्त पूंजी-विनियोग कर सके। विदेशी पूंजी का सामान्य प्रवाह तो चलता रहेगा, पर खान डग की विदेशी सहायता पर निर्भर रहना श्रमसा. कम और अन्त में बन्द करना होगा। तीसरी योजना इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण म्पिति का प्रतिनिधित्व करती है।

उपसंहार

57 अन्त में हम बात पर धोर दिया जाना चाहिए कि तीसरी योजना के मासकों की स्थिति अनिवार्य रूप से, मनावपूर्ण है। विकास की दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाए, वे राष्ट्रीय शक्ति और उत्पादन-क्षमता में मन्तोयजनक वृद्धि की आवश्यकता को पूर्ण करने-माने हों। एक जट प्रमंन्व्यवस्था को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पहली योजना में प्रारम्भ हुई

और दूसरी योजना में आगे बढ़ी। अब इसे द्रुत गति से आगे बढ़ाना होगा। आवादी-सम्बन्धी नवीनतम प्रवृत्ति, जो कि जनगणना-द्वारा व्यक्त हुई, अगले 10 या 15 वर्षों के लिए हमारे काम को और अधिक कठिन बना रही है। इस स्थिति को देखते हुए समाज को अधिकतम प्रयत्न और त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

58 सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति 7,500 करोड़ ₹० की वित्त-व्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि वह इस क्षेत्र की सम्भावनाओं की सीमा की द्योतक है। जैसा कि पहले कहा गया है, तीसरी योजना में जिन तरीकों से बचतों का क्रमशः विस्तार किया जा सकता है, उनका गहन और निरन्तर अध्ययन आवश्यक है। योजना से बाहर के खर्चों की कड़ाई से जांच होनी चाहिए, योजना के भीतरी और उससे बाहर के मद्दों के खर्च में मितव्ययिता अपनाने से विकास के लिए कुछ वित्तीय साधन मुलभ हो जाएंगे। दूसरी योजना के अनुभव ने यह बता दिया है कि कराधान के साधन वस्तुतः उससे अधिक विस्तृत हैं, जिसकी इस समय कल्पना की जाती है। प्राविडेंट फंड, जीवन-धीमा का विस्तार तथा बचत को बढ़ावा देनेवाली इसी प्रकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा-योजनाएँ साधनों की वृद्धि करनेवाले समर्थ उपाय हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देशव्यापी बचत-अभियान चलाया जाए, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्यों में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्वायत्त-शासन-संस्थाओं पर अधिक जिम्मेदारी आए। अगर इन संस्थाओं के द्वारा समाज को स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में अधिक दिलचस्पी और हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाए, तो विकास के लिए अधिक साधनों का संग्रह किया जा सकता है।

59 वित्तीय साधनों की सीमा कभी पूर्ण नहीं होती, यह प्रयत्नों के उस स्तर पर निर्भर करती है, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन, बचतों के संग्रह और उपभोग या प्राथमिकताविहीन पूँजी-विनियोग में साधनों की खपत को रोकने के लिए वित्तीय एवं अन्य उपायों के लिए किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त पूँजी-विनियोग हुआ है और इस बात के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनसे पर्याप्त बचत प्राप्त हो, जिसके आधार पर अधिक प्रगति की योजना बन सके। यथोचित समय पर विकास को अपने लिए वित्तीय व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए, पिछले पूँजी-विनियोग की बचत को आगे के विकास का एक साधन बनना चाहिए। यह बात जरूरी है कि कार्यान्वित्त के लिए अपनी परियोजनाओं का चुनते समय केन्द्रीय और राज्य-सरकारें हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि इन पूँजी-विनियोगों से यथाशीघ्र फल-प्राप्ति हो। एक परियोजना को पूरा करने और उसे उत्पादन-योग्य बनाने में अगर अपेक्षाकृत थोड़ी देर भी हो जाए, तो पूँजी-विनियोग के लिए जो साधन प्राप्त हैं, उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन आ जाता है। असली बात यह है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे-वैसे आयोजन और उसकी कार्यान्विति के विभिन्न मद्दों में हुआ थोड़ा-बहुत सुधार भी सयुक्त रूप में बड़े परिणाम पैदा कर देता है। समस्या के इन पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देने से साधनों की वृद्धि, उस सीमा से आगे तक हो सकती है, जिनका हम समय निर्देश किया गया है।

60 इस प्रकार, साधनों की समस्या प्रशासकीय और संगठन-सम्बन्धी दक्षता के साथ सम्बद्ध है। अतिरिक्त साधनों की खोज, अनिवार्य रूप से, निरन्तर और विस्तृत धरातल पर होती रहनी चाहिए। तीसरी योजना की महत्वपूर्ण कसौटिया दो हैं (क) खाद्य और कच्चे माल का उत्पादन किस सीमा तक बढ़ सकता है—आवश्यकता इस बात की

है कि प्रगति विभिन्नतापूर्ण के वजाय एक ओर तथा प्रभावपूर्ण हो, और (ख) निर्यात की आय में आवश्यक वृद्धि प्राप्त करने के लिए कितनी शक्ति और उत्साह का उपयोग होवा है। इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करके बित्त की वर्तमान सीमाओं को पार किया जा सकता है।

अनुबंध 1

तीसरी योजना के लिए राज्यों के साधन

(अगस्त-नवम्बर 1960 में हुए विचार-विमर्श के आधार पर)

(करोड़ रु०)

	आन्ध्र-प्रदेश	विहार	गुजरात	जम्मू-केरल	मध्यप्रदेश	मद्रास	महाराष्ट्र	मैसूर	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	उत्तर-पश्चिम-प्रदेश	सब राज्यों का योग			
1 चालू राजस्व से बची हुई राशि, 1960-61 के करायान की दर से	118	7	198	102	8	106	-77	-302	306	98	-211	14	05	-435	113	341
2 जनता से ऋण (शुद्ध)	40	9	23	30	—	23	25	529	369	147	21	16	20	35	276	374
3 छोटी बचतों का हिस्सा	175	12	425	392	23	8	17	20	668	10	85	35	10	50	385	377
4 अकीर्णित ऋण (शुद्ध)	32	28	8	4	17	3	23	59	9	55	15	39	55	173	55	791
5 योजना-भिन्न सचों के उपरान्त विविध पूंजीगत शक्तियों का योग	-297	-172	-366	-64	-82	-192	-14	-337	153	—	-67	-283	10	-306	-406	-2333
6 उद्योग-व्यवसायी का अयदान	62	34	123	11	12	96	98	351	94	13	18	164	2	98	77	1487
7 नकदी तथा अन्य सुरक्षित कोषों से निकाली	—	—	—	5	—	—	—	6	—	15	—	—	—	—	—	26
8 साधन, प्रतिरिक्त करायान को छोड़ कर	52	17	69	93	5	35	45	56	168	68	5	57	48	38	50	806
9 प्रतिरिक्त करायान	53	16	50	29	8	23	48	45	52	42	23	40	32	109	40	610
10 कुल साधन, प्रतिरिक्त करायान को जोड़ कर	105	33	119	122	13	58	93	101	220	110	28	97	80	147	90 ⁴	1,416

*राज्य-सरकार ने इस राशि को सुधार कर 133 करोड़ रु० कर देने का संभाव दिया है।

तीसरी योजना के लिए मूल्य-नीति

किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य-नीति को दो मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है (क) इस बात का निश्चय कि सापेक्षिक मूल्यों को गतिविधि उन प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाती है, जिन्हें योजना में स्थान दिया गया है, और (ख) उन आवश्यक सामानों के मूल्य में ज्यादा वृद्धि न हो, जो कम आमदनीवाले वर्गों के उपभोग-क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों ही बातों पर पहली और दूसरी योजनाओं में जोर दिया गया था तथा इन योजनाओं की अवधि में अवाञ्छनीय प्रवृत्तियों को सुधारने अथवा मध्यम मार्ग पर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए थे। फिर भी, पहली योजना की अवधि में मूल्य विस्तृत रूप से डावाडोल हुए और दूसरी योजना की अवधि में उनकी प्रवृत्ति ऊपर उठने की रही। तीसरी योजना के प्रारम्भ में, थोक मूल्यों के स्तर और जीवन-यापन का व्यय दोनों पहले से ही काफी ऊंचे हैं और यह अत्यन्त आवश्यक है कि तीसरी योजना में मुद्रा-स्फीति-विषयक दबाव न बढ़े, साथ ही, समाज के विशेष निर्बल वर्गों का जीवन-स्तर सुरक्षित रहे।

पहली योजना में मूल्य

2 अगले पृष्ठ की तालिका (संख्या 1) में पहली योजना की अवधि में मूल्यों की प्रवृत्तियाँ दिखाई गई हैं। योजना के अन्त में थोक मूल्यों का सूचनाक मार्च 1951 की अपेक्षा करीब 22 प्रतिशत कम था। परन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि यह तुलना बहुत-कुछ भ्रमपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा-स्फीति के दबाव सन् 1951 में कोरिया की लड़ाई के कारण बहुत ही अधिक थे। सन् 1950 के मुकाबले में, मूल्यों के सामान्य सूचनाक में गिरावट कम थी—करीब 8 प्रतिशत, खाद्य-सामग्रियों के मूल्यों में करीब 14 प्रतिशत गिरावट आई थी, कुछ अन्य वर्गों—जैसे, ईंधन, विजली, प्रकाश और स्निग्ध पदार्थों तथा उत्पादन-सामग्रियों—के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई। कोरिया की लड़ाई खत्म होने और सन् 1951 में सरकार-द्वारा की गई मुद्रा-स्फीति-विरोधी वित्तीय एच मुद्रा-विषयक कार्रवाइयों के कारण मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट आई—सूचनाक मार्च 1951 के 125.2 से गिर कर मार्च 1952 में 99.9 पर आ गया। अगले दो वर्षों तक सूचनाक कमोवेश इसी स्तर पर रहा। सन् 1953-54 में बढ़िया फल होने के कारण मूल्यों में तेजी से गिरावट आई—खास तौर पर खाद्यान्नों के मूल्यों में, खाद्यान्नों के मूल्यों का सूचनाक मार्च 1953 के 102.2 से गिर कर एक साल बाद 98.6 हो गया और मार्च 1955 में 82.9। इस परिस्थिति को देख कर ही योजना के व्यय की सीमा में वृद्धि की गई और सरकारी खाते में खाद्यान्नों की कुछ खरीद हुई। जुलाई 1955 तक मूल्यों में ऊपर उठने की प्रवृत्ति माफ दिखाई पड़ी। योजना के बाकी समय में यही प्रवृत्ति जारी रही। मार्च 1956 में थोक मूल्यों का सूचनाक 98.1, अर्थात् सन् 1952-53 के स्तर से कुछ ही नीचा था।

3 अर्थिकों के अखिल भारतीय जीवन-यापन-व्यय का सूचनाक (1949=100) मार्च 1951 में 103 था। वर्ष-प्रति-वर्ष इसमें काफी परिवर्तन होते रहे और मार्च 1955

तात्कालिक-संख्या 1
 थोक मूल्यों का सूचकांक 1950-56
 (आधार : 1952-53=100)

(माघ सप्ताहों का औसत)

वस्तुएं	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1950 की तुलना में 1956 में प्रतिशत परिवर्तन	1951 की तुलना में 1956 में प्रतिशत परिवर्तन
	1 खाद्य पदार्थ	108.3	122.4	93.7	102.2	98.6	82.9	92.8	-11.3
अनाज	92	100	95	100	88	70	86	-6.5	-14.2
दालें	80	102	85	98	71	49	77	-3.8	-24.5
2. धाराब और तम्बाकू	91.6	112.9	121.6	92.8	96	86	78.7	-14.1	-30.3
3 इंधन, विजली, प्रकाश और स्थाय पदार्थ	91.1	97.5	98	98	95.7	96.7	96.8	+6.3	-0.7
4 औद्योगिक कच्ची सामग्रियां	119.1	153.7	103.2	101.5	106.2	97.2	109.4	-8.1	-28.8
कच्ची कपास	93	141	109	96	108	92	107	+15	-25.7
तेलहन	132	149	85	115	109	71	106	-19.7	-28.9
5 उत्पादक सामान	98.9	118.7	107.6	98.9	100.6	101.1	102.9	+4	-13.3
संयंत्रों उत्पादन	102.1	132.6	108.4	99	98.5	97.4	110.5	+8.2	-16.7
तैयार उत्पादन	98.3	116.5	107.5	98.8	101.2	101.7	101.5	+3.4	+12.8
संब वस्तुएं	106.4	125.2	99.9	100.8	100.3	90.8	98.1	-7.8	-21.7

में यह गिर कर 94 तक पहुँच गया, पर योजनाकाल के अन्त तक यह फिर बढ़ कर 100 हो गया। पांच वर्षों की अवधि में सूचनाक में 3 प्रतिशत की गिरावट आई, पर पहली योजना के समाप्त होने से पहले ही ऊपर उठने की प्रवृत्ति आरम्भ हो चुकी थी। मार्च 1951 के अन्त तक समाप्त होनेवाले 12 महीनों में सूचनाक में 6 प्रतिशत से कुछ अधिक वृद्धि हुई।

4 यह सही है कि पहली योजना के आरम्भ-काल में मूल्यों का स्तर अनावश्यक रूप से ऊँचा था और उसमें सुधार करनेवाली गिरावट जरूरी थी, पर इसमें कम सन्देह की गुंजायश है कि योजना के मध्य-काल में अनाजों के मूल्य में जो गिरावट आई, वह आवश्यकता से अधिक और हानिकारक थी। इस गिरावट की प्रवृत्ति को ठीक समय पर रोका नहीं जा सका, क्योंकि बहुत समय तक इस बात में सन्देह रहा कि वह उचित स्तर कौन-सा होगा, जहाँ सरकार को खरीदारी करनी चाहिए।

दूसरी योजना में मूल्य

5 दूसरी योजना की अवधि को मूल्यों में वृद्धि की अवधि माना जाता है, हालाँकि इस मूल्य-वृद्धि का कुछ अंश पहले की गिरावट के सुधार के रूप में था। पांच वर्षों की अवधि में, थोक मूल्यों के सामान्य सूचनाक में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सामूहिक रूप से खाद्यान्नों के मूल्य में करीब 27 प्रतिशत की, औद्योगिक कच्ची सामग्रियों के मूल्य में 45 प्रतिशत की और उत्पादक सामान के मूल्य में 25 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई। अगली तालिका-संख्या 2 में इसकी एक झाकी प्रस्तुत की गई है।

6 स्पष्ट है कि अनाजों का सूचनाक, जो मार्च 1956 में 100 से नीचे था, अगले तीन वर्षों में तेजी से ऊपर उठा। दालों की भी यही प्रवृत्ति रही। 1961 में अनाजों का सूचनाक वापस 100 पर आ गया और दालों का 93 पर। 'खाद्य पदार्थों' के अन्य अंगों के मूल्यों में जो वृद्धि हुई, वही इस वर्ग की चीखों के मूल्यों की निरन्तर ऊपर उठने की प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। खाद्यान्नों की सापेक्षिक कमी दूसरी योजना के प्रारम्भिक काल में मूल्य-वृद्धि का प्रधान कारण थी। योजनाकाल के उत्तरार्द्ध में, मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति का मुख्य कारण कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल की कमी था। मार्च 1959 के बाद थोक मूल्यों के सूचनाक में जो 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके दो-मचमाश का श्रेय कच्चे सामान के मूल्यों में वृद्धि को और बाकी दो-मचमाश का श्रेय उत्पादक सामान के मूल्यों में वृद्धि को था—घाशिक रूप से यह कच्चे सामान के मूल्यों में वृद्धि का परिणाम था।

7 दूसरी योजना की अवधि में थोक मूल्यों की निरन्तर ऊपर उठने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण, निस्सन्देह, आवादी और मुद्राजन्य आय में वृद्धि के फलस्वरूप मांग का बढ़ता हुआ दबाव था। आपूर्ति-विषयक तत्वों ने भी समय-समय पर अपना हिस्सा भुगत किया। नव 1957-58 में गत वर्ष की अपेक्षा खाद्यान्नों का उत्पादन 60 लाख टन कम हुआ। फिर, 1959-60 में भी गत वर्ष की अपेक्षा 40 लाख टन कम खाद्यान्न-उत्पादन हुआ। उन वर्ष पिछले वर्ष को तुलना में कपास का उत्पादन 18 प्रतिशत कम, पटसन का उत्पादन 12 प्रतिशत कम और तैलहन का उत्पादन करीब 8 प्रतिशत कम हुआ। कृषि-उत्पादन की इन कमियों और अस्थिरताओं ने सम्पूर्ण रूप में मूल्य-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। दूसरी योजना के अन्त में खाद्यान्न-मूल्यों का स्तर बहुत ऊँचा तो नहीं कहा जा सकता, पर यह मानना पड़ेगा कि दूसरी योजना की अवधि में इन मूल्यों में कई बड़े उलट-फेर हुए।

दरअसल, अगर सन् 1960-61 के खाद्यान्न-मूल्यों के औसत स्तर की तुलना सन् 1955-56 के औसत स्तर से की जाए, तो वृद्धि 37 प्रतिशत तक ठहरती है। बाद में खाद्यान्नो के मूल्यों में जो अपेक्षाकृत स्थिरता आई, वह बहुत-कुछ पी० एल० 480 के आयातों के कारण थी।

8 थोक मूल्यों की तरह ही, श्रमिक-वर्ग के जीवन-यापन-व्यय का सूचनाक भी दूसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में ऊपर उठने की प्रवृत्ति दिखाता रहा। यह सूचनाक (1949=100), जो दूसरी योजना के प्रारम्भ में 100 था, योजना के अन्त में 124 पर आ पहुँचा। योजनाकाल के पूर्वार्द्ध में सूचनाक में वृद्धि मुख्यतः खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई। परन्तु अन्तिम दो वर्षों में खाद्यान्नो के मूल्यों में जो अपेक्षाकृत स्थिरता आई, वह जीवन-यापन-व्यय को ऊपर चढ़ने से न रोक सकी। इसका कारण यह है कि खाद्य-वर्ग में खाद्यान्नो के अतिरिक्त कुछ पदार्थों और जीवन-यापन-व्यय के कई अन्य तत्वों के मूल्य में वृद्धि होती रही।

9 दूसरी योजना का अनुभव इस बात को पुष्ट करता है कि अगर ठोस पूँजी-विनियोग का कार्यक्रम हो, तो मूल्यों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने की सम्भावनाएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि कृषि-उत्पादन, अर्थात् खाद्य-पदार्थों और कच्चे माल का उत्पादन, किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तीव्र करना है, तो उद्योग, खनन और परिवहन को शीघ्रता से विकसित करना होगा। पर इस समस्त विकास का आभार निश्चय ही एक अधिक दक्षतापूर्ण एवं प्रगतिशील कृषि होना चाहिए। इससे यह परिणाम निकलता है कि चूँकि कृषि-उत्पादन अनिश्चयपूर्ण वर्षों पर निर्भर करता है, इसलिए द्रुत उद्योगीकरण का कार्यक्रम आर्थिक अस्थिरता पैदा किए बिना तभी पूरा किया जा सकता है, जब सरकार के पास समय-समय पर होनेवाली कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक हो। इसके अलावा कृषि-उत्पादनों के मूल्यों पर ऋतु और प्रदेश-विषयक गर्भ, र. विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है, जो कि अक्सर सट्टेबाजी से सम्बद्ध सचय के कारण और भी उभड़ती हैं। सरकार न्यायपूर्ण ऋय और विक्रय के द्वारा इन विभिन्नताओं को कम कर सकती है।

तीसरी योजना के लिए दृष्टिकोण

10 अब प्रश्न यह है कि तीसरी योजना के लिए मूल्यों के बारे में दृष्टिकोण क्या हो? स्पष्टतः एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मांग-विषयक तत्वों का रख ऊपर की ओर होना चाहिए। योजना में यह कल्पना की गई है कि पूँजी-विनियोग के वर्तमान स्तर 11 प्रतिशत को बढ़ा कर पाँच वर्ष की अवधि के अन्त तक लगभग 14 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे मुद्रा की आमदनी बढ़ेगी और इसके मुकाबले में सामान की अतिरिक्त आपूर्ति करनी होगी। पूँजी-विनियोग की परिवर्द्धित राशि के लिए वित्तीय उपायों से वित्त की व्यवस्था करनी होगी जिसके फलस्वरूप कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मूल्य-वृद्धि होगी। योजना के फलस्वरूप वचत में अधिक वृद्धि होगी। एक बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता की कल्पना तो की ही गई है, पर यह जरूरी होगा कि स्वदेशी बचतों के वर्तमान स्तर 8.5 प्रतिशत को बढ़ा कर आगामी पाँच वर्षों में करीब 11.5 प्रतिशत तक ले जाया जाए। परन्तु यदि सब प्रकार की उपभोक्ता-सामग्रियों को मांग पूरी करनी पड़े, तो यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, कम जरूरी उपभोक्ता-सामग्रियों के उपभोग पर बन्धन लगाना ही होगा, ताकि योजना के पूँजी-विनियोग

तालिका-संख्या 2
शोक मूल्यों का सूचकांक : 1956-61
(आधार : 1952-53 = 100)

वस्तुएं	(मार्च सप्ताहों का औसत)						1956 की तुलना में 1961 में प्रतिशत वृद्धि
	1956	1957	1958	1959	1960	1961	
1. खाद्य पदार्थ	92.8	102.3	102.3	113.8	117	117.6	(+) 26.7
अनाज	86	99	95	102	103	100	(+) 16.3
दालें	77	84	78	113	90	93	(+) 20.8
2. शराब और तम्बाकू	78.7	87.2	94.9	100.3	96.4	114.2	(+) 45.1
3 ईंधन, विजली, प्रकाश और सिगरेट पदार्थ	96.8	106.5	114.5	115.6	117.8	121.3	(+) 25.3
4. औद्योगिक कच्ची सामग्रियां	109.4	117.3	113.3	116.2	131.9	159.1	(+) 45.4
कच्ची कपास	107	113	103	102	113	111	(+) 3.8
तेलहन	106	119	113	128	141	150	(+) 50.9
5. उत्पादक सामान	102.9	106.2	107.6	108.2	116.9	129.4	(+) 25.7
मध्यवर्ती उत्पादन	110.5	108.9	106.8	109.4	121.3	137.2	(+) 24.1
सैमार उत्पादन	101.6	105.7	107.7	108	116.1	128.1	(+) 26.1
सब वस्तुएं	98.1	105.6	105.4	112.3	118.9	127.5	(+) 30

के कार्यक्रमों के लिए साधन मिल सके। इसके अतिरिक्त, इस समय विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश के सम्बन्ध में स्थिति दूसरी योजना की अपेक्षा अधिक पेचीदा है। दूसरी योजना में पूँजी-विनियोग में वृद्धि के कारण मुद्रा-स्फीति-विषयक जो दबाव बढ़ा था, उसके एक अंश को विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से धन निकाल कर प्रभावहीन कर दिया गया था। तीसरी योजना में धीमापन लानेवाला यह तत्व उपलब्ध नहीं है। दरअसल, तीसरी योजना की यह मांग है कि निर्यात बढ़ाने के लिए पूर्णतम प्रयत्न किए जाए। इससे निर्यात होने-योग्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आएगी और अपने देश में उनकी खपत कम हो जाएगी।

11 जहाँ तक आपूर्ति का सम्बन्ध है, बुनियादी तौर पर आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं और कच्ची सामग्रियों के उत्पादन के बारे में योजना के लक्ष्य स्वदेशी उपभोक्ता और निर्यात की सम्भावित जरूरतों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद निश्चित किए गए हैं। खाद्यान्न के उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि करनी है, ताकि न केवल आवादी और श्रम के बढ़ने से पैदा हुई मांग को पूरा किया जा सके, बल्कि खाद्यान्नि-सम्बन्धी वर्तमान कमी भी पूरी हो, जिसकी पूर्ति अभी आयात-द्वारा की जाती है। चावल और गेहूँ के उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि की व्यवस्था इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर की गई है कि आय-वृद्धि के साथ-साथ लोग घटिया अनाजों के स्थान पर बढ़िया अनाज लेना पसन्द करते हैं। कपास के उत्पादन में 37 प्रतिशत, तेलहन में 38 प्रतिशत और चीनी में 25 प्रतिशत वृद्धि की बात सोची गई है। प्रति व्यक्ति कपड़े के उपभोग में वृद्धि की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उसकी मात्रा सन् 1960-61 के 15.5 गज से बढ़ कर सन् 1965-66 में 17.2 गज तक पहुँच जाए। कारखानों, विजली के करघों और हथकरघों के कपड़े का उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ाने का विचार है। योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो स्वरूप रखा गया है, उसमें पूँजी-विनियोग में बड़ी वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग में थोड़ी-बहुत वृद्धि होगी ही। इस तथ्य से कि तीसरी योजना के शुरू में सरकार के पास करीब 28 लाख टन खाद्यान्न और आगामी कुछ वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत 1.44 करोड़ (मीट्रिक) टन गेहूँ आएगा, यह आशा बघती है कि गेहूँ का भाव—और कुछ सीमा तक, एक वर्ग के रूप में खाद्यान्नों का भाव—अगले कुछ वर्षों में विशेष नहीं चढ़ेगा, वरतों कि वर्षों की स्थिति बहुत ही विगड़ न जाए।

12 पिछले कुछ वर्षों में देश की उत्पादन-क्षमता कृषि और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में काफी बढ़ी है। तीसरी योजना में उर्वरकों की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की आशा की गई है। सिंचाई की सुविधाओं के उपयोग में देर न होने की व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में प्रभावपूर्ण ढंग से बढ़ा है और यद्यपि आयातित कच्ची सामग्रियों और उपकरणों के मामले में कठिनाइयाँ बनी रहेंगी, फिर भी कुल मिला कर योजनाकाल के लिए स्थिति आशाजनक है। योजना के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का सग्रह करने की योजना एक सीमित क्षेत्र में घाटे की अर्थव्यवस्था आवश्यक कर देती है, इस बात की पूरी कौशिल्य की जाएगी कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में मुद्रा-उपलब्धि में वृद्धि उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं तक सीमित रहे। इस प्रकार, योजना मुद्रा-स्फीति के दबावों को कम करने, और आवश्यक मांगों की वृद्धि तथा उनके अनुकूल आपूर्तियों की उपलब्धता के बीच सन्तुलन कायम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

13 इस प्रकार के सन्तुलन और वचावो के वावजूद उल्लेखनीय—और गहवडी पैदा करनेवाली भी—मूल्य-वृद्धि की सम्भावनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह, कि वर्षा-सम्बन्धी अनिश्चितता पूर्ववत् विद्यमान है। किसी वर्ष कृषि-उत्पादन में यदि 5 प्रतिशत भी कमी आ जाए, तो विक्री-योग्य अतिरिक्त सामग्रियों में काफी कमी आ जाएगी और अनुपात से कहीं अधिक मूल्य बढ़ जायेंगे। दूसरी बात यह, कि योजना में उपभोग पर जो विभिन्न बन्धनों लगाई गई हैं, उनका सदा पूरा-पूरा पालन नहीं भी हो सकता है, परिणामस्वरूप, योजना-अवधि के एक अंश में जरूरत से ज्यादा मांगें बनी रह सकती हैं। तीसरी बात यह, कि यद्यपि योजना का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति में सन्तुलन स्थापित करना है, तथापि कभी-कभी असन्तुलन पैदा होना लगभग निश्चित है, विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी-विनियोग और उत्पादन का निश्चय वस्तुतः ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता। फिर विभिन्न स्तरों पर श्रुटियां रह जाने की भी पूरी सम्भावना है।

14 इस प्रकार, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि तीसरी योजना की अवधि में मूल्यों पर कड़ी नजर रखनी होगी—ताम तौर पर, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर, और एक चुम्बकवस्थित नीति पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी, ताकि कठिनाइयों के वस्तुतः उद्य होने से पूर्व ही उनका इलाज किया जा सके। जिस चीज के बारे में विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, वह है मुद्रा-स्फीति के दबावों में वृद्धि, हालांकि कुछ वस्तुओं की सापेक्षिक बहुलता और मूल्यों में गिरावट की स्थिति समय-समय पर उपस्थित होती रह सकती है। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों की रोकथाम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मूल्य में निरन्तर वृद्धियों और गिरावटों की बात छोड़ भी दें, तो ऋतु-सम्बन्धी उतार-चढ़ावों और मूल्य-सम्बन्धी विषमताओं के चलते नुधारमूलक कार्रवाइयां करनी ही पड़ेंगी। किसानों को अपने उत्पादनों के लिए स्थिर और उचित मूल्य का निश्चय होने से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, अपेक्षा इसके कि मूल्य ऊंचे तो हों, पर अक्सर उतार-चढ़ाव आने के कारण अनिश्चित रहें।

मूल्य-नीति का क्षेत्र और सीमाएँ

15 यह बात उल्लेखनीय है कि मूल्य-नीति को सम्पूर्ण आर्थिक-नीति का एक अंग नमना जाना चाहिए, प्रश्न केवल यह नहीं है कि कुछ खास-खास मूल्यों के बारे में क्या किया जाना है अथवा क्या किया जाना चाहिए। मूल्यों के स्तर और स्वरूप सरकारी द्वारा नियंत्रित करनेवाले कुछ बुनियादी आर्थिक निर्णयों में सम्बद्ध होते हैं, परन्तु बाकी निर्णय उद्योगों, उद्योगिकताओं और पूर्ण-विनियोग-नतीजों पर निर्भर करते हैं जो विस्तार में फैले हुए होते हैं और जो अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि में काम करते हैं। योजना का प्रश्न यह है कि इन सम्बद्ध निर्णयों को एक षातल पर लाया जाए, पर अल्प-दाल में पूर्ण में नाला लय परिदृश्य बना जा सके, इसकी भी सीमाएँ हैं। नीति-निर्णयों में प्रमुख निर्णय—जैसे, किना पूँजी-विनियोग किया जाए, अल्पकालीन और दीर्घकालीन निर्णयों को निर्दिष्ट करने के लिए प्राथमिकता दी जाए, आवश्यक सामग्री उद्योगों में निश्चित दरों पर देना, निर्वात को माथा में वृद्धि या अल्प-दाल को निर्दिष्ट करने में सम्बद्ध कुछ निर्णयों के आधार पर किए जाने हैं।

इन सब निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए कि मूल्यों के स्वरूप को बदलने का क्षेत्र किसी भी प्रकार सीमाहीन नहीं है।

16 विकास के कारण मूल्यों में कुछ चढ़ाव आते ही हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। पूजी-विनियोग बढ़ाने की प्रक्रिया में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि के मुकाबले मुद्राजन्य आय ज्यादा बढ़ती है। पूजी-विनियोग कुछ समय के बाद ही वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है और कुछ पूजी-विनियोग अन्य पूजी-विनियोगों की अपेक्षा परिपक्व होने में अधिक समय लेते हैं। जितना अधिक पूजी-विनियोग-सम्बन्धी प्रयत्न होता है, उतना ही अधिक मूल्यों में चढ़ाव आता है। इसी प्रकार, जितनी अधिक देर में परिपक्व होनेवाली हाथ में ली जाएगी, उतना ही अधिक अर्थव्यवस्था पर भार पड़ेगा। जन-शक्ति तथा अन्य साधनों का नए कामों में उपयोग करने से पारिश्रमिक के रूप में अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यह भी मुद्रा-स्फीति बढ़ानेवाला एक उल्लेखनीय तत्व है।

17 दूसरी ओर, कुछ ऐसे तत्व भी हैं, जो मूल्य-वृद्धि-सम्बन्धी दवावों को कम कर देते हैं। जिस सीमा तक अप्रयुक्त साधन उपलब्ध होंगे और कृषि-जैसे कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम पूजी-विनियोग करके शीघ्र उत्पादन-वृद्धि की गुंजायश होगी, उस सीमा तक ऊपर उल्लिखित विस्तारवादी दवावों को कम किया जा सकता है। फिर, पहले किए गए कुछ पूजी-विनियोग चालू उत्पादन में वृद्धि करते हैं, और ज्यों-ज्यों टेम्पोलाजी-विपयक तथा मगठनात्मक क्षमता सुधरेगी, त्यों-त्यों लागत में सापेक्ष वृद्धि हुए विना ही उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। ये कुछ ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने अनुकूल परिस्थितियों में, कुछ देशों के लिए मूल्यों में पर्याप्त स्थिरता रखते हुए विकास के ऊँचे स्तर प्राप्त करना सम्भव किया। उचित मूल्य-नीति से पुष्ट उत्पादन और वचत-सम्बन्धी आवश्यक प्रयत्नों से उन विस्तारवादी दवावों पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है, जो विकास-कार्यों के कारण सामने आते हैं।

18 परन्तु ऊपर उल्लिखित विस्तारवादी और न्यूनतावादी तत्वों के सन्तुलन की प्रवृत्ति अस्थिरतापूर्ण तथा अनिश्चयात्मक होती है। एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था को लगातार कई वर्षों तक पूजी-विनियोग में वृद्धि करनी होती है और अनुकूल श्रमिण श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को कुशल कर्मचारी और टेक्नीशियन में परिणत करना होता है। अनुकूलता ग्रहण करने की इस प्रक्रिया में कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। चूँकि आवश्यक वास्तविक साधनों की व्यवस्था मुद्रा-विपयक प्रोत्साहन देकर और अर्थव्यवस्था के तीव्रतापूर्वक विस्तारवाले क्षेत्रों में काफी मुनाफे की गुंजायश बना कर की जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि मूल्य-स्तर में सामान्य चढ़ाव के लिए तैयार रखा जाए, परन्तु साथ ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए।

19 फिर भी, निरन्तर अथवा अत्यधिक मूल्य-वृद्धि के खतरे स्पष्ट हैं। अगर योजना के वित्तीय व्ययों की व्यवस्था उच्चतर मूल्यों-द्वारा ही होती है, तो योजना का यथार्थ तत्व उसी अनुपात में कम हो जाता है। मुद्रा-स्फीति की स्थिति साधनों के सर्वाधिक सुन्दर उपयोग की दृष्टि से हितकारी नहीं है। यह सापेक्ष मूल्यों में गड़बड़ी पैदा करती है और साधनों को उन उपयोगों से दूर ले जाने की चेष्टा करती है, जिनका

सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। स्थिर आय प्राप्त करनेवाले लोगों से, जिनमें नमाज के अत्यन्त निर्बल वर्गों के लोग भी होते हैं, यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने वास्तविक जीवन-स्तर को बहुत समय तक त्यागे रहेंगे, और फिर, अगर मुद्रा-विपयक आय एक विस्तृत क्षेत्र में बढ़ जाए, तो उसका परिणाम यही होगा कि मुद्रा-स्फीति के चक्कर में एक और घुमाव आ जाएगा। इसलिए, समस्या बहुत अधिक और बहुत कम हस्तक्षेप के बीच नहीं सीमा-रेखा खींचने की और अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण स्थलों पर नियन्त्रण तथा नियमन की समुचित तकनीकें निकालने की है।

मूल्य-नीति के अंग

20 इन स्थिति में मूल्य-नीति का एक महत्वपूर्ण अंग वित्तीय और मुद्रा-विपयक अनुशासन है। वित्त-नीति का संचालन इस प्रकार करना होगा कि अतिरिक्त क्रय-शक्ति विनष्ट हो जाए, क्योंकि यह उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में उनकी मांग को बढ़ाती है। दूसरे शब्दों में, कराधान की मात्रा उपभोग को योजना में निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने-योग्य होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग-कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति जनता से वास्तविक साधन प्राप्त करके होनी चाहिए, न कि ताजा ऋण-शक्ति को जन्म देकर। दूसरे शब्दों में, वित्त-नीति के हर पहलू का लक्ष्य उपभोग पर बन्धन लगाना और अधिक प्रभावशाली ढंग से वचत को प्रोत्साहन देना होना चाहिए।

21 इन सन्दर्भ में दो बातें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की मूल्य-नीति के बारे में भी कही जा सकती हैं। सार्वजनिक वचत को बढ़ाने में इन उद्योग-व्यवसायों का बड़ा महत्व है। इसलिए यह जरूरी है कि ये मुनाफे में चले और इस काम के लिए आवश्यक दक्षता का ऊंचा स्तर बनाए रखें। उनकी मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए कि सार्वजनिक कोष में लगाई गई पूंजी का पूरा-पूरा मुनाफा मिले।

22 मुद्रा-नीति को भी वित्त-नीति के अनुकूल होना चाहिए। जिस प्रकार वित्त-नीति को सरकारी कार्रवाइयों-द्वारा अतिरिक्त क्रय-शक्ति का निर्माण रोकना चाहिए, उसी प्रकार मुद्रा-नीति को बैंकों-द्वारा दिए जानेवाले ऋणों का नियमन करना चाहिए। एक विकसितशील अर्थव्यवस्था की ऋण की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जाती हैं और उनकी व्यवस्था भी बरती होती है। पर इन बात का ध्यान रखना होगा कि निजी क्षेत्र में विनाश की मात्रा और गति ऐसी न हो कि योजना में बताई गई सीमाओं को लाघ जाए और पूंजी-विनियोग के लिए उपलब्ध सीमित साधनों पर अनुचित दबाव पड़े। वस्तुओं को मुनाफा-प्रेरी के लिए दबा लेने और भास जमा करने की प्रवृत्ति को खास तौर पर निरन्माहिन किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने अभी तक जिन किंशिट ऋण-नियन्त्रण की नीति का अवलम्बन किया है, उन्ने वाद में बैंकों ने सार्वनीतिक ऋण-निर्माण पर रोक लगाने-विपयक कार्रवाइयों-द्वारा पुष्ट किया है। नूद की दरें बढ़ गई हैं और मजदूरी घट-बढ़ बड़ाई नहीं गई है, तथापि रिजर्व बैंक-द्वारा एक नई पद्धति चलाई गई है। रिजर्व अनुसार बैंको-द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उधार लिए जाने पर दण्ड लगाया जाता है। मुद्रा-नीति की व्यवस्था-अवस्था विवरण को छोड़ भी दें, तो इन तथ्य को मानना पर्याप्त है। भारत में मांग के मुकाबले में पूंजी की कमी है और अर्थव्यवस्था क

दूरगामी हित को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए दिया जानेवाला मूल्य खास मामलो को छोड़ कर, वास्तविक लागत को अभिव्यक्त करता है। यह बात योजना की विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, और इन परियोजनाओं से मिलनेवाले उत्पादनों अथवा सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण करने, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

23 देश में वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए कुछ हद तक वाणिज्य-नीति का भी उपयोग हो सकता है, पर चूंकि आगामी अनेक वर्षों तक आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए देश में वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रहेगी। वस्तुतः विदेशी मुद्रा-अर्जन की आवश्यकता को देखते हुए, देश के उत्पादन में से बचत करनी होगी, भले ही इससे देश में मूल्य-वृद्धि हो जाए। अभी देश विदेशी मुद्रा-विषयक जिस स्थिति का सामना कर रहा है, उसमें अगर विदेशी मुद्रा-अर्जन के विस्तार और देश के उपभोक्ताओं-द्वारा अधिक मूल्य चुकाए जाने के बीच से किसी एक को चुनना हो, तो निश्चय ही पहली बात को प्रमुखता मिलनी चाहिए।

24 वित्तीय और द्रव्य-विषयक पर्याप्त अनुशासन के अभाव में नियमन-विषयक अन्य उपायों का वांछित फल नहीं निकल सकता। पर वित्त-नीति और द्रव्य-नीति भी अपने-आप में इतनी समर्थ नहीं हैं कि विभिन्न मूल्यों के बीच उचित समन्वय बनाए रख सकें अथवा थोड़ी और स्थिर आमदनीवाले वर्गों को अनुचित कठिनाइयों से बचा सकें। इसलिए यह जरूरी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में भीतिक आवंटन और प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहे। उदाहरण के लिए, इस बात से कोई असहमत न होगा कि जब तक इस्पात की कमी है, तब तक स्वीकृत प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न उपयोगों के लिए इसका वितरण हो। निस्सन्देह, यह जरूरी हो सकता है कि जिस वस्तु की कमी हो, उसके दाम बढ़ा दिए जाए परन्तु व्यापक दृष्टि से यह वांछनीय नहीं होगा कि सबसे ऊंची बोली बोलने-वाला उपलब्ध सामान के एक बड़े भाग को उठा ले जाए और शेष को अपना रास्ता खुद निकालने के लिए छोड़ दे। इसी प्रकार, यदि किसी आवश्यक औषध की कमी है, तो उसके मूल्य का नियन्त्रण और सचमुच जरूरतमन्द लोगों को उचित मूल्य पर उसके लिए जाने का प्रबन्ध करना ही सबसे सही मार्ग होगा। यही दलील जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं—जैसे, खाद्य और कपड़ा—पर भी लागू होती है। बुनियादी तौर पर आवश्यक कही जा सकनेवाली वस्तुओं का मूल्य बहुत-कुछ स्थिर रखना होगा, जो वस्तुएं 'कम आवश्यक' हैं, अथवा जिन्हें विशेष आरामवाली, चीजें कहा जा सकता है, उनके मूल्यों में वृद्धि सहन करनी पड़ सकती है। वस्तुतः आरामदेह और शौकिया वस्तुओं के बारे में नीति का एक आवश्यक अंग यह है कि साधनों को बढ़ाया जाए, उनके मूल्य में वृद्धि का एक सामान्य मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। मूल्य-नियमन की तकनीकें वस्तु-वस्तु के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, कुछ मामलों में उत्पादन-वृद्धि ही मूल्यों के उचित स्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हो सकता है। अन्य मामलों में, वस्तुओं का सकट-काल के लिए सग्रह, वितरण की व्यवस्था का पुनर्संगठन और कुछ प्रत्यक्ष नियन्त्रण जरूरी हो सकते हैं।

नियन्त्रणों का क्षेत्र

25 सरकार को कुछ वस्तुओं के मूल्यों का नियन्त्रण करने और उनका आवंटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस्पात, सीमेंट, कच्ची कपास, चीनी और कोयला

इसी वर्ग में आते हैं। उर्वरकों के मूल्य केन्द्रीय उर्वरक-समन्वय-द्वारा नियमित होते हैं। निर्माताओं-द्वारा नियमित खरीदारी के माध्यम से कच्चे पटनन के मूल्य स्थिर करने की बात भी सोची गई है। आवश्यक वस्तु-अधिनियम और औद्योगिक विकास तथा नियमन-अधिनियम के अन्तर्गत कई वस्तुओं के मूल्यों और आवंटन पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था है। उत्पाद-शुल्क लगने-योग्य सभी वस्तुओं के उत्पाद-शुल्क की दरों में भी सरकार समय-समय पर परिवर्तन कर सकती है, ताकि विशेष वस्तुओं के मूल्यों के परस्पर-सम्बन्ध समुचित रूप से बदल सकें। अभी ये परिवर्तन केवल बजट पेश करते समय ही किए जा सकते हैं। इस बात की जांच करना वांछनीय होगा कि लचीलेपन की दृष्टि से क्या सरकार को ऐसे अधिकार हाथ में लेने चाहिए कि वह बीच में भी निश्चित सीमाओं के भीतर उत्पाद-शुल्क में उचित परिवर्तन कर सके।

26 इन प्रकार चीजों पर नियन्त्रण के क्षेत्र और मूल्यों के उठाव-उतार की सीमा का निश्चय उत्पादन और मांग की समय-समय पर उपस्थित होनेवाली प्रवृत्तियों की ध्यान में रखकर करना होगा। चीनी के मामले में, इस समय सन्ध्या फालतू चीनी से सम्बद्ध है। इस चीनी के कुछ भाग का निर्यात करना सम्भव हो सकता है। पर चूकि स्वदेशी चीनी की उत्पादन-लागत शेष विश्व में चीनी के मूल्यों से अधिक है, इसलिए विदेशों में इसकी बिक्री के लिए सहायता देना जरूरी होगा। कुछ समय तक स्वदेश में चीनी की मांग भीमे-भीमे बढ़ेगी और नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उत्पादन में सुधार किया जाए, बजाय इसके कि अन्य फसलों को छति पहुँचा कर गन्ने की फसल का क्षेत्र बढ़ाया जाए। कपास के मामले में, उपभोक्ता की दृष्टि से कपड़े के मूल्य में कमी वांछनीय होगी, पर इन बात को ध्यान में रखना होगा कि कच्ची कपास की कमी को आयात से पूरा करना पड़ेगा और इस पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इस प्रकार की स्थिति में, अधिक उत्पादन की प्रेरणा देने के लिए मूल्य में वृद्धि करना उपयोगी होगा। तैलहन के मामले में, अधिक निर्यात करने की जरूरत है, वास्तव में इन बात के कि देश में तैल की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहाँ आवश्यकता इन बात की है कि मूल्यों को मुख्यतः निर्यात की दृष्टि से नियमित किया जाए। व्यावसायिक फसलों के मूल्यों का नियमन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करने की आवश्यकता होगी।

27 उचित मूल्यों की समानता का प्रश्न इस प्रश्न के साथ जुड़ा है कि उपभोक्ता जो मूल्य देता है, क्या उनका लाभ मदा उत्पादनकर्ता को मिलता है, या कि उसके लाभ को विचाराए हथिया लेते हैं। इन मूल्यों के बीच चाहे जो भी सामान्य सम्बन्ध हो, इन्में कोई सम्बन्ध नहीं कि अभाव की अवस्था में उत्पादक के मूल्य और उपभोक्ता के मूल्य के बीच की दूरी बढ़ने की ओर प्रवृत्त होती है। यही बात आयातित वस्तुओं के बारे में भी लागू होती है, जिनकी मांग उपलब्धता के मुकाबले में अधिक होती है। राज्य-व्यापार-नियम ने बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करके और उन्हें वास्तविक उपभोक्ताओं में बाँट कर दोनों मूल्यों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक सम्भव हो, विचोर्णियों का मुनाफा आयातित वस्तुओं और देश में पैदा होनेवाली वस्तुओं, दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी अथवा सहकारी अतिकरणों-द्वारा व्यापार के जरिए कम किया जाना चाहिए।

खाद्यान्नों और खुले बाजार की गतिविधियाँ

28 हमारे यहाँ-जैसी अर्थव्यवस्था में, जहाँ कम आयवाले परिवारों के खर्च का एक बड़ा भाग खाद्यान्नों से सम्बद्ध होता है, खाद्यान्नों के मूल्यों की समुचित स्थिरता बड़े महत्व की चीज है। पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय में इस क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ न तो पूरा नियन्त्रण ही सम्भव है और न पूरा अनियन्त्रण ही। सरकार को सदा ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि खाद्यान्नों के मूल्यों का प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रण कर सके। गेहूँ के क्षेत्र में, इस समय जितना गेहूँ उपलब्ध है और अगले तीन वर्षों में जितने आयात की आशा है, उससे मूल्य की स्थिरता का पूरा भरोसा होता है—हा, यदि फसल बुरी तरह नष्ट हो जाए, तो बात दूसरी है। चावल के सम्बन्ध में स्थिति अवश्य जटिल है, क्योंकि अभाव की अवस्था में उपलब्ध विदेशी मुद्रा-विषयक साधनों से चावल का पर्याप्त मात्रा में आयात कर सकना सम्भव नहीं होगा। अन्य अनाजों और दालों के बारे में स्थिति बहुत ही मिश्रतापूर्ण है।

29 खाद्यान्नों के उत्पादक को निश्चय ही युक्तिसंगत लाभ प्राप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसान को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के, जिनका वह उत्पादन करता है, मूल्य एक युक्तियुक्त न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं गिरने दिए जाएंगे। तीसरी योजना में किसान-द्वारा उर्वरकों के विस्तृत उपयोग और सुघरे हुए तरीके अपनाए जाने की बात कही गई है। किसान को इस प्रकार पूजी लगाने तथा अधिक श्रम करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से मूल्यों में तेज उतार-चढ़ाव रोकने तथा एक निम्नतम स्तर का भरोसा देनेवाली नीति अपनाना आवश्यक है। यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उचित उपायों या नीतियों की घोषणा और कार्यान्विति समय रहते हो, ताकि किसानों को अपने लाभ का भरोसा हो जाए। इसके साथ ही यह दूसरा उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो और जैसा कि पहले के पैराग्राफों में कहा गया है, यह खास तौर पर जरूरी है कि खाद्यान्नों-जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक न बढ़ें। ये बातें केवल मोटे तौर पर नीति के स्वरूप को प्रकट करती हैं। मूल्य-स्थिरता की कुंजी यह तथ्य है कि भारी मात्रा में खाद्यान्न जमा किए जाए और एक बड़े पैमाने पर निरन्तर खरीद और बिक्री का काम जारी रखा जाए। चूँकि देश के विभिन्न भागों में मूल्यों में काफी विभिन्नता है, इसलिए कुछ भागों में खरीद का और कुछ भागों में बिक्री की व्यवस्था की जा सकती है। पिछले दिनों एक बड़ी कठिनाई यह थी कि सरकार के पास भाण्डार करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। दीर्घकालीन खाद्य-नीति के एक अंग के रूप में जरूरी है कि सरकारी नियन्त्रण के अधीन भाण्डार और गोदाम की सुविधाएँ शीघ्रता के साथ विस्तृत की जाएँ। यह बात समझ लेनी चाहिए कि समूचे योजनाकाल में अग्र खाद्यान्नों के दाम गिरने लगेंगे, तो सरकार खरीद करेगी और अग्र चढ़ने लगेंगे, तो वह बेचेगी। जहाँ सरकार को भाण्डारण के काम में आयात से सहायता मिलनी है और अभी कुछ समय तक मिलेगी, वहीं यह भी आवश्यक है कि ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़े, त्यों-त्यों देश में की गई खरीद से सरकारी भाण्डार की वृद्धि की जाए। इसी प्रकार, देश में जब कमी और जहाँ भी खाद्यान्नों के भाव चढ़ने लगें, सरकार अपने भाण्डार से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न बेचने के लिए तैयार रहे। खुले बाजार की ये कार्यवाहियाँ लचीलेपन के साथ और

अनेक स्थानों पर की जानी चाहिए, ताकि इनका प्रभाव ठीक उन स्थलों पर पड़े, जहाँ उनकी जरूरत है।

30 कहा और किस हद तक क्षेत्रीय प्रवन्ध करना आवश्यक होगा, इसका निर्णय व्यावहारिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, खरीद और विक्री की कार्रवाई सीधे केंद्रीय सरकार-द्वारा की जाए अथवा राज्य-सरकारों-द्वारा, इसका निर्णय स्थिति की अनुकूलता के आधार पर करना होगा। जिस बात का पूरा निश्चय होने की आवश्यकता है, वह यह है कि मूल्यों के प्रवाह को प्रभावित करने की सरकार की सामर्थ्य वृद्धता से बड़े और इसके लिए खरीद तथा विक्री के द्वारा विस्तृत पैमाने पर निरन्तर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सरकार के पास संचित भाण्डार करीब 50 लाख टन होना चाहिए। मूल्यों को स्थिर रखने और ऋतु-विषयक तथा प्रादेशिक विभिन्नताओं में सुचारु लाने के लिए अपनाई जानेवाली खरीद एवं विक्री-सम्बन्धी कार्रवाइयों की सफलता के लिए किसानों से निकट सम्पर्क रखनेवाले सहकारी और सरकारी अभिकरणों की बड़ी संख्या में व्यवस्था होनी चाहिए, थोक व्यापार में लाइसेंस और नियमन की पद्धति शुरू की जानी चाहिए, उपयुक्त दिग्गजों में राज्य-व्यापार का विस्तार होना चाहिए, और खुदरा-स्तर पर वितरण की व्यवस्था महकारी संस्थाओं-द्वारा होनी चाहिए। मूल्यों का नियमन और नियन्त्रण इस दृष्टिकोण से संस्थागत परिवर्तनों की समस्या है, अर्थात् निजी संस्थाओं के मुकाबले में सरकारी और सहकारी संस्थाओं को पुष्ट करने का प्रयत्न है, जो कि विकासमूलक आयोजन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

31 अन्त में, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए योजना में पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यक वस्तुओं के उपभोग में युक्तिसंगत वृद्धि हो। मुख्य काम यह है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इस सम्बन्ध में जो कथिया हैं, उन पर मुद्रिकल से कानू पाया जा सकता है। वित्त-नीति और द्रव्य-नीति का बराबर यह लक्ष्य होना चाहिए कि उपभोग में मयम आए और वचत में अधिक-से-अधिक वृद्धि हो। प्रत्यक्ष नियमन और नियन्त्रणों का काम अनिवार्यतः यही है कि प्रमुख क्षेत्रों में अननुपलन नमाप्त हो और इन काम के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न-मन्त्रय तथा खुले बाजार की कार्रवाइया महत्वपूर्ण हैं। इन कार्रवाइयों को खाद्यान्नो तथा अन्य बुनियादी तौर पर आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में इन दृष्टि से आगे बढ़ाना होगा कि मूल्यों में अस्थिरता निर्धारित अधिष्ठान और न्यूनतम सीमाओं के अन्तर्गत रहे। मूल्य-विषयक महत्व का विराट के साथ मेल नहीं जाती और कुछ मूल्यों को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। उद्देश्य अथवा ही यह होना चाहिए कि न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निश्चित सीमाओं के अन्दर रहें। मूल्य-नियमन के लिए कई स्थलों पर कार्य किए जाने की जरूरत होगी। अतः यह योजना की गई है कि सरकार उपयुक्त स्तरों पर गादालों का अनुमान करने के लिए आवश्यक महकारी और सरकारी अभिकरण स्थापित करेगी तथा उन्हें बढाना देगी, ताकि मूल्यों की गतिविधि को प्रभावित करने में सक्षम होगी तथा मुद्रास्तरों-वर्गीय मन्त्रय-विशेषी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। अतः यह योजना की गई है कि सरकार उपयुक्त स्थिति में रह कर

विदेशी व्यापार का विकास

आयात की समीक्षा

पिछले दशक में, आर्थिक विकास की योजनाओं ने हमारे देश के विदेशी व्यापार पर अधिकाधिक प्रभाव डाला है—खास तौर से आयात पर। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा कुल मिला कर अर्थव्यवस्था का विकास होने के साथ-साथ पिछले दस वर्षों में आयात का स्तर काफी ऊँचा हो गया है। पहली योजना के दौरान कुल मिलाकर 3,620 करोड़ रु० के सामान का आयात हुआ—यानी औसतन 724 करोड़ रु० का सामान प्रति वर्ष विदेशों से मंगाया गया। दूसरी योजना में पूँजीगत सामान, कच्ची सामग्रियाँ, मध्यवर्ती सामान तथा पुर्जों, आदि की बड़ी हुई जरूरतों के कारण आयात का स्तर काफी ऊपर उठ गया। योजना के पहले दो वर्षों में आयात बड़ी तेजी से बढ़ा—सन् 1955-56 के 746 करोड़ रु० की तुलना में सन् 1956-57 में 1,099 करोड़ रु० मूल्य के और सन् 1957-58 में 1,233 करोड़ रु० मूल्य के सामान का आयात हुआ। वाद के दो वर्षों में कुल आयात की मात्रा घटी। सन् 1959-60 में आयात का स्तर घटकर 920 करोड़ रु० हो गया। आयात की मात्रा घटने का कारण यह था कि सरकार ने विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण आयात-लाइसेंस देने में कड़ाई की नीति बरती। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 1,080 करोड़ रु० मूल्य के आयात का अनुमान है। दूसरी योजना में कुल मिलाकर 5,360 करोड़ रु० मूल्य के आयात का अनुमान है। इस हिसाब से वार्षिक औसत 1,072 करोड़ रु० का पडा और यह पहली योजना के औसत स्तर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। नीचे की तालिका में पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत सामान की तीन मुख्य श्रेणियों के आयात का वार्षिक औसत दिया गया है

तालिका-संख्या 1

आयात 1951-61

(करोड़ रु०)

श्रेणी	1951-56	1956-61
	वार्षिक औसत	वार्षिक औसत
उपभोक्ता-सामान	235	247
कच्ची सामग्रियाँ और मध्यवर्ती सामान	364	502
पूँजीगत सामान	125	323
योग	724	1,072

2 चूँकि तीसरी योजना में पूँजी-विनियोग का कार्यक्रम और भी विद्यान है तथा उसमें बुनियादी और भारी पूँजीगत सामान-उद्योगों के विद्यान को पुनः प्राथमिकता दी गई है, इसलिए उसमें आयात की आवश्यकताएँ दूसरी योजना से भी अधिक होंगी।

तीसरी योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए मशीनों और उपकरणों के आयात पर लगभग 1,900 करोड़ रु० का खर्च बैठेगा। इसके प्रतिरिक्त, पूंजीगत सामान और उपकरणों का देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए कम-को-डम 200 करोड़ रु० मूल्य के पुर्जों, सन्तुलन-उपकरणों आदि के आयात की भी व्यवस्था करनी होगी। अर्थव्यवस्था के समुचित नचालन के लिए 3,650 करोड़ रु० मूल्य की कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती उत्पादनों, बदले जाने के लिए पूंजीगत सामान, आवश्यक उपभोग-सामान, आदि के आयात का प्रवन्ध किया जा रहा है, हालांकि यह अनुभव किया जा रहा है कि औद्योगिक समता का समुचित उपयोग करने के लिए इन प्रकार के आयात की आवश्यकताएँ कहीं अधिक हैं। इस प्रकार, अनुमान है कि तीसरी योजना के दौरान कुल मिलाकर 5,750 करोड़ रु० मूल्य की सामग्रियों का आयात होगा— इनमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत होनेवाला 600 करोड़ रु० मूल्य का आयात शामिल नहीं है। अगर पी० एल० 480 के अर्धीन होनेवाला आयात भी शामिल कर लें, तो तीसरी योजना की अवधि में आयात का अंश स्तर करीब 1,270 करोड़ रु० हो जाता है, जबकि दूसरी योजना का अंश स्तर 1,072 करोड़ रु० ही था।

3 अर्थव्यवस्था के समुचित संचालन के लिए आयात की जरूरतों का अनुमान लगाते वक्त उन परियोजनाओं के, जो चालू हो गई हैं या जिनके तीसरी योजना की अवधि में चालू हो जाने की आशा है, बड़े हुए उत्पादन के कारण आयात में होनेवाली वृद्धियों का भी हिसाब रखा लिया गया है। इन वृद्धियों में योजना की अवधि में कृषि-वस्तुओं के उत्पादन में होनेवाली वृद्धि का भी आभास मिलता है। मुख्यतः इन-जैसी वस्तुओं में वृद्धि होने की आशा है—कच्ची कपास, नम इस्पात, अल्युमीनियम, विभिन्न प्रकार की मशीनें तथा परिवहन उपकरण, दवाएँ और रसायन, कागज और गन्ना आदि। लेकिन इसके साथ ही कुछ और प्रकार की वस्तुओं के अधिक आयात की जरूरत पड़ेगी और इस तरह कुछ हद तक इन वृद्धियों का लाभ जाता रहेगा। इन प्रकार की वस्तुओं में ये उल्लेखनीय हैं— विशिष्ट इस्पात, अल्युमीनियम के अलावा अलौह धातुएँ, पेट्रोलियम के उत्पादन, उर्वरक, आदि।

तीसरी योजना की अवधि में भुगतान-अन्तुलन की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा के व्यव से सम्बन्धित तथा आयात-लाइसेंस देने की वर्तमान प्रणाली जारी रखी जाएगी तथा उसे और भी नुबारा जाएगा।

निर्यात की समीक्षा

4 पिछले दशक में कुल मिलाकर निर्यात में कोई प्रगति नहीं हो सकी। कोरिया में युद्ध छिड़ जाने से अगर सन् 1951-52 में बहुत ही अधिक निर्यात न हुआ होता, तो पहली योजना में जो 609 करोड़ रु० का वार्षिक औसत रहा, वह और भी कम होता तथा सन् 1958 में अमेरिका और ब्रिटेन में जो मन्दी आ गई, वह अगर न आई होती, तो दूसरी योजना में 614 करोड़ रु० वार्षिक का जो औसत रहा, वह और अधिक होता। जहाँ तक परिमाण का मवाल है, दूसरी योजना में 9 प्रतिशत अचिन्न निर्यात हुआ, परन्तु वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ जाने के कारण निर्यात से होनेवाली आय में इस अनुपात से वृद्धि नहीं हुई। सन् 1951-52 से 1960-61 तक की अवधि में जो प्रवृत्तियाँ रहीं, वे अगले पृष्ठ की तालिका में स्पष्ट हो जाती हैं।

तालिका-संख्या 2
निर्यात 1951-61

(आधार : 1950-51=100)

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	मूल्य	परिमाण- सूचनांक	इकाई- मूल्य- सूचनांक	वर्ष	मूल्य	परिमाण- सूचनांक	इकाई- मूल्य- सूचनांक
1951-52	733	80	148	1956-57	620	101	98
1952-53	577	89	104	1957-58†	591	96	98
1953-54	531	89	96	1958-59	559	94	97
1954-55	593	94	102	1959-60	644	105	98
1955-56	609	103	94	1960-61	645	अनुप- लब्ध	अनुप- लब्ध
योग	3,043	—	—	योग	3,069	—	—
औसत	609	91	109	औसत	614	99†	98†

5 देश में आर्थिक विकास होने से घरेलू मार्गें बढ गईं और जो अतिरिक्त माल निर्यात के लिए मिल जाता था, उसमें कमी आ गई। इस प्रकार हालांकि इन दस वर्षों में कुल मिलाकर समग्र विद्व-निर्यात-व्यापार दुगुना हो गया, पर इसमें भारत का हिस्सा सन 1950 के 2 1 प्रतिशत से घटकर सन् 1960 में 1 1 प्रतिशत रह गया।

6 पिछले दशक में निर्यात-व्यापार का जो स्वरूप रहा, उसमें दो मुख्य प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। एक तो यह, कि उन चीजों के निर्यात में कुल मिलाकर कोई खास उन्नति नहीं हुई, जो सीधे या अधिकांश कृषि-उत्पादन पर निर्भर करती हैं (और भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अब भी इन्हीं चीजों का होता है) — जैसे, चाय, सूती वस्त्र, पटसन की चीजें, खालें और चमड़ा, मसाले और तम्बाकू। पर अब जो नई-नई चीजें तैयार होने लगी हैं, उनके और खनिज लोहे-जैसे चीजों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई, परन्तु परम्परागत चीजों के निर्यात में जो कमी हुई, उसकी कसर इनसे पूरी नहीं हो सकी। ये प्रवृत्तियाँ अगली तालिका से स्पष्ट हो जाती हैं।

* चाँदी-निर्यात का शुद्ध अंक

† चार साल का औसत

टिप्पणी : इस अध्याय की तालिकाएं (संख्या 2, 3 और 4) वाणिज्य-सूचना और सांख्यिकी-महानिदेशक-द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर तैयार की गई हैं।

तालिका-संख्या 3

निर्यात का स्वरूप 1951-60

(करोड़ ₹०)

	1950-51	1955-56	1958-59	1959-60
1 कृषिगत वस्तुएं और				
सम्बद्ध उत्पादन	496 5	489 3	453 5	473 6
कपास और पटसन के उत्पादन (मद-संख्या 1 में सम्मिलित)	250 5	181 7	153 4	180 5
2 दूसरे उत्पादन	58 4	61	53 3	105
नया-नया उत्पादन (मद-संख्या 2 में सम्मिलित)	8 9	8 6	12 5	25
3 खनिज पदार्थ	23 4	34.4	46 2	53
योग	578 3	584 7	553	631 6

7 इधर कुछ वर्षों में, खास तौर से दूसरी योजना के मध्य-काल से, निर्यात बढ़ाने के लिए कई तरह की कार्रवाइया धुरी की गई हैं। सम्भव है कि अगर ये कदम च उठाए जाते, तो पिछले कुछ वर्षों में निर्यात और भी कम होता। ये जो कार्रवाइया की गई, उनका भावन काफी व्यापक घरातल पर किया गया था। इनमें ये बातें भी शामिल थीं—सगठन-सम्बन्धी परिवर्तन, अधिक सहूलियतें और प्रोत्साहन तथा व्यापार में विविधता। पहले वर्ग में ये चीजें आती हैं—निर्यात-मवर्द्धन-परिपदों, जिनकी स्थापना सूती वस्त्रों, रंगम और रेयन, इजोनियरी के सामान, रासायनिक पदार्थों, तम्बाकू, मसालों, काजू, चमड़ा, प्लास्टिक के सामान, खेन के सामान और अन्नक के लिए की गई है, निर्यात-जोड़िम-शीमा-निगम की स्थापना, निर्यात-मवर्द्धन-परिपदों का काम चाय, काफ़ी और गारियल-जटा-मडलों को सौंपना, तथा प्रचार, मेली, प्रदर्शनियों की अधिक सहूलियतें। दूसरे वर्ग की कार्रवाइयों में इनका उल्लेख किया जा सकता है निर्यात-नियन्त्रण और कौटा-प्रतिबन्ध का अन्त, अधिकतर निर्यात-शुल्कों की समाप्ति, उत्पाद-शुल्कों की वापसी, निर्यात के लिए वच्चे भाग के लिए विदेश आयात-साइनें दिए जाने का आरम्भ तथा परिपहन-मुविधाओं के लिए प्राथमिकताएँ। तीसरी बात राज्य-व्यापार-निगम के काम के अन्त तथा मोविपन रुम और पूर्व-यूरोपीय व्यापार-निगम के काम के जरिए तथा मोविपन रुम और पूर्व-यूरोपीय देशों में भाय व्यापार-सम्बन्ध बढ़ने में भारत के विदेशी व्यापार में गिरावट आने के क्षेप में प्राति हुई है।

व्यापार की दिशा

8 अन्तरे पृष्ठ की गानिना में यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी और दूसरी योजनाओं के अन्तरे में भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में क्या परिवर्तन आए।

तालिका-संख्या 4

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा

(प्रतिगन हिन्ने)

देश/क्षेत्र	निर्यात			आयात		
	1952	1956	1960	1952	1956	1960
1 एशिया और सुदूरपूर्व- आर्थिक आयोग के सम्बद्ध देश	25 7	16 3	17	13 6	12 4	13 1
जापान	4.1	4 9	5 5	2 4	5 2	5 1
2 पश्चिम-एशिया	5 7	5.8	6 5	7 7	10 8	7 5
3 अफ्रीका	3 6	3.9	2.5	3 8	4	1 1
4 पश्चिम-यूरोप	29 6	39.8	38 5	30 1	50 1	40 4
ब्रिटेन	20.5	29 8	27 5	18 5	25	20
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	7.5	8 3	8	8 8	20	18
5 पूर्व-यूरोप और चीन	1 3	3 5	8	2 2	1 2	3 7
6 उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य-अमेरिका	21 1	17	18 7	37 3	12 1	25 2
7 नैटिन अमेरिका	1 1	1	2 5	—	0 1	0 1
8 आमेरिका	4 3	4 1	3 1	2	1 7	2 3
9 अन्य	7 3	8.3	3 2	3 3	1.3	7 3

9 पहली योजना की अवधि में पश्चिम-यूरोप से होनेवाला आयात 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। दूसरी योजना के अन्त में भारत के कुल आयात का लगभग 40 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से हुआ था। पूर्व-यूरोप से सन् 1952 में 2.2 प्रतिशत आयात हो रहा था, जो सन् 1956 में बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया। परन्तु सन् 1960 में यह पुनः घटकर 3.7 प्रतिशत हो गया। उत्तर-अमेरिका से सन् 1952 में कुल आयात का 37 प्रतिशत हिस्सा आया, सन् 1956 में यह हिस्सा घटकर 12.4 प्रतिशत रह गया, लेकिन सन् 1960 में फिर बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गया। यह घट-बढ़ केवल खाद्य के आयात के कारण हुई। इस अरसे में एशिया और सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग के देशों से आयात 12 से 14 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा है।

तीसरी योजना में निर्यात के उद्देश्य

10 अब तक निर्यात बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें अगर निर्यात को वर्जना करनेवाले मूलभूत कारणों के सम्मुख रखकर देखा जाए, तो वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। अब तक की एक मुख्य कमी यह रही है कि निर्यात-कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश के विकास-प्रयत्नों के अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा गया। अगर निर्यात में काफी वृद्धि करनी है, तो कई दिशाओं में एक साथ कदम उठाने पड़ेंगे, जिनमें से इन दिशाओं में

- (क) घरेलू खपत को मुनाफिब सीमाओं में बाध कर रखना पड़ेगा, ताकि निर्यात के लिए चीजें बचाई जा सकें,
- (ख) जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होने लगती है, तो घरेलू मंडियों में अधिकाधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, अतः निर्यात की सापेक्षिक लाभकारिता बढ़ाने के लिए कदम उठाने जरूरी है,
- (ग) मुख्य उद्योगों को—खास तौर से निर्यात-उद्योगों को—लागत के स्वरूप तथा उत्पादकता की दृष्टि से जल्दी-से-जल्दी प्रतियोगात्मक स्तर पर आ जाना चाहिए और इस काम के लिए हर एक उद्योग में व्यवस्थित कार्यक्रम अनगनाये की जरूरत है। निर्यात में बिबिधता लाने और निर्यात-व्यापार में धीरे-धीरे पर निश्चित रूप से नई तैयार चीजों का और खनिज पदार्थों का हिस्सा बढ़ाने के लिए यह निहायत जरूरी है। औद्योगिक लाइसेंस-नीतिपत्रों को भी इन तरह से बदला जागा चाहिए कि निर्यात को उत्पत्ति हो, और
- (घ) निर्यात बढ़ाने के पक्ष में और उनमें निहित बौद्धिक नवीकरण करने के पक्ष में जाना नैतिक बनने के लिए, इस राष्ट्रीय प्रयत्न में व्यापार और उद्योग-उत्प्रेरण प्राप्ति करने के लिए, मंडियों के विषय में सूचना और अनुसन्धान से सम्बन्धित नैतिक नैतिक संगठन सुधारने के लिए तथा विदेशों में वाणिज्य-प्रतिनिधियों के इन्तयन के लिए तथा उद्योग, बीमा आदि की अधिन सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए उद्देश्य उठाए जाने चाहिए।

11 निर्यात वास्तव में सम्बन्धित अन्वय में तीसरी योजना की विदेशी मुद्रा-निर्यात आरम्भ-आधारों का निर्धारण किया गया है। जैसा कि प्राथमिक रूपरेखा में मन्त्री

निर्यात आरम्भ-आधारों का निर्धारण किया गया है। जैसा कि प्राथमिक रूपरेखा में मन्त्री

रु० से काफी ऊपर न गया, तो जितनी विदेशी सहायता पाने की अपेक्षा करके हम चले हैं, वह सब मिल जाने पर भी योजना में भारी अभाव रह जाएगा। अतः वस्तुओं के विपणन में तथा अन्य प्रकार के जो अध्ययन किए गए हैं, उनके आधार पर और यह मान कर कि निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न बड़े पैमाने पर किए जाएंगे तथा विदेशों में भाग की उचित परिस्थितियां रहेंगी, तीसरी योजना की अवधि में 3,700 करोड़ रु० का निर्यात-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें शक नहीं कि प्रयत्न और आयोजन स्पष्ट ही काफी बड़े पैमाने पर करना होगा। आवश्यक कार्रवाइयों पर और देने और तीसरी योजना में निर्यात बढ़ाने के विवेक प्रयत्नों की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण है और वह यह कि यही वक्त है, जब निर्यात बढ़ाया जा सकता है, ताकि चौथी योजना की प्रत्याशित आवश्यकताओं को— जो अब से कहीं ज्यादा होगी—पूरा किया जा सके। रकमों के वापसी भुगतान की जिम्मेदारियों के कारण तथा संचालन और विकास-सम्बन्धी आयतों के कारण जो आवश्यकता होगी, उन्हें ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान किया गया है कि चौथी योजना के अन्त तक निर्यात का वार्षिक स्तर 1,300 से 1,400 करोड़ रु० के बीच ज़रूर हो जाएगा, यानी वर्तमान स्तर से लगभग दुगुना हो जाएगा। यह एक बड़ी ज़रूरी शर्त है, जिसके पूरा होने पर ही यह आश्वासन मिल सकता है कि पाचवी योजना के अन्त तक भारत की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और जीवित रह सकेगी।

12 इन सब बातों को पृष्ठभूमि में रख कर ही तीसरी योजना में निर्यात से कम-से-कम 3,700-3,800 करोड़ रु० की आय का लक्ष्य मानने रखा गया है। अगर निर्यात उस हद तक बढ़ सका, जितना कि सोचा जा रहा है, तो तीसरी योजना की अवधि में निर्यात के वार्षिक स्तर में लगभग 200 करोड़ रु० की वृद्धि हो जाएगी और तीसरी योजना में प्रोसत वार्षिक निर्यात दूसरी योजना की अवधि की अपेक्षा लगभग 150 करोड़ रु० अधिक होगा।

निर्यात बढ़ाने के लिए कार्रवाइयां

13 निर्यात में अच्छी-खासी वृद्धि करने के लिए जो कार्रवाइयां की जा सकती हैं, उनके मुख्यतः दो वर्ग हैं—एक वर्ग तो सामान्य नीतियों का है, और दूसरा विशेष वस्तुओं में सम्बन्धित कार्रवाइयों का। इनमें से कई कार्रवाइयां ऐसी हैं, जिनमें दो-तीन वर्ष के मामूली अरसे में ही कुछ नतीजे निकालने की आशा की जाती है। इनके साथ ही कार्य-कुशलता बढ़ाने और लागत घटाने-विषयक जो अन्य कार्रवाइयां हैं, उनकी परिधि अधिक-से-अधिक होनी चाहिए। निर्यात-कार्यक्रम को सहारा देने के लिए जिन आम नीतियों की बात सोची गई है, उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्यात-प्रयत्नों के लिए देश में अनुभूत वातावरण पैदा हो, घरेलू बाजारों को सीमित किया जाए, निर्यात के लिए उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त माल की मात्रा बड़े और उत्पादन की लागतें घटे। यह महसूस किया जा रहा है कि एक हद के मागे निर्यात बढ़ाने की कार्रवाइयों का अमर अनिवार्यतः देशीय अर्थव्यवस्था पर या विकास के दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगा। जाहिर है कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना कठिन काम है, लेकिन समग्र राष्ट्रीय हितों के ध्यान में रखते हुए नियत की गई नवीन प्राथमिकता देनी होगी और जगले 10-15 वर्षों तक देशीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार बहन करना होगा। तेजी से प्राथमिक विकास करने के लिए यह नीमत तो चुगनी ही होगी।

14 निर्यात का कार्यक्रम पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्पष्टतः यह है कि तीसरी योजना के ऋषि और उद्योग-विपयक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए। अगर ये लक्ष्य पूरे न हुए, तो जो उपाय वैसे कारगर हो सकते हैं, वे भी कम कारगर रह जायेंगे।

15 निर्यात-आन्दोलन को सफल बनाने की एक अनिवार्य शर्त यह है कि घरेलू खपत की वृद्धि पर रोक लगाई जाए। जब चीजें देशी और विदेशी मार्गों पूरी करने के लिए काफी न हों, तब इस तरह के नियन्त्रणों से काम लेना ही पड़ता है। जब अधिक पूजी लगा कर आपूर्ति बढ़ाई जा सके, तब भी इन नियन्त्रणों का सहारा लेना पड़ता है, ताकि घरेलू साधनों और विदेशी मुद्रा, दोनों की दृष्टि से बचत हो। खपत पर नियन्त्रण लगाने से अतिरिक्त निर्यात की जो सुविधा मिलेगी, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के विकास की गति अनुपात से कहीं अधिक बढ़ेगी। नियमित ऋरुरत इस बात की नहीं होती कि कुल खपत या प्रति व्यक्ति खपत में पूर्णतः कमी हो—ऋरुरत सिर्फ इस बात की होती है कि जिस गति से खपत बढ़ती है, उसमें कुछ कमी आए। यह तथा और दूसरी कार्रवाइया करने में एक बात वेद्व ऋरुरी है कि जनता निर्यात बढ़ाने की ऋरुरत को ज्यादा अच्छी तरह समझे और इस बात को जान ले कि यह लक्ष्य बिना सबकी ओर से थोड़ा-बहुत त्याग किए पूरा नहीं हो सकता।

16 निर्यात के लक्ष्य पूरे करने के लिए इतना ही ऋरुरी नहीं है कि निर्यात के लिए अतिरिक्त सामान उपलब्ध हो जाए, बल्कि यह भी ऋरुरी है कि वह इतने कम भाव पर प्राप्त हो कि विदेशी मंडियों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं से होड़ ले सके। कम भावों पर निर्यात की क्षमता अविशाल देशी भावों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि विकास के साथ मुद्रा-स्फीति के जो दबाव जुड़े रहते हैं, उन पर नियन्त्रण रखा जाए।

17 निर्यात-प्रयत्नों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय उद्योग का एक काफी बड़ा हिस्सा अद्व को अपेक्षा अधिक प्रतिनोगात्मक हो जाए। इसमें शक नहीं कि काफी चीजें ऐसी हैं, जिनमें भारतीय उद्योग विदेशी मंडियों के साथ प्रतियोगिता कर सकता है, कम-से-कम प्रतियोगी तो बन ही सकता है। फिर भी, इन उद्योगों का क्षेत्र अभी काफी विस्तृत नहीं है। कुछ चुने हुए उद्योगों में—जैसे, भीमेट, पटसन, वाइसिकिल, विजली के मोटर और ट्रांसफार्मर तथा रेयन में लागत कम करने के तरीके सोचने के लिए हाल में अध्ययन-दन निवृत्त किए गए हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न उद्योगों में लागत-नम्बरी जो अमिक महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं, उनकी समीक्षा करने का विचार किया जा रहा है, ताकि लागत कम करने के कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से उद्योगवार लागू करने की पद्धति निर्धारित हो जा सके। यह सोचा गया है कि निर्यात का विकास करने के लिए जो उद्योग महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए लाइसेंस देने की नीतियों में यह बात भी ध्यान में रखी जाए कि निर्यातमान पर काम करने में विफलता हो सकती है। कौन-सा कारखाना बहा होना चाहिए, यह सोचने का भी उन ध्यान का स्थान रखा जाना चाहिए। इन उद्योगों में लागत के स्तर का मापन करने अधिक होना है और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह ऋरुरी है कि कुछ और दानों को ध्यान में, जिनका मुषीजिन विकास की किमी भी योजना में मामान्यत ध्यान रखना पड़ता है उन का भी निर्णय प्राग्भितना ही जाए।

18 उन उद्योगों का नेड़ी में बढनी है, तो उनका अमर यह होता है कि विदेशी मंडियों को गेसा देशी मंडियों में विदेशी मन्म में मुनाफा ज्यादा होता है। कुछ नमय के लिए और

एक सीमा में रहते हुए कुछ ऐसी वित्तीय कार्रवाईया करनी पड़ सकती है, जिनमें चलते यह प्रवृत्ति सुधर जाए। यह तो स्वाभाविक है कि इन उपायों के विवरण के बारे में विभिन्न उद्योगों की वास्तविक स्थिति के प्रकाश में समय-समय पर विचार किया जाता रहे।

19 विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह जरूरी हो गया है कि प्राथमिकता निर्धारित करते समय उन उद्योगों को तरजीह दी जाए, तो निर्यात की चीजें तैयार करते हैं या जिनमें निर्यात के लायक काफी अतिरिक्त माल का उत्पादन होता है। जहा भी सम्भव होगा, हर उद्योग के साथ विचार-विमर्श करके यह तय किया जाएगा कि उसे निर्यात के लिए कितना माल देना चाहिए। कुछ हालतों में, जहा किसी उद्योग के तैयार किए हुए माल का निर्यात अनिवार्य हो, शायद यह भी करना पड़े कि हर कारखाने के लिए एक मात्रा निर्धारित कर दी जाए कि वह देश के भीतर जतने से अधिक माल की बिक्री नहीं कर सकता, ताकि उसके उत्पादन का शेष भाग निर्यात के लिए मिल सके। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अपने उत्पादन का एक हिस्सा निर्यात के लिए नियत करके निर्यात-प्रयत्नों की दिशा में पहल करनी चाहिए और विदेशों में बिक्री के लिए भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

20 निर्यात-संबन्धन-परिपदों को विदेशी मंडियों का अध्ययन करने तथा नई-से-नई सूचनाएं प्राप्त करने में प्रमुख भाग लेना चाहिए, ताकि विदेशों में भारत के वाणिज्य-प्रतिनिधियों का विदेशी मंडियों के विषय में समुचित सूचनाएं भेजने का मौजूदा इन्तजाम और मजबूत हो और भारतीय उद्योग तथा व्यापार को सारी सूचनाएं प्राप्त हो सकें और आम तौर से भारत के विदेश-व्यापार को उन्नति हो।

21 हाल के वर्षों में राज्य-व्यापार के अनुभव से पता चलता है कि राज्य-व्यापार-संगठन निर्यात के विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। सहकारी संगठनों के माध्यम से भी निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। निजी निर्यात-संस्थाओं के प्रयत्नों को भी सहारा देने का विचार है।

22 ऊपर कुछ ऐसी मोटी-मोटी बातें बताई गई हैं, जिनके अनुसार तीसरी योजना के विभिन्न निर्यात-प्रयत्नों का विकास करने का विचार है। स्वभावतः इन सबके लिए बड़े व्यापक क्षेत्र में कार्रवाई करनी होगी। खास-खास वस्तुओं के बारे में समय-समय पर फैनले करने होंगे। इनमें से कुछ के अमीन उत्पाद-शुल्क लगाने पड़ेंगे, औरों के मामले में, तीसरी योजना के दौरान विकास के लिए अधिक साधनों का पक्का प्रवन्व करना जरूरी हो सकता है। अदृश्य आया बढ़ाने की कोशिश करना भी जरूरी होगा—खास तौर से पर्यटकों और जहाजरानी-द्वारा।

23 निर्यात में विविधता लाने तथा नई निर्यात-मंडिया पैदा करने का काम देश का विदेश-व्यापार बढ़ाने तथा विदेशों के साथ वाणिज्य-विषयक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के व्यापक प्रयत्न का ही एक हिस्सा समझा जाना चाहिए। आनेवाले वर्षों में अन्य विकसित प्रदेशों के साथ—विशेषतः दक्षिण और दक्षिणपूर्व-एशिया, पश्चिम-एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-अमेरिका और वेस्ट इंडीज के साथ—निकट आर्थिक सम्पर्क स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत सामान और पुर्जों तथा कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी और इनके साथ व्यापार बढ़ाने की पारम्परिक सम्भावनाओं की जांच पूरी तत्परता से की जानी चाहिए। यूरोपीय सामान्य मंडी के देशों की

और भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार में जो घाटा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों के साथ व्यापार में है। ब्रिटेन के साथ भारत का पुराना व्यापारिक सम्बन्ध है, जिसे भारत की वृद्धिशील उत्पादन-क्षमता एवं परिवर्तनरत आर्थिक स्वरूप को ध्यान में रख कर और भी गहरा किया जाना चाहिए। मॉन्ट्रियल रुस और पूर्व-यूरोप के देशों के साथ भारत का व्यापार सन्तुलित स्तर पर है और अगले कुछ वर्षों में इन देशों के साथ व्यापार काफी बढ़ना चाहिए। यूगोस्लाविया के साथ व्यापार पहले ही काफी विस्तार पा चुका है और उसके साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। देश के आयात का एक-चौथाई हिस्सा उत्तर-अमेरिका—खास तौर से सयुक्त राज्य-अमेरिका—से आता है। इन देशों की विकासशील अर्थव्यवस्था और रहन-सहन के ऊंचे स्तर के कारण इनके साथ व्यापार बढ़ाने की—खास तौर से निर्यात बढ़ाने की—बड़ी गुंजायश है। इस प्रकार, जैसे-जैसे भारत की आर्थिक प्रगति होगी और वह अधिक देने तथा पाने की स्थिति में आएगा, वैसे-वैसे एक विस्तारशील विश्व-अर्थव्यवस्था का वह एक अंग बनेगा, जिसमें वृद्धिशील सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध जीवन को दुश्हाली प्रदान करते हैं तथा सभी देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं।

सन्तुलित प्रादेशिक विकास

(1)

सामान्य दृष्टिकोण

देश के विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास करना, आर्थिक प्रगति के लाभों का कम विकसित क्षेत्रों में विस्तार करना और उद्योगों को दूर-दूर तक फैलाना—ये योजनाबद्ध विकास के प्रमुख उद्देश्यों में स्थान रखते हैं। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं में इन उद्देश्यों को अधिकाधिक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के विस्तार और तीव्रतर विकास से राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास के बीच सन्तुलन कायम करने की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती है। इस प्रकार के सन्तुलन के लिए कोशिश करते समय कुछ कठिनाइयों का अनिवार्यतः सामना करना ही पड़ता है, खास कर आर्थिक विकास के प्रारम्भिक मोड़ों में। चूँकि साधन सीमित हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था में ऐसे स्थानों पर उन्हें केंद्रित करने से आम तौर से फायदा होता है, जहाँ प्रतिफल अच्छा मिलने की आशा हो। ज्यो-ज्यो विकास होता जाता है, त्यो-त्यो अधिकाधिक क्षेत्रों में पूँजी लगाई जाती है और बहुत-से स्थानों पर सावनों का प्रयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप, लाभ का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो जाता है। स्वयं विकास के हित की दृष्टि से राष्ट्रीय आय को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाना चाहिए और आगों के पूँजी-निर्निर्योग के लिए साधन जुटाने चाहिए। यह एक समग्रतामूलक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण अपने से बाद के चरण का आकार निर्धारित करता है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे उद्योग में, साधन और स्थानीय विकास अनिवार्य हो सकता है। इसके साथ ही, अन्य क्षेत्रों में उद्देश्य यह होना चाहिए कि कृषि, लघु उद्योग, विजली, मचार-साधन और सामाजिक सेवाओं-जैसे क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक जगहों पर विकास हो। उद्योग की तरह ही अन्य आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में पूँजी लगाने से भी विकास के बहुत-से लाभकारी केंद्र तैयार होते हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की प्रगति पर बिना कोई दुरा असर डाले अगर विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय और विकास के घरातल पर निश्चित निम्नतम लक्ष्य पूरा किया जा सके, तो कम विकसित क्षेत्रों में अनेक दिशाओं में बड़े पैमाने पर विकास की व्यवस्था करना सम्भव हो जाता है। व्यापक प्राकृतिक साधनों से युक्त किसी विशाल देश के पास—जो अपने विकास के हर सोपान को एक दीर्घ-कालीन योजना के परिप्रेक्ष्य में देखता हो—तीव्र और स्थायी गति से विकास करने के साधन तो होते ही हैं, वह अपने कम विकसित क्षेत्रों को भी विकसित कर सकता है, ताकि वे अन्य क्षेत्रों के बराबर हो जाए।

2 इस प्रकार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और देश के विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास, ये दोनों उद्देश्य एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना सम्भव हो जाता है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पत्ति, धन और कौशल, आदि साधनों का पूरा-पूरा फायदा उठाया जा सकता है। कभी-कभी हो सकता है कि विकास के क्षेत्र में मिश्रण जाने की भावना किसी क्षेत्र के समग्र विकास की धीमी गति के कारण उतनी न हो, जितनी खेती, सिंचाई, विजली, उद्योग, या रोजगार आदि के विशेष क्षेत्रों में अपर्याप्त या धीमे विकास

के कारण। प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी से इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि वहाँ की समस्याएँ क्या हैं तथा वहाँ विविध क्षेत्रों में तेजी से विकास करने में क्या-क्या रुकावटें आती हैं और तीव्रतर विकास के उचित उपाय करने चाहिए। मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि हर क्षेत्र के साधन का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए, ताकि वह राष्ट्रीय ममुच्चय में अधिक-से अधिक योगदान को और राष्ट्रीय विकास से जो लाभ हो, उनमें अपना उचित हिस्सा ग्रहण करे।

3 प्रत्येक क्षेत्र की विकास-क्षमता को अधिक-से-अधिक बढ़ाना चाहिए, किन्तु इन लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके और विकास के सोपान सब जगह पूरी तरह एक-मे नहीं होंगे। किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं और भौगोलिक स्थिति से नम्बड़े कारणों को तो आसानी से नहीं बदला जा सकता लेकिन शिक्षा और योग्यता का स्तर ऊँचा करके, विजली का विकास करके और ग्राम-तौर से विज्ञान तथा टेक्नोलोजी का बड़े पैमाने पर उपयोग करके प्रदेश की अन्य बातों में परिवर्तन लाया जा सकता है। सघन और व्यापक विकास में ग्राम-तौर में सबसे पहले बड़े पैमाने के उद्योगों पर ध्यान दिया जाता है—विद्योपकरण बुनियादी और भारी उद्योगों पर। फिर भी, औद्योगिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों में एक-सी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हो सकती। यह भी सम्भव है कि किसी क्षेत्र को अधिकांश जनता के रहन-सहन के सम्बन्ध में बड़े कारखानों की स्थापना के स्थानों को जल्दतर से ज्यादा महत्व दे दिया जाए। बहुत-से देश और विभिन्न देशों के अन्तर्गत बहुत-से क्षेत्र इस बात के उदाहरण हैं कि औद्योगिक विकास सीमित होने पर भी स्थानीय प्राकृतिक और मानवीय साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने से जीवन-स्तर काफी ऊँचा उठ सकता है। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के आस-पास के क्षेत्रों में लोगों के रहन-सहन के स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बुनियादी उद्योगों, पूँजीगत सामान-उद्योगों तथा अन्य बड़े-बड़े उद्योगों के अलावा ऐसे भी उद्योग हैं, जिनकी सम्भावनाओं की अच्छी तरह जाँच करनी चाहिए—जैसे, अधिक-श्रम की अपेक्षा रखनेवाले परम्परागत उद्योग, आधुनिक तरीके के लघु उद्योग, कृषि-विभाजन-उद्योग, वन-उद्योग, पुँजें मिलाकर चीँजें तैयार करने और मनोरंजन की चीँजें बनानेवाले उद्योग। प्रत्येक क्षेत्र को ऐसे उद्योगों की योजना बनानी चाहिए और उनकी उन्नति करनी चाहिए, जो वहाँ की परिस्थितियों के विशेष अनुकूल हों तथा जिनके लिए वे अपेक्षाकृत ज्यादा सुविधाएँ जुटा सकते हों।

(2)

प्रादेशिक विकास की नीतियाँ

ऊपर जो नामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा व्यक्त किया गया था। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये हैं

- (1) कृषि, नामुदायिक विकास, मिन्चाई (विशेषकर छोटी सिंचाई), स्थानीय विकास-कार्य आदि के कार्यक्रमों की प्राथमिकता, जो कम-से-कम समय में सम्पूर्ण क्षेत्र में फैल जाए,

- (2) ऐसे क्षेत्रों में, जो औद्योगिक दृष्टि से पीछे हैं या जहाँ रोजगार के अवसर देने की ज्यादा आवश्यकता है, बिजली, पानी, परिवहन और संचार-साधनों, प्रशिक्षण-संस्थाओं, आदि की सुविधाओं की व्यवस्था,
- (3) लघु और ग्रामोद्योगों के विस्तार के कार्यक्रम, और
- (4) सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार के नए उद्योगों के लिए स्थान चुनते समय देश के विभिन्न भागों में सन्तुलित अर्थव्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान देना। इस पहलू पर उन हालतों में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जहाँ किसी उद्योग की जगह निश्चित करते समय इस एक बात का ही सर्वाधिक विचार न किया जाता हो कि वहाँ कच्चा माल और दूसरे प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं या नहीं।

इन उपायों के अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अधिक देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक संख्या में और अधिक आसानी से आ-जा सके तथा उन्हें ज्यादा घनी आबादीवाले इलाकों से कम घनी आबादीवाले इलाकों में ले जाने और बसाने की योजनाएँ तैयार की जा सकें। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात का भी सुझाव रखा गया कि प्रादेशिक असमानता की समस्या का बराबर अध्ययन किया जाता रहे और कुछ ऐसे उचित आधार निकाले जाएँ, जिनसे प्रादेशिक विकास का पता चल सके।

5 दूसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन के समय विकास के प्रादेशिक पहलुओं पर तीन भिन्न तरीकों से विचार किया गया। एक तो, राज्यों की योजनाओं के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, जिनका देश के विभिन्न भागों के लोगों की सुझावों से सीधा सम्बन्ध था। दूसरे, कुछ क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए, जहाँ विकास में या तो अस्थायी गतिरोध आ गया था या जहाँ कुछ बुनियादी कमियों के कारण विकास रुक गया था। तीसरे, उद्योगों के और विकेंद्रित विकास के लिए कदम उठाए गए, जिससे कई सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं।

6 कृषि, सामुदायिक विकास, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, सिंचाई और बिजली, संचार-साधन तथा सामाजिक सेवाओं के कार्यक्रमों का बहुत अधिक लोगों से सम्बन्ध होता है और इनका उद्देश्य हर क्षेत्र के लोगों के लिए बुनियादी सहूलियतों और सेवाओं की व्यवस्था करना होता है। चूँकि ये कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित हैं, इसलिए देश के प्रत्येक भाग को विकास से लाभ पहुँचाने की बात अधिकांशतः इस पर निर्भर करती है कि राज्यों की योजनाओं को क्या रूप दिया गया है और योजना की अवधि में उनमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं। कई राज्यों की योजनाओं में नदी-घाटी-परियोजनाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और हीराकुड, कोसी, चम्बल, रिहन्द, दामोदर-घाटी-निगम, भाखडा-नगल, कोयना और नागार्जुनसागर-जैसी बहुद्देश्यीय परियोजनाओं पर बहुत पूजा लगाई गई। ये तथा अन्य परियोजनाएँ देश के विशाल भागों के विकास के लिए आवश्यक थीं, इनमें से कुछ भाग अभाव और बेरोजगारी से ग्रस्त थे या अन्य कारणों से बहुत ही कम विकसित थे। कृषि-उत्पादन और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य-योजनाओं के लागू होने से भी विकास का फल सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुँचा।

7 विकास के सामान्य या समग्र कार्यक्रमों के अतिरिक्त, पहली और दूसरी योजनाओं में ऐसे खान-ख़ास क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए, जिन्हें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार, सन् 1953-54 में 40 करोड़ रु० की लागत से बहुत-से राज्यों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी मुधार लाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में मध्यम और छोटी सिंचाई-योजनाएँ, बाढ़ से रक्षा के लिए बाँधों का निर्माण तथा बजर भूमि को खेती-योग्य बनाने और कपूर बाघ बाघने की योजनाएँ भी शामिल थी। सन् 1957 में जब कुछ राज्यों में फिर अभाव की परिस्थितियाँ पैदा हुईं, तो नमस्या का अध्ययन किया गया और अतिरिक्त विकास-कार्यक्रम शुरू किए गए। विभिन्न राज्यों में स्थित कम उन्नत क्षेत्रों के लिए—जैसे, बिदम और मराठवाड़ा, उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिले तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र और पंजाब तथा उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र—मन्वन्वित राज्यों ने प्रायः अपनी योजनाओं में विशेष ध्यान की व्यवस्था की है और इस बात का विशेष प्रबन्ध किया है कि अपनी योजनाएँ बनाने में इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, असम, आदि राज्यों में उन इलाकों में विकास-कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहाँ पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इन कार्यक्रमों में सबक और मचार-साधन, बहुहेतुीय विकास-सङ्घ, वन-सहकारी समितियाँ और बदल-बदल कर खेती करने के वर्तमान तरीके में सुधार करने के उपाय भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों के अग्रम्य स्वलों की समस्याओं का अध्ययन करने का काम भी जाय तथा कृषि-मन्त्रालय ने शुरू किया है।

8 उद्योगों को फ़ैला कर स्थापित करने के प्रयत्न को लें, तो जहाँ तक अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों का सवाल है, इनमें आर्थिक और तकनीकी पहलुओं का हमेशा महत्व होता है और व्यवहार में इनमें थोड़ा-बहुत ही इधर-उधर होना नम्भव होता है। किमी खान क्षेत्र में बड़े परियोजनाओं की स्थापना में अनुविधाएँ हो सकती हैं, परन्तु वे सदा बुनियादी किन्हीं की भाँति नहीं होती, जो दूर न की जा सकें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ बेचान बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की ही कमी हो, अन्य किमी चीज की नहीं। सरकारी धन की परियोजनाओं की स्थापना में अनिवार्य तकनीकी और आर्थिक दृष्टियों से उपेक्षा किए बिना जहाँ तक सम्भव हो सके, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में श्रमों का प्रवाह रखा गया है। उत्पात-कारखानों-जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के स्थान विशेषों के अध्ययन और आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। तैरिन नृकि वे ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जो अब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े थे, इसलिए उन क्षेत्रों को फायदा होगा। इसी प्रकार, कुछ प्राकृतिक साधनों के विकास में योजनाओं में ऐसे क्षेत्रों को फायदा पहुँचेगा, जिनका अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है—जैसे, आर्द्रत तोपिनाइट की खानें, उज्जैना में तैरिन, लोहा, नैलेन में आग्नाइट की खानें और गज्जैन में भीम और जन्ने की खानें।

9 बुनियादी योजनाएँ और उत्पादक सामान-उद्योगों को स्थापना के लिए स्थानों का चयन करने के लिए मान की सुलभता और दूसरी आर्थिक बातें स्वभावतः महत्वपूर्ण होंगी, परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत-सा उपनाला-सामान और सामान-उद्योगों में स्थानों के प्राथमिक रूपों को प्राथमिकता देना ही ठीक नहीं है। उनमें से कुछ, जो कि स्थानों के प्राथमिकता के कारण—जैसे, माडकिले, सिन्धु की नदी, सिन्धु

के मोटर, रेडियोसेट, पिडक और कतरन से इस्पात तथा अलौह धातुओं की ढलाई, ढली हुई प्लास्टिक-वस्तुएँ, और उपात उत्पादनों से बड़े पैमाने पर दबाएँ तैयार करना तथा उनका विवायन भी शामिल है। इनके खास उदाहरण हैं—राजस्थान, उड़ीसा, असम और पंजाब में वस्त्र-मिलों की स्थापना, आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा महाराष्ट्र में चीनी-कारखाने तथा आसबखालाएँ, असम, मध्यप्रदेश, केरल तथा उत्तर-विहार में इस्पात की फिर से ढलाई की मिलें, और केरल में टायर तथा ट्यूब एव विजली के लैम्प बनाने के कारखाने। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सभी रेल-केन्द्रों में एक कीमत पर इस्पात बेचने का जो निश्चय किया गया है, वह हल्के इजीनियरी उद्योगों को दूर-दूर तक फैलाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है। चीनी-उद्योगों में नए कारखानों को लाइसेंस देने-विषयक जिम नीति का अनुसरण किया गया, उससे देश के विकास में सहायता मिली है। इसी तरह, ऐसे स्थानों पर नई सूती वस्त्र-मिलें खोलने को बढ़ावा दिया गया है, जहाँ यह उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ।

10 कुछ हद तक नए तरीकों से विकास और कच्ची सामग्रियों के नए-नए उपयोगों से भी उद्योगों के फैलाव में सहायता मिली है। उदाहरण के लिए कागज तैयार करने में गन्ने के फोक का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग शुरू किया गया और गन्ना पैदा करने-वाले इलाकों में कागज के कई कारखाने खोलने की स्वीकृति दी गई है, जहाँ गन्ने के फोक से कागज तैयार किया जाएगा। उत्तरप्रदेश में अलकोहल से नकली रबड़ बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। पहले अलकोहल का प्रयोग मुख्य रूप से पेट्रोल के साथ मिलाने में किया जाता था। ऐसी जगहों पर, जहाँ धातु-शोधन के काम में आनेवाला कोयला प्राप्त होता हो और आवश्यकता पड़ने पर धातु-शोधन के काम आने-वाले कोयले से तैयार किए गए कोक के साथ मिलाकर उसे काम में लाया जा सकता हो, वहाँ कच्चे लोहे के कारखाने खोलने की अनुमति देने का फैसला किया जा चुका है। इसमें से प्रत्येक कारखाने की क्षमता लगभग एक लाख टन होगी। इससे कच्चे लोहे का उत्पादन ती बढेगा ही, इस उद्योग का फैलाव भी होगा। ऐसे विकास को बढ़ावा देने में इस बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि उत्पादन में किफायतदुयारी और प्रादेशिक वितरण के बीच सन्तुलन बना रहे।

11 लघु और ग्रामीणोद्योग देश-भर में फैले हुए हैं और जिन् क्षेत्रों में जैसा कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके अनुसार केन्द्रीय और राज्य-सरकारों ने तरह-तरह की सहायताएँ प्रदान की हैं। सभी राज्यों में औद्योगिक वस्तियाँ बसाई गई हैं और आगे यह कोशिश की जाएगी कि ऐसी वस्तियाँ अधिक-से-अधिक छोटे-छोटे कस्बों और देहाती क्षेत्रों में बसें।

(3)

तीसरी योजना में प्रादेशिक सम्भावनाएँ

12 पिछले वर्षों में जिस स्तर पर विकास-कार्य हुआ है, तीसरी योजना में उसने वही बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप में विकास-कार्य किया जाएगा तथा देश के विभिन्न भागों को विकास के भी व्यापक अवसर प्रदान किए जाएंगे। इन योजनाओं के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अनिवार्यतः राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। इन्हें तैयार करने समय मोटे तौर पर ये उद्देश्य रहे हैं—कृषि-उत्पादन बढ़ाने में हर राज्य अधिक-से-अधिक

योग दे, ग्राम और रोजगार ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं का, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा, पानी की आपूर्ति तथा सफाई-व्यवस्था, और स्वास्थ्य-सेवाओं का विकास हो, तथा कम विकसित इलाकों में रहने-सहन का स्तर ऊंचा उठे। इस प्रकार, राज्य की योजनाएँ इस ढंग से तैयार करने का इरादा रखा गया है कि उत्पादन और रोजगारी बढ़े तथा जनता के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग सुसहज हो। विभिन्न राज्यों के लिए व्यय की जानेवाली राशि का निश्चय उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं तथा उनके विकास—विशेषतः सामाजिक सेवाओं, नचार-साधनों तथा बिजली के क्षेत्र में—की सफलताओं और अडचनों, बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके सम्भावित योगदान, विकास-विषयक उनकी क्षमता तथा अपनी योजनाओं के लिए पूंजी-व्यवस्था के क्षेत्र में उनके द्वारा उपलब्ध किए जा सकनेवाले साधनों को ध्यान में रख कर किया गया है। विभिन्न राज्यों की समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों का ध्यान रखा गया है—आवादी, क्षेत्रफल, खेती पर निर्भर करनेवाले लोगों की मस्या, दूसरी योजना की अवशिष्ट तथा बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से पैदा होनेवाली जिम्मेदारियाँ और तकनीकी तथा प्रशासनिक सेवाओं की आवश्यकता। इस प्रकार, जहाँ तक सम्भव हो सके है, केन्द्र तथा राज्य, दोनों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते ही कोशिश की गई है। कुल मिलाकर तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्यों में कितना और किस ढंग से खर्च हो, यह तय करते समय लक्ष्य यह रखा गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच विकास-विषयक विषमता घटे, हालांकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता ही है।

13 राज्यों की योजनाओं में जो व्यवस्था की गई है, उसके इलावा तीसरी योजना में ऐसी कई अन्य बातें हैं, जिनसे उन क्षेत्रों के विकास की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी, जो अभी तक अपेक्षाकृत पिछड़े रहे हैं। उदाहरण के लिए, खेती के सघन विकास, निचाई-नाथनों के बिलार, लघु और ग्रामीणों के विकास, बड़े पैमाने पर बिजली के प्रसार, सबको तथा सड़क-परिवहन के विकास, सारे देश में 6 से 11 बर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के अधिक अवनर, रहने-सहन के तथा जल-आपूर्ति-व्यवस्था में सुधार, और अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा छत्र-पिछड़े वर्गों की सुसहजता के कार्यक्रमों से देश-भर में द्रुत आर्थिक विकास की नींव मजबूत होगी। गरीबी और अक्षररोजगारी उन क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक है, जहाँ आवादी बहुत ज्यादा है और जहाँ प्राकृतिक साधनों का बहुत ही कम विकास हुआ है। तीसरी योजना में गाँवों के विकास का जो विद्यालय कार्यक्रम शुरू करने का विचार है, उसमें उन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम के ज्यादा अवनर निम्न होंगे। देश के कुछ भागों में बागान-उद्योग का काफी विस्तार होगा, विशेषकर चाय, काफी और गन्ना के बागानों की बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ, नदी-प्रवाह-परियोजनाएँ तथा छत्र-परियोजनाएँ जिनका वार में उल्लेख किया जाएगा, भावी विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे या काम करेंगे।

14 उद्योगों का स्थान और विस्तार क्षेत्र . जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उद्योगों के स्थान चुनने में ध्यान देना कि नतीजा क्या होगा, इससे बहुत बड़ी बातों का ध्यान रचना पड़ती है। उद्योगों के स्थानों में, जो अपने उत्पादन का काफी भाग निर्यात कर

सकते हों, नए कारखाने स्थापित करते समय राष्ट्रहित की दृष्टि से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वे जिस पैमाने पर उत्पादन करें, उसमें किफायत हो और विदेशी मद्धियों में प्रतिযোগिता की हमारी क्षमता बड़े। लेकिन इन मोटी-मोटी बातों के साथ सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के स्थान तय करते समय उन इलाकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें औद्योगिक विकास की आवश्यक क्षमता हो। आम तौर पर दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ पहले ही काफी विकास हो चुका है या उसकी योजना बन चुकी हो, वहाँ और उद्योग स्थापित न किए जाए, लेकिन ऐसे स्थानों में अगर वर्तमान उद्योगों के विस्तार से उत्पादन में क्या-बा किफायत होती हो तो वैसा करना ही पड़ेगा। इसी तरह, जहाँ तक सम्भव हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि नए उद्योग और साधन बड़े तथा घनी आवादीवाले नगरों से दूर स्थापित किए जाए।

15 सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं के स्थानों के बारे में अब तक जो निश्चय किए गए हैं, उनसे यह साफ जाहिर है कि वे काफी दूर-दूर तक फैले हुए होंगे और विभिन्न प्रदेश औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, उदाहरण के लिए उड़ीसा में राउर-केला-इस्पात-कारखाने और उर्वरक-कारखाने का विस्तार, असम में नूनमती-तेल-शोधन-कारखाना, उर्वरक-कारखाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग तथा वितरण, केरल में फाइटो-रासायनिक कारखाना, उर्वरक की क्षमता में विस्तार तथा एक जहाजी यार्ड का निर्माण, आन्ध्रप्रदेश में रासायनिक औषध-कारखाना, विशाखापट्टनम की सूखी गोदी, हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार, प्राग-टूल्स और आन्ध्र-मेपर-मिल्स का विस्तार, मध्य-प्रदेश में नोट के कागज का कारखाना, वुनियादी ऊष्मसह कारखाना-परियोजना, नेपा-मिल्स का विस्तार, झिन्दाई-इस्पात-कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना, उत्तरप्रदेश में कीटाणुनाशक दवाओं का कारखाना, उर्वरक-कारखाना, ऊष्मसह कारखाना, तथा बारीक आँझारों के कारखाने का विस्तार, राजस्थान में तावे की खानों का विकास, पंजाब में एक मशीनी आँजार का कारखाना, मद्रास में गल्य उपकरणों का कारखाना, कच्ची फिरम का कारखाना, लोहे और इस्पात का मार्ग-दर्शक-कारखाना, नइवेली लिग्नाइट उच्च ताप कार्बनीकरण-कारखाना, टेलीप्रिटर-कारखाना और एक इस्पात-डलाई-कारखाना, गुजरात में तेल-शोधन-कारखाना और जम्मू-कश्मीर में एक सीमेंट-कारखाना।

16 निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेंस देते समय अर्द्धविकसित क्षेत्रों के दानों का ध्यान रखा जाता है और जो लोग कारखाने खोलना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त स्थानों के बारे में सुझाव दिया जाता है। उद्योगों की क्षमता क्षेत्रीय आधार पर बढ़ाई जा सके, इस ख्याल से समय-समय पर निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों की प्रगति, कार्यक्रम और उत्पादन-लक्ष्यों की जांच की जाती है। यह बात मान ली गई है कि भविष्य में इन दिशाओं में और भी क्या-बा और दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह निश्चय किया गया है कि तीसरी योजना के दौरान जो नई वस्त्र-मिलें स्थापित की जाएंगी, वे मोटे तौर पर ऐसे प्रदेशों में होंगी, जहाँ इस समय वस्त्र विल्कुल तैयार नहीं होता। कुछ हल्के इन्जीनियरी-उद्योगों के विषय में भी ऐसे अध्ययन किए गए हैं, तीसरी योजना की प्रवधि में निजी क्षेत्र को अन्तर्गत कम विकसित प्रदेशों में, जिनमें महत्वपूर्ण परियोजनाएँ गुरु होंने की प्राप्ता है, से मिसाल के तौर पर इनका उल्लेख किया जा सकता है। उत्तरप्रदेश में एक अल्यु-मीनियम-कारखाना तथा सेलुलोज एसिटेट-कारखाना, राजस्थान में एक उर्वरक-कारखाना,

नाइलोन-कारखाना, कास्टिक सोडा-पी०वी०सी०-कारखाना और जन्मा गलाने की मर्दो, अन्नम में नकनी रबड, पोलिथिलीन तथा कार्बन-ब्लैक की परियोजनाएँ और कागज की सुगदी तैयार करने का कारखाना, तथा केरल में मोटोरो के रबड-टायर तैयार करने का कारखाना और कई विद्यमान कारखानों का विस्तार ।

17 औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव में यह बात निहित है कि जो क्षेत्र इन अन्य औद्योगिक दृष्टि में पिछड़े हुए हैं या जहाँ राजगार के अवनर देने की ज्यादा जरूरत है, वहाँ विजली, जल-आपूर्ति तथा परिवहन की सुविधाएँ दी जानी चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में उच्च उद्योग स्थापित किए जा सकें । इन सुझाव को कार्यरूप देने के लिए तीसरी योजना में पिछड़े हुए प्रदेशों में 'औद्योगिक विकास-क्षेत्र' स्थापित करने का प्रस्ताव है । ऐसे प्रदेशों में चुने हुए क्षेत्रों में विजली, पानी तथा नचार-मावन आदि की बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी, कारखाने जोखने के स्थानों का विकास किया जाएगा और उन्हें नए उद्योगपतियों को देवा जाएगा या सम्वे पट्टे पर दिया जाएगा । यह योजना प्रभुव रूप में भोजने उद्योगों को बढावा देने के लिए बनाई गई है लेकिन आज्ञा है कि इनके साथ छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की भी गुजायश बढेगी, विशेष रूप से नहायक उद्योगों की । प्रस्तावित औद्योगिक विकास-क्षेत्रों के भीतर या उनके आस-पास औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित करना भी सम्भव होना चाहिए । गज्जे ने मोटे तौर पर इन योजना को स्वीकार कर लिया है और अत्र विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं ।

18 प्रादेशिक विकास के आधार-रूप में बड़ी परियोजनाएँ . अगर किसी बड़ी परियोजना में मन्त्रद या पूरक कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू कर दी जाएँ, तो उनके ताम जिन क्षेत्र में वह स्थित हैं, उनके लोगों को औरों के मुकाबले वहाँ अधिक मिलते हैं । इसलिए अयोजन की एक आवश्यक बात यह होनी चाहिए कि हर बड़ी परियोजना को उन नारे प्रदेश के मन्वित विकास का आधार माना जाए । उदाहरण के लिए, नई सिचार्ड-परियोजनाओं के आस-पास कई छोटी-मोटी योजनाएँ शुरू की जानी चाहिए, जिनका उद्देश्य उन्नत कृषि, वागवानी, शिक्षा-केन्द्रों, तथा विवायन एवं अन्य उद्योगों का विकास करना हो । इसी प्रकार, इम्पान-कारखाने और अन्य बड़ी औद्योगिक परियोजनाएँ छोटे और मझोटे उद्योगों के विकास तथा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिए आधार का बन सकती हैं । विकास की ऐसी सम्भावनाएँ उन सभी बड़े प्रदेशों में हैं, जहाँ तीसरी योजना के दौरान नए-नए मावनों का विकास किया जाएगा—जैसे, दण्डकारण्य, राजस्थान-नहर-क्षेत्र तथा तुगनद्रा, नागाजुननागर, कोयना, चम्बल एवं कई अन्य परियोजना-संवेत क्षेत्र । राष्ट्रीय महत्व के नगरों एवं अन्य बड़े-बड़े नगरों के बटते जाने से कुछ नई तरह की समन्वाएँ नामने आई हैं । कलकत्ता, दिल्ली, बन्दई और राष्ट्रीय महत्व के अन्य नगरों में यह आवश्यक है कि मनुष्यित प्रादेशिक विकास-कार्यक्रमों की एक शृंखला शुरू की जाए, जिनमें उच्च भूमि और आवास-नीतियों, नए जस्वों की स्थापना तथा उद्योगों के स्थानों के बारे में निश्चय भी शामिल हो । विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में प्रादेशिक या क्षेत्र-विकास-योजनाओं की तीसरी तीसरी योजना के शुरू में ही आरम्भ कर देनी चाहिए । इन तरह, नए और महत्वपूर्ण केन्द्रों की स्थापना से या मन्पत्ति के नए मावन पैदा होने में जो लाभ होना है, वह बहुत बढ जाएगा और वहाँ अधिक क्षेत्रों को प्राप्त होने लगेगा ।

19 टेक्नोलाजी-मन्वर्षों विकास का महत्व : विभिन्न क्षेत्रों की विकास-अमता का अभ्यन टेक्नोलाजी और विज्ञान की प्रगति में पैदा होनेवाली सम्भावनाओं के मन्वर्ष में किया

जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, असम, गुजरात और राजस्थान-जैसे क्षेत्रों में कोयले की खानें न होने के कारण विकास-सम्बन्धी जो बाधा उपस्थित है, वह पनविजली, तेल और परमाणु-शक्ति उपलब्ध हो जाने से बहुत-कुछ दूर हो जाएगी। दीर्घकालीन दृष्टि से यह बात प्रादेशिक विकास के लिए बड़े महत्व की है। इसी प्रकार परिवहन और संचार-व्यवस्था के उन्नत होने से दूर-दूर के क्षेत्र एक-दूसरे के निकट आते जा रहे हैं—जैसे, असम, जम्मू-कश्मीर, और उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के लिए संचार और परिवहन के साधन उन्नत हो जाने से देश की सामान्य आर्थिक प्रगति में पूरा-पूरा हिस्सा ले सकना सम्भव हो गया है। प्रादेशिक विकास की नई-नई सम्भावनाएँ पैदा करने में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि और गावों में बिजली पहुंचाने का बहुत महत्व है। तीसरी योजना के दौरान देश के कई अल्प-विकसित क्षेत्र इन दिशाओं में काफी प्रगति करेंगे।

20 शिक्षा और प्रशिक्षण : कम विकसित क्षेत्रों की द्रुत आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा वहां शिक्षा की कमी है। आग्रा है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों-द्वारा शिक्षा के सामान्य आधार का विस्तार करने और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था से कम विकसित क्षेत्रों की उन्नति में धीरे-धीरे अधिकाधिक सहायता मिलेगी। राज्यों की योजनाओं में इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है, पर इस धोरण से आवश्यक हो जाना जरूरी है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए तथा कम विकसित क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग प्रभावपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इंजीनियरों, डाक्टरों, कृषि-विशेषज्ञों, शिल्पकारों और अन्य लोगों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को पहले ही देश-भर में फैलाया जा रहा है। तकनीकी, व्यावसायिक और माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को लागू करते समय ऐसे कम विकसित क्षेत्रों की जनता की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जहां नई औद्योगिक परियोजनाएँ आरम्भ की जा सकती हैं।

21 श्रमिकों का भेज-भिजाव देश के कुछ हिस्सों में श्रमिकों का बहुत समय में भेज-भिजाव होता रहा है। उदाहरणार्थ, विहार के मजदूर असम के चाय-बागानों में काम करते हैं और राजस्थान के मजदूर पंजाब तथा अन्य स्थानों में सबको एव सिंचाई की परियोजनाओं में काम करते हैं। केन्द्र और राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरों को फिर से काम पर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है और इससे कुशल श्रमिकों को नई परियोजनाओं पर ले जाने में सहायता मिलेगी। परन्तु श्रमिकों के प्रवासन और एक स्थान में दूसरे स्थान पर ले जाने का सवाल कहीं अधिक व्यापक है। देश के घनी आबादीवाले इलाकों से बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों को कम आबादीवाले इलाकों में ले जाने की गुंजायश फिलहाल कम ही है। पर यह स्पष्ट है कि कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम कठिनाई से जा सकते हैं और जहां भी स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विकास कर रही है, वहां वे आसानी से खप जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि घनी आबादीवाले क्षेत्रों में उनके अपने गहन विकास की व्यवस्था के साथ-साथ, तकनीकी प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का काफी विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि और जगहों पर काम करने के लिए भी प्रशिक्षित मजदूर मिल सकें।

22 विज्ञान-कर्मचारियों : विकास का स्तर काफी हद तक मुद्रा प्रगमन और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इनके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि

छोटे और मझोले उद्योगपतियों का एक ऐसा वर्ग किस हद तक पनपता है, जो नए क्षेत्रों में कदम उठाने का साहस कर सके और जोखिम उठा सके। इससे भी अधिक यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय लोगों में पहल करने की कितनी शक्ति है और उनमें नेतृत्व का किस हद तक विकास हुआ है। विकास के इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका सकेत ऐसी बाधाओं की ओर है, जो अर्द्धविकसित प्रदेश के लिए साधनों की व्यवस्था कर देने-मात्र से दूर नहीं की जा सकती।

प्रादेशिक विकास का अध्ययन

23 अधिक सन्तुलित प्रादेशिक विकास के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए यह बात उपयोगी होगी कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रवृत्तियों और विकास की गति का तथा कम विकसित प्रदेशों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का बराबर अध्ययन किया जाए। जिन अर्द्धविकसित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें और निकट में जानना होगा, उनके साधनों का सर्वेक्षण करना होगा तथा उनके विकास को प्रभावित करनेवाले कारणों की जांच करनी होगी। 'प्रदेश' का ठीक-ठीक मतलब क्या है—इसकी भी स्पष्ट परिभाषा कर देना जरूरी है। किसी राज्य में कई 'प्रदेश' हो सकते हैं और कोई 'प्रदेश' राज्य से बड़ा भी हो सकता है—अपने प्रयोजन के अनुसार प्रदेश की अलग-अलग आख्याएँ स्वीकार की जा सकती हैं। हर राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जो दूसरों की प्रपेक्षा कम उन्नत होते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कई और सन्दर्भों में भी प्रादेशिक विकास की समस्याएँ सामने आती हैं—उदाहरणार्थ, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के चारों ओर के क्षेत्रों के, जिन क्षेत्रों में नए साधनों का विकास किया जा रहा है, उनके, और राजधानियों के आस-पास के प्रदेशों के सन्दर्भ में। विभिन्न प्रदेशों में विकास के स्तर निर्धारित करने के लिए कृषि-उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, पूँजी-विनियोग, बेरोजगारी, विजली की खपत, सिंचित क्षेत्र, वस्तु-उत्पादक क्षेत्रों की उपज का मूल्य, उपभोग-व्यय का स्तर, सड़कों की लम्बाई, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा वहाँ के निवासियों के पैसे, आदि से सम्बद्ध तथ्य उपयोगी होते हैं, पर यह अध्ययन ठीक-ठीक आकड़ों के आधार पर ही किया जाना चाहिए और इस तरह किया जाना चाहिए कि विभिन्न राज्यों और प्रदेशों की सही-सही तुलना की जा सके। दूसरी योजना की अवधि में इन समस्याओं के बारे में कुछ काम हुआ था और एक विशेष अध्ययन-दल की सहायता के रूप में इस काम को जारी रखने का विचार है। केन्द्रीय सांख्यिकी-मण्डल, राज्य-सांख्यिकी-ब्यूरो तथा भारतीय सांख्यिकी-संस्थान का इस दल के काम में सहयोग रहेगा।

24 विभिन्न राज्यों और प्रदेशों के विकास-अध्ययनों में, आर्थिक प्रगति के व्यापक सूचक के रूप में, 'राज्य-आय' के अनुमानों का काफी महत्व होता है। 'राज्य' और 'प्रदेश' की आय के अनुमान के सिद्धान्तों, परिभाषाओं और तकनीकों से सम्बन्धित कई जटिल सवाल हैं, जिनका विभिन्न अनुमानों के व्यावहारिक मूल्य पर असर पड़ता है। 'राज्य-आय' या तो वह आमदनी मानी जा सकती है, जो किसी राज्य की सीमाओं में हो या वह आमदनी, जो उनके निवासियों को होती हो। पहला सिद्धान्त सम्पूर्ण देश के 'आन्तरिक उत्पाद' से सम्बद्ध है और दूसरा सिद्धान्त 'राष्ट्रीय आय' से। राज्यों या प्रदेशों के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के स्तर के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किसी 'राज्य' या 'प्रदेश' के भीतर

होनेवाली आय का अनुमान ही काफी है। दूसरी ओर, किसी राज्य की होनेवाली आय का अनुमान समग्र राज्य के निवासियों की आर्थिक खुशहाली का एक मोटा पैमाना हो सकता है। भावी योजनाओं में राज्य-आय के अनुमानों के महत्व को देखते हुए यह तय किया गया है कि राज्य-सांख्यिकी-द्यूरो के सहयोग से केन्द्रीय सांख्यिकी-संगठन तुलनात्मक वार्षिक आघार पर राज्य-आय के अनुमान तैयार करने का काम करे। ये अनुमान वस्तु-उत्पादन तथा राज्य में होनेवाली आय के आघार पर तैयार किए जाएंगे। पहले-पहल कुछ खास वस्तु-क्षेत्रों—जैसे, खेती, उद्योग, आदि—में तुलनात्मक आघार पर आय के अनुमान तैयार किए जा सकते हैं।

25 यह ठीक है कि राज्य और प्रदेश के आय के अनुमान तथा कुछ खास चीजों के बारे में आकड़े जुटाने की अपनी उपयोगिता है, पर इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि विभिन्न प्रदेशों की समस्याओं को जानने-समझने तथा उनकी आवश्यकताओं-सम्भावनाओं को जानने-परखने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाए। भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्थान, खान-संस्थान, तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग, केन्द्रीय जल तथा विजली-आयोग, भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिपद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिपद, आदि संस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्वेक्षण किया करती हैं। राष्ट्रीय प्रयोगात्मक आर्थिक अनु-सन्धान-परिपद ने कई राज्यों और सघीय क्षेत्रों के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। खडगपुर के टेक्नोलाजी-संस्थान तथा कलकत्ता एव पटना-विश्वविद्यालयों की ओर से दामोदर-खाटी-प्रदेश के सर्वेक्षण का काम काफी आगे बढ़ चुका है। भारतीय सांख्यिकी-संस्थान ने प्रादेशिक आयोजन की समस्याओं के अध्ययन की अपनी योजना के अन्तर्गत मैसूर और केरल में प्रादेशिक सर्वेक्षण शुरू किए हैं। वेंचमार्क-सर्वेक्षणों तथा कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन के अन्य अध्ययनों से विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति की ओर से जो गहर-सर्वेक्षण तथा अन्य अध्ययन किए गए हैं, उन सभी गहरी और प्रादेशिक विकास की समस्याओं के बारे में बहुत-से आकड़े प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय महत्व के नगरी—जैसे, दिल्ली और बम्बई—के सर्वेक्षणों का तथा कलकत्ता के प्रस्तावित सर्वेक्षण का भी आयोजना के क्षेत्र में काफी महत्व है। इस प्रकार, इधर के वर्षों में जो कई कदम उठाए गए हैं, उनके फलस्वरूप प्रादेशिक विकास की समस्याओं और सम्भावनाओं के बारे में बहुत-सारी तकनीकी, आर्थिक तथा सामाजिक जानकारी एकत्रित हो गई है तथा भावी आयोजन में उससे बड़ी सहायता मिलेगी।

26 प्रदेशों के विकास और समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक ही प्रक्रिया के दो अंग समझा जाना चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति विभिन्न प्रदेशों के विकास की गति में झलकेगी और विभिन्न प्रदेशों में साधनों का जितना अधिक विकास होगा, उतनी ही तेजी से सारा देश उन्नति करेगा। किसी खास प्रदेश की समस्याओं पर अत्यधिक जोर देने और उनकी गहरता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की सापेक्षता में न रखकर उनके विकास का प्रयत्न करने की प्रवृत्ति गलत है और हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि अन्ततः विभिन्न प्रदेश देश के अग्रिम अंगों के रूप में ही अपने विकास की पूर्ण सम्भावनाओं को साकार कर सकते हैं। परस्पर-सम्बद्ध प्रयत्नों की एक कड़ी जब पूरी हो जाती है, तभी सन्तुलित प्रादेशिक विकास का फल प्राप्त होता है। इनमें से अनेक प्रयत्न दीर्घकाल-व्यापी होते हैं। थोड़ी अवधि को आघार बना कर देखें, तो लक्ष्य की ओर प्रगति सामूची और

अधूरी दीखेगी। यह बात अलग-अलग प्रदेशों के बारे में भी सच है और समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी। इस वक्त की कमियाँ चाहे कुछ भी हों, पर लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक मुनासिब ढररे से देश के सभी प्रदेश आर्थिक विकास की अपनी सम्भावनाओं को सिद्ध कर लें और रहन-सहन के ऐसे स्तर को हासिल कर लें, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के स्तर से बहुत ऊपर-नीचे न हों। अतः जरूरत इस बात की है कि विभिन्न प्रदेशों की प्रगति पर सावधानी से नजर रखी जाए और जो क्षेत्र काफी पीछे दिखाई पड़ें, उनके विकास की गति बढ़ाने के लिए खाम उपाय किए जाएं। दीर्घकालीन विकास के परिप्रेक्ष्य में, जब अर्थव्यवस्था तेजी में उस घरातल की ओर बढ़ रही हो, जहाँ से वह अपनी भीतरी शक्ति के बल पर विकसित होती रहे तथा जब लोगों के रहन-सहन का स्तर बराबर ऊपर उठ रहा हो, तब प्रादेशिक और राष्ट्रीय विकास अनिवार्यतः एक समान उद्देश्य के दो अलग-अलग पहलू हुआ करते हैं।

रोजगार और जनशक्ति

(1)

समस्या का विश्लेषण

मकको रोजगार देना भारत में आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य है, पहली दोनो योजनाओं में भी इस पर बल दिया गया था और तीसरी योजना में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। जनशक्ति के उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग एक लम्बे समय तक विकास-कार्य चलते रहने के बाद ही सम्भव है। फिर भी तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि योजनाकाल में श्रमिकों की बढ़नेवाली मस्या को अनुपात में ही रोजगार देने के अवसर भी बढ़ाए जा सकें। श्रमिकों की बढ़ती हुई मस्या को देखते हुए ऐसा भालूम होता है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना अगले पाच वर्षों में किए जानेवाले सबसे अधिक कठिन कार्यों में से एक है।

2 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्धरोजगारी की समस्याएँ माथ-साथ विद्यमान हैं, वैसे, दोनों के बीच भेद करना भी सरल नहीं है। गावों में बेरोजगारी सामान्यतः अर्द्ध-रोजगारी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। देश के कई भागों में, खेती के मौसम में, श्रमिकों की कमी अवसर महसूस की जाती है, परन्तु वर्ष के एक बड़े भाग में खेतिहर श्रमिकों और सम्बद्ध क्षेत्रों में काम करनेवालों को लगातार काम नहीं मिलता। फलस्वरूप, श्रमिक गावों से शहरों की ओर जाने लगते हैं, और इसका अर्थ यह होता है कि समस्या गावों के बजाय शहरों में पहुँच गई है। हालाँकि हाल के सर्वेक्षणों से यह प्रकट हुआ है कि शहरों में बेरोजगारी अधिक है, पर यह अपने आप में इस बात का धोतक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। वास्तव में, शहरों और गावों में बेरोजगारी की समस्या एक-ती ही है।

शहरी क्षेत्रों में रोजगार का सम्बन्ध व्यापार, परिवहन और उद्योगों की अवस्था में होनेवाले परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। इनकी स्थिति में अरा-सा परिवर्तन होते ही बेरोजगारी के आकडे भी घटने-बढ़ने लगते हैं। यह स्थिति सभी जगह है तथा छोटे और बड़े शहरों एवं गावों को अर्द्ध-बेरोजगारी के सकट का लगभग समान रूप से सामना करना पड़ता है।

3 सारे देश में और विभिन्न प्रदेशों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति का सही चित्र तैयार करने के लिए वर्तमान आकड़े काफी नहीं हैं। आकड़ों को एक और रख देने पर भी यह आम धारणा है, जो कि रोजगार-दपतरो के जरिए मिलनेवाले अवसरों की सीमित मस्या तथा बड़ा काम पाने की इच्छा से नाम दर्ज करानेवालों की बड़ी मस्या को देखकर और भी पुष्ट होती है, कि बेरोजगारी की दृष्टि से पिछले पाच वर्षों में अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है। सन् 1961 की जनगणना के अब तक प्राप्त आकड़ों के अनुसार, देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस बात का प्रमाण है कि बेरोजगारी की समस्या जटिलतर होती जा रही है। दूसरी खेतिहर श्रमिक-जगह और राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण की रिपोर्टों एवं कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन के अध्ययनों से इस तथ्य की

मोटे तौर पर पुष्टि हुई है। परन्तु यही पूरी स्थिति का चित्र नहीं है। विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के अतिरिक्त अवसर काफी बड़ी संख्या में मुहैया किए गए हैं; परन्तु श्रमिकों की संख्या में वृद्धि तीव्रता से बढ़ी हो रही है, उसे देखते हुए ये अवसर पर्याप्त नहीं हैं। यदि रोजगार की स्थिति को विगड़ने से बचाना है तो योजना का लक्ष्य पाच वर्ष की अवधि में श्रमिक-वर्ग में नए आनेवालों की संख्या के बराबर लोगों को लाभकारी रोजगार में रूपाणा होना चाहिए।

4 एक अर्द्धविकसित देश में बेरोजगारी का सही-सही अन्दाज लगा नकता सरल नहीं होता। सामान्य तौर पर लोगों में, खास कर अपने निजी रोजगार में लगे लोगों में, परिवार या एक वर्ष के नवस्थो के बीच काम वाट देने की प्रवृत्ति होती है। जहां काम-काज के अवसर इतने अधिक लोगों में बँटे होते हैं कि जीवन-निर्वाह के योग्य साधन भी मुश्किल से जुट पाते हैं, वहां की जनसंख्या का एक भाग सवेतन रोजगार की खोज में चला जाता है। जनसंख्या के इसी अंश को सही तौर पर बेरोजगार कहा जा सकता है। शेष के लिए यही कहा जा सकता है कि वे कुछ समय तक अर्द्धरोजगारी की अवस्था में रहते हैं। काम-धंधे के वर्तमान ढांचे में अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाते समय एक मुख्य बात यह सामने आती है कि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अपने निजी रोजगार में लगे हुए लोग अपनी सामर्थ्य और इच्छा से कम काम करने को बाध्य हैं। अर्द्ध-रोजगार को सम्बन्ध में आकर बहूत-बहुत इन बात पर निर्भर है कि इन शब्द की व्याख्या किम रूप में की जाती है। विकास की वर्तमान अवस्था में काम के निश्चित घटे के आधार पर या इसी प्रकार के किन्हीं तरीके से अर्द्धरोजगारी की संख्या तय करना कठिन है। इन उपायों पर निरिक्त करना अधिक अन्यायपूर्ण होगा कि लोग कितना अतिरिक्त काम करने को इच्छुक हैं। नमूने के तौर पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यही सिद्धान्त अपनाया गया है।

5 क्लिप्तान सीमित परिमाण में जो आकरें उपलब्ध हैं, उन पर रोजगार की समस्या के निम्नलिखित पहलुओं के मन्दन में विचार किया जा सकता है (क) दूसरी योजना के मन्दन में बेरोजगार लोगों की संख्या, (ख) तीसरी योजना की प्रवृत्ति में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, और (ग) योजना के आयन्वियन के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले रोजगार के अतिरिक्त साधनों का अनुमान। ऐसे तरीके पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनसे अधिक संख्या में उद्योग-उद्योगों की विनाश-योजनाओं का रोजगार-सम्बन्धी लाभ बटाने में सफलता मिलती है। ऐसी योजनाओं के रूप में निर्माण-कार्यों और लघु उद्योगों का नाम दिया जा सकता है। यदि योजना की पूरी रोजगार-समस्या का उद्योग विचार किया जाए, तो भी प्रस्तावित उद्योगों को तब करने के लिए विभिन्न रोजगार-कार्यक्रमों की बात सोचना आवश्यक होगी।

6 दूसरी योजना में 80 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के मान्य उपलब्ध किए गए हैं। इनमें से 65 लाख लोगों के लिए, टॉय-निर्माण क्षेत्रों में व्यवस्था थी। दूसरी योजना के अन्तर्गत 90 लाख लोग बेरोजगार थे। परन्तु निम्नलिखित एक उच्च अनुमान है। इनमें इस्फूर्ति प्राप्त करने वाले में मातृका तथा बेरोजगारों का अनुमान (53 लाख), दूसरी योजना की अवधि के अन्तर्गत में ही बेरोजगारी दूरि के अनुमान (17 लाख) का अतिरिक्त और 17 लाख बेरोजगारों का अनुमान रोजगार के लक्ष्य (20 लाख) की दृष्टि में

कमी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन अर्द्धरोजगारवाले लोगों की सख्या का सही अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, जिनके पास थोड़ा काम है, पर और अधिक काम करना चाहते हैं, फिर भी अनुमान है कि इनकी सख्या 150 लाख से 180 लाख के बीच होगी।

7 एक निश्चित अवधि में श्रमिक-वर्ग में वृद्धि का अनुमान इससे लगाया जाता है कि 15 से 59 वर्ष तक की अवस्था के कितने व्यक्ति रोजगार से लगे हुए हैं या रोजगार प्राप्त करने के प्रयत्न में हैं। तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में श्रमिकों की सख्या में 1 करोड़ 50 लाख की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि यदि रोजगार की स्थिति को बिगड़ने से बचना है, तो तीसरी योजना में प्रायः इतने ही व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मुहैया करने पड़ेंगे। सन् 1961 की जनगणना के प्रकाश में इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है कि किस वय के कितने व्यक्ति हैं और श्रमिक-वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों के शामिल होने के अनुपात में क्या परिवर्तन आए हैं। इस अवस्था में नमूने के तौर पर हुए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ आम भाव्यताएँ बनानी पड़ेंगी। फिलहाल प्राप्त अनुमानों को देखते हुए मालूम पड़ता है कि तीसरी योजना में श्रमिक-वर्ग में नए आनेवालों की सख्या 1 करोड़ 70 लाख होगी, इसमें से एक-तिहाई वृद्धि शहरी क्षेत्र में होगी। पूरी जानकारी मिलने पर विभिन्न राज्यों में होनेवाली इस वृद्धि का अनुमान लगाना आवश्यक होगा, ताकि हर राज्य योजना के कार्यक्रमों और परियोजनाओं की रोजगार-विषयक क्षमता को पूरा करने का प्रयत्न करे, साथ ही वह इस बात की भी जांच करे कि अन्य साधनों से इस क्षमता में कितनी वृद्धि की जा सकती है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का, विशेष रूप से कुशल श्रमिकों का, एक स्थान से दूसरे पर जाना बहुत महत्व रखता है। अतः इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, साथ ही सुविधाएँ भी। फिर भी, इनकी सख्या को देखते हुए अगले कुछ वर्षों में कुशल श्रमिकों के इधर-उधर जाने से होनेवाला लाभ सीमित ही रहेगा और हर राज्य या प्रदेश में इस दिशा में किए जानेवाले कामों की कुल मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

8 तीसरी योजना में रोजगार देने-सम्बन्धी लक्ष्य पर एक लम्बी अवधि को ध्यान में रख कर ही विचार करना होगा। अगले 15 वर्षों में श्रमिकों की सख्या में 7 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है। इसमें से तीसरी योजना की अवधि में 1 करोड़ 70 लाख, चौथी योजना में 2 करोड़ 30 लाख और पाचवी योजना में 3 करोड़ की वृद्धि होगी। पहली दो योजनाओं के अनुभव से प्रकट हुआ है कि योजना की अवधि में रोजगार के जो भी अवसर निकले हैं, उनका अधिक भाग कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों को मिला है। यह मान कर कि यही प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहेगी और अगले 15 वर्षों में बढ़नेवाली श्रमिकों की सख्या का दो-तिहाई हिस्सा कृषि-निम्न क्षेत्रों में खपाया जाएगा। सन् 1976 तक कृषि पर निर्भर करनेवालों की सख्या घटा कर 60 प्रतिशत करना सम्भव होना चाहिए।

(2)

तीसरी योजना में अतिरिक्त रोजगार

9 पाच वर्ष की लम्बी अवधि में फैली हुई एक विकास-योजना की अनेकानेक परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रोजगार देने की क्षमता का अनुमान लगाने में बहुत-सी कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है। योजना के प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में दो

वातो को ध्यान में रखना होगा, पहली यह, कि नमुचित अधिक और अन्य नीतियों के द्वारा उत्पादन और रोजगार को वर्तमान स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, और दूसरी, योजना में निहित विभिन्न विकास-कार्यक्रमों पर पूरी कार्यकुशलता और कमबन्धी के साथ अमल होगा तथा उत्पादन का सिलसिला टूटने नहीं दिया जाएगा। कृषि और व्यापार-उद्योगों में अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध में अनुमान लगाना विशेष रूप से कठिन है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि में, जिसके लिए योजना के आर्थिक माधनों का अछा-खासा भाग उपलब्ध किया गया है, मुख्य रूप से अर्द्धरोजगारी में कमी आएगी, हानाकि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। कम विकसित देशों में व्यापार में लगे हुए लोगों की सख्या उनके काम के अनुपात में अधिक होती है, इसलिए व्यापार-क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप नए आनेवालों को काम का अवसर मिलने के बजाय अर्द्धरोजगारी में ही कमी होती है।

10 उद्योगों में पूंजी-विनियोग और कार्य-क्षमता बढ़ने से रोजगार चाहनेवालों को काम देने की क्षमता उनी अनुपात में नहीं बढ़ती, क्योंकि नए-नए तरीके विशेष रूप से बड़े पैमाने पर चलनेवाले कारखानों में अधिक उत्पादन की तकनीकों पर ही आधारित होते हैं। इस प्रकार, तकनीकों का चुनाव रोजगार-नीति के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। उद्योग के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन के ऐसे तरीके और परिमाण अपनाना आवश्यक है, जिनसे सबसे अधिक बचत हो। इसके सन्तुलन के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रयत्नपूर्वक ऐसे तरीके अपनाने होंगे, जिनमें अधिक लोगो को रूपाया जा सके और पूंजीगत साधनों की बचत हो, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा की। निर्माण-कार्यों में श्रमिकों की सबसे अधिक खपत हो सकती है, जहां उचित संगठन और समय रहते आयोजन करके जनशक्ति का उससे कहीं अधिक उपयोग किया जा सकता है, जितना आज हो रहा है। कौन-कौन-सी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए, इसका निर्णय केवल काम के स्वरूप के अनुसार ही नहीं किया जा सकता—जिस प्रदेश में वह काम होनेवाला है, उसकी आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अधिक जनसख्यावाले क्षेत्रों में ऐसे उपाय अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो समग्र लक्ष्य के अनुकूल होने के साथ-साथ उपलब्ध जनशक्ति-विषयक साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

11 योजना के रोजगार-सम्बन्धी परिणामों और लाभ का अनुमान लगाने समय आम तौर पर रोजगार के दोनों पहलुओं को पृथक् कर दिया जाता है—निर्माण-कार्य और निरन्तर चलनेवाले काम-बन्धे। निर्माण-कार्यों में रोजगार यद्यपि अस्थायी होता है, तथापि एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए एक निश्चित स्तर तक पूंजी लगाने की व्यवस्था होती है। इस क्षेत्र में रोजगार का अनुमान पिछली योजनावधि के मुकाबले पूंजी-विनियोग में इन बार हुई वृद्धि को देख कर लगाया जा सकता है। चूंकि निर्माण-कार्यों का पूंजी-विनियोग एक और श्रमिकों और दूसरों और मशीनों, सामग्रियों तथा सेवाओं में बंट जाता है, इसलिए अतिरिक्त रोजगार का ठीक अनुमान लगाने के लिए श्रमिक-सख्या का सही हिसाब रखना जरूरी है।

12 कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, सामाजिक सेवाएँ, व्यापार आदि निरन्तर चलनेवाले बन्धों में रोजगार का अनुमान लगाने के लिए अनेक मापदंडों का आश्रय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कृषि, वन-रोपण और सिंचाई-साधनों के विकास से कुछ अंशों में अर्द्धरोजगारी कम होती है और कुछ अंशों में नए आनेवाले लोगों को पूरे समय का काम

मिलता है। अर्द्धरोजगार-प्राप्त लोगो तथा नए आनेवाले श्रमिको को इससे किस अनुपात में लाभ मिलता है, इसका अनुमान लगाना सरल नहीं है। भूमि-संरक्षण, वन-रोपण, भूमि-पुनरुद्धार, बाढ़-नियन्त्रण, नई जमीनो को बसाना, सिंचाई-सुविधाओ का उपयोग, आदि कुछ ऐसे विकास-कार्यक्रम हैं, जिनसे श्रमिको के वर्ग में नए आनेवालो को रोजगार मिलेगा, पहले से काम करनेवालो को अधिक रोजगार तो मिलेगा ही। पिछले दस वर्षों में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर इस कार्य के लिए अब कुछ निश्चित पैमाने अपना लिए गए हैं।

13 उद्योगो में, उनके स्वरूप के अनुसार, अतिरिक्त रोजगार का अनुमान लगाने समय रोजगार को पूजी-विनियोग अथवा उत्पादन-वृद्धि के प्रकाश में देखना होगा। कुछ मामलो में उत्पादकता में वृद्धि के लिए छूट देनी होगी और शेष में परियोजनाओ की रिपोर्टों तथा लाइसेंस-समिति को दी गई जानकारी को आधार बनाना होगा। सबक-परिवहन के मामले में, यात्रियो की मरुया और माल-दुलाई की मात्रा में वृद्धि के विभिन्न सकेतो को आधार माना जा सकता है। सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परीक्षण करने होंगे, यह इस बात पर निर्भर होगा कि योजना में समाज को किस स्तर तक की सुविधाएं देने की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओ में, विभिन्न कर्मचारियो की आवश्यकताओ का अनुमान उनके द्वारा सेवित क्षेत्र की आवादी को देख कर लगाया गया। इसी तरह, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रो और शिक्षको का अनुपात ध्यान में रखा गया।

14 विकास-कार्यक्रमो से मिलनेवाले रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरो के अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य और परिवहन में मिलनेवाले अप्रत्यक्ष रोजगार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी योजना में अप्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान निजी और सरकारी क्षेत्रो में योजना के अन्तर्गत चलनेवाले विकास-कार्यक्रमो से प्राप्त अतिरिक्त रोजगार का 52 प्रतिशत था। नवीन अभ्ययनो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीसरी योजना के विकास कार्यक्रमो में उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त रोजगार का 56 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष रोजगार से प्राप्त होगा। अन्ततः, विभिन्न क्षेत्रो के लिए अनुमानित अतिरिक्त रोजगार की अनेक प्रकार से जाच करनी होगी। स्थिति का व्यापक अनुमान लगाने के लिए धीरे-धीरे अधिक तथ्य प्राप्त हो रहे हैं। इनमें विशेष सर्वेक्षणी और जाचो के परिणाम, परियोजनाओ के अभ्ययन, राष्ट्रीय रोजगार-सेवा-द्वारा संगृहीत रोजगार-सम्बन्धी सूचनाएं, और औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के प्रार्थनापत्रो में दी गई सभी सूचनाएं शामिल हैं। किसी भी विकास-योजना के रोजगार-सम्बन्धी अनुमानो के लिए अनेक मान्यताएं बनाकर चलना पडता है, परन्तु उनकी निरन्तर जाच एवं परीक्षा होती रहती है। ऐसी स्थिति में विकास योजनाओ के रोजगार-सम्बन्धी अनुमान पूर्णतः सही और अन्तिम नहीं हो सकते। पिछले 10 वर्ष का अनुभव यह बताता है कि अनुमानो के तरीको की जाच और उनमें बराबर सुधार करने की जरूरत तथा रोजगार एवं पूजी-विनियोग सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमानो के साथ-साथ वास्तविक परिणाम की भी सही जानकारी जरूरी है। इसे सरल बनाने के लिए उन मान्यताओ का विस्तृत विवरण, जो तीसरी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त रोजगार-क्षमता आकने के लिए काम में लाई गई है, परिशिष्ट 'ध' में दिया गया है।

15 ऊपर बताए गए अनुमानो के तरीको के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि तीसरी योजना में कृषि-भित्र रोजगार 1 करोड़ 5 लाख लोगो के लिए तथा कृषि-विषयक

रोजगार 35 लाख लोगो के लिए उपलब्ध हो सकेगा। कृषि-भिन्न अतिरिक्त रोजगार को मोटे तौर पर इस प्रकार बाटा जा सकता है .

तालिका-संख्या 1

कृषि-भिन्न अतिरिक्त रोजगार

क्षेत्र	(लाख में)
	तीसरी योजना में अतिरिक्त रोजगार
1 निर्माण-कार्य*	23
2 सिचाई और बिजली	1
3 रेलवे	1 4
4 अन्य परिवहन एवं संचार-साधन	8 8
5 उद्योग एवं खनिज पदार्थ	7. 5
6 लघु उद्योग	9
7 वन-उद्योग, मछली-उद्योग और सम्बद्ध सेवाएं	7 2
8 शिक्षा	5 9
9 स्वास्थ्य	1 4
10 अन्य सामाजिक सेवाएं	0 8
11 नरकारी सेवाएं	1 5
योग 1 में 11 तक	67 5
12 'ग्रन्थ' (व्यापार एवं वाणिज्य सहित, 1 से 11 तक का 56 प्रतिगत)	37 8
सर्व योग	105 3

16 ऊपर वर्णित कृषि और कृषि-भिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था होने के अलावा अर्द्ध-रोजगारी की समस्या भी काफी हद तक हल होगी, परन्तु उसका परिमाण बना करना कठिन होगा। कृषि में अतिरिक्त रोजगार का अनुमान लगाते समय नई रोजगार-समता के एक-चौथाई भाग का ही ध्यान रखा गया है, शेष अर्द्ध-रोजगारियों को राहत देने के लिए छोड़ दिया गया है। ग्राम और लघु उद्योगों के मामले में ऊपर की तालिका बनाते समय केवल पूरे समय के रोजगार को ही लिया गया है। हालांकि अत्यव्यवस्था कृषि-भिन्न क्षेत्रों में अधि-व्यवस्था को खपाने का विचार

*कृषि निर्माण-कार्यों में एक बड़ा भाग ऐसे रोजगार का होता है, जिसे सरलता से पाया जा सकता है, इसलिए विभिन्न विकास-क्षेत्रों में उनका विभाजन सम्भवतः उपयोगी होगा।

1. कृषि और सामुदायिक विकास	6.1
2. सिचाई और बिजली	4.9
3. उद्योग और खनिज पदार्थ (कठोर और लघु उद्योग सहित)	4.6
4. परिवहन और संचार-साधन (रेलवे सहित)	3.4
5. सामाजिक सेवाएं	3.5
6. शिक्षा	0.5
योग	23

रहाती है, फिर भी आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में कृषि के काम में लगे लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। श्रमिकों के वर्ग में अधिक वृद्धि उन परिवारों में होगी, जो इस समय कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि-भिन क्षेत्रों में यदि रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ें, तो कृषि में अदृग्नेजगारी और भी बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप समाज के इस वर्ग का जीवन-स्तर और भी गिर जाएगा। इन वर्ग पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण पहले ही बहुत अधिक भार पड़ चुका है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिस्थितियों को देखते हुए योजना के कारण उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त रोजगार के अनुमान काफी हद तक अनिश्चित हैं। दाद के अनुभवों ने यदि कुछ वर्तमान मास्यताओं को बल नहीं मिला, या विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएँ पर्याप्त कुशलता एव तैजों से त्रियान्वित नहीं की गईं, तो ऊपर दिए गए अतिरिक्त रोजगार के अनुमान पूर्णतः गहरी नहीं भी उतर सकते हैं।

17 योजना के कार्यक्रमों के फलस्वरूप यदि 1 करोड़ 40 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाए, तो पहले से बेरोजगार लोगों की बात छोड़ देने पर भी नए आनेवाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 30 लाख अतिरिक्त अवसर निकालने पड़ेंगे। तीसरी योजना का यह एक मुख्य उद्देश्य है।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परिमाण-विषयक अनुमानों का औचित्य रोजगार-विषयक आकड़ों की जटिलता और अपर्याप्तता, दोनों से ही प्रभावित होता है। पहली और दूसरी योजनाओं का अनुभव बतलाता है कि योजना के विभिन्न क्षेत्रों में काम लक्ष्य के अनुसार पूरा न होने के कारण रोजगार-सम्बन्धी लक्ष्य भी पूरे न हो सके। ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो, इनके लिए हर प्रकार के प्रयत्न करना आवश्यक है।

मोचा गया है कि इस समस्या के समाधान के प्रयत्न तीन मुख्य दिशाओं में किए जाएँगे। प्रथमतः, योजना की नीमाओं के अन्दर ही ऐसी प्रयत्न किया जाए कि पहले के मुकाबले इस बार रोजगार का लाभ अधिक लोगों को और अधिक समान रूप से मिले। दूसरी बात, गावों के उद्योगीकरण का काफी बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें विजली पहुँचाने, औद्योगिक वस्तुओं की स्थापना, ग्रामोद्योगों की उन्नति और जनशक्ति के ठोस उपयोग पर विशेष बल दिया जाए। सम्भव है, उत्पादन के नए तरीकों के शुरू में रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या में कमी आ जाए, परन्तु आशा है कि उन तरीकों से ग्रामीण श्रमव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने के द्वारा भी लाभ अधिक महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी बात, लघु उद्योगों के लिए रोजगार प्रदान करने के अन्य उपायों के अतिरिक्त गावों में निर्माण-कार्यक्रम चलाने का भी विचार है, जो 25 लाख व्यक्तियों को वर्ष में औसत 100 दिन काम दे सकेगा। यह संख्या बढ़ भी सकती है। ये सब कार्यक्रम, विशेष रूप से गावों में निर्माण-कार्य का सुझाव, ग्राम जनता के लिए सहायक सिद्ध होंगे और शिक्षित बेरोजगारों को अधिक अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षित बेरोजगारों की अपनी विशेष समस्याएँ भी हैं, जिन पर इसी अध्याय में आगे चल कर संक्षेप में विचार किया गया है।

(3)

रोजगार और योजना की कार्यान्विति

18 अध्ययनों के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण है कि विकास-कार्यक्रमों से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने के अनेक उपाय हैं, जिनमें पिछले

वर्षों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सामान्यतः बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण या तो सारे देश को ध्यान में रख कर किया जाता है, या राज्यों-जैसे बड़े प्रदेशों के समूह में। जिला और खण्ड-स्तर पर बेरोजगारी की समस्या हल करने की सम्भावनाओं पर अभी तक अधिक ध्यान नहीं दिया गया। हर जिले में कृषि, सिंचाई, विजली, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, मचार-साधन एवं सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में विकास-कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उस जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और सामान्यतः उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रत्येक रोजगार देने के साथ-साथ ये कार्यक्रम किसानों, कारीगरों, छोटे उद्योगपतियों और सहकारी नस्लाओं को उनकी गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करते हैं। यदि इन कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाया जाए और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बना दिया जाए तो उनमें जिला और स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार प्राप्त किए जा सकते हैं। उचित यह है कि हर राज्य की बेरोजगारी की समस्या को जिलेवार बाँट लिया जाए और ग्राम, खण्ड या जिला-स्तर पर उसको हल करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाए। स्थानीय रोजगार-समस्याओं के रूप में इसका विश्लेषण करने से अधिकारीगण रोजगार के विविध पहलुओं पर ध्यान दे सकेंगे और उनके लिए आवश्यक साधन जुटा सकेंगे। ये विविध पहलू बेरोजगार कारीगरों, श्रमिह्वर श्रमिकों, शिक्षित बेरोजगारों आदि में सम्बन्धित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएँ भी भिन्न हैं, इसलिए स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर रोजगार की समस्या हल करने के तरीके भी ऐसे लचीले बनाने होंगे, जो स्थानीय परिस्थितियों और साधनों के अनुरूप बन सकें।

19 रोजगार-सम्बन्धी समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि मानवीय श्रम का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के लिए निर्माण-कार्यों में कितनी सम्भावनाएँ हैं, इस पर विचार किया जाए। सामान्यतः उन निर्माण-कार्यों में श्रम का उपयोग किया जाता है, जहाँ मशीनीकरण में लागत में कमी और काम जल्दी पूरा होने की सम्भावना होती है। मशीन परियोजना-अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ मशीनीकरण से कोई लाभ वचत की सम्भावना नहीं, वहाँ निर्माण-कार्यों में जनशक्ति का अधिक उपयोग करना उचित है। परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करते समय यह प्रश्न मुख्य रूप से सामने रखना चाहिए और जहाँ भी मनुष्य के मुकाबले, मशीन के उपयोग को तरजीह दी जाए, वहाँ इसके लिए युक्तिसंगत कारण प्रस्तुत करने चाहिए। रोजगार के दृष्टिकोण से इन प्रकार के मशीन निर्माण पर विचार करने के लिए विविध अधिकारियों की एक स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए।

20 अधिक आवादीवाले क्षेत्रों में कितनी बड़े विकास-कार्यक्रम के कार्यक्रमों के बावजूद भी यदि बेरोजगार लोग बच रहते हैं, तो उनकी एक बड़ी संख्या को काम निश्चय कर उन कार्यों में भेजना चाहिए, जहाँ ऐसे प्रशिक्षित कारीगर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए आवश्यक तकनीकों और नगठन की व्यवस्था करने के स्थान में कुछ नाना-विध संयोजन करने की जानी चाहिए।

21 यद्यपि पिछले वर्षों में ग्रामोद्योगों में मनुष्य उद्योगों की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया गया है, तथापि इन क्षेत्रों में रोजगार देने की कितनी गुंजायश है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उठाया जाना अभी बाकी है। ग्राम और लघु उद्योगों में, रोजगार-विवरण

लाभों का सम्बन्ध नए विकास-कार्यक्रमों से जोड़ना ठीक नहीं। अभी जो छोटे-मोटे उद्योग चालू हैं, उन्हीं के जरिए रोजगार देने की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक ढंग की छोटी औद्योगिक इकाइयों में मांग की कमी नहीं, बल्कि आवश्यक मात्रा में माल तैयार करने में उनकी असमर्थता ही रोजगार देने में बाधक बनती है। लोहा और इस्पात, अलौह धातु, रसायन, रंग, आदि उद्योगों में, जहां कच्चे माल की बहुत जरूरत होती है, यह बात विशेष रूप से सही है। कुछ मामलों में विधायन और अन्य सुविधाओं की कमी भी बाधा बन सकती है। प्रायः सभी जगह कारीगर और छोटे उद्योगपति ऋण की सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें अपना माल बेचने के लिए भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं, जिन पर वे निर्भर रह सकें। इस दिशा में विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए, ताकि छोटी औद्योगिक इकाइयों को (चाहे वे कारीगरों की सहकारी समितियों-द्वारा संचालित होती हैं, अथवा छोटे उद्योगपतियों-द्वारा) अपनी अधिकतम उत्पादन-क्षमता पर पहुंचने का अवसर मिल सके।

22 ग्राम-उद्योगीकरण और ग्राम-विजलीकरण वस्तुतः परस्पर-सम्बद्ध कार्यक्रम हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास का एक-एक केन्द्र रहना चाहिए और इन्हें परिवहन और अन्य समुचित सुविधाओं के जरिए एक कड़ी में जोड़ देना चाहिए। ऐसे केन्द्र शहरो या ऐसे महत्वपूर्ण गावों में होने चाहिए, जो कुशल कारीगरों और उद्योगपतियों को खींच सकें और जिन्हें विजली की एक अन्य सुविधाएं आसानी से दी जा सकें। तीसरी योजना में ग्राम-विजलीकरण का एक विशाल कार्यक्रम है। अधिक-से-अधिक उत्पादन और अधिक रोजगार देने में ग्राम-विजलीकरण का बहुत अधिक महत्व है और इसे सम्भव करने के लिए हर छिले में विजली की आपूर्ति और उसके उपयोग की दूरदर्शितापूर्ण योजनाएं बनाई जानी चाहिए। विजली की आपूर्ति के साथ कृषि और उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों का समन्वय आवश्यक है। कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक काम-काज केन्द्रित होने से विजली-आपूर्ति के सन्तुलन में भी उचित सुधार हो सकेगा।

(4)

ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग

23 तीसरी योजना में ग्रामीण विकास-कार्यों के एक विस्तृत कार्यक्रम का सुझाव, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है—ऐसा न केवल इसलिए कि इसके जरिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकेंगे, बल्कि इसलिए भी कि यह देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग का एक प्रमुख माधन है। तीसरी योजना में कृषि का उत्पादन पिछले 10 वर्षों के मुकाबले दुगुनी तेजी से बढ़ाना होगा। इसके लिए सघन और केन्द्रीभूत प्रयत्नों की आवश्यकता है। इन प्रयत्नों में कृषि-विकास के कार्यक्रमों में लाखों परिवारों का योगदान भी सम्मिलित है। अनेक वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति का सबसे बड़ा उपयोग कृषि-विकास, सड़क-निर्माण-परियोजनाओं, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सुविधाएं उपलब्ध करने के कार्यक्रमों में होता रहेगा। अर्द्ध-रोजगारी की समस्या के स्थायी हल के लिए वैज्ञानिक कृषि को व्यापक रूप से अपनाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि गावों के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने

और उसे बहुमुखी बनाने की आवश्यकता है। ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील सहरी केन्द्रों से सम्बन्ध-स्थापना, सहकारिता के आधार पर विधायन-उद्योगों की स्थापना तथा गावों में नए-नए उद्योग शुरू करना—ये सब तीसरी योजना के अंग हैं तथा इनका विकास करना आवश्यक है। ग्राम-विजलीकरण के विस्तार में इन कार्यक्रमों को सहायता मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस प्रकार मजबूत करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमुखी विकास-कार्यक्रमों की आवश्यकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहाँ बहुत-सारे लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और जहाँ बेरोजगारी तथा अर्द्धरोजगारी की समस्या भी काफी बड़ी है।

24 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन निर्माण-कार्यों की बात सीची गई है, उन्हें पांच वर्गों में बाटा जा सकता है

- (1) राज्यों और स्थानीय निकायों की योजनाओं में शामिल ऐसे परियोजनाएँ जिन्हें कुशल या अर्द्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी,
- (2) ग्राम-समाज या उनसे लाभ उठानेवालों-द्वारा कानूनी व्यवस्थाओं के कारण किए जानेवाले काम,
- (3) विकास के ऐसे काम, जिनके लिए स्थानीय जनता से श्रम और सरकार ने कुछ सीमा तक सहायता मिल सके,
- (4) ऐसे काम जिनसे गाववाले लाभदायक सम्पत्ति बना सकें, और
- (5) अधिक बेरोजगारीवाले इलाकों में लोगों को काम देने के लिए शुरू किए जानेवाले पूरक काम।

वर्ग 2, 3 और 4 में बताई गई योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए तैयार की गई सामान्य योजनाओं के मुख्य अंग के रूप में शुरु की जाएगी। इनका उद्देश्य जनशक्ति का पूरा उपयोग है, इनसे चोमित मात्रा में ही नहीं, मजदूरी पर रोजगार दिया जा सकेगा। पहले और पाचवें वर्ग के कामों में मजदूरी पर काम देने की बहुत अधिक गुंजाइश है। इन दोनों वर्गों के काम एक सनान हैं, केवल पाचवें वर्ग में पहले वर्ग के मुकाबले अधिक पूरक योजनाएँ हैं। इस प्रकार, तीसरी योजना में ग्रामीण निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त कार्यक्रमों में कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के बड़े पैमाने पर उपयोग की योजनाओं के दो मुख्य वर्गों में काम शुरू किया जा सकता है (क) खड और ग्राम-स्तर पर स्थानीय निर्माण-कार्य, और (ख) बड़े काम, जिनमें विभागी-द्वारा आयोजन और तन्वीकी देखभाल की जरूरत पड़ेगी।

25 स्थानीय कामों और अपेक्षाकृत बड़ी योजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि हर विकान-नड में पूरे किए जानेवाले कार्यक्रमों को पूरी तरह सोच-विचार कर तैयार किया जाए। खड-योजना में वे सभी काम शामिल होंगे, जो खड-संगठन के जरिए विभिन्न सम्पाए करेंगे—जैसे, सामुदायिक विकास-योजनाओं के बजट में शामिल कार्यक्रम और राज्यों की योजनाओं के कृषि, पशुपालन और सहकारिता-सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ी और मध्यम सिबाई-परियोजनाओं के काम, नडको का निर्माण, आदि। विकास-खंडों को ये योजनाएँ ग्राम-योजनाओं में विनक्त कर दी जाएगी और इन प्रकार उस क्षेत्र में बसे हुए लोगों को इनकी पूरी तरह से जानकारी करा दी जाएगी। सिबाई, निर्मित-रक्षण, नडक-निर्माण, प्रादि परियोजनाओं में हर क्षेत्र में लोगों को अधिकारिक रोजगार पाने के लिए आवश्यक है। इनका कार्यान्वयन स्थानीय संघ-संगठन के धनिय सहयोग

से हो। कृषि की दृष्टि से मन्दी के समय में ही ये निर्माण-कार्य कराए जाने चाहिए, क्योंकि उन्ही दिनों बेरोजगारी और अर्द्धरोजगारी अधिक रहती है। जो काम गांव में कराए जाए, उनकी मजदूरी भी गांव की दर से ही दी जानी चाहिए।

26 ऊपर दी गई रूपरेखा के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हुए ग्रामीण-जनशक्ति के उपयोग के लिए कुछ मार्गदर्शक परियोजनाएँ हाल में ही शुरू की गई हैं। अभी तक ऐसी मार्गदर्शक परियोजनाओं की संख्या 34 है। इनके अनुसार कृषि-मिचार्ड, मटन-विस्तार और राज्यों तथा सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों में शामिल अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ पूरक निर्माण-कार्यों की भी व्यवस्था है। मोटे हिसाब के अनुसार मार्च 1962 तक समाप्त होनेवाली अवधि में हर ऐसी परियोजना के लिए 2 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। अभी शुरू हो चुकी मार्गदर्शक परियोजनाओं में मिचार्ड, वन-रोपण, भूमि-भरण, नाली-निर्माण, भूमि-युनरुद्धार और संचार-साधनों का विकास शामिल है। मार्गदर्शक परियोजनाओं की इस शृंखला का उद्देश्य निर्माण-कार्यों का कार्यक्रम बनाने का अनुभव प्राप्त करना है, क्योंकि इन्हीं निर्माण-कार्यों में बेरोजगारी और अर्द्धरोजगारी की मनन्याओं के हल पर असर पड़ सकेगा।

27. परीक्षण-परियोजनाओं ने प्राप्त प्रारम्भिक अनुभवों के आधार पर इन कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर अन्य क्षेत्रों में भी, विशेष रूप से अधिक आवादी और लम्बे समय से अर्द्धरोजगारी की समस्या में ग्रस्त क्षेत्रों में, फैलाया जाएगा। फिलहाल आया है कि निर्माण-कार्यक्रमों के जरिए पहले वर्ष में एक लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा, यह मत्प्राप्त दूसरे वर्ष में 4 से 5 लाख तक, तीसरे वर्ष में 10 लाख तक और योजना के अन्तिम वर्ष में 25 लाख तक पहुँच जाएगी। तीसरी योजना में कार्यक्रम के शुरू के भागों के लिए धन की एक सीमित व्यवस्था कर दी गई है। स्थाल है कि नारी योजना की अवधि में उन सम्पूर्ण कार्यक्रम पर 150 करोड़ रु० का बर्च आएगा। कार्यक्रम आगे बढ़ने पर मजदूरी का एक भाग छमाज के रूप में देने पर भी विचार किया जा सकेगा। यह सोचा गया है कि निर्माण-कार्यों के लिए आवश्यक मगठन और श्रमिकों की महत्वारी समितियों की रचना मगठन पर की जाए। इन मगठनों के पान मीडारों का मगठन रह सता है, वे ट्रेके में मगठने हैं, आवश्यक तबनीकी और प्रमाणन-सम्बन्धी सहायता प्राप्त कर सत है, प्रशिक्षण तथा कुशल कारीगरी का ए-वर्ग तैयार कर सतने हैं और डिगल मगठनरियो, पचाम-समितियों एव अन्यो के माथ घनिष्ठ सहयोग में काम कर सतने हैं। म्दन्तिग मगठन भी रस कार्य में स्थानीय कार्यकर्ता एव काम चलानेवाले शक्य व्यक्तियों को प्रतीयत दे मगठन ? तथा शिक्षा-सम्बन्धी और मानसिक कार्य कर सतने हैं। उपर म्गत एव पैमाने पर आर्गीग निर्माण-कार्यों के लिए राज्यों में और आधन्यतानुसार म्दन्त में भी, पर्याप्त मगठन वसण्ट जाने चाहिए।

और विजली इजीनियरी, स्वर-टायर, अल्यूमीनियम आदि-जैसे उद्योगों में मूली वस्त्र, पटसन और चाय-जैसे पुराने उद्योगों के मुकाबले अधिक तेजी से प्रगति हो रही है। पुराने उद्योगों में भी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मुकाबला करने के लिये वैज्ञानिकता की योजनाएँ शुरू कर दी हैं। लोहा और इस्पात, रसायन, आदि उद्योगों के विस्तार-कार्यक्रमों में उत्पादन के आधुनिकतम और कुशलतम तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनके लिए अधिक-से-अधिक तकनीकी शिक्षा-प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। कोयला-खानों में अधिकाधिक मशीनीकरण के बाद अब आवश्यक हो गया है कि अधिक योग्यतावाले कर्मचारी रखे जाएँ, पहले-जैसे कर्मचारियों से अब काम नहीं चल सकता। इन परिवर्तनों से शिक्षित व्यक्तियों की रोजगार मिलने के अक्सर बढ़ने की सम्भावना हो सकती है। शिक्षितों के लिए भावी सम्भावनाओं पर विचार करते समय उद्योग-जगत् में होनेवाले परिवर्तनों पर नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना होगा कि शारीरिक श्रम के प्रति पुराना दृष्टिकोण अब विशेष रूप में बदल रहा है। शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बदलते हुए ढांचे में उसका भेद बँट सके। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जनशक्ति-सम्बन्धी अध्ययनों का आयोजन और तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना होगा—जहाँ आवश्यक हो, वहाँ नए संस्थान भी आरम्भ करने पड़ेंगे। आशा की जाती है कि शिष्यता-सम्बन्धी कानून बन जाने से, जो अभी विचाराधीन है, कारखानों के अन्दर व्यावहारिक प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ मिल सकेंगी। राष्ट्रीय रोजगार-सेवा के अग्र के रूप में पिछले पांच वर्षों में रोजगार-धन्वो-सम्बन्धी परामर्श-कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है।

29 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षितों को लाभकारी कामों में लपाने पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दो भागों में लिया जा सकता है—जो पहले ने बेरोजगार हैं और जो सीधे-पढ़ कर बेरोजगारों के वर्ग में शामिल होते जा रहे हैं। पहले के बकाया ऐसे बेरोजगारों की संख्या का सही अनुमान लगा सकता कठिन है, परन्तु यह मान कर कि बहुत-सारे पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग रोजगार दिलाने के दफतरो में नाम रजिस्टर करा देते हैं, अनुमान किया जाता है कि ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 लाख होगी। नए शिक्षित बेरोजगार लगभग 30 लाख होंगे, जो विद्यालय की अन्तिम परीक्षा के स्तर तक या उनसे अधिक शिक्षा पा चुके हैं। ऊपर, उद्योग और परिवहन के विकास में काम सीखे हुए, तकनीकी श्रम या अन्य धन्वों के शिक्षा-प्राप्त लोगों की भी भाग बढनी जाएगी। इसलिए शिक्षा-पद्धति में सुधार करना तथा तकनीकी और काम-धन्वों की शिक्षा की सुविधाएँ देना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हाल के कुछ वर्षों में शिक्षित व्यक्तियों का शारीरिक श्रम-सम्बन्धी दृष्टिकोण बदला है, इसलिए उन्हें इस विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के कार्यक्रम पहले की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर चलाए जा सकते हैं। दूसरी योजना में अनेक प्रशिक्षण-केन्द्रों के लिए इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया गया था। तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार करने का विचार है।

30 बेरोजगारों के रूप में दर्ज अधिकांश शिक्षित लोग वे हैं, जो विद्यालय के माध्यमिक स्तर में लेकर कालेज के प्रथम या द्वितीय वर्ष तक शिक्षा पा चुके हैं। इस वर्ग के युवकों को गहरी धोत्रों में बिना कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए उचित रोजगार नहीं मिल

पाता, या फिर उन्हें एक सीमा तक कम वेतनवाले पेशों में ही खपाया जा सकता है। निकट भविष्य में ऐसे शिक्षित बेरोजगारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार की विशेष सम्भावनाएँ हो सकती हैं। स्वयं ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रमों में ही शिक्षित व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता होगी। प्रारम्भिक कदम के रूप में इरादा किया गया है कि कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुन कर विशेष प्रकार के कामों की अल्पकालीन शिक्षा दी जाए। ऋण, ऋण-विक्रय और कृषि की सहकारी समितियों तथा खेती में वैज्ञानिक विधियों के विस्तार एवं छिला, खण्ड तथा ग्राम-स्तर पर लोकतांत्रिक सम्वाशों की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही इन लोगों के लिए नियमित और स्थायी रोजगार मिलने की गुंजायश हो सकती है। शिक्षित युवकों की एक काफी बड़ी संख्या को सहायता देकर ऐसे गावों में लघु उद्योग आरम्भ कराए जा सकते हैं, जहाँ बिजली उपलब्ध हो सके। इन उद्योगों को यथासम्भव सहकारिता के आधार पर ही चलाया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जा सके और उनके उत्पादन की विधियों की भी व्यवस्था हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और उनमें सहकारिता के क्षेत्र के विस्तार से गावों में भी शहरों के बराबर आमदनीवाले रोजगार देने के अवसर बढ़ते जाएंगे। इस दिशा में आगे बढ़ने का एक लाभ यह भी होगा कि गावों के शिक्षित युवक गावों में ही रह कर वहाँ के लोगों को सेवा और नेतृत्व श्रवणों कहीं अधिक कर सकेंगे।

31 यहाँ इस बात का भी संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए कि पूरी हो चुकने-वाली या लगभग पूरी हो गई परियोजनाओं के कारण बेकार हुए कुशल कर्मचारियों को नई-नई आरम्भ होनेवाली परियोजनाओं में रोजगार देने की आवश्यकता है। ऐसा देखा गया है कि मिर्चाई और बिजली-परियोजनाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं में भी अनेक बार निर्माण-कार्य समाप्त हो जाने पर अनुभवी श्रमिकों की छटनी रग्नी पड़ी है, क्योंकि निर्माण-कार्यक्रम इन सावधानी में नहीं बनाए गए, जिनमें एक परियोजना का काम समाप्त होने पर श्रमिकों को दूसरी परियोजना में खपाया जा सके। दूसरी योजना में इन प्रयोजन के लिए आवश्यक गठन बना दिया गया, जो मन्तोपजनक पायें कर रहा है। यदि ऐसी परियोजनाओं को ठीक तरह से बना लिया जाए और काफी आगे तक मोचक योजनाएँ तैयार की जाएँ, तो समस्या घट कर अपनी बड़ी रह जाएगी कि उनका हल हम ढूँढेंगे।

कर्मचारियों की आवश्यकता और प्रशिक्षण-कार्यक्रम

(1)

जनशक्ति का आयोजन

विकास के सभी साधनों में इस समय सम्भवतः सर्वाधिक आधारभूत स्थान प्रशिक्षित जनशक्ति का है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की द्रुत प्रगति तथा औद्योगिक और आर्थिक संगठनों की बढ़ती हुई जटिलता के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न प्रशिक्षण-शाखाओं के ऐसे अत्यधिक कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है, जो व्यक्तिगत रूप से काम करने के वजाय सामान्यतः सुसम्बद्ध दलों के रूप में कार्य कर सके। आर्थिक विकास के साथ-साथ जहाँ अधिक उच्च और विशेष प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों की तथा वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ती है, वहाँ निचले स्तर के कुशल, धर्मकुशल और अनुशासन व्यक्तियों की मांग निरन्तर कम होती जाती है। इंजीनियर या डॉक्टर को आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण देने में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है, परन्तु अधिक उत्तरदायित्व के पदों पर नियुक्ति के हेतु आवश्यक अनुसन्धान और व्यावहारिक अनुभवों के लिए और अधिक समय की आवश्यकता होती है। आवश्यकता-भर वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धि के लिए तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान को दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए एक पीढ़ी का भी समय लग सकता है।

2 किसी देश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास के सम्बन्ध में, विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति हो सकती है, इसकी मुख्य निर्णायक बात यह है कि कितनी सीमा तक प्रशिक्षित जनशक्ति और प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आर्थिक प्रगति के साथ न केवल संस्थाएँ, अपितु योग्यता और अनुभव पर भी बल दिया जाना चाहिए। आवश्यक जनशक्ति के निर्माण की समस्याओं पर व्यापक सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए। एक ओर, इन समस्याओं का प्रभाव जहाँ विद्यालय और कॉलेज के प्रत्येक स्तर पर हो जानेवाली शिक्षा के स्वरूप पर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर, उद्योग और इन्हीं प्रकार के अन्य संस्थानों का प्रबन्धण संगठन-सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था-क्रम तथा विसर्प प्रवृत्ति से अनुसन्धान किए जाते हैं और उनके परिणामों को लागू किया जाता है, वह इनकी परिधि में आ जाती है।

3 जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के सन्दर्भ में द्रुत आर्थिक विकास की माँगें राष्ट्रीय संकट-काल की माँगों के समान हैं। इनका यह तर्कावा है कि वर्तमान समस्याओं का पुनर्गठन और विस्तार किया जाए, अनेक नई संस्थाओं का विकास किया जाए, भव्यापकों और प्रशिक्षकों की प्राप्ति और प्रशिक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएँ, प्रशिक्षण को अधिक जोरदार और इसके लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए नई तकनीक अपनाई जाएँ, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाए और अत्यल्प प्रमुख नाचन के रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों के उपयोग के लिए नए तरीकों को विकसित किया जाए। अनुभवों और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के आकलन के प्रकाशन में प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित विचारों और व्यवहार

की सदा समीक्षा होती रहनी चाहिए। जनशक्ति के आयोजन में अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में देखा जाता चाहिए। सभी औद्योगिक सस्थानों में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के, समस्त उपलब्ध सुविधाओं और सम्भावनाओं को सारे समाज की सेवा के लिए समझना चाहिए। प्रत्येक संगठन और प्रशिक्षण-संस्था को परीक्षणों और नए आविष्कारों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एकदम नए तथा सृजनात्मक क्रिया-कलापों के लिए निरन्तर अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

4 जनशक्ति के आयोजन के सम्बन्ध में पिछली दो योजनाओं में अनेक क्षेत्रों में बड़े महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोलॉजिस्टों तथा कृषि, पशु-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी कर्मचारियों और दक्ष कारीगरों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इस्पात-संयन्त्रों एवं अन्य बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि देश में और विदेशों में, दोनों जगह बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए। इस सम्बन्ध में अन्य देशों ने अपने अनुभवों और सुविधाओं को बड़ी उदारतापूर्वक हमारे लिए उपलब्ध किया है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की न केवल उद्योग, परिवहन और विजली के विकास के लिए ही, अपितु अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकता है। सामुदायिक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, उनमें पहले ही प्रशिक्षण के लिए व्यापक प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का समावेश है। चूकि जिला, खड और ग्राम-स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं, सहकारी आन्दोलन, नगरपालिका-निकायों और स्वैच्छिक संगठनों का कार्य सारे समाज के कल्याण से सम्बद्ध क्षेत्रों में अत्यधिक निर्णायक हो गया है, अतः उनकी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता और भी अधिक उल्लेखनीय होगी तथा उन्हें बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तीसरी और परवर्ती योजनाओं की परिकल्पना के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओं, परिवार-आयोजन और कल्याण-कार्यक्रमों की प्रगति अध्यापकों और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धि पर भी कुछ कम निर्भर नहीं करती।

5 प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का अनुमान बहुत सावधानी से और पर्याप्त लम्बी अवधि को ध्यान में रख कर लगाया जाना चाहिए। इसके लिए सुधरी हुई संख्या-सम्बन्धी सूचनाओं की और जनशक्ति के आकलन के लिए विकसित तकनीक की आवश्यकता है, जिससे आवश्यक आकलन औचित्यपूर्ण शुद्धता के साथ किया जा सके और सारी अर्थव्यवस्था का एक व्यापक चित्र निर्मित हो। बदलती हुई आवश्यकताओं और अनुभवों के प्रकाश में समय-समय पर अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की आवश्यकता के आकलन की समीक्षा करते रहना चाहिए। इस प्रकार, जनशक्ति का आयोजन केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और उनके अभिकरणों, अपने विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न क्रिया-कलापों एवं हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले उद्योग-संघों और संगठनों तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के व्यक्तिगत संस्थानों और संस्थाओं-द्वारा निर्मित आर्थिक योजनाओं का अभिन्न अंग है। इसका यह तकाबा है कि निरन्तर ज्ञान और अनुभवों का परस्पर-आदान-प्रदान किया जाए और विशेष जाच-पहताल होती रहे। विचारणीय विषयों की विविधता और देश के भावी विकास के लिए जनशक्ति के आयोजन को महत्ता को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि शीघ्र ही प्रायोगिक जनशक्ति-अनुसन्धान-संस्थान की

स्थापना की जाए, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और औद्योगिक तथा अन्य संगठनों के साथ तालमेल और सहयोग से काम करेगी। सस्थान के मुख्य उद्देश्यों में विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं के बारे में एक व्यापक दृष्टि प्रदान करना, जनशक्ति के आयोजन के लिए उच्च प्रशिक्षण-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना, अभी कार्य-सलभन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और तैयार करने के तरीकों को विकसित करना, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खोजने तथा उनकी प्रतिभा को और अधिक बढ़ाने के लिए तरीकों का आविष्कार करना तथा सामान्यतः देश के मानव-साधनों के अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग की व्यवस्था करना है।

6 पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना की अवधि में जनशक्ति के आयोजन की समस्याएँ अधिक बड़े रूप में सामने आईं। बहुत ही जल्द तक दूसरी योजना में उपलब्ध शिक्षा का लाभ उठाते हुए तीसरी योजना में प्रशिक्षित व्यक्तियों की प्राप्ति के लिए बहुत पहले से ही पर्याप्त कदम उठाए गए। सबसे तो नहीं, किन्तु अनेक क्षेत्रों में तीसरी योजना के अग्रभूत प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया गया है कि चौथी और उसके बाद की योजनाओं में भी परिलक्षित सघन विकास के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार किए जा सकें। अब भी ऐसे विशाल क्षेत्र हैं, जिनमें उपयुक्त अनुभववाले व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे और परिणामतः कुछ थोड़े-से ही प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को कार्य का अत्यधिक भार उठाना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में जहाँ उपलब्ध स्थानीय कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न होना चाहिए, वहीं तकनीकी सहायता-कार्यक्रमों और अन्य स्रोतों से आवश्यक उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि का लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। सामान्यतः मुख्य रूप से कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान अतीत और वर्तमान के अनुभवों पर आधारित मान्यताओं और सम्भावनाओं के अनुसार लगाया जाता है। परन्तु देश में और विदेशों में भी तेजी से होनेवाले तकनीकी परिवर्तनों और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण अप्रत्याशित माँगें जारी रहेंगी और वर्तमान अनुमानों में वृद्धि की और संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि तीसरी योजना की अवधि में समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पुनः आकलन करना चाहिए। इन आवश्यकताओं पर न केवल चौथी, अपितु पाचवी योजना को भी ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए। इस अध्याय में संक्षेप में कर्मचारियों की आवश्यकता के वर्तमान अनुमानों को और तीसरी योजना में उपलब्ध इजीनियरी, टेक्नोलॉजी और विज्ञान, कृषि और ग्राम-विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण, एवं सांख्यिकी तथा प्रशासन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को नक्षेप में बताया गया है।

(2)

इजीनियरी, टेक्नोलॉजी और विज्ञान

7 इजीनियरी और टेक्नीशियनों की आवश्यकता को तीन मुख्य स्तरों—स्नातको, डिप्लोमाधारियों और कुशल चित्तियों—पर विचारित जा सकता है। प्रत्येक योजना में इनमें से प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को अतिरिक्त आवश्यकताओं में वृद्धि तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी योजना के लिए 51,000 अतिरिक्त स्नातक

इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, दूसरी योजना में यह संख्या लगभग 29,000 थी। चौथी योजना की आवश्यकता का अनुमान लगभग 80,000 है। इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं की आवश्यकता का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 1
इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी के स्नातकों की अतिरिक्त
आवश्यकता का अनुमान

इंजीनियरी की शाखाएं	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना
निव्विल	12,400	13,000	20,000
यान्त्रिक	5,300	15,300	24,000
विजली	5,600	10,500	17,000
दूर-संचारण	1,600	2,500	4,000
रासायनिक	2,300	3,500	7,000
धातुकर्म	700	1,100	1,600
खनन	500	1,600	2,400
अन्य*	1,000	3,500	4,000
योग	29,400	51,000	80,000

8 तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमाधारियों की अतिरिक्त आवश्यक संख्या का अनुमान लगभग 1,00,000 है। दूसरी योजना में यह संख्या लगभग 56,000 थी। चौथी योजना के लिए वर्तमान अनुमान लगभग 1,25,000 है। इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में अतिरिक्त आवश्यक डिप्लोमाधारियों का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 2
इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी के डिप्लोमाधारियों की
अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान

इंजीनियरी की शाखाएं	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना
सिविल	29,000	39,000	48,000
यान्त्रिक	12,200	26,000	33,500
विजली	10,400	18,000	22,500
दूर-संचारण	600	600	800

* इसमें चीनी, जूट और जमड़ा-टेक्नोलॉजिस्ट; वास्तुशिल्पी और नगर-आयोजक; मोटर, विमान, नौकानयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई तथा कृषि-इंजीनियरी से सम्बद्ध कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

तालिका-संख्या 2—जारी

इजीनियरी की शाखाएं	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना
रासायनिक*	800	3,500	5,000
धातुकर्म	200	1,100	1,300
खनन	600	4,000	5,000
अन्य†	2,000	7,800	8,900
योग	55,800	1,00,000	1,25,000

9 तीसरी योजना में औद्योगिक विकास की प्रगति और चौथी योजना में परिकल्पित विकास के कारण यांत्रिक, विजली और रासायनिक इंजीनियरी की आवश्यकता में वृद्धि सिविल इंजीनियरी की तुलना में अधिक तेजी से होगी। इसके साथ ही, खनन, धातुकर्म और टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी शाखाओं में भी विशेष प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होगी। इंजीनियरी की शिक्षा के लिए इस समय जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, उनके वितरण का निश्चय करने के लिए इन परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी योजना के अन्त में इंजीनियरी कालेजों की प्रवेश-क्षमता 13,860 थी, जो तीसरी योजना में बढ़ कर 19,140 हो जाएगी। तदनुसार ही, पालिटैक्नीको की भी प्रवेश-क्षमता 25,570 से बढ़ कर 37,390 हो जाएगी। इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी में अग्रकालिक और पत्र-व्यवहार-द्वारा अध्यापन की भी व्यवस्था की जा रही है। तीसरी और चौथी योजनाओं में इंजीनियरी कर्मचारियों की निकासी और उनकी आवश्यकता का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 3

इंजीनियरी-कर्मचारियों की आवश्यकताओं और निकासी का अनुमान

	दूसरी योजना		तीसरी योजना		चौथी योजना	
	आवश्यकता	निकासी	आवश्यकता	निकासी	आवश्यकता	निकासी
त्वातक	29,000	26,000	51,000	51,000	80,000	80,000
डिप्लोमाधारी	56,000	32,000	1,00,000	82,000	1,25,000	1,27,000

डिप्लोमाधारियों की कमी, जो कि दूसरी योजना में काफी थी, तीसरी योजना में भी पूर्णतः पूरी नहीं की जा सकेगी। इस दृष्टि से और बड़े औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता-सम्बन्धी विस्तृत सूचनाओं के आधार पर, जिनके कार्यक्रमों के तैयार होने तक उपलब्ध होने की आशा है, वर्तमान योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। चौथी योजना के लिए अनुमान अस्थायी हैं, और इन पर दूसरे अध्याय में निर्दिष्ट

*रासायनिक अपरेटोरों के प्रशिक्षण-केंद्रों में मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के रूप में डिप्लोमा-स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

†इसमें चीनी, जूट और चमड़ा-टेक्नोलॉजिस्ट; वास्तुशिल्पी और नगर-आयोजक, मोटर, विमान, नौकानयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई तथा छवि-इंजीनियरी से सम्बद्ध कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

दीर्घकालीन आर्थिक विकास की सम्भावनाओं के सन्दर्भ में अधिक विस्तार से विचार किया जाएगा ।

10 शिल्पी : तीसरी योजना की अवधि में 13 लाख शिल्पियों की आवश्यकता का अनुमान है । इनमें से 8,10,000 की आवश्यकता इजीनियरी से सम्बद्ध व्यवसायों में और शेष की इजीनियरी से भिन्न व्यवसायों में होगी । अनेक उद्योगों तथा रेलवे, डाक-तार, प्रतिरक्षा, आदि मन्त्रालयों के अचीन स्थापित उद्योगों के अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रम हैं । एक बड़ी संख्या में कुशल और अर्द्धकुशल कर्मचारियों का प्रशिक्षण पिता से पुत्र को विरासत के रूप में प्राप्त होता चला आ रहा है । इस प्रकार, केन्द्रीय श्रम और नियोजन-मन्त्रालय के सहयोग से राज्य-सरकारों-द्वारा संचालित केन्द्रों में संस्थागत प्रशिक्षण की सुविधाएँ बहुत कम लोगों के लिए आवश्यक हैं । औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं और केन्द्रों की संख्या, जो सन् 1955-56 में केवल 59 थी, सन् 1960-61 में बढ़ कर 167 हो गई, तीसरी योजना में ऐसे 151 नए केन्द्र खोलने की व्यवस्था है । इनमें सन् 1955-56 में 10,500 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी । दूसरी योजना के अन्त में यह संख्या बढ़ कर 42,000 हो गई । तीसरी योजना में इस क्षमता को 1,00,000 तक बढ़ाने का विचार है । सरकार के आर्थिक सहयोग से उद्योगों को स्वैच्छिक आधार पर शिष्यता-प्रशिक्षण की जिस योजना पर अमल करना था, उसमें दूसरी योजना की अवधि में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी । शिष्यता से प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए शीघ्र ही एक कानून बनाया जाएगा । श्रमिकों के लिए सायकलीय वर्गों के कार्यक्रम को भी शुरू किया जाएगा ।

11 सेवाधीन व्यक्तियों का प्रशिक्षण-कार्यक्रम : दूसरी योजना की अवधि में सरकारी और निजी, दोनों ही प्रकार के संगठनों-द्वारा अपने-अपने सेवार्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों को लागू किया गया । इन्हें और अधिक बढ़ाया जाएगा । इस प्रकार बड़े औद्योगिक संगठनों ने अपने ही प्रशिक्षण-विद्यालय स्थापित कर दिए हैं । कुछ नए तो शिष्यता-प्रशिक्षण की भी सुविधाएँ प्रदान की हैं । उच्च स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, परमाणु-शक्ति-आयोग, सिंचाई और विजली-मन्त्रालय, मीमन-विभाग तथा कुछ अन्य विभागों ने विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की है ।

12 वैज्ञानिक कर्मचारी : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर में 1,06,000 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें विदेश-स्थित 5,000 भारतीयों के नाम शामिल हैं । परिपद में दर्ज इन नामों में से 33,000 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी या कृषि में स्नातक हैं, और 66,000 डिग्री और डिप्लोमा-स्तर के इजीनियर या टेक्नोलॉजिस्ट हैं । शेष ने चिकित्सा-व्यवसाय में विशेषता प्राप्त की है । अनुमान है कि देश में कुल जितने वैज्ञानिक हैं, उनमें से केवल 80 प्रतिशत के ही नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हैं । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद-द्वारा अत्यधिक योग्यता-प्राप्त वैज्ञानिकों और दूसरों को—विशेषतः ऐसे व्यक्तियों को, जो विदेशों से लौटते हैं—अस्थायी तौर पर नियुक्त करने के लिए गत तीन वर्षों से जो 'वैज्ञानिक-समुच्चय' स्थापित किया है, उससे अब तक 653 वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्टों के चुनाव में सहायता मिली है । अगले पृष्ठ की तालिका में भारत में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी वैज्ञानिकों का विवरण दिया गया है ।

तालिका-संख्या 4

अनुमानित अतिरिक्त वैज्ञानिक कर्मचारी

	सन् 1955 में काम में लगे लोगों की कुल संख्या	दूसरी योजना में अतिरिक्त कर्मचारी
गणित और अक-सकलन	5,700	6,300
भौतिकशास्त्र	4,600	2,200
रसायनशास्त्र	7,300	1,700
वनस्पतिशास्त्र	2,100	1,400
प्राणिशास्त्र	2,300	1,400
भूगर्भशास्त्र	1,300	1,200
योग	23,300	14,200

13 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय-स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षा की ध्यापक सुविधाएं प्रदान करके ही वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए चिरस्थायी आधार तैयार किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों की भाग विभिन्न क्षेत्रों से होती है—जैसे, विज्ञान के अब्यापक, सरक्षण-इजीनियर, अनुमन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, आदि। तीसरी योजना की अवधि में कालेजों में जिन 27,000 अब्यापकों की आवश्यकता होगी, उनमें से 17,000 वैज्ञानिक होंगे। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाओं में कितनी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसकी एक झांकी नीचे की तालिका में मिलेगी :

तालिका-संख्या 5

विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएं : प्रविष्ट छात्रों की संख्या

डिग्री	1950-51	1955-56	1960-61
डी० एम-सी०	32,600	52,300	84,000
एम० एस-सी०	3,800	6,500	11,300
विज्ञान के पी-एच० डी०	630	1,120	2,000
योग	37,030	59,920	97,300

तीसरी योजना के अन्त तक कुल 21,800 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 9,500 में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान के विषय की सुविधा हो जाएगी और विश्वविद्यालय-स्तर पर कुल 4,00,000 छात्रों में से 2,30,000 को विज्ञान की श्रेणियों में अतिरिक्त भर्तों की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

तीसरी योजना की अवधि में आधारभूत और प्रायोगिक अनुमन्धान के लिए वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं और अन्य क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति के बारे में निरन्तर विचार होते रहना चाहिए तथा इस प्रकार के अनुमानों के प्रकाश में सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए।

(3)

कृषि और ग्रामीण विकास

14 तीसरी योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रमों का यह तकाजा है कि कर्मचारियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होनी चाहिए। दूसरी योजना में आवश्यक प्रशिक्षण-सुविधाओं को एक पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया गया था, ताकि अविशाल क्षेत्रों में इस समय जो सम्भावित मांग है, उसे वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं में थोड़ी-सी वृद्धि करने ही पूरा किया जा सके। फिर भी, योजना के आगे बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की कुल मांग में वृद्धि होने की सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। नीचे दी गई तालिका-संख्या 6 और 7 में यह दिखाया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी और चौथी योजना की अवधि में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तथा तीसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण-सुविधाओं के विस्तार का क्या कार्यक्रम है

तालिका-संख्या 6

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकताएं

	सन् 1960-61 में काम में लगे लोगों की कुल संख्या	तीसरी योजना में अतिरिक्त आवश्यकताएं	चौथी योजना में अतिरिक्त आवश्यकताएं
कृषि-विज्ञान के स्नातक	14,000	20,000	30,000
पशुचिकित्सा-विज्ञान के स्नातक	5,000	6,800	7,000
डूब-टेक्नोलॉजिस्ट			
द्विग्री	52	625	1,150
डिप्लोमा	308	975	1,150
वन-विज्ञान			
वन-अधिकारी	1,100	180	600
वन-रक्षक (रेजर)	3,000	1,520	1,900
मछली-उद्योग			
प्रधाननिक भ्रम माछियाली-नगंचारी	160	1,175	2,410
इंजीनियर	150	240	
मछली पकड़ने की नौकाओं के नगंचारी	120	250	
तटवर्ती तालीनी नगंचारी	50	170	

तालिका-संख्या 7

तीसरी योजना में अतिरिक्त प्रशिक्षण-सुविधाएं

	सन् 1960-61		सन् 1965-66			
	संख्याएं	भर्तों निर्यात	संख्याएं	भर्तों निर्यात		
प्रशिक्षण-सुविधाएं	51	4,600	2,300	57	6,200	3,500
पशुचिकित्सा-विज्ञान	17	1,200	1,200	1	1,100	1,350
डूब-टेक्नोलॉजी-विज्ञान	5	110	100	7	17	154
मास्योद्योग-विज्ञान	-	50	50	3	51	75

15 कृषि तीसरी योजना में 4 नए कृषि-कालेजों की स्थापना के अतिरिक्त 5 वर्तमान कालेजों में भी कृषि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे। महाराष्ट्र के मजरी नामक स्थान में स्थापित कृषि-व्यवसाय-विद्यालय के ढग पर किसानों के लड़कों को प्रशिक्षण देने के लिए 50 नई सस्याए खोली जाएगी। दूसरी योजना की अवधि में उत्तरप्रदेश में एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अन्य नए कृषि-विश्व-विद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। कृषि-विश्वविद्यालयों का लक्ष्य सम्वद्ध विभिन्न क्षेत्रों—यथा, कृषि, पशुपालन, पशुचिकित्सा-विज्ञान, दूध-उद्योग, आधारभूत विज्ञान और मानव-समाज-शास्त्र—के अध्ययन तथा अनुसन्धान और विस्तार-कार्य-सहित समन्वित अध्यापन को परस्पर-सम्वद्ध करना है। कृषि-कालेजों के लिए बड़ी संख्या में योग्य अध्यापकों की उपलब्धि के लिए कुछ चुनी हुई सस्याओं में प्रशिक्षण-विभाग खोलने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ और मध्यम वर्ग के कृषि-कर्मचारियों के लिए भी एक कर्मचारी-कालेज स्थापित किया जाएगा। तीसरी योजना की अवधि में स्नातकोत्तर फेलोशिप का भी विस्तार किया जाएगा।

16 पशुपालन और पशुचिकित्सा-विज्ञान इज्जतनगर में पशुचिकित्सा-विज्ञान के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। पशुपालन में विस्तार-पद्धतियों का प्रशिक्षण देने के लिए सभी पशुचिकित्सा-कालेजों के साथ विस्तार-विभाग सम्वद्ध किए जाएंगे, जिनमें पशु-प्रदर्शन-फार्मों के सम्वन्ध में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था होगी।

17 दूध-उद्योग दूध-उद्योग एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, जिसमें इस समय बहुत कम संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हैं। डिप्लोमा-स्तर की प्रशिक्षण-सुविधाएं आनन्द बगलोर, बम्बई, करनाल और नैनी में उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं को पश्चिम-बंगाल के हरिणघाट नामक स्थान में भी उपलब्ध किया जाएगा। आनन्द-स्थित कृषि-अनुसन्धान-संस्था को पूर्ण डिग्री-कालेज का रूप दिया जाएगा। करनाल-स्थित केन्द्रीय दूध-कालेज में दूध-टेक्नोलॉजिस्टों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धानशाला में सेवाधीन कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण-कार्यक्रम, दूध-विज्ञान में एम० एस-सी०-डिग्री तथा विशेष प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाएगी।

18 वन-विज्ञान हाल के वर्षों में देहरादून में वन-अधिकारियों और देहरादून तथा कोयमटूर में वन-रक्षकों (रेंजरो) को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के कार्यक्रमों के कारण बढी हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से वर्तमान संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।

19 मछली-उद्योग तीसरी योजना की अवधि में मछली-उद्योग के विभिन्न पहलुओं का, जिनमें विस्तार, अक-सकलन और हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित हैं, प्रशिक्षण देने के लिए बम्बई में एक केन्द्रीय मछली-विज्ञान-शिक्षण-संस्था की स्थापना की जाएगी। कोचीन में एक मत्स्योद्योग-संचालन-संस्था की भी स्थापना की जाएगी। कनकठा-स्थित केन्द्रीय म्यलीय मत्स्योद्योग-संस्था तथा मडपम्-स्थित समुद्री मत्स्योद्योग-संस्थाओं को विकसित किया जाएगा।

20 भू-संरक्षण तीसरी योजना में भू-संरक्षण के लिए जो विशाल कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनको देखते हुए वर्तमान प्रशिक्षण-सुविधाओं को विशेष रूप से विस्तार-

कर्मचारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त सुदृढ़ करना होगा। योजना में इस समय देहरादून के प्रशिक्षण-केन्द्र की भर्ती की क्षमता को दुगुना कर 30 से 60 तथा कोटा, हजारीबाग, उदकमंडलम और वरेली के अनुसन्धान-प्रशिक्षण-केन्द्रों की भर्ती-क्षमता को 240 से बढ़ा कर 400 तक करने की व्यवस्था है। कुछ कृषि-कालेजों में भी भू-सुरक्षण में प्रशिक्षण देने की योजना है।

21 सामुदायिक विकास अक्टूबर 1963 तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम सारे देश में लागू हो जाएगा। कुल 5,000 विकास-खंडों में से इस समय कार्यक्रम के अधीन मेंवित्त विकास-खंडों की संख्या 3,100 है। दूसरी योजना में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या में कमी को देखते हुए, तीसरी योजना के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान इस प्रकार है

तालिका-संख्या 8

सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों की अनुमित अतिरिक्त आवश्यकताएं¹

	संख्या
ग्रामसेवक	21,689
ग्रामसेविका	7,869
विस्तार-अधिकारी	
कृषि	2,081
सहकारिता	2,648
पशुपालन	3,494
ग्रामोद्योग	3,712
पंचायत	3,677
ओवरसियर	2,915
समाज-शिक्षा-संगठनकर्ता	
पुरुष	1,868
महिलाएं	3,741

पंचायती राज लागू होने के कारण प्रशिक्षण-संस्थाओं, प्रशिक्षण-शिविरों, गोष्ठियों, आदि में गैर-अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को विस्तृत किया जा रहा है।

22 सहकारिता दूसरी योजना की श्रवधि में सहकारिता में प्रशिक्षण-विषयक सुविधाओं में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। सन् 1960 में सहकारिता के कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 62 और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए 13 संस्थाएं थीं। साथ ही वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए पूना में एक कालेज था। सहकारिता-आन्दोलन में गैर-अधिकारियों को, जिनमें पदाधिकारी और सहकारी समितियों के सदस्य भी हैं, प्रशिक्षण देने के लिए अखिल भारतीय सहकारी संघ ने 368 प्रशिक्षण-इकाइयां स्थापित कीं। तीसरी योजना के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रमों पर सहकारिता के अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

¹ खंड-विकास-अधिकारियों और स्वास्थ्य-कर्मचारियों के अलावा

(4)

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण

23 शिक्षा तीसरी योजना के शिक्षा-मन्त्रों के कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में 61 प्रतिशत की, माध्यमिक विद्यालयों में 81 प्रतिशत की और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 40 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है। इन कार्यक्रमों के पूरा होने पर इनमें से प्रत्येक वर्ग के प्रशिक्षित अध्यापकों का अनुपात 75 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसीलिए औपचारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं को प्रत्याम्नरण-पाठ्यक्रमों और सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था-द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

24 दूसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में विज्ञान और शिल्प के अध्यापकों की काफी कमी रही। तीसरी योजना में विज्ञान एवं अन्य विशिष्ट विषयों में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के विशेष उद्देश्य से चार प्रादेशिक कालेज स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों और कालेजों में भी विज्ञान के अध्यापकों की काफी मांग रहेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि में आवश्यक अतिरिक्त 27,000 अध्यापकों में से 17,000 विज्ञान के होंगे। इसी प्रकार, तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए भी इंजीनियरी-कालेजों और पॉलिटेक्निकन स्कूलों के लिए 9,000 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। जब तक सामान्य प्रशिक्षण में पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं होते, तब तक के लिए अध्यापकों की कमी को पूरा करने के हेतु अनेक आपात-कालीन और अल्पकालीन कदम उठाए गए हैं। फिर भी, तीसरी योजना में इन दिशा में कठिनाई बनी हुई है और कुछ क्षेत्रों में अल्पकालीन और अन्य पेशों के कर्मचारियों का अधिक उपयोग किया जा सकता है।

25 दूसरी योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं और केन्द्रों के लिए शिल्प के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इन समय 4 केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थाएँ हैं, जिनमें 550 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इन संस्थाओं की नतीजों की क्षमता 1,000 तक बढ़ाई जाएगी तथा उसके साथ ही तीन नई संस्थाएँ भी खोली जाएगी, जिससे कुल क्षमता बढ़ कर 1,800 हो जाएगी। योजना की अवधि में इन संस्थाओं ने लगभग 8,000 लोग प्रशिक्षित होकर निकलेंगे।

26 स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारी - तीसरी योजना की कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारियों—विशेषतः नहायक वर्ग के, तथा नर्सों, मिडवाइफों, स्वास्थ्य-निरीक्षकों—की आवश्यकता के अनुपात में कमी रहेगी। नीचे दी गई तालिका-संख्या 9 में तीसरी योजना में प्रशिक्षण-सुविधाओं में वृद्धि के प्रभावों तथा दूसरी योजना के अन्त की अवधि में स्थिति को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-संख्या 9

स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएँ

	सन् 1960-61			सन् 1965-66			
	संस्थाएं	नर्सों	निकासी	संस्थाएं	नर्सों	निकासी	
डाक्टर	..	57	5,800	3,200	75	8,000	4,830
नर्सों	..	250	4,000	2,800	350	6,200	4,500

तालिका-संख्या 9—जारी

	सन् 1960-61			सन् 1965-66		
	संस्थाएं	भर्ती	निकासी	संस्थाएं	भर्ती	निकासी
महायक नर्स-मिडवाइफें/						
मिडवाइफें	420	5,200	4,000	550	9,100	7,000
स्वास्थ्य-निरीक्षक	30	650	375	50	850	500
सफाई-निरीक्षक	28	2,250	2,250	38	2,850	2,850
ग्रीपधि-निर्माणविज्ञ	10	550	480	15	1,450	1,270

ऊपर बताए गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त योजना में दन्त-चिकित्सा-कालेजों में छात्रों की भर्ती की क्षमता प्रति वर्ष 280 से बढ़ा कर 400 करने की व्यवस्था की गई है। चार नए दन्त-चिकित्सा-कालेज खोले जाएंगे और जो 10 संस्थाएं विद्यमान हैं, उनका विस्तार किया जाएगा। चिकित्सा-कालेजों में अध्यापकों की कमी की समस्या का यह तकाजा है कि स्नातकोत्तर शिक्षा का गति से विकास किया जाए और विभिन्न अल्पकालीन कदम उठाए जाए। इस समय 2,000 अध्यापकों की कमी का अनुमान है, जिसके और भी बढ़ने की सम्भावना है।

27 परिवार-आयोजन : एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसके लिए अविश्वस्य अतिरिक्त कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, परिवार-आयोजन का है। परिवार-आयोजन-सम्बन्धी विद्यमान सेवाओं को और अधिक व्यापक क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य-केंद्रों में जरूरी परिवार-आयोजन-सेवाओं की व्यवस्था की जाए। इसके लिए बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वे सम्भवतः अर्पणित होने, प्रतः इस सम्बन्ध में और अधिक विचार होना चाहिए।

28 समाज-कल्याण : सामुदायिक विकास-खंडों, आदिमजाति-विकास-खंडों और कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किए जा रहे कल्याण-कार्यक्रमों में प्रायः प्रशिक्षित महिलाओं की कमी रही है। महिलाओं और बच्चों में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, समाज-कल्याण-कार्य कृष्ट कठिनाइयों के बीच करना होगा तथा कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से चुनना और प्रशिक्षण देना होगा। ग्रामसेविका, नर्स, स्वास्थ्य-निरीक्षक, अध्यापक और बाल-सेविका के धन्वों के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को आकृष्ट करने के लिए उनकी काम की स्थिति, निवास की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा और महिला-मंडल-जैने नैर्निच्छक संगठनों के माध्यम काम करने के अवसर, आदि के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए।

(5)

प्रशासन, अक-सकलन और तकनीकी सहायता

29 प्रशासनिक सेवाएं . पिछले वर्षों में प्रशासन-सम्बन्धी कर्मचारियों की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। अनिर्धार्य रूप में प्रत्येक योजना के कारण न केवल आवश्यक लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए, बल्कि प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं पर

भी भार और उत्तरदायित्व बढ़ना चाहिए। गत दशाब्दी में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकृत सख्या 1,200 से बढ़ कर 2,000 हो गई है। तीसरी योजना में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुल अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान 400 है। राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में काफी वृद्धि होने की आशा है। इनका उत्तरदायित्व पहले ही बढ़ गया है तथा पचायती राज-संस्थाओं के विकास के साथ इसमें और अधिक वृद्धि होगी। इस समय राज्यों के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण और अधीक्षण की वर्तमान व्यवस्थाओं की और उन अन्य पहलुओं की समीक्षा की जा रही है, जिन पर बहुत हद तक प्रशासनिक कर्मचारियों की योग्यता निर्भर करती है।

30 मसूरी की राष्ट्रीय प्रशासन-अकादेमी, हैदराबाद के प्रशासनिक कर्मचारियों-कालज और दिल्ली के भारतीय सार्वजनिक सेवा-संस्थान में प्रशासकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कुछ राज्य-सरकारों ने भी प्रशासनिक और कार्यपालन-सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए अपनी संस्थाएँ स्थापित की हैं। राज्यों में विकास-कार्यों में लगे कर्मचारियों को सहायता देने के लिए प्रस्ताव है कि आर्थिक और सामाजिक मायोजन में प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक संस्थानों के लिए आवश्यक उच्च प्रवर्धन-सम्बन्धी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दो अतिरिक्त भारतीय प्रवर्धन-संस्थान स्थापित किए जाएं।

31 सांख्यिकी-कर्मचारी - अक-सकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की भाग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दूसरी योजना की अवधि में अक-सकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-प्राप्त या उसका अनुभव रखनेवाले केन्द्र या राज्य-सरकारों के अधीन काम करनेवाले कर्मचारियों की संख्या 4,000 से बढ़ कर 10,000 हो गई है। तीसरी योजना के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान 6,000 है। निजी उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में भी इनकी मांग में वृद्धि होगी। कलकत्ता-स्थित भारतीय अक-सकलन-संस्थान ने, जो ससद-द्वारा सन् 1959 में पारित एक अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, अक-सकलन में बी० एस-सी० की डिग्री के लिए 4 वर्ष का और एम० एस०-सी० की डिग्री के लिए 2 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। संस्था में इस पेशे से सम्बद्ध विशिष्ट पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर अनुसन्धान-डिग्री के लिए भी व्यवस्था है। केन्द्रीय अक-सकलन-गठन छात्रों को सरकारी अक-सकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों में वरिष्ठ और मध्यवर्ती स्तरों पर काम करनेवाले सांख्यिकी-अधिकारियों को तथा कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कृषि-अक-सकलन-संस्थान, अखिल भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थान, स्वास्थ्य-मन्त्रालय और देहपादन का वन-प्रनुसन्धान-संस्थान प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं। राज्यों के अक-सकलन-कार्यालय मध्यवर्ती और निम्न स्तरों के राजकीय सांख्यिकी-अधिकारियों को—यथा, जिलों के सांख्यिकी-अधिकारियों, सामुदायिक विकास-सदों के प्रगति सहायकों एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों को—नेवा में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं।

32 तपनोकी सहायता : संयुक्त राष्ट्र-सच, कोलम्बो-योजना, अमेरिका से हुए तकनीकी-सहायता-समझौते तथा रूस, फ्रान्स, नीदरलैंड आदि देशों, विदेशी विश्वविद्यालयों

और प्रतिष्ठानों के साथ हुई प्रशिक्षण-विषयक व्यवस्थाओं से विविध प्रकार के विशिष्ट और उच्च अध्ययन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के बहुमूल्य अवसर उपलब्ध हुए हैं और हजारों भारतीयों ने इससे लाभ उठाया है। इसके प्रतिफल में भारत ने भी यथा-सम्भव अपनी प्रशिक्षण-सुविधाओं को अन्य देशों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। भारत ने अपने पास अन्य देशों से प्रशिक्षित व्यक्ति भेजने की आई मागों को भी पूरा करने का प्रयत्न किया है। विभिन्न सहायता-कार्यक्रमों के अधीन भारत को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका अधिकतम लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इस समय कर्मचारियों की जो सम्भावित कमी है, उसको वारीकी से समझा जाए, और प्रशिक्षार्थियों के चुनाव तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र का निश्चय तीसरी और चौथी योजनाओं की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्ण अध्ययन के आधार पर किया जाए। इसके बदले में अपनी प्रशिक्षण-सुविधाओं को बढ़ाने में और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के सेवा-धर्म के निर्माण में अन्य देशों की मागों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें आगामी वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है।

अध्याय 12
प्राकृतिक साधन

(1)
प्रस्तावना

योजना-आयोग की विचारणीय सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए थे .

- (1) देश के भौतिक, पूजा-सम्बन्धी और मानवीय साधनों—जिनमें सन्धीकी कर्मचारी भी शामिल हैं—का अनुमान लगाना और यह देखना कि देश की जरूरतों के मुकाबले इनमें से जिस किसी की कमी हो, उसे बढ़ाने की क्या सम्भावनाएँ हो सकती हैं, तथा
- (2) देश के साधनों के सबसे अधिक ठोस और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना ।

इसके अनुसार ही पहली पंचवर्षीय योजना में, उस समय प्राप्त सूचनाओं के आधार पर देश के भूमि, पानी, खनिज और बिजली-सम्बन्धी साधनों का लेखा पेश किया गया । उसमें हर क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया और भविष्य के लिए सर्वेक्षण एवं जांच के कार्यक्रम निश्चित किए गए । उसमें इस तरह का सर्वेक्षण करानेवाले संगठनों को सुदृढ़ करने, उन्हें कर्मचारी और साज-सामान देने तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार करने के बारे में भी मुझाव दिए गए थे ।

विगत कुछ वर्षों में प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण और उपयोग-सम्बन्धी कार्य करने-वाले संगठनों—जैसे, भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्, केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मण्डल, भारतीय नूतन-सर्वेक्षण-संस्था, तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग, भारतीय खान-संस्था, भारतीय सर्वेक्षण-संस्था, वन-अनुसन्धान-संस्था, परमाणु-शक्ति-आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् एवं उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं—का प्रचुर विस्तार किया गया है और उन्होंने नए-नए सर्वेक्षण तथा जांच के कार्य आरम्भ किए हैं । इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का पहले से अधिक ठोस मूल्यांकन हो सका है तथा पिछली जानकारी में रह गई कमियों एवं देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इनमें से किन वस्तु की कितनी कमी है, इसकी जानकारी मिली है ।

2 आयोजन का उद्देश्य सम्पूर्ण जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना है । इन उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का वैज्ञानिक विधियों से विकास आवश्यक है । प्राकृतिक साधनों और सामग्री की बढ़ती हुई माँग के कारण औद्योगिक तंत्रों के काम में लाए गए, जिनसे अनेक कमियाँ दूर हुईं और प्राकृतिक साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगे । प्राकृतिक साधनों की माँग और उपलब्धि में परिवर्तन मानेवाली इन गतिमान प्रवृत्तियों के कारण आवश्यक हो गया है कि इन साधनों का निरन्तर जांच-पड़ताल होती रहे तथा इनके सम्बन्ध में नीति निश्चित की जाए ।

प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में एक समन्वित रीति से काम किया जाना चाहिए और जल्द ही समय तक उनकी आवश्यकता को देखते हुए उनकी जाच-पड़ताल एवं उपयोग की योजनाएं बनानी चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास की गति निश्चित करने में इस तथ्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आवश्यकता से पहले प्राकृतिक साधनों की कितनी जाच-पड़ताल हुई है तथा उनकी प्राप्ति की सम्भावनाएं कहा तक निश्चित हैं।

3 तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के साथ वह स्थिति आ गई है, जब सुविचारित दीर्घकालीन योजनाओं की एक आवश्यक शर्त के रूप में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि देश के मुख्य प्राकृतिक साधनों की जानकारी हमें कहा तक और किस रूप में प्राप्त है। यह देखना आवश्यक है कि कहा-कहा बड़ी कमियां हैं, इस दिशा में सर्वेक्षण की कहा-कहा जरूरत है तथा सिंचाई, विजली, इस्पात, कोयला, तेल और खनिज पदार्थ, भूमि-उपयोग तथा वन-साधन बढ़ाने के दीर्घव्यापी उद्देश्यों के सम्बन्ध में आगे क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगले 15 वर्षों में आवादी में 18 करोड़ 70 लाख की वृद्धि की सम्भावना है। श्रमिक-वर्ग में वृद्धि का अनुमान 7 करोड़ है, जिसमें से दो-तिहाई को कृषि-भिन्न क्षेत्रों में खपाना पड़ेगा। इस लिए यह आवश्यक है कि इस अवधि में आर्थिक विकास की गति तेज की जाए और उसे कायम रखा जाए। प्राकृतिक साधनों के कारण भारत की कृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता बहुत है और अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए, जो आम जनता का जीवन-स्तर ऊंचा कर सके और लाभप्रद रोजगार के अवसर भी बराबर देती रहे, प्राकृतिक साधनों का तेजी से विकास जरूरी है। समय पर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति-आय के लक्ष्य पूरे करने के लिए, कृषि, सिंचाई और विजली का विस्तार करने के लिए, तथा इस्पात, अल्युमीनियम, कोयला, तेल-शोधन, उर्वरक, सीमेंट एवं अन्य वस्तुओं-सदृश उद्योग के लिए निश्चित अस्थायी लक्ष्य पूरे करने के लिए यह आवश्यक है कि काफी पहले देश के प्राकृतिक साधनों की किस्मों और मात्रा तथा उनके विकास के लिए जरूरी बातों पर भली प्रकार विचार किया जाए एवं आवश्यक कदम उठाए जाए। सन्तुलित विकास के लिए देश के हर मुख्य प्रदेश में इनकी उपलब्धि, जरूरती और सम्भावनाओं का अनुमान लगाना आवश्यक है।

4 सिंचाई, विजली, वन, उद्योग, खनिज पदार्थ एवं अन्य वस्तुओं-सम्बन्धी अध्ययनों में उन दिशाओं की ओर ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया गया है, जिनमें देश को इन साधनों का पूरा पता लगाने और उनके अधिक-तेज विकास के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इन अध्ययन का उद्देश्य तीसरी और आगे आनेवाली योजनाओं के सन्दर्भ में प्राकृतिक साधनों का मूल्यांकन करना और आवादी में वृद्धि तथा सधन एवं बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण के साथ उनके सम्बन्धों का संक्षेप में विवेचन करना है।

अभी हाल में योजना-आयोग में प्राकृतिक साधनों के लिए एक अलग इकाई बनाई गई है, जो प्राकृतिक साधनों के मूल्यांकन एवं विकास की समस्याओं का अध्ययन करेगी, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार सर्वेक्षण एवं जाच के कार्य में सलग्न विभिन्न सस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी तथा आम तौर पर, विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रों में एक समान नीति निर्धारित करने में सहायता देगी। काम बढने के साथ-साथ इस इकाई का भी विस्तार किया जाएगा। अन्य सस्थाओं के सहयोग से आगामी की जाती है

कि प्राकृतिक साधनों के निरन्तर अध्ययन का समन्वित कार्य शुरू हो सकेगा, विशेष रूप से दीर्घकालीन विकास के दृष्टिकोण से, और इस अध्ययन के परिणामों को अमल में लाने के लिए उचित नीति तथा तरीके बताए जा सकेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हाल के कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा की जा सकती है और भूमि, पानी, खनिज पदार्थ, विजली एवं अन्य साधनों के विकास के सम्बन्ध में आगे आनेवाली समस्याओं पर विचार किया जा सकता है।

(2)

भूमि-साधन

5 भूमि ही देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति है—यही कृषि-उत्पादन का आधार है। आवादी बढ़ती है, परन्तु भूमि का क्षेत्र तो निश्चित है, फिर उसमें से कमी केवल एक भाग ही कृषि के लिए उपलब्ध है। वस्तुतः इस समस्या के अनेक पहलुओं पर विचार करना होगा। सिंचाई और कृषि-विस्तार के अन्य तरीकों से भूमि की उत्पादन-शक्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है। यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि आज बेकार पड़ी हुई कितनी भूमि कृषि के काम में लाई जा सकती है। आवादी बढ़ने के साथ-साथ यह भी जरूरी हो जाता है कि कृषि की कुछ जमीन लेकर उस पर रहने के लिए भूकाव बनवाए जाए। रेडियो, रेलवे, हवाई सेवाएँ, आदि-जैसे संचार-साधनों के विकास में भी उर्वर भूमि का उपयोग करना पड़ता है। गाव तेजी से शहरों में बदलते जा रहे हैं और बड़े शहर बढ़ते जा रहे हैं—इस कारण भी उद्यानों और खुले मैदानों के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। सिंचाई के लिए बननेवाले बाघ भी उर्वर भूमि से होकर गुजर सकते हैं। औद्योगिक कारखानों तथा अन्य संस्थाओं को भी जमीन की काफी जरूरत पड़ती है। इन सभी विकास-कार्यों में, जहाँ कहीं सम्भव हो, उपजाऊ भूमि को बचाने के प्रयत्न होने चाहिए। इसके लिए भूमि की पूरी जानकारी देनेवाली एक सूची बना लेनी चाहिए और भूमि के वर्गीकरण में सावधानी रखनी चाहिए। उसके उपयोग पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए।

6 भूमि का उपयोग : देश का कुल नैसर्गिक क्षेत्रफल लगभग 80 करोड़ 60 लाख एकड़ है, जिसमें से काम-योग्य क्षेत्र 72 करोड़ 10 लाख एकड़ तथा खेती-वाला क्षेत्र 31 करोड़ 80 लाख एकड़ है। नीचे की तालिका में भूमि-उपयोग का वर्तमान स्वरूप तथा तीनरी योजना के अन्त के लिए परिकल्पित स्वरूप की मुख्य बातें प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका-संख्या 1

सन् 1965-66 में भूमि का उपयोग

	(क्षेत्रफल लाख एकड़ में)		
	1955-56	1960-61	1965-66
कुल काम-योग्य क्षेत्र	7,200	7,210	7,210
वन	1,256	1,310	1,320
विभिन्न वृक्षों और झाड़ियों का क्षेत्र	139	140	150
स्थायी चरागाह और घास के अन्य क्षेत्र	284	320	320

तालिका-संख्या 1—जारी

	1955-56	1960-61	1965-66
मुधार-योग्य बेकार भूमि	548	470	400
बजर तथा कृषि-भिन्न कार्यों में प्रयुक्त होनेवाली भूमि	1,187	1,140	1,140
बेकार भूमि (चानू बेकार भूमि के अलावा)	309	280	260
चालू बेकार भूमि	295	280	255
नेतीवाला क्षेत्र (गुड)	3,182	3,270	3,350
एक से अधिक बार बुवाई का क्षेत्र	444	515	670
कुल खेतीवाला क्षेत्र	3,626	3,785	4,020

भारत में प्रति व्यक्ति-खेती-योग्य भूमि की उपलब्धता 0.82 एकड़ है, जब कि ब्रिटेन में 0.42, जर्मनी में 0.48, जापान में 0.17, चीन में 0.50, अमेरिका में 2.68 तथा रूस में 2.59 एकड़ है।

7 मिट्टी का सर्वेक्षण : अभी हाल तक देश के विभिन्न भागों में पाई जानेवाली मिट्टी के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त नहीं थी, साथ ही, सर्वेक्षण के लिए आवश्यक संगठन भी स्थापित नहीं किए गए थे। मिट्टी-विषयक साधनों की जानकारी से ही, जिनमें मिट्टी का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण भी सम्मिलित है, उनकी क्षमता के निश्चय तथा उनके मुधार और भूमि-उपयोग की सीमाओं के आकलन के लिए उचित आधार मिल सकता है। मिट्टी के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी का वर्गीकरण करना, उनके भेद जानना तथा उनकी वनावट, आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना एवं मानदंड स्थिर करने के लिए उस जानकारी का समन्वय करना है। इन सर्वेक्षणों की सहायता से भूमि के बेहतर उपयोग की योजनाएँ तैयार हो सकती हैं तथा भूमि-संरक्षण, सिंचाई और नाले बनाने के कार्य का भी समुचित रूप से आयोजन किया जा सकता है। मन् 1955 में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था में अखिल भारतीय मिट्टी-सर्वेक्षण-योजना आरम्भ की गई थी, जिनका उद्देश्य मिट्टी की प्रारम्भिक जाच-पडताल कर देश के अन्य भागों में पाई जानेवाली मिट्टी से उसका परस्पर तालमेल बैठाना था। मिट्टी का तालमेल बैठाने के काम में मिट्टी के एक समान वर्गीकरण तथा वनावट के नियमादि तय करने पड़ते हैं और मिट्टी-सम्बन्धी नक्शे एवं सर्वेक्षण की रिपोर्टें तैयार करनी पड़ती हैं। मिट्टी-सर्वेक्षण के क्षेत्र में राज्य-स्तरको को कृषि, वन, सिंचाई, नाला-निर्माण, मिट्टी की रक्षा, आदि सम्बद्ध पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। चूंकि सभी राज्यों की मिट्टी सम्बन्धी समस्याएँ समान हैं और अनेक राज्यों में सर्वेक्षण-सम्बन्धी संगठन नहीं हैं, इसलिए मिट्टी-सम्बन्धी कार्य का समन्वय करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि चार मुख्य मिट्टी-वर्गों के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। ये वर्ग इस प्रकार हैं (1) नदियों के पानी में बह कर आनेवाली मिट्टी—दिल्ली, (2) काली मिट्टी—पूना (अब नागपुर), (3) लाल तथा लेटराइट मिट्टी-प्रदेश 1—खडगपुर (अब कलकत्ता), और (4) लाल तथा लेटराइट मिट्टी-प्रदेश 2—बंगलौर। तीन वर्ष बाद यह योजना केन्द्रीय भूमि-संरक्षण-मंडल की मिट्टी एवं भूमि-उपयोग-योजना के साथ मिला दी गई। मंडल की योजना 6 मुख्य नदी-

घाटी-योजनाओं—मचकुड, हीराकुड, चम्बल, भाखडा-नगल, कोसी और दामोदर—के ग्राहक क्षेत्र में मिट्टी तथा भूमि-उपयोग-सर्वेक्षण के लिए बनाई गई थी, जिसका कार्यक्षेत्र कुल 78 हजार वर्गमील में था। ग्राहक क्षेत्रों में सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि की गुणों की दृष्टि से वर्गों में बांटना है, ताकि भू-क्षरण कम करने, उत्तम किस्म की मिट्टीवाली जमीन को खेती के लिए निश्चित करने, नीचे बैठ जानेवाली मिट्टी को जलाशयों में बह जाने से रोक कर जलाशयों की आयु बढ़ाने आदि के लिए भूमि-संरक्षण के उपाय अपनाए जा सकें। ग्राहक क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण-कार्य के लिए कृषि-भूमि-सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। कुल सर्वेक्षण-योग्य क्षेत्र 5 लाख वर्गमील है। सन् 1961 के आरम्भ तक इस अखिल भारतीय योजना के अन्तर्गत 18 हजार वर्गमील-क्षेत्र में विस्तृत और प्रारम्भिक सर्वेक्षण किए जा चुके थे। इस क्षेत्र में से 3 हजार वर्गमील-क्षेत्र नदी-घाटी-योजनाओं के ग्राहक क्षेत्र में आता है। राज्यों के भूमि-सर्वेक्षण-संगठनों ने 50 हजार वर्गमील-क्षेत्र में कार्य किया है। अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी योजना की अवधि में 23 हजार वर्गमील-क्षेत्र के सर्वेक्षण की व्यवस्था है।

8 बेकार पड़ी भूमि का सर्वेक्षण : बेकार पड़ी भूमि को खेती के काम में लाकर, एक फसलवाली जमीन पर दोहरी फसल उगा कर और सघन खेती के अन्य उपाय अपना कर कृषि-उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दोहरी फसल के कुल क्षेत्र में काफी वृद्धि की गुंजायश है। आशा है कि दोहरी फसल का क्षेत्र, जो सन् 1960-61 में 5 करोड़ 20 लाख एकड़ था, सन् 1965-66 तक बढ़ कर 6 करोड़ 70 लाख एकड़ हो जाएगा। सन् 1955-56 के भूमि-उपयोग-विषयक आकड़ों के अनुसार, खेती की जा सकने-योग्य परन्तु बेकार पड़ी जमीन 5 करोड़ 50 लाख एकड़ थी। जून 1959 में भारत-सरकार ने एक समिति बनाई जिसे 'बेकार भूमि के अतिरिक्त खेती के काम न आनेवाली भूमि' तथा 'चालू बेकार भूमि के अतिरिक्त बेकार भूमि' का सर्वेक्षण करने तथा उन प्रदेशों का पता लगाने का काम सौंपा गया, जहाँ भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े खेती-योग्य बनाने तथा बसाने के काम में लाए जा सकते हैं। समिति ने 7 राज्यों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। इन राज्यों में खेती-योग्य बेकार भूमि—कम-से-कम 250 एकड़ के टुकड़े—लगभग दस लाख एकड़ है। बेकार भूमि के सम्बन्ध में समिति को जो जानकारी मिली है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी, कुल मिला कर वर्तमान जानकारी पूर्णतः निर्भर करने-योग्य नहीं है, क्योंकि खेती-योग्य बेकार भूमि खेती के काम में आ जाने के बहुत बाद तक राजस्व-खाता में उसी रूप में दिखाई गई है। समिति की राय में 'खेती-योग्य बेकार' शीर्षक से भूमि की जानकारी प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हर राज्य में बेकार भूमि की किस्म, उसके स्वामित्व, बड़े टुकड़ों में उसकी उपलब्धता तथा उसे खेती-योग्य बनाने के खर्च, आदि की पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। समिति ने सिफारिश की है कि इस काम के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण तेजी से किए जाए।

9 सारांश यह कि भूमि-साधनों के बारे में उपलब्ध जानकारी अभी अचूरी है। तैयारी से काम पूरा करने के लिए हवाई-चित्रों की सहायता लेना आवश्यक है तथा भावी योजनाएँ बनाने के लिए भूमि के उपयोग, भूमि-मुधार, जलमग्न, नमक एवं क्षार-वाली भूमि की खेती-योग्य बनाने तथा उत्पादक क्षमता के सम्बन्ध में पूरी जानकारी व्यवस्थित रीति से एकत्र की जानी चाहिए।

(3)

वन-साधन

10 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (12.6 लाख वर्गमील) में से 2.74 लाख वर्गमील अथवा लगभग 21.8 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। जलवायु, ऊँचाई, आदि में अन्तर होने के कारण भारत के वनों में गर्म से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रों तक में पाई जानेवाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं। वनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है

तालिका-संख्या 2

वनों का वर्गीकरण

		प्रतिशत
समशीतोष्ण क्षेत्र के वन		
जपली फलवाले	..	3
चौड़े पत्तीवाले	..	4
गर्म क्षेत्र के वन		
मौसमी	..	80
सदावहार	.	12
अन्य	.	1

11 देश के वनों की उत्पादकता काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। वन प्रकृति की ऐसी देन हैं, जिसका नवीकरण बराबर किया जा सकता है और यदि समुचित देखभाल की जाए, तो चिरकाल तक उत्पादन जारी रखा जा सकता है। देश में इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, दवाओं के लिए जड़ी-बूटियों, पशुओं के चारे तथा कागज-उद्योग के लिए कच्चे माल की बहुत कमी है।

12 औद्योगिक विकास के लिए लकड़ी और वनों की अन्य वस्तुएँ एक आवश्यक कच्चा माल हैं। विगत वर्षों में देश के वन-साधनों का कमी भी समुचित अनुमान नहीं लगाया गया और कागज या लुगदी, प्लाईवुड, अन्य वनस्पतिजन्य पदार्थ आदि प्रचुर मात्रा में आयात किए जाते रहे। देश में ऐसे उद्योगों का विकास करने के लिए इस तरह की कच्ची सामग्रियों के बारे में जाच-पड़ताल करना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में उद्योगों के काम आनेवाली लकड़ी की खपत प्रति व्यक्ति 0.6 घनफुट वार्षिक है, जब कि फ्रान्स में यह परिमाण 16 घनफुट और जापान में 13.4 घनफुट है। भारत को इस समय 45 लाख टन औद्योगिक लकड़ी की जरूरत है। अनुमान है कि यह मात्रा सन् 1975 तक 90 लाख टन हो जाएगी। जलानेवाली लकड़ी की मांग सन् 1975 तक 10 करोड़ टन होने का अनुमान है।

13. यह आवश्यक है कि मधन विकास-योजनाओं के द्वारा, जिनमें अधिक उत्पादक क्षेत्रों का चुनाव, तेजी से बढ़नेवाले पौधों का रोपण, लकड़ी के काम के मुबरे हुए तरीकों का प्रयोग तथा संचार-साधनों का विकास शामिल है, एवं आमतौर पर वनों के विकास को आगामी वर्षों में हाथ में ली जानेवाली विशिष्ट औद्योगिक विकास-योजनाओं में जोड़ कर वर्ष-प्रति-वर्ष उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की जाए। औद्योगिक लकड़ी की मांग और आपूर्ति अभी लगभग मनुष्य की आवश्यकताओं पर भी, यदि इस और विशेष कदम नहीं उठाए गए, तो आगामी

10-15 वर्षों में इसकी भारी कमी पड़ जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, पहाड़ी प्रदेशों में वनों का विस्तार किया जाए, नीची किस्म की लकड़ी का उचित उपयोग हो, जलानेवाली लकड़ी के प्रयोग में कमी की जाए और विशेष उद्योगों को ध्यान में रखते हुए वन-साधनों का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया जाए। वनों की भूमि के सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक कटाववाली भूमि का पता लग सके और यह मालूम पड़ सके कि स्वयं ही सुधर जानेवाली जमीन कितनी है और कितनी भूमि ऐसी है, जहां वन-रोपण करना जरूरी है। मध्य और दक्षिण-भारत के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसे प्राकृतिक वन हैं, जहां के वृक्षों की लकड़ी केवल जलाने के ही काम आ सकती है। इन क्षेत्रों में मूल्यवान वन लगाए जा सकते हैं। दुर्गम इलाकों के वन-साधनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है।

(4)

जल-साधन

14 जल-साधनों को दो भागों में बाटा जा सकता है। भू-स्तरीय जल और भूगर्भ-जल। सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण, नाला-निर्माण और अन्य उपायों से उत्पादकता बढ़ाने तथा घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में ही इनके विकास पर विचार किया जाना चाहिए।

15 भू-स्तरीय जल : देश में वार्षिक वर्षा लगभग 300 करोड़ एकड़-फुट होती है। इसमें से लगभग 100 करोड़ एकड़-फुट पानी तो फौरन भाप बन कर उड़ जाता है और अनुमानत 65 करोड़ एकड़-फुट पानी जमीन के अन्दर चला जाता है। इस प्रकार, शेष 135 करोड़ एकड़-फुट पानी ही नदियों के रास्ते बहता है। जमीन पर बहनेवाले इस जल का भी पूरा-पूरा उपयोग जमीन की बनावट, पानी के बहाव, जलवायु और मिट्टी की बनावट के कारण नहीं हो पाता। अनुमान लगाया गया है कि केवल 45 करोड़ एकड़-फुट पानी का ही उपयोग सिंचाई के लिए हो सकता है। वास्तविक उपयोग की प्रगति नीचे की तालिका में दिखाई गई है।

तालिका-संख्या 3

सिंचाई के लिए भू-स्तरीय जल का उपयोग

	लाख एकड़- फुट	उपयोग-योग्य जल का प्रतिशत	कुल बढ़ने- वाले जल का प्रतिशत
1951 तक	760	17	6
1960-61 तक	1,200	27	9
1965-66 तक (अनुमानित)	1,600	36	12

16 भूगर्भ-जल : प्रतिवर्ष जमीन के अन्दर चले जानेवाले 65 करोड़ एकड़-फुट पानी में से 35 करोड़ एकड़-फुट जमीन की पहली मजह पर ही रह जाता है। इससे मिट्टी में नमी आती है, जो वनस्पति की उपज के लिए जरूरी है। शेष 30 करोड़ एकड़-फुट पानी जमीन से नीचे चला जाता है और भूगर्भ-जल की मात्रा में बढ़ि करता है। भूगर्भ

में जमा जल की मात्रा कभी भी इससे कई गुना अधिक होती है, परन्तु देशव्यापी जांच-पड़ताल के बिना इसका सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। भूगर्भ-जल का वर्तमान उपयोग उसमें होनेवाली वार्षिक वृद्धि के 20 प्रतिशत से भी कम ही है। पिछले 8 वर्षों में भूमि-जल-परीक्षण-परियोजनाओं के अन्तर्गत नलकूप लगाने-योग्य क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयत्न किए गए हैं। तीसरी योजना में 500 नलकूपों की एक परियोजना शामिल की गई है। परीक्षण-कार्य को सुविधाजनक बनाने और बड़े पैमाने पर नल घसाने की जरूरत न पड़ने देने के लिए भूगर्भ की जांच-पड़ताल करने का सुझाव दिया गया है। ऐसी जांच और खोज से भूगर्भ के निचले तल का पता आसानी से चल जाएगा और भूगर्भ-स्थित जल का भी ज्ञान हो सकेगा। आन्ध्रप्रदेश में भी भूगर्भ-जल के क्षेत्रों का पता लगाने का सर्वेक्षण-कार्यक्रम चालू है, जिससे पानी निकालने तथा साफ करने के यन्त्र उमीन में घसाए जा सकें।

17. उपयोग : पानी का मुख्य उपयोग सिंचाई और विजली पैदा करने में होता है। इसके साथ ही जनता के सामान्य कामों तथा औद्योगिक और नौकानयन (जहाजरानी) के लिए भी जल-साधनों का उपयोग होता है। सिंचाई के लिए जल नदी, तालाबों, आदि तथा भूगर्भ, दोनों ही साधनों से प्राप्त किया जाता है।

18. केन्द्रीय जल तथा विजली-आयोग ने सन् 1954 में देश की विभिन्न नदी-घाटियों का अध्ययन आरम्भ किया था, ताकि बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं की क्षमता का पता चल सके। इसके लिए देश को पांच भागों में बांट दिया गया था—
 हर क्षेत्र में कुछ नदी-घाटी-समूहों को रखा गया था। हर नदी-घाटी के लिए भौगोलिक स्थिति, वर्षा, खेती की महत्ता, जलाशय बनने-योग्य स्थान, सिंचाई-योग्य क्षेत्र, जलाशय-क्षमता और अन्य सम्बद्ध विषयों का अध्ययन किया गया था। चार क्षेत्रों में तो अध्ययन प्रायः पूरा हो चुका है, पाचवें में अभी काम शुरू करना बाकी है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता 10 करोड़ एकड़ (कुल) आती गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है।

तात्त्विक-संख्या 4

बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता

(साल एकड़)

क्षेत्र 1. पश्चिम की ओर बहनेवाली नदिया (केरल, मैसूर और महाराष्ट्र-राज्यों की नदी-घाटिया तथा ताप्ती, नर्मदा आदि नदियों की घाटिया)	10
क्षेत्र 2 पूर्व की ओर बहनेवाली नदिया (ताम्रपर्णी, वेगई, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एवं अन्य नदियों की घाटिया)	33
क्षेत्र 3 सिन्धु घाटी	13
क्षेत्र 4 गंगा-घाटी (चम्बल, यमुना, रामगंगा, टोम, गोमती, नोन, गंगा, और उनकी महायक नदियों की घाटिया)	41
क्षेत्र 5 ब्रह्मपुत्र-घाटी	3
योग	100

दूसरी योजना के अन्त में बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं-द्वारा सिंचित शुद्ध क्षेत्र 3 करोड़ 10 लाख एकड़ था।

19 साघ और कृषि-मन्त्रालय ने सन् 1955 में छोटी सिंचाई-समिति की स्थापना पर छोटी सिंचाई-परियोजनाओं की क्षमता का पता लगाने की दिशा में पहला व्यापक प्रयत्न किया। परियोजनाओं की जाच के लिए नियुक्त समिति के छोटी सिंचाई-दल ने भी बाद में ऐसे ही अध्ययन-कार्यक्रम अपनाए। छोटी सिंचाई-परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ राज्यों ने भी सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त प्रारम्भिक आँकड़ों से अनुमान लगाया गया है कि छोटी-सिंचाई-परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता 7 करोड़ 50 लाख एकड़ (कुल) है।

20 यह स्पष्ट है कि खेती के कुल क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र का अनुपात बढ़ाने की बहुत गुंजायश है। अगले 20-25 वर्षों में (जब तक कुल कृषि-क्षेत्र बढ़कर 35 करोड़ एकड़ हो जाएगा) 17 करोड़ 50 लाख एकड़ (कुल) की सम्पूर्ण सिंचाई-क्षमता का उपयोग करने के बाद सिंचित क्षेत्र का अनुपात बढ़ कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही, पानी के कुल उपयोग की मात्रा बढ़ कर 35-40 करोड़ एकड़-फूट हो जाएगी, जो कि भू-स्तरीय और भूगर्भीय जल-साधनों से वर्ष-भर में मिलनेवाले पानी का 60 प्रतिशत भाग होगी। इसके बाद जनता की तथा औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति और तापीय बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक पानी भी काफी मात्रा में बच जाएगा। बिजली पैदा करने के लिए पानी की आवश्यकता भविष्य में बहुत अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

21 औद्योगिक उपयोग : उद्योगों में पानी का उपयोग मुख्यतः मशीनों आदि को ठंडा करने, विद्यमान तथा वायुमयों के लिए होता है। उद्योगों में पानी की आवश्यकता तेजी से बढ़ती जाती है। इसे देखते हुए उद्योगों में पानी-संग्रह करने तथा एक से अधिक चार जसी पानी का उपयोग करने के तरीके निकालने पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। उद्योगों में प्रयुक्त पानी उचित प्रवन्ध करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।

22 उद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ पानी के गन्दा हो जाने की महत्वपूर्ण समस्या भी सामने आ जाती है। उद्योगों में वेकार जानेवाली चीखों तथा अन्य गन्दगी के कारण पानी खराब हो जाता है—विशेष रूप से नदियों का पानी। इसके परिणामस्वरूप, मछलियां मरने लगती हैं और पीने का पानी गन्दा कीटाणुयुक्त हो जाता है। इस गन्दगी को नमुचित रूप में नष्ट करना कठिन और खर्चीला काम है। इस समस्या की ओर अखिल भारतीय स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य-संस्थान, भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् और जन-स्वास्थ्य-इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्थान समुचित ध्यान दे रहे हैं। इस दिशा में परीक्षणों तथा समन्वित कार्यों की आवश्यकता है। कल-कारखानों ने निकलनेवाली गन्दगी का दिग्भंग, उसने होनेवाली पानी की गन्दगी का अनुमान, उसकी सफाई के तरीकों की खोज तथा उनके लिए मानदंड निश्चित करने की आवश्यकता है, जिनमें नदियों में फेंकने से पूर्व उनके सम्बन्ध में पूरी सावधानी में जाच हो सके।

(5)

मछली-उद्योग

23 अन्तर्देशीय मछली-उद्योग : नदियां और उनकी नहायक छोटी नदियां, नहरें, झीलें, नानाद, जलाशय, पोखरे, आदि, जहां वर्ष-भर पानी रहना है, अन्तर्देशीय मछली-उद्योग

के लिए महत्वपूर्ण साधन है। प्रति वर्ष प्राप्त होनेवाली 14 लाख टन मछली में से 3 लाख टन अन्तर्देशीय जल-साधनो से प्राप्त होती है। पहली योजना में 10 लाख एकड़ से भी अधिक अन्तर्देशीय जल-क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था और 68,000 एकड़ को अतिरिक्त इस्तेमाल के योग्य बना दिया गया था। दूसरी योजना में 3 लाख 40 हजार एकड़ जल-क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका है और कुल 7 लाख 20 हजार एकड़ में मछलिया पाली गई है। तीसरी योजना में 50 हजार एकड़ जल-क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए मछली-क्षेत्र बनाने, 1,500 एकड़ में मछलियों की नस्तो पर प्रयोग करने तथा 1,500-2,000 एकड़ दलदली क्षेत्र को मछलीपालन के लिए उन्नत करने की व्यवस्था है। इसके लिए गर्मियों में न सूखनेवाले जल-क्षेत्रों का पूरा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, जहाँ मछलिया पाली जा सकें। जल-क्षेत्रों की पूरी सूची भी तैयार करना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न किस्मों के जल-क्षेत्रों—तालाब, पोखरे, झील, नदी, आदि—का विवरण तथा उनका अलग-अलग क्षेत्रफल दिया गया हो। इसके बाद भौतिक, रासायनिक एवं जीव-विज्ञान-सम्बन्धी विगेपताओं का विस्तृत विवरण तैयार किया जाना चाहिए। इस काम के पूरा होने के बाद ही अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के विकास के लिए ठोस आधार प्राप्त हो सकेगा।

24 समुद्री मछली-उद्योग : भारत में वर्ष-भर में प्राप्त होनेवाली 14 लाख टन मछली में से 11 लाख टन समुद्री मछली होती है। समुद्री मछलियों में मैकरेल, सारडाइन और प्रान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत की मछली-सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगभग 40 लाख टन है, परन्तु उत्पादन इसका लगभग चौथाई ही है। आम तौर पर समुद्री मछली-क्षेत्र तट से 6 से 10 मील दूर तक ही है।

भारत के समुद्री मछली-साधनो का पूरा और समुचित अनुमान भी नहीं लगाया है। इस दिशा में व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसका महत्व खास कर इसलिए है कि समुद्री साधनो से मिलनेवाली मछली अन्तर्देशीय साधनो की कमी काफी हद तक पूरी कर सकती है।

(6)

खनिज साधन

25 आज की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में खनिज साधनो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से कोयला और खनिज तेल शक्ति प्राप्त करने के स्रोत हैं तथा अन्य उद्योगों में कच्ची सामग्रियों के रूप में काम आते हैं। कुछ अन्य खनिज पदार्थों का उपयोग रूबड़, लकड़ी, कपास और अन्य प्राकृतिक चीजों का कृत्रिम स्वरूप तैयार करने में होता है।

देश में कोयला, खनिज लोहा और अन्नक का भांडार बहुत बड़ा है। मैंगनीज, टाइटैनियम और अल्युमीनियम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चूने का पत्थर तथा रिफ़ैक्टरियों के लिए कच्ची सामग्रिया भी उपलब्ध है। परन्तु ताम्बा, जस्ता और सीसा कम पाया जाता है। टिन, निकेल, मोलीब्डेनम और ठोस गन्धक के भी भांडार बहुत कम हैं। अभी हाल तक डिबोई (असम) के अतिरिक्त खनिज तेल का कोई और स्रोत देश के किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था।

26 कोयला : कोयला भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज सम्पत्ति है और व्यापार-उद्योग में काम आनेवाली शक्ति का यही मुख्य स्रोत है। चार फुट से अधिक मोटाईवाले कोयला-भांडार की कुल मात्रा लगभग 5,000 करोड़ टन है, जिसमें से कोयला कोयले का परिमाण 5.6 प्रतिशत या 280 करोड़ टन है। छुटपुट भांडारों की मात्रा का अनुमान

करीब 8,000 करोड़ टन है। इसके अतिरिक्त, 207.3 करोड़ टन लिग्नाइट (भूरा कोयला) के भी मौजूद होने का अनुमान है।

कोकिंग कोयले का भांडार भविष्य की दृष्टि में चिन्तनीय है। इस्पात के प्रत्येक टन के लिए 2.2 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। अगले 15 वर्षों में इस्पात के उत्पादन में तेजी से होनेवाली वृद्धि को देखते हुए कोयले की मांग भी निश्चय ही बहुत बढ़ेगी। इसलिए कोकिंग कोयले का सीमित भांडार सावधानी से सुरक्षित रखने की जरूरत है। गैर-कोकिंग कोयले की स्थिति असन्तोषजनक नहीं है, परन्तु चूंकि अधिकतर कोयला घटिया किस्म का है, अतः बढ़िया किस्म का कोयला खर्च करने में किफायत की जानी चाहिए।

कोयले का कुल भांडार मानो एक ही स्थान पर केन्द्रित हो गया है। अभी 80 प्रतिशत कोयला बिहार और पश्चिम-बंगाल के 200 मील क्षेत्र में स्थित खानों में पाया जाता है। फलतः दक्षिण और पश्चिम-भारत में उपयोग के लिए यहाँ से 400 से 1,400 मील दूर तक कोयला ले जाना पड़ता है। बिहार और बंगाल के बाहर की कोयला-खानों में उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं—उनका उत्पादन सन् 1951 में 57 लाख टन (कुल उत्पादन का 16 प्रतिशत) था, जो सन् 1960 में बढ़ कर 1 करोड़ 2 लाख टन (कुल का 20 प्रतिशत) हो गया। तीसरी योजना के अन्त तक बिहार और बंगाल से बाहर की कोयला-खानों का उत्पादन बढ़ कर 2 करोड़ 80 लाख टन (कुल उत्पादन का 29 प्रतिशत) हो जाने की आशा है।

27 खनिज तेल और प्राकृतिक गैस : कोयले के बाद व्यावसायिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है। अभी तक भारत में पेट्रोल का उत्पादन काफी नहीं होता। तेल की खोज के लिए प्रयत्न जारी हैं। असम में नए तेल-कूपों ने प्रारम्भिक चरणों में प्रतिवर्ष 27 लाख 50 हजार टन तेल मिलाने की सम्भावना है। तीसरी योजना के अन्त तक इसमें भी वृद्धि होने की सम्भावना है। असम में पेट्रोल से सम्बद्ध प्राकृतिक गैस उल्लेखनीय परिमाण में उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त असम्बद्ध प्राकृतिक गैस भी मिली है। सम्बद्ध प्राकृतिक गैस के उद्योग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। खम्भात और अकलेश्वर-क्षेत्रों में कुएँ खोदने के उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और इन क्षेत्रों में सन् 1965-66 तक 20 लाख टन तेल का उत्पादन होने की सम्भावना है।

पिछले दशक में पेट्रोलजन्य उत्पादनों की खपत में वार्षिक वृद्धि 4.5 प्रतिशत थी। चालू दशक में इसके बड़ कर 10-11 प्रतिशत होने की सम्भावना है। सन् 1960 में कुल खपत 75 लाख टन थी, जिसके सन् 1965-66 में बड़ कर 1 करोड़ 10 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। इसका अर्थ है कि 50 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात करना पड़ेगा और इस पर 50 करोड़ रु० के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च होगी। भरलू आवश्यकताएँ (मुख्यतः जलाने के लिए मिट्टी का तेल) कुल खपत का 25 प्रतिशत हैं। परिवहन-क्षेत्र में (डीजल तेल एवं गैसोलीन) खपत 30 प्रतिशत से अधिक है। उद्योग की मांग 20 प्रतिशत है, जो मुख्यतः भट्टियों में जलानेवाले तेल की है। मिट्टी के तेल और डीजल की खपत में इधर कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

28 अन्य खनिज पदार्थ : यद्यपि मुख्य खनिज क्षेत्रों का विवरण प्राप्त किया जा चुका है और देश की खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में मोटे तौर पर अनुमान भी लगाया जा चुका है, तथापि इधर कुछ वर्ष पहले तक देश के खनिज नावनों की मात्रा और विस्तार-वन्धी विस्तृत अनुमान लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। देश का योजनाबद्ध

विकास आरम्भ होने के नाथ-साथ इन दिशा में भी व्यवस्थित और विस्तृत सर्वेक्षणों पर भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था, भारतीय खान-संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा परमाणु-शक्ति-आयोग ने ध्यान दिया, ताकि अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की किस्म एवं मात्रा का आकलन हो सके, उनका उचित इस्तेमाल हो, तथा एक ऐसी नीति अपनाई जा सके, जिससे खनिज पदार्थों का व्यवस्थित ढंग से पता लग सके और उनके सरक्षण की भी उचित व्यवस्था हो। गत 10 वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप खनिज साधनों की मात्रा और किस्म के बारे में अब अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। खनिज मैंगनीज का अनुमानित भांडार 2 करोड़ टन से बढ़ कर 18 करोड़ टन हो गया है। अमजोर (बिहार) क्षेत्र में गन्धक-मिश्रित पाइराइट्स का पता चलने में स्वदेशी उत्पादन में ही गन्धक की मांग पूरी हो जाने की सम्भावना है। खनिज ताम्बा, खनिज लोहा, क्रोमाइट, वाक्साइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, सीसा और जस्ते के बारे में भी निश्चित अनुमान लगाए जा चुके हैं और मांग तथा आपूर्ति का अन्तर भी निश्चित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने खनिज पदार्थों की किस्म सुधारने, उन्हें उपयोग-योग्य बनाने (कोयला, खनिज मैंगनीज, ताम्बा, आदि धोने से सम्बन्धित जाच-द्वारा), बेकार चले जानेवाले पदार्थों (बेकार बच जानेवाले अन्नक, आदि) के उपयोग की विधियाँ खोजने और दुर्लभ धातुओं के स्थान पर देश में सुलभ धातुओं का उपयोग करने (जैसे, निकेल-रहित स्टेनलेस स्टील और सिक्को के काम आनेवाली मिश्रधातु तथा अल्युमीनियम-मिश्रित इस्पात के तार) के लिए जाच तथा परीक्षण किए हैं।

29 खान और खनिज पदार्थ (नियमन और विकास) अधिनियम 1948, सन्-1957 में संशोधित तथा परिवर्द्धित किया गया, और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से देश की खनिज सम्पत्ति के व्यवस्थित विकास तथा उसे पट्टे पर देने के काम में एकरूपता आ गई है। कोयला-खान-सरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम 1952 के अन्तर्गत कोयले के सरक्षण के तरीके अपनाने तथा उन्हें लागू करने की भी व्यवस्था की गई है।

30. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खनिज साधनों के अध्ययन तथा विशिष्ट क्षेत्रों में मात्रा तथा किस्म के अनुसार उनके भांडार का आकलन करने की दिशा में काफी काम हुआ है, फिर भी देश के तेज़ औद्योगिक विकास और फलस्वरूप कच्चे खनिज माल की मांग में वृद्धि को देखते हुए खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए खोज और जाच-पडताल के प्रयत्न अधिक जोर-शोर के साथ किए जाने चाहिए। नीचे की तालिका में प्रमुख खनिज पदार्थों के ज्ञात भांडार, वर्तमान उत्पादन और वर्तमान खपत के आकड़ों को देख कर उपर्युक्त जाच-कार्यक्रम का महत्व अपने-आप स्पष्ट हो जाएगा

तालिका-संख्या 5

खनिज पदार्थों का उत्पादन और उनकी मांग

खनिज पदार्थ	इकाई	अनुमित भांडार	वर्तमान उत्पादन	वर्तमान उपयोग
कोयला (गैर-कोकिंग)	लाख टन	5,00,000	307	} 518
कोयला (कोकिंग)	लाख टन	28,000	148	
लिग्नाइट	लाख टन	20,730	नगण्य	नगण्य

तालिका-सख्या 5—जारी

खनिज पदार्थ	इकाई	अनुमित भांडार	वर्तमान उत्पादन	वर्तमान उपयोग
खनिज तेल	लाख टन	अनुमान नहीं	†	60†, 13I
खनिज मैगनीज	लाख टन	1,800	12	3
खनिज लोहा	लाख टन	2,18,700	105	80
क्रोमाइट	लाख टन	23	1	0 2
खनिज वेनाडियम	लाख टन	267	—	—
टंगस्टन (घातु)	टन	अनुमान नहीं	3	3
निकेल (घातु)	टन	नगण्य	—	1,020
इल्मेनाइट (खनिज टाइ- टेनियम)	लाख टन	3,500	2 5	0 1
ताम्बा (खनिज)	लाख टन	329	4 4**	0 7 (घातु)
खनिज सीसा	लाख टन	107@	3,670 (घातु)	0 3 (घातु)
वाक्साइट (खनिज अल्यु- मीनियम)	लाख टन	2,600	3. 8	1*
खनिज जस्ता	लाख टन	—	0. 1**	0. 6**
जिप्सम	लाख टन	11,170	9 8	9 8
मैग्नेसाइट	लाख टन	1,000	1. 5	1 4
चूने का पत्थर	लाख टन	1,57,400	125	125
फास्फैटिक नोड्युलस	लाख टन	20	—	—
एपेटाइट	लाख टन	8. 7	0 14	2 2
टीन (घातु)	टन	नगण्य	—	4,550
ग्रेफाइट	टन	अनुमान नहीं	1,500	2,500
गन्धक (तत्व)	लाख टन	नगण्य	—	1 8
पाइराइट्स—40% गन्धक लाख टन		3,840	—	—
एस्बेस्टस	टन	5,80,000	1,683	30,000

31 खनिज पदार्थों की विशेष सघन खोज की नितान्त आवश्यकता के अतिरिक्त उनके संरक्षण के तरीकों को लागू करना भी जरूरी है। उनके संरक्षण का मुख्य अर्थ खान के काम में दुरुपयोग रोकना तथा दुर्लभ वस्तुओं के स्थान पर देश में ही सुलभ पदार्थों का उपयोग करना है। खानों में से पदार्थ निकालते समय दुरुपयोग रोकने का धमिधाम चुन-चुन कर काम नहीं करना है, यानी बढिया और घटिया दोनों किस्म के पदार्थ निकाले जाए और फिर उन्हें मिला कर विक्री-योग्य किस्म का खनिज पदार्थ बना लिया जाए।

* सन् 1959 के अंक

** केन्द्रित

*** 8,767 टन घातु के बराबर

@ खनिज जस्ता भी शामिल है

† कच्चा

‡ उत्पादन

घटिया किस्म के खनिज पदार्थों का सुघार (मैगनीज, कोयला, तोम्बा, आदि खनिज पदार्थों का सुघार) और खान में से पदार्थ निकालने तथा उनकी सफाई आदि के काम में प्राप्त उपोत्पादन का उपयोग भी सरक्षण के तरीको में शामिल है।

(7)

बिजली

32 उद्योगीकरण, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि और जीवन-स्तर ऊचा होने के कारण देश में बिजली की माग तेजी से बढ़ती जा रही है। परन्तु भारत में बिजली की खपत भी विद्व में सायद सबसे कम है।

33 उत्पादन और उपभोग के प्रकार : सन् 1960-61 में भारत में बिजली का उत्पादन प्राय 16 करोड 50 लाख टन कोयले की शक्ति के बराबर था। शक्ति के मुख्य व्यापारिक साधन कोयला, पेट्रोल, और ऊर्चाई से गिरनेवाला जल है। वायु, सौर, तरंग, भूविद्युत्, आदि साधनों से भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है, परन्तु इसके लिए प्रौद्योगिक विकास की जरूरत है। फिलहाल शक्ति का 61 प्रतिशत भाग अव्यावसायिक साधनों से उपलब्ध होता है—जैसे, पशुओं का गोबर, लकड़ी, जलानेवाला कोयला, खेती की बेकार चीजें, आदि। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा। अव्यावसायिक साधनों से प्राप्त शक्ति के विवरण में मानवीय प्रयत्नो या चेतन स्रोतों को शामिल नहीं किया गया है। इन स्रोतों से वर्ष-भर में प्राप्त शक्ति का अनुमान 760 लाख टन कोयले के बराबर होता है।

तालिका-संख्या 6

सन् 1960-61 में शक्ति का उपयोग

स्रोत	उपभुक्त शक्ति (लाख टन कोयले के बराबर)	व्यावसायिक शक्ति का प्रतिशत	कुल शक्ति का प्रतिशत
कोयला	546	84	33
तेल	95	14 6	5 8
जल	9	1 4	0 6
योग—व्यावसायिक	650	100	39 4
गोबर	460		27 9
जलावन की लकड़ी	350		21 2
खेती से बेकार हुई वस्तुएं	190		11.5
योग—अव्यावसायिक	1,000		60 6
योग—सब साधनों से	1,650		100

34 शक्ति के अव्यावसायिक स्रोत : तमाम ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी पकाने और गर्मी प्राप्त करने के मुख्य साधन मवेशियों का सुझाया हुआ गोबर है। अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 120 करोड टन (गोला वजन) गोबर उपलब्ध होता है, जिसमें से 40 करोड टन ईंधन के रूप में और 21 5 करोड टन खाद के रूप में प्रयुक्त होता है, शेष नष्ट हो जाता है। शक्ति-तत्व के आधार पर देखा जाए, तो 40 करोड टन गोबर 4 6 करोड टन कोयले के बराबर है। लकड़ी का ईंधन के रूप में घरेलू उपयोग भी होता है।

श्रीर कुछ उद्योगों में लकड़ी या लकड़ी के कोयले के रूप में ईंधन की लकड़ी की खपत का अनुमान 6 करोड़ टन है, जो 3 5 करोड़ टन कोयले के बराबर शक्ति देती है।

35 शक्ति के व्यावसायिक स्रोत : इनमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, जिन पर पिछले छठ में विचार किया जा चुका है, और विजली, जिस पर नीचे प्रकाश डाला गया है, आते हैं।

विजली-शक्ति : कोयला-खानों और कोयला घोंके के कारखानों में घटिया तथा मध्यवर्ती किस्म का कोयला मिलेगा, जिनका उपयोग विजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। कोयले में चलनेवाले विजलीघरों के लिए ऐसी जगहें बहुत उपयुक्त होती हैं। पनविजली-घरों की स्थापना में बहुत समय लगता है, खर्च भी अपेक्षाकृत अधिक होता है और स्वभावतः दूरस्थ स्थानों पर बनाए जाने के कारण उनकी विजली के लिए दूर-दूर तक वितरण-व्यवस्था करनी पड़ती है। परन्तु शक्ति प्राप्त करने के ये सबसे सस्ते साधन हैं। विभिन्न प्रकार के कारखानों में उत्पादन-क्षमता का विवरण इस प्रकार है

तालिका-संख्या 7
विभिन्न स्रोतों की उत्पादन-क्षमता

(लाख किलोवाट)

	1951	1956	1961	1966
पनविजली	5 6	9 4	19.3	51
कोयला	15.9	22 7	34.6	70 8
तेल	1 5	2 1	3 1	3 6
नैसर्गिक	—	—	—	1 5
योग	23	34 2	57	126 9

फिनहाल भारत में विजली की खपत 45 किलोवाट-घंटे प्रति व्यक्ति है। सन् 1950 में यह मात्रा 14 और सन् 1958 में 35 थी। सन् 1965-66 तक प्रति व्यक्ति खपत बढ़ कर 95 किलोवाट-घंटे हो जाएगी। वृद्धि की यह दर एक लम्बे समय तक बनाए रखनी पड़ेगी। अन्य देशों की तुलना में भारत में विजली की खपत बहुत कम है। जापान में प्रति व्यक्ति खपत सन् 1947 में 455 किलोवाट-घंटे थी, जो सन् 1958 में बढ़ कर 930 हो गई। इसी अवधि में इटली में विजली की खपत की मात्रा 454 से बढ़ कर 928 किलोवाट-घंटे हो गई।

जल-शक्ति - जल-शक्ति की क्षमता का अनुमान 4 करोड़ 10 लाख किलोवाट माना गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है

तालिका-संख्या 8
जल-शक्ति की क्षमता

(लाख किलोवाट)

पश्चिम की घाट - बहनेवाली दक्षिण-भारत की नदियाँ	43 ८
पूर्व की घाट - बहनेवाली दक्षिण-भारत की नदियाँ	86. 7
मध्य-भारत की नदियाँ	42 9
उत्तर-भारत की नदियाँ	46 3

तालिका-संख्या 8—जारी

सिन्धु-घाटी की नदिया	65	8
ब्रह्मपुत्र और अन्य	124	9
योग	411	7

कट्टर वाघ, जलाशय-क्षेत्र, बहाव की विशेषताएँ, स्थानीय निर्माण-सामग्रियों की उपलब्धता, आदि को ध्यान में रख कर प्रत्येक परियोजना-स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। तभी इस क्षमता का पूरा अनुमान लग सकेगा और उपयोग किया जा सकेगा। तीसरी योजना में 64 विशिष्ट परियोजनाओं के स्थल के बारे में जाच-पड़ताल की व्यवस्था है।

न्यूक्लियर शक्ति : एक आत्मनिर्भर परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम के लिए ईंधन-सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति एक आवश्यक शर्त है। अनेक दशकों से यह बात ज्ञात है कि केरल और मद्रास के समुद्र-तट की मोनाजाइट रेत में छिपा हुआ थोरियम का भांडार विश्व के सबसे बड़े भांडारों में से एक है। 9 प्रतिशत से अधिक घनत्ववाले इस थोरियम की कुल मात्रा का अनुमान 2 लाख टन है। परमाणविक खनिज-विभाग के काम के परिणामस्वरूप दूसरी योजना की अवधि में बिहार में मोनाजाइट का इससे भी बड़ा क्षेत्र प्रकाश में आया है, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक घनत्ववाला लगभग 3 लाख टन थोरियम मौजूद है। इस प्रकार, भारत के पास थोरियम का सबसे बड़ा भांडार है। यह भांडार विश्व के कुल यूरेनियम-भांडार के बराबर है। देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के भी भांडार मिलने का पता चला है। खुदाई, आदि के जरिए अभी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में हजारी टन यूरेनियम का भांडार निश्चित रूप से प्रकाश में आ गया है और एक ऐसी खान में काम आरम्भ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जहाँ प्रति दिन 1,000 टन खनिज यूरेनियम का उत्पादन हो सकेगा। शक्ति की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में न्यूक्लियर शक्ति-सयन्त्रों का योग क्रमशः बढ़ने की सम्भावना है।

36 शक्ति के अपरम्परागत स्रोत : सौर-विकिरण, वायु-नाति, तरंग-शक्ति, समुद्री और पृथ्वी की गर्मी, आदि से शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न विश्व के अनेक देशों में हो रहे हैं। अभी तक अनेक उपकरण खोजे और बनाए जा चुके हैं, जिनमें से सौर-शक्ति से मकान गर्म रखने, बँटोरिया चलाने और वायु-शक्ति से बिजली-उत्पादन-यन्त्र चलाने के प्रयोग विशेष सफल रहे हैं। कुछ देशों में तरंगों की गति का भी उपयोग किया गया है।

भारत में सूर्य-चूल्हा, सूर्य-शक्ति से भाप बनानेवाला उपकरण और प्रोटोटाइप पवनचक्की के विकास पर काफी काम हो चुका है। सूर्य, वायु या तरंगों पर कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययिता से नियन्त्रण करने के लिए हर उपकरण के विकास पर वर्षों के परीक्षण और अनुसन्धान की आवश्यकता पड़ती है। अपरम्परागत शक्ति-स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए अनुसन्धान-योजनाओं को बढ़ाया जाना चाहिए।

(8)

समुद्री साधन

37 भारत का 3,530 मील लम्बा समुद्र-तट है, उसके पार 10 हजार वर्गमील का विशाल महासागर है तथा तट के साथ सलगन खाड़ियाँ हैं। इससे समुद्री साधनों—

समुद्री घास, मछली, अन्य भोज्य व तेलप्रदाता जीव-जन्तु तथा खनिज पदार्थों—की प्रचुरता पर प्रकाश पड़ता है। समुद्र जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों का भी एक बड़ा माडार है और वहाँ कलम लगाने का परिणाम बनो और घास के मैदानों से अधिक तेंद्री से प्रकट होता है। समुद्री मछली के महत्व पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। समुद्री घास (काई) एक अच्छा खाद्य-स्रोत है, जिसकी श्रौर भारत में अभी ध्यान-नहीं दिया गया है। समुद्री काई से ही एगर-एगर, एल्लिगेनेट, म्यूसिलेज, गोद और आयोडिन प्राप्त होता है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल मुरब्बे, मीठी चटनी, आदि बनाने में किया जा सकता है। अन्य देशों में समुद्री काई को पशुओं के चारे में मिला देने से बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि उसमें वे तत्व काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं, जिनकी सामान्यतः पशुओं के चारे में कमी होती है। इसी प्रकार, समुद्री काई और गोबर के मिश्रण से बनी खाद केवल गोबर की खाद से कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। केन्द्रीय समुद्री मछली-अनुसन्धान-केन्द्र, मद्रास के एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि समुद्री काई का व्यवस्थित उपयोग लाभदायक है। भारत के समुद्री तट पर पाई जानेवाली इस काई की उपलब्धि और उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुमुखी सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

38 समुद्र से खनिज पदार्थों की प्राप्ति की बहुत सम्भावना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खाने का नमक है। सन् 1958 में समुद्री नमक का उत्पादन 42 लाख टन था, जिसकी कीमत प्रायः 8 करोड़ 50 लाख रु० है। अभी इस नमक का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। यह मैगनेशियम-क्लोराइड, पोटेशियम-क्लोराइड और ब्रोमाइन का स्रोत है। इसके 10 लाख टन की सम्भावना के मुकाबले फिलहाल केवल 8,000 टन मैगनेशियम-नमक निकाला जाता है। इसी प्रकार, पोटेशियम-क्लोराइड भी कुछ ही टन ही निकाला जाता है, जब कि मिल 90,000 टन सकता है। ब्रोमाइन भी केवल 25-30 टन प्राप्त होता है, जब कि कई हज़ार टन पैदा किया जा सकता है। समुद्र ही सोडियम, पोटेशियम, मैगनेशियम, ब्रोमाइन और क्लोरीन का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। यहाँ समुद्र-तल से मैगनीज, कोबाल्ट, निकेल, ताम्बा और थोरियम प्राप्त करने की सम्भावना हाल ही में सामने आई है। समुद्र-तल के खनिज साधनों का अनुमान लगाने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(9)

सर्वेक्षण और कार्यक्रम

39 भारतीय सर्वेक्षण-संस्था, वनस्पति-सर्वेक्षण-संस्थान और प्राणि-सर्वेक्षण-संस्था को पहली दो योजनाओं में काफी सशक्त बना दिया गया था। इन संस्थाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में काफी काम भी किया है। भारतीय सर्वेक्षण-संस्था ने बहुदेशीय नदी-बाँटी-नदियों-योजनाओं, तेल-शोधनालयों, कोयला-क्षेत्रों तथा राजस्थान में सीसे के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण संस्था ने देश के पीछ-साधनों की खोज धारि का काम नमाल रखा है। प्राणि-सर्वेक्षण-संस्था पशुओं, मछलियों, पक्षियों, कीट-पतंगों, आदि के बारे में वैज्ञानिक जानकारी के स्रग्रह में जुटी हुई है। इनकी खोज जन-स्वास्थ्य, कृषि और वन-उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

40 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने अनेक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए हैं। इनमें से वायु, गति, आयातित के स्थान पर प्रयोग

के लिए साल की सामग्रियों की खोज, सड़क बनाने के काम धानेवाली सामग्रियों, शीपधियों के पौधों, शीशे और चीनी मिट्टी के लिए कच्ची सामग्रियों, रिफ़ैक्टरियों, कागज और लुगदी तथा लाख पदार्थों एवं खेती में बेकार चली जानेवाली सामग्रियों तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण उल्लेखनीय हैं ।

41 पिछले कुछ वर्षों में प्रादेशिक स्तर पर अनेक सर्वेक्षण किए गए हैं और इस समय भी चल रहे हैं । योजना-आयोग के तत्वावधान में भारतीय अक-सकलन-संस्थान ने मैसूर का मार्गदर्शक प्रादेशिक सर्वेक्षण किया तथा केरल-राज्य का कुछ कम विस्तृत सर्वेक्षण किया है । दामोदर-क्षेत्र का एक निदानात्मक सर्वेक्षण खडगपुर-स्थित इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी और कलकत्ता एव पटना-विश्वविद्यालय मिलजुल कर कर रहे हैं । दामोदर-घाटी-क्षेत्र के लिए आयोजन करने और उसके विकास के लिए यह सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है । राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थशास्त्र-अनुसन्धान-परिषद् ने सम्बद्ध राज्य-सरकारों की प्रेरणा से आन्ध्रप्रदेश, असम, विहार, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान तथा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर केन्द्रशासित प्रदेशों—हिमाचलप्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा—का प्रायोगिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया है । इन सर्वेक्षणों से प्राप्त मूल्यवान जानकारी का उपयोग वाद के अध्ययनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा । इनसे विकास की सम्भावनाओं का भी संकेत मिलता है, जिन पर विस्तृत विचार और अध्ययन आवश्यक मानलूम पड़ता है । दिल्ली के शहरी क्षेत्र में अभी हाल ही में हुए सर्वेक्षण का महत्व केवल दिल्ली के विकास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अन्य शहरों के हितार्थ होने-वाले अग्रिम प्रयत्नों के ख्याल से भी बहुत महत्वपूर्ण है । कलकत्ता में भी एक ऐसा ही सर्वेक्षण करने का इरादा है ।

42 प्राकृतिक साधनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और एक छोटे अध्याय की सीमाओं में रह कर इस विषय की कुछ मोटी-मोटी बातों की चर्चा से अधिक और कुछ सम्भव नहीं । पिछले दस वर्षों में देश के प्राकृतिक साधनों के बारे में काफी नई जानकारी उपलब्ध हुई है । साधनों का सर्वेक्षण करनेवाले प्रमुख संस्थान अब कार्यकर्ताओं तथा विशेषज्ञों से पूरी तरह सज्जित हैं, जिससे अब वे पिछले की तुलना में अधिक तेजी से काम कर सकते हैं । राज्य-सरकारों भी अपने-अपने साधनों के विस्तार और विकास के कार्य में स्वयं ही पूरी तरह व्यस्त हैं । साधन-सम्बन्धी अध्ययनों में उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्टों की बड़ी सख्या जुटी हुई है । सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों के संरक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकता का महत्व समझा जा रहा है । परन्तु इस दिशा में अभी बहुत-कुछ करना शेष है । राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसन्धान-संस्थाओं में साधनों की खोज और उनके उपयोग-सम्बन्धी मूल्यवान वैज्ञानिक अनुसन्धान हो रहे हैं । औद्योगिक परिवर्तन देश के आर्थिक जीवन को बदलते जा रहे हैं । आर्थिक विकास के साथ-साथ टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी उन्नति भी अधिकाधिक होती जाएगी और नई-नई सम्भावनाएँ पैदा होती रहेंगी । 15 और उससे भी अधिक वर्षों में फैले हुए दीर्घकालीन आर्थिक विकास-कार्यक्रम का निर्माण देश के साधनों के बढ़ते हुए ज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के परिणामों के बीच कड़ी का काम कर सकता है । इनमें कमियाँ भी नामने आ सकेंगी और अध्ययन के लिए नए-नए विषय भी मिल सकेंगे । भावी कार्य-कार्णिक कठिन हैं और इसके लिए योजना-आयोग, केन्द्रीय सरकार की विभिन्न अनुसन्धान-संस्थाओं,

राज्यों के विभागों, वैज्ञानिक एवं आर्थिक अनुसन्धान करनेवाली प्रमुख संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के निरन्तर सहयोग की आवश्यकता है। भारत के प्राकृतिक साधनों के विकास की गुंजायश बहुत अधिक है। व्यवस्थित अध्ययन, इन साधनों की खोज तथा इनके मूल्यांकन एवं उपयोग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ वर्तमान आशा से कहीं अधिक बढ़ सकती हैं।

सहकारिता

सहकारिता और योजनावद्ध विकास

एक योजनावद्ध अर्थव्यवस्था में, जो समाजवाद और प्रजातन्त्र के प्रति कृतसकल्प है, आर्थिक जीवन की विभिन्न शाखाओं—विशेषतः कृषि और छोटी सिंचाई, लघु उद्योग और विधायन, हाट-व्यवस्था, वितरण, आपूर्ति, ग्रामीणों का विजलीकरण, आवास, और निर्माण-कार्य तथा स्थानीय जन-समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था—में सहकारिता को, क्रमशः संगठन का मुख्य आधार बनना चाहिए। यहाँ तक कि मझोले एवं बड़े उद्योगों तथा परिवहन में भी अनेक कार्रवाइयाँ सहकारिता के आधार पर की जा सकती हैं। समाजवादी ढंग के समाज का तकाजा है कि कृषि, उद्योग और सेवाओं में बड़ी संख्या में विकेंद्रित इकाइयों का निर्माण हो। सहकारिता में गरीब लोगों की स्वतन्त्रता तथा श्रमरों को व्यापक स्तर के प्रबन्ध और संगठन के लाभों एवं समाज की सद्भावना और महयोग के साथ जोड़ने की सामर्थ्य है। इस प्रकार एक द्रुत गति से विकासशील सहकारी क्षेत्र, जिसमें किसान, श्रमिक और उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया हो, सामाजिक स्थिरता, नियोजन के अवसरों के विस्तार और तेज आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र और सम्पूर्ण समाज के प्रति दायित्व निभाने-वाले निजी क्षेत्र के विकास के साथ ही सहकारिता का प्रभाव सहकारी आधार पर संगठित कुछ विशिष्ट गतिविधियों से कहीं आगे बढ़ता है तथा सामाजिक ढाँचे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सन्तुलन, निदेशन और मूल्य-ज्ञान प्रदान करता है।

2 भारत के सामाजिक और आर्थिक ढाँचे के पुनर्निर्माण में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढंग का परिवर्तन लाने का सहकारिता एक मुख्य साधन है। जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, एक ऐसे देश में, जिसके आर्थिक ढाँचे की नींव गाँवों में है, सहकारिता सहकारी आधार पर संगठित कुछ गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बुनियादी तौर पर इसका उद्देश्य सहकारी समुदाय-संगठन की एक ऐसी योजना तैयार करना है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बद्ध हो। विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादकता के स्तर को ऊँचा उठाने, टेक्नोलॉजी में सुधार करने और नियोजन के अवसर बढ़ाने के लिए, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी हों, सहकारिता मुख्य साधन है।

3 ग्राम-स्तर पर, सहकारिता का अभिप्राय यह है कि सारे गाँव के सामान्य हित में भूमि एवं अन्य साधनों तथा सामाजिक सेवाओं का विकास हो और ग्राम-समाज के प्रत्येक सदस्य में एक-दूसरे के प्रति दायित्व की भावना का विकास किया जाए। इसलिए इस बात की परिकल्पना की गई है कि व्यापक सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक अंग के रूप में नीति का उदार लक्ष्य यह होना चाहिए कि कृषि तथा अन्य अनेक आर्थिक

और सामाजिक गतिविधियों में, जिनका ग्रामीण जनता के कल्याण से गहरा सम्बन्ध है, सगठन की प्राथमिक इकाई के रूप में गाव को विकसित किया जाए। इसके साथ ही कारीगर और अन्य लोग अपने समाज के हितों के अनुरूप ऐसे सहकारी सगठनों के सदस्य बन सकेंगे, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हों। भूमि-सुधार तथा ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम, पचायती का विकास और सामुदायिक विकास में समाज के दायित्वों और कर्तव्यों पर बल, आदि बातें इसी दिशा की ओर संकेत करती हैं। ग्रामों चल कर जब ऊँचि-आधार सुदृढ़ हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पेशे-सम्बन्धों ढांचे में विविधता लाने के प्रयत्न अधिक सघन हो जाएंगे, तब एक बड़े क्षेत्र के लिए बहुत अधिक सख्या में सहकारी गतिविधियों के सगठन की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार जब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो जाएगी तथा ग्राम समुदाय वल्लता और उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेगा, तब सहकारिता को बड़ी और अधिक जटिल भागों की पूर्ति करनी पड़ेगी। सहकारी सगठनों के विभिन्न रूप नई आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुरूप बढ़ते ही रहेंगे।

4 गत वर्ष सहकारिता-सम्बन्धी नीतियों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया गया। सहकारी ऋण-समितियों और सहकारी कृषि-समितियों की सगठन-पद्धति से सम्बद्ध निर्णय तीसरी योजना के कार्यक्रमों का आधार है। तीसरी योजना में सहकारी ऋण और आपूर्ति, हाट-व्यवस्था और विधायन, उपभोक्ता, औद्योगिक और अन्य सहकारी समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। ये गतिविधियाँ विभिन्न दिशाएँ हैं और इनमें से प्रत्येक अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर भी, ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ों हुए सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयत्नों के अविभाज्य अंग हैं।

5 सहकारिता के विकास के लिए तीसरी योजना में 80 करोड़ रु० खर्च गए हैं, जब कि दूसरी योजना में यह राशि 34 करोड़ रु० की थी।

सहकारी ऋण

6 राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने नवम्बर 1958 में सहकारिता-नीति-विषयक एक प्रस्ताव में यह स्वीकार किया कि सहकारी समितियों का गठन ग्राम-समुदाय को प्राथमिक इकाई मान कर किया जाए तथा ग्राम-स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास की पहल और जिम्मेदारी पूर्णतः ग्राम-सहकारी समितियों और ग्राम-पचायतों को होनी चाहिए। सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों को, जिनका लक्ष्य जनता के ही प्रयत्नों से ग्रामीण जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार करना है, पूरा करने के लिए सहकारी समितियों और पचायतों को प्राथमिक अभिकरण समझा जाना चाहिए। ग्रामीण कृषि-योजना को सहकारी विकास-कार्यक्रम की बुनियाद समझना चाहिए तथा उसे उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

7 चूंकि ये निर्णय किए जा चुके थे, सहकारी ऋण-समिति ने तीसरी योजना की विद्यास आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में सहकारी ऋण के विकास से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार किया। सितम्बर 1960 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने इस समिति को रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह स्वीकार किया कि सामान्यतः

ग्राम-समुदाय को प्राथमिक इकाई मान कर सहकारी समितियों का गठन किया जाना चाहिए, परन्तु जहाँ गाव बहुत छोटे हों, वहाँ एक सहकारी समिति-द्वारा सेवित गावों की सख्या सुदृढता की दृष्टि से बढ़ाई जा सकती है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि कम से-कम गाव किसी सहकारी समिति में हों, ताकि वह सुदृढ हो सके और सहकारिता के मूल तत्व—यथा, स्वैच्छिक आचार, निकट सम्पर्क, सामाजिक एकता और परस्पर-दायित्व की भावना—उसमें प्रबल बन सकें। फिर भी गावों की सख्या का विस्तार एक निश्चित सीमा के अन्दर ही होना चाहिए—जैसे, इनकी जनसख्या 3,000 (यानी 600 परिवार या 500 कृषक-परिवार) तक हो और मुख्यालयवाले गाव से इनकी दूरी 3 या 4 मील से अधिक हो।

सहकारी समितियों की सुदृढता अथवा टिकाऊपन की एक सामान्य कसौटी यह है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद सरकारी वित्तीय सहायता के बिना ही अपने आवश्यक खर्चों को पूरा कर लेती हैं या नहीं। फिर, सुदृढता का आकलन कुछ आवश्यक शर्तों की पूर्ति-सम्बन्धी कार्यक्रम के आधार पर होना चाहिए। इनमें से कुछ कार्यक्रम ये हैं—गाव के सभी परिवारों को सहकारिता की परिधि में लाना, गाव की कृषि-उत्पादन-योजना को प्रभावशाली ढंग से पूरा करना, ऋण को उत्पादन और हाट-व्यवस्था के साथ सम्बद्ध करना, ऋणों के उपयोग का निरीक्षण करना, वितरण और आपूर्ति के कार्यों को हाथ में लेना और स्थानीय बचत को अधिक-से-अधिक हिस्सा-पूजी खरीदने और डिपॉजिट में लगाना। सामान्य रूप से प्राथमिक ग्राम-समिति के लिए 3,000 की जनसख्या बहुत अधिक हो सकती है, अतः यह वाछनीय समझा गया कि सगठन और सहकारी समितियों के आकार के सम्बन्ध में अनुचित रूप से कोई कठोर नियम निश्चित न किए जाए। इस व्यापक ढांचे में सहकारी समितियों को अपना विकास स्वतः करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस बात का विशेष आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वर्तमान समितियों में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कि उनका सगठन अब निश्चित किए गए स्वरूप से-पूर्णतः मेल नहीं खाता। लक्ष्य यह होना चाहिए कि इन्हें भी क्रमशः नई व्यवस्था में खपा लिया जाए।

8 सगठन का जो स्वरूप ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उसे उचित शर्तों के आधार पर सरकारी या साक्षीदारी के द्वारा भी समर्थन मिलना चाहिए। प्राथमिक-समिति की हिस्सा-पूजी सरकार तभी खरीद सकती है, जब उसके 60 प्रतिशत सदस्य इस बात की इच्छा प्रकट करें, तथा इस प्रस्ताव को सम्बद्ध केन्द्रीय बैंक का भी समर्थन प्राप्त हो। इसमें सरकार के योगदान के बराबर ही समिति के सदस्यों का भी योगदान होना चाहिए। सरकार का अधिकतम योगदान सामान्यतः 5,000-रु० और विशेष अवस्थाओं में 10,000 रु० तक हो सकता है। सरकार द्वारा दी जानेवाली राशि 5 से 8 वर्ष तक रखी जा सकती है तथा उसके बाद वापस ली जा सकती है। सामान्यतः प्राथमिक समितियों में सरकारी योगदान परोक्ष ढंग का, अर्थात् दीर्घस्य अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंको के जरिए होना चाहिए। जहाँ किसी विशेष कारणवश हिस्सा-पूजी में सरकारी योगदान प्रत्यक्ष ढंग का हो, वहाँ प्राथमिक समितियों की व्यवस्था-समितियों के निदेशकों की नामजदगी से बचा जाना चाहिए। अगर इस तरह की नामजदगी आवश्यक समझी जाए, तो निदेशकों को नामजद करने का अधिकार केन्द्रीय सहकारी बैंको को दे दिया जाना चाहिए।

सहकारी समितिया सभी वर्ग के किसानों को—नामाली धीरे-धीरे नाममात्र के किसानों तथा भूमिहीन किसानों को भी—अपना मध्य बनाने में लगने हैं। अर्थात्, इसके लिए और उनके उत्पादन की आवश्यकता तथा उनके जीवन की क्षमता के आधार पर पर्याप्त ऋण देने के लिए यह भी मान लिया गया कि राज्य-नरहारे प्रत्येक समिति को वित्त वर्ष में दिए गए ऋणों के बाद वित्त वर्ष में अतिरिक्त दिए गए ऋणों का 3 प्रतिशत मोटादा सकती है। केंद्रीय महकारी बैंक को उनके द्वारा दी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए बढ़ा-आते के कोश में 1 प्रतिशत का मोटादा योगदान दिया जा सकता है। इन वृद्धि-वाले जिलों में, जहां उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा बनाने पर ऋण दिया जाता है, मोटादा अनुदान का स्तर कुछ ऊंचा है—प्राथमिक समिति के लिए 3 प्रतिशत और केंद्रीय बैंक के लिए 2 प्रतिशत। इन मोटादे अनुदानों को उन्नीसों पर जारी रखा जाना उचित है कि ममात्र के निर्बन्धन बंधों, जो अब तो पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में अन्वय था, अब आवश्यक महायता मिल सके। प्राथमिक समितियों को—केंद्रीय बैंक-द्वारा प्राप्त किए गए इन मोटादे अनुदानों को विशेष बढ़ा-आना-कोश में जमा कर देना चाहिए। लाभ में निर्मित सामान्य बढ़ा-आना-कोश से यह कोश भ्रमण होगा। यह आशा की गई है कि उचित समय पर पूरी आवश्यकताओं ने यह अनुमान लगाया जाएगा कि वित्त योजना तब प्रत्यक्ष अनुदानों से ऋण-मुविधाओं के विस्तार में महायता निर्मा है।

9 हिस्सा-मूजी में नरकारी साजेदारी तथा विशेष बढ़ा-आना-कोश में तीव्र अनुदान के अतिरिक्त, नई सेवा-सहकारी समितियों और उन विद्यमान महकारी समितियों को, जो भगवन और पुन शक्ति-वचन, नदम्पता में वृद्धि, हिस्सा-मूजी, हाट-व्यवस्था को ऋण से सम्बद्ध करना, आदि स्वीकृत कार्यक्रमों को हाथ में लेती हैं, प्रबन्ध-अनुदान के रूप में 3 से 5 वर्ष तक की अवधि में अधिक-से-अधिक 900 रु० दिए जाते हैं। प्रबन्ध-अनुदान केवल उन्नीस समितियों को देने के लिए है, जो वस्तुतः विभिन्न सेवा-कार्य—मुख्यतः ऋण का वितरण, उत्पादन की आवश्यकताओं को आपूर्ति और वृद्धि-उत्पादन के लिए हाट-व्यवस्था—को अपने हाथ में लेती हैं।

10 प्रथम दो योजनाओं की अवधि में प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों की संख्या 1,05,000 से बढ़ कर 2,10,000 तथा उनके सदस्यों की संख्या 44 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख हो गई। इसी अवधि में प्राथमिक कृषि-समितियों-द्वारा दिए गए कुल ऋणों की राशि 23 करोड़ रु० से बढ़कर 200 करोड़ रु० हो गई। जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है, पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना की अवधि में इस दिशा में कहीं अधिक प्रगति हुई।

तालिका-संख्या 1

प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों की प्रगति : पहली और दूसरी योजना

अवधि	समितियों की संख्या	सदस्य-संख्या (लाख)	अल्प और मध्यम-कालीन ऋण की राशि (करोड़ रु०)
पहली योजना			
1950-51	1,04,998	44	22 9
1955-56	1,59,939	78	49 6

तालिका-संख्या 1—जारी

अवधि	समितियों की संख्या	सदस्य-संख्या (लाख)	(अल्प और मध्यम-कालीन ऋण की राशि (करोड़ ₹०))
दूसरी योजना			
1956-57	1,61,510	91	67 3
1957-58	1,66,543	102	96 1
1958-59	1,82,905	119	125 5
1959-60	2,03,172	144	169 1
1960-61 (अनुमान)	2,10,000	170	200

दूसरी योजना की अवधि में, जहाँ तक दीर्घकालीन उधार का सम्बन्ध है, अवशिष्ट ऋणों की राशि 13 करोड़ ₹० से बढ़ कर लगभग 34 करोड़ ₹० हो गई।

11 तीसरी योजना में सहकारी ऋण के विस्तार-कार्यक्रमों को तैयार करते समय यह बात मुख्यतः ध्यान में रखी गई कि योजना में निर्धारित विशाल कृषि-सदस्यों की पूर्ति के लिए होनेवाले, प्रयत्नों को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। योजना में यह आशा की गई है कि प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या बढ़ कर 3 करोड़ 70 लाख हो जाएगी और उनकी परिधि में लगभग 60 प्रतिशत कृषक जनता आ जाएगी। आशा की जाती है कि इन समितियों की संख्या बढ़ कर 2,30,000 हो जाएगी तथा देश के प्रत्येक गांव को इनकी सेवा प्राप्त होने लगेगी। अनुमान है कि अल्प और मध्यम-कालीन ऋणों की कुल राशि बढ़ कर 530 करोड़ ₹० तथा दीर्घकालीन (अवशिष्ट) ऋणों की राशि लगभग 150 करोड़ ₹० हो जाएगी। अनुबन्ध के विवरण 1 और 2 में अल्प और मध्यकालीन ऋणों की वर्तमान स्थिति तथा दूसरी और तीसरी योजना के अन्त में विभिन्न राज्यों में दीर्घकालीन ऋणों की स्थिति स्पष्ट की गई है।

12 तीसरी योजना के कृषि-कार्यक्रम सहकारिता-आन्दोलन को सशक्त बनाने की योजनाओं की सफलता पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। पहली योजना के अन्त में जो 1,60,000 प्राथमिक समितियाँ थी, उनमें से अधिकांश या तो निष्क्रिय थी या अत्यधिक बुरी हालत में थी। दूसरी योजना की अवधि में 42,000 समितियों में पुनः जीवन फूकने का कार्य हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के कार्यक्रम में 52,000 प्राथमिक समितियों को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था है। पुरानी समितियों को, जो अत्यधिक असन्तोषजनक ढंग से काम कर रही थी, पुनर्जीवित करना तथा सहकारिता-आन्दोलन का विस्तार मुख्यतः इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राथमिक ऋण-समितियाँ किन सीमा तक अपनी सदस्य-संख्या बढ़ाने, स्थानीय वचत को गतिशील बनाने, प्रबन्ध को सुधारने और ऋण को हाट-ब्यवस्था तथा उत्पादन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त करती हैं। प्राथमिक और उच्चतर स्तरों पर ऋण-संगठनों के आन्तरिक स्रोतों को सुदृढ़ बनाने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक है। उन राज्यों में, जहाँ सहकारिता-आन्दोलन निर्बलावस्था में है, तीसरी योजना के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए प्रथम कदम के रूप में सहकारिता को सगठित एवं पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है।

13 योजना में आशा की गई है कि विभिन्न स्तरों पर सहकारिता-आन्दोलन के आन्तरिक साधनों में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। इस प्रकार, प्राथमिक सहकारी समितियों की हिस्सा-पूजी (सरकारी हिस्से से अलग) सन् 1959-60 के 42 करोड़

₹० से बढ़ कर सन् 1965-66 में 85 करोड़ ₹०, केन्द्रीय सहकारी बैंको की हिस्सा-पूजी 23 करोड़ ₹० से बढ़ कर 62 करोड़ ₹० और शीर्षस्थ बैंको की हिस्सा-पूजी 9 करोड़ ₹० से बढ़ कर लगभग 33 करोड़ ₹० हो जायेगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि सन् 1959-60 और 1965-66 के बीच प्राथमिक सहकारी समितियों की जमा-राशि लगभग 12 करोड़ ₹० से बढ़ कर लगभग 42 करोड़ ₹०, केन्द्रीय बैंको की जमा-राशि लगभग 95 करोड़ ₹० से बढ़ कर लगभग 212 करोड़ ₹० और शीर्षस्थ बैंको की जमा-राशि 60 करोड़ ₹० से बढ़ कर 142 करोड़ ₹० हो जायेगी।

14 उत्पादन की वर्तमान आवश्यकताएँ सेवा-सहकारी समितियों-द्वारा दिए गए अल्प और मध्यमकालीन ऋणों में पूरी होती हैं। भूमि की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण भी उतने ही आवश्यक हैं। ये आवश्यकताएँ मुख्यतः सहकारी भूमि-बन्धक बैंको-द्वारा मूरी की जानी चाहिए। दूसरी योजना के अन्त में लगभग सभी राज्यों में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक या शीर्षस्थ सहकारी बैंको से सम्बद्ध विशेष भूमि-बन्धक बैंकिंग-विभाग स्थापित हो गए थे। सन् 1959-60 में 407 प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक थे। तीसरी योजना में 265 नए प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक खोलने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक सीधे या अपने से सम्बद्ध प्राथमिक बैंको-द्वारा जो ऋण देते हैं, उनके कोश का मुख्य स्रोत ऋणपत्र (डिबेंचर) है। दीर्घकालीन ऋण (अवशिष्ट ऋण) के 150 करोड़ ₹० के लक्ष्य की पूर्ति बहुत-कुछ भूमि-बन्धक बैंको को पूजी-विनियोग करनेवाली संस्थाओं-द्वारा मिलनेवाले समर्थन पर निर्भर करती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और जीवन-बीमा-निगम-जैसी सरकारी संस्थाओं से ही सर्वाधिक सहायता प्राप्त होगी।

15 दीर्घकालीन ऋणों के लिए उपलब्ध साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर कृषि-विकास-वित्त-निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रहा है। यह निगम केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको-द्वारा सामान्य अवस्था में जारी किए गए ऋणपत्र खरीदेगा और कृषि-उत्पादन बढ़ानेवाली उन योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करेगा, जो फलदायक ढंग की तो हैं, पर जिनमें काफी पूजी लगाने की जरूरत है या जिनकी फल-प्राप्ति में बहुत समय लगनेवाला है—जैसे, रबड़, कहवा, काजू और सुपारी के बागान, सिचाई, कट्टर वाघ और भूमि-मरक्षण, तथा फलों के बाग और उद्यान लगाना एवं उनका विकास करना। निगम-द्वारा दिए गए ऋण केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको के माध्यम में प्राप्त होंगे।

16 रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने प्रथम दो योजनाओं की अवधि में सहकारिता-आन्दोलन को सुगम बनाने में वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, सहकारी समितियों में हिस्सा-पूजी लगाने के लिए राज्य-सरकारों को ऋण-दान और सहकारी बैंको के लिए उधार की व्यवस्था-द्वारा एक निर्णायक भूमिका अदा की है। इसकी अवशिष्ट ऋण-राशि सन् 1955-56 के 14 करोड़ ₹० से बढ़ कर सन् 1959-60 में लगभग 85 करोड़ ₹० हो गई। अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील आवश्यकताओं और तीसरी योजना के कृषि-विकासक सध्यों तथा उधार-सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक में पहने की अपेक्षा कहीं बड़ी भूमिका अदा करने के लिए कहा जाएगा।

बैंक को अनिवार्यतः उधार लेनेवाली सस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से अग्रिम धन देना होगा, इसके साथ ही, उस उधार राशि के उपयोग के निरीक्षण एवं अतीत में ऋणों की अदायगी से सम्बद्ध बातों पर भी ध्यान देना होगा। रिज़र्व बैंक को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि प्रत्येक राज्य का सहकारिता का ढांचा किस सीमा तक जमा-पूजी को गतिशील बनाने और अपने साधन-स्रोतों के निर्माण में सफलता प्राप्त करता है। रिज़र्व बैंक सहकारिता-आन्दोलन के वित्तीय ढांचे के पुनर्गठन के लिए उन राज्यों की सरकारों को सहायता देने का विशेष प्रयत्न कर रहा है, जहाँ प्रथम दो योजनाओं की अवधि में इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

17. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने भी सहकारिता-आन्दोलन को पर्याप्त सहायता प्रदान की है। सहकारी सस्थाओं की—विशेष रूप से उनकी, जो हाट-व्यवस्था और विधायन के कार्यों में लगी हैं—वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाते हुए स्टेट बैंक ने रुपये भेजने की निःशुल्क सुविधाएँ प्रदान की और आसान शर्तों पर ऋण दिए। इसने भूमि-बन्वक बैंकों के कार्यों को भी उनके द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋणपत्र खरीद कर और ऋणपत्रों के जारी होने तक की अल्पकालीन अवधि में अन्तरिम सहायता देकर प्रोत्साहित किया है। एक और हाट-व्यवस्था और विधायन-समितियों का काम बढ़ने तथा दूसरी ओर स्टेट बैंक और उसके सहायक कार्यालयों का विस्तृत जाल बिछ जाने के कारण जिन नीतियों और प्रक्रियाओं को जन्म दिया गया है, उनके चलते बैंक को इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि वह तीसरी योजना में और बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के लिए अपनी सहायता का विस्तार कर सके।

सहकारी हाट-व्यवस्था

18 ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सम्बद्ध ग्रामीण ऋण-योजना की जो सिफारिश की गई है, उसमें सहकारी हाट-व्यवस्था के विकास को विशेष महत्त्व का स्थान दिया गया है। प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों को मुख्य बाजारों या अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाना था, और इनके साथ प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ सम्बद्ध की जानी थीं। हाट-व्यवस्था-समितियों को कर्मचारियों के रूप में सहायता दी जानी थी और उनकी हिस्सा-पूजी में राज्य-सरकारों को भी हिस्सा लेना था। मुख्यतः इसी आधार पर दूसरी योजना की अवधि में 1,869 प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों को राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भांडारण-मंडल के द्वारा सहायता मिली। तीसरी योजना में प्रस्तावित 600 अतिरिक्त हाट-व्यवस्था-समितियों की स्थापना हो जाने के बाद देश की 2,500 मंडियों में से प्रत्येक में या उनके निकट एक हाट-व्यवस्था-समिति स्थापित हो जाएगी। इन हाट-व्यवस्था-समितियों के अतिरिक्त ग्रन्ना-आपूर्ति-समितियों का, जो बिहार और उत्तरप्रदेश में बड़ी संख्या में हैं, कपास ओटने और उनकी गाँठें धावने की समितियों का, जो गुजरात और महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, अनेक राज्यों में हाल में स्थापित दूध-आपूर्ति-संघों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

19 उत्पादक के लिए अनुकूल शर्तों पर कृषि-उत्पादनों को बेचने के अपने काम के अलावा हाट-व्यवस्था-समितियों से यह भी आशा की जाती है कि वे कृषि-उत्पादन के लिए

किसानों-द्वारा बाधित सामान के वितरण का भी काम करेंगी। ये कृषि-ऋण-अनुदानों और हाट-व्यवस्था के बीच सम्बन्ध-स्थापना के लिए भी आवश्यक हैं। हाट-व्यवस्था-समितियों की कार्यवाहियों के धारे में उपलब्ध आकड़े अनेक दृष्टि में अपूर्ण हैं। फिर भी, अनुमान है कि इस समय हाट-व्यवस्था-समितियाँ कृषि-उत्पादन का जो व्यापार कर रही हैं, वह लगभग 200 करोड़ रु० का है। इस राशि के बढ कर 400 करोड़ रु० हो जाने की आशा की जाती है। खाद्यान्नों और व्यावसायिक फसलों के बचे हुए फालतू परिमाण के अधिकांश के व्यापार की व्यवस्था सहकारी समितियों-द्वारा किए जाने की चेंटा की जाएगी। निर्यात-व्यापार में भी सहकारी समितियों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हाट-व्यवस्था-समितियाँ सहकारी वित्त-अभिकरणों से और बहुत-कुछ स्टेट बैंक आफ इण्डिया से भी धन प्राप्त करती हैं। इनकी मुख्य समस्याएँ चालू लेन-देन के लिए पर्याप्त धन जुटाना, प्रवन्ध में सुचारु करना और अपने सदस्यों में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना है। मूल्यों को स्थिर करने की नीतियों से सहकारी हाट-व्यवस्था के विकास और उधार के विस्तार में बड़ी सुविधा हो जाएगी। राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भाडारण-मंडल के सुझाव पर पश्चिम-बंगाल में पटसन, राजस्थान में गेहूँ और आन्ध्रप्रदेश में धान की सहकारी हाट-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशिष्ट समस्याओं की जाच की जा रही है।

मडियों और गावों में गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम हाट-व्यवस्था के कार्यक्रम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरी योजना की अवधि में लगभग 1,670 गोदाम बनाए गए। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 980 अतिरिक्त गोदामों की स्थापना की आशा है। दूसरी योजना के अन्त तक 4,100 ग्रामीण गोदाम बनाए जा चुके थे। तीसरी योजना की अवधि में इनकी संख्या बढ कर 9,200 हो जाने की आशा की जाती है।

सहकारी विधायन

20 सहकारी विधायन का विकास न केवल ग्रामीण आय को बढ़ाने और उत्पादन के लिए ऋण-सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए, अपितु सहकारिता के आधार पर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। जहाँ सहकारी विधायन-इकाइयाँ सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी हैं, वहाँ वे अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। सहकारी विधायन एक अपेक्षाकृत नई शुरुआत है। तुलनात्मक दृष्टि से अन्य विधायन-उद्योगों की अपेक्षा चीनी और जपान को छोड़ने और उसकी गाँठें ढाबने के काम में अधिक प्रगति हुई है। सन् 1960-61 में कुल 41 में से 30 चीनी-सहकारी कारखाने उत्पादन में सलग्न थे। तीसरी योजना की अवधि में चीनी उद्योग की प्रगति के तथ्यों पर निर्भर करते हुए 25 नए सहकारी चीनी-कारखानों के स्थापित होने की आशा है। सहकारी चीनी-उद्योग के विकास में औद्योगिक वित्त-निगम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरी योजना में सहकारी चीनी-कारखानों को सहायता जारी रखने के अलावा, निगम अन्य क्षेत्रों में सहकारी विधायन के विकास को बढ़ावा देने में समर्थ हो सकेगा। हाल में इस दिशा में जो एक महत्वपूर्ण बात हुई है, वह है सहकारी चीनी-कारखानों के राष्ट्रीय सच को

स्थापना । इनका उद्देश्य वर्तमान कारखानों की कार्यक्षमता बढ़ाना और नई इकाइयों का उन्नति-साधन करना है ।

दूसरी योजना की अवधि में चीनी-कारखानों के अलावा 378 सहकारी विधायन-इकाइयों को सहायता दी गई । इनमें 84 कपास थोटने और उनकी गाठों बाधने की इकाइया, 109 चावल की मिलें, 20 तेल-मिलें, 17 पटसन की गाठों बाधने के सयन्त्र, 26 मूगफली का छिलका उतारने के सयन्त्र और 122 अन्य इकाइया सम्मिलित थी । तीसरी योजना के कार्यक्रम में 783 सहकारी विधायन-इकाइयों की स्थापना की व्यवस्था है । इनमें 48 कपास थोटने और उसकी गाठों बनाने के सयन्त्र, 36 चावल-मिलें, 29 पटसन की गाठों बाधने के सयन्त्र, 33 तेल-मिलें, 63 मूगफली के छिलके उतारने के सयन्त्र में सयन्त्र, 77 फलों को डिब्बों में बन्द करने की इकाइया, 411 धान कूटने की इकाइया तथा 86 अन्य इकाइया होगी ।

21 हाल के वर्षों में सहकारी चीनी-उद्योग ने जो द्रुत प्रगति की है, उससे अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी विधायन-इकाइयों के सगठन के बारे में द्विविध सुझाव सामने आया है । पहली बात यह कि कृषिगत कच्ची सामग्रियों के उत्पादन और अन्तिम उत्पादन के उपभोग में प्रत्याशित वृद्धि की दृष्टि में आवश्यक उद्योग की हर शाखा में नई इकाइयों की संख्या के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यक्रम बनाए जाए । इस योजना के अधीन, सहकारी क्षेत्र का किनना विस्तार अपेक्षित है, इसका निश्चय व्यापक ढंग से विचार के बाद किया जाना चाहिए । विशिष्ट प्रस्ताव के निर्माण को सुगम बनाने के लिए सयन्त्र के डिजाइन, पूंजी-विनियोग और निर्माण-व्यय के अनुमान तथा अन्य तकनीकी आकड़े आसानी से उपलब्ध होने चाहिए । साथ ही, सहकारी चीनी-कारखानों की तरह अन्य प्रकार की विधायन-इकाइयों के लिए वित्तीय व्यवस्था का संकेत दिया जाना चाहिए और उत्पादकों, राज्य-सरकारों तथा उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं के सम्भावित योगदान को पहले ही निश्चित रूप से बता दिया जाना चाहिए । निकट भविष्य में केन्द्र और राज्य-सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता-विक्रम और भाडारण-मंडल के परामर्श से इन आधारों पर व्यवस्था की जानी चाहिए । इस पृष्ठभूमि में स्थानीय आयोजन के एक पहलू के रूप में और प्रत्येक जिले में सहकारिता की दृष्टि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाने चाहिए । यदि आवश्यक परिस्थितिया प्रदान की जाए, तो सहकारी विधायन के विकास के लिए व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है । यह बात न केवल नई इकाइयों के बारे में लागू होती है, अपितु श्रमश ऐसी इकाइयों के सहकारिता के आधार पर पुनर्गठन के लिए भी लागू होती है, जो इस समय निजी स्वामित्व में चल रही हैं । यह दूसरा पहलू व्यापक दृष्टि से देखने पर काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष होता है, क्योंकि प्रथमतः सार्वजनिक नीति का यह लक्ष्य है कि विधायन-उद्योगों का पुनर्गठन निजी स्वामित्व के स्थान पर सहकारिता के आधार पर किया जाए और दूसरे, ऐसे अनेक उद्योगों में या तो क्षमता आवश्यकता से अधिक है या उनकी वर्तमान क्षमता को अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता । यह आवश्यक है कि विधायन-उद्योगों के विस्तार के प्रस्ताव सम्बद्ध ग्रामीणों के कार्यक्रमों में तालमेल रखनेवाले हों । विधायन और अन्य प्रयोजनों के लिए बड़े सहकारी उद्योगों के सगठन में अम्बिकों और कर्मचारियों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । उन्हें इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि जिस सहकारी उद्योग में वे काम करते हैं, उनकी व्यवस्था में हिस्सा ले सकें ।

सहकारी कृषि

22 पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाओं में ग्रामीण ग्रंथव्यवस्था के पुन-निर्माण में सहकारी कृषि को भूमिका पर बल दिया गया था। दूसरी योजना में इस बारे में निर्धारित लक्ष्य में कहा गया था कि ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जिनसे सहकारी कृषि के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार हो सके और लगभग 10 वर्षों में कृषि-भूमि के एक बड़े हिस्से में सहकारी आधार पर खेती शुरू हो जाए। जन-संख्या में वृद्धि और कृषि-उत्पादन तथा ग्रामीण रोजगार तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि सहकारी कृषि के विकास-सम्बन्धी प्रयत्नों को जोरदार बनाया जाए और जितनी जल्दी हो सके, दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। मुख्यतः सहकारी कृषि की उन्नति सामुदायिक विकास-आन्दोलन के सामान्य कृषि-सम्बन्धी प्रयत्नों की सफलता, ऋण, हाट-व्यवस्था, वितरण एवं विधायन में सहकारिता की प्रगति, ग्रामोद्योगों के विकास और-भूमि-सुधार के लक्ष्यों की पूर्ति पर निर्भर करती है। ग्रामीण प्रगति में सहकारी कृषि का योगदान उन्नी हद तक महत्वपूर्ण होगा, जिस हद तक यह वास्तविक स्थानीय नेतृत्व में एक स्वीच्छिक सामूहिक आन्दोलन का रूप धारण करेगी और ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता को तर्कसंगत परिणति सिद्ध होगी। सामुदायिक विकास की दृष्टि और ग्राम-समुदाय-द्वारा अपने प्रत्येक सदस्य के कल्याण की जिम्मेदारी स्वीकार किए जाने के बाद सहकारी कृषि को मुख्य समस्याएँ सगठनात्मक, तकनीकी और शिक्षा-सम्बन्धी हैं। आन्तरिक प्रबन्ध की समस्याओं पर, जो अनेक सहकारी कृषि-समितियों के सामने उपस्थित हैं, सिलसिले-वार ढंग से विचार करने और उनके विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक हल ढूँढने की आवश्यकता है।

23 सहकारी कृषि से सम्बद्ध कार्यकारी दल ने अनेक विद्यमान सहकारी कृषि-समितियों का सर्वेक्षण करने के उपरान्त इन समस्याओं पर सामान्य रूप से विचार किया है। इस दल ने सगठन और सहायता के स्वरूप के सम्बन्ध में तो अपनी सिफारिशें पेश की ही हैं, मार्गदर्शक परियोजनाओं की एक योजना का भी सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य सहकारी कृषि के द्रुत विस्तार का मार्ग प्रदास्त करना है। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए प्रस्तावों पर राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने सितम्बर 1960 में विचार किया। परिषद् ने सहकारी कृषि-समितियों के सगठन और उन्हें दी जानेवाली सहायता के बारे में कुछ व्यापक निर्देशक सिद्धान्त निश्चित किए।

सहकारी कृषि के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी कृषि-परामर्शदाता-मंडल की स्थापना की है। कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार के मंडल बनाए गए हैं। सहकारी कृषि से सम्बद्ध कार्य-कारी दल ने मार्गदर्शक परियोजनाओं के रूप में 3,200 सहकारी कृषि-समितियाँ—प्रत्येक जिले में भोटे तौर पर दस समितियाँ—स्थापित करने का सुझाव दिया था। सहकारी कृषि के विकास-कार्यक्रम के ये प्रथम चरण-स्वरूप हैं। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए हाल में ही 65 मार्गदर्शक जिलों का चुनाव किया गया है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मार्गदर्शक परियोजनाओं

के अतिरिक्त, राज्य-सरकारें उन सहकारी कृषि-समितियों को, जो स्वेच्छा से बनाई गई हैं, सहायता प्रदान करती रहेगी।

24 सहकारी कृषि के विकास के लिए सगठन का जो सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसमें इस सिद्धान्त पर बल दिया गया है कि सहकारी कृषि एक स्वैच्छिक आन्दोलन है और सहकारी कृषि-समिति का सदस्य बनने के लिए किसी किसान पर दबाव डालने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। सहकारी कृषि-समितियों की सदस्यता केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहनी चाहिए, जो खेत में काम करने या उससे सम्बद्ध कार्यों में भाग लेने को तैयार हों। सामान्यतः स्वयं कृषि-कार्य न करनेवाले भू-स्वामियों को इसका सदस्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, जो विकलांगता, सरकारी नौकरी, उध्र, स्त्री होने या एक से अधिक गावों में भूमि होने के कारण खेती के काम में भाग नहीं ले सकते, खेती के काम में हिस्सा न लेने पर भी सदस्य बनाया जा सकता है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या कुल सदस्य-संख्या के एक-चौथाई भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सहकारी खेतों के आकार के प्रश्न पर दो दृष्टियों से विचार किया जाना चाहिए। प्रथमतः, खेत का आकार इतना बड़ा हो कि उसमें काम करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो, और दूसरी बात, सहकारी कृषि को किस ढंग से विकसित किया जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तुत आधार पर गाव की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास हो। यद्यपि सहकारी खेतों के आकार के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, तथापि राज्य-सरकारें विशेष सरकारी सहायता के प्रयोजन से सदस्यता और क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम उपयुक्त शर्तें निर्दिष्ट कर सकती हैं।

सहकारी कृषि-समिति के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी भूमि कम-से-कम 5 वर्ष के लिए अन्य लोगों की भूमि के साथ सयुक्त रखेंगे। इस अवधि में विशेष परिस्थितियों में ही किसी को अपनी भूमि वापस लेने की अनुमति मिल सकती है। सहकारी कृषि-समितियों से यह आशा की जाती है कि वे सदस्यों को उनके द्वारा दी गई भूमि के लिए भी उचित मुनाफा प्रदान करेंगे—उनके काम के एवज में तो उन्हें मुनाफा मिलेगा ही। यद्यपि सहकारी कृषि के लिए खेतों की चकवन्दी आवश्यक नहीं मानी गई है, तथापि यह सुझाव रखा गया है कि सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए चकवन्दी की व्यवस्था का लाभ उठाया जाए। छोटे खेतों के मालिकों को सहकारी कृषि में शामिल होने के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

25 मार्गदर्शक परियोजनाओं तथा सहायता के लिए चुनी गई अन्य सहकारी कृषि-समितियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें 4,000 रु० तक के मध्यम और दीर्घकालीन ऋण, गोदाम और जानवरों के निवास के लिए ऋण और अनुदान के रूप में 5,000 रु० तथा 3 से 5 वर्ष की अवधि में 1,200 रु० के विस्तृत प्रबन्ध-अनुदान दिए जाएंगे। मार्गदर्शक परियोजनाओं में विशेषतः ऐसी सहकारी कृषि-समितियों में, जिनके अधिकांश सदस्य भूमिहीन श्रमिक और छोटे या नाममात्र के किसान हैं, हिस्सा-पूजी में सरकारी योगदान की व्यवस्था है। सरकारी योगदान की अधिकतम सीमा 2,000 रु० होगी। सरकारी योगदान की राशि निश्चित रूप से सदस्यों-द्वारा जमा की गई राशि से अधिक नहीं होगी। सरकारी रकम को 10 वर्षों की अवधि में वापस कर देना होगा। सामुदायिक विकाम-खण्डों तथा कृषि-कार्यक्रमों में उपलब्ध

होनेवाली वित्तीय सहायता के लिए सहकारी कृषि-समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सहकारी कृषि की मार्गदर्शक परियोजनाओं के लिए राज्यों की योजनाओं में रखी गई 6 करोड़ रु० की राशि के अतिरिक्त केन्द्र ने भी अन्य सहकारी कृषि-समितियों के विकास में सहायता देने के लिए 6 करोड़ रु० नियत कर दिए हैं। सहकारी कृषि के विकास के क्षेत्र में ज्यों-ज्यों प्रगति होगी, त्यों-त्यों इन प्रयत्नों का समर्थन करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त साधनों को जुटाने में कठिनाइयाँ कम होती जाएंगी। जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे मार्गदर्शक परियोजनाओं में तथा अन्यत्र जो व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होंगे, उनके आलोक में सहकारी कृषि के विकास के लिए और अधिक व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे।

उपभोक्ता-सहकारी समितियाँ

26 दूसरे विश्व-युद्ध की अवधि में और उसके बाद नियंत्रित वस्तुओं के बितरण के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता-दुकानों की स्थापना हुई। सन् 1951-52 में ऐसी प्राथमिक दुकानों की संख्या 9,757, उनके सदस्यों की संख्या 18 लाख 50 हज़ार और उनके द्वारा किया गया व्यापार 82 करोड़ रु० में भी अधिक का था। बाद के वर्षों में इनमें से प्रत्येक दुकानें बन्द हो गईं। सन् 1959-60 में प्राथमिक दुकानों की संख्या 7,168, उनके सदस्यों की संख्या लगभग 14 लाख और उनकी कुल चुकता पूंजी 2 करोड़ 40 लाख रु० थी। इन दुकानों में से एक-तिहाई से भी कम दुकानें लाभ में चल रही थी। तीसरी योजना के कार्यक्रमों में अस्थायी तौर पर 50 थोक दुकानों और 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता-दुकानों को सहायता देने की व्यवस्था है। इन सदस्यों पर राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भाडारण-मंडल-द्वारा उपभोक्ता-सहकारी समितियों के सम्बन्ध में नियुक्त समिति की हाल की रिपोर्ट के प्रकाश में और विचार किए जाने की जरूरत होगी। इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक शीर्षस्थ थोक दुकान हो, जो विशेषतः शहरी क्षेत्रों की प्राथमिक दुकानों से सम्बद्ध हो। समिति का यह भी विचार है कि अभी राज्य से छोटे क्षेत्र में थोक दुकान खोलना उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि सम्भवतः उसके लिए व्यापार पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो सकेगा। समिति ने शीर्षस्थ थोक दुकानों और प्राथमिक दुकानों की हिस्सा-पूँजी में राज्य के नायबों का भी सुझाव दिया है। एक सफल उपभोक्ता-सहकारी आन्दोलन विकास के लिए, विशेषतः शहरी क्षेत्रों में, जरूरत और अवसर, दोनों ही विद्यमान हैं, परन्तु अब तब तक इस दिशा में बड़ा सीमित प्रयत्न किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता-सामग्रियों के बितरण का कार्य सेवा-सहकारी समितियों के क्षेत्र में आएगा तथा माल उपलब्ध करने का प्रबन्ध सामान्यतः हाट-व्यवस्था-समितियों के माध्यम से होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी किस्म के तैयार उपभोक्ता-माल की, जिनकी आम तौर पर मांग है, पूर्ति का कार्य प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों या इसी प्रकार के अन्य अभिकरणों को, जो पहले से ही ऐसा काम कर रहे हैं, सौंपा जा सकता है। तीसरी योजना में उपभोक्ता-सहकारी समितियों के विकास के लिए सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियाँ हैं और यदि विशेष प्रयत्न किए जाएँ, तो प्रगति बहुत तेज़ हो सकती है। उनमें न केवल खुदरा मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता मिलेगी, अपितु खाद्यान्नों में मिलावट करने की बुराई भी रुक सकेगी।

श्रीद्योगिक सहकारी समितियां

27 हथकरघा, नारियल-जटा और कुछ अन्य उद्योगों में श्रीद्योगिक सहकारी समितियों को बहुत सफलता मिली है। फिर भी, एक ग्राम आन्दोलन के रूप में, अनेक व्यावहारिक बाधाओं के कारण, उसकी प्रगति में रुकावटें आती रहीं हैं। नवम्बर 1959 में भारत-सरकार-द्वारा श्रीद्योगिक सहकारी समितियों के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के बाद ऐसे अनेक निश्चय किए गए, जिन्हें यदि उचित वातावरण और नेतृत्व मिला, तो तीसरी योजना में श्रीद्योगिक सहकारी समितियों के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। इस समय श्रीद्योगिक सहकारी समितियां तीन व्यापक ढांचों पर चल रही हैं। कुछ में इनके सदस्य उत्पादन-कार्य निजी तौर पर अलग-अलग करते हैं, परन्तु कुछ सेवाओं—जैसे, कच्चे माल की प्राप्ति—के लिए आपस में सहयोग करते हैं। फिर, कुछ अन्य समितियों को सदस्य उत्पादन, हाट-व्यवस्था और अन्य सम्बद्ध कार्रवाइयां सयुक्त रूप से करते हैं। तीसरा प्रकार उन समितियों का है, जिनके सदस्य काम तो अलग-अलग करते हैं, किन्तु कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए सहकारी कर्मशालाएँ स्थापित करते हैं। हथकरघा और ग्रामोद्योगों में तथा अन्य अनेक लघु उद्योगों में अधिकों की सहकारी समितियां बनाने के अच्छे अवसर हैं। लघु उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र में सामान्य सुविधाएँ प्रदान करने, कच्चे माल के प्रारम्भिक विधायन, विशिष्ट विधायन, सयुक्त रूप से सामान की आपूर्ति करने और हाट-व्यवस्था के लिए सहकारी समितियां संगठित करने के अवसर और भी अधिक हैं।

28 यद्यपि राज्यों की योजनाओं में श्रीद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने और अधिकों को सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम हैं, तथापि तीसरी योजना में इस दिशा में तीव्रतर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। विकास के वर्तमान स्तर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीद्योगिक सहकारी समितियों के निर्माण के लिए जो सुविधाएँ और छूटें मिली हैं, उनका कारगर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब इन समितियों के स्वरूप को भी ऐसा बना दिया गया है कि वर्तमान सहकारी समितियों की शक्ति बढ़े, नई समितियों को दृढ़ आधार पर संगठित होने का प्रोत्साहन मिले और वित्तीय और हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याओं के हल पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके। संगठन के सामान्य ढांचे के रूप में श्रीद्योगिक सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जो निश्चय किए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं

- (1) सरकार और केन्द्रीय सहकारी अभिकरणों-द्वारा कार्यकारी पूंजी के लिए सूद की रिआयती दर पर ऋणों की व्यवस्था,
- (2) श्रीद्योगिक सहकारी समितियों के सदस्यों को हिस्सा-मूजी ज्वरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था,
- (3) प्रबन्ध-कर्मचारियों, सुधरे हुए औजारों और उपकरणों के लिए अनुदानों की व्यवस्था,
- (4) सहकारी बैंकों के विशिष्ट प्रबन्धकीय एवं निरीक्षण कर्मचारियों के लिए एक सीमित अवधि तक सहायता की व्यवस्था,

- (5) औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास की देखभाल करने के लिए नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए व्यय में सरकार द्वारा हित्ना वदाना, और
- (6) सीमित समय के लिए स्वीकृत सहकारी वित्त-अभिकरणों द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए स्वीकृत अग्रिम धन की गारंटी की व्यवस्था ।

वर्तमान सकेतों के अनुसार तीसरी योजना में औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या 30,000 में बढ़ कर 40,000, उनके सदस्यों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 30 लाख तथा उनकी हिस्सा-पूजी 10 करोड़ ₹० से बढ़ कर 20 करोड़ ₹० हो जाएगी । यह वाछनीय है कि हाल में किए गए निर्णयों के अन्तर्गत में केन्द्र और राज्य-सरकारों को औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिए परवर्ती एव विविध प्रस्ताव तैयार करने के हेतु कदम उठाने चाहिए और इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि समितियों की अपनी गतिविधियों के प्रसार के लिए सरकारी अभिकरणों अन्तर्गत भारतीय मंडलों तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों में आवश्यक समर्थन मिलेगा ।

श्रमिक और निर्माण-सहकारी समितियाँ

29 पहली योजना के समय में ही ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई एव अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए श्रमिक-सहकारी समितियाँ गठित करने के महत्त्व पर बल दिया जा रहा है । अनेक राज्यों में—मुख्यतः पंजाब, मध्य प्रदेश, आदि की स्थापना के लिए प्रयत्न किए गए हैं । इन समितियों से ऐसे काम हाथ में लेने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें कुशल अथवा अर्द्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो । ध्येय यह है कि इनके द्वारा क्रमशः ठेकेदारी-प्रथा समाप्त हो जाए । ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के लिए तीसरी योजना में कार्यान्वित किए जानेवाले निर्माण-कार्यक्रमों में भी श्रमिक-सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । यद्यपि यह नीति स्वीकार कर ली गई है कि ग्राम-समन्वय निर्माण-कार्य-सहकारी समितियों को (जहाँ स्वैच्छिक संगठन हों, वहाँ उनको) नीपे जाए, तथापि इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाइयों की वित्तीय व्यवस्था करना आवश्यक है ।

30 श्रमिक और निर्माण-सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को इन वर्गों के निर्माण-कार्य लाभ के साथ नीपे जा सकते हैं

- (1) सजी प्रकार के बुवाई के काम तथा बहुदेखीय, बड़े और मध्यम निचाई-कार्यों, बाढ-नियन्त्रण-योजनाओं, छोटे निचाई-कार्यों और सड़क-निर्माण में सम्बद्ध नावारण राजगिरी का काम,
- (2) नावारण सरकारी भवन—घरा, होस्टल, प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल-शालाएँ, रिहायशी भवन, विद्यालय भवन—और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विमान-कार्य, तथा
- (3) पत्थर, पत्थर के टुकड़े, गेडियो और रेल, आदि भवन-निर्माण के काम अग्नेवाने नामान बटी मात्रा में उपलब्ध करना ।

वास्तविक श्रमिक-सहकारी समितियाँ और स्वैच्छिक सगठन इन कामों को हाथ में ले सकें, इसके लिए कुछ प्रशाननिक शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं

- (1) उपलब्ध निर्माण-कार्यों के एक हिस्से को सहकारी समितियों और स्वैच्छिक सगठनों के लिए निश्चित कर देना। इस मात्रा को इन सगठनों की क्षमता में होनेवाले विकास के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए,
- (2) काम बराबर मिलते रहने का आश्वासन। इन कामों की विशालता, स्वरूप तथा विशिष्ट कामों की सूचना काफी पहले दी जानी चाहिए,
- (3) निजी ठेकेदारों के मुकाबले सहकारी समितियों और स्वैच्छिक सगठनों को प्राथमिकता देना तथा जहाँ सम्भव हो, वातचीत के आकार पर काम वितरित करना,
- (4) निश्चित दरों के अनुसार उचित दरों पर काम देना। इसमें सक्षम अधिकारी कुछ प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि या कमी भी कर सकता है। यथासम्भव क्रम से काम का वितरण किया जाना चाहिए,
- (5) अदायगियों में विलम्ब से बचना और जितना काम हो गया है, उसके खाते अदायगी का अधिकार,
- (6) सहकारी समितियों और स्वैच्छिक सगठनों के काम के लिए तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध करना, तथा
- (7) कार्य-मंचालन-पूजा और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण देकर सहायता करना।

श्रमिक-सहकारी समितियों के कार्यों के बारे में विभिन्न राज्यों में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर उपयुक्त सगठनात्मक स्वरूप तैयार किए जाने चाहिए।

लक्ष्य यह होना चाहिए कि श्रमिक-सहकारी सगठनों और स्वैच्छिक सगठनों का निर्माण एक ऐसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में हो, जो सरकारी विभागों, पंचायत-समितियों और पंचायतों की ओर से किए जा रहे कार्यों के माध्यम से रोजगार प्रदान कर सकें और विकास-कार्यों को हाथ में ले सकें। एक बार जब इस प्रकार के सगठन स्थापित हो जाएंगे, तब उनके और विस्तृत होने की सम्भावनाएँ और अनेक क्षेत्रों में समाज को मिलनेवाले उनके लाभों के विस्तार की स्थिति स्वायत्त ही निर्मित हो जाएगी।

आवास सहकारी समितियाँ

31 सन् 1959-60 में 5,564 आवास-सहकारी समितियाँ थी, जिनके सदस्यों की संख्या 3,22,000 थी। आवास-सहकारी समितियों ने सन् 1959-60 में 45,000 मकान बनवाए, जब कि सन् 1958-59 में यह संख्या 44,000 और सन् 1957-58 में 36,000 थी। विभिन्न आवास-कार्यक्रमों के अधीन, जिन पर इस समय काम हो रहा है, आवास-सहकारी समितियों के निर्माण की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। उदाहरण

के लिए, सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना में औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी समितियों के कुल खर्च के 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। अल्प आय-वर्ग की आवास-योजना एवं अन्य योजनाओं के अर्धिन, जो कई विकासशील नगरों में कार्यान्वित की जा रही हैं, सहकारी समितियों को या तो अनुकूल शर्तों पर भूमि दी जाती है अथवा निजी भूमि का अधिग्रहण करने में सहायता दी जाती है। ग्राम-आवास-योजना में भी कुछ चुने हुए गावों में ईंटों, दरवाजों, खिड़कियों तथा अन्य सामान की तैयारी के लिए आवास-सहकारी समितियों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इन विभिन्न व्यवस्थाओं का समुचित रूप से और एक निश्चित नीति के अंग-रूप में उपयोग होना चाहिए, ताकि गावों और शहरों में समान रूप से आवास और जीवन की स्थिति में सुधार आए। तीसरी योजना के इन प्रस्ताव से कि एक केंद्रीय आवास-मंडल की स्थापना की जाए और राज्यों में भी आवास-मंडलों का निर्माण किया जाए, आवास-सहकारी समितियों को अधिक वन मिल सकेगा। अनेक बड़े शहरों के लिए अन्तरिम ग्राम योजनाओं और मास्टर प्लान तथा कुछ चुने हुए गावों की स्पर्शला के निर्माण से, जिन पर आवास-सम्बन्धी अध्याय में प्रकाश डाला गया है, तीसरी योजना की अवधि में आवास-सहकारी समितियों को विकसित करने और उनकी समर्थन प्रदान करने की नीतियों को बड़े पैमाने पर मूर्त रूप देना सरल हो जाएगा।

अन्य ऋणोत्तर सहकारी समितियाँ

32 ऊपर जिन विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों पर विचार किया गया है, उनके अतिरिक्त गन्ना और दूध उपलब्ध करनेवाली, मत्स्योद्योग और दूध-उद्योग का विकास करनेवाली तथा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनेवाली सहकारी समितियाँ भी हैं। गन्ना उपलब्ध करनेवाली समितियों की सदस्य-संख्या 23 लाख 40 हजार, दूध वितरण करनेवाली समितियों की सदस्य-संख्या 2,33,000 और मत्स्योद्योग-समितियों की सदस्य-संख्या 2,20,000 है। दूसरी योजना के अन्त तक 16 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए थे। तीसरी योजना में 33 और कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। तीसरी योजना में बड़े पैमाने पर मत्स्योद्योग के विकास तथा दूध-उद्योग के विस्तार के कार्यक्रम हैं। ये सब क्षेत्र सहकारी समितियों के विकास के लिए बड़े आगावूर्ण हैं। परिवहन-सहकारी समितियों को भी शिक्षित वेतन व्यक्तियों को नए अवसर प्रदान करने के एक माधुनिक रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहकारिता का सिद्धान्त उद्योग और सेवाओं के अनेक नए क्षेत्रों में—जैसे, उपकरणों का निर्माण, छपाई, कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था, आदि— लागू किया जा सकता है। आदिवासी-विकास-खंडों और उन क्षेत्रों में, जहाँ मुख्यतः अनुसूचित आदिमजातियों निवास करती हैं। सहकारी समितियों के निर्माण और परम्परागत हस्तशिल्प के विकास के लिए व्यापक अवसर हैं, विशेषतः वन्य क्षेत्रों में। केंद्रीय सरकार ने हाल में एक समिति नियुक्त की है, जो आदिमजाति-क्षेत्रों की विशेष स्थिति और आवश्यकताओं को देखते हुए यह विचार करेगी कि वहाँ सहकारिता के लिए किस तरह की प्रक्रिया या कानून को अपनाया जाए।

सहकारिता का प्रशिक्षण और प्रशासन

33 ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सहकारिता के कार्यक्रमों को योग्यतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के महत्व पर बहुत बल दिया गया है और विगत कुछ वर्षों में सहकारिता के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की दिशा में बहुत काम हुआ है। दूसरी योजना के अन्त में पूना-स्थित सहकारिता-प्रशिक्षण-कालेज के अतिरिक्त, जिसमें सहकारिता-विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, 13 प्रादेशिक केन्द्र मध्यवर्ती और विकास-खण्ड-स्तर की सहकारी समितियों के अधिकारियों को और 62 सहकारिता-प्रशिक्षण-केन्द्र कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए है। मध्यवर्ती प्रशिक्षण-केन्द्रों में भूमि-व्यवहक-बैंक-प्रणाली और हाट-व्यवस्था के बारे में विशेष पाठ्यक्रम चालू किए गए हैं। दूसरी योजना के अन्त में प्रशिक्षित व्यक्तियों में 543 वरिष्ठ अधिकारी, 3,417 खड-स्तरीय और मध्यवर्ती अधिकारी और 34,000 कनिष्ठ कर्मचारी थे। 382 लोगों ने भूमि-व्यवहक-बैंक-प्रणाली का और 1,253 ने सहकारी हाट-व्यवस्था का पाठ्यक्रम पूरा किया। अखिल भारतीय सहकारी सघ और राज्यों के सहकारी सघों ने पदाधिकारियों, प्रबन्ध-समितियों के सदस्यों और प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 368 भ्रमण-दल सगठित किए। दूसरी योजना के अन्त तक इन वर्गों के क्रमशः 28,500, 12,000 और 7,26,000 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

34 तीसरी योजना के लिए राज्यों ने जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें अनेक कदमों के अतिरिक्त सहकारी समितियों के कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 13 विद्यालय खोलने तथा सहकारी समितियों के सदस्यों को भ्रमण-दलों-द्वारा शिक्षित करने के कार्यक्रम को जारी रखने पर बल दिया गया है। सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय ने सहकारिता-प्रशिक्षण के बारे में जिस अध्ययन-दल को नियुक्त किया था, उसने हाल ही में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसमें मध्यवर्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षण-केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर 15 और कनिष्ठ कर्मचारियों के सहकारी प्रशिक्षण-केन्द्रों की संख्या 120 करने का सुझाव दिया गया है। इस दल की उक्त तथा अन्य सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

35 दूसरी योजना की अवधि में राज्य-सहकारिता-विभागों को, विशेष रूप से खेला-परीक्षण, अधीक्षण और निरीक्षण, आदि कार्यों में सगठित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तीसरी योजना में सहकारिता-विभाग के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को अपने विषय का पूरा ज्ञान कराने के लिए लगभग 5 करोड़ 60 लाख रखे गए हैं।

36 ग्रामीण क्षेत्रों में सघन विकास के आयोजन और कार्यान्वयन में पचायती राज-संस्थानों और सहकारी सगठनों को एक अनुपूरक भूमिका है तथा उन्में हर स्तर पर निकट सहयोग होना चाहिए। जिला-परिषदों, पचायत-समितियों और ग्राम-पंचायतों को सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और सामुदायिक प्रयास तथा सामाजिक दायित्व का एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जो हर स्तर पर सहकारी समितियों के सफल कार्य-संचालन के लिए आवश्यक है। सहकारी सगठनों के सम्बन्ध में नियमन-विषयक अधिकार सकार के हाथ में बने रह सकते हैं, परन्तु उनमें से कुछ मधीय सहकारी सगठनों को क्रमशः हस्तान्तरित किए जाने चाहिए।

इससे आन्दोलन को आत्मनियमित स्वरूप प्राप्त करने और स्थानीय नेतृत्व के विकास में मदद मिलेगी।

37 सहकारिता जनता का आन्दोलन हे और सहकारी विकास की पहल तथा आन्दोलन की गतिविधियों के नियमन की जिम्मेदारी श्रमण सहकारी संस्थानों और उनके उच्चतर मधीय सगठनों पर आनी चाहिए। इस सन्दर्भ में सहकारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में मुदक्ष मधीय सगठनों का निर्माण विशेष महत्व रखता है। जैसे-जैसे इन सगठनों की शक्ति बढे, वैसे-वैसे इन्हें अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं तथा विभागीय कार्रवाइया पजीकरण, लेखा-परीक्षण, पंच-निर्णय एव निरीक्षण तक सीमित की जा सकती हैं। सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रचार की उन्नति-सम्बन्धी कार्य सहकारी सघों के विशिष्ट क्षेत्र में पढते हैं। राज्य और जिला-स्तर पर सहकारी सघों को इस तरह सगठित किया जाना चाहिए कि वे इन जिम्मेदारियों को अद्वय कर सकें, और नीचे से ही एक मुदृढ मधीय ढाचे का निर्माण ह्ये सकें।

अनुभव
विवरण 1—प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ

राज्य	30 जून, घाटे में 30 जून, 1960 को चलनेवाली 1960 की समितियों की कुल सख्या का अनुपात (1959-60)		समितियों का पुनर्खार		अल्प और मध्यकालीन ऋण		सदस्यों की सख्या (हजार)			
	27	27	दूसरी योजना (अनुमित) (लाख ₹०)	तोसरी योजना (कार्यक्रम) (अनुमित)	1959-60 (बिग एए)	1960-61 (अनुमित) (कार्यक्रम)	1959-60 (अनुमित)	1960-61 (कार्यक्रम)		
आन्ध्रप्रदेश	12,527	27	4,000	4,000	1,750	2,000	6,000	1,262,	1,500	4,00
असम	3,070	34	2,500	—	137	250	800	159	250	800
बिहार	16,222	37	1,580	8,000	129	180	1,150	706	1,000	2,000
गुजरात	7,053	33	5,600	1,000	2,126	2,700	5,000	750	900	1,500
महाराष्ट्र	17,816	21	—	3,000	2,937	3,700	10,000	1,531	1,800	4,000
उत्तर-प्रदेश	1,294	9	425	—	65	100	500	233	300	600
केरल	2,289	34	600	1,000	409	500	1,600	756	850	1,500
मध्यप्रदेश	20,629	16	3,500	6,000	1,301	1,500	4,000	789	900	2,000
मद्रास	9,589	24	1,000	2,000	1,737	2,000	4,700	1,584	2,000	3,900
मैसूर	8,017	25	3,780	2,000	1,203	1,500	3,750	1,054	1,200	2,100
उड़ीसा	6,520	35	472	2,000	235	275	1,800	369	500	1,800
पंजाब	17,107	18	2,750	2,500	1,129	1,300	3,000	1,126	1,340	2,100
राजस्थान	9,281	13	3,000	1,000	539	650	1,800	573	700	2,000
उत्तरप्रदेश	57,136	10	9,500	15,000	2,922	3,400	7,000	2,883	3,300	6,500
पश्चिम-बंगाल	13,076	27	2,700	4,500	227	300	1,500	571	700	2,000
संघीय क्षेत्र	1,546	19	645	180	64	100	317	137	250	429
योग	2,03,172	21	42,052	52,180	16,910	20,455	52,917	14,483	17,490	37,229

भूमि-सुधार

तीसरी योजना के उद्देश्य

भूमि-सुधार-कार्यक्रमों के—जिन्हें पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था—दो विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि पहले से चले आ रहे कृषि-विपयक ढांचे के कारण खेती की पैदावार बढ़ाने में जो रोड़े अटक रहे हैं, उन्हें दूर किया जाए। इससे ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने में सहायता मिलेगी, जिनमें जल्दी-से-जल्दी कार्यकुशलता और उत्पादकता के उच्च स्तर से युक्त कृषि-अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। दूसरे उद्देश्य का भी इस पहले उद्देश्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारी कृषि-प्रणाली में शोषण और सामाजिक अन्याय के जो तत्व हैं, वे खत्म हो जाएँ, जमीन जोतनेवाले की सुरक्षा मिले और गाँवों के सभी वर्ग के लोगों को बराबर का दर्जा और बराबर के अवसर प्राप्त हों।

2 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए गए, उनमें मुख्य ये थे विचौलियों के अथवा लगान उगाहनेवालों के पट्टे खत्म कर दिए गए, और काश्त-व्यवस्था में सुधार किए गए। इसमें लगान का नियमन तथा उसमें कमी और काश्त की सुरक्षा भी शामिल है। काश्त-व्यवस्था में सुधार के क्रम में एक कदम यह भी उठाया गया कि काश्तकार की स्वामित्व-अधिकार दे दिए गए।

3 विशेष रूप से दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह विचार किया गया कि भूमि के स्वामित्व को लेकर जो विपमताएँ उपस्थित हैं, उन्हें कम करने के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह नीति उन देशों के आर्थिक विकास के लिए व्यापक रूप से अनिवार्य मानी जाती है, जिनमें जमीन का परिमाण तो सीमित हो, पर उन पर निर्भर रहनेवाले लोगों की सख्या बहुत हो। यह अनुभव किया गया कि खेती की जमीनों के वितरण के मौजूदा तरीके और छोटे फार्मों की बहुतायत को देखते हुए अगर एक निश्चित सीमा के ऊपर की सब जमीनों को लेकर उनका फिर से वितरण करने का फैसला कर भी लिया जाए, तो ऐसी फाजिल जमीन बहुत नहीं मिल सकेगी और इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकल सकेगा। फिर भी, यह विचार किया गया कि प्रगतिशील महकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विपमताओं का कम होना एक जरूरी शर्त है। इसके साथ ही, जितनी भूमि का पुनर्वितरण सम्भव हो सकेगा, उससे, और उन दूसरे उपायों ने, जो बजर जमीनों पर लोगों को फिर से बसाने के लिए किए गए हैं, भूमिहीन लोगों को थोड़ा-बहुत अवसर मिलेगा ही। इन भूमिहीन लोगों की समस्याओं की ओर पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि भूमि-सुधार की योजना जिन मिद्दान्तों पर निर्भर है, उनमें निर्र्णयहीन निहित नहीं है कि भूमि पर आश्रित लोगों के विभिन्न वर्गों के हितों में समन्वय स्थापित कर दिया जाए, बल्कि यह भी है कि वे एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में कुछ हद तक उनका प्रयोग करना आवश्यक है।

4 स्पष्ट है कि उपर्युक्त विवेचन के अनुसार भूमि-सुधार-प्रारंभिक पर अमल करने का नतीजा यह होगा कि भारत में अधिकांश काइतकार भूम्यामी-किमान वन जाएंगे। अब उरुरत इस बात की है कि ऋण, हाट-व्यवस्था, विधायन और वितरण के लिए — क्रमश उत्पादन के लिए भी—स्वेच्छा में महकारी ममिमिया गटित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और महायता दी जाए। जिस हद तक पुनस्मगठन का यह काम ग्राम-स्तर पर किया जाएगा, उस हद तक छोटी और खर्चीनी जोतो में पैदा होनेवाली कुछ फठिनायों को कम किया जा सकेगा तथा हर समुदाय में आधिक दृष्टि से हीन लोगों को अपना स्तर ऊंचा उठाने में मदद दी जा सकेगी। इस बात पर हमेशा जोर दिया गया है कि जैसे-जैसे भूमि-सुधार की एक-एक मजिल पूरी होती जाएगी, वैसे-वैसे गेती की पैदावार बढ़ाने और ग्राम-अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने में किमानों को अधिकाधिक महायता देना सम्भव हो सकेगा। जब किसानों में आपस में अधिक समझदारी होगी और ग्राम-नमाज अधिक सबल होगा, तब स्थानीय प्रयत्न भी बढ़ेंगे और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति अधिक तेजी से होगी।

5 जैसे-जैसे एक के बाद दूसरे राज्य में विधान बनाए गए हैं, वैसे-वैसे भूमि-सुधार की जरूरतों को अधिकाधिक समझा जाने लगा है, यह भी स्पष्ट हुआ है कि उसके उद्देश्य क्या हैं। भूदान और ग्रामदान-आन्दोलनों से एक ऐसे वातावरण के निर्माण में मदद मिली है, जिसमें भूमि-सुधार के प्रगतिशील उपायों को कार्यान्वित करना मरल होगा। लेकिन भूमि-सुधार का कुल अमर उतना नहीं पडा है जितने की आशा की गई थी। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि विकास के विध्यात्मक कार्यक्रम के रूप में भूमि-सुधार को बहुत ही कम मान्यता मिली है और अक्सर यही समझा गया है कि सामुदायिक विकास की योजना तथा खेतों की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न में इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात, भूमि-सुधार के प्रशासकीय पहलुओं की ओर काफी ध्यान नहीं दिया गया। अक्सर प्रशासन के निचले स्तरों पर छल-कपट और कानूनी व्यवस्था से बच निकलने की रोकथाम नहीं हो सकी। कानूनी व्यवस्थाओं को कारगर तरीकों से लागू करने के पक्ष में ग्राम-समाज का समर्थन और सहयोग भी नहीं जुटाया जा सका। तीसरी बात, इस तथ्य को काफी अच्छी तरह महसूस नहीं किया गया कि भूमि के पट्टों में सुधार और जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण सहकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आधार-स्वरूप है। यह तो आवश्यक है ही कि विधान में या नियमों में जो कमियां दिखाई पड़ें, उन्हें दूर किया जाए, साथ ही यह भी निहायत जरूरी है कि भूमि-सुधार-कार्यक्रम कम-से-कम वक्त में पूरा हो जाए, ताकि कार्यान्विति में देरी के कारण किसी तरह की अनिश्चय की भावना पैदा न हो। तीसरी योजना के प्रस्तावों के अध्ययन में मदद करने के लिए योजना-आयोग ने जो भूमि-सुधार-समिति बनाई, उसने इस पहलू पर खास तौर पर जोर दिया है।

विचौलियों के पट्टों की समाप्ति

6 जमीन्दारी, जागीरदारी और इनाम—जैसे विचौलियों के पट्टे खत्म करने का काम लगभग पूरा हो गया है। इनकी परिधि में देश का लगभग ४० प्रतिशत भाग आता था। केवल कुछ मामूली पट्टे अभी बचे हैं—जैसे, वार्षिक और हातव्य सस्याओं के पट्टे और सैनिकों को उनकी सेवा के लिए दिए गए इनाम। इन सुधारों के फलस्वरूप दो करोड़ से भी अधिक

काश्तकारों का राज्य से मीठा सम्बन्ध स्थापित हो गया है और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरी है। विचौलियों के पट्टे खत्म हो जाने से खेती-योग्य बजर भूमि के काफी बड़े इलाके और निजी वन सरकारी प्रबन्ध में आ गए हैं।

7 विचौलियों के पट्टेवाले कई राज्यों में आवश्यक राजस्व-प्रशासन नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी राजस्व-संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काफी काम किया है। पर अभी और सुधार की जरूरत है—खास तौर से गांव के स्तर पर। जमीन मापने और उसका बन्दोबस्त करने तथा मिलिकयत के रिकार्ड तैयार करने में भी काफी प्रगति हुई है, मगर अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। राजस्व-प्रशासन पर जो भारी बोझ आ गया है, मुख्यत उसी के कारण विचौलियों का मुआवजा निर्धारित करने और उसकी अदायगी में कुछ देर हो गई है। कुल 670 करोड़ रु० में से (जिसमें 520 करोड़ मुआवजे के हैं और 150 करोड़ रु० व्याज के) अब तक सिर्फ 164 करोड़ रु० की अदायगी मुआवजे के रूप में की गई है और वह भी मुख्यत बौडो के रूप में है। यह जरूरी है कि तीसरी योजना के दौरान मारे राज्य मुआवजे के बचे बौड जारी कर दे, जो अब तक नहीं किए गए हैं, मिलिकयत के रिकार्ड पूरे कर लें, तथा विचौलियों की प्रथा खत्म करने से पैदा होनेवाले अन्य प्रशासकीय कार्य भी पूरे कर लें।

लगान में कमी

8 दस साल पहले देश के अधिकांश भाग में खुदमर्जी काश्तकार, गैर-दखलकारी काश्तकार तथा बटाईदार लगान के रूप में आम तौर से उपज का आधा हिस्सा या उससे भी ज्यादा दिया करता था। लगान के अलावा, उसे अक्सर कुछ और भी भुगतान करने होते थे, जिससे काश्तकारों का बोझ बढ़ जाया करता था। पहली पंचवर्षीय योजना में स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया और उसमें यह सुझाव दिया गया कि अगर उपज के चौथे या पाचवें हिस्से से ज्यादा दर से लगान लिया जाए, तो उसे उचित ठहराने के लिए विशेष कारण बताने की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ वर्षों में सभी राज्यों में ज़मीन्दारों को मिलनेवाले लगान के नियमन के लिए विधान बनाए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में—जैसे, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में—अब अधिक-से-अधिक लगान, फसल का छठा हिस्सा ही सकता है। असम, केरल, उड़ीसा तथा मधोय क्षेत्रों में उपज का चौथाई हिस्सा या उससे भी कम लगान के रूप में देना होता है। कई राज्यों में अब भी लगान का सामान्य स्तर उपज का एक-तिहाई हिस्सा है। आशा की जाती है कि इन राज्यों में लगान कम करके उसी स्तर पर ले आया जाएगा, जिसका विचार पहली दोनो योजनाओं में किया गया था, ताकि काश्तकारों की आर्थिक स्थिति तैजों में सुधारने में सुविधा हो।

9 काश्तकारी विधान के शुरू के वर्षों में यह देखा गया कि लगान की घटी हुई दरें—और काश्त की दूसरी शर्तें—जिनकी व्यवस्था विधान में की गई थी, अच्छी तरह लागू नहीं की गईं और अधिकतर लगान की वही दरें प्रचलित रही जो पहले ने धरती आ रही थी। जहां भूमि के पट्टे-मन्वन्वी व्यवस्था किन्हीं दो पक्षों के बीच हो जाए वहां कई कारणों से विधान-द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों में परिवर्तन किया जा सकता है—जैसे, मालिक-द्वारा धीज देने, बैलो का इन्तजाम करने अथवा निचा का खर्च देने-मन्वन्वी नियम। शुरू में काश्तकार लोग विधान में दिए गए अपने अधिकारों के प्रति भी अनजान थे। उदा

जमीन पर दबाव अधिक है और गाव के काश्तकारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कमजोर है, वहाँ कानून की शरण लना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई करने में खर्च अधिक होता है और आम तौर से उतना खर्च उठाना काश्तकारों की शक्ति के बाहर होता है। अतः विधान बन जाने के बाद भी कई तरह से विद्यमान शक्तों और परिस्थितियों का ही पलड़ा भारी ठहरता है। इसलिए काश्तकारी-विधान की सफल क्रियान्विति इस बात पर निर्भर करती है कि सरकारी सस्थाएँ उत्साह के साथ और जम कर इस दिशा में विशेष प्रयत्न करें। जरूरत सिर्फ इसी बात की नहीं कि काश्तकार को उसके अधिकारों से परिचित कराने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएँ, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता है कि हर क्षेत्र के लोगों को यह अधिक अच्युत तरह समझा दिया जाए कि भूमि-सुधार के उद्देश्य क्या हैं। साथ ही, उन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाना चाहिए।

10 यद्यपि अतीत में आम तौर से लगान की अदायगी कुल उपज के किसी खास हिस्से के रूप में की जाती रही है, तथापि ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास और विनियम के माध्यम के रूप में रुपये के अधिकाधिक प्रयोग के कारण अब नीति के तौर पर यह वाछनीय होगा कि लगान की अदायगी उपज के अक्ष के वजाय नकदी के रूप में की जाए। किस्तानों को अपनी आवश्यकताओं का जो भाग—जैसे उर्वरक, औजार, आदि—नकद रुपये देकर खरीदना पड़ता है, उसका अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर वे अपना लगान नकद अदा करने लगेंगे, तो इससे न सिर्फ काश्तकारों का बोस कम होगा, बल्कि खेती में पूँजी-विनियोग भी बढ़ेगा। जैसा कि दूसरी योजना में सुझाव दिया गया था, लगान को उपज के अक्ष के वजाय नकद भुगतान में बदलने का काम इस तरह आसान हो सकता है कि हर क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगान मू-राजस्व के मौजूदा निर्धारण के एक अक्ष के रूप में तय कर दिए जाएँ। जहाँ यह सम्भव न हो, दूसरे तथ्यों के आधार पर उचित मानद तय किए जा सकते हैं। अगर राज्य-सरकारें यह जरूरी कर दें कि भूस्वामी लगान-बसूली की रसीदें दें और अगर—जैसा कि कुछ राज्यों में रिवाज है—यह व्यवस्था ही जाए कि काश्तकार उपयुक्त राजस्व-अधिकारी के यहाँ लगान जमा करके इस बात की सूचना भूस्वामी को दे दें, तो विधान-द्वारा लागू किए गए लगानों को प्रचलित करने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

काश्त की सुरक्षा

-11 काश्त की सुरक्षा के विधान ग्यारह राज्यों और सभी सघीय क्षेत्रों में लागू किए जा चुके हैं। चार राज्यों में विधेयक विधान-मंडल के समक्ष पेश हैं और निकट भविष्य में ही उन्हें कानून का रूप मिल जाएगा। जब तक विधान बनें, तब तक के लिए काश्तकारों की वेदखली की रोकथाम कर दी गई है। काश्त की सुरक्षा-विधेयक विधान के तीन मूल उद्देश्य हैं—एक तो यह, कि कानून की व्यवस्थाओं के अनुरूप होने पर ही वेदखली हो, दूसरे, भूस्वामी को अगर जमीन वापस मिले भी, तो सिर्फ 'खुदकाश्त' करने के लिए, और तीसरे, अगर भूस्वामी जमीन को वापस ले, तो भी काश्तकार को एक नियत न्यूनतम क्षेत्र का भरोसा रहे।

12 काश्त-सम्बन्धी विधान के पहले दौर में शायद यह अनिवार्य था कि भूस्वामियों और काश्तकारों के अधिकारों को नियमित करनेवाली व्यवस्थाएँ कुछ विस्तृत और विशद

हो। इस तरह की जटिलता विधान को कारगर बनाने के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। अब तक जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनकी रोगनी में यह सुझाव दिया गया है कि जहाँ भी सम्भव हो, मौजूदा विधान को सरल बनाने के उपाय किए जाएं और जिन व्यवस्थाओं को लागू करना व्यवहार में कठिन हो, उन्हें और मजबूत बनाया जाए या उनका मशीनन किया जाए।

13 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, काश्त-सम्बन्धी विधान का काश्तकार की खुशहाली की दृष्टि में उतना फल नहीं निकला, जितने की आशा की गई थी। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कई राज्यों में 'स्वैच्छिक समर्पण' के नाम पर खासे बड़े पैमाने पर काश्तकारों की बेदखली हुई। दूसरी योजना में इस सम्बन्ध में दो मुख्य सिफारिशें की गई थी। एक तो यह, कि जमीन की काश्त करनेवालों के स्वैच्छिक समर्पण को तब तक बंधन माना जाए, जब तक कि राजस्व-अधिकारियों द्वारा उनकी उचित रूप से रजिस्ट्री न कर ली जाए। दूसरे, काश्तकार के अपना हक छोड़ देने पर भी भूस्वामी जमीन के उतने ही हिस्से पर अधिकार कर सके, जितने की अनुमति उसे कानून के अधीन प्राप्त हो। कुल मिलाकर, विधान और प्रशासनिक कार्रवाई, दोनों ही क्षेत्रों में इन सिफारिशों का पूरा-पूरा पालन नहीं हो सका। कुछ राज्यों में यह व्यवस्था उत्तर की गई है कि काश्तकार अगर जमीन छोड़े, तो उसकी रजिस्ट्री की जाए। काश्तकार के भूमि-समर्पण की रजिस्ट्री बहुत जल्दी है और काश्त-विषयक विधान में इस तरह की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मौजूदा विधान में दूसरी खामी भूमि-समर्पण पर लागू होनेवाली शर्तों के बारे में है। दो राज्यों ने दूसरी योजना की इस सिफारिश को लागू कर दिया है कि खुदकाश्त को दुबारा शुरू करने की जो शर्तें हैं, वेनी ही शर्तों के अनुसार काश्तकार के स्वैच्छिक समर्पण के बाद जमीन दुबारा हासिल की जा सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात में दुबारा जमीन हासिल करने की जो कुल सीमा है, वह भूमि-समर्पण के बारे में भी लागू होती है। लेकिन भूमि-समर्पण से सम्बन्धित अन्य शर्तें भिन्न हैं। जैसा कि दूसरी योजना में कहा गया था, काश्तकारों के स्वैच्छिक समर्पण के जितने मामले होते हैं, वे सब ठीक ही होते हैं, मो बात नहीं—अधिकतर मामलों पर दृक किया जा सकता है। इन सिलसिले में जो जाच और तफतीश की गई है, उससे यह बात पक्का हो चुकी है। इसलिए यह जरूरी है कि 'स्वैच्छिक समर्पण' की रजिस्ट्री और उसके कारण खाली होनेवाली जमीनों को फिर से हासिल करने के मामले में जितनी प्रशासनिक और कानूनी खामियाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

14 अधिकतर राज्यों में विधान के अन्तर्गत 'खुदकाश्त' की, जो नियमत काश्तकारों से फिर जमीन हासिल करने की आवश्यक शर्तें हैं, व्याख्या की गई है। 'खुदकाश्त' में तीन बातें हैं—काश्त की जोखिम, श्रम और निजी देख-रेख। काश्त की नारी जोखिम भूस्वामी-द्वारा बर्दाश्त किए जाने में यह तथ्य निहित है कि पारिश्रमिक नकद या वस्तु के रूप में दिया जाएगा, पर फसल के हिस्से के रूप में नहीं। 'श्रम' की परिभाषा श्रम तौर पर वह दी जाती है कि भूस्वामी स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य खेत में श्रम करेगा, परन्तु खुदकाश्त में इसका अनिवार्य स्थान नहीं है। दूसरी योजना में यह सुझाव रखा गया था कि जहाँ 'खुदकाश्त' के आचार पर जमीन को फिर से हासिल किया जाए, वहाँ व्यक्तिगत श्रम की आवश्यकता मानना वाछनीय होगा और अगर ऐसा न हो, तो बेदखल काश्तकार को जमीन वापस पाने का अधिकार होना चाहिए। राज्यों ने जो विधान बनाए हैं, उनमें श्रमी

तक इन मुझाब को शामिल नहीं किया गया है। इन तरह की व्यवस्था बाधनीय है और इसने विधान को अधिक कारगर बनाने में सहायता मिलेगी। 'दिल-रेख' के अनिवार्य तत्व के रूप में दूसरी योजना में यह माना गया था कि फसल के भीम के अधिकांश नमय में जिस गाव में जमीन हो उसमें या नियत दूरी के भीतर बने हुए किसी पडों के गाव में भूस्वामी या उसके परिवार का कोई सदस्य रहे। भूमि-मुधार-समिति ने मुझाब दिया है कि यहाँ भूस्वामी या उसके परिवार के किसी सदस्य के रहने की शर्त उन्नी अरसे में लागू रहनी चाहिए, जब वेती के मुख्य कार्य किए जा रहे हो। राज्य-नरकारो को इन तुझाब पर विचार करना चाहिए और जिन हद तक जरूरी हो, 'निजी देल-रेख' की वर्तमान परिभाषाओं में तशोवण करना चाहिए।

काश्त के अधिकार की पुनः प्राप्ति

15 दूसरी योजना में खुदकाश्त के आधार पर काश्तकारी की पुनः प्राप्ति के नियमन के बारे में मुख्य सिफारिशें ये थी—

- (1) जो क्षेत्र फिर से प्राप्त किया जाना है, उनकी घोषणा एक खान अरसे में कर दी जानी चाहिए और उनका पहले से सीमांकन कर दिया जाना चाहिए।
- (2) जिन भूस्वामियों के पास बहुत छोटे चक हो—जैसे जिनके पास परिवार के पूरे चक का एक-तिहाई या उनसे भी कम हों—उन्हें खुदकाश्त के लिए अपनी भारी जमीन पाने की छूट होनी चाहिए। जिनके पास उस स्तर में बड़े चक हों, वे खुदकाश्त के लिए अपनी जमीन पा तो सकते हैं, परन्तु उनमें से कुछ न्यूनतम क्षेत्र उन्हें काश्तकार के पास छोड़ना पड़ेगा।
- (3) फिर से जमीन पाने के अधिकार का उपयोग 5 साल के भीतर किया जा सकता है।
- (4) जो लोग नंगा में काम कर रहे हों या जो किसी तरह से अन्नम हो—जैसे, विधवाएँ, नाबालिग बच्चे अथवा शारीरिक या मानसिक अशक्तता से पीड़ित लोग—उन्हें पट्टे पर जमीन देने की अनुमति होनी चाहिए और जब उनकी अक्षमता दूर हो जाए, तब खुदकाश्त के लिए फिर से जमीन पाने का उन्हें अधिकार होना चाहिए।

16 जिन तरह से विमान बनाए गए हैं अथवा विचारधीन हैं, उनके आधार पर गन्नी की मोटे तौर पर चार श्रेणियाँ की जा सकती हैं—

- (अ) वे राज्य जिनमें भूस्वामियों को फिर से जमीन पाने की अनुमति नहीं दी जाती—जैसे, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और मिर्जापुर राज्यों के मामले में पश्चिम-बंगाल,
- (आ) वे राज्य जिनमें खुदकाश्त के लिए एक नीमित क्षेत्र फिर से पाने का अधिकार दिया जाना है, पर यह शर्त होनी है कि एक न्यूनतम क्षेत्र या जोन वा एक हिस्सा राशनगन् के पास रहे—जैसे, बिहार, गुजरात, कर्नाट, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश और मणिपुर,
- (इ) वे राज्य जिनमें इन शर्तों पर जमीन फिर से हासिल करने का अधिकार माना है कि राशनगन् को मानी के लिए नहीं और नियत सीमा तक की जमीन दी जाए और यह जमीन उन्नत करना राज्य का काम है—जैसे, पंजाब और उत्तर प्रदेश, मद्रा

- (ई) वे राज्य, जिनमें नियत अधिकतम मीमा तक की जमीन फिर से पाने का अधिकार है और साथ ही, जिनमें काश्तकार के लिए न्यूनतम क्षेत्र की व्यवस्था नहीं करनी पडती—जैसे, आन्ध्रप्रदेश और मद्रास। पश्चिम-बंगाल में बरगोदारो को—औ फमल के वटाईदार होते हैं—काश्तकार नहीं समझा जाता। शिकमी रीयत को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे उन्हें प्राप्त नहीं होते, हालांकि अगर बारीकी से देखें, तो वे 'काश्तकार' की ही परिभाषा में आते हैं ।

17 खुदकाश्त के आधार पर जमीन फिर से हासिल करने के विधान पर अमल किए जाने के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। पहली बात तो यह, कि शर्तें चाहे कुछ हों, जमीन फिर से पाने का अधिकार अनिश्चय पैदा करता है और विधान के द्वारा जो सुरक्षा काश्तकार को दी जाती है, उसे घटाता है। पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में यह तय किया गया था कि पाच वर्ष के बाद जमीन फिर से हासिल करने की अनुमति देना जरूरी नहीं होगा। ख्याल यह है कि जितना अरसा निकल चुका है, उसे ध्यान में रखते हुए जिन भूस्वामियों के पास परिवार की जोत के बराबर या उससे कम जमीन है, उनको छोड़ कर और किसी को जमीन फिर से हासिल करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। काश्तकार के लिए अब और अनिश्चय की स्थिति कृषि-विकास के लिए अहितकर सिद्ध होगी। दूसरी बात यह है कि छोटे-छोटे जमीन्दारों का—जिनके पास पारिवारिक जोत के बराबर या उममें भी कम जमीन है—खास ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसा कि दूसरी योजना में सुझाव दिया गया है, जिनके पास बुनियादी जोत में भी कम जमीन (यानी पारिवारिक जोत के एक-तिहाई से भी कम जमीन) है, उन्हें खुदकाश्त या पट्टे पर देने के लिए अपनी सारी जमीन पाने का अधिकार होना चाहिए। जहा तक ऐसे जमीन्दारों का सवाल है, जिनकी जमीन का क्षेत्र पारिवारिक जोत और बुनियादी जोत के बीच में है, उन्हें नियत अवधि के भीतर काश्तकार के पास जितनी जमीन हो, उसका आधा हिस्सा खुदकाश्त के लिए पाने का अधिकार होना चाहिए, परन्तु यह आधा हिस्सा बुनियादी जोत से किसी भी तरह कम नहीं होना चाहिए। अगर काश्तकार के पास जमीन न रहे, या जितना उनके पाम बच रहे, वह बुनियादी जोत से कम हो, तो सरकार को उसके खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। आम तौर से उद्देश्य यह होना चाहिए कि छोटे भूस्वामियों को—उनमें भी खास तौर से उन लोगों को, जिनके पास बहुत छोटे-छोटे जोत हों—सहकारी कृषि-समितियों में शामिल होने का प्रोत्साहन मिले। सहकारी कृषि-समितियों के सदस्य बन जाने पर वे इस स्थिति में होंगे कि इच्छा करने पर दूसरा काम शुरू कर सकें। इन भूस्वामियों के लिए कोई ऐसी अवधि नियत करना जरूरी नहीं होगा, जिसके बाद खुदकाश्त के लिए उन्हें जमीन फिर से हासिल करने की अनुमति न हो।

18 अगर भूजोले भूस्वामी बदनीयत हो जाए और अपनी जमीन रिश्तेदारों या अन्य लोगों के नाम करके छोटे भूस्वामियों की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाए, तो इस तरह खुदकाश्त के लिए जमीन फिर से हासिल करने की व्यवस्था का दुरुप्रयोग किया जा सकता है। इस ख्याल से, कि जमीन फिर से प्राप्त करने की व्यवस्थाओं का पालन हो, गुजरात और महाराष्ट्र में सन 1957 में उक्त विधान का मशौघन किया गया, ताकि निर्रिक्त वही जमीन

वापस पाने का अधिकार भूस्वामी को रहे, जो पहली जनवरी 1952 को मिल्कियत दर्ज करने के सरकारी कागज-पत्रों में उसके या उसके किसी पूर्वज के नाम में लिखी थी। बरल के विधान में—जिसमें छोटे भूस्वामियों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं—कहा गया है कि 18 दिसम्बर, 1957 के बाद अगर जमीन का कोई बटवारा या बदली की गई होगी, तो उससे भूस्वामी को या जिसके नाम जमीन की गई होगी, उसको छोटे भूस्वामियों ने सम्बन्धित व्यवस्थाओं का लाभ उठाने का अधिकार नहीं होगा। सामान्यतः इसी तरह को कोई शर्त रहना वाञ्छनीय है।

काश्तकार के लिए स्वामित्व-अधिकार

19 काश्त की सुरक्षा और लगान में कमी काश्तकारी-सम्बन्धी सुधार के प्रथम सोपान हैं। उद्देश्य यह है कि अधिक-से-अधिक काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो जाए। दूसरी योजना में सुझाव दिया गया था कि हर राज्य को एक कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे ऐसी जमीनों के काश्तकार, जो दुबारा मालिकों को हासिल नहीं हो सकतीं, उनके मालिक बन जाए और भूस्वामी-रहित-प्रथा के अवशेष होने के लिए मिट जाए। इस बात पर जोर दिया गया था कि काश्तकारों को, जिन जमीनों में वे काश्त कर रहे हैं, उन्हें खरीदने का वैकल्पिक अधिकार देने के बजाय, उन सभी क्षेत्रों के काश्तकारों का, जिन पर दुबारा भूस्वामियों का कब्जा नहीं हो सकता, राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाए। जिन भूस्वामियों के पास पारिवारिक जेत के बराबर या उससे ज्यादा जमीनें हैं, उनके बारे में कहा गया था कि उन्हें फिर से हासिल करने के अधिकार का प्रयोग केवल पांच साल की अवधि तक किया जा सकता है, और यह सुझाव दिया गया था कि यह अवधि पूरी होते ही स्वामित्व-अधिकार काश्तकारों को दिए जा सकते हैं। अन्त में, चूंकि स्वामित्व-अधिकार काश्तकारों को हस्तान्तरित करने की प्रगति के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त करना कठिन था, इसलिए यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य नियमित रूप से वार्षिक विवरण तैयार कराने का भी प्रयत्न करें।

20 दूसरी योजना के दौरान काश्तकारों को स्वामित्व-अधिकार सौंपने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। पंजाब की तरह कुछ राज्यों में काश्तकारों को जमीन खरीदने का केवल वैकल्पिक अधिकार दिया गया है। यह तरीका सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि जहाँ खरीदने का अधिकार वैकल्पिक होता है, वहाँ उसका उपयोग शायद ही कभी होता है—यह बात दूसरी योजना की अवधि में देसी जा चुकी है। कई राज्यों के विधान में यह व्यवस्था है कि उन जमीनों के काश्तकारों का, जिन्हें भूस्वामी दुबारा हासिल नहीं कर सकता, सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो। इसके लिए इन तीनों में से कोई एक उपाय काम में लाना होगा

- (1) काश्तकारों को जमीन का मालिक घोषित करके उनके द्वारा भूस्वामियों को उचित किस्तों में मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की जाए। यदि किस्तों का भुगतान न हो, तो उन्हें लगान के बकाया के तौर पर वसूल करने की जिम्मेदारी सरकार उठाए,
- (2) सरकार मुआवजा देकर पहले खुद स्वामित्व-अधिकार प्राप्त कर ले और फिर उसे काश्तकारों को नीप दे और उनमें उचित किस्तों में मुआवजा वसूल कर ले, तथा

- (3) सरकार भूस्वामी को अधिकार प्राप्त कर ले और काश्तकार का राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करे। यह बात काश्तकार की मर्जी पर छोड़ दी जाए कि अगर वह चाहे, तो सरकार को मुनासिब लगान देता रहे और अपनी इसी हँसियत को कायम रखे अथवा यदि चाहे, तो नियत मुआवजा अदा करके स्वामित्व के पूरे अधिकार प्राप्त कर ले।

21 इनमें से पहले तरीके पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में, दूसरे पर दिल्ली में तथा शिकमी रैयतो के लिए (बिना मुआवजा अदा किए) पश्चिम-बंगाल में, तथा तीसरे पर केरल और उत्तरप्रदेश में अमल किया गया है। मद्रास में काश्तकारों को स्वामित्व-अधिकार दिलाने के बारे में अभी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। असम और बिहार में सिर्फ उन भूस्वामियों के काश्तकारों को स्वामित्व-अधिकार मिल सकते हैं, जिनके कब्जे में अधिकतम नियत सीमा से ज्यादा क्षेत्र है। चूंकि विधान अभी हाल ही में बनाया गया है, इसलिए इस बारे में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है कि काश्तकारों को किस हद तक स्वामित्व-अधिकार प्राप्त हो गए हैं। पता-चला है कि समुक्त बम्बई-राज्य में जो विधान बनाया गया था, उसके अधीन गुजरात और महाराष्ट्र-राज्यों में 13 लाख काश्तकारों को 24 लाख एकड़ भूमि पर स्वामित्व-अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। उत्तरप्रदेश में लगभग 15 लाख शिकमी काश्तकारों तथा निवास-फार्म की जमीनों के काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया गया। इनके पास लगभग 20 लाख एकड़ जमीन है। सघीय क्षेत्र दिल्ली में लगभग 25,000 एकड़ जमीन का स्वामित्व करीब 18,000 काश्तकारों और शिकमी काश्तकारों को सौंप दिया गया।

22 यह सिफारिश की गई है कि तीसरी योजना के दौरान जिन जमीनों को भूस्वामी द्वारा हासिल नहीं कर सकते, उन पर काश्त करनेवालों को स्वामित्व-अधिकार सौंपने का कार्यक्रम पूरा करने के लिए कदम उठाए जाए। खेती की जमीन की अधिकतम सीमा का कानून लागू होने पर उस सीमा से अधिक जमीन के काश्तकार उनके स्वामी बन जाएंगे। यह सुझाव पहले ही दिया जा चुका है कि विभिन्न राज्यों में नियत की गई पारिवारिक जोत से अधिक क्षेत्र के स्वामियों को फिर से जमीनें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे भूस्वामियों के काश्तकारों को इन जमीनों का मालिक बन जाना चाहिए। यह उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपने विधान और अन्य परिस्थितियों के अनुसार, राज्य या तो खुद ही स्वामित्व-अधिकार प्राप्त करके काश्तकारों को सौंप सकता है या काश्तकारों को मालिक घोषित करके उन अधिकारों के बदले अपने विधान की शर्तों के अनुसार उनसे किस्तों में मुआवजा देने को कह सकता है। कुल मिला कर अच्छा यही है कि काश्तकार स्वामित्व-अधिकार पाने के लिए भूस्वामी के बजाय सीधा सरकार को भुगतान करे। इससे विधान अधिक अच्छी तरह लागू हो सकेगा तथा भूस्वामी-किसान का बन्धन भी टूट जाएगा।

23 अब सवाल यह उठता है कि छोटे भूस्वामियों के काश्तकारों को भी स्वामित्व-अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं। इन काश्तकारों के पास जो ऐसी जमीनें हों, जिन्हें मालिक द्वारा हासिल नहीं कर सकते, वहां तक यह बात सिद्धान्त रूप में बाधनीय है। लेकिन चूंकि इसकी लपेट में बहुत-से अत्यन्त छोटे भूस्वामी आते हैं, इसलिए सबके बारे में एक-सी कार्रवाई करना सम्भव नहीं है। राज्यों को चाहिए कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और इस दिशा में क्या कार्रवाई जरूरी है, यह तय करने के ख्याल से इस समस्या का अध्ययन करें।

जोत की अधिकतम सीमा

24 दूसरी योजना के दौरान आन्ध्रप्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब के पेप्सू-क्षेत्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल और सचीय क्षेत्रों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विधान बनाए गए हैं। बिहार, मद्रास और मैसूर के विधान-मंडलों में जोत की अधिकतम सीमा तय करने-सम्बन्धी विधेयक पेश हैं। बिहार के पेप्सू-क्षेत्र को छोड़ कर पंजाब के बाकी इलाके में मौजूदा विधान इन बातों को उजाड़ देता है कि अगर किसी के पास स्वीकृत सीमा से ज्यादा जमीन है, तो उसका उपयोग सरकार उन काश्तकारों को फिर से बसाने के लिए कर सकती है, जो वेदखल कर दिए गए हैं या किए जा सकते हैं। विभिन्न राज्यों में अधिकतम जोत की जो सीमाएँ निर्धारित या प्रस्तावित की गई हैं, उनके बारे में इन अध्याय के अनुबन्ध में मसिप्त रूप में विवरण प्रस्तुत किया गया है। विधान बन जाने पर जरूरी काम यह है कि उन पर तेजी से और कारगर तरीके से अमल कराने का प्रयत्न किया जाए।

25 दूसरी योजना में इन सवाल पर विचार किया गया था कि अधिकतम सीमा की व्यवस्था किन्नी एक व्यक्ति की जोत पर लागू होनी चाहिए या किसी परिवार के सब सदस्यों के पास कुल जितनी जमीन हो, उस पर। जैसी कि आशा की जा सकती है, इस बारे में अलग-अलग तरीके अस्तित्वार किए गए हैं। कुछ राज्यों में—जैसे, आन्ध्रप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में—अधिकतम सीमा की व्यवस्था व्यक्ति पर लागू होती है, सम्मिलित हिन्दू-परिवारों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। मध्यप्रदेश में अधिकतम जोत की व्यवस्था व्यक्ति पर लागू होती है, परन्तु जहाँ तक सम्मिलित हिन्दू-परिवार का प्रश्न है, हर सदस्य को अलग-अलग अधिकतम सीमा तक के क्षेत्र का अधिकार है। असम, गुजरात, केरल और राजस्थान में परिवार के अर्धीन कुल क्षेत्र पर अधिकतम सीमा की व्यवस्था लागू होती है और विधान में 'परिवार' शब्द की परिभाषा भी दे दी गई है। मद्रास और मैसूर में अभी जो विधान विचाराधीन हैं, उनमें भी इसी दृष्टिकोण से काम लिया गया है। इस प्रकार, अलग-अलग राज्यों ने अधिकतम सीमा की व्यवस्था, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति या परिवार पर लागू की है।

26 एक बार जब विधान बन जाए, तब उसमें जो संशोधन हो, उनका उद्देश्य मूलतः आमिया दूर करना और उसके अमल में सहूलियतें पैदा करना होना चाहिए—विधान के निहित सिद्धान्तों में मूल परिवर्तन लाना नहीं। इस प्रसंग में, सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह है कि अधिकतम सीमा को देखते हुए भूस्वामियों ने अपनी जमीनों के बारे में जो हेर-फेर किए हैं, उनके बारे में क्या रुख अस्तित्वार किया जाना चाहिए। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में जमीनों के जो हस्तान्तरण हुए हैं, उनकी प्रवृत्ति अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में विधान के उद्देश्यों को निष्फल करने की और ग्राम-अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को कम करने की रही है। हर राज्य में इस सवाल पर भरपूर विचार हुआ है कि इन हस्तान्तरणों को माना जाए या नहीं, और अगर न माना जाए, तो किस तारीख में। अधिकतर राज्यों में विधान लागू होने से पहले की किन्नी तारीख का निर्देश किया गया है। यह तारीख अधिकतम सीमा का विधेयक पेश किए जाने की तारीख हो सकती है या उसके प्रकाशन की या कोई और नियत तारीख। कुछ राज्यों ने—जैसे, असम, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल ने तय किया है कि इन

नियत तारीख के बाद जो हस्तान्तरण हुए हों, उन्हें न माना जाए। कुछ राज्यों में—जैसे, आन्ध्रप्रदेश में—इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मध्यप्रदेश और उड़ीसा में विधान के अनुसार फालतू जमीनों के मालिक उन जमीनों को कुछ नियत वर्गों के लोगों के हाथ बेच सकते हैं।

27 चूँकि अनेक हस्तान्तरण अनिवार्यतः परिवार के सदस्यों के ही बीच होंगे, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि अधिकतम सीमा की शर्त हमेशा व्यक्ति के वजाय परिवार के कुल क्षेत्र पर लागू होनी चाहिए। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्यों में अधिकतम सीमा की शर्त व्यक्ति की जोत पर लागू की गई है और बाकी राज्यों में परिवार के अधीन कुल क्षेत्र पर, कमजोरिया या खामिया दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाए, वे ऐसे हों कि विद्यमान विधान के ढांचे में ठीक बैठें। हस्तान्तरण के सवाल को शायद निम्न-लिखित तरीके से हल किया जा सकता है—

- (1) जहाँ विधान में हस्तान्तरण को अस्वीकार करने की कोई व्यवस्था इसलिए नहीं की गई है कि वे बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं, वहाँ एक ऐसी मनासिब तारीख तय कर दी जानी चाहिए, जिसके बाद के सब हस्तान्तरणों को नामजूर कर दिया जाए और अगर जरूरत हो, तो इसके सशोबक विधान का सहारा लिया जाए। यह तारीख वह हो सकती है, जिस दिन अधिकतम सीमा-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रकाशित किए गए या उससे पहले की कोई तारीख, जो स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियत कर दी जाए।
- (2) नियत तारीख के बाद किए गए हस्तान्तरणों में एक-दूसरे से इस प्रकार भेद किया जा सकता है (अ) जो हस्तान्तरण परिवार के सदस्यों के बीच हुए हों, (आ) वेनामी और अन्य हस्तान्तरण, जो न तो पैसे के लिए और न रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किए गए हों, और (इ) जो पैसे के लिए और रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किए गए हों। (अ) और (आ) श्रेणियों के अधीन आनेवाले हस्तान्तरणों को अस्वीकार किया जा सकता है, पर (इ) श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाले हस्तान्तरणों के प्रति यह रुख नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि जिन्हें भूमि हस्तान्तरित की गई है, वे छोटे भूस्वामी या भूमिहीन लोग हों और उन्होंने जमीन खरीदी हो। ऐसे लोगों की तो किसी-न-किसी तरह एक नियत सीमा तक—जैसे पारिवारिक जोत की सीमा तक—रक्षा करनी ही होगी।
- (3) ऊपर बताया हुए ढंग पर सब हस्तान्तरणों की किसी उपयुक्त अधिकारी-द्वारा जांच किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अधिकतम सीमा से छूट

28 दूसरी योजना में यह कहा गया था कि निम्नलिखित श्रेणियों के फार्मों को अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट दी जानी चाहिए—

- (1) चाय, काफी और रबड़ के वापान,
- (2) फल के बगीचे, जहाँ वे काफी सघन क्षेत्र के रूप में स्थित हों,
- (3) पशुओं की नस्ल सुधारने, दूध-उद्योग, ऊन तैयार करने आदि के काम में लगे हुए विशेष फार्म,
- (4) ईश के फार्म, जो चीनी-कारखानों-द्वारा चलाए जा रहे हों, और

- (5) कुशलता में चलाए जानेवाले ऐमै फार्म, जो एक-दूसरे से सटे हुए ब्लॉकों से मिल कर बने हो, जिनमें बहुत पूजी लगाई जा चुकी हो या जिनमें स्थायी किस्म का निर्माण-कार्य कराया गया हो और जिनके खडित होने से उत्पादन में कमी का डर हो ।

यह सिफारिश तीन मुख्य बातों को ध्यान में रख कर की गई थी । प्रथमतः, बागानों एवं औद्योगिक तथा कृषि-विषयक प्रतिष्ठानों में काम बहुत समन्वित रूप में करना जरूरी होता है । दूसरी बात, कृषि की कुछ विशेष शाखाओं में—जैसे, बागवानी, पशु-प्रजनन, दूध-उद्योग, आदि में—दीर्घकालीन आचार पर पूजी लगानी पडती है और कई वर्षों निकल जाने पर ही कुछ फल मिल पाता है । तीसरी बात, यह सोचा गया था कि ऐसे कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों की रक्षा करने में, जो परस्पर सटे हुए ब्लॉकों को मिला कर बनाए गए हो, जिनमें बहुत पूजी लगाई जा चुकी है और स्थायी निर्माण-कार्य किया जा चुका हो, उत्पादन घटने की जोखिम से बचा जा सकेगा ।

29 राज्यों में जो विधान बनाए गए हैं, उनमें बागानों को सभी जगह अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट दी गई है । विशेष फार्मों के पक्ष में भी व्यवस्थाएँ की गई हैं । चीनी-कारखानों-द्वारा परिचालित ईल-फार्मों और कुशलतापूर्वक चलाए जानेवाले फार्मों के प्रति विभिन्न राज्यों का रुख कुछ अलग-अलग रहा है । कुछ राज्यों (आन्ध्रप्रदेश, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान) के विधान में तथा कुछ अन्य राज्यों (बिहार और मैसूर) के विचारधीन प्रस्तावों में कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों को अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट दी गई है । जहाँ यह छूट मिली हुई है, वहाँ भी साधारणतः इस पर अमल होना बाकी है । केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों की अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट देने की बात नहीं सोची गई । उत्तरप्रदेश की सरकार ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है कि जिन फार्मों में यन्त्रोद्धार खेती होती है, उनकी फालतू जमीनें लेकर उन पर राजकीय फार्म चलाए जाएँ तथा तयशुदा शर्तों और उपबन्धों के अधीन उपयुक्त व्यक्तियों को प्रबन्धकों के रूप में नियुक्त किया जाएँ और यदि फार्मों के वर्तमान मालिक और सब तरह में योग्य हों, तो इन बारे में उन्हें तरजीह दी जाए ।

30 जहाँ तक चीनी-कारखानों-द्वारा परिचालित ईल-फार्मों का सवाल है, कई राज्यों—जैसे आन्ध्रप्रदेश, असम, मध्यप्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान तथा पंजाब के पेशाने—के विधान में अधिकतम सीमा की व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती तथा बिहार और मैसूर में जो विधेयक विचारधीन हैं, उनमें भी यही व्यवस्था है । परन्तु तीन राज्यों में इनमें निम्न रकबा अपनाया गया है । मद्रास के विधान में यह व्यवस्था है कि इस बात की जांच करने के लिए कि अलग-अलग कारखानों को अधिकतम सीमा की शर्त में छूट दी जाय या नहीं, एक चीनी-कारखाना-मंडल बनाया जाए । पहले फैसले करने में पहले चीनी-कारखाने की जरूरतों और उनके आधिकारिक, आदि बानों को भी ध्यान में रखा जाना । उत्तरप्रदेश में परिचालित सीमा की शर्त में तो छूट नहीं दी गई है, पर यन्त्रोद्धार फार्मों में उत्पादन में जिन कारखानों का उल्लेख किया गया है, वे चीनी-कारखानों-द्वारा परिचालित चीनी-फार्मों पर भी लागू होंगे । महाराष्ट्र में चीनी-कारखानों के ईल-फार्मों को अधिकतम सीमा की शर्त में छूट दी गयी है, परन्तु यह दो सटे हुए ब्लॉकों के रूप में बनाए गए फार्मों के लिए ही व्यवस्था की गई है, ताकि चीनी-कारखानों को मुनाफिब

दाम पर कच्चा माल पूरी मात्रा में और बराबर मिलता रहे, साथ ही, सयुक्त कृषि-समितियों को फालतू जमीन देने की भी व्यवस्था है। इन समितियों में यथासम्भव वे लोग होने चाहिए, जिन्होंने पहले अपनी जमीन का पट्टा चीनी-कारखाने के नाम किया हो, या फार्म पर काम करनेवाले खेतिहर श्रमिक, या फार्म पर काम करने के लिए कारखाने-द्वारा रखे गए तकनीकी और दूसरे कर्मचारी, अथवा पड़ोसी भूस्वामी, जो या तो छोटे भूस्वामी हो, या भूमिहीन श्रमिक।

31 दूसरी योजना में जिन बातों पर जोर दिया गया है और कुशलतापूर्वक परिष्कृत फार्मों को तथा चीनी-कारखानों-द्वारा चलाए जानेवाले ईख-फार्मों को अधिकतम सीमा की क्षति से छूट देने के बारे में जो सिफारिशें की गई हैं, वे आम तौर से तीसरी योजना के लिए भी कारगर हैं और प्रस्तावित मार्ग पर चलना लाभदायक है। दूसरी और, अगर कोई राज्य कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण या किसी और कारण से दूसरा रास्ता अपनाना चाहे, तो कुछ बातों के बारे में जरूर आश्वस्त हो जाना चाहिए। एक बात तो यह है, कि फार्मों की अखंडता बनी रहे और कार्य-कुशलता का स्तर गिरने न पाए, और दूसरी बात, चीनी-कारखानों के फार्मों का जहां तक सम्बन्ध है, यह पक्का भरोसा हो जाना चाहिए कि सम्बद्ध कारखानों को बराबर और सन्तोषजनक रूप से कच्चा माल मिलता रहे।

पुनर्व्यवस्था की योजनाएं

32 कृषि-जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्तावों के दो उद्देश्य थे— एक तो यह, कि विपत्ता घटे तथा एक प्रगतिशील सहकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास का रास्ता तैयार हो, और दूसरे यह, कि गावों की जनता के भूमिहीन वर्गों में फिर से वाटने के लिए, जमीन हासिल हो। ऐसे विधान बनाए गए हैं, जिनका दूरव्यापी असर होगा और यद्यपि ठीक-ठीक अनुमान लगा सकना अभी कठिन है, तथापि ऐसा लगता है कि भूमिहीनों में वाटने के लिए कुल जितनी फालतू जमीन उपलब्ध होगी, वह एक बरत जितनी उम्मीद की जाती थी, उससे काफी कम होगी। भूमि-सुधार के वर्तमान स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतम सीमा-सम्बन्धी विधान लागू होने से हर राज्य में जो जमीनें हासिल होगी, उनका जल्दी-से-जल्दी आवंटन कर दिया जाए। इन जमीनों के साथ-साथ बजर भूमि तथा, जहां सम्भव हो, भूदान-आन्दोलन के द्वारा प्राप्त होनेवाली जमीनों को जमा किया जाए और पुनर्व्यवस्था की क्रमबद्ध योजनाओं पर जल्दी-से-जल्दी अमल किया जाए। भूमि देने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जमीनों पर जिन्हें बसाया जाए, उनके लिए आवश्यक उधार रकम और दूसरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए, ताकि वे कायतकारी के ऊंचे स्तर कायम कर सकें। दूसरी योजना में यह तय किया गया था कि अधिकतम सीमा का विधान लागू करने के फलस्वरूप जो जमीनें मिलेंगी, उनका बन्दोबस्त करने में भूस्वामियों-द्वारा खुदकायत के लिए जमीनों की पुनः प्राप्ति के कारण विस्थापित कायतकारों, उन किमानों, जिनकी जोत फायदेमन्द न हो, तथा भूमिहीन श्रमिकों को तरजीह दी जाएगी। यह भी कहा गया था कि यथासम्भव इन जमीनों का बन्दोबस्त सहकारिता के आधार पर किया जाए। जो विधान बनाया गया है, उसमें आम तौर से इन सिफारिशों को माना गया है। यह भी सुझाव था कि जिन किसानों के पास ऐसी जोत है, जिनमें कुछ फायदा नहीं होता, उन्हें फालतू जमीनों के आधार पर बनाई गई महकारी नस्थाओं में शामिल कर लिया जाना चाहिए,

वर्षों कि वे अपनी ज़मीन भी उसमें शामिल करने को तैयार हो। इन दिशा में कदम उठाने के साथ ही आवश्यक आर्थिक और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित महत्कारी ज़ेनी के विकास-कार्यक्रम में इनकी अपेक्षा की गई है।

चक्रवर्दी

33 पंजाब, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश में चक्रवर्दी के काम में प्रगति हुई है अन्य राज्यों में, दूसरी योजना के दौरान, अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई। मई 1959-60 अर्न्त तक कोई 2 करोड़ 30 लाख एकड़ क्षेत्र की चक्रवर्दी की जा चुकी थी और 1 करोड़ 30 लाख एकड़ और भूमि में काम हो रहा था। राज्यों ने जो सूचनाएँ मिली हैं, उनके अनुसार तीसरी योजना में कुल मिला कर लगभग 3 करोड़ एकड़ की चक्रवर्दी का काम किया जाएगा। चक्रवर्दी के बारे में सभी राज्यों को कुछ अनुभव प्राप्त हो सके, उन स्थानों ने चार साल पहले योजना-आयोग की ओर से दो विशेष अध्ययन कराए गए थे। इनमें से एक अध्ययन में तो यह बताया गया था कि देश के अलग-अलग भागों में इस बारे में क्या-क्या तरीके निकाले गए हैं और क्या-क्या समन्वय सामने आई है। दूसरे अध्ययन में चक्रवर्दी-कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने के सुझाव दिए गए थे। हालांकि चक्रवर्दी को हृषि-उत्पादन-कार्यक्रम का अभिन्न अंग माना गया है, पर व्यवहार में दोनों कार्यक्रमों में हमेशा कोई समन्वय नहीं रखा जाता। जहाँ चक्रवर्दी का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, वहाँ की बात तो और है, पर साधारणतः प्रसिद्धित कर्मचारियों की कमी को दूर करने हुए यह बाधनीय मालूम होता है कि चक्रवर्दी का काम उन क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाए, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था है या होनेवाली है। योजना-आयोग इस बात का और बारीकी से अध्ययन करने का विचार कर रहा है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में चक्रवर्दी-कार्यक्रम के विस्तार के सम्बन्ध में जो बाधाएँ हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और इन क्षेत्रों में चक्रवर्दी के तरीकों और पद्धतियों में क्या-क्या परिवर्तन और नवीकरण ज़रूरी है।

भूमि-प्रबंध-सम्बन्धी विधान

34 पहली दोनो योजनाओं के दौरान जो कुछ प्रगति हुई है, उसके प्रकाश में इस बात पर विचार किए जाने का ज़रूरत है कि भूमि-प्रबंध-विधान का क्या स्थान है और उसे किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। पहली योजना में मश्रा यह थी कि भूमि-प्रबंध-विधान का क्षेत्र सामान्य हो, पर उसके विशेष प्रयोग बड़े भूस्वामियों के फार्मों में करना होते थे। दूसरी योजना के प्रस्तावों में उद्देश्य यह था कि भूमि-प्रबंध-विधान प्रथम श्रेणी की भूमि-संयोजन-प्रदेश के लिये नियंत्रित करने जिनके द्वारा वस्तुपरक और गुणात्मक नियंत्रण हो सके। यदि फार्मों को कुछ स्थान श्रेणियों में बाँटा जा सकता हो तो जो श्रेष्ठतम लाभ होने, उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाता और जो श्रेष्ठतम से नीचे गिर रहे होते, उन्हें उचित रूप से दूर करने में मदद दी जानी। भूमि-प्रबंध के सम्बन्ध में विधान सिर्फ दो तारीखों पर लागू होने में बनाया गया है और वहाँ भी दखलाने उन पर अमल नहीं हुआ। सम्बन्ध में कुछ विशेष हृषि-प्रयोगों के लिए—जैसे, बरत भूमि के उपयोग के लिए, दूसरे विधान के तहत से उम्मीदवार के लिए और दानिष्ठ संदिग्ध तथा रोगों की रोक्थाम के लिए—दस्तावेज़ तैयार हैं। इन विधानों में दखलाने वाले पुनर्गठन पट्टे हैं और यह हृषि-

विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तथा सामुदायिक विकास-खंडों में जो विस्तार-सेवाएं आरम्भ की गई हैं, उन्हें देखते हुए इन पुरानी बातों को बदलने की जरूरत है। इसमें शक नहीं कि भूमि-प्रबन्ध के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक अनुभव हो, उन्हें किसानों, सहकारी संस्थाओं और पंचायतों के फायदे के लिए एकत्र करने का अपना महत्त्व है, परन्तु वैधानिक व्यवस्थाएँ लागू करने के सवाल का और पंचायतों तथा पंचायत-समितियों के काम का अध्ययन राज्यों के परामर्श से तथा वर्तमान कानूनों के परिपालन में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुए हों, उनके प्रकाश में करना आवश्यक है।

कार्यान्विति की समस्याएँ

35 राज्यों में जो भूमि-सुधार-विधान बनाए गए हैं, उनकी कार्यान्विति में पैदा होने-वाले समस्याओं का अध्ययन भूमि-सुधार-समिति ने किया है और विचारियों की समाप्ति, काश्तकारी-सम्बन्धी सुधार तथा जोत की अधिकतम मीमा के बारे में अलग-अलग जल्दी से जल्दी जो कार्रवाइयाँ की जानी हैं, उनकी सूची बना दी है। इस समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वामित्व के बारे में ठीक-ठीक और नई-से-नई सूचना के आधार पर रिकार्ड तैयार किए जाने चाहिए और राजस्व-व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में स्वामित्व-सम्बन्धी रिकार्ड में नई-नई सूचनाएँ शामिल कर ली गई हैं, पर कुछ में और तेजी से काम करने की जरूरत है। कुछ राज्यों में स्वामित्व के रिकार्डों में काश्तकारों, शिकमी काश्तकारों और बटाईदारों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप विधान के परिपालन में बाधा पड़ती है। स्वामित्व के अधिकारों से सम्बन्धित कागज़-पत्रों की जाच पर तथा उन्हें ठीक करने और उनका रिकार्ड तैयार करने पर जो खर्च होगा, उसे कुछ राज्यों ने अपनी योजनाओं में शामिल कर लिया है और उसके लिए केन्द्रीय सहायता मिल सकती है। इनके लिए जो व्यवस्था की जाएगी, वह काम बढ़ने के साथ-साथ बढ़ानी पड़ेगी।

36. योजना-आयोग की अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति की मार्फत देश के विभिन्न भागों में भूमि-सुधार के कई सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। उनसे यह पता चलता है कि विधान के परिपालन के दृष्टि में क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। जो विधान बनाया गया है, उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है और परिस्थितियों में भी भेद है। इसलिए यह वाछनीय है कि इन अध्ययनों को व्यवस्थित आधार पर विस्तार दिया जाए। इस काम के लिए विद्वविद्यालयों और प्रमुख अनुसन्धान-केन्द्रों से भरपूर सहायता ली जानी चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि सामान्य योजना के अनुरूप विभिन्न क्षेत्र उनकी परिधि में आ जाए। इसके अलावा सक्रान्तिकाल में भी तथा दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की दृष्टि से भी भूमि-सुधारों के मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए।

37 योजना-आयोग में भूमि-सुधार की प्रगति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इससे विभिन्न राज्यों में जो विधान बनाए गए हैं, उनकी मूल बातें मानने आ जाएगी। इस अध्ययन में जोत और काश्त के बारे में वे सब आकड़े भी दिए जाएंगे, जो नव् 1954-55 की गणना के समय इकट्ठे किए गए थे। इस अध्याय के अनुबन्ध 2 में इनके संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

अनुबन्ध 1

वर्तमान जोतो की अधिकतम सीमा — अधिकतम सीमा का स्तर

राज्य	अधिकतम सीमा का स्तर	विशेष
(1)	(2)	(3)
आन्ध्रप्रदेश	पारिवारिक जोत का सादे चार-गुना, यानी 27 से 324 एकड़ तक (पारिवारिक जोत कम-से-कम 6 एकड़ सिंचित भूमि से लेकर 72 एकड़ सूखी भूमि तक होती है। पहली किस्म की जमीन पर बन्दोवस्त तरम सख्या 1 होता है या उसे 15 आने के बन्दोवस्त वर्गीकरण में रखा जाता है, दूसरी किस्म पर 5 से ऊपर का तरम होता है और उसमें चलका मिट्टी होती है, जिसका मूल्य 8 आने में नीचे आका जाता है।)	परिवार का आकार बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है। परिवार की सदस्य-सख्या पाच में अधिक होने पर प्रत्येक सदस्य के लिए एक पारिवारिक जोत की व्यवस्था है। इस सख्या की कोई सीमा नहीं रखी गई।
असम	50 एकड़	इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है कि परिवार कितना बड़ा है।
बिहार	(अ) जिस भूमि की सिंचाई सरकार-द्वारा निर्मित एवं सरसित सिंचाई-साधनो में होती है— 24 एकड़ (आ) जिस भूमि की सिंचाई सरकार-द्वारा निर्मित एवं सरसित उद्बहन सिंचाई-साधनो अथवा नलकूपो से होती हो— 36 एकड़ (इ) बगीचोंवाली भूमि तथा दूसरी भूमि, जिसे किमी और श्रेणी में सामिल नहीं किया गया हो— 48 एकड़ (ई) बिआरा जमीन — 60 एकड़ (उ) पहाडी, रेतीली या दूसरी तरह की भूमि, जिनमें धान, रबी या नकदी फसलो की उपज न हो — 72 एकड़	परिवार बढा होने पर छूट दी गई है, पर यह छूट अधिकतम सीमा की दुगुनी से अधिक नहीं हो सकती।
गुजरात	(अ) फसलवाली सूखी जमीन (इसमें गैर-सरकारी साधनो-द्वारा	इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है कि परिवार कितना

(1)	(2)	(3)
	निश्चित भूमि भी शामिल है) —56 से 132 एकड़	बड़ा है ।
	(आ) धान की भूमि और मौसमी सिंचाईवाली भूमि—38 से 88 एकड़	
	(इ) स्थायी रूप से सिंचित भूमि — 19 से 44 एकड़	
	(विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में अधिकतम सीमा- नियम में विवरण दिया गया है ।)	अलग-अलग हैं, जिसका अधि- नियम में विवरण दिया गया है ।)
जम्मू-कश्मीर	22½ एकड़	इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है कि परिवार कितना बड़ा है ।
केरल	दोहरी फसलवाली धान की 15 एकड़ जमीन या उसके बराबर क्षेत्र (इसके बराबर क्षेत्र 15 एकड़ से 37½ एकड़ तक हो सकते हैं)	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है, पर अन्तिम हद है दोहरी फसलवाली 25 एकड़ धान की जमीन या इसके बराबर क्षेत्र । अधिवाहित वयस्क व्यक्ति के लिए अधिक- तम क्षेत्र के आधे को ही सीमा माना जाएगा ।
मध्यप्रदेश	28 स्टैंडर्ड एकड़ (एक स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब है, एक एकड़ बारहमासी सिंचाई- वाली जमीन या 2 एकड़ मौसमी सिंचाई- वाली जमीन या 3 एकड़ सूखी फसलवाली जमीन) । अधिकतम सीमा घटा कर 25 एकड़ करने और एक बड़े परिवार के लिए बाहरी सीमा 50 स्टैंडर्ड एकड़ निश्चित करनेवाला एक विधेयक स्वीकार किया जा चुका है ।	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है, पर अन्तिम हद 53 स्टैंडर्ड एकड़ है ।
मद्रास (विधेयक)	30 स्टैंडर्ड एकड़ (निर्धारण की दर और भूमि की कोटि के हिसाब से एक से चार एकड़ तक स्टैंडर्ड एकड़ माना गया है ।)	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है । पाच से अधिक सदस्य हों, तो प्रति सदस्य 5 स्टैंडर्ड एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र दिया जा सकता है, किन्तु 60 स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा क्षेत्र किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)
महानगड़	(अ) नहर मे बाहरमानी निचाई-वाली जमीन—18 एकड़	परिवार कितना बड़ा है, इनका स्थान रखा गया है, परन्तु अधिकतम सीमा से दुगुनी से ज्यादा जमीन किन्नी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
	(आ) नहर मे मौसमी निचाईवाली जमीन	
	(1) दो मौसमी निचाईवाली —27 एकड़	
	(2) एक मौसम में निचाईवाली —48 एकड़	
	(इ) मूखी जमीनें (इनमें गैर-सरकारी सावनो मे नीची जानेवाली जमीनें भी शामिल हैं)—विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में 66 से 126 एकड़	
मैसूर (विधेयक जिस रूप में प्रवर-मिमि-ति-द्वारा भेजा गया है।)	27 स्टैंडर्ड एकड़ (स्टैंडर्ड एकड़ का हिस्सा अलग-अलग है। यह एक एकड़ ऐसी गीली जमीन मे लेकर जिनमें सिचाई का पूरा-पूरा भरौसा हो और धान की दो फसलें उगाई जा सकें, 8 एकड़ तक ऐसी मूखी या बागान-वाली जमीन तक के बराबर माना जा सकता है, जिनमें सालभर में 25 इंच से कम वर्षा होती है।)	परिवार कितना बड़ा है, इसका स्थान रखा गया है, परन्तु अधिकतम सीमा से दुगुनी से ज्यादा जमीन किन्नी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
उडीसा	25 स्टैंडर्ड एकड़ (स्टैंडर्ड एकड़ में बारह्यासी निचाई-वाली 1 एकड़ ऐसी जमीन मे, जिनके लिए नाल मे कम-से-कम तीन फसलों में पानी मिलते रहने का पूरा-पूरा भरौसा हो, 4 एकड़ मूखी जमीन तक मानी जा सकती है।)	परिवार कितना बड़ा है, इनका स्थान रखा गया है, परन्तु अधिकतम सीमा से दुगुनी से ज्यादा जमीन किन्नी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
पंजाब	पंजाब-क्षेत्र 30 स्टैंडर्ड एकड़, जो 60 साधारण एकड़ से ज्यादा किन्नी भी तरह नहीं होंगे। विस्थापितों के लिए अधिकतम सीमा 50 स्टैंडर्ड एकड़ है, जो 100 साधारण एकड़ से किन्नी भी तरह ज्यादा नहीं होंगी।	परिवार कितना बड़ा है, इनका कोई स्थान नहीं रखा गया है।

(1)	(2)	(3)
पेप्सू-क्षेत्र	30 स्टैंडर्ड एकड़, जो 80 साधारण एकड़ से ज्यादा किसी भी तरह नहीं होंगे। विस्थापितों के लिए अधिकतम सीमा 40 स्टैंडर्ड एकड़ है, जो 100 साधारण एकड़ से किसी तरह ज्यादा न होगी।	परिवार कितना बड़ा है, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है।
राजस्थान	30 स्टैंडर्ड एकड़ (स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब उतनी जमीन से है, जिसमें 10 मन गेहूँ या उतनी कीमत की कोई और फसल पैदा हो।)	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है, पर 60 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
उत्तरप्रदेश	40 एकड़ 'अच्छी किस्म' की जमीन (अच्छी किस्म की 1 एकड़ जमीन का मतलब है, 1 एकड़ ऐसी जमीन, जिसके लगान की पुस्तानी दर 6 रु० से अधिक हो, $1\frac{1}{2}$ एकड़ ऐसी जमीन, जिसकी दर 4 से 6 रु० प्रति एकड़ तक हो और 2 एकड़ ऐसी जमीन, जिसकी दर 4 रु० प्रति एकड़ या इससे कम हो।)	परिवार के आधार पर यह रियायत दी गई है कि अगर पाच से ज्यादा सदस्य हो, तो उन्हें प्रति सदस्य 8 एकड़ 'अच्छी किस्म' की जमीन मिलेगी, परन्तु यह मात्रा 64 एकड़ से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होगी।
पश्चिम-बंगाल	25 एकड़	परिवार कितना बड़ा है, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है।
दिल्ली	30 स्टैंडर्ड एकड़ (स्टैंडर्ड एकड़ में सिचाईवाली $\frac{4}{3}$ एकड़ भूमि से लेकर 2 एकड़ बारानी भूमि तक मानी गई है।)	परिवार कितना बड़ा है, इस आधार पर रियायत दी गई है, पर 60 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी भी तरह नहीं दी जाएगी।
हिमाचलप्रदेश	चम्बा जिले में 30 एकड़ और दूसरे जिलों में उतनी जमीन, जिसका निर्धारण 125 रु० तक किया गया हो।	परिवार कितना बड़ा है, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है।
मणिपुर	25 एकड़	परिवार कितना बड़ा है, इसके आधार पर रियायत दी गई है, पर 50 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
त्रिपुरा	25 स्टैंडर्ड एकड़ (स्टैंडर्ड एकड़ 1 एकड़ नाल या लुगा भूमि से लेकर 3 एकड़ टिल्ला भूमि तक के बराबर माना गया है।)	परिवार कितना बड़ा है, इसके आधार पर रियायत दी गई है, पर 50 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।

अनुबन्ध 2

जोत और काश्तकारी के सम्बन्ध में गणना

व्याख्यात्मक टिप्पणी

पहली योजना की सिफारिश के अनुसार, अन्न, पश्चिम-बंगाल, जम्मू-कश्मीर तथा मणिपुर और त्रिपुरा के मधीय क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में मन् 1954-55 में जोत और काश्तकारी के सम्बन्ध में गणना की गई थी। अन्न और पश्चिम-बंगाल में राज्य-मरकारों ने जोतों के बारे में पहले से ही कुछ आकड़े इकट्ठे कर रखे थे। पश्चिम-बंगाल में अधिकतम सीमा के बारे में विधान बनाया जा चुका था, अन्न में एक विवेकक स्वीकृत किया जा चुका था तथा जम्मू-कश्मीर में अधिकतम सीमा का व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी थी। इन राज्यों में फिर से गणना करना जरूरी नहीं समझा गया। मणिपुर और त्रिपुरा में प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव और जमीन के उच्च-सावध होने-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण गणना का प्रस्ताव छोड़ दिया गया था।

2 गणना के काम में भूतपूर्व राज्यों, आन्ध्र, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मध्यभारत, मौराष्ट्र, अजमेर, भीमाल और कच्छ में जोतों की पूरी-पूरी गिनती की गई। पंजाब में और मैसूर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश तथा विन्ध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यों में गणना के कार्य में जल्दी करने के ख्याल ने मिर्क 10 एकड़ या उनसे अधिक की जोतों की गणना की गई। फिर भी 10 एकड़ से कम के जोतों के भी अनुमान लगाए गए। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा तिरुवाकुर-कोचीन के भूतपूर्व राज्य में नमूने के तौर पर जांच की गई।

3 ये आकड़े आम तौर से मन् 1953-54 के बारे में हैं। गणना में जो खास बातें सामने रखी गईं, वे मुख्य रूप से ये हैं—

- (1) गणना भूस्वामियों की जोत में आनेवाली खेती की भूमि के बारे में थी। खेती की भूमि की परिभाषा इन तरह की जाती है कि वह किसी जोत में आनेवाली कृष्य भूमि है। इसमें चरागाहें और बगिया भी शामिल हैं। गैर-दखलकारी क्षेत्र—जैसे, जंगली भूमि तथा इनकी अकृष्य भूमि—को शामिल नहीं करना था। शहरी इलाकों में जो जमीन थी, वह भी गणना के क्षेत्र से बाहर थी।
- (2) 'स्वामित्ववाला क्षेत्र'—इन पद की व्याख्या इन प्रकार की गई कि उनमें भूस्वामियों-द्वारा अधिकृत जमीनों के साथ-साथ वे जमीनें भी आ जाएं, जो स्थायी और मौखिकी दखलकारी हकों के अधीन किसी के कब्जे में हों। यानी, मान लीजिए, किसी व्यक्ति 'क' की जमीन है और दखलकारी हकों के अधीन वह किसी दूसरे व्यक्ति 'ख' के कब्जे में है, तो वह 'ख' की जोत में गिनी गई और 'क' की जोत में शामिल नहीं की गई। यह बात भी मानी गई कि जिन लोगों को कानूनन स्थायी और मौखिकी हक प्राप्त नहीं हैं, पर जिन्हें व्यवहार में वे हक मिलने हुए हैं, उन्हें भी भूस्वामी माना जाए।

- (3) पूरे राज्य में खेती की पूरी जमीन, जो किसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो, एक ही जोत मानी जाएगी। जहाँ तक सयुक्त जोत का सवाल है, हर साझीदार का हिस्सा अलग-अलग जोत माना जाएगा।
- (4) 'खुदकास्त' के क्षेत्र की व्याख्या इस तरह की गई कि वह 'स्वामित्ववाले क्षेत्र' और 'पट्टे पर दिए गए क्षेत्र' का अन्तर है। 'पट्टे पर दिया गया क्षेत्र' वह जमीन है जो किसी को किराए पर दे दी गई हो, जिस पर उसे स्थायी और मौसमी हक हासिल न हुआ हो।

4 दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय जमीन-सम्बन्धी गणना के जो भी आकड़े-मिल सके थे, वे उसमें संशोधन में दे दिए गए थे। फिर, सन् 1956 में राज्यों का फिर से जो सगठन हुआ, उसके कारण उनके लिए उन आकड़ों को फिर से तालिकाबद्ध किया गया। यहाँ आगे की तालिकाओं में उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इनमें बिहार और उड़ीसा के आकड़े नहीं हैं। बिहार-सरकार का ख्याल है कि नमूने के लिए किए गए सर्वेक्षण से जो आकड़े जमा किए गए हैं, उनसे स्वामित्व और कास्तकारी की सही तसवीर बिल्कुल ही सामने नहीं आती। उड़ीसा से मिले हुए आकड़े अधूरे थे।

जोतों का वितरण और आकार

(अ) जिन राज्यों में हर आकार-वर्ग की जोतों की पूरी-पूरी गणना की गई

(हजार में)

जोतों की कोटिया (एकड़ में)

(1)	(2)	जोतों की कोटिया (एकड़ में)											
		2.5 तक से 5 तक	5 से 10 तक	10 से 20 तक	20 से 30 तक	30 से 40 तक	40 से 60 तक	60 से 100 तक	100 से 200 तक	200 से 300 तक	300 से 400 तक	400 से 600 तक	600 से 1000 तक
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				

1 आन्ध्रप्रदेश—(क) भूतपूर्व आन्ध्र-क्षेत्र

(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या प्रतिशत क्षेत्र	1,253 (47.4)	514 (19.4)	423 (16)	272 (10.2)	87 (3.3)	39 (1.5)	31 (1.2)	17 (0.6)	9 (0.4)	2,645 (100)
(आ) मुद्रापात के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतों की संख्या प्रतिशत क्षेत्र	1,417 (7.9)	1,853 (10.3)	2,976 (16.5)	3,790 (21)	2,115 (11.7)	1,318 (7.3)	1,491 (8.2)	1,258 (7)	1,816 (10.1)	1,903 (100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	जोतों की संख्या प्रतिशत क्षेत्र	1,188 (47.8)	486 (19.6)	396 (15.9)	253 (10.2)	80 (3.2)	35 (1.4)	27 (1.1)	11 (0.6)	7 (0.2)	2,486 (100)
	जोतों की संख्या प्रतिशत क्षेत्र	1,303 (8.3)	1,713 (10.8)	2,739 (17.3)	3,478 (22)	1,900 (12.1)	1,174 (7.4)	1,295 (8.2)	1,048 (6.6)	1,151 (7.3)	1,581 (100)
	जोतों की संख्या प्रतिशत क्षेत्र	96 (6.2)	122 (7.9)	192 (12.4)	247 (15.9)	150 (9.7)	100 (6.5)	133 (8.6)	137 (8.9)	371 (23.9)	1,548 (100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	6.7	6.6	6.5	6.5	7.1	7.6	8.9	10.8	20.5	8.6

		(ख) तेलंगाना-क्षेत्र†									
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोती की संख्या	388	263	331	311	126	64	59	37	28	1,607
	प्रतिशत	(24 2)	(16 4)	(20 6)	(19 4)	(7 8)	(4)	(3 6)	(2 3)	(1 7)	(100)
(आ) गृहपुस्तक के अन्तर्गत क्षेत्र	क्षेत्र	147	968	2,416	4,413	3,101	2,196	2,853	2,863	5,776	25,033
	प्रतिशत	(1 8)	(3 9)	(9 6)	(17 6)	(12 4)	(8 8)	(11 4)	(11 4)	(23 1)	(100)
(इ) गृहपुस्तक के अन्तर्गत क्षेत्र	जोती की संख्या	379	249	308	287	118	58	53	34	21	1,507
	प्रतिशत	(25 1)	(16 5)	(20 5)	(19)	(7 8)	(3 9)	(3 5)	(2 2)	(1 5)	(100)
(ए) गृहपुस्तक के अन्तर्गत क्षेत्र	क्षेत्र	441	945	2,255	4,086	2,870	2,013	2,566	2,535	3,936	21,647
	प्रतिशत	(2)	(4 4)	(10 4)	(18 8)	(13 3)	(9 3)	(11 9)	(11 7)	(18 2)	(100)
(क) गृहपुस्तक के अन्तर्गत क्षेत्र	क्षेत्र	32	81	203	397	277	219	302	319	1,556	3,386
	प्रतिशत	(0 9)	(2 4)	(6)	(11 8)	(8 1)	(6 4)	(9)	(9 4)	(46)	(100)
स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत		7 2	8 4	8 4	9	8 9	9 9	10 6	11 2	26 9	13 5
		2. गुजरात और महाराष्ट्र†									
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोती की संख्या	1,928	1,115	1,286	1,127	473	242	201	99	42	6,513
	प्रतिशत	(29 6)	(17 1)	(19 7)	(17 3)	(7 3)	(3 7)	(3 1)	(1 5)	(0 7)	(100)
(आ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	क्षेत्र	2,309	4,129	9,320	16,097	11,626	8,368	9,676	7,355	8,160	77,040
	प्रतिशत	(3)	(5 3)	(12 1)	(20 9)	(15 1)	(10 9)	(12 6)	(9 5)	(10 6)	(100)

† इसमें ऐतिहासिक गृहपुस्तक नहीं है, जो एक साल से अधिक समय से परती पड़ी है।

‡ 'सूखे एकड़ों' में क्षेत्र की गणना। औसत रूप से एकड़ सिंचित क्षेत्र को 6 एकड़ सूखे क्षेत्र के बराबर मान कर साधारण एकड़ों को 'सूखे एकड़ों' में परिवर्तित कर लिया गया है।

गुजरात और महाराष्ट्र के आकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं। मराठवाड़ा में जोती का क्षेत्र 'सूखे एकड़ों' में दिखाया गया है। औसत रूप से एक साधारण एकड़ 1-002 सूखे एकड़ के बराबर है। चूंकि यह अन्तर बहुत ही छोटा है, इसलिए सम्पूर्ण राज्य के लिए जोती का विभाजन करते समय एक सूखे एकड़ को एक साधारण एकड़ के बराबर मान लिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(भा) गुरुदास के प्रस्तावित क्षेत्र#	{ जलो की सखा प्रतिशत क्षेत्र प्रतिशत	1,723	999	1,137	1,005	421	216	179	85	30	5,798	
		(29 7)	(17 2)	(19 6)	(17 3)	(7 3)	(3 8)	(3 1)	(1 5)	(0 5)	(0 5)	(100)
		1,996	3,662	8,084	14,139	10,293	7,411	8,501	6,201	5,044	65,330	
	{ क्षेत्र प्रतिशत	(3 1)	(5 6)	(12 4)	(21 6)	(15 8)	(11 3)	(13)	(9 5)	(7 7)	(100)	
(ब) ष्टे पर दिया गया क्षेत्र	{ क्षेत्र प्रतिशत	360	658	1,357	2,114	1,401	960	1,123	1,029	2,516	11,518	
		(3 1)	(5 7)	(11 8)	(18 4)	(12 2)	(8 3)	(9 7)	(8 9)	(21 9)	(100)	
	{ स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	15 6	15 9	14 6	13 1	12 1	11 5	11 6	14	30 8	15	
3. मध्यप्रदेश†												
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	{ जलो की सखा प्रतिशत क्षेत्र प्रतिशत	4,324		754	260		111	85	43	22	5,599	
		(77 2)		(13 5)	(4 6)		(2)	(1 5)	(0 8)	(0 4)	(100)	
		14,250		10,587	6,312	3,827	4,108	3,232	4,119	18,435		
	{ क्षेत्र प्रतिशत	(30 7)		(22 8)	(13 6)	(8 2)	(8 8)	(7)	(8 9)	(100)		
(आ) गुरुदास के प्रस्तावित क्षेत्र	{ जलो की सखा प्रतिशत क्षेत्र प्रतिशत	1,643	839	866	640	211	90	67	13	16	4,408	
		(37 3)	(19)	(19 6)	(11 5)	(4 9)	(2)	(1 5)	(0 8)	(0 4)	(100)	
		1,650	3,047	6,180	8,972	5,185	3,072	3,216	2,461	2,672	36,615	
	{ क्षेत्र प्रतिशत	(4 5)	(8 3)	(16 9)	(24 4)	(14 2)	(8 4)	(8 8)	(6 7)	(7 8)	(100)	
(ब) ष्टे पर दिया गया क्षेत्र	{ क्षेत्र प्रतिशत	101	178	370	555	338	219	264	215	528	2,798	
		(3 6)	(6 4)	(13 2)	(19 7)	(12 1)	(7 9)	(9 4)	(8 8)	(18 9)	(100)	
	{ स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	--	--	--	5 2	5 1	5 7	6 4	7 5	12 8	--	

		4 मसाला @																			
		1,852	934	739	391	104	42	32	18	12	1,124										
(अ) न्यामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	(44 9)	(22 6)	(17 9)	(9 5)	(2 5)	(1 1)	(0 8)	(0 4)	(0 3)	(100)										
	प्रतिशत †	2,231	3,360	5,136	5,389	2,525	1,424	1,546	1,357	2,799	25,768										
	क्षेत्र	(8 7)	(13)	(19 9)	(21)	(9 8)	(5 5)	(6)	(5 3)	(10 8)	(100)										
(आ) मुद्रकास्त के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतों की संख्या	1,786	848	691	362	93	37	28	15	9	3,905										
	प्रतिशत †	(45 7)	(22 6)	(17 7)	(9 3)	(2 4)	(0 9)	(0 8)	(0 4)	(0 2)	(100)										
	क्षेत्र	2,167	3,170	4,808	4,962	2,237	1,315	1,318	1,113	1,949	23,036										
(इ) षट्टे पर दिया गया क्षेत्र	जोतों की संख्या	(9 1)	(13 8)	(20 8)	(21 5)	(9 7)	(5 7)	(5 8)	(4 8)	(8 5)	(100)										
	प्रतिशत †	114	175	286	362	200	138	188	208	817	2,487										
	क्षेत्र	(4 6)	(7)	(11 5)	(14 6)	(8)	(5 5)	(7 6)	(8 4)	(32 8)	(100)										
स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत		5	1	5	2	5	6	6	7	7	9	9	7	12	1	15	3	29	2	9	7

कच्छ-क्षेत्र में देती-योग्य वजर भूमि को, जिनके स्वामी हैं, 'स्वामित्ववाला क्षेत्र' में तो रखा गया है पर 'खुवकास्त क्षेत्र' के अन्तर्गत नहीं है। इसमें भूतपूर्व राजस्थान से अलग किया गया सिरोह-स्व-खिबीजन शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गणना नहीं हुई थी। इसमें विन्ध्यप्रदेश का क्षेत्र शामिल हुए भूतपूर्व तिलवांकुर-कोचीन-रियासत का क्षेत्र शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (क) इन आकड़ों में मसाल में रखा गया है। एक सिंचित एकड़ तीन सूबे एकड़ के बराबर माना गया है। इसके प्रतिशत, जोतों का क्षेत्र 'सूबे एकड़ों' के रूप में रखा गया है। एक सिंचित एकड़ तीन सूबे एकड़ के बराबर माना गया है। (ख) इन आकड़ों में मसाल में रखा गया है, पर 'खुवकास्त के अन्तर्गत क्षेत्र' की लागतवाही से बकार पड़ी जमीनों और 'मसाल' जमीनों को 'स्वामित्ववाला क्षेत्र' में तो रखा गया है, पर 'खुवकास्त के अन्तर्गत क्षेत्र' में नहीं।

(भा) जिन राज्यों में गणना 10 एकड़ या उससे अधिक तक सीमित रही
(हजार में)

		जिलों की कोटिया (एकड़ में)							100 से	सब
10 तक	10 से	20 से	30 से	40 से	60 तक	100 तक	अपर	कोटिया	कोटिया	
20 तक	30 तक	40 तक	50 तक	60 तक	80 तक	100 तक	अपर	कोटिया	कोटिया	
1 संसूच										
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	1,790 (70)	430 (16.8)	160 (6.3)	71 (2.9)	59 (2.3)	30 (1.2)	14 (0.5)	2,557 (100)	2,557 (100)	
(भा) सुरक्षात के अन्तर्गत क्षेत्र	7,001 (25.5)	6,139 (22.4)	3,914 (11.3)	2,531 (9.2)	2,810 (10.3)	2,210 (8.2)	2,780 (10.1)	27,448 (100)	27,448 (100)	
(ब) सुरक्षात के अन्तर्गत क्षेत्र	—	373	133	61	47	22	17	653 ^{1/2}	653 ^{1/2}	
(क) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	—	1,781	3,266	2,070	1,493	1,660	1,589	13,859 ^{1/2}	13,859 ^{1/2}	
(घ) स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिफल	—	958	680	451	542	505	1,061	1,200 ^{1/2}	1,200 ^{1/2}	
2. मजाल										
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	2,505 (83.9)	284 (9.5)	96 (3.2)	12 (1.4)	32 (1.1)	17 (0.6)	8 (0.3)	2,981 (100)	2,981 (100)	
(भा) सुरक्षात के अन्तर्गत क्षेत्र	6,063 (36.1)	4,040 (21)	2,329 (12.1)	1,416 (7.5)	1,561 (8.1)	1,278 (6.7)	1,638 (8.5)	19,258 (100)	19,258 (100)	
(ब) सुरक्षात के अन्तर्गत क्षेत्र	—	233	76	32	23	10	1	378 ^{1/2}	378 ^{1/2}	
(क) स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिफल	—	3,313	1,831	1,070	1,076	732	620	8,612 ^{1/2}	8,612 ^{1/2}	

वीसरी पंचवर्षीय योजना

(2) कुंठे का शिवा गंगा {
 स्थापित-समय क्षेत्र का प्रतिफल
 — 751 495 342 437 439 858 3,322¹
 — (18.6) (21.3) (23.7) (27.9) (34.4) (52.4) (27)*

3 बिल्ली

(य) स्थापित-समय क्षेत्र {
 क्षेत्रों की गणना प्रतिफल 87 4 1 (‡) (‡) (‡) (‡) (‡) 92
 (91.6) (4.1) (0.9) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (100)
 क्षेत्र 152 51 19 8 5 3 241
 प्रतिफल (62.9) (21.2) (7.9) (3.5) (2) (1.2) (1.3) (1.3) (100)
 (घ) प्रस्तावित क्षेत्रों की गणना {
 क्षेत्रों की गणना क्षेत्र 1 1 1 1 1 1 5^c
 प्रतिफल 51 19 8 4 3 2 87¹
 (2) कुंठे पर शिवा गंगा {
 स्थापित-समय क्षेत्रों का प्रतिफल — 1 1 1 1 1 1 2^b
 — (1.6) (2.5) (3.5) (5) (5) (10.1) (2.6)*

4 हिमाचलप्रदेश

(य) स्थापित-समय क्षेत्र {
 क्षेत्रों की गणना प्रतिफल 621 8 1 (‡) (‡) (‡) (‡) 630
 (98.5) (1.2) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (100)

टिप्पणी - (1) संभार और कुंठ-क्षेत्रों में, 10 एकड़ या इससे अधिक की जोती की गणना की गई थी, किन्तु जो क्षेत्र बन्चई, हैबराबाद और मद्रास में हस्तांतरित कर दिए गए हैं, उनमें सभी प्रकार-जनों की जोतों की गणना की गई है।

(2) कालक में, जोतों के क्षेत्रों को 'सूने एकड़ों' में बताया गया है। एक साधारण एकड़ औसत रूप से 1.01 सूने एकड़ के बराबर होता है। चूंकि बीलों में कई बहुत मामूली हैं, इसलिए पूरे राज्य में जोतों के वितरण का ब्यौरा तैयार करने के लिए सूने एकड़ और सामान्य एकड़, दोनों को बराबर मान लिया गया है।

* 22 फीसदी का पुराने या उससे अधिक जो क्षेत्रों के बारे में है।

(1) पर गणना है, 500 गांठों 0.05 प्रतिफल से कम।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	क्षेत्र	519	101	31	11	8	7	10	707
	प्रतिशत	(76.2)	(11.3)	(1.1)	(1.6)	(1.1)	(0.9)	(1.5)	(100)
(ग) गुराहारा के	क्षेत्रों की गणना	—	7	1	1	(1)	(1)	(4)	9
गुराहारा क्षेत्र	क्षेत्र	—	97	30	10	7	6	10	160
(घ) गुराहारा के	क्षेत्रों की गणना	—	1	1	1	(1)	(1)	(1)	8
गुराहारा क्षेत्र	क्षेत्र	—	(3.9)	(1.1)	(7.7)	(6.7)	(7)	(9)	(4.7)
	प्रतिशत	—							

* यह ग्राह्य वस एन्ड या उससे अधिक की जोतों के बारे में है।

(2) का मतलब है, 500 यात्री 0.05 प्रतिशत से कम।

(1) चम्पा जिले में भद्रिदथाट तहसील में गणना की गई। चम्पा तहसील के 58 गावों तथा चूडा तहसील के 36 गावों का चुनाव यथेच्छ कर लिया गया था।

(इ) जिन राज्यों में जिलों की गणना नमूने के आधार पर की गई

(हजार में)

जिलों की कोटिया (एकड़ में)

2 तक	2 से 5 तक	5 से 10 तक	10 से 20 तक	20 से 30 तक	30 से 40 तक	40 से 60 तक	60 से 100 तक	100 से ऊपर	सब कोटिया
------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	------------	-----------

1 केरल—(क) तिरुवाणूर-कोचीन

(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जिलों की संख्या	1,974	191	80	26	6	2	4	2,283
	प्रतिशत क्षेत्र	(86 5)	(8 4)	(3 5)	(1 1)	(0 3)	(0 1)	(0 1)	(100)
(आ) मुरकास के अस्त-मंत क्षेत्र	जिलों की संख्या	1,229	668	541	340	146	72	327	3,323
	प्रतिशत क्षेत्र	(37)	(20 1)	(16 3)	(10 2)	(4 4)	(2 2)	(9 8)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	जिलों की संख्या	1,958	176	67	20	4	1	2	2,228
	प्रतिशत क्षेत्र	(87 9)	(7 9)	(3)	(0 9)	(0 1)	(0 1)	(0 1)	(100)
(ए) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	जिलों की संख्या	1,346	621	456	262	86	42	144	2,957
	प्रतिशत क्षेत्र	(45 5)	(21)	(15 5)	(8 8)	(2 9)	(1 4)	(4 9)	(100)
स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	जिलों की संख्या	38	31	51	40	29	19	158	366
	प्रतिशत क्षेत्र	(10 5)	(8 5)	(14 1)	(10 9)	(7 9)	(5 1)	(43)	(100)
प्रतिशत		3 1	4 7	9 5	11 7	19 9	25 8	48 2	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					(ए) मागवार						
(ग) स्वामित्ववापराक्षेत्र	{ जीतो की मर्यादा प्रतिवर्ष	371 (51.5)	130 (18)	103 (14.2)	73 (10)	20 (2.8)	9 (1.3)	8 (1.1)	5 (0.6)	3 (0.5)	725 (100)
	{ प्रतिवर्ष	116 (7.9)	480 (9.1)	710 (14.1)	1,022 (19.4)	488 (9.3)	334 (6.4)	380 (7.3)	351 (6.7)	1,043 (19.8)	5,254 (100)
(घ) ग्रामस्त के मत- मेंत क्षेत्र	{ जीतो की मर्यादा प्रतिवर्ष	372 (51.7)	129 (17.9)	102 (14.2)	72 (10)	20 (2.8)	9 (1.3)	8 (1.1)	4 (0.6)	3 (0.4)	718 (100)
	{ प्रतिवर्ष	416 (8.5)	476 (9.7)	728 (14.8)	1,010 (20.6)	477 (9.7)	262 (5.3)	368 (7.4)	334 (6.8)	847 (17.2)	4,918 (100)
(ङ) ण्टे पर दिया गया क्षेत्र	{ क्षेत्र प्रतिवर्ष	4 (2.4)	4 (2.3)	7 (3.8)	15 (8.3)	14 (7.9)	12 (6.6)	13 (7.7)	17 (9.7)	89 (51.3)	175 (100)
	{ स्वामित्ववापरा क्षेत्र का प्रतिवर्ष	1	0.8	0.9	1.3	2.9	3.6	3.5	4.8	8.6	3.3
2. राजस्थान—(क) भूतपूर्व राजस्थान†											
(ग) स्वामित्ववापराक्षेत्र	{ जीतो की मर्यादा प्रतिवर्ष	53 (32.2)	31 (19.2)	34 (21)	26 (15.8)	9 (5.6)	4 (2.7)	3 (2)	2 (1)	1 (0.5)	163 (100)
	{ क्षेत्र प्रतिवर्ष	58 (3.7)	114 (7.3)	244 (15.6)	361 (23.1)	220 (14.1)	147 (9.4)	157 (10.1)	126 (8)	136 (8.7)	1,563 (100)

(आ) खुदकास्त के अन्त- गत क्षेत्र	जोतों की संख्या	48	29	32	23	8	3	3	1	147
	प्रतिघात	(32 5)	(20)	(21 5)	(15 6)	(5 3)	(2 3)	(1 8)	(0 8)	(0 2)
	क्षेत्र	55	108	228	324	189	116	122	83	59
	प्रतिघात	(4 3)	(8 4)	(17 8)	(25 2)	(14 7)	(9)	(9 5)	(6 4)	(4 7)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	6	11	22	40	28	26	34	45	66
	प्रतिघात	(2 2)	(4)	(7 9)	(14 4)	(10 1)	(9 3)	(12 2)	(16 2)	(23 7)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का अनुपात	10 4	9 6	9 1	11 1	12 6	17 7	21 6	35 6	49 17 8

(ख) अजमेर-क्षेत्र

(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	57	21	18	10	3	1	1	1	111
	प्रतिघात	(51 6)	(19 1)	(16 3)	(9 2)	(2 3)	(0 8)	(0 5)	(0 2)	11
	क्षेत्र	56	76	128	143	63	30	24	13	18
	प्रतिघात	(10 2)	(13 7)	(23 2)	(26)	(11 5)	(5 4)	(4 4)	(2 4)	(3 2)

* गणना के अन्तर्गत हर आकार-वर्ग की जोतों की पूरी-पूरी शुमार की गई। क्षेत्र का उल्लेख 'सूले एकड़' में किया गया है।

† स्वामियों की लापरवाही से बेकार पड़ी जमीनों और 'भासूल' जमीनों को स्वामित्ववाला क्षेत्र में तो वर्गीया गया है, पर 'खुदकास्त के अन्तर्गत क्षेत्र' में नहीं।

‡ आंकड़े चुनो हुई 22 तहसीलों के बारे में हैं।

* 2 का मतलब है, 500 यात्री 0 05 प्रतिघात से कम।

@ य आंकड़े हर आकार-वर्ग की जोतों की पूरी-पूरी गिनती के आधार पर दिए गए हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(आ) गुरुदासत के अन्त- गत क्षेत्र	क्षेत्र	57	21	18	10	2	1	1	1	1	110
	प्रतिशत	(51.9)	(19.1)	(16.1)	(9.2)	(2.3)	(0.8)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(100)
	क्षेत्र	55	75	125	142	62	29	24	13	17	542
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	प्रतिशत	(10.2)	(13.8)	(21.1)	(26.2)	(11.4)	(5.4)	(4.3)	(2.4)	(3.2)	(100)
	क्षेत्र	1	1	2	2	1	1	1	1	1	9
	प्रतिशत	(10.5)	(10.2)	(18)	(25.7)	(14.1)	(6.6)	(8.1)	(1.8)	(1.7)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	1	7	1	2	1	2	1	3	1	1
	प्रतिशत	1	7	1	2	1	2	1	3	1	1
3 उत्तरप्रदेश											
(अ) स्वामित्ववाना क्षेत्र	जोती की संख्या	33	8	1	2	4	1	4	4	4	48
	प्रतिशत	(68.6)	(16.8)	(9.7)	(3.7)	(0.7)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(100)
	क्षेत्र	29	29	32	24	8	4	3	2	3	134
(आ) गुरुदासत के अन्त- गत क्षेत्र	जोती की संख्या	(22)	(21.4)	(24)	(17.8)	(6)	(2.7)	(2.3)	(1.7)	(2.1)	(100)
	प्रतिशत	32	8	4	2	1	4	4	4	4	47
	क्षेत्र	(68.6)	(16.8)	(9.7)	(3.8)	(0.7)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	100
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	जोती की संख्या	29	28	32	24	8	4	3	2	3	133
	प्रतिशत	(22)	(21.4)	(24.1)	(17.9)	(6)	(2.8)	(2.3)	(1.6)	(1.9)	(100)
	क्षेत्र	(25.7)	(18.4)	(15)	(5.5)	(5.8)	(0.9)	(3.4)	(13.6)	(11.7)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	(1.2)	(0.9)	(0.7)	(0.3)	(1)	(0.1)	(1.5)	(8)	(6)	(1.1)

⁴⁰ का मतलब है, 500 याली 0.05 प्रतिशत से कम ।

¹ नमूने के 204 गाँवों को लेकर ये आंकड़े तैयार किए गए हैं । पूरे राज्य को लेकर अनुमान तैयार नहीं किए गए ।

श्रम-नीति

भारत में श्रम-नीति का विकास उद्योगों और श्रमिक-वर्ग से सम्बद्ध परिस्थितियों को विधिष्ठ आवश्यकताओं के अनुरूप ही हुआ है तथा इसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं ने भेज रखना पड़ता है। विभिन्न स्तरों पर सरकार, श्रमिक-वर्ग और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के संयुक्त विचार-विमर्श के फलस्वरूप कुछ सिद्धान्त और आचरण निश्चित हो गए हैं। इस दिशा में सरकार ने जो कानून बनाए तथा अन्य उपाय अपनाए, वे सब सम्बद्ध पक्षों की सम्मति के सार-रूप हैं। इन तरह उन कानूनों और उपायों को एक राष्ट्रीय नीति का स्वरूप और बन प्राप्त है, जो स्वीच्छिक आचार पर प्रचलित है। नीतियां बनाने और उन पर अमल करने के लिए संयुक्त समितियां बनाई गई हैं। इस त्रिपक्षीय व्यवस्था के ऊपर भारतीय श्रम-सम्मेलन का स्थान है।

नए परिवर्तन

2 औद्योगिक सम्बन्धों का ढांचा इस प्रकार बनाने का प्रयत्न किया गया है कि उद्योगों में शान्ति स्थापित रहे और श्रमिक-वर्ग के साथ उचित व्यवहार हो। औद्योगिक विवाद प्रेमपूर्वक तय करने में दोनों पक्षों के असफल रहने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। विवादों को समझा-बुझाकर हल करने की भी व्यवस्था की गई है। ऐमा सम्भव होने पर निवटारे के लिए उन्हें राज्य-द्वारा न्यायाधिकरण को सौंपने की भी व्यवस्था है। मामला निवटारे के लिए सौंपे जाने के बाद काम बन्द करना तथा समझौता या फैसला होने पर उस पर अमल न करना गैर-कानूनी करार दिया गया है। इस व्यवस्था ने औद्योगिक अशान्ति रोकने में बहुत योग दिया है तथा इससे श्रमिक-वर्ग को उन्नति तथा सुरक्षा की सास लेने का अवसर दिया है, जो अन्यथा सम्भव नहीं था। परन्तु इसके साथ ही मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ी और कानूनी प्रक्रियाओं में होने-वाले विलम्ब से व्यापक असन्तोष फैला। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति को दूर करने के लिए तथा कानूनी के बजाय नैतिक आधार पर औद्योगिक सम्बन्धों में ठोस परिवर्तन लाने के लिए एक विलकुल नई दिशा अपनाई गई। अब उचित समय पर कार्रवाई करके अशान्ति पैदा न होने देने तथा विवाद के मूल कारणों का अन्त करने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन तथा उनके आपसी सम्बन्धों में नए आधारों की स्थापना जरूरी है।

3 उद्योगपतियों और श्रमिकों के सभी केन्द्रीय मण्डलों ने सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के उद्योगों के लिए स्वेच्छा से एक अनुशासन-महिता स्वीकार कर ली है, जिस पर सन् 1958 के मध्य से अमल भी हो रहा है। इन संहिता में मालिकों और श्रमिकों, दोनों पर कुछ छान जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि दोनों के प्रतिनिधियों में सब स्तरों पर रचनात्मक सहयोग होता रहे—न तो काम रुके और न मुकदमेबाजी हो, झगड़ो और निकायतो का निवटारा आपसी बातचीत, सुलह-समझौते तथा स्वेच्छया नियुक्त पक्षों के द्वारा हो, श्रमिक-संघों का विकास स्वतन्त्रतापूर्वक होने

की सुविधाएँ मिले और औद्योगिक सम्बन्धों में नव प्रकार की जोर-जबर्दस्ती और दबावों का अन्त हो जाए ।

4 सहिता में व्यवस्था है कि सभी सस्याओं में शिकायतें पेश करने का एक नियमित तरीका निकाला जाए और उन पर फौरन ध्यान दिया जाए । शिकायतें दूर करने के कानूनी तरीकों और अन्य सामान्य उपायों का पूरा उपयोग किया जाए तथा किसी भी पक्ष की ओर में सीधी, मनमानीपूर्ण या एकतरफा कार्रवाई न की जाए । सहिता के अनुसार, मालिकों और श्रमिकों ने मुकदमेवाजी, तालाबन्दी, 'बैठे रहो' या 'अन्दर रहो' हड़ताल का सहारा न लेना स्वीकार कर लिया है । किसी को धमकाने और सताने की घटनाएँ न होने देने तथा 'धीरे काम करो' नीति न अपनाने का भी फैसला कर लिया गया है । श्रमिक-संगठनों ने ताकत से दबाव न डालना स्वीकार कर लिया है तथा श्रमिकों में लापरवाही से काम करने, कर्तव्य की उपेक्षा करने, सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने, सामान्य काम-काज में हस्तक्षेप करने या बाधा पहुँचाने तथा श्रवज्ञा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न देना भी स्वीकार कर लिया गया है । मालिकों को भी श्रमिक-संगठनों के निर्माण में पूरी स्वतन्त्रता देने और कौन-सी श्रमिक-संस्था मान्यता की अधिकारिणी है, इसके लिए निश्चित सिद्धान्त का पालन करने के लिए राजी कर लिया गया है । अनुशासन-सहिता भंग करने की दोषी श्रमिक-संस्था की मान्यता छीनी जा सकती । दोनों पक्षों को फँसलों, समझौतों, निर्णयों, पचाटों आदि को चुस्त धमल में लाने के लिए बचनबद्ध कर लिया गया है । सहिता के शब्दों और भावना का उल्लंघन करनेवाले अधिकारियों, कार्यालय-कर्मचारियों और श्रमिकों की निन्दा करने या उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए मानिकों और श्रमिकों के संगठन बचनबद्ध हैं ।

5 स्पष्ट है कि एक कठिन क्षेत्र में ऐसे दूरगामी उद्देश्यों से प्रेरित एक पूर्णतः नवीन विचार को पूरी तरह व्यवहार में लाने के लिए काफी समय तक निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने की आवश्यकता है । अभी तक के परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं—काम बन्द होने से नष्ट होनेवाले श्रमिक-दिनों में कमी आने और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने, इन दोनों ही दृष्टियों से श्रमिक-दिन नष्ट होने की संख्या काफी घटी है । जनवरी-जून 1958 में—सहिता लागू होने से पहले के छ महीनों में—यह संख्या 47 लाख थी, जब कि जुलाई-दिसम्बर 1960 में मात्र 19 लाख रह गई । सहिता ने मालिकों और श्रमिकों को एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराने में भी सफलता प्राप्त की है । साथ ही, मुकदमेवाजी और शक्ति-परीक्षा के ब्यर्थ तरीकों का सहारा लिए बिना, धारणी तौर पर ही, विवादों को हल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ।

6 श्रमिक-संगठनों में आपसी विरोध के उद्योग एव श्रमिकों, दोनों के लिए शोचनीय दुष्परिणाम सर्वज्ञात है । तीन वर्ष-पूर्व श्रमिक-संगठनों के प्रतिनिधियों-द्वारा तैयार और स्वीकार की गई आचार-सहिता के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक को अपनी पसन्द के संगठन में शामिल होने का अधिकार तथा स्वतन्त्रता होगी । कोई संगठन किसी भी श्रमिक के ज्ञान और पिछड़ेपन का लाभ नहीं उठाएगा । सभी संगठन जात-पात, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता से दूर रहेंगे तथा श्रमिक-नियमों के आपसी व्यवहार में हिंसा, जोर-जबर्दस्ती, डराने-धमकाने और व्यक्तिगत निन्दा का सहारा नहीं लिया जाएगा । श्रमिक-संगठनों को लोकन्यायिक ढंग से काम करने देने की पूरी स्वतन्त्रता का सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्वीकार

किया जाएगा तथा सभी केन्द्रीय श्रमिक-संगठन कम्पनियो-द्वारा यूनियनों बनाने और भलाने की प्रवृत्ति का विरोध करेंगे ।

7 दोनों पक्षों की आम शिकायत रही है कि पच-निर्णयों और समझौतों का पालन नहीं किया जाता । यदि ये शिकायतें आगे भी जारी रही तो दोनों सहिताएँ सर्वथा निरर्थक और निष्प्रयोजन हो जाएगी । इसलिए केन्द्र और राज्यों में संगठन बना दिए गए हैं, जो इन सहिताओं, कानूनों और समझौतों के कारण दोनों पक्षों पर आई जिम्मेदारियों का पालन कराएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनसे कितना लाभ या नुकसान हुआ है ।

8 दूसरी योजना की अवधि में दो क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है । इनका विशेष रूप से उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि ये श्रम-नीति के महत्वपूर्ण अंग हैं और भविष्य में इनसे बहुत-से सुपरिणाम निकलने की आशा है । पहली बात, श्रमिकों में अपने सत्यान के प्रति आत्मोत्साह का भाव जगाने और अधिक उत्पादकता में उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए दूसरी योजना में, प्रवन्ध में श्रमिकों को हिस्सा देने-विषयक एक स्वरूप तय किया गया । परीक्षण के तौर पर इस दिशा में एक छोटे पैमाने पर शुरुआत की गई और अब तक 23 सत्यानों में सयुक्त प्रवन्ध-परिपदें बनाई जा चुकी हैं । परिपदों को सत्यान के संचालन की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है तथा श्रमिकों के कल्याण, प्रशिक्षण एवं सम्बद्ध मामलों की सीधी प्रशासनिक जिम्मेदारी उसी पर है । इसका मुख्य कार्य औद्योगिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाले अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मालिकों और श्रमिकों की आपसी बातचीत की व्यवस्था करना है । मार्च 1960 में हुई एक गोष्ठी में मालिकों, श्रमिकों, राज्य-सरकारों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने इन सयुक्त परिपदों के काम के बारे में अपने अनुभव बताए और विशेष समस्याओं के लिए अपनी ओर से हल भी पेश किए । परीक्षण की छोटी अवधि को देखते हुए इसके परिणाम सन्तोषजनक और उत्साहवर्द्धक हैं । दूसरी बात यह कि प्रारम्भिक स्तर से आगे बढ़ने के बाद श्रमिकों को शिक्षित करने की योजना ने काफी प्रगति की है और उसे सर्वत्र पसन्द किया जा रहा है । योजना में शिक्षक-प्रकाशकों और श्रमिक-शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । श्रमिक-शिक्षक प्रशिक्षण समाप्त करके लौटने के बाद अपने-अपने सत्यान में श्रमिकों के इकाई-स्तर पर वर्ग प्रारम्भ करते हैं । इस योजना की प्रगति का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन करने से मालूम हुआ है कि इन पाठ्यक्रमों से श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ने में सहायता मिली है, सुरक्षा देनेवाले श्रम-कानूनों का लाभ उठाने की उनकी योग्यता बढ़ी है, गैर-श्रमिक अन्य लोगों पर निर्भर रहने की मात्रा में कमी आई है और उनमें आर्थिक तथा भौतिक कल्याण की दृष्टि जागी है । सरकार की सहायता से स्वतन्त्र अनुसन्धान-मस्थानों के जरिए श्रमिक-समस्याओं के अध्ययन की शुरुआत की गई है ।

मार्ग और दृष्टिकोण

9 दूसरी योजना की अवधि में जिन विचारों को परखा और फायदेमन्द पाया गया है, आनेवाले वर्षों में उनका पूरा प्रभाव दिखाई दे सकेगा । श्रम-नीति निश्चित करने और उसके वृत्तिवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने में तीसरी पचवर्षीय योजना को अपना योगदान करना है । यह बात सदैव ध्यान में रखनी है कि आज जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वे योजनावद्ध आर्थिक विकास की तात्कालिक और दीर्घकालीन, दोनों आवश्यकताओं को

ग्रन्थी तह पूरा करें। जनता को पूर्ण रोजगार देने और जीवन-स्तर ऊंचा करने का क्रम जारी रखने के लिए तीव्र आर्थिक प्रगति आवश्यक है। प्रगति के परिणामों का लाभ समान रूप से बंटना चाहिए और जो भी आर्थिक तथा सामाजिक संगठन बनाया जा रहा है, वह समाजवादी समाज के मिष्टान्त के अनुरूप हो। इन लक्ष्यों की पूर्ति में श्रमिक-वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है, उस पर बड़ी जिम्मेदारी है, जो उद्योगीकरण बटने के साथ और गम्भीर होती जाएगी। सरकारी उद्योग-क्षेत्र के विस्तार ने, जो कि हो रहा है और जिनकी परिकल्पना की गई है, धर्म-आन्दोलन को समस्याओं में गुणात्मक परिवर्तन आया तथा सामाजिक ढांचा समाजवादी प्रणाली के अनुकूल बदल डालने में सहायता मिलेगी। इस दृष्टिकोण के बहुत से फलितार्थ हैं। आर्थिक प्रगति को केवल उत्पादन और लाभ की दृष्टि से नहीं मापा जाना चाहिए, इसकी भवने वाली परीक्षा तो यह होगी कि इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, उनका कितना भसा होता है, मानव की व्यक्तिगत रूप से कितनी उन्नति होती है तथा सारा समाज कितना पुनर्जागरित होता है। आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप जो अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन सामने आते हैं, उन पर न तो केवल मालिकों का दावा हो सकता है और न श्रमिक-वर्ग का, उनका वितरण केवल प्रत्येक के योगदान के अनुसार होना चाहिए—हा, पहले सभी सदस्यों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए तथा भावी विकास एवं समाज के सब वर्गों के हितों की व्यवस्था होनी चाहिए। काम और पैसे, चाहे कुछ भी हो, सब सांग भिन्न-भिन्न वर्गों के श्रमिक ही हैं। सब ने निचने वर्ग के लोगों और उनके बच्चों को यह पक्का विश्वास दिना देना होगा कि उन्हें ऊंचे-ऊंचा पद प्राप्त करने की पूरी स्वतन्त्रता और अवसर है तथा मानिकों और श्रमिकों की साझीदारी सभी के लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। इस प्रकार एक नए समाज की स्थापना हो रही है, जिसमें व्यक्ति और वर्ग एक-दूसरे के लिए कर्तव्य-पालन की भावना में चलने हैं, न कि दूसरों के हितों को क्षति पहुंचा कर अपना स्वार्थ माचने से उद्देश्य में।

औद्योगिक सम्बन्ध

10 तीसरी योजना में औद्योगिक सम्बन्धों का विकास अनुशासन-महिता-द्वारा तैयार करने के बड़े परियोजना के बाद तैयार हुए आया पर निर्भर करना है। अनुशासन-महिता के फलस्वरूप सामने आई जिम्मेदारियों का एहसास मालिकों और श्रमिकों के तैयार नगदनों के इस सम्बन्ध घटक को करना पड़ेगा और औद्योगिक सम्बन्धों के दैनिक प्रयोग में उभे जीवित शक्ति, एक चेतना का रूप धारण करना पड़ेगा। महिता के लिए निर्माण आयोगों को भी मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए सम्बन्ध पक्षों की महानिर्माण करना होगा।

11 श्रमिकों और मानिकों के मनोबोध दूर करने के लिए स्वेच्छया पंच-कैमले का निर्माण शक्ति-आर्थिक श्रमिकों पर लागू करने के तरीके विचारने जायेंगे। स्वेच्छया पंच-कैमले का पूरा समाज लेन में लागू की बाधा दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शक्ति-आर्थिक श्रमिकों के साथ जंगल सम्बन्ध प्राप्त है, वैसा ही सम्बन्ध इन श्रमिकों को भी प्राप्त करना चाहिए। श्रमिकों को उद्योगिक और प्रदेयता पर-मंडल की स्थापना के साथ-साथ शक्ति। उद्योगिक श्रमिकों का अपने धार्मिक पंच-कैमले के लिए मौजबंद की शक्ति को दूर पक्षों के उद्योगिक शक्ति। शक्ति के सम्बन्ध दोनो पक्षों ने अपने उद्योग

को जिम्मेदारिया ली है उनके अनुसार पंच-फैमले के तरीके का श्रम तौर पर अदालती कार्रवाई के मुकाबले पर तर्जौह दी जानी चाहिए।

12 नतून मे हर वारमाने में कर्म-ममितियों की म्यापना की व्यवस्था है, ताकि मालिको और श्रमिको मे अच्छे शान्तिमय सम्बन्ध बने रहे। हाल में ही की गई एक जाच ने मालूम पड़ा कि दोनों पक्षों के मतभेद दूर करने में यह प्रणाली बहुत महायक सिद्ध हुई है, यद्यपि निष्ठापूर्ण प्रयत्नों के अभाव में कुछ मस्यानों में ये ममितिया सुचारु रूप में काम नहीं कर रही हैं। श्रमिक-संगठनों के कार्य में भिन्न कर्म-ममितियों के कार्य की परिभाषा स्पष्ट कर देने के निश्चय के फलस्वरूप ममितियों के सफर कार्य-संचालन के मार्ग की एक यात्रा दूर हो जाएगी। उम्निग यह आवश्यक है कि कर्म-ममितियों को मजबूत किया जाए और उन्हें श्रम-सम्बन्धी मामलों के नोकनान्त्रिक ढंग में संचालन का एक सक्रिय माध्यम बनाया जाए।

13 संयुक्त प्रबन्ध-परिषदें : तीनरी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य कार्यक्रम नए उद्योगों और सस्यानों में संयुक्त प्रबन्ध-परिषदों की योजना धीरे-धीरे लागू कर देना है, ताकि कुछ वर्षों में ये परिषदें औद्योगिक ढांचे का एक स्वाभाविक अंग बन जाए। इसके विकास के साथ, प्रबन्ध में श्रमिकों का हिस्सा निजी उद्योग-क्षेत्र-द्वारा समाजवादी व्यवस्था में अपने को डालने के प्रयत्न में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इससे प्रबन्धको और श्रमिक-वर्ग के बीच की गार्ड पट मकेगी, आपसी सम्बन्ध सुधरने में महायता मिलेगी तथा दोनों पक्षों-द्वारा उद्योग तथा श्रमिकों की समस्याओं के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा। फिली संस्थान की सफलता या विफलता में केवल प्रबन्धको का ही वास्ता नहीं रहता। आर्थिक व्यवस्था की लोकतान्त्रिक आधार पर शान्तिपूर्ण रीति से विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबन्ध में कर्मचारियों का हिस्सा एक अनिवार्य आवश्यकता तथा मूल निष्ठात्मक रूप में स्वीकार कर लिया जाए। कालान्तर में श्रमिक-वर्ग में ही प्रबन्धक-वर्ग के कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी, जो कि समाजवादी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है।

14 संयुक्त प्रबन्ध-परिषदों की स्थापना सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उन सभी मस्यानों में की जानी चाहिए, जहाँ इस योजना की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितिया हो। अनुकूलता की पहली शर्त यह है कि दोनों पक्षों में सद्भाव हो। जहाँ भी एक प्रतिनिधि श्रमिक-सूचन है, वहाँ स्वाभाविक रूप से ऐसी परिषदों की स्थापना हो जानी चाहिए। जिन सस्यानों में परिषदें नहीं हुई हैं, उनमें श्रमिकों की शिक्षा का एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

15 श्रमिकों की शिक्षा : सरकार ने एक अर्द्ध-स्वशासी मडल की मार्फत श्रमिकों की शिक्षा देने का जो कार्यक्रम बनाया है, वह मालिकों और श्रमिकों के सभी संगठनों के सहयोग से चल रहा है। तीसरी योजना की अवधि में इस योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का त्याग है। कार्यक्रम को बहुमुखी बनाने तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों और उनके संगठनों से और अधिक सहयोग लेने का इरादा है। इस कार्यक्रम के इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है कि प्रबन्धको को श्रम-सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए।

16 श्रमिक-वर्ग में साक्षरता का विस्तार विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता की पहली और अनिवार्य शर्त है। अगले कुछ वर्षों में अधिक-से-अधिक श्रमिकों को, विशेष रूप से 40 वर्ष से कम अवस्था के लोगों को, साक्षरता का लाभ पहुँचाना जरूरी है।

17 श्रमिक-यूनियन . आज की और आगे जानेवाली परिस्थितियों में श्रमिक-संगठनों, उनके कार्यों तथा गतिविधियों के प्रति दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है । उन्हें देश के औद्योगिक और आर्थिक प्रशासन का आवश्यक धरा स्वीकार करना ही होगा, साथ ही, उन्हें इस स्थिति के साथ जानेवाली जिम्मेदारियां निभाने के योग्य बनाना होगा । श्रमिक-यूनियनों के नेता भी श्रमिक-वर्ग से ही आने चाहिए, श्रमिकों की शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ने से इस प्रक्रिया को भी गति मिलेगी । आज प्रायः सभी श्रमिक-यूनियनों को साधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें वह समस्त सहायता तथा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है ।

18 अनुशासन-संहिता के अन्वय-रूप में स्वीकार किया गया श्रमिक-यूनियनों की मान्यता का आधार देश में स्वस्थ और सबल श्रमिक-यूनियनों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा । उसी यूनियन को मान्यता मिल सकती है, जिसमें किसी संस्थान के कम-से-कम 15 प्रतिशत कर्मचारी 6 महीने से निरन्तर सदस्य हों, उसे किसी उद्योग या स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि-यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार तभी होगा, जब उसे कम-से-कम उन क्षेत्र या उद्योग के 25 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता प्राप्त हो । किसी उद्योग या संस्थान में एक से अधिक यूनियन होने पर उसी यूनियन को मान्यता मिलेगी, जिसकी सदस्य-संख्या सबसे अधिक होगी । एक बार मान्यता मिल जाने पर किसी संगठन की स्थिति में दो वर्ष तक अन्तर नहीं आना चाहिए, वरन्तकि वह अनुशासन-संहिता का पालन करता हो ।

19 औद्योगिक सम्बन्ध-व्यवस्था के कर्मचारियों को नियुक्त करते समय उचित चुनाव तथा प्रशिक्षण, दोनों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कार्यों की जटिलता को देखते हुए समझौता-अधिकारियों और न्यायाधिकरणों की योग्यता तथा क्षमता पर्याप्त है या नहीं । इस कार्य के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाने का विचार है ।

पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा

20 सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर और सहायता की अपेक्षा रखनेवाले श्रमिकों के लिए उद्योगों और कृषि, दोनों ही क्षेत्रों में, पारिश्रमिक की न्यूनतम दर नियत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है । इस उद्देश्य से बनाए गए न्यूनतम पारिश्रमिक-कानून में उद्योगों और कृषि के श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की दर निश्चिन्त करने और उनमें परिवर्तन की व्यवस्था की गई है । कई मामलों में यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हुई है । कानून को पूरी तरह अमल में लाने के लिए निरीक्षण-व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है । मुख्य उद्योगों में पारिश्रमिक तय करने का प्रश्न सामूहिक वातचीत, समझौते, पंच-फैसलों और श्रदावती निर्णयों पर छोड़ दिया गया है । दूसरी योजना में सिफारिश की गई थी कि धड़े-बड़े उद्योग-क्षेत्रों में पारिश्रमिक तय करने का सबसे उपयुक्त तरीका वेतन-मंडल कायम कर देना होगा । अब तक इन पर सूती वस्त्र, सीमेंट और चीनी-उद्योगों में अमल किया गया है, परिस्थितियों के अनुसार इन्हीं अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जाएगा । लोहा तथा इस्पात-उद्योग के लिए भी शीघ्र ही एक वेतन-मंडल कायम करने का निश्चय किया गया है । मानिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया है कि

वेतनमहलो की सर्वसम्मत सिफारिशों पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। कोयला-खान-उद्योग में एक उत्साहजनक प्रवृत्ति दिखाई दी है, जहाँ मालिकों और श्रमिकों ने दो-पक्षीय समिति बना कर उद्योग में पारिश्रमिक के ढांचे पर पूरी तरह विचार करना स्वीकार कर लिया है। यदि यह दो-पक्षीय समिति किमी निर्णय पर पहुँचने में असफल हो जाए, तभी पारिश्रमिक तय करने की किसी और व्यवस्था की बात सोची जाएगी।

21 उचित पारिश्रमिक-समिति की रिपोर्टों में पारिश्रमिक तय करने के सम्बन्ध में कुछ भोटे सिद्धान्त निश्चित कर दिए गए हैं। भारतीय श्रमिक-सम्मेलन ने सम्बद्ध पक्षों में ममझौते के आधार पर यह तय कर दिया था कि पारिश्रमिक-विषयक विवाद सुलझाने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए क्या-कुछ करना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि श्रमिक-परिवारों की पीष्टिक भोजन की आवश्यकताओं पर इस विषय की अत्यन्त अधिकारपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर फिर से विचार किया जाए। न्यूनतम पारिश्रमिक के अलावा विभिन्न धर्मों के श्रमिकों के लिए उचित पारिश्रमिक तय करने का भी ध्यान रखा जाए, साथ ही, यह भी व्यवस्था की जाए कि हुनर सीखने और उसमें विस्तार करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिले तथा उत्पादन बढ़ाने और किस्म सुधारने का उत्साह पैदा हो। फिर भी, अभी श्रमिक-वर्ग और उच्च प्रवृत्तियों के स्तर पर पारिश्रमिक में बहुत बड़ा अन्तर है।

22 अपनी अनिश्चयात्मकता के कारण बीनस का प्रश्न सघर्ष और विवाद की जड़ बना हुआ है। यह निश्चय किया गया है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को लेकर एक आयोग की स्थापना की जाए, जो बीनस-सम्बन्धी दावों का अध्ययन करे तथा इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों और पैमानों का निश्चय कर दे।

23 सामाजिक सुरक्षा : कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना अब 100 से अधिक कन्द्रों में लागू है और लगभग 17 लाख औद्योगिक कर्मचारी उससे लाभ उठा रहे हैं। तीसरी योजना की अवधि में यह योजना 500 या उससे अधिक औद्योगिक कर्मचारियोंवाले प्रत्येक स्थान पर लागू कर दी जाएगी और इस प्रकार इससे लगभग 30 लाख श्रमिकों को लाभ पहुँचने लगेगा। इन सभी कन्द्रों में बीमाशुदा लोगों के परिवारों के लिए अस्पताल, चिकित्सा-सम्बन्धी देखभाल और इलाज की व्यवस्था की जाएगी—इसमें अस्पताल में रहने तथा प्रसूति-कार्य-सम्बन्धी सुविधाएँ भी शामिल हैं। रोगों की रोकथाम की ओर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। बीमाशुदा कर्मचारियों के लिए अलग अस्पतालों की व्यवस्था करने की दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नए अस्पतालों और दवाखानों के निर्माण का काम तेजी से बढ़ाया जाएगा, ताकि तीसरी योजना की अवधि में 6,000 अतिरिक्त रोगीगव्याओं की व्यवस्था हो जाए।

24 कर्मचारी-प्राविडेंट फंड-योजना : यह फिलहाल 58 उद्योगों/संस्थानों में लागू है। इन्में अन्य उद्योगों में भी लागू किया जाएगा। पहले शर्त थी कि 50 कर्मचारीवाले संस्थानों में ही यह योजना लागू की जा सकती है, परन्तु अब यह सख्या घटा कर 20 कर दी गई है। प्राविडेंट फंड-संगठन ने अन्य उद्योगों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और तीसरी योजना में इसे उन उद्योगों में लागू कर दिया जाएगा जो इनका आर्थिक बोझ उठा सकने में समर्थ होंगे। प्राविडेंट फंड के अंशदान की दर 6½ से बढ़ाकर 8½ प्रतिशत करने का सरकार सिद्धान्त स्वीकार कर चुकी है, परन्तु विभिन्न उद्योगों की आर्थिक धमता भिन्न

होने के कारण एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई है, जो यह जान लेगी कि तीन-चौन उद्योग यह प्रतिस्पर्धा बोज नहीं ममान गांने। व्यावसायिक मन्त्रालय के परामर्शाग्या को भी उन योजना के अन्तर्गत जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है।

25 सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी एक अध्ययन-रज के निष्कर्षों का है कि सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाएँ मिला कर एक रूप दी जाए और प्राविष्टि कृत-सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को बुटापा, अग्रहीनता और जीवन रहने पर मिननेवाला पेशन अथवा मेग-पुरस्कार (ग्रेज्युटी) के रूप में बदल दिया जाए। उन एकीकरण-सम्बन्धी प्रश्न के सभी पहलुओं पर तुरन्त विचार कर लेना जरूरी है, ताकि सारी योजना प्रातिनीप्र क्रम में आ जाए।

26 सामाजिक सुरक्षा का मिदाल्न अभी ता मुन्तर नगटिन उलंगो के बेतन-चोगी कर्मचारियों पर ही लागू हुआ है। परन्तु मुद्द समूह ऐसे भी हैं, जिनकी स्थिति पर समाज को बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अतीत में छोटे समूहों में मयूक्त परिवारों से सम्बद्ध परम्परागत मूल्यों के कारण, उन लोगों को भी सुविधा-लाभयता मिन जानी थी, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। अब भी पाकी समय तक समूहों, समूहों और परिवार को किमी-न-किमी रूप में सहायता का मुख्य नात्रन बने जाना पड़ेगा। बाद में धीरे-धीरे शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में राज्य-संस्कारों और स्थानीय निकायों को सामाजिक सुरक्षा और सहायता की योजनाओं में भाग लेना पड़ेगा। आज की स्थिति में भी इन तीन समूहों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक छोटे पैमाने पर मुद्रागत वी जानी चाहिए—अपग, वृद्ध जो कोई काम नहीं कर सकते, तथा म्रिमा और बन्धे, जिनके पास जीविका का कोई साधन एव किमी प्रकार का सहायन नहीं है। इनके लिए सहायता स्वैच्छया तथा दातव्य संगठनों, नगरपालिकाओं, पहायत-समितियों और पचासनों की ओर से दी जानी चाहिए। स्थानीय जनता की सहायता में ये संगठन अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ा सकें तथा सबल बन सकें, इसके लिए एक छोटा-सा सहायता-कोश स्थापित करना भी उपयोगी होगा। इस प्रस्ताव के विस्तृत विवरण पर राज्यों और स्वैच्छित संगठनों के सहयोग में आगे विचार किया जा सकता है।

काम की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण

27 विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत, कर्मचारियों के लिए काम की मनोपजनन स्थिति धारीरिक सुरक्षा तथा उनके कल्याण के सम्बन्ध में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक विस्तृत महिला तैयार की जा चुकी है। परन्तु कानूनी व्यवस्था को अपनी भाति क्रम में लाने के लिए उचित कदम उठाने पड़ेंगे। काम की स्थिति सुधारने में कर्मचारियों की उत्पादन-विषयक दक्षता बढ़ सकती है। उद्योग में मानव से सम्बद्ध विविध पहलुओं के क्षेत्र में आधुनिक गतिविधियों का लाभ उठाया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय श्रम-संस्थान और तीनों प्रादेशिक श्रम-संस्थानों के काम को इतना आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसन्धान के जरिए उद्योग की विस्तृत रूप से सेवा हो सके। सुरक्षा की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक स्थायी सनाहकान-समिति की स्थापना की जाएगी, जो कारवानों में दुर्घटनाएँ रोक्ने और उन्हें कम करने के सम्बन्ध में उपाय सुझाएगी। कारखाना-कानूनों के परिपालन के बारे में नियुक्त निरीक्षणपाल्यों

को मजबूत करने का काम राज्य-सरकारों को करना चाहिए। कारखानों और खानों में सुरक्षा-मर्मितियां बना कर तथा कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक रहने की शिक्षा देकर दुर्घटनाओं में कमी करने की बहुत गुंजायश है। खान-सुरक्षा-सम्मेलन और उसकी विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं और खानों में सुरक्षा की समस्या से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं का सघन अध्ययन हो रहा है। खान-उद्योग में सुरक्षा-सम्बन्धी शिक्षा और प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान-सुरक्षा-मर्मिपद् कायम करने का विचार है। खानों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप होने-वाली अधिक गहरी खुदाई और मशीनों के अधिक उपयोग को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि अधिक मावधानी बरती जाए तथा नियम-उपनियमों का कड़ाई में पालन करने की व्यवस्था की जाए। भवन और अन्य निर्माण-उद्योग भी एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहां तेजी से विस्तार के कार्यक्रमों के कारण सुरक्षा के नियमों पर अधिक ध्यान देना जरूरी हो गया है। यद्यपि केन्द्रीय और राज्यीय निर्माण-कार्य-विभाग इस क्षेत्र में रोजगार देनेवाली मुख्य संस्थाएं हैं, तथापि भवन-निर्माण और अन्य निर्माण-कार्य का एक बड़ा भाग गैर-सरकारी लोगों के हाथ में है। निर्माण-स्थलों पर काम की स्थिति कारखानों की तुलना में बहुत भिन्न है। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्माण-कार्यों में पूर्णतः अस्थायी आवाज पर काम मिलता है। भवन-निर्माण और दूसरे निर्माण-कार्यों में सुरक्षा के सम्बन्ध में अलग से कानून के बारे में विचार किया जा रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-सम्बन्धी सर्वेक्षणों से जात हुआ है कि पेशागत रोगों से पीड़ित होनेवालों की संख्या बराबर बढ़ रही है। अन्य उद्योगों में भी ऐसे ही सर्वेक्षण होने चाहिए और हर मामले में तुरन्त उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कोयला और श्रमिक-खान-उद्योगों में श्रमिकों की कल्याण-योजनाओं के लिए विशेष कल्याण-कोश कायम किए गए हैं। इनसे वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। मैंगनीज और खनिज लोहा, आदि की खानों के कर्मचारियों के लिए भी ऐसे ही कोश कायम करने का सुझाव है।

28 श्रमिकों की सहकारी समितियाँ . कोयला-खान कल्याण-कोश-संगठन की सहायता से खानिकों की सहकारी समितियां बनाने के काम में कुछ प्रगति हुई है। कुछ औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों की सहकारी-आवास समितियां भी हैं। कुल मिलाकर, अभी श्रमिक-वर्ग में सहकारी समितियों का विचार अधिक बल नहीं पा सका है। सहकारी कार्यों के विस्तार से श्रमिकों को विभिन्न रूपों में बहुत लाभ मिलेगा। सहकारी ऋण-समितियां तथा सहकारी उपभोक्ता-भांडार बनाने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। आशा है कि श्रमिक-यूनियन और स्वैच्छिक संस्थाएं ऐसी सहकारी समितियों के संचालन में पहले से अधिक दिलचस्पी लेंगी और आगे बढ़ेंगी।

29 औद्योगिक आवास : यद्यपि सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, तथापि औद्योगिक कर्मचारियों की आवास-सम्बन्धी स्थिति नहीं सुधरी है, कुछ केन्द्रों में तो स्थिति और बिगड़ गई है। समस्या का हल ढंगने का वर्तमान तरीका पूर्णतः अपर्याप्त पाया गया है। और तत्काल ही इस सम्बन्ध में नए उपाय खोजने पड़ेंगे, ताकि स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता की दृष्टि से उन्हें रहन-सहन के एक निम्नतम स्तर का आश्वासन मिल सके। इसी उद्देश्य से सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए खल-कूद और मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध करनी होंगी।

30 अन्य समस्याएं : ठेके पर काम करनेवाले श्रमिकों के सम्बन्ध में चल रहे अध्ययन की सहायता से ऐसे धन्वों का चुनाव ही सकेगा, जहाँ ठेके पर मजदूरी करना बन्द कर दिया जाएगा। जहाँ इसे बन्द करना व्यावहारिक नहीं होगा, वहाँ ठेके के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के पूरे उपाय किए जाएंगे। यद्यपि सरकारी तथा श्रमिक-यूनियनों के कामों के फलस्वरूप बड़े और मगठित उद्योगों के कर्मचारियों की काम की स्थिति और जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तथापि कृषि और अन्य मगठित उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए बहुत काम करना गेप है। सरकार और श्रमि-मगठनों, दोनों को इनकी दशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

रोजगार तथा प्रशिक्षण-योजनाएं

31 तीसरी योजना की अवधि में शिल्पियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना होगा। दूसरी योजना की अवधि समाप्त होने तक देश में 166 औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान थे, जिनमें 42,000 प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्थान था। तीसरी योजना में 58,000 अतिरिक्त छात्रों के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन संस्थानों की संख्या बढ़ा कर 318 कर देने का विचार है। फलतः 1 लाख शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी और योजना की अवधि में 2 लाख शिल्पी तैयार हो सकेंगे। कारखानों के अन्दर भी प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी। शिथिल युवकों को प्रबन्ध की तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग स्वयं अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवसाय-विषयक उत्तरदायित्व ग्रहण करने की रुचि तथा इच्छा रखते हों, उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

32 तीसरी योजना की अवधि में शिल्प-शिक्षकों को प्रशिक्षित करनेवाले 3 वर्तमान केंद्रीय संस्थानों की क्षमता 512 छात्रों से बढ़ा कर 976 कर दी जाएगी तथा 3 अन्य केंद्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। दूसरी योजना की अवधि में 2,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था, जब कि तीसरी योजना का लक्ष्य 7,800 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का है। महिला शिल्प-शिक्षकों को तैयार करने की व्यवस्था अलग से की जा रही है।

33 दूसरी योजना में शिष्य-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत प्रगति अधिक नहीं हुई, क्योंकि इसे अब तक प्रायः स्वीच्छिक्र आचार पर ही चलाया गया है। अब इस योजना की अनिवार्य बनाने का निश्चय किया गया है और इस विषय में एक विधेयक समझ में पेश किया जाएगा। शिष्य-प्रशिक्षण-कार्यक्रम में 14,000 स्थानों का लक्ष्य सामने रखा गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए मन्थ्याकालीन वर्ग-कार्यक्रम का लक्ष्य तीसरी योजना की अवधि में छान-प्रवेश-विषयक क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर 15,000 करना है।

34 तीसरी योजना में रोजगार दिलाने के 100 नए केंद्र खोले जाएंगे। त्याग यह है कि हर जिले में कम-से-कम एक ऐसा केंद्र हो। ग्रामीण रोजगार-केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा राज्य-रोजगार-निदेशालयों के मगठन को मजबूत करने का इरादा है। रोजगार-वाजार-सूचना-कार्यक्रम के लिए इस दिशा में एक ठोस दृष्टिकोण कर दी गई है, यह योजना सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और 150 क्षेत्रों में निजी प्रतिष्ठानों में लागू है। रोजगार-केंद्र-दाने सभी क्षेत्रों में इन योजना का विस्तार किया जाएगा। युवक-रोजगार-नेवा, युवक-

मार्गदर्शन तथा रोजगार-केन्द्रों में पेशों के सम्बन्ध में सूचनाएँ मग़्रह करने और उनका विवरलेपण करने का कार्यक्रम भी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

35. पिछले कुछ वर्षों में कतिपय उद्योगों में कम-वैशी सस्या में प्रतिष्ठानों के बन्द होने की घटनाएँ सामने आई हैं। बाज़ार में प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा होने पर नफे-नुकसान की सीमा पर चल रहे सस्यानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वशतकि उनकी स्थिति की रक्षा करने के लिए पहले से ही कदम न उठाए जाएँ। अनेक मामलों में ऐसा हुआ है कि लम्बे समय तक उपेक्षा और कुप्रबन्ध का शिकार रहने के बाद वे सस्यान खत्म हो गए। इसके फलस्वरूप बेरोज़गार होनेवाले श्रमिकों को उसी उद्योग के अन्य सस्यानों में काम मिलना प्रायः असम्भव हो जाता है। कमी-कमी ऐसा भी होता है कि इन श्रमिकों को अपना रोजगार खोजने के साथ-साथ अपने वकाया वेतन से भी हाथ धोना पड़ता है। इतना ही नहीं, मालिकों से प्राविडेंट फंड और कर्मचारी-राज्य-बीमा का धन भी वसूल करना मुश्किल हो जाता है। परिणामतः श्रमिकों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।

36. स्पष्ट है कि मानवीय पहलू को देखते हुए तथा अन्य श्रमिकों में निराशा न आने देने के लिए छटनी के कारण असहाय बन गए श्रमिकों की सहायता के लिए कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं। अपनी पूर्ण विकसित स्थिति में इस योजना को अशुभदायी आधार पर सरकारी सहायता से चलाना होगा और छटनी किए हुए श्रमिकों को सहायता तथा राहत देने के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें और शामिल की जा सकती हैं।

- (1) उन औद्योगिक सस्यानों को फिर से सहायता देकर खड़ा किया जाए, जो कुछ काल के लिए आर्थिक कठिनाइयों में फँस गए हैं, परन्तु वैसे सुप्रबन्ध और कार्यकुशलता के लिए समादृत हैं,
- (2) कुछ समय के लिए सस्यानों को अपने प्रबन्ध में ले लिया जाए, और
- (3) उचित मामलों में उन श्रमिकों को सहकारी प्रयत्नों के लिए धन की सहायता दी जाए, जिनके सस्यानों के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया हो।

इस सम्बन्ध में अविश्वस्य शुरुआत करनी होगी। इसके लिए एक सीमित क्षेत्र-वाली योजना तैयार करने का निश्चय किया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान परिस्थितियों में जितना व्यावहारिक होगा, उतनी सहायता की जाएगी। यह सहायता ऋण के रूप में होगी, जिससे तात्कालिक कठिनाइयों का सामना किया जा सके, अन्य पेशों के लिए कर्म-चारियों को प्रशिक्षित किया जा सके और उन सस्यानों पर उनकी बदली की जा सके, जहाँ काम सुलभ हो। इस प्रयोजन से योजना में कुछ धन की व्यवस्था की गई है।

उत्पादकता

37 उद्योगों के मामले अब श्रमिकों की निर्वाह-योग्य पारिश्रमिक रहने और काम करने की बेहतर स्थिति, रोजगार के अधिकाधिक अवसर तथा पूर्ण नामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने की समस्या है। परन्तु उद्योगों में लगी पूँजी पर उचित मुनाफा मिलना तथा पर्याप्त मात्रा में पूँजी जमा होना भी आवश्यक है। श्रमिकों की आकांक्षाएँ पूरी करने में औद्योगिक विवादों में उनकी मगठित दायित का प्रयोग, मरकारी कानून और सरकारी हस्तक्षेप अधिक सहायता नहीं कर सकते। उन अर्थव्यवस्था

की मजबूती और गतिशीलता पर ही उनका लाभ निर्भर है, परन्तु इसका भी आधार उत्पादकता के स्तर में बराबर वृद्धि है। उत्पादकता में मुधार की बजाय माल की चालू कमी के फलस्वरूप भावों में होनेवाले तेजी अथवा विकास के दबाव के कारण मुनाफा बढ़ना समृद्धि का प्रमाण नहीं है। उत्पादकता के अनेक पहलू हैं और अक्सर मालिकों और मजदूरों-द्वारा अपनाई गई एकतरफा तथा कठोर नीति के कारण उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर दिया में वैज्ञानिक आधार पर प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योंकि यही उत्पादकता का असली आधार है। वैज्ञानिक शब्द का अक्सर गलत अर्थ लगा कर यह समझा जाता है कि हमसे काम का बोझ बढ़ता है और निजी मुनाफा बढ़ाने के लिए श्रमिकों पर अतिरिक्त भार डाल दिया जाता है। अनेक स्थानों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले बिना और अधिक पूंजी लगाए बिना भी उत्पादकता में बहुत वृद्धि की जा सकती है और संस्थान का खर्च काफी कम किया जा सकता है। इस काम की अधिक जिम्मेदारी प्रबन्धकों पर है, उन्हें श्रमिक-वर्ग को बढ़िया-से-बढ़िया साज-सामान देना चाहिए, काम की स्थिति और तरीके सही रखने चाहिए, पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए और समुचित मनोवैज्ञानिक और वेतन-वृद्धि आदि की सुविधाएँ देकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। अनेक प्रयोजनों से, हमें एक श्रमिक के बजाय एक-सा काम करनेवाले श्रमिकों के समूह को इकाई मान कर चलने में सुविधा रहेगी और प्रोत्साहन-योजना अलग-अलग श्रमिकों के लिए लागू करने के साथ-साथ पूरे समूह के लिए लागू करना भी अधिक आवश्यक है। उद्योग, श्रमिक-यूनियनों और सरकार का कर्तव्य है कि वे यह देखें कि पहले से काम कर रहे या नए भर्ती हुए श्रमिक पर्याप्त प्रशिक्षण पाएँ और कुशल कारीगर बन सकें। समुचित संगठन से बिना अधिक खर्च बढ़ाएँ और उद्योग पर अनुचित बोझ डाले श्रमिक-वर्ग की अनिवार्य आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं। प्रबन्धकों को इस दिशा में अपने क्षेत्र में अधिकतम वैज्ञानिक के जरिए मार्गदर्शन करना चाहिए और ऐसी सभी अनुचित प्रवृत्तियाँ दूर करनी चाहिए, जिनके कारण श्रमिकों की योग्यता का पूरा लाभ नहीं उठाया जाता। गरीबी, बेरोजगारी और कम उत्पादन का यह मिलसिला तोड़ना ही होगा, परन्तु यह तभी होगा, जब उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेनेवाले सभी पक्ष अधिक-से-अधिक जिम्मेदारी लेने को तैयार हों। उत्पादकता में बराबर वृद्धि के बिना श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊँचा करने के काम में वास्तविक प्रगति नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक सकुचित सीमा से बाहर श्रमिकों के वेतन में होनेवाली आम वृद्धि चीजों के मूल्य में होनेवाली महंगाई के कारण बेकार हो जाएगी। अतः श्रमिकों को अपने और देश के व्यापक हित के लिए वैज्ञानिक की प्रगति का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए आग्रह करना चाहिए।

38 विकास की हमारी गति और अधिक रोजगार देने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि बढ़ती हुई प्रतियोगिता के बावजूद हम कितना निर्यात करने में समर्थ हैं। यह अधिक-से-अधिक उत्पादन करने तथा मालिक, श्रमिक और समुदाय के अन्य लोगों-द्वारा कुछ त्याग करने से ही सम्भव है।

39 श्रमिक-वर्ग की सद्भावना और सहयोग के बिना महत्वपूर्ण नुधार नहीं हो सकते। समुचित मौद्रिक और श्रमिकों के हित में आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था से ही यह कार्य किया जा सकता है। श्रमिकों की सबसे बड़ी चिन्ता रोजगार के स्थायित्व को लेकर है। राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक के विषय में हुआ ममक्षीता श्रमिकों को उनके वर्तमान

काम में स्थायित्व की गारंटी देता है। यदि श्रमिकों को दूररे कामों का प्रशिक्षण देने तथा उनकी सहमति से उन्हें दूररे कामों में डालने का ठोस प्रबन्ध किया जा सके, तो वैज्ञानिकन का क्षेत्र और भी बढ़ाया जा सकता है। श्रमिकों से इस योजना में प्रसन्नता से सहयोग देने की आशा की जा सकती है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी होंगी। राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्-द्वारा आयोजित गोष्ठी में हुए निर्णयों और ममक्षीतो में इस प्रक्रिया को बल मिलेगा। ममक्षीतो में अधिक उत्पादकता के लिए सहयोग का प्राथमिक आधार तैयार किया गया है। कार्यकुशलता और कल्याण-सहिता तैयार करने का काम अब भारतीय श्रम-सम्मेलन अपने ऊपर ले रहा है। प्रबन्धकों को मालिक-कर्मचारी-सम्बन्धों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने की और भी पूरा ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत पारिश्रमिक-निर्धारण और पारिश्रमिक-उत्पादकता-सम्बन्ध के निश्चय के बारे में भी व्यवस्थित अध्ययन करना होगा। इस सम्बन्ध में, उद्योगान्तर्गत प्रशिक्षण-केन्द्र-द्वारा उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण की योजना तथा प्रबन्धकीय एवं अघोषणीय कुशलता-सम्बन्धी अन्य तकनीकों के प्रस्तुत किए जाने, और उत्पादकता-केन्द्र-द्वारा उच्चतर उत्पादकता-विषयक तकनीकों के प्रशिक्षण तथा कार्य-मूल्यांकन एवं कार्य-भार-सम्बन्धी क्षेत्रीय जाच के फलस्वरूप प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों, दोनों की दिलचस्पी इस दिशा में बढ़ी है। इस क्षेत्र में होनेवाले पर्वर्ती कार्यों में उपयुक्त पारिश्रमिक-नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी।

अनुसन्धान

40 सरकार ने निम्नलिखित प्रश्नों के अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए विशेष कार्य-क्रम अपनाए हैं। काम करने और रहने-महान की स्थिति, पारिवारिक आय-व्यय, पारिश्रमिक-जाच, धाय-सूचना, अनुपस्थितियों के स्वरूप, उत्पादकता, आदि। तीसरी पंचवर्षीय योजना की श्रमिकों में इस कार्य का और भी विस्तार होगा।

41 सितम्बर 1960 में हुए श्रम-अनुसन्धान-सम्मेलन में श्रम-सम्बन्धी मामलों की निर्भर-योग्य जानकारी की कमी तथा व्यवस्थित रूप में सतत और निष्पक्ष अनुसन्धान की आवश्यकता पर विचार किया गया था। यह तय किया गया था कि शुरू में श्रमिकों-सम्बन्धी अनुसन्धान का सम्बन्ध करने के लिए एक केन्द्रीय समिति बनाई जाए, जिसमें सरकार, मालिकों और श्रमिकों के मगठनों, विश्वविद्यालयों तथा इस कार्य में दिनचर्यों रखनेवाले अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि हों। इस समिति का काम उस क्षेत्र में कार्य करने-वाली संस्थाओं और उनके साधनों की जाच करना, उनकी कमियां या पना लगाना और उन्हें दूर करने के तरीकों की खोज करना, तर्जोह देने या श्रम तय करना, तथा किम सम्धा को अनुसन्धान की कौन-सी योजना दी जाए, उनका निश्चय करना है, ताकि दो सम्धाएँ एक ही काम में न लग जाएँ। श्रमिक-क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देना और ऐसे अनुसन्धानों के परिणामों के उपयोग के तरीके मुझाना भी इस समिति का काम है। सरकारों क्षेत्र में बाहर श्रम-सम्बन्धी मामलों पर अनुसन्धान के लिए कुछ नई सम्धामुख सुविधाएँ उपलब्ध करने का उद्देश्य है। ऐसे सम्धारियों मालिकों और अन्य लोगों के म-टवों का सहयोग तथा सहायता प्राप्त होगी।

सरकारी उद्योगों का संगठन

अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-समन्वयी प्रस्ताव में, जिनमें अर्थव्यवस्था की प्रगति को तीव्र करने के लिए द्रुत उद्योगीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, नए उद्योगों की स्थापना में सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्य के महत्व को इन शब्दों में प्रकट किया गया है :

“समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने तथा योजनावद्ध और द्रुत विकास की आवश्यकता के कारण यह आवश्यक है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के सभी उद्योग अथवा ऐसे उद्योग, जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के ढंग के हैं, सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए। ऐसे अन्य उद्योग भी, जो अनिवार्य हैं तथा जिनमें इतने बड़े पैमाने पर पूंजी-विनियोग की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान समय में केवल राज्य प्रदान कर सकता है, सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहिए।”

2 ऐसे अनेक बुनियादी उद्योगों को, जिनके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी-विनियोग की तथा विदेशी फर्मों या विदेशी सरकारों से व्यापक सहयोग की आवश्यकता है तथा जिन्हें निकट भविष्य में कोई लाभ न दिखाई देने पर भी केवल भावी सम्भावनाओं के आशय पर ही स्थापित किया जा सकता है, सामान्यतः पूरी तरह निजी उद्योगों पर ही निर्भर रहकर प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। चूंकि ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनिवार्य आवश्यकता है तथा ये देश के वर्तमान विकास की स्थिति के अनुरूप हैं, अतः यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र का कार्य-क्षेत्र बड़ा हो। इसके साथ ही, ऐसे उद्योगों को, जहां तकनीकी कारणों से यन्त्रों के विद्याल होने तथा बड़ी मात्रा में पूंजी के विनियोग की आवश्यकता है, सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित एवं संगठित करने से, आर्थिक और औद्योगिक शक्ति को अनुचित रूप से निजी हाथों में एकत्र होने से भी रोका जा सकेगा।

3 सरकारी क्षेत्र के द्रुत विकास से जनता के वचन-विनियोग को बढ़ाने में ठोस रूप से योगदान और परिणामतः विकास की गति भी बढ़ेगी। इस दृष्टिकोण से सरकारी क्षेत्र के विस्तार का मुख्य लाभ यह है कि बहुत हद तक कुशलता और आय के वितरण में होनेवाला सम्भावित सघर्ष समाप्त हो जाएगा। बड़े हुए लाभ, जो निजी क्षेत्र में असमानता पैदा करते हैं (और सम्भवतः जिनका प्रत्यक्ष उपयोग होता है), सरकारी क्षेत्र में सीधे पूंजी जुटाने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उद्योगों के कुशल नञ्चालन से और अपने उत्पादनों तथा सेवाओं के लिए संकसगत और आर्थिक दृष्टिकोण से दृढ़ मूल्य-नीति के अनुसरण के द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को विनियुक्त पूंजी का पर्याप्त लाभ प्राप्त होना चाहिए तथा विनियोग के लिए निश्चित साधनों को बढ़ाने के लिए अपने लाभ का पूरा हिस्सा देना चाहिए।

4 समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के उद्देश्य के लिए किए गए प्रयत्नों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के विविध क्रियाकलापों का व्यापक विस्तार होगा, जिनकी परिधि में खदान और निर्माण, विजनी का उत्पादन और वितरण, निर्माण,

परिवहन और मचार, सिंचाई, बैंक और बीमा, व्यापार, सामाजिक सेवा, आदि विभिन्न कार्य आ जाएंगे। इन सब क्षेत्रों में विस्तृत कार्रवाई का यह तकाजा है कि उचित संगठनों का विकास ही तथा अपने कार्य में इन्हें जो अनुभव प्राप्त हो, उसमें वे क्रमशः और अधिक कुशल और कारगर हो सकें। इस अध्येय में यद्यपि आलोच्य विषय औद्योगिक संस्थान हैं, फिर भी अधिकांश विचार व्यापक क्षेत्र पर भी लागू होते हैं।

5 पिछले कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र में कई बड़े औद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। तीसरी योजना की अवधि में कुछ और नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वस्तुतः प्रत्येक उत्तरवर्ती योजना में अधिकाधिक संख्या में उद्योग स्थापित होंगे। पहले नए उद्योगों को प्रारम्भ करते समय मुख्य विचार उनके लिए वित्तीय साधन जुटाने का पैदा होता था। ऐसे काम प्रारम्भ करने की बात होती थी, जो महत्व रखते थे। परन्तु अब इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन उद्योगों का प्रबन्ध किस प्रकार योग्य ढंग से किया जाए, जिससे वे और अधिक अच्छे उत्पादक बन सकें, इतना पर्याप्त फालतू माल तैयार कर सकें, जिसका प्रयोग भावी विस्तार के लिए किया जा सके, तथा सावधानीपूर्ण आयोजन, मनुष्य और मालिकों तथा श्रमिकों के अच्छे सम्बन्धों के बारे में आवश्यक बन सकें।

6 नई परियोजना की स्थापना के साथ ही, और वास्तव में इससे बहुत पहले ही, यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रभावी प्रबन्ध की ओर उचित ध्यान दिया जाए। चाहे परियोजना को कितना ही सोच-विचार कर और कितनी ही अच्छी तरह प्रारम्भ किया गया हो, अन्ततः उद्योग की सफलता या अमफलता प्रबन्ध-विभाग की क्षमता पर निर्भर करती है। इससे पूर्व कि प्रबन्ध की कुछ घुटियों का विश्लेषण किया जाए और ऐसे क्षेत्रों को बताने का प्रयत्न किया जाए, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, यहाँ सक्षेप में निर्माण के क्षेत्र में सरकारी उद्योगों की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया जाता है।

7 निर्माण के क्षेत्र में सरकारी उद्योग तीन प्रकार से संगठित किए गए हैं। इनमें से कुछ चित्ररजन-इंजिन-कारखाने की तरह हैं, जिनका संचालन विभागीय रूप से होता है। कुछ को कानूनी रूप देकर निगम बनाया गया है। परन्तु अधिकांश उद्योग कम्पनी-अधिनियम के अधीन स्थापित ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियाँ हैं, यद्यपि कभी-कभी ऐसी कम्पनियों को भी निगम का रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची अनुबन्ध में दी गई है, जिसमें प्रत्येक उद्योग किस मन्त्रालय के अधीन है, उसका नाम क्या है, उसकी कब स्थापना हुई तथा उसकी कानूनी स्थिति क्या है, बताया गया है।

8 कुछ समय पूर्व तक यह ग्राम रिवाज था कि प्रत्येक निर्माता-इकाई को एक स्वतन्त्र कम्पनी के रूप में स्थापित किया जाए। जहाँ यह अनुभव किया गया कि कुछ उद्योगों में एक ही क्षेत्र में काम करने के कारण या विशेष व्यावसायिक और तकनीकी सम्बन्ध के कारण परस्पर-सहयोग और समन्वय आवश्यक है, वहाँ कुछ व्यक्तियों को दोनों ही कम्पनियों का डायरेक्टर बनाने का प्रयत्न किया गया। ऐसे उद्योगों में, जो एक ही मन्त्रालय के अधीन हैं, तालमेल विधानों में कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि बॉर्ड के अध्यक्ष तथा अनेक डायरेक्टर वही होते हैं। इसका कारण यह है कि अनेक मामलों में डायरेक्टरशिप कुछ पदेन अधिकारियों की होती है।

9 अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि विशेष सगठनों को मर्यादा और विविधता में इतनी वृद्धि रोकी जानी चाहिए कि उनका प्रवन्ध ही न हो सके, तथा इन सगठनों को इकट्ठा करने के लिए एक निश्चित नीति होनी चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष एक ही क्षेत्र में काम करनेवाले उद्योगों को निकट लाया जा सके। इससे प्रत्येक घटक इकाई को वे सामान्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हो सकेंगी, जो उन्हें अपने सीमित साधनों से उपलब्ध नहीं हो सकती थी, तथा मजबूत कर इनमें मितव्ययिता और कुशलता भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, एक ही क्षेत्र में काम करनेवाले कुछ उद्योगों को एकत्र करने से तथा उनके साधन-स्रोतों को भी एक साथ मिला देने से एक पर्याप्त बड़े आकार का सगठन त्रय और विक्रय, दोनों ही दृष्टियों से बड़े पैमाने पर, शाखा-कार्यालयों के साथ, स्थापित किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान की सुविधाएँ प्रदान कर सकता है, डिजाइन और विकास के लिए सगठन स्थापित कर सकता है, तकनीकी प्रशिक्षण-कार्यक्रम हाथ में ले सकता है और सामान्य आचार पर व्यक्तियों के चुनाव और मर्तों की उचित व्यवस्था कर सकता है। इसके साथ इस उद्योग-समूह के प्रत्येक उद्योग के सामने एक ही प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होने के कारण उनके समाधान के लिए अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान भी बड़ा उपयोगी होगा। परन्तु एक ही कम्पनी के अर्थात् अनेक निर्माण-इकाइयों को इस प्रकार नहीं लाना चाहिए कि डायरेक्टरों के बोर्ड की ओर से अत्यधिक केन्द्रीकरण की स्थिति पैदा हो जाए या घटक उत्पादक इकाइयों के दिन-प्रति-दिन के कार्य में हस्तक्षेप होने लगे, अन्यथा सस्थान का जनरल मैनेजर इस स्थिति में नहीं आ सकेगा कि उद्योग के मुचारे और कुशल संचालन की गारंटी दे सके।

10 इन सम्भावनाओं के प्रति जागरूकता का आभास हाल ही में स्थापित कुछ बड़ी कम्पनियों—यथा, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हेवी इंजीनियरिंग-कारपोरेशन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सुलैटिंग-मैटेरियल्स लि०, उर्वरक-निगम, राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम आदि की स्थापना से मिलता है। इनमें से प्रत्येक कम्पनी इस्पात, मशीन-निर्माण, रसायन, उर्वरक, कोयला-खनन, आदि में सम्बद्ध विभिन्न सस्थानों का नियन्त्रण करती है या कर सकेगी।

11 प्रारम्भिक अवस्था में कुछ वर्ष पूर्व तक परियोजनाओं का संचालन विभागीय रूप से होता था। बाद में यह निश्चय किया गया कि व्यावसायिक ढंग के सरकारी उद्योगों को कम्पनियों के रूप में सगठित किया जाना चाहिए। इस समय अवकाश नई परियोजनाओं के लिए—यथा रांची-स्थित भारी मशीन-परियोजना—प्रारम्भ से ही परियोजना के काम को देखने के हेतु, जिसमें निर्माण-कार्य को देखना भी शामिल है, एक कम्पनी बना दी जाती है। इसके साथ ही वर्तमान कम्पनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करें, जैसा कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दुर्गापुर में मिश्रधातु और औद्योगिक इस्पात-मयन्त्र की और बोकारो में नए इस्पात-कारखाने की जिम्मेदारी भी दी गई तथा हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स कम्पनी को एक या दो मशीनी औद्योगिक-कारखाने खोलने का काम सौंपा गया।

12 अब यह आवश्यक हो गया है कि डिजाइन बनाने और निर्माण के लिए विशेष दक्षता-प्राप्त अभिकरणों की स्थापना के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। ये अभिकरण औद्योगिक विज्ञान के सम्बन्ध में बड़ी इकाइयों को हाथ में ले सकेंगे तथा

उन्हे वास्तविक निर्माण में जो बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होगा, उसका उपयोग उत्तरवर्ती परियोजनाओं के निर्माण में किया जा सकेगा। इस दिशा में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और निन्द्री फर्टिनाइज़र लिमिटेड में डिजाइन और निर्माण-मगठन स्थापित करके शुरुआत कर दी गई है।

13 बड़े उद्योगों का मफनतापूर्वक मचालन एक नई चुनौती है। औद्योगिक और व्यावसायिक मस्याओं के कुशल मचालन के लिए यह आवश्यक है कि कार्य-सम्बन्धी निर्णय शीघ्र लिए जाए। यह आवश्यक नहीं कि ये निर्णय सदा ठीक ही हों, क्योंकि इस प्रकार के धविकाश निर्णय वापस लिए जा सकते हैं तथा बाद में उन्हे मुचारा भी जा सकता है। उद्योग के प्रबन्ध-विभाग का उत्पादन-परिणाम दिखाने के लिए अधिक अधिकार देना और मचालन में लचौलापन होना आवश्यक है। यदि किसी उद्योग में वास्तविक स्वायत्त-शासन नहीं है, तो उसका कारण होना सम्भव नहीं है।

14 उद्योगों में व्यक्ति को अधिकार न देना भी एक सामान्य त्रुटि है। जिन प्रकार जनरल मैनेजर को कारगर रूप में प्रबन्ध करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हीं प्रकार वह तथा दूसरे प्रबन्ध-अधिकारी भी प्रायः यह त्रुटि करते हैं कि वे प्रबन्ध-विभाग के अपने में नीचे के उन अन्य कर्मचारियों को उचित अधिकार प्रदान नहीं करते, जो बिना उचित अधिकार के अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। अधिकार प्रदान करने की कमी सामान्य कर्मियों और दायित्वों को ठीक प्रकार में निश्चित न करने के कारण होती है। जब तक कोई यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है तथा उसके क्या अधिकार हैं, तब तक वह विश्वास और प्रभावी ढंग से न तो काम कर सकता है और न किसी परिणाम के लिए उसे जिम्मेदार ही ठहराया जा सकता है।

15 उद्योगों की मफनता का एक निर्णायक तथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रबन्ध-विभाग में उच्च पद पर पर्याप्त सख्या में अनुभवी व्यक्ति काम कर रहे हों। पर्याप्त प्रबन्धक कर्मचारियों के बिना भी एक अच्छा मयन्त्र चलता दिखाई दे सकता है, और वास्तव में अधिक खर्चों ने ढग पर चल सकता है, परन्तु यदि उनकी मख्या पर्याप्त न हो, तो उद्योग के सामने उत्पादन-व्यय में वृद्धि, कम उत्पादन, सामान की अधिक बर्बादी, मशीन-सम्बन्धी और प्रक्रिया-सम्बन्धी कठिनाइया तथा मशीनों में खराबी, आदि की ममम्माए खड़ी हो जाती है।

16 उद्योगों की मफनता पर विपरीत प्रभाव डालनेवाला एक अन्य कारण प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारियों में योग्यता का अभाव है। प्रबन्ध-विभाग के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की अत्यधिक कमी होने के साथ, प्रायः जनरल मैनेजर, उत्पादन-मैनेजर, रख-रखाव-सुपरिटेण्डेंट, आदि महत्वपूर्ण पदों पर भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपना काम ठीक प्रकार से करने के लिए न तो प्रशिक्षण ही प्राप्त होता है और न अनुभव ही।

17 नाम और लागत के प्रति भी जागरूकता इतनी व्यापक नहीं है, जितनी होनी चाहिए। प्रबन्ध-विभाग का यह लक्ष्य होना चाहिए कि आर्थिक कुशलता प्राप्त की जाए। इस मनोवाञ्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए व्यय के बारे में सतर्कता आवश्यक है। खर्च के प्रति अत्यधिक सतर्क रहनेवाला मैनेजर भी खर्च पर तब तक नियन्त्रण नहीं रख सकता, जब तक उसे यह न मालूम हो कि वे खर्च क्या हैं, और उसे भी खर्च के लेना-परीक्षा तथा अन्य प्रबन्ध-सम्बन्धी तकनीक के बिना, जिनका प्रयोग अधिक नहीं

किया जाता है, जानना सम्भव नहीं है। व्यक्तियों के चुनाव में, उनके प्रशिक्षण में, उन्हें अधिकतम सन्तोष प्रदान कर उनमें अधिकतम कार्य सम्पादन करने में भी कुछ श्रुटिभा रह जाती है।

18 उपयुक्त कदम उठाने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है

सरकारी उत्तरदायित्व : सरकारी स्वामित्ववाले उद्योगों पर प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ यह भी सामान्य रूप से मान लिया गया है कि यदि किसी सरकारी उद्योग का मफलतापूर्वक संचालन करना है, तो उसे सरकार और नमस् में कुछ सीमा तक पर्याप्त स्वायत्त-अधिकार मिलना चाहिए। जब सरकारी उद्योग के दिन-प्रति-दिन के निर्णयों पर ससद् में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और वहस होगी, तब मन्त्री के लिए भी यह आवश्यक हो जाएगा कि वह पहले से ही सब जानकारी देने और प्रत्येक निर्णय की पूर्व-स्वीकृति लेने को कहे। निरन्तर सार्वजनिक आलोचना और जाच के कारण प्रबन्ध-विभाग व्यावसायिक उद्योगों में दैनिक कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक निर्णय लेने में भी मकोच करेगा और इस प्रकार प्रत्यक्ष स्वायत्तगामी उद्योग लालफीताशाही और नौकरशाही के कारण पगु हो जाएगा। इसलिए यह अनुभव किया गया है कि ससद् की एक समिति बनाई जाए, जो ऐसी जानकारी के साथ आलोचना कर सके, जिसका सरकारी उद्योग पर प्रभाव पड़े। यह समिति मदा सरकारी उद्योग के कामों के बारे में जानकारी रखेगी। यदि समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा जाए, तो इसमें एक लाभ यह होगा कि सदस्य विविध जटिल तथ्यों को समझ सकेंगे तथा एक निरन्तरता बनी रहेगी। इसका एक परिणाम यह होगा कि ससद् के अधिकाधिक सदस्य इस मामले में विशेष दिलचस्पी ले सकेंगे। चूंकि ससद् समिति की मतर्कना में आश्वस्त होगी, इसलिए नमस् के सम्म्य भी व्यक्तिगत रूप से सरकारी उद्योगों के ममय-समय पर मूल्यांकन के बारे में समिति के सदस्यों के निर्णयों को महत्व देंगे।

19 डायरेक्टरों के बोर्ड का स्वरूप और कार्य : बोर्ड का म्दय कार्य उद्योग के लिए एक आम नीति तथा उद्देश्य निश्चित करना है। निर्धारित नीतियों के आधार पर मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर को पूरे अधिकार होने चाहिए तथा आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए वही उत्तरदायी होगा। मन्त्रालयों के सचिवों को चेयरमैन या डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रारम्भिक अवस्थाओं में यह उपयोगी हो सकता है कि एक या दो डायरेक्टर ऐसे सरकारी अधिकारियों में से नियुक्त किए जाए, जो मम्बद्ध प्रशासक मन्त्रालय में और वित्त-मन्त्रालय में परियोजना के बारे में ही देखरेख करते हों। ये अधिकारी कम्पनी के विधान के अधीन रहते हुए अन्य डायरेक्टरों के समान ही काम कर सकेंगे तथा कम्पनी के नियम और कानून भी उन पर उनी तरह लागू होंगे। ऐसे विषयों के बारे में, जिनका सम्बन्ध सरकार से है, वे बोर्ड को बताएंगे कि सरकार का विचार क्या है, तथा ऐसे मामले जब सरकार के पास जाएंगे, तब वे अधिकारी सरकार के सामने बोर्ड के विचार रख सकेंगे।

20 मैनेजिंग डायरेक्टर और (या) चेयरमैन की नियुक्ति सरकार-द्वारा होनी चाहिए। बहुत छोटे उद्योगों को छोड़ कर इनकी नियुक्ति सारे ममय के लिए होनी चाहिए। अन्य डायरेक्टर, कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार, सारे या आंशिक समय के लिए हो सकते हैं।

21 बोर्ड की सदस्यता योग्यता, अनुभव और प्रशासन की दक्षता के आधार पर होगी तथा यह न केवल सरकारी उद्योग के कर्मचारियों के लिए, अपितु निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए भी खुली होनी चाहिए। बोर्ड का सदस्य चुन लिए जाने पर सदस्यों को उद्योग के हितों को अपना ही हित समझ कर काम करना चाहिए।

22 डायरेक्टरों के बोर्ड को इस बात के पर्याप्त अधिकार होने चाहिए कि वे नियुक्तियाँ और वेतन-मान निश्चित कर सकें। एक सरकारी उद्योग से दूसरे सरकारी उद्योग में कर्मचारियों का जाना रोकने के लिए, जो कि एक ही प्रकार के पदों के लिए विभिन्न वेतन-मान निश्चित करने से स्वाभाविक है, यह आवश्यक है कि बोर्ड को पहले ही सामान्य रूप से यह बात दिया जाए कि विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए बुनियादी वेतन-मान क्या हो। फिर भी, बोर्ड को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह विशिष्ट कामों के लिए विशेष वेतन निश्चित कर सके।

23 पूँजीगत कामों की अनुमति देने के लिए बोर्ड के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बड़े उद्योगों के लिए जो सीमा निर्धारित की गई थी, वह बाद में अत्यल्प स्वल्प सिद्ध हुई। बड़े उद्योगों के बारे में वित्तीय सीमा तुलना में कुछ अधिक होनी चाहिए। छोटे उद्योगों में यह सीमा कम हो सकती है। सवक की स्वीकृति के लिए सरकार से लिखा-पढी या अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई कम-से-कम होनी चाहिए, जिससे कम्पनी की सीमा और नियमों में रहते हुए डायरेक्टरों के बोर्ड को सयन्त्र के संचालन अथवा परियोजना के निर्माण को स्वयं प्रारम्भ करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके।

24 कुछ समय से ऐसा प्रयत्न रहा है कि बड़ी कम्पनियाँ स्थापित की जाए, जिनके अन्तर्गत एक ही प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगों को ले आया जाए। इस प्रकार की बड़ी कम्पनियों के निर्माण को इसलिए वांछनीय समझा गया कि इससे घटक इकाइयों में सामान्य मूविघाए प्राप्त हो सकेंगी तथा आय, मितव्ययिता और कुशलता बढ़ सकेंगी। मन्त्रालय-द्वारा कम्पनी को व्यापक अधिकार प्रदान करने के साथ यह जरूरी है कि कम्पनी भी घटक इकाइयों के जनरल मैनेजरो को पर्याप्त अधिकार प्रदान करे। यदि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें उद्योग का संचालन करना है, आवश्यक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान न किए गए, तो अत्यधिक केंद्रीकरण की त्रुटि बनी रहेगी और उद्योग की घटक इकाइयों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

25 **मैनेजिंग डायरेक्टर/जनरल मैनेजर :** नेतृत्व, पथ-प्रदर्शन और मुख्य संचालन-शक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर से आनी चाहिए। उसे तकनीकी क्षमता, प्रशासकीय दक्षता और नेतृत्व की योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए। वह यह अच्छी तरह देखने में समर्थ हो कि कहा क्या हो रहा है, किस विभाग में काम सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है, तथा उसे इतना आवश्यक ज्ञान और अधिकार होना चाहिए, जिससे वह विभागीय मैनेजरो को काम ठीक करने में सहायता दे सके। उसे निर्धारित सामान्य नियमों की सीमा में रहते हुए काम करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा परिणामों के लिए बड़ी पूरी तरह उत्तरदायी होगा। दिन-प्रति-दिन के निर्णय करना उसका ही काम होना चाहिए। यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब कुशलता के हित में शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं, तब कभी-कभी भूल हो जाना अनिवार्य है। उद्योग के संचालन-

में लचीलापन तभी सम्भव है, जब जनरल मैनेजर को विभिन्न व्यक्तियों के नामने विभिन्न अवसरों पर किमी विशेष नियम का पालन क्यों नहीं किया गया, आदि बातों का स्पष्टीकरण देने से समुचित मात्रा में छूट प्राप्त हो। अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाने के लिए जनरल मैनेजर को उद्योग का पर्याप्त लम्बे समय तक अधिकारी बने रहना चाहिए, जिसमें उसे अपने उद्योग की समस्याओं और सम्भावनाओं का अच्छी तरह ज्ञान हो सके। इसलिए नियुक्तियों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उसके कार्यकाल की सुरक्षा उसके काम के परिणामों पर निर्भर करनी चाहिए। यदि वह सफल होता है, तो स्वभावतः वह अपने पद पर बना रहेगा तथा उसे प्रोत्साहन मिलेगा, और यदि वह असफल होता है, तो उसके हटा दिए जाने की आशा करनी ही चाहिए।

26 वित्तीय परामर्शदाता का कार्य - सभी कम्पनियों को जनरल मैनेजर के अधीन एक आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता रखना चाहिए। मतभेद होने की स्थिति में जनरल मैनेजर को वित्तीय परामर्शदाता के परामर्श को ठुकरा देने का पूरा अधिकार होगा, परन्तु एक परम्परा के रूप में ऐसे मामले जनरल मैनेजर को बोर्ड की अगली बैठक में पेश करने चाहिए।

27 वित्तीय परामर्शदाता को त्रिशुद्ध रूप में खर्च के नियन्त्रण पर ही ध्यान देने के बदले वित्तीय प्रबन्ध की समस्याओं पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। इन प्रयोजन के लिए यह आवश्यक होगा कि वित्तीय परामर्शदाताओं को उद्योग में नियुक्त होने से पूर्व या नियुक्त हो जाने पर अभ्यास-पाठ्यक्रमों द्वारा वित्तीय निदानों और व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। यह विशेष रूप से उन वित्तीय परामर्शदाताओं के लिए आवश्यक है, जो इस प्रयोजन के लिए अभी उपलब्ध नवों में नियुक्त किए जाते हैं।

28 सहायक प्रबन्ध-व्यवस्था : जनरल मैनेजर के पास नहायक प्रबन्ध-कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए, जो समुचित नियन्त्रण, अवीक्षण, निदेशन तथा अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें। ऐसे कर्मचारियों का चुनाव तथा नियुक्ति बोर्ड की अनुमति से जनरल मैनेजर करेगा, तथा ये कर्मचारी जनरल मैनेजर या उसके द्वारा अधिकृत किमी व्यक्ति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। जनरल मैनेजर उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान करे तथा कार्य के सम्पादन का दायित्व उन्हीं पर हो।

29 प्रबन्धक-वर्ग का निर्माण - उद्योग का कुशल संचालन दो मुख्य बातों पर, जिनका सम्बन्ध कर्मचारी-वर्ग की व्यवस्था से है, निर्भर करता है। ये हैं, संगठन में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षण और कर्मचारी-वर्ग का इस रूप में विकास कि अन्ततः मुख्य पदों पर नियुक्ति के लिए वह दूसरी पक्ति के रूप में काम कर सके। मुख्य पदों के लिए प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारी केवल तकनीकी रूप से ही योग्य नहीं, अपितु मारे सयन्ध के बारे में ही उनकी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। ऐसा किस प्रकार हो, यह प्रत्येक उद्योग की अपनी विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। उद्योग इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकते हैं या अन्य ऐसे क्रियात्मक कदम उठा सकते हैं, जिनमें चुने हुए व्यक्तियों को उपयुक्त प्रबन्ध-सम्बन्धी पदों पर काम करने का अवसर देना भी शामिल है।

30 अग्रिम आयोजन - आयोजन, जिसमें पहले से यह निश्चय होता है कि क्या किया जाना है, उद्योग की भ्रमलता के लिए पहली शर्त है। यह संगठन तथा भावनों को इकट्ठा

करने, और निदेशन तथा नियन्त्रण को एक आधार प्रदान करनी है। योग्य मैनेजर वह है, जो विस्तृत आयोजन के आधार पर विद्यमान के साथ यह कदम लेके कि वह अपने मान और वर्ष की अवधि में किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, उसे किन योग्यता के गिनने कम-चारियों की आवश्यकता है, तथा उन पर कितना व्यय आयेगा, उसे मीन-कीन-ना मामान कितनी मात्रा में चाहिए और, माल कितना रद्दी जाएगा। उनी प्रकार स्पष्ट रूप में उसे यह भी बता सकना चाहिए कि अपने मचालन के विभिन्न चरणों में उपलब्धियों के बारे में उनी क्या योजनाएँ हैं।

31 उद्योग के लिए बनाई गई योजनाएँ व्यवस्थित और महत्व के तम में हानी चाहिए। उत्तमवर्ती विस्तृत योजनाओं की शृंगला जिसमें में प्रत्येक एक शर्त योजना के अंग-रूप में उसकी पूर्ति के लिए हो, एक सामान्य स्वीकृत उद्देश्य है। उनी प्रकार, कई बड़ी योजनाएँ लम्बे समय के लिए, लगभग 5 वर्ष के लिए, हानी चाहिए तथा प्रत्येक घटक विभागों के लिए वार्षिक कार्य की योजनाएँ, बजट और दैनिक विस्तृत कार्यक्रम बनाना जाना चाहिए।

32 यदि पहले से ही मर्च, मचालन और पूजी-मध्यस्थी बजट बना लिया जाए तो सम्बद्ध प्रशासन मन्त्रालय को बार-बार प्रत्येक बात के लिए लिपि लेनी आवश्यकता नहीं होगी, उद्योग की म्यायन्तता सुदृढ़ होगी और उनके काम में लचीलापन बना रह सकेगा। इसलिए प्रत्येक उद्योग को अपने हित में इन प्रकार की पूर्ण मजजा के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।

जिसकी पूर्ति के लिए सभी अन्य त्रियाकलाप किए जा सकेंगे। इस प्रकार के कदम उठाने से अन्य अनेक लाभ भी होंगे। इससे सोद्देश्य और समन्वित आयोजन में बड़ी आसानी हो जाती है, इससे अधिकारियों और काम करनेवालों को आवश्यक बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलती है तथा उद्योग को निरूपादक कार्यों से दूर रखने के लिए एक सतत सतर्कता की प्रेरणा मिलती है। आयोजन के लिए उपयोगी सचालन-सम्बन्धी आकड़ों के संग्रह और मानदंडों के निर्धारण से भविष्य में अधिक वास्तविक कार्यक्रम बनाने के लिए एक आधार प्राप्त होता है, और सर्वाधिक महत्व की बात, जो प्रशासनिक नियन्त्रण के लिए अनिवार्य पतत है, विशिष्ट उद्देश्यों और उनके स्वरूप को निश्चित करना है। इसका अग्रिम आयोजना के अनुसार परिणाम प्राप्त करना है। यदि अनुमानों का कोई मूल्य है, तो मानदंडों और उनके स्वरूप का निर्धारण भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, व्यक्तिगत प्रयत्नों को भी सोद्देश्य बनाने के लिए स्पष्ट रूप से लक्ष्य और मानदंडों को मान्यता देना तथा उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।

35 प्रेरक तत्व : ऐसे उद्योगों में, जहाँ कार्य-सम्पादन का वास्तविक मानदंड निश्चित किया गया है, अधिक वेतन के लिए प्रेरक व्यवस्थाएँ करना बड़ा सुगम है। ये श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने, खर्चों को कम करने और किस्म में सुधार करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर, इन व्यवस्थाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है (1) काम के आधार पर वेतन-निर्धारण, (2) एक स्वीकृत उत्पादन के लिए निश्चित वेतन और उससे अधिक उत्पादन करने पर उसके लिए सामुपातिक वेतन, (3) कर्मचारियों के ऐसे समूहों के उत्पादन पर बोनस देना, जिनका अलग-अलग मूल वेतन है। किस्त उद्योगों के लिए इनमें से कौन-सी व्यवस्था उपयोगी है, यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही इनमें से किसी एक को अपनाया चाहिए। संक्षेप में, असल बात यह है कि कर्मचारियों और उद्योग, दोनों के समान हित के लिए यह जरूरी है कि यथासम्भव प्रेरक वेतन-व्यवस्था लागू की जाए।

36 अनुसन्धान-विभाग : सरकारी उद्योगों में यह आवश्यक है कि अनुसन्धान और विकास-विभागों में अच्छे और पर्याप्त कर्मचारी हों। इन कर्मचारियों को वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा उत्पादन की किस्म और सचालन-सम्बन्धी तथा तकनीकी कुशलता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। इन प्रकार के विभागों की स्थापना की सिफारिशों को अविनाश मूल रूप दिया जाना चाहिए। नई त्वोजों और नए विचारों के लिए उपयुक्त पुरस्कार दिया जाना चाहिए और प्रचार किया जाना चाहिए। विभिन्न सरकारी उद्योगों में तकनीकी और प्रत्यक्ष-सम्बन्धी अनुभवों का नमय-नमय पर आदान-प्रदान होते रहना चाहिए, जिनमें सामान्य अनुभवों ने सभी को लाभ हो सके। इन सम्बन्ध में दूसरे उद्योगों का निरीक्षण बड़ा उपयोगी होगा।

37 कर्मचारियों के सम्बन्ध : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में यह विदित उत्तर-दायक है कि वे ऐसी श्रम-नीतियाँ अपनाएँ, जो उचित खर्च पर योग्य श्रमिक प्राप्त करने और उन्हें रूढ़ाने में सहायता कर सकें। इसके लिए प्रेरणादायक वेतन-नीति, कर्मचारियों की गतिशीलताओं को चुनना, सभी स्तरों के कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए संगठित प्रशिक्षण, योग्यता में दृष्टि के साथ कर्मचारियों को उचित पद पर पहुँचाने का व्यवस्था उद्योग

के संचालन में सुधार के लिए, कर्मचारियों को गुंजाव देने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन, उपयोगी विचारों के लिए उचित पुस्कार, छोटी समस्याएँ उग्र रूप धारण करे, इससे पूर्व ही उनको हल करने के लिए गिवागवत-प्रक्रिया अपनाता तथा कर्मचारियों के प्रति ऐसी मनोवृत्ति रखना आवश्यक है, जिसमें उन्हें अधिक उत्पादन करने और स्वतः पहले के लिए प्रोत्साहन मिल और उनमें सन्तोष पैदा हो, उद्योग में भागीदार होने की तथा उनके प्रति जवाबदारी की भावना पैदा हो और उद्योग की उपलब्धियों पर उन्हें गौरव का अनुभव हो।

38 अधिदोष और उसका उपयोग : जब कोई उद्योग कुशलतापूर्वक संचालित होता है और अपने उत्पादन तथा सेवा के लिए उचित मूल्य-नीति अपनाता है, तो अनिवार्यतः उनके संचालन का परिणाम अधिक अर्जन और फालतू उत्पादन के रूप में होगा। विकास-शील अर्थव्यवस्था में दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं तथा जिस उद्योग के ये फालतू उत्पादन हैं, उसके विकास में या अर्थव्यवस्था में अन्यत्र वित्तीय विनियोग के लिए बड़े सुविधाजनक स्रोत हैं। इसलिए सरकारी उद्योगों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे कुशलतापूर्वक उत्पादन करें और फालतू बचे माल को एकत्र करें, तथा इससे होनेवाली प्राप्ति को पुनः उद्योग के और अधिक विकास में लगाएँ।

39 उद्योगों के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह कुशलतापूर्वक चले तथा उसे जो कार्य दिया गया है, उसका सम्पादन सन्तोषजनक ढंग से करे। परन्तु उसे निरन्तर अपने कार्य को बढ़ाने और उसका विकास और विस्तार करने के लिए योजना बनाने के क्षेत्र में पहल करने का भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए। सरकारी उद्योग के प्रबन्धकों को केवल सरकार-द्वारा स्वीकृत काम को अजाम देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वे उद्योग के और अधिक विकास की योजना बनाने के लिए तथा आवश्यक साधनों को जुटाने के लिए निकट से सम्बद्ध हों तथा इनके लिए बहुत उत्तरदायी भी हों।

40 यहाँ जिन प्रकार मक्षेप में समीक्षा की गई है, उसमें अनेक त्रुटियाँ रह जानी अनिवार्य हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक उद्योग के लिए संचालन-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव देना नहीं, परन्तु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना है, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योगों ने पहले ही इस प्रकार की नीतियाँ तथा प्रबन्ध-सकनीको को अपना लिया है, जिससे वे अल्प समय में ही अपेक्षया उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। सरकारी उद्योगों का कार्य इस बात को देखते हुए कि वे तुलनात्मक दृष्टि में हाल ही में प्रारम्भ किए गए हैं, बड़ा मगहनीय है। प्रबन्ध की जिन त्रुटियों की ओर ध्यान खींचा गया है, वे सभी उद्योगों में, चाहे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के, आम बात हैं। निरन्तर उन्नति के लिए सतत प्रयत्न सभी का सामान्य लक्ष्य होना चाहिए।

अनुबन्ध

निर्माण एव खान-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के बड़े उद्योगों की सूची

(जिनकी अधिकृत पूंजी 50 लाख रु० या इससे अधिक है)

मन्त्रालय/उद्योग	किस वर्ष में स्थापित
वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय	
1 इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०	1961
2 हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	1956
3 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	1958
4 हिन्दुस्तान एटीवायोटेक्स लि०	1954
5 हिन्दुस्तान केबल्स लि०	1952
6 हिन्दुस्तान इनमेकटीसाइड्स लि०	1954
7 हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स लि०	1953
8 हिन्दुस्तान प्रागेनिक केमिकल्स लि०	1960
9 हिन्दुस्तान माल्ट कम्पनी लि०	1958
10 नाहन फाउंड्री लि०	1952
11 हिन्दुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	1956
12 नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लि०	1957
13 नेशनल न्यूक्लियर एंड पेपर मिल्स लि०	1947
14 मिन्दरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि०	1951
15 प्राग टूल कारपोरेशन लि०	1943
16 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि०	1960
प्रतिरक्षा-मन्त्रालय	
17 भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	1954
18 प्रोटोटाइप मशीन टूल्स फैक्टरी†	1953
19 हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०	1940
परमाणु-शक्ति-विभाग	
20 इंडियन रेयर अर्थ्स लि०	1950
वित्त-मन्त्रालय	
21 मिल्बर रिफायनरी कलकत्ता	1952
रेलवे-मन्त्रालय	
22 चित्तूरजन-नौकोमोटिव-वर्कर्स†	1948
23 इट्टेनम कौच फैक्टरी†	1952
इस्पात, खान और ईंधन-मन्त्रालय	
24 हिन्दुस्तान स्टील लि०	1953
25 इंडियन रिफायनरीज लि०	1958
26 नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	1956

† विभागीय उद्योग

अनुबन्ध (जारी)

मन्त्रालय/उद्योग	किस वर्ष में स्थापित
27. नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०	.. 1958
28. नड्वेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०	.. 1956
29. मिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	.. 1920
30. आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन‡ परिवहन और संचार-मन्त्रालय	1956
31. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	. 1948
32. हिन्दुस्तान थिपयाई लि०	.. 1952
33. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० निर्माण, आवास और सम्भरण-मन्त्रालय	. 1960
34. हिन्दुस्तान हाउसिंग फॅक्टरी लि०	1953

‡ अनुविहित निगम

इनके अतिरिक्त अन्य कम्पनियां कम्पनी-अधिनियम के अधीन पजीबद्ध हैं ।

प्रशासन और योजना की कार्यान्विति

(1)

प्रशासनिक समस्याएँ

पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर जितना प्रयत्न किया गया है तीसरी योजना में उन्ने ज़ही अधिक प्रयत्न करने का विचार है। अगले पांच वर्षों में राष्ट्र ने जो काम पूरे करने का संकल्प किया है, उनके क्षेत्र और विस्तार का अन्दाजा योजना के उद्देश्यों और मन्त्रों को पढ़ कर नहीं लगाया जा सकता। अन्ततः योजना इस विषय पर आधारीत है कि जितने प्रयत्न की जरूरत है, उतना प्रयत्न लोग करेंगे और मनुष्य की शक्ति-द्वारा जितना सम्भव हो सकता है, उतना प्रयत्न राष्ट्रीय जीवन के हर स्तर पर योजना की कुशल कार्यान्विति के लिए किया जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएँ जिन बातों को स्वीकार करके चलती हैं, उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, सबसे मुश्किल भी है। योजना के आर्थिक लक्ष्य अपने-आप में बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ नवीन विचारों की नींव-पट्टी भी हैं। फिर भी, योजना में जो चुनौती निहित है, उनका वे केवल एक पहलू हैं। निम्न के तौर पर, यह आभा की जाती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो-जो भीतिक कार्यक्रम स्वीकार किए गए हैं, उन सबको पूरा करने का काम बहुत से प्राप्त रक्तों से ही हो सकता है, बगल कि उचित परिस्थितियाँ मिलें। जनसंख्या में दो प्रतिशत में भी अधिक की वार्षिक वृद्धि को देखते हुए यह आभा करना कि अन्नको की संख्या में जितनी वृद्धि होगी कम-से-कम उतने लोगों के लिए काम की व्यवस्था कर ही जाएगी, इन बात पर ही निर्भर नहीं करता कि नवीन कार्यक्रमों को कुशलता के साथ लागू किया जाए, बल्कि उनके लिए यह भी जरूरी है कि उपलब्ध जनशक्ति-विषयक साधनों का राष्ट्र-भर में पूरा-भ्रम उपयोग किया जाए। योजना के प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन उद्देश्यों की कि नवीन नारिकों को नमान अवसर प्राप्त हों, सबको मूल आवश्यकताएँ पूरी हों, आय और सम्पत्ति की विषमता घटे और आर्थिक शक्ति का वितरण अधिक सम हो—प्रति अनेक व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की कार्यान्विति पर निर्भर करती है।

2 योजना की कार्यान्विति कई स्तरों पर होती है—यथा राष्ट्र राज्य, जिला, संघ और गाव के स्तरों पर। निर्धारित कार्यों के सम्बन्ध में हर स्तर पर विभिन्न समस्याओं के बीच सहयोग होना जरूरी है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि वे योजना के उद्देश्यों और उनकी पूर्ति के माध्यमों को समझें। राष्ट्रीय आघार पर आयोजित एक विशाल और विविधतापूर्ण व्यवस्था में बहुत-कुछ इन बात पर निर्भर करता है कि उनके विभिन्न स्तरों में और एक ही स्तर पर विभिन्न समस्याओं में पारस्परिक सम्पर्क के कारण तरिकों मौजूद हों। योजना के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्विति की जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर होती है, जो बड़ी-बड़ी योजनाओं का कार्यभार वहन करते हैं। ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था विकसित होती है, त्यो-त्यो ऐसी योजनाओं की जिम्मेदारियों भी बढ़ती जाती हैं। इनके फलस्वरूप संगठन की बहुत-सी नई समस्याओं को मुलभाना आवश्यक होना है। एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में बढ़ते हुए

नगरनरी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के—जो भ्रष्टाचर व्यवस्थित और अधिकांशतः अव्यवस्थित होता है—माध-माध नाम करने के फलस्वरूप भी कठिन प्रदामकीय समस्याएँ पैदा हो जाती हैं ।

3 गन दनाक में प्रशासन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं और जमे अपने-आपको नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालना पटा है । नई-नई बातें शुरू हुई हैं और नई मस्याओं की स्थापना हुई है, ज्ञानागि उनमें नै बहुता का अमी एन-डूमरे से और नम्पूर्ण ध्यवस्था से नमन्वय स्थापित होना वाली है । विकास की गति और सरकार की जिम्मेदारी के क्षेत्र के बटने के साथ-साथ प्रशासनकीय कार्य का परिमाण और उगकी उन्नयन भी बढ गई है । प्रशासनकीय व्यवस्था पर ज्यादा जोर पटा है और उममे कई जगहों पर ऐसी न्विति हो गई है कि जो काम करनेवाले हैं, उनकी न तो मस्या पर्याप्त है और न योग्यता ही । प्रशासन पर विकास-योजनाएँ पूरी करने का भार बढत है, तीमरी योजना में वह कई गुना और बढ जाएगा और जन-सम्पर्क की नई-नई समस्याएँ भी निश्चय ही सामने आएंगी । इधर प्रशासन के कुछ पहलुओं नै विशेष ध्यान आकृष्ट किया है । इनमें से भी शामिल हैं—कई क्षेत्रों में काम की धीमी गति, आयोजन में निहित समस्याएँ, बडी-बडी परियोजनाओं का निर्माण और परिवालन—गान तीर नै नागत में विशेष वृद्धि और निर्धारित ममय का पालन न होना—बाफी बडे पैमाने पर लोगों को प्रमिक्षित करने तथा आवश्यक योग्यता और अनुभववाले कमचारी जुटाने की कठिनाइया, अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्धित क्षेत्रों में पूरे-पूरे समन्वय की स्थापना, और नवने अधिक महत्त्व की बात—समाज का सहयोग और व्यापक सहायता प्राप्त करना । तीमरी योजना का विस्तार कहीं अधिक है, अतः ये समस्याएँ और गम्भीर रूप धारण करेंगी तथा इनका जल्दी-से-जल्दी निराकरण करना अनिवार्य हो जाएगा । आम तीर पर अब यह महसूस किया जा रहा है कि तीमरी योजना से जो भी लाभ हो सकते हैं, वे इस बात पर निर्भर करते हैं—गान कर प्रारम्भिक स्तरों पर—कि समस्याएँ किस प्रकार सुलझाई जाती हैं । प्रशासनकीय व्यवस्था पर जैने-जैने बोल बढता है, वैसे-वैसे उमका विस्तार भी होता है और ज्यों-ज्यों उमका विस्तार होता है, त्यों-त्यों उसकी गति धीमी पडती जाती है । इससे काम में देरी होती है और हर स्तर पर काम पर धुरा अमर पडता है और प्रत्याक्षित उत्पादन में भी विलम्ब हो जाना है । अगर चालू कामों की मिर्फ आलोचना ही की जाए तो नए कामों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाना है । ऐसी परिस्थितियों में यह जरूरी है कि कार्य-पद्धति और दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किए जाए तथा मौजूदा तरीकों और रवियों की फिर से जाच की जाए ।

(2)

प्रशासन-कुशलता और उनके मानदड

4 विकास-प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष समस्याएँ होती हैं । फिर भी, सुधार की कुछ सामान्य दिशाएँ हैं, जिनका उपयोग प्रशासन के हर अंग में किया जा सकता है और तीमरी योजना के अन्तर प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में इन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । मुख्य उद्देश्य अनिवार्यतः यह होना चाहिए कि कार्यान्विति अधिक कुशलता के साथ-साथ अधिक तेजी में भी हो । प्रशासनकीय कुशलता बढ़ाने की प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं है, कार्य-अध्ययन के माध्यम से और कार्यालय-प्रशासन की उन्नत पद्धतियों तथा अन्य उपायों के द्वारा धीरे-धीरे बेहतर तरीके लागू करना जरूरी है । केन्द्र और राज्यों, दोनों में

व्यवस्था और कार्य-पद्धतियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, प्रेरणाएँ बढ़ाने और काम का मूल्य आकाने का भी उचित ख्याल रखा जा रहा है। अलग-अलग प्रक्रियाओं के सम्पादन की कुशलता और कार्यान्विति की गति कुछ हद तक एक्-दूमरे में सम्बद्ध है। फिर भी, विनाम के मन्दमें में, सायद कार्यान्विति की गति मगठन-सम्बन्धी अधिक सुशुद्ध मन्पाएँ उपस्थित करनी हैं, विशेषकर जब व्यवस्था बड़ी और जटिल होती है तथा उसकी जिम्मेदारी बहुत-सा लोगो में बटी होती है। राष्ट्रीय और राज्य-स्तर पर जिन तरीके में यह मन्पाया खड़ी होती है, उनमें कुछ एकपता होती है परन्तु काम की विद्यालना में अन्तर होने के कारण स्पष्ट मात्रा-भेद अनिवार्य हो जाता है। इस विषय का जिनना अध्ययन किया गया है और इन पर जितना विचार किया गया है, उसके आधार पर नीचे इस बात की चर्चा की जाएगी कि कार्यान्विति की गति बढ़ाने के लिए किन-किन दिशाओं में काम करना उचित है। यह ठीक है कि मगठन और कार्यविधि में परिवर्तन करके कुछ हद तक काम की गति बढ़ाई जा सकती है और विलम्ब के कारणों को दूर किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इस बात की भी बहुत खतरा है कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण, निरीक्षण और काम का नेवा-जोना करने तथा उनकी जाच करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। परन्तु इसके साथ ही, जब तक प्रमानन की क्रियाशीलता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इन उपायों से भी पर्याप्त फल प्राप्त नहीं हो सकेगा।

5. जिनो भी कार्यक्रम या परियोजना को पूरा करने के लिए सबसे पहले इन बात की जरूरत होती है कि सम्बद्ध अभिकरण का और अभिकरण में विभिन्न व्यक्तियों का दायित्व स्थिर कर दिया जाए। नियत सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और इसके साथ ही उसे उचित मात्रा में सहयोग और विश्वास भी मिलना चाहिए। अगर वह अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह में न निभा सके, तो उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। लेकिन जब तक वह अपने नियत पद पर काम कर रहा है, तब तक उसे उसके पूरे दायित्व स्वीकार करने चाहिए, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उसे ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वह अपना दायित्व कारणर तरीके में निभा सके। इस तरह दायित्व का निश्चय हो जाने के बाद उसे इन बात की छूट देनी चाहिए कि जिन प्रकार के मलाह-मनाविरे की आवश्यकता पड़े, वह ले सके, लेकिन साथ ही इन बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये स्वयं प्रबन्ध की प्रक्रिया के अनिवार्य अंग न बन जाए। प्रमानन की वर्तमान पद्धति यह है कि अन्य अधिकारियों में निर्णय बड़े-बड़े मामलों पर मलाह नहीं ली जाती, बल्कि अन्तर ही जानी है और बारीकियों और व्यौरों पर अधिक विचार किया जाता है। नतीजा यह होता है कि प्रभावशाली ढंग में और गीघ्र काम नहीं हो पाता। वित्तीय नियन्त्रण का प्रयोग इन समस्या का एक पहलू है। जाहिर है, यहां खवाल यह है कि प्रशासकीय विभागों के अध्यक्षों को व्यापक वित्तीय अधिकार प्राप्त हो जाए और वित्त-विभाग वापिस बजट नौधार होने से पहले अपनी मुख्य जाच-पटताल करे।

6. जैना कि पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में बताया जा चुका है, केन्द्रीय मन्त्रालयों की और सायद राज्यो में सचिवालय-विभागों की प्रवृत्ति अधिकाधिक मौलिक काम की जिम्मेदारी लेने की ओर रही है। नतीजा यह हुआ है कि प्रबन्ध-विभागों में अपनी ओर से कोई काम उठाने की प्रवृत्ति घट गई है और उनकी स्वतन्त्र काम करने की क्षमता कम हो गई है। मन्त्रालयों और सचिवालय-विभागों का मरौकार तो मुख्यतः नीति-सम्बन्धी मामलों,

सामान्य निरीक्षण और मानदंडों के परिपालन से होना चाहिए। प्रबन्ध-कार्य तो उन विभागों तथा अधिकारियों पर छोड़ दिए जाने चाहिए, जो विशेष कर इसी के लिए बनाए गए हों।

7 किसी पर विशेष जिम्मेदारी डालने और उसे पूरा करने के लिए साधन जुटाने की एक आवश्यक शर्त यह है कि सफलता या असफलता का निश्चय परिणामों के आधार पर किया जाए। यह तभी सम्भव है, जब आयोजन के दौरान यह स्पष्ट कर देने की सावधानी बरती जाए कि क्या-क्या काम शुरू किए जाने हैं, किन-किन साधनों का उपयोग किया जाना है तथा विभिन्न सम्बद्ध अभिकरणों और व्यक्तियों के दायित्व क्या-क्या हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि विभिन्न कार्यों का समय-क्रम क्या होगा और उनमें कैसे एक के बाद एक बड़ी योजनाएँ बनती चली जाएगी। ये शर्तें प्रशासन के कई अंगों पर लागू होती हैं, विशेषकर बड़ी परियोजनाओं पर।

8 विकास की किसी भी योजना में लक्ष्य स्थिर करना और आगे चल कर उनकी पूर्ति को आकना स्वभावतः शामिल होते हैं। लक्ष्य प्रगति के अन्धे सूचक हो सकते हैं और अधिक केन्द्रित प्रयत्नों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए जिन नीतियों और विशेष उपायों की आवश्यकता होती है, उनका तथा उनके अनवरत परिपालन का भी महत्त्व कम नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें उत्पादन या क्षमता के अन्तिम आकड़ों के रूप में लक्ष्यों की उपेक्षा कर जाना ही कुल मिला कर बेहतर होता है, क्योंकि या तो उनमें अनुमान लगाने के तरीके दोषपूर्ण होते हैं, या फिर उनके बारे में जो धारणा बनाई जाती है, वही गलत होती है। फिर भी, जहाँ लक्ष्य का निश्चय सार्थक हो, वहाँ उसके लिए जो भी अभिकरण जिम्मेदार हो, उसे पूरी सावधानी से अध्ययन करने के बाद उसका निश्चय करना चाहिए और समय-सूची तथा कार्यान्विति की जिम्मेवारी की दृष्टि से उसे छोटी-छोटी इकाइयों में बाँट लेना चाहिए। पंचवर्षीय लक्ष्यों को भी अनुभव के प्रकाश में हर वर्ष फिर से आका जाना चाहिए और भविष्य की सम्भावित प्रवृत्तियों के बारे में फिर से विचार किया जाना चाहिए।

9 कमी-कमी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में प्रेरणाओं को उचित महत्त्व नहीं दिया जाता। यह स्पष्ट है कि प्रेरणाओं से, चाहे वे किसी व्यक्ति के लिए हों या समूह के निमित्त, मनोबल का निर्माण करने में सहायता मिलती है। प्रेरणाओं की कोई योजना तैयार करने के लिए पहले अरुत इस बात की है कि किसी कारणवश तरीके से काम के मानदंड निश्चित कर दिए जाए। किसी खास क्षेत्र में प्रेरणाओं की कोई योजना किन दिशाओं में लाभदायक सिद्ध हो सकती है, इसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रेरणा-योजनाओं से बहुत सहायता मिले, बशर्त कि उनके उद्देश्य इस प्रकार के हों

- (क) निर्माण की लागत में कमी,
- (ख) विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी,
- (ग) रख-रखाव के तरीकों में सुधार,
- (घ) स्थानापन्न वस्तुओं और उप-उत्पादनों का प्रयोग, तथा
- (ङ) कार्य-प्रणाली का सरलीकरण।

भौतिक प्रेरणाओं का निस्सन्देह महत्त्व है, परन्तु इसके साथ ही भौतिकोत्तर प्रेरणाओं के विकास के लिए भी अधिकाधिक क्षेत्र होना चाहिए—विशेषकर काम की तारीफ़ के विभिन्न रूप और महत्त्व की स्वीकृति, एक सयुक्त प्रयत्न में साझेदारी की भावना तथा परस्पर-सम्मान और मैत्री की भावना पर आधारित मानवीय सम्बन्धों का क्षेत्र ।

(3)

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ

10 सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिंचाई और बिजली की परियोजनाएँ, रेलों, सबक-परिवहन, हवाई परिवहन, जहाज़रानी और अन्य बहुत-सारे उद्यम पहले से ही शामिल हैं । औद्योगिक उद्यमों के संगठन की कुछ प्रमुख समस्याओं की पिछले अध्याय में समीक्षा की जा चुकी है । दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त अनुभवों से काम करने के कुछ ऐसे रास्ते दीख पड़े हैं, जिन पर चलने से परियोजनाओं की कार्यान्वित अधिक कुशलता से और अधिक तेज़ी से हो सकती है तथा उनके निर्माण और परिचालन में अधिक बचत की जा सकती है ।

11 बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में काफी भरसे के वाद फल मिलना शुरु होता है और उनके आयोजन के लिए बड़ी सावधानी से तैयारी करनी पड़ती है, उनके आयोजन के लिए योजनाओं की साधारण अवधि से भी लम्बे भरसे का चित्र अपने सामने रखना होता है । इस-लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे विकास-कार्यक्रम के अंग हों, जिनका प्रसार अधिक लम्बे भरसे में, यानी कोई 10-15 वर्षों में, हो । तीसरी योजना तैयार करते समय देखा गया है कि उसमें शामिल करने के लिए प्रस्तावित कई परियोजनाएँ ऐसी थीं, जिनका पूरा-पूरा व्यौरा तैयार नहीं था और न उन्हें सही ढंग से पेश ही किया गया था । यह ज़रूर है कि दूसरी योजना के मुकाबले इस योजना में ऐसा कम ही हुआ । तीसरी योजना में शामिल की गई कई परियोजनाएँ तो ऐसी हैं, जिनके बारे में अब तक प्राप्त सूचनाएँ भी अशुद्ध हैं । यह दोष कुछ तो इस कारण है कि कई क्षेत्रों में उपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी है और कुछ इस कारण कि ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि इन परियोजनाओं पर विचार होने और इनके स्वीकार किए जाने से पहले इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जा सके । इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों, दोनों में तीनरी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं के व्यौरे तैयार करने का काम जल्दी-से-जल्दी पूरा हो जाए । इसके अलावा, चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्बद्ध परियोजनाओं के अध्ययन का कार्य अभी से शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि अगले तीन वर्षों में यह काम काफी हद तक पूरा हो जाए ।

12 सिंचाई, बिजली और परिवहन-जैसे अपेक्षाकृत परिचित क्षेत्रों के विपरीत औद्योगिक और जनित विकास के क्षेत्रों में वर्तमान तकनीकी संगठन हमेशा पर्याप्त सिद्ध नहीं होते । यह अपर्याप्तता जिन हद तक अनुभवी कर्मचारियों की कमी के कारण हो उस हद तक, कम-से-कम कुछ वर्षों के लिए हमें विदेशों से विदेशी बुलाने के लिए तैयार रहना चाहिए । यह मुझ पर गम गया है कि औद्योगिक विकास में सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों को साज-गामना में पूर्ण नज़र नैन तानना की आवश्यकता बनाने की दशा में जल्दी-से-जल्दी पदम उठाने चाहिए । ये न्यायी केन्द्रों के रूप में बनाए रखे जाने चाहिए और जिन परियोजनाओं का अध्ययन निगम जाना हो, उनकी आवश्यकता के अनुसार इनमें कर्मचारी बढा

दिए जाने चाहिए। मानव-साम्र उद्योगों के लिए तारतम्यही परामर्शदाताओं की एक सूची रखने के बारे में भी इसके विचार-विचार चाहिए। इस प्रकार, उद्योगों के—विशेषकर मरुतारी क्षेत्र के—विमान में रोग के भीतक बढ़ते हुए रोगीको ज्ञान का और मायाजन तथा प्रवण्य के अनुभवना परान्विति रोगी के उत्तमोपचारा का माता है। जैसा कि मिटलने अध्याय में सुजाया का चर्चा है। मरुतारी परान्वितों की कार्यान्विति के विज्ञान और अनुमान-उत्पत्तियों को मरुतारी यन्त्रों से विज्ञान के और मरुतारी नई उत्पत्तियाँ स्थापित करने की विद्या में मरुतारी उद्योगों का भी भाग है। नई परान्वितों का मरुतारी उद्योगों का मूल जिम्मे-दारी होती है। इसके मरुतारी की परान्विति परान्वित-उत्पत्तियाँ अपने मतलब की परान्वितों के मानव-साम्र तारतम्य और प्राणिक परान्वितों तथा कार्यान्विति के विभिन्न माताओं के परान्वित परान्वित परान्वितों के माताओं, वे उन मरुतारी तारतम्य पर भी अधिकांश मानव मरुतारी जिनको प्रधानमन्त्री रोगी के मरुतारी परान्वित करने की आवश्यकता होती है।

13 बड़ी परान्वितों के मरुतारी में या मरुतारी समय-समय पर मानवें आया है कि मानव के अनुमानों की जाच के वर्तमान प्रवण्य उचित है या नहीं? वाणिज्य और उद्योग-मरुतारी में 'परान्वित-मरुतारी-उत्पत्तियों' की स्थापना करने, मामूली तौर पर श्री-मानवें परान्वित गया है। तैरिन इस काम की बड़ी बड़े परान्वित परान्वित होगा। इसके लिए जो प्रवण्य आवश्यक है, उन पर और विचार किया जाना चाहिए। लागत-अनुमानों की जाच और परान्वितों के आर्थिक परान्वितों के परीक्षण के अन्तर्गत यह भी आवश्यक है कि विन-मरुतारी प्रतिषेध केन्द्रीय मरुतारी के सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के आर्थिक और विनियम परान्वितों का मरुतारी करनेवाली रिपोर्टें पेश कर मरुतारी की स्थिति में हो।

14 बड़ी परान्वितों का मरुतारी में बड़ी नम्ब्री अवधि के बाद पल देती है। दूसरी पचवर्षीय योजना में यन्त्र यह अवधि अनुमानों के नहीं अधिक रही है। कई कारणों में समय-अन्तराल की यह माई मरुतारी-मरुतारी करने का अधिकांश प्रयत्न किया जाना चाहिए। उपलब्ध प्राकृतिक माधम तारपी हृद तक बड़ी योजनाओं में मरुतारी है। अतः यह जरूरी है कि जिन परान्वितों पर काम हो रहा है, उनमें योजना के हर दौर में बराबर लाभ होता रहे। मरुतारी मूलतः यह है कि आवश्यकताओं को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए मरुतारी और महायक मरुतारी को—जिनमें विजली और परिवहन भी शामिल है—व्यवस्था को बखूबी मरुतारी हुए हर परान्वितों के काम के दौर नियत कर दिए जाए। एक परान्वितों की विभिन्न अवस्थाओं या भागों में तथा मरुतारी क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक समन्वय होता आवश्यक है। कार्य-परिचालन के स्तर पर और मरुतारी परान्वितों परान्वितों के आयोजन में, दोनों जगह मरुतारी आवश्यक है।

15 परान्वितों का प्रवण्य प्रयासकीय व्यवस्था का अपेक्षाकृत नया और महत्वपूर्ण अंग है और उनकी विशेषताएं हैं—निश्चित लक्ष्य और समय-अनुसूची की पूर्ति हो, हर दौर में लागत का ठीक-ठीक विचार रखा जाए, परान्वितों को कार्यान्वित करने में बहुत साधनों की और पहल-उद्योग की आवश्यकता, तथा तकनीकी आयोजन के लिए पर्याप्त संगठन की व्यवस्था। बिना पहले में आयोजन किए और लागत का ठीक-ठीक अनुमान रखे किसी भी परान्वितों की मरुतारी का भरोसा नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम बनाने के तरीकों को भी निरन्तर उन्नत करते रहने की जरूरत है, ताकि जो व्यवस्था किया जाए, उससे प्रत्येक स्तर

पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और नियत समय तथा माधनों की परिधि में लक्ष्य प्राप्त हो जाए।

16 जब एक ही समय प्रबन्ध-व्यवस्था के अर्धीन बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ हो, तो उनकी लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, मानदंड निर्धारित करने और किए हुए काम की तौलने के लिए प्रबन्धकर्त्ताओं की सहायता के निमित्त विशेष इकाइयों की स्थापना आवश्यक हो जाती है। इससे यह निश्चय रहेगा कि जितनी पूँजी लगाई गई है, उसके अनुसूप भौतिक परिस्मृति हाथ में है और नतीजे उचित रहे हैं, पर्याप्त कार्यों के बिना अस्सी अनुमानों से अधिक खर्च नहीं किया गया, समय-अनुसूची के मुताबिक काम किया गया है तथा जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति में हैं कि काम को कुशलता और मितव्ययिता के साथ ठोम ढग में पूरा कर सकें। इसलिए यह सुझाव रखा गया है कि जिन राज्यों और केंद्रीय मन्त्रालयों का मरौकार बड़ी-बड़ी औद्योगिक तथा ग्रन्थ परियोजनाओं ने हो, वे ऊपर कहे गए उद्देश्यों की पूर्ति के वर्तमान प्रबन्धों को जाँचें और प्रगति की समीक्षा और उनके मूल्यांकन के लिए उचित इकाइयों की व्यवस्था करें। ये उच्चतम प्रबन्ध-अधिकारियों के मातहत काम करेंगे, पर नित्य प्रति के काम में नहीं उलझेंगे।

17 निजी उद्योग के माध्यम में योजना के अन्तर्गत जो परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, उनकी कार्यान्विति के कुछ पहलुओं पर भी यहाँ दो शब्द कह दिए जाए। औद्योगिक उत्पादन के विकास में निजी क्षेत्र को बहुत बड़ा योग देना है। राष्ट्रीय उत्पादकता-परिपद, प्रबन्ध-मणों और अन्य मस्याओं के माध्यम में प्रबन्ध-कुशलता बढ़ाने की लागत कम करने और आम तौर से निजी उद्यमियों में समूचे मजाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाने के उपायों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। एक योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के सम्पूरक हों, यह जरूरी है कि दोनों में अधिक-से-अधिक वचत करने, देशीय चीजों का प्रयोग करने, उत्पादन का स्तर बनाए रखने और उसके विकास के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय घटाने, निर्यात की गति बढ़ाने, रोजगार का विस्तार करने और आम तौर से काम का स्तर ऊँचा करने की समान चिन्ता हो। बहुत-से उद्योगों के लिए जो विकास-परिपद बना दी गई हैं, वे और निजी उद्योगों का प्रतिनिधित्व करनेवाली दूसरी मस्याएँ हर उद्योग में समान मस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे योग्य नेताओं को उभारने तथा प्रबन्ध और बुझहाली के ऊँचे स्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माध्यम हैं।

(4)

कर्मचारी-वर्ग

18 दूसरी योजना के आरम्भ से विकास के विभिन्न-क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाने की और काफी ध्यान दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की चर्चा तकनीकी शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में की गई है। यहाँ आवश्यक दृष्टिकोण और अनुभव-मन्थन कर्मचारी-वर्ग तैयार करने की मस्या के कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि तीसरी योजना की सफलता में इसका विशेष महत्त्व होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें कई साल तक उच्चतम स्तर के कर्मचारियों की कस्या अर्पणित रहेगी या खास तरह का अनुभव काफी मात्रा में नहीं मिल सकेगा। इन क्षेत्रों में तेजी से विकास

करने की खातिर कुछ अरसे तक देशीय कर्मचारियों के साथ-साथ बाहर के लोगों को भी काम पर लगाना वाञ्छनीय होगा ।

19 अब तक बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के प्रबन्ध की उलझनों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम को वास्तविकता से कम आका गया है । ऐसे योग्य प्रबन्धक तैयार करना, जो अपना काम जानते हो और जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता हो, तीसरी योजना के सभी क्षेत्रों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है । इनमें से अधिकांश लोग हर सगठन के बीच के स्तर के कर्मचारियों में से खोजे जाने चाहिए और जो कमी रहे, उसे यथासम्भव अन्य साधनों से पूरा किया जाना चाहिए । सरकार और परियोजनाओं, दोनों में ही उच्च स्तरों पर अधिक दबाव रहा है और मध्यम स्तर के कर्मचारियों के विकास पर काफी ध्यान नहीं दिया गया है । अगर रोजमर्रा के काम में इस स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए और उन्हें प्रबन्ध-विषयक ऊँचे कामों का अधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया जाए, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है । इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हर परियोजना में सगठन के भीतर विभिन्न स्तरों के बीच आपस में और हर सम्बद्ध स्तर पर अलग-अलग परामर्श और विचारों के आदान-प्रदान का तरीका शुरू किया जाए ।

20 अधिकारियों का जल्दी-जल्दी तवादला करने से अक्सर परियोजनाओं के काम को और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को नुकसान पहुँचा है । किसी महत्वपूर्ण काम के लिए यह तो आवश्यक है ही कि जिम्मेदार अधिकारी सावधानी से चुने जाएँ और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही यह भी जरूरी है कि वे एक ही स्थान पर काफी लम्बे अरसे तक काम करते रहें, ताकि अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप अपना ठीक-ठीक विकास कर सकें । किसी महत्वपूर्ण बड़े काम में भरपूर फल प्राप्त करने के लिए 5 से 10 साल से कम का समय शायद ही कभी पर्याप्त होता हो । नौकरियों में जो तवादले किए जाते हैं, उनमें आम तौर से ऐसी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जिनका जनता के हित या प्रतिष्ठान की सफलता की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व नहीं होता । तवादलों से काम की निरन्तरता पर भी आघात पहुँचता है और सगठनों का मनोबल भी टूटने लगता है, क्योंकि विकास के दौर में प्रायः हमेशा ही उनका काम नए ढंग का और मुश्किल होता है । ऐसे लोगों को उन्नति का उचित आश्वासन देने में कोई द्विचक्रिचाहट नहीं होनी चाहिए, जिसको सरकारी नीति के पालन के लिए अपनी-अपनी जगहों पर बनाए रखने की आवश्यकता हो ।

21. देश-भर में, विभिन्न क्षेत्रों में सब तरह के साज-सामान से लैस जो अनेक सरकारी उद्यम विकसित किए जा रहे हैं, उनमें व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने की सुविधाएँ भी हैं । इस और अब तक जो रवैया अस्तित्वार किया गया है, उससे कहीं अधिक विध्यात्मक नीति अपनाना सम्भव है । यथासम्भव सरकारी क्षेत्र की हर परियोजना में शिक्षाथियों, आदि के प्रशिक्षण के लिए सुसंगठित कार्यक्रम होने चाहिए और इसके साथ पालिटेक्नीको में या दूसरे उपयुक्त केन्द्रों में सत्यागत प्रशिक्षण का भी इन्तजाम होना चाहिए ।

(5)

निर्माण में मितव्ययिता

22 विकास के कई क्षेत्रों में खर्च का काफी बड़ा हिस्सा निर्माण-कार्यों में लग जाता है । अगर कुछ प्राथमिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, तो निर्माण की लागत में बचत की काफी

गुजायश हो सकती है। यो तो, हर बड़े निर्माण-कार्य की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, फिर भी लागत पर प्रभाव डालनेवाले कारणों को पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

- (1) आयोजन, अन्वेषण, जिसमें कच्चे माल का अन्वेषण भी शामिल है, डिजाइन, तफसील, जिसमें उपकरणों की तफसील भी शामिल है, व्यौरवार अनुमान, परियोजना की तैयारी, जिसमें परियोजना के अग्रभूत तत्वों का विभिन्न मोपानों में वितरण भी शामिल है, ताकि अच्छे-से-अच्छे परिणाम निकल सकें, और वित्तीय विवरण,
- (2) निर्माण की आवश्यक तैयारियाँ—जैसे, कर्मचारियों की व्यवस्था, भूमि-अधिग्रहण, संचार-व्यवस्था, आवास, और सयन्त्र, उपकरण तथा आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने की नीति एवं कार्यविधि,
- (3) निर्माण करनेवाली सस्था का चुनाव—यानी, निर्माण-विभाग-द्वारा हो, या ठेकेदार-द्वारा, या श्रमिक-सहकारी सस्थाओं-द्वारा, या स्वैच्छिक सगठनों-द्वारा—और इसका निश्चय करना कि ठेके की पद्धति क्या हो—नियमानुकूल ठेका या कार्यदेश ठेका,
- (4) ठेके की कार्यविधियाँ—जैसे, सुरक्षामूलक जमा धन, सत्यकार-राशि, सामग्रियों का दिया जाना, भुगतान का तरीका, कार्य-शक्ति और भुगतान के बीच की अवधि, मूल निश्चयों या निर्दिष्टियों से अन्तर और अतिरिक्त मदों के दावे, तथा
- (5) प्रशासकीय व्यवस्था में अधिकारों का हस्तान्तरण, लेखा-अधिकारी और मुख्य इंजीनियर का सापेक्ष स्थान-निर्धारण, मुख्य प्रबन्धकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्राप्त होनेवाले सहयोग, विश्वास और अधिकारों की पर्याप्तता।

उचित मावधानी और देखरेख से यह सम्भव हो सकता है कि अधिकतर मामलों में लागत के अनुमानों में खास ज्यादा खर्च न हो और काम पूरा करने में भी समय-अनुसूची का पालन किया जाए।

23 निर्माण में वचत करने के सवाल पर केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों के माध्यम मिल कर विचार किया गया है और निम्नलिखित उपायों के बारे में आम तौर से सभी महमत है

- (1) कोई भी परियोजना हाथ में लेने से पहले उसके सभी पहलुओं के बारे में उचित आयोजन किया जाना चाहिए। खास तौर से जाच-कार्य किया जाना चाहिए, जिसमें निर्माण के काम आनेवाले सामान की भी जाच शामिल है। उनमें अतिरिक्त परियोजना की एक व्यौरवार रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, जिसमें कामों के खर्च, उपकरण के व्यौर, परियोजना की अग्रभूत इकाइयों का मोपानीकरण, लागत के अनुमान, वित्तीय विवरण, आदि शामिल हो,
- (2) उनमें गाय-माय निर्माण के लिए तैयारियाँ भी शुरू कर दी जानी चाहिए—जैसे, भूमि-अधिग्रहण, आवास, संचार-व्यवस्था, कर्मचारियों की वहाली, सयन्त्र प्राप्त करने तथा उपकरण और दूजरे सामान उपलब्ध करने की कार्य-

विधियों का निश्चय और सामान, आदि पर खर्च के अनुमान का पूरा-पूरा ब्यौरा तैयार करना,

- (3) मशीनों लगाने तथा निर्माण के दौरान उनकी मरम्मत और सफाई, आदि के लिए कर्मशाला की समुचित सुविधाएँ होनी चाहिए। निर्माण-यन्त्रों के संचालन के लिए बिजली का काम करनेवाले, यान्त्रिक काम करनेवाले और दूसरे प्रकार के जिन कर्मचारियों की जरूरत पड़े, उनके प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी कर्मशाला में ही मिलनी चाहिए,
- (4) चूँकि बड़े पैमाने पर रोजगार देना योजना का एक मूल उद्देश्य है, इसलिए यन्त्रादि-द्वारा निर्माण का आयोजन करते समय शारीरिक श्रम और यन्त्र के उपयोग के बीच बड़ी सावधानी से सन्तुलन रखा जाना चाहिए। यन्त्रों का उपयोग जल्दी कामों में किया जाना चाहिए, जिन्हें हाथ से करने पर या तो बहुत देर लगने की सम्भावना हो या खर्च बहुत होने की, या फिर जिन्हें हाथ से किया ही न जा सकता हो,
- (5) निर्माण-यन्त्रों के लिए जिन फालतू पुर्जों की जरूरत हो, उनके तथा दूसरे सामान के आवश्यक परिमाण को बड़ी सावधानी से कूतना चाहिए और उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि एक ओर तो जब जरूरत हो, तब आवश्यक सामान और फालतू पुर्जे न मिलने से काम रुकने न पाए और चीजों का अनावश्यक संग्रह भी न हो ;
- (6) अगर परियोजना काफी बड़ी हो, तो उसके अकेले के लिए और अगर कई छोटी-छोटी परियोजनाएँ हो, तो उन सबके लिए एक केन्द्रीय डिजाइन-संस्था स्थापित की जानी चाहिए। यह संस्था विस्तृत डिजाइन, क्षेत्रीय योजनाएँ तथा मशीनों और निर्माण-कार्यों की तफसीलें तैयार करेगी, जिसमें निर्माण के काम आनेवाले सामान-सम्बन्धी तफसील भी शामिल होगी। इस संस्था को भवनों के डिजाइन भी तैयार करने चाहिए और जगह के उपयोग के बारे में मानदंड निर्धारित कर देने चाहिए,
- (7) वास्तविक काम की जरूरतों के मुताबिक भवनों का आयोजन किया जाना चाहिए और उनके डिजाइन तैयार होने चाहिए। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी सम्भव हो, अस्थायी या अर्धस्थायी भवन बनवा कर लागत में कमी का और भी पक्का प्रवन्ध किया जा सकता है। जगह का अधिक-से-अधिक उपयोग करके, मानदंड निर्धारित करके, उचित प्रकार के डिजाइन तैयार करके, मकानों के हिस्से को अलग से पहले ही तैयार करके, उन्नत तरीके अपना कर और भवन में काम की जरूरतों के मुताबिक जिन चीजों की आवश्यकता न हो, उन पर नियन्त्रण रख कर या उनका निराकरण करके काफी बचत की जा सकती है,
- (8) आयोजन और डिजाइन के अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण कारणों पर अन्ततः परियोजना को लागत निर्भर करती है, वे हैं—निर्माण-अभिकरण का चुनाव, ठेके की पद्धति और ठेके की कार्यविधि। निर्माण का अभिकरण विभागीय भी हो सकता है, या निर्माण का काम ठेकेदारों, या स्वैच्छिक मगदनों अथवा

श्रमिक-सहकारी संस्थाओं की मार्फत भी कराया जा सकता है। विभागेतर अभिकरणों को अग्रर काम देना हो, तो वह नियमों के अनुसार ठेके पर या कार्यदेश-पद्धति पर दिया जा सकता है। निर्माण के अभिकरण और ठेके की पद्धति का चुनाव अग्रर नहीं-सही कर लिया जाए, तो लागत में काफी कमी आ सकती है। अग्रर विभाग, या स्वैच्छिक निर्माण-संस्थाओं, या श्रमिक-सहकारी संस्थाओं की मार्फत काम हो, तो ठेकेदारों पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इसके अलावा मुनाफा भी व्यक्ति के बजाय समुदाय को प्राप्त होगा। स्वैच्छिक संस्थाओं और श्रमिक-सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और भरसक कार्यदेश-पद्धति के अनुसार उन्हें ही ठेका दिया जाना चाहिए,

- (9) चालू विलों और अन्तिम विल के भुगतान में अग्रर जल्दी की जाए, तो भी लागत कम हो सकती है। लागत कम करने का यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। महीने के महीने उचन्ती भुगतान आम तौर से होते ही रहने चाहिए। अतिरिक्त मदों के दावे, अग्रर वे पहले नें मञ्जूरशुदा न हो तो, निश्चय ही अस्वीकार कर दिए जाने चाहिए,
- (10) कार्य-कौशल और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी निर्माण-संगठन का अभिन्न अंग होना चाहिए,
- (11) निरन्तरता बनाए रखने के लिए और विशेषज्ञता का विकास करने के लिए अनिवार्य तकनीकी कर्मचारियों के तबादलों को रोका जाना चाहिए—भले ही यह काम विभाग के नियमों और परिपाटी के खिलाफ हो। इसके साथ ही, निर्माण-संगठनों में इस तरह के कर्मचारियों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा की जानी चाहिए,
- (12) हर बड़ी निर्माण-परियोजना में एक 'लागत घटानेवाली इकाई' स्थापित की जानी चाहिए, जो निर्माण-संगठन का हिस्सा हो और जो पूरी तरह परियोजना के मुख्य इंजीनियर के मातहत हो। इसके काम ये होंगे—निर्माण-कार्य का अध्ययन करना, लागत पर असर डालनेवाले कारणों का बराबर विश्लेषण करते रहना, सामान, तकनीकी, कार्यविधि और संगठन में उचित हेर-फेर करने के बारे में समय-समय पर सुझाव देना, इन बात का ध्यान रखना कि इन हेरफेर का क्या नतीजा हुआ और निर्माण की लागत में बचत करने के काम की प्रगति पर नजर रखना,
- (13) केन्द्र में हर तरह के प्रतिष्ठान के लिए ऐसे सलाहकारों का एक दल रखा जाना चाहिए, जो परियोजना के तकनीकी, आर्थिक और प्रशासकीय पहलुओं के बारे में सलाह देंगे और इसके नाय-नाय जगह-जगह से जानकारी हासिल करके उसे यथास्थान भेजेंगे। इनके पास पूर्व-अज्ञित ज्ञान और अनुभव का एक कोश होगा और इसके नाय ही डिजाइन तथा निर्माण-संगठनों की और से तथा लागत घटानेवाली इकाइयों की ओर से उन्हें बराबर नई-नई जानकारी प्राप्त होनी रहेगी। इस दल की सलाह से लागत में जो बचत हो, भरसक उसी ने इनका खर्च चलते रहना चाहिए।

(14) हर बड़ी परियोजना के पूरे होने की एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसमें उनका पूरा इतिहास आ जाए। इनमें इन बातों का ब्योरा रहे कि परियोजना के दौरान क्या-क्या गलतियां हुईं और क्या जोखिम उठानी पड़ी, क्या उपचार किए गए और क्या सबक सीखे गए। मशा यह है कि यह रिपोर्ट भविष्य में उन इजीनियरों के लिए, जिन पर इसी तरह की परियोजनाओं का भार हो, एक निदेश-मुस्तिका बन जाए और उन्हें रास्ता दिखाए। इस रिपोर्ट की तैयारी उम्मी बवत शुरू हो जानी चाहिए, जब कि काम चालू हो और घटनाएँ स्मृति में ताजी हो। परियोजना पूरी होने के साथ-साथ या यथामुम्भव उसके तुरन्त बाद यह रिपोर्ट पूरी हो जानी चाहिए। डिजाइन और निर्माण के विविध पहलुओं में सम्बन्ध रखनेवाले तकनीकी बुलेटिन भी उम्मी समय तैयार कर लिए जाने चाहिए।

24 राज्यों को मलाह दी गई है कि वे इस बात की निगरानी के लिए अन्तर-विभागीय समितियां बना सकते हैं कि निर्माण-सागत घटाने के काम में क्या प्रगति हुई है। कई राज्यों ने इस तरह की समितियां बना भी ली हैं। केन्द्र में भी इसी तरह की एक समिति बनाई जा रही है। ऊपर जो विविध सुझाव दिए गए हैं, उन पर और आगे विचार और अमल करने के लिए हम तरह की व्यवस्था कर देने से इस बात पर जोर देना सम्भव हो सकेगा कि जब कोई विकास-कार्यक्रम या परियोजना सामान्य स्वीकृति के लिए पेश हो, तो निर्माण-पक्ष पर भी पूरा-पूरा विचार किया जाए। हमने यह बात और भी पक्की हो जाएगी कि हर क्षेत्र में निर्माण-कार्यक्रमों के ऐसे सौपान तय किए जाए, जिनसे अधिक-से-अधिक वचत हो सके।

(6)

आयोजन के लिए सकेत

25 दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम जैमे-जैमे साल-दर-साल बढ़ता गया, बैसे-बैसे यह महसूस किया गया कि अगर और अधिक प्रत्याशा से काम लिया जाता और अधिक सही मास्थिकी तथा आर्थिक सूचनाएँ प्राप्त होती रहती, तो शायद कुछ समस्याओं को दूसरे ही ढंग से सुलझाने की कोशिश की गई होती। योजना के पहले सौपान में विदेशी मुद्रा-कोश में जो कमी आई, उसे अधिक लम्बी अवधि में फैला दिया जाता और इसके फलस्वरूप बिजली के विकास तथा उर्वरक-उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा नियत करने में जो कमी की गई, वह उतनी विकट न होती। बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं से सिंचाई का लाभ उठाने में जो काफी ढील पड़ गई, उसे कम किया जाता। कोयले के परिवहन में हाल में जो अभाव और अमनुजन दिखाई पड़े हैं, उनका बहुत हद तक पहले ही कुछ इलाज कर लिया जाता। और अन्त में, पिछले दो वर्षों में मूल्यों में जिन तेजी से घट-बढ़ हुई है और भावों में जो वृद्धि हुई है, उसे मयत किया जा सकता था। ये मुगतान-सन्तुलन तथा देश के भीतर के भावों के स्तर, पूजी-विनियोग की योजना तथा उसके परिणामस्वरूप होनेवाले उत्पादन तथा उद्योग के सम्बद्ध क्षेत्रों एवं परिवहन तथा बिजली के विकास की परस्पर-निर्भरता के उदाहरण हैं। इनसे यह सकेत मिलता है कि प्रबन्ध, आयोजन और कार्यान्विति की समस्याएँ बहुत बड़ी हैं और तीमरी पंचवर्षीय योजना के स्वरूप, ढाने तथा सौपानीकरण में ये निहित हैं।

26 ये समस्याएँ सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर तथा आधुनिक उद्योग, परिवहन और विजली के क्षेत्रों में ही नहीं उठतीं, बल्कि इन्हीं क्षेत्रों में राज्यों की योजनाओं पर जो अधिक जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, उनमें भी परिलक्षित होती हैं। कई क्षेत्रों में राज्यों के स्तर पर आयोजन का काम पूर्णतः राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का परिपूरक होता है और राज्य-स्तर की समस्याएँ भी अधिक जटिल हो जाती हैं। पूरे देश के आयोजन और हर जगह, सड़क और गाँव के आयोजन के बीच परस्पर-सम्पर्क की कड़ी बहुत बड़ी है। एक और व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की रक्षा करना और दूसरी ओर योजना को उसके विविध रूपों में हर क्षेत्र और हर सम्प्रदाय की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल बनाना कोई छोटा उद्देश्य नहीं है। इन पृष्ठभूमि में, उन तरीकों पर एक नई नजर डालनी चाहिए, जिनमें विविध स्तरों पर आयोजन की व्यवस्था तथा प्रक्रिया को सुधारा जा सके, जाच-परख को अधिक सूक्ष्म बनाया जा सके तथा आयोजन के लिए और अच्छे सांख्यिकी एवं अन्य मापन जुटाए जा सकें। ये समस्याएँ ऐसी हैं, जिन पर केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य-निकाहों के सलाह-मशविरों ने और विचार करने की जरूरत है। कुछ ऐसी प्रमुख दिशाओं का संक्षेप में संकेत किया जा सकता है, जिनमें मौजूदा योजनाओं तथा आयोजन की व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है।

27 आयोजन के शुरू के दौर में जो बात थी, वह अब नहीं रहनी—अब तो राष्ट्रीय आयोजन में उद्योग, परिवहन, विजली तथा दूसरे क्षेत्रों की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का अधिक-आधिक महत्व होता जा रहा है, जिनमें बड़ी जटिल तकनीकी और आर्थिक समस्याएँ तथा खर्च की लम्बी रकमें निहित होती हैं। योजना-आयोग के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करने की जिम्मेदारी है। इसलिए वह बड़े-बड़े उद्योगों तथा उद्यमों के कार्यों से निकट सम्बन्ध रखने का प्रयत्न करेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की व्यापक दृष्टि में वस्तुपरक विश्लेषण और सूचनाओं-द्वारा मन्त्रालयों और राज्यों की सहायता करेगा। इन दृष्टि में योजना-आयोग और कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यह आवश्यक होगा कि विभिन्न सांख्यिकी-अधिकरणों के माध्यम से निकटतम सहयोग रहे और विश्वविद्यालयों तथा विद्या-केन्द्रों की सहायता तथा सीधे होनेवाले आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत किया जाए।

28 परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट देते, थोड़े-थोड़े अंतरों के बाद सार्विक सूचनाएँ प्राप्त करने तथा चालू प्रवृत्तियों को आकने की वर्तमान प्रणाली को मन्त्रालयों तथा राज्यों के सहयोग से काफी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। विगत वर्षों में अक्सर ऐसा हुआ है कि काम की प्रगति के बारे में जो सूचनाएँ दी गई हैं, उनमें कठिनाई की कमी रही है—उनसे न तो मौजूदा कमजोरियाँ उभर कर सामने आई हैं, और न यह पता चला है कि किन तरह की समस्याएँ सामने आ सकती हैं, जिनके निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर काम करने की जरूरत है।

29 राज्यों में आयोजन-संगठनों पर बड़े बोझ लादे जा रहे हैं। राज्यों पर यह दायित्व है कि वे राष्ट्रीय उद्देश्यों की व्याख्या करें, अपनी जरूरतों, साधनों तथा सम्भावनाओं को देखते हुए उन्हें कार्य-रूप में परिणत करें, योजना को सुदूरतम स्थानों तक पहुँचाएँ तथा स्थानीय मापनों को एकत्र करने और उल्हाह जगाने के तरीके निकालें। अब तक राज्यों में आयोजन-संस्थाएँ, कामों की बात जिन रूप में सोची गई है, उनसे देखते हुए अच्छा काम किया है। उनकी सहायता से विभिन्न विभागों ने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। समन्वय का काम मुख्य मंत्री

तथा एक मन्त्रिमंडलीय समिति-द्वारा किया गया और अधिकारी-धरातल पर यह काम आयोजन-विभाग तथा राज्य-विकास-आयुक्त ने किया ।

तीसरी योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में राज्य-योजनाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका जिक्र पहले किया जा चुका है । अगले तीन वर्षों में देश के लिए अध्याय 2 में वर्णित स्वरूप के आधार पर एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने में राज्य भी हिस्सा लेंगे । इस योजना का अभिप्राय अगले लगभग 15 वर्षों में पूरे देश के विकास का मामान्य स्वरूप प्रस्तुत करना है । देश के विभिन्न भागों के साधनों और सम्भावनाओं के अध्ययन के आधार पर यह योजना तैयार की जाएगी और इसमें एक बड़े ढांचे में इन सबको यथास्थान रखने की कोशिश की जाएगी । यह काम जहाँ एक ओर बड़ा पेचीदा है, वहीं दूसरी ओर इसमें भविष्य के लिए बड़ी-बड़ी आशाएँ भी सन्निहित हैं । इसके लिए केन्द्र और राज्यों की विभिन्न सस्थाओं के बीच निरन्तर और निकट सहयोग की आवश्यकता होगी—खास तौर से उन सस्थाओं के बीच, जिन पर आयोजन की जिम्मेदारी है और जो देश में वैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक अनुसन्धान में लगी हुई प्रमुख सस्थाएँ हैं । इस दृष्टि से और तीसरी योजना की कार्यान्विति तथा चौथी की तैयारी की दृष्टि से भी राज्यों के लिए यह विचार करना जरूरी होगा कि राज्य-स्तर पर आयोजन-व्यवस्था और वर्तमान प्रबन्धों को किन दिशाओं में अधिक मजबूत करने की जरूरत है ।

30 यह सोचा जाता है, और ठीक ही सोचा जाता है, कि जिला और खंड के स्तर पर लोकतान्त्रिक सस्थाओं के आरम्भ और गाव के स्तर पर पंचायतों के काम से देश भर में जनशक्ति संगठित करने तथा लोक-साधन एकत्र करने के साधन मिल जाते हैं । लेकिन इसके साथ ही यह बात भी है कि हम महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण राज्य-स्तर पर विभागीय पर, जिला-स्तर पर तकनीकी और दूसरे अधिकारियों पर, और खंड-स्तर पर विस्तार-कार्य-कर्ताओं पर कहीं अधिक जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं । योजना की—और पंचायती राज्य की—भी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोक-प्रतिनिधियों और सरकारी सस्थाओं, दोनों का दृष्टिकोण विभिन्न समस्याओं के प्रति शुरू से ही ठीक रहे । इन समस्याओं के प्रति सही दृष्टिकोण योजना के कई प्रमुख क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है । इस पहलु पर सामुदायिक विकास के अध्याय में और विचार किया गया है ।

31 अन्त में, अब तक जो योजनाएँ बनाई गई हैं, उनमें शहरी क्षेत्रों को सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया गया है । विचार यह है कि आयोजन के अगले दौर में यथासम्भव अधिक-से-अधिक कस्बे और नगर—कम-से-कम एक लाख या इससे अधिक आबादीवाले सभी कस्बे और नगर—आयोजन के कार्यक्रम में अभिन्न रूप से समाविष्ट हो जाए, हर नगर अपने साधन जुटाए और अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की परिस्थितियाँ पैदा करने में महायत्न दे । इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ तीसरी योजना के आरम्भ से ही शुरू कर दी जानी चाहिए ।

जनता का सहयोग और अंशग्रहण

दृष्टिकोण

हमारी योजनाओं की सफलता के लिए जन-सहयोग को एक आवश्यक शर्त समझा गया है। देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के प्रकाश में जनता की भूमिका और उसके योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। अपने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों और मान्यताओं पर अटूट विश्वास रखनेवाले एक विकासशील देश के लिए इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जन-सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता के लिए शान्तिपूर्ण संघर्ष और उससे सम्बद्ध रचनात्मक कार्यों की परम्परा ने 10 वर्ष-पूर्व आरम्भ किए गए योजनाबद्ध विकास के कार्यों में जनता की निर्णायक भूमिका स्पष्ट कर दी थी। स्थानीय कार्यों और सुविधाओं के लिए जनता के योग—श्रमदान—तथा सामुदायिक विकास के कार्यों में उसके सहयोग के जरिए ही राष्ट्र-विकास के कार्यों में जनता की सहायता ली जा सकती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि परिवर्तन और विकास की इन प्रक्रियाओं में जनता को शामिल करने की सम्भावनाओं को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है।

2 लोकतन्त्र के सन्दर्भ में, किसी प्रशासन को उसी हद तक कुशल समझा जाता है, जिस हद तक उसे अपने दैनिक कार्यों में जनता का योग और समर्थन मिलता है। उन कार्यों में, जो सरकारों मस्याओं के जरिए किए जा रहे हैं, जन-सहयोग की बहुत गुंजायश है, इसके बिना उनमें अधिक सफलता सम्भव नहीं है। इन कामों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए तथा जनता को उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी साफ-साफ समझा दिए जाने चाहिए।

3 ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी अब सजग हो रही है। एक-पर-एक राज्यों में पंचायती राज की स्थापना के साथ-साथ ग्रामीणों पर उनके अपने कामों की देखभाल की सीधी जिम्मेदारी डाली जा रही है। गांवों में पंचायती राज के जरिए होनेवाला यह परिवर्तन जनता को अपने हित के कामों में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने की सुविधा और अवसर दे सकेगा। हर दिना में अधिक तेजी से विकास के लिए जनशक्ति और अन्य साधनों के पूरे उपयोग के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। हमने जनता-द्वारा अंशग्रहण के अवसर भी बहुत बढ़ाए हैं।

1 जन-सहयोग का मिद्वान्त अपने व्यापक अर्थों में स्वीच्छरु कार्यों को उन विशाल-तर क्षेत्र में सम्बन्ध रखता है, जहाँ पहलू और मगठन की पूरी जिम्मेदारी जनता और उसके नेताओं पर होगी है और जहाँ मध्य पूरे करने के लिए कानूनी अधिकार या सरकारी शक्ति पर निर्भर नहीं करना पड़ता। जनता की जरूरतें इतनी अधिक हैं कि सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में लगाई जा रही पूर्वा में वर्तमान स्थिति में, बहुत थोड़ा काम ही हो सकता है। अती-भारि गणित्त स्वच्छिन्न प्रयत्नों में समाज के पास इतनी सामर्थ्य या शक्ति है कि वह अधिक सम्मान और सम्मान योगों को अच्छा जीवन बिताने के लिए आवश्यक सुविधाएँ पहुँचा सके। इसके लिए ताँग-गोटों जनता के समय, प्रवित और माधनों का आठार है, जिनके संच्छिन्न सम्मान देना की निमित्तनामूता परिस्थितियों के अनुमान रचनात्मक क्षेत्रों की

और भोज सकती है। हर व्यक्ति कुछ-न-कुछ योग दे सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक योग देने का कर्तव्य उनका है, जो अधिक समर्थ हैं। इस सहयोग को बड़े पैमाने पर प्राप्त करने से बहुत बड़ी मात्रा में धन और समय की बचत हो सकती है। यह बात कोसी-परियोजना के मिलसिले में देखने में आई थी। देश को इससे बहुत अधिक और व्यापक भौतिक लाभ हो सकते हैं। परन्तु इस दिशा में अभी तक देश में बहुत थोड़ी सफलता प्राप्त की गई है। अतः इस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रयत्न किए जाने की जरूरत है, ताकि अधिक तीव्र एवं ठोस प्रगति के मार्ग की वाचाएँ दूर हो सकें।

5 आर्थिक और सामाजिक जड़ता की स्थिति में विकास की प्रारम्भिक अवस्था तक पहुँचने की प्रक्रिया में अनेक सामाजिक और राजनीतिक बाधाएँ आती हैं—विशेष रूप में उम देश में, जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता मिले अधिक समय नहीं हुआ है। नए जागरण के नायक आशाएँ और अधिकार के दावे तो सामने आ जाते हैं, परन्तु लोग कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भूलने लगते हैं। विकास की प्रक्रिया में भी लोगों पर कुछ त्याग और धैर्य का भार पड़ना है। नौकरान्त्रिक ढाँचा और मान्यताएँ कायम रखने का बूढ़ निश्चय होने पर तो यह भार और भी बढ़ जाता है। इसका सामना करने और अबाध प्रगति के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक वायुमण्डल पैदा करने का कार्य विकासशील देश का पहला काम होना चाहिए। इस क्षेत्र में सामाजिक प्रयत्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

6 एक लोकतान्त्रिक समाज के विकास के आरम्भिक दौर में प्रगति के लाभ का कुछ अक्षय तक अनुमान वितरण होता है, जिसमें धीरे-धीरे निराशा और असन्तोष की भावना पैदा हो जाती है। यह निराशा और असन्तोष तब और भी बढ़ जाता है, जब समाज-विरोधी कार्रवाइयों से बड़ी आमदनी और लाभ होते दिखाई देते हैं। मकुचित प्रादेशिक और दलीय स्वार्थों के कारण भी भारत में अक्षय अक्षय पैदा हो जाते हैं। आज की स्थिति में विभिन्न वर्गों की बढ़ती हुई आशा-आकांक्षाओं की पूर्णतः पूर्ति सम्भव नहीं है। उबर ऐसी ताकतें सक्रिय हैं, जो हर तरह के असन्तोष और तनाव का नाजायज फायदा उठा कर राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन जाती हैं। इन प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जरूरी है, परन्तु साथ ही इस बुराई को दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि समाज स्वयं अपनी रक्षा दृढ़तापूर्वक करे और देश की अखंडता पर अन्दर से ही हमला करनेवालों को प्रयत्न विफल कर दे। यह सुरक्षा-क्षमता जनता-द्वारा अपने-आप संगठित होने तथा स्वैच्छिक सेवा तथा रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने से आ सकती है। कोई विवाद एकदम ही नहीं फूट पड़ता—यह विस्फोटक स्थिति लम्बे समय में चले आ रहे किसी रोग का लक्षण-मात्र होती है। उमी समय की गई कार्रवाई का भी प्रभाव सीमित होता है। समाज में बुरे प्रभावों और विनाशक प्रवृत्तियों को सदा ही दबाते रहना तथा रचनात्मक एवं स्वस्थ प्रवृत्तियाँ पैदा करते रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले व्यापक सामाजिक जागरण का प्रयत्न आवश्यक है। आखिरी मौके पर की गई अपील का अक्षय कोई अक्षय नहीं होता। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के चुपचाप सेवा-कार्य करने में समाज पर जो मूक प्रभाव पड़ता है, उमी में विवेकशीलता आ सकती है और समझाने-बुझाने का कुछ अक्षय हो सकता है। जिस समाज पर अक्षय अक्षय की छाया पड़ती रहती है, वहाँ प्रगति और स्वस्थ जीवन के लिए रचनात्मक कार्य एवं निश्चय महायत्न ही सफल आचार्य हैं। हमारे देश की आज की परिस्थिति में इन तथ्यों और समस्याओं के कारण सामाजिक प्रयत्नों और जन-सहयोग का महत्व काफी बढ़ जाता है।

पहली दो योजनाओं में जन-सहयोग

7 जन-सहयोग के कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सेवा की व्यवस्था रहती है। आरम्भिक वर्षों में इसका उपयोग मुख्यतः सड़कों तथा विद्यालय-भवनो के निर्माण, पीने का पानी उपलब्ध करने की योजनाओं और जनता को सुविधाएँ पहुँचानेवाले अन्य स्थानीय कार्यों के लिए किया गया था।

8^१ पिछले दशक में नामुदायिक विकास-कार्यक्रमों में नकद, वस्तुओं और सेवा के रूप में दिए गए स्वैच्छिक योग का मूल्य 100 करोड़ रु० के लगभग आका गया है। स्थानीय विकास-कार्यों में जनता के हिस्से की रकम 15 करोड़ रु० थी, जबकि कुल खर्च 33 करोड़ रु० का था। केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल की कल्याण-योजनाओं पिछड़े वर्गों में मन्दक कल्याण-योजनाओं एवं तत्काल महायुता पहुँचानेवाली योजनाओं को मुख्यतः स्वैच्छिक मत्स्याओं के जरिए ही कार्यान्वित किया गया। जादी और ग्रामोद्योग-आवोग की ग्रामोद्योगों के जरिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई सचन क्षेत्र-योजना का बहुत-कुछ आधार ही स्थानीय भावना और जनता के अपने प्रयत्न है। मद्रास में विद्यार्थियों को दीपहर का भोजन देने तथा विद्यालयों के मुधार की अन्य योजनाएँ जनता के सहयोग ने ही चल रही हैं। सर्व-मेवा-सघ के कार्यकर्ताओं के सक्रिय प्रयत्नों से चल रहे भूदान और ग्रामदान-आन्दोलन इन बात के प्रमाण हैं कि ऊँचे आदर्शों और मेवा-भावना ने प्रेरित स्वैच्छिक प्रयत्नों में कितने बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। विश्वविद्यालय-आयोजन-गोष्ठियों के माध्यम से बहुत बड़ी मस्या में शिक्षकों और छात्रों को छोटी बचतें, मासूरता, गन्दी वस्तियों का उद्धार और श्रमदानवाली निर्माण-योजनाओं-जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा मिली है।

9 पहली पंचवर्षीय योजना बनाते समय ही यह मान लिया गया था कि तीव्र प्रगति के लिए विकास के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जन-सहयोग जरूरी है। जनता के फालतू समय और शक्ति का विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यों में उपयोग करने के लिए एक मगठन—भारत-सेवक-समाज—का निर्माण किया गया। इन मस्या ने एक बहुमुखी कार्यक्रम बनाया है और इनकी शाखाएँ देश-भर में फैली हुई हैं। इनमें बहुत बड़ी सख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। सन् 1955-59 में कोमी-परियोजना में इनके सहयोग ने यह प्रमाण मिल गया कि जन-सहयोग ने विभिन्न परियोजनाओं में खर्च की वचत, काम में सुधार और तेजी लाने की कितनी सम्भावनाएँ हैं। कोमी-सहयोग-योजना पर खर्च का मूल अनुमान 11 5 करोड़ रु० था, परन्तु जन-सहयोग के कारण वास्तविक खर्च घट कर 6 5 करोड़ रु० रह गया। काम पूरा होने की अवधि में भी 2 वर्ष बच गए—सन् 1960 तक काम समाप्त करने का लक्ष्य था, परन्तु वह सन् 1958 में ही पूरा हो गया। भारत-सेवक-समाज ने सिचाई और बाढ़-सुरक्षा की छोटी परियोजनाओं में भी सहयोग दिया है। अपने अनुभव में उल्लिखित होकर इन सस्या ने निर्माण-सेवा की स्थापना की है, जिनकी शाखाएँ अनेक राज्यों में हैं। इसने जनता के लिए दिए जानेवाले अनेक निर्माण-कार्यों में भाग लिया है। शिक्षा-सम्प्रदाय की श्रम एवं समाज-सेवा-निधि-योजना के अन्तर्गत देश के छात्रों और युवा लोगों के लिए श्रम-भित्तियों का आयोजन इन मस्या का एक मुख्य कार्य बन गया है और इनमें जनता का सहयोग बराबर बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कामों के लिए एक निश्चिन्त नीति बना ली गई है। इनके अनुसार दीर्घकालीन प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक ग्राम-समूह चुन लिया जावा

है। इन कार्यकर्ताओं का कार्य उम क्षेत्र की योजना को आधार मान कर जनता के कार्यक्रमों का संगठित रूप में परिपालन करना है। उम दिया में लोक-कार्य-क्षेत्र का उद्देश्य उस क्षेत्र के लिए नए गावनों का विभाग और स्थानीय नेता तैयार करना है। उम कार्यक्रम में सरकार सहायता देती है और अग्र तो स्वैच्छिक मस्थाए भी योग दे रही हैं। जनता में सामाजिक जागृति पैदा करने और उनके देश की समस्याओं तथा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए भारत-नेवा-ममाज ने जन-जागरण-केन्द्रों की भी स्थापना की है। इन कार्य में पूर्ण सहायता दी जाती है और अग्र इसे लोक-कार्य-क्षेत्र-कार्यक्रम का अग्र बनाया जा रहा है। पहली क्षेत्रों में 'ममाज' ने गन्दी वस्तियों के निवासियों की और अधिक ध्यान दिया है और वेधन योगों के लिए अनेक रैन-बमेरे चलाए हैं।

10 राष्ट्रीय स्तर पर और भी अनेक मस्थाए हैं, जिन्होंने ममाज की या उसके कुछ वर्गों की विनिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्यवान काम किया है। इन सस्थाओं के काम में मन्मन्वय म्यापित करने की दिया में भी काफी प्रगति हुई है। जन-सहयोग-सम्बन्धी राष्ट्रीय मलाहक-ममिति जन-सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है और मार्गदर्शन के लिए दिशाए निर्धारित करती है। इन ममिति की सदस्य-संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं अग्निन भारतीय महकारी सघ, अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन, भारत-माधु-ममाज, भारत-स्वाडटम एड गाडडन, भारत-सेवक-समाज, भारतीय आदिम-जाति-सघ, भारतीय ग्रामीण महिला-सघ, केन्द्रीय समाज-कल्याण-मडल, गांधी-स्मारक-निधि, हर्गजन-सेवक-सघ, भारतीय ममाज-कार्य-सम्मेलन, भारतीय शिक्षु-कल्याण-परिषद्, भारतीय रेड-क्रास-मोमयाटी, राष्ट्रीय मैन्यधिक्षार्थी-दल (एन० मी० मी०), सहायक सैन्य-धिक्षार्थी दल (ए० मी० मी०) और मवे-नेवा-सघ।

प्राथमिकताए और कार्यक्रम

11 कल्याण : देग में इनकी अधिक गरीबी और अज्ञान फैला हुआ है कि वलित जनता के कष्ट दूर करने तथा उनके लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा के कार्य की कोई सीमा ही नहीं है। परन्तु कार्यकर्ताओं और साधनों की कमी को देखते हुए कुछ कामों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार करना आवश्यक है। शहरो और गावों में सफाई रखने और स्वास्थ्यप्रद आदतों को प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत काम बाकी है। इस क्षेत्र में सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई में बिना अधिक खर्च किए सन्तोपप्रद परिणाम निकल सकते हैं। अस्पतालों में रोगियों की सेवा की जा सकती है और उन रोगियों को भी आराम पहुँचाया जा सकता है जिन्हें अपने घरों में भी मुविधा-सहायता नहीं मिल पाती। स्वैच्छिक सहायता से साधन का प्रसार तेजी में हो सकता है। ममाज-सुधार और सामाजिक दुराड्यों तथा ममाज-विरोधी कार्यों के उन्मूलन में कानून का बहुत अधिक हाथ नहीं हो सकता—मुख्य जिम्मेदारी तो स्वैच्छिक मस्थाओं को ही मभालनी पड़ेगी।

12 सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम . स्वैच्छिक सेवा का मुख्य लक्ष्य अग्र सीमित अर्थों में करवाण-कार्यों में हट कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक कार्यों की ओर जा रहा है। पचायतों और सहकारी मस्थाओं के काम भली-भांति चलाने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण में स्वैच्छिक मस्थाए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो मुख्य काम हैं, भौतिक और जनशक्ति-विषयक साधनों के भरपूर उपयोग में सहायता देना, ताकि उत्पादन

तथा लाभकारी रोजगार के अवसर बग़ावर बटने ग्हेँ। इस उद्देश्य के लिए, स्वीच्छिक कार्य-कर्ताओं को चाहिए कि वे सामुदायिक विकास-संस्थाओं को यथामन्भव सहायता पहुँचाए।* कस्बों और नगरों में स्वीच्छिक सेवा से गन्दों वस्त्रियों का मुबार किया जा सकता है और उनके निवासियों के लिए बेहतर जीवन-साधन के योग्य स्थिति बनाई जा सकती है। इसका और स्वीच्छिक संस्थाओं को अन्य गतिविधियों का आधार निश्चय ही नगठित स्वयंसेवा हो। महकारी आन्दोलन का क्षेत्र एवं अत्यन्त आदर्श क्षेत्र है, जिसमें बहुत अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा-महकारी समितियों और गहरी क्षेत्रों में महकारी उपनोक्ता-भांडारों का जान विद्या देना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है और इन पर अधिकतम ध्यान दिया जाना चाहिए।

13 निर्माण-कार्य : बड़ों परियोजनाओं और छोटे तथा स्थानीय कार्यों की निर्माण-विषयक गतिविधियों में ही बेकार पड़ो जन-शक्ति के उपयोग के लिए स्वीच्छिक प्रयत्नों में सर्वाधिक काम लिया जा सकता है। गावों में स्वीच्छिक संस्थाओं को नीचे अथवा अतिव-महकारी संस्थाओं के ज़रिए निर्माण-कार्य में नगने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इनमें लक्ष्य में बचन होगी काम के मत्तोपजनक मानदंड का पालन हो सकेगा, अधिको के साथ अच्छा व्यवहार हो सकेगा तथा निर्माण-उद्योग के नचानन में ईमानदारी के व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। ठेकेदारों पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्वीच्छिक नगठनों के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेगे। योजना-आयोग की एक समिति ने भारत-मेवक-समाज-जैनी स्वीच्छिक संस्थाओं के लिए निर्माण-कार्यों में बड़े पैमाने पर योगदान को नगन बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की है

- (क) महकारी संस्थाएँ स्वीच्छिक संस्थाओं को अधिक-से-अधिक सहायता देने का प्रयत्न करें। जहाँ तक सम्भव हो, कुल कार्य का कुछ भाग उनके लिए रख छोड़ा जाए और उनकी क्षमता बटने के साथ-साथ काम का भी विस्तार किया जाए।
- (ख) ऐसा प्रयत्न किया जाए कि काम बग़ावर मिलना रहे। परियोजना के अधिकारी काफ़ी पहले ही यह निश्चित कर दें कि किन स्वीच्छिक संस्था को किनना और किस प्रकार का काम दिया जाएगा। उन्हें ठेकेदारों के मुकाबले तरजीह दी जाए और आपसी वानचौन के ड्राग ही काम और उनमें सम्बद्ध बाँटें तय की जाए।
- (ग) पारिश्रमिक उचित दर से (1) 'कार्यदेय' के आधार पर या (2) दरों की अनुसूची के आधार पर जो समर्थ अधिकारी-द्वारा घटाई-बटाई जा सके दिया जा सकता है। दर-अनुसूची अद्यतन रहनी चाहिए।
- (घ) पारिश्रमिक की अदायगी जल्दी होगी चाहिए विलम्ब से जना जाना चाहिए। मुपरिटेंट्स और एकडीन्सुटिव इंजीनियरों को अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और जैने-जैने काम पूरा हो, कुल काम के बाते से रकम की अदायगी होगी जाए।

*सामुदायिक विकास-संस्थाएँ द्वारा हास ही में आयोजित एक सम्मेलन में स्वीच्छिक संस्थाओं के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र सुझाए गए थे : सामाजिक शिक्षा, कृषि-उत्पादन-कार्यक्रम, ग्रामोद्योग, सफाई तथा स्वास्थ्य, स्थानीय विकास-कार्य, समाज के कमबोर वर्गों का उत्पाण, महिला तथा शिशु-उत्पाण और युवा लोगों के लिए कार्यक्रम।

- (ड) स्वैच्छिक सस्थाओं की सहायता के लिए राज्य-सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों की ओर से तकनीकी कर्मचारी भेजे जाने चाहिए ।
- (च) कार्य-संचालन-पूजी तथा उपकरणों की खरीद के लिए ऋण दिए जाने चाहिए ।
- (छ) स्वैच्छिक सस्थाओं को उनकी क्षमता के अनुसार हर प्रकार का मिट्टी खोदने और राजगिरी का सादा काम करने का भार दिया जा सकता है । आवश्यक तकनीकी उपकरण और कर्मचारी होने पर उन्हें बड़े इमारती काम भी सौंपे जा सकते हैं । इमारती सामान अधिक मात्रा में उपलब्ध करने का ठेका लेने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

14 योजनाओं के प्रति अधिक समझदारी : सामाजिक और आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक सहयोग और स्वैच्छिक अज्ञान प्राप्त करने के लिए तीसरी योजना के महत्व, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझना जरूरी है । अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई जटिलता और समस्याओं की अधिकता के कारण निस्सन्देह यह बहुत सरल बात नहीं है । दूसरी ओर, पहली दो योजनाओं के फलस्वरूप तथा उनसे उत्पन्न जागृति के कारण समस्याओं का स्वरूप ममझने, उनको हल करने के साधनों की सीमाएं पहचानने तथा तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए अधिक बोज़ सभालने की हमारी क्षमता बढ़ी है और अन्त में, योजना उस समय काफी अर्थपूर्ण हो जाती है, जब हम देखते हैं कि उसके लक्ष्य क्या हैं और व्यक्ति, स्थानीय समाज तथा जनता के विभिन्न वर्गों को उससे क्या अवसर मिलनेवाले हैं । तीसरी योजना में जनता के सहयोग एवं अज्ञाप्रहण की सुदृढता के कार्यक्रम के अग्र-रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि योजना का सन्देश देश के कोने-कोने में पहुंचाया जाए और तीव्र विकास से निकलनेवाले परिणामों से लाभ उठाने की वर्तमान व्यवस्था को सबल किया जाए ।

15 व्यापक उद्देश्य . देश की वृनियादी आवश्यकताओं, आवश्यों और लक्ष्यों से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ बड़े काम भी हमारे सामने हैं । वर्तमान स्थिति में इसके चलते जनता पर कुछ विशेष जिम्मेदारियां आ जाती हैं । सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जनता का दृष्टिकोण और समाज का आचरण राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हो । इस आचरण के तीन रूप हैं, जिन्हें इस सन्दर्भ में सबसे अधिक आवश्यक माना जा सकता है । पहला यह कि देश के प्रति प्रेम और उसके महान् भविष्य का विश्वास हर हृदय में मजबूती से घर कर ले । जनता स्वयं ही अपनी समझ से उन सभी बातों की सार्वजनिक रूप से रोकथाम करे तथा उन्हें त्याग दे, जिनसे देश की एकता और अखंडता को आघात पहुंचता हो । लोगों में इसकी पूरी समझ होगी चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को किस बात से और कितनी हानि हो सकती है । ईमानदार तथा सेवाभावी कार्यकर्ता सैकड़ों तरीकों से हर नागरिक के मन पर मजबूत और सगठित देश की छाप बैठ सकते हैं । वे यह भाव भी जमा सकते हैं कि देश की जनता और समाज जिन उपयोगी तथा मूल्यवान चीजों की कामना कर सकती हैं, उनकी प्राप्ति में जनता का सगठित प्रयत्न कितना अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है । देश के विभिन्न भागों में फैली स्वैच्छिक सस्थाएं लोगों में एकता की भावना पैदा कर सकती हैं और महान् राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे देश में चल रहे कार्यों में सेवा के छोटे-मोटे कामों में उन्हें लगा कर उन्हें एक ही दिशा में सोचने एवं कार्य करने-योग्य बना सकती हैं । दूसरी बात यह है कि देश में जो आर्थिक और सामाजिक ढांचा तैयार हो रहा है, उसका आधार क्रमिक समाजवाद और सहकारिता ही रहेगा । तीसरी बात हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि सही आचरण और जीवन से ही राष्ट्र मजबूत

होगा एव एक उचित समाज-व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। सभी लोगों के लिए अच्छे जीवन की व्यवस्था करने के हेतु सबको काम करना होगा। हमें ऐसे समाज की जरूरत नहीं है जहाँ कुछ लोगों की नमृद्धि के लिए अधिक लोगों को मष्ट झेलने पड़ें। परन्तु इसके लिए जनता की आदतों और उसके दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे, ताकि वे एक मानवता और सामाजिक न्याय में विश्वास करने लगे। आचरण के कुछ ऐसे मापदंड बनाने होंगे, जिनमें, मयम, अनुशासन तथा दूसरों के प्रति उदारता पर बल दिया गया हो। इन पर आधारित व्यवहार ही राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप ले सकेगा। राजनीति तथा सामाजिक सम्बन्धों, काम-काज एव आर्थिक कार्यों में मर्दाचार पर अधिक ध्यान देना होगा। थोड़े समय में जब बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन करना हो, तब जनता का सहयोग इतना अधिक तथा प्रभावशाली होना ही चाहिए कि उन प्रयत्न को व्यापक जन-आन्दोलन का स्वरूप दिया जा सके। जन-संगठनों के लिए स्वैच्छिक सेवा के लिए यहाँ विस्तृत और असीम क्षेय है। यह समझ लेना चाहिए कि आज हमारे सामने शान्ति के लिए आह्वान करने का प्रश्न है, जिनके लिए जनता का मन तैयार करना है। इस शान्ति में ही जनता को अपने आदर्शवादी विचारों तथा देश-प्रेम की भावना को प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

संगठन और तकनीकें

16 चूँकि स्वैच्छिक संगठनों के लिए जनता के सहयोग की इतनी आशा रखी जाती है, इसलिए यह आवश्यक है कि बंसी सस्याओं की मस्या बड़े और वे सबल बनें, ताकि अपनी इच्छा से लिए गए कामों को वे पूरी तरह निभा सकें। यह बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अपने ऊपर लिए गए कार्य वे किस प्रकार पूरा करके लोगों में विश्वास जमाती हैं और जनता की जरूरतों की पूर्ति में कितना योग देती हैं। उन्हें प्राप्त होनेवाले फलसू समय तथा साधनों का निश्चय ही अच्छा-से-अच्छा उपयोग होना चाहिए। इसके लिए अग्रिम योजनाएँ बनाने, आवश्यकताओं का समुचित अनुमान करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, व्यवस्थित रूप से काम करने, उचित निरीक्षण करने तथा निष्पक्ष मूल्यांकन को जरूरत है।

17 स्वैच्छिक संगठनों को स्थानीय मस्याओं में घनिष्ठ सहयोगमूलक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए और कुछ मामलों में पचायतों, नगरपालिकाओं, आदि के काम करनेवाली सस्या का भी रूप ग्रहण करना चाहिए। जन-सहयोग ने पूरे होनेवाले कार्यक्रम सयुक्त रूप से तैयार किए जाने चाहिए और उनमें स्वैच्छिक सस्याओं का स्थान और भूमिका विलुप्त स्पष्ट कर देनी चाहिए। सरकारी सस्याओं को उन्हें अधिक-से-अधिक सहायता तथा सुविधाएँ देनी चाहिए, परन्तु कार्यक्रमों के मचालन और नियन्त्रण का भार स्वैच्छिक सस्याओं के नेताओं पर ही छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से ही ये संगठन सच्चे राष्ट्रीय संगठन बन सकेंगे और लोगों को अपनी राजनीतिक मान्यताएँ दर्शाने रख कर सहयोग के लिए प्रेरणा दे सकेंगे। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कई स्थानों पर स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के छोटे-छोटे संगठन बन गए हैं। बड़े संगठनों को उनकी सहायता करके उन्हें अधिक कार्य करने-योग्य बनाना चाहिए। यह सहायता कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अन्य सुविधाओं के रूप में हो सकती है।

18 स्वैच्छिक आधार पर अपने-आप काम शुरू होना स्वागत-योग्य अवश्य है, परन्तु इसमें यह खतरा भी है कि दो ओर से एक ही काम होने लगता है और परिणामस्वरूप साधनों

एव शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसलिए स्वैच्छिक सगठनों को समान नीति बनानी चाहिए, घनिष्ठ मह्योग में काम करना चाहिए तथा जिस काम में जो सवनें योग्य है, उसे वही काम अपने हाथ में लेना चाहिए। समन्वय की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। इस समन्वय का विस्तार होना चाहिए और प्रशिक्षण, अनुमन्धान, मार्गदर्शक परियोजनाओं, जानकारी तथा अनुभव के आदान-प्रदान, प्रशिक्षणों तथा उपयोगी सामग्रियों के प्रकाशन और सरकारी मस्याओं से व्यवहार-जैने विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

19 अभी तक स्वैच्छिक कार्य निजी व्यक्तियों या सरकार में उपलब्ध यत्किंचित सहायता में चले हैं। बहुत-सी संस्थाओं और सगठनों से सहयोग मिलने पर स्वैच्छिक सेवा को सुदृढ आधार पर मगठित किया जा सकता है। ये संस्थाएँ शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय, पत्रकारिता, आदि क्षेत्रों की हो सकती हैं। चन्दा-संग्रह-आन्दोलनों, दातव्य प्रदर्शनों, आदि के जरिए ये संस्थाएँ धन-संग्रह करने में सहायता दे सकती हैं। कुछ निश्चित कामों की जिम्मेदारी वे स्वयं भी ले सकती हैं। स्वैच्छिक सगठनों के कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए ये संस्थाएँ अपना स्थान, साज-सामान तथा अन्य सुविधाएँ देकर भी उन्हें सहायता पहुँचा सकती हैं।

20 स्वैच्छिक मस्याओं के कार्यकर्ता जनता के हर वर्ग से आ सकते हैं विविध रूप में समाज-सेवियों, अध्येषकों, विभिन्न रोजगार-धन्धेवालों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय मस्याओं के सदस्यों में से। इस क्षेत्र में सैनिक अथवा अमैनिक कार्यों से अवकाश-प्राप्त लोगों ने बहुत प्रशमनीय काम किए हैं, उन्हें अधिक सख्या में इन कामों में लगाया जा सकता है। इस आन्दोलन का आधार देश का युवा-वर्ग ही है, जिसे उनके अपने हित तथा समाज की भलाई के इन कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए।

21 कुछ काल तक परीक्षण और प्रयोग करने के बाद लोक-कार्य का ऐसा स्वरूप तैयार कर लिया गया है, जिससे गैर-सरकारी स्वैच्छिक कार्यों में आवश्यक आयोजन का लाभ उठाया जा सकता है और काम का न टूटनेवाला सिलसिला भी कायम किया जा सकता है। राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड की वरावरी का लोक-कार्य-क्षेत्र स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए कार्य-क्षेत्र बन सकेगा और वास्तविक काम के स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित हो सकेगा। कार्यक्रम-मूल्यांकन-सगठन ने लोक-कार्य-क्षेत्रों का जो अध्ययन किया है, उससे स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम-में भाग लेनेवाले कार्यकर्ता स्थानीय साधनों और जन-शक्ति को उपयोग के लिए तैयार करने तथा जनता और उसकी समस्याओं के बारे में अपनी पूरी जानकारी का अधिक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वे विकास के मार्ग की वाधाएँ—अज्ञान, दलबन्दी और गावों में विस्तार-कार्य के लिए अर्थात् सुविधाएँ, आदि—दूर करने में भी अधिक उपयोगी हैं। अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

22 विश्वविद्यालय-आयोजन-गोष्ठियों में यह आशा की जाती है कि वे तीसरी योजना की अवधि में विश्वविद्यालयों और कालेजों को जन-समाज के निकट सम्पर्क में लाने तथा पचायती राज-संस्थाओं, नगरपालिकाओं एव अन्य स्वैच्छिक सगठनों के मह्योग से आरम्भ किए गए रचनात्मक कार्यों के जरिए राष्ट्रीय विकास के काम में योगदान करने के लिए शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करने में अधिक बड़ी भूमिका निभाएगी। आयोजन-गोष्ठियों-द्वारा नियुक्त दलों ने दूसरी योजना की अवधि में जो अध्ययन एव सर्वेक्षण किए, उनमें छात्रों तथा युवा लोगों को सामाजिक एव आर्थिक समस्याओं को अधिक बारीकी से समझने का अवसर मिला। समय-समय पर आयोजन-गोष्ठियों-द्वारा आयोजित सगोष्ठियों से भी कई महत्वपूर्ण

सुझाव प्राप्त हुए। इन तथा ऐसी ही गतिविधियों को तीसरी योजना की अवधि में बढ़ाया जाएगा। यह भी आशा की जाती है कि आयोजन-गोष्ठियां योजना-सूचना-केन्द्रों का सगठन करने में समर्थ हों सकेंगी, जिनकी सहायता से छात्रगण तीसरी और परवर्ती योजनाओं की अवधि में राष्ट्र-द्वारा आकांक्षित लक्ष्यों को पूरी तरह हृदयगम कर सकेंगे।

प्रशिक्षण, अनुसन्धान और मूल्यांकन

23 जनता के अक्षयहण करने-सम्बन्धी कार्य में मलग्न कार्यकर्ताओं का काम निश्चय ही सरल नहीं है। उनका मुख्य काम जनता का दृष्टिकोण बदलना, उनका विश्वास प्राप्त करना और उन्हें नए कामों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें समाज में व्याप्त जडता तथा परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों का सामना करना है। जटिल सामाजिक स्थिति और विपन्न समस्याओं का भी उन्हें सामना करना है। इन कार्यकर्ताओं को विशेष विषयों का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी वे अपना काम भली-भांति कर सकेंगे। अभी हाल तक यह पहलू उपेक्षित ही था। अब लोक-कार्य-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए नियमित रूप से सघन प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। गांवों में लेकर ऊपर तक पूरे या आधे समय के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का व्यवस्थित प्रवन्ध होना चाहिए, ताकि वे कुशलता और समझदारी से अपना काम निभा सकें। प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का सुदृढ़ आधार और जन-सहयोग के उचित तरीके निकालने के लिए समय-समय पर अपने अनुभवों का विदलेपण और पूरा अध्ययन करना आवश्यक है। इसके लिए सामूहिक विचार-विमर्श का भी आयोजन होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, समस्याओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न वर्गों का दृष्टिकोण तथा जन-सहयोग प्राप्त करने के तरीकों की उपयोगिता कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में अनुसन्धान की बहुत गुंजायश है। देश के विभिन्न भागों में नए विचारों के लिए मार्गदर्शक परियोजनाएं चालू की जानी चाहिए। स्वैच्छिक सगठनों के कार्यों के मूल्यांकन की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन अध्ययनों और प्रयोगों के परिणामों का पूरा विवरण उपयुक्त माहिय और मार्गदर्शन-सम्बन्धी अन्य सामग्रियों में उपलब्ध किया जाना चाहिए।

कृषि-उत्पादन

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिस व्यापक दृष्टि को अपनाया गया है, उसके आधारे में कृषि-उत्पादन के कार्यक्रम निहित हैं। बड़े तथा छोटे सिंचाई-कार्यों का विकास, मिट्टी-संरक्षण के कार्यक्रम, उर्वरकों, सुधरे हुए बीजों तथा ऋण की आपूर्ति और नीचे ग्राम-स्तर तक पहुंचनेवाली विस्तार-सेवाओं की व्यवस्था कुछ ऐसे कदम हैं, जो मीघे उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए मामूदायिक विकास-ग्रान्दोलन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम-समाज की शक्तियों का पूरा उपयोग करने और उसकी जनशक्ति तथा अन्य साधनों को प्रभावशाली ढंग से गतिशील बनाने का विचार है। भूमि-सुधार-सम्बन्धी नीतियों का लक्ष्य परम्परागत कृषि-ढांचे के कारण अधिक उत्पादन के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को दूर करना और सहकारिता के आधार पर संगठित प्रगतिशील कृषि के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। सहकारिता के विकास के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए हैं और तीसरी योजना में जिन पर और अधिक बल दिया जाएगा, उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के द्रुत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऐसे सस्थात्मक ढांचे का निर्माण करना है, जो ग्रामीण जनता के निर्धन-वर्ग के लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध हों। कृषि-उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं का पशुपालन और दूध-उद्योग की सफलता तथा मछली-उद्योग और ग्रामोद्योगों के विकास से गहरा सम्बन्ध है। दीर्घ-कालीन विकास की दृष्टि से वन-सम्पदा की देखभाल, मिट्टी और धारिता के संरक्षण तथा गावों में ईंधन के काम आनेवाले पेड़ उगाने का अत्यधिक महत्त्व है। देश के कुछ भागों में गावों में बिजली लगने का, सिंचाई-सुविधाओं के विस्तार और टेक्नोलॉजी-विपयक परिवर्तनों के माध्यम से, ग्रामीण जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पढ़ने लगा है, यह प्रभाव क्रमशः अधिकाधिक होता जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं-द्वारा ग्रामीण जीवन में लाए जा रहे विस्तृत परिवर्तनों की व्यापक पृष्ठभूमि में देखने पर कृषि-विकास के इन विभिन्न पहलुओं और विशेषतः कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए तीसरी योजना में समाविष्ट विशिष्ट कार्यक्रमों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति

2 दूसरी योजना के अन्त में कृषि-उत्पादन का सूचनांक (आधार सन् 1949-50) बढ़ कर 135 हो गया। इसी तरह, खाद्यान्नों का सूचनांक 132 और अन्य फसलों का 142 रहा। पहली योजना में कृषि-उत्पादन में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना की अवधि में सन् 1957-58 और 1959-60, के दो वर्ष प्रतिकूल रहे और कुल मिला कर कृषि-उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगले पृष्ठ की तालिका में सन् 1949-50 से उत्पादन की प्रवृत्तियाँ दर्शाई गई हैं।

तालिका-संख्या 1

कृषि-उत्पादन सन् 1949-50 से 1960-61 तक*

वर्ष	इकाई	1949-	1950-	1955-	1956-	1957-	1958-	1959-	1960-
		50	51	56	57	58	59(अ)	60(आ)	61(इ)
चावल	लाख टन	237	209	271	286	249	304	293	320
गेहूँ	"	66	66	86	93	77	98	97	100
सब अनाज	"	484	437	549	574	530	626	605	640
दालें	"	92	85	109	114	95	129	112	120
खाद्यान्न	"	576	522	658	688	625	755	717	760
(अनाज और दालें)	"	51	51	56	63	61	69	64	71
तेलहन	"	49	56	60	68	69	71	76	80
गन्ना (गुड)	"	26	29	40	47	47	47	38	51
कपास	लाख गठे	31	33	42	43	41	52	46	40
पटसन	"	100	95	116	124	114	132	127	135
मशी वस्तुएं (सूचनाक)	"								

* पहली पञ्चवर्षीय योजना के दौरान फसल-सम्बन्धी आकड़े जमा करने का काम कसम, बडा और समय-समय पर अनुमान के तरीके बदलते गए। तालिका में खाद्यान्न-उत्पादन के अनुमान सन् 1956-57 तक हुए परिवर्तनों के अनुसार समन्वित कर लिए गए।

(अ) अशत, सन्तोषित अनुमान

(आ) अन्तिम अनुमान

(इ) अस्थायी अनुमान

3 दूसरी योजना को अन्तिम रूप देने से पहले ही यह समझ लिया गया था कि उसमें भारी उद्योगों पर विशेष बल देते हुए द्रुत आर्थिक विकास का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार कृषि-उत्पादन को पहले निश्चित की गई मात्रा से कहीं अधिक बढ़ाने की जरूरत पड़ती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य-सरकारों के साथ प्रारम्भिक लक्ष्यों के बारे में विचार-विमर्श किया गया और नवम्बर 1956 में निम्न-लिखित नए लक्ष्य निश्चित किए गए खाद्यान्न—8 करोड़ 5 लाख टन, तेलहन—76 लाख टन, गन्ना (गुड़)—78 लाख टन, कपास—65 लाख गांठें, और पटसन—55 लाख गांठें। ऊपर की तालिका में सन् 1960-61 में खाद्य-उत्पादन की जो मात्रा (7 करोड़ 60 लाख टन) दिखाई गई है, उसके फसल-उत्पादन के सशोधित अनुमानों की प्राप्ति के समय तक 7 करोड़ 80 लाख टन हो जाने की आशा है। गन्ने का उत्पादन दूसरी योजना के लक्ष्य से भी अधिक हुआ, परन्तु कपास और पटसन के उत्पादन के मामले में जड़ता बनी रही। तेलहन का भी उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। दूसरी योजना में उत्पादन की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि तीसरी योजना में खाद्यान्न के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के अतिरिक्त व्यावसायिक फसलों में, विशेषतः कपास, तेलहन और पटसन के उत्पादन में, पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। अर्थ-व्यवस्था की प्रगति और घरेलू माग में वृद्धि तथा इसके साथ ही निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता के कारण व्यावसायिक फसलों को उत्पादन-वृद्धि में सफलता उतनी ही महत्त्व रखती है, जितनी खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि।

4 दूसरी योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के लिए अनुमानित कुल 529 करोड़ रु० के व्यय में से 290 करोड़ रु० कृषि के लिए थे। इसके अतिरिक्त, बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं के लिए कुल 372 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था थी। योजना की अवधि में छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध किए गए। नीचे की तालिका में कृषि-विकास के कार्यक्रमों के परिपालन में हुई प्रगति के बारे में राज्य-सरकारों से प्राप्त सूचनाएँ संक्षेप में दी गई हैं।

तालिका-सख्या 2

कृषि-कार्यक्रम—दूसरी योजना में प्रगति

कार्यक्रम	इकाई	अनुमानित उपलब्धि
बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाएँ	लाख एकड़ (कुल)	69
छोटी सिंचाई-योजनाएँ	"	90
खेतों में मिट्टी-संरक्षण	"	20
भूमि का पुनरुद्धार	"	12
सुधरे हुए बीजों के अन्तर्गत खेतों का क्षेत्र (खाद्यान्न)	"	550
नग्नजनयुक्त उर्वरकों की खपत (नग्नजन)	हजार टन	230
फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत (पी ₂ ओ ₅)	"	70
शहरी खाद	लाख टन	30
ग्रामीण खाद	"	830
हरी खाद	लाख एकड़	118

मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद दूसरी योजना की अवधि में कृषि-क्षेत्र में अधिक प्रगति हो सकती थी, यदि पर्याप्त पूंजी-विनियोग में होनेवाले लाभों को—यथा छोटें और बड़े सिंचाई-कार्यों से होनेवाले सिंचाई के विस्तार और बीज-फार्मों की स्थापना में किए गए पूंजी-विनियोग के लाभों को—अधिक शीघ्रता से प्राप्त किया जाता। मिट्टी-मरक्षण-जैने कार्यों में, जिनमें बड़ी सख्या में जनता के भाग लेने की आवश्यकता होती है, सीमित प्रगति हुई। उर्वरकों को खपत में, जो हाल में बड़ी तेजी से बढ़ी है, दूसरी योजना के प्रथम चार वर्षों में बहुत घीमी वृद्धि हुई। इसका कारण विदेशी मुद्रा की कमी और नए उर्वरक-मयनों की स्थापना में हुई अपर्याप्त प्रगति है। सन् 1956 में जब दूसरी योजना के कृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया गया था, तब इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था कि सुघरे हुए बीजों को बहु-गुणित करने, उर्वरकों के प्रयोग, सिंचाई और मिट्टी-मरक्षण, आदि के कार्यक्रमों को इन प्रकार कार्यान्वित किया जाए कि न्यूनतम समय में अधिकतम लाभ उठाया जा सके। यह नोचा गया था कि सिंचाई की सुविधा-प्राप्त या निश्चित वर्षावाली भूमि के प्रत्येक एकड़ में सुघरे हुए बीजों का इस्तेमाल होगा तथा उर्वरकों, कार्बनिक खादों और हरी खादों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था की जाएगी। परन्तु इन दिशाओं में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई। परिणामतः तीसरी योजना की अवधि में कृषि के सम्बन्ध में बहुत-कुछ किया जाना शेष है। वस्तुतः तीसरी योजना की सफलता अन्य किसी भी बात की तुलना में कृषि-लक्ष्यों की पूर्ति पर अधिक निर्भर करती है।

तीसरी योजना का दृष्टिकोण

5 तीसरी योजना के लिए कृषि-उत्पादन के कार्यक्रमों के निर्माण में नियामक विचार यह रहा है कि कृषि-सम्बन्धी प्रयत्नों में किसी भी रूप में वित्तीय या अन्य साधनों के अभाव के कारण रुकावट पैदा न हो। तदनुसार ही आवश्यकता के अनुरूप वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की गई। इसके साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि यदि उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध करना आवश्यक पाया गया, तो उन्हें भी योजना के बढ़ने के साथ-साथ सुलभ किया जाएगा। उर्वरकों की आपूर्ति भी बड़े पैमाने पर की जाएगी। राज्यो ने कृषि-प्रशासन को सगठित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और विभिन्न अभिकरणों में, विशेषतः उनमें, जो कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास और सिंचाई से सम्बद्ध हैं, अधिकतम सम्भव सम्बन्ध स्थापित करने पर बल दिया गया है। सहकारी सस्थाओं के माध्यम से ऋण की आपूर्ति को विस्तृत किया जा रहा है और ऋण को उत्पादन तथा हाट-व्यवस्था से सम्बद्ध करने पर जोर दिया गया है। फिर भी, यह कहना होगा कि इन प्रयत्नों का काफी महत्व होने के बावजूद वे अपने-आप में इस बात की सन्तोषजनक गारंटी नहीं हैं कि इनसे तीसरी योजना के कृषि-लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लिया जाएगा।

6 सामुदायिक विकास-संगठन और खड तथा ग्राम-स्तर पर विस्तार-कार्यकलाओं का मुख्य कार्य ग्राम-समाज की सघन कृषि-विकास के लिए सगठित करना, इसके लिए उसमें क्षमता की भावना भरना, सरकार की ओर से काम करनेवाले सभी अभिकरणों को निर्देश देना और इस बात की निश्चित व्यवस्था करना है कि आवश्यक आपूर्ति, सेवाएँ एवं तकनीकी नहायता यथामन्भव प्रभावशाली ढंग से चर्चित समय में और ठीक स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही, कृषि-विभाग को लड़-स्तर पर आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मचारियों और

अन्य आवश्यक भाषनों को सामुदायिक विकास-संगठन के हवाले कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि गाव के सभी परिवार, विशेषतः कृषि-कार्य में लगे लोग, ग्राम-महकारी समितियों और पंचायतों के द्वारा कृषि-प्रयत्नों में सम्मिलित हो और गाव की उत्पादन-योजनाओं के द्वारा अधिक बड़े परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हों। दूसरी योजना में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनको देखते हुए इन अनिवार्य शर्तों पर जितना भी बन्व दिया जाए, कम ही होगा। चूँकि तीसरी योजना में देश को अधिक बड़े काम करने हैं, इसलिए इस बात को अविलम्ब आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर और राज्यों तथा केन्द्र में उच्च स्तर पर कृषि-कार्यक्रमों के संगठन में सुधार किया जाए।

7. तीसरी योजना में कृषि-उत्पादन-कार्यक्रमों के लिए, जिनमें छोटी और बड़ी सिंचाई-योजनाएँ, मिट्टी-संरक्षण और सहकारिता भी शामिल है, व्यय के लिए लगभग 1,280 करोड़ रु० की व्यवस्था है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि लगभग 667 करोड़ रु० थी।

तालिका-संख्या 3

कृषि-उत्पादन पर व्यय-व्यवस्था

(करोड़ रु०)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना
कृषि-उत्पादन	98 1	226 07
छोटी सिंचाई-योजनाएँ	94 94	176 76
मिट्टी-संरक्षण	17 61	72 73
सहकारिता	33 83	80 1
सामुदायिक विकास (कृषि-कार्यक्रम)	50	126
बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाएँ	372 17	599 34
योग	666 65	1,281

तीसरी योजना में उपलब्ध साधनों के अतिरिक्त महकारी अभिकरणों के द्वारा प्राप्त होनेवाले वित्त की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि होगी। तीसरी योजना के अन्तर्गत अल्पवर्षीय और मध्यमवर्षीय ऋणों की राशि के 200 करोड़ रु० से बढ़ कर 530 करोड़ रु० और दीर्घकालीन ऋणों के खातों की बढ़ाया गयी है, जो दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 31 करोड़ रु० थी, 150 करोड़ रु० हो जाने की आशा है।

8 तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में कृषि के जो कार्यक्रम और नक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे राज्य-स्तरों और केन्द्र के सम्बद्ध मन्त्रालयों-द्वारा निर्धारण प्रारम्भिक अध्ययनों पर आधारित हैं। उन्हा उद्देश्य यह था कि जिलों, मण्डलों और ग्रामों में स्थानीय न्वितियों और सम्भावनाओं के प्रकाश में विन्तुत कृषि-कार्यक्रमों के निर्माण के लिए एक प्राधान्य बन सके। यह सुझाव दिया गया कि स्थानीय जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से और विशेष रूप से स्थानीय जनशक्ति-साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए कृषि, छोटी सिंचाई, मिट्टी-संरक्षण और सहकारिता के विकास में सम्बद्ध कार्यक्रमों को और गतिशील योजनाओं के माध्यम से बल देना चाहिए। इनके अन्तर्गत इस प्रकार के स्थानीय

योजनाएँ तैयार करने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि राज्य-योजनाओं को व्यापक परिसीमा और लक्ष्यों का निश्चय हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण बड़ा सुगम हो जाता है। यद्यपि लक्ष्यों को प्रस्तुत करने और कार्यक्रमों को बनाने में राज्य-सरकारों ने जिला और खड की कृषि-योजनाओं के निर्माण-क्रम में प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाया है, तथापि उत्पादन के कार्यक्रम और अनुमान, जो अब राज्यों की योजनाओं के अंग बन गए हैं, वस्तुतः राज्य-स्तर पर सम्बद्ध विभागों के अध्यक्षों के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। उनके प्रस्तावों पर राज्यों, योजना-आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालयों के बीच विचार-विमर्श की दो शृंखलाओं में विचार किया गया। इन्हें कुछ विस्तृत रूप में तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। परन्तु विवगताओं के कारण इन्हें क्षेत्रीय योजनाओं पर उतनी दृढ़ता से आधारित नहीं किया जा सका, जितनी आशा की गई थी। अतः राज्यों द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि पंचवर्षीय कार्यक्रम की नामान्य योजना की परिधि में प्रति वर्ष जिला और खड-कृषि-योजनाएँ बनाने पर निरन्तर बल दिया जाए। जिला, खड और ग्राम-स्तरीय कृषि-उत्पादन-कार्यक्रमों को बिना व्यापक सहयोग, स्थानीय पहल एव जिन कामों को करना है, उनकी पूरी समझदारी का भरोसा नहीं किया जा सकता, जब कि ये कृषि-विकास की सफलता के लिए आधारभूत शक्तें हैं।

कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम

9 कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी कार्यक्रमों को परिष्कृत बना कर मघन ढग में काम किया जाना है—(1) मिर्चाई, (2) मिट्टी-संरक्षण, चारानी खेती और भूमि-मुनरुद्धार, (3) उर्वरकों और खादों की आपूर्ति, (4) बीजों को बढ़ाना और उनका वितरण, (5) पौध-संरक्षण, (6) सुघरे हुए हल, उन्नत कृषि-उपकरण और कृषि को वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। सभी क्षेत्रों में और विशेषतः सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन विकास-खंडों में इन कार्यक्रमों को इस प्रकार पूरा करने की आवश्यकता होगी कि उनमें स्थानीय जनसमुदाय अधिक-से-अधिक भाग ले सके और ग्राम-उत्पादन-योजनाओं के द्वारा अधिकतम सम्भव परिवारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सके। इनके साथ ही प्रस्ताव है कि 15 जिलों में, जिनमें मिर्चाई की व्यवस्था है अथवा निश्चित वर्षों के कारण स्थिति विशेष रूप से अनुकूल है और सहकारी आन्दोलन को अच्छी प्रकार जमा दिया गया है, कृषि-कार्यक्रमों को सामान्य से अधिक जोरदार ढग में आरम्भ किया जाए। सभी क्षेत्रों में, विशेषतः इन क्षेत्रों में, सभी किमानों तक पढुचने के लिए और सुवरी हुई पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा।

10 विभिन्न कृषि-विकाम-कार्यक्रमों के अधीन मुख्य लक्ष्य सक्षेप में अगली तालिका में दिए गए हैं।

तालिका-संख्या 4

कृषि-कार्यक्रमों के लक्ष्य : तीसरी योजना

कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य
1 मिचार्ड		
(अ) बड़ी और मध्यम मिचार्ड (कुल)	लाख एकड़	128
(आ) छोटी मिचार्ड (कुल)	"	128
(1) कृषि	"	95
(2) सामुदायिक विकास योग	"	33 256
2 मिट्टी-संरक्षण, भूमि-पुनरुद्धार, आदि		
(अ) खेतों में मिट्टी-संरक्षण-कार्य	"	110
(आ) वारानी खेती	"	220
(इ) भूमि-पुनरुद्धार	"	36
(ई) लोनी और धारीय भूमि का पुनरुद्धार	"	2
3 सुघरे हुए बीजों के अवीन अतिरिक्त क्षेत्र-खाद्यान्न	"	1,480
4 रासायनिक उर्वरकों की खपत		
(अ) नत्रजनयुक्त (नत्रजन)	हजार टन	1,000
(आ) फास्फेटयुक्त (पी ₂ ओ ₅)	"	400
(इ) पोटैशियुक्त (के ₂ ओ)	"	200
5 कार्वनिक और हरी खाद		
(अ) शहरी खाद	लाख टन	50
(आ) ग्रामीण खाद	"	1,500
(इ) हरी खाद	लाख एकड़	410
6 पीव-संरक्षण	"	500

राज्यों में अलग-अलग परामर्श करके कृषि-विकसन के जो लक्ष्य स्वीकार किए गए हैं, उन्हें इस अध्याय के प्रथम अनुबन्ध में दिया गया है।

छोटी मिचार्ड-योजनाएं

11 तीसरी योजना की अवधि में मिचार्ड-योजनाओं में निश्चित कुल क्षेत्र अनुमानत 2 करोड़ 56 लाख एकड़ होगा। इसमें में 1 करोड़ 28 लाख एकड़ क्षेत्र बड़ी और मध्यम मिचार्ड-योजनाओं द्वारा तथा लगभग इतना ही क्षेत्र छोटी मिचार्ड-योजनाओं द्वारा नीचा जाएगा। जिन छोटी मिचार्ड-योजनाओं के लिए सामुदायिक विकास-नायंत्रम का अर्थीन वित्त की व्यवस्था होगी, उनसे लगभग 33 लाख एकड़ क्षेत्र की मिचार्ड होंगी तथा शेष की व्यवस्था कृषि-कार्यक्रम में होगी।

भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में नव 1957-58 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि जो मिचार्ड-नायंत्रम कार्यान्वित किए गए

उनमें प्रथम दो योजनाओं में सिंचाई के क्षेत्र में वस्तुतः कुल कितनी वृद्धि हुई। छोटी सिंचाई के कार्यक्रमों में अनेक योजनाएँ सम्मिलित हैं। इनमें में कुछ वर्तमान सिंचाई-व्यवस्था को सुदृढ़ करती हैं, अथवा वर्तमान सिंचाई-व्यवस्था में सुधार करती हैं—जैसे, नालियों और तटवन्धो का निर्माण, अतः इनमें सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक नहीं होती। फिर, उन छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए जो 'टूट-फूट' के कारण काम में नहीं आती या जिनका स्थान बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं के अधीन होनेवाली सिंचाई में ले लिया है, कुछ छूट दी जानी चाहिए। प्रारम्भिक स्तरों में यह अनुमान लगाया गया था कि दूसरी योजना के अन्त में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 7 करोड़ एकड़ होगा तथा तीसरी योजना के अन्त में बढ़ कर 9 करोड़ एकड़ हो जाएगा। हाल में जो अनुमान लगाए गए हैं, उनमें ये मर्यादा कुछ कम ठहरती है, परन्तु जो आकड़े उपलब्ध हैं, वे भी भन्तोपजनक नहीं हैं। बड़ी और छोटी सिंचाई-योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में प्राप्त आकड़ों और तीन वर्षों के व्यवधान के बाद भूमि के प्रयोग के सम्बन्ध में उपलब्ध आकड़ों में बहुत असमानता पाई जाती है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि इन असमानताओं की विशेष रूप से जांच की जाए।

12 तीसरी योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार छोटी सिंचाई-योजनाओं पर कुल व्यय लगभग 250 करोड़ ₹० होने की आशा है। सहकारी अभिकरणों द्वारा उपलब्ध की जानेवाली राशि इसके अतिरिक्त होगी। इस प्रकार तीसरी योजना में छोटी सिंचाई-योजनाओं पर अधिक पूंजी-विनियोग किया जाएगा। छोटी सिंचाई-योजनाओं के मुख्य लाभ ये हैं— इन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा इनकी पूर्ति और इनमें होनेवाले लाभों के बीच समय का बहुत कम अन्तर होता है। एक बात यह भी है कि व्यक्तियों या कुछ समूहों द्वारा भी इनके लिए पहल की जा सकती है और इनमें समुदाय-द्वारा भाग लिए जाने का पूरा अवसर रहता है। फिर भी, यह देना गया है कि छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों का शुकाव सरकार-द्वारा नवाचित छोटे पैमाने के सिंचाई-कार्यों का रूप ग्रहण करने को और है और इनमें स्वैच्छिक श्रम तथा जनता का योगदान नाममात्र को रह जाता है। यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि नयी राज्यों में अधिकार रूप में छोटे सिंचाई-कार्यों को अनिवार्यतः सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में किया जाए तथा इसके लिए स्थानीय वन और श्रम के योग पर विशेष रूप से बल दिया जाए। छोटी सिंचाई-योजनाओं का स्वरूप जब बड़ा हो जाता है, तब इसके लिए संगठन, जांच और प्रयोग की समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं, जो कि कुछ दृष्टियों में सिंचाई के बड़े कार्यक्रमों में पैदा होनेवाली समस्याओं में भी अधिक कठिन होती हैं। छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों के प्राथमिक चरण में मादे ढग के कामों को हाथ में लिया जा सकता है और इसके लिए मदा व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। प्रारम्भिक अव्ययनों में यह प्रकट हुआ है कि छोटे सिंचाई-कार्यों के विकास की सम्भावनाओं को 7 करोड़ 50 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस सम्भावना की पूर्ति के लिए विभिन्न नदी-घाटियों के लिए प्रत्येक राज्य में व्यवस्थित ढग में सर्वेक्षण और जांच का काम आरम्भ किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में जांच करनेवाले दलों में कर्मचारियों की मर्यादा भी पर्याप्त होनी चाहिए। इस समय कुछ ही क्षेत्रों में ऐसी छोटी सिंचाई-परियोजनाएँ हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए काफ़ी पहले से तैयार कर लिया गया है।

13 पहली और दूसरी योजना की अवधि में प्राप्त हुए अनुभवों में कुछ ऐसी दिशाएँ

प्रकाश में आई है, जिनमें कृषि-उत्पादन में वृद्धि या समुचित वित्तीय प्राप्ति के रूप में पूरे लाभ हस्तगत करने के लिए छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों की कार्यान्विति सुधारी जानी चाहिए। इन सुधारों का सम्बन्ध अच्छे रख-रखाव, फसल के उचित तरीकों को अपनाने, पानी के बेहतर उपयोग और अच्छी व्यवस्था, तथा कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने से है। योजना को परियोजनाओं से सम्बद्ध समिति की जांच तथा अन्य अध्ययनों से यह पता चलता है कि छोटे सिंचाई-कार्यों के रख-रखाव की वर्तमान व्यवस्था को राज्य-सरकारों तथा स्थानीय समुदायों-द्वारा अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि 'टूट-फूट' से होनेवाली हानियों को, जो आजकल बड़े चिन्ताजनक रूप से बढ़ रही हैं, कम किया जा सके। इस समय जो छोटे सिंचाई-कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में हैं, उनका एक बड़ा भाग ऐसा है, जिसके रख-रखाव का दायित्व राज्य-सरकारों को ग्रहण करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि छोटे सिंचाई-कार्यों के तकनीकी और प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ किया जाए और इस बात की निश्चित व्यवस्था की जाए कि नियमित रूप से इनका निरीक्षण और अधीक्षण होता रहेगा।

यह भी आवश्यक है कि कानून के द्वारा स्थानीय समुदायों पर और सिंचाई-योजनाओं से लाभ उठानेवालों पर कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाए। भारत के अधिकांश भागों में खेती की नालियों के रख-रखाव के उत्तरदायित्व की बात पुराने समय से चली आ रही है तथा राजस्व-सम्बन्धी अभिलेखों में भी यह बात प्रकृत है। इन परम्परागत कर्तव्यों के प्रति श्रव प्रायः उपेक्षा का भाव आ गया है, अतः कानून के द्वारा इन्हें अधिक निश्चित करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने इस प्रकार के कानून बना भी दिए हैं। जो मुख्य कर्तव्य किए जाने चाहिए, वे हैं—खेती की नालियों का निर्माण और उनका रख-रखाव, बाधों और तालाबों का रख-रखाव, तथा तालाबों की तलछट साफ करना, बशर्ते कि काम इतने बड़े पैमाने का न हो कि उसे सरकार को ही हाथ में लेना पड़े। यह भी सुझाया गया है कि पचायतों को ऐसे कानूनी अधिकार दिए जाने चाहिए कि वे लाभ उठानेवालों को इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकें। यदि ये लोग समय पर काम को पूरा करने में असफल रहें, तो पचायत को स्वयं यह काम करना चाहिए तथा इसका खर्च लाभ उठानेवालों से वसूल करना चाहिए। यदि ग्राम-पचायत भी यह काम न कर सके, तो सरकार या उसकी ओर से विकास-खंड की पचायत-समिति इस कार्य को पूरा करने की व्यवस्था करे और जो खर्च हो, उसे लाभ उठानेवालों में वसूल करे।

14 निर्माण-कार्यों की पूर्ति और उनसे होनेवाले लाभों की प्राप्ति के बीच समय का जो अन्तर आता है, उसको कम करने की समस्या न केवल बड़े सिंचाई-कार्यक्रमों के लिए है, अपितु छोटे सिंचाई-कार्यों के लिए भी उतने ही बड़े रूप में है। व्यापक रूप से फैले होने के कारण छोटे निर्माण-कार्यों का यह तकाजा है कि विस्तार-अभिकरण उन पर अधिक ध्यान दें। अभी हाल में कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन ने छोटी सिंचाई की समस्याओं का जो क्षेत्रीय अध्ययन किया, उससे यह प्रकट हुआ कि छोटी सिंचाई के क्षेत्र में भी उपलब्ध सुविधाओं का लाभ न उठाया जाना एक बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है और प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सिंचाई-कार्यों का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सिंचाई के लिए कृषि-सम्बन्धी कार्रवाइयों की एक शृंखला अपनाना आवश्यक है, जिसमें नए ढंग की खेती अपनाना, भूमि-विकास, मिट्टी और जल-संरक्षण तथा अन्य मुद्दों पर कृषि के

तरीके भी शामिल हैं। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कृषि-विस्तार-कर्मचारी इन बातों पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करें ताकि सिंचाई से प्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकें। जो तरीके अपनाए जाने हैं, वे सर्वविदित हैं, तथा मुख्य प्रश्न अग्रिम आयोजन और ऊपर बताए गए कार्यों की ओर निरन्तर ध्यान देने का है।

15 छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कुछ हद तक इसलिए क्षति पहुँची कि अपने तकनीकी ज्ञान को विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्यों में लगा सकनेवाले अनुभवी कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सके। इस स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ है। फिर भी, तीसरी योजना में जिस विशाल कार्यक्रम को पूरा करना है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि अब राज्यों में एक उपयुक्त तकनीकी सेवा-वर्ग का निर्माण किया जाए। यदि बड़े पैमाने पर ग्राम-निर्माण के कार्यक्रम को, जो कि विशेष रूप से कृषि-विकास के लिए है, सफलतापूर्वक सगठित करना है, तो यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, देश के कुछ भागों में छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों के अवर गायों में विजली लगने के कारण अपने-आप बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी योजना की अवधि में छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों को कुछ हद तक आवश्यक भूमि को प्राप्त में आनेवाली कठिनाइयों, कार्य-संचालन कर रहे कर्मचारियों को प्राप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की अपर्याप्तता तथा निर्माण-काल से काफी पहले कामों की स्वीकृति न मिलने के कारण क्षति पहुँची।

16 प्रशासनिक ढग की भी कुछ समस्याएँ हैं, जिनको और ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि और सामुदायिक विकास, दोनों के अर्धीन छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करके एक ही बात दो-दो बार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि छोटी सिंचाई-योजनाओं की—चाहे वे कृषि के अर्धीन हो या सामुदायिक विकास के अर्धीन—वित्तीय व्यवस्थाओं को खड-स्तर पर एकत्र कर लिया जाए तथा सम्बद्ध क्षेत्र के अधिकतम लाभ के लिए उनका प्रयोग किया जाए। यह सोचा गया है कि छोटे सिंचाई-कार्यों के लिए व्यक्तिगत सहायता यथासम्भव सहकारी अभिकरणों, तकावी ऋणों और कृषि-विभागों में आनी चाहिए। सामुदायिक विकास-खड के वजट की व्यवस्थाओं में ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे समुक्त रूप से बहुत-सारे लोगों को लाभ पहुँचता हो। इन कार्यक्रमों को ग्राम-पचायतों या सहकारी नमूहों-द्वारा पूरा किया जा सकता है।

17 पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई में तथा कृषि-विकास के अन्य क्षेत्रों में नए क्रिया-कलापों को प्रोत्साहन देने के एक तरीके के रूप में विभिन्न प्रकार के सहायता-अनुदान दिए गए। सामान्य नीति यह होनी चाहिए कि इन सहायता-अनुदानों को क्रमशः कम किया जाए और जहा कहीं सम्भव हो, इन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। ऐसे सहायता-अनुदानों का कुछ अचित्य हो सकता है, जिनका उद्देश्य समाज के निर्बन-वर्ग को लाभ पहुँचाना अथवा कुछ समय तक ऐसे नए आविष्कारों और उन्नत प्रणालियों को समर्थन प्रदान करना हो, जिन्हें अब तक अपनाया नहीं गया है। सहायता-अनुदान की वर्तमान योजनाओं पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए और इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करनेवाले अन्य उपायों की परीक्षा करने के बाद सहायता-अनुदान कम करने और जहा तक सम्भव हो, समाप्त करने के लिए क्रमिक कार्यक्रम बनाए जाए।

81 तीसरी योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने छोटी सिंचाई के क्षेत्र में दो नई

योजनाओं का मूत्रपात किया है। प्रायोगिक अनुसन्धान का एक कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा, जिसमें छोटे सिंचाई-कार्यों को कार्यान्वित करने में आनेवाली समस्याओं का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा कि निर्माण-कार्य में होनेवाले व्यय में किस प्रकार मितव्ययिता की जा सकती है, सिंचाई-कार्यों का किस तरह सुचारु रूप से संचालन किया जा सकता है और खेतों में पहुँचनेवाले पानी का किस तरह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद प्रयोग किया जा सकता है। कृषि-स्नातकों को सिंचाई के पानी के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देने की एक योजना भी तैयार की गई है। इन योजनाओं को केंद्रीय और राज्यीय सगठनों के अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

19 देश के कुछ हिस्सों में, विशेषतः पंजाब और उत्तर प्रदेश में, वर्षा या बाढ़ का पानी इकट्ठा होने की समस्या बड़ी गम्भीर हो गई है। पानी में डूबे हुए क्षेत्रों के पुनरुद्धार और स्थिति को अधिक विगड़ने से रोकने के लिए कृषि-कार्यक्रम में पानी के ऊपर से बह कर निकल जाने की व्यवस्था में सुधार करने और उथले नलकूप लगाने की योजनाएँ हैं।

20 अनेक क्षेत्रों के लिए परीक्षणालमक नलकूप खोदने का व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्च 1961 तक 379 कुओं के लिए खुदाई की गई, जिनमें से 195 सफल रहे। इन सफल नलकूपों को सम्बद्ध राज्य-सरकार अपने हाथ में ले रही हैं। यदि आकड़े और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाए, तो अनुकूल क्षेत्रों में निजी और सहकारी नलकूपों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

21 मिट्टी-संरक्षण, वारानी खेती और भूमि-पुनरुद्धार : तीसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण और वारानी खेती पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों पर मिट्टी-संरक्षण-विषयक अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। फिर भी, यहाँ भूमि-पुनरुद्धार के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इस समय एक तकनीकी समिति राज्य-सरकारी के सहयोग से परती भूमि के बड़े खंडों का सर्वेक्षण कर रही है तथा उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रही है। समिति ने सात राज्यों में 'वेकार भूमि के अतिरिक्त गैर-आवादा भूमि' और 'चालू वेकार भूमि के अतिरिक्त वेकार भूमि' के रूप में वर्गीकृत भूमि का सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया है। इसमें से लगभग 10 लाख एकड़ भूमि को, जो 250 एकड़ या इससे अधिक के खंडों में है तथा जो सुधार और पुनर्वास के लिए उपलब्ध है, निर्दिष्ट कर दिया गया है। इन भूमि-खंडों के पुनरुद्धार की योजनाएँ तैयार करनी पड़ेंगी। 36 लाख एकड़ भूमि के पुनरुद्धार का जो लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है, उसमें राजस्थान की लगभग 20 लाख एकड़ भूमि तथा तकनीकी समिति-द्वारा सिफारिश की गई कुछ अन्य भूमि भी सम्मिलित है। मशीनों-द्वारा भूमि-पुनरुद्धार-अभियान के लिए ट्रैक्टरों के संचालन, रख-रखाव और मरम्मत करनेवाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इस समय बुदनी (मध्य प्रदेश) में जो ट्रैक्टर-प्रशिक्षण-केन्द्र है, तीसरी योजना में उसके अतिरिक्त एक नया केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। बुदनी-स्थित केन्द्र का भी विस्तार किया जाएगा।

22 उर्वरक और खाद : तीसरी योजना की श्रवण में उर्वरकों की आपूर्ति अगले पृष्ठ पर दी गई अस्थायी परिन्तुची के अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(हजार टन)

वर्ष	नम्रजनयुक्त उर्वरक (नम्रजन)	फास्फेटयुक्त उर्वरक (पी ₂ ओ ₅)	पोटासयुक्त उर्वरक (के ₂ ओ)
1960-61	230	70	85
1961-62	400	100	82
1962-63	525	150	100
1963-64	650	225	130
1964-65	800	300	160
1965-66	1,000	400	200

स्वदेशी उत्पादन और उर्वरको तथा आवश्यक कच्ची सामग्रियों के आयात के कार्यक्रम उपर्युक्त अनुमानों पर ही आधारित हैं।

23 यद्यपि उर्वरको की माग में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है और हाल के वर्षों में किसानों की कुल आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है। तथापि प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह तीसरी योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार कुशल वितरण और बड़ी हुई आपूर्ति के प्रयोग की समुचित व्यवस्था करे। इस सम्बन्ध में उर्वरक-वितरण-जाच-समिति की सिफारिशों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें मिश्रण के रूप में उर्वरको के प्रयोग पर इस दृष्टि से बल दिया गया है कि सन्तुलित उर्वरकीकरण में वृद्धि हो और नम्रजनयुक्त उर्वरको की आपूर्ति का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। समिति ने वितरण-व्यवस्था में सुधार करने, किस्म पर अधिक ध्यान देने और वितरण के खर्च में कमी करने पर भी बल दिया है। समिति के सुझाव के अनुसार, रासायनिक उर्वरको के बड़े हुए वितरण, उनके भाठारण और विन्नी में वृद्धि आदि से उत्पन्न समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए तीसरी योजना की श्रवण में एक केन्द्रीय उर्वरक-हाट-व्यवस्था-निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है। समुक्त राष्ट्रीय उर्वरक-आयोग ने, जिसने हाल में ही उर्वरको की समस्या का अध्ययन किया है, इस आवश्यकता पर बल दिया है कि विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यक उर्वरको की मात्रा और प्रकार का निश्चय करने के लिए छोटे किसानों के सहयोग से व्यापक रूप से मिट्टी-परीक्षा की जाए और उर्वरको के प्रयोग के बारे में निरन्तर अनुसन्धान किया जाए। छोटे किसानों को उर्वरको के प्रयोग के लिए ऋण देना भी विशेष महत्त्व रखता है। राज्यो-द्वारा निमित्त कार्यक्रमों को मूर्त रूप देते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

24 कुछ दिशाओं में प्रगति के वावजूद समग्र रूप में खाद के स्थानीय साधनों—विशेषतः कार्बनिक खाद के साधनों—के विकास-सम्बन्धी विस्तार-कार्य पर अब तक पर्याप्त बल नहीं दिया जा रहा है। तीसरी योजना के लिए राज्यो ने जो लक्ष्य स्वीकार किए हैं, उनमें 50 लाख टन शहरी खाद, 15 करोड़ टन शामीन खाद और 4 करोड़ 10 लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद के प्रयोग की व्यवस्था है। दूसरी योजना के अन्त में यह क्षेत्र लगभग 1 करोड़ 20 लाख एकड़ था। शहरी खाद-कार्यक्रम के सिवाय,

जो नगरपालिकाओं और बड़ी ग्राम-पंचायतों-द्वारा संगठित है, अन्य लक्ष्यों की पूर्णता का आकलन कर सकना बड़ा कठिन है। आशा की जाती है कि खद और ग्राम-स्तरी पर सघन कार्य करके हरी खाद और ग्रामीण खाद के लक्ष्यों में और भी सुधार किया जा सकेगा। मल-मूत्र के प्रयोग पर भी अधिकाधिक बल देने का प्रस्ताव है। जिस एक अन्य दिशा में पर्याप्त प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है, वह है मल-मूत्र की खाद का उत्पादन। इस कार्य को अनेक स्थानों पर प्रायोगिक रूप से हाथ में लिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि इससे जो अनुभव प्राप्त हो, उनका अध्ययन एक बड़ा और व्यापक विकास-कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से किया जाए।

25 गावों में प्रयोग के लिए गोबर की गैस और खाद के सयन्त्र के विकास में कुछ प्रगति हुई है। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था ने गैस-सयन्त्र का एक नमूना तैयार किया है, जिसका दिल्ली के पास के तथा कुछ अन्य गावों में प्रयोग किया जा रहा है। इस गैस-सयन्त्र का मूल्य 400 से 450 ₹० तक है। यह बात इसके व्यापक प्रयोग के मार्ग में बाधा-स्वरूप है। गैस-सयन्त्र के व्यापक प्रयोग से भूमि की उर्वरता और फसल-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ईंधन की समस्या के समाधान में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

26 उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरक के ठीक प्रयोग का निश्चय करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मिट्टी की परीक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा। हाल के वर्षों में अनेक प्रयोगशालाएं खोली गई हैं तथा भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था उनके अध्ययन का समन्वय करती है। मिट्टियों के समन्वय में आकड़े एकत्र करने, मिट्टी-विज्ञान और मिट्टी-रचना के समन्वय में प्रशिक्षण देने तथा आधारभूत और प्रायोगिक मिट्टी-अनुसन्धान का काम हाथ में लेने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केन्द्रीय भूमि-तत्व और मिट्टी-रचना-विद्या-संस्थान की स्थापना की जाए।

27 बीज-बहुगुणन और वितरण : दूसरी योजना में जो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिए गए थे, उनमें से एक सुघरी हुई किस्म के आधारभूत बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी विकास-खंडों में बीज-फार्मों की स्थापना भी था। कुल मिला कर 4,000 बीज-फार्म स्थापित किए जा चुके हैं, तथा तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में 800 फार्म और स्थापित किए जाएंगे। स्थापित फार्मों में से अधिकांश ने दूसरी योजना के अन्त तक पजीकृत उत्पादकों-द्वारा बहुगुणन के लिए बीज उपलब्ध करना शुरू कर दिया था। इस कार्यक्रम के लाभ बड़े पैमाने पर प्राप्त करने में अभी दो-तीन वर्ष और लग सकते हैं। यद्यपि प्रारम्भ में एक बीज-फार्म के लिए औसत रूप से 25 एकड़ के क्षेत्र का सकेत दिया गया था, तथापि अधिकांश बीज-फार्म आकार में इससे बड़े ही हैं। बड़े फार्मों में आवश्यक योग्यता के तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करना और आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ के आधार पर उत्पादन करना सुगम होता है। इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन बीज-फार्मों के सन्दर्भ में, जिनकी अभी स्थापना की जानी है और जो अस्थायी रूप से पट्टे की भूमि पर स्थापित किए गए थे। प्रत्येक बीज-फार्म के साथ एक बीज-भांडार की व्यवस्था है। अच्छे वितरण की व्यवस्था के उद्देश्य से तीसरी योजना में राज्यों ने सामान्य रूप से प्रत्येक विकास-खंड में एक अतिरिक्त बीज-भांडार की स्थापना की

व्यवस्था की है। दूसरी योजना के अन्त में सुघरे हुए बीजों के की गई खाद्यान्नों की खेती का क्षेत्र अनुमानत 5 करोड़ 50 लाख एकड़ था। तीसरी योजना की अवधि में इसके बड़ कर 14 करोड़ 80 लाख एकड़ हो जाने की आशा है। एक ओर जहाँ बीजों की सुघरी हुई किस्मों को बढ़ाने में पजीकृत उत्पादकों का बड़ा महत्त्वपूर्ण हाथ है, वहीं दूसरी ओर खड और ग्राम की कृषि-योजनाएँ बनाने नमय लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक गाँव यथाम्भव नहकारिता के आधार पर, परन्तु साथ ही अच्छे किसानों का लाभ उठाते हुए, अपनी आवश्यकता-भर सुघरे हुए बीज स्वयं ही पैदा कर ले। कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन ने भीकें पर जाकर सुघरे हुए बीजों के बहुगुणन और वितरण के कार्यक्रमों का जो अध्ययन किया था, उसमें वर्तमान अवस्था तथा बीज-फार्मों की कार्य-प्रणाली में अनेक कमजोरियाँ प्रकट हुई हैं। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-संस्कारों अपनी तीसरी योजना के प्रस्तावों पर इन परिणामों के प्रकाश में पुनर्विचार करें।

28 विगत कुछ वर्षों में मिश्र जाति की मकई की उपज अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अनुसन्धान-कार्य किया गया है और यह देखा गया कि नष्टजनयुक्त उर्वरक के अल्प मात्रा में प्रयोग से ही मिश्र जाति की मकई की उपज स्थानीय किस्मों की तुलना में दुगुनी हो गई। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि मिश्र जाति की मकई की खेती देशव्यापी स्तर पर आरम्भ की जाए। इसके लिए प्रथम कदम-स्वरूप तीसरी योजना की अवधि में मकई की खेती के कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत भाग में मिश्र जाति की मकई की खेती की जाएगी। यह भी इरादा है कि मिश्र जाति के ज्वार के बीज का भी उत्पादन आरम्भ किया जाए। खाद्य और कृषि-मन्त्रालय चुने हुए फार्मों में कुशल प्रबन्ध की परिस्थितियों में उत्पादन के विनिश्चय, शुद्धता बनाए रखने और अधिकतम उपज के उद्देश्य से क्षीघ्र ही एक बीज-निगम स्थापित करने का विचार रखता है। आधारभूत बीज के उत्पादन के लिए एक संगठन स्थापित किया जानेवाला है और इस बात पर बल दिया गया है कि सहकारी समितियाँ तथा अन्य उपयुक्त संगठन—जहाँ आवश्यक हो, वहाँ व्यक्तिगत रूप से लोग भी—प्रमाणित बीज-अभिकरणों के रूप में काम करें। बीजों की किस्म पर नियन्त्रण रखने और उनके उत्पादन, हाट-ब्यवस्था तथा भेज-भिजाव को नियमित करने के लिए कानून बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

29 पौध-संरक्षण: गत दशाब्दी में पौध-संरक्षण में सम्बद्ध कार्य कृषि-कार्यक्रम के अन्य अनेक पहलुओं की तुलना में पिछड़े रहे। दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 करोड़ 60 लाख एकड़ क्षेत्र था। तीसरी योजना के लिए राज्यों ने 5 करोड़ एकड़ के लक्ष्य का संकेत दिया है। कीड़ी, कुतरनेवाले जानवरों और खेती को नष्ट करनेवाले अन्य प्राणियों में तथा बीमारियों, घास-पाद, और पौधों को न बढ़ने देनेवाले अन्य निरुपयोगी पौधों से फसलों को कितनी हानि पहुँचती है, इसका निश्चित अनुमान लगा सकता कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह परिमाण विशाल ही होता है। इसी प्रकार, भाडारों में रखे जाने के बाद कीड़ी, चूहे-चुहियों, आदि-द्वारा नुकसान पहुँचाए जाने के बाद खाद्यान्नों एवं अन्य कृषिजन्य वस्तुओं के मामले में काफी हानि उठानी पड़ती है। ऐसी हानियों को बहुत अद्य तक रोका जा सकता है, यदि पौध-संरक्षण-

सम्बन्धी कार्य कृषि-कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त रूप से किए जाए। अनेक राज्यों के पीघ-संरक्षण-संगठनों को विभिन्न स्तरों पर सुवृद्ध करने की आवश्यकता है। विशेष दलों के अतिरिक्त, जो बड़े क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, अधिकतम विस्तार-परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हाथ से संचालित होनेवाले छिड़कने और फेंकने के उपकरण ग्राम-पचायतों को बड़े पैमाने पर दिए जाए। इनके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कीड़ी को नष्ट करनेवाली औषधियां समय पर उपलब्ध करने की व्यवस्था हो।

30 उन्नत किस्म के कृषि-उपकरण : पहली और दूसरी योजना में जो कृषि-कार्यक्रम हाथ में लिए गए, उनमें उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों के सम्बन्ध में एक गम्भीर कमी रह गई। अच्छी किस्म के हलो मे वैज्ञानिक कृषि करने और फसल काटने के तरीकों का महत्त्व सामान्यतः सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु इस दिशा में विशिष्ट कार्रवाई मन्द और अपर्याप्त रही। जैसा कि बताया जा चुका है, उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों के प्रयोग-सम्बन्धी प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि कुछ अन्य दिशाओं में भी कदम उठाए जाए।

31 तीसरी योजना में उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों को अपनाने-सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं—

- (1) कृषि-उपकरणों के लिए आवश्यक किस्म के लोहे और इस्पात की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में वस्तुतः कार्यान्वित किए जानेवाले कार्यक्रमों के आधार पर प्रति वर्ष पहले से ही आवश्यकताओं का एक निश्चित अनुमान लगा लेना चाहिए। उपकरणों के निर्माण की आवश्यकताओं का अनुमान भरम्भत और रख-रखाव के अनुमान से अलग लगाया जाना चाहिए। कृषि-प्रयोजनों के लिए लोहे और इस्पात की आपूर्ति राज्यों के कृषि-विभागों को सौंपना लाभप्रद होगा।
- (2) विशेषज्ञ-दलों ने उन कृषि-उपकरणों का अस्थायी रूप से चुनाव कर लिया है, जिन्हें प्रत्येक राज्य में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इन सुझावों पर राज्य-सरकारों-द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उत्पादन, वितरण आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखकर अन्तिम चुनाव किया जाना चाहिए।
- (3) भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ने दूसरी योजना की अवधि में अपने कार्य के एक अंग के रूप में उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों के सम्बन्ध में अनुसन्धान, और परीक्षण करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए चार क्षेत्रीय केन्द्र खोले हैं। इन्हें सम्बद्ध राज्यों की हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य में उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों के अनुसन्धान, परीक्षण और प्रशिक्षण-केन्द्रों को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे व्यावसायिक स्तर पर निर्माण-कार्य कर सकें, परन्तु मुख्यतः उन्हें अपना ध्यान मुश्किल हुए प्रोटोटाइपों, वाजार में न मिलनेवाले उपकरणों और ऐसे विशेष किस्म के पुर्जों के उत्पादन

में केन्द्रित करना चाहिए, जिनका अन्य निर्माताओं-द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम के अग्र के रूप में अनेक जिलों में कर्मशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। उन्नत किस्म के उपकरणों के तैयारी से प्रचार और उत्पादन को जिला और खंड-स्तर पर विकास-कार्यक्रम के रूप में हाथ में लेना चाहिए और कृषि-उपकरणों के निर्माण के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को सक्रिय समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

- (4) अपनी परिस्थितियों के अनुसार राज्य-सरकारों को जिला और खंड-स्तर पर उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों का प्रदर्शन करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए उचित विस्तार-व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार की इकाइयाँ देश के समस्त विकास-खंडों में खंड-स्तर पर स्थापित करना सम्भव नहीं है। इसलिए अनेक छोटी इकाइयाँ स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार करना बड़ा लाभप्रद होगा। इसलिए जिला-स्तर पर ऐसी कुछ इकाइयाँ—मान लीजिए 4—स्थापित करने और उन्हें जिला-कृषि-अधिकारी से सम्बद्ध करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। विकास-खंडों में, ये इकाइयाँ कृषि-विस्तार-अधिकारी और खंड-विकास-अधिकारी के निर्देश पर काम कर सकती हैं। ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं और गाव के कारीगरों को ये इकाइयाँ आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सकती हैं तथा किसानों के लिए उन्नत किस्म के उपकरणों का प्रदर्शन कर सकती हैं। खंड के मुख्यालय में प्रदर्शन और किराए पर सुगमता से उपलब्ध करने के लिए उपकरणों का स्टॉक रहना चाहिए। इन उपकरणों को खंड के बजट से खरीदा जा सकता है और अतिरिक्त उपकरणों को राज्य के कृषि-विभाग-द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
- (5) राज्यों के कृषि-विभागों के कृषि-इंजीनियरी-अनुभाग को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कृषि-प्रशासन-समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए राज्यों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, वह राज्य-कृषि-विभागों की राज्य और जिला-स्तर पर कृषि-इंजीनियरी-सम्बन्धी कर्मचारी-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भी उपलब्ध होगी।
- (6) प्रति वर्ष अपनाए जानेवाले कार्यक्रम के आकार के अनुसार मुझरे हुए उपकरणों की आपूर्ति के लिए ऋण की व्यवस्था का भी आश्वासन होना चाहिए। यह ऋण सहकारी अभिकरणों-द्वारा और तत्काली ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए। सहकारी विकास के लिए बनाई गई योजनाओं में कृषि-उपकरणों के लिए ऋण देने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (7) 25 विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्रों में कृषि-कर्मशालाएँ स्थापित की गई हैं। अब प्रस्ताव है कि समस्त विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्रों को कृषि-

कर्मशालाओं से सज्जित कर दिया जाना चाहिए, जिनमें ग्राम-स्तर के कार्यक्रमों, मैकेनिकों और कारीगरों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त हों।

- (8) राज्य-स्तर पर एक समिति या मंडल हो सकता है, जिसमें किसानों एवं निर्माताओं के तथा कुछ अन्य प्रतिनिधि हों। इसका काम उत्पादन-कार्यक्रमों के निर्माण, वितरण की उपयुक्त व्यवस्था के उपाय खोजने और कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना हो।

कृषि-उपकरण-कार्यक्रम के विस्तार के साथ कृषि-इंजीनियरों की आवश्यकता उमसे कहीं अधिक होगी, जो इस समय की प्रशिक्षण-सुविधाओं के अनुसार उपलब्ध हो सकते हैं। तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम बनाते समय इस पहलू पर ध्यान दिया गया है। तीसरी योजना में कृषि-उपकरण-कार्यक्रम के लिए कुल मिलाकर 8 करोड़ २० की व्यवस्था है।

32 सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम : अधिक सघन प्रयत्नों के लिए कुछ क्षेत्रों के चुनाव की सिफारिश करते हुए फोर्ड-प्रतिष्ठान-द्वारा नियुक्त कृषि-उत्पादन-दल ने यह मत प्रकट किया है कि वर्तमान कम उपज की जिम्मेदारी मिट्टी, अथवा ऋतु-सम्बन्धी या अन्य किसी भौतिक कारण पर नहीं लादी जा सकती। इसलिए इस दल ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में उन्हीं क्षेत्रों और फसलों का चुनाव किया जाना चाहिए, जिनमें वृद्धि की सम्भावनाएँ अधिक हों। इस प्रस्ताव के अनुसार ही प्रत्येक राज्य के एक जिले में सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुने हुए क्षेत्र में कृषि-उत्पादन को तेजी से बढ़ाना और ऐसी नई खोजों और सम्मिश्र तरीकों का सुझाव देना है, जो अन्यत्र विशेष महत्त्व के हो सकते हैं। चुने हुए जिलों में इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि उत्पादन-वृद्धि के लिए, आवश्यक समस्त चीजें—यथा, उर्वरक, कृमिनाशक दवाएँ, सुघरे हुए बीज और परिवहन-उपकरण, आदि ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध किए जाएँ। इसके साथ ही, बड़े पैमाने पर सम्मिश्र वैज्ञानिक प्रदर्शन भी किए जाएंगे। इस बात का भी प्रयत्न किया जाएगा कि ऋण इस रूप में प्रदान किया जाए कि वह सभी किसानों तक पहुँच सके—उन्हें भी मिले, जिन्हें अब तक ऋण पाने-योग्य नहीं समझा गया था। साथ ही, ऋण और हाट-व्यवस्था को सम्बद्ध किया जाएगा। विस्तार-कर्मचारी भी—विशेषतः कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारी—अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे पचायत-समितियों, ग्राम-पचायतों और सहकारी संगठनों के साथ मिल कर सघन रूप से कार्य कर सकें। समय-समय पर स्तर के सर्वेक्षण और व्यवस्थित मूल्यांकन के द्वारा इन जिलों में कार्य के उच्च स्तर को स्थापित करने पर पूरा बल दिया जाएगा। सघन विकास के लिए चुने हुए जिलों को प्रत्येक राज्य की कृषि एवं अन्य सेवाओं के सामने विस्तार के सुघरे हुए तरीकों के विकास, और ग्राम तथा सड़क-स्तर पर—साथ ही, व्यक्तिगत किसान के सन्दर्भ में—कृषि-उत्पादन के आयोजन के लिए विशेष भवसर प्रदान करने चाहिए।

तीसरी योजना में उत्पादन के अनुमान

33 जिन विकास-कार्यक्रमों की ऊपर चर्चा की गई है, वे तीसरी योजना के अनिवार्य लक्ष्यों के अंग हैं। फिर भी, विभिन्न प्रयोजनों से इस बात का अनुमान लगाना उपयोगी होना कि यदि विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर दिया जाए और सोचे गए पैमाने पर खेती के सुधरे हुए तरीकों को काम में लाया जाए, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। यद्यपि हाल के वर्षों में यह प्रयत्न किया गया है कि अतिरिक्त उत्पादन के 'भाषदह' निश्चित परीक्षणात्मक आकड़ों पर आधारित हो, तथापि जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें निश्चित लक्ष्यों के लिए सन्तोषजनक आधार समझने के बदले एक अस्पष्ट-या निदेशक-मात्र समझना चाहिए। फिर, कृषि के लिए मौसम-सम्बन्धी स्थितियों का सदा अत्यधिक महत्त्व रहता है। उत्पादन के निम्नलिखित अनुमानों की तुलना करते समय, जिन्हें तीसरी योजना के अन्त तक प्राप्त किया जा सकता है, इन सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तालिका-संख्या 5
तीसरी योजना में उत्पादन के अनुमान

वस्तु	इकाई	आधार-स्तर	अतिरिक्त	अनुमानित	प्रतिशत वृद्धि
		उत्पादन 1960-61	उत्पादन का लक्ष्य 1961-66	उत्पादन 1965-66 में	
खाद्यान्न	लाख टन	760	240	1,000*	31.6
तेलहन	"	71	27	98	38
गन्ना (गुड)	"	80	20	100	25
कपास	लाख गॉठे	51	19	70	37.2
पटसन	"	40	22	62‡	55
नारियल	करोड़	450	77.5	527.5	17.2
सुपारी	हजार टन	93	7	100	7.5
काजू	"	73	77	150	105.5
काली मिर्च	"	26	1	27	3.9
इतायची	"	2.26	0.36	2.62	15.9
लास	"	50	12	62	24
सम्बाकु	"	300	25	325	8.3
चाय	करोड़ पौंड	72.5	17.5	90	24.1
पशुना	हजार टन	48	32	80	67.7
खद	"	26.4	18.6	45	70.5

* अनुमान है कि सन् 1965-66 में चावल का उत्पादन 4 करोड़ 50 लाख टन, गेहूँ का 1 करोड़ 50 लाख टन, अन्य धानों का 2 करोड़ 30 लाख टन और दालों का 1 करोड़ 70 लाख टन होगा।

‡ हमने येल्ला गणित नहीं है, जिसकी तीसरी योजना में 13 लाख अतिरिक्त गॉठे उपनयम होंगे।

विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों की उत्पादन-वृद्धि का अनुमान इस अवधाय के अनुबन्ध 2 की तालिका-माला में दिया गया है।

34 उत्पादन-वृद्धि के अनुमानों के अनुसार कृषि-उत्पादन का सूचनाक (आधार: 1949-50) सन् 1960-61 के 135 से बढ़ कर सन् 1965-66 में 176 हो जाएगा। इस 5 वर्ष की अवधि में कुल वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत की होगी। ऊपर उत्पादन-वृद्धि का जो परिमाण दिखाया गया है, वह इस मान्यता पर ही सम्भव हो सकता है कि विकास-कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से जनता के व्यापक सहयोग से तथा स्थानीय जनशक्ति एवं अन्य साधनों का प्रयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा और प्रत्येक खंड में खेती के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने के लिए सघन प्रयत्न किए जाएंगे। नीचे की तालिका में पाँचों में दूसरी योजना में हुई प्रति एकड़ औसत उपज की तीसरी योजना की सम्भावित उपज के साथ तुलना की गई है

तालिका-सख्या 6
दूसरी और तीसरी योजना में औसत उत्पादन और प्रति एकड़-उपज

फसल	औसत वार्षिक उत्पादन (लाख टन)		औसत उपज (पौंड : प्रति एकड़)		दूसरी योजना की अपेक्षा	
	1956-57	1961-62	1956-57	1961-62	तीसरी योजना में प्रतिशत वृद्धि	उपज
	से 1960-61	से 1965-66	से 1960-61	से 1965-66		
खाद्यान्न	709	868	575	670	22 4	16 5
(1) चावल	293	394	807	1,029	34 4	27 5
(2) गेहूँ	93	121	662	795	30 1	20 1
तेलहन	65	86	451	500	32 3	10 9
गन्ना (गुड)	73	93	3,206	3,788	27 4	18 2
कपास (लाख गाँठें)	46	61	95	108	32 6	13 7
पटसन "	44	51	1,035	1,200	15 9	15 9

उपज में वृद्धि का अधिकांश भाग अनिवार्यतः उन क्षेत्रों से प्राप्त करना होगा, जो सिंचाई के अन्तर्गत हैं या जहाँ वर्षों निश्चित रूप से होती है, परन्तु अन्य क्षेत्रों में भी मिट्टी-संरक्षण और बाराणी खेती-द्वारा उपज में कुछ वृद्धि हो सकती है।

35 तालिका-सख्या 5 में तीसरी योजना के लिए उत्पादन के जो अनुमान दिए गए हैं, उनसे प्रति व्यक्ति-उपलब्धि में पर्याप्त वृद्धि का संकेत मिलता है। खाद्यान्नों के बारे में प्रति व्यक्ति-उपलब्धि सन् 1960-61 के 16 औंस से बढ़ कर सन् 1965-66 में प्रति दिन 17 5 औंस हो जाएगी। इसी तरह, वस्त्र की खपत 15 5 गज से बढ़ कर 17 2 गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो जाएगी। खाद्य तेलों की खपत तीसरी योजना की अवधि में 0 4 औंस से बढ़ कर 0 5 औंस प्रति दिन हो जाएगी।

36 तीसरी योजना में भूमि-प्रयोग के तरीकों में सम्भावित परिवर्तनों के बारे में जो प्राथमिक अनुमान लगाए गए हैं, उनसे पता चलता है कि बुआईवाला कुल क्षेत्र

लगभग 32 7 करोड़ एकड़ से बढ़ कर 33 5 करोड़ एकड़ और एक से अधिक बार बुआईवाला क्षेत्र 5 2 करोड़ एकड़ से बढ़कर 6 7 करोड़ एकड़ ही जाएगा। बेकार पड़े कृषि-योग्य क्षेत्र के 4.7 करोड़ एकड़ से घट कर 4 1 करोड़ एकड़ हो जाने की आशा है।

कृषि-कार्यक्रम के अन्य पहलू

37 व्यावसायिक फसलें : दूसरी योजना में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के जो लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उनकी प्राप्ति में काफी कमी रही—केवल गन्ना अपवाद रहा। इसलिए तीसरी योजना में यह आवश्यक है कि इन फसलों के—विशेषतः कपास, पटसन और तेलहन के—उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाए। छोटी सिंचाई, बीज-फार्म, पीघ-संरक्षण, आदि कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिनसे सभी प्रकार की फसलों को लाभ होता है, विभिन्न व्यावसायिक फसलों के लिए विशेष विकास-कार्यक्रम के अधीन 26 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था की गई है। योजना के आगे बढ़ने के साथ-साथ व्यावसायिक फसलों की विशेष विकास-योजना के लिए और अधिक साधन उपलब्ध करना आवश्यक हो सकता है। इन फसलों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति की दिशा में विशेष सावधानी बरती जाएगी। यह भी आवश्यक हो सकता है कि रागी के क्षेत्र को व्यावसायिक फसल में बदलने के लिए सुविधा प्रदान की जाए। उद्देश्य केवल उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करना नहीं है, अपितु उन विभिन्न किस्मों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति करनी है, जिनकी निर्यात के लिए बड़ी मांग है, या जिनसे आयात में कमी हो सकती है।

38 विभिन्न वस्तु-समितियों-द्वारा अलग-अलग व्यावसायिक फसलों के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। मुख्यतः इनमें दूसरी योजना की अवधि में अपनाए गए कार्यक्रमों के विस्तार और उन्हें अधिक जोरदार करने की बात कही गई है। इन कार्यक्रमों की कुछ बातों का, जिन पर तीसरी योजना में विशेष बल दिया जा रहा है, यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है।

यह प्रस्ताव किया गया है कि कपास के, विशेषतः लम्बे रेशेवाली कपास के—जैसे, मैसूर और केरल में होनेवाली 'सी-आइसलैंड' कपास तथा गुजरात और महाराष्ट्र की मिश्र जाति की कपास के—उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाए। तीसरी योजना के अन्त तक 'सी-आइसलैंड' कपास के क्षेत्र को वर्तमान 20 हजार एकड़ से बढ़ा कर 3 लाख एकड़ किया जाएगा।

पटसन-विकास के कार्यक्रमों की दिशा में मुख्यतः पानी में गलाने के लिए तालाबों तथा उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था करके किस्म में सुधार करना है। तन्तुदायी अन्य पूरक वस्तुओं—जैसे, मेस्ता, सीसल और रामी, आदि—के विकास पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।

तेलहन के उत्पादन में वृद्धि तीसरी योजना के गम्भीर लक्ष्यों में से एक है, जो बड़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने और जोशेष बच जाए, उसका निर्यात करने के लिए है। निर्यात के लिए अनस्पति-तेल की उपलब्धि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव है कि तीसरी योजना की अवधि में उपलब्ध विनीलों में कम-से-कम आधे विनीलों का प्रयोग तेल

निकालने के लिए किया जाए और निष्कासन-यन्त्र से बनी खसी के निष्कपण में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। अखाद्य तेलो—यथा महुआ, नीम और धान की भूसी, आदि—के विकास से सम्बद्ध समस्याओं पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।

खाद्य और कृषि-मन्त्रालय का विचार 'भसाले और काजू-समिति' की स्थापना करने का है, जो अनुसन्धान करेगी और इन फसलों के विकास के लिए पथ-प्रदर्शन करेगी। काजू के विकास-कार्यक्रम में 3 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में काजू की खेती करना भी शामिल है।

तम्बाकू के मामले में, मुख्य समस्या ऐसी किस्मों के उत्पादन की है, जिनकी विदेशों में मांग है। इसलिए वरजीनिया तथा तम्बाकू की ऐसी ही अन्य किस्मों के सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए शुद्ध बीजों की आपूर्ति, आवश्यक प्रकार के उर्वरकों की व्यवस्था, पत्तों की सावधानीपूर्ण सांठ-सम्भाल और सुखाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में उत्पादन को 3 लाख टन से बढ़ाकर 3,25,000 टन करने का इरादा है और यह वृद्धि प्रायः सम्पूर्णतः वरजीनिया तम्बाकू के उत्पादन के क्षेत्र में होगी।

39 चाय, कहुवा और रबड़ : बागानों की फसलों को—विशेषतः चाय, कहुवा और रबड़ को—तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना में चाय का नियत 4,650 लाख पौंड से बढ़ाकर 5,500 लाख पौंड करने तथा कहुवा का नियत, जो इस समय 3,40,000 हट्टरवेट है, बढ़ाकर दुगुना करने पर बल दिया गया है। हाल के वर्षों में रबड़ की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है, अभी इस खपत का अनुमान 53,000 टन है। तीसरी योजना के अन्त में रबड़ की आवश्यकता का अनुमान लगभग 1 लाख टन है। सोचा गया है कि तीसरी योजना की अवधि में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 26,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन कर दिया जाए। इसके साथ ही 15,000 टन संशोधित रबड़ और 50,000 टन कृत्रिम रबड़ का उत्पादन किया जाए। सभी बागान-फसलों के लिए बड़े पैमाने पर उर्वरक उपलब्ध किए जाएंगे। पुनः बागान लगाने के कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

40 बागवानी : दूसरी योजना की अवधि में फल-उत्पादन के विकास के लिए कई नई योजनाएं लागू की गईं। इनमें नए बाग लगाने के लिए और पुरानों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था और मालियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देना भी शामिल है। दूसरी योजना की अवधि में 1,66,000 एकड़ भूमि में नए बाग लगाए गए, 1,32,000 एकड़ के पुराने बागों को नया रूप दिया गया और 4,000 मालियों को प्रशिक्षित किया गया। इस समय फलों और सब्जियों की खेतीवाले क्षेत्र का अनुमान लगभग 60 लाख एकड़ है। इसके लगभग आधे हिस्से में फल की खेती होती है। तीसरी योजना में फल और सब्जियों के कुल कृषि-क्षेत्र के 70 लाख एकड़ तक बढ़ने की आशा है। सोचा गया है कि 2,35,000 एकड़ क्षेत्र में नए बाग लगाए जाएं और 2,50,000 एकड़ क्षेत्र के पुराने बागों को नया रूप दिया जाए। जिन योजनाओं पर पहले से काम हो रहा है, उनको जारी रखने के अतिरिक्त राज्यों की योजनाओं में पौधालाओं

और उद्यान-सन्धियों के साथ-साथ छोटे उद्यानों की स्थापना करने की भी व्यवस्था है। ये पौधे सामान्य विष्वक्नीय जाति के और जल की गारदीबाजे पीछे उपजते करने में महामता करेंगे।

सन्धियों के उत्पादन के विकास के लिए राज्यों की योजनाओं में सुपरैटू, बीजों की आपूर्ति, पीघ-संग्रहण के उपयो और तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था है। गग-सन्धियों के बीजों के प्रनापीकरण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

फलों और सन्धियों के संग्रहण के विकास के लिए नव वर्षों में फलों और सन्धियों के लिए टॉन की चादरो पर महायता-अनुदान, निर्यात किा जानेवाले मान के लिए प्रमुख चीनी पर उत्पाद-शुल्क में छूट और प्रसिधण की सुविधाओं, तकनीकी परामर्श एवं विराम-शुल्क की व्यवस्थाओं के द्वारा स्थापना दी जा रही है। पहली योजना के अन्त में फलों और सन्धियों का उत्पादन 20,000 टन था, जो दूसरी योजना के अन्त में बढ़ कर 40,000 टन हो गया। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त में यह उत्पादन 1,00,000 टन हो जाएगा।

41. सहायक खाद्य पदार्थ : सहायक खाद्य-पदार्थों में मुख्य आलू, चुकन्दर, टैपिओका और इतर सन्धिया तथा फल एवं कुछ विषादिन फलों में तीमार की गई वस्तुएं आती हैं। तीसरी योजना के कार्यक्रम में इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना भी सम्मिलित है। इनके अधिकारिष्क प्रयोग का उद्देश्य यह है कि खाद्यान्नों की लपन का जो स्वरूप है, उनमें विनिम्नता आए, तथा अनुचित आहार-सेवन में वृद्धि हो। योजना में, शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्यों के वातानुकूलित परिवहन, पानी मोलनेवाली इकाइयों की स्थापना, कौल्ड स्टोरेज के द्वारा सुरक्षण और समुचित उपयोग तथा प्रोटीन की अधिकतावाले खाद्यान्नों के विकास के कार्यक्रम भी शामिल हैं।

42. कृषि-सम्बन्धी हाट-व्यवस्था : देश में कुल बाजारों की संख्या 2,500 है। नियमित बाजारों की संख्या, जो पहली योजना के अन्त में 470 थी, दूसरी योजना के अन्त में बढ़ कर 725 हो गई। प्रस्ताव है कि तीसरी योजना में अन्य अवशिष्ट हाटों को भी नियमन की योजना के अन्तर्गत ले आया जाए। कृषि (वर्गीकरण और हाट-व्यवस्था) अधिनियम के अधीन वस्तुओं के वर्गीकरण के कार्यक्रम को भी बढ़ाया जा रहा है।

बाजार-सूचना-सेवा के अधीन इस समय 500 बाजार हैं। प्रस्ताव है कि तीसरी योजना में सूचना देनेवाले केन्द्रों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जाए, ताकि देश के सभी क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सके और बाजारों के समाचारों का प्रसार संगठित रूप से हो सके।

कृषि-हाट-व्यवस्था का एक अन्वेषिक महत्त्वपूर्ण पहलू विभिन्न स्तरों पर सहकारी हाट-व्यवस्था-संगठनों का विकास है। सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों के विस्तार के कार्यक्रम की एक पूर्ववर्ती अभ्याय में चर्चा हो चुकी है।

43. माहारण : सरकारी माहारण-क्षमता के विस्तार, गोदाम-निगमों और विभिन्न सहकारी संगठनों के कार्यक्रम दूसरी योजना में प्रारम्भ किए गए थे। इन समय केन्द्रीय सरकार की माहारण-क्षमता 25 लाख टन की है। इनमें ने लगभग एक-तिहाई पर सरकारी स्वामित्व है। प्रस्ताव है कि इन क्षमता को बढ़ा कर 50 लाख टन कर दिया जाए, जिसमें से 35 लाख टन पर सरकारी स्वामित्व हो। केन्द्रीय और राज्तीय गोदाम-निगमों के गोदामों की माहारण-क्षमता 3,50,000 टन की है। इनमें 16 लाख टन की वृद्धि की जाएगी।

इनके अतिरिक्त, सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों और प्राथमिक समितियों के गोदामों की भी क्षमता 8,00,000 से बढ़ कर 20 लाख टन हो जाने की आशा है। योजना में सरकार-द्वारा व्याघ्राओं के संग्रह के लिए अतिरिक्त गोदाम बनाने के लिए 25 करोड़ रु०, और गोदाम-कार्यक्रमों के लिए 8 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं। योजना के अवीन मूल्य-नीति को कार्यान्वित करने में भांडारण-क्षमता की व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण कदम है और इसी प्रकार के अन्य साधन, जिनकी आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराए जाएंगे।

44 कृषि-शिक्षा : कृषि-शिक्षा और अनुसन्धान के विस्तार से सम्बद्ध तीसरी योजना के प्रस्तावों पर 'तकनीकी शिक्षा' और 'वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी-विषयक अनुसन्धान' शीर्षक अध्यायों में विचार किया गया है। तीसरी योजना में कृषि-कालेजों की संख्या 53 से बढ़ कर 57 हो जाएगी तथा छात्रों की भर्ती की वार्षिक क्षमता 5,600 से बढ़ कर 6,200 हो जाएगी। योजना की अवधि में कृषि-स्नातकों की कुल आवश्यकता का अनुमान 20,000 है और इस आवश्यकता के पूरा हो जाने की आशा है।

45 दूसरी योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश के पन्तनगर (रूपपुर) में एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अन्य कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। कृषि-विश्वविद्यालयों को कृषि के विकास में विशेष भूमिका निभानी है, इस विचार को कृषि-शिदा-सम्बन्धी अनेक विशेषज्ञ-रिपोर्टों में प्रतिपादित किया गया है। इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि यदि भारत की कृषि का स्तर अन्य उन्नत देशों के समकक्ष ऊंचा उठाना है, तो परम्परागत ढंग की कृषि-शिक्षा, जो अनुसन्धान और विस्तार से अच्युत प्रकार सम्बद्ध नहीं है, पर्याप्त नहीं है—विशेष रूप से उस अवस्था में, जबकि बहुसंख्यक किसानों की, जिसमें से अधिकांश बहुत छोटे-छोटे खेतों में खेती करते हैं, समस्याएँ बड़ी पेचीदी और परिवर्तनशील हैं। कृषि-विश्वविद्यालय इस बात का प्रयत्न करते हैं कि अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों—कृषि, पशुपालन, पशु-चिकित्सा-विज्ञान, दूध-उद्योग, बुनियादी विज्ञानों और मानवीय विज्ञानों—को एक साथ उपस्थित किया जाए। मूलभूत विचार यह है कि कृषि-विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व कृषि के प्रायोगिक अभ्यापन और आधारभूत अनुसन्धान की सीमा से आगे तक विस्तृत है और विश्वविद्यालय-द्वारा सेवित क्षेत्र के किसानों के प्रति उनका एक विशेष कर्त्तव्य है—विशेष रूप से उनका कर्त्तव्य है कि वे उनके साथ काम करते हुए उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श करें, अनुसन्धान के परिणामों को उन तक पहुँचाएँ और कृषि एवं कृषि-शिक्षा के अभ्यापन, अनुसन्धान और विस्तार को एक समन्वित रूप प्रदान करें।

46 कृषि-अनुसन्धान : कृषि-अनुसन्धान के लिए योजना में 28 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है—लगभग 11 करोड़ रु० केन्द्र में और 17 करोड़ रु० राज्यों में। पहले कृषि-अनुसन्धान का काम मुख्यतः सरकारी फार्मों और अनुसन्धान-केन्द्रों तक ही सीमित रहता था और इसके परिणाम काफ़ी मात्रा में किसानों तक नहीं पहुँचते थे। विस्तार-कार्यों से अनुसन्धान-कार्यकर्त्ता किसानों के निकट सम्पर्क में आ गए हैं तथा उनके सामने कुछ नई समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं। राज्यों के अनुसन्धान-संगठनों को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। गेहूँ, चावल, रागी, कपास और तेलहन-जैसी फसलों के लिए राज्यों में किए जा रहे कार्य के अतिरिक्त क्षेत्रीय आधार पर अनुसन्धान की सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। योजना में नदी-घाटी-परियोजनाओं की सिंचाई-प्रणालियों के अध्ययन और फसलों के लिए पानी की आवश्यकताओं, नई

फसलो की अदला-बदली और सिंचाईवाले क्षेत्र में उर्वरको के प्रयोग से सम्बद्ध समस्याओं का निश्चय करने की व्यवस्था है। तीसरी योजना में अनुसन्धान के जो नए केन्द्र स्थापित किए जाने हैं, उनमें मिट्टी-विज्ञान और मिट्टी-तत्व-संस्था, चारे और घासवाली भूमि-सम्बन्धी अनुसन्धान-संस्था और विप-अनुसन्धान-संस्था भी शामिल हैं।

47 कृषि-प्रशासन . कृषि-विकास के विशाल कार्यक्रमों को देखते हुए, विगत कई वर्षों से राज्यों के कृषि-विभागों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस सम्बन्ध में 3 वर्ष पूर्व कृषि-प्रशासन-समिति ने अनेक प्रस्ताव रखे थे। इनमें विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को सुसंगठित करना, शर्तों और काम की स्थितियों पर पुनर्विचार करना, और प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसन्धान की सुविधाओं का विस्तार करना भी शामिल है। बहुत हद तक राज्यों की योजनाओं में कृषि-विभागों को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं, जिन्हें समिति की सिफारिशों के प्रकाश में तैयार किया गया है। फिर भी, राज्य-कृषि-प्रशासन को सुसंगठित करने के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हो गया है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इन्हें पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

48 सरकारी फार्म : सन् 1956 में राजस्थान के सूरतगढ नामक स्थान पर 30 हजार एकड़ क्षेत्र में एक केन्द्रीय यन्त्रीकृत फार्म स्थापित किया गया था। इसी प्रकार के अन्य सरकारी फार्म स्थापित करने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया गया है और यह प्रस्ताव रखा गया है कि तीसरी योजना में एक और यदि सम्भव हो, तो दो नए फार्म स्थापित किए जाएं।

49 कृषि-मूल्य-नीति . तीसरी योजना के लिए निर्धारित कृषि-उत्पादन के उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि उत्पादक को यह पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसके लिए जो अतिरिक्त प्रयत्न और पूंजी लगेगी, उसका उसे पर्याप्त प्रतिफल मिलेगा। गत कुछ वर्षों में देशों के मूल्यों तथा उत्पादन में जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव का उत्पादक की उत्पादन बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। सन् 1958 में पटसन के मूल्यों में गिरावट का बाद के वर्षों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। योजना की अवधि में महत्वपूर्ण अनाजों और कपास, तैलहन तथा पटसन-जैसी व्यावसायिक फसलों के काम के अनुकूल न्यूनतम मूल्यों के आश्वासन से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा, और इस प्रकार तीसरी योजना में परिकल्पित विभिन्न विकास-कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए सरकार को किन मूल्यों पर क्रय-विश्रय करना चाहिए, इसका निश्चय बुआई का मौसम आने से काफी पहले कर लिया जाना चाहिए। जहाँ निम्नतम और अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं, वहाँ वे उत्पादन की आवश्यकताओं से सम्बद्ध होने चाहिए और न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों का अन्तर भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।

50 सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियाँ किसानों को एक निश्चित सीमा तक स्थान-शक्ति प्रदान करने में—विशेषतः तब, जबकि मूल्यों में मौसमी प्रतिकूल उतार-चढ़ाव आते हैं—महत्वपूर्ण साधन हैं। इसलिए उपयुक्त स्तरों पर मुख्य कृषिजन्य वस्तुओं का क्रय-विश्रय करनेवाली सहकारी समितियाँ और सरकारी अभिकरण कृषि-लक्ष्यों तथा तीसरी योजना में निर्धारित मूल्य-नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक समर्थन के मुख्य तत्व-सङ्घ हैं।

अनुबन्ध 1

(1) तीसरी योजना में बड़ी और छोटी सिंचाई-योजनाओं से लाभान्वित होनेवाला कुल क्षेत्र

(हजार एकड़)

राज्य/संघीय क्षेत्र	बड़ी सिंचाई	छोटी सिंचाई-व्यवस्था		
		योग	कृषि-क्षेत्र	सामुदायिक विकास-क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	1,557	1,427	1,177	250
असम	79	370	220	150
बिहार	2,000	1,064	564	500
गुजरात	864	1,190	1,050	140
महाराष्ट्र	708	1,210	1,136	74
केरल	255	56	192	64
मध्य प्रदेश	850	711	536	175
मद्रास	241	578	524	54
मैसूर	876	182	142	40
उड़ीसा	946	270	120	150
पंजाब	1,301	1,029	763	266
राजस्थान	1,145	479	339	140
उत्तर प्रदेश	1,042	2,945	1,812	1,133
पश्चिम-बंगाल	488	904	812	92
जम्मू-कश्मीर	38	54	29	25
दिल्ली	—	7	6	1
हिमाचल प्रदेश	—	36	25	11
मणिपुर	—	15	14	1
त्रिपुरा	—	20	12	8
उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण	—	7	5	2
योग	12,786	12,754	9,478	3,276

(2) तीसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण और भूमि-विकास से लाभान्वित होनेवाला क्षेत्र

(हजार एकड़)

राज्य/संघीय क्षेत्र	क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण	वारानवी खेती	भूमि-पुनरुद्धार	लोनी और क्षारीय भूमि का पुनरुद्धार
आन्ध्र प्रदेश	550	2,000	229	—
असम	29	1	18	—
बिहार	288	10	75	—
गुजरात	1,179	1,200	12	45
महाराष्ट्र	5,000	3,160	24	37
केरल	70	—	—	—
मध्य प्रदेश	1,392	4,500	260	—
मद्रास	340	400	225	1
मैसूर	270	540	22	38
उड़ीसा	300	500	—	8
पंजाब	46	500	240	50
राजस्थान	178	4,850	2,000	10
उत्तर प्रदेश	1,067	4,004	10	10
पश्चिम-बंगाल	114	100	432	—
जम्मू-कश्मीर	7	—	20	—
दिल्ली	—	5	—	4
हिमाचल प्रदेश	18	20	—	—
योग	10,848	21,790	3,567	203

(3) तीसरी योजना में सुधरे हुए बीजों के अन्तर्गत
खाद्यान्न-फसलों का क्षेत्र

(हजार एकड़)

राज्य/संघीय क्षेत्र	1960-61	1965-66
बिहार प्रदेश	1,230	12,780
बंगाल	438	3,000
बिहार	2,618	11,800
गुजरात	747	3,025
महाराष्ट्र	2,931	14,538
केरल	500	1,200
मध्य प्रदेश	6,300	15,298
मद्रास	7,250	9,450
मैसूर	4,869	8,876
उड़ीसा	1,200	6,200
पंजाब	3,000	9,000
राजस्थान	4,140	17,000
उत्तर प्रदेश	18,961	29,301
पश्चिम-बंगाल	1,000	6,000
जम्मू-काश्मीर	147	240
दिल्ली	1	1
हिमाचल प्रदेश	107	395
मणिपुर	—	140
नाडिचेरी	2	9
योग	55,441	1,48,253

(4) तीसरी योजना की श्रवधि में रासायनिक उर्वरकों की खपत
(हजार टन)

राज्य/संघीय-क्षेत्र	अमोनियम सल्फेट		सुपरफास्फेट		पोटाश-म्यूरिएट	
	1960-61	1965-66	1960-61	1965-66	1960-61	1965-66
आन्ध्र प्रदेश	273	524	90	350	—	—
असम	10	60	5	25	—	—
बिहार	50	400	15	120	1	20
गुजरात	95	300	48	90	—	13
महाराष्ट्र	100	581	53	324	—	—
केरल	37	191	7	190	1	56
मध्य प्रदेश	26	200	5	40	—	—
मद्रास	150	580	60	320	12	90
मैसूर	87	300	20	320	—	11
उड़ीसा	30	200	8	50	—	2
पंजाब	40	280	2	24	—	—
राजस्थान	15	100	4	33	—	—
उत्तर प्रदेश	297	990	60	300	8	80
पश्चिम-बंगाल	40	500	25	250	—	—
जम्मू-कश्मीर	4	14	—	—	—	—
दिल्ली	1	1	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1	—	—
पाण्डिचेरी	25	25	2	5	1	6
योग	1,280	5,247	404	2,442	23	278*

*कै० प्रो० के सन्दर्भ में खपत का लक्ष्य 1,44,000 टन होना चाहिए। इसकी तुलना में पैराग्राफ 10 और 22 में दी गई कम सख्या का कारण यह है कि उसमें उन राज्यों की खपत को शामिल नहीं है, जिनकी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(5) तीसरी योजना में कार्वनिक और हरी खाद के उत्पादन को अनुमोले

राज्य/संघीय क्षेत्र	शहरी कूड़े की खाद		ग्रामीण कूड़े की खाद		हरी खाद	
	1960-61	1965-66	1960-61	1965-66	1960-61	1965-66
	(००० टन)	(००० टन)	(००० टन)	(००० टन)	(००० एकड़)	(००० एकड़)
आन्ध्र प्रदेश	262	334	9,439	12,874	3,200	4,500
असम	8	16	800	900	200	1,000
बिहार	75	177	1,000	7,756	1,095	3,095
गुजरात	118	318	246	371	10	100
मजरासु	342	417	459	1,055	22	1,022
हरा	22	55	94	269	250	1,050
मध्य प्रदेश	160	365	130	1,960	50	2,200
मजरा	400	600	1,400	3,000	3,000	6,000
मैसूर	310	425	3,000	5,380	500	750
उडिसा	20	44	2,340	13,956	1,200	7,000
पंजाब	200	400	6,100	8,900	350	1,350
राजस्थान	411	968	887	269	130	630
उत्तर प्रदेश	580	750	56,060	82,340	650	9,000
पश्चिम-बंगाल	10	100	500	7,500	1,000	3,000
गन्धार-गोरी	—	15	75	100	—	10
टिरी	5	10	—	—	2	30
मिजाना प्रदेश	—	—	120	220	28	78
मडिया	—	—	20	35	—	3
मिपूर	1	2	67	148	—	—
योग	2,987	5,056	82,737	1,48,033	11,687	40,818

अनुसूच 2
तीसरी योजना में कृषि-उत्पादन में वृद्धि का अनुमान
(1) साधारण

राज्य	1955-56		1958-59		1959-60		1960-61		तीसरी योजना में प्रतिदिन उत्पादन		तीसरी योजना के प्रतिव्यय	
	55 36	17 06	63 64	16 6	62 96	16 6	63 95	17 69	24 04	87 69	37 6	
भारत प्रदेश	55 36	17 06	63 64	16 6	62 96	16 6	63 95	17 69	24 04	87 69	37 6	
असम	17 06	51 81	68 76	59 39	59 39	59 39	62 62	20 27	20 27	21 89	23 7	
बिहार	51 81	72 55	89.28	75 07	75 07	75 07	21 16	8 31	8 31	82 89	32 4	
गुजरात	72 55	8 87	9 65	10 55	10 55	10 55	62 66	17 32	17 32	29 47	39 3	
महाराष्ट्र	8 87	76 17	92.85	90 31	90 31	90 31	4	4	4	79 98	27	
केरल	76 17	45 38	49.25	50 96	50 96	50 96	10.42	16 68	16 68	14 42	38 4	
मध्य प्रदेश	45 38	47 83	37.17	36 27	36 27	36 27	90 74	16 54	16 54	107 42	18.4	
राजस्थान	47 83	24 63	24.52	24 47	24 47	24 47	51 72	16 54	16 54	68.26	32	
उत्तर प्रदेश	24 63	47 85	60.78	53 67	53 67	53 67	38 5	10 04	10 04	48 54	26 1	
पंजाब	47 85	118 86	133 99	131 82	131 82	131 82	40	16 15	16 15	56 15	46.5	
राजस्थान	118 86	49 73	45 26	46 15	46 15	46 15	60	18 5	18 5	78 5	30 8	
उत्तर प्रदेश	49 73	4 74	5 49	4 87	4 87	4 87	50 35	16	16	66 35	31 8	
पश्चिम-बंगाल	4 74	5 32	6 86	7 15	7 15	7 15	135 39	47 45	47 45	182.84	35 1	
जम्मू-कश्मीर	5 32	755 03	717 5	769.42	769.42	769.42	52.24	14 49	14 49	66 73	27 8	
गर्भीय राज	755 03	657 91	657 91	717 5	717 5	717 5	4 83	1	1	5 83	20 5	
योग	657 91	755 03	717 5	769.42	769.42	769.42	7 15	1 05	1 05	8 2	14 7	
										1,005 47	31 6	

तीसरी पञ्चवर्षीय योजना

(2) कर्पास

								(हजार गॉन्)
गन्ध प्रदेस	128	116	115	115	60	175	52	2
ब्राम	9	6	9	9	5	14	55	6
बिहार	2	1	1	6	—	6	—	—
गुजरात	1,921	2,481	1,533	{ 1,106	294	1,400	26.6	
महाराष्ट्र				{ 1,207	328	1,535	27	2
केरल	10	8	8	5	100	105	—	—
मध्य प्रदेश	403	380	279	567	184	751	32	5
राजप	335	356	401	420	100	520	23.8	
गोवा	363	141	465	500	250	750	50	
उत्तर प्रदेश	2	2	2	2	98	100	—	—
पंजाब	605	711	800	900	300	1,200	33	3
गन्धमाल	184	145	148	200	152	352	76	
उत्तर प्रदेश	29	31	67	67	54	150	177	8
महाराष्ट्र	7	5	7	7	—	7	—	—
योग	3,998	4,686	3,835	5,098	1,967	7,065	38	6

(3) गन्ना (गुड़)

								(हजार टन)
गन्ध प्रदेस	517	661	627	627	123	750	19	6
ब्राम	66	97	97	100	20	120	20	
बिहार	292	606	653	685	45	730	6.6	
गुजरात	553	800	927	{ 98	31	129	31	6
महाराष्ट्र				{ 880	300	1,180	34	1

राज्य	तीसरी योजना में कृषि-उत्पादन में वृद्धि का अनुमान—(जारी)				(रुबार गाँव)	
	1955-56	1958-59 संतोषित अनुमान	1959-60 अन्तिम अनुमान	1960-61 अनुमानित उत्पादन	तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन	तीसरी योजना में प्रतिवर्ष वृद्धि
केरल	133	35	36	37	30	81
मध्य प्रदेश	115	89	106	163	97	59.4
गुजरात	335	384	409	400	101	25.3
हिमाचल प्रदेश	290	392	384	413	97	23.5
उत्तरांचल	92	73	73	100	130	130
पंजाब	550	725	857	780	120	15.4
राजस्थान	45	42	60	90	90	100
उत्तर प्रदेश	2,940	3,076	3,203	3,500	700	20
हरियाणा-जम्मू	131	117	128	128	59	46.1
जम्मू-कश्मीर	1	1	1	1	—	—
संघीय क्षेत्र	13	15	18	18	—	—
योग	5,979	7,113	7,579	8,020	1,943	24.2

(4) तैलहन

	तीसरी योजना में प्रतिवर्ष वृद्धि				(रुबार टन)	
	1955-56	1958-59 संतोषित अनुमान	1959-60 अन्तिम अनुमान	1960-61 अनुमानित उत्पादन	तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन	तीसरी योजना में प्रतिवर्ष वृद्धि
आन्ध्र प्रदेश	1,188	1,109	1,080	1,079	558	51.7
मद्रास	56	66	44	60	20	33.3
विहार	50	78	66	90	66	110

गुजरात } महाराष्ट्र }	1,202	1,925	1,588	{	1,050	300	1,350	28.6
	20	22	17		718	321	1,039	44.7
केरल					20	31	51	155
मध्य प्रदेश	454	621	473		561	125	686	22.3
मद्रास	870	939	945		1,050	290	1,340	27.6
मैसूर	503	574	580		700	175	875	25
उड़ीसा	65	54	54		90	110	200	122.2
पंजाब	149	186	165		185	115	300	62.2
राजस्थान	252	268	198		276	110	386	40
उत्तर प्रदेश	765	996	1,089		1,180	495	1,675	41.9
पश्चिम-बंगाल	49	55	39		40	20	60	52
जम्मू-कश्मीर	19	11	11		11	---	11	---
संघीय क्षेत्र	4	3	3		4	---	4	---
	योग 5,643	6,907	6,352		7,084	2,736	9,820	38.6

(5) पटसन

							(हजार गांठें)	
असम	1,212	989	1,114	813	400	1,213	49.2	
बिहार	589	1,243	957	839	441	1,280	52.6	
उड़ीसा	245	177	212	261	400	661	153.3	
उत्तर प्रदेश	89	95	92	89	30	119	33.7	
पश्चिम-बंगाल	2,013	2,596	2,170	1,987	840	2,827	42.3	
त्रिपुरा	50	58	60	41	40	81	97.6	
योग	4,198	5,158	4,605	4,030	2,151	6,181	53.4	

सामुदायिक विकास

परिचय

आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व जब प्रथम सामुदायिक परियोजना को प्रारम्भ किया गया था, तब सामुदायिक विकास को एक पद्धति तथा ग्रामीण विस्तार को एक अभिकरण बताया गया था, जिनके द्वारा गाव के सामाजिक और आर्थिक जीवन का कायाकल्प प्रारम्भ किया जा सकता है। इस बीच के वर्षों में सामुदायिक विकास-ग्रान्दोलन-द्वारा किन कामों का सम्पादन होना है तथा इनके द्वारा राष्ट्र को किन प्राथमिकताओं को मूर्त रूप मिलना है, इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विस्तार की परिभाषा को बड़ा कर पंचायती राज का रूप दे दिया गया है। पंचायती राज का अभिप्राय ग्राम, खड और जिला-स्तर पर परस्पर-सम्बद्ध प्रजातान्त्रिक और लोकप्रिय संस्थाओं का विकास करना है, जिनमें ग्राम-पंचायतो, पंचायत-समितियों और जिला-परिषदों के प्रतिनिधि और सहकारी मगठन विभिन्न विकास-अभिकरणों के सहयोग और समर्थन से परस्पर मिल कर और एक रूप होकर कार्य करते हैं। तीसरी योजना का एक मुख्य कार्य पंचायती राज-संस्थाओं के विकास और उनके सुचारु रूप से काम करने का आश्वासन प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र अपनी जनशक्ति तथा धन्य साधनों, सहकारी स्वावलम्बन, सामुदायिक प्रयत्नो तथा उपलब्ध साधनों और कर्मचारियों के आवार पर विकास की सम्भावनाओं का अधिकतम लाभ उठा सके।

विकास की समीक्षा

2 इस समय सामुदायिक विकास-कार्यक्रम 3,100 विकास-खंडों में, जिनकी परिधि में 3,70,000 गाव आते हैं, चल रहा है। इनमें से 880 विकास-खंडों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है तथा वे सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रविष्ट हो गए हैं। अक्टूबर 1963 तक यह कार्यक्रम देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। प्रथम दो योजनाओं में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए लगभग 240 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई थी। तीसरी योजना में 294 करोड़ रु० रखे गए हैं तथा इसके अतिरिक्त पंचायतों के लिए 28 करोड़ रु० अलग से रखे गए हैं।

3 दूसरी योजना की अवधि में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में तीन महत्वपूर्ण बातें हुईं। योजना के प्रारम्भ में 950 विकास-खंडों में कार्य हाथ में लिया गया था, इनमें से 370 सामुदायिक परियोजना-कार्यक्रम तथा 580 राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम के अधीन थे। उस समय मगठन की जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार प्रत्येक खड को पहले राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम के अधीन लिया जाता था, इस कार्यक्रम के लिए 4,50,000 रु० का बजट बनाया गया था। कुछ समय के बाद, जो एक वर्ष से दो वर्ष तक होता था, राष्ट्रीय विकास-परियोजना के कुछ भाग को सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन ले

लिया जाता था, जिसके लिए 15 लाख ६० का वजट था। इस प्रकार राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास को एक ही कार्यक्रम से सम्बद्ध दो सोपान समझा जाता था। योजना-परियोजना-समिति-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल ने सन् 1957 में कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा उसकी सिफारिश पर सामुदायिक विकास की एक ही योजना को स्वीकार किया गया तथा इसको पाच-पाच वर्षों के दो चरणों में बांट दिया गया। प्रथम चरण में प्रत्येक खंड के लिए 12 लाख ६० और दूसरे चरण में 5 लाख ६० की राशि निर्धारित की गई। इन परिवर्तनों के साथ यह भी निश्चय किया गया कि इस कार्यक्रम को देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की अवधि को तीन वर्षों के लिए बढ़ा कर अक्टूबर 1960 से अक्टूबर 1963 कर दिया जाए।

4 दूसरी महत्वपूर्ण बात पंचायती राज की स्थापना है। अनेक वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि ग्रामीण विकास का काम केवल द्रुतगति से ही नहीं, अपितु स्थानीय प्रयत्नों और साधनों के आधार पर करना है, तो यह अनिवार्य और आवश्यक है कि ग्राम-स्तर पर पंचायतों के अतिरिक्त जिला और खंड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना की जाए। प्रथम योजना में मोटे तौर पर इस दिशा का निर्देश भी किया गया था। दूसरी योजना में स्पष्ट रूप से जिले में प्रशासन के एक सुसंगठित प्रजातान्त्रिक ढांचे के स्वरूप को बताया गया, जिसमें ग्राम-पंचायतें उच्च स्तर पर लोकप्रिय संगठनों से एकांगी भाव से सम्बद्ध होंगी। और अधिक अध्ययन होने तक योजना में जिला-विकास-परिषदों और खंडों में विकास-समितियों की स्थापना का अन्तरिम प्रस्ताव भी है। योजना-परियोजना-समिति-द्वारा नियुक्त अध्ययन-दल की सिफारिशों पर जिनमें 'प्रजातान्त्रिक विकेंद्रीकरण' की पद्धति का समर्थन किया गया है, राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने जनवरी 1958 में विचार किया। परिषद् ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी प्रजातान्त्रिक ढांचे का आधार गानों में प्रजातन्त्रवाद होना चाहिए। जिन दो संगठनों ने ग्रामीण प्रजातन्त्र को कारगर रूप से सम्भव बनाया है, वे हैं ग्राम-पंचायतें और ग्रामीण सहकारी समितियां। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम कदम यह होना चाहिए कि ग्राम-स्तर पर आवश्यक संस्थाओं का जाल बिछा दिया जाए। जिला, खंड और ग्राम-स्तर पर प्रजातान्त्रिक संगठनों को जिले में विकास-प्रशासन के परस्पर-सम्बद्ध ढांचे का एक अंग समझना चाहिए। इसलिए परिषद् ने जिला और खंड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक संगठनों की स्थापना के लक्ष्य को सम्पुष्ट कर दिया और यह सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य इस ढांचे के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार काम करे। गत तीन वर्षों की अवधि में पंचायती राज को लागू करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, असम, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान-राज्यों में कानून बनाए गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी राज्य-विधान-सदलोंने ने इस सम्बन्ध में कानून पास कर दिए हैं। बिहार में इस प्रकार के कानून पर विचार जारी है, और महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष समितियों ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर दिए हैं तथा उनकी रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। यह सब प्रगति उस आम दिशा का फलितार्थ है, जिसको गत दस वर्षों से प्रजातान्त्रिक परिस्थितियों में ग्रामीण विकास का आधार समझा जाता रहा है और जो आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है।

5 सामुदायिक विकास का तीसरा पहलू, जिसने बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है, वह प्रस्ताव है, जिनमें जिले के नाथ-साथ खंड भी आयोजन और विकास

की एक-इकाई के रूप में काम करेगा। यह सुझाव दिया गया है कि निम्न क्षेत्रों में राज्य-सरकारें तीसरी योजना के लिए अपने प्रस्ताव जिला और खंड की योजनाओं के आधार पर बनाए

- (1) कृषि, छोटी सिंचाई-योजनाएँ, भूमि-नरक्षण, ग्रामों के वन, पशुपालन, दूध-उद्योग,
- (2) सहकारी समितियों का विकास,
- (3) ग्रामोद्योग,
- (4) प्राथमिक शिक्षा, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए विद्यालय-भवनों की व्यवस्था,
- (5) गावों में जल-सम्भरण और न्यूनतम सुविधाओं का कार्यक्रम, जिसमें ऐसी सड़कों का, जो निकटतम गाँव, सड़क या रेलवे-स्टेशन को मिलाने-वाली हों, निर्माण भी शामिल हो, और
- (6) ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए निर्माण-कार्य।

यद्यपि अनेक राज्यों में कृषि के लिए विशेष रूप से खंड-योजनाएँ बनाई गई हैं, फिर भी मुख्यतः राज्यों की योजनाएँ स्थानीय योजनाओं से स्वतन्त्र रूप में तैयार की गई हैं। इसमें यही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय योजनाएँ पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में एक स्पष्ट भूमिका वें, इसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिन पृष्ठभूमि में तीसरी योजना का निर्माण किया गया है, उसमें यह बात महत्त्वपूर्ण है कि स्थानीय योजनाओं को इस ढंग से बनाया जाए कि वे राज्य-योजना की पूर्ति में एक साधन का काम कर सकें।

6 जिले की योजना के ग्राम ढांचे में, खंड-योजना का लक्ष्य खंड में की जानेवाली समन्त सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को समाविष्ट करना है। इसके लिए (1) खंड और ग्राम-स्तरो पर स्थानीय रूप से आयोजन के लिए पहल, और (2) खंड में किए जानेवाले विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों का योजना से समन्वय आवश्यक है। निम्नलिखित कुछ मुख्य गतिविधियाँ खंड-योजना की परिधि में आती हैं

- (1) विकास की स्थिति के अनुसार सामुदायिक विकास-खंड के वज्र-कार्यक्रम में निर्धारित विषय,
- (2) विभिन्न विभागों के वज्र में सम्मिलित विषय, जिन्हें खंड-संगठन के माध्यम से पूरा किया जाना है,
- (3) कानून-द्वारा निर्धारित दायित्वों के अनुसार स्थानीय समाज या उससे लाभ उठानेवालों द्वारा किए जानेवाले कार्य,
- (4) गट में किए जानेवाले ऐसे निर्माण-कार्य, जिनमें अकुशल या अर्द्धकुशल मजदूरों की ही आवश्यकता पड़ती है, और
- (5) विभिन्न क्षेत्रों के विकास-कार्यों के लिए स्थानीय जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से गट या गट-संगठनों-द्वारा प्रारम्भ किए गए अन्य कार्य।

7 ऊपर बताया गए तीनों पहलुओं—सामुदायिक विकास-खंडों के विस्तार-कार्य, प्रजातान्त्रिक संगठनों की स्थापना और क्षेत्र तथा ग्राम की योजनाओं का निर्माण एवं उनके परिपालन का बड़ा निकट सम्बन्ध है। विस्तार-कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रत्येक खंड में ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं का एक समूह तथा कृषि, पशुपालन, सहकारिता, ग्रामोद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल है, जो विकास-खंड-अधिकारी के नेतृत्व में मिल कर काम करते हैं। जिला-स्तर के वरिष्ठ विशेषज्ञों के समर्थन एवं निर्देशन में ये विस्तार-कार्य करनेवाले वर्ग खंड में पंचायत-समितियों और गावों में पंचायतों और ग्राम-सभाओं के लिए कार्य करते हैं। ये कार्यकर्ता चुने हुए प्रतिनिधियों की, स्थानीय जन-समुदायों के अधिकतम भाग लेने और स्थानीय जनशक्ति और साधनों के अधिकतम प्रयोग के आधार पर खंड और ग्रामों के लिए तकनीकी दृष्टि से ठोस योजनाओं के निर्माण एवं उनके परिपालन में सहायता देते हैं।

कृषि-विस्तार

8 सामुदायिक विकास-संगठन को जो मुख्य विस्तार-कार्यक्रम सौंपे गए हैं, वे कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामोद्योगों के बारे में हैं। ग्राम-मेंबकों से यह आशा की जाती है कि वे अपना अधिकतम समय और शक्ति इन्हीं कामों में लगाएंगे। तीसरी योजना में कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में जिन कामों का सम्पादन होना है, वे अत्यधिक विद्याल है। कृषि-उत्पादन को लगभग 30 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है, और खड़ी-द्वारा ही बढ़ी संख्या में छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों, छोटी और बड़ी सिंचाई-योजनाओं से सिंचाई का लाभ उठाने, भूमि-संरक्षण, और वारानी (विना पानी के) खेती में उर्वरकों का प्रयोग, और स्थानीय गोबर-कचरे की खाद के विकास आदि के कार्यक्रमों को पूरा किया जाना है। सहकारिता के कार्यक्रम में सहकारी अभिकरणों के माध्यम से कृषि-ऋणों को तीन-गुना करने को कहा गया है। कृषि-उत्पादन में वृद्धि केवल ग्राम-स्तर पर सगठित सचन प्रयत्नों-द्वारा ही सम्भव है। सहकारी ऋणों की वृद्धि के लिए भी यह आवश्यक है कि नीचे से ही सहकारी आन्दोलन को सगठित किया जाए तथा ग्राम के सभी परिवारों को सहकारी समितियों की परिधि में ले आया जाए। इस बात का भी आश्वासन होना चाहिए कि ऋण उत्पादन और हाट-व्यवस्था के बीच एक कड़ी के रूप में है। इस प्रकार इस समय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन की आधारभूत समस्या ग्राम-स्तर पर कृषि-प्रयत्नों को सगठित करना है। उत्पादन-वृद्धि के लिए ग्राम-समुदाय को सगठित करने में जितनी प्रगति होगी, तदनुसार ही गाव की अन्य समस्याओं के समाधान में सुविधा होगी और अन्य दिशाओं में भी—विशेषतः ग्रामीण उद्योगों और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था में—दुत विकास हो सकता है। कृषि-उत्पादन में प्रगति इतने महत्त्व की है कि तीसरी योजना के तारतम्य में सामुदायिक विकास-आन्दोलन की मुख्य कसौटी उसका कृषि-विस्तार-अभिकरण के रूप में व्यावहारिक रूप से कारगर होना है। इसलिए सामुदायिक विकास-संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह इस दृष्टि से अपने को सबल बनाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए और यथासम्भव अधिकतम स्थानीय प्रयत्नों के आधार पर कृषि-उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति को अपनी जिम्मेदारी समझे। इसके साथ ही कृषि-विभाग और कृषि-उत्पादन से सम्बद्ध

अन्य विभागों का भी यह कर्तव्य है कि वे जिला और खड्ग-स्तर पर सामुदायिक विज्ञान-मण्डल को आवश्यक अधीक्षण, निर्देशन, सम्भरण, प्रशिक्षित जनगणित, तथा अन्य जरूरी साधन आदि मुहैया करें।

ग्रामीण उत्पादन-योजनाएं

9 गांव के नमी कुपको को कृषि-प्रयत्नों में सम्मिलित करने और स्थानीय समुदाय के साधनों को समुचित रूप से गतिशील बनाने का मुख्य माधन ग्राम-उत्पादन-योजना है। ग्राम-स्तर पर कृषि-उत्पादन के मुख्य तत्त्व ये हैं

- (1) मिर्चाई-भुविवाधों का पूरा उपयोग (इसमें लाभ उठानेवालों-द्वारा रजवाहों का ठीक रख-रखाव भी शामिल है), सामुदायिक सिंचाई-निर्माण-कार्यों का रख-रखाव और मरम्मत तथा पानी के उपयोग में मित-व्ययिता,
- (2) दोहरो-तिहरी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि ;
- (3) सुधरे हुए बीजों को बढ़ाना तथा सभी किसानों में उनका वितरण,
- (4) रासायनिक उर्वरकों का सम्भरण,
- (5) कचरे से खाद तैयार करने और हरी खाद के कार्यक्रम,
- (6) भूमि-मरझण, कट्टर बाध, बारानी (बिना पानी के) खेती, पानी की निकासी, परती भूमि को ठीक करना, वनस्पति-संरक्षण आदि के रूप में सुधरे हुए कृषि-तरीकों को अपनाना,
- (7) सामुदायिक महयोग तथा व्यक्तिगत आहार पर गावों में नए छोटे मिर्चाई-कार्यक्रम आरम्भ करना,
- (8) परिष्कृत कृषि-औजारों को लागू करने का कार्यक्रम,
- (9) मक्खियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम,
- (10) कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन और दूध-उत्पादनों के विकास का कार्यक्रम,
- (11) पशु-नस्ल-मुधार—जैने भाडों का रख-रखाव और निरूपयोगी साडों को बधिया करना,
- (12) गाव में ईंधन के काम आनेवाले पेडों तथा चरागाहों के विकास का कार्यक्रम।

10 ग्राम-उत्पादन-योजना में दो मुख्य कार्यक्रम हैं (अ) ऋण देना, गाद और सुधरे बीज मुहैया करना, वनस्पति-मरझण के लिए सहायता देना, और छोटे मिर्चाई-कार्यक्रम आदि, जिनके लिए कुछ महायत्ना गाव के बाहर से आएगी, और (आ) बड़ी परिव्योजनाओं में नेतों में पानी देने के लिए नालिया जोड़ना, बाधों और लेतों में पानी देनेवाली नालियों को देखभाल करना, कट्टर बाध बनाना, गावों के तालाबों को मोदना तथा उनको निगरानी, स्थानीय खाद एवं माधनों का प्रयोग और विकास, गावों के लिए ईंधन के पेडों को लगाना आदि ऐसे कार्यक्रम, जिनके लिए ग्राम-समुदाय

और इनसे लाभ उठानेवालों के ही प्रयत्न आवश्यक है। ग्राम-उत्पादन-योजना की सफलता मुख्यतः ऋण और सम्भरण के कुशल संगठन तथा विस्तार-कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए तकनीकी परामर्श की उपयोगिता पर निर्भर करती है। ऊपर बताया गए दूसरे कार्यक्रम के लिए ग्राम-समुदाय का उत्साह और सहयोग उभी मात्रा में होगा, जिस पैमाने पर उन्हें सेवाएँ प्रदान की जाएगी। जून 1960 में सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय ने राज्य-सरकारों को इन्हीं बातों के आधार पर कुछ प्रस्ताव भेजे थे, तथा अनेक राज्यों ने उसी प्रकार के आदेश सम्बद्ध विभागों को भेज भी दिए हैं। फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कृषि-विभाग में एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में ग्राम-उद्योग-योजनाएँ प्रस्थापित हो गई हैं, या इनमें सम्बद्ध अनेक व्यावहारिक समस्याएँ हल हो गई हैं। तीसरी योजना के विस्तार के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाना है वह ग्राम-उत्पादन-योजनाओं के निर्माण के विचार को मूर्त रूप देना है जिससे सभी कृषकों को एक सामान्य प्रयत्न के लिए एकत्र किया जा सके और इसके साथ ही व्यक्तिगत किसानों को कुशल और संगठित रूप से ऋण, सम्भरण तथा अन्य जरूरी सहायता प्रदान की जा सके। तीसरी योजना में छोटी सिंचाई-योजनाओं और भूमि-संरक्षण के लिए पर्याप्त साधन प्रदान किए गए हैं, बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद के सम्भरण का आश्वासन दिया गया है, तथा पौध-संरक्षण, सुघरे हुए कृषि-उपकरणों, तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए साधनों की व्यवस्था है। बीजों के लिए फार्म स्थापित करने का कार्यक्रम काफी आगे बढ़ गया है तथा अब यह कुछ आसान हो गया है कि गावों में सुघरे बीजों की जितनी मात्रा चाहिए, उसको कई गुना बढ़ाया जा सके। इस प्रकार तीसरी योजना में ग्राम-उत्पादन-योजनाओं के सफल सम्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न तत्त्वों की व्यवस्था की गई है।

पंचायती राज

11 जिला और खड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक सस्थाओं की स्थापना से, तथा ग्राम-सभाओं और ग्राम-पंचायतों को जो काम सौंपा गया है, उससे जिला-प्रशासन के ढांचे में और ग्रामीण विकास के स्वरूप में आधारभूत और दूरगामी परिवर्तन हो गया है। इनका महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि, राज्य-सरकारों के निर्देशन और अवीक्षण में, ग्राम-विकास-कार्यक्रम के परिपालन का उत्तरदायित्व गावों में ग्राम-पंचायतों के साथ खड-पंचायत-समिति और जिला-स्तर पर जिला-परिषद् का होगा। इन सस्थाओं को कार्य करते हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, अतः ये केवल अभी यही बता सकती हैं कि किन समस्याओं पर सावधानी से ध्यान देने की आवश्यकता है। इन पर विचार करते हुए कुछ पहलुओं पर बल देना जरूरी है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र की जनता को सारी जनसंख्या के हित में सधन और सतत विकास प्राप्त करने में सहायता करना है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे पंचायती राज के विकास को अपने अधिकार के प्रयोग का अवसर न समझ कर, जनता की सेवा के लिए नए-नए अवसरों की प्राप्ति समझें। पंचायती राज की परिभाषा इससे सम्बद्ध गैर-सरकारी और प्रजातान्त्रिक संगठनों के लिए सीमित नहीं है। प्रशासन की ग्राम योजना में एक विशिष्ट स्तर के दायित्वों और कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए पंचायती राज में प्रजातान्त्रिक सस्थाओं और विस्तार-सेवाओं, दोनों का समावेश है जिनके

द्वारा विकास-कार्यों का सम्पादन होता है। यह और ग्राम-स्तर के विस्तार-समर्पणों पंचायत-समितियों के अधिकार क्षेत्र में काम करने पर भी एक व्यापक प्रशासन और तकनीकी व्यवस्था के अग्रभूत होते हैं, जिनका क्षेत्र जिला और उसमें भी परे होता है। पंचायती राज की स्थायी सफलता के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकार-द्वारा प्रदत्त तकनीकी और प्रशामनात्मक सेवाओं के डाचे की अग्रगण्यता का और उनके जो कर्तव्य तथा दायित्व हैं, उनको पूरा करने की योग्यता का, ज्ञान और अनुभव को जिला और खड-स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचाते समय पूरा करोता होना चाहिए। यह भी सर्वाधिक महत्व को बात है कि राज्य और जिला-स्तरो पर तथा ईक, ग्रन्थ-विग्रन्थ, प्रक्रिया, वितरण और शिक्षा तथा प्रतिक्षण के क्षेत्र में काम करनेवाले मधोय सहकारी संगठनों के विशिष्ट कार्यों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की जाए। विभिन्न सहकारी संगठनों-द्वारा उत्तरदायित्व के बड़े काम हाथ में लिए गए हैं, तथा सहकारी आन्दोलन की दिशा और सिद्धान्तों के अनुरूप उन्हें पूरा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की अभी शुरुआत है, तथा इन दिशा में बड़ी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इन नई नस्याओं का तथा प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित नए सम्बन्धों का उद्देश्य अपने साधन-स्रोतों की सीमाओं के अनुसार इन सम्भावनाओं को अधिकतम रूप से मूर्त रूप देना है। इस पहलू को देखते हुए निम्न कुछ मुख्य कर्तव्य हैं जिनके आधार पर समय-समय पर पंचायत-राज की सफलता को परखा जा सकता है।

- (1) तीसरी योजना में उच्चतम राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कृषि-उत्पादन,
 - (2) ग्रामीणों का विकास,
 - (3) सहकारी नस्याओं का विकास,
 - (4) स्थानीय जनशक्ति एवं अन्य साधनों का भरपूर उपयोग,
 - (5) शिक्षा और वयस्क-साक्षरता की सुविधाओं का विकास,
 - (6) पंचायती राज-सस्याओं को उपलब्ध साधनों का—यथा वित्त, कर्मचारी, तकनीकी सहायता तथा उच्च स्तर पर प्राप्त होनेवाली अन्य सुविधाओं का अधिकतम उपयोग,
 - (7) ग्राम-समाज के आर्थिक दृष्टि से निचले वर्गों की सहायता,
 - (8) अधिकार का क्रमशः वितरण और स्वयंसेवी संगठनों के कार्य पर विशेष बल,
 - (9) व्यापक शिक्षा तथा कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के स्पष्ट निर्धारण के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों में सद्भाव और तालमेल, तथा अधिकारियों और गैर-अधिकारियों की योग्यता में क्रमशः वृद्धि,
 - (10) समाज में समस्तरता और पारस्परिक सहयोग एवं सहायता।
12. अब तक जो थोड़े-से अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार पंचायती राज-सस्याओं के कारगर और सफल संचालन के लिए निम्न सुझाव रखे गए हैं।
- (1) सस्याओं को उच्च स्तर पर विकसित करते समय भी, ग्राम-स्तर पर पंचायत-समाजों और पंचायतों के काम पर अत्यधिक बल जारी रहना चाहिए। ग्राम-स्तर पर ही जनता को संगठित किया जाना चाहिए तथा यही सामुदायिक प्रयत्नों को प्राप्त करने का क्षेत्र बड़ा व्यापक है।

ग्राम-सभा और ग्राम-पंचायत, दोनों में ही प्रत्येक काम के लिए सर्व-सम्मति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न कार्यों को ग्राम-समुदाय को ग्राम सहायता और सहभागिता में प्रारम्भ किया जा सके।

- (2) जिला-स्तर के तकनीकी अधिकारियों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वे जल-स्तर के विस्तार-अधिकारियों और पंचायत-समितियों को निर्माणाधीन पर पहुँचने में पूर्व कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रारम्भिक तैयारी में परामर्श व सहायता दे। दूसरी ओर, पंचायत-समितियों को इस प्रकार की सहायता के प्रयत्न और उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस समय खड-स्तर के विस्तार-कर्म-कारियों की एक बड़ी समस्या को उतना अनुभव नहीं है जितना होना चाहिए, परन्तु वे जिला-स्तर के अधिकारियों से आवश्यक निर्देश व सहायता प्राप्त कर अर्थात् कार्य कर सकते हैं।
- (3) जल-विस्तार-दल, जिसमें जल-विस्तार-अधिकारी और विकास के विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार-अधिकारी हैं, जिस ढंग से काम करते हैं, यह पंचायती राज की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्त्व का है। पंचायत-समितियों को ठोस सहायता देने के लिए, इन अधिकारियों को एक रूप होकर काम करना चाहिए। जल-विकास-अधिकारी को आवश्यक समर्थन और नेतृत्व प्रदान करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार-अधिकारियों को पंचायत-समितियों और उनकी स्थायी समितियों के विचार के लिए कार्यक्रमों और योजनाएँ बनाने में सक्षम रूप में भाग लेना चाहिए, नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप में उन पर अमल कराना चाहिए तथा इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि आवश्यक सेवाएँ और सम्भरण कुशलतापूर्वक सगठित होंगी। ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं के कार्य का पर्याप्त अन्वेषण आवश्यक है। इस बात की मावधानी बरतनी चाहिए कि खड-विकास-अधिकारी और विस्तार-अधिकारीगण, प्रधान कार्यालयों में हर वाद-विवाद में न पड़ कर, खड-क्षेत्र में व्यापक दौरा करें।
- (4) पंचायत-समितियों के कार्य में मावधानीपूर्वक विचार की गई खड-योजनाओं को तैयार करने तथा उनके परिपालन पर बल दिया जाना चाहिए। इनमें तथा ग्राम-योजनाओं में ही जोरदार और निरन्तर विकास को दिशा में आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। तकनीकी रूप में सुविचारित खड और ग्राम-योजनाओं में तदर्थ निर्णयों और स्थानीय दबाव को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी।
- (5) पंचायती राज की स्थापना में राज्यों के तकनीकी विभागों का उत्तर-दायित्व बहुत बढ गया है। इन्हें विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम-पर्य-प्रदर्शन व अनुभव प्रदान करना चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, और

पंचायत-राज-द्वारा उन पर मौपे गए भारी उत्तरदायित्वो को पूरा करने में सहायता देनी चाहिए।

- (6) पंचायती राज-मस्याओं की सफलता को निर्विघ्न बनाने का मुख्य दायित्व जिले के कलक्टर का होगा। उसका यह कर्तव्य है कि वह जिला-स्तर पर जिला-परिषद् और विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी अधिकारियों में समन्वय स्थापित करे, तकनीकी अधिकारियों, पंचायत-समितियों और खड-स्तर पर विस्तार-अधिकारियों में निकट सम्पर्क कायम करे और राज्य-स्तरीय विभागों ने तकनीकी परामर्श और निर्देशन निरन्तर मिलते रहने की व्यवस्था करे। कलक्टर के काम का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रजातांत्रिक मस्याओं और सरकारी सेवाओं में दिन-प्रति-दिन के कामों में ठीक परम्पराओं को विकसित करने में और सामान्य ध्येय की पूर्ति में उनके योगदान पर आधारित प्रशंसात्मक मन्त्रव्यो को स्थापित करने में सहायता देना होगा।

13 सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के सफल सम्पादन में विभिन्न तकनीकी विभागों को मगन्वित रूप से इकट्ठे मिल कर काम करना होगा। यदि हम बहुमत्यक कृषको को अनुमन्वान के परिणामों का लाभ उठाने में और वैज्ञानिक ढग से खेती करने में सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि उन्हें ठीक समय पर तकनीकी परामर्श, और मुबरे हुए औजार, बीज, उर्वरक और ऋण मुह्य्या किए जाए। इन जटिल किन्तु महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी सरकारी अभिकरणों और मन्त्रद सगठनों की जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार निश्चित कर दिया जाए, और उच्च तकनीकी अधिकारियों-द्वारा आवश्यक निर्देशन और अधीक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्वो के बारे में भी कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इन मामलों में ऊपर से लेकर ग्रामीण इकाइयों तक उत्तरदायित्वो की एक अखंडित व्यवस्था होनी चाहिए।

ऊपर सरकारी अभिकरणों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। गैर-सरकारी नेताओं के कार्य निम्न होने चाहिए

- (1) जन-सहयोग प्राप्त करना और जनता को कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना,
- (2) ग्राम-पंचायतों और सहकारी समितियों को उनके कामों में सहायता प्रदान करना,
- (3) ग्रामीण नेताओं तथा दूसरे लोगों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों में सहायता देना,
- (4) स्थानीय जनमन्वित का प्रयोग करते हुए नमाज के नाम के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करना, और
- (5) नमाज के निम्न वर्ग के कल्याण-कार्यों को बढ़ाना।

जिला-प्रशासन का पुनर्गठन

14 पंचायती राज की स्थापना से जिला-प्रशासन के पुनर्गठन का व्यापक प्रश्न उठता है। इस बात को भली-भांति नहीं समझा गया कि गत दशब्दी में जिला-

प्रशासन में जो परिवर्तन किए गए, वे बड़े अव्यवस्थित थे। जब सामुदायिक विकास-कार्य को हाथ में लिया गया, तब परम्परागत जिला-प्रशासन पर विना किसी उपयुक्त सम्पर्क श्रृंखला के, विस्तार-संगठन को थोप दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक जिलों में निम्न संगठन विना किसी तालमेल के समानान्तर रूप से कार्य कर रहे हैं।

- (1) राजस्व-प्रशासन, जो तकावी, ऋण देने और ऋणों की प्राप्ति आदि-जैसे विकास के विशिष्ट कार्यों की देखभाल करता है,
- (2) जिला, तालुका और अन्य स्तरों पर स्थापित विकास-विभाग,
- (3) ग्राम-स्तर पर पंचायतों और सहकारी समितियों में सम्बद्ध खड-अधिकारियों और ग्राम-मेवको-सहित सामुदायिक विकास-संगठन, और
- (4) स्थानीय बोर्ड (जहाँ उन्हें अभी समाप्त नहीं किया गया है।)

पंचायती राज की स्थापना से पंचायत-समितियों के कार्यों में सामुदायिक विकास के तथा अन्य ऐसे कार्य जो अब तक स्थानीय बोर्डों के थे, समाविष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें अभी तक एक ही काम दो संगठनों का हो गया है, अतः यह आवश्यक हो गया है कि जिला-प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए तथा कर्तव्यों और सम्बन्धों को नए सिरे में स्पष्ट किया जाए।

निम्न वर्ग और रोजगार की समस्या

15 सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के बारे में समय-समय पर मूल्यांकन-प्रतिवेदनों में तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि इन कार्यक्रमों से होनेवाले लाभ ग्राम-समाज के कम सीमाश्रमणी वर्ग तक उचित रूप में नहीं पहुंच रहे हैं। हाल के अध्ययन-प्रतिवेदन में इस दिशा में कुछ सुधार का उल्लेख है। सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल आजकल इस बात का अध्ययन कर रहा है कि किस प्रकार और किस सीमा तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम समाज के निम्न वर्ग के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ा सकते हैं। इस समस्या पर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास की पृष्ठभूमि में ही विचार किया जाना चाहिए। निम्न वर्ग का कल्याण गरीब ग्राम-समाज के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, और यदि देखा जाए तो ग्राम-समाज का बड़ा भाग ऐसे लोगों का है, जिन्हें आर्थिक दृष्टि में अन्नत कहा जा सकता है। वर्तमान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की मुख्य कमजोरी कम आय, कम उत्पादकता, और निरन्तर रोजगार न मिलना है। जब तक सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था ही पर्याप्त गति में नहीं बढ़ती, तब तक ग्राम-समाज के किन्हीं वर्ग-विशेष की अथवा निम्न वर्ग की समस्याओं को मुलजाना कठिन है। मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि अधिक उत्पादक कृषि अर्थ-व्यवस्था को स्थापित किया जाए तथा गांव में बड़ी मात्रा में कृषि-भिन्न पेशों को प्रारम्भ किया जाए जिसमें उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो। इसके साथ ही सभी कार्यों में कम सीमाश्रमणी वर्ग की आवश्यकताओं के प्रति अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

16 सामुदायिक विकास और ग्रामदान-आन्दोलन में गत तीन वर्षों में अधिक-अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किए गए, उनमें दोनों के समान लक्ष्य पर अधिक बल दिया गया है। इनमें एक ग्राम-समाज-द्वारा अपने सभी सदस्यों के कल्याण

रोजगार और आजीविका का उत्तरदायित्व स्वीकार करना भी है। गाव के निम्न वर्ग की दृष्टि से यह लक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

17 खड-भगठन पहले ही बनाए गए भूमि-सुधार-कानूनों के परिपालन में जनमत को तैयार कर, तथा जनता को उसके कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति प्रशिक्षण देकर, महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। अन्य ऐसे कदम जिन्हें खड-भगठन निम्न वर्ग की जनता के अविलम्ब लाभ के लिए उठा सकता है, ग्रामों में सहायक रोजगार में वृद्धि करना, ग्रामोद्योगों और ग्राम के कारीगरों की उत्पादकता को बढ़ाना, श्रमिकों की सहकारी समितियों को मजबूत करना, और क्षेत्र की जनशक्ति और साधनों के अधिकतम मन्भव प्रयोग को प्रोत्साहित करना आदि हैं। ग्रामों के निर्माण-कार्यक्रम का, जिनसे तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 25 लाख लोगों को, विशेषतः उस समय जबकि खेतों आदि में कोई काम नहीं रहता है, रोजगार मिल सकेगा, परिपालन बहुत हद तक नामुदायिक विकास-भगठनों-द्वारा ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पहले उन क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जाएगा जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और अर्ध-रोजगारी भी व्यापक पैमाने पर है। इसके बाद इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक अत्यधिक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है जिसमें न केवल अतिरिक्त रोजगार ही उपलब्ध होगा, अपितु स्थानीय जनशक्ति के अधिकतम मन्भव प्रयोग पर और स्थानीय जन-समुदाय के प्रयत्नों एवं सहयोग पर नए विचारों में धन देते हुए नामुदायिक विकास-कार्यक्रमों को पूरा किया जा सकता है।

पशुपालन, दूध-उद्योग और मछली-उद्योग

इस कुछ वर्षों में पूरक और उपसगी खाद्यान्न के, विशेषकर प्रोटीनो के, उत्पादन को बढ़ाने की अधिकाधिक जरूरत महसूस की गई है। इन चीजों की माग वडी तेजी से वडी है और आमदनी में वृद्धि होने के कारण भविष्य में सम्भवत और भी तेजी से वडेगी। दूध और दूध में बनी चीजो, भोज्य पक्षियों, अंडो और मांस की आपूर्ति बढ़ाना अन्तत पशुपालन-विकास की प्रगति पर ही निर्भर करता है। मछली-उद्योग के विकास के सिलमिले में महत्वपूर्ण पणिगाम पहले ही प्राप्त किए जा चुके है, लेकिन अब भी बहुत-कुछ करना बाकी है।

पशुपालन

2 पशुपालन का विकास विविधतापूर्ण खेती की सुचारु पद्धति का ही एक अभिन्न अंग है। मिली-जुली खेती पर जोर दिया जाएगा। इन पद्धति में भूमि, श्रम और पूजी के सही और किफायती इस्तेमाल के लिए फल उगाने और पशुपालन का काम समन्वित ढग में किया जाता है। कृषि के उप-उत्पादनों के पूरे उपयोग, भूमि की उर्वरता बनाए रखने, कृषको को वारहों महीने पूरा रोजगार देने तथा श्रामीणो की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती और पशुपालन का समेकन आवश्यक है।

3 मन् 1956 की पशु-गणना के अनुसार, देश में कुल 30 करोड 60 लाख फार्म-पशु थे। इनमें से 15 करोड 90 लाख गाए और 4 करोड 50 लाख भैंसे थी। इन दोनों को मिला कर देखे, तो दुनिया के गोजातीय पशुओं का एक-चौथाई हिस्सा भारत में है। इनके अतिरिक्त, 3 करोड 90 लाख भेड़ें, 5 करोड 50 लाख बकरिया, 80 लाख अन्य पशु तथा 9 करोड 50 लाख कुक्कुट थे। भारत में पशुवन की उत्पादकता आम तौर पर कम है। हालाकि कुछ नस्लो के मवेशी काफी दूध देते हैं और अन्य नस्लो के मवेशियों की उत्पादकता में भी इतर कुछ वृद्धि होने के संकेत मिले है, फिर भी भारत में औसत उत्पादन अभी बहुत कम है। इस प्रकार, एक व्यात में गाय औसतन 400 पौंड के करीब और भंस 1,100 पौंड ने कुछ अधिक दूध देती है, जब कि पश्चिम के उन्नत देशों में यह औसत परिमाण लगभग 5,000 पौंड या इससे भी कुछ ज्यादा है। दूध का कुल उत्पादन सन् 1951 में अनुमानित 1 करोड 70 लाख टन और सन् 1956 में 1 करोड 90 लाख टन था। अभी यह मात्रा 2 करोड 20 लाख टन है। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह मात्रा बढ़ कर 2 करोड 50 लाख टन हो जाएगी। दूध के खपत-सम्बन्धी आकडे मन्तोपप्रद नहीं हैं। सन् 1951 के अनुमानों के अनुसार, दूध और उसमें बनी चीजों की प्रति व्यक्ति-औसत खपत 4 76 औंस प्रति दिन थी, जो अब 4 9 औंस है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग राज्यों में बहुत अन्तर विद्यमान था—पंजाब, राजस्थान, हिमाचलप्रदेग और उत्तरप्रदेग में देश के अन्य भागों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक खपत थी। आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति-खपत 5 1 औंस प्रति दिन हो जाएगी। मन्तुलित भोजन के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम-से-कम 10 औंस की आवश्यकता होती है। इन तरह, इसकी खपत के बारे में आज जिन स्तर की बात मोजी जा रही है, वह पूर्णत अपर्याप्त है।

प्रगति की समीक्षा

4 पहली योजना में पशुपालन-कार्यक्रमों के अन्तर्गत 146 मुख्यग्राम-खंड, जिनमें कृषि गभविधान-केंद्र थे, और 25 गोमदन स्थापित किए गए। पशुओं की महामारी के उत्पन्न क लिए भी एक मार्गदर्शक योजना शुरू की गई। दूसरी योजना में 196 नए मुख्यग्राम-खंड स्थापित करने का काम हाथ में लिया गया और पहली योजना में स्थापित 114 मुख्यग्राम-खंडों का विकास किया गया। पहली योजना में जो मुख्यग्राम-खंड स्थापित किए गए थे, उनमें 4 अलग-अलग इकाइया थी। दूसरी योजना के मुख्यग्राम-खंडों में 6-6 इकाइया है। दूसरी योजना के अन्त तक कुल मिला कर 2,000 मुख्यग्राम-इकाइया स्थापित की जा चुकी थी। सन् 1960 तक 670 कृषि गभविधान-केंद्र स्थापित किए गए थे। दूसरी योजना में 34 गोमदन और स्थापित किए गए तथा 246 गोशालाएं विकसित किए गए। दूसरी योजना के अन्त तक करीब 4,000 पशु-चिकित्सा-अस्पताल और औपचारिक खोलें जा चुके थे। इनमें से 650 पहली योजना में स्थापित किए गए थे और करीब 1,800 दूसरी योजना में। दूसरी योजना में गोमदन-योजना में संशोधन किया गया, ताकि राज्य-सरकारों और गैर-सरकारी नस्थाएं, दोनों ही गोमदन स्थापित कर सकें। नुकसान में कमी करने के विचार ने यह प्रस्ताव किया गया कि चमड़ा क्रमाने और खाल उतारने तथा पशु-शवों को काम में लाने के लिए गोमदन में चर्मालयों की भी व्यवस्था की जाए और उनमें उपकरण तथा मशीनों, आदि लगाई जाए। पशुपालन पर पहली योजना में कुल 8 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 21 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था थी।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

5 वृद्धत-मी परिमीमाओं के कारण पहली और दूसरी योजना की अवधि में पशुपालन के क्षेत्र में यथेष्ट विकास-कार्य नहीं किया जा सका। इनमें से कुछ बाधाएँ तो प्रायः बनी रहती हैं—जैसे, बेकार और फालतू मवेशियों की अधिकता, भीषणता की कमी और अच्छी नस्ल के साडों का अभाव। बहुत-से मुख्यग्राम-खंड स्थापित नस्ल-सुधार-क्षेत्रों के बाहर 'अवर्गांकृत' इलाकों में बसे हुए थे। कई राज्यों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी थी। तीसरी योजना में पशुपालन के लिए करीब 54 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इसमें मुख्यग्राम-कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक खंड में 10 इकाइयों की व्यवस्था हो सके और केंद्रीय कृषि गभविधान-केंद्र स्थापित किए जा सकें। पशु-महामारी में सम्बद्ध कार्यक्रम को और तेजी में लागू किया जाएगा और विधियाँ करने का एक वृहत् कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

6 नस्ल सुधार - जैसा कि दूसरी योजना में बताया गया था, भारत में मवेशियों की 25 बढियाँ नस्लें हैं और भैंसों की 6। ये नस्लें देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। प्रत्येक नस्ल में वृद्धत बढियाँ किस्म के कुछ ही मवेशी होते हैं। कुछ नस्लें दूध-उद्योग के लिए अच्छी होती हैं। इनमें मादाएँ तो बहुत दूध देती हैं, पर बँल अच्छे नहीं होते। अधिकतर नस्लें बोसा टोनेबानी किस्म की हैं, जिनमें माएँ कम दूध देनेवाणी होती हैं, लेकिन बँल बढियाँ किस्म के होते हैं। बीच की भी कुछ नस्लें हैं, जिन्हें दोहरा प्रयोजनवाली कहा जा सकता है। इनमें माएँ भीमन में ज्यादा दूध देती हैं और बँल भी बहुत मेहनती होते हैं। मवेशियों की ये बढियाँ नस्लें देश के गूढ भागों में पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में बाहर, देश के बाकी बहुत बड़े भाग में,

जो मवेशी हैं—विशेषकर पूर्व और दक्षिण में—वे अर्वाङ्गीकृत किस्म के हैं और किसी विशेष वर्ग में नहीं आते। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिपद-द्वारा निर्धारित और केन्द्र तथा राज्य-सरकारों-द्वारा मान्यता-प्राप्त अखिल भारतीय प्रजनन-नीति में कहा गया है कि उत्कृष्ट प्रजनन के माध्यम से बढ़िया दुधारू नस्ल में दूध की मात्रा ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए और नरी का प्रयोग अर्वाङ्गीकृत मवेशियों के विकास में होना चाहिए। बढ़िया भारवाही नस्लों के बारे में उद्देश्य यह रखा गया कि उनकी काम करने की क्षमता में किसी प्रकार की रुकावट डाले बिना उनकी दूध देने की क्षमता यथासम्भव बढ़ाई जाए। इस प्रकार 'दोहरे प्रयोजनवाली' नस्ल तैयार करना और इसका विकास करना ही प्रजनन-नीति है, जिससे अच्छी खेती के लिए बैल और मनुष्य के उपयोग के लिए दूध की मात्रा, दोनों ही उपलब्ध हों। तीसरी योजना में प्रयोग के तौर पर इन दिशाओं में काम करने के अलावा यह भी विचार है कि ऊचाईवाले क्षेत्रों में, जहाँ वर्षा अधिक होती है, विदेशी नस्लों से मिश्र प्रजनन भी शुरू किया जाए। विदेशी पशु-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक जरती पशुओं के केन्द्रिक युथ के लिए एक फार्म स्थापित करने का विचार है।

7 मुख्यग्राम-कार्यक्रम पर, जो पिछली दो योजनाओं में व्यापक मवेशी विकास का मुख्य कार्यक्रम रहा है, हाल ही में एक विशेषज्ञ-समिति ने फिर से विचार किया है। समिति ने सुझाव दिया है कि मुख्यग्राम-खड के काम में सुधार करने और ऐसे खडों को बन्द करने की दृष्टि से, जिनमें सन्तोपजनक काम नहीं हुआ है, राज्य-सरकारों को उनके काम की समीक्षा करनी चाहिए। बढ़िया किस्म के साड़ों की कमी को दूर करने के स्थान से सुझाव दिया गया है कि सरकारी फार्मों में और निजी फार्मों में, जहाँ आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों या उपलब्ध की जा सकती हों, राज्य-सरकारों को पूरी तरह सोच-विचार कर खरीदारी-कार्यक्रम तथा सन्तति-परीक्षण-कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। मुख्यग्राम-क्षेत्रों में सन्तोपजनक ढंग से प्रजनन-नियन्त्रण करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि वधिया करने के कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाए और साड़ों को छोटी अवस्था में ही वधिया करने के पक्ष में प्रचार किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया है कि मुख्यग्राम-क्षेत्रों में बछड़ों के पोषण के कार्यक्रम का विकास किया जाए। समिति ने इस और ब्यान आकर्षित किया है कि मुख्यग्राम-कार्यक्रम ने सम्बद्ध खाद्य और चारा-विकास-कार्यक्रम के क्षेत्र में सन्तोपजनक प्रगति नहीं हुई है। इस दोष को दूर करने के लिए समिति ने कई सुझाव दिए हैं, जिनमें से भी शामिल हैं चारे के वर्तमान साधनों का बेहतर इस्तेमाल, जहाँ चरागाह बना दिए गए हैं, वहाँ चराई का नियन्त्रण, सीमान्त और उपसीमान्त भूमि में चारे की फसल उगाना, धान की फसल के बाद फलीवाले पौदों की फसल उगाना, खतियों का निर्माण तथा किसानों में गायों के चराने-लायक घास उगाने के कार्यक्रम का प्रचार करना, और पशुओं को सन्तुलित भोजन देना। इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि पशुधन और पशुधन के उत्पादनों की विक्री पशुपालकों की सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों के माध्यम से होनी चाहिए। कृषि गन्नाधान से सम्बद्ध वर्तमान प्रबन्ध को उन्नत करने के बारे में भी समिति ने कई सुझाव दिए हैं।

8 दूसरी योजना में मुख्यग्राम-क्षेत्रों और मवेशी-फार्मों की आवश्यकता की दृष्टि से साड़ों के सन्तति-परीक्षण की एक योजना शुरू की गई। परीक्षण के लिए मवेशियों की हरियाना नस्ल और भैंसों की मर्रा नस्ल चुनी गई। विचार यह है कि इस प्रकार की

नदी-घाटी-क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों को, जहाँ पशुधन का पहले ही सन्तोषजनक विकास हो चुका है, प्राथमिकता दी जा रही है। इन क्षेत्रों में खाद्य और प्रमुख व्यावसायिक फसलें तथा चारा और फलीदार फसलें बारी-बारी से उगाई जाएगी, बढ़िया किस्म के 'दोहरे प्रयोजनवाले' मवेशी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा चारे के बीज-फार्म और प्रदर्शन-केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

12 फालतू मवेशी : फालतू और बेकार मवेशियों की समस्या सभी जगह गम्भीर है, हालांकि इस प्रकार के मवेशियों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। जैसा कि दूसरी योजना में बताया गया था, मवेशियों की संख्या अधिक होने में उनके भोजन की व्यवस्था ठीक तरह नहीं हो पाती और भोजन-व्यवस्था ठीक न होने से उत्पादन बढ़ाने में बाधा पड़ती है। घटिया किस्म के मवेशियों का खाल्ता मवेशी-उन्नयन और क्रमबद्ध नस्ल-सुधार के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इस समस्या को किमी हद तक खत्म करने के विचार से गौसदन-योजना, जो सन् 1948 में मवेशी-परिक्षण और विकास-समिति ने तैयार की थी, चालू की गई। इस योजना में बेकार मवेशियों को अलग रखने की व्यवस्था है, ताकि उनकी संख्या और न बढ़ पाए तथा फसल को नुकसान न पहुंचे। गत दस वर्षों में 59 गौसदन खोले जा चुके हैं—25 पहली योजना में और 34 दूसरी योजना में। तीसरी योजना में 23 नए गौसदन खोलने का विचार है। गौसदन स्थापित करने में स्वभावतः ही कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। इनमें वन्य क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में जहाँ चरने के लिए आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं, उचित स्थान का प्राप्त न होना, सबने बड़ी कठिनाई है। गौसदनों को और लाभप्रद रूप देने की दृष्टि के मध्य-समय पर कार्यक्रम में सुधार किए गए हैं। इस सिलसिले में खाल, हड्डी, सींग, आदि के भरपूर उपयोग के लिए सुविधाएं देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और प्रति पशु-खर्च कम करने की कोशिश की गई है।

जंगली और हर्ल पशुओं का खतरा भी पालतू मवेशियों की समस्या का एक पहलू है। दूसरी योजना में गौसदन-कार्यक्रम के एक अंग के रूप में जंगली तथा हर्ल पशुओं को पकड़ने, पालतू बनाने और फिर उनकी निकासी की एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, पंजाब तथा उत्तरप्रदेश में काम हो रहा है।

फालतू मवेशियों की समस्या की विकटता और उसकी विशेषताओं को देखते हुए बड़े साइडों को खत्म करने के स्थान में तीसरी योजना में बधिया करने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू करने का विचार है। इस कार्यक्रम के अनुसार बधिया करने का काम बड़े पैमाने पर पहले उन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा, जिनमें पशुधन-विकास-कार्यक्रम तेजी के साथ शुरू किए जा चुके हैं। नाद में उभे अन्य क्षेत्रों में फैलाया जाएगा।

13 पशु-चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार और रोग-नियन्त्रण : आशा है कि तीसरी योजना में पशु-चिकित्सा-अस्पतालों और औपचारिकों की संख्या बढ़ कर 8,000 हो जाएगी और प्रत्येक विकास-खंड में कम-से-कम एक ऐसा अस्पताल या औपचारिक होगा। टीको और सीरों का भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि छूत की बीमारियों की रोकथाम के लिए इनकी जरूरत होती है। दूसरी योजना में पशु-सहायारी-उन्नयन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके अन्तर्गत 9 करोड़ मवेशियों को सुरक्षित कर दिया गया है। अब कोई 4 करोड़ 10 लाख मवेशी बाकी रहते हैं। आशा की जाती है कि सन् 1963-64 के अन्त तक देश में गौजाति के सभी पशुओं को टीके लगाए जा चुकेंगे। इनका एक अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू

करने का विचार है, जिसके अन्तर्गत रक्षित क्षेत्र बनाए जाएंगे और पशुओं को प्रवेश करने की मुख्य जगहों पर 10 सगरोध-केन्द्र खोले जाएंगे। इन्हें मिला कर इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या 28 हो जाएगी।

14 सूअर-उद्योग का विकास. सूअर-उद्योग के उत्पादनो से नस्ता पशु-प्रोटीन प्राप्त होता है और पीठिकता-सम्बन्धी आवश्यकताओं के सुधार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। उप-उत्पादन के रूप में प्राप्त सूअर के कड़े बाल बहुमूल्य निर्यात-सामग्री है। दूसरी योजना की अवधि में सूअर-उद्योग-विकास-खंडों में उपयोग के लिए अच्छी नस्ल के सूअर तैयार करने के वास्ते 13 सूअर-प्रजनन इकाइया स्थापित की गई थी। इन इकाइयों के नस्ल-सुधार-सम्बन्धी उपादानों का प्रयोग करने के लिए 28 सूअर-उद्योग-विकास-खंड भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, 2 प्रादेशिक सूअर-प्रजनन-केन्द्र एवं सूअर-मांस-कारखाने भी खोले जा चुके हैं। इनमें से एक अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) में स्थापित किया गया और दूसरा हरिणघाट (पश्चिम-बंगाल) में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूअर-उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास करने की व्यवस्था है। 2 सूअर-प्रजनन-केन्द्र एवं सूअर-मांस-कारखाने, 12 सूअर-उद्योग-इकाइया तथा 140 सूअर-उद्योग-विकास-खंड स्थापित करने का विचार है। इन उद्योग का व्यापक विकास होने से ग्राम-समुदाय के गरीब वर्गों के बहुत-से लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी।

15 घोड़ों का नस्ल-सुधार : देश-विभाजन से पहले सशस्त्र सेनाओं की घोड़ों, खच्चरों, आदि की आवश्यकता ज्यादातर जन विशेष नस्ल-सुधार-योजनाओं से पूरी की जाती थी, जो सरकार ने नहरो वस्तियों में चालू कर रखी थी। कुछ हद तक विदेशों से आयात करके भी इस आवश्यकता को पूरा किया जाता था। हालांकि अब यूद्ध में मशीनों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, फिर भी पर्वतीय तोप-सेना तथा पशु-परिवहन कम्पनियों में और पर्वतीय क्षेत्र में बोझा, आदि ले जाने के लिए घोड़ों तथा खच्चरों की काफी मांग है। ये सब मांगें और इनके साथ ही पुलिस की मांगें 'अनियन्त्रित' पढ़ति से, जो कि उत्तरप्रदेश और पंजाब के कुछ जिलों में अब भी प्रचलित है, और कुछ हद तक आयात से पूरी की जाती है।

वर्तमान नस्लों की रक्षा की नीति तथा भारतीय घोड़ों की एक नस्ल तैयार करने के उद्देश्य के परिणामस्वरूप 'भारतीय सुपोषित नस्ल' का विकास हुआ है। इस नस्ल के घोड़े दौड़ने में तेज होते हैं, इनमें काफी शक्ति, धैर्य और दृढता होती है तथा इनकी चाल सहज होती है। इस नस्ल के घोड़ों की घुड़दौड़-बलबो में बहुत मांग है। काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्लों के अतिरिक्त अन्य नस्लों—जैसे, भोटिया, मणिपुरी, स्पिती, शाहावादी, आदि—को सुधारने की ओर कोई खास ख्याल नहीं दिया गया है। पहली और दूसरी योजनाओं में घोड़ों की नस्ल उन्नत करने का व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया। तीसरी योजना में एक अश्व-प्रजनन-फार्म स्थापित किया जाएगा, जिसमें 48 घोड़िया और 2 प्रजनन-अश्व तथा 20 गधिया और 5 प्रजनन-गधे रखे जाएंगे। इस फार्म में प्रति वर्ष 12 प्रजनन-अश्व और 6 प्रजनन-गधे तैयार किए जाएंगे और इन्हें स्थानीय नस्लों के सुधार के लिए 10 चुने हुए प्रजनन-केन्द्रों में रखा जाएगा। अगले चार वर्षों में विदेशों से सीमित संख्या में घोड़े मगाने की बात भी तय हो गई है। अश्व-प्रजनन-कार्यक्रम के अन्य पहलुओं—जैसे, राष्ट्रीय अश्व-प्रजनन-केन्द्र की स्थापना, सहकारी प्रजनन-योजनाओं तथा निजी अश्व-प्रजनन-केन्द्र खोलने के प्रस्ताव—पर विचार किया जा रहा है।

16 भेड़ें और ऊन-विकास : देश में करीब 7 करोड़ 20 लाख पींड ऊन का उत्पादन होता है, जिनमें से दरी-गलीचे, आदि बनाने के उपयुक्त करीब आधा ऊन विदेशों को भेज दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही 1 करोड़ 50 लाख पींड में लेकर 1 करोड़ 70 लाख पींड तक अर्द्धविधायित ऊन विदेशों से मगाया जाता है। सन् 1959-60 में ऊन, भेड़ों तथा उनके उत्पादन से 26 6 करोड़ २० के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जब कि 8 8 करोड़ २० का अर्द्धविधायित ऊन विदेशों से मगाना पडा। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक भेड़ों तथा उनके उत्पादनों का निर्यात-मूल्य बढ़ कर करीब 35 करोड़ २० हो जाएगा। दूसरी योजना में बढ़िया किस्म की भेड़ें तैयार करने के लिए 4 भेड़-प्रजनन-फार्म खोले गए। स्थानीय नस्लों में सुधार करने की दृष्टि से स्थापित नस्ल-सुधार-क्षेत्रों के 305 भेड़ और ऊन-विस्तार-केंद्रों को भेड़े दिए गए। प्रजनन-सुविधाएँ उपलब्ध करने के अलावा ये केंद्र भेड़ों के बाल उतारने, उनकी श्रेणी निर्धारित करने तथा उनकी बिक्री बढ़ाने के उच्चत तरीकों का निदर्शन भी करते हैं। तीसरी योजना में 15 भेड़-प्रजनन-फार्म स्थापित किए जाएंगे तथा 17 फार्मों का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के भेड़-पालकों को इन फार्मों में कुल मिला कर 2,000-2,500 अर्द्धी नस्ल के भेड़े दिए जाएंगे। आशा की जाती है कि इन विभिन्न उपायों से तीसरी योजना के अन्त तक ऊन का उत्पादन बढ़ कर 9 करोड़ पींड हो जाएगा। स्वदेशी उद्योग-द्वारा बढ़िया किस्म के ऊन की वृद्धिशील मांग को देखते हुए भेड़ों के बालों को ठीक तरह से उतारने तथा उनकी किस्म निर्धारित करने का एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में शुरू किया जाएगा। मिली-जुली खेती के विकास के लिए भेड़ों से काम लेना शुरू किया जाए—इस स्थल से कुछ राज्यों की योजनाओं में ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है।

17 कुक्कुटपालन : सूअर-उद्योग के साथ ही, कुक्कुटपालन से गावों और नगरों, दोनों में रोजगार की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं—विशेषकर समाज के गरीब वर्गों के लिए। फिर भी, व्यावसायिक अडा-मेवन-उद्योग और व्यावसायिक खाद्य-उद्योग से सम्बन्ध न होने तथा कुक्कुट-उत्पादनों की बिक्री की कोई संगठित व्यवस्था न होने के कारण भारत में कुक्कुटपालन-उद्योग मूलतः कुटीर उद्योग ही है। दूसरी योजना में प्रजनन के उद्देश्य से बढ़िया किस्म के कुक्कुट तैयार करने के लिए साज़-सामान से लैस 5 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्म खोले गए थे। इन प्रादेशिक फार्मों से राज्यों के कुक्कुट-फार्मों, विस्तार-केंद्रों तथा कुक्कुट-पालकों को कुक्कुटों के चूड़े दिए गए। दूसरी योजना के दौरान 269 कुक्कुटपालन-विस्तार-केंद्र भी खोले गए। तीसरी योजना में 60 राज्य-कुक्कुट-फार्मों के विस्तार तथा 3 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्मों और 50 विस्तार एवं विकास-केंद्रों को बढ़ाने की व्यवस्था है। प्रत्येक कुक्कुट-विकास-केंद्र में 100 कुक्कुटों की एक प्रदर्शन-इकाई और एक अडा-अनुवर्ण-इकाई है, जिसमें किसानों को कुक्कुटपालन-केंद्र में कुक्कुटपालन के प्राचिनिक तरीके समझाए जाते हैं। इन केंद्रों में व्यावसायिक अडा-सेवनालय भी खोले जाएंगे। आशा की जाती है कि इन उपायों के कारण प्रति मुर्गी-अडों की औसत सख्या 60 से बढ़ कर 70 हो जाएगी। 2 प्रादेशिक वत्त-प्रजनन-फार्म, 17 बत्त-विस्तार-केंद्र, 1 अडा-चूर्ण कारखाना और कुक्कुटों का चरगा तैयार करनेवाले 15 केंद्र भी स्थापित करने का विचार है।

18 हाट-व्यवस्था : बढ़िया किस्म के पशु तैयार करने के विचार में यह जरूरी है कि पशुधन तथा पशुधन-उत्पादनों की वर्तमान हाट-व्यवस्था में सुधार किया जाए। यह विकास का एक ऐसा पहलू है, जिन पर अभी तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। व्यापार के

तरीकों का नियमन जल्दी है और बाजारों के अद्वानों में पशुओं को गुन्ना को घोंग पानी पीने, आदि की सुविधाएँ दी जानी चाहिए। पाननेवालों को भाव और विक्री की सम्भावनाओं के बारे में अधिकृत सूचनाएँ देने की सुविधाएँ भी अग्री मन्तोपजनक नहीं हैं। प्रत्येक राज्य में—विशेषकर मुख्यग्राम-बडों में—पशुधन तथा पशुधन-उत्पादनों की निम्नी के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक तरह से बाजार रखने, उनकी निरम निर्यात करने और ऊन की विक्री की योजनाएँ भी काफी महत्व की हैं। राज्यों की योजनाओं में ध्यान उतारने के ठीक-ठीक तरीके के बारे में तथा छीजन का उचित उपयोग करने के बारे में प्रदर्शन तथा प्रचार करने के कार्यक्रम भी शामिल हैं। कई राज्यों ने बूचड़ानों में गुन्ना उनके मान-मिट्टियों का विकास करने तथा कुछ जगहों पर स्वाम्ध्य-निदानों को ध्यान में रख कर बनाए जाने वाले कसाईखाने खोलने के लिए विशेष व्यवस्था की है।

19 खाल-कड़ाई, सफाई तथा छीजन का उपयोग : प्राग्नि बूचड़ानों और बनाई-खाने पर्याप्त सख्या में न होने की वजह से देश में जितनी ग्वाल का उत्पादन होता है, उतना अधिकांश मरे पशुओं की खाल का होता है, जो बूचड़ानों की ध्यान की निम्नी को देकर दूध घटिया किस्म की होती है। उचित तरीके से ग्वाल उतारने और उसे वैज्ञानिक तरीके से नाफ करने की सुविधाओं की कमी होने की वजह से देश में जो चमड़ा और ग्वाल तैयार की जाती है, वह घटिया किस्म की होती है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनके कम दाम उठते हैं।

सन् 1960-61 में 28 करोड़ ६० की खाल और चमड़े का निर्यात हुआ तथा आशा की जाती है कि 1965-66 तक यह निर्यात बढ़ कर 34 करोड़ ६० का हो जाएगा। स्वदेशी चमड़ा-निर्माता बढ़िया किस्म के चमड़े की आपूर्ति के लिए अधिकाधिक दबाव डाल रहे हैं। इस बारे में प्रमुख समस्याएँ ये हैं एक तो, जिन नाथनों से बेकार अथवा इकट्ठे किए जाने हैं, वे बिकरें हुए हैं और दूसरी बात यह, कि स्थानीय खाल उतारनेवाले अपना वर्षों-पुराना व्यवसाय छोड़ने की इच्छा रखते हैं। इस कारण यह जरूरी है कि मृत पशुओं की ज्यादा खाल इकट्ठी करने के लिए और खाल उतारने के बेहतर तरीके के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया जाए। इस प्रकार कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वे ये हैं

- (1) बेकार अथवा की ठीक समय पर प्राप्ति और सभी उप-उत्पादनों—जैसे, मांस, हड्डी, सींग और चर्बी, आदि—का पूरा-पूरा उपयोग,
- (2) प्रशिक्षित कर्मचारियों की देखरेख में उन्नत तरीकों से चमड़े और खाल कमाना, और
- (3) कुछ चुने हुए केंद्रों में प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था।

तीसरी योजना के दौरान खाल उतारने, उनकी सफाई करने तथा बेकार अथवा का उपयोग करने के 14 छोटे और 1 बड़ा केंद्र तथा 2 हड्डी पीसनेवाली चलती-फिरती इकाइयाँ खोलने का विचार है।

20 मवेशी-बौमा : कमी-कमी महामारी फैलने से किमानों के भारवाही या दुधारू पशु मर जाते हैं और उन्हें बड़ा नुस्खान उठाना पड़ता है। बम्बई की 'कोम्पापरेटिव म्यूचुअल इम्पोरंस कम्पनी' ने महाराष्ट्र और गुजरात-राज्यों में दुधारू पशुओं और भारवाही मवेशियों का बौमा करना शुरू किया है। फेरल-सरकार ने भी इस तरह की योजना में दिलचस्पी दिखाई है। आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मैसूर, मद्रास और पंजाब की सरकारों

ने मवेशियों का बीमा करने की सम्भावनाओं की जांच करने की योजनाओं का प्रस्ताव किया है ।

21 अन्य योजनाएं : गोशाला-जैसी निजी सस्थाओं के माध्यम से मवेशी-विकास-कार्यों को गति देने का विचार है । दूसरी योजना में बढ़िया किस्म के साठ तैयार करने के लिए 246 गोशालाओं को चुना गया था । इन गोशालाओं के साठों को प्रजनन के लिए और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाटा जाएगा । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि 168 अन्य गोशालाओं को तृतीय तथा तकनीकी सहायता दी जाए, ताकि वे मवेशी-प्रजनन एवं दूध-उत्पादन-इकाइयों में परिणत की जा सकें ।

देश के कुछ भागों में बजारें रहते हैं, जो परम्परा से मवेशी-पालन का काम करते हैं और जिनके पास कुछ खास नस्लों के बढ़िया मवेशी होते हैं । इन व्यावसायिक पशुपालकों की आर्थिक दशा सुधारने की आवश्यकता है, ताकि वे अपना पुराना धन्धा करते रहें और पशुओं का सुधार तथा विकास करें और उनके पास जो अच्छे पशु हों, उनका उपयोग भ्रवर्गीकृत क्षेत्रों के विकास में किया जा सके । दूसरी योजना की श्रवधि में आन्ध्रप्रदेश, भूतपूर्व बम्बई राज्य, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में इन मवेशी-व्यवसायी बजारों के पुनर्वास की योजना शुरू की गई थी । राजस्थान के मवेशी-व्यवसायी बजारों के पास 'राठी' और 'थरपारकर' नस्ल के जो पशु हैं, उनके विकास की भी व्यवस्था की गई है ।

22 केन्द्रीय गोसंवर्द्धन-परिषद् . मवेशियों के—खास कर गाय के—विकास में पहले से ही सलग्न निजी सस्थाओं और सगठनों को इस काम में शामिल करने के स्थाल से सन् 1960 में केन्द्रीय गोसंवर्द्धन-परिषद् बनाई गई । परिषद् को विशेष कार्य सौंपे गए हैं—जैसे, मवेशियों के परीक्षण और विकास से सम्बद्ध कार्यों का आयोजन करना, उनको अमल में लाना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और दूध की मात्रा बढ़ाने एवं भारवाही पशुओं की किस्म सुधारने की योजनाओं को लागू करना । परिषद् गोशालाओं और चर्मालियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र चलाएगी, प्रदर्शनियों का आयोजन करेगी और खेतिहर श्रमिकों के लिए पत्रिकाओं, फिल्मों तथा पुस्तिकाओं की व्यवस्था करेगी । केन्द्रीय गोसंवर्द्धन-परिषद् ने यह भी जम्मीदारी जताई है कि वह गोसंवर्द्धन के काम में दिलचस्पी लेनेवाली विभिन्न सस्थाओं के बीच अच्छा समन्वय स्थापित करेगी ।

23 शिक्षा और अनुसन्धान : दूसरी योजना में शैक्षणिक कार्यक्रमों का काफी हद तक विकास किया गया । इस श्रवधि में 3 नए पशु-चिकित्सा-कालेज खोले गए और पहले से विद्यमान 14 कालेजों में 5 का विस्तार किया गया । इज्जतनगर के भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-सस्थान में स्नातकोत्तर कालेज स्थापित करने के अलावा मथुरा, मद्रास, बम्बई और पटना के 4 पशु-चिकित्सा-कालेजों का विस्तार किया गया, ताकि उनमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जा सके । तीसरी योजना में 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज खोले जाएंगे । इनमें से एक गुजरात में होगा और दूसरा बिहार में । पशुपालन-विस्तार के तरीकों में पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के स्थाल से प्रत्येक कालेज के साथ एक विस्तार-शाखा जोड़ने का भी विचार है । दूसरी योजना में 5,000 पशु-चिकित्सा-स्नातकों की जो अनुमानित मांग थी, वह काफी हद तक पूरी हो चुकी है । अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 6,800 पशु-चिकित्सा-स्नातकों की आवश्यकता होगी, जब कि वर्तमान कालेजों से कुल 5,800 स्नातकों की ही निकामी हो सकेगी । इस प्रकार 1,000 पशु-चिकित्सा-स्नातकों की कमी रह जाएगी,

जिसे पूरा करना होगा। यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान मस्याओं के तथा योजना की अवधि में जो 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज खोले जाने हैं, उनके पूरे-पूरे उपयोग ने पशु-चिकित्सा-मन्तकों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाएगी। कोई 70,000 पशुपालकों को प्रशिक्षित करने का भी प्रबन्ध किया जाएगा, जिससे तीनरी योजना की आवश्यकताएँ पूरी हो जाएगी।

भेड़ों और ऊन के उत्पादन के बारे में बुनियादी और अन्य अध्ययन शुरू करने के लिए राजस्थान में एक केन्द्रीय भेड़-प्रजनन-अनुसन्धान-मस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके दो उपकेन्द्र होंगे—एक पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में और दूसरा नीलगिरि में। इन सम्पान में भेड़ों की विभिन्न किस्मों के पालन के निलसिले में भूमि के उपयोग के बारे में बुनियादी पहलुओं की, ज्यादा उत्पादन के लिए मिश्रीकरण की समस्याओं की, विदेशी नस्लों के परीक्षण की और उत्पादन की मापेक्षता में पौष्टिकता की जाच की जाएगी। यह मस्थान उत्पादन और विधायन के सन्दर्भ में ऊन-टेक्नोलॉजी की समस्याओं पर भी विचार करेगा। उपकेन्द्र का काम नमनीतोष्ण जलवायुवाले प्रदेशों से लाई गई भेड़ों की नस्ल में परिवर्तित जनवायु नहन करने की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग के तौर पर प्रजनन-कार्य करना होगा।

दूध-उद्योग और दूध की आपूर्ति

24 भारत में दूध-उद्योग के सामने कई कठिनाइयाँ हैं—जैसे कि काफी दूर-दूर पर और कम मात्रा में दूध का उत्पादन, देश के अविकाश भागों में परिवहन की कठिनाइयाँ दूध इकट्ठा करने, उसके उत्पादन और विधायन के लिए आवश्यक मशीनों और सयन्धों के लिए आयात पर आश्रित रहना, तकनीकों और कुशल कर्मचारियों की कमी तथा सुव्यवस्थित पद्धति का अभाव। इसलिए मगठित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में फालतू दूध जमा करने की तथा उपभोक्ताओं को मुनाफित दाम पर बढिया दूध और दूध की चीजें देने की दिशा में प्रयत्न करने होंगे।

प्रगति की समीक्षा

25 पहली योजना में इन कार्य के लिए 7.81 करोड़ रु० की जो व्यवस्था की गई थी, करीब-करीब उस नारी रकम का उपयोग हो गया था। पहली योजना के मुख्य कार्यक्रम थे—बड़े-बड़े शहरों में स्वास्थ्यवर्द्धक टण में दूध की आपूर्ति की व्यवस्था करना और उनके आधार-रूप में ग्रामीण इलाकों में दूध जमा करना।

दूसरी योजना में दूध-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए 17.44 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। इन रकम में से 12.05 करोड़ रु० खर्च हो जायेगे। दूसरी योजना में ये बातें शामिल हैं—बड़े-बड़े उपभोग-केन्द्रों में दूध की आपूर्ति के लिए 36 दूध-सयन्त्र लगाना, ग्रामीण इलाकों में मक्खन निकालने के 12 कारखाने खोलना, दूध-क्षेत्रों में फालतू दूध का उपयोग करने के लिए दूध की चीजों के 7 कारखाने चालू करना, 12 दूध और मुरदा-फार्मों का विन्यास करना, तकनीकों कर्मचारियों का प्रशिक्षण और दूध-क्षेत्रों का सर्वेक्षण।

26 विदेशी मुद्रा की कमी और सयन्त्र तथा मशीनों प्राप्त करने में कठिनाई के कारण दूध-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों को ग्राम तौर पर उन्ही योजनाओं तक सीमित रखना पड़ा, जिनके लिए उपकरण या तो देश में ही उपलब्ध थे या विदेशी नहायता के अन्तर्गत दिए गए थे। दिल्ली, पूना, मुडगा व नान, गुडर कोडडकनान और हरिणघाट में पत्थे ही दुग्धालय

स्थापित किए जा चुके हैं। कुछ प्रमुख नगरों में भी प्रायोगिक दूध-योजनाएँ शुरू की गई हैं। इस समय दूध-आपूर्ति की कुल 28 योजनाओं पर अमल हो रहा है और वे विभिन्न चरणों में हैं। विदेशी सहायता से दूध की बनी चीजों के दो कारखाने—एक श्रमृतसर में और दूसरा राजकोट में—स्थापित किए गए हैं और तीन ग्रामीण मक्खन-कारखाने—बरीनी, अलीगढ़ और जूनागढ़ में—स्थापित किए गए हैं। सन् 1958-59 के अन्त में देश में 2,257 सहकारी दूध-आपूर्ति-समितियाँ और 77 दूध-आपूर्ति-सघ थे। इनके 2,11,131 सदस्य थे और 183 लाख रु० का निजी कोश था। इन्होंने 11 32 करोड़ रु० मूल्य का दूध और दूध की बनी चीजें बेची।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

27 दूध-उद्योग के बारे में नीति यह है कि दूध-परियोजनाओं का विकास किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में दूध-उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाए। साथ ही, फालतू दूध को शहरी केंद्रों में बेचने की योजनाएँ भी उनके साथ समन्वित कर दी जाए। गावों में फैली सहकारी उत्पादक-समितियाँ दूध इकट्ठा करने और उसकी आपूर्ति का काम करेंगी। दूध का विधायन और वितरण तथा दूध की चीजें बनाने का काम भरसक सहकारिता के आधार पर चलाए जानेवाले सयन्त्रों के माध्यम से किया जाएगा। आशा की जाती है कि सहकारी सगठनों के माध्यम से काम करने पर जनता का अच्छा सहयोग मिल सकेगा और इस काम के लिए योजना के अर्थीन जो कोश है, उसकी भी वृद्धि होगी। मरकारी क्षेत्र में विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी दूध की चीजें तैयार करने के काम को बढ़ावा देने का विचार है। दूसरी योजना में बच्चों के लिए दूध-खाद्य तथा माल्टयुक्त दूध-खाद्य तैयार करने के लिए क्रमशः एक-एक छोटा कारखाना और मीठा किए हुए सूखे दूध के लिए एक बड़ा कारखाना स्थापित किया गया। तीसरी योजना में दो कारखानों में बच्चों के लिए दूध के खाद्य-पदार्थों का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इनकी क्षमता लगभग 900 टन की होगी। तीन कारखानों में सूखा दूध तैयार किया जाएगा, और उनकी कुल क्षमता प्रति वर्ष 5,300 टन माल तैयार करने की होगी। एक कारखाने में प्रति वर्ष 670 टन दूध की पेय सामग्रियाँ तैयार की जाएगी।

28 तीसरी योजना में एक लाख से ज्यादा आबादीवाले शहरों में और विकास-शील औद्योगिक नगरों में 55 नई दूध-आपूर्ति-योजनाएँ शुरू की जाएगी। कुछ दूध-क्षेत्रों में अच्छे गावों में तरल दूध की फौरन बिक्री की गुंजायश नहीं है। ऐसी जगहों पर किराया के साथ दूध का उपयोग करने की दृष्टि से मक्खन, घी, पनीर तथा अन्य उप-उत्पादनों—जैसे, केशीन, लेक्टोज, दूध-चूर्ण, आदि—के उत्पादन के लिए कारखाने (क्रीमरी) स्थापित किए जाएंगे। गावों के दूध-क्षेत्रों का विकास करने के लिए 8 मक्खन-कारखाने, दूध की चीजों के 4 कारखाने तथा 2 पनीर-कारखाने स्थापित करने का विचार है। दूध गाढ़ा करनेवाले पदार्थों की भी आम तौर पर कमी है, जिसकी वजह से दूध की लागत बढ़ जाती है। कृषि में बेकार जानेवाले और उप-उत्पादनों—जैसे, गेहूँ और घान की भूसी, गन्ने का फोक, सीरा, छिलकाहीन खली—का उपयोग करके सन्तुलित खाद्य तैयार करने से संवेनियों के लिए सस्ता चारा प्राप्त

करने में बहुत हद तक सहायता मिल सकती है। दूध-आपूर्ति के बड़े-बड़े कारखानों के ग्राम-पास मवेशियों की मानी तैयार करनेवाले चार कारखाने खोलने का विचार है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूध-सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए 36 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

दूध-कार्यक्रमों को गति देने के लिए देश में ही दूध-उद्योग के काम आनेवाले उपकरण और मशीनें बनाने की व्यवस्था करनी होगी। दूध-उपकरणों के निर्माण को—विशेषकर छोटे-छोटे दुग्धालयों के लिए आवश्यक उपकरणों के निर्माण को—बढावा दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध-उद्योग को स्थानीय उद्योग के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके। चार फर्मों को पहले ही दूध-उद्योग का सामान बनाने के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हैं। तीसरी योजना की श्रवधि में इनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। दूसरी योजना में शुरू की गई अधिकांश दूध-आपूर्ति-योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि उत्पादकों से अधिक दूध लिया जा सके। चूकि अक्सर दूध काफी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए बड़े-बड़े दूध-विधायन-संस्थानों के लिए ठंडी रेल में परिवहन की अधिकाधिक सुविधाएँ देने की काम व्यवस्था की गई है।

29 दूध-उद्योग का विकास-कार्यक्रम बनाते समय शहरों की आवश्यकताओं के साथ-साथ किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। मिली-जुली खेती के माध्यम से ऋषि-अर्थव्यवस्था की वृत्तियाँ को मजबूत करने के लिए गावों में महकारिता के आधार पर चलाए जानेवाले छोटे-छोटे दुग्धालयों और मक्खन-कारखानों के विकास पर जोर दिया जाएगा। दूध देने की श्रवधि पूरी हो जाने के बाद अच्छे पशुओं के परिरक्षण के लिए बड़े शहरों के पास नुरक्षा-फार्म खोले जाएंगे। जिन क्षेत्रों में दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति की योजनाएँ शुरू की जाएँगी, उनमें सघन मवेशी-विकास-योजनाएँ भी हाथ में ली जाएँगी।

30 'दोहरे प्रयोजनवाले' पशुओं के विकास को बढावा देने के विचार से दूध-कार्यक्रमों को ग्राम-पास के गावों की अर्थव्यवस्था के साथ कारगर रूप से धुला-मिला दिया जाएगा। यह बात ग्राम तौर पर स्वीकार की जाती है कि चावल की खेती-वाले कुछ इलाकों को छोड़कर, जहाँ भैंस दोनों ही उद्देश्य पूरे कर सकती है, पशुपालन और दूध-उद्योग की योजनाओं के माध्यम से गाय की दोनों नस्लों को बढावा देना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर तीसरी योजना में दुग्धारू पशु खरीदने के लिए ऋण देने की योजना पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसके अन्तर्गत प्रजनन-नीति पूरी करने की दिशा में कोशिश की जाएगी। गायों की अच्छी नस्ल के मबद्धन के लिए कारखानों को भरमक गाय का दूध भी भैंस के दूध के भाव ही खरीदना चाहिए। दूध का भाव निश्चित करने में उसके चिकनाई-सम्बन्धी तत्व को ही एकमात्र कमीटी नहीं मानना चाहिए। गाय के दूध में चिकनाई की मात्रा कम उत्तर होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे विनेय गुण हैं, जिनकी बजह से बच्चों और अस्पताल के रोगियों के लिए इसे ज्यादा पसन्द किया जाता है।

जहाँ तक बड़े शहरों के बड़े-बड़े दुग्धालयों का सवाल है, इस प्रकार की योजनाओं को नबी गाव में मिलाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए, ताकि दूध का उत्पादन बढाने और बोसा ढोने के दोहरे उद्देश्य में मवेशी-विकास-द्वारा ये दूध-योजनाएँ ग्राम-

अर्थव्यवस्था में उन्नत करने में प्रत्यक्षत सहायता दे सकें। मोपानबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार मध्यम आकार के नगरों में मौजूदा छोटे दुग्धालयों को भी इसी दिशा में जाना जायगा।

31. शहरों को मफाई-व्यवस्था में सुधार करने और दूध-आपूर्ति की अधिक किफायत में व्यवस्था करने के लिए शारे, हरिणघाट और भाधवरम् (मद्रास) में मवेशियों की बस्तियां बसाई गई हैं। बस्तियां स्थापित करने के इस तरीके में काफी पूर्जा लगी है और इसलिए यह बेहतर समझा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी भूमि और आवश्यक सेवाओं—जैसे, सड़कें, जल-आपूर्ति और बिजली—की व्यवस्था करने तक ही सीमित हों। विकसित क्षेत्र प्लाटों के रूप में बांटे जाएंगे और विस्थापित मवेशी-मालिकों को मुनासिब शर्तों पर पट्टे पर दिए जाएंगे। जिन लोगों को ये प्लाट दिए जाएंगे, उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार अपने खर्च में मवेशियों के लिए आवश्यक छाजन और अन्य भवन बनाने पड़ेंगे। दूध की बिक्री के लिए सुविधाएँ दी जाएगी। इस प्रकार, दुग्धालय पशुओं का शहरों में हटाया जाना और बस्तियों में फिर से बसाया जाना मुख्यतः स्वास्थ्य एवं गन्धे इलाकों की सफाई का उपाय समझा जाएगा और इसकी मुख्य जिम्मेदारी नगरपालिकाओं और नगर-निगमों पर होगी।

अनुसन्धान, प्रशिक्षण और शिक्षा

32 अनुसन्धान और प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएँ देने के विचार से राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धान संस्था को बंगलोर में कर्नाल ले जाया गया है। तेजी से बढ़ते हुए दूध-उद्योग की अधिक मांगों को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में जब इस संस्था में दुग्धालय पशुपालन, टेक्नोलॉजी, रसायनशास्त्र, जीवाणु-विज्ञान, पोषण-विज्ञान, विस्तार-पद्धति और अर्थशास्त्र के अनुसन्धान-प्रभाग खुल जाएंगे, तब उसकी स्थापना का काम पूरा हो जायगा। यह संस्था दूध-उद्योग की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करेगी। संस्था के बंगलोर-स्थित उपकेन्द्र का भी विस्तार किया जाएगा। दूध-वियक शिक्षा के क्षेत्र में बंगलोर, इलाहाबाद, आनन्द और शारे में 'इंडियन डेरी डिप्लोमा' (आई० डी० डी०) की सुविधाएँ और कर्नाल में वी० एस० सी० (दूध-विज्ञान) तथा स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाएँ बढ़ाने का विचार है। दूध-विज्ञान में स्नातक-स्तर के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम आनन्द की कृषि-संस्था में भी शुरू किए जाएंगे। बड़े-बड़े दुग्धालयों में मयन्त्रों पर काम करते हुए प्रशिक्षण देने की पद्धति—जो पहले ही गुरु की जा चुकी है—तीसरी योजना में जारी रहेगी और इसका विकास किया जाएगा। साध और कृषि-संगठन का प्रादेशिक प्रशिक्षण-कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत काम हो रहा है, जारी रखा जाएगा और उमका विस्तार किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि विभिन्न दूध-प्रशिक्षण-केन्द्रों में अध्यापकों के लिए अध्यापकीय कर्मशालाओं का आयोजन किया जाए और विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए—जिनकी विभिन्न दूध-परियोजनाओं में जरूरत होती है—अन्य प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ। तीसरी योजना में अनुमानत 2,830 दूध-कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इनमें से 625 डिप्लोमा-प्राप्त, 975 डिप्लोमा-प्राप्त और 1,230 अथ श्रेणियों के कर्मचारी होंगे। आशा की जाती है कि इतने तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता काफी हद तक पूरी हो जाएगी।

मछली-उद्योग

33 भारतीय नमूने के जन-माधन भाति-भाति के है और काफी बड़ी मात्रा में है। करीब 3,000 मील लम्बा तट प्रान्त, 1,00,000 वर्गमील में अधिक महा-द्वितीय निधान, हिन्द-महासागर की दो विधान भुजाए, अनेक खाडिया, आदि—भारत के नमूने माधन नचमुच बहुत है। पूरे तटप्रान्त में पञ्चजल की पर्याप्त मात्रा है, सागर-नगम है उपहृद और दलदल है—यानी इन तरह के माधन भी काफी है। बड़ी-बड़ी नदिया और 17,000 मील लम्बी उनकी सहायक नदिया, नहरें और उनके साथ 70,000 मील लम्बी मिन्नाई-नानिया तथा अनेक झीलें, जलाशय, पोन्नरें और तालाव अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के लिए बड़े नमूने माधन है। मछली और उनमें सम्बद्ध उद्योगों में कोई दम लाज मछुओं को रोजगार मिलता है। इनमें न अधिकतम लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। नहकारी आवार पर मछुओं को नंगठिन करके उनमें काम लिया जाए और उत्पादन के नमी पहलुओं में उन्नत नए तरीके अपनाए जाए, तो मछली-उद्योग में होनेवाली आमदनी काफी बटाई जा सकती है।

प्रगति की नमीक्षा

34 पहली योजना में मछली-उद्योग के विकास पर 2 8 करोड रु० खर्च किया गया है। दूसरी योजना में 9 करोड रु० खर्च हुए।

दूसरी योजना में 13 34 लाख एकड़ क्षेत्र के सर्वेक्षण में काफी मछली-नमूने के विद्यमान होने का पता चला है। उचित विन्मों की मछलियों को इकट्ठा करने के लिए 82,000 एकड़ अनिश्चित क्षेत्र तैयार किया गया। करीब 16.7 लाख एकड़ क्षेत्र में कोई 60 करोड फाई और आग्नि मछलिया इकट्ठी की गईं।

मछली पकड़ने के नमूने और नाज-नामान की बनावट में सुधार करने के विचार में कोचीन के केन्द्रीय मछली-नमूने-टेकनोलाजी-अनुसन्धान-नस्था में जाच-पड़ताल की गई है। मछली पकड़ने के नए-नए स्थानों की खोज करने के लिए केन्द्रीय तटीय मछली-नमूने-केन्द्र के अतिरिक्त कोचीन, तुत्तुकुडि और विशाखापटनम् में भी ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए। गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास और आन्ध्रप्रदेश में नावें बनाने के बड़े स्थापित किए गए। कोई 1,800 नावें मधीनी में लैस की गईं। इनमें मछुए नमूने में 15-20 मील की दूरी तक जा सकते हैं, जब कि पुरानी विना मधीन की नावें ज्यादा-से-ज्यादा 6-7 मील तक जा सकती हैं—बैने नाचारणत ये केवल 3 मील तक ही जाती हैं। तटवर्ती उत्पादन-केन्द्रों में ताजा मछली दिल्ली, कलकत्ता, धरौरह के लिए रोजने के वास्ते प्रयोग के तौर पर 60 डे रेल-डिब्बे चालू किए गए हैं। इन विभिन्न उपयोगों के फलस्वरूप पहली योजना के अन्त तक मछली-उत्पादन 7 लाख टन में बढ़ कर 10 लाख टन हुआ और दूसरी योजना के अन्त में 14 लाख टन।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

35 तीसरी योजना के मछली-उद्योग के कार्यक्रम इन मुख्य उद्देश्यों को सामने रख कर तैयार किए गए हैं कि उत्पादन बढ़े, ताकि लोगों को अनाज के अलावा प्रोटीन-

गुप्त आहार भी मिल सके। मछुओं की दशा सुधारने पर भी उचित ध्यान दिया गया है। फिर, निर्यात-व्यापार के विकास पर भी जोर दिया गया है।

36 अन्तर्देशीय मछली-क्षेत्र पहली और दूसरी योजनाओं में अन्तर्देशीय मछली-क्षेत्रों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। हारमोन-उपचार के द्वारा प्रेरित प्रजनन के तरीके से, जिसका भारतीय मछलियों पर सफल प्रयोग किया जा चुका है, बड़े पैमाने पर विस्तार करना सम्भव हो गया है। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि अब अड़े देने के प्राकृतिक क्षेत्रों में अलग अड़े और छोटी मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। इस युक्ति में छोटी मछली और प्राणुलिक मछलियों को एक स्थान में दूसरे स्थान पर भेजने में कमी आएगी और परिवहन के क्रम में कम मछलियाँ मरेंगी। भारतीय शफरी मछली-पोखरो की उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी होती है। दक्षिण-पूर्व एशिया में लाई गई सामान्य शफरी का प्रचलन एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, जो भारतीय शफरी-सम्पदा में एक उपयोगी वृद्धि है। इन सब बातों से मछली की आपूर्ति में काफी वृद्धि हो सकती है, बशर्ते कि इनके साथ ही पचायती और सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संगठन और विक्री-व्यवस्था में सुधार किया जाए।

37 तीसरी योजना में विभिन्न राज्यों में 50,000 एकड़ जल-क्षेत्र को प्रदर्शन-जन्य मछली-फार्मों के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, 1,500 एकड़ में मगम-क्षेत्रों के उपयोग के बारे में और 2,000 एकड़ में दलदल-भूमि के उपयोग के बारे में निदर्शन का काम शुरू किया जाएगा। 120 करोड़ छोटी मछलियाँ और प्राणुलिक मछलियाँ इकट्ठी करके रखने का विचार है। नदी-खाटी-परियोजनाओं में भी, जिनमें मछली-क्षेत्र विकसित करने की काफी गुंजायश होती है, नियमित रूप से मछली जमा करने का काम किया जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में ये भी शामिल हैं पेड़ों, पत्थर के ढेवों और अन्य रुकावटों को दूर करना, पालन-गृह कायम करना और जब तक मछली पूरी तरह तैयार न हो जाए, उसकी रक्षा के लिए उपाय करना। ये अनिवार्यतः दीर्घकालीन उपाय हैं और तीसरी योजना में जो मगम-कार्य किया जाएगा, उसका फल कोई 15 वर्ष बाद मिलेगा। फिर भी, दूसरी योजना में कुछ जलाशयों में जो काम किया गया था, उससे यह स्पष्ट है कि इन दिशाओं में किए गए विकास का कितना अधिक आर्थिक महत्व होता है।

38 अन्तर्देशीय जल का कारगर रूप में प्रयोग किया जाए, इसके लिए स्थानीय स्तर के संगठनों में कुछ सुधार करना जरूरी है। पहले जहाँ जल पर किन्हीं व्यक्तियों का अधिकार हुआ करता था, वहाँ उनके पास इसे विकसित करने के साधन नहीं थे। जहाँ इन पर सरकार का अधिकार था, वहाँ इनकी नीलामी कर दी गई और विकास के पहलू पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, फलतः वहाँ मछलियाँ शीघ्र ही खत्म हो गईं। इसी वजह से बहुत-से तालाब पहले ही बेकार हो चुके हैं। पचायत-समितियों और पचायतों को विकासमान स्थानीय साधन के रूप में मछली-तालाबों और अन्य अन्तर्देशीय जल-साधनों की उत्पत्ति करनी चाहिए। उन्हें सहकारी समितियों के निकट सहयोग से काम करना चाहिए और इन सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण तथा विक्री की सुविधाएँ उपलब्ध की जानी चाहिए।

39 सहकारी मछली-उद्योग-समितिया : तीसरी योजना में सहकारी मछली-उद्योग-समितियों की स्थापना और उनका गवामन मछली-उद्योग के विभाग या एग महत्वपूर्ण पहलू है। इस समय कोई 2,100 सहकारी मछली-उद्योग-समितिया हैं, जिनकी कुल सदस्यता 2,20,000 के करीब है। ये अधिनाग मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और मद्रास में हैं, हालांकि मैनूर अरम, बिहार और उड़ीसा, आदि राज्यों में भी कुछ समितिया हैं। सहकारी मछली-उद्योग-समितियों में से किसी को कम और किसी को अधिक सफलता मिली है। उनमें से केवल 800 समितिया एनी हैं, जिनका काम सतोपजनक एग में सन्नामित कहा जा सकता है। कई कारणों से सहकारी समितियों के विकास की धक्का लगा है। उनमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं

(क) आम तौर पर मछुओं के पान, अपनी नावें, जान और अन्य उपकरण नहीं होने। नतीजा यह होता है कि विचोलिए—जो मछुओं के लिए बर्ज की व्यवस्था करने हैं—उन्हें अपनी नावों पर काम करने के लिए नियुक्त कर लेने हैं। नाव काम में लाने की अनुमति देकर, मुक्त वित्री का 50 प्रतिशत भाग तक नाव के किराए के रूप में ले लिया जाता है और

(ख) सहकारी समितिया प्रमुखत उधार देने की व्यवस्था करने में ही लगी रही और उत्पादन तथा वित्री बटाने की काफी कोशिश नहीं की गई।

वर्तमान सहकारी मछली-उद्योग-समितियों में फिर ने जान डालना, उनका काम विकास करना तथा उन्हें सहकारी वित्री तथा विधायन-समितियों में जोड़ना एक महत्वपूर्ण काम है, जो तीसरी योजना में किया जाना है। इस उद्देश्य से एग विन्मृत कार्यक्रम तैयार करने का विचार है। मछुओं को विचोणियों के शोषण से बचाने के ध्यान में उनके लिए सहकारी समितिया बनाना जरूरी है ताकि मछुओं की श्रम-प्रसन्नता खत्म हो और उत्पादन बड़े।

40 समुद्री मछली-उद्योग : देश के कुल अनुमानित मछली-उत्पादन का दो-तिहाई हिस्सा समुद्र से प्राप्त होता है। तीसरी योजना में, वर्तमान नावों में इजिन लगाने के कार्यक्रमों को बढाने और मछली पकड़ने के लिए आवश्यक बस्तुओं की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के अलावा 4,000 नई मन्त्र-मज्जित नावें चालू करने का विचार है। बम्बई, कोचीन, तूतुकुडि और विशाखापटनम्-स्थित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बड़े केन्द्रों के मछली पकड़ने के कार्यक्रमों का विन्नार किया जाएगा तथा बेंगलूर, मगलोर, पारदीप और पोर्ट ब्लेयर में अतिरिक्त टुकडिया कायम की जाएगी। इन जाच-कार्यों में मछली पकड़ने के आधुनिक उद्योग के विकास में महामता मिलेगी। 35 बड़े जहाज चालू करने और 16 पत्तनी में जहाजों में मछलिया उतारने और चढाने का प्रबन्ध करने का भी विचार है।

41 मछली बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि उसकी बित्री के लिए पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध हों। पकड़ी हुई मछलिया अच्छे दामों पर बिकें इसके लिए आवश्यक है कि उनके रखने के लिए बर्फवाले ठंडे भांडार हों, उनको साफ करने की और डिब्बों में बन्द करने की व्यवस्था हो। दूसरी योजना में इसकी धुरभात

की जा चुकी है। कोचीन, मंगलौर और बम्बई में भी मछली को बर्फ में जमाने की बुद्धिवादी की व्यवस्था हो गई है। तीसरी योजना में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग 72 बर्फ के और ठंडे मग्नह-मयन्दी की व्यवस्था करने का विचार है, ताकि मछली को अच्छी हालत में उपभोक्ता-केन्द्रों तक पहुंचाने में सुविधा रहे। इसके अलावा, पश्चिम-भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में—विशेषकर केरल, मैसूर और गुजरात में—मछलियां जमाने और डिब्बों में बन्द करने की टुकड़ियां कायम की जाने की आशा है। ठंडे रेन-डिब्बों के प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर सारे देश के मछली-उत्पादन-केन्द्रों और उपभोक्ता-केन्द्रों के बीच नियमित परिवहन-व्यवस्था विकसित की जाएगी। प्रमुख मार्गों पर करीब 20 नए डिब्बे चलाने का विचार है। केरल में भी—जहां नई किस्म की नावें तैयार की गई हैं, नावों को मगनीनो से लैस किया गया है और बेहतर उपकरणों का प्रयोग शुरू किया गया है— भारत-नावें-परि-योजना पर अमल करने के फलस्वरूप यहीं बात स्पष्ट हुई है कि एक समन्वित विज्ञान-व्यवस्था आवश्यक है। इस परियोजना में बर्फ के और ठंडे भांडार-सयन्त्र को काम का आधार बनाया गया है। उपभोक्ता-केन्द्रों में मछली के परिरक्षण के साज-सामान की और विमवाहित परिवहन की भी व्यवस्था की गई है।

आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं, उनसे मछली का उत्पादन 14 लाख टन से बढ़ कर 18 लाख टन हो जाएगा। मछली का निर्यात-मूल्य करीब 6 करोड़ रु० से बढ़ कर 12 करोड़ रु० तक हो सकता है। तीसरी योजना में मछली-उद्योग के विकास के लिए 29 करोड़ रु० की धनराशि नियत की गई है।

अनुसन्धान और शिक्षा

42 अनुसन्धान-मठपम में समुद्री मछली-उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मछली उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र, वारकपुर में अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के लिए अनुसन्धान-केन्द्र और बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित बड़ा केन्द्र स्थापित हो जाने से व्यापार-योग्य जाति की मछलियों के प्राणिशास्त्रीय अध्ययन में काफी प्रगति हुई है। इसके साथ ही अन्तर्देशीय मछली-साधनों के संरक्षण और व्यवस्था की वैज्ञानिक जाच-पड़ताल में तथा नए मछली-क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना में सागरवर्ती मछली-क्षेत्रों, सागरवर्णना, ऊंचाईवाले मछली-क्षेत्रों, ताजी झींग मछलियों और पश्चिमीय मछली-क्षेत्रों के बारे में नए-नए अन्वेषण-कार्य शुरू किए जाएंगे। परीक्षण के तौर पर तथा खोज के लिए चार नए केन्द्रों में मछली पकड़ना शुरू किया जाएगा।

कोचीन के केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेक्नोलॉजिकल केन्द्र में मछलियां पकड़ने के यन्त्रों और उनके परिरक्षण, मछली पकड़ने की उन्नत यन्त्रसज्जित नावें तैयार करने, मछली को ताजा, ठंडी और जमी हुई हालत में रखने, मछली तथा समुद्र की दूसरी चीजों को साफ करने तथा उपभोग के बारे में जाच-पड़ताल का काम शुरू कर दिया गया है। इन जाच-कार्यों को और तेजी से किया जाएगा। केन्द्रीय केन्द्रों ने जो अनुसन्धान-कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनके अलावा राज्यों के मछली-उद्योग-विभाग भी मछली-उद्योग की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हैं।

43 शिक्षा जिला-स्तर पर मछली-उद्योग के प्रणामतीय कर्मचारियों के लिए बम्बई में एक मछली-उद्योग-प्रशिक्षण-मस्था चालू हो गई है। उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोचिंग में एक मस्था तायम की जाएगी। महत्वक मछली-उद्योग-विकास-अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों में प्रशिक्षण के लिए—जिनकी अन्तर्देशीय मछली-उद्योग में जरूरत होगी है—उद्योग में भूवर्षेन्द्र के पास कौशलयागगा में एक उपकेन्द्र गीला जाएगा।

तीनरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली-उद्योग की विभिन्न विमान-परियोजनाओं को चलाने के लिए अनुमानत कुल 2,100 के ग्राम-ग्राम कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इनमें से 300 जिला-मछली-उद्योग अधिकारी होंगे और 600 अन्य तकनीकी अधिकारी। जिला-मछली-उद्योग-अधिकारियों की आवश्यकता तो ज्यादातर केन्द्रीय मछली-उद्योग-शिक्षा-मस्था में प्रशिक्षण देकर पूरे हो जायेगी, जो बम्बई में स्थापित की जाएगी, तथा बाकी क्षेत्र-कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति वारकपुर के अन्तर्देशीय मछली-उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र, उड़ीसा के अन्तर्देशीय मछली-उद्योग-उपकेन्द्र तथा मछली पकड़ने के तटवर्ती केन्द्रों की गतिविधियों का विस्तार करके की जाएगी। जहाँ तक अनुसन्धान-मस्थानों के लिए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता का संबंध है, इसके लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों में एम.सि.सि.ने में पर्याप्त सुविधाएँ दी जाएँ।

वन और मिट्टी-संरक्षण

वन

वन-भावना का विकास भूमि के अधिकतम उपयोग के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। वनों के दोनो ही कार्य—संरक्षण और उत्पादन—महत्वपूर्ण हैं। वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन, चागा और अन्य अनेक वस्तुएं ही प्राप्त नहीं होती, बाढ़ और भू-क्षरण रोकने तथा भूमि उपजाऊ बनाए रखने में भी उनका बहुत योग है। मकान-निर्माण, फर्नीचर, कागज, नकली रेशम, प्लाईवुड, माचिस, चमड़ा आदि बहुत-से उद्योगों को अपने कच्चे माल के लिए वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जंगलों के क्षेत्र में रहनेवाली आदिम जातियों के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी वनों और वन-उद्योगों का विकास आवश्यक है।

2 भारत की गर्म जलवायु, नियतकालिक वर्षा, वनों की अपर्याप्त उत्पादकता तथा मुख्यतः कृषि-अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक है कि देश की कुल भूमि के एक-तिहाई भाग पर वन हो। परन्तु इसकी तुलना में वनों का वास्तविक प्रतिशत केवल 21.8 है। घटना ही नदी, अधिकांश वन कुछ थोड़े-से राज्यों—जैसे, असम, मध्यप्रदेश और उड़ीसा तथा कुछ सघीय क्षेत्रों—में ही केन्द्रित हैं। उत्तर-भारत में तो भूमि की तुलना में वनों का अनुपात, भारत के कुल अनुपात के मुकाबले बहुत कम है। सारे देश में वन-क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही, उन क्षेत्रों में सघन विकास की भी जरूरत है, जहां वन-मम्पत्ति बहुत कम है।

3 एक ओर, वनों का क्षेत्र अभी तक अपर्याप्त है तथा दूसरी ओर, औद्योगिक और घरेलू, दोनो क्षेत्रों में वनों के उत्पादन की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाया गया है कि औद्योगिक लकड़ी (लुगदी-सामग्री-सहित) की मांग, जो आजकल 45 लाख टन है, सन् 1975 में बढ़ कर 95 लाख टन हो जाएगी। विशेष रूप से कागज और नकली रेशम के लिए काम में आनेवाली लुगदी की आवश्यकता बढ़ती हुई आबादी, साक्षरता के प्रसार और जीवन-स्तर में उन्नति के साथ-साथ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नई पौध लगाने पर उसके विकास में 25-30 वर्ष लगते हैं, इसलिए सामान्यतः सन् 1975 तक उत्पादन 55 लाख टन से ऊपर जाने की सम्भावना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तब भी 40 लाख टन की कमी रह जाएगी। ईंधन के काम में आनेवाली लकड़ी की बेहद कमी के कारण 40 करोड़ टन गोबर (गीले का बजन)—जो 6 करोड़ टन जलानेवाली लकड़ी के बराबर होता है—खाद के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, प्रति वर्ष जलाने के काम में लाया जाता है। सन् 1975 तक जलानेवाली लकड़ी की कमी का अनुमान 10 करोड़ टन है। साधारण उत्पादनों में चमड़ा-उद्योग के काम आनेवाली मामग्री की वर्तमान मांग 30 हजार टन है, जिसका 30 प्रतिशत अभी भी विदेशों से आयात किया जाता है। अनुकूल रोपण-स्थिति के कारण ओपधियों के पौधों के विकास की बहुत गुंजायश है।

4 सुव्यवस्थित वनों के उत्पादक क्षेत्रों में माल का उत्पादन 2.75 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष है, जब कि देवदार का 4.10 टन और चीड़ का 1.30 टन है। कुछेक कागणों में

भारत में शीत उत्पादन बेहद कम है। राज्यों में अभी तक अर्वाकृत वनों के विस्तृत क्षेत्र तथा जमीन्दारी-उन्मूलन के बाद सरकार-द्वारा अधिगृहीत निजी वन-क्षेत्र में वृक्षादि अधिक नहीं हैं, उनके विकास और सुधार की और ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्गम पर्वतीय इलाकों के वनों में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएँ न होने के कारण इमरती लकड़ी का कुछ भाग बेकार चला जाता है। घटिया किस्म की लकड़ी की बड़ी मात्रा का, जो परिपक्व बनाने और मरक्षण के तरीकों के बाद उपयोग में लाने से अधिक समय तक काम दे सकती है, पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वनों पर चले आ रहे परम्परागत अधिकारों और रिखायतों के कारण भी—जो निस्सन्देह महत्वपूर्ण हैं—उत्पादन में कमी हो जाती है। अधिक विकास की प्रगति तथा नदी-घाटी एवं अन्य परियोजनाओं पर कार्य होने के कारण वनों का क्षेत्र एक सीमा तक कम होना स्वाभाविक है। वनों का क्षेत्र बढ़ाने में कुछ स्वाभाविक कठिनाइयाँ हैं। इन परिस्थितियों में वन-नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में शीत वृद्धि करना तथा तेजी से बढ़नेवाले पेड़-पौधे लगाना होना चाहिए, जिनमें अर्धवृक्षवत्या की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

प्रगति की समीक्षा

5 पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में मरक्षण की प्रक्रियाओं, मचार-व्यवस्था में सुधार, हल्की किस्म के वन लगाने, नई पौधे—विशेष रूप से तेजी से बढ़नेवाले पेड़-पौधे—उगाने, मधुन वन-संचालन के आधुनिक तरीकों के प्रयोग, परिपक्वता और मरक्षण-प्रक्रियाओं में घटिया किस्मों के बेहतर उपयोग, मचार-याचनों की उन्नति और लट्टे बनाने के आधुनिक तरीकों अपनाने पर विशेष बल दिया गया था। सन् 1950 में वन-सम्बन्धी केन्द्रीय मंडल की स्थापना की गई। सन् 1952 में सरकार ने अपनी वन-नीति की घोषणा की, जिनमें वनों के उत्पादक और मरक्षक, दोनों स्वरूपों पर बल दिया गया तथा दूरगामी लक्ष्य के रूप में मुझाव दिया गया कि भूमि के एक-तिहाई हिस्से पर वन लगाने चाहिए। पहली योजना में वनों के विकास पर 9 5 करोड़ 80 तथा दूसरी योजना में 19 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए। केन्द्रीय सरकार ने वन-अनुसन्धान, वन-सम्बन्धी शिक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण को योजनाएँ-मार्ग अपने हाथ में ले ली। भूतपूर्व जमींदारी और राजाओं की जागीरों के साधारण वर्ग के वन सरकार के नियन्त्रण में आ गए। इन क्षेत्रों के सीमांकन और नक्शे तैयार करने का काम शुरू किया गया। पहली और दूसरी योजनाओं में माचिस की लकड़ी के लिए 55,000 एकड़ क्षेत्र में तथा औद्योगिक लकड़ी के लिए 3,30,000 एकड़ क्षेत्र में पेड़ लगाने का काम किया गया। 18,000 वर्ग मील में सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया, 9,000 मील लम्बे वन-भाग बनाए गए तथा निम्न कोटि के लगभग 4,00,000 एकड़ क्षेत्र के वनों का सुधार किया गया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में विशेष रूप से लट्टे बनाने के मुअर्रे हुए तरीकों का प्रदर्शन किया गया।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

6 तीसरी योजना में पहली दो योजनाओं में आरम्भ हुए कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने की व्यवस्था से मात्र-मात्र देश की दीर्घकालीन आवश्यकताएँ पूरी करने के उपायों पर बल देने हुए ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे वनों में प्राप्त उत्पादनों का अधिक किफायतपूर्ण और समुचित लाभ उठाया जा सके। घटिया किस्म की इमारती लकड़ी और लकड़ी के बुरादे

के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है। तात्कालिक उद्देश्य इमारती लकड़ी प्राप्त करने के बेहतर तरीकों में उत्पादन में वृद्धि करना, वनों में संचार-व्यवस्था सुधारना एवं संरक्षण और परिपक्वता की प्रक्रियाओं से वन-उत्पादनों का अधिक-से-अधिक उपयोग करना है। राज्यों और राष्ट्रीय क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रमों के लिए योजना में 51 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इनमें केंद्रीय तथा केंद्र-द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए 67 करोड़ रु० की राशि भी शामिल है। तीसरी योजना के कुछ प्रमुख कार्यक्रम संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

7 **आर्थिक लाभ के लिए पौध लगाना** - उद्योग की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए नई पौध लगाने का विद्यालय कार्यक्रम बहुत जरूरी है। इस नई पौध में लम्बे समय के बाद परिपक्व होनेवाली परम्परागत इमारती लकड़ी की किस्मों के अतिरिक्त तेजी से बढ़नेवाली किस्में भी होनी चाहिए। नए पौध-रोपण-कार्यक्रम में टीक के लिए 2,10,000 एकड़, बांस के लिए 40,000 एकड़, माचिस की लकड़ी के लिए 60,000 एकड़, बबूल के लिए 22,000 एकड़, जलाने की लकड़ी के लिए (जिसमें शीक वृक्ष भी सम्मिलित है) 46,000 एकड़ तथा अन्य प्रकार के पेड़ों, आदि के लिए 3,25,000 एकड़ भूमि की व्यवस्था है। तीसरी योजना को अग्रिम में 3,00,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर औद्योगिक लकड़ी के लिए तेजी से बढ़ने-वाले वृक्षादि लगाने का भी कार्यक्रम है।

8 **ग्रामों में पौध-रोपण एवं वन-विस्तार** ग्रामों में तथा ईंधन के काम की लकड़ी के लिए पौध-रोपण एवं वन-विस्तार के महत्त्व पर अनेक बार बल दिया जाता रहा है, परन्तु व्यावहारिक रूप में उसके परिणाम अधिक नहीं हैं। इन कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर पचायतो और पचायत-समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए, वन-विभाग को हर क्षेत्र में बीज और पौधे मुहैया करने का ध्यान रखना चाहिए। ग्रामों की सांख्यिक भूमि पर, ग्रामीण नडकों के दोनों ओर तथा कटूर वाधों और मिन्नाई के तालाबों के किनारों पर वृक्ष-रोपण में मारे समाज की ओर से प्रयास किए जाने की बहुत गुंजायश है। वृक्ष लगाने में किमानों की व्यक्तिगत रूप में भी महायत्ना मिलनी चाहिए। अनुमान है कि तीसरी योजना में खेतों के आसपास वन लगाने का काम 12 लाख एकड़ भूमि में पूरा किया जा सकेगा। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मार्गों पर, नहरों के किनारे और रेलवे-लाइनों के दोनों ओर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए। इस दिशा में प्रयत्न होने पर ईंधन की लकड़ी तथा औजारों एवं उपकरणों के काम आनेवाली लकड़ी की आपूर्ति में बहुत मदद मिल सकेगी।

9 **उत्पादन-वृद्धि के तरीकों की प्रोत्साहन** लट्टे बनाने के मुद्दे हुए औजारों तथा यांत्रिक उपकरणों की सहायता से नुकसान बचाने और लकड़ी के साधनों के अधिक उपयोग में सहायता मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से काफी बचत हो सकती है। उन्नत देशों में इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक औजारों और अन्य साज-सामान का परीक्षण किया जा चुका है तथा अनेक राज्यों में वन-विभागों के कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है। देहरादून की वन-अनुसन्धान-मंस्था में सुबरे हुए उपकरणों के सम्बन्ध में प्रयोग किए जा रहे हैं।

10 **हिमालय पर्वत के ऊंचे स्थानों पर वनों हुए मूल्यवान वनों को अभी तक या तो काम में नहीं लाया गया अथवा आंशिक रूप में इस्तेमाल किया गया है। इनका मुख्य कारण उन तक पहुंचने की कठिनाईयत है। अनेक स्थानों पर एकदम सीधी और चट्टानी चढाई है, जहां केवल-जनों की आवश्यकता पड़ती है। वन-भागों को बड़ी सडकों तथा नदी-घाटी में**

जोड़ना चाहिए, जिससे इमारती लकड़ी का परिवहन स्रयवा उसे बहा कर ले जाना आसान हो जाए। योजना में 15,000 मील लम्बे वन-मार्गों के विकास की व्यवस्था है।

11 वनों के लघु उत्पादन का विकास : भारतीय वनों में अनेक प्रकार की छोटी-मोटी चीजें मिलती हैं। वन्य जीवों में प्राण वस्तुओं के अतिरिक्त वनों में 3,000 से ऊपर किस्मों के लघु उत्पादन हैं। जड़ी-बूटी, आवश्यक तेल, सरस, चर्वीयुक्त तेल, चर्वी, गोद, श्वेतमार, वाम, वैंत, अनेक किस्म की घाम, कीड़ों में प्राप्त वस्तुओं—जैसे गहूद, लाल और मोम—के दोहन और विकास की बहुत गुंजायश है। मपंगन्ध—जैसी जड़ी-बूटियों के नियांत की सम्भावनाएँ भी बहुत हैं। विभिन्न वन-उत्पादनों के दोहन-सम्बन्धी कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं में रखे गए हैं।

12 इमारती लकड़ी का उपचार : लगभग 100 गौण किस्मों की इमारती लकड़ी मिलती है, जिनका अग्री पुरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। उचित रीति में परिपक्व करन और संरक्षण-उपचार के बाद गौण इमारती लकड़ी को असली इमारती लकड़ी के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में परिपक्वता के 27 और संरक्षण एव संरक्षण के 3 मयन्त्र लगाने की व्यवस्था है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बढ़िया किस्म की इमारती लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान कामों में तथा वही इस्तेमाल की जाए, जहाँ उसके म्यान पर किमी और किस्म में काम न चल सकता हो।

13 सर्वेक्षण और सीमांकन . संरक्षित वनों के बाहर के विशाल क्षेत्र और राज्यों-द्वारा हाल ही में अधिगृहीत क्षेत्रों का वर्गीकरण अग्री नहीं हो सका है और न ही अग्री तक उनकी कानूनी स्थिति निश्चित की गई है। उन क्षेत्रों को फिर से ठीक करने और वैज्ञानिक रीति में उनमें काम करने के लिए इन क्षेत्रों की भूमि का नमूचित सीमांकन, आदि करना आवश्यक है। 43,000 वर्ग मील के क्षेत्र में सर्वेक्षण और सीमांकन-कार्य की योजना बनाई गई है।

पहले से जिन इलाकों का सर्वेक्षण और सीमांकन हो चुका है, वहाँ फिर से सुधार का काम शुरू किया जाएगा। यह सुधार-कार्य 6,00,000 एकड़ भूमि में होगा, जो विशेष रूप से उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मद्रास और मिसूर में है।

14 वन-साधनों का विनियोग-पूर्व सर्वेक्षण . कुछ अरने से महसूस किया जा रहा है कि वनों पर निर्भर रहनेवाले उद्योगों—नक्ली रेगम, चिपबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड आदि—के विकास के लिए देश के वन-साधनों के व्यापक अनुमान की आवश्यकता है। जब तक कच्चे माल की पर्याप्त और निर्भरयोग्य आपूर्ति का प्रबन्ध नहीं किया जाता, तब तक मुगठित औद्योगिक इकाइयाँ नहीं बनाई जा सकती। तीनरी योजना में वन-साधनों और उद्योगों का, पूर्वी लगाने के पहले, सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जल्दी उगनेवाले पेड़-पौधे लगाने का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाने, अन्दर ही इलाकों में वन-क्षेत्र खोलने, तथा वनों पर आधारित उद्योगों के आर्थिक भविष्य का अनुमान लगाने में सुविधा पहुँचाना है। विनियोग-पूर्व सर्वेक्षण में विभिन्न उद्योगों की अगले 15 या इससे अधिक वर्षों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। सर्वेक्षण के बाद परिवहन-सुविधाओं में सुधार और मुगठित लकड़ी-उपयोग-इकाइयों (लकड़ी चीरने, तलने बनाने आदि) की स्थापना के विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। सर्वेक्षण के प्रकार में ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो इमारती लकड़ी तथा आर्थिक दृष्टि में वनों के अन्य मूल्यवान उत्पादन की आपूर्ति और इनकी मांग के बीच की खाई कम करने में सहायक हो।

15 चरागाहों का सुधार : देश के कुछ भागों में पशुओं के चारे की कई बार बेहद कमी हो जाती है। कुछ ऐसे वृक्ष और झाड़ियाँ हैं, जिनकी पत्तियाँ, चारे की कमी के समय पशुओं के खाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। जहाँ खेती बहुत अनिश्चित है और बड़े-बड़े क्षेत्र सिंचाई के बिना बेकार पड़े हैं और लोग पशुओं को बड़े-बड़े रेवड रखते हैं, वहाँ बड़े-बड़े चरागाह बनाना आवश्यक है, जिनमें चारे के काम आनेवाले पेड़-पौधे तथा झाड़ियाँ बड़ी संख्या में लगाई जाएँ। योजना में ऐसे क्षेत्रों में 1,50,000 एकड़ भूमि पर चरागाहों के विकास की व्यवस्था की गई है।

16 वन-अनुसन्धान : देहरादून की वन-अनुसन्धान-संस्था में दूसरी योजना के दौरान शुरू किया गया अनुसन्धान-कार्यक्रम जारी रहेगा और उसमें विस्तार भी किया जाएगा। देहरादून की संस्था में ही रहे कार्य की सहायता के लिए तीन प्रादेशिक अनुसन्धान-केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विभिन्न प्रदेशों में प्राप्त अनेक किस्म की लकड़ी के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से उक्त केंद्रों में विभिन्न प्रकार के गुणों—मजबूती, टिकाऊपन, उपयोग में किफायत आदि—के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। चन्दन, अमर, आदि मूल्यवान सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाने के कारणों तथा कम प्रचलित वन-उत्पादनों का उपयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं की भी जांच की जाएगी। विभिन्न कामों में आनेवाले वेंत और वाम उगाने तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए जाएंगे।

17 तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण वन-विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को सफलता से क्रियान्वित करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अनुमान है कि राज्यों के वन-विभागों के लिए ही 480 अधिकारियों और 1,520 वन-कर्मचारियों (रेंजर्स) को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। देहरादून के वन-सहायविद्यालय में अधिकारियों के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की सुविधा 85 से 100 कर देने का इरादा है। इसी प्रकार, देहरादून और कोयमुतूर के फारेस्ट रेंजर कालेजों में स्थान 200 से बढ़ा कर 300 करने का विचार है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने भी फारेस्ट और फारेस्ट गार्ड (वन-रक्षकों) के काम के लिए लगभग 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने का कार्यक्रम बनाया है।

18 प्रकृति-संरक्षण : वन-विकास में प्रकृति-संरक्षण का बहुत महत्व है। इसमें न केवल प्राकृतिक वनस्पति का उचित संरक्षण और प्रवर्धन शामिल है, बल्कि जीव-जन्तुओं की रक्षा भी सम्मिलित है। जहाँ मानवीय हस्तक्षेप से जीव-जन्तुओं को मरना बहुत कम हो गई है, वहाँ पशु-पक्षी बाह्य से भेजे जाएंगे। योजना के अनुसार 5 चिड़ियाघर, 5 राष्ट्रीय उद्यान और 10 अन्य जीव-संरक्षण-क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। टिब्बो के चिड़ियाघर का और भी विस्तार किया जाएगा।

19 वन-श्रमिकों के लिए सुविधाएँ वन-श्रमिकों को समुचित रूप से संगठित नहीं किया गया है। उनके हितों की रक्षा करने एवं धार्मिक जानियों के लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से वन-श्रमिकों की सहकारी संस्थाएँ बनाने का विचार है। इन संस्थाओं को आवश्यक रिश्तायें देकर उनके काम तथा अन्य उत्पादनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों की योजनाओं में वन-श्रमिकों के लिए उचित संगठनीय व्यवस्था देने का पानी और प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ देने की व्यवस्था है।

20 जन-सहयोग : वनों के विभाग में जन-सहयोग को एक उच्च भूमिका है। लोगों -

तथा वन-विस्तार के काम में स्थानीय जनता के योग का उल्लेख पहले किया जा चुका है। पीछे चाहे सरकारी मन्थाओं के जरिए लगाए जाए अथवा जनता-द्वारा, उनकी देखभाल और रक्षा तभी हो सकती है, जब जनता वृक्षों के मूल्य को समझे और उनकी रक्षा के लिए बन्धुत प्रयत्न करे। गांवों में ईंधन के काम आनेवाले पेड़-पौधे नारे गांव की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं और ग्राम-जनताओं को उनके विकास का काम अपने ऊपर ले लेना चाहिए और आगे चल कर तो वनों के प्रबन्ध की नागे जिम्मेदारी पंचायत-समितियों और पंचायतों को दी जा सकती है।

मिट्टी-संरक्षण

21 देश के अनेक भागों में खेती की उपज में कमी का मुख्य कारण यह है कि क्षरण के कारण मिट्टी धीरे-धीरे कम उपजाऊ होती जाती है। सिंचित क्षेत्रों में पानी जना हो जाने के फलस्वरूप मिट्टी में नमक और क्षार की मात्रा बढ़ गई और वह कम उपजाऊ हो गई। अनुमान है कि लगभग 20 करोड़ एकड़ भूमि (अथवा देश की कुल भूमि के चौथाई भाग) को इस प्रकार कटाव ने हानि पहुंच रही है। यदि मिट्टी ही उपजाऊ न रही तो उत्पादन बढ़ाना तो दूर, नूत्रे क्षेत्रों में जनता उपज कायम रखना भी सम्भव नहीं रह जाएगा। इसलिए मिट्टी-संरक्षण तथा नमी बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रगति की समीक्षा

22 पहली पंचवर्षीय योजना में मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी विभिन्न मन्थाओं को तत्काल हल करने की राष्ट्रव्यापी नीति बनाने पर बल दिया गया था। मन् 1953 में खाद्य और कृषि-मन्त्रालय ने केंद्रीय मिट्टी-संरक्षण-मंडल नियुक्त किया, जिने मिट्टी और जल-संरक्षण के सम्बन्ध में अनुसन्धान शुरू करने, बनाने और समन्वय करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम चलाने में राज्यों को सहायता देने का काम सौंपा गया। पहली योजना में मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रमों पर 1 6 करोड़ 80 लाख किए गए। इन रकम का अधिकांश भाग कट्टर बाघ बनाने और 7,00,000 एकड़ भूमि पर मीढीदार खेत बनाने पर खर्च हुआ। यह कार्य मुख्यतः महाराष्ट्र और मद्रास-राज्यों में हुआ। जल-संरक्षण की समन्थाओं का अध्ययन करने के लिए 8 प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रदर्शन-केंद्र स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, जोधपुर में मरु-वनरोपण और अनुसन्धान-केंद्र की स्थापना की गई, जिने रेगि-स्तान-सम्बन्धी समन्थाओं की जाच-पड़ताल का काम सौंपा गया।

23 दूसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण के काम पर 18 करोड़ 80 लाख किए गए। कट्टर बाघ और सौढीदार खेत बनाने के काम में बहुत प्रगति हुई, विशेष रूप से पुराने बम्बई-राज्य में इन कार्य ने 20 लाख एकड़ भूमि को लाभ हुआ। अन्विल भारतीय मिट्टी-संरक्षण और भूमि-उपयोग का मण्डल संवर्धन भी शुरू किया गया। अभी तक 1.2 करोड़ एकड़ भूमि का संवर्धन हो चुका है, जिसमें से 20 लाख एकड़ नदी-घाटियों के श्राद्ध क्षेत्रों में है।

24 पहली योजना में देहरादून में अधिकारियों, तथा कोटा, बेलगारी, उदकमंडलम तथा हजारीबाग में सहायकों के प्रशिक्षण के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम दूसरी योजना में भी चलने रहे। अभी तक 170 अधिकारियों और 900 सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका

इसके अलावा, गामुदायिक विकास के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित करने और पुनर्र्थागत पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई।

25 बागानी खेती के तरीकों का प्रचार करने के लिए दूसरी योजना के अंतर्गत में राज्य क्षेत्रों के अधीन 40 प्रदर्शन-कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। इसके कार्यक्रम 1,000 एकड़ भूमि के लिए हैं। उनमें से कुछ परियोजनाओं पर काम आरम्भ भी हो चुका है और तीसरी योजना में उनका विस्तार तथा इन्हें पूरा किया जाएगा।

26 विभिन्न अनुसन्धान-केन्द्रों में किए गए अनुसन्धान-कार्य का उपयोग परिणाम निकाला है। गुजरात की घाटियों में उबली घाटियों को खेती के काम के लिए सुधारने का काम किया गया। गहरी और गहरी घाटियों का बागवानी के काम की फसली, चारे के काम के पेड़-पौधों और चरागाह सुधारने के लिए विकास किया गया तथा उनके परिणाम बहुत आशाजनक रहे। गहरी काली मिट्टी पर हुए प्रयोगों से पता चला है कि कटूर बाध बनाए रखती करने से काली मिट्टी की जमीन पर खार की उपज में 60-70 फीसद प्रति एकड़ तथा चारे में इसमें दुगुनी वृद्धि हो सकती है। जोधपुर में रेत के टीलों को एक जगह स्थिर करने तथा गेन उठने की समस्याओं पर प्रयोग करके 1,800 एकड़ भूमि में गेन के टील स्थिर किए गए। चरागाहों के विकास-सम्बन्धी अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बारी-बारी में चराई और बीच-बीच में चराई बिल्कुल बन्द कर देने से घास की उपज में बहुत वृद्धि हो गई।

27 जोधपुर के मरु-वनरोपण और अनुसन्धान-केन्द्र को नयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति-संगठन के सहयोग से केन्द्रीय शुष्क प्रदेश-अनुसन्धान-संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस संस्था के कार्यक्षेत्र का अब देश-भर में शुष्क और अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों की समस्याओं के अध्ययन तक विस्तार हो गया है। जोधपुर में हुए परीक्षणों में मिट्टी हुआ है कि चरागाहों का विकास और प्रबंध उबली रेत के कारण बेकार हो जानेवाली जमीन से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में चरागाहों के विकास का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया। अनुसन्धान और प्रदर्शन के लिए इन कार्यक्रम के अनुसार चरागाहों के विकास और प्रबंध-सम्बन्धी 55 क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। हर क्षेत्र लगभग 200 एकड़ का खाने की योजना थी। अभी तक 18 विस्तार-खंडों में 50 क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

28 दूसरी योजना में हुए अनुभव तथा मिट्टी-संरक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सहायता से तीसरी योजना में विकास-कार्य तैयार करने का इरादा है। विभिन्न मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में 72 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

29 कटूर बाध बनाने और बाराही खेती के तरीके भारत में खेती का प्रबंध चाहे जितना फल जाए, फिर भी 14-15 करोड़ एकड़ का विस्तृत क्षेत्र ऐसा बच जाएगा, जिसमें पैदावार बढ़ाने के लिए कटूर बाध बनाने तथा मिट्टी-संरक्षण और बाराही खेती के ही तरीके अपनाने होंगे। अब कृषि-साधनों के मत्तुलित विकास के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी-संरक्षण का कार्य और बाराही खेती करनी होगी तथा इन कार्यों में सम्बद्ध गांवों के लोगों को काफी योग देना होगा। तीसरी योजना में 11 करोड़ एकड़ भूमि पर कटूर बाध बनाए जाएंगे तथा 22 -

करोड़ एकड़ भूमि को बारानी खेती के तरीको से लाभ पहुंचाया जाएगा। वटूर बाघ बनाने के अनिश्चित, विशेष ध्यान देने-योग्य कार्यक्रमों में वर्षों का पानी सुरक्षित रखन, मोथा-निक्षत्रण, पट्टीदार खेती और हरी खाद-महिन रामायनिक खाद का मही प्रयोग शामिल है।

30 नदी-घाटी-परियोजनाएं: नदियों के ग्राह्य क्षेत्रों में वन लगाना और भूमि-उपयोग के लिए इसी प्रकार के अन्य कार्य निम्नलिखित दृष्टि से आवश्यक हैं

- (अ) नदी-घाटी-परियोजनाओं में बनाए गए जलाशयों को बहुत समय तक ठीक हालत में रखने के लिए
- (आ) छोटे मिचार्ड-नालों से कारण तरीक से काम लेने के लिए,
- (इ) बाढ़ कम करने के लिए,
- (ई) भूमि का कटाव रोकने के लिए,
- (उ) मिट्टी का उर्वरक बनाने के लिए, और
- (ऊ) इमारती लकड़ी तथा ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए।

जैसा कि पहले एक अध्याय में बताया जा चुका है, भाबड़ा-नगल, दामोदर-घाटी-निगम, हीरा-कुंड और दूसरी बड़ी-बड़ी नदी-घाटी-परियोजनाओं में ग्राह्य क्षेत्रों में भूमि-रक्षण के उपाय फौरन ही काम में लाने की आवश्यकता है। इन नदी-घाटी-परियोजनाओं के कुल 37 करोड़ एकड़ ग्राह्य क्षेत्र में करीब 15 करोड़ एकड़ में मिट्टी-रक्षण के तरीको का इस्तेमाल जरूरी है। दूसरी योजना में इन तरीको का लाभ 1,40,000 एकड़ भूमि को पहुंचाया गया। नीमरी योजना में 11 करोड़ ६० की व्यवस्था कर 10 लाख एकड़ अनिश्चित भूमि में इनका लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया गया है। नष्ट के कटाव को रोकने के लिए नदियों और नहरों के किनारे पेड़-पौधे लगाने के कार्यक्रमों की गति बढ़ाने पर भी बल दिया गया है।

31 क्षारयुक्त और ऊसर भूमि का सुधार निश्चित भूमि के नष्ट होने का एक बड़ा कारण भूगर्भ-जल का स्तर बढ़ना तथा मिट्टी में क्षार और नमक की मात्रा का अधिक होना है। ऐसी 2 करोड़ एकड़ भूमि का प्रायः एक-तिहाई भाग जलप्लावन और मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होने से, एक-तिहाई भाग क्षार की अधिकता तथा भूगर्भ-जल का स्तर बढ़ने से तथा शेष भूगर्भ-जल का स्तर जमीन के नीचे 10 फुट तक आ जाने से बढ़ाई हो जाता है। मिचार्ड के विस्तार के साथ भूमि को नुकसान पहुंचाने का भी खतरा है। इसलिए जलप्लावन-रहित क्षेत्रों में जन-निकानी की व्यवस्था करना आवश्यक है। तीसरी योजना में 2,00,000 एकड़ भूमि के सुधार की व्यवस्था की गई है, जो जलप्लावन, क्षार और नमकयुक्त होने के कारण नष्ट हो रही है। यह भूमि अधिकांशतः पंजाब, उत्तरप्रदेश, मैनूर, गुजरात महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में है। लखनऊ के निकट बन्धरा-फाम तथा अन्य केंद्रों में किए गए प्रयोगों के परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं और इन दिशा में आगे अध्ययन जारी है।

32 उपघाटियों की भूमि की समस्या: यमुना चम्बल, माही आदि नदियों और उनकी सहायक नदियों के किनारों की बरती का बड़ा भाग बुरी तरह कटता जा रहा है और वह क्षेत्र उपघाटियों का इलाका बनता जा रहा है। उपघाटियां अभाव गति से बढ़ रही हैं और बहा खेती खत्म होनी जा रही है। उपघाटियों के इन प्रकार कटाव से उत्तरप्रदेश में 35 लाख एकड़ और मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में 8-8 लाख एकड़ भूमि को बहन हालि पहुंची है। अनुसंधान-केंद्रों में हुए कार्य के परिणामस्वरूप नदी-उपघाटियों

को ग्राह्य क्षेत्रों में भूमि सुधारने के लिए नियन्त्रित चराई, वन-रोपण, मीठीदार खेत बनाने और मिट्टी-संरक्षण के अन्य उपायों के महत्व पर बल दिया गया है। परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में समस्या की गम्भीरता का अध्ययन तथा भावी कार्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। सुधार-कार्यक्रम बनाने और उन पर अमल करने के लिए सर्वेक्षण तथा भौगोलिक एवं जमीन की वनावट-सम्बन्धी तथ्यों तैयार करने का काम आरम्भ करने का इरादा है। इसके लिए और कुछ मरुप्रदेशों में सुधार-कार्य-सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं परीक्षण-कार्य के लिए 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना में उपघाटियों का क्षेत्र सुधारने की दिशा में कुछ शुष्कता हुई थी तथा मध्यप्रदेश और गुजरात में कुछ परीक्षण-परियोजनाएँ आरम्भ की गई थी। तीसरी योजना में उपघाटियों की 40,000 एकड़ भूमि सुधारने के कार्यक्रम रखे गए हैं।

33 रेगिस्तानी प्रदेश : पेड़ों को अन्धाधुन्ध काटने, बहुत अधिक चराई और जमीन को अनुचित प्रयोग से रेगिस्तान बराबर बढ़ता जा रहा है। भारत में रेगिस्तान कच्छ की रान से लेकर गुजरात और राजस्थान के बड़े-बड़े शुष्क क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पशु और मनुष्य, दोनों की आवादी बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति खत्म होती जा रही है और पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में ऊँच भूमि नष्ट होकर मरुभूमि बढ़ने की स्थिति पैदा होती जा रही है। इन क्षेत्रों में अधिकांश लोगों का मुख्य धन्धा पशुपालन, भेड़ और बकरीपालन है। इसलिए हवा से कटाव की समस्या चरागाहों की समस्या से जुड़ी हुई है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र-अनुसन्धान-संस्था ने इन समस्याओं और सम्बद्ध प्रश्नों पर अनुसन्धान का काम आरम्भ किया है। कच्छ की रान के एक भाग में मरुभूमि के सुधार के तरीके और उपयोगिता की जांच के लिए एक परीक्षण-कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में मिट्टी-संरक्षण, जिसमें वन-रोपण, चरागाहों का विकास, आदि उपाय शामिल हैं, का कार्यक्रम 1,00,000 एकड़ मरुभूमि में लागू करने का इरादा है।

34 पहाड़ी क्षेत्र और दूसरी परती भूमि : मिट्टी-क्षरण की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र, वनस्पति-रहित जंगल और परती भूमि, एक गम्भीर समस्या है। इन क्षेत्रों में मिट्टी-क्षरण का बुरा असर पहाड़ों और मैदानों की खेती पर पड़ता है। बहुत अधिक चराई, अन्धाधुन्ध पेड़ काटना और अनिश्चित खेती में यह हालत हो गई है। मिट्टी-क्षरण पर नियन्त्रण करने और उत्पादकता को सामान्य उपयोग के स्तर तक लाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र, परती भूमि और वनस्पति-रहित जंगलों के 7,00,000 एकड़ क्षेत्र में वन-रोपण और चरागाहों का विस्तार किया जाएगा।

35 सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण : केन्द्रीय मिट्टी-संरक्षण-मंडल ने सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण का एक मशहूर कार्यक्रम तैयार किया है। तीसरी योजना में 1.5 करोड़ एकड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें में अधिकांश भूमि नदी-घाटी-परियोजनाओं के ग्राह्य क्षेत्रों में है। मउल-द्वारा क्षेत्रीय मिट्टी-क्षरण-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए स्थापित क्षेत्रीय अनुसन्धान एवं प्रदर्शन-केन्द्रों को और मजबूत बनाया जाएगा। ये केन्द्र देहरादून (हिमालय-क्षेत्र), चंडीगढ़ (पिवालिब-क्षेत्र), कोटा (राजस्थान की उपघाटियों का क्षेत्र), बमाल (गुजरात की उपघाटियों की भूमि), प्रागरा (यमुना की उपघाटियाँ), बेल्लारी (काली भूमि), उदकमडनम (पहाड़ी क्षेत्र), छनरा (कोसी का जल-विभाजक) और जोधपुर (मरुप्रदेश) में हैं। तान मिट्टीयानी भूमि को

समस्याओं के अध्ययन के लिए उड़ीसा और झारखण्ड प्रदेश में दो श्रौं केंद्र स्थापित करने का इरादा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र-अनुसन्धान-संस्था शुष्क क्षेत्रों की मूल श्रौं सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन कर उनके बारे में अनुसन्धान का काम करेगा। रेगिस्तान की उड़नी रेत को स्थिर करने के लिए चरागाह-विकास-कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। परिवर्तनशील खेती के तरीकों में सुधार करने की भी व्यवस्था की गई है। अन्न में एक मुख्य केंद्र होगा तथा मणिपुर, उत्तर-पूर्व सीमान्त-अभिवरण तथा त्रिपुरा में मे प्रत्येक में दो उपकेंद्र और एक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परिवर्तनशील खेती-सम्बन्धी अनुसन्धान श्रौं अध्ययनों का उद्देश्य भूमि की उत्पादकता बनाए रखने तथा भूमि एवं जन-संरक्षण के निग स्थिर खेती के समुचित तरीकों का विकास करना होगा। इस क्षेत्र में परिवर्तनशील खेती के नामाजिग एवं आर्थिक पहलुओं का भी अध्ययन किया जाएगा।

36 अधिकांशियों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में नया महायको के निग चार प्रशिक्षण-केंद्रों—उदकमण्डन बेल्लारी, कोटा और हजारीबाग—में मुविवाए दी गई है। उपसहायकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्यो-द्वारा की गई है। अधिकांशियों श्रौं महायको के नियमित प्रशिक्षण-क्रम के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार ने गजटयदा अधिकांशियों के लिए 3 महीने के विद्यो पुनरन्वाम श्रौं विन्साग व नड-विकाम-अधिकांशियों के लिए 2 में 4 सप्ताह के सप्त प्रशिक्षण-कार्यक्रम की भी व्यवस्था की है। तीमरी योजना में तर्नावी कर्मचारियों के अतिरिक्त माग का अनुमान 350 अधिकारी, 1,700 महायक श्रौं 9 000 उन्सहायक है। इनके अनुसार प्रशिक्षण की वर्तमान मुविवाए बटाई जा रही है।

37 प्रशासनिक सगठन : मिट्टी-संरक्षण का काम बहुत महत्व का हो गया है—नदी-घाटियों में भी, जहा बहुत अधिक धन खर्च कर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और सून्ने क्षेत्रों में भी जहा कट्टर बाघ और मिट्टी-संरक्षण के अन्य उपाय बहुत बड़े पैमाने पर अपनाए जाएंगे। मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम शुरू करने, उनके सम्बन्ध में योजनाएं बनाने तथा उन्हें अमल में लाने के लिए हर राज्य में मजबूत मिट्टी-संरक्षण-सगठन होना चाहिए, चाहे वह अलग विभाग के रूप में हो अथवा किसी विभाग की शाखा के रूप में। आवश्यकता उन्स बात की है कि इन कार्यक्रम के मार्गदर्शन और अमल के लिए उपयुक्त स्तर का पूरे समय काम करनेवाला अधिकारी अवश्य रखा जाए। सगठन के कर्मचारियों में कृषि, इजीनिअरी और वन-विद्या-सम्बन्धी योग्यता और प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। राज्यों की राजधानियों में एक सम्बन्ध-समिति बनाना भी आवश्यक है जिनमें कृषि मिन्चार्ड, वन और मिट्टी-संरक्षण-विभागों के अध्यक्ष भी हों। इन प्रकार की समिति नीति-सम्बन्धी निर्णय जल्दी-से-जल्दी करने में महायक होगी श्रौं मिट्टी-संरक्षण-कार्यों का सम्बन्ध तथा दुगल मार्गदर्शन कर सकेंगी।

38 जन-सहयोग : मिट्टी-संरक्षण के अन्तर्गत कट्टर बाघ और वारानी खेती आदि के कार्यक्रमों पर अमल करने समय मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि भूमि के मालिकों और उपभोक्ताओं को स्वैच्छा से उक्त कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहन देकर अधिक-से-अधिक बड़े पैमाने पर जन-सहयोग प्राप्त किया जाए। कायत्कारों को बटाव के सम्बन्ध में जागृक बनाया जाए, जिनसे वे मिट्टी-संरक्षण के कार्य में स्वयं ही पहल करने के लिए तैयार हो जाए। इन कार्य के लिए गाँवों की तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से शिक्षा का सघन कार्यक्रम शुरू करना होगा, जिनसे किसानों को इन कार्यों की पूरी जानकारी हो जाए। अनेक

स्थानों में, मुख्यतः महाराष्ट्र में, हुए अनुभव में मालूम हुआ है कि स्थानीय नेतृत्व तैयार करने और समय पर जनता का सहयोग लेने से मिट्टी और जल-संरक्षण-कार्यक्रम तैयार करना अधिक महज हो सकता है। पंचायती राज-संस्थाएँ जनता को इन कार्यक्रमों की बड़े पैमाने पर जानकारी कराने में बहुत बड़ी भूमिका प्रदा कर सकती हैं।

39 विधि-विधान 'कट्टर बाघ बनाने, मिट्टी-संरक्षण और भूमि-सुधार के अन्य कार्यक्रमों को ठोस तरीके से चलाने के लिए कुछ उपयुक्त कानून बनाए जाएँ, ताकि राज्य-सरकारों को किन्हीं नदी-क्षेत्र अथवा ग्राम-समूहों के लिए मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाए। सरकारी भूमि पर होनेवाले कार्यों का खर्च राज्य को ही उठाना होगा। लोगों की निजी भूमि पर किए जानेवाले संरक्षण-कार्यक्रमों का खर्च उनमें लाभ उठानेवाले ही उठाएँगे। राज्य की ओर से उपयुक्त तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यदि लाभ उठानेवाले स्वयं वह कार्यक्रम अमल में नहीं लाएँगे, तो सरकार अथवा उसकी ओर में पचायतों या पंचायत-समितियाँ उन्हें कर देंगी तथा सारा खर्च लाभ उठानेवालों से वसूल कर लेगी। इस दिशा में 9 राज्यों में कानून बना दिए गए हैं और निकट भविष्य में 5 और राज्य इसी प्रकार के कानून बनाने का इरादा कर रहे हैं।

खेतिहर श्रमिक

प्रगति की समीक्षा

योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत एक मुख्य काम खेतिहर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें उन सामाजिक-अक्षमताओं से मुक्ति दिलाना है, जिनमें वे अब तक पीड़ित रहे हैं। भावी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेतिहर श्रमिकों का स्थान तथा उनके लिए काम की व्यवस्था, यहाँ दो प्रमुख समस्याएँ हैं। अतीत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आवार जाति और पैसे पर आधारित वर्गीकरण था। स्वतन्त्रता के बाद किए गए विभिन्न प्रयत्नों और समाज-सुधार-सम्बन्धी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप खेतिहर श्रमिकों, और आम तौर पर सभी पिछड़े वर्गों, की सामाजिक-कठिनाइयाँ काफी कम हुई हैं। साथ ही, जनता के इन वर्गों की आर्थिक समस्याएँ—विशेषरूप से रोजगार के अधिक अवसर देने की आवश्यकता—अधिक स्पष्ट हो गई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों के सभी वर्गों को काम के पूरे अवसर देना और बेहतर जीवन विताने के माध्यम उपलब्ध करना, विशेषरूप से खेतिहर श्रमिकों और अन्य पिछड़े वर्गों को अन्य लोगों के बराबर स्तर तक पहुँचने में मदद करना है। इनकी समस्याएँ निम्नलिखित चुनौतियों के समान हैं, और इनका मन्तोप-जनक हल ढूँढने की जिम्मेदारी सारे समाज पर है।

2 खेतिहर श्रमिकों की समस्याएँ हर प्रदेश में एक समान नहीं हैं—ये आबादी की अधिकता, खेती की कुल जमीन, सिंचाई-सुविधाओं और दोहरी फसल के अवसरों में अन्तर, जमीन की उत्पादन-शक्ति, फसलों के तरीके, खेती के मौसम के बाद गाव से जाने और खेती के अलावा रोजगार अपनाने के अवसरों, आदि के कारण विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मात्रा में पाई जाती हैं। फिर भी, दो बार—सन् 1950-51 और 1956-57 में—हुई अखिल भारतीय कृषि-श्रम-जाच के परिणामों तथा कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ मोटी बातें सामने आई हैं। दोनों बार की जाच के निदान्त कुछ सीमा तक भिन्न थे, इसलिए दोनों के फलस्वरूप प्राप्त आकड़ों की पूरी तरह तुलना नहीं हो सकती। सारे देश के लिए एक समान मान्यता अपनाना भी ठीक नहीं होगा। हाँ, दोनों बार की जाच में जो बहुत स्पष्ट रूप में बातें प्रकट हुईं, वे हैं—समस्या की विशालता, व्यापक रूप में विद्यमान अर्ध-रोजगारी और यह तथ्य कि आबादी बढ़ने का सबसे बुरा असर इन्हीं वर्गों पर पड़ा है। कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन के सर्वेक्षणों में भी इन सामान्य निष्कर्षों की पुष्टि हुई है।

3 खेतिहर श्रमिकों की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी और अर्ध-रोजगारी की विशालतर समस्या का एक अंग है। खेती और सिंचाई के विकास के कारण उत्पादन और काम के अवसर बढ़े तो हैं, पर उनमें हिस्सा बटानेवालों की संख्या बहुत बड़ी है। उन ग्रामीण लोगों को, जो भूमिहीन हैं अथवा वास्तव में क्रांति-

नगर नहीं है, दूसरों की अपेक्षा बहुत कम लाभ पहुँचा है। कुछ क्षेत्रों में तो उनकी अवस्था सम्भवतः और विगड़ी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएँ हैं—कम आमदनी, कम उत्पादकता और निरन्तर चलनेवाले रोजगार का अभाव। तीसरी योजना में विकास के मधुन कार्यक्रमों के जरिए ये समस्याएँ ज्यों-ज्यों हल होती जाएगी, त्यों-त्यों खेतिहर श्रमिकों की स्थिति और उनका भविष्य सुधरता जाएगा। लेकिन साथ ही, यह बात सदा मानी गई है कि ग्रामीण जनता के हित में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं, उनकी उद्देश्य-निष्ठि में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से विभिन्न दिशाओं में अन्य विभिन्न कार्रवाइया भी की जानी चाहिए, जिनसे खेतिहर श्रमिकों को अपने जीवन-यापन की स्थिति सुधारने तथा सामुदायिक विकास और अन्य कार्यक्रमों के कारण गावों में मिलनेवाले रोजगार के अधिक अवसरों में पर्याप्त और उचित हिस्सा ग्रहण करने में सहायता मिले।

4 पहली पंचवर्षीय योजना में खेतिहर श्रमिकों को बचाने और उन्हें अपने ठिकानों में बँधाने होने से बचाने की व्यवस्था की गई थी। भूमि की पुनर्व्यवस्था की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। सन् 1948 का न्यूनतम पारिश्रमिक-अधिनियम खेती-सम्बन्धी रोजगार पर भी लागू किया गया। अनुभव से मालूम हुआ है कि कृषि-सम्बन्धी पारिश्रमिक का स्तर काफी हद तक कृषि-उत्पादकता में वृद्धि और विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये के बढ़ते हुए उपयोग से सम्बद्ध रहता है। इसलिए यह निश्चय किया गया कि न्यूनतम पारिश्रमिक-सम्बन्धी व्यवस्था लागू करते समय पहले विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए, जहाँ सबसे कम पारिश्रमिक दिया जाता है।

5 दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई के विकास तथा सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के विस्तार से सम्बद्ध कार्यक्रमों के अलावा ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए भी 200 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। ग्रामीण कार्यक्रमों में जनता के कमजोर वर्गों—जैसे, खेतिहर श्रमिकों, कारीगरों, आदि—के लाभ की योजनाओं को अपने ऊँची प्राथमिकता देने का सुझाव रखा गया। योजना में ऐसे विशेष कार्यक्रम भी शामिल किए गए, जिनमें खेतिहर श्रमिकों को लाभ हो, इनमें भूमि की पुनर्व्यवस्था, मकान के लिए स्थान की व्यवस्था, सहकारी श्रमिक-संस्थाओं की स्थापना, आदि कार्यक्रम शामिल थे। सितम्बर 1957 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने सुझाव रखा कि जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने तथा भूदान एवं ग्रामदान के जरिए प्राप्त भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों के 3 लाख परिवारों को बसाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाए। उस समय तक जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने-सम्बन्धी व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी, इसलिए यह योजना अपने प्रस्तावित रूप में अमल में नहीं लाई जा सकी। फिर भी, कुछ राज्यों ने अपनी-अपनी पुनर्व्यवस्था-सम्बन्धी योजनाओं के अनुसार-काम जारी रखा और कुछ योजनाओं में केन्द्रीय सरकार ने भी सहयोग दिया। पंजाब, बम्बई, आन्ध्रप्रदेश और विहार आदि कुछ राज्यों में श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं की, दिशा में भी प्रगति की गई।

6 केन्द्रीय सरकार से सहायता-प्राप्त दो योजनाओं के अन्तर्गत विहार में 10 हजार परिवार भूदान में मिली जमीन पर बसाए गए। उड़ीसा में ग्रामदान में मिले

गावों के विनाम के लिए भी महायत्ना दी गई। भूदान में मिस्री कुल 14 लाख एकड़ भूमि में से 9 लाख एकड़ भूमि का अवनक विन्यास ही चुका है। प्रगति में धीमापन प्राप्त जमीन की मिश्रित-सम्बन्धी तथा अन्य मगठनात्मक तारों में उन्मत्त होनेवाली कठिनाइयों के कारण आया।

7 दूसरी योजना की अवधि में अनेक राज्य-सरकारों ने भूमिहीन व्यक्ति-श्रमिकों को मकान बनाने के लिए मुफ्त या मन्गी जमीन देने तथा उन्हें ज्वरन वेदखनी में बचाने के लिए वरदान उठाए। आन्ध्रप्रदेश में मनी आन्वितिक आवेदनकर्ताओं को मकान बनाने के लिए जमीन दी गई—प्राथमिकता उन लोगों को दी गई, जिनके पास पहले विलकुल जमीन नहीं थी। मध्यप्रदेश में ग्राम लोग पर गावों में ही उनके मकानों के लिए जमीन निश्चित कर दी गई जहां सरकारी जमीन थी, वहां उनमें कोई किस्त या मूल्य नहीं लिया गया। मद्रास में सरकारों फलतः जमीन बेध-वार-लोगों को दी गई। हरिजनों और अन्य लोगों को देने के लिए जहां सरकारी जमीन नहीं थी, वहां अधिराज्य करके उन्हें या तो वही जमीन दी गई, जिन पर वे रहते थे या और कोई जमीन दी गई। मकानों के लिए यह जमीन बेध और बेजमीन-लोगों को विलकुल मुफ्त दी गई। महाराष्ट्र-सरकार ने निवेदन दिया है कि सामान्यतः गावों के निकट की जमीनों का पहला उपयोग मकानों के लिए ही किया जाए। यह भी व्यवस्था की गई कि कलकट्टा त्रेतिहर परिवारों को मकान के लिए दो 'गुठ' या 200 र० तक की जमीन दे दें। मैसूर में, जहां सरकारों जमीन उपलब्ध नहीं थी, वहां मुआबजा देकर गैर-सरकारी जमीन का अधिग्रहण किया गया और वृक्षेतिहरी को मकान बनाने के लिए दे दी गई। पंजाब में भूमिहीनों को जमीन खरीदने तथा मकान के लिए उचित स्थान प्राप्त करने के लिए महायत्ना देने की योजनाएँ बनाई गई हैं।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

8 पहली दो योजनाओं के अनुभवों ने यह स्पष्ट है कि खेतिहर श्रमिकों के हित को विशेष योजनाएँ उपयोगी तो हैं, परन्तु वे नमस्त्वा को पूरी तरह हल नहीं कर पाती, छू-भर देती हैं। अन्ततः, समग्र देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अग्र-रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र और मजबूत विकास ने ही समाज के भूमिहीन वर्गों को पर्याप्त लाभ पहुंचा सकता है। तीसरी योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी लगाने की व्यवस्था है। नरकारी क्षेत्र में कृषि, सामुदायिक विकास और निचाई पर 1,700 करोड़ र० से भी अधिक के व्यय की व्यवस्था है। इसमें कृषि-उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। निचाई में 2 करोड़ एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और खेती की 1 करोड़ 10 लाख एकड़ जमीन निष्ठी-मरक्षण के अन्तर्गत आएगी।

9 ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम में लघु, अस्वर चांदी, ग्रामाद्योगों तथा लघु उद्योगों के लिए 92 करोड़ र० की व्यवस्था की गई है एवं गावों में औद्योगिक वस्तु बनाकर का निष्पन्न किया गया है। 5,000 नए अधिक आवादीवाले सभी कस्बों तथा गावों और 2,000 से 5,000 के बीच की आवादीवाले गावों में विजली पहुंचाने की आशा है। यदि इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया जाए, तो अतिरिक्त

रोजगार के अभाव में बहुत बड़ी संख्या में पैदा होंगे। सम्पूर्ण ग्राम और लघु उद्योग-कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 लाख व्यक्तियों को बोटें मरम्मत का या अतिरिक्त रोजगार दिया जा सकेगा तथा 9 लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार प्राप्त होगा। योजना को पूरी तरह अमल में लाने पर इससे भी अधिक और अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

10 6 में 11 वर्ष तक की अवस्था के हर बच्चे को शिक्षा की सुविधा देते तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के विकास के कारण समाज के दुर्बल वर्गों की कुछ कठिनाइयाँ कम हो जाएगी। गाँवों में पानी पहुँचाने का एक कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, जिस पर 35 करोड़ रु० खर्च होंगे और जिससे तीसरी योजना के अन्तर्गत नमी गाँवों में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा। योजना में पिछड़े वर्गों के बचाव के लिए भी कार्यक्रम हैं, जिन पर 114 करोड़ रु० का खर्च आएगा। इस रकम का एक अच्छा हिस्सा खेतिहर श्रमिकों के लाभ के कामों पर खर्च होगा। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में सदा उन विकास-कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनमें समाज के दुर्बल वर्गों को लाभ पहुँचे। ग्राम-आवास-परियोजना में 5 करोड़ रु० गाँवों में जमीन के अधिग्रहण के लिए रखे गए हैं, यह जमीन खेतिहर श्रमिकों को मकान बनाने के लिए दी जाएगी। यह स्पष्ट है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों पर अच्छी तरह अमल करने तथा उनका लाभ खेतिहर श्रमिकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पहुँचाने की व्यवस्था करने में स्थिति में सुधार होगा। मोटी बात यह कि खेतिहर श्रमिकों और ग्राम-समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्या का सबसे बड़ा हल स्वयं योजना को, उनके बुनियादी, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को मानने रखकर, भली-भाँति और कुशलता से अमल में लाना है।

11 भूमि की पुनर्व्यवस्था के लिए राज्यों की योजनाओं में 4 करोड़ रु० की व्यवस्था है। आशा की जाती है कि जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बाद बच रहनेवाली फालतू जमीन के भूमिहीनों एवं अन्य लोगों को बीच-फिर से बटवारे के लिए आवश्यक अतिरिक्त साधन राज्यों को अपनी वापिक योजनाओं से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा, केन्द्र में भी भूमिहीन श्रमिकों को फिर से बसाने की योजनाओं के लिए 8 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। भारत-सरकार-द्वारा स्थापित एक समिति ने हाल में ही उन भूमि-खंडों का सर्वेक्षण किया, जिन्हें 'खेती की अन्य भूमि' जिसमें वज्र भूमि शामिल नहीं है और 'वज्र भूमि' जिसमें चालू वज्र भूमि शामिल नहीं है, वर्गों में रखा गया है और 250 एकड़ से ऊपर के खंडों में करीब 10 लाख एकड़ भूमि का पता लगाया है। जिला-अधिकारियों-द्वारा 250 एकड़ से कम के खंडों की भूमि का सर्वेक्षण होने पर और भूमि उपलब्ध हो सकेगी। यह और कृषि-कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुधारी जानेवाली भूमि को मिलाकर कुल परिमाण 40 लाख एकड़ होने की आशा है। हाल में योजना-आयोग-द्वारा नियुक्त खेतिहर श्रमिकों-सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने अनुमान लगाया है कि तीसरी योजना की अवधि में 50 लाख एकड़ भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों के 7 लाख परिवार बसाने के प्रयत्न किए जा सकेंगे। इस लक्ष्य को सामने रखकर उचित कार्यक्रम को सम्भव बनाने के लिए पुनर्व्यवस्था-योग्य जमीन का पता लगाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में आवादी-योग्य जमीन के सर्वेक्षण के प्रयत्न ग्राम और खड-स्तर तक बढ़ा दिए जाने चाहिए। जहाँ कहीं

बसाने का श्रवसर हो, वहा उसका उपयोग किया जाए, चाहे ऐसे हर स्थान पर थोड़े-थोड़े परिवारो को ही लाभ-पहुचता हो। जहा जमीन दी जाए, वहा ऋण और ऐसी ही अन्य सहायता देकर उन बसनेवाले लोगो को अपना पुनर्वास भली-भाति करने की सुविधा प्रदान की जाए।

12 कुछ अर्थो में तीसरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण विकास-कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रो में निर्माण-कार्य है, जिसकी चर्चा पहले 'रोजगार और जनशक्ति' शीर्षक अध्याय में की जा चुकी है और जिससे सर्वाधिक लाभ खेतिहर श्रमिको को मिलेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक 25 लाख लोगो के लिए गावों में वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहय्या किया जा सकेगा, विशेषरूप से फसल के वाद के खाली दिनों में। कार्यक्रम में कृषि-विकास की इन योजनाओ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा सिंचाई, वाद-नियन्त्रण, भूमि-मुनरुद्धार, वन-रोपण और मिट्टी-संरक्षण, सडक-विकास-परियोजनाए, ग्रामीणो को सुविधाए देने की व्यवस्था और गावों की आवास-परियोजनाए। ग्रामीण निर्माण-कार्यो में सहकारी श्रमिक-समितियो और अन्य निर्माण-संस्थाओ को बडा काम करना होगा। उन्हें उपकरण ले जाने होंगे, ठेके प्राप्त करने होंगे और कर्मचारी-मडल संगठित करके पचायती और पचायत-समितियो के साथ निकट सहयोग से काम करना होगा। अर्द्धरोजगारी की समस्या का स्थायी हल तभी निकलेगा, जब सारे देश में खेती की वैज्ञानिक विधिया अपना ली जाएगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुमुखी एव सबल हो जाएगी। तीसरी योजना में इस दिशा में भी विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। दूसरी ओर, गावों में निर्माण के बडे कार्यक्रम ने बहुत सहायता मिलेगी और ग्रामो में विकास की गति तेज करने में बहुत मदद मिलेगी।

13 वस्तुत खेतिहर श्रमिको की समस्या के मूल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लम्बे अरसे से चली आ रही जडता और जाति-पाति पर आधारित अनुदार सामाजिक ढांचा है। इन बुनियादी दुर्बलताओ को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। साथ ही, सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज करनी पडेगी। एक के वाद एक पंचवर्षीय योजनाए देश के प्राकृतिक माधनो के उपयोग, उत्पादन और रोजगार बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रो को अधिक सुविधाए उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महकारी आवार पर पुनर्गठित करने तथा समाज के दायित्वो एव कार्य पर बल देने का प्रयोजन केवल कृषि-उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामो के आर्थिक ढांचे को बहुमुखी बनाना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य जल्दी-से-जल्दी संगठित समाज बनाना है, जिसमें जाति-पाति और वर्ग को ध्यान में रखे बिना समाज के हर सदस्य को समान अवसर मिल सके। हमारे शब्दो में, पंचवर्षीय योजनाओ के प्रयत्नो ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढांचा तैयार हो रहा है, उसमें खेतिहर श्रमिक भी दूसरे लोगो के समान भाग ले सकेंगे और शेष ग्रामीण जनता के मुकाबले बराबर का सामाजिक एव आर्थिक दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष अध्ययनो और भूत्याकनो तथा केन्द्रीय खेतिहर श्रमिक-परामर्शदाओ नमिति एव राज्यों में स्थापित होनेवाली ऐसी ही अन्य संस्थाओ-डांग नर्माक्षा के माध्यम से इन दिशाओ में हुई वास्तविक प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

सिंचाई और बिजली

सिंचाई और बिजली पहली योजना के आरम्भ से ही विकास के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। खेतों को बहुमुखी बनाने और फसलों की उपज बढ़ाने के लिए छोटी और बड़ी, दोनों तरह की परियोजनाओं के जरिए सिंचाई का विस्तार करना अत्यन्त आवश्यक है। बड़े-बड़े औद्योगिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पहले बिजली का विकास करना बहुत जरूरी है। अन्य विकास-कार्यक्रमों के साथ-साथ भाखड़ा-नगल, हीराकुड, चम्बल, तुंगभद्रा, नागार्जुनसागर और दामोदर-घाटी-निगम-जैसी नदी-घाटी-परियोजनाओं को भी, जिनसे सिंचाई की व्यवस्था होने के साथ-साथ बिजली भी मिलती है, अपने-अपने क्षेत्र में जीवन-स्तर ऊंचा करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करना है। इस प्रकार, सिंचाई और बिजली का बड़े पैमाने पर विकास होने से कृषि-अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में तो सहायता मिलती ही है, देश के तीव्र उद्योगीकरण के लिए मार्ग भी तैयार होता है।

सिंचाई

2 मन् 1950 में लगाए गए अनुमान के अनुसार देश का नदी-जल-साधन 1 अरब 35 करोड़ 60 लाख एकड़-फुट है। भौगोलिक और भूमि की बनावट-सम्बन्धी कारणों से इसमें से सिर्फ 45 करोड़ एकड़-फुट जल का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। सन् 1951 तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख एकड़-फुट जल का—उपयोगजन्य जल के 17 प्रतिशत भाग का और कुल वहाव के 56 प्रतिशत भाग का—ही उपयोग किया गया था। अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 12 करोड़ एकड़-फुट जल का—यानी, उपयोगजन्य जल के 27 प्रतिशत भाग का और कुल वहाव के 89 प्रतिशत भाग का—इस्तेमाल हो सकेगा। आशा है कि तीसरी योजना में 4 करोड़ एकड़-फुट अतिरिक्त जल का, यानी उपयोगजन्य जल के 36 प्रतिशत भाग का, उपयोग होने लगेगा।

3 भूगर्भीय जल-साधनों से बड़ी मात्रा में जल प्राप्त हो सकता है। इन साधनों की अब तक कोई सूची तो तैयार नहीं की गई है, परन्तु सन् 1953 में एक भूगर्भीय जल-खोज-परियोजना आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत भूगर्भीय जल की सम्भावना-वाले क्षेत्रों में—जैसे, नदी-घाटियों एवं तटीय इलाकों में—खुदाई करके जल की उपस्थिति का पता चलाया जाना था। मुख्यतः सिन्धु-नगा-घाटी, साबरमती-घाटी और मद्रास तथा आन्ध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भूगर्भीय जल-साधनों के विकास की बहुत गुंजायश है। भूगर्भीय जल में उन क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है, जहाँ नहरों-द्वारा सिंचाई सस्ती नहीं पड़ती, या जहाँ पानी का जमाव होने की आशंका रहती है।

4 पहली योजना के अन्त में भूमि-उपयोग की स्थिति इस प्रकार थी

	लाख एकड़
कुल क्षेत्र	8,060
खेती-योग्य क्षेत्र	4,760

बृआई का शुद्ध क्षेत्र	3,180
एक से अधिक बार बृआई का क्षेत्र	450
फललवाला कुल क्षेत्र	3,630
शुद्ध निश्चित क्षेत्र	
नरकारी नहरें	198
निजी नहरें	34
तालाब	109
नलकूप और अन्य कुए	167
अन्य माधन	54
योग	562 या 560
एक बार से अधिक निचाईवाला क्षेत्र	70
कुल निश्चित क्षेत्र	630

5 पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में अब साधनों से कुल 5 करोड़ 15 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होती थी, जिसमें से 2 करोड़ 20 लाख एकड़ की सिंचाई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं ने होती थी। अनुमान लगाया गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना (1975-76) के अन्त तक बहुदेशीय परियोजनाओं-महित बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से कुल 8 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करना सम्भव हो सकेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस दीर्घकालीन लक्ष्य को दृष्टि में रखा गया है। बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं की कुल सिंचाई-क्षमता का अनुमान 10 करोड़ एकड़ है और छोटे तालाबों, नलकूपों, खुले कुओं, आदि-जैसे छोटे सिंचाई-माधनों की क्षमता का कुल 7 करोड़ 50 लाख एकड़। बड़ी और मध्यम योजनाओं ने बड़े और दूर तक के क्षेत्रों को सिंचाई का लान मिलता है, अभाववाले वर्षों में भी उनमें लाभ और नरक्षण का अधिक भरोसा रहता है तथा वे और भी कई प्रयोजन सिद्ध कर सकती हैं। छोटी योजनाओं पर अपेक्षाकृत कम खर्च होता है-जन्दी ही परिणाम निकल आते हैं और उन्हें स्थानीय माधनों ने शीघ्र पूरा किया जा सकता है। परन्तु मूलावाले वर्षों में इनने मिलनेवाले सरक्षण में काफी कमी आ

शुद्ध निश्चित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसकी—एक से अधिक फसल के लिए सिंचित क्षेत्र को हिसाब में रखते हुए—वर्ष में केवल एक बार सिंचाई होती है।

कुल निश्चित क्षेत्र का अर्थ वर्ष-भर में सिंचित फसलवाला कुल क्षेत्र है; अर्थात् शुद्ध निश्चित क्षेत्र में उस क्षेत्र का योगफल, जिसकी वर्ष-भर में विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई होती है।

25 करोड़ २० से अधिक खर्चवाली सिंचाई-परियोजनाएं बड़ी, 10 लाख से 5 करोड़ २० तक खर्चवाली मध्यम और 10 लाख २० से कम खर्चवाली छोटी (यद्यपि ये किन्तों बड़ी या मध्यम परियोजना का अंग न हों) योजनाएं रहती हैं।

मकती है, जब कि उस समय उसकी अधिक जरूरत होती है। खास कर तालाब आदि वर्षा के भाव में सूख जाते हैं। इसलिए बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं तथा छोटी सिंचाई-योजनाओं का सन्तुलित विकास जरूरी है, क्योंकि इन तीनों को मिला कर ही एक सगठित सिंचाई-कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। हर क्षेत्र को उसके अनुकूल योजना से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि कम-से-कम खर्च में अधिक-से-अधिक अच्छे परिणाम निकल सकें।

6 सिंचाई का विकास : पहली और दूसरी योजनाओं के अन्त तक सिंचाई के क्षेत्र में हुई प्रगति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं

तालिका-सख्या 1
सिंचित क्षेत्र

(शुद्ध क्षेत्र लाख एकड़ में)

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
बड़ी और मध्यम सिंचाई	220	249	310	425
छोटी सिंचाई	295	313	390	475
योग	515	562	700	900

पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम

7 अनुमान है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं पर कुल व्यय 1,400 करोड़ रु० बैठा और आशा है कि उनका पूरी तरह विकास हो जाने पर लगभग 3 करोड़ 80 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। पहली योजना के अन्त तक इन सिंचाई-योजनाओं पर 380 करोड़ रु० का व्यय हुआ था। दूसरी योजना में उन पर कुल 370 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इन सिंचाई-परियोजनाओं पर तीसरी योजना में 436 करोड़ रु० खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 214 करोड़ रु० का भार चौथी योजना को सौंपा जाएगा। राजस्थान-नहर, गडक, उकई, नर्मदा, नागार्जुनसागर, आदि-जैसी कुछ परियोजनाओं पर तीसरी योजना के बाद भी काम चलता रहेगा।

8 अगले पृष्ठ की तालिका में पहली दोनो योजनाओं के सिंचाई-कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ, पहली योजना के अन्त में और दूसरी योजना की अवधि में दिखाए गए हैं।

राज्यो-द्वारा पहली और दूसरी योजना की अवधि में बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं से मिलनेवाले लाभ का वितरण, दूसरी योजना के अन्त तक पैदा होनेवाली क्षमता और उसका उपयोग अनुबन्ध 1 में दिखाया गया है।

9 दूसरी योजना में बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं के जरिए 1 करोड़ 20 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया था। सन् 1958 में योजना की समीक्षा के समय यह लक्ष्य घटा कर 1 करोड़ 4 लाख एकड़ कर दिया गया। राज्यो-द्वारा अब अनुमान लगाया गया है कि 69 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था होने की आशा है। दूसरी योजना के आरम्भ में लगाए गए व्यय के अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 370 करोड़ रु० ठहरता है। कई राज्यों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यक्रम

तालिका-सख्या 2
सिंचाई-योजनाओं से लाभ

वर्ष के अन्त में	जलमार्ग से निकासी पर कुल सिंचाई-क्षमता* (लाख एकड़ में)	कुल सिंचित क्षेत्र		शुद्ध सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)
		(लाख एकड़ में)	निकासी पर क्षमता का प्रतिशत	
1955-56	65	31	48	29
1956-57	74	42	58	34
1957-58	82	58	71	49
1958-59	97	65	67	59
1959-60	115	83	72	74
1960-61 (अनुमित)	130	100	76	90

पिछड़ गया। कुछ मामलों में इस्पात, नीमेट, कोयला, आदि-जैनी आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण भी प्रगति में बाधा पहुँची। अतीत में भी स्थानीय या प्रादेशिक दबाव के कारण कुछ परियोजनाओं पर, पूरी जाच और पर्याप्त सर्वेक्षण के बिना ही, काम शुरू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएँ सटकी रहीं और इनसे मिलनेवाले लाभ में भी देरी हुई। पारिश्रमिक और चीजों की कीमत में वृद्धि के कारण भी व्यय के सम्बन्ध में लगाए गए अनुमान पूरे नहीं हो सके। दूसरी योजना में उपयोग की गति में सुधार हुआ है, जैसा कि तालिका-सख्या 2 से स्पष्ट है। यदि ठीक समय पर खेतों की नालियाँ खोदने और सिंचाई-सुविधाएँ उपलब्ध होने पर काम में लाए जानेवाले खेतों के सुघरे हुए तरीकों और फसल-पद्धति का समय रहते किसानों के समक्ष प्रदर्शन करने पर अधिक ध्यान दिया जाता तो अधिक अच्छे परिणाम निकल सकते थे। तीसरी योजना बनाते समय तकनीकी सगठन मजबूत करने तथा योजना की प्रगति के मार्ग में आनेवाली बाधाएँ दूर करने की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया गया है।

तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम

10 सिंचाई-परियोजनाओं पर जो इतनी अधिक पूंजी लगाई जा रही है, उसके कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने को नितान्त आवश्यकता है। इसके साथ ही इस बात की भी पक्की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन परियोजनाओं से होनेवाले लाभ जल-निकासी की समुचित व्यवस्था न होने तथा पानी जमा हो जाने के

*जलमार्ग से निकासी पर जो जल प्राप्त होता है, उससे जितना क्षेत्र सिंचा जा सके, वह उसकी सिंचाई-क्षमता है।

† 'खेतों की नालियाँ' का अर्थ वे नालियाँ हैं, जो निकासी-केंद्र से जल ले जाकर सिंचाई के लिए खेतों में पहुँचाती हैं।

कारण भूमि नष्ट होने से व्यर्थ या कम न हो जाए। इसलिए तीसरी योजना में निम्न-लिखित वर्ग की योजनाओं पर बल दिया गया है

- (1) दूसरी योजना से जो काम चले आ रहे हैं, उन्हें पूरा करके पानी सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाए, पानी खेतों की नासिया बनाने तक का काम पूरा होना चाहिए,
- (2) जल-निकासी तथा पानी का जमाव रोकने की योजनाएं, और
- (3) सिंचाई की मध्यम परियोजनाएं।

11 दूसरी योजना के अन्त तक 32 लाख एकड़ सिंचाई-क्षमता का उपयोग करना शेष रह गया। तीसरी योजना के दौरान, पहले से चल रही योजनाओं से 1 करोड़ 38 लाख एकड़ क्षेत्र में तथा नई योजनाओं से 24 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के योग्य क्षमता पैदा होने की आशा है। तीसरी योजना की श्रवण में उपयोग का कुल क्षेत्र 1 करोड़ 28 लाख एकड़ हो जाने की आशा है। सिंचाई-क्षमता और उसके उपयोग का राज्यवार विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है। राज्यों ने यह प्राक्कलन तैयार करते समय साधारणतः अनुमान किया है कि जलमार्गों के मुहानों पर जब से पानी मिलना शुरू होगा, तब से 5 वर्षों में बड़ी परियोजनाओं की और 2-3 वर्षों में मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग होने लगेगा। यदि सम्बद्ध क्षेत्रों में अधिक समन्वित प्रयत्न किए जाएं, तो उनके अनेक परियोजनाओं में उपयोग की गति को और बढ़ाया जा सकता है।

12 तीसरी योजना में सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रमों पर 661 करोड़ ६० के खर्च का अनुमान है। इसमें दूसरी योजना में शुरू किए गए परन्तु अब तक चल रहे कार्यक्रमों के लिए 436 करोड़ ६०, नई परियोजनाओं के लिए 164 करोड़ ६० और बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, पानी का जमाव रोकने और समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के लिए 61 करोड़ ६० के खर्च की व्यवस्था है। राज्यवार वितरण का लेखा अनुबन्ध 2 और 3 में दिया गया है। तीसरी योजना में जो नई परियोजनाएं शुरू की जाएगी, उनमें ये भी शामिल हैं

- (1) 95 नई मध्यम सिंचाई-योजनाएं, जो कृषि-विकास और प्रादेशिक विकास, दोनों के लिए मूल्यवान होगी,
- (2) सिन्धु नदी के पानी के बारे में सन् 1960 में हुई मन्वि के फलस्वरूप पंजाब में ब्यास नदी पर भाडारण की योजनाएं, और
- (3) मुख्यतः विजली के विकास के लिए शुद्ध की गई बहुद्देशीय योजनाओं के सिंचाई-पक्ष से सम्बद्ध योजनाएं और पड़ोसी राज्यों में चल रहे सिंचाई-कार्यक्रमों के कारण आवश्यक हो गई सिंचाई-योजनाएं—जैसे उत्तरप्रदेश में गढ़क-परियोजना।

13 अगली तालिका में पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के सिंचाई-कार्यक्रमों पर व्यय का क्रम दिया गया है।

तालिका-संख्या 3

व्यय का क्रम

(करोड़ ₹०)

	कुल लागत	पहली योजना से पूर्व व्यय	पहली योजना में व्यय	दूसरी योजना में व्यय	तीसरी योजना में व्यय	चौथी योजना में आवश्यक व्यय
पहली योजना के कार्यक्रम	790	80	300	270	135	5
दूसरी योजना के कार्यक्रम (नए)	610	—	—	100	301	209
तीसरी योजना के कार्यक्रम (नए)	364	—	—	—	164	200
योग	1,764	80	300	370	600	414

14 बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, पानी का जमाव रोकने तथा समुद्र से भूमि का कटाव रोकने की योजनाएं : बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकामी और जलप्लावन-निरोध का सिंचाई से घनिष्ठ सम्बन्ध है। विकास की व्यापक योजनाएं बनाने समय इन्हें ध्यान में रखना होगा। दूसरी योजना तैयार करते समय बाढ़-नियन्त्रण के विस्तृत प्रस्ताव बनाने के लिए, जिसमें उन्हें राज्यों की योजनाओं में शामिल किया जा सके, पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम एक तात्कालिक संकट समझकर उसी आधार पर शुरू किया गया था और इसलिए उसे केन्द्र-संचालित-कार्यक्रम का रूप दिया गया था। अब बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम पर पूरी तरह काम चालू है और सर्वेक्षणों एवं जाच-पड़ताल के काम में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण-योजनाएं और जल-निकामी, जलप्लावन-निरोध एवं समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के सभी कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं के अंग हैं।

15 पहले बताया जा चुका है कि सिंचित क्षेत्रों में जल का स्तर ऊंचा न होने देने तथा फलस्वरूप जलप्लावन रोकने के लिए जल-निकासी की सन्तोषजनक व्यवस्था का कितना महत्व है। चालू और नई योजनाओं में सिंचित क्षेत्रों में जल-निकासी का खर्च सिंचाई-परियोजनाओं के खर्च में ही शामिल किया जाएगा। देश के कुछ भागों में, विशेषरूप से पंजाब में, जलप्लावन की समस्या गम्भीर बन गई है; इसलिए तीसरी योजना में नासिया बनाने, सिंचाई की नहरों के विशेष हिस्सों को पक्का बनाने, जल का स्तर नीचा कराने, आदि अन्य जलप्लावन-निरोधक उपाय बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। केरल-जैसे कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। दूसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ ₹० की व्यवस्था की गई थी। वास्तविक खर्च 48 करोड़ ₹० हुआ था। तीसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन एवं समुद्री कटाव-निरोधक योजनाओं पर कुल 61 करोड़ ₹० के खर्च की व्यवस्था राज्यों की योजनाओं में की गई है।

16 तीसरी योजना में सिंचाई के कार्यक्रम पर, जिसमें बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन तथा समुद्री कटाव रोकने, आदि कार्य भी शामिल हैं, कुल 661 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है। इस राशि के वितरण का व्यौरा तथा विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत होनेवाले लाभ का विवरण इस प्रकार है

तालिका-सख्या 4
तीसरी योजना के कार्यक्रम और उनके लाभ

वर्ग	अनुमित व्यय (करोड़ रु०)	अतिरिक्त लाभ	
		सिंचाई-क्षमता (लाख एकड़)	कुल सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)
सिंचाई			
चासू योजनाएँ	436	138	116 5
नई योजनाएँ	164	24	11 5
योग	600	162	128
		शुद्ध क्षेत्र	115
बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन एव समुद्री कटाव-निरोधक योजनाएँ	61	करीब 50 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा तथा 25 मील लम्बे समुद्र- तट की रक्षा हो सकेगी।	
कुल सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण	661		

तीसरी योजना की सिंचाई-योजनाओं के लिए 50 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। पहली और दूसरी योजनाओं से चली आ रही प्रमुख सिंचाई-परियोजनाओं तथा तीसरी योजना की नई परियोजनाओं का विवरण अनुबन्ध 4 और 5 में दिया गया है।

17 नदी-घाटी-ग्राहक क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण . सिंचाई तथा विजली-उत्पादन के लिए बड़े जलाशय बनाने पर बड़ी रकमें खर्च की जा रही है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्राहक क्षेत्रों में से मिट्टी, आदि भारी मात्रा में बह कर इन जलाशयों का जीवन कम तो नहीं कर रही है। साथ ही, ग्राहक क्षेत्र में मिट्टी के ऊपर की परत का भी संरक्षण जरूरी है। अतः यह वांछनीय है कि ग्राहक क्षेत्रों में वन लगाने, कट्टर बाघ बनाने, सीढीदार खेत बनाने, बाघ बनाने, चराई का नियमन, खेतों की अदल-बदल रोकने, आदि-जैसी मिट्टी-संरक्षण की योजनाओं पर ध्यान दिया जाए। हीराकुड, भाखडा-नगल, दामोदर-घाटी, चम्बल और मचकुड-जैसी बड़ी नदी-घाटी-योजनाओं के ही कुल 3 करोड़ 70 लाख एकड़ के ग्राहक क्षेत्र में से 1 करोड़ 50 लाख एकड़ में मिट्टी-संरक्षण के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम अन्य नदी-घाटियों में भी अपनाया जाना चाहिए। ऊपर की परियोजनाओं में दूसरी योजना के अन्त तक 1 करोड़ रु० खर्च करके मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम का लाभ 1 4 लाख एकड़ भूमि को पहुंचाया गया है। तीसरी योजना में नदी-घाटी-क्षेत्रों में मिट्टी-संरक्षण-कार्य के लिए 'कृषि' की मदद में 11 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, जिनमें

लगभग 10 लाख एकड़ ग्राहक क्षेत्र की देखभाल हो सकेगी। मिट्टी-मरलण का कार्यक्रम दरअसल एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है, जिसे 4-5 योजनाओं की अवधि में ही पूरा किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारी केन्द्र में त्वाद्य और कृषि-मन्त्रालय पर है तथा केन्द्रीय जल और विजली-आयोग ने नदी-घाटियों के ग्राहक क्षेत्रों की मिट्टी-रक्षा-योजनाओं के लिए राज्यों की ओर ने प्रस्तावित कार्यक्रमों पर विचार करने तथा सलाह देने के लिए एक विशेष शाखा स्थापित कर दी है। नदी-भड़लों की स्थापना में (जिनका आगे चल कर उल्लेख किया गया है) मिट्टी-रक्षा के कार्यक्रमों पर तेजी से अग्रसर करने में मुविवा ही जाएगी। अन्तः राज्याय नदी-घाटियों में मिट्टी-संरक्षण रोकने तथा बन लगाने के कार्यक्रमों का समन्वय करना इन मंडलों का एक मुख्य कार्य होगा।

18 परियोजनाओं का सोपानीकरण परियोजनाओं के नोपान सही ढंग से निश्चित करना बहुत ही महत्व रखता है। इसमें न केवल निर्माण-कार्यों में खर्च की वृद्धि होगी, बल्कि परियोजना के पूरे होने में पहले ही उसमें मिलनेवाली सिंचाई-सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना सम्भव हो जाएगा। नोपान तय करने में एक बात यह भी होगी कि वास्तविक आवश्यकता से बहुत पहले पूजा व्यर्थ में किसी काम में नहीं फस सकेगी। सिंचाई-कार्यों के आयोजन के चार पहलू हैं, जो परस्पर-सम्बद्ध हैं तथा परियोजना स्वीकार होने के समय से ही जिनका उचित समन्वय हो जाना चाहिए। वे चार पहलू इस प्रकार हैं -

- (1) पानी का बहाव मोड़ने या मग्रह करने के लिए बाध बनाना,
- (2) नहर, और जल का वितरण करनेवाले माधनों का निर्माण, ताकि हर गाव तक पानी सुविधाजनक ढंग से पहुँच सके,
- (3) इन सुविधाओं से लाभ उठानेवालों-द्वारा ऊपर की नब्धा 2 में उल्लिखित पहलू को ध्यान में रख कर हर गाव में खेतों की नब्धियों का निर्माण, ताकि नहरों में पानी आते ही उस परियोजना-द्वारा संवित सम्पूर्ण क्षेत्र की सिंचाई हो सके, और
- (4) मुघरे हुए खेतों के तरीके एव फसलों की विधिया अपनाना, ताकि सिंचाई-सुविधाओं का उत्कृष्टतम उपयोग करके अधिकतम कृषि-उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

इन विभिन्न सोपानों के समुचित आयोजन और कार्यान्वयन में ही हर परियोजना से क्रमानुसार ठीक परिणाम निकल सकेंगे।

आर्थिक लाभ

19 हाल के वर्षों में सिंचाई-सम्बन्धी जो निर्माण-कार्य हुए हैं और जो अभी चल रहे हैं, उन पर अतीत में हुए निर्माण-कार्यों की अपेक्षा अधिक खर्च हुआ है। इसका कारण कुछ तो यह है कि पारिष्पिक और सामान का खर्च पहले से अधिक बढ़ गया है और कुछ यह कि चीजें महँगी करने के माधन कहीं कठिन और इतनीसे बहुत खर्चिते हैं—जैसे, ऊँचे बाध, आदि। इसी कारण—पुरानी तथा नई परियोज-

नाश्री के रख-रखाव एव संचालन का खर्च बढ़ने के कारण भी—समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रायः सभी राज्यों में सिंचाई-योजनाओं का काम घाटे में चल रहा है। दूसरे वित्त-आयोग ने सिंचाई की योजनाओं से होनेवाली शुद्ध आय में कमी की ओर ध्यान दिलाया था। हाल के वर्षों में स्थिति और बिगड़ गई है। इसीलिए आर्थिक लाभ की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया गया है

- (1) सिंचाई की परियोजनाओं से जो सिंचाई-सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं, उनका तेजी से इस्तेमाल किया जाए,
- (2) पानी की दरों में संशोधन किया जाए और अनिवार्य रूप से जल-शुल्क लगाया जाए,
- (3) खुशहाली कर की वसूली, और
- (4) सिंचाई-सुविधाओं के उपयोग में मितव्ययिता।

20 सिंचाई-व्यवस्था के उपयोग के लिए कई विभागों—सिंचाई, राजस्व, कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता, आदि—के समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है, इनमें से प्रत्येक को अपना विशिष्ट योगदान करना है। हर परियोजना के निर्माण-कार्यक्रम (जिसमें खेतों की नालियों का निर्माण भी शामिल है) के सौंपान तय करने के साथ-साथ, सिंचाई-सुविधाओं के उपयोग में तेजी लाने के लिए बड़ी सत्या में अन्य विकास-कार्यक्रम भी चलाने पड़ेंगे। इन पहलुओं पर इन्हीं अध्याय में आगे चल कर विचार किया गया है।

21 पानी की दरें पानी की दरें आम तौर पर इतनी होनी चाहिए कि उनसे काम चलाने का खर्च और ऋण-प्रभार पूरा हो जाए तथा कमीवाले इलाकों के बाहर सिंचाई के कार्यक्रमों के कारण सामान्य राजस्व को घांटा न पहुँचे। अधिकतर राज्यों में पानी की मीजुदा दरें अपेक्षाकृत कम हैं। एक ओर जहाँ सिंचाई-सुविधाओं के फलस्वरूप फसलों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है और रख-रखाव का खर्च भी बढ़ गया है, वहाँ दूसरी ओर पानी की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, कुल मिलाकर, इन दरों को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों में पानी का प्रभार वैकल्पिक है, वहाँ एक अनिवार्य जल-शुल्क उस पूरे क्षेत्र पर लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था की गई हो—चाहे किसान पानी लें या न लें। इसका परिणाम यह होगा कि किसान को समय पर पानी का उपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी और फसलों की उपज बढ़ेगी।

22 खुशहाली कर और वाद-शुल्क उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल और जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में खुशहाली कर-सम्बन्धी कानून बनाए जा चुके हैं। नियत दर के अनुसार यह वसूली 15-20 वर्षों के अरसे में होगी तथा सिंचाई का पानी प्राप्त होने के 2-3 वर्ष बाद शुरू की जाएगी। प्रायः सभी जगह यह कानून लागू करने का काम कुछ पिछड़ गया है और दूसरी योजना के शुरू में निर्धारित मूल्य 47 करोड़ रु० के मुकाबले वस्तुतः 3-5 करोड़ रु० की वसूली होने की सम्भावना है। वाद-शुल्क के बारे में आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, केरल और मैसूर ने आवश्यक कानून बना दिए हैं और मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब,

राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। मद्रास-राज्य में बाढ़ की कोई गम्भीर समस्या नहीं है। तीसरी योजना में खुशहाली कर और बाढ़-शुल्क की बसूली का लक्ष्य 39 करोड़ रु० निर्दिष्ट किया गया है, परन्तु इसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि दोष राज्यों में कानून बनाए जाएं और जहा बन चुके हैं, वहां उन्हें लागू किया जाए।

23 यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि जब किसी नए क्षेत्र में कोई सिंचाई-परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव हो, तो राज्य-सरकार परियोजना की रूपरेखा और उमने होनेवाले फायदों से उन इलाके के किसानों को परिचित कराए, विशेषरूप से उन्हें पानी की दरों का ढांचा, खुशहाली कर, बाढ़-शुल्क, आदि की जानकारी दें, जिनकी अदायगी लाभ उठानेवालों को करनी पड़ेगी। इस रीति में जन-सामान्य को इन बातों से परिचित कराने का फल यह होगा कि सिंचाई-व्यवस्था का अविलम्ब उपयोग होने लगेगा और परियोजना के मूर्त रूप ग्रहण करते ही लाभ प्राप्त करनेवाले लोग खुशी से पानी की दर और खुशहाली कर की अदायगी स्वीकार कर लेंगे।

24 लाभों का मूल्यांकन : सिंचाई-परियोजनाओं ने होनेवाला आर्थिक लाभ एक महत्वपूर्ण पहलू है अवश्य, पर परियोजना का कुल लाभ आकने का यह एकमात्र आधा नहीं है। सिंचाई-परियोजनाओं ने होनेवाले विभिन्न लाभों का अनुमान लगाने के लिए योजना-आयोग के अनुरोध पर अनुसन्धान-कार्यक्रम-मिति ने पांच मुख्य सिंचाई-कार्यक्रमों—राजस्थान की गंग नहर, उत्तरप्रदेश की दारदा नहर, बिहार की त्रिवेणी नहर, पश्चिम-बंगाल की दामोदर नहर और मद्रास की कावेरी-मैसूर-परियोजना—का मूल्यांकन-अध्ययन आरम्भ किया। इन मूल्यांकन-अध्ययनों से पता चलता है कि सिंचाई के बहुत-से अप्रत्यक्ष लाभों का अनुमान निर्दिष्ट मात्रा के रूप में तो नहीं लगाया जा सकता, परन्तु सरकार को आर्थिक लाभ के अतिरिक्त ये मुख्य लाभ होंगे—भूमि और अन्य साधनों का अधिक व्यापक उपयोग होने लगेगा, खेती की बेहतर प्रणाली अपनाई जाएगी तथा अधिक मूल्यवान फसलें पैदा करने की ओर ध्यान दिया जाएगा, नई पूंजी लगाने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होगी एवं खेती के घन्य में उत्पादक-पूंजी बढ़ जाएगी, खेती की उत्पादकता में वृद्धि होगी, और खेती की आमदनी बढ़ेगी तथा स्थायी होगी, श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और उद्योगों—विशेषरूप से विधायन-उद्योग—तथा व्यापार एवं परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इन अध्ययनों से सिंचाई-विकास के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में भी उपयोगी जानकारी मिली है।

सिंचाई का उपयोग

25 पहली और दूसरी योजनाओं में सिंचाई के उपयोग में रूढ़-गई कमी को देखने हुए योजना-आयोग ने पिछले 2-3 वर्षों में इन ओर विशेष ध्यान दिया है। सिंचाई-परियोजनाओं में अधिक तेजी से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं

- (1) हैडवर्क, नहरें, वितरण-नहरें, जल-भाग और खेतों की नासिया बनाने के काम में पूरा समन्वय रहना आवश्यक है, ताकि ऐसी व्यवस्था

हो सके कि हैडवर्क पर जिम समय पानी उपलब्ध हो, प्रायः उसी समय किमान के खेत में भी पानी पहुँच जाए। खेतों की नालियाँ छोड़ कर ग्रंप निर्माण-कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने की सीधी जिम्मेदारी परियोजना-अधिकारियों पर है।

- (2) इन सिंचाई-सुविधाओं का तेजी से लाभ उठाने के लिए परियोजना के स्वीकृत होते ही जल्दी-से-जल्दी उममें लाभान्वित होनेवाले क्षेत्र में विकास-बडों की स्थापना की जाए।
- (3) जलभागों और खेतों की नालियों की खुदाई में विलम्ब न होने देने के लिए परियोजना-अधिकारियों को चाहिए कि वे गावों के नवशो पर उन्हें रेखांकित कर दे। ये नवशो जिले और खड के अधिकारियों के पाम भेज दिए जाए, ताकि वे लाभ उठानेवाले लोगों में ठीक समय पर खेतों की नालियाँ तैयार करवा सकें। ऐसा पक्का प्रबन्ध कर लेना चाहिए कि जब नहर-व्यवस्था पूरी हो, तब लाभ उठानेवाले लोगों-द्वारा नालियाँ खोदने का काम भी पूरा हो चुके। यदि वे यह काम पूरा न करें, तो पचायत-समितियाँ और ग्राम-पचायतों को सरकार के प्रतिनिधि-रूप में यह काम करवाने तथा लागत बमूल करने का अधिकार होना चाहिए।
- (4) इसके साथ ही और भी कई विकास-कार्य करने होंगे। इनमें ये भी शामिल हैं मिट्टी-सर्वेक्षण, नवीन फसल-प्रणालियाँ विकसित और निर्धारित करने तथा कई फसलें उगाने, आदि के लिए प्रायोगिक फार्मों की स्थापना, और सिंचाई के वैज्ञानिक तरीकों—विशेष रूप से पानी का किफायत से इस्तेमाल करने की विधि—का प्रदर्शन करने के लिए फार्मों की स्थापना। यह आवश्यक है कि सिंचाई-विभाग के अधिकारियों को-किसानों की समस्याओं और उनके खेती के तरीकों की पूरी जानकारी हो। इसलिए उन्हें कुछ महीने तक नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण के कारण उन्हें सिंचाई-योजनाएँ बनाने और चलाने के काम में बहुत सुविधा हो जाएगी।
- (5) पानी के उपयोग में किफायत करना बहुत जरूरी है। नहरों के पानी के क्षेत्रवार वितरण का वर्तमान तरीका किफायतकारी में कोई सहायता नहीं देता। मात्रा-भाप के तरीके से वितरण व्यावहारिक नहीं, क्योंकि पहले तो भाप की व्यवस्था बहुत खर्चीली होगी और दूसरे भापक-यन्त्रों के विगाड़ दिए जाने की आशंका रहेगी। ऊपि-विभाग को विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई की पद्धति और खेती-सम्बन्धी जरूरी बातों के बारे में परामर्श देना होगा तथा हर क्षेत्र में आवश्यक जाच-पडताल करनी होगी। इस प्रकार, नहरों का जो पानी बचेगा, उसका उपयोग अधिक मधन सिंचाई तथा नए क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने में होगा। सामुदायिक विकास-संगठन को ग्राम और खड-स्तर पर सघन शिक्षा-कार्य शुरू करना चाहिए।

- (6) यह भी आवश्यक है कि सम्बद्ध विभाग अपने-अपने क्षेत्र में पहले से ही आयोजन कर ले—जैसे, उद्यत किस्म के बीज और खाद की व्यवस्था तथा स्थानीय खाद-साधनों का विकास, बड़ी-बड़ी रकमों के ऋण तथा हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी सुविधाएँ, गोदामों और भाडारों की स्थापना, तथा सिचाई-परियोजनाओं से सम्बद्ध क्षेत्रों में संचार-व्यवस्था का सुधार। इससे किसान सिचाई-सुविधा का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और उनकी शुद्ध आमदनी बढ़ जाएगी।
- (7) नई सिचाई-परियोजनाओं के आरम्भिक 2-3 वर्षों के लिए अनेक राज्यों ने पानी की रिआयती दरें लागू कर रखी हैं। यह एक उपयोगी, उन्नतिमूलक कदम है और इससे सिचाई के तेजी से विकास में सहायता मिलती है।

26 राज्य-सरकारों सभी सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों को लेकर विकास-ममितिषा बना रही हैं, जिनका काम इस बात की व्यवस्था करना है कि सिचाई-विभाग की ओर से निर्माण-कार्यों का आयोजन आरम्भ होने के साथ-साथ अन्य सम्बद्ध विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में आयोजन आरम्भ कर दें। शुरु से ही सभी सम्बद्ध विभागों के बीच घनिष्ठ रूप में विचार-विमर्श होते रहना चाहिए और हर महत्वपूर्ण सिचाई-परियोजना के प्रकाश में सम्बद्ध विभागों को अपना कार्यक्रम पूरा करने की जिम्मेदारी निभाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जिला-स्तर पर कलक्टर को सभी विभागों के कार्यक्रमों का मन्वय करना चाहिए, ताकि उस जिले को लाभ पहुँचाने के लिए बनी सिचाई-योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं का तेजी से उपयोग किया जा सके।

अन्वेषण, अनुसन्धान और डिजाइन

27 नदी-घाटी-परियोजनाओं के लिए मृदम अन्वेषण की आवश्यकता होती है, योजनावद्ध ढंग से देश के भूमि और जल-विषयक माधनों के समन्वित विकास तथा जल-माधनों के विक्रम में निरन्तरता बनाए रखने के लिए सभी नदी-परियोजनाओं की टेक्नो-राजी-विषयक सम्भावनाओं—जैसे, उपयुक्त परियोजना-स्थलों का चुनाव, जल-सम्बन्धी स्थिति, सिचाई-योग्य क्षेत्रों, आदि—की पूरी जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। इनके फलस्वरूप परियोजनाओं का उचित रूप से चुनाव हो सकेगा और उन्हें यथायोग्य प्राथमिकता मिल सकेगी। हर राज्य में सिचाई के दीर्घकालीन विकास के लिए वृहत् योजनाएँ तैयार कर ली जानी चाहिए, ताकि विभिन्न सिचाई और बहुद्देशीय योजनाओं की धमना की सम्पूर्ण सम्भावनाएँ पूरी तरह स्पष्ट हो सकें। यद्यपि प्रायः सभी राज्यों में विशेष अन्वेषण-दल बनाए जा चुके हैं, तथापि परियोजनाओं के अन्वेषण और तैयारी के काम में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी है, दूसरी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। यह आवश्यक है कि तीसरी योजना में कार्यक्रमों में नयी-भाति अन्वेषण—जिसमें उस क्षेत्र के मिट्टी-अन्वेषण का काम भी शामिल हो—तथा हर महत्वपूर्ण दृष्टि से परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार करने पर अधिक ध्यान दिया जाए। इस कार्य के लिए राज्यों की अन्वेषण-टुकड़ियों को मजदूत किया जाना चाहिए। उन योजनाओं का ठीक समय पर अन्वेषण किया जाना चाहिए, जो राज्य-सरकारों की योजना के विचारार्थ पेश करना चाहती हैं। तीसरी

योजना की अवधि में ही उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्टें तैयार हो जानी चाहिए। परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार और पेश करने के क्षेत्र में हाल में ही कुछ सुधार किए गए हैं। इनके अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि किसी परियोजना पर अन्तिम निर्णय करने तथा निर्माण-कार्य शुरू होने में पहले ही उसके विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और अन्य पहलुओं पर पूरी तरह विचार कर लिया जाए।

28 सिंचाई की वृहत् योजनाएँ तैयार करने में राज्य-सरकारों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय जल और विजली-आयोग कटूर-नक्सों की मदद में देश के विभिन्न नदी-क्षेत्रों में परियोजना के उपयुक्त स्थलों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन कर रहा है। अन्तिम रूप देने में पहले उन्हें राज्यों के विचारार्थ पेश किया जाता है। इन योजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अन्वेषण और सर्वेक्षण सामान्य तौर पर राज्य-सरकारों को ही करना होगा, ताकि वे यह निश्चय कर सकें कि विस्तृत अन्वेषण तथा परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार करने के लिए किस योजना को प्राथमिकता दी जा सकती है। केन्द्रीय जल और विजली-आयोग ने चम्बल, रामगंगा, सोन, ताम्रपर्णी, वैगई, आदि नदियों के सिंचित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन पूरा कर लिया है। अन्य महत्वपूर्ण नदी-घाटियों के बारे में अध्ययन-कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है और तीसरी योजना की अवधि में उनके पूरा हो जाने की आशा है।

29 अनुसन्धान. सिंचाई और जल-इजीनियरी के क्षेत्र में अनुसन्धान का कार्य पूना-स्थित केन्द्रीय जल और विजली-अनुसन्धान-केन्द्र तथा राज्यों के 15 अन्य अनुसन्धान-केन्द्रों में चल रहा है। इन केन्द्रों में प्रायोगिक इजीनियरी में—सिंचाई-कार्यों, जल-विज्ञान, मिट्टी, आदि से सम्बद्ध समस्याओं पर—अनुसन्धान होने के साथ-साथ दुनियादी अनुसन्धान भी हो रहा है। अब चूकि विकास के बड़े कार्यक्रमों को अमल में लाया जा रहा है, इसलिए इन सगठनों का काम भी बढ़ रहा है। दूसरी योजना के अन्तर्गत किए गए दुनियादी अनुसन्धान-कार्यों में नदियों की उत्पात-शक्ति, महरो-नालियों के डिजाइन, मिट्टियों के इजीनियरी-विषयक-तत्व, कक्रीट में वायु-प्रवेश, जमीन के नीचे की पहली सतह में पानी के बहाव, जल-धाराओं और जलाशयों में मिट्टी के जमाव, नदी-नरक्षण-कार्य, आदि में सम्बन्धित अनुसन्धान शामिल है। केन्द्रीय सिंचाई और विजली-मंडल अनुसन्धान-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है। तीसरी योजना में सिंचाई-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नई समस्याओं पर भी अन्वेषण किया जा सके—

- (1) मिट्टी-तलीय अन्वेषणों में आइसोटोपों का उपयोग,
- (2) पहले से ढाले गए जलीय ढाचों की तकनीकों का विकास,
- (3) विजलीघर के पाइपों, आदि में गन्दगी न जाने देने की व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप वृत्त करने के उपाय,
- (4) जलीय ढाचों में भार-विश्लेषण के प्रयोगजन्य तरीकों, और
- (5) गीली मिट्टी तथा पानी के नीचे वैठी हुई मिट्टी के सम्बन्ध में अनुसन्धान, जिसमें मिट्टी के बाध बनाने-सम्बन्धी जाच का विशेष स्थान है।

तीसरी योजना में सिंचाई-सम्बन्धी वुनियादी अनुमन्वान के कार्यक्रमों के लिए 120 लाख ६० की व्यय-व्यवस्था की गई है।

30 डिजाइन-संगठन सिंचाई-परियोजनाओं में बड़ी रकमें लगाई जा रही हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि डिजाइन और निर्माण के सुधरे हुए तरीकों का इस्तेमाल किया जाए और निर्माण-भागियों का समुचित रूप से चुनाव किया जाए, ताकि परियोजना की कुल लागत में अधिक-से-अधिक किरायात हो सके। सिफारिश की गई है कि हर राज्य एक मजबूत डिजाइन-संगठन बनाए, जो अनुसन्धान-संगठनों में मिल कर नवीनिक उपयुक्त और कमखर्च डिजाइन तैयार करे। केन्द्र में, केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग का एक विभाग है, जो राज्यों को अधिक जटिल ढांचे तैयार करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

31 नदी-मडल नदी-घाटिया, विशेषरूप से बड़ी नदियों की घाटिया, स्वभावतः किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होती। कुछ नदियों के मामले में तो स्थिति यह है कि सिंचाई-परियोजना बनाने का सबसे अनुकूल स्थान एक राज्य में है और उमते सिंचाई और बिजली का लाभ उठानेवाला क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में। अतः जल-माधनों के संगठित और मितव्ययितापूर्ण विकास के लिए अन्तःराज्यीय सहयोग की व्यवस्था आवश्यक है। जल-साधनों के दीर्घकालीन आयोजन में इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि उद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ उद्योगों और चढती हुई नागरिक आवादी की आवश्यकताओं के लिए जल-आपूर्ति की समस्या विकास के मार्ग को एक बड़ी समस्या बन जाएगी। नदी-मडल-अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण नदी-घाटियों के लिए नदी-मडलों की स्थापना होने में समग्र नदी-घाटियों की आवश्यकताओं पर समन्वित रूप से ध्यान दिया जा सकेगा—इसमें ग्राहक क्षेत्रों में मिट्टी-मरलाण भी शामिल है। अधिक महत्वपूर्ण नदियों के लिए नदी-मडलों की स्थापना करने के लिए राज्यों की सलाह से कदम उठाए जा रहे हैं।

32 जन-सहयोग वाढ-नियन्त्रण, जल-निकासी, जल-प्लावन-निरोधक तथा ममुद्री कटाव-निरोधक योजनाओं और सिंचाई-कार्यों के कुछ अक्षों में विशेषरूप से जनता का सहयोग लिया जा सकता है। इन योजनाओं के कार्य ऐसे हैं कि अधिकों के लिए अधिक कुशलता की जरूरत नहीं पडती। ये कार्यक्रम अधिकतर उन गावों के निहत होते हैं, जिन्हें इन सिंचाई-योजनाओं से लाभ पहुंचता है। यह प्रवन्ध करना जरूरी है कि योजनाओं में लाभ उठानेवाले भी इन योजनाओं के कार्य में स्वेच्छा से श्रमदान करें अथवा उमें उमके बदले में धन दे। इन कार्यक्रमों के लिए स्थानीय संगठनों या घनिष्ठ सहयोग लेना भी जरूरी है। पचायत-समितियों और ग्राम-पचायतों के महरोग को विनये आवश्यकता है। जहा तक सम्भव हो, अधिकों की सहकारी न्यायों पर अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। भारत-मेवक-समाज-जैमे स्वेच्छिक संगठन भी औजारों-उपकरणों की आपूर्ति, मजबूत विभागों में ठेका प्राप्त करने, निर्माण-नायों का प्रवन्ध करने और अधिकों का कल्याण आदि कामों में सहायता पहुंचाना मरते हैं। इन राज्यों में मामुदायिक विकास-संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो जनता का उल्हाह बढा सके, उनका सहयोग ले मने और परियोजना के कार्य में श्रिम्मा लेने की भावना उनके दिलों में भर

सके। उन्हें ग्रामीणों को उनका उत्तरदायित्व समझाना चाहिए तथा खेती के सुधरे हुए तरीके अपनाने की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे सिचाई में अधिकतम लाभ उठा सकें।

33 मानव-श्रम और मशीनों का उपयोग : नदी-घाटी-योजनाओं में निर्माण-कार्य-सम्बन्धी मशीनों के उपयोग पर विचार करते समय देश में जनशक्ति के विशाल साधनों तथा इतने अधिक लोगों को लाभकारी रोजगार देने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मशीनों के बड़े पैमाने पर उपयोग से विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः परियोजना का सारा निर्माण-कार्य मानव-श्रम में ही किया जाना चाहिए। मशीनों का इस्तेमाल उसी हालत में करना चाहिए, जब यह देखा जाए कि मानव-श्रम से काम पूरा होने में असाधारण रूप से विलम्ब हो रहा है अथवा परियोजना का खर्च बेतरह बढ़ रहा है। हा, आवश्यकता-नुसार श्रमिकों की सहायता के लिए मशीनों और ऐंसे साज-सामान का समुचित उपयोग किया जा सकता है। श्रमिकों के काम करने के तरीकों में सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि निर्माण-कार्य-में तेजी आए और श्रमिक कुशलता से काम कर सकें। तीसरी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं पर विचार करते समय इन पहलुओं पर विस्तार से एव सावधानी से ध्यान देने की जरूरत है।

34 विद्यमान सिचाई-साधनों का रख-रखाव : स्वतन्त्रता से पहले सिचाई-विभागों का मुख्य काम विद्यमान सिचाई-साधनों का संचालन और रख-रखाव ही था, क्योंकि बहुत कम नए सिचाई-कार्यक्रम हाथ में लिए जाते थे। परन्तु पहली और दूसरी योजना में सिचाई के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए। इस परिवर्तन के कारण संचालन एव रख-रखाव के बजाय निर्माण-कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि सिचाई-व्यवस्था में ढील आ गई और रख-रखाव का स्तर गिरने लगा। इसका एक कारण यह भी है कि विद्यमान नहरों, आदि की देखभाल के लिए खर्च की उतनी रकमें नहीं बढ़ाई गईं, जितना पारिश्रमिक और सामान की बढ़ती हुई दरों को देखते हुए आवश्यक था। कुछ वर्षों तक यह स्तर निरन्तर गिरते रहने का कुल नतीजा गम्भीर हो सकता है। नए कार्यक्रमों-द्वारा सिचाई-सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही यह भी जरूरी है कि समुचित रख-रखाव और कुशल संचालन से वर्तमान सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया जाए।

35 तकनीकी कर्मचारी : सिचाई और विजली-कार्यक्रमों के सन्तोषप्रद कार्यान्वयन की पहली और मुख्य आवश्यकता यह है कि सभी स्तरों पर समुचित रूप से प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। नीचे की तालिका में दूसरी योजना के अन्त में इंजीनियरों को सिचाई और विजली-कार्यक्रमों से सम्बद्ध कामों में लगाने-सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है

तालिका-संख्या 5

दूसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार देने का अनुमान

इंजीनियरों की श्रेणियाँ	द्विप्रीवारी	ट्रिप्लोमाधारी	योग
सिविल	5,600	15,900	21,500
इलेक्ट्रिकल	4,200	6,400	10,600
मेकैनिक्ल	1,100	1,900	3,000
योग	10,900	24,200	35,100

तीसरी योजना में निचाई और विजली-कामों के लिए इंजीनियरों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार है

तालिका-संख्या 6

तीसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान

इंजीनियरों की श्रेणियाँ	डिप्लोमार्थी	डिप्लोमावारी	योग
सिविल	2,300	6,700	9,000
इलेक्ट्रिकल	2,800	4,400	7,200
मेकैनिक्ल	800	1,100	1,900
योग	5,900	12,200	18,100

आशा है कि तीसरी योजना में डिप्लोमार्थियों की संख्या आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त होगी, परन्तु डिप्लोमावार्थियों की संख्या कुछ कम होने की सम्भावना है। योजना के पहले दो वर्षों में प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करके यह कमी पूरी करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी खोदने एवं हटाने की मृत्युदान मशीनों को चलाने और उनके रख-रखाव के लिए नमुचित प्रशिक्षण-प्राप्त आपरेटरो और मेकैनिको की जरूरत होगी। कोटा (राजस्थान) और नागार्जुनसागर (आन्ध्रप्रदेश) के परियोजना-स्वलों पर केंद्रीय सरकार-द्वारा खोले गए दो तकनीकी प्रशिक्षण-केंद्रों में आपरेटरो और मेकैनिको के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

36 नियन्त्रण-मंडल: भाखड़ा, चम्बल, रिहन्द, कोमी, हीराकुंड, नागार्जुन-सागर, तुंगभद्रा, राजस्थान-नहर और कोयना-जैनी विशाल परियोजनाओं के लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना की जा चुकी है। इन मंडलों का काम इन बाँधों का प्रबंध करना है कि परियोजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन में किफायतशील और कुशलता से काम लिया जाए। वे इन बाँधों की भी व्यवस्था करेंगे कि परियोजना के विभिन्न चरणों में मिलनेवाले लाभों का तेजी से और अधिकतम उपयोग किया जा सके। तीसरी योजना में अनेक बड़ी परियोजनाएँ आरम्भ की जा रही हैं। परियोजनाएँ स्वीकार होते ही उनके लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना ने काम में सहायता मिलती है। इस मुद्दा पर सम्बद्ध राज्य-सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है। जिन बड़ी परियोजनाओं के लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना नहीं की गई है, उनके काम में बाधाएँ न आने देने तथा तेजी से काम होने की व्यवस्था करने के लिए निचाई और विजली-मंत्रालय को समय-समय पर कार्य की समीक्षा का प्रबंध करना चाहिए।

विजली

शक्ति के साधन

37 भारत में शक्ति के जो मुख्य साधन उपलब्ध हैं—जैने, कोयला, भूरा कोयला (लिग्नाइट), जलप्रपात, यूरेनियम और थोरियम, तेल, प्राकृतिक गैस और थोबनात्मक गैस—उनमें से किसी ने भी विजली पैदा की जा सकती है। तरंग-शक्ति, वायु-शक्ति, भू-ऊष्मा-शक्ति और नौर-विकिरण अन्य सम्भावित साधन हैं, जिनमें विजली पैदा की जा सकती है परन्तु देश में विजली के विकान पर इनका प्रभाव अभी तक नगण्य रहा है।

38 अनुमान लगाया गया है कि सारे देश में कोयले के ऐसे भांडारों की क्षमता, जहाँ से कोयला प्राप्त किया जा सकता है, 5,000 करोड़ टन है। इसमें से अधिकांश विहार और पश्चिम-बंगाल में है और शेष असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आन्ध्रप्रदेश में फैले हुए हैं। इसके अलावा, भूरा कोयला (लिग्नाइट) के 200 करोड़ टन के भांडार का अनुमान लगाया गया है, जो मद्रास, राजस्थान, गुजरात और जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों में उपलब्ध है। धातुशोधन और अथ उद्योगों के लिए आवश्यक बढ़िया किस्म का कोयला कम है, इसलिए कोयला घोंके के कारखाने स्थापित करना आवश्यक है। घटिया किस्म का कोयला, जिसके जलने से अधिक राख निकलती है, तथा कोयला घोंके के कारखानों में प्राप्त मध्यम किस्म के कोयले को कम खर्च में दूर-दूर तक नहीं पहुँचाया जा सकता, इसलिए उसे विजलीघरों के एक ही स्थान पर काम करने के लिए लगाए गए वायलरो में जलाना विशेष उपयोगी है। भाप से चलनेवाले विजलीघरों के वायलरो में, कोयले की जगह भट्टी-तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिम्बोई, विशाखापटनम और बम्बई के अलावा अब गौहाटी (असम), वरीनी (विहार) तथा खम्भात (गुजरात) में भी तेल-शोधनालय स्थापित किए जा रहे हैं। परिवहन-व्यवस्था पर दबाव तथा लाने-ले-जाने का खर्च कम करने के लिए यह उचित है कि भाप से चलनेवाले विजलीघर ऐसे स्थानों पर बनाए जाएँ, जहाँ कोयला-खानों, कोयला घोंके के कारखाने और शोधनालय हों। डीजल-चालित विजलीघरों में विजली-उत्पादन का अत्यधिक खर्च और डीजल के आयात में कमी करने की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रकार के विजली-उत्पादन का विस्तार बुरस्य स्थानों पर और छोटी योजनाओं के लिए अथवा पूरक कार्यों के लिए ही होगा। कहीं-कहीं विजली पैदा करने के लिए शोधनालयों, घमन-भट्टियों और कोक-भट्टी-गैसों का भी उपयोग होता है। असम के नहरकटिया नामक स्थान में प्राकृतिक गैस के भी भांडार प्राप्त हुए हैं। तीसरी योजना में विजली पैदा करने के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा प्राकृतिक गैस के उपयोग का भी इरादा है।

39 बड़े भापीय तापमान और दबाववाले बड़े-बड़े तापीय विजलीघरों की स्थापना से विजली-सम्बन्धी कुशलता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि स्थापित क्षमता के प्रति किलोवाट पूंजीगत खर्च में भी कमी आएगी। 30, 60, 100 और 120 मेगावाट के आधुनिक सयन्नों से उपलब्ध तापीय क्षमता क्रमशः 26, 29, 32 और 34 प्रतिशत तक होती है। 120 मेगावाट के विजलीघर का प्रति किलोवाट पूंजीगत व्यय 30 मेगावाट के विजलीघर के मुकाबले 20 प्रतिशत कम रहता है। भारत के तापीय विजलीघरों की कुल क्षमता सन् 1959-60 में 195 प्रतिशत थी, क्योंकि अनेक विजलीघर छोटे और पुराने थे। बड़े विजलीघरों की स्थापना और संचालन से कुल तापीय क्षमता में काफी मुधार की आशा है, प्रयुक्त प्रति टन कोयले से अधिक किलोवाट-घंटे विजली पैदा हो सकेगी।

40 पानी से विजली पैदा करने का विशेष महत्त्व है, क्योंकि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और न्यूक्लियर ईंधनों से विजली पैदा करने में उक्त वस्तुएँ खर्च करनी पड़ती हैं, जब कि बहुत हद तक पानी विजली प्राप्त करने का अक्षय साधन है। सन् 1953 में केन्द्रीय जल तथा विजली-आयोग ने देश की नदियों की विजली पैदा करने की क्षमता का व्यवस्थित अनुमान लगाने का काम शुरू किया। मुद्रित नक्शों

पर नम्भावित पन-विजली-मयनो को अंकित किया गया तथा वर्षा एव नदियों के नम्बन्ध में उपलब्ध विभिन्न आकड़ों के आधार पर (इन नदियों के पानी का सिंचाई बाढ-नियन्त्रण, नौकानयन, आदि के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए) अनुमान लगाया गया कि इस माधन से 4 करोड़ 10 लाख किलोवाट विजली पैदा करना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि में सम्भव है।

41 अनुमान लगाया गया है कि देश का थोरियम-भांडार विश्व के सबसे बड़े भांडारों में स्थान रखता है और यह यूरेनियम ने भी अधिक व्यापक क्षेत्र में उपलब्ध है। थोरियम के इस्तेमाल के लिए देश में न्यूट्रिक शक्ति के कार्यक्रम पर तीन चरणों में अमल करना पड़ेगा, और इन पर स्पष्टतः बहुत समय लगेगा। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करके विजली तथा विश्वडनीय तत्व प्लुटोनियम पैदा किया जाएगा। दूसरे चरण में न्यूट्रिक प्रतिकारियों में प्लुटोनियम का ईंधन के रूप में तथा थोरियम का उर्वरनामग्री के रूप में इस्तेमाल करके विजली बनाई जाएगी तथा थोरियम के अणु को यू-233 में बदला जाएगा। तीसरे चरण में यू-233 को थोरियम के साथ प्रजननकारी प्रतिकारियों में प्रयुक्त किया जाएगा, जिससे एक और विजली पैदा होगी और दूसरी ओर उसमें अधिक यू-233 पैदा होगा, जितना विजली पैदा करने की प्रक्रिया में जलेगा। कतिपय अस्थायी अनुमानों के अनुसार, स्थल है कि इन चरणों में विजली पैदा करने का खर्च अन्य दोनों चरणों में कम बैठेगा।

42 यह देखते हुए कि एक टन यूरेनियम में उतनी ही विजली पैदा करने की क्षमता है, जितनी 10-11 हजार टन कोयले में, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि परिवहन-सुविधाओं में न्यूट्रिक शक्ति का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। यद्यपि तापीय विजलीघरों के मुकाबले न्यूट्रिक केन्द्रों का पूजागत व्यय अनी डेढ़-दो गुना बैठता है, तथापि कोयला-खानों से दूरस्थ और उन स्थानों पर, जहाँ विजली पैदा करने के किफायती साधन नहीं हैं, न्यूट्रिक विजलीघर स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ वर्तमान हैं। विजली पैदा करने के लिए न्यूट्रिक सयन्त्रों के निर्माण और संचालन के लिए उच्च वैज्ञानिक और इंजीनियरी दक्षता की जरूरत होती है। अतः यह वाछनीय है कि देश के तकनीकी कर्मचारी इस क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करें, ताकि उचित अवसर पर एक विशालतर न्यूट्रिक शक्ति-कार्यक्रम शुरू किया जा सके।

43 तरंगी और भू-तापीय शक्ति से चलनेवाले विजलीघरों का भारत में बहुत भीमित उपयोग हुआ है। इन साधनों से कम खर्च में विजली पैदा करने की सम्भावनाएँ अभी नगण्य हैं। विद्युत के अनेक भागों में सीधे शक्ति से सीधे विजली प्राप्त करने के प्रयोग चल रहे हैं। भारत में, दूरस्थ स्थानों पर पम्प-द्वारा पानी पहुँचाने के लिए हवा से चलनेवाले सयन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। हाल में ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद ने बगलोर की राष्ट्रीय वायुविद्या-प्रयोगशाला में वायुशक्ति-विभाग की स्थापना की है, जो पवनचक्कियों और पवन की गतिविधियों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक अध्ययन आरम्भ करेगा। वायुशक्ति के घटते-बढ़ते रहने के कारण ऐसी सप्ताहक बैटारियाँ लगाने की आवश्यकता होगी, जिनसे निरन्तर शक्ति प्राप्त होती रहे। वायु-विजलीघर बनाने में अधिक रकम लगती है, अतः देश में विजली पैदा करने के इस तरीके का व्यापक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

विजली-विकास की वर्तमान स्थिति

44 पहली योजना के आरम्भ में विजली की कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 23 लाख किलोवाट थी। इसमें 6 लाख 30 हजार किलोवाट का राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, 10 लाख 80 हजार किलोवाट का कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तथा 5 लाख 90 हजार किलोवाट का औद्योगिक सस्थानों में, जिनके पास अपने विजलीघर थे, उत्पादन होता था। पहली योजना में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि का लक्ष्य 14 लाख किलोवाट था, जब कि वास्तविक वृद्धि 11 लाख 20 हजार किलोवाट की ही हुई। दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता लगभग 67 प्रतिशत बढ़ी— 34 लाख 20 हजार किलोवाट से बढ़ कर 57 लाख किलोवाट हो गई (अनुवन्ध 6)। प्रारम्भिक लक्ष्य 34 लाख 80 हजार किलोवाट का था, परन्तु वास्तविक वृद्धि 22 लाख 80 हजार किलोवाट की हुई। लक्ष्य-पूर्ति में कमी का मुख्य कारण दूसरी योजना के आरम्भिक वर्षों में विदेशी मुद्रा की कमी तथा भावबहा-नगल, कोयना, रिहन्द और हीराकुड-जैसी कुछ परियोजनाओं के काम में विलम्ब था। तीसरी योजना के आरम्भिक वर्षों में विजली के गम्भीर अभाव की स्थिति से बचने के लिए दूसरी योजना की शेष विजली-परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के क्षेत्र में कदम उठाए गए। इन परियोजनाओं को पहले 'अप्रमूल' बताया गया था। दूसरी योजना के दौरान कुछ प्रदेशों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी अतिरिक्त योजनाओं पर भी काम शुरू किया गया, जिन्हें पहले दूसरी योजना में शामिल नहीं किया गया था। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में तीसरी योजना की कुछ चुनी हुई योजनाओं पर भी प्रारम्भिक कार्य शुरू करने की व्यवस्था की गई। पहली और दूसरी योजनाओं के दौरान जिन मुख्य विजलीघरों को चालू किया गया, उनको सूची अनुवन्ध 7 में दी गई है।

45 पहली योजना के शुरू में विजली-प्रतिष्ठानों पर 150 करोड़ ₹० की पूजी लगी थी। इसमें से आधी से कुछ कम राशि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में थी। स्वयं विजली-उत्पादन करनेवाले औद्योगिक सस्थानों में 40 करोड़ ₹० की पूजी लगी हुई थी। पहली योजना में विजली-विकास की योजनाओं पर 302 करोड़ ₹० खर्च हुए, जिसमें से 260 करोड़ ₹० राज्याधिकृत प्रतिष्ठानों पर, 32 करोड़ ₹० कम्पनी-अधिकृत प्रतिष्ठानों पर तथा 10 करोड़ ₹० स्वयं उत्पादन करनेवाले औद्योगिक सस्थानों पर खर्च किए गए। उनमें मन्बद्ध दूसरी योजना के आकड़े क्रमशः 525 करोड़ ₹०, 460 करोड़ ₹०, 37 करोड़ ₹० तथा 28 करोड़ ₹० हैं। इस 460 करोड़ ₹० की राशि में दामोदर-घाटी-निगम और कुछ राज्य-विजली-भंडारों द्वारा अपने साधनों में लगाई गई पूजी भी शामिल हैं। उन प्रकार, दूसरी योजना के अन्त तक विजली पर पूजी-विनियोग की कुल राशि 1,017 करोड़ ₹० ठहरेगी है, जिसमें से राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में नयी पूजी 790 करोड़ ₹० थी।

विजली-विकास का परिपेक्ष

16 दूसरी योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की स्थापना 77 करोड़ 4 लाख 50 हजार किलोवाट प्रति वर्ष रहा। तीसरी योजना में प्रति वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में 15 लाख किलोवाट विजली पैदा करने के लक्ष्य का निर्धारण हो चुका है। परन्तु विद्युत्-शक्ति

उसके बाद की योजनाओं में विकास की गति इसमें भी अधिक रहेगी। इस प्रकार, सन् 1975-76 तक देश में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 3 करोड़ 50 लाख किन्टोवाट तक पहुँचने की सम्भावना है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, मोटे तौर पर, इसका 50 प्रतिशत भाग पन-विजली-परियोजनाओं से और शेष तापीय विजलीघरों में मिलेगा। इन सन्धियों को पूरा करने के उद्देश्य में पन विजलीघरों के लिए नए स्थानों की खोज तेजी से की जानी चाहिए तथा उन पर नमय रहते ही काम शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि आगे बचनेवाली योजनाओं में उनका लाभ उठाया जा सके। दक्षिण के वर्तमान भाषणों को देखते हुए, ख्याल है कि आनेवाले वर्षों में दक्षिण को बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में नैपिटिक दक्षिण को महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम

47 वृनिधादी बातें और मापदंड : विभिन्न क्षेत्रों के उपयुक्त विजली-उत्पादन के विशिष्ट तरीकों का निश्चय करते समय निम्नलिखित मुख्य बातें मानने आती हैं स्थापित क्षमता के प्रति किलोवाट पर पूर्णगत व्यय, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का परिमाण, प्रति किलोवाट-घटा विजली के उत्पादन पर लागत, निर्माण के लिए आवश्यक अवधि, अन्य विकास-कार्यक्रमों—जैसे, कोयला-खान, कोयला धोने का उद्योग, सिंचाई, प्राकृतिक गैसों का उपयोग, नई टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहन, आदि—पर प्रभाव। पानी, कोयला और डीजल-चालित विजलीघरों में विजली-उत्पादन का औसत खर्च क्रमशः 1 2 नए पैसे, 3 नए पैसे और 25 नए पैसे प्रति किलोवाट-घटा पडता है। परमाणविक विजलीघरों में उत्पादन की लागत 3 5 से 4 नए पैसे प्रति किलोवाट-घटा तक पड़ेगी, जो कि कोयला-खानों से दूर स्थित क्षेत्रों में कोयला-चालित विजलीघर में विजली-उत्पादन के लगभग बराबर ठहरेगी। पन-विजलीघरों के मुकाबले कोयला-चालित विजलीघरों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 2-3 गुना अधिक होती है। परमाणविक विजलीघरों के लिए इससे भी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार से विजली-उत्पादन के तरीकों के कारण किफायत करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के विभिन्न तरीकों में एक सन्तुलन रखा जाए और एक श्रेष्ठ के वृनिधादी, अधिकतम और मीममी लोड को देखते हुए उनमें परस्पर-सम्बन्ध स्थापित किया जाए।

48 तीसरी योजना में राज्यों में विजली-कार्यक्रम का आकार तय करते समय मुख्य प्रश्न श्रवले कुछ वर्षों में विजली के लोड की सम्भावित माँग का ही था। दूसरी योजना के अन्त में केन्द्रीय जल और विजली-आयोग-द्वारा किए गए लोड-सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण से मालूम पडा कि माँग सन् 1958 में किए गए प्रारम्भिक लोड-सर्वेक्षण के अनुमानों से कहीं अधिक है। तीसरी योजना में विजली-उत्पादन के कार्यक्रम का आधार यही ताजा नर्वेक्षण तथा प्रस्तावित औद्योगिक कार्यक्रम है। मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तरप्रदेश में सिंचाई के लिए पम्पों का विस्तार करने का विचार है, जिससे विजली का भी उपयोग बढ़ जाएगा। पश्चिम-बंगाल-जैसे कुछ क्षेत्रों में उद्योगों में विजली की माँग बहुत बढ़ जाने की सम्भावना है। कलकत्ता और कानपुर के बीच तथा कुछ अन्य मार्गों पर रेलवे के विजलीकरण से विजली पहुँचाने की आवश्यकता बढ़ जाएगी। कुछ राज्यों में, जहाँ दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता का अधिक विस्तार नहीं हो सकता था, नई योजना की अवधि में विजली-विस्तार-कार्यक्रमों में पिछली बढ़ी कमी दूर करने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरी योजना के

मुख्य बिजली-उत्पादन-कार्यक्रम अनुबन्ध 8 में दिए गए हैं। अनुबन्ध 9 में बिजली-कार्यक्रमों का राज्यवार खर्च और तीसरी योजना में उनसे मिलनेवाले लाभ का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

भौतिक लाभ और सोपानीकरण

49 तीसरी योजना के अन्त तक, कार्यरत और बन रहे सयन्त्रों की कुल उत्पादन-क्षमता 1 करोड़ 34 लाख किलोवाट होगी, जिसमें से 1 करोड़ 26 लाख 90 हजार किलोवाट का इस्तेमाल व्यावसायिक काम-काज में होगा। यह स्थापित उत्पादन-क्षमता दूसरी योजना के मुकाबले 123 प्रतिशत अधिक होगी। इस कार्यक्रम के पूरा होने पर बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन सन् 1951 के 18 किलोवाट-घटे, सन् 1956 के 28 किलोवाट-घटे और सन् 1961 के 45 किलोवाट-घटे से बढ़ कर सन् 1966 में 95 किलोवाट-घटे हो जाएगा।

50 एक न्यूक्लियिक बिजलीघर बम्बई के निकट तारापुर में स्थापित किए जाने की योजना है। इसमें दो प्रतिकारी होंगे और प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता 150 मेगावाट की होगी। इनमें से पहला प्रतिकारी तीसरी योजना के अन्त से पहले ही काम शुरू कर देगा तथा दूसरा चौथी योजना के पहले वर्ष में कार्यारम्भ करेगा। दिल्ली-पञ्जाब-राजस्थान-उत्तरप्रदेश-क्षेत्र में भी एक न्यूक्लियिक बिजलीघर बनाने के लिए अनुकूल स्थान की खोज के काम को हात्स में स्वीकृति दी गई है।

51 बिजली-योजनाओं से मिलनेवाले लाभ का क्रम तय करना मुख्यतः विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों को अमल में लाने की राज्य-बिजली-मंडलों की क्षमता पर निर्भर है। ये बिजली-मंडल ही सरकारी क्षेत्र में बिजली-परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार करने, नापजोख एवं टेंडर-सम्बन्धी कार्रवाई करने, प्राप्त होने पर टेंडरों की जाच करने और आर्डर देने, सामान पहुँचाने और सयन्त्र लगाने, उनका परीक्षण करने तथा काम चालू करने तक के विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए एवं कार्यक्रम के मार्ग की सम्भावित बाधाओं का अनुमान करके उनके निराकरण के उपाय किए जाने चाहिए। योजनाओं की प्रगति पर कड़ी नजर रखे बिना तथा बिजलीघरों, आदि के निर्माण की अवधि कम करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए बिना विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर नहीं किया जा सकता।

52 यद्यपि वर्तमान अवस्था में अनेक अनिश्चितताएँ हैं, तथापि नीचे की तालिका में तीसरी योजना में मिलनेवाले लाभों का सम्भावित सोपानीकरण दिखाया गया है

तालिका-सख्या 7 लाभों का सोपानीकरण

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि (लाख किलोवाट)	वर्ष के अन्त में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता (लाख किलोवाट)
1961-62	6	63
1962-63	7 3	70 3
1963-64	10 5	80 8
1964-65	20 7	101 5
1965-66	25 4	126 9

यह ममत्त लिया जाना चाहिए कि विक्रम के उपर्युक्त विद्यालय कार्यक्रम के बावजूद माग में वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी बनी रहेगी, विशेषरूप से तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में। बिजली का विक्रम एक निरन्तर प्रक्रिया रहनी चाहिए और ऐंभी अनेक परियोजनाओं पर काम आरम्भ कर देना चाहिए, जिनका लाभ आनेवाली योजनाओं के दौरान ही मिल सकेगा। इसी दृष्टि में व्याम, पुनामा, इदिपनी आदि परियोजनाएँ भी तीसरी योजना में शामिल की गई हैं।

53 तीसरी योजना में संचरण-पथों का अंग भी विस्तार दिया जाएगा। इसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-सख्या 8
संचरण-पथ

वर्ष के अन्त में	संचरण-पथ 11 किलोवाट और अधिक	
	सर्किट मील	सर्किट किलोमीटर
1955	36,500	58,400
1960-61	84,000	1,34,400
1965-66	1,50,000	2,40,000

वित्तीय व्यय

54 तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में बिजली-कार्यक्रम के लिए कुल व्यय-राशि 1,039 करोड़ ₹० रखी गई है। निजी क्षेत्र में 50 करोड़ ₹० के पूंजी-विनियोग की आशा है। सरकारी क्षेत्र में खर्च की जानेवाली राशि में से 661 करोड़ ₹० पन-बिजली और तापीय बिजली-कार्यक्रमों के लिए, 51 करोड़ ₹० परमाणविक बिजली के लिए और 327 करोड़ ₹० संचरण एवं वितरण-योजनाओं (जिसमें गावों में बिजली पहुंचाने पर होनेवाला 105 करोड़ ₹० का खर्च भी शामिल है) के लिए रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में बीकारों के इस्पात-कारखाने में बिजली पहुंचाने की भी व्यवस्था है तथा मइवेली के बिजलीघर में 150 मेगावाट के विस्तार का खर्च भी शामिल है। यूरेनियम निकालने, निर्माण और प्लुटोनियम निकालने के सयंत्रों पर होनेवाला 24 करोड़ ₹० का खर्च, जो प्रारम्भिक रूपरेखा में 'बिजली' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया था, अब 'उद्योग और खनिज पदार्थ' शीर्षक के अन्तर्गत कर दिया गया है।

55 तीसरी योजना के बिजली-कार्यक्रम के लिए 320 करोड़ ₹० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। दूसरी योजना के अनुभव में ज्ञात होता है कि बिजली-सम्बन्धी साज-सामान के लिए आयात पर निर्भर रहने के कारण बिजली के तीव्र विकास में बाधा पहुंचती है। तीसरी योजना में भी मशीनें और अन्य उपकरण काफी बड़ी तादाद में विदेशों से मगाने पड़ेंगे। भोपाल में बिजली की भारी मशीनें तथा उपकरण तैयार करने के कारखाने

इसमें दामोदर-घाटी-निगम के बिजली-कार्यक्रम और बंडोल-तापीय बिजलीघर का पूरा खर्च भी शामिल है।

को पूरा करने तथा उसके विस्तार के अलावा तीमरी योजना में दो और बड़े कारखानों की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में की गई है, जिनमें वायलर, भाषीय और जलीय टम्बाइन तथा विजली के अन्य बड़े उपकरण तैयार किए जाएंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने ट्रान्सफार्मर, मोटर, स्विचगियर आदि बनाने की क्षमता बढ़ाएंगे। इस प्रकार, विजली-परियोजनाओं के लिए साज-सामान का काफी बड़ा हिस्सा देश में होनेवाले उत्पादन से ही प्राप्त हो जाएगा।

56 स्थापित-क्षमता और विजली-उत्पादन में विक्रम नीचे की तालिकाओं तथा अगले पृष्ठ की तालिका सं० 11 में दिखाया गया है

तालिका-संख्या 9
स्थापित क्षमता का विकास

	(लाख किलोवाट)			
	1950	1955	1960-61 (अनुमान)	1965-66 (अनुमान)
राज्याधिकृत मार्बजनिक्त प्रतिष्ठान	6 3	15 2	33 2	98 2
कम्पनी-अधिकृत मार्बजनिक्त प्रतिष्ठान	10 8	11 8	13 6	14 5
सुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठान	5 9	7 2	10 2	14 2
योग	23	34 2	57	126 9

तालिका-संख्या 10
सयन्त्र की किस्म के अनुसार स्थापित-क्षमता

	(लाख किलोवाट)			
	1950	1955	1960-61 (अनुमान)	1965-66 (अनुमान)
पन-विजली-चालित सयन्त्र	5 6	9 4	19 1	51
भाप-चालित सयन्त्र	15 9	22 7	34 6	70 8
तेल-चालित सयन्त्र	1 5	2 1	3 1	3 6
न्यूट्रिक सयन्त्र	—	—	—	1 5
योग	23	34 2	57	126 9

तालिका-संख्या 11
उत्पादित विजली का विकास

(करोड़ किलोवाट-घंटे)

	1950	1955	1960-61 (अनुमान)	1965-66 (अनुमान)
राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	210 4	457 3	1,125	3,450
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	300 3	401 9	575	650
तुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठान	146 8	218 5	285	400
योग	657 5	1,077 7	1,985	4,500

उपभोग का स्वरूप

57 अनुवन्ध 10 में उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों-द्वारा उपभोग के स्वरूप (मन् 1951-61 में) का विवरण दिया गया है। इस अवधि में होनेवाले परिवर्तन का क्षेत्र और मन् 1965-66 में अनुमानित उपभोग का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 12

उपभोग का स्वरूप

वर्ग	सन् 1965-66 में अनुमानित उपभोग (करोड़ किलोवाट-घंटे)	कुल उत्पादन का प्रतिशत	
		1965-66	1951-61 की अवधि में परिवर्तन
घरेलू या रिहायशी प्रकाश			
एव अल्प शक्ति	340	7 6	7 5 से 8
व्यावसायिक प्रकाश एव अल्प शक्ति	190	4 2	4 2 से 4 8
औद्योगिक शक्ति	2,840	63 1	61 3 से 62 9
परिवहन	180	4	2 3 से 4 4
सार्वजनिक प्रकाश	40	0 9	0 9 से 1
सिंचाई	190	4 2	2 4 से 4 2
सार्वजनिक जल-व्यवस्था एव मल-सफ़ाई-व्यवस्था	90	2	2 3 से 2 8
मचरण की हानिया, नष्टक कामों में उपभोग आदि	630	14	14 4 से 16 3
योग	4,500	100	

मन् 1951-61 के बीच की दस वर्षों की अवधि में परिवहन और पम्पों-द्वारा सिंचाई के अनिश्चित और किसी वर्ग के उपभोग में विवेक परिवर्तन नहीं हुआ। परिवहन में विजली

के उपयोग का विकास बिजली-उत्पादन के विकास के बराबर नहीं हुआ है, इस कारण इम वर्ग का उपभोग उत्पादन के 4.4 प्रतिशत (सन् 1951 में) से गिर कर सन् 1960-61 में 2.3 प्रतिशत रह गया। पम्पो-द्वारा सिंचाई में उपभोग 2.7 प्रतिशत में बढ़ कर 4.2 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह उल्लेखनीय है कि कुल उपभोग ढाई-गुना बढ़ा, परन्तु पम्पो-द्वारा सिंचाई के लिए बिजली का उपभोग सन् 1951 के मुकाबले चार-गुना से अधिक बढ़ गया तथा यह प्रगति और तेज होने की आशा है। पहली और दूसरी योजनाओं में विभिन्न वर्गों में बिजली के उपभोग का विकास अनुवन्ध 11 में विस्तार से दिया गया है। उद्योगों में कुल उत्पादित बिजली का 61 में 63 प्रतिशत तक ग्रहण जाता है, अथवा यों कहिए कि उपभोक्ता-ओं-को देवी जानेवाली शक्ति का 72 प्रतिशत भाग उद्योग लेते हैं। इससे जाहिर है कि औद्योगिक और बिजली-कार्यक्रमों में मसन्द्य की कितनी आवश्यकता है। तीसरी योजना में भारी और सुनियादी उद्योगों पर निरन्तर बल देने के साथ ही बिजली-उत्पादन पर भी बराबर वृद्धि के लिए जोर दिया जा रहा है।

गाव का बिजलीकरण

58 तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य छोटे कस्बों और गावों में उपयोगी छोटे उद्योगों का विकास करना है, ताकि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध किए जा सकें, आमदनी और जीवन का स्तर ऊँचा उठे तथा गावों की अर्थव्यवस्था अधिक सन्तुलित एवं बहुमुखी बने। इन उद्देश्यों की पूर्ति में एक बड़ी बाधा शक्ति की कमी है। जहाँ बिजली उपलब्ध है, वहाँ परम्परागत उद्योग चलाए जा सकते हैं और धीरे-धीरे सुबरे हुए तरीकों पर अन्य छोटे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं, ताकि बढ़ती हुई ग्राम-अर्थव्यवस्था की नई आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें। अनेक राज्यों में पम्पो से सिंचाई में बिजली का काफी उपयोग होता है और इस क्षेत्र में अभी विस्तार की बहुत गुंजायश है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास में गावों में बिजली पहुँचाने का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसका मूल्य तात्कालिक आर्थिक लाभ के रूप में ही नहीं लगाया जा सकता।

59 दूसरी योजना के अन्त तक देश में जिन गावों और कस्बों में बिजली पहुँचा दी गई है, उनकी कुल संख्या का अनुमान 23,000 है, जब कि पहली योजना में यह संख्या 7,400 थी। तीसरी योजना में गावों के बिजलीकरण के लिए 105 करोड़ ६० की व्यवस्था की गई है। इसमें गावों की लोड-आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली-उत्पादन का खर्च शामिल नहीं है, क्योंकि वह खर्च बिजली-उत्पादन के कुल खर्च का ही भाग है। तीसरी योजना के अन्त तक जिन गावों और कस्बों में बिजली पहुँच जाएगी, उनकी संख्या में 20,000 की वृद्धि हो जाएगी यानी कुल संख्या 43,000 हो जाएगी। हर राज्य में ग्राम-बिजलीकरण-कार्यक्रमों की गुंजायश का हिसाब लगाते समय उत्पादन-क्षमता में वृद्धि तथा संचरण-विस्तार, वितरण और ग्राम-बिजलीकरण दोनों के सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। चौथी और पाँचवी योजना में गावों में बिजली पहुँचाने पर अधिक व्यय एवं तेज विकास की व्यवस्था करने का विचार है।

60 अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाया गया है कि विभिन्न योजनाओं की अवधि में कितनी आबादी तक के गावों और कस्बों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है और तीसरी योजना के अन्त तक ऐसे गावों की संख्या कितनी हो जाएगी।

तालिका-संख्या 13
विजलीवाले गाव और कस्बे

सन् 1951 की माघ 1951 तक जन्मणना के अनुसार शुल संख्या	विजलीवाले गाव और कस्बे	माघ 1956 तक विजलीवाले गाव और कस्बे	माघ 1961 तक विजलीवाले गाव और कस्बे (अनुमानित)	माघ 1966 तक विजलीवाले गाव और कस्बे (अनुमानित)
	73	73	73	73
1 लाख से अधिक	49	73	73	73
50 हजार से 1 लाख तक	88	111	111	111
20 हजार से 50 हजार तक	401	366	399	401
10 हजार से 20 हजार तक	856	150	756	856
5 हजार से 10 हजार तक	3,101	1,200	1,800	3,101
5 हजार से कम	5,56,565	2,792	19,861	38,458
योग	5,61,107	3,687	23,000	43,000

इससे स्पष्ट है कि तीसरी योजना के अन्त तक 5,000 से ऊपर आवादीवाले सभी गावों और कस्बों में बिजली पहुंचा दी जायेगी सम्भावना है। 2 से 5 हजार के बीच की आवादीवाले 50 प्रतिशत गाव, अर्थात्, 10 हजार गाव बिजली की सुविधा का लाभ उठाने लगेंगे।

61 ऐसे दूरस्थ और विखरे हुए स्थान बहुत हैं, जहां कम खर्च में 10 से लेकर 100 किलोवाट शक्ति तक के पन-बिजली-सयन्त्र लगाए जा सकते हैं। 100 किलोवाट तक क्षमता के छोटे पन-बिजली-सयन्त्र भारत में ही बनाए जा रहे हैं। आगे चलकर इनमें डीजल आल्टरनेटर सेटों के मुकाबले किफायत भी रहेगी और उन्हें प्राप्त करने या चलाने में विदेशी मुद्रा की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू करने एवं उनमें सहायता देने के लिए तथा ऐसे सयन्त्रों की स्थापना में मदद देने के लिए केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग में एक इकाई खोल दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बिजली-विकास का यह पहलू विशेष महत्त्व का है और इसके लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

62 गावों में बिजली ले जाने में अपेक्षाकृत अधिक लागत मुख्यतः इसलिए आती है कि एक तो एक गाव से दूसरे गाव की दूरी बहुत होती है, दूसरे, बिजली की क्षपत की मात्रा बहुत कम होती है, और तीसरे, बिजली को—विशेष रूप से खेती में—खास मौसमों में, खास अवसरों पर ही आवश्यकता रहती है, यह आवश्यकता सदा एक-सी नहीं रहती। इसका नतीजा यह होता है कि लोड कम होता है तथा प्राप्त उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। लोड-तत्त्व को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि बिजली का उपयोग करनेवाले आर्थिक दृष्टि से लाभकार कार्यों का समन्वित रूप से विकास किया जाए। इस लक्ष्य की सिद्धि हर क्षेत्र के लिए सावधानी से तैयार किए गए विकास-कार्यक्रमों के द्वारा ही हो सकती है। इनमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों की कार्रवाइयां शामिल हैं—जैसे, छोटे सिंचाई-कार्य, औजारों, आदि के लिए ऋण और मरम्मत आदि की सुविधा, मुघरे हुए बीज और अच्छी खाद, लघु उद्योग और ग्रामीणों, आदि—ताकि गाव में बिजली लगाने से कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने में यथासम्भव अधिक सहायता मिल सके। काम शुरू करने से 2-3 वर्ष पहले से ही गावों में बिजली लगाने की योजना तैयार हो जानी चाहिए, ताकि उसी समय से दूसरे क्षेत्रों में भी काम शुरू हो सके।

63 जिला-विकास-योजना के अंग-रूप में बिजली के उपयोग से सम्बद्ध मुनिश्चित योजनाएँ सुचारू रूप में तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बिजली-मंडलों को चाहिए कि वे सम्बद्ध जिला-संस्थाओं को पहले से ही इस बात का संकेत दे दें कि उनके अनुमान में तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्य के गावों और कस्बों के लिए प्रतिवर्ष कितनी बिजली दी जा सकेगी। राज्यों को सुझाव दिया गया है कि जिन जिलों में बिजली की सुविधाएँ हैं या हटाने वाली हैं, उनमें ग्राम-विकास-कार्यक्रमों के बारे में मलाह देने के लिए छोटी-छोटी नमितिषा बना दी जाएं। ये कार्यक्रम थोड़े विस्तार से तैयार किए जाने चाहिए और मौसम क्षेत्रों के अनुसार उनके आवश्यक त्रम निर्दिष्ट कर दिए जाने चाहिए—जैसे, एक बच्चे और उनके आस-पास के इलाकों या कुछ ऐसे गावों को एक क्षेत्र में रखा जा सकता है, जिनके लिए बिजली का एक ही स्रोत है और मूलवन्धित या स्थिर कार्यक्रम के प्राधान्य पर जिनका विकास किया जा सकता है। इन जिला-योजनाओं को राज्यों की योजनाओं के अंग-रूप में ही अंमल में लाया जाना चाहिए, ताकि गावों को बिजली देने में बाधक न हो किन्तु प्रतिवर्ष बिजली-उत्पादन-क्षमता के आस-पास ही रहें।

पडताल कर रहा है। इस बीच राज्यों में विजली के आदान-प्रदान की सुविधाओं के लिए 220 किलोवाट की अन्त-राज्यीय सम्पर्क-लाइनें बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। तीसरी योजना में महाराष्ट्र और गुजरात की विजली-व्यवस्था का तथा राजस्थान के चम्बल ग्रिड और मध्यप्रदेश की सतपुडा-विजली-व्यवस्था का परस्पर सम्बन्ध जोड़ने का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। निम्नलिखित अन्त-राज्यीय सम्पर्क जोड़ने पर भी विचार किया जा सकता है— उत्तरप्रदेश की रिहन्द-विजली-व्यवस्था का मध्यप्रदेश की अमरकटक-कोरवा-व्यवस्था से, फिर, अमरकटक-कोरवा-व्यवस्था का उड़ीसा की हीराकुड-व्यवस्था से, उत्तर-प्रदेश के गंगा ग्रिड का दिल्ली-पंजाब-व्यवस्था से, और मंसूर की शरावती-व्यवस्था का महाराष्ट्र की कोयना-व्यवस्था से। केन्द्रीय जल और विजली-आयोग में एक विशेष इकाई स्थापित कर दी गई है, जो राज्यीय विजली-मंडलों और अन्य विजली-आपूर्ति-संस्थाओं के सहयोग से बड़े क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के सम्बन्ध में जांच-पडताल का काम करेगी।

वित्तीय पहलू

69 विजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अनुसार सभी राज्यों में स्वायत्त विजली-मंडलों की स्थापना हो चुकी है। इन मंडलों का काम सबसे अधिक कुशलता और किफायती तरीकों से अपने-अपने राज्य में विजली के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के कार्य का समन्वित विकास करना तथा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विकास पर अधिक ध्यान देना है, जिनकी सुविधा के लिए फिलहाल कोई लाइसेंसशुदा कम्पनी, आदि काम नहीं कर रही है।

70 यह ज़रूरी है कि सरकारी क्षेत्र की विजली-कम्पनियां खर्च से अधिक कमाएँ और भावी विकास के लिए पूंजी प्रदान करें। विजली-विकास का ढग ही कुछ ऐसा बन गया है कि उसमें ज्यादा पूंजी लगानी पडती है और उसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए सरकारी क्षेत्रों में विनियोग के लिए काफी पूंजी तैयार रखने की आवश्यकता है।

71 दूसरे वित्त-आयोग ने विजली-कम्पनियों के काम के ढग के असन्तोषजनक वित्तीय परिणामों का जिक्र किया था और इस बात पर जोर दिया था कि राज्य-सरकारें ऐसे प्रवन्ध करने के लिए उचित कदम उठाएँ कि विजली-मंडल राज्य के बकाया ऋणों के व्याज का बोझ उतारते रह सकें। हाल ही में विभिन्न विजली-मंडलों की वित्तीय स्थिति की जांच से पता चला है कि उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्यीय विजली-मंडलों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ये मुख्य कदम उठाने पड़ेंगे

- (1) शक्ति-उत्पादन की सबसे कम खर्चवाली परियोजनाओं का चुनाव हो,
- (2) निर्माण के खर्च में अधिक-से-अधिक बचत की जाए,
- (3) परियोजनाओं के सोपान इस तरह निश्चित किए जाएँ, कि लाभ की उपलब्धता और उसके उपयोग के बीच की दूरी कम हो जाए,
- (4) वर्तमान उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए— इसके लिए 'लोड' इस प्रकार बढ़ाया जाए कि सन्ध्र और 'लोड' तत्त्व, दोनों में सुधार हो,
- (5) विभिन्न उपायों-द्वारा विजलीघरों का अधिकतम कुशलता के साथ परिचालन किया जाए— जैसे ईंधन की बचत की जाए, नुकसान कम किए जाएँ, आदि,

- (6) पड़ोसी राज्यों के श्रिडो के साथ मिल-जुन कर कार्य-नचानन हो, तथा
(7) विजलीघरों और धुलू-दरों का फिर से समायोजन किया जाए ।

राज्यों को सुझाव दिया गया है कि इन पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया जाए तथा ग्रामदली बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाए ।

72 पन-विजली-परियोजनाओं की जाच-पडताल : पन-विजली-परियोजनाओं के लिए विस्तृत जाच-पडताल की आवश्यकता होती है । ऐसी परियोजनाए कम हैं, जिनकी जाच-पडताल पूरी तरह कर ली गई हो, अतः विजली के इस सस्ते स्रोत के विकास में बाधा आती है । कई राज्यों में अलग-अलग जाच-इकाइया बना दी गई हैं । परन्तु अब भी बहुत काम करना बाकी है । इन इकाइयों को मजबूत करना होगा, ताकि तीसरी योजना में इस पहलू पर अधिक ध्यान दिया जा सके । 1 करोड़ 20 लाख विलोवाट की क्षमता वाली 64 पन-विजली-परियोजनाओं के सम्बन्ध में जाच-पडताल का कार्यक्रम तैयार किया गया है और इन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है । इन कार्यक्रमों की जाच-पडताल के काम पर 13 करोड़ रु० के खर्च का अनुमान है, जिनमें 11 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी शामिल है । इस कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए महायत्ना प्राप्त हो चुकी हैं ।

73. 'सोड'-सर्वेक्षण : राज्तीय विजली-मंडली और केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग-द्वारा विभिन्न प्रदेशों में प्रत्यासित 'सोड' का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा समय-समय पर उस पर विचार होते रहना चाहिए । भावी योजनाओं की अधि में उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में पहले ही आयोजन करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है । योजना में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग में 'सोड' सर्वेक्षण-निदेशालय अपना काम जारी रख सकें ।

74 अनुसन्धान : विजली, उत्पादन, संचरण और वितरण की समस्याओं पर बंगलोर की विजली-अनुसन्धान-संस्था में अन्वेषण किया जाएगा । संस्था में जिन समस्याओं पर जाच-पडताल का काम किया जाएगा, उनमें ये भी शामिल है संचरण-पथ पर विजली चमकने का प्रभाव, देश में इन्सुलैटिंग-सामग्री का निर्माण, छोटी और सरल मशीनों का विकास और निर्माण, उपकरण और अन्य औजार, केबल-सम्बन्धी विशेषताए, विजली-व्यवस्था-सम्बन्धी अन्य अध्ययन, आदि । भोपाल में एक स्विचगियर-परीक्षण-केन्द्र भी खोला जा रहा है, जिनमें स्विचगियर के डिजाइनो का परीक्षण और विकास किया जाएगा ।

75 डिजाइन और निर्माण . बड़े-बड़े पन-विजलीघरों और तापीय विजलीघरों का आयोजन करने, उनके डिजाइन तैयार करने और उनके निर्माण के लिए एक विशेषज्ञ-संगठन की स्थापना की जरूरत महसूस की जाती रही है । फिलहाल ये काम विदेशी संस्थाओं से कराए जा रहे हैं । इस नए संगठन में वारीक तकनीकी कार्य के लिए कर्मचारी ही प्रशिक्षित नहीं किए जाएंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी । केन्द्रीय जल और विजली-आयोग में इस उद्देश्य से एक इकाई की स्थापना की जा रही है ।

76 अन्य पहलू : विजली-कार्यक्रम के कुछ और भी पहलू हैं, जिन पर तीसरी योजना में बराबर ध्यान दिए जाने की जरूरत है । दूसरी योजना में बंगलोर और गंगवाल में 'थर्म लाइन' कर्मचारी-प्रशिक्षण-केन्द्र खोले गए थे । इन केन्द्रों में विजली का काम करने वाले मिस्त्री प्रशिक्षित किए जाते हैं, जो अधिक दबाववाली विजली के सजीव संचरण-

पथ पर काम कर सकें। बिना विजली बन्द किए इन्सुलेटरो की सफाई, टूटे इन्सुलेटरो की अदला-बदली, कडकटरो को जोड़ना और सहायक पुर्जे लगाने का काम होना चाहिए, जिसे उपभोक्ताओं को बराबर विजली मिलती रहे। इस प्रकार के प्रशिक्षण और 'गर्म लाइन' के माऊ-सामान तथा औजारों की सहायता से विजली के खम्भों पर काम करने का यह तरीका देश-भर में प्रायः सभी विजली-व्यवस्था-केंद्रों में लागू कर दिया गया है।

77 तीसरी योजना में उपकरणों के मानकीकरण के प्रश्न पर भी विशेष विचार किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार के मानकीकरण से परियोजनाओं का काम तेजी से होगा निर्माण क खर्च में कफायत होगी और रख-रखाव का भी खर्च कम होगा। केंद्रीय जल और विजली-आयोग ने गावों में विस्तार के लिए एक निर्माण-नियम-पुस्तिका तैयार की है। तापीय विजलीघरों, प्रसारण-लाइन-व्यवस्था और उप-विजलीघरों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कार्रवाई करने का इरादा है।

अनुबन्ध 1
बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं के प्रत्याशित लाभ
(पैराग्राफ 8 और 11 में उल्लिखित)

कुल क्षेत्र (हजार एकड़)

राज्य	तीसरी योजना के										कुल क्षेत्र (हजार एकड़)	
	पहली और दूसरी योजना- नाओं के कार्यक्रम					नए कार्यक्रम						
	अ	ब	क	ख	ग	अ	ब	क	ख	ग	क्षमता (स्तम्भ 9-3) (स्तम्भ 10-4)	उपयोग (स्तम्भ 10-4)
1. आन्ध्रप्रदेश	3,720	830	736	3,361	2,159	134	134	3,495	2,293	2,665	1,557	79
2. असम	—	—	—	—	—	88	79	88	79	88	88	88
3. बिहार	5,569	915	720	3,192	2,402	482	318	3,674	2,720	2,759	2,000	2,000
4. गुजरात	3,809	640	227	1,716	1,091	—	—	1,716	1,091	1,076	864	864
5. जम्मू-कश्मीर	163	5	5	55	32	11	11	66	13	61	61	38
6. केरल	555	358	358	527	527	86	86	613	613	255	255	255
7. मध्यप्रदेश	2,242	95	75	1,365	905	40	20	1,405	925	1,310	850	850
8. मद्रास	890	611	581	791	789	33	33	824	822	213	241	241
9. महाराष्ट्र	1,248	233	105	999	713	353	100	1,352	813	1,119	708	708

तीसरी योजना के अंत तक तीसरी योजना में अतिरिक्त लाभ

चातुर्थ और नई योजनाओं से कुल लाभ

क्षमता (स्तम्भ 9-3) (स्तम्भ 10-4)

उपयोग (स्तम्भ 10-4)

क्षमता (स्तम्भ 5+7) (स्तम्भ 6+8)

10 मैसूर	1,180	707	321	1,318	1,173	52	27	1,100	1,200	693	876
11 उड़ीसा	2,615	1,000	720	2,287	1,666	—	—	2,287	1,666	1,287	946
12 पंजाब	4,351	3,307	2,957	4,157	4,058	200	200	1,357	4,258	1,050	1,301
13 राजस्थान	3,666	731	618	2,357	1,751	25	9	2,382	1,763	1,618	1,115
14 उत्तरप्रदेश	4,262	2,118	1,479	2,800	2,123	912	98	3,712	2,521	1,591	1,012
15 पश्चिम-बंगाल	2,990	1,690	1,084	2,071	1,936	32	32	2,103	1,968	113	881
योग	37,560	13,211	9,989	27,026	21,628	2,448	1,117	29,174	22,775	16,271	12,786

दिये गये पध्दती और दसरी योजना के चालू कार्यक्रमों का प्रतिरिक्त उपयोग (स्लॉम 6-स्लॉम 4) = 1.16.39,000 एकड़

अनुबंध 2

बडी और मध्यम परियोजनाओं की अनुमित लागत और तीसरी योजना में उनके लिए निश्चित व्यय-राशि
(पंरायाक 12 में उल्लिखित)

राज्य	पहली और दूसरी योजनाओं के कार्य-क्रमों की अनुमानित लागत		पहली और दूसरी योजना के चालू कार्यक्रम, जो तीसरी योजना में भी चलेंगे		तीसरी योजना के नए कार्यक्रम चालू और नए कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल व्यय-राशि (स्तम्भ 5+7)		(लाख रु०)
	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत का शेष	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	तीसरी योजना में व्यय-राशि	अनुमानित व्यय-राशि	
1 मान्यप्रदेश	16,536	13,941	6,745	6,548	1,842	832	7,380
2 गुजरात	170	—	—	—	277	228	228
3 बिहार	10,743	9,094	7,115	4,712	3,144	1,445	6,157
4 उत्तरप्रदेश	17,411	17,267	12,098	5,014	110	110	5,124
5 जम्मू-कश्मीर	1,529	1,285	1,111	556	130	44	600
6 केरल	2,635	2,262	378	378	2,150	761	1,142
7 मध्यप्रदेश	8,860	8,402	5,097	3,600	2,364	560	4,160
8 मद्रास	6,086	4,602	2,150	2,150	689	592	2,742
9 महाराष्ट्र	10,438	10,360	6,637	5,034	3,174	1,570	6,604
10 मैसूर	10,853	10,328	3,897	3,341	3,757	725	4,066
11. उड़ीसा	10,226 ^a	10,184 ^b	2,657	1,911	807	230	2,141
12. पंजाब	11,124	10,19J	1,348	904	4,882	1,300	2,204

13 राजस्थान	1,074	13,987	8,069	5,770	6,450	2,710	8,510
14 उत्तरप्रदेश	8,966	6,938	4,109	2,422	1,021	2,719	5,171
15 पश्चिम-बंगाल	8,407	4,104	2,646	1,206	749	686	1,892
16 केंद्रशासित प्रदेश	10	10	10	10	—	—	10
17 केंद्रीय कार्यक्रम	—	—	—	—	1,803†	1,803†	1,803†
योग	1,38,368	1,26,957	64,100	43,556	36,352	16,378	59,931

*हीरागुड वरण 1 (बिजली-सम्बन्धी हिस्सा) का खर्च शामिल है।

†बोकारो इस्पात-कारखाना तथा अन्य उद्योगों को मानी पहुँचाने पर होनेवाला 10 करोड़ रु० का खर्च शामिल है।

अनुपख 3

बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जल-नावन-निरोधक एवं समुद्री कटाव-निरोधक कार्यक्रमों पर होनेवाला अनुमानित खर्च और व्यय-व्यवस्था (ताल २०)

राज्य	पहली और दूसरी योजना के कार्यक्रम, जो तीसरी योजना में भी जारी रहेंगे		तीसरी योजना के नए कार्यक्रम		चाहूँ और नए कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल व्यय-व्यवस्था (स्तम्भ 4+6)
	अनुमानित खर्च	तीसरी योजना में	अनुमानित खर्च	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	
1 आन्ध्रप्रदेश	195	35	210	208	213
2 असम	436	115	507	385	500
3 बिहार	2,532	700	291	200	900
4 गुजरात	60	50	—	—	50
5 जम्मू-कश्मीर	1,050	855	45	45	900
6 कर्णा	302	71	431	350	421
7 मध्यप्रदेश	235	9	11	11	20
8 महारा	—	—	—	—	—
9 महाराष्ट्र	—	—	30	30	30
10 मेसूर	—	—	—	—	—
11 उड़ीसा	74	48	300	202	250

12	पंजाब [I]	770	432	432	2,216	1,069	1,501
13	राजस्थान	110	90	90	—	—	90
14	उत्तरप्रदेश	568	56	56	602	519	575
15	पश्चिम-बंगाल	2,305	84	84	847	431	515
16	केन्द्रशासित प्रदेश	79	69	69	164	68	173
	योग	8,726	2,614	2,614	5,654	3,518	6,132

अनुबन्ध 4

बहुवैक्यीय और बड़ी सिंचाई-योजनाएं—पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से चालू और तीसरी योजना में भी जारी (परिष्कार 16 में उल्लिखित)

क्रियक्रम का नाम और राज्य	(1)	(2)	(3)	उपयोग (हजार एकड़) कुल क्षेत्र		(6)
				तीसरी योजना में (केवल सिंचाई या हिस्सा) (लाख रु०)	दूसरी योजना के क्षेत्र में (हजार एकड़) पर	
1 नाग (महाराष्ट्र)		610	120	60	—	2
2 वनास (गुजरात)		827	605	110	—	59
3. वनास (राजस्थान)		776	150	200	—	—
4 वरना (मध्यप्रदेश)		552	200	173	—	—
5 गंडा ** (मैसूर)		3,193	1,310	245	32	182
6 गोलकुटा-नगल** (पंजाब और राजस्थान)		10,189	419	3,604	2,550	3,601
7 चन्दा (चरण 1 और 2) (राजस्थान और मध्यप्रदेश)		5,485	1,703	1,400	60	800
8. दोमोदर-घाटी** (पश्चिम-बंगाल)		3,468	116	1,273	610	1,023
9. गडक** (बिहार और उत्तरप्रदेश)		4,645	3,000	3,138	—	300
10. घाटप्रयाग या लट नहर (चरण 1 और 2) (मैसूर)		1,863	572	298	53	180
11 गिरना (महाराष्ट्र)		865	519	143	—	116
12 हीरकुट** (चरण 1) महानदी-डेंटा (उड़ीसा) सहित		9,334*	1,200	2,158	710	1,337

13	उत्तराखण्ड (महाराष्ट्र)	692	200	75	—	1
14	रुम (आन्ध्रप्रदेश)	601	90	75	25	75
15.	गुरुदासगंज-नहर (बोधर तापी) (गुजरात)	1,870	400	562	50	296
16.	केरावती-परियोजना (परिचय-बंगाल)	2,526	807	950	—	250
17.	के० मी० नहर (आन्ध्रप्रदेश)	659	100	346	230	346
18	मन्कमन (महाराष्ट्र)	1,055	596	43	—	43
19	कोपी (त्रिपुरा)	2,482	1,200	1,397	—	900
20	माती (चरण 1 और 2) (गुजरात और राजस्थान)	4,178	876	751	29	214
21.	मलमपुत्रा (केरल)	532	31	109	95	109
22	मासाटीना-बाध (उत्तरप्रदेश)	1,283	272	413	220	370
23	मयूरक्षी (परिचय-बंगाल)	2,015	210	720	462	580
24	मूवा (महाराष्ट्र)	1,500	600	162	—	8
25	नगा टुंगानर** (आन्ध्रप्रदेश)	9,112	5,000	2,060	—	900
26.	नया (नर्मदा, गुजरात)	4,309	1,200	963	—	—
27.	नरसिंकुन्त-परियोजना** (मद्रास)	2,487	2,112	240	—	150
28	पूर्वा (महाराष्ट्र)	1,384	861	152	—	94
29	राजस्थान-नहर (राजस्थान)	6,647	3,800	1,684	—	284
30	गामपान-परियोजना** (उत्तरप्रदेश)	3,455	1,600	1,705	—	175
31	उज-गौर या तापी-परियोजना (अरुणाचलप्रदेश)	900	332	62	—	—

** बहुउद्देश्य परियोजना

[उत्तरप्रदेश के लिए हीमरी योजना के अंतर्गत यह एक नया कार्यक्रम है ।
 * हीरापुर बरवा । विजनी का अनुमानित रकम भी शामिल है ।

अनुबन्ध 4—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32 शारदा-सागर (वरण 2) (उत्तरप्रदेश)	638	169	185	40	105
33 शतरजी (गुजरात)	674	373	86	—	26
34 सरहिल्व पूरक (पंजाब)	670	10	†	†	†
35 सोन-परियोजना (बिहार)	2,069	1,200	307	50	150
36 तावा : * (मध्यप्रदेश)	2,184	1,000	787	—	25
37 तुंगभद्रा † (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	4,453	513	843	365	815
38 तुंगभद्रा ऊनी सतह नहर (वरण 1) (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	1,300	1,040	187	—	168
39. उकार्क-परियोजना (गुजरात)	2,897	700	392	—	—
40 वीर वाघ (महाराष्ट्र)	541	278	66	—	61
41 पटिलवी यमुना नहर का पुनर्निर्माण (पंजाब)	534	150	555	354	555

† इस परियोजना से भाखडा-नहर और सरहिल्व-नहर के अन्तर्गत अधिक आपूर्ति हो सकेगी।

* बहुवर्षीय परियोजना

अनुबन्ध 5
तीसरी योजना के नए बहुदेशीय और बड़े सिंचाई-कार्यक्रम
(पराग्राफ 6 में उल्लिखित)

कार्यक्रम का नाम	कुल खर्च (केवल सिंचाई का हिस्सा) (लाख ₹०)	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था (लाख ₹०)	उपयोग (हजार एकड़) कुल क्षेत्र	
			पूरा होन पर	तीसरी योजना के अन्त में
1 ब्यास ^{1,2} (पंजाब और राजस्थान)	11,743	3,700	2,630	—
2 सीमा उद्बन्धन सिंचाई-कार्यक्रम (महाराष्ट्र)	946	78	100	—
3 वीरगोविन्दपुर (उड़ीसा)	507	150	178	—
4 दामोदर-घाटी ³ (पश्चिम-बंगाल)	664	575	—	—
5 हरगी और/अथवा कम्बुकाटा (मैसूर)	1,050	200	105	—
6 हासदेव ⁴ (मध्यप्रदेश)	1,600	150	300	—
7 कल्लडा (केरल)	840	150	107	—
8 कोसी-पश्चिमी नहर और पूर्वी नहरो का विस्तार (बिहार)	1,700	450	1,149	150
9 कोयना-सिंचाई-कार्यक्रम (महाराष्ट्र)	950	275	93	—
10 मालप्रभा (मैसूर)	2,000	300	500	—
11 सरजू-नहर (उत्तरप्रदेश)	1,078	200	418	—
12 नशाबारा और/अथवा पांचमपद (आन्ध्रप्रदेश)	1,450	400	357	—
	1,525		360	115

^{1,2} बहुदेशीय परियोजना

³ विस्तार और सुधार-कार्य

टिप्पणी - अपर कुलना-परियोजना (मैसूर) को तीसरी योजना में शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

अनुबन्ध 6

स्थापित विजती-उत्पादन-शमता और उत्पादन की पहली और दूसरी योजना में प्रगति
(नंदाप्राक 44 में उल्लिखित)

विवरण	1950*	1955*	1950 के मुकामतौ वृद्धि (पहली योजना)	1960 61** मुकामतौ वृद्धि (अनुमान)	1955 के मुकामतौ वृद्धि (दूसरी योजना)
क. प्रतिष्ठान (सर्वजनिक और निजी)					
1 पत-विजती-समन्व					
(1) स्थापित उत्पादन-शमता (मेगावाट में)	559.3	939.6	68	1,932	106
(2) उत्पादित विजती (10 लाख किलोवाट-घटे में)	2,519.8	3,742.2	49	7,850	110
(3) स्थापित उत्पादन-शमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घटे	4,510	4,000	---	4,070	---
2 भाष-संयन्त्र					
(अ) स्थापित उत्पादन-शमता (मेगावाट में)	1,004.4	1,546.8	54	2,439	57.7
(आ) उत्पादित विजती (10 लाख किलोवाट-घटे में)	2,387.2	4,618.9	9.3	8,790	90.5
(इ) स्थापित उत्पादन-शमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घटे	2,380	3,000	---	3,600	---
3 तैल-संयन्त्र					
(अ) स्थापित उत्पादन-शमता (मेगावाट में)	148.8	208.5	40.2	310.6	49
(आ) उत्पादित विजती (10 लाख किलोवाट-घटे में)	199.7	231.3	15.9	360	55.7
(इ) स्थापित उत्पादन-शमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित					

किलोवाट-घंटे	1,310	1,110	---	1,160	---
ब अपनी बिजली स्वयं पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठान					
(अ) स्थापित उत्पादन-क्षमता (मेगावाट में)	587.8	723.5	23.1	1,015	10.3
(आ) उत्पादित बिजली (10 लाख किलोवाट-घंटे में)	1,167.8	2,181.8	19	2,850	30.5
(इ) स्थापित उत्पादन-क्षमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घंटे	2,500	3,010	---	2,810	---
योग (क+ख)					
(अ) स्थापित उत्पादन-क्षमता (मेगावाट में)	2,300.3	3,118.3	18.5	5,696.6	66.6
(आ) उत्पादित बिजली (10 लाख किलोवाट-घंटे में)	6,574.5	10,777.2	61	19,850	84.2
(इ) स्थापित उत्पादन-क्षमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घंटे	2,860	3,140	---	3,190	---

* कैलेंडर-वर्ष के अनुसार आकड़े

* अप्रैल 1960-31 मार्च, 1961 से सम्बद्ध आकड़े

दिएवणी स्थापित उत्पादन-क्षमता वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार तथा बिजली-उत्पादन पूरे वर्ष के लिए दिखाया गया है।

अनुबन्ध 7

पहली और दूसरी योजना में चालू प्रमुख विजलीघर
(पंराग्राफ 44 में उल्लिखित)

योजना का नाम	चालू न्यापित क्षमता (मिलीवाट में)
पहली योजना में चालू किए गए संयंत्र	
1 निजामनगर पनविजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश)	15,000
2 मचकुड पनविजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा)	31,000
3 मिदरी तापीय विजलीघर (विहार)	80,000
4 बोकारो तापीय विजलीघर (दामोदर-वाटी-निगम)	1,72,500
5 उन्नत तापीय विजलीघर (गुजरात)	22,500
6 अहमदाबाद विजली-आपूर्ति-विस्तार (निजी क्षेत्र—गुजरात)	60,000
7 मंगुलम विजलीघर (केरल)	48,000
8 चादनी तापीय विजलीघर (मध्यप्रदेश)	17,000
9 इन्दौर तापीय विजलीघर-विस्तार (मध्यप्रदेश)	13,000
10 मोयर विजलीघर (मद्रास)	36,000
11 पायकारा विजलीघर (मद्रास)	27,200
12 मद्रास-मयन्न-विस्तार (मद्रास)	30,000
13 खापरखेडा तापीय विजलीघर (महाराष्ट्र)	30,000
14 चोल विजलीघर (महाराष्ट्र)	78,000
15 वल्लारशाह तापीय विजलीघर (महाराष्ट्र)	7,750
16 भीर पनविजली-योजना (महाराष्ट्र)	22,000
17 जोग विजलीघर (मैसूर)	72,000
18 नगल विजलीघर (पंजाब)	48,000
19 कानपुर तापीय विजलीघर (उत्तरप्रदेश)	15,000
20 पयरी पनविजली-योजना (उत्तरप्रदेश)	20,400
21 शारदा पनविजली-योजना (उत्तरप्रदेश)	41,400
22 कलकत्ता विजली-आपूर्ति-निगम-विस्तार (पश्चिम-बंगाल)	30,000
23 दिल्ली तापीय विजलीघर (दिल्ली)	20,000

दूसरी योजना में चालू किए गए संयंत्र

1 मचकुड पनविजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा)	81,000
2 तुगभद्रा पनविजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	36,000
3 रामगुडम तापीय विजलीघर (आन्ध्रप्रदेश)	37,500
4 उमन्नु पनविजली-परियोजना (असम)	8,400
5 मैयन पनविजली-योजना (दा० घा० नि०)	60,000
6 पचेत पनविजली-योजना (दा० घा० नि०)	40,000

7	बोकारो तापीय विजलीघर-विस्तार (दा० घा० नि०)	8 2,500
8	दुर्गापुर तापीय विजलीघर (दा० घा० नि०)	1,65,000
9	अहमदाबाद तापीय विजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात)	15,000
10	उन्नत तापीय विजलीघर (गुजरात)	45,000
11	पोरिगलकुलु पनविजली-परियोजना (केरल)	32,000
12	नेरियामगलम पनविजली-परियोजना (केरल)	45,000
13	कोरवा तापीय विजलीघर (मध्यप्रदेश)	90,000
14	गाधीसागर बाध-विजलीघर (मध्यप्रदेश और राजस्थान)	69,000
15	मिलार्ड इस्पात-कारखाना विजलीघर (मध्यप्रदेश)	25,000
16	मद्रास तापीय विजलीघर-विस्तार (मद्रास)	30,000
17	पेरियार पनविजली-परियोजना (मद्रास)	1,05,000
18	कुडा पनविजली-परियोजना (मद्रास)	1,45,000
19	ट्राम्बे तापीय विजलीघर (निजी क्षेत्र, महाराष्ट्र)	1,87,500
20	अकोला (पारस) तापीय विजलीघर (महाराष्ट्र)	30,000
21	बल्लारसाह तापीय विजलीघर (महाराष्ट्र)	15,500
22	खापरवेडा तापीय विजलीघर-विस्तार (महाराष्ट्र)	30,000
23	तुगमद्रा बाया तट विजलीघर (मैसूर)	9,000
24	हीराकुड पनविजली-परियोजना (उड़ीसा)	1,23,000
25	रूरकेला इस्पात-कारखाना-विजलीघर (उड़ीसा)	75,000
26	भाखडा-नगल-परियोजना (पंजाब और राजस्थान)	2,07,000
27	कानपुर तापीय विजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश)	15,000
28	पूर्वी क्षेत्र विजलीघर (उत्तरप्रदेश)	45,000
29	दुर्गापुर कोक-भट्टी-कारखाना-विजलीघर (पश्चिम-बंगाल)	60,000
30	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी-विजलीघर (वर्नपुर, पश्चिम-बंगाल)	20,000

अनुबन्ध 8

तीसरी योजना में शामिल मुख्य विजली-उत्पादन-कार्यक्रम
(पैराग्राफ 48 में उल्लिखित)

कार्यक्रम का नाम	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट में)
चालू कार्यक्रम	
1 तुंगभद्रा पनविजली-परियोजना चरण 2 (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	36,000
2 नेल्लोर तापीय विजलीघर (आन्ध्रप्रदेश)	30,000
3 अपर सिलेरू पनविजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)	1,20,000
4 उमियम पनविजली-परियोजना चरण 1 (असम)	36,000
5 बरौनी तापीय विजलीघर (बिहार)	30,000
6 पथराटू तापीय विजलीघर (बिहार)	1,00,000
7 चन्द्रपुरा तापीय विजलीघर (डा० घा० नि०)	2,80,000
8 अहमदाबाद तापीय विजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात)	30,000
9 पन्धियार पनविजली-परियोजना (केरल)	30,000
10 शोलायर पनविजली-परियोजना (केरल)	54,000
11 गांधीसागर बाघ-विजलीघर, इकाई 4 (मध्यप्रदेश और राजस्थान)	23,000
12 अमरकटक तापीय विजलीघर (मध्यप्रदेश)	60,000
13 नइवेली लिम्नाइट-विजलीघर (मद्रास)	2,50,000
14 कुडा पनविजली-परियोजना (मद्रास)	35,000
15 कोयना पनविजली-परियोजना चरण 1 (महाराष्ट्र)	2,40,000
16 पूरना पनविजली-परियोजना (महाराष्ट्र)	15,000
17 भद्रा पनविजली-परियोजना (मैसूर)	33,200
18 तुंगभद्रा बाया तट विजलीघर (मैसूर)	18,000
19 शरावती पनविजली-परियोजना चरण 1 (मैसूर)	1,78,200
20 हीराकुड पनविजली-परियोजना (उड़ीसा)	1,47,000
21 भाखडा परियोजना (पंजाब और राजस्थान)	1,64,000
22 राणा प्रतापसागर बाघ-विजलीघर (राजस्थान और मध्यप्रदेश)	1,28,000
23 रिहन्द पनविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	2,50,000
24 कानपुर तापीय विजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश)	15,000
25 माताटीला पनविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	60,000
26 हरदुभागज तापीय विजलीघर (उत्तरप्रदेश)	30,000
27 यमुना पनविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	3,20,000
28 रामगंगा पनविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	1,27,500
29 जचडाका पनविजली-परियोजना (पश्चिम-बंगाल)	18,000
30 दुर्गापुर कोय-भट्टी-कारखाना-विजलीघर-विस्तार (पश्चिम-बंगाल)	1,50,000
31 दिल्ली तापीय विजलीघर-विस्तार (दिल्ली)	30,000

नए कार्यक्रम

1	कोटागुडम तापीय विजलीघर (आन्ध्रप्रदेश)	1,20,000
2	रामगुडम तापीय विजलीघर-विस्तार (आन्ध्रप्रदेश)	60,000
3	नागार्जुनसागर पनविजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)	1,00,000
4	श्रीशैलम पनविजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)	3,30,000
5	नहरकटिया तापीय विजलीघर (असम)	67,200
6	उमियम पनविजली-परियोजना चरण 2 (असम)	65,000
7	बरोनी तापीय विजलीघर-विस्तार (बिहार)	75,000
8	पथराटू तापीय विजलीघर-विस्तार (बिहार)	2,50,000
9	दामोदर-घाटी-निगम-क्षेत्र में तापीय विस्तार (दा० घा० नि०)	2,80,000
10	गंडक पनविजली-परियोजना (बिहार)	15,000
11	कोसी पनविजली-परियोजना (बिहार)	20,000
12	अहमदाबाद तापीय विजलीघर-विस्तार (निजी धेन, गुजरात)	40,000
13	धुवरन (सम्भल) तापीय विजलीघर (गुजरात)	2,00,000
14	चेनानी पनविजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	15,000
15	शेलम पनविजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	27,000
16	सलाल पनविजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	60,000
17	शबरीगिरि (पम्वा) पनविजली-परियोजना (केरल)	3,00,000
18	इडिक्की पनविजली-परियोजना (केरल)	3,90,000
19	कुट्टियाडी पनविजली-परियोजना (केरल)	45,000
20	कोरवा तापीय विजलीघर-विस्तार (मध्यप्रदेश)	2,00,000
21	सनपुडा तापीय विजलीघर (मध्यप्रदेश)	1,80,000
22	तावा पनविजलीघर-परियोजना (मध्यप्रदेश)	42,000
23	पुनाभा पनविजली-परियोजना (मध्यप्रदेश और गुजरात)	5,76,000
24	फुडा पनविजली-परियोजना (मद्रास)	2,40,000
25	मैतूर मुरग पनविजली-परियोजना (मद्रास)	1,00,000
26	पेरियार पनविजलीघर-विस्तार (मद्रास)	35,000
27	नरवेनी लिग्नाइट-विजलीघर (मद्रास)	
28	परमबिकुलम पनविजली-परियोजना (मद्रास)	
29	कोटागुडम तापीय विजलीघर-विस्तार 2 (आन्ध्रप्रदेश)	

39	भालडा दाया तट विजलीघर (पंजाब और राजस्थान)	2,80,000
40	उहल नदी पनविजली-परियोजना चरण 2 (पंजाब)	40,000
41	अपर बारी-दोआब नहर-परियोजना (पंजाब)	22,000
42	व्यास-परियोजना चरण 1 (पंजाब और राजस्थान)	2,40,000
43	तापीय विस्तार (राजस्थान)	90,000
44	कोटा पनविजली-परियोजना (राजस्थान और मध्यप्रदेश)	78,000
45	हरदुआगज तापीय विजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश)	30,000
46	मिगरौली तापीय विजलीघर (उत्तरप्रदेश)	2,50,000
47	श्रीवरा पनविजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	80,000
48	बडील तापीय विजलीघर (पश्चिम-बंगाल)	3,00,000
49	दिल्ली तापीय विजलीघर-विस्तार (दिल्ली और पंजाब)	1,80,000

श्रुतव्य 9
 नौगरी योजना में राज्यधिकृत प्रतिष्ठानों के द्वारा राख्यों में विजनी के विकास पर खर्च और प्राप्त होनेवाला लाभ
 (पराशक 48 में उल्लिखित)

व्यय-राशि लाभ को में		सहायक में लाभ		तोसरी योजना में		1966-67 चौथी योजना के बाद का पहला वर्ष	
नदी योजनाएं	योग	चालू योजनाओं से	नई योजनाओं से	योग	योग	(8)	(9)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1,911	1,560	6,191	178 8	180	358 8	100	510
550	2,200	2,750	31	96 2	127 2	25	25
1,515	1,023	5,558	130	245	375	95	20
50	1,598	1,618	18	250	268	—	288
127	470	997	118	20	318	23	69
2,676	1,808	1,456	331	—	374	50	135
2,109	5,291	7,400	115 5	281 5	127	89	190
119	9,700	10,019	35	115	370	220	—

1 एवं दोर का गणित को है ।
 गीर तथा गम गणित को है ।
 दोर तथा गम गणित को है ।

		अनुबन्ध 9-वारी						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9 महाराष्ट्र†	1,674	6,450	8,124	255	405	660	120	---
10 मसूर	3,070	3,897	6,987	236 6	356 4	593	178 2	735
11 लडीसा	657	3,805	4,462	147	180	327	60	240
12 पजाव	718	6,046	6,764	139 4	363	502 4	22	1,240
13 राजस्थान	765	2,735	3,500	103 1	153 5	256. 6	39	---
14 उराप्रदेश	4,640	6,196	10,836	415	230	645	50	171. 5
15 परिसर-बंगाल†	1,367	2,340@	3,707@	168	300	468	---	9
16 दामोदर-वाटी-नियम†	2,974	3,039	6,013	280	140	420	140	---
योग	25,365	67,430	92,795	2,631 2	3,535 6	6,166 8	1,211 2	4,432 5

केन्द्रशासित प्रदेश

1. दिल्ली	300	1,490	1,790	30	135	165	---	---
2 हिमाचलप्रदेश	78	119	197	---	'2	2	---	---
3 त्रिपुरा	1 87	71. 13	73	---	0. 5	0 5	---	---
4 मणिपुर	5. 5	101. 04	106 58	---	2 8	2 8	---	---
5 पाडिचरी	3 1	65. 47	68. 57	---	---	---	---	---
6 अरुणाचल प्रदेश	4 25	10 1	14 35	---	---	---	---	---
डीपसमूह	---	---	---	---	---	---	---	---
7 लकादीवी, मिनिक्काय और अमीनदीवी-दीपसमूह	1. 5	3 76	5 26	---	---	---	---	---

अनुसूची 10
विजली-उपयोग का स्वरूप—भारत 1951-61
(पुरुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन सहित)
(पराबलक 57 में उल्लिखित)

उपयोग का वर्ग	1951			1952			1953			1954		
	10 लाख किलोवाट-घंटे प्रतिवर्ष	कुल का प्रतिवर्ष	10 लाख किलोवाट-घंटे प्रतिवर्ष	कुल का प्रतिवर्ष	10 लाख किलोवाट-घंटे प्रतिवर्ष	कुल का प्रतिवर्ष	10 लाख किलोवाट-घंटे प्रतिवर्ष	कुल का प्रतिवर्ष	10 लाख किलोवाट-घंटे प्रतिवर्ष	कुल का प्रतिवर्ष		
1 घर (निम्नोपयोग) पराबलक में उपलब्ध	595 005	7 9	628 882	7 9	690 516	8	759 169	7 9				
2 पारंपरिक प्रकाश तथा पत्र-पत्रिका	111 511	1 1	336 628	1 2	399 107	1 6	116 156	1 6				
3 औद्योगिक प्रतिष्ठान	1,609 751	61 1	7,908 222	61 1	5,411 388	62 3	6,002 887	62 9				
4 परिवहन	329 591	1 1	121 75	4 1	358 317	1 1	378 411	3 9				
5 पारंपरिक प्रकाश	67 917	0 9	73 912	0 9	81 145	0 9	91 938	1 5				
6 विद्युत्	203 018	2 7	215 192	2 7	211 138	2 5	231 373	2 5				
7 पारंपरिक पत्र-पत्रिका और पत्र-पत्रिका के लिए पराबलक	211 583	2 8	219 761	2 7	210 371	2 8	267 471	2 8				
8 पारंपरिक प्रकाश में उपलब्ध, पारंपरिक प्रकाश, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पराबलक में उपलब्ध और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत भाग	1,165 537	15 5	1,296 544	16 1	1,285 811	14 8	1,397 008	11 1				
9 कुल उत्पादन	7,513 971	100	8,003 921	100	6,681 096	100	9,576 413	100				

निम्नलिखित आंकड़ों के अभाव में पुरुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 5 प्रतिशत अनुमान माल किया गया है।
पुरुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विजली-उत्पादन सहित।

अनुबन्ध 10—जारी

उपयोग का वर्ग	1955			1956			1957-58		
	10 साल	कुल का	कुल का	10 साल	कुल का	कुल का	10 साल	कुल का	कुल का
	किलोवाट-घंटे	प्रतिघात	प्रतिघात	किलोवाट-घंटे	प्रतिघात	प्रतिघात	किलोवाट-घंटे	प्रतिघात	प्रतिघात
1 घरेलू या रिहायशी प्रकाश तथा शल्य शक्ति	850.426	7 9	934 122	7 9	1,094 564	8			
2 व्यावसायिक प्रकाश तथा शल्य शक्ति	514 423	4 8	544 853	4 6	611 512	4 5			
3 औद्योगिक शक्ति†	6,757 063	62 6	7,403 858	62 5	8,362 737	61 3			
4 परिवहन	403 302	3 7	404 925	3 4	421 894	3.1			
5 सार्वजनिक प्रकाश	105 631	1	117 767	1	141 402	1			
6 सिंचाई	254 803	2 4	316 178	2 7	565 817	4 1			
7 सार्वजनिक जल-व्यवस्था और मल-निकासी के लिए पम्प	284 637	2 6	317 076	2 7	365 649	2 7			
8 सहायक कामों में उपयोग, संचरण में व्यय, आदि (खुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत सहित)	1,606 981	15	1,831 863	15 2	2,093 857	15 3			
9 कुल उत्पादन‡	10,777.266	100	11,871 642	100	13,657 432	100			

† निश्चित आकड़ों के अभाव में खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 5 प्रतिशत नुकसान मान लिया गया है।
‡ खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विजली-उत्पादन सहित।

उपयोग का वर्ग	1958-59			1959-60			1960-61		
	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	
1 घरेलू या शिक्षणीय प्रकाश तथा शक्ति	1,238 0 14	8	1,368 884	7 7	1,492	7 5			
2 व्यावसायिक प्रकाश तथा शक्ति	682 8 18	4 5	758 988	4 3	870	4 4			
3 औद्योगिक शक्ति†	9,488 4 86	61 5	11,015 071	62	12,313 5	62			
4 परिवहन	4 11 549	2 9	440 594	2 5	449	2 3			
5 सार्वजनिक प्रकाश	156 066	1	175 42	1	192	1			
6 सिंचाई	583.482	3 8	727 026	4 1	836	4 2			
7 सार्वजनिक जल-व्यवस्था और मल-निकासी के लिए पम्प	392 617	2 6	430 845	2 4	455	2 3			
8 सहायक कामों में उपयोग, संचरण में व्यय, खादि (सुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत सहित)	2,431.507	15.7	2,835 547	16	3,242.5	16 3			
9 कुल उत्पादन‡	15,414 569	100	17,752 378	100	19,850	100			

† निश्चित प्रांकडों के अभाव में विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 5 प्रतिशत नुकसान मान लिया गया है।
‡ सुद विजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विजली-उत्पादन सहित।

अनुबन्ध 11
 पहली और दूसरी योजना में बिजली-उपयोग का वर्गवार विकास
 (शुद्ध बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों का भी उत्पादन शामिल है)
 (परिचयक 57 में उल्लिखित)

उपयोग का वर्ग	1950*		1955*		1950 के मुकाबले 1960-61†		1955 के मुकाबले	
	10 लाख किलो-वाट-घंटे	10 लाख किलो-वाट-घंटे	10 लाख किलो-वाट-घंटे	10 लाख किलो-वाट-घंटे	प्रतिशत वृद्धि (पहली योजना)	10 लाख किलो-वाट-घंटे	प्रतिशत वृद्धि (दूसरी योजना)	
घरेलू और विद्युत्-शक्ति प्रकाश तथा अन्य शक्ति	524.6	850.4	62	1,492		75.5		
आव्यवहिक प्रकाश तथा अन्य शक्ति	308.8	514.1	65.5	870		69.3		
औद्योगिक शक्ति	3,983.6	6,757.1	92.5	12,313.5		82.5		
गन्धक	308.4	403.3	30.8	449		11.3		
मानव शक्ति प्रकाश	60.3	105.6	75	192		82		
गन्धक जन-आस्था और मल-विकासी के लिए प्रयोग	161.7	254.8	57.6	836		228		
मध्यमक वर्गों में उपयोग, मचरण में व्यय, आदि	189.1	281.6	50.5	155		60		
(एक बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत मूल्य)	1,038	1,607	55	3,242.5		102		
कुल उत्पादन	6,574.5	10,777.2	64	19,850		81.3		

* संयोजन-वर्ष के आंकड़े ।
 † अक्षर 1960 से 31 मार्च 1961 तक के आंकड़े ।
 यह बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 95 प्रतिशत मिला कर, क्योंकि निश्चित आंकड़ों के अभाव में 5 प्रतिशत को उत्पादन के शेष 5 प्रतिशत मूल्य लिया गया है ।

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

(1)

योजनावद्ध विकास में भूमिका

ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो ने पहली और दूसरी योजनाओ की अवधि में रोजगारी के विस्तार, उत्पादन में वृद्धि और अधिक समान वितरण के लक्ष्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदा की है। तीसरी योजना में जिस बड़े पैमाने पर काम होना है, उससे उनके कार्य का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। इन उद्योगो के कार्यक्रमो के लक्ष्य, जिन्हें सन् 1956 के औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा दूसरी योजना में स्पष्ट किया गया था, इस प्रकार हैं अपेक्षाकृत कम पूजी से अधिक बड़े पैमाने पर शीघ्र और स्थायी रोजगार प्रदान करना; उपभोक्ता-वस्तुओ और साधारण उत्पादक वस्तुओ की बढ़ती हुई मांग को काफी हद तक पूरा करना, पूजी और दक्ष व्यक्तियो (जिनका अन्यथा पूरा-पूरा उपयोग न होना सम्भव है) के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितिया तैयार करना, और इन उद्योगो के विकास को एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ और दूसरी ओर बड़े उद्योगो के साथ समन्वित करना। इसके साथ ही ये उद्योग इस प्रकार के भी उपाय प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रीय आय का अधिक ममान रूप से वितरण हो तथा कुछ उन समस्याओ को भी पैदा होने से रोका जा सके, जो शहरो के योजनाहीन विकास से उत्पन्न हो सकती हैं। तकनीक और संगठन में सुधार होने पर इन उद्योगो की, अर्थव्यवस्था के सुचारु और विकासशील विकेन्द्रित क्षेत्र के रूप में, उन्नति को अच्छी सम्भावनाएँ हैं। इनसे सारे देश में लोगों को काम मिल सकेगा और उन्हें आय होगी। इसलिए इस क्षेत्र में आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य परिष्कृत तकनीक अपनाने और संगठन के अधिक सक्षम रूप ग्रहण करने में सहायता प्रदान करना है, ताकि सामान्य आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जो वृत्तियाँ सुविधाएँ और सेवाएँ उपलब्ध हैं, उनका पूरा लाभ उठाया जा सके और एक अवधि के बाद यह सारा क्षेत्र आत्मनिर्भर तथा आत्मचालित बन सके। इसके साथ ही तकनीकी परिवर्तन की गति को इस प्रकार नियमित किया जाए कि बड़े पैमाने पर होनेवाली बेकारी और उसने लाखो लोगो को होनेवाली कठिनाई और कष्टो को दूर किया जा सके।

2 पिछली दशक़ी में एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिली कि जिन किन्हीं छोटे उद्योगो ने, जिनमें ग्रामोद्योगो भी हैं, सुधारो हुई तकनीकें नहीं अपनाई या सहकारिता के आधार पर माया और संगठन-सम्बन्धी मितव्ययिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की, उनका उत्पादन-व्यय अनेकाकृत अधिक रहा। साथ ही, न बिके माल के जमा होने, उत्पादन में कमी आने और बेकारी की समस्याएँ पैदा हो गईं। ये समस्याएँ कुछ परम्परागत उद्योगो में भी आई हैं। गतिशील अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलनेवाली स्थितियो से निरन्तर अनुकूलता स्थापित करना तथा नई तकनीको, तरीको और संगठन के रूपों को स्वीकार करना विभिन्न ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। गत 10 वर्षों में इन उद्योगो को सहायता देने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए तथा ऋण, आर्थिक सहायता, तकनीकी और

हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी परामर्श के द्वारा उन्हें पर्याप्त मन्वल प्रदान किया गया। कुछ उद्योगों में उत्पादन का अत्र निश्चित करके भी मदद पहुँचाई गई। दूसरी योजना के उत्तरार्द्ध में आयात-प्रतिवन्धों के अधिक कडा कर दिए जाने के कारण कुछ छोटे उद्योगों की हाट-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इन प्रतिवन्धों की आवश्यकता अनिश्चित काल तक के लिए बनी नहीं रह सकती। साथ ही, देश के एक बड़े भाग में विजली की व्यवस्था होने, संचार और परिवहन के साधनों में सुधार होने, नवीनतम मशीनों और तकनीकों का प्रयोग होने तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था स्पन्तर्गित हो रही है। इसलिए ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की समस्याओं पर निरन्तर विचार होना चाहिए तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिवार्य और स्वार्थी तत्त्व के रूप में विवेचित्र उद्योग की प्रगति की पूरी सम्भावनाएँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

3 पहली और दूसरी योजना में विभिन्न लघु उद्योगों की, जिनमें हथकरघा, त्वाड़ी, ग्रामोद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, हस्तशिल्प, रेशम के कोड़े पालने का उद्योग और नागियन-जटा-उद्योग भी शामिल हैं, प्रगति की एक कार्यकारी दल ने और एक ममिनि ने दूसरी योजना के मध्य-काल में समीक्षा की। एक विशेष अध्ययन-दल ने 6 वर्ष पूर्व सामुदायिक विकास-सूचियों में चालू की गई 25 औद्योगिक मार्गदर्शक पन्थियोजनाओं के कार्य का विवेचन किया। कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन ने भी चुने हुए सामुदायिक विकास-उद्योगों में ग्रामीण उद्योगों का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के अनन्तर जो आकड़े प्राप्त हुए तथा जो परिणाम निकले, वे तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम बनाने में बड़े मूल्यवान मिद्ध हुए हैं। प्रथम दो योजनाओं की अवधि में इन उद्योगों की प्रगति को मक्षिप्त आकी आगे प्रस्तुत की जा रही है।

(2)

में उद्योग-विस्तार-अधिकारियों की व्यवस्था कर दी गई। कार्यक्रमों में तालमेल बनाए रखने के लिए केन्द्र में छोटे उद्योगों के लिए एक समन्वय-समिति गठित की गई, जिसमें सम्बद्ध मन्त्रालयों के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय मजदूरों तथा खादी और ग्रामोद्योग-आयोग के अध्यक्ष रखे गए। अर्थिकाज राज्यों में भी समन्वय-समितियाँ गठित की गईं।

5 पहली योजना के विकास-कार्यक्रमों की एक विशेषता इन उद्योगों को विभिन्न प्रकार से—श्रद्धण, प्रशिक्षण-सुविधाएँ, तकनीकी परामर्श, आसान शर्तों पर सुचरे हुए ऋजारी और उपकरणों की आपूर्ति तथा विक्री-केन्द्रों की स्थापना आदि के रूप में—सहायता देने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में इन सभी प्रयोजनों के लिए सहायता का स्तर बहुत बढ़ा दिया गया। इस मद में सम्भावित व्यय 180 करोड़ रु० से थोड़ा कम आका गया, जबकि पहली योजना में यह राशि केवल 43 करोड़ रु० थी। अनेक नए कार्यक्रम भी तैयार किए गए। कारखानों की स्थान देने के लिए लगभग 60 औद्योगिक वस्तियाँ स्थापित की गईं। छोटे पैमाने के उद्योगों के विस्तार के लिए अनेक सामान्य सुविधाएँ दी गईं। खादी और ग्रामोद्योग-आयोग ने बड़े पैमाने पर अम्बर चत्तों के निर्माण एवं वितरण का कार्य हाथ में लिया। सहकारी हथकरघा-युनकर-समितियों को विचली-न्वित करके लगाने के लिए सहायता देने का एक कार्यक्रम भी लागू किया गया। सहायता के इन विभिन्न कार्यक्रमों के अनिश्चित कुछ उद्योगों के उत्पादन के लिए अर्द्धे वाजारों की व्यवस्था के क्षेत्र में भी कदम उठाए गए। कपड़े की कुछ विशेष किस्मों का उत्पादन केवल हथकरघा-उद्योग के लिए तथा कृषि के कुछ खास प्रकार के उपकरणों का निर्माण केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निश्चित कर दिया गया। यह निश्चय किया गया कि कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों में—यथा, वनस्पति-तेल, घाल की मिलों, चमड़े के जूने और दियासलाई के कारखानों में—जहाँ उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह से उपयोग भी नहीं हो रहा था, और अधिक विस्तार की अनुमति न दी जाए। वाइसिकल और तिलाई की मशीन-जैसे कुछ उद्योगों के छोटे और बड़े पैमाने के क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्य निश्चित कर दिए गए।

6 अनेक उद्योगों में—विशेषतः छोटे पैमाने के उद्योगों और हस्तशिल्प-उद्योगों में—व्यक्तिगत कारीगरों और नए मचालकों को सहायता दी जानी थी, क्योंकि कारीगरों के अनेक सगठन क्षेत्रीय स्तर पर विकसित नहीं हुए थे। परन्तु हथकरघा और नारियल-बटा-उद्योग में सहायता सहकारी समितियों के माध्यम से तथा खादी और ग्रामोद्योग में अधिकारित-पञ्जीकृत सत्याओं के जरिए दी गई। पहली योजना में लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए एक मात्रक के रूप में औद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित करने पर काफी बल दिया गया था। औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या, जो सन 1951 में 7,105 थी, सन् 1956 में बढ़ कर 15,300 हो गई। हथकरघा-उद्योग में 8,000 सहकारी समितियाँ थी; दूसरा स्थान साइ-गुड-समितियों का था और उसके बाद क्रमण खाल कमलेशील तथा चमड़े की चीबों बनानेवाले कर्मचारियों, हल्के इजीनियरी सामान-समेत छोटे पैमाने के उद्योगों तथा रेशम-उद्योग की सहकारी समितियों का स्थान आता था। सन् 1959-60 तक औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ कर 29,000 हो गई। इनमें लगभग हथकरघा-युनकरों की लगभग 11,200 समितियाँ भी शामिल थी। फिर भी, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही औद्योगिक सहकारिता की परिधि में आता था। सन् 1958 में एक विशेष कार्यकारी दल ने औद्योगिक सहकारी समितियों की द्रुत गति में

भाषा डालनेवाली कठिनाइयों पर विचार किया तथा उनके विकाम को गति देने के लिए कुछ उपाय सुझाए। कार्यकारी दल के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

7 प्रशासनिक और संगठनमूलक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, एव सहायता-कार्यक्रम के विस्तार के माथ कुछ उद्योगों के लिए अच्छे वाजार प्रदान करने से ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी अनुकूल स्थितियाँ तैयार हो गई हैं। प्रत्येक उद्योग ने गत 10 वर्षों में कितनी उन्नति की है, पूर्ण एव विश्वसनीय आकड़ों के अभाव में इसका विस्तृत विवरण देना तो सम्भव नहीं है, फिर भी इतना निश्चित है कि अनेक उद्योगों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

8 इस समय जो सूचनाएँ उपलब्ध हैं, उनके अनुसार हथकरघा-वस्त्रों का उत्पादन, जो सन् 1950-51 में 74 करोड़ 20 लाख गज था, सन् 1960-61 में बढ़कर 1 अरब 90 करोड़ गज हो गया। इस उद्योग में लगभग 30 लाख बुनकरों को पहले में अधिक रोजगार दिया गया और विगत 3 वर्षों में प्रति वर्ष औसत रूप से 3 करोड़ 60 लाख गज हथकरघा वस्त्र का, जिसका मूल्य 5 करोड़ ६० से भी अधिक ठहरता है, निर्यात किया गया। सहकारिता की परिधि में आनेवाले करघों की संख्या सन् 1953 में 7 लाख से कुछ कम से बढ़ कर सन् 1960 के मध्य लगभग 13 लाख हो गई। परम्परागत खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) का भी उत्पादन, जो सन् 1950-51 में 70 लाख गज था, सन् 1960-61 में बढ़ कर 4 करोड़ 80 लाख गज हो गया। 1 4 लाख बुनकरों और बढ़इयों को पूरे समय का रोजगार मिलने के अतिरिक्त 11 लाख कताई करनेवालों को भी अधिकांशतः अद्यकालिक काम मिला। अम्बर-सादी (अम्बर चर्खें और सादी चर्खें में उत्पन्न सूतों को मिला कर बनाया गया कपड़ा) का उत्पादन सन् 1956-57 में 19 लाख गज था, जो सन् 1960-61 में बढ़ कर लगभग 2 करोड़ 60 लाख गज हो गया। इस कार्यक्रम से 51,000 बुनकरों और अन्य व्यक्तियों को पूरे समय का काम मिलने के अलावा 3 लाख कातनेवालों को अधिकांशतः अद्यकालिक रोजगार मिला।

* 9 ग्रामोद्योगों की प्रगति के बारे में जो सूचनाएँ उपलब्ध हुई हैं, वे केवल पजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और ऐसे केन्द्रों के बारे में हैं, जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग-आयोग से सहायता मिली है। दूसरी योजना की अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 18 करोड़ से कुछ अधिक रुपये वितरित किए गए। इस सहायता का अधिकांश भाग अनाजों और दालों के विधायन, तेलहनो की पैराई, खाल कमाने और चमड़ा तैयार करने, ताड़-गुड़, अन्नाद्य तेलों और साबुन, दियासलाई, हाथ के बने कागज, गुड़ और खाडसारी, मधुमक्खी-पालन, मिट्टी का वर्तन-उद्योग, आदि के लिए सुधरे हुए उपकरणों की आपूर्ति, प्रशिक्षण तथा हाट-व्यवस्था की सुविधाओं के रूप में दिया गया। वितरित धन-राशि का एक बड़ा भाग दूसरी योजना के प्राथमिक वर्षों में अग्रयुक्त ही रहा। ग्रामोद्योग-सम्बन्धी मूल्यांकन-समिति ने, जिसने दूसरी योजना के लगभग मध्य-काल में खादी और ग्रामोद्योग-आयोग की सहायता में चलने-वाले कुछ उत्पादन-केन्द्रों की स्थिति की समीक्षा की थी, यह मत प्रकट किया था कि इनके उत्पादन और नियोजन-विषयक परिणाम इन पर किए गए खर्च के अनुकूल नहीं हैं। परन्तु इसके बाद से इन केन्द्रों के कार्यम्भवालय और प्रदत्त धन के उपयोग में पर्याप्त सुधार हुआ है। दूसरी योजना के ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कार्यक्रमों में गावों के लगभग 5 लाख कारीगरों और अर्द्धरोजगार-प्राप्त महिला श्रमिकों को आंशिक सहायता देने के लिए व्यवस्था थी।

इनमें एने अनुभव भी मिले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के भावी स्वरूप के निश्चय में बड़े उपयोगी साबित होंगे।

10 रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में सम्बन्धित कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ग्रहण करने की क्षमता को और रेशम-कीट-बीजों की किस्म में सुधार करना, काठने और लपेटने के परिष्कृत उपकरण उपलब्ध करना और अनुसन्धान-कार्यों को संगठित करना है। ब्रह्मपुर-स्थित केंद्रीय रेशम-कीट-पालन-अनुसन्धान-संस्था तथा कलिम्पोंग-स्थित उनके उपकेंद्र का विस्तार किया गया और मैसूर में एक प्रशिक्षण-संस्था की तथा श्रीनगर में एक रेशम-कीट-बीज-केंद्र की स्थापना की गई। कच्चे रेशम का उत्पादन, जो मन् 1951 में 25 लाख पाँड था, सन् 1960 में बढ़ कर 36 लाख पाँड हो गया। दूसरी योजना के अन्त में हितवाह लगाया गया कि इस उद्योग में 35 हजार व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार मिलने के अनिश्चित 27 लाख व्यक्तियों को अस्थायिक रोजगार मिला। प्रति एकड़ ग्रहण करने का कम उत्पादन, कोंचों में कम रेशम की प्राप्ति, आदि के कारण उत्पादन-व्यय की अधिकता इन उद्योगों की प्रमुख समस्या बनी रही।

11 नारियल-जटा-उद्योग में सामान्यतः मन्द प्रगति हुई। नारियल-जटा-महकारी समितियों की मजठन-सम्बन्धी द्रष्टियों, कर्तारों के लिए निम्न कोटि के उपकरणों का प्रयोग होने के कारण जटा के रेशों की घटिया किस्म और विदेशी बाजारों में पूरक माल से प्रतियोगिता आदि के कारण ही तीव्र प्रगति न हो सकी। मन् 1957-58 में जटा-रेश और उनसे निर्मित माल के निर्यात को बड़ा धक्का लगा। इसके बाद डमरु, कुच्छ सुधार तो हुआ परन्तु पहली योजना के अन्त के स्तर तक नहीं पहुँचा जा सका। अनुमान है कि इन नमय-इस उद्योग में 8 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

12 दूसरी योजना में हस्तशिल्प के कार्यक्रमों को बढ़ाया गया, इनमें 4 प्रादेशिक डिजाइन-केंद्रों और अनेक प्रदर्शन एवं विक्री-केंद्रों की स्थापना भी शामिल है। इनके अतिरिक्त, कुछ विविष्ट हस्तशिल्पों—जया, हाथी-दात और गज के मामान, विदर्दी के सजावटी बर्तनों और खिलौनों, दाम-के सामान, कागज की लुगदी के मामान, आदि—के प्रशिक्षण एवं उत्पादन के भी केंद्र खोले गए। हस्तशिल्प के मामान की घरेलू खपत और निर्यात, दोनों में वृद्धि हुई है। 100 ने भी अधिक प्रदर्शन और विक्री-केंद्र खोले गए तथा इनमें होनेवाली विक्री की वार्षिक राशि पहली योजना के अन्त के 1 करोड़ २० ने बढ़ कर मन् 1959-60 में 2 50 करोड़ २० हो गई। अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में प्रति वर्ष औसत रूप से 6 करोड़ २० का हस्तशिल्प का मामान, जिसमें गनीचे भी शामिल है, विदेशों को भेजा गया। कुशल कारीगरों को स्वामी और पूरे समय के रोजगार उपलब्ध करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की गईं, फलतः उनकी कमाई में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। परन्तु नकलीकरी कर्मचारियों और कुछ विशेष प्रकार के बुनियादी कच्चे माल की कमी तथा कारीगरों को ऋण देने के क्रम में उठनेवाली कठिनाइयों के कारण प्रगति के मार्ग में कुछ रुकावटें आईं।

13 विभिन्न 5 वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों में बहुत अच्छी प्रगति हुई। कुछ बुनियादी कच्चे माल की कमी के बावजूद अनेक छोटे उद्योगों में—मुख्यतः मशीनी औजारों, पिनाई की मशीनों, विजली के पंपों और मोटरों, नाइकिलों निर्माण-उद्योग-नामियों और हाथ के औजारों के क्षेत्र में—उत्पादन में प्रति वर्ष 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

आयात-प्रतिद्वन्द्वों का भी इनमें से कुछ उद्योगों की प्रगति पर-प्रभाव पडा । 5 लाख रु० से कम की अधिकृत पूजावाली पजीकृत कम्पनियों की संख्या, जो विधायन और निर्माण के कार्य में लगी है, सन् 1957-61 की अवधि में बढ़ कर 1,160 हो गई । औद्योगिक वस्तियों के कार्यक्रम में भी पर्याप्त प्रगति हुई । सन् 1960-61 तक 60 औद्योगिक वस्तियों का कार्य पूरा हो गया । इनमें से 52-वस्तियों में, जिनमें 1,035 कारखानों के लिए खेड पडे है तथा 13,000 कर्मचारी नियुक्त है, काम भी आरम्भ हो गया है । अनुमान है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में 3 लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार मिला है ।

(3)

तीसरी योजना का दृष्टिकोण

14 तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों पर अमल करते समय निम्नलिखित लक्ष्यों को सामने रखना होगा

- (1) कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ाना और सहायता के ठोस रूपों—यथा, दक्षता में वृद्धि, तकनीकी परामर्श, अच्छे उपकरण और ऋण, आदि—पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देकर उत्पादन-व्यय में कमी लाना,
- (2) सहायता-अनुदानों, विश्वी पर छूट और सरक्षित बाजारों में क्रमशः कमी करना,
- (3) गावों और छोटे कस्बों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना ;
- (4) छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में विकसित करना, और
- (5) कारीगरों और शिल्पियों को सहकारी आधार पर संगठित करना ।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां और उपाय सुझाए गए हैं, उनका विवरण नीचे दिया गया है

15 दक्षता और उत्पादकता में सुधार . तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबन्ध-सम्बन्धी कर्मचारियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण-मुविधाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा । इस सम्बन्ध में कारीगरों और इजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, उन पर तकनीकी शिक्षा-सम्बन्धी अभ्यास में प्रकाश डाला गया है । ग्रामीण कारीगरों के लिए चुने हुए क्षेत्रों में केन्द्रीय स्थापना करने की एक योजना बनाई गई है । ये मन्थाएँ कुछ ग्रामों के समूहों के लिए सम्बद्ध पेशों—जोहारगरी, बढईगरी, आदि—के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन करेगी । ये पाठ्यक्रम एक वर्ष या इससे कुछ अधिक समय के लिए इन बातों को ध्यान में रख कर चलाए जायेंगे कि कारीगर कृषि-सम्बन्धी उत्पन्नों और सारी कृषि-मर्गानों के हिस्सों के रख-रखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । ये मन्थाएँ, जहाँ बड़ी आवश्यकता होगी, पूर्व-स्थापित उत्पादन सह-प्रशिक्षण-केन्द्रों का स्थान ग्रहण करेगी । इसके अतिरिक्त, राज्य-मरकारों-द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमणकारी प्रदर्शनों और प्रशिक्षण-दलों का आयोजन करके प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध की जायेंगी । इन आम प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के अलावा लादी, ग्रामोद्योगों और हस्तशिल्पों के लिए विभेद प्रशिक्षण-कार्यक्रम इन उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों के अंग-रूप में हाथ में लिए जायेंगे । औद्योगिक विज्ञान की

तन्वीको में प्रविष्टन की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए गण प्रविष्टन भारतीय सभ्या भी म्प्या-
पित की जाएगी ।

16 ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के सभी कार्यक्रमों में सुधरे हुए श्रोत्रियों और उद्य-
कर्मियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया गया है । इनकी योजना से प्रत्येक में छोटे पैमाने के उद्योगों
के लिए किन्तु पर रगरेद के आधारे पर मशीन-आपूर्ति की योजना लागू की गई थी । इनमें
तीमरी योजना में भी बदले का इरादा है, ताकि छोटे उद्योगालियों और महानगर मर्मितियों
को बड़ी सभ्या में मशीनें दी जा सकें । इधरकन्वा-क्षेत्र में 'एन एम मोगन प्रदेवमेट' और
प्रद्वेस्वचालित करके चानू करने तथा दूसरी योजना से प्रारम्भ में प्रारम्भ किए गए मन्-
कारिता के आधारे पर हथकरदों को प्रिजनोंचालित करने में बदले से कार्यक्रम को भी
जारी रखने की व्यवस्था है । खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में अम्बन्ध नर्मा, नैवराणियों,
हाथ में धान कूटने के उपकरणों तथा अन्य ग्रामोद्योगों में अनुनन तान और परीक्षण जारी रखे
गए। तानियन-जटा-उद्योग में, माणंदरक कार्यक्रम के आधारे पर सुधरे हुए जटा-जटा-उपकरण
लागू करने के लिए इन प्रकार के उपकरण बने पैमाने पर तैयार करने का प्रस्ताव है । त्रयम-
कीट-मालन-उद्योग में, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम उपदेने के लिए ग्राम चों के प्रयोग के बदले
'काटेज बेनिन' के प्रयोग को प्रोत्साहन देना है । इसी प्रकार इन्वन्टिल में भी सुधरे हुए उपकरणों
तथा औजारों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा और सहायता प्रदान की जाएगी ।

17 विभिन्न उद्योगों में काम करनेवाले कारगमों और निलियों को तन्वीकी
परामर्श देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयत्न किए जाएंगे । छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में
लघु उद्योग-सेवा-सभ्याओं, विस्तार-केन्द्रों और खट-स्त पर विस्तार-प्रधिकारियों (उद्योग)
के माध्यम से औद्योगिक विस्तार-सेवा का निर्माण किया गया । मादी और ग्रामोद्योगों के
क्षेत्र में भी इस प्रकार का परगनर्ष पञ्जीकृत सभ्याओं और केन्द्रों के तन्वीकी अतिनारियों
तथा खडों में विस्तार-प्रधिकारियों के जरिए उपनन्ध किया जाता है । फिर भी, प्रत्येक
कारिगर और शिल्पी को उनकी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहायता और परामर्श
देने के लिए अभी बहुत-कुछ किया जाना बाँप है तथा तीसरी योजना में इस दिशा में और
औरदार प्रयत्नों की आवश्यकता है ।

18 सुधरे हुए औजारों और उपकरणों, निर्माण की प्रक्रियाओं एवं डिजाइन, आदि के
विकास के लिए अनुसन्धान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । वर्तमान सुविधाओं का और
अधिक विस्तार करने-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर वैज्ञानिक और टेकनोलॉजी-विषयक अनुसन्धान
के अध्याय में प्रकाश डाला गया है ।

19 ऋण और वित्त - ऋण-सुविधाओं को, जो ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की
एक अनिवार्य आवश्यकता है, तीमरी योजना में बड़े पैमाने पर सगठित किया जाएगा तथा
उचित शर्तों पर न्यूनतम प्रक्रिया-सम्बन्धी विलम्ब के साथ दिया जाएगा । तीमरी योजना में
छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए व्यय-राशि का निश्चय करते समय दीर्घ और मध्यमकालीन
पूजी तथा कार्य-नचालन पूजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योगों को राजकीय
सहायता-अधिनियमों के अन्तर्गत ऋणों के लिए अच्छी-खासी रकम की व्यवस्था की गई है ।
इसी प्रकार खादी और ग्रामोद्योग के लिए व्यय-राशि निश्चित करते समय ऋण देने के लिए
अच्छी-खासी रकम अलग रखी गई है । फिर भी, योजना में ऋण देने की व्यवस्था, भाग की तुलना
में अनिवार्य रूप से नीहित है, अतः लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों

की ऋण की आवश्यकताएँ अधिकाधिक मात्रा में ग्राम बैंको और वित्तीय संस्थाओं से पूरी हो जाए। इन उद्योगों के लिए ऋण की समन्वित व्यवस्था के हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-द्वारा शुरू की गई एक मार्गदर्शक योजना के अधीन जो ऋण दिए जा चुके हैं। तथा जिनके लिए स्वीकृति मिल गई है, उनकी राशि सन् 1961 के मार्च के अन्त लगभग 9 करोड़ ६० थी। दूसरी योजना में संस्थात्मक अभिकरणों के माध्यम से ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों को ऋण, देने के लिए तीन मुख्य कदम उठाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केन्द्रीय सहकारी अभिकरणों को हथकरघा-उद्योग की कार्य-संचालन पूँजी-सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए पेशगी देने की विशेष सुविधाएँ देता है। जुलाई 1960 में एक मार्गदर्शक ऋण-गारटी-योजना लागू की गई। इसके अधीन सरकार कुछ विशिष्ट बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ, लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों के बारे में खतरो में हिस्सा बटाती है। सन् 1960-61 के अन्त तक 2 करोड़ ६० के ऋणों के लिए गारटी दी गई। बैंको और संस्थात्मक अभिकरणों-द्वारा ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित संस्थाओं—जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम, आदि—को दिए गए ऋणों के लिए सरकारी गारटी के हेतु भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया। तीसरी योजना में भी इस तरह के प्रयत्न जारी रखने का प्रस्ताव है। इस बात का निश्चय करने के लिए कि उद्योगों को राजकीय सहायता-अधिनियमों के अधीन ऋण देते समय ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की जाएगी, यह स्वीकार कर लिया गया है कि इन अधिनियमों के अधीन वितरित की जानेवाली राशि का एक भाग ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों के लिए निश्चित रहेगा और इसी उद्देश्य के लिए इतनी ही राशि की व्यवस्था मामूदायिक विकास-खंडों के बजट में होगी।

20 सहायता-अनुदान, बिक्री पर छूट, आदि : आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर ठोस सहायता-कार्यक्रम के विस्तार के साथ तीसरी योजना में सहायता-अनुदानों, बिक्री पर छूट और सरसित बाजारों में कमी करना सम्भव हो सकेगा। आशा है कि खादी के क्षेत्र में तकनीकी सुधारों, उत्पादन-व्यय के एकीकरण और परिवहन तथा अन्य वितरण-व्ययों में भिन्नव्ययिता के द्वारा मूल्यों में क्रमशः कमी की जा सकेगी। खादी पर और विशेष रूप से रेशमी तथा ऊनी खादी पर बिक्री पर छूट के प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि यथासम्भव उनको समाप्त करके उनके बदले उचित प्रबन्ध-अनुदान दिए जाए। ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा गया है कि वर्तमान सहायता-अनुदानों या उनके माल की बिक्री पर दी जानेवाली छूट का स्थान क्रमशः प्रबन्ध-अनुदान ले लें। इसी प्रकार, हथकरघा-उद्योग में बिक्री पर छूट के बदले अधिक ठोस सहायता देने पर बल दिया जाएगा।

21 पहली और दूसरी योजनाओं में सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम के मुख्य तत्वों के रूप में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनमें संगठन और सहायता-सम्बन्धी ठोस कार्य-वाह्यता, कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था और अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण, आदि में समन्वय स्थापित करना है। उद्योगों की विभिन्न शाखाओं के लिए विकास-कार्यक्रम बनाते समय इस बात का निश्चय करने के लिए कि सामाजिक एवं अन्य उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में समाज की कुल आवश्यकताओं के प्रति बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र का तथा जुटीर-क्षेत्र का योगदान कितना रहे, जिस बुनियादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उसे आसानी से प्रकट करने के लिए 'सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम' नाम दिया गया है। कार्यक्रम के अन्य तत्व, जिनका लक्ष्य छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र को हाट-व्यवस्था के बारे में प्राथमिकता या आवश्यकता

प्रदान करना है, ये हैं उत्पादन के क्षेत्र सुरक्षित करना, बड़े उद्योगों की विस्तार-श्रमता को सीमित करना, बड़े पैमाने की इकाइयों पर 'सेस' लगाना और छोटी इकाइयों को विभेदात्मक कराधान, सहायता-अनुदान, विन्की पर छूट, आदि के द्वारा मूल्य कम रखने का लाभ प्रदान करना। इन बात को मंत्रोंकार कर लिया गया है कि सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम के सिद्धान्तों को पृथक्-पृथक् उद्योगों की समस्याओं की जाच और विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, कुछ परम्परागत उद्योगों के मामले में उनके उत्पादन को प्राथमिकता और बाजार का आश्वासन, छोटे पैमाने के उद्योगों की तुलना में, अपेक्षाकृत कुछ दीर्घ अवधि के लिए जारी रहना चाहिए।

22 ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में औद्योगिक विकास - यद्यपि ग्रामोद्योग, खादी, रेगम-कॉट-पालन, नारियल-जटा, आदि उद्योग तथा काफी सीमा तक हथकरघा-उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित हैं, तथापि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास सामान्यतः शहरी या बड़े कस्बों के आस-पास ही हुआ है। चूकि इस क्षेत्र के कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सारे देश में व्यापक रूप से आय और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, इसलिए तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के परिपालन में अधिक जोर-इस बात पर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में तथा ऐसे कम उन्नत क्षेत्रों में, जहाँ प्रचुर औद्योगिक सम्भावनाएँ हैं, उद्योगों के अधिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। इस दिशा में प्रथम पग के रूप में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा, जहाँ तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में हुए विकास के परिणामस्वरूप, विजली, बड़े पैमाने पर कृषि-सम्बन्धी कच्चा माल, परिवहन के सुधरे हुए साधन, आदि बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। ऐसे ही क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सहायता देने के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। 'सिचाई और विजली' के अध्याय में लघु उद्योगों के विकास-कार्यक्रम को शानो में विजली-विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है। अन्य आवश्यक कदम विभिन्न प्रकार की सहायता देना होगा। यह सहायता प्रशिक्षण-सुविधाएँ, ऋण, तकनीकी परामर्श, आँजारो और मशीनों, आदि के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में उद्योग स्थापित करनेवालों को ममन्वित रूप से दी जानी चाहिए। ग्राम-समूहों के लिए केन्द्रीय ढग के प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित करने, ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने, सामान्य सुविधाओं से युक्त कारखाने खोलने और ग्रामीण बस्तियाँ बसाने के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। योजना के अधीन सख्तों का अधिक अच्छा उपयोग करने के लिए इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उन जगह अधिक सहायता प्रदान की जाए, जहाँ परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल हों, और इन प्रकार कुछ ऐसे सफल केन्द्र स्थापित किए जाएँ, जो आदर्श बन सकें और व्यापक विकास के लिए केन्द्रबिन्दु हों। इससे न केवल अपने सतत विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों में ही लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, अपितु नन्वद्ध क्षेत्रों में ममन्वित उद्योगों के विकास में भी सहायता मिलेगी।

23 तीमरी योजना में परिकल्पित अनाजों, दालों और गन्ना तथा तेलहन-जैसी प्राथमिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विवायन-उद्योगों के विस्तार के अवसर बट जायेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण और मुदृढ बनाने तथा अधिक रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से यह बाछनीय है कि इन उद्योगों को महकारिता के आचार पर विकेन्द्रित और छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में अधिकतम सीमा तक विकसित किया जाए। बुनियादी सुविधाओं—यथा, विजली, प्रतिदिन अधिक और कच्चे तथा तैयार माल रखने

की सुव्यवस्था—से इन उद्योगों के संचालन को कमखर्चीला बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ये सुविधाएँ फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, ग्रामीण कारीगरों को इस बात के लिए सहायता दी जानी चाहिए कि वे सहकारिता के आधार पर कच्चे माल की खरीद एवं उसके संप्रहृ के लिए सगठन बनाएँ, परिष्कृत तकनीकें अपनाएँ और अपने उत्पादनों को बेचने की व्यवस्था करें।

24 लघु उद्योगों का सहायक उद्योगों के रूप में विकास : पहली और दूसरी योजना में इस बात के लिए प्रयत्न किए गए कि छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहायक-रूप में विकसित किया जाए। कुछ हद तक ऐसे उद्योग स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। एक विनोद समिति इस प्रकार के विकास को प्रोत्साहन देनेवाले विभिन्न तरीकों की जांच कर रही है। दूसरी योजना में बगलौर की नई औद्योगिक बस्ती में स्थापित कुछ छोटी इकाइयों के उत्पादन को सार्वजनिक क्षेत्र की एक विशाल परियोजना—हिन्दुस्तान मशीनी औजार-कारखाना—के उत्पादन से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया गया। सुझाव रखा गया है कि इस प्रकार के कार्यक्रम सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों को कुछ अन्य परियोजनाओं में भी लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। योजनावद्ध विकास के लिए यह जरूरी है कि उद्योग की प्रत्येक शाखा में समाज की आवश्यकताओं को तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योगों के योगदान को और उत्पादन के विधायन तथा स्तरो के विकेन्द्रीकरण की सम्भावनाओं को व्यापक रूप से ध्यान में रखा जाए। पहली और दूसरी योजना की अवधि में कुछ छोटे और कुछ बड़े उद्योगों—यथा, सूती वस्त्र और कृषि-उपकरण—के उत्पादन-क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। कुछ अन्य उद्योगों—यथा, वाइसिकल, मिलार्ड-मशीन, स्टोरेज बैटरिया, आदि—में आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बाद बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों में उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। बड़े और छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। इस समय इस पहलू से जिन उद्योगों का अध्ययन किया जा रहा है, वे हैं—कृषि-उपकरण और मशीनें, मशीन और हाथ के औजार, वाइसिकल और वाइसिकल के पुर्जे, सिलाई की मशीन और सिलाई की मशीन के पुर्जे, मोटरगाड़ियों और डीजल इंजिन के पुर्जे, रेडियो-सेट और ऐम्प्लीफायर, खाल-कमाई और जूता-निर्माण, फल और मन्डों-सरक्षण, मूती वस्त्र-मशीनों के पुर्जे, बिजली की मोटरें और बिजली के पत्ते, रंग और वारनिश, स्टोरेज बैटरिया, काच के वैज्ञानिक और घरेलू सामान, गल्फशिया और गणित के यन्त्र तथा प्लास्टिक के उत्पादन।

25 औद्योगिक सहकारी समितियाः : हयकरधा और नारियल-जटा-जैसे उद्योगों में, जिनमें सहकारी समितियों के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई है, तीसरी योजना में वर्तमान सहकारी समितियों की सगठन-सम्बन्धी और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा अतिरिक्तिक कर्मचारियों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने पर धन दिया जाना चाहिए। अन्य उद्योगों में सहकारी समितिया बनाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। इन दिशा में जो मुख्य उपाय सुझाए गए हैं, उनमें सीमित समय तक प्रबन्ध और अधोक्षण-समन्वय-कार्य का गुरुत्व उठाने के लिए वित्तीय सहायता, केन्द्रीय महसारी वित्त-अभिकारो-द्वारा प्राथमिक महसारी समितियों से लिए जानेवाले मूद की दर के लिए महसारी-अनुदान, कर्मचारियों—विरोधित औद्योगिक सहकारी समितियों के मध्य-स्तर के कर्मचारियों—के लिए प्राथमिक

की सुविधाओं का विस्तार और राज्यों के उद्योग या सहकारिता-विभागों में काम करनेवाले कर्मचारियों को, जो औद्योगिक सहकारी समितियों से व्यवहार करते हैं, मुसगठित करना शामिल है। सहकारी समितियों के कार्यक्रमों के समन्वित परिपालन को गारंटी प्रदान करने के लिए केन्द्र में एक छोटा-सा केन्द्रीय संगठन भी स्थापित किया जा रहा है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कतिपय शर्तों के साथ—जैसे, सहकारी आधार पर संगठित अनेक औद्योगिक इकाइयाँ एक जगह स्थापित हो, और साधनों का एक भाग जमा की जानेवाली राशियों से प्राप्त हो सके—अलग से औद्योगिक सहकारी बैंक स्थापित किए जा सकते हैं। छोटे पैमाने पर चलने-वाले उन उद्योगों के लिए, जहाँ उद्योग-मंचालको और भागीदारों का ही जोर है, कच्चा माल प्राप्त करने और बेचने के लिए तथा तकनीकी ज्ञान और सूचनाओं के प्रसार, वहीखातो के रख-रखाव, आदि कार्यों के लिए औद्योगिक सघों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

26 समन्वय की व्यवस्था यद्यपि केन्द्रीय और राज्य-स्तर पर ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के निर्माण एवं परिपालन में पृष्ठपेपण या दुहरापन से बचने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है, तथापि व्यवहार में प्रदर्शन एवं विक्री-केन्द्रों, प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण, आदि से सम्बद्ध मामलों में कुछ पृष्ठपेपण या पुनरावृत्ति हो ही जाती है। कार्यक्रम के परिपालन से सम्बद्ध विभिन्न मंडलों और अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने के लिए नए उपाय खोजे जाने चाहिए। कार्यक्षेत्र-स्तर पर इस समन्वय की आवश्यकता का और अधिक अनुभव होता है। यह बात विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योगों के कार्यक्रमों पर लागू होती है, जहाँ राज्य-सरकारों, राज्य-खादी-मंडलों, पञ्जीकृत मस्याओं और खड-स्तर के कर्मचारियों की कार्यवाहियाँ बहुत अधिक समन्वित होनी चाहिए। कृषि, विजली, परिवहन, आदि के क्षेत्र में विकास की जो दृष्टि प्रदान की गई है, उसे देखते हुए यह और भी आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगीकरण की सम्पूर्ण समस्या पर संयुक्त और सम्बद्ध रूप से विचार किया जाए। वर्तमान मंडलों के लिए सदा इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना सम्भव नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक का अपना अलग-अलग कार्यक्षेत्र है। खादी और ग्रामोद्योग-आयोग का ग्रामीण उद्योग-कार्यक्रम अभी केवल 12 परम्परागत उद्योगों तक ही सीमित है। ग्रामीण उद्योगीकरण के व्यापक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक क्षेत्र के विकास के विविध पहलुओं को ध्यान में रखना होगा और इस बात का आश्वासन देना भी आवश्यक होगा कि स्थानीय योजनाओं को बनाने तथा उनके परिपालन में क्षेत्रीय या खड-स्तर पर काम करनेवाली संस्थाओं और अभिकरणों का निकट सहयोग मिलेगा। यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रश्न के विविध पहलुओं की राज्य-सरकारों और मंडलों से परामर्श करके जांच की जाए।

व्यय-व्यवस्था और आवंटन

27. तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के लिए 264 करोड़ ₹० के व्यय का प्रस्ताव किया गया है, जबकि दूसरी योजना में इस मद में अनुमानित व्यय-राशि 180 करोड़ ₹० ने कुछ कम है। इस राशि में से 141 करोड़ ₹० राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के कार्यक्रमों के लिए तथा 123 करोड़ ₹० केन्द्र और केन्द्र-द्वारा प्रणीत कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए है। विभिन्न उद्योगों के लिए इस राशि का किम प्रकार निररप किया गया है, यह अगली तालिका में प्रस्तुत है।

विभिन्न उद्योगों के लिए व्यय-व्यवस्था

(करोड़ रु०)

उद्योग	दूसरी योजना (अनुमानित व्यय)	तीसरी योजना की व्यय-व्यवस्था		
		राज्य और केन्द्र- शासित प्रदेश	केन्द्र	योग
हथकरघा-उद्योग	29 7	31	3	34
हथकरघा-क्षेत्र में विजली- चालित करघे	2	—	4	4
खादी परम्परागत अम्बर	82 4	3 4	37	92. 4
ग्रामोद्योग			32	
			20	
रेयम-कीट-पालन-उद्योग	3 1	5 5	1 5	7
तारियल-जटा-उद्योग	2	2 4	0 8	3 2
हस्तशिल्प	4 8	6 1	2 5	8 6
छोटे पैमाने के उद्योग	44 4	62 6	22	84 6
श्रीद्वैतिका वस्तिया	11 6	30 2	—	30 2
योग	180*	141 2	122 8	264

इसमें यह स्पष्ट है कि छोटे पैमाने के उद्योगों और श्रैद्धिक वस्तियों पर खर्च में पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था की गई है। हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योगों का व्यय-स्तर दूसरी योजना में कुछ अधिक होगा।

28 ऊपर बताई गई व्यय-व्यवस्था के अतिरिक्त सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में इन उद्योगों के विकास के लिए 20 करोड़ रु० की व्यवस्था है। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, मजाल-कल्याण, और पिछड़ी जातियों के कार्यक्रमों में भी इस प्रयोजन के लिए कुछ व्यवस्था है। यह भी आशा है कि निजी श्रोतों में, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, इस मद में 275 करोड़ रु० की पूंजी लगाई जाएगी।

(4)

हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग

29 तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों को अब तक प्राप्त हुए अनुभवों और पूर्वो-ल्लिखित मूल्यांकन-कार्यकारी दलों के निष्कर्षों तथा मुझावों के आलोक में तैयार किया गया है। खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में कार्यक्रम के सामान्य सिद्धान्त में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम के अर्थात् यह आवश्यक है कि भवन-निर्माण-मन्वन्वी एवं अन्य ऊपरी खर्च कम-से-कम हो।

30 हथकरघा और विजली-चालित करघा-उद्योग : तीसरी योजना की अवधि में हथकरघा-कार्यक्रम का उद्देश्य हथकरघा-युनकरों को पूरे नमय का रोजगार देकर

*सम्भावित व्यय-परिमाण लगभग 175 करोड़ रु० है।

और सुघरी हुई तकनीकों लागू करके उत्पादन बढ़ाना है। बिजली पर छट—जो पहले ही 6 नए पैने से घटा कर 5 नए पैसे कर दी गई है—और अन्य सहायता-अनुदानों के बदले क्रमशः ठोस सहायता पर बल दिया जाएगा, वृत्तियों को सामान्य स्तर पर ऋण-सहायता दी जाएगी, जिससे सहकारी समितियों में अधिक हिस्सा-पूजी के आधार पर सव्यात्मक अभिकरणों से अधिक रुपया उधार लेना उनके लिए सम्भव हो सके। इसके साथ ही परिष्कृत उपकरणों की आपूर्ति, जिनमें अद्वैतवाचित करषे भी शामिल हैं, विधायन और प्रशिक्षण की सुविधाओं, सुघरे हुए डिजाइनों के प्रयोग, और सहकारी कर्ताई-मिलों से आवश्यक सूत की अधिकाधिक खरीद को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ कमजोर सहकारी समितियों को पुनः सबल बनाने और मार्गदर्शक आधार पर नियति की शोध-कताओं को पूर्ति के लिए सामान्य बुनाई-केंद्रों के रूप में कुछ कारखाने खोलने का भी प्रताव है। हथकरघा-वस्त्र का नियति बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। हथकरघा-कार्यक्रम का अधिकांश भाग राज्य-संस्कारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनो-द्वारा पूरा किया जाएगा। जिन कार्यक्रमों को हथकरघा-मंडल स्वयंहाथ में लेगा, उनमें बम्बई, मद्रास, वाराणसी, कलकता और काशीपुरम् में पहले से स्थापित वृत्त-सेवा-केंद्रों का विस्तार, और हथकरघा-टेक्नोलॉजी तथा प्रचार-संस्थाओं का पुनर्गठन भी शामिल है।

31 वृत्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से दूसरी योजना के आरम्भ में सहकारिता के आधार पर हथकरघों को विजली-वाचित करषे में बदलने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था। यह कल्पना की गई थी कि सन् 1956-58 के दो वर्षों में 35,000 विजली-वाचित करषे स्थापित हो जाएंगे, परन्तु इस दिशा में बड़ी मन्द प्रगति हुई और दूसरी योजना के अन्ततक स्वीकृत लगभग 13,000 हथकरघों में से केवल 3,500-4,000 ही स्थापित किए गए। शेष 9,000-9,500 करषे आगामी कुछ वर्षों में लगा दिए जाएंगे। हथकरघा-वृत्त-सहकारी समितियों से भिन्न संस्थाओं या लोगों-द्वारा विजली-वाचित करषे की स्थापना रोकने के लिए कारण कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

32 तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए कपड़े का कुल उत्पादन-लक्ष्य 930-करोड़ गज निर्दिष्ट किया गया है। इसमें विकेंद्रित क्षेत्र—हथकरघा, विजली-वाचित करघा और खाद्य-उद्योगों—का भाग 350 करोड़ गज है, जबकि सन 1960-61 में इनका उत्पादन लगभग 235 करोड़ गज उहता। आशा है कि अतिरिक्त उत्पादन में अधिक हिस्सा हथकरघा-उद्योग का होगा, परन्तु इन विभिन्न विभागों के बीच अभी तक कोई निर्दिष्ट बटवारा नहीं किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में हुई प्रगति के आलोचक में बीच-बीच में स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

33 खादी—परम्परागत और अम्बर : दूसरी योजना की अवधि में उच्च कुशलता और अधिक उत्पादनवाले अम्बर चरखे के प्रचलन से, यह सूचा गया था कि परम्परागत खादी कम महत्वपूर्ण हो जाएगी और खादी के गावी विकास में अम्बर चरखा अधिक हिस्सा बढ़ाएगा। ये आशाएं पूरी तरह फलवती नहीं हुईं। कर्ताई करनेवालों के लिए अम्बर चरखे पर काम करना नई शुरुआत थी थी ही, परम्परागत चरखे से एन्ध्रम भिन्न भी थी। ग्राम्म में जो अम्बर चरखे बनाए गए, उनमें कुछ युटियों थी। उनकी मरम्मत के काम को नौ नग के अनुसार नगठिन नहीं किया जा सका। इन प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण अम्बर चरखे पर औसत रूप में वर्ष में 200 दिन (प्रति दिन 2 घंटे के हिसाब से) काम हुआ। औसत

उत्पादन प्रति दिन 1 8 गुडी रहा। यह परिणाम पहले की गई आशा से बहुत कम था। पहले आशा की गई थी कि अम्बर चरखे पर वर्ष में काम के 300 दिनों में प्रति दिन 8 घंटे काम किया जा सकेगा और प्रति दिन का औसत उत्पादन 8 गुडी होगा। (अम्बर चरखा जाच-समिति का अनुमान 6 गुडी का था।) ये धारणाएँ अपने-आप में भी वास्तविक नहीं थी, क्योंकि हाथ से कताई का काम सामान्यतः महिलाएँ करती हैं और वह भी अर्धकालिक काम के रूप में। फिर भी, अम्बर चरखे पर कताई करनेवालों की आय परम्परागत चरखे पर कातनेवालों की तुलना में बहुत अधिक है। अम्बर चरखे पर औसत वार्षिक आय जहाँ 52 रु० है, वहाँ परम्परागत चरखे से औसत आय केवल 35 रु० है। कुछ क्षेत्रों में अम्बर चरखे पर कताई से होनेवाली आय बढ़कर 80 और 100 रु० तक हो गई है जो कि अधिकांश खेतियार श्रमिकों की औसत आय के बराबर है। अम्बर चरखे पर कातनेवालों की यह आय भी तब हुई है, जब अम्बर चरखे की प्रति गुडी का मूल्य 2 आने है, और इसके मुकाबले परम्परागत चरखे से काती गई गुडी का मूल्य 2½ आने है। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कपास के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद, जिसके कारण मिलों का कपड़ा महंगा हो गया, खादी के कपड़ों का मूल्य बढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी ओर, अम्बर और परम्परागत खादी का उत्पादन इतना अधिक बढ़ा कि दूसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों में कपड़े का काफी बड़ा स्टॉक इकट्ठा हो गया। उत्पादन को स्थानीय रूप से खपाने के साथ-साथ विक्री बढ़ाने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए।

34- तीसरी योजना में खादी का और अधिक विकास-मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग-आयोग द्वारा बनाए गए पुनर्गठन-कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा। इसमें कुछ चुने हुए सम्बद्ध-क्षेत्रों या ग्राम-इकाइयों में समुचित ग्राम-विकास के लिए सघन प्रयत्न पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि 3,000 ग्राम-इकाइयाँ, जिनमें से प्रत्येक एक ग्राम या 5,000 तक की जनसंख्यावाले ग्राम-समूहों का प्रतिनिधित्व करे, संगठित की जाएँ। इसके लिए उन्हीं क्षेत्रों का चुनाव किया जाएगा, जिनमें पहले ही आयोग के सघन क्षेत्र-कार्यक्रम, या सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन अब तक स्वैच्छिक संगठनों, पञ्जीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों द्वारा कुछ काम किया जा चुका है। खादी के भावी विस्तार-कार्यक्रम की एक अन्य विशेषता स्थानीय योजनाओं का निर्माण होगा। इनका लक्ष्य अधिकतम-संभव स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्थानीय कामों में उपलब्ध साधनों का अधिकतम लाभ उठाना है। ये योजनाएँ पञ्जीकृत संस्थाओं, सेवा-सहकारी समितियों और ग्राम-प्रचायकों द्वारा सम्पादित की जाएँगी। इस प्रकार, आयोग की जिम्मेदारी केवल वित्तीय और तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण-सुविधाएँ देने तक सीमित रहेगी और कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका सम्पादन राज्य-मंडलों एवं संस्थाओं पर तथा ग्राम-स्तर पर स्थानीय अभिकरणों पर छोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास-कार्य में सतत अर्थ अभिकरणों के साथ तांलमेल रखने के बारे में कुछ कदम उठाए भी गए हैं, परन्तु लोक-कार्य-शेन-जैसे कार्यक्रमों में जनता-द्वारा भाग लेने के कार्यक्रमों के साथ समन्वय की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है।

35- तीसरी योजना में खादी-कार्यक्रम का लक्ष्य क्रमशः गहरी बाजारों पर निर्भरता में कमी करना और स्थानीय उपयोग के लिए अधिक उत्पादन तथा कातने और बुनने की तकनीकों में सुधार करना है, जिससे उत्पादन और अर्जन में वृद्धि हो सके। खादी की किस्म में भी सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आशा की जाती है कि तीसरी योजना

की समाप्ति तक कुल उत्पादित खादी का 40-50 प्रतिशत भाग स्थानीय बाजारों में लप जायगा और मूल्यों में भी 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आयेगी। अम्बर चरखे में भी कुछ सुधार कर दिया गया है। आशा की जाती है कि इन्में उत्पादन प्रति घंटा 1 गुडी से बढ़ कर 1 5 गुडी हो जायगा। इन नुषारों की अभी आजमाइश हो रही है। हाथ में कते सूत और खादी की विशी बढ़ाने-सम्बन्धी कारवाइयो का सुसाव देने के लिए भी एक ममिति नियुक्त की गई है।

36 परम्परागत चरखे का महत्त्व अभी बना रहेगा, परन्तु अम्बर चरखे को लोक-प्रिय बनाने के लिए अधिक प्रयत्न किए जायेंगे। प्रस्ताव है कि पहले से वितरित 3 5 लाख अम्बर चरखों में से 2 5 लाख का उपयोग आरम्भ कर दिया जाए और ग्राम-इकाइयों में 3 लाख नए अम्बर चरखे प्रचलित किए जाए। अम्बर चरखे की उत्पादकता को भी वर्तमान औसत 2 गुडी से बढ़ा कर 4 गुडी करना तथा ग्राम-इकाई-केन्द्रों में काम के समय को बढ़ाने के प्रयत्न जारी रहेंगे, ताकि तीसरी योजना की अवधि में वे औसतन वर्ष के 200 दिन 2 घंटे से, जो कि दूसरी योजना का औसत था, अधिक समय तक काम करें। जैसा कि पहले बताया गया है, विकेन्द्रित क्षेत्र के विभिन्न विभागों के लिए कपडे के उत्पादन का कोई निश्चित बटवारा नहीं किया गया है, परन्तु अभी खादी के लिए 16 करोड़ गज के लक्ष्य का अनुमान है।

37 ग्रामीणोम : सामान्य तौर पर ग्रामीण कारीगर विभिन्न गावों में, जो कि दूर-दूर बसे हैं, बिखरे हुए हैं। यह बात तथा उनकी अशिक्षा और निर्धनता विकास-कार्यक्रमों के द्रुत परिपालन में एक बहुत बड़ी बाधा है। ग्रामीणोम-कार्यक्रमों की मन्द प्रगति के अन्य कारण हैं इन उद्योगों के विकास के बारे में पूर्वानुभवों का अभाव, प्रशिक्षित और योग्यता-प्राप्त कर्मचारियों की कमी, उत्पादन-केन्द्रों की अनुपयुक्त स्थानों पर प्रतिष्ठा, पर्याप्त पूंजी का अभाव, बड़े पैमाने पर कच्चे माल के संग्रह के लिए संगठन की कमी और उत्पादन की अधिक उत्तम तकनीकों को अपनाने में विफलता। जो तकनीकों सुधार किए भी गए, उनमें उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इसलिए उन्हें आम तौर पर नहीं अपनाया गया।

38 दूसरी योजना की अवधि में एक सघन क्षेत्र-कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य समुचित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रयत्नों के अग्र-रूप में खादी और ग्रामीणोमों का सघन विकास करना था। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए दुनियादी इकाई लगभग 20,000 की जनसंख्यावाले 30-40 गावों का एक चुना हुआ क्षेत्र था। इस कार्य में दृष्टिकोण यह रहा है कि ऐसी ग्राम-योजनाएँ तैयार हो, जिनमें उपलब्ध समस्त जनशक्ति का तथा अन्य प्रसुप्त साधनों का उपयोग किया जा सके। इसलिए इस योजना के क्षेत्र में कुओं की खुदाई तथा बीजों और खाद के वितरण-द्वारा कृषि-उत्पादन में सुधार के उपाय, मकान, मठकें और औपचारिक, आदि के निर्माण-कार्य भी शामिल हैं। सितम्बर 1960 के अन्त में यह कार्यक्रम 65 सघन क्षेत्रों में और 18 पूर्व-सघन क्षेत्रों में चालू था। इस कार्यक्रम पर अमल करने में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे तीन मुख्य परिणाम निकलते हैं। पहली बात, गावों में सुधारी हुई तकनीकों और मशीनी शक्ति के प्रचलन के लिए एक व्यापक क्षेत्र है तथा इस प्रचलन में जनशक्ति के पूर्ण नियोजन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी। इसका कारण यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की विद्याल सम्भावनाएँ हैं। दूसरी बात, उपयुक्त स्थानीय आयोजन और संगठन के द्वारा निरिच्छ जनशक्ति को उत्पादक श्रोत में बदलना सम्भव है। तीसरी बात, यदि ग्रामीणोमों के विकास को स्थानीय

वनाना है, तो उसे सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध करना होगा।

39 नवीन दृष्टिकोण और ऊपर बताए गए लक्ष्यों के अनुसार तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम सघन क्षेत्रों में मूल रूप देने के लिए और विशेष रूप से स्थानीय मार्गों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सहायता के कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेंगे। परन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान सहायता-अनुदानों या कुछ ग्रामोद्योगों के उत्पादन पर दी जानेवाली विन्की पर छूट का स्थान क्रमशः कम होनेवाले उपयुक्त प्रबन्ध-अनुदान ले लेंगे। इनमें से अनेक उद्योगों का स्वरूप सुधरी हुई तकनीकों के प्रयोग में तथा जहा कहीं, विजली उपलब्ध है, उसके प्रयोग से बदल जाने की आशा है, जो कि वाछनीय भी है।

40 विभिन्न उद्योगों के कार्यक्रमों के कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण इस प्रकार हैं

(अ) धान की हाथ से कुटाई : यह प्रस्ताव किया गया है कि आशिक उवालने की उन्नत विधियों को लागू किया जाए, उत्पादन के मुधरे तरीकों के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए, उन्नत उपकरणों के उत्पादन के लिए अनुसन्धान-कार्य को जारी रखा जाए और गोदामों का निर्माण किया जाए।

चावल-मिल-उद्योग (नियमन) अधिनियम 1958 के अधीन राज्य-सरकारों को नई चावल-मिलें लगाने या बन्द मिलों को पुनः चालू करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था न केवल वर्तमान हाथ-कुटाई-उद्योग पर सन्भावित प्रभावों की दृष्टि में, अपितु इसके भावी विकास की दृष्टि से भी की गई है। यह भी नियम बना दिया गया है कि चावल-मिलों की क्षमता-वृद्धि की अनुमति देते समय सहकारिता के आधार पर चलनेवाली चावल-मिलों को प्राथमिकता दी जाए। इस अधिनियम के वास्तविक अमल से प्रकट हुआ है कि कुछ राज्यों में धान कटने की नई क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और इस सम्बन्ध में कानून के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि उत्पन्न समस्याओं पर आगे विचार किया जाए, ताकि कानून में जो नीतियाँ निर्दिष्ट की गई हैं, उन पर कारगर ढंग से अमल हो।

(आ) तेलहनो की पेरार्ई : कार्यक्रम में तेलहनो का सग्रह और उनके वितरण की व्यवस्था, वर्तमान वर्षा-धानी में सुधार, और अधिक उत्पादकतावाले सस्ते नमूनों का विकास भी शामिल है। सुधरी हुई धानियाँ लोहारगीरी और बढईगीरी के केन्द्रों में बनाने का प्रस्ताव है।

(इ) खाल-कमाई और चमडा - इस समय एक अध्ययन-दल खाल उतारने, उसे कमाने, खालों और चमडे के वर्गीकरण और उनकी रगार्ई के तरीकों में सुधार के व्यावहारिक सुझाव देने के लिए खालें उतारने और मुर्दे जानवर प्राप्त करने के वर्तमान केन्द्रों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन कर रहा है। इस बीच खाल उतारने, मुर्दा जानवर प्राप्त करने और रगार्ई में सुधार के लिए जोरदार प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए गए हैं। इस सबन विकास के लिए 200 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ई) दियासलाई - बाजार में विकर्ने योग्य अच्छी दियासलाईयों के निर्माण के उद्देश्य से तकनीकों और शौजारों के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है। कुटीर दियासलाई-विशेष

जाच-समिति को निफारिमी के अनुसार, 'डी' श्रेणी के 200-गए दियानलाई-उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(उ) गुड और खाडसारी : विजली के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से विभिन्न आकारों की, हाथ अथवा पैर से चलाई जानेवाली मॅट्रीफ्युगल मे युक्त, उत्पादन-इकाइया स्थापित की जाएगी। विजली-चालित गन्ना परेने के यन्त्र लगाने के लिए भी सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ऊ) मधुमक्खी-पालन : तीसरी योजना की अवधि में जेहा कही भी सम्भव होगा, अधिक सघन ढंग मे उद्योग का त्रिक विस्तार करने पर बल दिया जाएगा। इन उद्योग के विकास का मुख्य दृष्टिकोण गृह-उत्पादन के बदले आनुपगिक क्षेत्रों—जैने फसल एवं फल, आदि—में सुधार करना होगा। कार्यक्रम में 44 क्षेत्रीय कार्यालयों और 975 उप-केन्द्रों की स्थापना तथा मधुमक्खी पालने के 94,500 डिब्बों का वितरण करने को कहा गया है।

(ए) अन्य ग्रामीणोद्योग : ताड-गुड, हाथ मे बना कागज, नाबुन, रेमा, आदि—जैने अन्य ग्रामीणोद्योगों के कार्यक्रम में उत्पादन-केन्द्रों की स्थापना और मुचरे हुए उपकरणों के वितरण की योजनाएं भी शामिल हैं। मेयेन गैस के उत्पादन के लिए कुछ केन्द्र स्थापित करने तथा चूना-उद्योग के विकास के लिए एक कार्यक्रम बनाने का भी प्रस्ताव है।

(5)

रेशम-उद्योग और नारियल-जटा-उद्योग

41. रेशम-उद्योग : रेशम-उद्योग के विकास-कार्यक्रम में उत्पादन के व्यय में कमी करने, उपयुक्त हाट-मगठन स्थापित करने और निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं की खोज पर अधिक बल दिया जाएगा। कच्चे रेशम के उत्पादन-व्यय को बढ़ानेवाले मुख्य तत्त्व निरन्तर चलते रहनेवाले ढंग के हैं, अतः वर्तमान स्थिति में पर्याप्त सुधार करने के लिए तीमरी योजना की अवधि में नकल्प के माध्यम प्रयत्न करने होंगे। कच्चे रेशम के व्यय का 60 प्रतिशत गृहभूत पर आता है। अतः यह आवश्यक है कि गृहभूत की प्रति एकड़-उपज को, जो अभी बहुत कम है, बढ़ाया जाए। इस समय गृहभूत को खेती के बहुत अल्प भाग की मिचई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गृहभूत को खेती को अन्य लाभदायी नगदी फसलों से प्रतिवोगिता भी करनी है। ऐसी स्थिति में पहला कदम यह होना चाहिए कि गृहभूत की खेती को, मिचई तथा ङाद, आदि के द्वारा प्रति एकड़-उत्पादन बड़ा कर, लाभ का पेशा बना दिया जाए। कच्चे रेशम के उत्पादन-व्यय को प्रभावित करनेवाली अन्य महत्त्वपूर्ण बातें रोगमुक्त बीजों का वितरण और रेशम लपेटने के लिए अधिक उपयुक्त उपकरण हैं। तीसरी योजना में इन पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। एक उपयुक्त बीज-संगठन विकसित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि रोगमुक्त बीजों की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। रेशम लपेटने के उपकरणों के मन्वन्ध में, तीमरी योजना के कार्यक्रमों में यह अनुभव प्राप्त हुआ कि जहा कही परन्मग-गत चरडे के स्थान पर 'काटेज बेमिन' का प्रयोग किया गया, रेशम की किन्म में सुधार हुआ। तीमरी योजना में 'काटेज बेमिन' के प्रयोग को अपनाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। परम्पगगत चरडे के स्थान पर 'काटेज बेमिन' का प्रयोग इसलिए भी मरल है, कि इसने रेशम लपेटने के विरिन्धित उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहा तक हाट-व्यवस्था

की सुविधाओं का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है, ताकि रेशम के कोषों और कच्चा रेशम, दोनों के लिए सहकारी हाट-व्यवस्था की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। इससे उत्पादकों की लागत कम हो सकेगी और कच्चे रेशम के अनुचित रूप से बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लग सकेगी। विदेशी बाजारों की प्रतियोगिता को ध्यान में रख कर प्राच्य रंग-रङ्ग और डिजाइनों के वस्त्र तैयार करके निर्यात-वृद्धि की सम्भावनाएँ दृढ़नी होगी। तीसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय रेशम-मंडल और राज्य-सरकारों के प्रयत्न इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होंगे। यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि सन् 1960 के 36 लाख पींड की तुलना में सन् 1965-66 में शहलूती और गैर-शहलूती रेशम का उत्पादन बढ़कर 50 लाख पींड हो जाएगा।

42 नारियल-जटा-उद्योग : नारियल-जटा-उद्योग के उत्पादन के 55 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग का निर्यात होता है। अतः तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रम में मुख्य बल निर्यात को और बढ़ाने पर दिया जाएगा। उद्योग का आन्तरिक संगठन, जो प्रक्रियाओं—छिलका इकट्ठा करना, छिलके को नरम करना, जटा-रेशा तैयार करना और आसन, गलीचे, आदि माल तैयार करना—के आधार पर विकसित हुआ है, पर्याप्त समर्थ और दृढ़ नहीं है तथा इससे उद्योग को दृढ़ आधार पर उन्नत करने में कोई सहायता नहीं मिली है। विकास-कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः जटा-रेशा तैयार करनेवाले प्राथमिक उत्पादकों को ठीक तरह से संगठित करने पर निर्भर करता है। सामान्यतः ये ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके साधन बड़े अल्प हैं तथा जो एक और छिलका-ब्यापारी और दूसरी ओर जूट का सामान और रेशा निर्यात करने-वालों के बीच पिसे रहते हैं। ये दोनों ही इस स्थिति में होते हैं कि उत्पादक की लाचारी का लाभ उठा सकें। इन छोटे-उत्पादकों की कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों का निर्माण भी किया गया, परन्तु उनमें से अनेक को घाटा उठाना पडा है। अतः यह आवश्यक है कि स्वस्थ विकास के लिए इन समितियों के कार्यों पर कठोर नियन्त्रण और अवीक्षण रखा जाए। जटा-महकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त तीसरी योजना का एक महत्वपूर्ण कार्य पैर में चलनेवाली कताई की मशीनें उपलब्ध करना होगा, जिससे रेशों की किस्म सुधर सके और रंगाई की समुचित व्यवस्था हो। जटा-रेशा और अन्य उत्पादनों के पञ्जीकृत निर्यात-सह-निर्यातकर्त्ताओं को सहायता देने के लिए एक विशेष निर्यात-वृद्धि-योजना बनाई गई है। इस योजना के अनुसार गाठे बनाने के यन्त्र, सीसल का रेशा और रंग आयात करने की सुविधाएँ दी जाएंगी। कार्यक्रम की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं (1) नई वस्तुओं—यथा, कड़े और चटाइयों के रेंगे, रस्मिया आदि के उत्पादन में नई विधियों को विकसित करना, नारियल के तने के रेंगों और जटा-रई को उपयोग में लाना और जटा-रेशों को अन्य वस्तुओं के रेंगों या खबर-जैनी अन्य वस्तुओं के साथ मिला कर बनाना, और (2) चटाइयों और कड़े रेंगों के निर्माण के लिए विशेष सयंत्रों की स्थापना करना।

(6)

हस्तशिल्प

43 अखिल भारतीय हस्तशिल्प-मंडल पर 40 बिन्दुओं में विचारों का ब्यक्तित्व है। इनमें से 12 जिल्लों—जया, कालीन, धातु के नजावटी नामान, हाथ में टार

हाथी-दात, जरी, लकड़ी का काम, कागज की मुगदी का नामान, नक्कागी का काम, ब्रैन, और उनमें मस्बद्ध शिल्प, गुडिया और पिलौने, बर्तन और धातुपूषण—ये विकान के लिए विभिन्न कार्रवाइया की जा रही हैं। इन शिल्पो के मामले में मडन की नहूयना विशेष शिल्प-समितिया करती हैं, जिनमें शिल्पियो, उन्पादको, विधेनायो, निर्यातवत्तायो और राज्य-सरकारो के प्रतिनिधि होने हैं। विगत वर्षों में जो काम हुआ, उसके पन्धरूप विभिन्न शिल्पो की समस्याएँ मामले आईं और उनमें अच्छी तरह निवटने के लिए तीमरी योजना की अवधि में विशेष कार्रवाइया की जागी। कुछ शिल्पो के क्षेत्र में प्रगति बहुत-कुछ कच्ची मामयियों के आवात और वितरण की व्यवस्था पर निर्भर करती हैं—जैसे धातु के सजावटी बर्तन और हाथी-दात का नामान। फिर, कुछ शिल्पो की प्रगति विद्यालय और डिजाइन में सुधार तथा कुछ आवश्यक तकनीकी नमन्यायो के ममाधान पर निर्भर करती हैं—जैसे, लकड़ी का काम, नक्कागी का काम, बर्तन और कागज की मुगदी का नामान। इसके अतिरिक्त, कुछ शिल्पो में—यथा, जरी और पीनल के बर्तन में—किम्म के नियन्त्रण और निर्धारित विशिष्टतायो तथा मानको के पालन पर प्रगति का दागेमदार होता है। सभी शिल्पो में कारीगरो का अधिक प्रभावशाली मगठन निरन्तर रोजगार मिलते रहने, टेकनोलाजी-विपयक सुधार लाने और अधिक सुविधायो को उपलब्धता के निदय के लिए आवश्यक है। तीमरी योजना के अन्त तक हस्तशिल्प-महकारी समितियों की नस्था नन् 1957-58 के लगभग 1,000 में बढ़कर 1,600 हो गई। हस्तशिल्प-प्रदर्शन-केन्द्र, जिनकी नस्था इन समय 115 है, नामान के लिए आईर देकर, तकनीकी पगमदों और कच्ची मामयिया देकर तथा श्रम की सुविधाएँ उपलब्ध करके सहकारी नमितियों के विकाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भदा कर सकने हैं। तीमरी योजना में इसी टग से कार्य-विस्तार होना चाहिए। हालाकि हस्तशिल्पो के क्षेत्र में विकाम की मुख्य दिशा महकारी नमितियों के मगठन की होगी, फिर भी हस्तशिल्पो ने मन्ध्र नए छोटे उद्योग-सञ्चालको के मगठन बनाने की गुजाइश रहेगी, ताकि चयनयय के उन्नत स्तर, किम्म पर नियन्त्रण तथा कारीगरो के लिए काम की अच्छी दशा का आदवास्तन मिल सके। -

4. देग-नर के कारीगरो को तीमरी योजना-प्रवधि में दिल्ली, बम्बई, बगलौर और कनकता में स्थापित 4 प्रादेशिक डिजाइन-विकाम-केन्द्रों के परिणामो में प्रवयत कराने के उद्देश्य ने उन चुने हुए क्षेत्रों में डिजाइन-विस्तार-केन्द्र का प्रस्ताव है, जहा काफी नस्था में शिल्पी रहते हैं। जो अन्य उपाय काम में लाए जाएंगे, उनमें बाजार-अनुमन्धान, अन्त-राज्यीय हाट-व्यवस्था की उन्नति, मानको और विशिष्टतायो का निर्धारण तथा प्रदर्शन-केन्द्रों की व्यवस्था, विक्री-कला और मजाबट-मन्धन्वी प्रशिक्षण-सुविधायो का विस्तार शामिल हैं। विभिन्न हस्तशिल्पों में प्रवयत होनेवाले उपकरणो और तकनीको का अध्ययन करने और समुचित सुधार नमाने के लिए एक केन्द्रीय हस्तशिल्प-विकार-केन्द्र हाल में ही स्थापित किया गया है। कुछ शिल्पो के लिए नामान्य सुविधा-केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनका तीमरी योजना की अवधि में विस्तार करने की आवश्यकता होगी। सर्वेक्षण कराने और प्रशिक्षण तथा प्रयोग की व्यवस्था के उद्देश्य में कालीन, हाथ में छपाई, बान और बेंत का काम, धातु के यामान, कशीदाकारी और विभिन्न कटाई-शिल्पो के लिए शिल्प-नमन्यायो की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। हस्तशिल्पो के निर्यात-विस्तार की काफी गुजायश है, काम कर-किम्म-नियन्त्रण, जहाज पर लादने में पहले जाच, कच्ची सामयियों

की व्यवस्था, हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकर्त्तव्यों के लिए श्रृण-विपयक तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था, विदेशों में आर्डर की प्राप्ति तथा नए बाजारों के विकास के लिए अधिक प्रचार के द्वारा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अतीत में हस्तशिल्प मुख्यतः विदेशी बाजारों और ऊँची आयवाले लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने थे। अब निर्यात के अतिरिक्त, हस्तशिल्पों के उत्पादन को ऐसा रूप देना है कि देश के अन्दर विभिन्न आय-वर्गों के खरीदारों को जहाँ-जहाँ पूरी हो सकें और ग्रामीण शिल्पों की उन्नति तथा विकास हो।

(7)

छोटे पैमाने के उद्योग

45 दूसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास था। यह बात पृथक्-पृथक् छोटे उद्योगों में प्राप्त आकड़ों में स्पष्ट ही जाती है। उदाहरण के लिए, सन् 1956-60 के बीच वाइमिकलों के उत्पादन में मूल्य छोटे पैमाने की इकाइयों की संख्या 44 में बढ़कर 150 हो गई। इसी प्रकार, सिमार्ड-मशीन, मशीनों और जार, विजली के मोटर और विजली के पत्तों के क्षेत्र में ये संख्याएँ क्रमशः 35 में 75, 344 से 500, 6 में 74 और 22 से 47 रही। छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में वाइमिकलों का उत्पादन सन् 1956 के 25,500 से बढ़कर सन् 1960 में 2,28,000 हो गया और सिमार्ड-मशीनों का 23,600 से बढ़कर 52,000। अर्वांकृत मशीनी और जारों का, जिनका उत्पादन छोटे पैमाने की इकाइयों में हुआ, मूल्य सन् 1956 के 1 करोड़ 80 लाख से बढ़कर सन् 1960 में 4 करोड़ 80 लाख हो गया। रजक सामान और प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए उत्पादन की अनेक नई इकाइयों की स्थापना हुई है। इसमें बहुत कम संदेह की गुंजायश है कि तीसरी योजना में अर्थव्यवस्था के विकास की जो कल्पना की गई है, उसमें विद्यमान और नए छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए काफी बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र के विकास-कार्यक्रमों का इस तरह नवीकरण और मगठन किया जाना चाहिए कि छोटे पैमाने की इकाइयाँ इन अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

46 दूसरी योजना की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को तकनीकी परामर्श और जानकारी तथा श्रृण-विपयक एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए। इन कार्रवाइयों का और भी विस्तार करना होगा, ताकि तीसरी योजना में नियोजित कही बड़े लक्ष्य पूरे हो सकें। उत्पादन में वृद्धि और उन्ने विविधतापूर्ण बनाने के अलावा तीसरी योजना के कार्यक्रमों का लक्ष्य अनेक उद्योगों के क्षेत्र में छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने की इकाइयों के बीच अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करना तथा महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में छोटे उद्योगों का विकास होना चाहिए। छोटे उद्योगों को, जिनकी प्रवृत्ति अभी बड़े नगरों और कस्बों में जमने लगी है, यथामान्य छोटे कस्बों और गाँवों में स्थापित और विकसित किया जाना चाहिए। फिर, जहाँ तक सम्भव होगा, उत्पादन, कच्ची सामग्रियों की बरीद और वितरण, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था, विभिन्न पुर्जों और अर्थों को जोड़ने, उत्पादनों की बिक्री-व्यवस्था तथा भारी परिमाण में आर्डर प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण समिति स्थापित करने के हेतु भी विशेष प्रयत्न किए जाएँगे। महत्त्वपूर्ण निर्मातों के साथ-साथ ही उद्योग की छोटे पैमाने की इकाइयों के स्थापना-कार्य भी बाणों उद्योगों से सम्बन्धित हो सकते हैं। तीसरी योजना के विकास का एक अनिवार्य पहलू दो पाणियों की

व्यवस्था ग्रहणकर तथा ज़रूरी कच्ची सामग्रियों की व्यवस्था करके उपलब्ध क्षमता का अधिकधिक उपयोग करना होगा।

47 दूसरी योजना की अवधि में, केन्द्र और राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास-सम्बन्धी संगठन को सशक्त किया गया है। अब इसमें 16 लघु-उद्योग सेवा-संस्थाएँ हैं, जिनकी 4 शाखा-संस्थाएँ और 53 विस्तार-केन्द्र हैं। इन सबमें अमी अधिकारी-वर्ग के 300 तथा अन्य वर्गों के 1,500 तकनीकी और विशेष प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारी नियुक्त हैं। राज्यों के उद्योग-विभागों में भी अब कर्मचारियों, आदि की काफी अच्छी व्यवस्था है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम-द्वारा सेवित आर्थिक अधिक विकास-खंडों में उद्योगों के लिए विस्तार-अधिकारी नियुक्त हैं। लघु उद्योग सेवा-संस्थाओं ने लगभग 60 लघु उद्योगों और 102 विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। कई जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास-की सम्भावनाओं का विशिष्ट अध्ययन किया गया है। समय-समय पर छोटे पैमाने के पृथक्-पृथक् उद्योगों के सर्वेक्षण से भी योजनावद्ध विकास-में भौतिक सहायता प्राप्त हो सकती है। कुछ उद्योगों के लिए 'सम्भावना-पत्र' तैयार किए जा रहे हैं। कुछ आदर्श योजनाएँ भी तैयार की गई हैं। नए उद्योग आरम्भ करने के लिए- इस तरह का मार्गदर्शन नए उद्योगपतियों, कारीगरों की सहकारी समितियों और शिक्षित युवाजनों को सुलभ किया जाना चाहिए। दूसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण-सुविधाओं के विस्तार के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया, उनमें व्यवसाय-प्रबन्ध एवं इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण के अतिरिक्त जिला-उद्योग-अधिकारियों तथा खड-स्तरीय विस्तार-अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल था। कारीगरों को मशीन-संचालन का प्रशिक्षण काफी हद तक चलती-फिरती कर्मशाला-नाडियों ने दिया। हर क्षेत्र में, राज्य-उद्योग-विभाग तथा अन्य अभिकरणों के सहयोग से, वर्तमान सुविधाओं का तीसरी योजना की-अवधि में और विस्तार किया जाएगा।

48 दूसरी योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक संगठन-निर्माण के अभाव-ऋण-व्यवस्था, मशीनों की आपूर्ति और हाट-व्यवस्था तथा सामान-खरीद के विकास को सुविधाएँ सुलभ करने की दिशा में प्रगति हुई। तीसरी योजना में इन सब दिशाओं में काफी विस्तार की बात नोकी गई है और मुख्य लक्ष्य यह रखा गया है कि सहकारी समितियों, छोटे उद्योग-संचालकों तथा नए-नए प्रवेश करनेवालों को अधिक सुविधाएँ प्राप्त हों। हालाँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-द्वारा शुरू की गई योजना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया-द्वारा बैंक-ऋणों के लिए दो जतिवली गारंटियों के माध्यम से ऋण-सुविधाएँ सुलभ करने के क्षेत्र में सुधारन कर दी गई है, फिर भी ग्राम व्यावसायिक बैंकों-द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण दिए जाने का क्षेत्र काफी संशुभ है। इसी प्रकार, राज्य-वित्त-निगम भी छोटे पैमाने के उद्योगों को काफी सहायता पहुँचा सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम ने किस्त पर खरीद के आधार पर 4.2 करोड़ रु० की मशीनों का विनयन किया है। इसमें से 1 करोड़ रु० की मशीनें सन् 1960-61 में दी गईं। इन योजना का विस्तार करना और अपेक्षाकृत अधिक सहकारी समितियों तथा छोटे उद्योग-संचालकों को किस्त पर खरीद की सुविधाओं के उपयोग के लिए अवसर देना सम्भव होगा चाहिए। राज्य-सरकारों और उनके विभिन्न अभिकरणों-द्वारा किस्त पर खरीद की सुविधाओं के विस्तार में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी। सामान्य-गरीबों की जीवन-शैली के उन्नयन में वृद्धि तथा नई चीजों के उत्पादन के विकास,

दोनों क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों से केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई खरीद की राशि सन् 1953-54 के 74 लाख रु० से बढ़कर सन्-1960-61 में 6,60 करोड़ रु० हो गई। यदि खरीद के सम्बन्ध में काफी पहले से योजना बना ली जाए और साथ ही अच्छी तरह तैयार किए गए विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएं, तो सामान-खरीद के लाभ काफी हद तक बढ़ सकते हैं। सामान-खरीद नीतियों और सम्बद्ध कार्यक्रमों का व्यापक रूप से राज्य और केन्द्र में विकास होना चाहिए।

49 तीसरी योजना में छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में जिन कार्रवाइयों की बात सोची गई है, उनमें से एक उल्लेखनीय कार्रवाई विद्यमान क्षमता के पूर्णतर उपयोग में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से छोटी इकाइयों को कच्ची सामग्रियां देने के लिए भाडारों की स्थापना है। अतिरिक्त प्रोटोटाइप-उत्पादन और प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना करके छोटी मशीनों के निर्माण-सम्बन्धी प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। एक औद्योगिक डिजाइन-संस्था स्थापित करने तथा पुरस्कारों एवं अन्य उपायों से आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव है। कुछ उत्पादनों के लिए उत्कृष्टता के चिह्न देने की योजनाओं को भी—जैसी कि दूसरी योजना की श्रवण में कुछ राज्यों में आरम्भ की गई थी—अधिक विकसित करने का विचार है। कुछ राज्यों में अभी हाल में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना तथा कच्ची सामग्रियों के भाडारों और सामान्य मेवा-सुविधा-केन्द्रों के संचालन के लिए लघु उद्योग-निगमों की स्थापना की है। कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे ही निगम स्थापित करने की बात सोची जा रही है।

50 औद्योगिक वस्तियां: दूसरी योजना में औद्योगिक वस्तियां बनाने का कार्यक्रम बड़ा लोकप्रिय रहा और लगभग 60 वस्तियां बसाई गईं। यद्यपि इनमें से अनेक वस्तियां अपने मुख्य लक्ष्य—कारखाने के लिए उपयुक्त स्थान-प्रदान करने और काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने—में सफल हो गईं, तथापि कुछ में व्यय बहुत हुआ और रोजगार के जो नए अवसर उपलब्ध हुए, वे प्रयोज्य नहीं हैं। फिर, चूक अधिकांश औद्योगिक वस्तियां बड़े-बड़े नगरों के निकट बसाई गईं हैं, इसलिए नए उद्योग-केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य एक सीमित मात्रा में ही पूरा हुआ है।

51 ऊपर वर्णित 60 औद्योगिक वस्तियों के अतिरिक्त अन्य 60 औद्योगिक वस्तियां ऐसी हैं, जिनके लिए दूसरी योजना में स्वीकृति दे दी गई थी या काम शुरू हो गया था। इनके पूरे होने में कुछ समय लेगा। तीसरी योजना में विभिन्न आकार और प्रकार की 300 नई वस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनको यथासम्भव छोटे और मध्यम आकार के कस्बों के निकट स्थापित किया जाएगा। यह भी विचार है कि कुछ औद्योगिक वस्तियां कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां विजली, पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं या ग्रामाणियों से उपलब्ध हो सकती हैं, स्थापित की जाएं। गावों की औद्योगिक वस्तियों में मुन्नन ऐसे कारखाने होंगे, जो कारीगरों के प्रयोग के लिए होंगे। इनमें कुछ मामान्य सेवा-सुविधाएं होंगी तथा नियमित कारखानों की मर्यादा बहुत सीमित होगी। इस दान को ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसी औद्योगिक वस्तियां उन्हीं स्थानों पर स्थापित की जाएं, जहां कारीगरों और शिल्पकारों की संख्या काफी है, और जो सुबरी हुई तकनीकों, अच्छे औजारों और अपेक्षाकृत आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

52 एक दृष्टि यह भी है कि उपयुक्त स्थानों पर, विशेषतः बड़े नगरी और कस्बों के निकट, केवल औद्योगिक वस्ती के स्थान को विकसित कर देना चाहिए और वहाँ कारखानों के शेड बना कर देने के बदले प्लाट ही छोटे उद्योगियों को दे देने चाहिए, जिस पर वे अपने कारखाने स्वयं बनाएँ। छोटे आनुपंगिक उद्योगों के विकास के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि छोटी इकाइयों को विशेष प्रयोजन के लिए स्थान प्रदान करने के लिए कुछ 'कार्य-संचालन वस्तियाँ' बसाई जाएँ, जिनमें बड़े उद्योगों से सम्बद्ध सहायक माल तैयार किया जाए। कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में भी मार्गदर्शक आघार पर कुछ औद्योगिक वस्तियाँ स्थापित करने का विचार है। इसमें छात्र पढ़ते हुए जहाँ कुछ अर्जन कर सकेंगे, वही उन्हें प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा और भविष्य में वे अपने उद्योग स्वयं प्रारम्भ कर सकेंगे। योजना की परियोजनाओं-विषयक समिति द्वारा नियुक्त एक दल ने औद्योगिक वस्तियों के सामान्य ले-आउट और कारखानों के भवनों के निर्माण में मितव्ययिता लाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। तीसरी योजना में नई औद्योगिक वस्तियाँ स्थापित करते समय इन सुझावों का पालन किया जाएगा।

नियोजन

53 तीसरी योजना के कुल पूँजी-विनिर्माण के आचार पर, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की पूँजी भी सम्मिलित है, यह अनुमान लगाया गया है कि ऊपर इस अध्याय में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उससे लगभग 80 लाख व्यक्तियों को अग्रकालिक या अर्द्धरोजगार तथा लगभग 9 लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार मिल सकेगा। खादी-उत्पादन के कार्यक्रमों में अग्रिकाण रूप से अग्रकालिक रोजगार ही मिलेगा। हथकरघा-उद्योग, हथकरघा-क्षेत्र के विजली-चालित करघे, ग्रामोद्योगों, रेवम के कीड़े पालने के उद्योग और नारियल-जटा-उद्योग में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनको और अधिक समय के लिए रोजगार मिल सकेगा। छोटे पैमाने के उद्योगों के कार्यक्रमों में, जिनमें औद्योगिक वस्तियाँ, हस्तशिल्प और कुछ नौमा तक कुछ अन्य उद्योग भी शामिल हैं, मुख्यतः पूरे समय का रोजगार मिलने की आशा है।

निर्यात

54 नारियल के जटा-रेवमों और उमने निर्मित वस्तुओं, हथकरघा के वस्त्रों एवं हस्तशिल्प के सामान का औसत वार्षिक निर्यात लगभग 21 करोड़ रु० के मूल्य का है। कई दिशाओं में छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों ने भी निर्यात में योगदान करना प्रारम्भ कर दिया है। उदाहरणस्वरूप, दूमरी योजना की अवधि में छोटी इकाइयों-द्वारा निर्मित चमड़े के 6,00,000 जोड़े जूतों का निर्यात किया गया। हाल में मूँदी-होजियरी सामान, खेल के सामान, निर्माण-सामग्रियाँ, चमड़े के मान, डिम्बावन्द फल और सज्जिया तथा अन्य उत्पादन निर्यात-वृद्धि के लिए चुने गए हैं। छोटे उद्योगों के उत्पादनों के लिए स्थायी एवं विन्तारशील बाजार मिलना सम्भव होना चाहिए। फिर भी, यह आवश्यक है कि मान में मुधार एवं उमकी क्रिम ने मान-निर्यात, उत्पादन-स्वयं में बर्मी, नए-नए डिजाइन लोजने और उत्पादन के समुचित गणन पर अधिक बल दिया जाए। विदेशी सरीदानों में विश्वास पैदा करने के लिए वस्तु

की कोटि चिह्नित करने की योजना बडी उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा जहा कही सम्भव, हो, इसको लागू करना चाहिए ।

अंक-संकलन

55 यद्यपि अतीत में विभिन्न अभिकरणो और सगठनों-द्वारा अनेक उद्योगो और विशेष क्षेत्रो का सर्वेक्षण किया गया, तथापि सारे देश के लघु उद्योगो के मम्बन्ध मे वुनियादी आकडो-सम्बन्धी विवरण, जो कि कार्यक्रमो के सख्यात्मक प्रभाव का आकलन करने और नई योजनाए बनाने के लिए आवश्यक है, उपलब्ध नहीं है । यह आशा की जाती है कि सन् 1961 की जनगणना से औद्योगिक इकाइयो की पूरी सूची उपलब्ध हो सकेगी । यह प्रस्ताव है कि इसे आधार बना कर प्रति दूसरे वर्ष सर्वेक्षण किया जाए, जिसमें वे सब इकाइया (चाहे विजली से चलनेवाली हो या बिना विजली के) भी आ जाए, जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते है और जिनमें 5 लाख रु० से अधिक की पूजी नहीं लगी है ।

निर्धारित किए थे, उनकी तुलना में कुछ मामलों में हम काफी पीछे रह गए हैं। इस प्रकार, यद्यपि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन नए इस्पात-कारखानों की स्थापना अपने-आप में एक अत्यन्त प्रभावकारी उपलब्धि थी, तथापि सन् 1960-61 में उनका कुल उत्पादन केवल 6 लाख टन था, जबकि लक्ष्य 20 लाख टन का था। इसी प्रकार, टाटा ग्रायरन एंड स्टील वर्क्स (टिस्को) का भी उत्पादन दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ। इन पांच वर्षों में उसका विक्री-योग्य इस्पात का कुल उत्पादन केवल 45 लाख टन हुआ, जबकि तटकर-आयोग ने सन् 1955 में 52 लाख टन उत्पादन की बात कही थी। उर्वरको के क्षेत्र में भी यही स्थिति रही। सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी के उर्वरक-कारखाने और निजी क्षेत्र में वाराणसी की अमोनियम क्लोराइड-परियोजना के विस्तार-कार्य को निर्धारित तिथि के बाद 12 से 18 महीने तक भी पूरे नहीं हो सके और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता के उत्पादन की स्थिति में पहुंचने में गम्भीर प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगल, नडवेली और राउरकेला में सरकारी क्षेत्र में खुलनेवाले तीन नए उर्वरक-कारखानों के मामले में भी एक या दो वर्ष की देर हो गई है। योजना यह थी कि ये तीनों कारखाने सन् 1960-61 में न्यूनाधिक पूरा उत्पादन करने लगेंगे, किन्तु इनमें से नगल-कारखाना जनवरी 1961 में आंशिक उत्पादन प्रारम्भ कर सका और शेष दो कारखाने अभी तक निर्माण की ही अवस्था में हैं। इन कारखानों और भोपाल की भारी विजली-सामान-परियोजना के मामले में विलम्ब का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाई है। किन्तु भारी मशीनों, खान में काम आनेवाली मशीनों तथा डलाई/गढ़ाई-परियोजनाओं के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। ये तीनों परियोजनाएँ, जिन्हें अब तक निर्माण की दृष्टि से काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, प्रारम्भिक दिशा में ही हैं और तीसरी योजना में कोई कीमती योग देने के बजाय उसकी समाप्ति पर ही उत्पादन प्रारम्भ कर सकेंगी। कार्बनिक मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण की परियोजना में, जो रजक पदार्थों, प्लास्टिक और शीश-उद्योगों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, विलम्ब का कारण परियोजना के वास्तविक विस्तार, क्षेत्र-निर्धारण एवं अन्य प्रारम्भिक कार्रवाइयों में विशेष समय लगने के अलावा विदेशी सहयोगियों के साथ वार्ता में कठिनाइयाँ उपस्थित होना भी था। दूसरी योजना के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि हर परियोजना का, विशेष कर भारी इजीनियरी उद्योगों का, परिष्कार-काल साधारणतः आशा से अधिक होता है। इस बात से पहले से ही आयोजन करने का महत्त्व सिद्ध होता है।

4 जिन उद्योगों के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, उनमें मुख्य हैं लोहा एवं इस्पात, उर्वरक, कुछ भारी मशीनें—यथा, कागज और सीमेंट बनाने की मशीनें—भारी डलाई और गढ़ाई, अत्युमीनियम, अलुमिना कागज, कच्ची फिल्म, रासायनिक लुगदी, सोडा ऐश, कार्बिक सोडा, रजक पदार्थ और सीमेंट। दुर्भाग्य से यह कमी कुछ ऐसे उद्योगों में भी रह गई, जो अत्यधिक बुनियादी महत्त्व के हैं और उसने देश की अर्थव्यवस्था को उन लाभों से वंचित कर दिया, जिनके तीसरी योजना के प्रारम्भ में प्राप्त होने की आशा की गई थी। इसके आकड़ें अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं।

अन्य उद्योगों में से अधिकांश के क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य लगभग पूरे हो गए और शक्ति-चालित पम्प, डीजल इंजिन, बिजली के मोटर, ए० सी० एस० आर० केबल, बिजली के पखे, रेडियो-सेट और चीनी, आदि कुछ उद्योग तो लक्ष्य से भी आगे बढ़ गए।

तालिहा-सर्वा 1

सन् 1960-61 के उत्पादन-लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

	इकाई	उत्पादन-लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
तैयार इस्पात	लाख टन	43	22
नवजनयुक्त उर्वरक (नवजन की मात्रा)	हजार टन	290	110
फास्फेटयुक्त उर्वरक पी ₂ ओ ₅ की मात्रा	हजार टन	120	55
वस्त्रोद्योग-मशीनें	फरोड ००	17	9
सीमेंट-मशीनें	फरोड ००	2	0 6
कागज-मशीनें	फरोड ००	1	—
श्रत्युमीनियम	हजार टन	25	18 5
श्रतवारी कागज	हजार टन	60	25
रामायनिक लुग्दी	टन	30,000	—
सोडा ऐश	हजार टन	230	145
कास्टिक सोडा	हजार टन	135	100
रजक पदार्थ	लाख पीड	220	115
सीमेंट	लाख टन	130*	85

5 मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रगति अर्थव्यवस्था को क्या-सम्भव शीघ्र आत्मनिर्भर विकास की दशा तक पहुँचाने के लक्ष्य के अनुसृत्य हुई, क्योंकि लक्ष्य-प्राप्ति में कुछ कमी रह जाने पर भी लौहा और इस्पात, भारी इंजीनियरी तथा अन्य पूँजीगत सामान के उद्योगों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

6 बहुत-सी परियोजनाओं का वास्तविक व्यय उत्तने में अधिक हुआ है, जितना दूसरी योजना तैयार करते समय आका गया था। उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक परियोजना-रिपोर्टों के आधार पर दूसरी योजना में मरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात-कारखानों, उनके नगरो, लोहे की खानो और पत्थर की खानो के लिए 425 करोड ०० का व्यय निर्धारित किया गया था। सन् 1956 के अन्त में प्राप्त प्रथम विस्तृत अनुमानो ने प्रतीत हुआ कि पूर्वी-विनियोग की उनकी संशोधित आवश्यकता 559 करोड ०० होगी और उनमें वस्तुओं की महंगाई के कारण बड़ा हुआ मूल्य शामिल नहीं होगा। अब इस्पात-कारखानो तथा उपर्युक्त मध्यक वस्तुओं पर वास्तविक व्यय का अनुमान 620 करोड ०० है। सन् 1956 के अनुमानो की तुलना में व्यय में वृद्धि का कारण मुख्यतः काम की मात्रा में वृद्धि और वस्तुओं की महंगाई बताया गया है। निजी क्षेत्र में 'टिस्को' की परियोजना के व्यय-अनुमान और वास्तविक व्यय में भी इसी प्रकार का भारी अन्तर आया है। उसके विस्तार-कार्यक्रम पर पूँजीगत व्यय प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में 30 करोड ०० अधिक हुआ है। यद्यपि परियोजना-सम्बन्धी

*मई 1958 में संशोधन करके इस लक्ष्य को 100-100 लाख टन कर दिया गया।

इजीनीयरी कार्य का अनुभव न होने के कारण अतीत में इस प्रकार का अन्तर स्वाभाविक था, तथापि भविष्य में अधिक शूद्ध अनुमान लगाने की आवश्यकता पर बल दिया-जाना चाहिए। अन्य देशों में इस क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शदाता-संगठनों ने बहुत महत्त्वपूर्ण योग दिया है और पिछले कुछ वर्षों में इस देश में भी ऐसे कुछ अभिकरण अस्तित्व में आए हैं और वे उद्योगों के प्रतिष्ठापकों को अधिक पूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से परियोजनाओं के मूल्यांकन और पूँजी-व्यय के अनुमानों में सहायता दे सकेंगे।

7 पिछले दस वर्षों में उद्योगों को अधिक व्यापक क्षेत्र में विस्तार कर स्थापित करने में कुछ सफलता मिली है। तीन नए इस्पात-सयन्त्रों (भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर), भारी मशीनरी-सयन्त्र (रांची) तथा भारी विजली-सामान-परियोजना (भोपाल) के लिए स्थानों का चुनाव और मद्रास-राज्य में नडवेली के भूरे कोयले के भांडार के उपयोग का निश्चय—ये दोनों विभूद्ध आर्थिक दृष्टि में तो उचित थे ही, इन्होंने देश के अब तक अछूते इलाकों में नए औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना में भी योग दिया। वास्तव में, इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया है कि यदि तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से बहुत अनुचित न हो, तो यथा-सम्भव सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्थान अपेक्षाकृत पिछड़े इलाकों में चुने जाए। भविष्य में भी यही मिद्धान्त निर्देशक-रूप में रहेगा। इसी प्रकार निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए लाइसेंस देते समय भी अल्प-विकसित क्षेत्रों के दावों को यथासम्भव ध्यान में रखा गया है।

औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए वित्त-व्यवस्था

8. अब मिला कर सन् 1956-61 की अवधि में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर स्थिर पूँजी-विनियोग 770 करोड़ रु० का हुआ, जबकि मूल अनुमान 560 करोड़ रु० का था। निजी क्षेत्र के लिए पूँजी-विनियोग के ये आकड़े क्रमशः 850 करोड़ रु० और 685 करोड़ रु० हैं। मिन्दरी-स्थित उर्वरक-कारखाने को छोड़कर, जहाँ आन्तरिक प्रसाधनों में नए विनियोग के लिए वित्त-व्यवस्था करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाई, सरकारी क्षेत्र को जय सभी परियोजनाएँ सरकार-द्वारा हिस्सा-पूँजी अथवा ऋणों के रूप में दिए गए धन में ही पूरी हुई। सरकारी इस्पात-कारखानों, मशीन-निर्माण, खनन-उपकरण और भारी डबार्ड/गडार्ड-परियोजनाओं के व्यय का विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी भाग मुख्यतः मित्र देशों-द्वारा दिए गए ऋणों से पूरा हुआ। सरकारी क्षेत्र की परियोजना में यदि अच्छी मात्रा में कहीं विदेशी हिस्सा-पूँजी लगी, तो वह सिर्फ राउरकेला के इस्पात-कारखाने में, जिसका क्रप-डेमाग कम्पनी ने मूलतः प्रस्ताव किया था। सन् 1956 में मशीनों की खरीद के ठेके के सम्बन्ध में वार्ता के समय इस प्रस्ताव का परित्याग कर दिया गया था। निजी क्षेत्र के इस्पात-विस्तार-कार्यक्रमों के लिए 70 करोड़ रु० की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास-बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों में उपलब्ध ऋणों में तथा 20 करोड़ रु० की सहायता भारत-सरकार-द्वारा दिए गए ब्याज-मुक्त ऋणों से प्राप्त हुई। निजी उद्योग के अन्य क्षेत्रों में वडे स्तर पर जो पूँजी-विनियोग हुआ, वह बहुत-कुछ विलम्बित भुगतान-व्यवस्था का आश्रय लेने के कारण सम्भव हुआ।

9 निजी उद्योगों ने योजना के प्रारम्भ में प्रकट की गई आशाओं की तुलना में विभिन्न स्वीकृत स्रोतों से कितना धन लिया, उसका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है।

तालिका-संख्या 2

धन की उपलब्धि के स्रोत और उनसे निजी उद्योगों-द्वारा ली गई धन-राशियां
(करोड़ ₹०)

	दूसरी योजना में आशा	दूसरी योजना के लिए नवीनतम अनुमान
संस्थात्मक अभिकरणों से ऋण ..	40	80
केन्द्रीय और राज्य-सरकारों-द्वारा मौज्जा ऋण	20	20
विदेशी पूंजी (उपलब्ध करानेवालों के ऋण-सहित)	100	200
नई हिस्सा-पूजी ..	80	150
आन्तरिक तथा अन्य स्रोत	380	400
योग ..	620	850

10 'औद्योगिक विकास-कार्यक्रम 1956-61' की भूमिका (पृष्ठ 9) में दिए गए अनुमानों की तुलना में संगठित उद्योगों में किए गए समग्र पूंजी-विनियोग के वितरण का नवीनतम आकलन इस प्रकार है

तालिका-संख्या 3

समग्र पूंजी-विनियोग का विवरण

(करोड़ ₹०)

	दूसरी योजना के प्रारम्भ में अनुमान	नवीनतम आकलन
धातुकर्म-उद्योग (लोहा और इस्पात, अल्युमीनियम तथा लौह-मैंगनीज)	502.5	770
इंजीनियरी उद्योग (भारी और हल्के)	150	175
रासायनिक उद्योग (भारी रसायन, उर्वरक, औषध, कौयला-कार्बनीकरण, रजक पदार्थ, प्लास्टिक और रासायनिक जुगदी)	132	140
सीमेंट, बिजली के पोर्सलेन और ऊष्मनह पदार्थ	93	60
कागज, अखबारी कागज और कर्तनी नोटवाला कागज	10	30
पेट्रोल-शोधन	54	40
चीनी	51	56
कपास, पटसन, ऊनी और रेशमी सूत तथा वस्त्र	36.3	50
रेयन और व्यावसायिक रेशम	24	34
अन्य	41.5	115
भरानों का परिवर्तन और आयुनिकीकरण	150	150
योग	1244.3	1620

11 विद्यालय पूंजी-विनियोग (योजना के अनुमान से लगभग 30 प्रतिशत अधिक) के बावजूद दूसरी योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति मोटे अनुमान के अनुसार कुल 85 में 90 प्रतिशत तक ही हुई है। मीमेट-उद्योग के लिए मूलतः निर्धारित उच्च लक्ष्य और वस्तु उपलब्ध-उत्पादन-क्षमता के बीच का भारी अन्तर भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में समग्र कर्मा का एक बड़ा कारण है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना : उद्देश्य और समग्र दृष्टिकोण

12 यदि राष्ट्रीय आय और नियोजन-सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो सन् 1961-66 की अवधि के लिए औद्योगिक योजना आगामी 15 वर्षों में अधिक तीव्र उद्योगीकरण के लिए नीव रखने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनायी होगी। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वुनियादी पूंजीगत सामान और उत्पादक सामान-उद्योगों की स्थापना—जिसमें मशीन-निर्माण-कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाए—और मन्त्रालय कौशल, तकनीकी जानकारी और डिजाइन-विषयक क्षमता की प्राप्ति के द्वारा आगे बढ़ा जाए, ताकि आगामी योजना-कालों में शक्ति-परिवहन, उद्योग और खनिज उत्पादन के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का विकास स्वचालित हो और बाहरी सहायता पर कम-से-कम निर्भर करना पड़े।

13- किन्तु कुछ और बातें भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार, जहाँ दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूंजीगत सामान-उद्योगों और विद्यार्थित औद्योगिक कच्ची सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, वहाँ तीसरी योजना के औद्योगिक कार्यक्रम में अन्य बहुत-सी निर्मित वस्तुओं की आगामी पांच वर्षों में उत्पन्न होनेवाली सम्भावित मांग की पूर्ति के लिए भी यथासम्भव व्यवस्था करनी होगी। उपलब्ध साधनों का एक बड़ा भाग भावी विकास की नीव रखने में नियोजित करने की आवश्यकता के कारण सब मामलों में इस मांग को पूरा करना कठिन हो सकता है। उद्देश्य यह है कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था की जाए, किन्तु उपभोग पर थोड़ा-बहुत नियन्त्रण अपरिहार्य होगा—खास कर विलास-सम्बन्धी, या-अद्यत-विलास-सम्बन्धी-वस्तुओं के उपभोग पर, जिनका उत्पादन मांग की वृद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात में बढ़ाया-कठिन होगा।

14) उद्योगों का संचालन केवल बाजारों पर ही नहीं, बल्कि कच्ची सामग्रियों, बिजली, ईंधन और परिवहन की मुविधाओं की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है। इसीलिए औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए न केवल इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि कच्ची सामग्रियों और बिजली, आदि की उपलब्धि किस दर से बढ़ाई जा सकती है, बल्कि वास्तव में उनकी सीमा भी इसी से निश्चित होती है। विशेष रूप से बिजली और ईंधन के तीसरी योजना के पूर्वार्द्ध-काल में, बाधक तत्त्व बने रहने की सम्भावना है। फलतः यह सम्भव है कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं को, जिनमें बिजली की अधिक आवश्यकता होती है, उनके आकर्षण के बावजूद छोड़ देना पड़े।

15 औद्योगिक नीति-उद्योगों का विस्तार आगे भी अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव से संचालित रहेगा। दूसरी योजना की भांति इस बार भी नरकारी और निजी क्षेत्रों की भूमिका एक-दूसरे के पूरक और सहायक-रूप में मानी गई है। उदाहरण

के लिए, नवजनयुक्त उर्वरकों के मामले में, जहा सरकारी क्षेत्र पहले ही प्रधान भूमिका ग्रहण कर चुका है, यह सोचा गया है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्र इन्में पहले न अधिक बड़े रूप में भाग ले और सरकारी क्षेत्र के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करे। कच्चे लोहे के मामले में भी नीति को कुछ उदार बना कर निजी क्षेत्र में एक लाख टन की अधिवनम क्षमता के कारखानों की स्थापना की अनुमति देने का निश्चय किया गया है, जबकि अब तक केवल 15,000 टन की क्षमतावाले कारखानों की ही अनुमति दी जाती थी। निजी क्षेत्र में रजक पदार्थों, प्लास्टिक और औषधों के निर्माण के कार्यक्रम मरकारी क्षेत्र में इस्पात-कारखानों में उपोत्पादन के रूप में प्रारम्भिक गन्धीय मिश्रणों के उत्पादन एवं कार्वनिक धन्तरायकों के निर्माण को शीघ्र हाथ में लेने के कार्यक्रम के पुरक होंगे। इसी प्रकार, जहा भारी मात्रा में औषधों के निर्माण का काम मरकारी क्षेत्र में विशाल पैमाने पर सगठित किया जाएगा, वहा इन औषधों के परवर्ती विधायन का काम निजी क्षेत्र में होगा।

16 समाजवादी ढंग के समाज-निर्माण के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देते और अनुमोदित करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक ही जाता है कि औद्योगिक विकास कुछ उद्योगपतियों के हाथों में ही केन्द्रित न हो जाए और उसके परिणामस्वरूप पूर्णतः श्रयवा श्रयत एकाधिकारन कायम हो जाए। इन सम्बन्ध में प्रथम अध्याय के 26-29 पैराग्राफ में विचार किया गया है।

17 औद्योगिक प्राथमिकताएं: औद्योगिक विस्तार की योजनाओं को लगभग एक-जैसे महत्त्व के विभिन्न और प्रतिस्पर्धी दावों के बीच सन्तुलन रखना पड़ता है। किन्तु इन सम्बन्ध में कुछ सामान्य विचारणीय बातें हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। पहली बात यह, कि जहा उत्पादन-क्षमता और वास्तविक उत्पादन में बहुत भारी अंतर है, या जहा बहु-पाली-श्रयवस्था श्रयवा सन्तुलनकारी उपयोगों की श्रयवस्था करके कम लागत पर अधिक उत्पादन करना सम्भव है, वहा कारखानों के विस्तार या नए कारखानों की स्थापना के बजाय विद्यमान स्थापित क्षमता के पूर्णतर उपयोग की ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह, कि नए कारखाने लगाने के बजाय मौजूदा सयत्नों के विस्तार को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से न केवल अधिक तेजी से प्रतिरिजत उत्पादन-क्षमता पैदा होगी, बल्कि प्रति इकाई-उत्पादन पर पूँजी-वित्तियोग भी कम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात-संयन्त्रों का विस्तार तैयार इस्पात के पूँजी-वित्तियोग को 2,000 ₹० प्रति टन से घटा कर 1,500 ₹० प्रति टन कर देगा तथा अधिवारण-मूल्यों के स्तर पर भी उपयोगी प्रभाव डालेगा।

18 जहा तक नए विकास-कार्यों का सम्बन्ध है, अधिक बल उन परिवोजनाओं पर देना होगा, जो निर्गत में योग देकर विदेशी मुद्रा अर्जित करेगी या आयात को रोक कर उनकी बचत करेगी। ऐसे उद्योगों के बहुत अधिक विस्तार के लिए अनुमति देना सम्भव नहीं होगा, जो कच्ची सामग्रियों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इन कारण जिनके विस्तार के लिए इन कच्ची सामग्रियों के देश के भीतर उपलब्ध होने तक अनुसन्धान के हेतु बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूँजी की आवश्यकता होगी, दूसरी ओर, श्रयव्यवस्था की अल्पकालीन और दीर्घकालीन, दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए ऐसे उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, जिनके उत्पादन के लिए निर्यात-आयात प्राप्त होने की नमुचित सम्भावना होगी।

19 इन मामल्य बातों को दृष्टि में रखते हुए अगले कुछ वर्षों में कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर मोटे तौर पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार बल देने की आवश्यकता होगी .

- (1) हमरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई उन परियोजनाओं की पूर्ति, जो कार्यान्वित की जा रही है या जो सन् 1957-58 में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दी गई थी।
- (2) भागी इञ्जीनियरी और मशीन-निर्माण-उद्योगों, हवाई और गवाई, मिश्र-धातु के औजार और विशिष्ट इस्पात, लोहा और इस्पात तथा लौह-मिश्रित वातुओं की उत्पादन-क्षमता का विस्तार और उनमें विविधता लाना तथा उर्वरकों और पेट्रोलियम से सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि।
- (3) अल्युमीनियम, खनिज तेल, घुलनेवाली लुगदी, बुनियादी कार्वनिक और और अकार्वनिक रासायनिक पदार्थों तथा उद्योगों में पुनः काम आनेवाले अन्तरायकों, जिनमें पेट्रोल-रासायनिक उत्पादन भी शामिल है, आदि मुख्य बुनियादी कच्ची सामग्रियों तथा उत्पादक सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि।
- (4) आवश्यक औपघों, कागज, कपड़ा, चीनी, वनस्पति-तेल और गृह-निर्माण-सामग्री, आदि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्यनीय वस्तुओं के देशी उद्योगों की उत्पादन-वृद्धि।

औद्योगिक विकास-कार्यक्रम

20 तीसरी योजना में उद्योगों और खनिज पदार्थों के विकास के लिए निर्धारित कार्यक्रमों पर 2,993 करोड़ रु० का पूंजी-विनियोग करना पड़ेगा, तभी उनके लिए नियत भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी। इसमें से 1,338 करोड़ रु० की आवश्यकता इन कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में पड़ेगी। इसका शीर्षकवार विवरण इस प्रकार है

(करोड़ रु०)

	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सरकारी और निजी क्षेत्र	
	कुल विदेशी मुद्रा		कुल विदेशी मुद्रा		कुल विदेशी मुद्रा	
(क) नया पूंजी-विनियोग						
(1) खनिज विकास	478	200	60	28	538	228
(2) औद्योगिक विकास	1,330	660	1,125	450	2,455	1,110
योग	1,808	860	1,185	478	2,993	1,338
(ख) पुरानी मशीनों के स्थान पर गड़ गशीने	—	—	150	50	150	50

ऊपर की तालिका में नरकारी क्षेत्र में उद्योगों और गनिज़-गदायों के लिए दिव्यादा गया 1,808 करोड़ रु० का स्थिर पूँजी-विनियोग नरकारी क्षेत्र की उद्योगों और गनिज़-गदायों की आवश्यकता के रूप में अत्यन्त उल्लिखित 1,882 करोड़ रु० की राशि में से नहीं होता। इस अन्तर का कारण यह है कि 1,882 करोड़ रु० की उम राशि में से कोई भी सम्मिलित है, (क) बायान-उद्योगों को, जो कि नहीं मानों में निर्माण-उद्योगों में नहीं आते, ही गई नहायता, (ख) हिन्दुस्थान सिपायों के निर्माण के लिए ही गई मशानों की राशि, और (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता-परिपक्व और भागतीय मानक-सन्धान के कार्यक्रम और तेल तथा माप की मौद्रिक प्रणाली के विस्तार पर नये, एवं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के जरिए निजी क्षेत्र को ही गई महायता तथा निजी व्यवसायों को दिए गए मोधे श्रृण या उनमें राज्य की हिस्सेदारी।

21 ऊपर की तालिका में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें उगाने के लिए दिव्यादा गई अनुमानित पूँजी-विनियोग की राशि सूती, पटनन और ऊनी बन्द-उद्योगों की न्यूनतम आवश्यकताओं में ही, जिनके बारे में शान में विशेष अध्ययन किया गया है, कम है। इन तीन उद्योगों में ही पुरानी मशीनों की बदलने के लिए 169 करोड़ रु० की कमी का अनुमान लगाया गया है। तीसरी योजना में पुरानी मशीनों की बदलने के लिए केवल 150 करोड़ रु० के पूँजी-विनियोग का अनुमान न्यूनाधिक दूसरी योजना में इन कार्य के लिए हुए वास्तविक पूँजी-विनियोग के ही आधार पर लगाया गया है। इतना होने पर भी यह अनुमान आधा-आधा पूर्ण है, क्योंकि (क) निजी उद्योगों और मशानक भिन-करणों के उपलब्ध भागों पर नए पूँजी-विनियोग के लिए बहुत दबाव पड़ रहा है, (ख) जिन मशीनों में बहुत बड़े पैमाने पर पुरानी मशीनों की बदलना जरूरी हो गया है वे आवश्यकता के मुताबिक नवीकरण के लिए वित्तीय भावन जटाने की स्थिति में नहीं है, और (ग) इन कार्यक्रमों में वित्तीय नहायता देने के लिए योजना में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के लिए भी थोड़ी राशि की व्यवस्था की गई है।

22 यहाँ यह कह देना जरूरी है कि अनेक परियोजनाओं के ध्येय के अनुमान, जिनके आधार पर कुल मिलाकर नमत्र आकड़े तैयार किए गए हैं, अनी यथोचित रूप में नहीं हैं, क्योंकि ये परियोजनाएँ अपने विस्तार, प्रक्रियाओं, स्थान तथा अन्य सम्बद्ध विवरणों की दृष्टि में निरर्थक के प्रारम्भिक चरण में ही हैं। इनके अतिरिक्त, इनमें से कुछ परियोजनाएँ ऐसे उद्योगों की श्रेणी में आती हैं, जिनके बारे में देश में इतना अनुभव अभी तक उपलब्ध नहीं है कि उनके आधार पर अधिक नहीं आकड़े तैयार किए जा सकें। विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के अनुमान इन कारणों पर बनाए गए हैं कि अद्ययगिया तकदी में की जाएगी और मोटे तौर पर मुगोंने और अन्य सामग्रियों उपलब्ध के सवने सवने जौन ने खरीदी जाएगी। यदि इन पूर्व-वारणाओं में परिवर्तन कर दिया गया, तो ये अनुमान भी बदलने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, यदि विभिन्न देशों-द्वारा दिए गए श्रृणों के उपयोग के लिए, साधन सामग्री का एक बड़ा हिस्सा ऐसे स्रोतों से खरीदना पडा जो नवने मन्ते नहीं हैं, तो ये अनुमान काफी बढ जाएंगे।

23 इन अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में नरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध भावन, मौजूदा गणना के अनुसार, कम प्रतीत होते हैं। नरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज-गदायों के लिए निर्धारित वर्तमान राशियाँ और निजी

क्षेत्र के लिए उपलब्ध होनेवाली सम्भावित और अनुमानित राशिया केवल 2,570 करोड़ रु० हैं—1,470^१ करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र के लिए और 1,100 करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि कुछ पूर्व-युद्धकालीन उद्योगों में पुरानी मशीनों को बदलने और आधुनिकीकरण के शेष कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 150 करोड़ रु० की राशि और भी उपलब्ध हो सकेगी।

24 इन अनुमानों से इस सम्भावना का संकेत मिलता है कि दोनों क्षेत्रों में काफी बड़ा काम चौथी योजना के लिए बचा रह जाएगा और तीसरी योजना के अन्त तक सब भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे। जो भी हो, कुछ-न-कुछ काम चौथी योजना के लिए बच ही रहेगा, क्योंकि कुछ परियोजनाएँ अभी तक प्रारम्भिक स्थिति में हैं, विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी स्थिति अनिश्चित है और भारी उद्योगों में परिपाक-काल अपेक्षाकृत अधिक लम्बा होता है। अभी से यह ठीक-ठीक भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है कि कौन-कौन परियोजनाएँ विलम्बित हो जाएँगी और चौथी योजना के लिए बँच रहेंगी तथा कौन-कौन भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे। फिर भी, इस विषय पर सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यक्रमों के मिलसिले में आगे विचार किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम

25 सामान्य तथ्य : सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज विकास-कार्यक्रम अनुवन्ध 1 और 2 में दिखाए गए हैं। इनमें प्रतिरक्षा-उद्योगों और रेलवे-मन्त्रालय तथा परिवहन और संचार-मन्त्रालयों की परियोजनाएँ शामिल नहीं हैं, जिनका प्रयोजन उनकी अपनी संचालन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विजली और डीजल के रेल-इंजन, टेलीफोन और टेलीप्रिंटर, आदि बनाना है। उन कार्यक्रमों का कुल व्यय लगभग 1,882^१ करोड़ रु० है, जबकि उनके लिए योजना में व्यवस्था केवल 1,520 करोड़ रु० (1,450 करोड़ रु० केन्द्र में और 70 करोड़ रु० राज्यों में) की ही की जा सकी है। इसलिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह सम्भव है कि उन्हें पूर्णतः कार्यान्वित करने में पांच वर्ष से अधिक समय लग जाएँ। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं में से कौन किस चरण में होगी, किन्तु कुछ सामान्य संकेत अवश्य दिए जा सकते हैं। जैसा कि अनुवन्ध 1 को देखने से स्पष्ट होगा, केन्द्रीय सरकार की परियोजनाएँ इन तीन श्रेणियों में बाटी गई हैं -

- (1) वे परियोजनाएँ, जो अभी कार्यान्वित हो रही हैं और दूसरी योजना के अवशेष के रूप में आई हैं,
- (2) नई परियोजनाएँ, जिनके लिए विदेशी ऋणों की पूर्ण अथवा आंशिक प्राप्ति का आश्वासन मिल गया है, तथा
- (3) नई परियोजनाएँ, जिनके लिए अभी विदेशी ऋण की व्यवस्था की जानी है।

^१ इनमें 50 करोड़ रु० की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जो निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित की जाएगी।

^१ इसमें दो परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रु० की वह अतिरिक्त राशि सम्मिलित नहीं है, जिसके गैर-सरकारी सूत्रों से प्राप्त होने की आशा है।

यह मान लेना युक्तियुक्त ही होगा कि प्रथम श्रेणी में आनेवाली परियोजनाएँ तीसरी योजना के दौरान पूरी हो जाएंगी। यही बात दूसरी श्रेणी की अधिकतर परियोजनाओं के बारे में भी कही जा सकती है, कम-से-कम इन परियोजनाओं में काफी बड़ी प्रगति तो की ही जा सकेगी। किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाएँ—उदाहरणार्थ, मूखम-यन्त्र-परियोजना और भारी विजली के मामलान की दो परियोजनाएँ—अभी तक तैयारी के प्रारम्भिक चरण में हैं और उनका विस्तार कितना हो तथा उनमें क्या-क्या सम्मिलित हो, यह निश्चित करना बाकी है। इसलिए यह सम्भव है कि इनमें से कुछ परियोजनाएँ कुछ हद तक चौथी योजना में चली जाएँ। यह स्पष्ट है कि इन मध्य मयमे अधिक अनिश्चयात्मक स्थिति तीसरी श्रेणी की परियोजनाओं के बारे में है। किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाएँ—जैसे, मिश्रित इस्पात-सयन्त्र—बहुत ऊँची प्राथमिकतावली हैं और उन्हें द्रुतगति प्रदान करने के लिए यथासम्भव सब-कुछ करना होगा।

26 प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों की मिश्र इस्पात, ट्रैक्टर, ट्रक, विजली के उपकरण, नाइट्रोसेल्यूलोज और रासायनिक उत्पादनों-सम्बन्धी विस्तार की योजनाओं में नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जो योग मिलने की आशा है, उसका भी तीसरी योजना के औद्योगिक कार्यक्रम में ध्यान रखा गया है। इन सम्बन्ध में जो भी सम्भावनाएँ हैं, उनका नैतिक कारखानों की उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग करके काम उठाया जाएगा, ताकि उत्पादन अधिकतम और विविध प्रकार का किया जा सके तथा उनके परिणामस्वरूप पूँजी-विनियोग में वृद्धि हो।

27. तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित की गई मुख्य औद्योगिक परियोजनाएँ लोहा और इस्पात, औद्योगिक मशीनों, विजली के भारी उपकरणों, मशीनों और कारों, उर्वरकों, दुग्धवादी रसायनों और अन्तराशयकों, आवश्यक औषधों तथा पेट्रोलियम के शोधन के क्षेत्र में हैं। इनकी इसी अवधि में आगे चलकर पृथक्-पृथक् उद्योग के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उद्योगों के सम्बद्ध वर्गों में हुई प्रगति के साथ संश्लेष में समीक्षा की गई है।

28. केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था : यद्यपि तीसरी योजना की भाँति सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन के अधिक भाग का प्रबन्ध सरकार करेगी, तथापि कुछ सरकारी व्यावसायिक संस्थानों-द्वारा भी अपने आन्तरिक स्रोतों में उनमें काफी बड़ा योग दिए जाने की सम्भावना है। इस प्रकार, सरकारी व्यावसायिक संस्थानों के उत्पादन-सम्बन्धी भविष्यवाणियों के आधार पर यह अनुमान है कि औद्योगिक पूँजी-विनियोग के लिए उनके आन्तरिक स्रोतों से लगभग 300 करोड़ रु० प्राप्त हो सकेंगे। इन राशि का एक बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र के इस्पात और उर्वरक-कारखानों से उपलब्ध होगा। यह भी विचार किया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल कंपनी देखरेख में एक या दो ऐसे नए मशीनी और कारखाने स्थापित करे, जिनके वर्ध का वह भाग, जो रुपये की मुद्रा के रूप में वर्ध होगा, मुख्यतः आन्तरिक स्रोतों में जुटाया जाए। -

29. संस्थात्मक अनिक्तियों को सहायता और अन्य विविध आवश्यकताएँ : केन्द्रीय सरकार को उद्योगो-सम्बन्धी योजना में औद्योगिक वित्त-निगम और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम को, दूसरी योजना की अवस्था अधिक ऊँचे स्तर पर कार्य-मंचालन के लिए,

दिए जानेवाले वित्तीय साधनों को भी ध्यान में रखना है। बागान-उद्योगों, राष्ट्रीय उत्पादकता-परियोजना, भारतीय मानक-संस्थान और मीट्रिक प्रणाली के विस्तार के लिए भी वित्त की व्यवस्था की जानी है। इन विविध कामों के लिए वित्तीय आवश्यकताएँ, जिनका अनुमान अत्यन्त मितव्ययिता के आधार पर लगाया गया है, अनुबन्ध 1 में दी गई हैं।

30 राज्य-सरकारों की औद्योगिक परियोजनाएँ : राज्य-सरकारों-द्वारा सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों के रूप में विकास के लिए प्रस्तावित मुख्य परियोजनाएँ अनुबन्ध 2 में प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से अनेक दूसरी योजना से आगे आई हैं—जैसे, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स तथा आन्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, दुर्गापुर कोक-भट्टियों को दुहरा करना और दुर्गापुर से कलकत्ता तक गैस की पाइप डालना। राज्य-सरकारों की मुख्य नई-परियोजनाएँ ये हैं अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड के उत्पादन में वृद्धि के लिए एफ० ए० मी० टी० कारखाने के विस्तार का तीसरा चरण और श्रावणकोर-कोचीन कैमिकल्स का समन्वित विकास, और कार्बोन्स सोडा, फिनोल, बैलिक ऐनहाइड्राइड तथा कुछ अन्य कार्बनिक रसायनों के निर्माण के लिए दुर्गापुर उद्योग-मंडल की कार्बनिक रसायन-परियोजना।

31 राज्य-सरकारों की योजनाओं में उद्योगों के लिए निर्धारित राशियों की सीमा के भीतर ही, न केवल उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए, बल्कि राज्य-वित्त-निगमों और औद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाओं के लिए भी वित्त-व्यवस्था की जानी है। औद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाओं का उद्देश्य उन प्रदेशों में, जो इस समय औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं, उद्योगों के विकास में योग देना है। विचार यह है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों में ऐसे स्थानों पर, जहाँ संचार के साधन अच्छे हैं या आसानी से विकसित किए जा सकते हैं, जमीन के उपयुक्त टुकड़े अधिगृहीत कर उन पर कारखानों के लिए स्थान विकसित किए जाएँ, उनमें विजली, पानी, नालियाँ, आदि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, और फिर उन्हें उद्योग स्थापित करने के इच्छुकों के हाथ बेचा जाए या पट्टे पर दे दिया जाए। राज्यों की योजनाओं में औद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाओं के लिए 5 4 करोड़ रु० का व्यय प्रस्तावित किया गया है। -

निजी क्षेत्र के कार्यक्रम

32 सामान्य तथ्य : अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत 'क' अनुसूची के उद्योगों के अतिरिक्त भी, जो कि राज्य के लिए सुरक्षित हैं, निजी उद्योगों के लिए बहुत व्यापक कार्य-क्षेत्र खुला पड़ा है। निजी उद्योग इन अवसरों का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहे हैं। इसी अभ्युत्थान में पहले निर्माता-उद्योगपतियों की साहसिकता का उल्लेख किया जा चुका है। किन्तु यह बात नहीं भूलाई जानी चाहिए कि निजी क्षेत्र के इस जीवन्त विकास में गत बस वर्षों में किए गए सरकारी रूजि-विनियोग के विनाश कार्यक्रम ने बहुत बड़ा योग दिया है। यह योग आवश्यक ऊपरी साधनों की व्यवस्था के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में और माध को प्रोत्साहन देकर और उसके द्वारा औद्योगिक वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर अप्रत्यक्ष रूप में दिया गया है। अगले पांच वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित सरकारी पूंजी-विनियोग से निजी क्षेत्र के उद्योगों के संचालन के लिए इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों के बने रहने की सम्भावना है, किन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये उद्योग

औद्योगिक विकास के समग्र ढांचे के अंग-रूप में रहें और उपर्युक्त पैराग्राफ 19 में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार ही। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में विदेशी मुद्रा और विजली की जो कमी थोड़ी-बहुत अनुभव की गई है, उसके तीसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में कायम रहने और उसके फलस्वरूप निजी उद्योगों के उन्मुक्त विकास के सीमित होने की सम्भावना है। दूसरी योजना में जहाँ अनेक मूल औद्योगिक लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया था, वहाँ तीसरी योजना में औद्योगिक लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन समस्त परिस्थितियों को—जिनमें विदेशी मुद्रा, आन्तरिक माघन, परिवहन, विजली की उपलब्धि, प्रशिक्षित कर्मचारी और योजना में निर्दिष्ट प्राथमिकताएँ शामिल हैं—ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।

33 तीसरी योजना के लिए क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए योजना-आयोग ने जून 1960 में योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय किया था। आयोग ने विकास-परिपक्ष और अन्य अभिकरणों से विभिन्न उद्योगों के लक्ष्यों पर विचार करने का अनुरोध किया था, उनकी सिफारिशें भी आयोग के सामने थी। तीसरी योजना के काल में निजी क्षेत्र को पूँजी-विनियोग के लिए उपलब्ध कराए जानेवाले सम्भावित वित्तीय साधनों—जैसे ब्यापक प्रश्नों पर देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्य-संगठनों से भी विचार-विनिमय किया गया था।

34 इस अध्याय के अन्त (अनुबन्ध 3) में दिए गए विवरण में तीसरी योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए प्रस्तावित लक्ष्य दिए गए हैं। ये सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित लक्ष्य हैं। इजीनियरी उद्योगों के लिए ये लक्ष्य दो पालिया चला कर कारखानों की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए वित्त-व्यवस्था

35 तीसरी योजना की अवधि में निजी क्षेत्र में सम्पूर्ण स्थिर सम्पत्तियों के लिए वित्त-व्यवस्था करने के निमित्त विनियोगजन्य धन की आपूर्ति के स्रोत और हर स्रोत से उपलब्ध हो सकनेवाले धन के अनुमान इस प्रकार हैं।

तालिका-संख्या 4

निजी क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमों के लिए धन की उपलब्धि के स्रोत

स्रोत	(करोड़ - रु०)
मस्यात्मक अभिकरण	130
केंद्रीय और राज्य-सरकारों-द्वारा नीचे दिए गए ऋण और अन्य सहायता	20
नया पूँजी-निर्गमन	200
आन्तरिक माघन (पुनः अदायगी की देनदारियाँ छोड़ कर)	600
पूँजी के लिए विदेशों से प्राप्त प्रत्यक्ष ऋण-राशि	300
योग	1,250

इन अनुमानों के अनुसार, जितनी राशि की प्राप्ति की सम्भावना है, वह निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों की आवश्यकताओं में, जो अनुमानत 1,350 करोड़ रु० की होगी, कम है। समग्र वित्तीय साधनों की कमी के साथ-साथ एक और कठिनतर समस्या है, समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 530 करोड़ रु० से कम नहीं है। इस आवश्यकता को सम्पूर्णतः पूरा करने के लिए विदेशों से सहायता या ऋण प्राप्त होने के अर्थों को ही लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ते। वर्तमान स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि किन-किन उद्योगों में वास्तविक कार्य लक्ष्य से कम होगा। यह बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जिन उद्योगों में विदेशी सहयोग और पूँजी-विनियोग वाछनीय है, उनमें उम्मेद प्राप्त करने में कितनी सफलता मिलती है। किन्तु उच्च प्राथमिकतावाले उद्योगों में इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि उनके लक्ष्य पूरे हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इरादा यह है कि औद्योगिक कार्यक्रमों की नियमित रूप से समय-समय पर समीक्षा की जाए और प्राप्त सफलता तथा समय-समय पर सामने आनेवाली प्राथमिकताओं के आधार पर छ माम वाद अलग-अलग उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा या ऋण का बंटवारा किया जाए। इस तरीके से सन्तुलित होने की आशा है।

36 प्राथमिकताएँ निर्धारित करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखी जाएगी कि कौन-सा उद्योग आयात में कमी या निर्यात में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा के दबाव को कम करने में कितनी सहायता कर सकता है। इस प्रकार, जो उद्योग विदेशी मुद्रा का सीधा अर्जन या वचत कर सकेंगे, उन्हें उन उद्योगों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो केवल देश के आन्तरिक बाजार के लिए ही निर्मित वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ाने में योग देंगे। आयात में वचत का अनुमान लगाने के लिए अब पहले की अपेक्षा अधिक कड़ी कसौटिया काम में लाई जाएगी

औद्योगिक कार्यक्रम की मुख्य बातें

तीसरी योजना में मुख्य उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों की खास-खास बातों का विवेचन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है

धातुकर्म-उद्योग

37 लोहा और इस्पात : इस उद्योग के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 102 लाख टन इस्पात-सिल्लियों की उत्पादन-क्षमता तथा 15 लाख टन बिन्नी-योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन का रखा गया है। सन् 1965-66 तक कच्चे लोहे और तैयार इस्पात की अनुमानित प्रावश्यकता, जिसके आधार पर इस उद्योग की योजना तैयार की गई है, नीचे प्रस्तुत की गई है। उसके साथ ही तीसरी योजना के प्रारम्भ में उपलब्ध स्थापित क्षमता के आकड़े भी दिए गए हैं। तीसरी योजना के लिए लोहे और इस्पात की मांग का अनुमान इस बुनियादी धारणा के आधार पर लगाया गया है कि मौजूदा बिन्नी-मूल्य ही तीसरी योजना की अवधि में भी बना रहेगा।

38 इस्पात के लक्ष्य में निजी क्षेत्र का हिस्सा 32 लाख टन सिल्लियों का है। टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को वर्तमान उत्पादन-क्षमता 30 लाख टन की है। निजी क्षेत्र में इस्पात-उद्योग की क्षमता का विस्तार विजली

तालिका-संख्या 5

लोहे और इस्पात की मांग का श्रेणीवार विवरण

(हजार टन)

इस्पात-निर्मित तैयार वस्तुएं	1965-66 तक अनुमानित मांग	1961 के प्रारम्भ में विद्यमान क्षमता
भारी पटरिया और फ़िगप्लेटें	400	345
भारी निर्माण-सामग्री और चौड़ी धरनें	550	445
स्लीपर और फ्रांसिंग स्वीपर	200	180
मध्यम और हल्की निर्माण-सामग्री	550	680
गोल और चपटी चीखें, जिनमें नट, बोल्ट और पेंच, आदि भी शामिल हैं	2,200	1,305
टीन की चादरें	300	150
चादरें 3/16 इंच और अधिक की	650	300
तार और तार के रस्से	400	220
हूप और बक्के वाधने की पट्टिया	50	45
नलियों के लिए स्ट्रूप और स्केल्प चादरें	1,200	740
दलाई की सिल्लिया और सलाखें	400	188
पहिए, टायर और ऐक्सल योग	100	30
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	7,300	4,760
	1,500	660-870

की अड़ियों की स्थापना से होने की आशा है, जो री-रोलरो को की जानेवाली बिलेटो की आपूर्ति में वृद्धि करेंगी। ख्याल है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक मुख्य इस्पात-उत्पादको-द्वारा री-रोलिंग कारखानों को दस लाख टन बिलेट मिलने लगेंगे। जहाँ तक बिक्री-योग्य कच्चे लोहे का सम्बन्ध है, निजी क्षेत्र का उत्पादन फिलहाल 3 लाख टन आका गया है, जो नीची शैफ्टवाली धमन-अड़ियों में लोहा-निर्माण-क्षमता का विस्तार करके अथवा बिजली की अड़ियों में खनिज लोहे को पिघला कर, अथवा दोनों ही तरीकों से तैयार किया जाएगा।

39 जहाँ तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, नए इस्पात-कारखानों में, जिनका निर्माण सन 1960-61 तक पूरा हो गया है, शीघ्रतापूर्वक क्षमता-भर उत्पादन कराया जाने लगेगा और यह तीसरी योजना के शुरू के वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। योजना में सम्मिलित किए गए इम उद्योग के विकास के नए कार्यक्रम ये हैं मिलाई, दुर्गापुर और राजकूला के इस्पात-कारखानों और मैमूर आयरज एंड स्टील वर्क्स का विस्तार तथा बोकारो में एक नए इस्पात कारखाने की स्थापना। इसके अतिरिक्त, योजना में एक कच्चे लोहे के कारखाने की परियोजना भी शामिल की गई है, जिसमें नीची शैफ्टवाली

धमन-भट्ठी की तकनीकें काम में लाई जाएंगी और नइवेली का भूरा कोयला प्रयुक्त होगा। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य इस प्रकार रखा गया है

(लाख टन)

योजना	क्षमता का लक्ष्य	
	इस्पात की सिल्लिया	कच्चा लोहा
(क) विस्तार-कार्यक्रम		
मिलाई	25	3
राउरकेला	18	—
दुर्गापुर	16	3
मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स	1	—
(ख) बोकारो इस्पात-परियोजना	10	3 5
(ग) नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना	उत्पादन-क्षमता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है	

40 नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना, जिसकी विधि और प्रयोग में लाई जानेवाली कच्ची सामग्रियों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच करना अभी शेष है, दक्षिण-क्षेत्र में लगभग 5 लाख टन क्षमता के एक इस्पात-कारखाने की स्थापना की दिशा में एक मध्यवर्ती चरण है। तीसरी योजना में इसके लिए की गई वित्त-व्यवस्था मुख्यतः लिग्नाइट (भूरा कोयला) से कोक तैयार करने के लिए उच्च तापमान पर कार्बनीकरण करनेवाले मयन्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है।

41 मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के विस्तार-कार्यक्रम में मुख्यतः लौह-सिलिकन-सयन्त्र पर होनेवाला पिछला अवशिष्ट व्यय तथा एल० डी० विधि में इस्पात-निर्माण और हल्की निर्माण-सामग्री तैयार करने के एक कारखाने के लिए व्यवस्था शामिल है।

42 बोकारो में बननेवाले नए इस्पात-सयन्त्र का नवधा 20 लाख टन इस्पात की सिल्लियों की क्षमता को दृष्टि में रख कर तैयार किया जा रहा है, किन्तु प्रारम्भ में दस लाख टन उत्पादन के लिए ही मयन्त्र लगाने का इरादा है। आशा है कि यह मयन्त्र विशेष रूप से इस्पात की विभिन्न किस्मों की चपटी चीजें तैयार करेगा। इस समय इस बात पर विचार किया जा रहा है कि पहले चरण में इस मयन्त्र में किम-किम किस्म की चीजें तैयार की जाएं और उन्हें परिष्कृत रूप देने के लिए क्या-क्या मयन्त्र लगाए जाएं।

इन विकान-कार्यक्रमों की समाप्ति पर मरकारी क्षेत्र के इस्पात-कारखानों की मध्यम किस्म के इस्पात की उत्पादन-क्षमता 30 लाख टन में बढ़ कर 70 लाख टन हो जाएगी और निजी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता को मिला कर क्षमता 102 लाख टन सिल्लियों की हो जाएगी।

43 तीसरी योजना में मम्मिलिन मरकारी क्षेत्र के इस्पात-विकान-कार्यक्रमों के लिए कुल 525 करोड़ रु० के पूंजी-निर्भरता का आवश्यकता है। इनमें नम्ब्री में बूने

के पन्थर का एव दल्ही रज़ारा तथा वरमुआ में खनिज लोहों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विस्तार-कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पूँजी-विविनियोग भी शामिल है। साथ ही, इसमें बोंकारो इस्पात-उद्यन्त्र के लिए क्रोयले और खनिज लोहों की उत्पादन-वृद्धि के लिए आवश्यक पूँजी-विविनियोग तथा चारो इस्पात-कारखानों से सम्बद्ध नगरों पर होनेवाला खर्च भी शामिल है।

44 तीसरी योजना की अवधि में देश में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन फिलहाल 241 लाख टन आका गया है, जिसमें बोंकारो इस्पात-उद्यन्त्र से सन् 1965-66 में होनेवाला 3 लाख टन का उत्पादन भी शामिल है। विभिन्न वर्षों में उत्पादन का अनुमान इस प्रकार है :

तैयार इस्पात का अनुमानित उत्पादन

वर्ष	लाख टन
1961-62	35
1962-63	40
1963-64	43
1964-65	55
1965-66	68
योग	241

उत्पादन-सम्बन्धी उपयुक्त अनुमानों और विभिन्न प्रकार की तैयार इस्पात की वस्तुओं की उतार-चढ़ाव का सम्भावना के आधार पर यह आशा की जाती है कि अभाव की मात्रा काकी उल्लेखनीय होगी—सास कर योजना-अवधि के प्रारम्भिक वर्षों में और टौन की प्लेटों, चादरों, स्केल और प्लेटों आदि चपटी चीजों के मामले में। इसके परिणामस्वरूप, इन चपटी चीजों के आयात की मात्रा निर्धारित करने और विभिन्न श्रेणियों के उनमौज्जाओं में उन्हें बाटने के लिए प्राथमिकताओं की एक योजना बनानी पड़ेगी। प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि रोलिंग मिलों में चपटी चीजों के उत्पादन के लिए प्राप्त मुविजाओं का अधिक सचन उपयोग करने के लिए यदि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में इस्पात की मिलियाँ का अधिक उन्मुक्त रूप से आदान-प्रदान किया जाए, तो इन उतार-चढ़ाव होनेवाली इस्पात की वस्तुओं की माग और आन्तरिक उत्पादन के अन्तर्गत को कम करना बहुत हद तक सम्भव हो सकेगा। इस सम्भावना पर हर वर्ष उत्पन्न होनेवाली परिस्थिति के प्रकाश में उत्पादन का आयोजन करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए।

45 प्रथम उन्माद-उत्पादनों के उत्पादन में टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी-द्वारा और उन्माद के उन्मादों में उत्पादन वैज्ञानिक इस्पात की चादरें भी शामिल होगी। उन्माद प्रथम, वैज्ञानिक भट्टों विन्डो पर नाम उन्मादों के उत्पादनों और उन्माद-कारखानों-द्वारा उन्मादों के उत्पादन के मामले में प्रियेण का उन्माद और उन्माद-इस्पात भी शामिल होगी। उन्माद उन्मादों के उन्माद विन्डो के उत्पादन-स्तर सन् 1965-66 के उन्माद, उन्माद और उन्माद उन्मादों के लिए 75,000 टन और वैज्ञानिक उन्माद-उत्पादनों के लिए 70,000 टन आरंभ में होंगे, अनुमान होगा।

46 श्रीजारी, मिश्र और स्टेनलेस इस्पात : दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में मिश्र, श्रीजारी और विशेष इस्पातों का एक संयंत्र स्थापित करने की बात सोची गई थी। तदनुसार ही, सन् 1958 में विभिन्न किस्मों के तैयार माल के 25,000 टन वार्षिक उत्पादन के आधार पर एक संयंत्र की स्थापना के लिए कुछ प्रमुख विदेशी उत्पादकों से प्रारम्भिक परियोजना-रिपोर्टें प्राप्त हुईं। इस योजना को कार्यान्वित करने में इसलिए विलम्ब हो गया कि इसकी अधिक विस्तृत परियोजना-रिपोर्टें प्राप्त करने का निश्चय किया गया और जब यह रिपोर्टें तैयार की जाने लगीं, तो इस स्थान में कि तीसरी योजना में मिश्र इस्पात की भाग काफ़ी बढ़ जाने की सम्भावना के कारण अधिक बड़ा और लाभकारी संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, परियोजना का क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया। फलतः जुलाई 1960 में परामर्शदाताओं से रिपोर्टें प्राप्त हुईं और नवम्बर 1960 में यह निश्चय किया गया कि दुर्गापुर में 48,000 टन की वार्षिक उत्पादन-क्षमतावाला मिश्र और श्रीजारी इस्पात का कारखाना खोला जाए और ज़ममें ऐसी व्यवस्था रहे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका उत्पादन द्रुत गति से बढ़ा कर एक लाख टन किया जा सके।

47 इंजीनियरी उद्योगों की इन ऊँची कीमतवाली किन्तु आवश्यक कच्ची सामग्रियों की मौजूदा भारी मांग इन उद्योगों के अनुरक्षण की दृष्टि से एक गम्भीर समस्या है। इसलिए इन उत्पादनों की पञ्चवर्षीय श्रवधि में आवश्यकताओं की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दीर्घकालीन मांग-वृद्धि की सम्भावनाओं की दृष्टि से भी, श्रीजारी, मिश्र और स्टेनलेस इस्पातों के रूप में काम आनेवाले इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में बहुत उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। सन् 1965 और सन् 1970 में इन वस्तुओं की मांग के अनुमान, जिन्हें इस क्षेत्र में आयोजन के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में सामने रखा गया है, नीचे दिए जा रहे हैं। इनके साथ ही दुर्गापुर में स्थापित की जानेवाली सरकारी क्षेत्र की परियोजना में तैयार होने वाली वस्तुओं का विवरण भी दिया जा रहा है।

तालिका-सख्या 6

मिश्र, श्रीजारी और विशेष इस्पात की भारी मांग के अनुमान

(तैयार इस्पात की टन में दी गई मात्रा—इसमें वैद्युतिक इस्पात-चादरें, स्प्रिंग इस्पात और फ़ी-कॉटिंग इस्पात शामिल नहीं हैं)

	1965	1970	दुर्गापुर मिश्र इस्पात- परियोजना की उत्पादन-क्षमता
श्रीजारी इस्पात	42,000	70,000	13,000
निर्माण-कार्योपयोगी चादरें	1,00,000	2,41,000	17,500
स्टेनलेस इस्पात	50,000	68,000	17,000
साचा-सम्बन्धी और अन्य मिश्र इस्पात	8,000	10,000	500
योग	2,00,000	3,89,000	48,000

मे एक महत्वपूर्ण विचारणीय बात होगी। यदि इन कारखानों के लिए आवश्यक विजली के उत्पादन की भी व्यवस्था करनी हो, जो कि लगभग निश्चित प्रतीत होती है, तो इनके विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बहुत बड़ी होगी। अल्पमूनीयम-उत्पादन के विस्तार के नए प्रस्ताव कितने आकर्षक हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किस हद तक हो सकती है।

52 तांबा : भारतीय ताबा-निगम-द्वारा घाटशिला में अपना कारखाना चालू किए जाने के साथ तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में वैद्युतिक ताबे का उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। खेतड़ी और दरीबो की ताबा-खानों से सम्बद्ध प्रद्रावण-केन्द्र और वैद्युतिक शोधनालय सन् 1964 के मध्य तक स्थापित हो जाएंगे। इन ताबा-खानों से वर्ष में 11,500 टन वैद्युतिक ताबा प्राप्त होगा।

53 जस्ता : भारत में जस्ते का उत्पादन पहली बार तीसरी योजना के मध्य-काल में प्रारम्भ होने की आशा है, जब कि राजस्थान की जावर खानों से सम्बद्ध जस्ता-प्रद्रावण-केन्द्र चालू होगा। इस सयन्त्र की वार्षिक उत्पादन-श्रमता 15,000 टन की होगी। इस सयन्त्र के साथ ही प्रद्रावण-केन्द्र की गैसी से उपोत्पादन के रूप में गन्धक-अम्ल तैयार करने का एक संयन्त्र भी लगाया जाएगा और यह गन्धक-अम्ल वाद में फास्फेटियुक्त उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त होगा।

इजीनियरी उद्योग—भारी और हल्के

54 कच्चे लोहे और इस्पात की आपूर्ति में वृद्धि की सम्भावनाओं, मशीनों के निर्माण पर अधिक बल तथा अनेक मामलों में पूंजी-विनियोग की तुलना में रोशगार की अधिक व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाने का प्रस्ताव है। सरकारी क्षेत्र मुख्यतः भारी मशीनों और भारी मशीन-निर्माण की परियोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के अन्तर्गत निजी उद्योगों के लिए भी अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं—जैसे, ट्रैक्टर, डीजल इंजिन, सड़क कूटने के इंजिन, डम्पर और शोवल, आदि-सदृश कृषि-यन्त्र और निर्माण-कार्य में प्रयुक्त होनेवाले उपकरण; ट्रान्स्फार्मर (33 किलोवाट से कम क्षमति के), विजली के केबल और तार तथा घरों में काम आनेवाले मीटर, आदि-जैसे विजनी के वितरण और मापन के साधन, रेल-इंजिन, माल-डिब्बे, मवारी डिब्बे, धातुनायिक गाडिया (बसें और ट्रक), आदि-जैसे रेल और सड़क-परिवहन के साधन, बोनी, कागज, मीमेंट और बस्त्र-उद्योगों, कुछ रासायनिक उद्योगों, भाप पैदा करनेवाले उपकरणों (वायुचरो) और मशीनी औजारों, वैल्विंग इन्क्वैड-जैनी उपभोग-जन्य सामग्रियों तथा कार, मिलाई की मशीन, वाइमिकल और विजनी के पम्प-जैनी टिकाऊ उद्योग-सामग्रियों के लिए नई इकाइयां स्थापित करने के हेतु पूरे मयन्त्र। पन्चु ये लक्ष्य विचार को ममी दिशाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

55 इस क्षेत्र में नई वस्तुओं का उत्पादन, जिनमें विभिन्न प्रकार की मशीनें मुख्यतः अधिक महत्वपूर्ण हैं, दो प्रकार से किया जाएगा। एक तो, विद्योत प्रयोजन के निम्न निम्न नए मयन्त्रों में, जैसे कि मीमेंट-उद्योग के उपकरणों और अधिक दबाववाले वायुचरो के निर्माण के लिए दुर्गापुर में स्थापित १० घी० घी० मयन्त्र (एम्प्लोयमेंट के मीमेंट-वायुचरो-संबन्धी)

विल्कामस), और दूसरे, पहले से ही स्थापित तथा संचालित इंजीनियरी फर्मगालाओं में विविध वस्तुओं का उत्पादन करके। विशेष कार्यों के लिए निर्मित नए कारखानों की अपेक्षा पुराने चालू कारखानों में ही नई चीजों के निर्माण के लिए पूंजी-वित्तियोग की आवश्यकता कम होगी। इसी कारण इस वर्ग के कई उद्योगों में उत्पादन की तुलना में पूंजी-वित्तियोग का अनुमान कम है। कुछ निर्माण-कार्यक्रमों में यह पद्धति भी अपनाई जा रही है कि कुछ पुर्जों और हिस्सों का उत्पादन सहायक कारखानों अथवा ऐसे बड़े कारखानों को दीया दिया जाए, जिनमें उत्पादन-क्षमता बेकार पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन और पूंजी-वित्तियोग का सामान्य अनुपात इनमें लागू नहीं किया जा सकता।

आगे के पैराग्राफों में इंजीनियरी उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों के कार्यक्रमों की सख्त रूपरेखा दी गई है।

ढलाई और गढ़ाई के कारखाने

56 मशीन निर्माण-कार्यक्रमों के लिए ढलाई और गढ़ाई के कारखानों की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी योजना में इस क्षेत्र के लिए कुल मिला कर घूसर लोहे की गढ़ाई का लक्ष्य 12 लाख टन, इस्पात की ढलाई का लक्ष्य 2 लाख टन और इस्पात की गढ़ाई का भी लक्ष्य 2 लाख टन रखा गया है। इन लक्ष्यों की सीमा को भीतर रहते हुए सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में अधिक बल अधिक टन बजटवाली भारी मशीनों के निर्माण पर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में इन चुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

रांची में स्थापित किए जा रहे ढलाई/गढ़ाई-कारखाने में 45,000 टन इस्पात की ढलाई, 38,000 टन घूसर लोहे की ढलाई और 70,000 टन इस्पात की गढ़ाई की जाएगी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात-संयंत्रों, भोपाल की भारी विजली-सामान-परियोजना, दुर्गापुर की खान-मशीन-परियोजना और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के साथ सम्बद्ध ढलाई-कारखानों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। चित्तोजन इस्पात-कारखाने में एक ढलाई-कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। इन योजनाओं के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र में कुल उत्पादन-क्षमता इस प्रकार होने की आशा है :

तालिका-संख्या 7

सरकारी क्षेत्र में ढलाई और गढ़ाई की क्षमता

	घूसर लोहे की ढलाई	इस्पात की ढलाई	इस्पात की गढ़ाई
रांची का ढलाई-गढ़ाई का कारखाना (तीसरा चरण)	38,000	45,000	69,700
दुर्गापुर का खान-मशीन संयंत्र (खान-मशीनों के लिए क्षमता—30,000 टन)	11,000	6,000	7,000
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर	6,000	—	—

तालिका-संख्या 7—(जारी)

	धूसर लोहे की ढलाई	इस्पात की ढलाई	इस्पात की गढ़ाई
इस्पात सयन्त्र :			
दुर्गापुर मिलाई	75,000	15,000	—
राउरकेला			
चित्तारजन का इजिन-कारखाना	3,000	10,000	—
अन्य (रेलवे कर्मशालाओं से सम्बद्ध ढलाई कारखानो-सहित)	6,000	—	—
योग	1,39,000	76,000	76,700

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित अन्य अनेक मशीन-परियोजनाओं के लिए भी ढलाई और गढ़ाई के इस्पात की आवश्यकता होगी। किन्तु इन आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति की व्यवस्था की अर्थात् इनकी पूर्ति अन्य परियोजनाओं से बचे ढलाई/गढ़ाई-कारखानों से की जाएगी या स्वतन्त्र इकाइयों से अथवा दोनों से—ठीक-ठीक तसवीर तभी सामने आएगी, जब परियोजना-रिपोर्टें प्राप्त होंगी।

57 मोटर-उद्योग और वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज तथा इसी प्रकार के पूंजीगत सामान-उद्योगों के लिए मशीन-निर्माण के विस्तार के फलस्वरूप मांग बढ़ने पर निजी उद्योग में भी ढलाई-गढ़ाई की नई उत्पादन-क्षमता काफी मात्रा में बढ़ने की आशा है।

औद्योगिक मशीनें

58 इस दिशा में सरकारी क्षेत्र की मुख्य परियोजनाएँ हैं रांची के निकट भारी मशीन-सयन्त्र, दुर्गापुर की खान-मशीन-परियोजना, भोपाल का बिजली के भारी सामान का सयन्त्र, तथा दो अन्य भारी बिजली-सामान-उत्पादन-परियोजनाएँ, जिनके स्थानों के बारे में अभी एक विशेष समिति विचार कर रही है।

59 रांची के समीप स्थापित किए जा रहे भारी मशीन-सयन्त्र का विस्तार जब 80,000 टन वार्षिक उत्पादन तक कर लिया जाएगा, तब वह दस लाख टन वार्षिक इस्पात-उत्पादन-क्षमता की वृद्धि तक के लिए आवश्यक साधनों का अधिकतर भाग उपलब्ध कर सकेगा। दुर्गापुर में स्थापित की जा रही खान-मशीन-परियोजना का भी कुछ विस्तार किया गया है और वह 45,000 टन वार्षिक उत्पादन तक की दृष्टि से कार्यान्वित की जा रही है। बिजली का भारी सामान तैयार करनेवाली परियोजनाओं के डिजाइन भी इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वे आन्तरिक स्रोतों से इतनी मात्रा में बिजली का भारी सामान उपलब्ध करा सके कि सन् 1971 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट बिजली की वृद्धि की जा सके। वे भारी मोटर, रैंकटीफायर और नियन्त्रण-सम्बन्धी उपकरण भी तैयार करेंगे। चैकोस्लोवाकिया की सहायता से एक और भारी इजीनियरी नामान तैयार करने की परियोजना है, जिसमें तापीय बिजली-सयन्त्रों के लिए ऊँचे दबाववाले

बायलर तैयार किए जाएंगे और उसकी उत्पादन-क्षमता 28,000 टन (2,500 टन भाप प्रति घंटा) वार्षिक होगी। यद्यपि प्रारम्भ में इसकी कल्पना भारी बिजली का सामान तैयार करनेवाली एक बड़ी और मिली-जुली परियोजना के अंग-रूप में की गई थी, तथापि अब यह सोचा जा रहा है कि इस परियोजना को एक स्वतन्त्र संयन्त्र के रूप में विकसित किया जाए, जिसकी विशेषता भारी दबाववाले बायलर तैयार करना हो।

60 निजी क्षेत्र में सीमेंट, कागज, चीनी और कपड़े के कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सम्पूर्ण संयन्त्रों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और उनके भारत में निर्मित होनेवाले अंश का विवरण नीचे दिया जा रहा है -

तालिका-संख्या 8

कुछ प्रमुख औद्योगिक मशीनों के उत्पादन के लक्ष्य

मशीनें	संयन्त्र का मानक भाप (टन दैनिक)	संयन्त्रों की संख्या	बिजली के सामान को छोड़ कर संयन्त्रों का मूल्य (करोड़ ₹०)	देश में निर्मित अंश (प्रतिशत)
सीमेंट-कारखाने की मशीनें	500	6-7	4-5	90
कागज-कारखाने की मशीनें				
(क) बड़े संयन्त्र	50	4	6	5-7
(ख) छोटे संयन्त्र	10	4		
चीनी-कारखानों की मशीनें	1,000-1,200	14	10	85
	(गन्ना)			
सूती कपड़े के कारखाने की मशीनें				
(क) कताई कारखाने	12,000 (तकूप)	}	20	85
(ख) मिले-जुले कारखाने	12,000 तकूप			
	और 300 करघे			
गन्धक-अम्ल-संयन्त्र	50	10	1.3	80

यह अत्यधिक वाछनीय है कि न केवल सन् 1965-66 के लिए मशीन-निर्माण के निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं, बल्कि हूर मशीन के जितने हिस्से और पुर्जों देश में बनाने का लक्ष्य रखा जाए, उसे भी पूरा किया जाए। कारखानों के लिए पूरे संयन्त्रों के निर्माण और आपूर्ति के लिए कई फर्मों के परस्पर मिल कर काम करने की पद्धति, जो चीनी के कारखानों की मशीनें तैयार करने के लिए अपनाई गई है, अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र प्रगति के लिए सुविधाजनक सिद्ध हो सकती है।

मशीनी औजार

61 मशीनी औजारों के मामले में सन् 1965-66 तक 30 करोड़ ₹० मूल्य के सामान के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जब कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानत

7 करोड़ रु० मूल्य के सामान का उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त, सन् 1965-66 तक छोटे पैमाने के उद्योगों से भी 5 करोड़ रु० मूल्य के वार्षिक उत्पादन की आशा की जाती है। इस प्रकार, तीन-गुनी वृद्धि हो जाने पर भी उत्पादन माग की तुलना में, जिसके तीसरी योजना के अन्त तक 50 करोड़ रु० वार्षिक के स्तर तक पहुँच जाने की आशा है, बहुत कम है। इस क्षेत्र में उत्पादन-वृद्धि की कुछ सीमाएँ हैं, क्योंकि एक तो इसके लिए दक्ष श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता है और दूसरे जिन औजारों की माग है, उनकी किस्में बहुत-सारी हैं। फिर भी, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें यदि सम्भव हो तो और अधिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

62 सरकारी क्षेत्र में अब तक किए गए विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी प्रवन्ध से यह पूरी तरह सम्भव है कि हिन्दुस्तान मशीन टूलज, जलहाली, और प्राग टूलज, हैदराबाद के विस्तार और रांची के समीप एक नए भारी मशीनी औजार-कारखाने तथा पंजाब में हिन्दुस्तान मशीन टूलज के बराबर परिमाण और उसी किस्म के एक और मशीनी औजार-कारखाने की स्थापना का काम तुरन्त प्रारम्भ किया जा सके। अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के इन मशीनी औजार-कारखानों का उत्पादन, जिसमें प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अम्बरनाथ-स्थित प्रोटोटाइप कारखाने से प्राप्त होनेवाला सम्भावित योग भी शामिल है, बढ़ कर 15 करोड़ रु० के लगभग हो जाएगा।

63 निजी क्षेत्र के विस्तार-कार्यक्रम मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के सम्पूरक और परिपूरक होंगे तथा मशीनी औजारों की विभिन्न किस्मों की भावी मागों के अनुमानों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

रेल के इंजिन और डिब्बे

64 इस दिशा में सरकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, चित्तूरजन रेल-इंजिन-कारखाने के उत्पादन में विविधता लाकर बिजली के इंजिनों का निर्माण। इन बिजली के इंजिनों को ट्रैक्शन मोटर हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कारखाने में बनाने का इरादा है। डीजल इलेक्ट्रिक और डीजल हाइड्रालिक रेल-इंजिनों की निर्माण-परियोजना, जो रेलों की योजना में शामिल की गई है, रेलवे-सामग्री में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक होगी। 12 करोड़ रु० की डीजल इंजिन-परियोजना के अन्तर्गत वर्ष में 140 इंजिनों का निर्माण होगा, जिनका मूल्य 10 करोड़ रु० होगा। डीजल हाइड्रालिक इंजिनों में भारतीय रेलवे के एक इंजीनियर-द्वारा अभी हाल में आविष्कृत सुधरे हुए डिजाइन 'सूरी ट्रान्समिशन' का भी, जिसे पश्चिम जर्मनी में मूर्त रूप देने के लिए लाइसेंस दिया गया है, इस्तेमाल किया जाएगा। निजी क्षेत्र बिजली की रेलों के सवारी डिब्बों, माल-डिब्बों और छोटी लाइन के भाग के इंजिनों का निर्माण-कार्य जारी रहेगा।

जहाज-निर्माण

65 जहाज-निर्माण के कार्यक्रमों में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विस्तार और विशाखापटनम में एक सूखे घाट का निर्माण शामिल है। इन कार्यक्रमों के पूरा हो जाने पर विशाखापटनम के जहाज-निर्माण-घाट की वार्षिक जहाज-निर्माण-क्षमता 50,000 से 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० टन तक हो जाएगी।

कोचीन में दूसरे जहाज-घाट का निर्माण और डोजल-चालिन मशूरी जहाजों के टर्जिनो के निर्माण की एक योजना मङ्गरी क्षेत्र के कार्यक्रम के अंग है। उनमें से पहले अंग पर 20 करोड़ रु० और दूसरे पर 5 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

66 तटीय और नदी यातायात के लिए टोट्टे जहाजों, टगों और नौकाओं तथा उनके प्रोपेलर यन्त्रों का निर्माण निजी क्षेत्र में ही होता रहेगा। किन्तु इस क्षेत्र का काम मुख्यतः 'जाव' के आधार पर होगा, इसलिए इन रिवाजों चीजों के लिए त्रिगिष्ट उत्पादन-वधय निश्चित नहीं किए गए हैं।

ढांचा-विपयक सामान

67 ढांचा-विपयक सामान के उत्पादन की वर्तमान अनुमानित क्षमता 5,00,000 टन है, जिसमें वैन बनानेवाले कारखानों की क्षमता भी शामिल है। इसके मुकाबले तीमरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख टन रखा गया है। तीनरी योजना के दौरान भारी ढांचे के सामान के उत्पादन पर पहले की अपेक्षा अधिक बल दिया जाएगा। ढांचे के सामान के इन कारखानों के माय-माय भागी प्लेट और वेमल कारखानों की स्थापना-द्वारा प्रेशर वेमल, हीट एक्चेंजर तथा रामायनिक मयन्त्रों एवं उपकरणों की अन्य किस्मों के निर्माण की सुविधाओं की भी योजना है। जेनो का निर्माण इसमें सम्बद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण दिशा है।

68 सरकारी क्षेत्र में नागपुर-वर्षा इलाके में एक ही स्थान पर एक भारी ढांचे का कारखाना और एक वेमल कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। भारी ढांचे के कारखाने की एक पाली की उत्पादन-क्षमता 10,000 टन और वेमल कारखाने की क्षमता 18,000 से 20,000 टन तक प्रति वर्ष होगी। इन दोनों मयन्त्रों पर 10 करोड़ 10 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है।

कारखानों और विजलीघरों के वायलर

69 सरकारी क्षेत्र में चैकोस्लोवाकिया की सहायता में बननेवाले भारी विजली के सामान की परियोजना के अलावा निजी क्षेत्र में विजलीघरों और विभिन्न कारखानों के लिए वायलरों के उत्पादन की व्यवस्था की गई है। सन् 1965-66 में 25 करोड़ रु० मूल्य के वायलरों का उत्पादन होने की आशा

मोटर तथा उससे सम्बद्ध उद्योग

70 इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित विकास-स्तर मोटे तौर पर मोटर-उद्योग-सम्बन्धी तदर्थ-समिति की मार्च 1960 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और मोटर तथा तत्सम्बन्धी उद्योगों के लिए स्थापित विकास-परिपद् की सिफारिशों के अनुसार ही है। इस क्षेत्र की विविध वस्तुओं के लिए निर्धारित उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य विकास-परिपद्-द्वारा सिफारिश किए गए न्यूनतम लक्ष्यों के अनुकूल हैं। इसका अपवाद केवल कारें हैं, जिनके लिए तदर्थ-समिति-द्वारा निर्धारित अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य स्वीकार किया गया है। कारों, ध्वावसायिक गाड़ियों, जीपो, मोटर-साइकिलों और स्कूटरों के लिए निर्धारित अस्थायी लक्ष्य अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं।

	संख्या
कारें	30,000
व्यावसायिक गाडिया	60,000
जीपें और स्टेशन बैगन	10,000
मोटर-साइकलें, स्कूटर और तिपहिया गाडिया	60,000

व्यावसायिक गाडियो के लिए निर्धारित लक्ष्य मे वे 4,000 गाडिया भी शामिल हैं, जिनके सैनिक कारखानो में तैयार होने की आशा है।

71 विदेशी मुद्रा के साधनो पर लगातार अधिक दबाव डाले बिना मोटरो के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सन् 1965-66 तक उनके 85 प्रतिशत भाग देश के भीतर ही बनने लगें, जब कि तीसरी योजना के प्रारम्भ मे 60 प्रतिशत से भी कम भाग देश में बनते हैं। इसलिए यह जरूरी होगा कि नए कारखाने स्थापित करने या मौजूदा कारखानो का विस्तार करने के बजाय देश के भीतर अधिकधिक पुर्ज और हिस्से बनाने के लिए पूजी-विनियोग को प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक गाडियो के उत्पादन को भी प्राथमिकता देनी होगी। मोटर-उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए—ठलाई और गढाई के इस्पात, आदि के उत्पादन पर होने-वाले पूजी-विनियोग को छोड़ कर—इस क्षेत्र के शेष कार्यों की लक्ष्य-पूर्ति के लिए 85 करोड रु० का सीधा पूजी-विनियोग आवश्यक होगा, जिसमें से विदेशी मुद्रा 40 करोड रु० होगी। सीधे पूजी-विनियोग से भी अधिक महत्वपूर्ण अनुरक्षण के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा है, जिसका तीसरी योजना के लिए बुल अनुमान 175 करोड रु० लगाया गया है।

अन्य इजीनियरी उद्योग

72 सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओ को छोड़ कर, अन्य इजीनियरी उद्योगो की क्षमता का, इस अध्याय के अनुबन्ध 3 में निदिष्ट लक्ष्यो के अनुसार, विस्तार निजी क्षेत्र के प्रयत्नो से ही किया जाएगा .

- (क) सूक्ष्म यन्त्र-परियोजना
- (ख) मूक्ष्म यन्त्र-कारखाना, लखनऊ, का विस्तार
- (ग) हिन्दुस्तान केबल्स, रूपनारायणपुर, का विस्तार
- (घ) सरकारी बिजली-कारखाना, बगलोर का विस्तार
- (ङ) भारी कम्प्रेसर और पम्प-परियोजना
- (च) वाल और रोलर वियरिंग-परियोजना
- (छ) शाल्य-क्रिया-उपकरण-परियोजना, गिडी

मानो उन्नति की दृष्टि से सूक्ष्म यन्त्र-परियोजना बुनियादी महत्व रखती है और एक अत्यन्त विशिष्ट क्षेत्र में एक नई प्रगति की द्योतक है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष में अन्तत 20 करोड रु० मूल्य के नियन्त्रण-औजार और उपकरण तैयार करने का प्रस्ताव है। गिडी के समीप शाल्य-क्रिया-उपकरण-यन्त्र का आयोजन 27 करोड रु० लागत से 25 प्रकार के उपकरण तैयार करने के लिए किया गया है। डोजल रेल-इंजिन-परियोजना की मात्ति हिन्दुस्तान केबल्स का विस्तार भी सञ्चार के क्षेत्र में सरकार की भागो की वृद्धि से सम्बद्ध है।

इस या अन्य क्षेत्रों में, जहाँ कहीं भी किसी वस्तु के लिए कोई उच्च निर्यात नहीं किया गया है, वहाँ विकान-कार्यक्रम समय-समय पर तदर्थ नमी-आधो-द्वारा विनियमित किए जाते रहेंगे।

रसायन एवं अन्य सम्बद्ध उद्योग

73 इस शीर्षक के अन्तर्गत तीसरी योजना में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पूर्वी-विनियोग उर्वरकों के क्षेत्र में किया जाएगा। कृषि-कार्यक्रमों में तेजी से बढ़ती हुई भाग के कारण नम्रजनयुक्त उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन बहुत आवश्यक हो गया है और तेल-शोधनालयों तथा कोक-भट्टी-मयनों में उपलब्ध होनेवाली बेरार गैसों एवं अन्य पेट्रोलियम के दहन में निकलनेवाली गैस और नम्रने बट कर पेट्रोलियम नैचरा की प्राप्ति ने उन कार्वनिक रासायनिक उद्योगों को भी बड़ा उन्माग है, जिन्हें अब नए मुख्य-धारे में प्राप्त अलकोहल एवं कार्बाइड में प्राप्त ऐमिटिलीन पर निर्भर करना पड़ता था। कार्वनिक हाइड्रोकार्बनों—यथा, वेनेजीन, टाल्वोन, नैफ्थलीन, ऐन्थ्रीसीन और जाइलीन, आदि—की प्राप्ति में कार्वनिक अन्तराणकों के उत्पादन के लिए अनुसूचन परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। सरकारी क्षेत्र के उत्पात-मयनों में कोयले में कोक के निर्माण में जैसे-जैसे वृद्धि होगी, वैसे-वैसे यह उत्पादन और भी बढ़ता जाएगा। स्थान है कि कुछ तेल-शोधनालयों में मामूली नगीचन और परिवर्द्धन में कुछ हाइड्रोकार्बनों की प्राप्ति सम्भव है।

इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख उद्योगों के कार्यक्रमों का नीचे संक्षेप में विवरण दिया गया है।

अकार्वनिक रसायन

74 उर्वरक : सन् 1965-66 तक नम्रजन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की मांग बड़ कर, नम्रजन और पी 2 और 5 के मन्दन में, क्रमशः 10 लाख टन और 4 लाख टन हो जाएंगे। जहाँ तक फास्फेटयुक्त उर्वरकों का सम्बन्ध है, उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन का कम-से-कम 50 प्रतिशत भाग पानी में घुलने-योग्य होना चाहिए। नम्रजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन-सम्बन्धी आयोजन के लिए उनके स्वरूप और मात्राएँ इन प्रकार निर्धारित की गई हैं।

तालिका-संख्या 9

नम्रजनयुक्त उर्वरकों का स्वरूप

	(हजार टन नम्रजन)
	1965-66
अमोनियम सल्फेट	230
अमोनियम सल्फेट-नाइट्रेट	30
नाइट्रोचाक और नाइट्रोलाइम स्टोन	160
नाइट्रोफास्फेट मिश्र उर्वरक	45
यूरिया	305
अमोनियम फास्फेट	200
अमोनियम क्लोराइड	30
योग	1,000

उपयुक्त विवरण से यह प्रकट होता है कि नम्रजन के अतिरिक्त उत्पादन का एक बड़ा भाग भौतिक श्रौ/या मिश्र उर्वरको के रूप में बनाने का आयोजन किया गया है, ताकि फास्फेट (पी₂ ओ₅) की भी कुछ आवश्यकता पूरी हो सके। उत्पादन का यह स्वरूप इस ढंग से तैयार किया गया है कि गन्धक श्रौर जिप्सम पर निर्भरता एक सीमा के अन्दर रह सके।

75 यह निश्चय किया गया है कि दूसरी योजना की अवशिष्ट उर्वरक-परियोजनाओं की पूर्ति के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार श्रौर कुछ राज्य-सरकारों सरकारी क्षेत्र में नम्रजन-युक्त उर्वरको के उत्पादन के लिए कुछ नए कारखाने स्थापित करें। तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन के समय स्थायी तौर पर यह सोचा गया था कि सरकारी क्षेत्र की नम्रजनयुक्त उर्वरको के उत्पादन की क्षमता बढ़ा कर आठ लाख टन तक कर दी जाए श्रौर दस लाख टन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अवशिष्ट दो लाख टन की उत्पादन-क्षमता निजी क्षेत्र में स्थापित की जाए। किन्तु अब प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र शायद पूर्व-कल्पना से अधिक उत्पादन-क्षमता के कारखाने खड़े कर सकेगा श्रौर सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता आठ लाख टन से कुछ कम रहेगी। साहू कैमिकल्स के वाराणसी-स्थित कारखाने की क्षमता बढ़ा कर 20,000 टन करने के अलावा अब तक उर्वरक-उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र से इन स्थानों के लिए प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जा चुके हैं मद्रास के निकट एन्नोर में (8,250 टन नम्रजन), मध्यप्रदेश में (50,000 टन नम्रजन), आन्ध्रप्रदेश के विशाखापटनम (80,000 टन नम्रजन) श्रौर कोठागुडियम में (80,000 टन नम्रजन), तथा राजस्थान में (80,000 टन नम्रजन)। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र द्वारा पश्चिम-बंगाल-सरकार की साक्षीदारी में दुर्गापुर में भी एक उर्वरक-कारखाना (58,000 टन नम्रजन) स्थापित किए जाने की आशा है।

गुजरात श्रौर मैसूर में भी उर्वरक-कारखानों की स्थापना का विचार है। इस सम्बन्ध में विस्तृत बातों पर अभी विचार किया जा रहा है।

76 तीसरी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में उर्वरक-उत्पादन की क्षमता फिल-हाल 7,30,000 टन आकी गई है, जिसका विवरण नीचे की तालिका में प्रस्तुत है

तालिका-संख्या 10

सरकारी क्षेत्र में नम्रजनयुक्त उर्वरको की उत्पादन-क्षमता

(टन नम्रजन)

वर्तमान क्षमता (सिन्दरी, नगल श्रौर एफ० ए० सी० टी०)	2,17,000
राउरकेला	1,20,000
नडवेली	70,000
ड्राम्भे	90,000
नहरकटिया	32,500
एफ० ए० सी० टी० का विस्तार	40,000
गोरखपुर	80,000
सरकारी क्षेत्र में एक श्रौर उर्वरक-कारखाना	80,000
योग	7,29,500

साधारणतः नए समन्वयों की उत्पादन-क्षमता 70,000 से 80,000 टन नम्रजन तक

रली जाएगी, ताकि उचित मार्गदर्शन किया जा सके और उर्वरक-समन्वय में सम्बद्ध उपकरणों के निर्माण-विषयक आयोजन में सुविधा हो।

77 सादे फास्फेटयुक्त उर्वरकों के मामले में, दो लाख टन पी₂ ओ₅ की उत्पादन-क्षमता का आयोजन पहले ही किया जा चुका है। मुपरफास्फेट के उत्पादन में वृद्धि की कोई योजना नहीं है।

78 नम्रजन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन सन् 1961-66 में न्यूनाधिक इस प्रकार होने की आशा है

तालिका-संख्या 11

नम्रजन और पी₂ ओ₅ के उत्पादन के अनुमान

	(हजार टन)	
	नम्रजन	पी ₂ ओ ₅
1961-62	140	100
1962-63	200	150
1963-64	300	225
1964-65	500	300
1965-66	800	400

पूजी-खाते में उर्वरक-कार्यक्रमों का कुल पूजी-विनियोग 225 करोड़ रु० और उसका विदेशी मुद्रा का भाग 100 करोड़ रु० होने की आशा है।

79 गन्धक-अम्ल : गन्धक-अम्ल का उत्पादन औद्योगिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। उसके उत्पादन के लिए निर्धारित 17.5 लाख टन का लक्ष्य देश में उद्योग के सर्वतोमुखी विकास की एक झलक देता है। सरकारी क्षेत्र में गन्धक-अम्ल के उत्पादन में वृद्धि उर्वरकों के उत्पादन, इस्पात-समन्वय से उपोत्पादनों की प्राप्ति और पिकलिंग-प्रक्रिया, पेट्रोलियम-शोधन और कार्बनिक अन्तरायकों तथा औषधों के निर्माण एवं खनिज पदार्थों से यूरेनियम निकालने के साथ सम्बद्ध है। सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र में अम्ल की कुल मांग 5,50,000 टन हो जाने की आशा है, जब कि दूसरी योजना के अन्तर्गत मरकारी क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता 1,50,000 टन के लगभग थी।

सन् 1960-61 में इस अम्ल के उपभोग का बर्गीकरण और सन् 1965-66 में उसकी आवश्यकता इस प्रकार आकी गई है

	(हजार टन गन्धक-अम्ल)	
	1960-61 में अनुमानित उपभोग	1965-66 में अनुमानित आवश्यकता
उर्वरक	210	1,090
इस्पात-कार बाने	26	30
रेयन और स्टेपल रेशे	59	135
मल्फेट और अन्य अकार्बनिक लवण	24	10
पेट्रोलियम-शोधन	8	20
विविध	33	185
योग	360	1,500

80 यद्यपि अब तक गन्धक-अम्ल का उत्पादन गन्धक पर आधारित रहा है, तथापि तीसरी योजना में स्थापित की जानेवाली क्षमता का एक भाग उपोत्पादन, प्रद्रावण-गैनी (जस्ता और तावा प्रद्रावको) तथा अमजोर (बिहार) की खानों से उत्पन्न पाइराइटो से सम्बद्ध रहेगा। यदि दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात-सयन्त्रों के निकट बड़े पैमाने पर उर्वरक-कारखाने स्थापित कर उनसे सम्बद्ध पाइराइट-गन्धक-अम्ल सयन्त्र स्थापित किए जाए, तो उनमें निकलनेवाले 'हल्के आक्साइडों' का खनिज लोहे के सिटरेिंग में प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकेगा।

81 गन्धक : अनुमान लगाया गया है कि गन्धक का उपभोग सन् 1960-61 की 1,75,000 टन की मात्रा से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 6,00,000 टन के करीब हो जाएगा, जिसमें पाइराइटो और प्रद्रावण-गैसी में विद्यमान गन्धक की मात्रा भी शामिल है। अन्य देशों में गन्धक की उपलब्धि के नए स्रोतों के विकास के फलस्वरूप इन बुनियादी औद्योगिक कच्चे माल के आयात-मूल्य में विशेष वृद्धि होने की अभी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती। फिर भी, यह बहुत आवश्यक है कि देश के भीतर गन्धक का कोई स्रोत विकसित किया जाए। तीसरी योजना में इस समस्या के समाधान का एक बड़ा प्रयत्न किया जाएगा। पाइराइटो से गन्धक की प्राप्ति के लिए एक सरकारी परियोजना तीसरी योजना में शामिल की गई है। (अध्याय 27 के पैराग्राफ 50 के अनुसार)

82 कास्टिक सोडा और सोडा ऐश : इन रासायनिक पदार्थों के लक्ष्य इस दृष्टि से निर्धारित किए गए हैं कि उनसे सन् 1965-66 की पूरी अनुमानित आवश्यकताएँ आन्तरिक स्रोतों से ही पूरी की जा सकें। श्रावणकोर-कोचीन कैमिकल्स के विस्तार-कार्यक्रम और पश्चिम-बंगाल की कार्बनिक रसायन-योजना को छोड़ कर, इन दोनों उद्योगों का विकास पूर्णतः निजी उद्योग पर ही निर्भर है। कास्टिक सोडे के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त उत्पादन इलेक्ट्रोलिटिक और रासायनिक, दोनों विधियों से किए जाने की आशा है। दूसरी और तीसरी योजनाओं के अन्तिम वर्षों में इन दोनों विधियों से कास्टिक सोडे के उत्पादन के अलग-अलग आकड़े इस प्रकार हैं

(टन)

	1960-61	1965-66
रासायनिक कास्टिक	27,000	50,000
इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक	97,435	3,50,000
योग	1,24,435	4,00,000

सोडा ऐश के उत्पादन के विस्तार में भारी सोडा ऐश का उत्पादन भी सम्मिलित किए जाने की आशा है। भारी और हल्के सोडा ऐश की उत्पादन-क्षमता की वृद्धि इन अंकों में प्रकट होती है

(टन)

	1960-61	1965-66
सोडा ऐश (हल्का)	2,20,000	3,70,000
सोडा ऐश (भारी)	—	1,60,000
योग	2,20,000	5,30,000

83 विविध : प्रमुख भारी रासायनिक पदार्थों के अलावा, जिनका कार्यक्रम ऊपर दिया गया है, तीसरी योजना में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड और बेरियम रासायन-जैसे अन्य उत्पादनों के विकास-स्तर भी मांग की वृद्धि के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

कार्बनिक रसायन

84 तीसरी योजना में लगभग पहली बार कार्बनिक रसायनों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास की कल्पना की गई है। कहा जा सकता है कि पिछले दशक में प्लास्टिक, रजक पदार्थों, औषधों, आदि-जैसे सम्बद्ध रासायनिक उद्योगों के विकास के फलस्वरूप अनेक वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। तीसरी योजना में परिक्ल्पित नाइलॉन और टैरिलीन-जैसे नए उद्योगों की स्थापना और अगले पांच वर्षों में मौजूदा उद्योगों के विस्तार को दृष्टि में रख कर इस क्षेत्र में समुचित विकास के स्तर निर्धारित किए गए हैं। तीन मुख्य वस्तुओं के निम्नलिखित लक्ष्य अस्थायी समझे जाने चाहिए, क्योंकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इन वस्तुओं के महत्वपूर्ण ग्राहक उद्योग, जिनकी अभी देण में स्थापना की जानी है, किस गति से विकसित होते हैं।

(टन)

		1965-66 के लिए क्षमता का लक्ष्य
थैलिक ऐनहाइड्राइड		15,000
फिनोल	—	15,000
मिथेनोल	—	40,000

इस प्रसंग में प्लास्टिक मोनोमर, विनाइल क्लोराइड और स्टीरीन, ब्यूटेडीन, कार्बन ब्लैक और रबड़-रसायन, ब्यूटाइल अल्कोहल और उसके एस्टर, साइट्रिक एसिड तथा आकबलिक एसिड का भी, जिनका निजी क्षेत्र में पहली बार उत्पादन करने का प्रस्ताव है, उल्लेख करना उचित होगा।

85 मरकरी क्षेत्र में भी पालवेल (महाराष्ट्र) के निकट बुनियादी रसायन तथा अन्तरायक-मयन्त्र (बी० सी० आई०) के द्वारा बड़े पैमाने पर काम किए जाने की बात सोची गई है। चूंकि बी० सी० आई० परियोजना अन्तरायक रसायन उपलब्ध कराएगी, अतः यह हैदराबाद के निकट सततनगर में स्थापित होनेवाली सहिलष्ट औषध-परियोजना के साथ गहरे रूप में सम्बद्ध है। इन दो परियोजनाओं के परिणामस्वरूप तीसरी योजना की श्रवण में एक नवंबा नए क्षेत्र में बड़ा कीमती तकनीकी ज्ञान प्राप्त होने की आशा है। बी० सी० आई० परियोजना के अन्तर्गत 40 विभिन्न कार्बनिक अन्तरायकों का उत्पादन किया जाएगा, जो सब मिनाकर 25,160 टन होगा। इन उत्पादन में यथा-समय 15,000 टन की और वृद्धि करने की भी व्यवस्था की जा रही है। क्लोरिनीकरण, मल्कोनीकरण, क्षारीय समरण, नाइट्रेशन, रिडक्शन और आक्साइडेशन, आदि निर्माण-प्रक्रियाओं में अनेक बुनियादी अनाबन्ध रासायनिक पदार्थ भी काम में लाए जाने हैं। इन परियोजनाओं के भीतर

ही अन्य उद्देश्यों से स्थापित मयन्त्रों में इनमें से कुछ अकार्बनिक रसायनों के उत्पादन का भी निश्चय किया गया है।

पेट्रोलियम-उद्योग

86. सरकारी क्षेत्र में उच्च घनता-मूचक स्नेहक तेल-उत्पादनो के निर्माण का निश्चय किया गया है और इनके लिए एक परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। सरकार निजी क्षेत्र के माय मिल कर भी इस काम के लिए एक सयन्त्र स्थापित करने का विचार कर रही है। इनके अलावा, घोषित पेट्रोलियम-उत्पादनो के क्षेत्र में सारा कार्य सरकारी क्षेत्र में ही करने का निश्चय किया गया है। इस कार्यक्रम में नूनमती (गीहाटी) और बरीनी में बनाए जा रहे तेल-शोधनालयों को पूरा करना और गुजरात में 20 लाख टन वार्षिक क्षमता-वाने एक तीमरे तेल-शोधनालय की सरकारी क्षेत्र में स्थापना शामिल है। इस तीसरे कारखाने के लिए विदेशी ऋण और तकनीकी सहायता का आश्वासन मिल गया है और अब उसके लिए स्थान का चुनाव किया जा रहा है। नूनमती और बरीनी की भांति इस तेल-शोधनालय के लिए भी यह निश्चय करना होगा कि उसमें उत्पादन का स्वरूप क्या हो और उसमें यथामन्वय यह प्रयत्न किया जाएगा कि उनसे मिट्टी का तेल और डीजल तेल की बनी पूरी की जा सके। इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि यह तेल-शोधनालय सन् 1964 के मध्य तक तैयार हो जाए और वर्तमान सकेतो से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारखाना तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 35 लाख टन अशोधित तेल का शोधन कर सकेगा। सन् 1965 तक इस उद्योग के अन्त्य उत्पादनो की अनुमानित आवश्यकता और विद्यमान तथा निर्माणरत तेल-शोधनालयों के सम्भावित उत्पादन के आकड़े अगले पृष्ठ की तालिका में दिए गए हैं।

87. यदि कोयला-क्षेत्रों से दूर-स्थित इलाकों के उद्योगों को कोयले के बजाय ईंधन-तेल के उपयोग के लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाए तो भट्ठी-तेल की माग और बढ़ सकती है। यह विषय अभी विचाराधीन है।

88. अन्य अनेक देशों की भांति भारत को मोटर-स्फिरिट (गैसोलिन) के उत्पादन और उसकी माग के असन्तुलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि फ्रान्सू मोटर-स्फिरिट को बेचने के लिए निर्यात का अवसर अभी मिल रहा है, किन्तु इस ढग में उसके निपटान के अधिकाधिक कठिन होते जाने की सम्भावना है, क्योंकि पड़ोसी देशों में तेल के शोधन की क्षमता का सर्वतोमुखी विकास हो रहा है। असन्तुलन की समस्या के हल के लिए नीचे लिखे उपायों का आश्रय लेना पड़ेगा

(1) मध्यवर्ती आसुतो (डिस्टिलेट) का उत्पादन बढ़ाने के टेक्नोलॉजी-विषयक उपाय। उत्पादन के स्वरूप में विविधता के लिए इसमें बहुत कम गुंजायश होती है। फ्लैश प्वायट की विशिष्टताओं में परिवर्तन साकर मिट्टी के तेल और ऊंची रफ्तार के डीजल तेल का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(2) समुचित वित्तीय उपाय, जिनसे ऊंची रफ्तार के डीजल तेल की खपत को बढ़ाने से रोका जा सके। कुछ हद तक इस उपाय से सन् 1960-61 में काम लिया गया है।

34449

ताम्रिका-संख्या 12
पेट्रोलियम-उत्पादनों की अनुमानित आयश्यकता
(हजार टन)

वस्तु उत्पादन	1965 तक अनुमानित आयश्यकता		कार्यरत शोधनालय (निजी क्षेत्र)	निर्माणरत शोधनालय (सरकारी क्षेत्र)	कुल उत्पादन*	कमी या बचत
	प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुसार	मांचे 1961 में तेल- परामर्शदात्री समिति- द्वारा अनुमित				
मिट्टी का तेल	2,200	2,660	916	366	1,282	- 1,378
उच्च गतिमाना जीजरा तेल	1,800	2,607	1,064	514	1,578	- 1,029
मोटोर-स्पिन्ड	1,300	1,123	1,023	514	1,537	+ 414
निम्न टर्जिन इंधन (ए० टी० एफ०)	300	408	—	189	189	- 219
विमान-स्पिन्ड	60	53	—	10	10	- 43
भट्टी का तेल	2,200	2,753	1,619	311	1,930	- 823
हल्का जीजरा तेल	700	872	511	208	719	- 153
विद्युत्पन	700	628	394	120	514	- 114
पटमों वैजिय तेल	100	80	47	—	47	- 33
वाष्पन तेल						
गमिज तारपीन	100	130	46	—	46	- 84
विलायक तेल	500	409	21	50	71	- 338
वैराफीन गोंम						
स्नेहक						
योग	9,960	11,723	5,641	2,282	7,923	- 4,214
						+ 414

*भूखरत के तेल-शोधनालय का उत्पादन इसमें शामिल नहीं है।

(मोटोर-स्पिन्ड)

- (3) मिश्र ईंधन का प्रयोग बढ़ाना। इसमें ऊंची रफतार के तेल की मांग कम होगी और गैंगोनिन की निकासी अधिक होगी। मौजूदा डीजल गाड़ियों में मिश्र ईंधन का, जिसमें 10 प्रतिशत तक पेट्रोल हो, आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। उसमें उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा।
- (4) मोटर-स्प्रिट के फालतू उत्पादन में कमी करने या उससे बचने के लिए एक उपाय यह भी हो सकता है कि हल्के आमुत (नैपथा) को, जिससे मोटर-स्प्रिट बनती है, नम्रजनयुक्त उर्वरक और पेट्रोल-रसायन आदि अन्य उत्पादों के निर्माण में लगाया जाए। नैपथा को ड्राम्बे, विद्याग्रापटनम, गोरखपुर और एन्नोर (मद्रास के निकट) में बनाए जानेवाले उर्वरक-कारखानों तथा फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ब्रावणकोर के विस्तार के तीसरे चरण में फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल करने या निर्यात किया जा सका है।

89. इन दिशा में सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में नहरकटिया की प्राकृतिक गैस से एथिलीन, ब्यूटेन, और अन्य एलिफेटजन्य हाइड्रोकार्बनों को पृथक् करने तथा उन्हें पेट्रोल-रसायन-उद्योगों के लिए मूलभूत करने के लिए एक पृथक्करण-परियोजना भी शामिल की गई है। अवशिष्ट गैसों नहरकटिया उर्वरक-परियोजना और पेट्रोल-रसायन-सयन्त्रों के निकट स्थापित होनेवाले विजली-सयन्त्र को उपयोग के लिए दी जाएगी।

श्रीपथ आदि

90 दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में अनिवार्य श्रीपथों के उत्पादन में विविधता लाने की दिशा में काम आरम्भ कर दिया गया है। इसका उदाहरण है, हिन्दुस्तान एटीवायोटेक्स लिमिटेड-द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निर्माण का प्रबन्ध और बम्बई की दो प्रमुख श्रीपथ-निर्माता फर्मों-द्वारा लेमनग्रास तेल से विटामिन 'ए' का सफलपण। इस क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र, दोनों नए-नए विकास-कार्यों की परियोजनाएँ बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अनिवार्य श्रीपथों का उत्पादन देशी कच्चे माल से हो सकेगा और वे जनता को बाजिब मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे।

इस क्षेत्र की सरकारी परियोजनाएँ, जिनका सम्मिलित व्यय 27 3 करोड़ रु० होने की आशा है, निम्नलिखित हैं।

- (1) सन्तनगर (आन्ध्रप्रदेश) की सखिल्ट श्रीपथ-परियोजना, जिसमें सल्फा श्रीपथ, विटामिन, फिनेसिटिन, दूसरे सखिल्ट श्रीपथ (आई० एन० एच० ल्युमिनोले, क्लोरोक्विन, आदि) और अन्तरायको (जिनमें 1,500 टन प्रति वर्ष १० ए० सी० का उत्पादन भी शामिल है) का निर्माण होगा। इनका कुल वार्षिक उत्पादन 6 4 करोड़ रु० मूल्य का होगा।
- (2) ऋषिकेश (उत्तरप्रदेश) के निकट एटीवायोटेक्स-सयन्त्र, जिसमें पेनिसिलीन स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरो तथा अन्य टेन्ट्रासाइक्लिन, आदि नए कीटाणुनाशक श्रीपथ तैयार किए जाएंगे। इनके कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य 26 करोड़ रु० होगा।

- (3) केरल में फाइटो-कैमिकल संयंत्र, जिसमें कैफीन, एफेड्रीन, डिजिटालिस, ग्लाइकोसाइड, लेनेटेजाइड, अरगट ऐलकालायड, ऐट्रोपीन, स्कोपोलेमिन, रेसरपिन, पेपिन और विटामिन 'पी' तैयार किए जाएंगे। इनका वार्षिक उत्पादन 77 लाख रु० का होगा।

फाइटो-रसायनों के निर्माण के सिलसिले में औषध-कामों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कुछ राज्यों की पंचवर्षीय योजना में इन सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था रखी गई है।

प्लास्टिक

91 प्लास्टिक-मामयियों का कुल उत्पादन-लक्ष्य 85,000 टन रखा गया है, किन्तु उसमें सबसे बड़ा भाग पोलिप्रोपिलिफिनो (पोलिथिलीन आदि) के उत्पादन का है। उनका उत्पादन-लक्ष्य 27,000 टन है। वृद्धि की गति की दृष्टि से दूसरा महत्व का स्थान पोलिस्टीरीन और पोलिविनाइल क्लोराइड को दिया गया है, जिनके लिए उचित लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। पोलिथिलीन में नमी के प्रतिरोध की बहुत अधिक शक्ति है, इसलिए इसे उर्वरकों को बोरियों के भीतर स्तर के तौर पर लगाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। कच्चे माल के रूप में अल्कोहल के बजाय पेट्रोल-रसायनों से निर्मित एथीलीन का इस्तेमाल होने की आशा है, क्योंकि वह उससे सस्ता पड़ता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके लक्ष्य पर पुनर्बिचार करना उपयोगी होगा। इससे निर्यात तो बढ़ेगा ही, रबड़ और चमड़ा-जैसे दुर्लभ पदार्थों की जगह भी इनका उपयोग हो सकेगा।

साफ्ट कोक

92 नइवेली के भूरे कोयले से 3,80,000 टन प्रति वर्ष के हिसाब में साफ्ट कोक की उत्पादन दूसरी योजना से आगे आई हुई एक बड़ी योजना है। लकड़ी का कोयला बनाने के लिए तीव्र गति से जंगलों की कटाई की दृष्टि में रूखते हुए साफ्ट कोक के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि प्रथम दृष्टि में ही वाछनीय प्रतीत होती है। सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम में साफ्ट कोक के उत्पादन के लिए नीचे तापमान पर कार्वनीकरण के संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। किन्तु इन क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम-विषयक दृष्टिकोण में परिवर्तन की गुंजायश रखी गई है।

सीमेंट

93 सीमेंट के उत्पादन का नम् 1965-66 के लिए निर्धारित लक्ष्य 150 लाख टन है, जो दूसरी योजना के अन्त तक के लिए प्रत्याशित स्तर में 50 प्रतिशत अधिक है। सीमेंट की मांग का जो रकम इन समय नजर आ रहा है, उनमें मालूम होता है कि नम् 1960-61 की मांग के जिन अनुमानित स्तर को भावी विकास की परियोजनाओं का ध्यान बनाया गया था, वह घायद कम था। इन विषय की अगले वर्ष पुन नमीशा की जाने की आशा है। यदि निर्माण-सम्बन्धी प्रवृत्तियों को सीमित करना आवश्यक या वाछनीय नहीं समझा गया, तो सीमेंट के लक्ष्य में परिवर्द्धन अमम्भव नहीं है।

सीमेंट-उद्योग की पूरी आवश्यकता के अनुरूप चूना-पत्थर की उत्पादन-वृद्धि में कठिनाइयों के कारण इस्पात-कारखानों से प्राप्त धातुमल (स्लैग) के चूर्ण के उपयोग की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी योजना की अवधि में सीमेंट-निर्माण के लिए घमन-भट्टियों से प्राप्त धातुमल के उपयोग की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई।

काच और काच का सामान

94 इस उद्योग में महत्वपूर्ण विकास-कार्य होगा दूरवीन और सूक्ष्मवीक्षण आदि, एव चश्मे के काम में आनेवाले काच का निर्माण। पहली किस्म का काच यन्त्र-उद्योग के लिए बुनियादी महत्व की चीज है और तीसरी योजना में उसका निर्माण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् की केन्द्रीय काच और मृत्तिका-अनुसन्धान-संस्था-द्वारा अर्जित ज्ञान तथा अनुभव के आचार पर प्रारम्भ किया जाएगा। चश्मों के काच का निर्माण दुर्गापुर में सोवियत रूस की मदद से किया जाएगा।

कच्ची फिल्में

95 कच्ची फिल्मों, एक्स-रे फिल्मों और सूक्ष्म ग्रहणशील (सैसिटिव) कागजों के निर्माण के लिए मद्रास-राज्य में उदकमडलम् के समीप फ्रास की मैसर्स बोशे एत सी फर्म के तकनीकी सहयोग से एक सयन्त्र का निर्माण इस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी परियोजना है। इस योजना में 8 करोड़ रु० का पूजी-विनियोग होगा और इसमें प्रति वर्ष 5 करोड़ रु० मूल्य का सामान मिलेगा। इसके विकास के वर्तमान चरण के अन्तर्गत पूरा उत्पादन होने पर इससे 48 लाख वर्ग मीटर फिल्मों और 15 लाख वर्ग मीटर फोटोग्राफी का कागज उपलब्ध होने की आशा है।

उपभोक्ता-सामान-उद्योग

96 सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता-सामान के निर्माण के कार्यक्रम सगठित उद्योगों में प्रत्यक्ष पूजी-विनियोग की दृष्टि से अपेक्षाकृत गौण स्थिति में है। इसका अपवाद केवल अनिवार्य औषध है, जिनका वर्णन ऊपर पैराग्राफ 90 में किया गया है। घड़ी और कैमरा, दो ऐसी टिकाऊ उपभोक्ता-वस्तुएँ हैं, जिनके जापान के तकनीकी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में निर्माण की योजना है। कैमरों का उत्पादन कलकत्ता में राष्ट्रीय यन्त्र-कारखाने में किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र उपभोक्ता सामग्रियों के निर्माण में दिलचस्पी ले रहा है, यह सहकारी उद्यमों की स्थापना और विस्तार के लिए दी जा रही सहायता से स्पष्ट है। भविष्य में भी मुख्यतः चीनी और कपास का सूत तैयार करनेवाली मिलों को यह सहायता दी जाएगी। तीसरी योजना में मुख्य उपभोक्ता-सामान-उद्योगों के कार्यक्रमों और लक्ष्यों की रूपरेखा मक्षेप में नीचे दी जा रही है।

97 सूती वस्त्र-तीसरी योजना के अन्त में सूती वस्त्र की आवश्यकता इन घाण्टा के आधार पर आकी गई है कि 845 करोड़ गज कपड़े की देश के आन्तरिक उपयोग के लिए और 85 करोड़ गज कपड़े की निर्यात के लिए आवश्यकता होगी। आन्तरिक उपयोग की आवश्यकता का यह अनुमान सन् 1960-61 के माग के अनुमानित स्तर में 20 प्रतिशत अधिक है। दूसरे शब्दों में, यह अनुमान यह मान कर लगाया गया है कि प्रति वर्ष देश की

आवादी और प्रति व्यक्ति-उपभोग, दोनों में दो-दो प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस गणना के लिए सन् 1960-61 की आन्तरिक भाग 700 करोड़ गज आकी गई हैं। इस वर्ष आन्तरिक उपयोग के लिए कपड़े की वास्तविक उपलब्धि लगभग 675 करोड़ गज थी। किन्तु इस अपेक्षाकृत कम मात्रा का मुख्य कारण सन् 1959-60 में कपास की फसल अच्छी न होने से कम कपास उपलब्ध होना है। इसलिए यह आकड़ा सन् 1960-61 की वार्षिक भाग का सूचक नहीं माना जा सकता। इस धारणा की पुष्टि ऊंची कीमतों ने भी होती है, जिनके कारण कपड़े की निकासी सीमित रही। निर्यात के लिए निर्यातित आकड़े हान के वर्षों के औसत से बहुत ऊँचे नहीं हैं, क्योंकि कुछ समय से निर्यात स्थिर-सा है और उम्र में वृद्धि का कोई निश्चित रुख नजर नहीं आया।

98 सूती वस्त्र के 930 करोड़ गज के कुल लक्ष्य में से 350 करोड़ गज विकेंद्रित क्षेत्र (हथकरघा, विजलीचालित करघा और खादी) के लिए रख दिया गया है। मिलों के लिए उत्पादन-लक्ष्य 580 करोड़ गज रखा गया है, जब कि उसके वर्तमान उत्पादन और अनुमानित प्रभावी क्षमता का स्तर 500 करोड़ गज है। इस अवशिष्ट 80 करोड़ गज के अतिरिक्त उत्पादन के लिए तीसरी योजना में अनुमानत 25,000 स्वचालित करघे लगाने पड़ेंगे।

99 कपड़े के 930 करोड़ गज के उत्पादन-लक्ष्य को दृष्टि में रख कर और यह मान कर कि होजियरी और निवार आदि अन्य वस्तुओं के लिए भी सूत की जरूरत होगी, सूत के उत्पादन का लक्ष्य 225 करोड़ पौंड रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक होगा कि मिलों के सक्रिय तकुओं की संख्या बढ़ा कर 165 लाख कर दी जाए, जब कि दूसरी योजना के अन्त में उनकी संख्या 127 लाख थी। नए कारखाने स्थापित करके या मौजूदा कारखानों का विस्तार करके कितने नए तकुए लगाने की आवश्यकता होगी, इसका निश्चय तभी किया जा सकेगा, जब यह मालूम हो कि मौजूदा मिलों के आधुनिकीकरण-कार्यक्रम के फलस्वरूप कितने बेकार पड़े तकुओं को पुनः चालू किया जा सकता है। पैराग्राफ 21 में तकुओं को बदलने पर होनेवाले पूंजी-विनियोग के बारे में जो मोटी बातें कही गई हैं, उन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और आधुनिकीकरण-कार्यक्रमों और नई मिलों की स्थापना-द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त प्रभावी तकुओं पर होनेवाले पूंजी-विनियोग का निर्धारण वास्तविक आधार पर करना होगा। किन्तु अतिरिक्त तकुए चाहे आधुनिकीकरण से प्राप्त हों या नए कारखानों की स्थापना में, उनके लिए अनुमानित पूंजी-विनियोग करीब-करीब वही रहेगा। तीसरी योजना में परिकल्पित तकुओं और करघों की अतिरिक्त क्षमता में से एक खासा बड़ा भाग निर्यात के योग्य वस्त्र के लिए रखने का प्रस्ताव है।

100 रेयन और स्टेपल घागा : रेयन और स्टेपल घागे के उद्योग के विस्तार के लिए निर्धारित तीसरी योजना के लक्ष्य में उत्पादन-क्षमता को, जो दूसरी योजना के अन्त में 10 करोड़ पौंड (5 23 करोड़ पौंड रेयन घागा और 4 8 करोड़ पौंड स्टेपल घागा) थी, बढ़ा कर 21 5 करोड़ पौंड (14 करोड़ पौंड रेयन घागा और 7 5 करोड़ पौंड स्टेपल घागा) करने का निश्चय किया गया है। इस विस्तार-कार्यक्रम में और चीजों के साथ-साथ रेयन के बस्तियों का प्रति व्यक्ति-उपभोग, जो सन् 1960-61 में 1 3 गज था, सन् 1965-66 में 1 8 गज करने की व्यवस्था है। रेयन के घागे के मध्य लक्ष्य में 2 करोड़ पौंड टायर का घागा, जो मोटर-टायर-उद्योग में काम आता है, 7 6 करोड़ पौंड विस्कीस घागा, 2 4

करोड पीड एसिटेड धागा, 1 करोड पीड क्यूप्रामोनियम और 1 करोड पीड सिलिस्ट धागा शामिल है।

101. इस उद्योग में विनियोग के लिए अलग-अलग चरण निर्धारित करने को बहुत महत्व दिया गया है, ताकि चालू खाते में विदेशी मुद्रा का दबाव कम किया जा सके। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि रेयन और स्टेपल धागों की उत्पादन-क्षमता में और अधिक वृद्धि के बजाय रेयन श्रेणी की लुगदी के निर्माण की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाए। इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती रहेगी, ताकि इस क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता कच्चे माल के निर्माण की प्रगति के साथ चल सके। इस उद्योग के, खास कर स्टेपल धागे के, भावी आयोजन पर इस बात का भी असर पड़ेगा कि लम्बे रेशे के कपास का उत्पादन किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि स्टेपल धागा उसका स्थान लेनेवाला माना जा सकता है।

102 कागज और अखबारी कागज : कागज और गता-उद्योग का विस्तार-कार्यक्रम मोटे तौर पर इन अनिवार्य वस्तुओं में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के अनुकूल बनाया गया है। सन् 1965-66 तक इनकी मांग 7 लाख टन होने का अनुमान है, अतः उनकी वर्तमान उत्पादन-क्षमता 4,10,000 टन से बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक 8,20,000 टन करने का प्रस्ताव है। तीसरी योजना के दौरान स्थापित की जानेवाली अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का एक बड़ा भाग स्थानीय कच्ची सामग्रियाँ इस्तेमाल करनेवाले छोटे सयन्नों के रूप में होगा।

103 होशंगाबाद में 1,500 टन वार्षिक क्षमतावाली जो सिक्पूरिटी पेपर मिल स्थापित की जाएगी, वह विशेष किस्म का कागज तैयार करेगी, जिसके आयात पर इस समय काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

104 जहाँ तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उसकी मांग में सम्भावित वृद्धि के अनुसार उसका उत्पादन 30,000 टन से बढ़ाकर पाच-गुना, यानी 1,50,000 टन, करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की प्राप्ति नेपा मिट्स की क्षमता को दुगुना कर और गन्ने की खोई तथा हिमालय-क्षेत्र में उपलब्ध नर्म लकड़ी को कच्ची सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करनेवाले नए कारखाने स्थापित करके की जाएगी।

105 इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कागज और अखबारी कागज-उद्योगों को वाम की जगह, जो अब तक उनका मुख्य आधार रहा है, नई कच्ची सामग्रियों पर आश्रित होना पड़ेगा। रेयन के लिए काम आनेवाली लुगदी, आदि नए औद्योगिक उपयोगों में वास के इस्तेमाल के कारण कागज-उद्योग के लिए उनकी कमी और बढ़ जाएगी। यद्यपि वाम की नई वुआर्ड और पुन वुआर्ड के कार्यक्रमों से कुछ हद तक इन समस्या का दीर्घकालीन हल निकल सकता है, तथापि तीसरी योजना में कागज और अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि के लिए गन्ने की खोई पर, जो इन नमय चीनी-मिलों-द्वारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, काफी निर्भर रहना पड़ेगा। कागज-उद्योग में गन्ने की खोई का उपयोग चीनी के कारखानों के लिए कोई दूसरी ईंधन उपलब्ध कराने पर निर्भर है।

106 चीनी-नीनी-उद्योग के क्षेत्र में तीसरी योजना के आरम्भ तक आत्मनिर्भर विकास की स्थिति आ गई है, क्योंकि देश में मिलों की मशीनों तैयार करने में काफी प्रगति

मरुतपूर्व होने पर भी एतन्मात्र समझना नहीं है। उत्पात-सयन्त्रों के उत्पादन के बढ़ते हुए स्तर को सामान्य स्तर से धीरे-धीरे माप ही उनका विस्तार करने में निजी क्षेत्र की दो कम्पनियों के नाम से सम्मन्वय प्राप्त है। ये दोनों इटिल पार्टर्स हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र के सयन्त्रों के उत्पादन को पूर्णता के स्तर पर ले जाने और माप ही उनका विस्तार करने के मार्ग में धारणाओं को दृष्टिकारों पर विजय पाने के लिए उनके अनुभव का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

१०९ मशीन-निर्माण की गतिविधियों, जिनका सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान है, तथा निजी क्षेत्र के मशीन-उत्पादन में डिजाइनों का विकास और परियोजना-इंजीनियरी प्रमुख महत्त्व की चीजें हैं। जहाँ तक परियोजना-इंजीनियरी का सम्बन्ध है, तब १९६०-६१ में मशीन निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम मशीन क्षेत्र की धरती निजी तथा वाणिज्य-उद्योग-मन्त्रालय की परियोजनाओं के लिए उत्तरदायित्व लेने की व्यवस्था कर रहा है और मई १९६०-६१ में टेक्नोलॉजी-विषयक एक परामर्श-संस्थान स्थापित कर दिया गया। इन कार्यालय के कामों में, परियोजनाओं के प्रारम्भिक अध्ययन समाप्त करना, स्थानों की जांच और चुनाव, विस्तृत परियोजना-विवरणों को तैयार करना तथा उनको डिजाइन तैयार करना शामिल होगा। जहाँ तक डिजाइनों के विकास का सम्बन्ध है, हालांकि आरम्भ में मशीन और मापनों का प्रकल्पन निश्चय ही मुख्यतः विदेशों में करने के लिए डिजाइनों पर आधारित होगा, फिर भी उद्देश्य यह रहेगा कि निकट भविष्य में देश में ही तैयार किए गए डिजाइनों के आधार पर औद्योगिक मशीनें बनाई जाएं। सरकारी क्षेत्र में उगादा यह है कि 'इन्डुस्तियल मशीन लिमिटेड' तथा 'मिन्ट्री फॅटिलाइजर्स एंड केमिकल्स' के अनुसंधान कार्य कर रहे केन्द्रभूत मशीनों का विस्तार किया जाए और अन्य मशीनी परियोजनाओं में भी इसी प्रकार के अधिकरणों की समुचित ढंग से स्थापना की जाए। बंगलोर में मशीनी डिजाइनों के लिए, एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। चूँकि इस क्षेत्र में मशीन के ठीक काम करने की गारंटी देने का रिवाज है, इसलिए उनकी परीक्षा (टेस्टिंग) के लिए भी यन्त्र और सुविधाएँ उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। भोपाल में स्विचगियर के टेस्टिंग और डिजाइन-विकास के लिए ऊर्ध्व बाल्टेज की एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। निजी क्षेत्र में भी जहाँ कहीं आवश्यक होगा, इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा।

११० औद्योगिक क्षेत्र को चूँकि निर्यात-अभियान में भी हिस्सा लेना होगा, इसलिए न केवल उत्पादन-वृद्धि की ओर, बल्कि उन सब कारणों और उपादानों की ओर भी ध्यान देना होगा, जो उत्पादकता बढ़ाने और खर्च घटाने में सहायक होते हैं। जहाँ तक ऊर्ध्व उत्पादन-व्यय की समस्या का सम्बन्ध है, यदि स्थापना के लिए प्रस्तावित सयन्त्र मध्यम आकार के हों और उपोत्पादनों और या सहोत्पादनों का, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक कार्बिक सोडा-सयन्त्रों में उत्पन्न होने हैं, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद विकास किया जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। उत्पादन-आमता के उपयोग का उच्च स्तर ऊपरी खर्चों में बचत करने में सहायक होगा। ये ऐसे पहलू हैं, जिनका विकास-परिपक्वों को विशेषज्ञ-स्तर पर निरन्तर अध्ययन करते रहना चाहिए।

१११ इस्पात-सयन्त्रों, पेट्रोल-शोधनालयों, उर्वरक-कारखानों, आदि-जैसे अनेक

भारी उद्योगों को जिनके विज्ञान की योजना है, अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में उच्चोच्च के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार, जल-विनाश-परियोजनाओं को जिनमें पुराने हुए जल-वाहन स्थलों पर औद्योगिक प्रक्रियाओं का भारी जमाव हो जाता है, जैसे तथा कच्ची के अन्त बानों के लिए पानी की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जहाँकि कारखानों की प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती। तीसरी योजना में जल-विज्ञान की कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उचित स्थान के चुनाव की सिफारिश करने के हेतु निम्नलिखित की गई विशेष मनिफेस्टो के अध्ययन में पानी की उपलब्धि एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहा है और स्थान के अन्तिम चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ा है। यह देखा गया है कि अनेक जगहों की अन्य दृष्टियों में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत उपयुक्त हैं आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण छोड़ देने पड़े हैं। पानी की उपलब्धि का दीर्घकालीन आयोग कि बिना, ऐसे जगहों में उद्योग-विज्ञान के अस्तित्व व्यर्थ हो जायेंगे। इसी प्रकार उद्योगों में उत्पन्न उत्प्रेषणों के विमर्जन की भी समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रहे कि अनेक सामाजिक मन्द गंगा तथा अन्य नदियों के उत्तरी भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी जगहों में उनके उत्प्रेषणों के विमर्जन की अनुचित व्यवस्था न करने पर इन कारखानों की मनीषवर्ती नदियों के पानी का दूषित हो जाना जन-मान्य की एक गम्भीर समस्या पैदा कर देगा। औद्योगिक विस्तार में सम्बद्ध उत्पादकों पर विस्तृत विचार करने हुए, इन दोनों समस्याओं पर उनसे बहुत ही महत्व के अग्रहण विचार करना होगा।

अनुबन्ध 1

तीसरी पंचवर्षीय योजना

केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाएँ

योजना का नाम	स्थान	कुल पूंजी- विनियोग (करोड़ ₹०)	विवेकी मुद्रा की राशि (करोड़ ₹०)	1965-66 में क्षमता (विस्तार की स्थिति में अन्तिम क्षमता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ दूसरी योजना की अवशिष्ट परियोजनाएँ, जिन पर काम चल रहा है। (अ)				
1 तीम इस्पात-सयन्तों को पूरा करना	राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर राउरकेला	50	20	30 लाख टन इस्पात की सिल्लिया और विक्री के लिए 7 लाख टन कच्चा लोहा 1,20,000 टन तंत्रजन
2 राउरकेला उर्वरक-कारखाना	राची	80	55	45,000 टन तैयार मशीनें 94,000 टन की डलाई और गढाई
3 भारी मशीन-सयन्त	राची			
4 डलाई/गढाई-कर्मशाला	दुर्गापुर			30,000 टन खनन-मशीनें
5 खनन-मशीन-सयन्त	भोपाल	16	7	12.5 करोड़ ₹० मूल्य के विजली के उपकरण
6 भारी विजली-सयन्त				

अनुबन्ध 1—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 औपवध-परियोजनाए (अ) सांख्यिक औपवध-सयन् (आ) एटीवायोटिक सयन् (इ) फाइटो-कैमिकल्स-सयन् (ई) धान्य-उपकरण-सयन्	सततनगर (आन्ध्रप्रदेश) शुपिकेश (उत्तरप्रदेश) मन्नार (केरल) गिडी (मद्रास)	30	15	6 4 करोड ६० मूल्य के औपवध 2 5 8 करोड ६० मूल्य की फौटाणुनाशक दवाए 7 7 लाख ६० मूल्य के फाइटो-कैमिकल्स 2 8 करोड ६० मूल्य के उपकरण
8 कार्बनिक अन्तराणक सयन्	पनवेल के निकट (महाराष्ट्र)	11	6	2 5, 0 0 0 टन कार्बनिक अन्तराणक
9 हिन्दुस्तान एटीवायोटिकस का विस्तार	पिम्परी (महाराष्ट्र)	0 5	गोण	1 5, 0 0 0 किलोग्राम स्ट्रैटो-माइसीन और 1 5 टन टेटरामाइसीन
10 ड्राम्बे उर्वरक-कारखाना	ड्राम्बे (महाराष्ट्र)	2 5	1 3	9 0, 0 0 0 टन नयजन
11 नहरकटिया उर्वरक-कारखाना	नहरकटिया (असम)	1 2	7	3 2, 5 0 0 टन नयजन
12 नखेली उर्वरक-कारखाना	"	1 5 6 8	1 1 5 6	7 0, 0 0 0 टन नयजन
13 त्रिकोटिंग और कार्बनीकरण-नयन्	नखेली (मद्रास)	1 3 8 1 ⁺	8 6 1 [*]	3 8 लाख टन कार्बनीकृत त्रिकोट
14 नखेली तापीय विजली-सयन्		9 6 7	5 8 6	2 5 0 मेगावाट

15	नूनमती तेल-शोधनालय	नूनमती. (असम)	8. 5	4 9	7. 5 लाख टन कच्चा तेल
16	बरीनी तेल-शोधनालय	बरीनी (बिहार)	23	7 5	20 लाख टन कच्चा तेल
			295. 19	161 4	

आ. नई परियोजनाएं, जिनके लिए आर्थिक या पूर्ण रूप से विवेकी सहायता का आश्वासन मिल चुका है

17	भारी मशीन-सयंत्र का विस्तार	राची	14	11	80,000 टन तैयार मशीनें
18	ढलाई-गढाई का विस्तार	राची	10	5. 5	1,53,000 टन की ढलाई-गढाई
19	खनन-मशीन-सयंत्र का विस्तार	दुर्गापुर	15	10	45,000 टन खनन-मशीनें
20	दूसरी और तीसरी भारी विजली-सामान-परियोजनाएँ	अनिश्चित	69	45	तीसरी परियोजना के कार्य के बारे में अभी अन्तिम निश्चय किया जाना शेष है
21	भारी मशीनी औजार-परियोजना	राची	11	9	3-4 करोड़ रु० मूल्य के मशीनी औजार
22	सूक्ष्म उपकरण-परियोजना	अनिश्चित	8	6	20 करोड़ रु० मूल्य के उपकरण
23.	चरमे के काच की परियोजना	दुर्गापुर	2 6	2	300 टन चरमे का काच
24	कच्ची फिल्म-परियोजना	उदकमडलम	8	5	63 लाख वर्ग मीटर कच्ची फिल्म, फोटो-सम्बन्धी कामज आदि

* विनियोग तथा विवेकी विनिमय के संवोधित अनुमान क्रमशः 20 करोड़ रु० तथा 11.5 करोड़ रु० हैं।

अनुबन्ध 1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	घड़ियों का कारखाना	2	5	3,60,000 घड़िया
26.	भिलाई इस्पात-समूह का विस्तार	138	56	25 लाख टन इस्पात की सिल्लिया और 3 लाख टन कच्चा लोहा विक्री के लिए
27	दुर्गापुर इस्पात-समूह का विस्तार	56	27	16 लाख टन इस्पात की सिल्लिया और 3 लाख टन कच्चा लोहा विक्री के लिए
28	राउरकेला इस्पात-समूह का विस्तार	90	50	18 लाख टन इस्पात की सिल्लिया
29.	द्विदुस्तान मशीनी औजार-कारखाने का विस्तार	3	2	7 करोड़ ₹० मूल्य के मशीनी औजार
30	दुर्गापुर रिफ्रेक्टरी परियोजना	3	1.5	प्रती निरचय नहीं हुआ
31	पंजाब में नया मशीनी औजार-कारखाना	5	3	3 5 करोड़ ₹० मूल्य के 1,000 मशीनी औजार
32	गुजरात तेल-बोधनालय	30	15	20 लाख टन कच्चा तेल
33.	प्राय औजार-कारखाने का विस्तार	1	0 5	1 करोड़ ₹० मूल्य के मशीनी औजार

(भाग्यप्रदेव)

एक पाली के आधार पर
 10,000 टन भारी ढांचे
 एक पाली के आधार पर
 18,000-20,000 टन की
 रासायनिक-सयन्त्र-मशीनें
 80,000 टन नवजन
 1,500 टन सिक्युरिटी
 कागज
 दोहरी पाली के आधार पर
 2,000 मील लम्बे सूखे कोर
 के केबल और नगर में लगाए
 जानेवाले प्लास्टिक की परत
 वाले 500 मील लम्बे केबल

†	4		
6	"		
18	8		
5	5		
3	5	1	2
499		1	267
200			100
50			20
19			8

अनिश्चित
 अनिश्चित
 गोरखपुर
 होशंगाबाद (मध्यप्रदेश)
 रूपनारायणपुर (प० बंगाल)

इ. अन्य परियोजनाएँ (आ)

बोकारी

डुमपुर
 भोपाल

- 34 भारी ढांचा-कारखाना
- 35 भारी प्लेट और बेंसल कारखाना
- 36 गोरखपुर उर्वरक-कारखाना
- 37 सिक्युरिटी कार्बन-मिल
- 38 हिन्दुस्तान केबल का विस्तार

39. बोकारी इस्पात-परियोजना

40 मिश्र धातु और औद्योगिक इस्पात-सयन्त्र
 41 भोपाल भारी विजली-सयन्त्र का विस्तार

नवीन अनुमानों के अनुसार इन परियोजनाओं पर 10.1 करोड़ रु० का व्यय आया। इसके लिए 6.4 करोड़ रु० की विवेकी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

अनुबन्ध 1—(जारी)		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)			
42	हिन्दुस्तान, जहाज-घाट का विस्तार (विस्तार और विद्यालयापटनम सह्यपता-अनुदान)	10	1 5	
43	हिन्दुस्तान जहाज-घाट की सूखी गोदी-परियोजना	2	0 5	50,000 से 60,000 डी० डब्ल्यू० डी०
44	दूसरा जहाज-घाट	20	5	
45	एफ० ए० सी० डी० का विस्तार	8	5 6	60,000 टन नयजत
46	नेपा मिल का विस्तार	4	3	60,000 टन अलवारी कागज
47	नमक-विकास	3	0 8	
48	भारी कम्पेणर और पम्प-परियोजना	15	10	अभी निश्चय नहीं हुआ
49	वाल और रोलर विर्यरिग-परियोजना	8	6	20 लाख विर्यरिग
50	सयीनी औजार-कारखाने की अतिरिक्त क्षमता	15	10	अभी निश्चय नहीं हुआ
51	दूसरा भारी वाक्वा-कारखाना			
52	दूसरा प्लेट और वेसल कारखाना	3	1.5	
53	समुद्री डीजल-इंजिन-कारखाना			
54	सरकारी अलकालामड-कारखाने का विस्तार व श्रावुनिकीकरण	0 4		
55	स्नेहक तेल-परियोजना	12	6	1 लाख टन एच० डी० आई० स्नेहक
56	अलस ताप कार्बनीकरण-उपयन्	22	15	22 लाख टन कोयला

57 नईवेली लिनाइट उच्च ताप कार्बनीकरण-
 सयन्त्र और कच्चे लोहे के उत्पादन के
 लिए सम्बद्ध सुविधाएं

नईवेली (मद्रास)

25

13

अभी निश्चय नहीं हुआ

58 नगर

परियोजना-स्थलों पर

50

466 4 205 9

योग

1260 69 634 5

उद्योग

अनुबन्ध 1--(जारी)

2. केन्द्रीय सरकार की खनिज परियोजनाएं

			(करोड़ रु०)	
योजना का नाम	कुल व्यय- व्यवस्था	विवेशी मुद्रा का भाग		
(1)	(2)	(3)		
अ दूसरी योजना को अग्रशिष्ट परियोजनाएं, जिन पर काम चल रहा है (अ)				
कोयला				
राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के कार्यक्रम ..	8	—		
भोजपूर, पायरडीह और दुमका में कोयला धोने के केन्द्र	7 5	4		
	15 5	4		
तेल				
कच्चे तेल की आयल इंडिया लाइन ..	8	—		
आयल इंडिया में हिस्तामूजी ..	1.42	—		
	9.42	—		
लिग्नाइट				
नईवेली लिग्नाइट-परियोजना ..	3.29	1.3		
खनन-योजना				
आवास ..	3	—		
खनिज लोहा				
किरिवुह ..	6 29	1.3		
	6	3 93		
योग	37 21	9.23		

आ. नई परियोजनाएं, जिनके लिए पूर्ण या आंशिक रूप से विदेशी सहायता का आश्वासन मिल गया है (आ)

कोयला

राष्ट्रीय कोयला-विकास निगम से अतिरिक्त कोयला
(170 लाख टन)

57½ 28

गहरी और गैल-भरी खानों के लिए इसके अतिरिक्त भी कुछ राशि की आवश्यकता पड़ सकती है ।

अनुबन्ध 1—(जारी)

(1)	(2)	(3)
सियरेनी-विस्तार (30 लाख टन)	20	6
उत्पादन का रख-रखाव	16	10
केन्द्रीय कर्मशाला ..	8	2 7
सम्भावनाओं के लिए खुदाई ..	2	1 4
चीथी योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही ..	10	7
केन्द्रीय रोपवेज ..	16	8
कोर्किंग कोयला घोने की अतिरिक्त क्षमता ..	20	11 3
	149	74 4
तेल		
तेल की खोज	115	53 53
खनिज लोहा		
वैलाडिला खनिज लोहा-परियोजना	17	8 55
ताबा-परियोजना		
खेतड़ी ताबा-परियोजना	10	} 6 36
दरीवो ताबा-परियोजना ..	2 5	
योग	12 5	6 36
	293 5	142 84
इ अन्य परियोजनाएं (आ)		
कोयला		
गैर-कोर्किंग कोयला घोने के केन्द्र ..	12	7
मइबेली लिग्नाइट-परियोजना		
खान-उत्पादन का विस्तार ..	3 8	1 45
तेल		
तेल-वितरण-कार्यक्रम ..	10	—
आयल इंडिया ..	8	—
कच्चे तेल की पाइप-लाइनें ..	4	—
तेल उत्पादनो के लिए पाइप-लाइनें ..	37	10
	59	10

अनुबन्ध 1—(जारी)

	(1)	(2)	(3)
अन्य खनिज			
सिक्किम तावा-परियोजना		2 5	1.3
पन्ना की हीरा-परियोजना		1.5	0 6
खनिज मँगनीज उपयोग-सयन्त्र		5	1
पाइराइट से गन्वक-प्राप्ति की परियोजना		5	2 5
कोलार की सोना-खानें		1.5	0.84
हत्ती की सोना-खानें		0 5	0.2
किरिवुह का विस्तार		6	3
यूरेनियम-खनन, सरचना और प्लुटोनियम निकालने का सयन्त्र		24	8.17
		46	17.61
सर्वेक्षण			
जी० एस० आई० विस्तार		10	3.19
भा० बी० एम० विस्तार		5	1.89
योग		15	5.08
सर्वयोग		466.51	193.21

3. संस्थात्मक अभिकरणों को सहायता तथा अन्य विविध आवश्यकताएं (केन्द्रीय)

मैनूर आयरन एंड स्टील वर्क्स को सहायता	5	—
एन० आई० डी० सी०	20	—
संस्थात्मक वित्तीय निगमों को ऋण	26	—
बागाल-उद्योगों को ऋण-सहायता	11.7	—
राष्ट्रीय उत्पादकता-परिपद्	1.3	—
मीट्रिक पद्धति	7	—
भारतीय मानक-संस्थान	3.6	—
	74 6	

1. राज्य सरकारों की औद्योगिक परियोजनाएं

योजना का नाम	स्थान	कुल पूंजी-विनियोग (करोड़ ₹०)	विवेशी मुद्रा का साग (करोड़ ₹०)	1965-66 में वार्षिक उत्पादन-क्षमता (विस्तार की आवश्यकता में अपेक्षित क्षमता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50 लाख ₹० या इससे अधिक खर्च की परियोजनाएं				
1 आन्ध्र गेजर मिल्स का विस्तार	अ. दूसरी योजना से आगे आई हुई परियोजनाएं (अ) राजमुन्दरी (आन्ध्रप्रदेश)	4	2. 49	18,000 टन कागज
2 मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का विस्तार (म) इरात-विस्तार-प्रयोजन	भद्रावती (मैसूर)	2*	3. 5	1 लाख टन इस्पात की सिलिया
(पा) नौद-सिंथेटिक सप्लाय का विस्तार	बगलोर (मैसूर)	0. 95	0. 37	20,000 टन बौद्ध सिलिकन
3. तारतरी रिजली कारखाने का विस्तार		0. 9	0. 48	विजली ट्रांसफार्मर : 2 लाख के० वी० ए०, विजली की मोटर्स : 60,000 अक्षय-शक्ति स्विचगियर और स्विच- बोर्ड : 40 लाख ₹० मूल्य के
4. दुर्गापुर गमन-अट्रिया (म) रीग-डिज	दुर्गापुर (प० बंगाल)	2. 25		अति दिन 7.5 लाख घन- फुट गैस

* क्षेत्रीय योजना में 5 करोड़ ₹० और राज्य को योजना में 2 करोड़ ₹०

(अ) कुल धरा और विदेशी मुद्रा के भंड के राशियां हैं, जिनके तीसरी योजना में आ जाने की सम्भावना है।

अनुसूच 2—(जारी)		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)			
(भा) तार संचायक-समन्वय		0 5	0 17	100 टन कोयला प्रतिदिन
(ख) वसत-मदिव्यो और ज्योत्सावतो के समन्वय को दुरुगना करा		4 2		कोक 6,50,000 टन, वेनडील 7 25 लाख गैलन, ताल्पीन 2 35 लाख गैलन, नैच्येवीन 1,200 टन और सडक-कोयला
भा. तीसरी योजना में सम्मिलित नई परियोजनाएं (आ)				
5. प्राकृतिक गैस-वितरण	(असम)	1 65	0 3	
6. गैस-पृथक्करण और प्रसारण-योजना	(असम)	1 5	0 5	
7. बिहार सुपरफास्फेट-भारखाने का विस्तार	तिन्वरी (बिहार)	0 5	0 15	46,000 टन सुपरफास्फेट
8. उच्च तनाव इन्सुलेटर-भारखाने का विस्तार	राजी (बिहार)	0 58	0 17	4,800 टन इन्सुलेटर
9. उर्वरक-परियोजना*		20	10	80,000 टन नगजन
10. सूत-मटाई मिल	बान्ना (बम्बू-पन्मीर)	0 5	0 25	12,000 तन्तुएं
11. मार्गदर्शक लोह और इस्पात-समन्वय	(मद्रास)	0 75		20,000 टन रोस्टिंग उत्पादन
12. इस्पात रोस्टिंग-मिल	(मद्रास)	1		प्रति दिन 2 करोड़ पनजुट गैस
13. बम्बई में गैस-वितरण	(बम्बई)	0 5		
14. नंगल के भारखाने का पुनर्गठन	नंगल (पंजाब)	0 5		

0.3 24,000 टन रिफ़ाइनरिया
 0.22
 2 फास्टिक सोडा. 6,600 टन,
 फ्लोत : 6,600 टन,
 योरेन . 5,800 टन,
 ग्रेनाइट एनीहाइड्राइड
 6,600 टन, फ़ास्फ़ोरि-
 शस 5,000 टन, पेंटा-
 योरोफ़्लोत : 1,000 टन

0 08 25,000 टन

1

11.98

दयोग

में निहित हुए परियोजनाओं के व्यय
 के अनुसार चौथी योजना में भी

अनुबन्ध 2—(जारी)

2. राज्य-सरकारों की खनिज परियोजनाएं

(करोड़ रु०)

योजना का नाम	कुल व्यय-व्यवस्था
राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित 50 लाख रु० या इससे अधिक खर्च को नहीं योजनाएं	
कालाकोट कोयला-खान-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	0.6
राजस्थान खनन-निगम (पालान लिग्नाइट और दूबरपुर में फ्लोरस्फार की खोज)	2.75
खनिज विकास-मंडल, मैसूर (राज्य में लोहा और खनिज मैंगनीज की खोज)	0.9
50 लाख रु० से कम खर्च की विविध योजनाएं और कार्यक्रम	6.75
	योग 11

3. निजी उद्योगों में साझेदारी और निजी क्षेत्र को सहायता देने के कार्यक्रमों के लिए राज्यों की पूंजी की आवश्यकता

(करोड़ रु०)

योजना का नाम	स्थान	कुल पूंजी-विनियोग	विशेष
औद्योगिक विकास-क्षेत्र	आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प० वगाल	5.4	
राज्य औद्योगिक विकास-निगम	आन्ध्रप्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, उत्तरप्रदेश	6.08	
निजी क्षेत्र की परि-योजनाओं में राज्यों को साझेदारी	असम, जम्मू-कश्मीर, केरल, मैसूर, पंजाब, प० वगाल	9.47	
रबड़-बागानों का विकास	केरल	4.65	85,000 एकड़ क्षेत्र
	योग	25.6	

कतिपय जुने हुए बड़े उद्योगों और खनिजों का विस्तार : प्रगति और लक्ष्य

(1)	(2)	1960-61			1965-66		1961-66		(10)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
उद्योग का नाम	उत्पादन इकाई	1950-51	1955-56	उत्पादन क्षमता	अनुमानित उत्पादन क्षमता	उत्पादन क्षमता	उत्पादन क्षमता	स्विच पूंजी-विनियोग का विवेची विनियोग	स्विच पूंजी-विनियोग का विवेची विनियोग
									(करोड़ रु०) (करोड़ रु०)

अ वातुकुम उद्योग

1. चीना और रूपात									
रूपात से मिलियन टन		1.4	1.7	6	3.5	10.2	9.2		
चिनी के लिए टन		0.98	1.3	4.5	2.2	7.5	6.8		
चिनी के लिए टन		0.35	0.38	0.9	0.9	1.5	1.5	6.40	305
मिथेन, चोखरी और चिनी रूपात (तेवार)						200	200		
पूर मोहरी से टन						1.2	1.2		
रूपात से टन						0.2	0.2	30(क)	15(क)
रूपात से टन						200	200		
2. मोह-अर्जाद, चिनी रूपात				150	100	220	200	5	2
3. मोह निर्माण						40	40	2	1.2

अनुसूच्य 3—(जारी)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. पर्यटन	हजार टन	3 7	7.3	18.2	18 5	87 5	80	65	32
5 तांबा (भाग में संचायित और विद्युत-शक्ति)	हजार टन	6 6	7 5	9	8.0	22	20	0.6(ख) 0 4(ख)	
6. सीसा	हजार टन	0 8	2.1	6 1	3 5	8 5	8	7 3	2.7
7 जस्ता	हजार टन	—	—	—	—	15	15	—	—
8 टंगस्टन कार्बाइड	हजार टन	—	—	5	4	69	25	1	0 5
प्रा. नैकैतिकल इन्वीन्विरी उद्योग									
9 प्रौद्योगिक मशीनें (1)									
सूती मशीनें	करोड़ ₹०	—	4	10	9	22	20	5	3
सिमेंट-मशीनें	करोड़ ₹०	—	0.34(ग)	1 1	0 6	4 5	4 5	3	2
चीनी-मशीनें	करोड़ ₹०	—	0 19	10 5	3 3	11 से 12	10	7	4
कागज-मशीनें	करोड़ ₹०	—	—	0 7	—	8.5	6.5 से 7	—	—
रूफ-उद्योग की मशीनें	करोड़ ₹०	—	—	0 25	गोण	2.5	2 5	0.5	—
प्रौद्योगिक वायलर	करोड़ ₹०	—	—	3 7	0 4	29	25	10(घ)	5(घ)
रेल	हजार टन	—	—	2.5	1 5	60	60	—	—
मशीनी भोजार	करोड़ ₹०	0 34	0.78	7	5 5	30	30	40	27
भारी मशीन									
निर्माण (इस्पात और तांबा-यनिक मशीनें)	हजार टन	—	—	—	—	80	(ख) 30	119	81.5
कोयला-यनिक-मशीनें	हजार टन	—	—	—	—	45	30	—	—

भारो प्लेट मोर वेसल कार-
जाना (भेडर वेसल, ताप
विनिमयक मोर अन्य
ग्रहणर के गसायनिक तयान्न
तथा उपकरण)

हुडार टन	—	—	—	40	20	12
हुडार टन	—	90	500	1,100	1,000	10

10. काना-गन्धकी निर्माण (जिसमें
भारो काना-गन्धकी खोली-
घालापणी शामिल है)

हुडार टन	—	—	—	—	25	10
----------	---	---	---	---	----	----

11. मूल्य उपकरण—भौतिक
तथा गणना

करोड रु०	—	—	3	6	23	12	9	6	5
----------	---	---	---	---	----	----	---	---	---

12. बल्क-गणनाके मोडार

दस लाख (सख्या)	—	—	—	—	2	5	2	7	2
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13. गणना

हुडार (सख्या)	—	—	—	—	360	(च)	240	(च)	4	2	5
---------------	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---

14. रेसोके डिसे तथा डिसे

रुपिया	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

भण्डार-गणना
मोडार-गणना
डिन डि-गणना
गणना-गणना (गणना)
गणना-गणना

(सख्या)	7	179	300	295	300	1,175	(ख)	
(सख्या)	—	—	—	—	भण्डारलक्ष	434	(ख)	
(सख्या)	—	—	—	—	60	232	(ख)	
(सख्या)	2,921	41,966	(ख)	26,000	20,000	33,500	1,09,866	(ख)
(सख्या)	179	4,381	(ख)	1,300	1,210	1,420	7,837	(ख)

३. विजली इंजीनियरी उद्योग

24	विजली के ट्रांसफार्मर (33 किलोवाट से नीचे)	दस लाख के १ वी० ए०	0.18	0.63	2.2	1	2	4	3.5
25	विजली के मोटर (200 अश्व-शक्ति और उससे कम) शक्ति	दस लाख अश्व-शक्ति	0.1	0.27	1.25	0	7	3(ए)	2.5(ए)
26	विजली के केबल और तार ए० सी० एस० आर०, बी० आई० आर० और प्लास्टिक की तारें, बड़े पेपर इन्सुलेटेड सूखे कोर के केबल कोएक्सियल केबल	हुंजार टन दस लाख गज	1.7 39.4	8.7 86.9	28 500	22 220	55 800		44 600
27	विजली के पंखे	मील	—	—	1,000	750	4,500		4,000
28	पररू मीटर	मील	—	525	470(ए)	1,077	2,000 से	2,500	2,000
29	विजली की वस्तियां जी० एल० एस० आदि पलीरोसैट ट्यूब	मील	—	—	300	200	300		300
30.	रेजियो-रिसीवर (संगठित क्षेत्र)	दस लाख (सख्या) 0	19	0.29	1.8	0.98	2.8		2.5
31	स्टोरेज बैटरियां	दस लाख (सख्या)	—	0.25(ग)	0.6	0.46	2.5		2.1
32	सूखी बैटरियां	दस लाख (सख्या)	15	25.03	43.13(ए)	38.05	76		68
33.	सरकारी क्षेत्र में विजली के मारी उपकरण	दस लाख (सख्या)	—	0.75	1.20(ए)	1.46	7		6
		हुंजार (सख्या)	49	102	279.18(ए)	254	900		800
		हुंजार (सख्या)	200	258.08	379.30(ए)	509	900		800
		दस लाख (सख्या)	136.3	161.1	224.50(ए)	200	400		350
		करोड़ रु०	—	—	—	—	80	104	80
									60
									18
									30

धनुष्य 3—(जारी)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
इ. रासायनिक और सम्बन्ध उद्योग									
34	उरिन							225	100
	एरथ्युन (एजन् की माग के अनुसार)	ह्वार टन	9	79	248	110	1,000	800	
	कम्पेयुन (फोस्फेट की माग के अनुसार)	ह्वार टन	9	12	60	55	500	100	42
35	भारी रसायन								18
	एथन-मन्स	ह्वार टन	99	164	476	363	1,750	1,500	
	मोडा गैस	ह्वार टन	45	81	268	145	530	450	
	सिन्थेक मोडा	ह्वार टन	11	35	124	100	400	340	
	रेसिनय क्लोराइड	ह्वार टन	—	3(ग)	17	10	67	60	
	मोडियम हाइड्रोक्साइड	ह्वार टन	—	—	2	3	0	6	10
	हाइड्रोजन परोक्साइड	ह्वार टन	—	—	3	1	2	9	5
36	भिंगा रासायनिक उत्पादन								5
	कार्बम ब्रेक	ह्वार टन	—	—	—	—	30	30	13
	प्रोचोमिक विस्फोटक	ह्वार टन	—	—	—	—	—	—	—
	एजन्कारी विस्फोटक	ह्वार टन	—	—	5	6	20	20	—
	तरल प्रोसीजन विस्फोटक	ह्वार टन	—	—	2	2	9	9	—
	नेफ्टोफ्युज	टन साग क्यापल	—	—	7	2	25	25	—
	ट्रिटोनेटर	टन माग (सख्या)	—	—	—	—	80	80	—
	एथन-गैस	ह्वार टन	—	—	—	—	3	3	—

अनुसूच 3--(आरी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42. इन्डो लिटमै मिलिंगटो- याफिक. प्रादि	इस साग का- मीटर	--	--	--	--	10	10	9	5 5
43 राइ के उत्पादन मोटर के टायर	इस साग (संख्या)	--	0 9	1 61	1 35	3 7	3		5
नादमिहत के टायर	इस साग (संख्या)	--	5 8	16 9	11	38 6	31		
44 त्रिभुज त्वर	इंजार टन	--	--	--	--	50	50	25	12 5
45 त्रिकोण मोर गत्ता	इंजार टन	114	187	410	350	820	700	100	35
प्रत्यक्षी लागू	इंजार टन	--	4 2	30	25	150	120		
मिगुस्टी कागज	इंजार टन	--	--	--	--	1,500	1,500	5 5	4
16. सीमेंट	इस साग टन	2.7	4 6	9 8 5	15	13	13	60	12
17 रिफ्रेक्टिंग	इस साग टन	--	0.28	0 87	0.52	1 2	1 6	22	10
18. विद्युत के पोलिलेन (उच्च तनाप और कम ताप के इन्सुलेटर)	इंजार टन	--	4.3	12 5	8.4	30	24	3	2.2
19 ताम मोर काच का सामान	इंजार टन	92	125	370	225	615	440	11	3.5
50. पेट्रोलियम की चीजें	इस साग टन	--	3.6	6 02	5 67	10 77	9 86		
स्नेक तेल	इंजार टन	--	--	--	--	कच्चा तेल		73 5	33 4
51. मोटरों मोर उद्योगों में व्यापार प्रयोगकेल	इस साग तैलन	8 6	15 2	40	22	72	60	4	0 4

52 श्रौचोगिक गंत
श्रौचोजन 11 6 5

दस लाख वन फुट	1,000	700	2,300	1,650
दस लाख वन फुट	156	90	250	200

उ वस्त्र-उद्योग

53 कपास					32	5	11
सूत	1,179	1,640	2,100	1,750	2,250		11
कपडा (मिल-निमित्त)	3,720	5,102	5,300	5,127	5,800		
54 पटमस	892	1,150	1,200	1,065	1,200		
55 रेगन और रेखेवाले कपडे							
रेगन का तार	0	16	52	3	47	140	45
रेखेवाला कपडा	—	14	48	47	8	75	
रसायनिक बुगडी	—	—	—	—	—	90	
56 कमी उत्पादन							
कमी और बटा हुआ तार	18	21	7	67	28	67	2
कमी कपडा	—	15	48	15	48	35	1
कमी टाप	—	—	10	—	31	5	

क साधन-उद्योग

57 गंधक	2	7	3	3	9	3	7	6	5	4	9	2
58 चीनी (3)	1	12	1	86	2	25	3	3	5	3	5	100

अनुवध 3—(जारी)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
59. वनस्पति तेल									
राजी का विस्तारक तत्त्व	हुबार टन	—	—	550 (खली)	25 (तेल)	2,000 (खली)	160 (तेल)		
विनोले का तेल	हुबार टन	—	—	180(ड)	15(र)	850 (बीज)	100 (तेल)	10	2 5
60. वनस्पति	हुबार टन	153	276	434	330	550	500	168(ड)	43
61. विविध उद्योग									
									2,454 6 1,109.9

योग

टिप्पणी :—पूंजीविपरी उद्योगों की क्षमता का अनुमान गौसरी पाली के आधार पर लगाया गया है।

(1) सूती वस्त्र-उद्योगों की क्षमताओं के अलावा इस शीर्षक के अन्तर्गत क्षमता और उत्पादन का सम्बन्ध मूल उपकरणों की मांग से है।

(2) 1965-66 के विषय उत्पादन के ये आंकड़े संगठित क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

(3) आंकड़े फसल-वर्ष के 1965-66 के हैं।

(क) डलाई-गार्ड (तासिका की प्रविष्ट-संख्या 9 में सम्मिलित), खान-मशीन-परियोजना और चित्तोजन प्रोजेक्ट-कारखाने के

इस्पात-डलाई-कारखाने के लिए निर्धारित व्यय से अधिक।

(ख) सरकारी क्षेत्र की क्षमता पर पूंजी-वित्तियोग खनिज-पदार्थों की व्यवस्था के अन्तर्गत विनाया गया है।

(ग) फेब्रिक-वर्क के अनुसार।

(घ) व्यव केवल निजी क्षेत्र की योजनाओं के बारे में है। सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था-राशि तासिका की 10 और

33 प्रविष्टियों के अन्तर्गत है।

(ङ) वास्तविक उत्पादन की इस्पात-क्षमता के विस्तार-कार्यक्रम से सम्बन्ध कर दिया जाएगा।

(च) केवल सरकारी क्षेत्र के बारे में।

- (घ) पाँच वर्ष की अवधि के लिए ।
- (ङ) तीन पाँचसौं की कार्य-प्रतिष्ठा के आधार पर ।
- (च) इसके प्रतिरिक्त समुद्र उद्योग-क्षेत्र में 5 लाख गाड़ियों के आधार पर ही की जायगी है ।
- (ज) इसके प्रतिरिक्त समुद्र उद्योग-क्षेत्र में 1.5 लाख गाड़ियों के आधार पर ही जायगी है ।
- (ट) ये आकर 300 प्रत्यक्ष-निर्गत घोर उम्मीदें कर के जाये गे ।
- (ठ) एक पाँचों की समता ।
- (ड) आकर केवल संगठित क्षेत्र के जाये गे ।
- (ण) इसमें नगरों के लिए 50 करोड़ 70 घोर परमाणु क्षेत्र के समुद्र उद्योगों के लिए 17 करोड़ 50 की मरिचि 143, 14 199 उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाय ।

खनिज-पदार्थ और तेल

पहली और दूसरी योजनाओं के काल में हुई प्रगति की समीक्षा

उद्योग के क्षेत्र में पहली योजना मुख्य रूप से बड़े पैमाने के विकास की तैयारी-भर थी। इसलिए उसमें खनिज-पदार्थों का उत्पादन बहुत बढ़ाने पर कोई खाम जोर नहीं था, बल्कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के गुण और परिमाण का सही-सही अनुमान लगाने के ख्याल से देश की खनिज सम्पदा की व्यौरवार और व्यवस्थित जाच-पड़ताल की जाए और ऐसे उपाय किए जाए कि सापरवाही के कारण उनका अपव्यय न होने पाए। हालांकि सामान्यतः भूगर्भशास्त्रीय दृष्टि से देश का सर्वेक्षण किया जा चुका था और प्रमुख खनिज क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका था, फिर भी ज्यादातर मामलों में खनिज साधनों का अन्वेषण ठीक-ठीक और पूरी तरह नहीं हुआ था तथा खनिज-पदार्थों के खखीरो का अनुमान, बहुत ही मोटे तौर पर लगाया गया था। सन् 1948 में भारतीय खान-संस्था की स्थापना से और जनवरी 1951 में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था के विस्तार का निश्चय हो जाने से पूरी-पूरी जाच-पड़ताल के लिए रास्ता बन गया और उसके संरक्षण के उपायों पर ज्यादा ध्यान देना सम्भव हुआ। दूसरी योजना में इनके फल निकालने लगे और गत कुछ वर्षों में कुछ खनिज-पदार्थों का उत्पादन काफी बढ़ गया, जैसे—कोयला, खनिज लोहा और बाक्साइट।

2 पिछले दस वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसकी संक्षिप्त समीक्षा नीचे के पैराग्राफों में की गई है।

कोयला

3 उत्पादन : पहली पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया था, क्योंकि जिस हिस्से से मांग बढ़ रही थी, उसकी पूर्ति के लिए कोयले के उत्पादन की जितनी क्षमता थी, वह काफी थी। दूसरी योजना में औद्योगिक और बिजली-विकास के जो कार्यक्रम सोचे गए थे, उनके लिए कोयले की आवश्यकताओं के आधार पर, और रेल-द्वारा जितना यातायात होने की आशा थी, उसके आधार पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 6 करोड़ टन कोयला-उत्पादन का लक्ष्य स्थिर किया गया था, यानी सन् 1955 के उत्पादन-स्तर से 2 करोड़ टन अधिक। मांग इस कदर बढ़ रही थी कि केवल चालू कोयला-खानों का उत्पादन बढ़ा कर उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी, इनके लिए नई खानें शुरू करने की जरूरत थी। चालू कोयला-खानों का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को ध्यान में रख कर तथा सरकार की इस नीति को ध्यान में रख कर कि नई खानें सरकारी क्षेत्र के अधीन ही शुरू की जा सकती हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 20 लाख टन प्रतिरिक्त कोयला-उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इसमें से 20 लाख टन चालू खानों का उत्पादन बढ़ा कर और 1 करोड़ टन अछूते क्षेत्रों में नई खानें चालू करके हासिल करना था। बाकी का 1 करोड़ टन प्रतिरिक्त कोयला चालू कोयला-खानों से और उनके प्रास-यान के क्षेत्रों से हासिल करने का काम निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया।

4. सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में चालू खानों में उत्पादन बढ़ाने में तो कोई खास कठिनाई नहीं हुई, लेकिन नई कोयला-खानों से कोयले के अतिरिक्त उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का काम बहुत कठिन हो गया। नई खानें प्रायः विल्कुल ही नए क्षेत्रों में खोदनी पड़ी। सरकार नए क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले सके, इसके लिए विधान बनाना पड़ा और इन क्षेत्रों की विस्तृत जाच-पड़ताल करनी पड़ी, ताकि जखीरो का ठीक-ठीक पता लग जाए और विकास के लिए खंडों का चुनाव किया जा सके। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र को विल्कुल शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ी और ऐसे अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की जवदस्त कमी रही, जो अवीक्षक-पद के योग्य हों। एक ओर तो यह मुश्किल और दूसरी ओर कार्यक्रम के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की प्रारम्भिक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्रगति काफी धीमी रही। इसलिए दूसरी योजना के उत्पादन को इन कठिनाइयों के सन्दर्भ में ही देखा चाहिए। सन् 1960-61 में 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार टन उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 6 करोड़ टन का था। हालांकि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ, फिर भी सरकारी क्षेत्र ने—जिसमें राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की और सिंगरेनी की कोयला-खानें शामिल हैं—इतनी मात्रा में कोयले का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है कि उसके लिए जो लक्ष्य स्थिर किया गया है, उससे चहुँ पीछे न रहे। पिछले वर्ष में राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की खानों में बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा है। पहली तिमाही में उसके उत्पादन का स्तर इतना था कि उसहिस्साब से साल में 53 लाख टन कोयले का उत्पादन होता, पर आखिरी तिमाही में यह स्तर बढ़कर इतना हो गया कि साल में 1 करोड़ 37 लाख टन का उत्पादन होता, जबकि लक्ष्य पूरे साल-भर के लिए 1 करोड़ 35 लाख टन का रखा गया था। सिंगरेनी की कोयला-खानों के ये आकड़े क्रमशः 24 लाख टन और 26 लाख टन थे, जबकि उत्पादन का लक्ष्य 30 लाख टन था। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र में आकड़े ये रहे 4 करोड़ 38 लाख टन और 4 करोड़ 57 लाख टन, जबकि उत्पादन-लक्ष्य 4 करोड़ 40 लाख टन का था।

5. दूसरी योजना के शुरू में कोयला-उत्पादन के बारे में जो कल्पना की गई थी, उसकी तुलना में पिछले दस वर्षों में उत्पादन की क्या प्रगति रही और 1960-61 में क्षेत्रवार वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, इसका विवरण नीचे की तालिकाओं में दिया जा रहा है :

तालिका-संख्या 1
कोयला-उत्पादन

वर्ष -	लाख टनों में
1951 ..	344 3
1952 ..	363
1953 ..	359 8
1954 ..	368 8
1955 .	382 3
1956-57 ..	403

तालिका-संख्या 1—(जारी)

वर्ष	लाख टनों में
1957-58 ..	441
1958-59 ..	459.4
1959-60 ..	478.2
1960-61 ..	546.2

तालिका-संख्या 2

1960-61 में क्षेत्रवार उत्पादन

(लाख टनों में)

क्षेत्र	दूसरी योजना में उत्पादन का लक्ष्य	1960-61 में वास्तविक उत्पादन
असम	5	6.8
दार्जिलिंग	0.3	0.4
रानीगंज	181.6	180.8
झरिया	166.9	160.9
करनपुरा	60	44.8
बोकारो	28.8	37.5
गिरिडीह	2.6	4.6
बिहार के अन्य छोटे क्षेत्र	1.4	1.5
छिन्दवाड़ा और चावा	22.5	30.6
कोर्वा	40	5.7
मध्य-भारत के कोयला-क्षेत्र	53.1	36.7
सस्ती	0.7	1.4
उड़ीसा	5.2	8.8
सिगरेनी	29.3	25.2
बीकानेर	0.3	0.5
योग	597.7	546.2

तालिका देखने से पता चलता है कि दूसरी योजना में जितने उत्पादन की बात सीधी गई थी, उसमें और 1960-61 के वास्तविक उत्पादन में फर्क है—विशेषकर कोर्वा और मध्य-भारत के कोयला-क्षेत्रों में। इसकी वजह यह थी कि कोयले के उत्पादन और वितरण से सम्बद्ध कुछ तथ्य जैसे-जैसे स्पष्ट होकर सामने आए, वैसे-वैसे निश्चयों में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त, मध्य-भारत के कोयला-क्षेत्रों में कोयले की किस्म उतनी बढ़िया भी नहीं थी, जितनी भागा की जाती थी।

6 संरक्षण : कोकिंग कोयले के सीमित जखीरो के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

- (1) क्षेप्य भरण (स्टोइंग) : कोयला-खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 के द्वारा क्षेप्य भरण को संरक्षण तक विस्तृत किया गया , उस समय तक यह सुरक्षा की दृष्टि से ही अनिवार्य था ।
- (2) उत्पादन पर नियन्त्रण: कोकिंग कोयले के उत्पादन की अधिकतम सीमाएं निर्दिष्ट कर दी गईं। उद्देश्य यह था कि कोकिंग कोयले के उत्पादन को घटा कर इस स्तर तक ले आया जाए कि केवल ऐसे उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति हो सके, जिनके लिए वह बहुत आवश्यक हो। परन्तु दूसरी योजना के दौरान इस्पात-विस्तार-कार्यक्रम के लिए अधिक मात्रा में कोयला निकालने की आवश्यकता के कारण धीरे-धीरे ये सीमाएं फिर बढ़ा दी गईं। इस्पात के नए कारखाने खोले जाने लगे और वर्तमान कारखानों में विस्तार होने के कारण अब उत्पादन-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं रही।
- (3) कोयला धोने के कारखानों की स्थापना : चूंकि कोयले की धुलाई उसके संरक्षण का एक तरीका है, इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्रीय धुलाई-कारखाने और दुर्गापुर के इस्पात-सयन्त्र में एक धुलाई-कारखाना स्थापित करके 64 लाख टन की अतिरिक्त धुलाई-क्षमता की व्यवस्था की गई। दुर्गापुर के इस्पात-सयन्त्र का यह कारखाना (जिसकी क्षमता 8 लाख टन है) और करगली का धुलाई-कारखाना (जिसकी क्षमता 16 लाख टन है) स्थापित किए जा चुके हैं। तीन और धुलाई-कारखाने तीसरी योजना के शुरू के वर्षों में कायम हो जाएंगे। दूसरी योजना के अनुभव से पता चला है कि धुलाई-कारखानों की स्थापना के लिए तैयारियां करने में बहुत समय लग जाता है। खान के विभिन्न स्तरों और विभिन्न खानों से प्राप्त कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं को समझना आवश्यक है, ताकि (क) धुलाई का तरीका निर्दिष्ट किया जा सके और धुलाई-कारखानों के बारे में तफ्तीलें तैयार की जा सकें, और (ख) यह तय कर दिया जाए कि किस धुलाई-कारखाने में किन-किन खानों का कोयला भेजा जाएगा।
- (4) मिश्रण : कमजोर कोकिंग या गैर-कोकिंग कोयले को मजबूत कोकिंग कोयले के साथ मिलाने से कोकिंग कोयले के सीमित जखीरे अधिक अवधि तक रह सकेंगे। दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने में रानीगज का कमजोर कोकिंग या अर्द्ध-कोकिंग कोयला ही काम में लाया जाता है, जिसमें 55 प्रतिशत तक क्षरिया का कोकिंग कोयला मिला होता है।
- (5) कोकिंग कोयले के स्थान पर गैर-कोकिंग कोयले का प्रयोग : रेलों में कोकिंग कोयले के स्थान पर गैर-कोकिंग कोयले का उपयोग करने का कई सोपानों में बढ़ा हुआ एक कार्यक्रम तैयार किया गया। चूंकि मूल उपभोक्ताओं की ओर से कोकिंग कोयले की उतनी मांग न हो सकी, जितना कि पहले अनुमान लगाया गया था, इसलिए कोयले का जितना उत्पादन उपभोक्ताओं की

आवश्यकताओं से अधिक था, उसका उपयोग रेलों में होता रहा। यह अतिरिक्त मात्रा सन् 1957 में लगभग 50 लाख टन थी, किन्तु सन् 1960 में घट कर लगभग 15 लाख टन रह गई।

- (6) अन्य उपाय : जिन खानों को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उत्पादन जारी रखने के लिए कहा जाता है, किन्तु जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का—जैसे, गैस मौजूद होने, काम की जगहों की गहराई, आदि का—सामना करना पड़ता है, उन्हें विशेष सहायता दी जाती है।

7 खानों का एकीकरण . छोटी खानों के एकीकरण से सम्बद्ध समिति की सिफारिश पर सरकार ने छोटी और घाटेवाली खानों को मिलाने की बात सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली है। जब तक अनिवार्य एकीकरण के लिए विधान नहीं बन जाता, तब तक के लिए खानों के स्वैच्छिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के विचार से एक समिति बना दी गई। यह समिति अब तक स्वैच्छिक एकीकरण के 31 मामलों का अनुमोदन कर चुकी है, जिनमें नौ मार्च, 1961 के अन्त तक 17 मामलों में एकीकरण हो भी चुका है। समिति अभी तक अपना काम कर रही है। कोयले का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम की गति कुछ मन्द न हो जाए, इन आशंका से अनिवार्य एकीकरण के लिए विधान लागू करने का काम तीसरी योजना के लगभग मध्य तक स्थगित कर दिया गया है।

खनिज तेल

8 अरम के डिगबोई-क्षेत्र को छोड़ कर, जहाँ थोड़ी मात्रा में तेल प्राप्त हो जाता है, देश में इन समय कहीं भी तेल का उत्पादन नहीं होता। आशा की जाती है कि नहरकटिया-नेल-क्षेत्र में, जिसका पता 'अरम आयल कम्पनी' ने लगाया है, शीघ्र ही 27 लाख 50 हजार टन बिना नाफ किया तेल प्रति वर्ष मिलने लगेगा। तेल-नम्पदा का उपयोग करने के लिए 'आयल इंडिया' नामक जो कम्पनी बनाई गई है, उसमें भारत-सरकार का हिस्सा पट्टे पर-निर्हास था, जिसे अब बड़ा कर आवा कर दिया गया है। बिना नाफ किया तेल नली-डॉग दो नए शोधनालयों में ले जाया जाएगा, जो निजी क्षेत्र में गौहाटी (नूनमती, अरम) और बरौनी (बिहार) में तैयार किए जा रहे हैं और जिनकी क्षमता प्रत्यक्ष 7 लाख 50 हजार टन और 20 लाख टन होगी। नहरकटिया-क्षेत्र में तेल के अलावा प्राणिक गैस भी है। इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है कि यहाँ कुल कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध हो सकेगी, किन्तु बिजली और उर्वरक पैदा करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए इसमें से कुछ गैस का उपयोग करने की व्यवस्था की जा चुकी है।

9 अरम के ज्ञात तेल-प्रदेसों के बाहर तेल की खोज के लिए इंडो-स्टैनवाक पेट्रोलियम योजना पर ध्यान दिया जा रहा था। पश्चिम-बंगाल की घाटी में तेल की खोज के लिए 'स्टैंडर्ड पेट्रोलियम प्रायर्स कम्पनी' ने जिम्मेदारता बर्तन किया, उसका एक-चौथाई हिस्सा भारत-सरकार ने दिया। तब अन्वेषण-शुरू हो गई, किन्तु क्वि क्वि भी न तो तेल मिला तो न गैस, अतः स्टैंडर्ड कम्पनी ने पेट्रोलियम योजना समाप्त कर दी। सरकार ने खर्च में अपने हिस्से में तीन पर 1 67 करोड़ रुपये दिए।

10 तेल के देशों में भारत सरकार ने अपने भागी भाग्यधरता को ध्यान में रखते हुए अन्वेषण-कार्य में सहायता दी। भारत के पेट्रोलियम तेल की खोज के लिए एक मगडन

की स्थापना की थी। जो भी उपकरण और तकनीकी कर्मचारी प्राप्त हो सके, उनकी सहायता से राजस्थान के जैसलमेर-क्षेत्र में जाच-पड़ताल शुरू की गई। दूसरी योजना में इस दिशा में तेजी से प्रयास करने और इसके लिए सगठन का विस्तार करने की व्यवस्था की गई। तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग की स्थापना हुई। पहले इसे एक विभागीय सगठन का रूप दिया गया, पर आगे चल कर एक अनुविहित निकाय का रूप दे दिया गया। आयोग ने पहले पंजाब में और फिर खम्भात तथा असम की ब्रह्मपुत्र-घाटी में भूगर्भीय सर्वेक्षण, भू-भौतिक सर्वेक्षण और तेल का पता लगाने के लिए कुए खोदने के काम किए। पंजाब में अब तक जिन स्थानों पर जाच-पड़ताल की गई है, उनमें न तो कहीं तेल मिला है और न ही इतनी गैस कि उसे निकालना व्यापार की दृष्टि से लाभदायक हो। पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में अभी खोज-बीन हो रही है। खम्भात में अन्वेषण-कार्य में अधिक सफलता मिली, क्योंकि वहाँ पहले कुएँ ही तेल मिल गया। इस प्रारम्भिक सफलता से प्रोत्साहित होकर खम्भात में और फिर भ्रकलेद्वर-क्षेत्र में, कई कुए खोदे गए हैं। बहुत-से कुओं में तेल या गैस मिली है और यद्यपि इस आविष्कार की सम्भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए अभी और कुए खोदने पड़ेंगे, किन्तु लगता यही है कि इस इलाके में काफी बड़ा तेल-क्षेत्र है। असम की ब्रह्मपुत्र-घाटी में दो कुएँ उस क्षेत्र के बाहर खोदे गए हैं, जिसे थायल इंडिया ने ठेके पर ले रखा है। इनमें से एक कुएँ में तो तेल का पता भी चला है। गंगा-घाटी में भी भूगर्भीय और भू-भौतिक अन्वेषण-कार्य आरम्भ किए गए।

तेल-अन्वेषण पर दूसरी योजना की प्रवधि में सरकार ने लगभग 26 करोड़ रुपये खर्च किए।

खनिज उत्पादन

11. सन् 1951-60 के दस वर्षों में, खनिज उत्पादन की मात्रा और मूल्य में सामान्यतः वृद्धि होती रही। सन् 1950 में उत्पादन का मूल्य लगभग 83 करोड़ रुपये था, जो 1960 में बढ़ कर लगभग 159 करोड़ रुपये हो गया। सबसे उल्लेखनीय वृद्धि खनिज लोहे के उत्पादन में हुई—सन् 1950 के 29.7 लाख टन से बढ़ कर सन् 1960 में 1 करोड़ 5 लाख टन। देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ने और जापान तथा अन्य देशों के साथ निर्यात-व्यापार में प्रगति होने के कारण ही खनिज लोहे के उत्पादन में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। कच्चे मैंगनीज, जिसका उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए ही किया जाता है, के उत्पादन में पहले की तरह निरन्तर वृद्धि नहीं हुई। सन् 1950 में इसका उत्पादन 8 लाख टन था, जो सन् 1953 में बढ़ कर 19 लाख टन हो गया। उत्पादन में यह वृद्धि बहुत हद तक अमेरिका के सचयन-कार्यक्रम के कारण थी। इसके बाद कच्चे मैंगनीज का उत्पादन घटता-बढ़ता रहा है और सामान्यतः उसका आकाश कमी की ओर ही है। इसका एक कारण तो अमेरिका के सचयन-कार्यक्रम में कमी और इस्पात-उद्योग का गतिरोध है और दूसरा कारण कच्चे मैंगनीज के बाजार में प्रतियोगियों का पैदा हो जाना है।

12 कुछ महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य की प्रवृत्ति अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाई गई है।

तालिका-संख्या 3
खनिज-पदार्थों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ
(मात्रा हजार टन में, मूल्य लाख रुपये में)

गिनित पदार्थ	1950		1955		1960	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कोयला	32,310	4,668	38,230	5,603	51,810†	10,895
गन्निज लौह	2,970	154	4,680	323	10,520	770
कच्चा मँगनीज	880	848	1,580	1,082	1,160	818
चूना (गारमस्टोन)	2,920††	103††	7,370	302	12,530	562
पोटाश	17	6	89	27	99	57
इलेक्ट्रिक	213	33	251	132	246	147
बायपास्ट	64	8	90	9	377	42
मँगोपास्ट	53	11	58	13	154	27
सल्फाट	206	14	690	45	982	63
गन्निज तांबा	360	120	353	258	441	237
साम्ब्रीजित सीसा	2††	*†	3	8	6	22
साम्ब्रीजित जस्ता	2††	7††	5	17	10	25
उत्पन्नित गन्निज-पदार्थ-सहित समस्त गन्निज-पदार्थों का कुल मूल्य		8,341		9,436		15,902

* धरमपुरी ब्राकडे

† इस्मै जम्बू और कपसीर का भी लिक्विड शामिल है—सन् 1960 में 4,647 टन।

†† ब्राकडों का संवत् 1951 के कैलेंडर-वर्ष से है।

** ब्राकडे उपलब्ध नहीं

खनिज सर्वेक्षण

13 पहली दो योजनाओं की अवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और भारतीय खान-संस्था का विस्तार होने से एक इंच-एक मील के हिसाब से तैयार किए गए भूगर्भीय नक्शों को बड़ा कर उसमें नए क्षेत्रों का समावेश किया गया और कुछ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में अधिक बड़े माप के नक्शों तैयार किए गए। दूसरी योजना के आरम्भ में देश के लगभग 24 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका था और एक इंच-एक मील के नक्शों में उसे दिखाया जा चुका था। दूसरी योजना की अवधि में इस माप के नक्शों में 40,000 वर्गमील क्षेत्र और शामिल किया गया और 5,775 वर्गमील के खनिज क्षेत्र अधिक बड़े माप के नक्शों में दिखाए गए। करनपुरा, वोकारो, कोर्वा, कोरिया, विश्रामपुर, क्षिलिमिली, कालाकोट, तालचर और धरगिरि के कोयला-क्षेत्रों का विस्तृत पूर्वोक्षण किया गया, तो पता चला कि इनमें कोयले के इतने काफी जखीरे हैं कि दूसरी योजना की अवधि में इनमें से कुछ क्षेत्रों में नई खानें स्थापित की जा सकती हैं। इन अन्वेषण-कार्यों के फलस्वरूप सिंगरौली-कोयला-क्षेत्र में 70 से 90 फुट तक मोटी एक तह और रामगढ़-कोयला-क्षेत्र में दो तहों—एक 74 फुट मोटी और दूसरी 12 फुट 8 इंच मोटी—का पता चला। यह दूसरी तह कोकिंग कोयलेवाली थी। इसके अतिरिक्त, यह भी सिद्ध हो चुका है कि विश्रामगढ़ की तह आसानी से खोदी जा सकनेवाली गहराई में है और 20 फुट मोटी कोकिंग लैंक-डिह तह रानीगंज-कोयला-क्षेत्र में ऐसी जमीन में है, जो ठेके पर दी हुई नहीं है। इसी प्रकार, धरिया कोयला-क्षेत्र में कोयला मेजर्स की जलोढ मिट्टी के नीचे उसके पूर्वी फैलाव का अस्तित्व भी साबित हो चुका है। राजहरा और बरसुआ-क्षेत्रों में खनिज लोहा का पता लगाने से भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानों के बास्ते खनिज लोहा जुटाने के लिए नई खानों की स्थापना में सहायता मिली। किरिवुरु के क्षेत्र में जिस जखीरे का पता लगा, वह किरिवुरु खनिज लोहा-परियोजना का आधार बना। इस परियोजना से जापान को निर्यात करने के लिए प्रति वर्ष 20 लाख टन खनिज लोहा मिलेगा। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में कच्चे मैंगनीज की तहों की वनावट के बड़े नक्शों बनाने से पता चला है कि अब तक जितने जखीरे का अनुमान लगाया गया है, उससे कहीं अधिक जखीरा बहा है। जिन अलौह धातुओं—विशेषतः तावा, सीसा और जस्ता—का पता लग चुका है या जिनकी मूचना मिली है, उनकी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए गए। खेतरा (राजस्थान) और सिक्किम में खुदाई और अन्वेषण-सम्बन्धी जो कार्य किए गए हैं, उनसे साबित हुआ है कि खेतरा क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ 80 लाख टन कच्चा तावा (तावे की औसत मात्रा 0.8 प्रतिशत) और सिक्किम में लगभग 3.5 लाख टन कच्ची धातु है, जिसमें औसतन 6 2/4 प्रतिशत तावा, सीसा और जस्ता है। यह संकेत भी मिला है कि नागोड (राजस्थान) में सेलखडी, अलमोडा (उत्तरप्रदेश) में मैंगनेसाइट, अमजोर (विहार) में पाइराइट्स और जिला शाहाबाद (विहार) में चूने का पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है।

14 अगले पृष्ठ की तालिका में मोटे तौर पर पिछले दस वर्षों में किए गए अन्वेषण-कार्यों के अधिक महत्वपूर्ण परिणामों की ओर संकेत किया गया है।

तालिका-संख्या 4
जखीरो का अनुमान

खनिज-प्रकार	स्थान	पहली योजना के आरम्भ में स्थिति (जखीरे : लाख टन में)	पुनरीक्षण के बाद भव स्थिति	इसके अतिरिक्त, 8,000 करोड़ टन के अनुमानित जखीरे और है।
कोयला		3,73,000	5,00,000	
खनिज मैंगनीज		200 (उच्चकोटि का)	1,800	लगभग 40 प्रतिशत विपण्य कोटि का है।
खनिज तांबा	खेतीरी	कोई अनुमान नहीं	280	तांबे की 0.8 प्रतिशत औसत मात्रा से युक्त
	सिक्किम	कोई अनुमान नहीं	3.5	तांबे, सीसे और जस्ता की मिली-जुली 6.24 प्रतिशत औसत मात्रा से युक्त
गह्वराइट्स	अमजोर	कोई अनुमान नहीं	3,8.40	इसमें प्रमाणित जखीरे 80 लाख टन हैं और 6 करोड़ 80 लाख टन अनुमानित है। प्रमाणित जखीरो में गन्धक की औसत मात्रा 40 प्रतिशत है।

मेनपडही (जिल्हा)	इंगलदल	कोई अनुमान नहीं	20
	नागौड (राजस्थान)	कोई अनुमान नहीं	10,000
	रामबाण (जम्मू और कश्मीर)	कोई अनुमान नहीं	500
चूने का पत्थर	आहावाद जिला	कोई अनुमान नहीं	लगभग चार करोड पालीस लाख टन
			पलकम-कोटि का और 26 करोड 80 लाख टन मट्टी-कोटि का
सोमाइट	ई रापुर (मैसूर)	कोई अनुमान नहीं	7
गनिय लोहा	किरिबुह (उडीसा)	कोई अनुमान नहीं	1,730
सामाइट	जामनगर खिटा (गुजरात)	कोई अनुमान नहीं	60
मैगनेसाइट	अलमोडा (उत्तरप्रदेश)	कोई अनुमान नहीं	120
पेगेटाइट	सिहभूमि-तावा-पट्टी (बिहार)	7	18
शिंगा और चूना	जनार (राजस्थान)	कोई अनुमान नहीं	107
पेट्रोल	बारमेर (राजस्थान)	कोई अनुमान नहीं	100

नीसे और जस्ते की मिली-जुली 3 प्रतिशत औसत मात्रा से युक्त

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम

15 तीसरी योजना में उद्योग के विस्तार को अधिक महत्त्व दिया गया है। उम्रवानों का ध्यान में रखते हुए खनिज पदार्थों की खोज-बीन और विस्तार के ऐसे कार्यक्रमों को प्रावधानित किया है, जिन्हें तेजी से अग्रिम में लाया जा सके। मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की खनिज सम्पदा की खोज-बीन की जाए, जिसमें कि

- (क) ऐसे खनिज पदार्थों और वास्तुओं के खोज-बीन का पता चले जाये, जिनका इस समय पूरी तरह का अग्रिम प्राप्त किया जाता है,
- (ख) खनिज लोहा, बाक्साइट, मैंगनीज, फोस्फोरस, चूने का पत्थर-जैंगे खनिज पदार्थों के अतिरिक्त खनिजों का पता लगाया जा सके और अग्रिम-कार्यक्रमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें विकसित किया जा सके, और
- (ग) खनिजों का पता लगाया जा सके और खनिज लोहा-जैंगे निर्यात-योग्य खनिज पदार्थों के उत्पादन के लिए नई खानें शुरू की जा सकें।

इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आगामी वर्षों में भूगर्भीय मानचित्र तैयार करने का काम तीव्र गति से किया जाए, भू-भौतिक और भू-रासायनिक तरीकों का उपयोग अधिक व्यापक स्तर पर किया जाए और ऐसे साधनों का पूर्णतः विस्तृत रूप में किया जाए, जिनसे खनिज पदार्थ मिलने की आशा हो, ताकि उन्हें विकसित करने के विचार से यह पता लगाया जा सके कि खनिज कितना है और उनकी किन्हीं की है।

16 तीसरी योजना में जो खनिज-विकास-कार्यक्रम चले गए हैं और जिनका उल्लेख उद्योगों से सम्बन्धित 26वें अध्याय के अनुबन्धों में किया गया है, उनके लिए सरकारी क्षेत्र में 478 करोड़ रुपये (इसमें 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है) और निजी क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रुपये (28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा-सहित) लगाने पड़ेंगे। इस समय सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज पदार्थों के लिए 1,520 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जब कि इन कामों के लिए कुल मिलाकर 1,882 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मानवों की आवश्यकता और उनकी वास्तविक उपलब्धि के इन अन्तर से प्रकट होता है कि इस क्षेत्र के बहुस्तरीय कार्य चौकी योजना में शामिल करने होंगे और कुछ लक्ष्यों की पूर्ति तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक नहीं हो सकेगी। जैसा कि उद्योगों से सम्बन्धित अध्याय में बताया जा चुका है (पैरा 24), इस समय ठीक-ठीक बताना कठिन है कि किन-किन परियोजनाओं की क्रियान्विति में देर लगेगी।

कोयला

17 मातृका अनुमान . तापीय विजली पैदा करने के और रेलों के विकास-कार्यक्रमों और लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा अन्य ऐसे उद्योगों के, जिनमें कोयले की खपत बहुत बढ़ती है, निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में कोयले की मांग 9 करोड़ 70 लाख टन होगी। यह अनुमान अग्रलेख पृष्ठ पर दी गई बाताओं के ध्यान में रख कर लगाया गया है।

(क) क्षेत्रों में विद्युत और पंपिंग या उपयोग करने के कार्यक्रम का उनकी कोयले-उत्पादन-आवश्यकताओं पर प्रभाव, और (ग) राष्ट्रीय विजली पैदा करने के लिए वायवीय निर्माण और विद्युत का प्रयोग।

18. तीसरी योजना के लिए 4 करोड़ 70 लाख टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी पूर्ति के लिए दूसरी योजना के 6 करोड़ टन के लक्ष्य से 3 करोड़ 70 लाख टन अधिक कोष का पैदा करना होगा। यद्यपि दूसरी योजना के लक्ष्य की पूर्ति में पूरी सफलता मिल सकती, तथापि दूसरी योजना के लिए अपेक्षित धनगत उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होने वाली योजना की क्षमता में ही कमी आ जाती है। वर्ष 1961 में 52 लाख 70 हजार टन कोयले का उत्पादन हुआ। 1960-61 के लिए निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रति मास योजना पर विजला उत्पादन होना चाहिए था, उगते यह मात्रा कुछ अधिक थी थी।

19. दूसरी योजना की क्षमता में अतिरिक्त उत्पादन में निजी क्षेत्र ने अपना योगदान को इस माती के द्वारा ही दिया, जब कि सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन अधिकतर नए उत्पादों में हुआ। तीसरी योजना में दूसरी अधिक मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता है कि उत्पादन में मात्रा में धन-पैसे—विशेषकर में सरकारी क्षेत्र में। ये मात्रा विकसित करने दिवस का, दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित करने पड़ेगी। इसके लिए अत्यधिक प्रयास और उत्पन्न उत्पादों को जगते ही आवश्यकता होगी।

20. अनुमान है कि उत्पादन के कारखानों और व्यापारिक कोठारखानों के लिए लगभग 2 करोड़ 50 लाख टन और 20 लाख टन धातुशोषी कोयले की आवश्यकता होगी। प्रतिदिन मात्रा के सामान्य जर्गारों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि जहा तक हो सके, कम-कोटिंग या अर्द्ध-कोटिंग कोयले को लक्ष्य कोटिंग कोयले के साथ मिला कर काम में लाया जाए, जिससे कि कोटिंग कोयले का काम इस्तेमाल हो। ऐसा किया भी जाने लगा है। दुर्भाग्य के उत्पादन-कारखाने और पश्चिम-बंगाल के कोठार-भट्टी-सयंत्र (दुर्गापुर) में रानी-गढ़ के अर्द्ध-कोटिंग कोयले और हरिया के कोटिंग कोयले को मिला कर काम में लाया जाता है। वर्ष 1960 में उच्च कोटि (चुनीदा कोटि और प्रथम कोटि) के कोटिंग कोयले का उत्पादन लगभग 1 करोड़ 30 लाख टन और मिश्रणीय कोयले का उत्पादन लगभग 20 लाख टन था। उन बात को ध्यान में रखते हुए कि धातुशोषी कोयला-उद्योगों की कुछ आवश्यकता की मिश्रणीय कोयले में पूरी हुई जाएगी, अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना की अंतिम के अंत में कोटिंग कोयले और मिश्रणीय कोयले की जो अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होगी, वह लगभग 1 करोड़ टन और 20 लाख टन होगी। अनुमान लगाया गया है कि ये सब और अन्य उद्योगों के लिए उच्च कोटि के गैर-कोटिंग कोयले की जो अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होगी, वह लगभग 1 करोड़ टन होगी। 9 करोड़ 70 लाख टन का जो उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका कोयले की कोटि के अनुसार विभाजन उन प्रकार है

(लाख टनो में)

चुनीदा—क	120 5
चुनीदा—ख	188 7
प्रथम कोटि	442. 8

द्वितीय कोटि	159.7
तृतीय कोटि	57 1
योग	<hr/> 968 8

तीसरी योजना में कोयला-कार्यक्रम का मकसद महत्वपूर्ण उद्देश्य यह व्यवस्था करना है कि इस्पात-कारखानों और व्यापारिक कोक-कारखानों को कोकिंग और मिथनीय कोयला और रेलवे तथा अन्य उद्योगों को गैर-कोकिंग कोयला, जिनकी उन्हें अनिवार्य रूप से जरूरत होती है, आवश्यक मात्रा में मिलता रहे। उपर्युक्त कोटियों के कोयले की अतिरिक्त मात्रा मुख्यतः झरिया और रानीगंज की कोयला-खानों से प्राप्त करनी होगी और इसमें सरकारी क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय भाग लेगा।

21 अतिरिक्त उत्पादन का नियतन - कार्यक्रम तैयार करने और विशेष रूप से इस बात का निश्चय करने में कि कितना अतिरिक्त उत्पादन निजी क्षेत्र में होना चाहिए और कितना सरकारी क्षेत्र में, उपर्युक्त उद्देश्यों का और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है

(क) निजी क्षेत्र की अपनी चालू खानों और आमपाम के डलाको में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता, तथा

(ख) सरकार की नीति, जिसके अनुसार नई खानें शुरू करने का अधिकार केवल सरकारी क्षेत्र को प्राप्त है।

निजी क्षेत्र की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता एक कार्यकारी दल के द्वारा आंकी गई। अलग-अलग कम्पनियों के विस्तार-कार्यक्रम के व्योरो की जांच करने के बाद इस दल ने उनकी क्षमता 1 करोड़ 68 लाख 30 हजार टन आंकी। इसके अनुसार, 3 करोड़ 70 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा में से सरकारी क्षेत्र को 2 करोड़ टन का उत्पादन करना होगा। दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन का यह नियतन ऐसा नहीं है कि इनमें घट-बढ़ न की जा सकती हो। कार्यक्रमों की प्रगति पर हमेशा दृष्टि रखी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें फेर-बदल किया जा सके। मूल उद्देश्य यह है कि कुल जितनी मात्रा में उत्पादन करने की योजना बनाई गई है, उतनी मात्रा अवश्य प्राप्त हो जाए।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम

22 सरकारी क्षेत्र में तीस लाख टन की अतिरिक्त मात्रा आन्ध्रप्रदेश में सिंगरेनी की कोयला-खानों का विस्तार करके प्राप्त की जाएगी। इसके लिए चालू खानों का विस्तार किया जाएगा और अधिकतम नए इलाको में नए गड्डे (शैफ्ट) नोदे जाएंगे। शेष 1 करोड़ 70 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा राष्ट्रीय कोयला-विकाम-निगम को प्राप्त करनी होगी। तीमरी योजना के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नए क्षेत्रों का पूर्वेक्षण 1958 में आरम्भ किया गया था और अब तक जो सामग्री एकत्र की गई है, उसके आकार पर निगम ने 1 करोड़ 85 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। विभिन्न कोयला-क्षेत्रों में मात्रा का विभाजन अस्थायी रूप से अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

सांख्यिक-संख्या 5

राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के प्रतिरिक्त उत्पादन का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	(लाख टन में)
उत्तर-पूर्व	10
उत्तर	25
उत्तर-पश्चिम	10
पश्चिम	2
दक्षिण (सर्गिमा)	5
दक्षिण-पूर्व (सर्गिमा)	5
मध्य	3
दक्षिण	25
दक्षिण-पूर्व	15
पश्चिम-मध्य	10
पूर्व (सर्गिमा)	10
दक्षिण-पूर्व	5
मध्य	15
दक्षिण (सर्गिमा)	15
दक्षिण (सर्गिमा नं० 8 और 9)	5
दक्षिण (सर्गिमा नं० 1)	5
दक्षिण	5
दक्षिण	15
योग	185

उत्पन्न परियोजनाओं में से पानी दो पक्की हो चुकी है। परियोजना-रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और स्वीकृत कर दी गई है तथा तीसरी योजना के पहले वर्ष के दौरान ही उत्पादन होने लगेगा। बाढ़ की चार परियोजनाएँ वर्तमान पानी में विस्तार की परियोजनाएँ हैं और चूँकि जमीनें के बारे में सुनिश्चिता वाले मालूम हो चुकी है, इसलिए उनके लिए तब किए गए लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अन्य परियोजनाओं का सम्बन्ध है, सब क्षेत्रों में अभी पूर्वोक्त का काम पूरा नहीं हुआ है। आशा की जाती है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए काफी जानकारी हासिल कर ली जाएगी और योजना के तीसरे वर्ष में नई प्लानें शुरू की जा सकेंगी। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के प्रयास से 1 करोड़ 70 लाख टन कोयला मिलाने की आशा है, जब कि इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुल मिला कर 1 करोड़ 85 लाख टन कोयला मिलना चाहिए। इन कार्यक्रमों पर अमल करने में कहीं आशा में कम मफलता प्राप्त न हो—इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए अधिक क्षमता की गुंजाइश रखी गई है। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत बिल्कुल

नए इलाकों में लगभग एक साथ ही कई खानें शुरू करनी पड़ेंगी। एक ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अन्य उद्योगों का भी व्यापक स्तर पर विकास करने में लगा हुआ है, यह एक बहुत बड़ा काम है। कार्य की व्यापकता और अनुभवों तकनीकी कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में नई खानों, कारखानों और कोयला धोने के कारखानों की स्थापना के लिए ब्रिटेन, पोलैंड, पश्चिम-जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वेय रूस और अमेरिका ने तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

23 अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र में 2 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला पैदा करने के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना की अवधि में चौथी पंचवर्षीय योजना के कोयला-कार्यक्रम की तैयारी पर दस करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे।

निजी क्षेत्र के कार्यक्रम

24 कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार निजी क्षेत्र में मिलनेवाली अतिरिक्त माना का विभाजन इस प्रकार है

कोकिंग कोयला	48 लाख 70 हजार टन
मिथ्रणीय कोयला	11 लाख 20 हजार टन
उच्च कोटि का गैर-कोकिंग कोयला	1 करोड़ 8 लाख 40 हजार टन

कोकिंग कोयला मुख्यतः झरिया में, मिथ्रणीय कोयला रानीगंज से और गैर-कोकिंग कोयला मुख्यतः रानीगंज-कोयला-क्षेत्र में तथा थोड़ी मात्रा में बोकारो, करनपुरा और मध्य-प्रदेश के कोयला-क्षेत्रों से भी मिल सकेगा। कोकिंग, मिथ्रणीय और गैर-कोकिंग कोयले के अतिरिक्त सम्भावित उत्पादन का अलग-अलग अन्दाजा लगाने के अलावा कार्यकारी दल ने कोटि और क्षेत्र के अनुसार भी अतिरिक्त उत्पादन का विभाजन किया तथा वापिक पाषाण पर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं की धोरणें तैयार कीं। अतिरिक्त उत्पादन का एक बड़ा भाग (1 करोड़ 10 लाख टन) चालू खानों में मिलेगा और बाकी हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में नए गढ़े खोद कर मिलेगा, जो ठेके पर लिए गए क्षेत्र हैं। अनुमान है कि निजी क्षेत्र के कार्यक्रम में लगभग 60 करोड़ रुपये लगेंगे, जिनमें 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

25 ऊपर पंरा 20 में 9 करोड़ 70 लाख टन के लक्ष्य का कोटि के अनुसार जो विभाजन किया गया है, उसमें प्रकट है कि घटिया किस्म के कोयले का अनुपात बहुत कम है। घटिया किस्म का कोयला दूसरी चीजों के साथ-साथ ईंट पकाने और घर के काम-काज में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसकी मांग का उतना नहीं और ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जितना कि अच्छी किस्म के कोयले का, जिनकी आवश्यकता बड़े-बड़े उद्योगों में होती है। घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन अपेक्षाकृत कम खर्च करने की शक्ति रखता है, क्योंकि यह अविद्यमान खले पानी में उत्पादन योग्य है। उत्पादन करने की क्षमता उससे उत्पादन में उतनी बाधक नहीं होती, जितनी कि किस्म के कोयले की। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के कार्यक्रमों के अंतर्गत कोयला-कार्यक्रम का कोयला-क्षेत्र के अनुसार विभाजन अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।

तालिका-संख्या 6

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कोयले के अतिरिक्त उत्पादन का
कोयला-क्षेत्र के अनुसार विभाजन

(लाख टनो में)

क्षेत्र	कोकिंग	मिश्रणीय	गैर-कोकिंग	योग
बंगाल-विहार				
रानीगंज	3 5	16 2	86 6	106 3
झरिया	58 4	—	—	58 4
बोकारो	16 8	—	3 3	20 1
पश्चिम-बोकारो	5	—	—	5
रामगढ़	15	—	—	15
करनपुरा	—	—	4 2	4 2
मध्यप्रदेश				
पेंच-कान्हन	—	—	34 3	34 3
विश्रामपुर	—	—	25	25
चर्चा-झिलिमिली	—	5	5	10
सिंगरौली	—	—	25	25
कोर्वा	—	—	15	15
महाराष्ट्र				
कामठी	—	—	15	15
उड़ीसा				
तालचर	—	—	20	20
आन्ध्रप्रदेश				
सिंगरेनी	—	—	30	30
योग	98 7	21 2	263 4	383 3

26 इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए कोकिंग कोयले के ज्वारी (जितने का अब तक पता चला है) सीमित ही माने जाएंगे। ये लगभग 280 करोड़ टन हैं, जब कि उच्च कोटि के खनिज लोहे के बहुत बड़े-बड़े ज्वारे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय करना आवश्यक है, जिनमें एक अग्र कोकिंग कोयले की सीमित मात्रा का संरक्षण ही सके—जैसे, क्षेप्य भरण, घुलाई और मिश्रण, ताकि ज्वारे अधिक समय तक रह सकें, और दूसरी ओर उसका इस्तेमाल कृषायत में किया जा सके। धमन-भट्टियों में खनिज लोहे के चूरे का उपयोग तो किया ही जाए, क्योंकि इसका उपयोग न किया गया, तो यह बेकार चला जाएगा, भाप ही निःस्रावित (मिटवें) खनिज भी वान में लाई जाए, तो प्रति टन इस्पात के हिमाव में कोयले की गणत कम हो जाएगी। नरक्षण में अन्य उपाय तो पहले से ही किए जा रहे हैं, किन्तु निःस्रावित कच्चे धातु का प्रत्येक व्यापक स्तर पर उपयोग करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। खनिज लोहे के चूरे के इस्पात-निर्माणों

में काम में लाए जाने या निर्यात के योग्य बनाने के लिए ज्वालाग्ध चयन की तकनीकी सम्भावना, उसके अर्थशास्त्रीय पक्ष, और वास्तव में इस तरीके ने किन्तु हृद तक काम लिया जा सकता है—इन सब बातों पर सरकार-द्वारा नियुक्त एक समिति विचार कर रही है।

27 कोटि को ध्यान में रखते हुए गत कुछ वर्षों में कोयले के उत्पादन पर दृष्टि डाली जाए तो प्रकट होगा कि कुल उत्पादन में प्रथम कोटि और घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन समानुपात घटता रहा है। पश्चिम-बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों में सम्बन्धित जो तालिका नीचे दी गई है, उससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है

तालिका-संख्या 7

पश्चिम-बंगाल और बिहार की कोयला-खानों के कोटिपरक उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

(लाख टनों में)

वर्ष	चुर्नीदा- क	चुर्नीदा- ख	प्रथम कोटि	द्वितीय कोटि	तृतीय कोटि	योग
1951	72 03	94.04	50.80	45 01	20.28	282 16
1955	71.68	102.76	63 09	54.15	15 70	307 38
1956	68.26	103 96	69.88	52 96	18 42	313 48
1960	74.57	99 00	143.36	59 58	32 10	408 61

सन् 1951 की अपेक्षा सन् 1960 में कुल उत्पादन 2 करोड़ 82 लाख टन में बढ़ कर 4 करोड़ 8 लाख 60 हजार टन तक पहुँच गया, किन्तु चुर्नीदा-क कोयले का उत्पादन 72 लाख टन में बढ़ कर केवल 75 लाख टन तक और चुर्नीदा-ख कोयले का 94 लाख टन से बढ़ कर 99 लाख टन तक ही पहुँच सका (यद्यपि सन् 1955 और सन् 1956 में यह मात्रा बढ़ कर क्रमशः 103 लाख टन और 104 लाख टन तक पहुँच गई थी)। प्रथम कोटि के कोयले का उत्पादन 51 लाख टन से बढ़ कर 143 लाख टन तक, द्वितीय कोटि के कोयले का उत्पादन 45 लाख टन में बढ़ कर 60 लाख टन तक और तृतीय कोटि के कोयले का उत्पादन 20 लाख टन में बढ़ कर 32 लाख टन तक पहुँच गया। इस प्रवृत्ति का कारण कुछ तो यह भालूम होता है कि चुर्नीदा कोटि के कोयले के अतिक्रमण ने निकाले जा सकनेवाले खखीरे धीरे-धीरे खत्म हो गए और चुर्नी हुई खानों की खुदाई बन्द करनी पड़ी। दूसरा कारण हुआ, बढ़ती हुई यान्त्रिक खनन-क्रियाएँ। तीमरी योजना की अवधि के अन्त तक कोयले के कुल उत्पादन में प्रथम कोटि के कोयले और घटिया किस्म के कोयले के उत्पादन का समानुपात चुर्नीदा कोटि के कोयले के उत्पादन के समानुपात की अपेक्षा बहुत तेजी में बढ़ेगा। अच्छी किस्म के कोयले के उत्पादन की वृद्धि में बढ़ती हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस बात की तात्कालिक आवश्यकता है कि उसके उपयोग में किरायात की जाए। कोयला-परिपक्व की ईंधन-उपयोग-समिति ने प्रत्येक उद्योग की ईंधन-सम्बन्धी आवश्यकताओं को सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करके और अच्छी किस्म के कोयले के उपयोग में किरायात बरतने की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की किस्में, कोटिया और माप निर्धारित कर दिए हैं।

28 **क्षेप्य भरण** . तीसरी योजना की अवधि में संरक्षण के एक उपाय के रूप में क्षेप्य भरण पर बहुत बल देना होगा, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का एक हिस्सा चालू खानों में 'डिप्लोमिया' के द्वारा ही मिलता है। बड़ी कोयला-खानों में रेत इकट्ठी करने और मगाने की व्यवस्था स्वयं करती है, किन्तु तकनीकी और वित्तीय कारणों से छोटी कोयला-खानों इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती। इस असुविधा को दूर करने और क्षेप्य भरण के लिए रेत अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य में कोयला-मंडल सात रस्सी-मंडल स्थापित करेगा—चार क्षणिया के कोयला-क्षेत्र में और तीन रानीगज के कोयला-क्षेत्र में। रेत दामोदर और अजय नदियों से इकट्ठी की जाएगी और ऐसे स्थानों पर पहुँचाई जाएगी, जहाँ ऐसी खानों के नमूहों को वह आसानी से मिल सके, जिन्हें क्षेप्य भरण की तात्कालिक आवश्यकता, कोयले की किस्म, आदि को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। अनुमान है कि रस्सी-मार्ग पर 17 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्यक्रम में निश्चित किया गया है कि योजना के पहले दो वर्षों के दौरान रस्सी-मार्ग तैयार हो जाने चाहिए, किन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण सम्भव है कि काम निश्चित समय के भीतर न हो सके।

29 **तकनीकी कर्मचारी** : कोयला-परिपद की उत्पादन और तैयारी-समिति ने अनुमान लगाया कि 3,000 प्रबन्ध-कार्यकर्ताओं (खनन-इंजीनियरी की डिप्लोमाले) और 37,000 अवर कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, कुछ विजली, यान्त्रिक और मिविल इंजीनियरी के कर्मचारियों तथा टेक्नीशियनों की भी आवश्यकता होगी। ऊपर इंगित 3,000 प्रबन्ध-कर्मचारियों से कोयला-खनन और घालुमय लौह-खनन—दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति हो सकेगी।

30 **दूसरी योजना के आरम्भ में केवल दो संस्थाएँ थीं—**'कालेज आफ माइनिंग एंड मेटालर्जी' वाराणसी और 'इंडियन स्कूल आफ माइनिंग एंड एप्लायड जियोलॉजी' बनारस—जिनमें खनन-सम्बन्धी डिप्लो-पाठ्यक्रम की सुविधाएँ थीं। सन् 1956-57 में, इन दोनों संस्थाओं में, जगहें बड़ा कर दुगुनी कर दी गईं। इसके अतिरिक्त, पाच इंजीनियरी कालेजों और 'इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी', खडगपुर में खनन के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष 25 से 30 छात्र तक भरती हो सकते हैं।

31 **खानों के मुख्य निरीक्षक ने कोयला-खान-विनियमों में कुछ हद तक ढील देना स्वीकार कर लिया है, साथ ही खान-प्रबन्धकों के योग्यता-प्रमाणपत्र की वर्ष में दो परीक्षाएँ करना भी मजबूर कर लिया है। इस समय वर्ष में केवल एक परीक्षा होती है। इन उपायों से प्रबन्ध-कर्मचारियों की जो आवश्यकता है, वह कमोवेश पूरी हो जाएगी। जहाँ तक अवर तकनीकी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, खनन और खनन-सर्वेक्षण के राष्ट्रीय प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम के लिए 14 संस्थाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। ये संस्थाएँ केन्द्रीय सरकार की सहायता से सम्बन्धित राज्य-सरकारों-द्वारा स्थापित की जाएँगी। पश्चिम-बंगाल, मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा में खनन की सान्ध्य कक्षाएँ खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पश्चिम-बंगाल और बिहार में खान की सान्ध्य कक्षाएँ पहले से चल रही हैं, किन्तु राष्ट्रीय प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम के स्तर पर लाने के लिए उनका फिर से संगठन करना आवश्यक है।**

32 राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम पाच प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इन विद्यालयों में हाल ही में जगहों की मध्या लगभग दुगुनी कर दी गई है और कम-से-कम योजना के पहले तीन वर्षों में निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति इन विद्यालयों में हो सकेगी। सिंगरेनी-कोयला-क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए एक आगिर्दी-योजना शुरू की गई है। इस उद्योग के निजी क्षेत्र में कुछ बड़े खान-समूहों के अपने नियमित विद्यालय हैं, जहां आगिर्द भरती किए जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरी योजना में निजी क्षेत्र को कोयला का अतिरिक्त उत्पादन जितनी बड़ी मात्रा में करना है, उसको देखते हुए कुछ और सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ सकती है और प्रशिक्षण-क्रम में कुछ हद तक एकस्पता लानी पड़ सकती है।

33 परिवहन : कोयले का उत्पादन बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों में केन्द्रित होने के कारण परिवहन की विकट समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि कोयले को देश-भर में फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ना है। वहिर्वर्ती कोयला-क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा कर परिवहन की कठिनाइयों को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, किन्तु इससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकती क्योंकि बंगाल-बिहार के कोयला-क्षेत्रों, विशेष रूप से रानीगंज के कोयला-क्षेत्र, के बाहर अच्छी किस्म का कोयला प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता। तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन-कार्यक्रम में वृद्धि होने के कारण दूर के उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने में रेलवे पर और अधिक दबाव पड़ेगा। रेलवे की क्षमता बढ़ाई जा रही है, किन्तु रेल-परिवहन पर दबाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि (क) कोयला-क्षेत्रों के पास के उपभोक्ताओं तक कोयला सबक में ले जाया जाए, और (ख) दक्षिण तथा पश्चिम-भारत के उपभोक्ताओं के लिए रेल और समुद्र के मिले-जुले रास्ते से ले जाए जानेवाले कोयले की मात्रा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाए। इस प्रकार के उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस बात की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है कि पश्चिम और दक्षिण-भारत के उपभोक्ता कोयले के बदले भट्ठी-नेल का उपयोग करे।

34 कोयला धोने के कारखाने : दूसरी योजना के उत्पाद-कार्यक्रम के अनुसार 1 करोड़ 16 लाख 30 हजार टन कच्चा कोयला धोने (यानी 81 लाख टन धुले कोयले) की क्षमता स्थापित करना आवश्यक था। इनमें 60 लाख 30 हजार टन कच्चा कोयला धोने, यानी 41 लाख टन धुले कोयले, की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। आशा है कि शेष क्षमता मई 1963 के मध्य तक पूरी तरह स्थापित हो जाएगी।

किया जाएगा। कठारा के कारखानों में कठारा-खान और जारगडीह, मावग तथा करगली की गहरी खानों का कोयला और करनपुरा के कारखानों में झरिया-कोयला-क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला-विकसन-निगम की नई खान का कोयला धुलने के लिए आ सकेगा। करनपुरा के कारखानों का दोहरा प्रयोजन है। धुला हुआ भाप-कोयले की खपत रेलवे में होगी। भोजपूडीह और दुगडा के कारखानों की धुलाई-क्षमता बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होगी चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों का कोयला धुलने के लिए आएगा, उनके अधिकांश कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताएँ पहले ही मान्य हैं। करनपुरा और कठारा के कारखानों के बारे में प्रारम्भिक पन्थोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए आकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। झरिया के मध्य में कायम किया जानेवाला कारखाना त्रयद तीसरी योजना की अवधि के अन्त में ही स्थापित हो सकेगा, क्योंकि नई खान की स्थापना में और उसके कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताएँ निश्चित करने में कुछ समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, दुर्गापुर में पश्चिम-बंगाल कोक-मिट्टी-कारखाने के अखंड भाग के रूप में कोयला धोने का एक कारखाना कायम करने की भी योजना बनाई जा रही है।

36 उपर्युक्त धुलाई-कारखाने मुख्यतः इस्पात-कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं। इनके अलावा, योजना में गैर-कोकिंग कोयले के लिए भी, जिनकी आवश्यकता रेलवे को होती है, धुलाई-कारखाने खोलने की व्यवस्था की गई है। गैर-कोकिंग कोयले को धोना आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि खान से निकाले जानेवाले कोयले की किस्म धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है और अच्छी किस्म का गैर-कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलन में कठिनाई होती है। कोकिंग कोयले के विपरीत गैर-कोकिंग कोयले के धोने में अधिक कठिनाई होती है और इन कोयलों की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो सकी है, वह अपर्याप्त है। इसके अलावा, कोकिंग कोयला धोनेवाले कारखानों में रेलवे के उपयोग के लिए धुले हुए भाप-कोयले की मात्रा साफ कोयले की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होगी। इसलिए कार्यक्रम में व्यवस्था की गई है कि विभिन्न कोयला-खानों से निकाले गए गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं की विस्तृत रूप से छानबीन की जाए और धुलाई से सम्बन्धित अर्थशास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन किया जाए। प्रारम्भिक अध्ययन हो जाने और इस प्रकार के कोयले की धुलाई से सम्बन्धित अर्थशास्त्रीय पक्ष निश्चित कर दिए जाने के बाद इन अतिरिक्त धुलाई-कारखानों को स्थापित करने का विचार है। प्रायोगिक रूप से 70 से 80 लाख टन (कच्चा कोयला) तक की क्षमता स्थापित करने का विचार है।

37 नडवेली-लिग्नाइट-परियोजना : दक्षिण-अर्काट जिले (मद्रास) में नडवेली स्थान पर लिग्नाइट-सचय के सम्बन्धित विकास की परियोजना में, जो दूसरी योजना में सम्मिलित की गई थी, निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए थे

(1) प्रति वर्ष 35 लाख टन कच्चे लिग्नाइट का उत्पादन, जिससे निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके :

(क) 250 मिलीवाट की क्षमतावाला एक तापीय बिजली-सयन्त्र,

(ख) यूरिया के रूप में 70,000 टन स्थिर नत्रजन तैयार करनेवाला एक उर्वरक-सयन्त्र, और

(ग) 3,80,000 टन कार्बनीकृत ब्रिकेट तैयार करने के लिए धावन और कार्बनीकरण-मयन्त्र तथा

(2) प्रति वर्ष 6,000 टन मफेड चीनी मिट्टी और बाल बने का उत्पादन करने के लिए मिट्टी की घुलाई का मयन्त्र ।

सम्बन्धित परियोजना के विभिन्न अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो विजली बच रहेगी, वह राज्य की विजली-स्यवस्था को दे दी जाएगी ।

आम तथा विशेष प्रकार की मशीनों में काम लेते हुए जालों में जल्दोरी के ऊपर पड़े हुए किरचे को हटाने का कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और तापीय विजली-मयन्त्र की पहली टुकड़ी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मई 1961 के अन्त में ठीक समय पर लिग्नाइट का उत्पादन शुरू हो जाएगा । इनके बाद धीरे-धीरे उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और तापीय विजली-केन्द्र की दूसरी टुकड़ियां तथा उर्वरक और त्रिफेजोकरण तथा कम-तापीय कार्बनीकरण-मयन्त्रों की स्थापना के साथ उत्पादन दूसरी योजना के निर्धारित लक्ष्य, यानी 35 लाख टन, तक पहुंच जाएगा ।

तीमरी योजना में ये उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं (क) दूसरी योजना के कार्यक्रमों को पूरा करना, (ख) तापीय विजली की क्षमता में 150 मिलोवाट की वृद्धि करना, (ग) लिग्नाइट के उत्पादन को दूसरी योजना के 35 लाख टन के लक्ष्य में बढ़ा कर 38 लाख टन तक पहुंचाना, ताकि विस्तार किए हुए तापीय विजली-मयन्त्र की ईंधन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । ऊपर (ख) में बनाए गए उद्देश्य के लिए 15 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जिसमें 9-93 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है । सिचाई और विजली ने सम्बन्धित अध्याय नंबर 54 में इनके बारे में बताया गया है । खान-उत्पादन के विस्तार पर 3-8 करोड़ रुपये (1-45 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा-सहित) के व्यय का अनुमान है । यह राशि मुख्य रूप से विशिष्ट प्रकार के खनन-उपकरणों की एक अनिश्चित टुकड़ी खरीदने में बर्च होगी । यह उपकरण लिग्नाइट के उत्पादन को बढ़ा कर 60 लाख टन तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा । लिग्नाइट पैदा करने के लिए प्रस्तावित उच्च तापीय कार्बनीकरण-मयन्त्र के लिए लिग्नाइट की यह मात्रा आवश्यक होगी (देखिए, उद्योगों ने सम्बन्धित अध्याय का पैराग्राफ 40) ।

खनिज तेल

38 खनिज तेल-सम्बन्धी कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए गए हैं : (क) अक्षम में आयल इंडिया के ठेके के क्षेत्रों में जो खजारे हैं, उनका कम्पनी-द्वारा उपयोग, (ख) तेल के जल्दोरी का पता लगाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग-द्वारा अधिक खोज-बीन और तेल का अतिरिक्त उत्पादन, (ग) क्रमशः गौहाटी और बरौली में नैन-शोधनालयों के निर्माण का काम पूरा करना और गुजरात में एक नया शोधनालय स्थापित करना, जिनकी क्षमता लगभग 20 लाख टन होगी, (घ) पेट्रोल की बनी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप-लाइनें तैयार करना, और (ङ) सरकारी क्षेत्र के शोधनालयों में तैयार की गई चीजों तथा देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण विदेशों से फायदे की शर्तों पर मंगाई गई चीजों का सरकार की मार्गदर्शित वितरण करने के लिए नुविदाएं देना । (ग) के विषय में उद्योग-सम्बन्धी अध्याय के पैरा 86 में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है ।

39 सरकारी क्षेत्र के शोबनालयों के लिए, जो गौहाटी (नूनमती) और बरोनी में स्थापित किए जा रहे हैं, काफी सख्या में तेल के कुओ की व्यवस्था करने के लिए आयल इंडिया-द्वारा अतिरिक्त कुए खोदे जाएंगे। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में इस काम पर सरकार को 1 4 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कुए खोदने और पाइप-लाइन विद्यमान के कार्यक्रम पर इस प्रकार अमल किया जाएगा कि शोबनालयों के निर्माण का काम पूरा होने के साथ ही यह कार्यक्रम भी पूरा हो जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अगर असम में आयल इंडिया के क्षेत्रों में अतिरिक्त जखीरों का पता लग जाए, तो बिना साफ किए तेल का वार्षिक उत्पादन बढ़ाकर 27 लाख 50 हजार टन से अधिक कर दिया जाए। यदि ऐसा हुआ या असम के अन्य क्षेत्रों में व्यापार के लिए काम में लाए जा सकनेवाले तेल के जखीरे मिले, तो इस समय जो पाइप-लाइन तैयार की जा रही हैं, उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे वह ज्यादा तेल ले जा सके। पाइप-लाइन का डिजाइन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है।

40 यदि आयल इंडिया नहरकटिया-क्षेत्र में प्रति वर्ष 27 लाख 50 हजार टन की दर से उत्पादन करने लगे, तो देशी स्रोतों से प्राप्त होनेवाले बिना साफ किए तेल की मात्रा देश की आवश्यकता से बहुत कम होगी। इसलिए तेल के नए जखीरों की खोज आवश्यक है। दूसरी योजना में सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के द्वारा तेल की खोज का कार्यक्रम स्वयं आरम्भ किया। आयोग के कार्यों के फलस्वरूप गुजरात के खम्भात-अकलेश्वर-क्षेत्र और असम के शिवसागर-क्षेत्र में तेल और गैस का पता लगा है। तेल के जखीरों का पता लगाने और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए आयोग तीसरी योजना के दौरान अधिक व्यापक स्तर पर काम करेगा।

तीसरी योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 115 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है, जब कि दूसरी योजना में इसके लिए केवल 26 करोड़ रुपये रखे गए थे। इस कार्यक्रम के क्षेत्र में कावेरी-घाटी समेत देश के ऐसे सभी अवसादीय (मैडीमेंटरी) इलाके आ जाएंगे, जहां से तेल मिलने की आशा होगी, किन्तु शुरू में खम्भात-अकलेश्वर और शिवसागर के क्षेत्र में ही मुख्य रूप से कुए खोदने पर बल दिया जाएगा, ताकि वहां तेल के जिन जखीरों का पता लगा है, उनसे तेल निकाला जा सके। जिन इलाकों में तेल के जखीरे मौजूद हैं और इस स्थिति में है कि उनमें तेल निकाला जा सकता है, वहां उत्पादन के विकास और पाइप-लाइनों के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार रकम देने की व्यवस्था की जाएगी।

सरकार ने विदेशी तेल-अन्वेषकों को भी भागत में तेल खोजने के लिए बुलाने का निश्चय किया है। उनसे कहा जाएगा कि वे ऐसी अर्थों पर इस काम में हाथ बटाए, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। जिन कम्पनियों ने यह काम करना स्वीकार किया है, उनमें से एक 'बर्मा आयल कम्पनी' भी है। असम में तेल के अन्वेषण और उत्पादन के लिए सहयोग के नए आधार का बारे में इन कम्पनी में बातचीत हो चुकी है। आयल इंडिया की हिम्मा-पूजी और व्यवस्था, दोनों में सरकार और 'बर्मा आयल कम्पनी' बराबर के भागीदार होंगे। (पहले सरकार का केवल एक-तिहाई हिस्सा था)। पुनर्गठित रूप में बम्पनी नहरकटिया, भोरन और हुगरीजन के वर्तमान क्षेत्रों में और भाग ही वर्तमान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में 1,586 वर्ग मील के नए क्षेत्र में काम करेगी। शोधन और हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी कामों की जिम्मेदारी

पहले की तरह सरकारी क्षेत्र पर ही होगी, किन्तु डिगबोई-शोबनालय को, जो 'बर्मा आयल कम्पनी' की एक उपमनी 'असम आयल कम्पनी' के स्वामित्व में है, बिना साफ किया तेल देने का आश्वासन दिया गया है। डिगबोई-तेल-क्षेत्र से शोबनालय की आवश्यकता में जितनी कमी रह जाएगी, उतना बिना साफ किया हुआ तेल उसे मिलता रहेगा। आयल इंडिया में यथासम्भव अधिक-से-अधिक सख्या में भारतीयों को नौकरी मिलेगी और उनके प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ दी जाएगी तथा 'बर्मा आयल कम्पनी' आयल इंडिया के खर्च से भारतीयों को विदेश में पेट्रोल-उद्योग से सभी विषयों में प्रशिक्षण दिलाएगी।

भारत-सरकार के आमन्त्रण पर दूसरी विदेशी कम्पनियों ने जो सेवाएँ प्रस्तुत की हैं, उन पर विचार किया जा रहा है।

आशा की जाती है कि दिसम्बर 1961 से अकलेश्वर-क्षेत्र में बिना साफ किए तेल का उत्पादन प्रायोगिक रूप से 1,500 टन प्रति दिन के हिसाब से शुरू हो जाएगा और अनुमानित अक्षरे से प्रति वर्ष 20 लाख टन से 25 लाख टन तक तेल प्राप्त हो सकेगा। आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक देशी बिना साफ किए तेल का उत्पादन 65 लाख टन तक पहुँच जाएगा और तीसरी योजना के दौरान देशी बिना साफ किए तेल का कुल उत्पादन लगभग 1 करोड़ 80 लाख टन हो जाएगा।

41 तेल का वितरण - 'इंडियन आयल कम्पनी', जिसकी स्थापना तेल के सामान के वितरण और विपणन के लिए सरकारी एजेंसी के रूप में सन् 1959 में हुई थी, सौविद्यत रूस के निर्यात-संगठन के साथ चार वर्ष का एक करार कर चुकी है। इसके अनुसार, करार की अवधि में 19 लाख टन उन चीजों का, जिनका देश में पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, मुख्यतः मिट्टी का तेल और उच्च गतिवाले डीजल तेल का, आयात किया जा सकेगा। इसी तरह की वस्तुएँ सम्बद्ध व्यापार-करारों के अधीन समानिया में भी आयात की जाएगी। देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होनेवाले पेट्रोनियम के सामान के आयात पर स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा का व्यय कम करने के लिए इस बात का बहुत प्रयत्न करना होगा कि इस प्रकार के सामान का आयात 'इंडिया आयल कम्पनी' के द्वारा बढ़ाया जाए और अदायगी रुपये में की जाए। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में जो दो शोबनालय बन रहे हैं और गुजरात में जो तीसरा शोबनालय बनाने का विचार है, उनके तेल का वितरण भी (प्रत्यक्ष रूप में या अन्य वितरण-कम्पनियों से माल-विनिमय के आधारे पर) वही कम्पनी करेगी। तीसरी योजना की अवधि में वितरण-कार्य पर 10 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का विचार है।

42 पेट्रोलियम-सामान ले जाने की पाइप-लाइनें - योजना में वरौन्नी के शोबनालय से पदिचयी केंद्रों और कलकत्ता तक पेट्रोलियम का सामान ले जाने के लिए पाइप-लाइनों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इन परियोजना के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि इन पाइप-लाइनों के निर्माण पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

खनिज लोहा

43 तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक के लिए लोहे और इस्पात का जो लक्ष्य रखा गया है, उनके आधारे पर अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता होगी। इनके अतिरिक्त, निर्यात के लिए भी खनिज लोहे की आवश्यकता होगी।

जापान और यूरोप के कई देश भारत के खनिज लोहे में दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत-भारत और जापान-भारत ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार किरिबुरु-क्षेत्र में 20 लाख टन और मध्यप्रदेश के वेलाडिला-क्षेत्र से 40 लाख टन खनिज लोहा जापान को निर्यात किया जाएगा। यह मात्रा उन 20 लाख टन के अलावा होगी, जिसका हम समय निर्यात किया जाता है। अन्य देशों को निर्यात की मात्रा यदि लगभग 20 लाख टन मान ली जाए, तो निर्यात के लिए कुल मिला कर लगभग 1 करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता होगी। देश के उद्योगों और इस निर्यात-लक्ष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीसरी योजना में 3 करोड़ 20 लाख टन खनिज लोहा पैदा करने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

44 भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानों की आवश्यकताएँ उन खानों ने पूरी की जाएगी, जो इसी उद्देश्य से दूसरी योजना की अवधि में स्थापित की गई हैं। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन खानों में उत्पादन बढ़ाने पर जो पूंजीगत व्यय होगा, वह उपर्युक्त दो कारखानों के विस्तार के व्यय में शामिल कर लिया गया है। जहाँ तक दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने का सम्बन्ध है, दूसरी योजना में स्थापित की गई खान से उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की शायद पूर्ति न हो सके और उन्हे किरिबुरु की खानों में, जो जापान में निर्यात-सम्बन्धी वादे को पूरा करने के लिए विकसित की जा रही हैं, खनिज लोहा मगवाना पड़े। इसलिए वेलाडिला-परियोजना के लक्ष्य को 40 लाख टन में बढ़ा कर 60 लाख टन कर दिया गया है। जब वेलाडिला-खान में पूरा उत्पादन होने लगेगा, तब जापान को निर्यात की जानेवाली मारी मात्रा वहाँ में प्राप्त हो जाएगी। इस तरह, किरिबुरु से प्राप्त होनेवाले सारे खनिज लोहे से दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। बोकारो के नए इस्पात-कारखाने के लिए भी खनिज लोहा किरिबुरु-क्षेत्र में ही लेना पड़ेगा। इसके लिए या तो वर्तमान खानों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी या आसपाम नई खानें खोदनी पड़ेंगी।

45 आग्रा की जाती है कि किरिबुरु-खनिज लोहा-परियोजना के अन्तर्गत नव 1963 में उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह परियोजना जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। वेलाडिला के खनिज लोहे के ज्वारों का पूर्वोक्त किया जा रहा है और एक नई खान स्थापित की जाएगी, जिसमें योजना के अन्तिम चरण तक उत्पादन होने लगेगा। इन खान में अन्ततः 60 लाख टन खनिज लोहा प्रति वर्ष निकलेगा। इस परियोजना पर 17 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और यह भी जापान की सहायता में क्रियान्वित की जा रही है। किरिबुरु में उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसे इस तरह समल में लाया जाएगा कि बोकारो में नए इस्पात-कारखाने स्थापित होते ही कार्यक्रम पूरा हो जाए और कारखाने को आवश्यक मात्रा में खनिज लोहा मिल सके।

46 उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, यह भी आना की जाती है कि राष्ट्रीय खनिज-विकास-निगम रेडी-क्षेत्र (महाराष्ट्र) में 5 लाख टन, उडीमा-खनिज-निगम-मुक्तिदा देवी-क्षेत्र से 5 लाख टन और खनिज-विकास-मडन मैसूर के वेलागी-हान्पेट-क्षेत्र तथा पश्चिमी तट में 10 लाख टन खनिज लोहे की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर सकेगा।

अन्य खनिज-परियोजनाएं

47 तांबा-परियोजनाएं : देश में प्रति वर्ष केवल 8,000 टन तांबा पैदा किया जाता है जब कि इस समय मांग 70,000 टन की है। अनुमान है कि नव 1965 तक तांबे की मांग बढ़ कर

49 रणपो में जिन खरीदों का पना पना है, वे यद्यपि उच्च कोटि के हैं तथापि अपेक्षाकृत छोटे हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित-व्यवस्था-निगम-द्वारा किया जाएगा। यत् निम्न निम्नलिखित-दरवार और भाग-दरवार, दोनों के समुचित प्रयोजन का पना है। मान में निम्नलिखित कई कच्ची धातु जाल में ही माल्त्रीकरण की जाएगी और नष्ट, यह रण में निम्नी प्रभाव का-नाम में प्रभाव के लिए रण-द्वारा भेज दी जाएगी। अनुमान है कि रण परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

50 पाइराइट्स-गन्धक-परियोजना . देश में गन्धक के खोले जा जानेवाले खोले न होने के कारण भारी ध्यान गन्धक के वैश्विक स्थान के रूप में पाइराइट्स पर केन्द्रित कर दिया गया है। माहाबाद जिला (मिझोर) के अमजोर-योग क्षेत्र में पाइराइट्स का लगभग 80 लाख टन का खनिज मिला है। उनमें गन्धक की मात्रा प्रतिशत 40 प्रतिशत है। अनुमान लगाया गया है कि 38 करोड़ 40 लाख टन के खनिज खनिज मिल सकते हैं। पाइराइट्स में लगभग 84,000 टन गन्धक प्राप्त करने के लिए रण परियोजना योजना की जा रही है।

51. पन्ना-हीरा-परियोजना : प्राग्भिक कार्यों के परिणाम आभाजनक रहे हैं और इसलिए पन्ना के हीरा-क्षेत्रों और मध्यप्रदेश में उनमें मिले हुए क्षेत्रों का विस्तृत रूप में पूर्वोक्त किया जा रहा है ताकि रत्न की किस्म के धार उद्योगों में काम आनेवाले हीरों का उत्पादन किया जा सके। अनुमान है कि रण परियोजना पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

52 कच्चा मैंगनीज-शोधन-परियोजना देश में कच्चे मैंगनीज का जो खनिज है, उनका एक बड़ा हिस्सा बहुत ही मामूली दर्जे का है। इसके अतिरिक्त, खनिज और निर्यात की जाने-वाली कच्ची धातु निर्यात करने के फलस्वरूप कुछ हिस्सा अविपण्य नमस्त कर रद्द कर दिया जाता है। खानों में जो डेर इकट्ठा हो जाता है, उनमें यह नामकी काफी मात्रा में होती है। उच्च कोटि के कच्चे मैंगनीज के मीमित खनिजों के संरक्षण के लिए यह उरुगी हो गया है कि इन सामग्री के शोधन के लिए सुविधाएँ दी जाएँ। योजना में इन काम के लिए रण परियोजना शामिल की गई है, जिन पर 5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

53 सोना कोलार में सोने के जखीरो की अधिक खोज-बीन करने और उनका लाभ उठाने का एक कार्यक्रम योजना में रखा गया है। आशा की जाती है कि हट्टी की सोने की खानों में इस समय जो अन्वेषण-कार्य हो रहे हैं, वे मन् 1962-63 तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद प्राप्त सूचनाओं के आधार पर खनन और पोषण-क्षमता बढ़ा कर प्रति दिन 1 हजार टन तक करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

54 परमाणु-खनिजों का विकास : एक परमाणु-शक्ति-केन्द्र स्थापित करने की परियोजना के सिलसिले में योजना में कच्चे यूरेनियम के खनन, यूरेनियम निकालने और परमाणु की दृष्टि में उम्रे शुद्ध धातु या सम्मिश्रण का रूप देने तथा ईंधन-तत्वों में प्लुटोनियम निकालने की सुविधाएँ देने का विचार है। अनुमान लगाया गया है कि इस काम पर 24 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

खनिज पदार्थों की आवश्यकताएँ

55 तीसरी योजना में शामिल किए गए कार्यक्रमों के लिए कोयला और खनिज-सम्बन्धी आवश्यकताओं की चर्चा अन्यत्र की गई है। तीसरी योजना में विभिन्न उद्योगों के लिए जो उत्पादन-क्षमता निश्चित की गई है, उसको देखते हुए खनिज पदार्थों की मांग बढ़ेगी। देश के उद्योगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की आवश्यकता का अनुमान और खनिज मैगनीज की निर्यात की जानेवाली अनुमानित मात्रा नीचे दी जा रही है

(लाख टनों में)

	देश की आवश्यकता	निर्यात
खनिज मैगनीज	5	15
बाक्साइट	4 5	—
सेलखडी	21†	—
चूने का पत्थर	298J	—

खनिज सर्वेक्षण

56 गत दस वर्षों में देश के खनिज भावनों का सर्वेक्षण करने की दिशा में प्रगति हुई है और इस कार्य के जो परिणाम निकले हैं, उनका लाभ भी उठाया गया है, किन्तु खनिज सामग्रियों की तेजी में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आवश्यक है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण और अन्वेषण-कार्य और भी तेजी में किए जाएं। उत्पादकता बढ़ जाने से वाष्प फलकम-कोटि के चूने के पत्थर और डोलोमाइट तथा अन्य उष्णमहत्त्व सामग्रियों के नए जमीनों का पता लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसी प्रकार, तावा, नीमा और जम्ना-नैनी

† इसमें सिन्दरी फटिलाइजर्स और हनुमानगढ में कायम किए जानेवाले उर्वरक-कारखाने तथा 1 करोड़ 50 लाख टन सीमेंट के उत्पादन-संस्थ की आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं।

‡ सीमेंट, इस्पात और लौह-मैगनीज-उद्योगों की आवश्यकताएँ तथा विविध उद्योगों की आवश्यकताओं का कुल अनुमान भी इसमें शामिल है।

अलौह धातुओं के खोदे जा सकनेवाले अतिरिक्त जखीरों का पता लगाना भी बहुत आवश्यक है। ये इस समय अधिकतर बाहर से मगाने पड़ते हैं। वाक्साइड के जखीरों का पता चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्पभूमिनियम-उद्योग के विस्तार के साथ ही इसकी मांग बढ़ जाएगी। इन तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-मस्या और भारतीय खान-मस्या का और विस्तार करना बहुत जरूरी है। तीसरी योजना में इन दोनों समस्याओं को और बढ़ाने की व्यवस्था है और अनुमान है कि इन पर क्रमशः 10 और 5 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

57 इन दोनों विभागों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्वेषण-कार्य व्यापक स्तर पर और तेजी से करने का विचार है। उनके कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं

- (1) जितनी जल्दी हो सके, अधिक-से-अधिक क्षेत्र भूगर्भीय नक्शों की परिधि में आ जाए—तीसरी योजना की अवधि में लगभग 1,70,000 वर्ग मील सम्मिलित करने का विचार है,
- (2) तांबे, मीमे और खस्ते के जो जखीरें ज्ञात हो चुके हैं या जिनके बारे में कुछ पता चला है, उनकी तेजी से खोज-बीन की जाए। भूगर्भीय नक्शों तैयार करने के दौरान इन धातुओं के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसे स्थान, जहाँ से अधिक मात्रा में धातु मिलने की आशा हो, बड़े माप के नक्शे में दिखाए जाएंगे और भू-भौतिक तरीकों से तथा कुछ खोद कर उनकी खोज की जाएगी। भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-मस्या के 'वेस मेटल्स डिवीजन' का विस्तार किया जाएगा,
- (3) वाक्माइट, मेलखडी, खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, और चूने के पत्थर-जैसे अन्य खनिज पदार्थों के अधिक विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ, तो इसके लिए उनके जखीरों की वनावट के नक्शे तैयार किए जाएंगे और खुदाई की जाएगी,
- (4) अलौह धातुओं और भूमिगत जल-साधनों की खोज-बीन के लिए भू-भौतिक और सू-रामायनिक तरीकों से अधिक काम किया जाएगा, तथा
- (5) तीसरी योजना के कोयला-कार्यक्रम के मिलसिले में और बाद की योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चूनी हुई कोयला-खानों का भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-मस्या-द्वारा क्षेत्रीय पूर्व-सर्वेक्षण और भारतीय खान-मस्या-द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

58 इन कार्यक्रमों में शामिल किए गए अधिक महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए जा रहे हैं

कोयला - नगरीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिगरीली, पञ्चम-बोकारो, झिन्मिनी, पंच-बान्हन और मिगरेनी की कोयला-खानों तथा रामोराज और क्षरिया की कोयला-खानों के चने हुए खडों की विस्तृत खोज-बीन और ड्रिलिंग एव कोटि तथा परिमाण के निर्धारण के लिए मोनहाट, मोहागपुर, उत्तर-करनपुरा और कालाकोट की कोयला-खानों के क्षेत्रीय नक्शे तैयार करना और उनकी ड्रिलिंग करना।

खनिज लोहा - विहार और उड़ीसा के खनिज लोहे के क्षेत्र की बनावट के नक्शे तैयार करना और वेलाडिला (मध्यप्रदेश), सेलम (मद्रास), तुमकुर, चित्तलदुग और वेलारी-हास्पेट (मैसूर) के जखीरो के बड़े माप के नक्शे तैयार करना और इसके बाद ड्रिलिंग करना।

खनिज मैंगनीज - पचमहल और मध्यप्रदेश के कच्चे मैंगनीज के कुछ चुने हुए क्षेत्रों के जखीरो की खोज के लिए ड्रिलिंग करना तथा उड़ीसा और राजस्थान के जखीरो का विस्तृत अध्ययन करना।

क्रोमाइट : जोजूहाट (विहार), हस्सन और मैसूर जिलो (मैसूर), कटक, ब्योझर और डेंकानाल जिलो (उड़ीसा) के जखीरो की विस्तृत खोज-बीन करना।

बाक्सटाइट : खैरा और जामनगर जिले (गुजरात), कोल्हापुर (महाराष्ट्र), बेलगाव (मैसूर), अमरकटक (मध्यप्रदेश), राची और पलामू जिले (विहार) के जखीरो की विस्तृत खोज-बीन करना।

चूने का पत्थर : विहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में फलक्स-कोटि के चूने के पत्थर की खोज करना और मिर्जापुर जिले (उत्तरप्रदेश) में चूने के पत्थर के जखीरो की खोज-बीन करना।

तांबा, सीसा और जस्ता : कुडपाह-कर्नूल और नेलोर जिलो (आन्ध्रप्रदेश) हजारीबाग, सन्धाल परगना और मुगेर जिलो (विहार), जबलपुर और बस्तर जिलो (मध्यप्रदेश), पंचेकनी (सिक्किम), अल्मोडा और गढवाल जिलो (उत्तरप्रदेश), उदयपुर जिला (राजस्थान), रियासी (जम्मू तथा कश्मीर) और मणिपुर के जखीरो के विस्तृत नक्शे तैयार करना और भूभौतिक अन्वेषण तथा ड्रिलिंग करना।

मैग्नेसाइट : अल्मोडा (उत्तरप्रदेश) और सेलम (मद्रास) में मैग्नेसाइट के जखीरो की विस्तृत खोज-बीन करना।

59 भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और भारतीय खान-संस्था के कार्यक्रमों में व्यावहारिक भूगर्भ-विज्ञान और खनन में स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों और भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था के कर्मचारियों के विनिमय की व्यवस्था भी की गई है, ताकि विश्वविद्यालय के अध्यापक क्षेत्रीय कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें और भूगर्भ-सर्वेक्षण-अधिकारी अपनी सैद्धान्तिक जानकारी को ताजा कर सकें।

60 राज्यों के कार्यक्रम - केन्द्रीय सरकार के खनिज-सर्वेक्षण-कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य-सरकारों की योजनाओं में भी राज्यों के खान और भूगर्भ-विज्ञान निदेशालयों का विकास करने और कुछ खनिज जखीरो का लाभ उठाने की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के अधिक महत्वपूर्ण कामों में पालना (राजस्थान) में लिग्नाइट के जखीरो, कालाकोट (जम्मू तथा कश्मीर) में कोयले के जखीरो और मैसूर में खनिज लोहे और खनिज मैंगनीज के जखीरो का फायदा उठाना भी शामिल है।

परिवहन और संचार-साधन

पिछने दम वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास तेजी में हुआ है। इसके परिणाम-स्वरूप हमारे परिवहन-साधनों पर जो बोझ पडा है, उसे ठीक में समझा नहीं गया है। मुख्य बोझ रेलों पर पडा है, जो आजकल पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पहले के काल की अपेक्षा 100 प्रतिशत अधिक मान ढो रही हैं और जिन पर यात्रियों की संख्या 27 प्रतिशत बढ गई है। इसके साथ ही यह बात भी है कि उस अवधि के प्रारम्भ में, मुद्र के कारण, रेलों के बढत-में डिवे और इजिन पुराने थे और पटरिया बढलने-योग्य हो रही थी। इसी अवधि में मडक-परिवहन-उद्योग की बहन-समता पहले की अपेक्षा दुगुनी में भी अधिक हो गई और प्रमुख बन्दरगाहों में होकर जाने और आनेवाले माल की मात्रा भी 85 प्रतिशत बढ गई।

इन दस वर्षों के अनुभव को देखते हुए हमारा ध्यान आर्थिक आयोजन में परिवहन और संचार के महत्व की ओर जाना ही चाहिए। यद्यपि पहली दोनों योजनाओं में कुल खर्च का काफी बडा अंश परिवहन और संचार-साधनों के विकास के लिए दिया गया, फिर भी परिवहन-व्यवस्था में हमारी बढती हुई आवश्यकताएँ मुश्किल में ही पूरी हो सकी हैं। विशेषकर रेलों के लिए लगभग इम सारी अवधि में बडी कठिनाई उपस्थित रही है और ऐसे समय भी आए हैं, जब वे सारे माल और यात्रियों को नहीं ले जा सकी हैं। चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी में फैल रही है इसलिए ऐमा अनुभव होता है कि ये परिस्थितिया अभी कुछ वर्ष तक बनी रहेगी।

पहली दो योजनाओं का अनुभव—सक्षिप्त समीक्षा

2 पहली दो योजनाओं में परिवहन और संचार-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर हुए खर्च का व्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 1

पहली और दूसरी योजनाओं में परिवहन और संचार-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर खर्च

कार्यक्रम	पहली योजना	दूसरी योजना		
		वास्तविक खर्च	निर्धारित राशि	
			अनुमानित खर्च	
परिवहन				
रेलें	258 5	900 0	860 1*	
नटके और मडक-परिवहन	146 8	262 7	241 8	

*इसमें 15 करोड रुपये की बह राशि सम्मिलित नहीं है, जो रेलों की योजना की मद से डाक तथा तार-विभाग की योजना और रेल-विजलीकरण-कार्यक्रम के सम्बन्ध में विजली-अधिकारियों को दी गई थी और न 3 5 करोड रुपये की बह राशि शामिल है, जो विमानवापदन बन्दरगाह के लिए परिवहन और संचार-मन्त्रालय को दी गई थी।

तालिका-सदया 1—(जारी)

कार्यक्रम	पहली योजना		दूसरी योजना	
	वास्तविक खर्च	निर्धारित राशि	अनुमानित खर्च	
पत्तन और बन्दरगाह	27 6	45 3	33 4	
जहाजरानी	18 7	47 7	52 7	
नागरिक विमान-परिवहन	23 2	43 0	49 0	
परिवहन-क्षेत्र के अन्य कार्यक्रम	1 9	10 4	4 2	
परिवहन पर कुल खर्च	476 7	1,309 1	1,241.2	
संचार-साधन				
डाक तथा तार	39 5	63 0	50 6	
प्रसारण-सहित अन्य संचार-साधन	6 6	13 0	8.0	
संचार-साधनों पर कुल खर्च	46 1	76 0	58 6	
परिवहन और संचार-साधनों पर कुल खर्च	522 8	1,385 1	1,299 8	

परिवहन और संचार-साधनों पर पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना में अधिक धन की व्यवस्था की गई थी। योजनाओं पर कुल खर्च के अनुपात की दृष्टि में देखा जाए, तो भी पहली योजना की अपेक्षा यह राशि अधिक थी। पहली योजना में परिवहन और संचार-साधनों पर 27 प्रतिशत खर्च किया गया और दूसरी योजना में 29 प्रतिशत। यह बातों को देखते हुए इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रगति सन्तोषजनक थी।

3- पहली योजना में परिवहन के क्षेत्र में मुख्य काम यह था कि पिछले दम वर्षों में जिन साधनों पर अधिक बोझ पड़ा था, उनके स्थान पर नए साधनों की व्यवस्था की जाए। रेलवे के इंजिन और डिब्बे बदलने, पुरानी पटरियों के स्थान पर नई पटरियाँ विद्यमान, पुराने जहाजों के स्थान पर नए जहाज लाने और बन्दरगाहों तथा पत्तनों के उपकरणों को बदलने के लिए बड़ी-बड़ी राशियों की व्यवस्था करनी पड़ी। पुराने मामान के स्थान पर नया सामान, उपकरण, आदि लाने की इतनी अधिक आवश्यकता थी कि पहली योजना में ममुचित प्रसार सम्भव नहीं हो सका। दूसरी योजना में फिर काफी बड़ी राशि, विशेषकर रेलों के लिए, पुराने उपकरणों के स्थान पर नए लाने के लिए रखी गई। परन्तु दूसरी योजना में, रेलों के विभिन्न भागों पर लाइनों की वहन-क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर और इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि कृषि और उद्योगों के बढ़ते हुए उत्पादन से उत्पन्न आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अधिक इंजिन और डिब्बे प्राप्त किए जाए। बालू इंजिनो और डिब्बों की सदया पहले से बढ़ गई है, जैसे कि अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है। यदि दूसरी योजना में, मुख्यतः समय पर इस्पात न मिलने के कारण, माल के डिब्बे प्राप्त करने के कार्यक्रम में अडचन न पड़ जाती, तो मन् 1960-61 के अन्त में रेलवे के पास 3,41,041 में अधिक मान-डिब्बे होते।

इसमें यह खर्च शामिल नहीं है, जो पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय षेक से प्राप्त ऋणों और पत्तनों के अपने साधनों में से किया गया।

तालिका-संख्या 2

1951, 1956 और 1961 के 31 मार्च को चालू इंजिनो और डिब्बो की सरया

चालू इंजिन और डिब्बे	1951	1956	1961
रेल के इंजिन	8,461	9,172	10,554
सवारी-डिब्बे (इकाइया)	20,502	23,155	28,171
माल के डिब्बे (चौपहिए)	2,22,441	2,68,493	23,41,041

इन दस वर्षों की अवधि में रेली ने लाइनों की क्षमता बढ़ाने के व्यापक कार्य प्रारम्भ किए हैं। इनमें ये कार्य सम्मिलित हैं 1,300 मील इकहरी पटरी को दुहरा कर, लगभग 800 मील लम्बी लाइनों पर विजली-द्वारा रेल चलाने की व्यवस्था करना, बहुत-से यादों को नए ढंग से बनाना और कई नए यादों का निर्माण। जो नई लाइनें बनाई गई हैं, उनकी कुल लम्बाई 1,200 मील के लगभग है। इनके अतिरिक्त 400 मील लम्बी वे लाइनें फिर विछाई गईं, जो युद्ध-काल में उखाड़ दी गई थीं। यह कार्यक्रम मुख्यतः रेलवे की आवश्यक सञ्चालन-आवश्यकताओं को पूरा करने और लोहा और इस्पात तथा कोयला-उद्योगों के प्रसार के लिए जरूरी लाइनों का निर्माण करने तक सीमित रहा है।

4 दूसरी ओर, पिछले दस वर्षों में सड़को की कुल लम्बाई काफी बढ़ी है। आधा है कि डामर-विछी सड़को की लम्बाई, जो सन् 1950-51 में 97,500 मील थी, सन् 1960-61 में 1,44,000 मील हो जाएगी और बिना डामर-विछी सड़को की लम्बाई 1,51,000 मील से बढ़ कर 2,50,000 मील से भी अधिक हो जाएगी। इस अवधि में सड़क-परिवहन-उद्योग की वहन-क्षमता में भी समुचित प्रसार हुआ है। सड़को पर माल ले जानेवाली गाड़ियों की मख्या, जो सन् 1950-51 में 81,000 थी, सन् 1960-61 में बढ़ कर पहले से लगभग दुगुनी, अर्थात् 1,60,000, हो गई। सवारी गाड़ियों की संख्या भी इस अवधि में लगभग 45 प्रतिशत बढ़ कर 34,000 से 50,000 हो गई। सड़क-परिवहन-उद्योग की वहन-क्षमता में जो वृद्धि हुई है, वह वास्तव में उमने कहीं अधिक है, जो कि इन आकड़ों से प्रकट होती है। इसका कारण यह है कि सड़क पर चलनेवाली गाड़ियों की कुल संख्या के अनुपात में भारी डीजल गाड़ियों की संख्या अधिक बढ़ी है।

5 पत्तनों और बन्दरगाहों, विशेष कर दंडे पत्तनों की क्षमता में, पहली दो योजनाओं की अवधि में पर्याप्त प्रसार हुआ है। पहली योजना में बड़े पत्तनों की क्षमता 2 करोड़ टन से बढ़ कर 2 करोड़ 50 लाख टन हो गई, अनुमान है कि दूसरी योजना में उनकी क्षमता बढ़ कर 3 करोड़ 70 लाख टन हो गई। दूसरी योजना के अन्तर्गत कई परियोजनाएँ प्रारम्भ की गईं, जिनका काम अभी चल रहा है और जिनके पूरा हो जाने पर बड़े पत्तनों की कुल क्षमता नाबे चार करोड़ टन में अधिक हो जाएगी।

6 भारतीय जहाजों की कुल वहन-क्षमता, जो सन् 1950-51 में 3.9 लाख टन (कुल पंजीकृत क्षमता) थी पहली योजना के अन्त में 4 8 लाख टन (कुल पंजीकृत क्षमता) हो गई। अनुमान है कि यह क्षमता दूसरी योजना के अन्त में 9 लाख टन (कुल पंजीकृत क्षमता) हो गई। सट पर चलनेवाले जहाजों की कुल क्षमता में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है—सन् 1950-51 में यह क्षमता 2 1 लाख टन (कुल पंजीकृत क्षमता) थी और सन् 1960-61 में यह बढ़ कर केवल 2 9 लाख टन हो पाई।

7 सन् 1953 में विमान-सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के बाद से, नागरिक विमान-परिवहन की वहन-क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, की वहन-क्षमता जो सन् 1953-54 में लगभग 4 करोड़ 60 लाख टन-मील थी, सन् 1960-61 में बढ़ कर लगभग 6 करोड़ 90 लाख टन-मील हो गई। इसी अवधि में एयर इंडिया इंटर-नेशनल की वहन-क्षमता 1 करोड़ 70 लाख टन-मील से बढ़ कर 10 करोड़ 30 लाख टन-मील हो गई।

रेल और सड़क-यातायात की प्रवृत्तियाँ

8 नीचे की तालिका से पता चलता है कि इस अवधि में रेलों और सड़कों के यातायात की क्या प्रवृत्तियाँ रही

तालिका-संख्या 3

पहली और दूसरी योजनाओं के अन्त में रेलों और सड़कों से जानेवाले यात्रियों की संख्या और माल का परिमाण*

(करोड़)

वर्ष	माल-यातायात			यात्री-यातायात		
	रेलें		सड़क	रेलें		सड़क
	टन मूल	टन (मील)	टन (मील)	यात्री मूल	यात्री (मील)	यात्री (मील)
1950-51	9 15	2,698	335 8	128 4	4,133 2	1,437 4
1955-56	11 4	3,643 4	547	127 5	3,877 4	1,955 9
1960-61	15 4	5,470	1,060	162 4	4,860	3,000

(अनुमानित)

इस काल में रेलों पर ढोए जानेवाले माल की औसत दूरी 292 मील में बढ़ कर 354 मील हो गई। अतः रेलों पर यद्यपि टन-भार की दृष्टि से यातायात लगभग 89 प्रतिशत बढ़ा है, परन्तु टन-मील की दृष्टि से देखा जाए, तो 100 प्रतिशत में भी अधिक वृद्धि हुई है। इसी काल में यात्री-यातायात का औसत 31.9 मील से बढ़ कर 29.9 मील हो गया है। इसका कारण यह है कि रेलों पर एक नगर से दूसरे नगर की सीधा मार्गों में उपनगरों तक अधिक यातायात हुआ है। उपनगरों के गाँवों के यातायात के माध्यम से सन् 1950-51 के बाद में मिलते हैं। सन् 1951-52 में रेल यातायात 424.7 करोड़ यात्री-मील था और 1960-61 में 750 करोड़ यात्री-मील था। अर्थात् इसमें 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि इसी अवधि में यात्री-मील की वृद्धि तुल्य 21 प्रतिशत थी।

*रेलों के अलावा भारत की सरकारों रेलों पर ले जाए गए माल वैन वाहनों के वास्तविक आकड़े हैं। सड़क-परिवहन-सम्बन्धी आकड़े एग्जिक्टिवीव डी-मनयन्-समिति (1961) की प्रारम्भिक रिपोर्ट में मोटर-गाड़ियों के उपयोग के बारे में उल्लिखित धारणाओं के आधार पर तैयार किए गए, अनुमानित आकड़े हैं।

योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं उनमें से कुछ पर नियत राशि से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यह बात विशेषकर रेलों, सबको, बड़े पत्तनों और डाक तथा तार के सम्बन्ध में सच है। इन कार्यक्रमों में क्या होगा और इन पर कितना खर्च होने का अनुमान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगे दी गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम रेले

15. यातायात के लक्ष्य : तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम इस आकार पर बनाए गए हैं कि योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् सन् 1965-66 में, मूल यातायात 24.5 करोड़ टन तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार, यातायात सन् 1960-61 की तुलना में 9.1 करोड़ टन अधिक हो जाएगा, अर्थात् उसमें लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें विभिन्न वस्तुओं का मोटे तौर पर कितना-कितना परिमाण होगा, यह निम्न तालिका में दिखाया गया है

तालिका-संख्या 5

तीसरी योजना में रेलों-द्वारा माल का यातायात

वस्तु	1960-61		
	1960-61	1965-66	1965-66 की तुलना में वृद्धि
इस्पात-सयन्त्रों के लिए कोयले के अतिरिक्त अन्य माल और इस्पात	1 3	3 4	2 1
कोयला (जिस कोयले को मिला कर, जो रेलों को अपने लिए चाहिए)	4 95	9 0	4 05
सीमेंट	0 65	1 2	0 55
सामान्य माल, जिसमें शामिल है कोयले के अतिरिक्त रेलवे का अपना माल	1 8	2 25	0 45
निर्यात के लिए खनिज लोहा	0 3	1 1†	0 8
बाकी सब माल	6 4	7 55	1 15
सामान्य माल का योग	8.5	10.9	2.4
सर्व योग	15.4	24.5	9.1

तीन मूल उद्योगों, अर्थात् लोहा और इस्पात, कोयला तथा सीमेंट के लिए परिवहन-आवश्यकताओं का हिसाब अनुमानित उत्पादन और उत्पादन-इकाइयों की सम्भावित स्थिति के आधार पर लगाया गया है। इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक कच्चे मान के

† इसमें 40 लाख टन निर्यात का माल भी शामिल है, जो बैलादिला-क्षेत्र में से विशाखापटनम होकर बाहर जाएगा। यह वहन-क्षमता सन् 1966 में प्राप्त हो जाएगी।

13 इससे हम एक तीसरे पहलू पर पहुँचते हैं, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। इस समय भारतीय रेलों न केवल अपना खर्च पूरा कर रही है, बल्कि तीसरी योजना के लिए साधन जुटाने में समुचित योग भी दे रही है। इसके विपरीत कई देशों में इधर रेलों को घाटे हो रहे हैं और भारत में भी कुछ प्रतिकूल कारण हैं, जिनका प्रभाव रेलों की वित्त-व्यवस्था पर दिखाई पड़ने लगा है। इस बात की ओर परिवहन-नीति-समिति ने ध्यान आकर्षित किया है। समिति ने सामान्य राजकोष के प्रति भविष्य में रेलों के दायित्व के बारे में भी प्रश्न उठाए हैं। पिछले दस वर्षों में बहुत बड़ी पूंजी रेलों में लगाई गई है, जिसके कारण इन बातों का बहुत अधिक महत्व हो गया है। रेलों में लगी हुई पूंजी सन् 1950-51 में 834 करोड़ रुपये से बढ़ कर सन् 1960-61 में 1,559 करोड़ रुपये हो गई और आगा है कि सन् 1965-66 में यह पूंजी 2,313 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगी। प्रत्यक्षत यह वाछनीय है कि वित्त की दृष्टि से भारतीय रेल-व्यवस्था का नीचे की ओर प्रयाण न हो, जैसा कि कुछ अन्य देशों में हुआ है।

परिवहन-नीति और समन्वय-समिति की अन्तिम रिपोर्ट मिल जाने पर इन बातों और देश में परिवहन के विभिन्न साधनों के समन्वय में सम्बन्धित अन्य प्रश्नों पर और आगे विचार किया जाएगा।

तीसरी योजना में परिवहन और संचार के लिए नियत राशियाँ

14 तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में परिवहन और संचार के कार्यक्रमों के लिए 1,486 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी राशियाँ रखी गई हैं

तालिका-संख्या 4

तीसरी योजना में परिवहन और संचार-कार्यक्रमों के लिए नियत राशियाँ

कार्यक्रम	नियत राशि (करोड़ रुपये)
रेलें	890†
सड़कें और सड़क-परिवहन	297
जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल-परिवहन, पत्तन और प्रकाश-स्तम्भ	153‡
नागरिक विमान-परिवहन	55
डाक तथा तार (टेलीग्रिफ़र-कारखाने-महित)	68
पब्लिक	8
प्रसारण	7
अन्य परिवहन और संचार-साधन	8
योग	1,486

† इसमें 350 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल नहीं है, जो कि रेलों अपने मूल्य-हासत-निधि में से देगी और न 35 करोड़ रुपये की वह राशि जिसकी रेलों को सामान के उच्चन्ती छाते के लिए आवश्यकता है।

‡ इसमें 20 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है, जो बड़े पत्तनों के अपने साधनों से प्राप्त होगी।

योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं उनमें से कुछ पर नियत राशि से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यह बात विशेषकर रेलों, सड़कों, बड़े पत्तनों और डाक तथा तार के सम्बन्ध में सच है। इन कार्यक्रमों में क्या होगा और इन पर कितना खर्च होने का अनुमान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगे दी गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम

रेले

15. यातायात के लक्ष्य : तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम इस आधार पर बनाए गए हैं कि योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् सन् 1965-66 में, मूल यातायात 24.5 करोड़ टन तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार, यातायात सन् 1960-61 की तुलना में 9.1 करोड़ टन अधिक हो जाएगा, अर्थात् उसमें लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें विभिन्न वस्तुओं का मोटे तौर पर कितना-कितना परिमाण होगा, यह निम्न तालिका में दिखाया गया है।

तालिका-संख्या 5

तीसरी योजना में रेलों-द्वारा माल का यातायात

(करोड़ टन)

वस्तु	1960-61	1965-66	1960-61
			की तुलना में 1965-66 में वृद्धि
इस्पात-सयन्त्रों के लिए कोयले के अतिरिक्त अन्य माल और इस्पात	1 3	3 4	2 1
कोयला (उस कोयले को मिला कर, जो रेलों को अपने लिए चाहिए)	4 95	9 0	4 05
सीमेंट	0 65	1 2	0 55
सामान्य माल, जिसमें शामिल है कोयले के अतिरिक्त रेलवे का अपना माल	1 8	2 25	0 45
निर्यात के लिए खनिज लोहा	0 3	1 17	0 8
बाकी सब माल	6 4	7 55	1 15
सामान्य माल का योग	8 5	10 9	2 4
सर्व योग	15 4	24 5	9 1

तीन मूल उद्योगों, अर्थात् लोहा और इस्पात, कोयला तथा सीमेंट के लिए परिवहन-साधन-संयोजन का हिसाब अनुमानित उत्पादन और उत्पादन-साधनों की सम्भावित निर्यात के आधार पर लगाया गया है। इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक अन्य मालों के

† इसमें 40 लाख टन निर्यात का माल भी शामिल है, जो वैश्वीकरण-कार्य में से विशालापट्टन होकर बाहर जाएगा। यह धरत-क्षमता सन् 1966 में प्राप्त हो सकती है।

यातायात का अनुमान इन आधार पर लगाया गया है कि तैयार उद्योग भी बन्दे नोहे का 83 लाख टन का उत्पादन-मध्य पूरा हो जायगा। इनमें योताये-उद्योग-मध्य का लगभग 10 लाख टन उत्पादन भी शामिल है। योयने के योग्यायः 77 अनुमान 9 रगेड टन है, कोयले के उत्पादन का मध्य ती 9 रगेड 70 लाख टन है, वन्नु उममें मे 70 लाख टन या ती कोयला-यानों में मय जायगा या उताये रगेवे के प्रतिमिन मय परिमिन-माघनो-द्वारा डोया जायगा। कोयला योने के तागतानो नक कोयने के धारी दूरी के बहन की सम्भावनाओ ना अधिक योरेताओ मययन पूरा हो याने पर मयभय है कि इन अनुमान का पुनरोक्षण करना पडे।

जहा तब माघाण मान के यातायात ना मय्यय है, अनुमान है कि 25 रगेड टन रेलवे का मामान और निर्मान के लिए 1 1 रगेड टन मयिज योहा भी शामिल है जियने 1966 तर बनाविला मे प्राप्त होने की धामा है। कुछ छोटे पनतों तर मयिज योहे की योमाता मय-द्वारा डोनी पडेगी, उमे शामिल कर दिया जाा नो मन् 1966 तर निर्वाा के लिए मयिज लोहे की बहन-धमता लगभग 1 3 करोड टन होने की धामा है। उता तर टन वगे की मय्य वस्तुओ का मय्यय है, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओ—जैमे, तपान, मपडे, पटनन की वनों योरे, नमक, कागज, चीनी और अनाज आदि—के उत्पादन, आवात धोर निर्वाा के मय्यय में रेल-द्वारा उनके यातायात की विगन प्रवृत्तियों का माययानों मे मय्ययन किया गया। कुन मिला कर, यह अनुमान है कि निर्मान के लिए मयिज लोहे और रेलवे के अतने मामान के अतिरिक्त मय्य वस्तुओ के यातायात में 1 15 रगेड टन की वृद्धि होगी। माययन रेल-द्वारा डोया जानेवाला यह यातायात 6 4 रगेड टन है। इन हिमान मे पाच वर्षों में यह वृद्धि 18 प्रतिगत होगी। अनुमान है कि दूनरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में उन वस्तुओ का यातायात लगभग 80 लाख टन वडा है, अर्थात् मन् 1955-56 में यह यातायात 5 6 करोड टन था और मन् 1960-61 में वड कर 6 4 करोड टन हो गया।

16 मुनाफिरी के यातायात के मय्यय में रेल-नार्यंम मे यह ध्यवन्धा की मट है कि उपनगरी के अलावा दूनरे यातायात में 3 प्रतिगत प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। जहा तब उपनगरीय यातायात का मय्यय है, पुराने अनुभव के आधार पर यह धामा है कि इनमें काफी अधिक वृद्धि होगी। इरादा यह है कि जिन अरने में भीड मयने ज्यादा हुआ ररनी है, उन मयय अधिकाधिक रेलगाडिया चलाई जाए और तादनी की बहन-धमना में उननी ही वृद्धि की जाए, जितनी कि आवश्यक हो।

17 आज यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि पाच वर्ष बाद यातायात की आवश्यकताए क्या होगी। पहली बात तो यह है कि कोयले और सर्वरक-जैमे उद्योगों की कुछ महत्वपूर्ण और बडी इकाइया कहा स्थित होगी, यह निश्चित नहीं है और यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इन वस्तुओ के यातायात का ढाचा कैसा होगा। विशेषतया कोयला-उद्योग में, पहले से यह कहना कठिन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के ढाचे में जिन परिवर्तनों की कल्पना की गई है, उनका बहन-दूरी पर क्या प्रभाव पडेगा। इन सम्बन्ध में यह याद रखना है कि उत्पादन का प्रमुख भाग बगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों से प्राप्त होगा। दूनरे, जहा तक मयिज लोहे और इम्यात-जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओ का मय्यय है, उनका उत्पादन दैश में वड गया है और सम्भव है कि मयिज में उनके यातायात का ढाचा

पिछले कुछ समय की तुलना में भिन्न हो। तीसरे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस समय यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि देश में रेल और सड़क-परिवहन के अलग-अलग क्षेत्र कौन-से होंगे, हालांकि तीसरी योजना के अतिरिक्त यातायात का वह भाग अपेक्षाकृत कम है, जिसके लिए रेल और सड़क-परिवहन में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता होने की सम्भावना है। तीसरी योजना की अवधि के अन्त में रेलों-द्वारा ढोए जानेवाले माल के यातायात में कुल वृद्धि 9.1 करोड़ टन होगी, जिसमें 7.95 करोड़ टन तो कोयला, इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा माल, सीमेंट, निर्यात के लिए खनिज लोहा और रेलों का अपना ही सामान होगा और बाकी 1.15 टन में सामान्य माल आ जाएगा। यह कल्पना की गई है कि तीसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त यातायात का 20 प्रतिशत भाग, माल ढोकर खाली वापस आनेवाले डिब्बों में भरा जाएगा। इसीलिए इन यातायात के लिए रेल-इंजिनो और डिब्बों के लिए रखी गई राशि में कमी कर दी गई है।

18 कोयले और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए विकाम-कार्यक्रमों का व्योम अभी तक तैयार नहीं किया गया है। जब उनका ठीक-ठीक रूप और आवश्यकताएं स्पष्ट हो जाएगी, तब उनके साथ रेल-कार्यक्रम का ममत्वय अधिक मुचास रूप में हो सकेगा, जिनमें यह बात निश्चित हो जाएगी कि उनमें परस्पर-मामजस्य रहे और उनके क्रम और कार्यान्वितन में तालमेल रहे।

और फिर, चूँकि अभी यातायात के कुल अनुमानों को अस्थायी ही माना जा सकता है, प्रति वर्ष यातायात के रख को देखते हुए उनका पुनरीक्षण बराबर किया जाता रहेगा।

19 रेल-विकास-कार्यक्रम : रेल-विकाम-कार्यक्रम के वर्तमान रूप को देखते हुए उसकी लागत का अनुमान 1,325 करोड़ रुपये के लगभग है, जिसमें 35 करोड़ रुपये की वह राशि भी सम्मिलित है, जो सामान के उचन्ती खाते के लिए जरूरी है। अलग-अलग आकड़े इस प्रकार हैं

तालिका-सख्या 6

तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम

कार्यक्रम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
इंजिन और डिब्बे	510
कारखाने, मशीनें और सयन्त्र	62
पटरियों की बदली	170
नई लाइनें	147
बिजलीकरण	70
सिग्नल और सुरक्षा-व्यवस्था	25
यातायात-सुविधाएं (सिद्धान्तों की क्षमता बढ़ाने के कार्य)	183
पुल-सम्बन्धी कार्य	25
अन्य बिजली-सम्बन्धी कार्य	8
अन्य संरचना-सम्बन्धी कार्य	15
कर्मचारियों के वार्डर और कर्मचारी-कल्याण	50
उपभोक्ता-सुविधाएं	15
सड़क-सेवाएं	10
सामान उचन्ती खाता	23
योग	1 325

20 इंजिनो तथा डिब्बो का कार्यक्रम - इंजिनो तथा डिब्बो के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि यातायात में प्रत्याशित वृद्धि में जनित मांग पूरी करने के लिए और पुराने इंजिन तथा डिब्बो को बदलने के लिए नए इंजिन और डिब्बे खरीदे जाए। इनका ब्योरा निम्न तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 7 ~

तीसरी योजना में रेल-इंजिनो और डिब्बो का कार्यक्रम

कार्यक्रम	इंजिन	सवारी-डिब्बे	माल के डिब्बे (घौपहियों के हिसाब से)
नए	1,150	5,025	90,447
बदले जानेवाले	614	2,854	26,697
योग	1,764	7,879	1,17,144

प्रतिरिक्त इंजिनों और डिब्बो की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, रेलों के संचालन में किए गए आयोजन और सुधारों का ध्यान रखा गया है और इस बात को भी देखा गया है कि निर्दिष्ट स्थानों पर कोयले और खनिज लोहे को उतारने के लिए मशीनों की व्यवस्था की जाए। कोयले और अन्य कच्चे माल की निर्दिष्ट बड़ी मात्रा को इस्पात-सयन्त्रों तक ढोने के लिए माल के डिब्बो की वापसी का अनुमान बुलाई की वास्तविक दूरी के आधार पर लगाया गया है। अनुमान है कि और सभी चीखों के यातायात के सम्बन्ध में माल के डिब्बो का वापसी का समय तीसरी योजना के अन्त तक बड़ी लाइन पर 11 दिन से घट कर 9-5 दिन और मीटर गेज लाइनों पर 8 दिन से घट कर 6.5 दिन रह जाएगा। इसका मतलब है कि रेलों के संचालन में काफी सुधार हो जाएगा और रेलें इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करेंगी।

21 पुनःस्थापन-कार्यक्रम बनाते समय रेलों ने दूसरी योजना में पुराने इंजिनो और डिब्बो को उनकी हालत का ध्यान रख कर बेकार ठहराने के अपने वास्तविक अनुभव का ध्यान रखा है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि दूसरी और तीसरी योजनाओं के अन्त में चालू इंजिनो, सवारी-डिब्बो और माल के डिब्बो की तुलना में पुराने इंजिनो और डिब्बो आदि का क्या अनुपात था

तालिका-संख्या 8

पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के अन्त में कुल इंजिनो तथा डिब्बो की तुलना में पुराने इंजिनो तथा डिब्बो का प्रतिशत अनुपात

वर्ष	बड़ी लाइन			मीटर गेज लाइन		
	इंजिन	सवारी-डिब्बे	माल-डिब्बे	इंजिन	सवारी-डिब्बे	माल-डिब्बे
1950-51	23 0	29 5	13 3	31 0	45 0	29 4
1955-56	33 2	32 3	18 0	25 8	32 7	21 0
1960-61	26 7	34 4	10 2	17 9	28 1	11.7
1965-66	27 2	26 8	11 6	18.6	18 7	11.4

22 कारखाने . कारखानों के कार्यक्रम में कारखानों की तथा बिगडी हुई लाइनों और शेडों की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जो कि रेलों पर अधिक इजिनो और डिब्बों को चालू रखने के विचार से आवश्यक है। उसमें डीजल से चलनेवाले इजिन बनाने की भी व्यवस्था है। चित्तरजन इजिन-कारखाने में भाप से चलनेवाले बड़ी लाइन के इजिन बनाने की जितनी क्षमता है, वह तीसरी योजना में इन इजिनो की मांग पूरी करने के लिए काफी समझी गई है और इसमें और कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। परन्तु यह विचार अवश्य है कि हवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भोपाल के सहयोग में चित्तरजन में बिजली से चलनेवाले इजिनो का निर्माण प्रारम्भ किया जाए।

23 लाइनों की क्षमता बढ़ाने के कार्य सन् 1960-61 से सन् 1965-66 तक की अवधि में टन-भार के हिसाब से माल ढोने के लिए रेल-परिवहन-क्षमता की मांग में 60 प्रतिशत के लगभग वृद्धि होने की आशा है। रेल-विकास-कार्यक्रम में 1,600 मील से अधिक लम्बी इकहरी लाइन को दोहरा बनाने और लाइनों की क्षमता बढ़ाने के अन्य कामों के लिए भी व्यवस्था की गई है जैसे कि यादों को नए ढंग का बनाना, परिगामी (क्रॉसिंग के) स्टेशन बनाना और परिगामी लूप (लाइन) बनाना, आदि। लाइनों की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम बनाने का मुख्य कारण यह है कि मुख्य मार्गों को और उन लाइनों को सुव्यवस्थित किया जाए, जहाँ से भविष्य में कोयले और खनिज लोहे-जैसी भारी वस्तुओं के यातायात का परिमाण बढ़ जाने की सम्भावना है। लाइनों की क्षमता के विकास का कार्यक्रम बनाते समय रेलों ने उन टेकनोलॉजिकल सुधारों का ध्यान रखा है, जो तीसरी योजना में किए जा सकते हैं और जिनमें काफी हद तक उन बड़े बोगी-डिब्बों का इस्तेमाल भी शामिल है, जिनमें मध्य-एककर-रोक-रूपलर लगा होगा और जो कोयला-खानों से महत्वपूर्ण केंद्रों तक बड़ी मात्रा में कोयला ढोने के काम आएंगे। इन केंद्रों पर बड़े परिमाण में कोयला जमा करने का विचार है। रेल-विकास-कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि धीरे-धीरे गाडियो-द्वारा अधिक माल ढोया जाए, जिससे कि लाइनों की क्षमता बढ़ाने के कार्यों में लगनेवाली पूंजी कम हो जाए। तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम का एक आधार-भूत पहलू यह है कि ऊर्चाई पर बने कोठों में से भारी मात्रा में कोयला नए बोगी-डिब्बों में लादा जाए। ऐसे कोठों की व्यवस्था प्रमुख कोयला-खानों पर की जाएगी।

24 विजलीकरण : इस कार्यक्रम में लगभग 1,100 मील लम्बी लाइनों पर विजली से गाडिया चलाने की व्यवस्था है। ये लाइनें ऐसी हैं, जहाँ यातायात के घनत्व और उनकी प्रत्याशित वृद्धि का ध्यान रखते हुए परिचालन के दृष्टिकोण से, भाप के स्थान पर विजली से चलनेवाले इजिनो का चलाना आवश्यक समझा जाता है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कुछ भागों पर विजलीकरण के उन कामों को पूरा करने की व्यवस्था है, जो दूसरी योजना में प्रारम्भ किए गए थे। उनमें से अधिकतर लाइनें इस्पात-सयन्त्रों और कोयला-खानों के क्षेत्रों में हैं। तीसरी योजना में अभी तो केवल मुगलसराय में कानपुर तक की लाइन पर विजली में रेलगाडिया चलाने की व्यवस्था करने का विचार है। इस भाग के विजलीकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से इसलिए है कि भविष्य में इन लाइनों पर कोयला-यातायात बढ़ने की सम्भावना है।

25 पटरिया बदलना : पटरिया बदलने की आवश्यकता सुरक्षा के विचार में, और इस कारण से है कि गाडिया तेजी से आ-जा सकें, जिसमें लाइनों की क्षमता बढ़ जाए।

पटरिया बदलने का एक काफी बड़ा कार्यक्रम पहली और दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया था। फिर भी, तीसरी योजना में उस काम को पूरा करना है, जो पहले से बाकी पड़ा है। दूसरी योजना में 8,000 मील लम्बी लाइनें बदलने की व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्यक्रम की प्रगति सन्तोषजनक रही है, और केवल पटरियों का सामान मिलने में कठिनाइयों के कारण लक्ष्य की पूर्ति में कुछ कमी रह जाने का अनुमान है। तीसरी योजना में यह व्यवस्था है कि इसकी श्रवण के अन्त तक पटरिया बदलने का बहुत-सा बकाया काम पूरा कर दिया जाए। लगभग 5,000 मील लम्बी समूची पटरी बदलने, लगभग 2,500 मील लम्बी पटरी की लाइनें बदलने और लगभग 2,250 मील लम्बी लाइन के स्लीपर बदलने की व्यवस्था की गई है। यह भी विचार है कि तीसरी योजना में पटरियों के जोड़ों के टाके लगाने का काम बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया जाए।

26 सकेत और सुरक्षा-कार्य : सकेतन और सुरक्षा के कार्यक्रम में कुछ भागो पर सुरक्षा के विचार से, सकेत और दूरसंचार-सुविधाओं के सुधार तथा इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। असम को जानेवाले सम्पर्क-मार्ग पर केन्द्रीकृत यातायात-नियन्त्रण की व्यवस्था की जाएगी। कुछ उपनगरीय भागों में स्वचालित सकेत का प्रबन्ध किया जाएगा। यह व्यवस्था उन भागो पर भी की जाएगी, जहां यातायात अधिक है और जहां कोयले और अन्य माल के भारी यातायात की प्रत्याशा है, जिसके लिए इस प्रकार की सकेतन-व्यवस्था अत्यावश्यक समझी जाती है। इसके अतिरिक्त, मुख्य मार्गों पर सकेतन का स्तर सुधारा जाएगा, जिससे गाड़िया तेजी से आ-जा सकेंगी, और महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों, विन्यास-घाटों और अन्य महत्वपूर्ण संचालन-केन्द्रों में अधिक अच्छी दूरसंचार-व्यवस्था की जाएगी।

27 नई लाइनें : तीसरी योजना की श्रवण में लगभग 1,200 मील लम्बी लाइनें विद्यमान की व्यवस्था की गई है। कुछ लाइनें तो दूसरी योजना से चली आ रही हैं, जैसे, गडवा रोड-रावटंसगज, सम्बलपुर-तितलागढ़ और विमलागढ़-किरिबुरु। इनको पूरा करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित अतिरिक्त नई लाइनें विद्यमान का कार्यक्रम है— शुड-काडला, भाषोपुर-कठुआ, उदयपुर-हिम्मतनगर, ऐसी लाइनें, जिनके बन जाने ने दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दिवा-मनवेल-खरपडा लाइन, जिसे उठान तक ले जाया जाएगा, पथरकडी-धर्मनगर, गुना-मधी, राची-बोडामुडा, हिन्दूमलकोट-श्रीगगानगर, गाझियाबाद-मुगलकाबाद, बैलाडिला-कोटावलामा, और हल्दिया पत्तन तक नई लाइन। तीसरी योजना में नई लाइनों के कार्यक्रम में 200 मील लम्बी उन लाइनों को बनाने का भी विचार है, जिनकी कोयला-उद्योग के विकास के सम्बन्ध में आवश्यकता है। कार्यक्रम के इस भाग को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

28 निम्नलिखित नई लाइनों को रेल-कार्यक्रम में सम्मिलित करने के बारे में विचार किया जा रहा है (1) मगलोर-हसन, (2) बगलोर-सेलम, (3) मनमदुरई-विन्धुनगर, और (4) उडीसा के चुकिन्द-देतारी, खान-क्षेत्रों को छडगपुर से कटक की बड़ी लाइन में मिलानेवाली लाइन। मगलोर-हसन लाइन की आवश्यकता मगलोर से खनिज लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में पड़ेगी, जिसे बड़ा पत्तन बनाने का विचार है। बगलोर-सेलम लाइन में सेलम के औद्योगिक विकास की आवश्यकताएँ पूरी होंगी। मनमदुरई-विन्धुनगर लाइन इन दोनों स्टेशनों के बीच एक बैकल्पिक कड़ी का काम देगी और इसके द्वारा मनमदुरई में मदुरई और मदुरई में विन्धुनगर की वर्तमान लाइनों पर अधिक बोझ

नहीं पड़ेगा। उड़ीसा के खान-क्षेत्रों में रेलवे लाइन इसलिए बनाई जानी है कि वहाँ से कलकत्ता, हृदय के प्रस्तावित पत्तन और परादीप पत्तन तक निर्यात के लिए खनिज लोहा पहुँचाया जा सके।

ऊपर जिन लाइनों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त कम लम्बाई की कुछ और लाइनें भी हैं, जिन्हें सम्भवतः सिंचाई, बिजली या खनिज-सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए बनाना पड़े। इनके अतिरिक्त, रेलवे-बोर्ड ने कुछ और नई लाइनों के निर्माण का सुझाव रखा है।†

29 पुल-निर्माण-कार्य : पुल-निर्माण-कार्यक्रम मुख्यतः उन निर्माण-कार्यों तक ही सीमित रहेगा, जो दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में पूरे नहीं हो पाए थे। दूसरी योजना में दो बड़े पुलों का काम प्रारम्भ हुआ था एक तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर और दूसरा दिल्ली में यमुना नदी पर। राउरकेला-दुर्ग और गोधरा-रतलाम लाइनों पर नए पुल बनाने का विचार है। दूसरी योजना में इन लाइनों पर दोहरी पटरी विछाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना-काल में कई वर्तमान पुलों को नया किया जाए।

30 कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और कर्मचारी-कल्याण : इस मद के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें से 35 करोड़ रुपये तो कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने पर खर्च किए जाएंगे और 15 करोड़ रुपये उनके लिए सुख-साधन जुटाने पर। मिश्रित परियोजनाओं के अन्तर्गत जो क्वार्टर बनेंगे, उनके अतिरिक्त तीसरी योजना में 54,000 नए क्वार्टर बनाने का विचार है। सुख-साधन जुटाने के कार्यक्रम में चिकित्सा-सुविधाओं का प्रसार, कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुचारु, नालियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और कर्मचारियों की वस्तियों में बिजली तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है। इस कार्यक्रम में स्कूल और छात्रावास बनाने की भी व्यवस्था की गई है।

31 उपभोक्ताओं के लिए सुख-साधन : इस मद में जतनी ही राशि की व्यवस्था की गई है, जितनी कि दूसरी योजना में की गई थी। इस कार्यक्रम में स्टेशनो, विश्राम-कक्षों, ठहरने और भोजनादि के कमरों को नए ढंग का बनाने के अलावा ये काम शामिल हैं पैदल जानेवालों के लिए ऊपरी पुल बनाना, पानी की अधिक अच्छी व्यवस्था करना, सड़ासी और नहाने की व्यवस्था करना और रेलवे-स्टेशनो पर बिजली के प्रकाश और पक्षी का प्रबन्ध करना। चूँकि इस काम के लिए उपलब्ध राशि सीमित है, इसलिए इन कामों के लिए मितव्ययितापूर्ण योजनाएँ बनाई जाएंगी।

† रेलवे-बोर्ड द्वारा सुझाई गई लाइनें निम्नलिखित हैं :

- 1 बक्षियारपुर-राजगीर लाइन को मानपुर के पास तक ग्रैंड फाई से मिलाता,
- 2 पूना-भोरज मोटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना,
- 3 रेनीगुंटा से तिरुपति तक बड़ी लाइन,
- 4 कठुआ-जम्मू,
- 5 तिननेली-कन्याकुमारी अन्तरीप,
- 6 चंडीगढ़-लुधियाना,
- 7 रतलाम-बाँसवाड़ा, और
- 8 धर्मनगर-वेव नवी-घाटी

32 आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई : तीसरी योजना में भी रेल-विकास-कार्यक्रम में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि रेल को अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का उद्देश्य सामने रखना चाहिए। दूसरी योजना की अवधि में ही इजिन और डिब्बे बनाने की क्षमता में नमुनित वृद्धि हो चुकी है, रेलों के लिए जिलने भी भाप से चलनेवाले इजिनो, सवारी-गाडी के डिब्बों और माल-डिब्बों की आवश्यकता है, उन सब का निर्माण देश में ही हो रहा है। यान्त्रिक संकेतन-उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है और विजली में चलनेवाले संकेतन-उपकरणों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है। देश में ही इतनी निर्माण-क्षमता की व्यवस्था की जा रही है कि पटरियों के लिए आवश्यक सभी माल यही तैयार किया जाए। जहाँ तक सम्भव होगा, तीसरी योजना की अवधि में यह चेष्टा की जाएगी कि डोजल और विजली से चलनेवाले इजिन और उन अन्य उपकरणों का निर्माण प्रारम्भ किया जाए, जो अभी तक बाहर से मंगाए जाते हैं। रेल-विकास-कार्यक्रम के लिए अनुमानित 186 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। दूसरी योजना में इस कार्यक्रम पर 332 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी।

सड़कें

33 पहली दो योजनाओं में सड़क-विकास-कार्यक्रम मन् 1943 की युद्धोत्तर-सड़क-विकास-योजना को, जिसे आम तौर पर 'नागपुर-योजना' कहा जाता है, ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। विभाजन के बाद भारत में उपयुक्त योजना के अनुसार 1,23,000 मील लम्बी डामर-बिछी सड़कें और 2,08,000 मील लम्बी बिना डामर की सड़कें बनाने का विचार था। पहली और दूसरी योजनाओं में जो कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, उनके फलस्वरूप डामर-बिछी और बिना डामर-बिछी, दोनों प्रकार की सड़कों का निर्माण लक्ष्य से अधिक हो गया है। आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक देश में डामर-बिछी सड़कों की लम्बाई 1,44,000 मील होगी और बिना डामर-बिछी सड़कों की लम्बाई 2,50,000 मील से भी अधिक होगी। पिछले दस वर्षों में अधिक सड़कें बन जाने पर भी कुछ पहलुओं से सड़कों की व्यवस्था अपूर्ण है, जैसे नदियों पर पुल नहीं हैं, सड़कों की सतह घटिया है और यान-पथ सड़कें हैं। लगभग 60 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं, जिन पर रोड़ी या ककर नहीं बिछा है। देश में सड़कों की कुल जितनी लम्बाई है, उनमें से 15,000 मील तो राष्ट्रीय राजपथ हैं, परन्तु इनमें से 2,300 मील लम्बे राजपथों पर दोहरे यान-पथ हैं, बाकी नव इकहरी सड़कें हैं। लगभग 1,000 मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ ऐसे हैं, जिनमें एक ही यान-पथ है, जो गीली मिट्टी में बना है या जिनकी सतह नीची है और जिस पर नीमेट या डामर नहीं बिछा है। राष्ट्रीय राजपथ और राज्यों के राजपथों की ऊपरी तह 9 या 10 इंच मोटी है और तकनीकी विशेषज्ञों का मत है कि आजकल के यातायात की बहुलता या मधनता को देखते हुए वह अपर्याप्त है। इनके अतिरिक्त, मुख्य मार्गों पर बहुत-से स्थानों पर पुल नहीं हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अगले राष्ट्रीय राजपथों पर ही 80 बड़े पुल बनने रह जाएंगे। इनमें से 47 पर काम चालू है और विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

34 तीसरी योजना में सड़क-विकास के उद्देश्य और प्राथमिकताएँ . तीसरी योजना के सड़क-विकास-कार्यक्रम उन उद्देश्यों के अनुकूल बनाए जा रहे हैं, जो कि हाल ही में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के मुख्य इंजीनियरों ने मन् 1961-81 के लिए बनाई गई वीन-वर्षीय सड़क-

विकास-योजना मे निर्धारित किए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी विकसित और कृषि-क्षेत्र में एक भी गाव ऐमा न रहे, जो पक्की सडक मे 4 मील से अधिक दूर हो या जिनसे डेढ मील की दूरी तक कोई भी सडक न हो। इस योजना में अविकमित और अर्द्धविकमित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। इसके अन्तर्गत बीस वर्षों के बाद, अर्थात् सन् 1981 में, 2,52,000 मील लम्बी डामर-विछी और 4,05,000 मील लम्बी विना डामर-विछी सडकें हो जाएगी।

बीस-वर्षीय योजना मे प्राथमिकताओं का क्रम मोटे तौर पर इस प्रकार होगा (क) सभी मुख्य मार्गों पर, जहा-जहा पुल नहीं है, पुल बनाए जाए और सडकों की सतह सुधारी जाए, जिससे कि वह कम-से-कम काली सतहवाली एक लेन की निर्दिष्ट के अनुकूल हो जाए, (ख) बड़े नगरों के आसपास की मुख्य सडकों को चौड़ा किया जाए और उनकी चौड़ाई दो लेनों के बराबर अवश्य हो जाए, और (ग) बड़े-बड़े मुख्य मार्गों पर कम-से-कम दो लेन के यान-पथ हो। इस योजना में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सडकों के द्वारे में सबसे पहला काम उनका इस ढंग से सुधार करना है कि वे अच्छे मौसम के स्तर की हो जाए। इन प्राथमिकताओं के मन्वन्ध में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पिछले दस वर्षों में जिलों और गावों की उन सडकों की माग बढ़ती जा रही है, जिनके सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले करोड़ों लोगों को लाभ पहुँचेगा। तीसरी योजना में विभिन्न प्रकार की सडकों के लक्ष्यों पर विचार करते समय इस माग को ध्यान में रखना पडेगा।

35 दूसरी योजना में सडक-विकास पर 224 करोड रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है। तीसरी योजना में सम्मिलित सडक-विकाम-कार्यक्रमों की लागत 324 करोड रुपये है। इसमें से राज्यों के क्षेत्र के कार्यक्रमों पर लगभग 244 करोड रुपये खर्च होंगे और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों पर 80 करोड रुपये। केन्द्रीय कार्यक्रमों मे राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त वे सडकें भी शामिल है, जो विभिन्न राज्यों को मिलाती है या जिनका प्राथमिक दृष्टि से महत्व है।

36 राज्यों के सडक-कार्यक्रम : सडकें बनाने के कार्यक्रम का अधिकांश राज्य-स्तर-कारो के क्षेत्र मे आता है। राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत सडक-कार्यक्रम अभी बनाए ही जा रहे है और यह कहना कठिन है कि योजना मे नियत राशियों की सीमा मे रहते हुए कुल कितने मील लम्बी और सडकें बनाई जा सकेंगी। परन्तु मोटे तौर पर यह अनुमान है कि इस योजना का अवधि मे लगभग 25,000 मील लम्बी डामर-विछी सडकें और बनाई जाएगी जब कि दूसरी योजना मे 22,000 मील लम्बी डामर-विछी नई सडकें बनी थीं। नई सडकों के निर्माण के कार्यक्रम बनाते समय एक और तो दुर्गम क्षेत्रों की सडकों-डारा मिलाने की व्यवस्था करने का ध्यान रखना होगा और दूसरी ओर यह देयना पडेगा कि सिवाई, विद्युत् और उद्योग के क्षेत्रों में परियोजनाओं के फलस्वरूप निरन्तर सडकों की जरूरत है। राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सडक-विकाम की जो आवश्यकताएँ हैं, उनको भी ध्यान मे रखना पडेगा। राज्यों की योजनाओं में सडक-कार्यक्रमों के लिए जो राशि रकी गई है उमका काफी बड़ा भाग उन उद्देश्यों के लिए है कि वर्तमान सडकों को सुधारा जाए, जिससे कि वे बढ़ते हुए यातायात, विशेषकर राशियों के यातायात, की जरूरतें पूरी कर सके। इन कार्यक्रमों में सडकों को चौड़ी बनाने, उनकी सतह सुधारने और उनको परम्पर स्तर-वाली सडकें और पुल बनाने के काम शामिल है।

37 केंद्रीय सड़क-कार्यक्रम : केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में मुख्यतया यह व्यवस्था की गई है कि वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों को सुधारा जाए। इस काम के लिए जितनी राशि उपलब्ध है, उससे तो केवल एक सौ मील लम्बी सड़क—उत्तर मलमारा से ब्रह्मपुत्र के पुल तक—बनाई जा सकेगी। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि हाल ही में 1,200 मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं। दूसरी योजना में राष्ट्रीय राजपथों के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई थी 700 मील लम्बी सड़कें अन्य सड़कों को जोड़ने के लिए बनाना, 40 वड़े पुल, 1,500 मील लम्बी मीजूदा सड़कों का सुधार और 900 मील लम्बी सड़कों को चौड़ी करके उन पर दोहरे यात्र-मय बनाना। राष्ट्रीय राजपथों के कार्यक्रमों में सभी लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं। हा, विद्यमान सड़कों का मिलानेवाली सड़कें बनाने का काम कुछ पीछे पड़ गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम पूरे किए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं जम्मू-श्रीनगर-राजपथ पर जवाहर-सुरंग के पूर्वी और पश्चिमी भागों का निर्माण, बंगाल में रायगज ने विहार में स्थित डलखोला तक राष्ट्रीय राजपथ के भाग का निर्माण और दिल्ली-आगरा सड़क का चौड़ा किया जाना। दूसरी योजना में जो अधिक वड़े पुल बनाए गए हैं, वे हैं विहार के भोकाभा नामक स्थान में गंगा पर रेल तथा सड़क-पुल, मध्यप्रदेश में चम्बल पर निमज्जनीय पुल, आन्ध्रप्रदेश में कृष्णा नदी पर रेगुलेटर-सह-सड़क-पुल, गुजरात में माहे नदी पर पुल, और मद्रास-डिंडीगुल सड़क पर पोलिवार नदी का पुल। तीसरी योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण सड़कें और पुल नहीं बन पाए थे, उन्हें पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजपथों के हाल में बने कुछ भागों का सुधार तथा कलकत्ता के समीप विवेकानन्द-पुल-उपभाग और राजपथों के वे टुकड़े बनाना भी शामिल है, जो उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं।

38 राज्यों के बीच की सड़कों और आर्थिक महत्व की सड़कों के जो कार्यक्रम पहली दो योजनाओं में सम्मिलित किए गए थे, उनमें कई परियोजनाएँ थीं। उनमें से प्रमुख परियोजनाएँ पश्चिमी तट की सड़क, पासी-बदरपुर सड़क, पठानकोट-उधमपुर सड़क और उन सड़कों की थी, जिनकी आवश्यकता मैसूर, उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश के राज्यों में खनिज लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1960-61 तक लगभग 1,000 मील लम्बी सड़कें बनाई गईं और 2,300 मील लम्बी सड़कों को सुधारा गया। दूसरी योजना में कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे, जिन्हें अब तीसरी योजना में समाप्त करना पड़ेगा। अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। सम्भव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नई योजनाओं का काम हाथ में लिया जा सके।

39 पिछड़े हुए क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताएँ : दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी सड़क-कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करते समय उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जो नचार-माघनों की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं। इसलिए, अरुणाचल और निकोबार द्वीप, हिमाचलप्रदेश, मणिपुर, उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी, नागा पहाड़ी-त्वेनसाग-अवध और त्रिपुरा की योजनाओं में यह व्यवस्था की गई है कि योजनाओं के कुल खर्च का एक-चौथाई से एक-तिहाई भाग सड़क-विकास की मद में खर्च किया जाए। जिन राज्यों में सड़क-विकास को अधिक प्राथमिकता दी गई है, वे हैं - अरुणाचल, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश और राजस्थान। स्वयं राज्यों के भीतर भी

अपेक्षतया कम विकसित क्षेत्रों के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जाएगी, उदाहरणार्थ इन क्षेत्रों में पंजाब के पहाड़ी प्रदेश, उत्तरप्रदेश में उत्तराखंड, बुन्देलखंड और अन्य पहाड़ी क्षेत्र; महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाडा, आन्ध्रप्रदेश में तेलंगाना, मैसूर और केरल में उत्तरी जिले, जम्मू और कश्मीर में लडाख और सोनावेरी के क्षेत्र, और नागा पहाड़ी-त्वैनसाग-क्षेत्र में त्वैनसाग का इलाका।

40 ग्रामीण सड़कों का विकास : ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों की योजनाओं में इस काम के लिए विशेष राशियां अलग रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस काम के लिए धन-राशियां नियत की गई हैं। कुछ समय पहले परिवहन और संचार-मन्त्रालय ने एक तदर्थ जांच कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी जिला-योजनाएं बनाने की चेष्टा की गई है, जिनमें यह दिखाया गया कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई जाएं, उनका परस्पर-सम्बन्ध किस तरह से होगा। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न संस्थाओं में तालमेल स्थापित किया जाए और जनता से गावों में सड़कें बनाने के लिए अधिक असादान प्राप्त किया जाए।

41 सड़क-अनुसन्धान : तीसरी योजना में सड़क-विकास-कार्यक्रम के लिए नियत राशि का कुछ भाग अनुसन्धान के लिए अलग रखा जा रहा है। सम्भव है कि कुल मिला कर, राज्यों की योजनाओं में, अनुसन्धान-कार्यक्रमों के लिए दो करोड़ रुपये मिल सकें, जिसे प्रयोगशाला-नवेषणा के बजाय क्षेत्रीय अनुसन्धान पर खर्च किया जाएगा। केन्द्र और राज्यों की सड़क अनुसन्धान-प्रयोगशालाओं में सड़कें बनाने की आघनिक तकनीकों पर अनुसन्धान किया जा रहा है। इस अनुसन्धान का मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्माण-लागत में कमी की जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि नई तकनीकों और नए ढंग के सामान से सड़कें बनाने के प्रयोग किए जाएं। अब तक जो अनुसन्धान किया गया है, उसके परिणामों के समुचित रूप से मूल्यांकन को सरल बनाने और आगे अनुसन्धान की योजनाएं चुनने के लिए एक केन्द्रीय मूल्यांकन-समिति बनाने का विचार है। इस समिति में केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य-सरकारों के सगठनों और कुछ ऐसे गर-सरकारी सगठनों के प्रतिनिधि होंगे, जिनका सड़क-विकास और सड़क-अनुसन्धान-कार्यों से सम्बन्ध है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई तकनीकों के क्षेत्रीय प्रयोग इस समिति की सिफारिशों के अनुसार किए जाएंगे।

सड़क-परिवहन

42 पिछले बीस वर्षों में देश में मोटर-परिवहन, विशेषकर माल लाने और ले जानेवाली गाड़ियों का काफी प्रसार हुआ है। अविभाजित भारत में (देही राज्यों को छोड़ कर) माल ढोनेवाली मोटर-गाड़ियों की संख्या, जो सन् 1938-39 में 12,397 थी, सन् 1946-47 में बढ़ कर 40,107 तक पहुंच गई थी। देश के विभाजन के बाद 10 वर्षों में भारत में माल ढोनेवाली मोटर-गाड़ियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई। सन् 1948-49 में यह संख्या लगभग 73,000 थी, जो सन् 1960-61 में 1,60,000 तक पहुंच गई। जहां तक सवारी मोटर-गाड़ियों का सम्बन्ध है, यद्यपि युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में उनकी संख्या घट गई थी, तथापि बाद में यह संख्या बढ़ी और सन् 1946-47 में लगभग दत्तनी

ही हो गई, जिनकी सन् 1938-39 में थी। सन् 1948-49 में इन गाड़ियों की संख्या बराबर बढ़ती ही गई है। सन् 1948-49 में यह संख्या 27,275 थी और सन् 1960-61 में बढ़ कर लगभग 50,000 हो गई, अर्थात् इसमें 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

43 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हाल के कुछ वर्षों में सड़क-परिवहन-साधनों-द्वारा होनेवाले यातायात में जो वृद्धि हुई है, वह मोटर-गाड़ियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस काल में मोटर-गाड़ियों की बहन-क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी योजना में मोटर-गाड़ियों के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था, यदि वह पूरा हो जाता, तो गाड़ियों की संख्या और सड़क-परिवहन-उद्योग की बहन-क्षमता और भी बढ़ जाती। दूसरी योजना में यद्यपि 40,000 गाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य था, परन्तु सन् 1960-61 में वास्तविक उत्पादन कुल 30,000 गाड़ियों का ही हो पाया। नई गाड़ियाँ कम संख्या में मिल पाई हैं, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में, जिसका कारण विदेशी मुद्रा की कमी है। यही मुख्य कारण था, जो इस अवधि में सड़क-परिवहन के तेजी से विकास में बाधक हुआ है। हाल के कुछ वर्षों में सड़क-परिवहन के सम्बन्ध में लाइसेंस-नीति को अधिक उदार बनाने के लिए कई कार्रवाई की गई है। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि सड़क-परिवहन-उद्योग को उम पर लगाए जानेवाले विभिन्न करों को सरल बना कर महामता दी जाए। विशेषतः परिवहन और अन्वय-मन्त्रालय ने सारी राज्य-सरकारों से प्रार्थना की है कि सभी करों को मिला कर एक कर दिया जाए, जो कि यथासम्भव एक ही अभिवर्ण-द्वारा इकट्ठा किया जाए। उनमें यह भी कहा गया है कि वे अन्तर-राज्य-मार्गों पर चलनेवाली सड़क-परिवहन-सेवाओं पर दोहरे कर को हटाने के प्रयत्न पर विचार करें।

44 तीसरी योजना में तिजारती सड़क-परिवहन का प्रसार मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर होगा कि मोटर-उद्योग की अपनी निर्माण-क्षमता कितनी है। मोटर-उद्योग-सम्बन्धी तदर्थ समिति, 1960 ने मोटर-गाड़ियों के निर्माण के जिस लक्ष्य की सिफारिश की है, उसे सरकार ने तीसरी योजना का निर्माण-कार्यक्रम बनाने के लिए स्वीकार कर लिया है। सन् 1965-66 में तिजारती गाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य 60,000 है, जो कि सन् 1960-61 के निर्माण-सन् 111 टुगना है। मोटे तौर पर यह अन्दाजा लगाया गया है कि तिजारती गाड़ियों की संख्या, जो सन् 1960-61 में लगभग 2,00,000 थी, सन् 1965-66 में बढ़ कर 3,65,000 हो जाएगी, अर्थात् उसमें लगभग 82 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस अवधि में माल ढोनेवाली मोटर-गाड़ियों की संख्या 1,60,000 से बढ़ कर 2,85,000 हो जाएगी और सवारी-गाड़ियों की संख्या, जो अब 50,000 है, बढ़ कर 80,000 हो जाएगी। परिवहन-नीति और समन्वय-समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट में जो हिमाव लगाया गया है, उसके अनुसार पांच वर्षों में सड़क-द्वारा जानेवाले माल में लगभग 120 प्रतिशत की वृद्धि होगी, अर्थात् यह यातायात सन् 1960-61 में 1,060 करोड़ टन-मील में बढ़ कर सन् 1965-66 में 2,315 करोड़ टन-मील हो जाएगा।

45 गाड़ियों में राष्ट्रीय सड़क-परिवहन-प्रतिष्ठानों के, जो आजकल अधिकतर राष्ट्रीय-सेवाओं की व्यवस्था करने हैं, प्रसार-कार्यक्रम पर तीसरी योजना में 26 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। ध्यान दें कि योजना की अवधि में राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की मोटर-गाड़ियों की संख्या में 7,500 की वृद्धि हो जाएगी, जब कि दूसरी योजना की अवधि में इनमें 5,000 नई गाड़ियाँ मंगरी गई थीं। सड़क-द्वारा गाड़ियों को ढोने-ढोने जाने की सेवाओं

में राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों का अंशदान वर्तमान-जितना, अर्थात् 30 प्रतिशत, ही रहने की आशा है। कुछ समय पहले योजना-आयोग ने राज्य-सरकारों को परामर्श दिया था कि वे सड़क-परिवहन-निगम-अधिनियम के अन्तर्गत निगम बना लें, जो राष्ट्रीयकृत सड़क-परिवहन-प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध करें और इस प्रबन्ध में रेलों, और यदि सम्भव हो, निजी मोटर-वालों का भी सहयोग रहे। नीति-सम्बन्धी इस निर्णय का आधारभूत सिद्धान्त इस बात की आवश्यकता है कि राज्य-सरकारों के प्रतिष्ठान, जिनके भविष्य में बड़े इञ्जारों का रूप ले लेने की सम्भावना है, रेलों के साथ प्रतिद्वन्द्विता में न पड़े, जिन पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है। प्रबन्ध का स्वरूप निगम-जैसा हो, तो उनके बीच अनुचित प्रतिद्वन्द्विता से किसी भीमा तक बचा जा सकता है। परिवहन-नीति और समन्वय-समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में एकमत होकर इस नीति का समर्थन किया है। कई राज्यों में निगम बन चुके हैं। बाकी राज्यों में भी यथासम्भव जल्दी ही निगम बना दिए जाएंगे। रेलवे की योजना में इस बात की व्यवस्था की गई है कि रेलों के राष्ट्रीयकृत सड़क-परिवहन-प्रतिष्ठानों के प्रसार-कार्यक्रम में अपना अंशदान दें।

46 तीसरी योजना की अवधि में रेलवे-परिवहन पर भारी बोझ और विभिन्न प्रकार के परिवहनों के समन्वित विकास की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के लिए सड़क-द्वारा माल-यातायात करने के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाना आवश्यक हो सकता है। बहुत-से प्रश्नों—जैसे, सगठन का रूप क्या होगा और कार्यक्रम का क्षेत्र क्या होगा—पर आगे चल कर यातायात-नीति और समन्वय-समिति की सिफारिशों के प्रकाश में तथा राज्य-सरकारों से सलाह-मशविरा करके विचार किया जाएगा।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन

47 देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र—अर्थात्, असम, पश्चिम-बंगाल और बिहार के राज्यों—में अन्तर्देशीय जलपथों का बड़ा महत्व है। इस समय असम और कलकत्ता के बीच आने-जाने-वाले माल का परिमाण 2.5 लाख टन से अधिक है। इसमें से लगभग आधा माल नदी-द्वारा जाता है और बाकी आधा रेलों और अन्य परिवहन-साधनों-द्वारा। दक्षिण में—केरल राज्य में—अन्तर्देशीय जलपथों का महत्वपूर्ण स्थान है। केरल की नदियां बहुत-से छोटे पत्तनों को कोचीन के मुख्य पत्तन से मिलाती हैं। उन पत्तनों के आसपास कई उद्योग स्थित हैं। उधर, उड़ीसा के डेल्टा-क्षेत्र में भी अन्तर्देशीय जलपथ संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इस क्षेत्र में केन्द्रपाडा और तालडाडा की नहरों में और उड़ीसा-तट-नहर में नावें चलती हैं। अन्तर्देशीय जल-परिवहन की व्यवस्था किसी सीमा तक आन्ध्रप्रदेश और मद्रास के राज्यों में भी है। अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति ने इस परिवहन-साधन का विस्तृत अध्ययन किया है। समिति ने सन् 1959 में अपनी रिपोर्ट परिवहन और संचार-मन्त्रालय को पेश की। इस समिति ने देश-भर में अन्तर्देशीय जलपथों के विकास के सम्बन्ध में दीर्घकालीन सुझाव दिए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। पहली दो योजनाओं में इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रगति बहुत धीमी रही है, जिसका कारण मुख्य रूप से यह है कि योजनाएँ बनाने और नावों, आदि के डिजाइन तैयार करने में बहुत समय लगता है। पहली दो योजनाओं में इन कार्यक्रमों पर एक करोड़ रुपये से भी कम राशि खर्च की गई थी, जब कि तीसरी योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 6 करोड़ रुपये की राशि

केन्द्रीय क्षेत्र में है और 1 5 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं के लिए नियत किए गए हैं ।

48 पहली पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि गंगा-ब्रह्मपुत्र-बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें केन्द्र-सरकार के साथ उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम-बंगाल और असम की सरकारें भी शामिल थीं । इस बोर्ड को यह काम सौंपा गया कि वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जल-परिवहन के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारों के क्रियाकलाप में तालमेल स्थापित करे और इस बात का पता लगाने के लिए कि जयले जलमार्गों में श्रावणिक ढग की नावें चलाना कहा तक व्यावहारिक हो सकता है, प्रायोगिक परियोजनाओं का संचालन करे । यह बोर्ड इन समय इन सेवाओं का परिचालन कर रहा है, (क) छपरा और बरहज के बीच 94 मील के फामले में देशी नौचालन-सेवा, (ख) पटना और बकसर (93 मील) और पटना और राजमहल (203 मील) के बीच कर्पनाव (पुष्टार टग्स) और इत्याद से बने बजरो द्वारा शाने-जाने की साप्ताहिक व्यवस्था । ये सेवाएँ अभी प्रयोग-मात्र के लिए हैं । यह बोर्ड अतिथि में प्रारम्भ की जानेवाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए मूवूत और जलवृत्त-सम्बन्धी सर्वेक्षण भी कर रहा है । दूसरी योजना की श्रवण में सरकार ने ज्वायट स्टीमर-कम्पनियों को नदी-संरक्षण-अनुदान देना स्वीकार कर लिया था और यह भी मान लिया था कि उन्हें नए स्टीमर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा । असम और भारत के बाकी भाग के बीच नदी-द्वारा ले जाए जानेवाले माल का अधिकतर भाग यही कम्पनियाँ ढोती हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ प्रारम्भ की गई थीं, वे दक्षिणी क्षेत्र में थीं । केरल में पश्चिमी तट-नहर को बढा-गारा से माहे तक बढाने की परियोजना का काम प्रारम्भ किया गया और अप्रैल 1958 में सरकार ने एक निगम की स्थापना की, जिसका काम किन्नलोन और एणाकुलम के बीच (90 मील) यामी ले जानेवाली मोटर-बोट चलाने का काम गैर-सरकारी संचालकों से ले लेना था । आन्ध्रप्रदेश और मद्रास में बकिषम-नहर ने मिट्टी निकालने की भी व्यवस्था की गई ।

49 तीसरी योजना में केन्द्रीय कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि ज्वायट स्टीमर-कम्पनियों को ऋण-द्वारा सहायता दी जाए, जिसकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, और पाहु में एक अन्तर्देशीय पत्तन तथा दामोदर-घाटी-नहर में नौचालन-कार्य को भी पूरा करने की व्यवस्था है, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किए गए थे । इन कार्यक्रम में जो नई योजनाएँ शामिल की गई हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण हैं : (1) गंगा-ब्रह्मपुत्र-बोर्ड-द्वारा सुन्दरवन के क्षेत्र में नौकर्मण की प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत, (2) अन्तर्देशीय जल परिवहन-सम्बन्धी मामलों के बारे में परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय सगठन की स्थापना, (3) सुन्दरवन और ब्रह्मपुत्र के लिए मिट्टी निकालने की मशीनों और लाकों की खरीद, (4) गोवा में अद्रिन तट का उन्नयन, तथा (5) प्रविक्षण-सम्बन्धी की स्थापना । राज्य-क्षेत्र में, अन्य योजनाओं के अतिरिक्त, केरल में पश्चिमी तट-नहर के विस्तार और उन्नयन, उद्योग में ताप-शक्ति और केन्द्राग नहरों के उन्नयन, विशेषकर पन्दीप-द्वारा उजिज लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में, और राज्य-स्तर-नहर में जन-परिवहन को सुविधाओं के विकास के लिए समुचित व्ययता को भी ।

जहाजरानी

50 पहली दो योजनाओं की अवधि में जहाजों के टन-भार में काफी वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बावजूद यह आभा है कि दूसरी योजना के अन्त तक 9 लाख टन (कुल पंजीकृत भार) का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि भारतीय जहाज इन समय देश के समुद्र-भार-व्यापार का 8 से 9 प्रतिशत अंश ढोते हैं। निम्नलिखित आकड़ों से पता चलता है कि पहली और दूसरी योजना के अन्त में तटीय और समुद्रपार-व्यापार में लगे हुए जहाजों का टन-भार कितना था -

तालिका-संख्या 9

पहली और दूसरी योजनाओं के अन्त में जहाजों का टन-भार

(कुल पंजीकृत भार लाख टनों में)

	1950-51	1955-56	1960-61
तटीय	2 17	2 4	2 92
समुद्रपार	1 74	2 4	6 13
योग	3 91	4 8	9. 05

समुद्रपार और तटीय जहाजरानी के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में क्रमशः 4 9 लाख टन और 4 1 लाख टन (कुल पंजीकृत भार) का लक्ष्य था। समुद्रपार जानेवाले जहाजों का कुल टन-भार तो लक्ष्य से अधिक है, परन्तु तटीय जहाजों का भार लक्ष्य से काफी कम है। पहली योजना में जहाजरानी के कार्यक्रम पर 18 7 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी और अनुमान है कि दूसरी योजना में यह खर्च 52 7 करोड़ रुपये होगा। दूसरी योजना में की गई एक महत्वपूर्ण कार्यवाई यह थी कि जहाजों की कम्पनियों को जहाज खरीदने के वास्ते ऋण देने के लिए एक जहाजरानी-विकास-निधि स्थापित की गई। यह निधि व्ययगत नहीं होगी।

51 तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। आशा है कि इसके अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये की राशि जहाजरानी-विकास-निधि में मिल सकती है। आशा है कि जहाजों की कम्पनियाँ अपने ससाधनों में से 7 करोड़ रुपये को व्यवस्था करेंगी। कुल राशि का आधे से अधिक भाग गैर-सरकारी क्षेत्र में खर्च किए जाने की आशा है। बाकी राशि सरकारी क्षेत्र के दो निगमों—अर्थात्, ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन—के कार्यक्रमों पर खर्च करने का विचार है। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में 57 नए जहाज लिए जाएंगे, जिनका कुल पंजीकृत भार 3,75,000 टन होगा। इसमें से 1,94,000 टन-भार के जहाजों की आवश्यकता पुराने जहाजों को बदलने के लिए पहली और बाकी 1,81,000 टन कुल पंजीकृत भार के नए जहाज मींगून गेट में बंध जाएंगे। इनमें कुल पंजीकृत टन-भार 11 लाख टन हो जाएगा। लगभग 2 16 000 टन के जहाज गैर-सरकारी क्षेत्र में और बाकी 1,50,000 टन के जहाज सरकारी क्षेत्र में खरीदे जाएंगे।

52 आगे पृष्ठ की तालिका से पता चलता है कि तीसरी योजना में भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र में समुद्रपार और तटीय व्यापार के लिए प्रायः नए जहाजों, जिनका टन-भार कितना-कितना होगा।

तात्त्विक-संख्या 10

तीसरी योजना में प्राप्त किए जानेवाले जहाजों का कुल पंजीकृत टन-भार

मद	गैर-सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	योग
तटीय			
बदली के लिए	1,00,000	—	1,00,000
नए	25,000	7,500	32,500
कुल तटीय	1,25,000	7,500	1,32,500
समुद्रपार			
बदली के लिए	56,000	37,600	93,600
नए	35,200	1,13,200	1,48,400
कुल समुद्रपार	91,200	1,50,800	2,42,000
योग . तटीय और समुद्रपार	2,16,200	1,58,300	3,74,500

कुल टन-भार में ने 1,32,500 पंजीकृत टन-भार की आवश्यकता तटीय व्यापार के लिए है और बाकी 2,42,000 पंजीकृत टन-भार की समुद्रपार-व्यापार के लिए। तटीय जहाजों के कार्यक्रम का अधिकतम पुराने जहाजों को बदलने के लिए है। तटीय जहाजों में 32,500 पंजीकृत टन-भार की वृद्धि की जाएगी। इनमें ने 25,000 टन के छोटे तटीय जहाज नामात्मक माल ढोने के लिए होंगे और बाकी 7,500 टन का एक तटीय टैंकर जहाज होगा। जहा तक समुद्रपार-व्यापार का सम्बन्ध है, 93,600 पंजीकृत टन-भार के पुराने जहाजों के बदलने की व्यवस्था की गई है और 1,48,000 पंजीकृत टन के नए जहाज खरीदने का विचार है। अतिरिक्त टन-भार में 53,000 पंजीकृत टन-भार के टैंकर होंगे। तीन टैंकर खरीदने का विचार है—दो विना माफ किए पेट्रोलियम के आयात के लिए और एक पेट्रोलियम-उत्पादनों के आयात के लिए।

53 इस बात को मान लिया गया है कि जहाजरानी के प्रचार को अधिक प्रयत्नपूर्वक मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने उच्च विदेशी मुद्रा की वचत हो सकेगी, जो देश को अपने समुद्रपार-व्यापार की टुलारके के लिए खर्च करनी पड़ रही है। राष्ट्रीय जहाजरानी-मंडल ने सिफारिश की है कि सन् 1965-66 तक 14 2 लाख पंजीकृत टन-भार का सक्षम पूरा हो जाना चाहिए। परन्तु जहाजरानी-विकास-कार्यक्रम बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमें इस काम के लिए विदेशों से कितनी सहायता मिलती है और इसलिए इसका सीमित होना स्वाभाविक ही है। जहा तक तटीय जहाजरानी का सम्बन्ध है, आशा है कि परिवहन-नीति और समन्वय-निति अपनी अन्तिम रूपों में इस सम्बन्ध में सिफारिशें करेंगी कि रेलों के मुकाबले में तटीय जहाजरानी का क्या अंशदान रहेगा। इस बीच यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जितने भी जहाज हैं, उन्हें बड़े परिमाण में बल्लुए—विशेषकर कोयला—की जात के लिए पूरी तरह प्रयोग में लाया जाए, जिससे कि रेलों पर कम बोझ पड़े।

पत्तन और बन्दरगाह

54 मुख्य पत्तन पहली योजना में मुख्य पत्तनों के विकास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्तमान पत्तनों पर पूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और उन्हें नए ढंग का बनाया जाए—विशेषकर उन पत्तनों को, जहाँ युद्धकाल में बहुत अवक्षयण हुआ है—और काडला पर उम यातायात के लिए एक मुख्य पत्तन बनाया जाए, जो पहले कराची से होता था। कार्यक्रम की व्योरेवार बातों को अन्तिम रूप देने में देरी हो जाने के कारण पहली योजना में प्रगति धीमी रही। इस काल में मुख्य पत्तनों की क्षमता 2 करोड़ टन से बढ़ कर 2 5 करोड़ टन हो गई। योजना के अन्तिम वर्ष में 2 4 करोड़ टन का यातायात हुआ। दूसरी योजना का उद्देश्य यह था कि पहली योजना में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का काम पूरा किया जाए और कलकत्ता, मद्रास, विशाखापटनम और कोचीन के पत्तनों पर जहाँ-जहाँ के ढहरने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था की जाए। इस योजना के पहले दो वर्षों में पत्तनों में भारी माल के बड़े पैमाने पर होनेवाले आयात के कारण बहुत भीड़ रही और मुख्य पत्तनों की समझौदा बढ़ाने और उन्हें अधिक माल लेने और भेजने-योग्य बनाने के लिए कई कार्रवाइयाँ की गईं। हुगली नदी में डुवाव की परिस्थिति विगड़ जाने के कारण, कलकत्ता पत्तन में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जिनका उद्देश्य बहुव्यय-साध्य नदी-नियन्त्रण-कार्यों को हाथ में लेना और कठिन बाधाओं को वहाँ से हटाना था। इन कार्यक्रमों पर काफी खर्च किया गया। अब मुख्य पत्तनों की क्षमता काफी बढ़ गई है और अनुमान है कि सन् 1960-61 में वहाँ में होनेवाला यातायात लगभग 3 3 करोड़ टन था।

55 तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्हीं परियोजनाओं का काम पूरा करने की व्यवस्था है, जो प्रारम्भ की जा चुकी हैं। दम्बई पत्तन को आधुनिक ढंग का बनाने और उसकी गोदियों के प्रसार की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, कोई ऐसी बटी योजना शामिल नहीं की गई, जिससे वर्तमान पत्तनों की क्षमता में अधिक वृद्धि होने की आशा की जा सके। वर्तमान पत्तनों के सम्बन्ध में जो योजनाएँ हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वहाँ पहले से प्राप्त सुविधाओं को बनाए रखा जाए और बेहतर बनाया जाए। आशा है कि उन योजनाओं के पूरा होने से, जिनमें से अधिकतर दूसरी योजना में प्रारम्भ कर दी गई थी, मुख्य पत्तनों की क्षमता 4 9 करोड़ टन हो जाएगी। तीसरी योजना के अन्त तक जितना यातायात होने का अनुमान है, उसके लिए यह पर्याप्त होगी।

56 कलकत्ता पत्तन को ठीक-ठाक रखने और उसके संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल की गई हैं। ये योजनाएँ हैं (क) हल्दिया में एक सहायक पत्तन का निर्माण, और (ख) फरक्का में गंगा नदी पर बांध का निर्माण। हल्दिया पत्तन कलकत्ता का अनुपूरक पत्तन होगा और वहाँ से 56 मील नीचे (नदी के वहाव की ओर) बनाया जाएगा। इस पत्तन में बड़े परिमाण में कोयला खनिज, लोहा और खाद्यान्न लाने तथा भेजने और सामान्य माल के जहाजों से माल उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है। सामान्य माल कलकत्ता पत्तन से ही आए-जाएगा। इन परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी जांच की जा रही है। पत्तन के निर्माण पर, जिसमें चार वर्षवाली गोदी बनाना भी शामिल है, 25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई

हे और सम्भव है कि इसका बहुत-सा काम चौथी योजना की अवधि में ही पूरा हो। इस पत्तन को एक सीधे रेल-मार्ग-द्वारा कलकत्ता-खडगपुर मुख्य लाइन में मिलाने का विचार है।

57 जहा तकगंगा नदी पर बाध का प्रश्न है, उसे हुगली नदी में डुवाव की स्थिति सुधारने और कलकत्ता पत्तन को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। नदी के तल में जमी हुई मिट्टी को जोर से बहा कर ले जाने के लिए पानी की कमी के कारण हुगली की स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही है। इससे न केवल हुगली नदी के नौकानयन के योग्य बने रहने पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि नदी के तल पर मिट्टी जमा हो जाने से पानी की धारा भी अवरुद्ध हो गई है। इसने एक ओर तो हुगली में बान-ज्वार अधिक आने लगे हैं और दूसरी ओर इनका पानी अधिकाधिक नमकीन होता जा रहा है। कलकत्ता के पत्तन को चालू रखने के लिए मिट्टी निकालने के प्रयत्न तेजी में करना आवश्यक हो गया था, लेकिन वे अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। गंगा पर फरक्का-बाध बन जाने से हुगली में ऊपर से आनेवाले पानी की मात्रा बढ़ जायेगी और इस समस्या का एक ठोस हल निकल आयेगा। इस बाध से कुछ अन्य आनुपगतिक लाभ होंगे, जिनमें से एक यह होगा कि कलकत्ता और उसकी परिधि में स्थित औद्योगिक नगरों में पानी की मात्रा बढ़ जायेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर और दक्षिण-बंगाल के बीच मत्तार-व्यवस्था सुधर जायेगी और असम तथा बंगाल, आदि के बीच अन्तर्देशीय जल-परिवहन-मार्ग को सम्बन्धित कम हो जायेगी। अनुमान है कि परियोजना पर कुल 56 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना को 9 वर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार, तीमरी योजना के काल में इस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

58 इन्दिया के अनुपूरक पत्तन और फरक्का-बाध के अतिरिक्त कलकत्ता में बलारी धारा (चेलन) को सुधारने के लिए दिशा-नियन्त्रण-सम्बन्धी निर्माण-कार्य की व्यवस्था की गई है और मिट्टी निकालनेवाली अधिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों का प्रबन्ध किया गया है। इन योजनाओं पर 28 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

बम्बई पत्तन के कार्यक्रम में जो योजनाएँ शामिल की गई हैं, उन पर लगभग 26 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं - गोदियो को आधुनिक बनाने की योजना, बन्दरगाह की मुख्य धारा में नै मिट्टी निकालना, बैलार्ड बंगसार का प्रसार और बगमार पर यात्रियों के उतरने के लिए आवश्यक भवन का निर्माण, अलेक्झेड्रा गोदियो में क्रेनो को बिजली से चलाने की व्यवस्था और मजदूरों के लिए आवास की योजना। गोदियो को आधुनिक ढंग का बनाने की योजना का उद्देश्य यह है कि पत्तन में जहाजों के ठहरने के लिए अधिक गहरे डुवाववाले बर्यों का निर्माण किया जाए। हाल के कुछ वर्षों में इस पत्तन में आनेवाले बड़े जहाजों की मस्या बढ़ गई है, इसलिए यह योजना आवश्यक हो गई है। बैलार्ड बंगसार-सम्बन्धी योजनाएँ पत्तन पर यात्रियों के यातायात के लिए आवश्यक नमस्ती गई हैं। यात्रियों के उतरने की इमारत को तुरन्त नया बनाना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा इमारत की नीव तेजी से कमजोर होती जा रही है।

मद्रास पत्तन के कार्यक्रम पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जो परियोजनाएँ चल रही हैं, उन्हें पूरा करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में खनिज और कोयले के लिए नए यार्ड बनाने और खनिज लोहों को लादने-उतारने के लिए उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

विशाखापटनम के कार्यक्रम पर 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें चार अतिरिक्त घाट-योजनाओं और खनिजों को लादने के लिए यन्त्र लगाने की व्यवस्था की गई है, जिन पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम प्रारम्भ हो गया था। इस योजना का उद्देश्य यह है कि पत्तन को इस योग्य बनाया जाए कि वहाँ से सन् 1964 से 20 लाख टन खनिज लोहा प्रति वर्ष जापान को भेजा जा सके और सन् 1966 से 40 लाख टन और अधिक लोहे के निर्यात की व्यवस्था की जा सके।

काडप्ता में यह व्यवस्था की गई है कि दो अतिरिक्त घाट पूरे किए जाएं, एक निकरपंग-पोत मगाया जाए, उपनगर का प्रसार किया जाए और पत्तन में अधिक पानी की व्यवस्था करने की योजनाएँ क्रियान्वित की जाएं।

कोचीन पत्तन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्हीं योजनाओं का काम पूरा करने की व्यवस्था है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आ रही हैं।

59 पत्तनों के विकास-कार्यक्रम में, दो छोटे पत्तनों, अर्थात् तुत्तुकुडि और मगलोर, को सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाला पत्तन बनाने की दो परियोजनाएँ सम्मिलित की गई हैं। तुत्तुकुडि के साथ ही सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाले पत्तन का विकास इसलिए जरूरी समझा गया है कि पत्तन वर्तमान यातायात को सुचारु रूप से निवटा सके और यातायात में वृद्धि के लिए आवश्यक क्षमता की व्यवस्था हो जाए। इस परियोजना का ठीक-ठीक विस्तार इन बात पर निर्भर है कि भविष्य में इस पत्तन से कितना यातायात हो सकता है वर्तमान यातायात में अधिकतर भाग उन वस्तुओं का है, जो तटीय यातायात में आती हैं। इस सम्बन्ध में लम्बे समय की बात तभी मोची जा सकती है, जब परिवहन-नीति और समन्वय-समिति की रिपोर्टें प्राप्त हो जाएं।

मगलोर का विकास करने का विचार मुख्यतः इस प्रयोजन से है कि इसे चित्तनद्रग और मगलोर के आसपास-स्थित अन्य खान-क्षेत्रों में भविष्य में प्रत्याशित 20 लाख टन खनिज लोहे का यातायात करने-योग्य बनाया जाए। बन्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में तकनीकी जांच की जा रही है।

60 अनुमान है कि पत्तन-विकास-कार्यक्रम की कुल लागत 115 करोड़ रुपये के लगभग बैठेगी। इसमें से 80 करोड़ रुपये की राशि मुख्य पत्तनों के कार्यक्रमों के लिए, 25 करोड़ रुपये फरवका-बाध के लिए और 10 करोड़ रुपये की राशि मगलोर तथा तुत्तुकुडि में नए मुख्य पत्तनों के विकास के लिए है।

61 छोटे पत्तन : भारत में छोटे पत्तनों की संख्या 150 में अधिक है। अनुमान है कि वहाँ से प्रति वर्ष 60 लाख टन सामान का यातायात होता है। छोटे पत्तनों के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में 2-4 करोड़ रुपये की योजनाएँ शामिल की गई थीं, परन्तु वाम्ताविच सच 1-4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी और अनुमान है कि वह सारी राशि खर्च हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर 15 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

62 मध्यवर्ती पत्तन-विकास-समिति (1960) ने छोटे पत्तनों—जिन्हें 'नए पत्तन' कहा जाता है—में कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद प्रगने

पाच में दस वर्ष तक के लिए विकास-योजनाओं की विफारिश की है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम मसिद्धि की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम की अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं में परदीप में एक मध्यवर्ती पत्तन बनाने का प्रस्ताव उल्लेखनीय है। यह पत्तन सुकिन्द-द्वैतरी क्षेत्रों में 5 लाख टन खनिज लोहे के निर्यात के लिए होगा। खान-क्षेत्रों में पत्तन खनिज लोहा ले जाने के लिए आवश्यक परिवहन-सुविधाओं के विकास की भी व्यवस्था की जा रही है। नीन्दाकारा (केरल) की भी मध्यवर्ती पत्तन बनाने का विचार है, और यदि कारवार में गहरे डूबाव के घाट की व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से सम्भव हुई, तो यह काम भी किया जाएगा, ताकि वहां से खनिज लोहे का निर्यात हो सके। इस कार्यक्रम में जो अंग योजनाएँ शामिल की गई हैं, वे ये हैं काकीनाडा में 'ग्रेयोनों' का विस्तार और एक 'ड्रेजर' प्राप्त करना, मछलीपट्टम में जल-वाष्प स्थिरकरण, कड्डलूर में ममुद्रतल को लहरों में कटने से बचाने के लिए लकड़ी की दीवारें और एक बगसार की व्यवस्था करना, रत्नगिरि में नीची तलवाली जेटी को चौड़ा करना और उसका न्तर ऊंचा करना, रेडी में माल उतारने का घाट बनाना, भावनगर में जलबन्धक फाटक का सुधार, पोरबन्दर में माल-बोटों के ठहरने के लिए अतिरिक्त स्थानों का निर्माण और भोला में तेल के जहाजों के ठहरने के लिए घाट बनाना। केन्द्रीय क्षेत्र में निकपेण एव सर्वेक्षण-पोतों की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत दो निकपेण-पोत और छ सर्वेक्षण-पोत खरीदने की व्यवस्था की जा चुकी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक निकपेण-पोत और प्राप्त किया जाएगा।

तीसरी योजना में मसिद्धि किए गए कार्यक्रम पूरे होने पर अब छोटे पत्तनों की क्षमता बढ़ कर 90 लाख टन हो जाने की आशा है।

प्रकाश-रत्नम्भ

63 प्रकाश-स्तम्भों और प्रकाश-नीकाओं के विकास के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि रबी गई है, जिसमें से 2 4 करोड़ रुपये की राशि तो उन कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी, जो दूसरी योजना के समय से चले आ रहे हैं और बाकी 3 6 करोड़ रुपये नए निर्माण-कार्यों के लिए होंगे। दूसरी योजना की अवधि में 72 नए प्रकाश-स्तम्भ स्थापित हुए और नौकानयन में सहायक अन्य उपकरणों—जैसे, रेडियो-सकेतक, अधिक शक्ति के रेडियो-प्रसार-यन्त्र और प्रकाशयुक्त तथा प्रकाशहीन बीताओं—की व्यवस्था की गई है। 50 प्रकाश-स्तम्भों के निर्माण और सुधार और नौकानयन में सहायक अन्य उपकरणों—जैसे, रेडार, रेडियो-सकेतक, पुन्ध-सकेतक और प्रकाश-बीताओं—के सम्बन्ध में काम जारी है। इसके अतिरिक्त, दो डेका नौकानयन-शुल्लताओं और कलकत्ता में प्रकाश-स्तम्भ-कारखाने और प्रयोगशाला की स्थापना के सम्बन्ध में काम चल रहा है। तीसरी योजना में जो नए कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनमें एक प्रकाश-स्तम्भ-डेडर की योजना भी है, जिस पर 140 लाख रुपये खर्च होगा।

नागरिक विमान-परिवहन

64 नागरिक उड्डयन : विभाजन के बाद से नागरिक उड्डयन में तेजी से प्रगति हुई है। मन् 1947 से पहली योजना के प्रारम्भ तक नागरिक उड्डयन-सम्बन्धी कार्यों पर लगभग

६.६ करोड़ रुपये खर्च किए गए। पहली दो योजनाओं की अवधि में 24 करोड़ रुपये खर्च हुए। पहली योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हवाई अड्डों, संचार-सुविधाओं और उपकरणों, आदि की कमी को पूरा किया जाए। दूसरी योजना में देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की बढ़ती हुई मांगें पूर्ण करने और विशेषकर वे मांगें पूरी करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई थी, जो अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन-अभिसमय के अधीन भारत के दायित्वों और हाल की तकनीकी उन्नति के फलस्वरूप उत्पन्न हुईं। इस अभिसमय के अन्तर्गत भारत पर यह उत्तरदायित्व था कि हवाई अड्डों पर अभिसमय में विहित मानकों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। इस समय नागरिक उड्डयन-विभाग की देख-रेख में 85 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से चार दूसरी योजना की अवधि में बने थे। चार अन्य हवाई अड्डों का निर्माण-कार्य समाप्तप्राय है। तीसरी योजना में नागरिक उड्डयन पर लगभग 25.5 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है। नीचे की तालिका में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की योजना पर कितना-कितना खर्च होगा। तालिका में यह भी बताया गया है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इन योजनाओं पर कितना खर्च किया गया था

तालिका-संख्या 11

नागरिक उड्डयन पर पहली दो योजनाओं में किया गया खर्च और तीसरी योजना के लिए नियत राशि

(लाख रुपये)

योजना	पहली योजना (वास्तविक खर्च)	दूसरी योजना (अनुमानित खर्च)	तीसरी योजना (नियत राशि)
हवाई अड्डों पर कार्य	612	1,290	1,850
दूर-संचार उपकरण	68	229	500
वायु-मार्ग और हवाई अड्डे	29	43	100
प्रशिक्षण और शिक्षा-उपकरण	10	23	84
अनुसन्धान और विकास-उपकरण	5	6	17
योग	724	1,591	2,550

85 दूसरी पंचवर्षीय योजना में बम्बई (माताक्रूज), कलकत्ता (टर्मिनस) और दिल्ली (पालम) के हवाई अड्डों पर विस्तृत विकास-कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। ये कार्यक्रम जो कि मुख्यतः जेट विमानों की उड़ान की सुविधा के लिए आरम्भ किए गए थे, तीसरी योजना में पूरे किए जाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाएगी जहां भी आवश्यक हो, विद्यमान धावन-मार्गों का प्रसार, जिनमें मद्रास में एक ऐसे विमान-अड्डे का विकास भी शामिल है, जहां मलाया-इंडोनेशिया-प्रान्तीय विमानों पर चलनेवाले जेट विमान उतर सकें, लखनऊ, गया और अहमदाबाद के हवाई अड्डों के धावन-मार्गों को बढ़ाना और उन्हें मजबूत बनाना, क्योंकि ये हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकल्प-स्वरूप माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त टर्मिनस-पन बनाने, एयान बनाने और अड्डों

के सीमान्त भवन तथा अन्य तकनीकी इमारतें बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कई हवाई अड्डों के धावन-पथों पर प्रकाश का स्थायी प्रबन्ध किया जाए। हवाई अड्डों के निर्माण-कार्यों के लिए नियत कुल राशि में से 65 लाख रुपये की राशि नए हवाई अड्डे बनाने, उड्डयन और ग्लाइडिंग क्लबों तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर विमान-पट्टियां बनाने के लिए रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 20 लाख रुपये की राशि इस कार्यक्रम में पर्यटन के विकास के लिए रखी गई है। यह धन पर्यटन-यातायात के विकास के लिए हवाई अड्डे और विमान-पट्टियां बनाने पर खर्च किया जाएगा। नागरिक उड्डयन के लिए नियत राशि में दो करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है, जो दिल्ली में आवश्यकतानुसार एक बिल्कुल नया हवाई अड्डा बनाने पर खर्च की जाएगी। अनुमान है कि इस परियोजना की कुल लागत 12 करोड़ रुपये के लगभग होगी।

66 वैमानिक संचार-सेवाओं के कार्यक्रम में जो योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, उनमें कुछ हवाई अड्डों पर विमान-चालन में सहायक अग्नेयुद्ध के उपकरणों की योजना भी है, ताकि ऊंचाई पर तेजी से उड़नेवाले जहाजों की हर प्रकार के मौसम में सहायता की जा सके। यह भी योजना है कि हवाई अड्डों पर टर्मिनल नियन्त्रण-संचार और मौसम-सम्बन्धी जानकारी देने की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। प्रशिक्षण-कार्यक्रम में, इलाहाबाद के प्रशिक्षण-केन्द्र के लिए विमान और अन्य उपकरणों के खरीदने और 15 नए उड्डयन-क्लब खोलने की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की अवधि में ऐसे कुल पांच क्लब खोले गए थे।

67 विमान-निगम सन् 1953 के बाद से, जब विमान-निगम बनाए गए थे, उनका कार्यकलाप तेजी से बढ़ा है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि सन् 1953-54 से सन् 1959-60 तक उनकी वहन-क्षमता और उनके द्वारा ढोए गए माल तथा यात्रियों की संख्या में किसनी वृद्धि हुई है

तालिका-संख्या 12

1953-54 और 1959-60 में विमान-निगमों द्वारा किया गया यातायात

(लाख में)

भद	1953-54	1959-60
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन		
उपलब्ध क्षमता, टन-मील में	458 4	678 7
ले जाए गए टन-मील पर आय	312 2	479 9
जितने मुसाफिर ले जाए गए	4 3	7 0
एयर इंडिया इंटरनेशनल		
उपलब्ध टन-मील	169 1	595 2
टन-मील पर आय	104 7	346 2
जितने मुसाफिर ले जाए गए	0 3	0 9

अनुमान है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल की वहन-क्षमता सन् 1960-61 में और अधिक, अर्थात् 10 32 करोड़ टन-मील, हो गई थी।

68 एयर इंडिया इंटरनेशनल ने जब कार्य प्रारम्भ किया था, तब उसके पास कुल चार कान्स्टेलेशन विमान थे। पहली योजना में पाच और दूसरी योजना में अन्य पाच गुपर-कान्स्टेलेशन विमान खरीदे गए, परन्तु सन् 1959 में एक दुर्घटना में एक विमान नष्ट हो गया। निगम ने दूसरी योजना में तीन 707 बोइंग जेट विमान भी खरीदे और एक बोइंग मगाया, जो तीसरी योजना की अवधि के प्रारम्भ में आया। आजकल निगम के पास 3 बोइंग और 9 गुपर कान्स्टेलेशन विमान हैं। तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम में चार और जेट विमान खरीदने की व्यवस्था है, जिसमें से निगम ने दो का आर्डर दे भी दिया है। योजना में इस निगम के लिए कुल 14.5 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है, जिसमें से 13.5 करोड़ रुपये की आवश्यकता विमान खरीदने के लिए है। बाकी 1 करोड़ रुपये की राशि वर्कशापों और हैंगरों के प्रसार तथा उपकरणों, आदि के खरीदने के लिए है। तीसरी योजना के प्रारम्भ में ही घन्टर्ड में जेट इंजिनो की पूरी मरम्मत और सफाई के लिए एक केंद्र स्थापित करने का विचार है।

69 दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास 92 विमान थे, जिनमें से 66 डकोटा, 12 वाइकिंग, 6 स्काइमास्टर और 8 हेरोन थे। दूसरी योजना में निगम ने 10 वाइकाउट विमान खरीदे, जिससे उसकी वहन-श्रमता काफी बढ़ गई। परन्तु इसी काल में सारे वाइकिंग और हेरोन विमानों का चलना बन्द कर दिया गया। निगम ने दूसरी योजना की अवधि में डकोटा विमानों के बदलाव के लिए 5 फाक्टर फ्रेंडशिप विमानों का आर्डर दिया। सन् 1960-61 के अन्त में निगम के चालू विमानों में 54 टकोटा, 5 स्काइमास्टर और 10 वाइकाउट थे। दूसरी योजना की अवधि में एक अच्छी बात यह हुई है कि वाइकाउट विमान चालू करने से आय में काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सन् 1959-60 में पहली बार निगम को यदि लाभ नहीं हुआ, तो घाटा भी नहीं हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में डकोटा विमानों के बदलाव के लिए 4 वाइकाउट विमान और 25 आधुनिक विमान खरीदने की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना के अन्त में लगभग 10 डकोटा विमान चालू करने का विचार है। उन्हें माल ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। निगम के लिए तीसरी योजना में कुल 15 करोड़ रुपये की राशि रयी गई है। अनुमान है कि इसमें से 10 करोड़ रुपये की राशि, डकोटा विमानों के स्थान पर मध्यम आकार के विमान खरीदने और 1 करोड़ रुपये 4 और (पुराने) वाइकाउट विमान खरीदने के लिए आवश्यक होंगे। मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के क्वार्टर और निगम के निगम आवश्यक अन्य भवनों के निर्माण के लिए 2.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1.5 करोड़ रुपये की बाकी राशि वर्कशाप के उपकरण और गाडिया, आदि खरीदने तथा नाउ डग के विमानों के चालकों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक होंगे।

पर्यटन

70 इधर कुछ वर्षों में पर्यटन का महत्व अधिकाधिक बढ़ता गया है। पिछले दस वर्षों में विदेशों से पर्यटन के लिए भारत आनेवालों की संख्या लगभग छ-भूनी हो गई है—सन् 1951 में इनकी संख्या 20,000 थी, जो सन् 1960 में 1,23,000 हो गई। सन् 1950 में पर्यटन से करीब 4 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आनदनी हुई थी जो सन् 1960 में

बढ़ कर कोई 20 करोड़ रुपये हो गई। दूसरी पचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के जो कार्यक्रम शामिल किए गए थे, उनका उद्देश्य मुख्यतः महत्वपूर्ण पर्यटन-केंद्रों में आवास, परिवहन और मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था करना था। इन केंद्रों को मिलानेवाली सड़कें बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। दूसरी पचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने में काफी बचन लगा था। इनमें ज्यादातर भवन-निर्माण की परियोजनाएँ थीं और जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सर्वत्र प्रगति घीमी ही रही है। जम्मू-कश्मीर के लिए नगभग एक करोड़ रुपये की जो राशि नियत की गई थी, वह प्रायः नारी-को-नागी इन्फेन्सल की जा चुकी है।

71 तीमरी पचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए करीब 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि का आधे से कुछ कम भाग तो केंद्रीय पर्यटन-विभाग की योजनाओं के लिए और राज्य-सरकारों को दिए जानेवाले अनुदानों के लिए होगा और बाकी रकम राज्यों की योजनाओं के लिए हिस्से के रूप में खर्च की जाएगी। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत उन पर्यटन-केंद्रों में सुविधाएँ देने की व्यवस्था है, जो विदेशी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जब कि राज्यों की योजनाओं में मुख्यतः देशीय पर्यटन को दृष्टि में रखा गया है। दूसरी योजना की तरह तीमरी योजना में भी अधिकतर परिवहन और आवास की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कश्मीर में गुणमर्ग में शीत-कालीन खेलों की व्यवस्था की गई है। पर्यटन की बढ़ती हुई आब्यक्तता के अनुरूप देश में होटल-उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है। नए होटलों के निर्माण के लिए और वर्तमान होटलों के विकास या सुचारु के लिए ध्यान देकर इन उद्योग को महायता देने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

संचार-साधन

72 पिछले दस वर्षों में औद्योगिक और वाणिज्यिक कामों के विस्तार के कारण संचार-सुविधाओं की मांग अधिकाधिक बढ़ती गई है। इनका विकास देश की औद्योगिक और टेक्नोलॉजिकल उन्नति का एक अभिन्न अंग है। संचार-सेवाओं में डाक, तार और टेलीफोन-सेवाएँ, नमूना-पर-संचार और श्रुति-विज्ञान भी शामिल हैं। पिछली दो योजनाओं में देश के डाकघरों की मार्फत 80 प्रतिशत वस्तुएँ ब्यादा आई अर्थात् यह सख्या 227 करोड़ से बढ़ कर 405 करोड़ 40 लाख हो गई। तारों की सख्या 43 प्रतिशत बढ़ी, यानी नन् 1950-51 में 2 करोड़ 79 लाख तार दिए गए थे, जब कि नन् 1960-61 में 4 करोड़ तार दिए गए। टेलीफोन-विभाग के अधीन एक शहर में दूसरे शहर के लिए किए जानेवाले टेलीफोनो की सख्या नगभग पाच-गुना बढ़ गई, यानी नन् 1950-51 के 71 लाख ने बढ़ कर नन् 1960-61 में लगभग 3 करोड़ 40 लाख हो गई। इन आकड़ों ने पता चलता है कि देश के आर्थिक विकास से डाक और तार-विभाग पर काम का किनासा दबाव हो गया है। डाक-तार-सेवाओं की तथा देश के अन्य संचार-साधनों की क्षमता का काफी विस्तार हो जाने के बावजूद उबर कुछ वर्षों से विभाग पर काम का कुछ ब्यादा बोझ रहा है। संचार-विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के लिए पहली और दूसरी योजनाओं में जितनी रकमों की व्यवस्था की गई थी, और जो खर्च हुआ था उसका तथा तीमरी योजना में विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों की लागत का व्योरा अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।

तालिका-संख्या 13
संचार-साधनों पर खर्च

विभाग	पहली योजना (वास्तविक खर्च)	दूसरी योजना		तीसरी योजना (स्वीकृत कार्यक्रमों की लागत)
		व्यवस्था	प्रत्याशित खर्च	
डाक और तार	39.57	63	50.7	77.6
समुद्र-पार-संचार	0.58	2	0.72	3
श्रुतु-विज्ञान	0.47	1.5	0.99	3
भारतीय टेलीफोन-उद्योग	2.91	0.5	0.5	2.8
बेतार-आयोजन और समन्वय	—	—	—	0.5
दूरमुद्रक-कारखाना	—	—	0.09	1.4
योग	43.53	67	52.9	88.3

डाक और तार

73 तीसरी योजना में शामिल किए गए डाक और तार-विभाग के कार्यक्रमों पर अनुमानित 77.6 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका विवरण इस प्रकार है

तालिका-संख्या 14

तीसरी योजना में डाक और तार-विभाग के कार्यक्रमों की लागत

योजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
टेलीफोन सेवाएं	
स्थानीय टेलीफोन	35.0
ट्रंक टेलीफोन	6.0
ट्रंक केबल	8.6
तार-सेवाएं	2.0
अन्य प्रयासों की लागत	2.0
भवन-निर्माण	11.0
विविध	2.0
रेलों पर बिजली की व्यवस्था करने के लिए दूर-संचार-विभाग	11.0
योग	77.6

74 टेलीफोन-सेवाएं .सन् 1950-51 में देश में टेलीफोनो की संख्या 1,68,000 थी, 1955-56 में बढ़ कर 2,80,000 और सन् 1960-61 में बढ़ कर 4,60,000 हो गई। इसी प्रकार, पहली योजना में 1,12,000 नए टेलीफोन लगाए गए, जब कि दूसरी योजना में 1,80,000 नए टेलीफोन लगाए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 2,00,000 नए सीधे टेलीफोन लगाने की व्यवस्था है। इसके अलावा, परिचालित लाइनों को स्वचालित लाइनों में बदलने की भी व्यवस्था की गई है। कोई 45 नगरों में स्वचालित टेलीफोन-केन्द्र स्थापित किए जाएंगे तथा 32 नगरों के वर्तमान स्वचालित केन्द्रों को बढ़ाया जाएगा। जो नए टेलीफोन दिए जाएंगे, उनमें में बहुत-सारे 6 अकोवाले होंगे, जिनके लिए केन्द्रों में और उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी।

तीसरी योजना में टुक-टेलीफोन-कार्यक्रम के अन्तर्गत दस स्वचालित टुक-टेलीफोन-केन्द्र, कई परिचालित टुक-टेलीफोन-केन्द्र और करीब 2,000 मार्गजनिक्त टेलीफोन-केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण नगरों के बीच टुक-टेलीफोनो की भारी भाग को पूरा करने के लिए सीधे टेलीफोन-से-टेलीफोन मिलाने की व्यवस्था करने का विचार है। कार्यक्रम का उद्देश्य जिला, मन्-डिवीजन और तहसील, आदि सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सदर मुकामों में टुक-टेलीफोनो का जाल बिछाना है। दिल्ली-कलकत्ता तथा दिल्ली-बम्बई के बीच को-एक्सियल केबल डालने की जो परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, उसे पूरा करने की व्यवस्था कर दी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बम्बई-मद्रास-कोयम्बटूर के बीच तथा बम्बई-नागपुर और दिल्ली-अमृतसर के बीच भी को-एक्सियल केबल डालने की व्यवस्था की गई है।

75 तार-सेवाएं सन् 1950-51 में देश में तार-धरो की संख्या 3,600 थी, जो सन् 1955-56 में बढ़ कर 5,100 और फिर सन् 1960-61 में 6,450 हो गई। तीसरी योजना की अवधि में 2,000 तार-धर और खोलने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि सामान्य तार दिए जाने से लेकर उभे ठिकाने तक पहुँचाने में जो समय लगता है, उसे कम-से-कम किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी हो गया है कि दूर-मुद्रक और टैप-रिले-जैसी आधुनिक युक्तियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाए, ताकि एक ही तार में कई बार न उलझना पड़े और धीरे-धीरे मोर्ने-मद्धति खत्म की जा सके।

76 डाक-सेवाएं : सन् 1950-51 में देश में डाक-धरो की संख्या 36,000 थी, जो सन् 1955-56 में बढ़ कर 55,000 और सन् 1960-61 में 77,000 हो गई। आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में इनकी संख्या में 17,000 की और वृद्धि होगी। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि तहसील, तालुका और थाना-जैसे प्रत्येक प्रशासनिक सदर मुकाम के अतिरिक्त कई ऐसे गावों को मिला कर उनमें डाक की सुविधाएं दी जाए, जो दो मील के दायरे में हों और जिनकी कुल आबादी 2,000 हो, क्योंकि इन पर प्रति डाक-धर 750 रुपये वार्षिक में ज्यादा नुस्खान न उठाना पड़े और उनमें तीन मील की दूरी तक कोई डाक-धर न हो। गावों में डाक-धर लगाने की धर्ती में दूसरी योजना में कुछ ढील दे दी गई और कार्यक्रम का उद्देश्य यह निश्चित किया गया कि दो मील के दायरे में जो गांव बने हों और जिनकी आबादी 2,000 हो, उनके बीच एक डाक-धर अवश्य हो। इसके अलावा, राष्ट्रीय विमानार और सामुदायिक परियोजना-पठ के हरेक सदर मुकाम में भी डाक-धर खोलने की व्यवस्था की गई थी,

वसंतिकी उसमें वापिक हानि और किसी मौजूदा डाक-घर में दूरीवाली शर्तें पूरी होती हो। मन् 1959 में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खंडों के मदर मुकामों में और उन स्थानों पर, जहाँ जिला-बोर्ड या स्थानीय बोर्ड-द्वारा स्कूल चनाए जा रहे हों अथवा राज्य-सरकारों-द्वारा स्वीकृत स्कूल चलाए जा रहे हों, डाक-घर खोलने की शर्तों में और ढील दे दी गई। ऐसी सभी जगहों पर डाक-घर खोलने के लिए दूरों की शर्तें तीन मील से कम करके दो मील कर दी गईं। तीसरी योजना की अवधि में, अगर जरूरी हुआ तो, नए डाक-घर खोलने की शर्तों में और ढील देने के सवाल पर विचार किया जाएगा।

77 अन्य योजनाएं : डाक और तार-विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत कलकत्ता और जबलपुर के बर्कशापो के विस्तार तथा बम्बई के बर्कशाप को नई जगह ले जाने की भी व्यवस्था है। तीसरी योजना की अवधि में विभाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दफनों की इमारतें बनाने और कर्मचारियों के लिए 5,000 क्वार्टर बनाने की भी व्यवस्था की गई है।

रेल-विजलीकरण-कार्यक्रम के सिलसिले में विभाग दूर-संचार की सुविधाएं भी देना। इन सुविधाओं पर अनुमानत 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दूरमुद्रक-कारखाना

78 तीसरी योजना में दूरमुद्रकों के निर्माण के हेतु एक कारखाना खोलने के लिए 1.4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इटली के सहयोग से दिसम्बर 1960 में 3 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से इस काम के लिए एक अलग कम्पनी बनाई गई। इस कम्पनी का नाम है, 'हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड'। कारखाने में सन् 1961 से उत्पादन शुरू हो जाएगा और इस वर्ष कोई 170 दूरमुद्रक तैयार किए जाएंगे। धीरे-धीरे इनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी और आशा की जाती है कि मन् 1963-64 तक 2,000 में अधिक मशीनें तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। धीरे-धीरे लगभग चार-पांच साल के भीतर मशीनों में मनी पुर्जें भी देशी लगाए जा लेंगी।

भारतीय टेलीफोन-उद्योग

79 दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय टेलीफोन-उद्योग अपनी क्षमता को काफी बढ़ाने में समर्थ हुआ है। दूसरी योजना के शुरू होने के समय विनिमय-माशिनों का उत्पादन 30,000 था, सन् 1960 में यह बढ़ कर 78,000 हो गया और इसी अवधि में टेलीफोन-उपकरणों का उत्पादन करीब 50,000 में बढ़ कर 1,20,000 हो गया। इनके प्रतिनिधित्व सन् 1960-61 में कारखाने में कोई 64 लाख रुपये मूल्य के संचारण के मानान में संचार किए गए। फिर भी, तीसरी योजना में देश में टेलीफोन-व्यवस्था के विस्तार का जो लक्ष्य स्थिर किया गया है, उसको देखते हुए कारखाने की क्षमता—विभिन्न संचारण-उपकरणों के निर्माण के सन्दर्भ में—अपर्याप्त है। तीसरी योजना में भारतीय टेलीफोन-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों पर कोई 2.8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनके माध्यम से तीसरी योजना के अन्त तक इस उद्योग में प्रतिवर्ष 1,00,000 विनिमय-माशिनें और 1,60,000 टेलीफोन-उपकरण तैयार होने लेंगे। योजना की अवधि में संचारण-उपकरण तैयार करने की क्षमता काफी बढ़ाने का विचार है।

समुद्रपार-संचार-सेवा

80 जब पहली योजना शुरू हुई थी, तब भारत का जिन देशों में मांघे रेडियो-तार, टेलीफोन और टेलीफोटो-व्यवस्था-भाग सम्बन्ध था, उनकी संख्या क्रमशः 7, 2 और 2 थी। पहली दो योजनाओं के अन्तर्गत हाथ में लिए गए विस्तार-कार्यक्रमों के फलस्वरूप उच्च तरह के देशों की संख्या घट कर क्रमशः 23, 23 और 9 हो गई। तीसरी योजना के लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र में स्वतन्त्र संचारण-परिषदों की संख्या के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो नीचे की तालिका में दिए जा रहे हैं

तालिका-संख्या 15

तीसरी योजना में समुद्रपार-संचार-सेवा-केन्द्रों के लक्ष्य

(संख्या)

केन्द्र	रेडियो-संचारण-परिषद		टेलीफोन-संचारण-परिषद	
	1-9-60	31-3-66	1-9-60	31-3-66
	को	तक	को	तक
बम्बई	10	12	3	4
कलकत्ता	7	9	2	3
नई दिल्ली	4	9	1	2
मद्रास	1	1	1	1

इस व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने और गति देने के लिए गलतियों को पकड़नेवाली आधुनिक स्वचालित युक्तियों की अधिकारिक पैमाने पर शुरुआत करने तथा लीडर चैनल और टेलीकन्-न्विस का विकास करने की भी व्यवस्था की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए और इस व्यवस्था में विस्तार होने से विदेशी मुद्रा के खर्च में काफी बचत होने की आशा से समुद्रपार-संचार में सम्बद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है।

ऋतु-विज्ञान

81 भारतीय ऋतु-विज्ञान-विभाग विभिन्न उद्देश्यों के लिए मौसम की आवश्यक जानकारी प्रदान करता है—जैसे, नागरिक तथा वैज्ञानिक उद्देश्य, व्यापारिक और नौसैनिक जहाजरानी, संचार-सेवाओं, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाओं, आदि के लिए। दूसरी योजना के दौरान नीर, नवनीय और रेडियो-खगोल के क्षेत्र में कोडाइकनाल-वेधशाला की गतिविधियों का विस्तार किया गया। दिल्ली की भूकम्प-वैज्ञानिक वेधशाला एक नई इमारत में ले जाई गई और इसमें पूर्णतः नए भूकम्पमापी यन्त्र लगाए गए। पोर्टब्लेयर में भी एक भूकम्प-वैज्ञानिक वेधशाला खोली गई। दूसरी योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए अन्य कार्यक्रमों में से त्रिवेन्द्रम और अन्नमलइनगर में खोली गई दो क्षेत्र-सुम्बकीय वेधशालाओं तथा रेडियो-ऋतु-विज्ञान, मौसम-विज्ञान और कृषि-ऋतु-विज्ञान के विकास और आधुनिकीकरण का उल्लेख किया जा सकता है।

82 तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख वेधशालाओं में उपकरणों के आधुनिकीकरण

के साथ-साथ और प्रगति की जाएगी। आधुनिक विद्युदणु-उपकरणों से लैस 18 और केन्द्र चालू करके राविन रेडियो-सोन्डे केन्द्रों के जाल को अधिक उन्नत करने का विचार है, ताकि देश में जेट विमानों की ऊंची उड़ानों के लिए पूर्व-सूचनाएँ देने के वास्ते हवा की ऊपरी परतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और हवाई अड्डों में तूफानों का पता लगाने-वाले रैडार भी लगाए जाएंगे। उत्तरी गोलाार्द्ध की ऋतु-सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने तथा उसके अध्ययन और प्रसार के लिए नई दिल्ली में एक उत्तरी गोलाार्द्ध-सम्बन्धी एकत्रण तथा विदलेपण-केन्द्र खोलने का विचार है। कर्मचारियों को रेडियो-ऋतु-विज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण-केन्द्र भी खोला जाएगा। उष्ण देशीय ऋतु-विज्ञान के प्रशिक्षण और उच्च अनुसन्धान के लिए पूना में एक उष्णदेशीय ऋतु-विज्ञान-संस्थान खोला जाएगा। विभाग की मूल उपकरण-सम्बन्धी भाग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये की और निर्माण-कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

बेतार-आयोजन और समन्वय

83 बेतार-आयोजन और समन्वय के दो मुख्य काम हैं। पहला काम है, 'आवृत्ति-प्रबन्धन'—यानी, पहले ही से जो आवृत्तियाँ (फ्रीक्वेंसीज) देश की बेतार-सेवा के लिए उपलब्ध हैं, उनकी रक्षा करना और नए खाली वर्णपटों का पता लगाना जो भारत की तैयारी से विकासशील बेतार-व्यवस्था के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरे काम का मुख्य सम्बन्ध इंडियन वायर टेलीग्राफी ऐक्ट और अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार-अभिसमय और नियमनों के परिचालन और क्रियान्विति से है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो रकम रखी गई है, वह मानीटरिंग-स्टेशन खोलने तथा वर्तमान मानीटरिंग स्टेशनों का विस्तार करने और उनके लिए साज्ज-सामान खरीदने के लिए है।

प्रसारण

84 गत दस वर्षों में प्रसारण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना में हर भाषा-क्षेत्र में कम-से-कम एक प्रसारण-केन्द्र की व्यवस्था अवश्य कर दी गई थी। इस प्रकार, पहली योजना में इनकी कुल संख्या 26 थी। दूसरी योजना के अन्त में इनकी संख्या बढ़ा कर 28 कर दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुख्य रूप से आन्तरिक शार्ट-वेव प्रेषितों के द्वारा उपलब्ध सेवाओं का विस्तार, ज्यादा-से-ज्यादा जितने क्षेत्र में किया जा सकता हो, किया जाए और विदेशों के लिए होनेवाले प्रसारणों की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य यह है कि मीडियम-वेव प्रसारण-सेवाओं का विस्तार करके और कार्यक्रमों को पहले रिकार्ड करने के प्रबन्ध में सुधार करके देश के लिए किए जानेवाले प्रसारणों को अधिक कारगर बनाया जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशीय प्रसारण-व्यवस्था में और सुधार करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

85 तीसरी योजना में प्रसारण-विकास के जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर अनुमानित लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विभिन्न योजनाएँ शामिल की गई हैं, उनका व्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

तालिका-संख्या 16

तीसरी योजना के प्रसारण-कार्यक्रमों का अलग-अलग व्योरा

योजना	व्यवस्था (लाख रुपये)
दूसरी योजना के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना (मीडियम वेव-सम्बन्धी कार्यक्रमों में से जो कुछ बच रहा है, वह भी इसमें शामिल है)	442
मीडियम वेव-सेवाओं का विस्तार	148
रिकार्ड करने और पार्श्व-संगीत के उपकरणों की व्यवस्था	91 5
मन्त्रादि को बदलना	40 5
टेलीविजन-केन्द्र, बम्बई	40
सामुदायिक रेडियो-श्रवण-योजना	40
अन्य योजनाएँ, जिनमें कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने और अनुसन्धान, आदि की योजनाएँ भी शामिल हैं	94
विदेशों के लिए प्रसारण-सेवाएँ	200
योग	1,096

इन प्रस्तावों को तैयार करते समय देशीय प्रसारण-सेवाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय करारों के कारण यह काम जल्दी-से-जल्दी पूरा करना जरूरी हो गया। इसलिए विस्तार-कार्यक्रम दूसरी-योजना में शुरू किया गया और तीसरी योजना में इसे पूरा करने का विचार है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में मीडियम-वेव के 55 और शार्ट-वेव के 2 प्रेषित्र लगाए जाएंगे। इनका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि मौजूदा केन्द्रों की परिधि में वे क्षेत्र भी आ जाएँ, जहाँ अब तक कोई व्यवस्था नहीं है और इनके साथ ही घाहरी श्रोताओं को सुगम संगीत के कार्यक्रम भी विकल्प के रूप में सुनने को मिल सकें। इसका नतीजा यह होगा कि अभी तो मीडियम-वेव की देशीय प्रसारण-व्यवस्था की परिधि में देश के कुल क्षेत्र का 37 प्रतिशत भाग आता है और कुल आवादी के 55 प्रतिशत लोग आते हैं, पर विस्तार हो जाने पर 61 प्रतिशत क्षेत्र और 74 प्रतिशत आवादी उसकी परिधि में आ जाएंगे।

कुछ स्थानों को छोड़ कर और कहीं नए स्टूडियो या स्वतन्त्र कार्यक्रम की व्यवस्था करने का विचार नहीं है, लेकिन वर्तमान केन्द्रों के कार्यक्रमों को टेप पर पहले ही रिकार्ड कर नए प्रेषित्रों पर पुनः प्रसारित कर दिया जाया करेगा, जो एक तरह से सहायक या गौण प्रसारण के रूप में होगा। इसलिए इन प्रस्तावों में नमी केन्द्रों में टेप-रिकार्ड करने, पार्श्व-संगीत और कार्यक्रमों को फिर से प्रसारित करने के उपकरण उपलब्ध और स्थापित करने का व्यापक कार्यक्रम शामिल है।

86 आकाशवाणी के कार्यक्रम की प्रमुख बात मीडियम-वेव के विस्तार तथा बम्बई टेप-रिकार्ड-व्यवस्था की योजना होगी, परन्तु नाब हो कार्यक्रम में कुछ अन्य योजनाएँ भी शामिल हैं—जैसे, गावों में सामुदायिक रेडियो-श्रवण की सुविधाओं का विस्तार, बम्बई में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना (यह दिल्ली की छोटी नौ औद्योगिक टेली वजन-

टुकड़ी के अलावा होगा), इजीनियरी-अनुसन्धान और विदेशी सेवाओं का उन्नयन, आदि। आशा है कि आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो-श्रवण की व्यवस्था के अन्तर्गत तीसरी योजना में 32,000 नए रेडियो-सेट लगाए जा सकेंगे। इनके अलावा, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत और भी रेडियो-सेट लगाए जाएंगे। आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो-श्रवण-कार्यक्रम और सामुदायिक विकास-मन्त्रालय के कार्यक्रम के बीच ताल-मेल पैदा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेशों के लिए प्रसारण-सेवाओं के कार्यक्रम पर अनुमानत 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें इन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पाच और शार्ट-वेव प्रेषित्र लगाने की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा

शिक्षा और राष्ट्रीय विकास

आर्थिक क्षेत्र में तेजी से विकास करने, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नति करने तथा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और ममान अवसर के सिद्धान्त पर आधारित समाज-व्यवस्था की स्थापना के लिए यदि कोई एक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह शिक्षा है। समान नागरिकता के बन्धनों को दृढ़ करने, लोगों की शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करने और देश के हर क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास करने के प्रयत्नों की नींव है, शिक्षा-कार्यक्रम। पिछले दस वर्षों में जो कुछ काम हुआ है, उससे आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया ने गति पकड़ी है। फिर भी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-सारी कमियाँ हैं और अगर हमें अपनी उन्नति को स्थायी बनाना है तथा निरन्तर उन्नति करनी है, तो इन कमियों को जल्दी-से-जल्दी दूर करना होगा। शिक्षा के प्रयत्नों को विस्तृत करना और गति देना तथा हर घर को उसकी परिधि में ममेटना तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इस तरह, भविष्य में राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में शिक्षा सुयोजित विकास का केन्द्रबिन्दु बन जाएगी।

2 तीसरी योजना के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में—तकनीकी शिक्षा की बात यहाँ नहीं की जा रही—सबसे ज्यादा जोर इन बातों पर दिया जाएगा 6 से 11 बय-वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएँ देना, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का विस्तार करना और उनमें सुधार लाना, सभी स्तरों पर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास करना, शिक्षा के हर स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार और सुधार करना तथा बज्जीफे, छात्रवृत्तियाँ और दूसरी तरह की अधिकाधिक सहायता देना। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और लड़कियों तथा लड़कों की शिक्षा के विकास के स्तरों में अज्ञ जो विषमता है, उसे काफी हद तक दूर कर दिया जाएगा। सभी प्राथमिक विद्यालयों को 'बुनियादी' ढाँचे में ढाला जाएगा, विश्वविद्यालय-शिक्षा को तीन-वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित करने का काम पूरा किया जाएगा, एच स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और शोध-कार्य की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा तथा उनमें सुधार किए जाएंगे। शिक्षा के हर स्तर पर लक्ष्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में कुशलता, ज्ञान और रचनात्मक दृष्टिकोण जागे—एक ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो, जो प्रदेश, जाति और भाषा-विषयक विवादों ने ऊार रहे और समान हितों तथा दायित्वों की समझ पैदा हो।

उपलब्धियाँ और लक्ष्य

3 नव 1951-61 के दस वर्षों में विद्यार्थियों की मख्या 2 करोड़ 35 लाख से बढ़ कर 4 करोड़ 35 लाख हो गई है। 6-11 बय वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में 79 प्रतिशत की, 11-14 बय-वर्ग के विद्यार्थियों में 102 प्रतिशत की और 14-17 बय-वर्ग के विद्यार्थियों में 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विद्यालय जानेवाले इन बय-वर्गों के बच्चों का अनुपात

बढ़ कर क्रमशः 43 से 61, 13 से 23 और 5 से 12 प्रतिशत हो गया है। तीसरी योजना के दौरान विद्यालयों के छात्रों की कुल संख्या में 2 करोड़ 4 लाख की वृद्धि होने की आशा है— 6-11 वय-वर्ग में 1 करोड़ 53 लाख, 11-14 वय-वर्ग में 35 लाख और 14-17 वय-वर्ग में 16 लाख। नीचे की तालिका में पिछली दो योजनाओं की प्रगति और तीसरी योजना में सम्भावित वृद्धि दिखाई गई है

तालिका-संख्या 1

विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या

(आकड़े लाख में दिए गए हैं)

स्तर और वय-वर्ग	1950-51	1955-56	(सम्भावित उपलब्धि)	
			1960-61	1965-66
प्राथमिक (6-11)				
भारती	191 5	251 7	343 4	496 4
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	42 6	52 9	61 1	76 4
माध्यमिक (11-14)				
भारती	31 2	42 9	62 9	97 5
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	12 7	16 5	22 8	28 6
उच्चतर माध्यमिक (14-17)				
भारती	12 2	18 8	29 1	45 6
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	5 3	7 8	11 5	15 6
योग (6-17)				
भारती	234 9	313 4	435 4	639 5
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	25 4	32 1	39 9	50.1

4 पहली दो योजनाओं के दौरान विद्यालयों की संख्या में 73 प्रतिशत-की वृद्धि हुई, यानी उनकी संख्या 2,30,555 से बढ़ कर 3,98,200 हो गई। अलग-अलग हिसाब लगाए तो प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 63 प्रतिशत की, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 191 प्रतिशत की और उच्च विद्यालयों की संख्या में 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की झलक जूनियर बुनियादी विद्यालयों और सीनियर बुनियादी विद्यालयों के बढ़े हुए अनुपात में मिलती है। जूनियर बुनियादी विद्यालयों का अनुपात 16 से बढ़ कर 29 प्रतिशत और सीनियर बुनियादी विद्यालयों का अनुपात 3 से बढ़ कर 30 प्रतिशत हो गया है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को फिर में व्यवस्थित करने के सिलसिले में मुख्य रूप से ये काम हुए हैं उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदला गया है, ऐसे बहुदेशीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनमें पाठ्यक्रमों की विविधता है, और सामान्य विज्ञान के तथा वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान के शिक्षण के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है। सन् 1957-59 में जो अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा-संस्थाओं के वितरण में अनेक कृति्या है। फलतः देश-भर का हिसाब लगा कर देखें, तो सन् 1957 में करीब 29

प्रतिशत गावों के लिए और गावों की लगभग 17 प्रतिशत आवादी के लिए विद्यालयों की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ राज्यों में तो ये अनुपात और भी अधिक थे।

पहली दो योजनाओं की अवधि में नए विद्यालय स्थापित करने के क्रम में, प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मामले में अधिक प्रगति हुई। तीसरी योजना के दौरान जब 6-11 वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी, तब यह प्रवृत्ति काफी हद तक मुंघर जाएगी। इस योजना में 73,000 नए प्राथमिक विद्यालय, 18,100 नए माध्यमिक विद्यालय और 5,200 उच्च विद्यालय खोलने का विचार किया गया है। इस तरह, देश में विद्यालयों की कुल संख्या लगभग 4,94,500 हो जाएगी, यानी लगभग 24 प्रतिशत बढ़ जाएगी। नीचे की तालिका में दिखाया गया है कि पहली दोनो योजनाओं में नए विद्यालय खोलने की दिशा में कितनी प्रगति हुई और तीसरी योजना का क्या कार्यक्रम है

तालिका-संख्या 2
विद्यालयों की संख्या

शौर्यक	1950-51	1955-56	(सम्भावित	(लक्ष्य)
			उपलब्धि)	
			1960-61	1965-66
प्राथमिक विद्यालय (जूनियर				
बुनियादी विद्यालय-समेत)	2,09,671	2,78,135	3,42,000	4,15,000
जूनियर बुनियादी विद्यालय	33,379	42,971	1,00,000	1,53,000
माध्यमिक विद्यालय (सीनियर				
बुनियादी विद्यालय-समेत)	13,596	21,730	39,600	57,700
सीनियर बुनियादी विद्यालय	351	4,842	11,940	16,700
उच्च और उच्चतर माध्य-				
मिक विद्यालय	7,288	10,838	16,600	21,800
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	47	503	3,121	6,390
बहुदृश्यीय विद्यालय	—	255	2,115	2,446
माध्यमिक विद्यालय, जिनमें				
वैकल्पिक विषय के रूप में				
विज्ञान पढाया जाता है	—	—	4,625	9,579

5 सन् 1951-61 के 10 वर्षों में प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में 59 से बढ़ कर 65, माध्यमिक विद्यालयों में 53 से बढ़ कर 65 और उच्च विद्यालयों में 54 से बढ़ कर 68 प्रतिशत हो गया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करने के क्षेत्र में उचित पैमाने पर, प्रगति नहीं हुई। तीसरी योजना में इस सम्बन्ध में समन ढंग से काम किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आत्मा की जाती है कि हर श्रेणी के प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा। प्रशिक्षण-संस्थाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि का विवरण अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।

तालिका-संख्या 3

प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षण-संस्थाएँ

शीर्षक	1950-51	1955-56	(सम्भावित	(लक्ष्य)
			उपलब्ध)	1960-61
प्रशिक्षण संस्थाएँ				
प्रशिक्षण-विद्यालय	782	930	1,307	1,421
प्रशिक्षण-कान्जेज	53	107	236	312
शिक्षक				
प्राथमिक विद्यालय				
कुल शिक्षक	5,37,918	6,91,249	9,10,000	12,66,000
प्रशिक्षित शिक्षक	3,16,124	4,23,192	5,91,500	9,49,500
प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत अनुपात	58.8	61.2	65	75
माध्यमिक विद्यालय				
कुल शिक्षक	85,496	1,48,394	2,30,000	3,60,000
प्रशिक्षित शिक्षक	45,569	86,810	1,49,500	2,70,000
प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत अनुपात	53.3	58.5	65	75
उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय				
कुल शिक्षक	1,26,504	1,89,794	2,29,000	2,90,000
प्रशिक्षित शिक्षक	68,059	1,13,307	1,55,720	2,17,500
प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत अनुपात	53.8	59.7	68	75

विचार यह है कि राज्यों ने इस समय प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में जो उद्यम निर्धारित किए हैं, उन्हें अस्थायी समझा जाए और उनमें वृद्धि करने की भरमक कोशिश की जाए।

6 विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उच्च विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में भरती होनेवाले छात्रों की कुल संख्या सन् 1950-51 में 3,60,000 थी, जो सन् 1955-56 में बढ़ कर 6,34,000 और सन् 1960-61 में लगभग 9,00,000 हो गई। दूसरी योजना की अवधि में देश-भर में विज्ञान पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या 33 प्रतिशत में बढ़ कर लगभग 36 प्रतिशत हो गई। उच्च विद्यालयों में प्रगति काफी अच्छी हुई, पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जो अभी इस दृष्टि में गंभीर नहीं हैं। तीसरी योजना में यह तय किया गया है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर लगभग 4,00,000 विद्यार्थियों की जो वृद्धि हो, उसमें से लगभग 60 प्रतिशत विज्ञान की छात्रों में होनी चाहिए। इस तरह विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश देनेवाले छात्रों का अनुपात बढ़ कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। पहली दोनो योजनाओं में विश्वविद्यालय-स्तर पर उच्च विज्ञान छात्रों की संख्या में

शिक्षा में जो प्रगति हुई, उसका विवरण तथा तीसरी योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं

तालिका-सख्या 4

छात्रों की भरती और शिक्षण-संस्थाएँ

(सख्याएँ हजार में)

शीर्षक	1950-51	1955-56	(सम्भावित (लक्ष्य) उपलब्धि)	
			1960-61	1965-66
विश्वविद्यालय-स्तर, वय-वर्ग 17-23				
भरती	360	634	900	1,300
वय-वर्ग का प्रतिशत	0.9	1.5	1.8	2.4
विज्ञान की कक्षाओं में भरती	140	210	323	553
कुल भरती के मन्दर्भ में विज्ञान की कक्षाओं में				
भरती का प्रतिशत अनुपात	38.1	33	35.8	42.5
संस्थाएँ				
नया, विज्ञान और वाणिज्य के कालेज (संख्या)	542	772	1,050	1,400
विश्वविद्यालय (संख्या)	27	32	46	58

व्यय

7 शिक्षा पर पहली योजना में कुल मिलाकर 153 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 256 करोड़ रु० खर्च हुए। इसमें इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर होनेवाला खर्च भी शामिल है। तीसरी योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर कुल मिलाकर 560 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी की शिक्षा में सम्बन्धित कार्यक्रमों में—जिनका विवरण अगले अध्याय में दिया गया है—भिन्न कार्यक्रमों पर पहली योजना में 133 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 208 करोड़ रु० खर्च किए गए जब कि तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों पर 418 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है। इसमें से 10 करोड़ रु० सामूहिक कार्यक्रमों पर खर्च किए जायेंगे।

अगली तालिका में पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के अधीन सामान्य शिक्षा के कार्यक्रमों पर व्यय किस प्रकार हुआ है और होगा, इसका व्योम दिया गया है।

तालिका-संख्या 5

व्यय का विवरण

उपशीर्षक	घन-राशि (करोड़ रु०)			प्रतिशत अनुपात			
	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	
	प्रारम्भिक शिक्षा	85	87	209	63.9	41.9	50
माध्यमिक शिक्षा	20	48	88	15.1	23.1	21.1	
विश्वविद्यालय-शिक्षा	14	45	82	10.5	21.6	19.6	
अन्य कार्यक्रम							
सामाजिक शिक्षा	}	—	4	6	—	1.9	1.4
शारीरिक शिक्षा और युवा-कल्याण		14	10	12	10.5	4.8	2.9
अन्य		—	10	11	—	4.8	2.6
योग	133	204	408	100	98.1	97.6	
सांस्कृतिक कार्यक्रम	*	4	10	—	1.9	2.4	
सर्वयोग	133	208	418	100	100	100	

'शिक्षा' की मदद में जितनी घन-राशि का प्रबन्ध किया गया है, उसके अतिरिक्त 37 करोड़ रु० की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 42 करोड़ रु० की व्यवस्था पिछड़ी जातियों के कल्याण-कार्यक्रम के अन्तर्गत होने की आशा है। इन तरह तीसरी योजना में कुल मिला कर सामान्य शिक्षा के लिए 497 करोड़ रु० की व्यवस्था हो जाएगी, जब कि दूसरी योजना में कुल 250 करोड़ रु० की ही व्यवस्था की गई थी।

8 दूसरे क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी हम योजना में जो व्यवस्थाएँ की जाती हैं, वे उन साधनों के अलावा हैं, जो पिछली योजना के अन्तर्गत स्थापित की गईं मन्थानों को चलाने के लिए उपलब्ध करने होते हैं, गैर-सरकारी मूत्रों से जो मदद मिलती है, उन्हें भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में शिक्षा-मन्थानों के मंचालन के लिए कुल मिला कर लगभग 700 करोड़ रु० खर्च करने होंगे जब कि दूसरी योजना में कुल 375 करोड़ रु० ही खर्च हुए थे। गैर-सरकारी क्षेत्रों के योगदान को बढ़ा-सही आकना मुश्किल है। पिछले दस वर्षों में यह योगदान 50 करोड़ रु० से आनपास में बढ़ कर करीब 90 करोड़ रु० प्रति वर्ष हो गया है। तीसरी योजना के दौरान यदि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी पंचायतों और पंचायत-ममितियों पर डाल दी गई है तथा माध्यमिक और उच्च-शिक्षा की जिम्मेदारी पंचायतों द्वारा अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसलिए आना है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों का योगदान बढ़ कर 120-130 करोड़ रु० प्रति वर्ष हो जाएगा।

* पहली योजना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होनेवाला व्यय 'अन्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया था।

पूर्व-विद्यालय-शिक्षा

9 पूर्व-विद्यालय-शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बराबर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। अब तक इस दिशा में जो प्रगति हुई है, वह मुख्यतः स्वेच्छिक सस्थाओं के काम और कुल बालवाडियों की स्थापना पर निर्भर रही है। पूर्व-विद्यालय-कक्षाओं में भरती होनेवाले बच्चों की संख्या सन् 1950-51 में 28,000 थी, जो सन् 1955-56 में बढ़ कर 75,000 हो गई। अनुमान है कि अब यह संख्या लगभग 3,00,000 है। इस समय लगभग 5,000 बालवाडिया हैं। इनमें से प्रायः 2,500 को केन्द्रीय और राज्य-समाज-कल्याण-मंडलों-द्वारा सहायता दी जाती है। मौजूदा बालवाडियों में सुधार करने की जरूरत है और उनके लिए प्रशिक्षित बाल-सेविकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी योजना में बाल-सेविकाओं के लिए 6 प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। सामुदायिक विकास तथा समाज-कल्याण-कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो साधन उपलब्ध हैं, उनके अतिरिक्त शिक्षा के कार्यक्रम में बाल-कल्याण और इससे सम्बद्ध योजनाओं के लिए केन्द्र में 3 करोड़ रु० की और राज्यों में लगभग 1 करोड़ रु० की रकमें नियत की गई हैं। शिक्षा-मन्त्रालय अब बाल-कल्याण की जो योजनाएँ तैयार कर रहा है, उनमें ये बातें शामिल हैं मौजूदा बालवाडियों का सुधार, नई बालवाडियों की स्थापना, बाल-सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम का विस्तार और बाल-कल्याण की कई प्रायोगिक परियोजनाएँ जिनमें शिवा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों की समन्वित ढंग में व्यवस्था की जाएगी। सामुदायिक विकास-खंडों तथा कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं में दिनों और बच्चों के लिए जो कार्यक्रम मसूदा किए जाएंगे, उनमें बच्चों की योजनाओं का—खास तौर से बालवाडियों की स्थापना का—महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा

10 विद्यालयों में 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यह काम बहुत बड़ा है, इस बात को ध्यान में रख कर दूसरी योजना के शुरू में तय किया गया था कि इस दिशा में पहले कदम के तौर पर 6-11 वय-वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएँ उपलब्ध की जाएँ। यह तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसके बाद चौथी और पाचवी योजनाओं में वय-वर्ग 11-14 के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का और विस्तार किया जाएगा। 6-11 वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए तीसरी योजनाओं अर्थात् शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करने के भाग में मुख्य मन्त्रालय निम्नलिखित कारणों से पैदा होनी है

- (अ) उदरियों का काफी संख्या में विद्यालयों में लाने में कठिनाई,
- (आ) शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इलाकों और आबादी के कुछ खाम बर्गों का बेहद पिछडा होना, और
- (इ) परिवारों की आय बढ़ाने के योग्य होने ही मा-बाप-द्वारा बच्चों के विद्यालयों में उठा दिए जाने के कारण होनेवाली 'क्षति'। इसका नतीजा यह होता है कि आदि के अतिरिक्त बच्चे चौथी श्रेणी तक भी नहीं पहुँच पाते और इस तरह उनकी शिक्षा-ता नहीं प्राप्त कर पाते।

11 विद्यालय जानेवाले लड़कों और लड़कियों के अनुपात में अब भी बहुत बड़ा अन्तर है। सन् 1960-61 में, लगभग 80.5 प्रतिशत लड़के विद्यालय जा रहे थे, जब कि लड़कियों का अनुपात सिर्फ 40.4 प्रतिशत था। जिन राज्यों में पढ़नेवाली लड़कियों का अनुपात पूरे देश की औसत से बहुत कम है, उनके नाम ये हैं—राजस्थान (15 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (20 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (21 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (19 प्रतिशत), बिहार (27 प्रतिशत), उड़ीसा (24 प्रतिशत), और पंजाब (36 प्रतिशत)। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक-स्तरी पर लड़कियों की शिक्षा की उन्नति करने के लिए क्या खास उपाय किए जाने चाहिए, इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद् ने बड़ी मावधानी से विचार किया है और कई सिफारिशें की हैं। इनमें ये बातें शामिल हैं—शिक्षिकाओं के लिए क्वार्टरों का इन्तजाम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करनेवाली शिक्षिकाओं को विशेष भत्ता दिया जाए, बयस्क स्त्रियों के लिए थोड़े समय के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, ताकि शिक्षिकाएँ अधिक सत्या में मिल सकें, प्रशिक्षणाधीन अध्यापिकाओं को बजीफे दिए जाए, उपस्थिति-पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ सहायिका-संस्थाओं में 'स्कूल-मदर' नियुक्त की जाएँ तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव राज्यों की योजनाओं में शामिल किए जा चुके हैं। मुझे यह है कि इन योजनाओं में जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, उन पर जल्दी पुनर्विचार किया जाए और योजना के दूसरे वर्ष से विशेषतः उन सुविधाओं के विस्तार के लिए और कदम उठाए जाएँ, जिनसे शिक्षिकाएँ अधिक सत्या में उपलब्ध हों सकें और उन्हें ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके।

12 पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करने की समस्या का एक अंग यह है कि सत्याएँ ऐसी जगह स्थित हों कि प्रायः हर बच्चा घर में विद्यालय तक का रास्ता आराम से पैदल तय कर सके। पहले जिन शिक्षा-सर्वेक्षण के निष्कर्षों की चर्चा की गई है, उनसे राज्यों को इस पहलू को ध्यान में रख कर नए विद्यालयों की योजना बनाने और उनकी अब स्थिति तय करने में सहायता मिलेगी। जहाँ बस्नियाँ शिवरी-बिचरी हों—जैसे, पहाड़ी इलाकों में—वहाँ कुछ खास कठिनाइयाँ स्पष्ट ही सामने आती हैं। ऐसी जगहों पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ देना आवश्यक होगा, भले ही कुछ अधिक खर्च करना पड़े।

13 मा-बाप की गरीबी के अलावा जिन परिस्थितियों के कारण 'शक्ति' होती है, वे ये हैं—नमूनिन योग्यता-प्राप्त और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दौपयुग पाठ्यक्रम और मा-बाप-द्वारा शिक्षा के मूल्य का ठीक-ठीक न समझा जाना। इस 'क्षति' में एक बड़ा बाँझ का निकट सम्बन्ध है, वह है अडता। इसके कारण बच्चे एक वर्ष में अधिक समय तक एक ही कक्षा में रह जाते हैं। इस 'क्षति' और 'अडता' को घटाने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए—शिक्षा को अनिवार्य बनाना, प्रशिक्षित और योग्यता-प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति करना, पढ़ाने के तरीके सुधारना, मा-बाप को इस बात का और अधिक अनुभव बनाना कि उनके लिए अपने बच्चों को विद्यालय में रहने देना वाछनीय है, विद्यालयों में दृष्टियाँ फलनों की बुझाई और कटाई के मौसम में करना।

14 6-11 तक के बय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्यक्रम इतने अधिक महत्व का है कि किसी भी राज्य में वित्तीय नमस्याओं को उमने

नफल परिपालन के गन्ने में नहीं आने देना चाहिए। किन्तु इनके अलावा कुछ और परि-
नीमाए भी हो सकती हैं, जिन्हें थोड़े अग्रे में पार कर सकता कठिन हो—उदाहरण के
लिए आवादी के अनेकांकृत अतिक्रमणीय या पिछड़े हुए वर्गों पर अथवा कम उन्नत क्षेत्रों पर
शिक्षा-आन्दोलन का अन्तःपडने की मात्रा, नयी माना-पिताओं को अपनी लड़कियों को
विद्यालय भेजने के लिए सहमत करने में लगनेवाला समय, स्थानीय लोगों-द्वारा शिक्षा-
आन्दोलन को नफल बनाने में किया जानेवाला योगदान और उनकी उत्सुकता, शिक्षा-
अधिकारियों को काफी महत्ता में ऐसे शिक्षकों और शिक्षिकाओं की प्राप्ति, जो अपने कार्य-
क्षेत्र के लोगों के बीच धुलमिल जाए, और अन्त में, प्राथमिक विद्यालयों में काम करने-
वाले शिक्षकों के लिए समुचित परिस्थितिया पैदा करने तथा उनमें भविष्य के लिए
आशा करने के हेतु उठाए जानेवाले व्यावहारिक कदम। इन सब बातों को ध्यान में रखते
हुए, अनुमान है कि तीनरी योजना के अन्त तक 90 प्रतिशत लड़के और लगभग 62
प्रतिशत लड़कियाँ विद्यालय जाने लगेगी। इनमें 6-11 वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात
कुल मिला कर 76 होगा। जैसा कि नीचे की तालिका में स्पष्ट है, तीनरी योजना के
दौरान लगभग 1 करोड़ 53 लाख और बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देंगे, जिनमें से
लगभग 86 लाख लड़कियाँ होंगी।

तालिका-संख्या 6

6-11 वय-वर्ग के विद्यार्थी

वर्ष	पहले से पाचवें कक्षाओं तक भरती (लाख)			6-11 वय-वर्ग की कुल लक्ष्य का प्रतिशत अनुपात		
	लड़के		योग	लड़के		योग
	लड़कियाँ	योग		लड़कियाँ	योग	
1950-51	137 7	53 8	191 5	59 8	24 6	42 6
1955-56	175 3	76 4	251 7	70 3	32 4	52 9
1960-61	233 8	109 6	343 4	80 5	40 4	61 1
1965-66	301 2	195 2	496 4	90 4	61 6	76 4

विभिन्न राज्यों के विकास-स्तरों का अन्तर कुछ हद तक तो कम होगा, फिर भी काफी बना रहेगा। इस अन्तर के अनुबन्ध 1 में दिए गए विभिन्न राज्यों के लक्ष्यों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा।

का अनुपात 17 प्रतिशत से भी कम रहेगा। नीचे की तालिका में पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में छठी से आठवी कक्षा तक लड़कों और लड़कियों की भरती का विवरण दिया जा रहा है

तालिका-संख्या 7

11-14 वय-वर्ग के विद्यार्थी

वर्ष	छठी से आठवीं कक्षा तक भरती (लाख)			11-14 वय-वर्ग की कुल आवादी का प्रतिशत अनुपात		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	25 9	5 3	31 2	20 7	4 5	12 7
1955-56	34 2	8 7	42 9	25 5	6 9	16 5
1960-61	48 2	14 7	62 9	34 3	10 8	22 8
1965-66	70	27 5	97 5	39 9	16 5	28 6

16 6-11 वय-वर्ग के बच्चों में शिक्षा-सुविधाओं के प्रसार के सिलसिले में जो मुख्य समस्याएँ विद्यमान हैं, वही कुछ गम्भीर रूप में 11-14 वय-वर्ग के बच्चों के सम्बन्ध में भी सामने आती हैं—खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में।

विभिन्न राज्यों के विकास के स्तरों में बहुत अन्तर है, यह बात इस अध्याय के अनुबन्ध 2 को देखने से स्पष्ट हो जाएगी। पिछड़े हुए क्षेत्रों में तथा बिखरी हुई वस्तियों के लिए विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध करने में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो कठिनाइयाँ हैं, उनसे कहीं अधिक माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सामने आती हैं।

अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में तथा आवादी के अधिक पिछड़े हुए वर्गों में, माध्यमिक स्तर की शिक्षा का विकास तेजी से तभी हो सकता है, जब प्राथमिक स्तर पर ठीक पक्की हो गई हो। अतः तीसरी योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में उक्त वय-वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा।

दिन-भर में कुछ थोड़ा-सा वक्त अलग करने या सामान्य कक्षाओं के साथ ही कुछ अन्य कक्षाओं की व्यवस्था करके उचित काम-ग्रन्थों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने के सवाल पर इस समय विचार किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों, दूनियादी विद्यालयों, जूनियर तकनीकी विद्यालयों तथा दूसरे केन्द्रों में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना और उसका उत्तरोत्तर विस्तार करते जाना सम्भव हो सकता है। 11-14 वय-वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णकालीन आचार पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी जाच की जानी चाहिए।

लड़कियों के लिए शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करने के हेतु प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में पहले जो विद्या-निर्देश दिया गया है, उसी के अनुरूप राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद् की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए।

17 व्यावहारिक और प्रशासकीय कारणों से सचिवान में उल्लिखित 6 में 14 वय-वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा-कार्यक्रम को दो अवस्थानों में बाँट दिया गया है—पहला अवस्थान

6 से 11 वर्ष तक के लिए और दूसरा अवस्थान 11 से 14 वर्ष तक के लिए। यदि इन पूर्व-व्ययर्ग पर एक माय विचार करें, तो नीचे की तालिका ने यह स्पष्ट होगा कि पिछले दस वर्षों में विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या 2 करोड़ 23 लाख में बढ़ कर 4 करोड़ 6 लाख हो गई है, जब कि इन वय-वर्ग में कुल आबादी का अनुपात लगभग 32 में बढ़ कर 49 प्रतिशत हो गया है। इसमें लड़कों का अनुपात 46 में बढ़ कर 65 प्रतिशत हुआ है और लड़कियों का 18 में बढ़ कर 31 प्रतिशत।

तालिका-संख्या 8

6-14 वय-वर्ग के विद्यार्थी

वर्ष	1 से 8 कक्षा तक भरती (लाख)						6 से 14 वय-वर्ग की कुल आबादी का प्रतिशत अनुपात					
	लड़के		लड़कियाँ		योग	लड़के		लड़कियाँ		योग		
1950-51	163	6	59	1	222	7	45	9	17	5	32	1
1955-56	209	5	85.1	29.4	6	5.4	6	23	5	40		
1960-61	282		124	3	406	3	65	4	30	6	48	5
1965-66	371	2	222	7	593	9	73		46	1	59	5

तीमरी योजना में यह अनुमान लगा कर चला गया है कि 6-14 वय-वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग उनीस गति में बढ़ेगी, जिस गति से पिछले दस वर्षों में बढ़ी है। लड़कियों का अनुपात इन वय-वर्ग में बढ़ कर लगभग 46 प्रतिशत हो जाएगा और लड़कों का करीब 73 प्रतिशत। कुल मिलाकर अनुपात लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगा। इन आँकड़ों ने यह पता चलता है कि चौथी और पाँचवी योजनाओं को अवधि में किन्ना अधिक काम करना होगा।

बुनियादी शिक्षा

18 विद्यालय-शिक्षा को बुनियादी स्वरूप देना पहली योजना के आरम्भ में ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। तीमरी योजना में यह विचार किया गया है कि लगभग 57,760 विद्यालय बुनियादी विद्यालयों में बदल दिए जाए, बाकी विद्यालयों को बुनियादी ढाँचे में डाल लिया जाए, सभी प्रशिक्षण-संस्थाओं को बुनियादी पद्धति के अनुकूल बनाया जाए, दूसरी क्षेत्रों में बुनियादी स्कूलों की स्थापना की जाए और बुनियादी शिक्षा को प्रत्येक स्थानीय समुदाय की विकास-सम्बन्धी गतिविधियों से समन्वित कर दिया जाए।

19 पूर्ण विकसित बुनियादी विद्यालयों की दिशा में प्रगति अनिवार्यतः काफी लम्बे समय में हो पाएगी, क्योंकि इन कार्यक्रमों की परिधि में आनेवाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत है और मौजूदा शिक्षकों में भी अधिकतर ऐसे हैं, जिन्हें बुनियादी शिक्षा-पद्धति का प्रशिक्षण मिलना बाकी है। मौजूदा विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में बदलने की संख्या के नीचे पर दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में उन्हें बुनियादी पद्धति के अनुकूल बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि सभी बुनियादी और तृतीय-बुनियादी विद्यालयों में पाठ्यक्रम एक-सा हो जाए, आभास-शिक्षण की शिक्षा दो

जाने लगे और समाज-सेवा, सामुदायिक जीवन-जापन, सांस्कृतिक और मनोरंजन-कार्यक्रम, आदि शुरू किए जाए, जिनमें न तो ज्यादा खर्च हो और न बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता ही पड़े। विद्यालयों को इन नई पद्धति के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया तीसरी योजना के शुरू के दौर में ही पूरी करने के लिये से यह विचार किया गया है कि इस काम के लिए आवश्यक सरल उपकरण विद्यालयों को दिए जाए और जिन अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं मिला, उनके लिए सक्षिप्त विषयज्ञान-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए।

बुनियादी और अन्य विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक

20 बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ और मौजूदा प्रशिक्षण-केंद्रों को बुनियादी पद्धति के अनुरूप पुनर्संगठित किया जाए। दूसरी योजना के अन्त में, 1,307 मस्थाओं में प्रारम्भिक विद्यालय-शिक्षकों को प्रशिक्षण मिल रहा था। इन मस्थाओं में से लगभग 70 प्रतिशत बुनियादी पद्धति के अनुसार ढाली जा चुकी है। तीसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण-मस्थाओं की संख्या बढ़ कर 1,424 हो जाएगी और ये सभी बुनियादी पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण देंगी। इनमें लगभग 2 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि सन् 1960-61 में 1,35,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। जिन शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं मिला है, उनके लिए बुनियादी शिक्षा के सरल पहलुओं के प्रशिक्षण के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी।

अधिकतर राज्यों में प्रारम्भिक विद्यालय-शिक्षकों की प्रशिक्षण-अवधि बढ़ा कर दो साल कर देने का विचार है, ताकि पाठ्यक्रम और पद्धतियों, दोनों की ही दृष्टि में ज्यादा पुष्टा काम हो सके। आसपास के विद्यालयों में पढाई का स्तर ऊँचा करने के लिये से कई प्रशिक्षण-विद्यालयों में विस्तार-विभाग स्थापित किए जाएँगे। दूसरी योजना के अन्तिम दौर में 276 नई प्रशिक्षण-मस्थाओं की स्थापना की गई, ताकि तीसरी योजना में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए तैयारियाँ की जा सकें। राज्यों के कार्यक्रमों में इन और अन्य मस्थाओं के लिए साज-सामान, भवन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

बुनियादी शिक्षा के प्रसार को सीमित रखनेवाला एक कारण यह है कि अधिकतर उसे देहाती क्षेत्रों में बाध कर रखा गया है। अतः विचार है कि नगरों में प्रयोग के तौर पर कुछ बुनियादी विद्यालय खोले जाएँ, ताकि नगरों में बुनियादी विद्यालयों की समस्याओं को भलीभाँति समझा जा सके और प्रशिक्षण-कालेजों के सहयोग से उनके लिए नमाधान खोजे जा सके।

सामुदायिक प्रयत्न

21 कुछ कार्यक्रमों के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों की योजनाओं में जो व्यवस्था की गई हो, उसकी परिपूर्ति स्थानीय सामुदायिक प्रयत्न-द्वारा की जाए। मिनाल के तौर पर, ये कार्यक्रम लिए जा सकने हैं भरती-आन्दोलनों का आयोजन, लड़कियों को

विद्यालय भेड़ने के बारे में माना-पिता को समझाना-बुझाना, विद्यालय-भवनो का निर्माण, विद्यालयों के लिए अतिरिक्त उपकरणों और कुर्नी-मेज, आदि की व्यवस्था तथा गरीब बच्चों के लिए दोपहर के खाने और मुफ्त कपड़े का इंतजाम। कुछ राज्यों में स्थानीय नागरिक जुटाने के प्रयत्नों के बड़े उन्माहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और आशा की जाती है कि विभिन्न राज्यों में जैसे-जैसे पचासवीं राज-पस्ताभो की स्थापना होती जाएगी, वैसे-वैसे स्थानीय महानता भी बढ़ती जाएगी।

कई राज्यों ने अपनी योजनाओं में विद्यालय जानेवाले बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। इस विनियमने में विशेष रूप से मद्रास, केरल, आन्ध्रप्रदेश, मैसूर और उड़ीसा के नाम लिए जा सकते हैं। इतने क्षेत्र में मद्रास का कार्यक्रम सबसे बड़ा है। वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था ने कोई 10 लाख बच्चे लाभ उठा सकेंगे। लगभग इतने ही, यानी 10 लाख बच्चों को पढ़ने ही इस कार्यक्रम ने फायदा पहुँच रहा है। इसका लगभग 40 प्रतिशत खर्च स्थानीय समुदाय-द्वारा दिया जाता है। दोपहर के भोजन की व्यवस्था ने हज़ारों और ग्रामीण समुदाय को न केवल शिक्षा-प्रयत्न में भाग लेने का विशेष अवसर मिलता है, बल्कि विद्यालयों में पोषण तथा स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा उठाने तथा गरीब विद्यार्थियों की सहायता करने का भी मौका मिलता है। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल यह कार्यक्रम कुछ सीमित-सा है, फिर भी यह विचार है कि राज्य-सरकारें कम-से-कम ऐसी जगहों पर अवश्य इस तरह की व्यवस्था करें, जहाँ स्थानीय समुदाय अपना हिस्सा जुटाने को तैयार हो।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

22 अर्थव्यवस्था के विकास, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें भरती किए गए 14-17 वय-वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि होने में उन मार्गों का स्वरूप ही बदल गया है, जिनकी पूर्ति की आशा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से की जाती है। नए-नए समाज-वर्ग शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके प्रभाव में आ रहे हैं। विस्था के कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की योग्यता और शक्तियों का क्षेत्र विविधतापूर्ण हो गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का मगठन इस बात से निराजन है कि वे विद्यार्थियों की उच्चतरों के मुताबिक वैविध्यपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आर्थिक जीवन की कई शक्तियों के मध्यवर्ती तथा निम्नवर्ती स्तरों पर—संगठन, साम-विकास, जागृक्य, उद्योग और व्यवसाय में—जिनकी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उनके उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करनेवालों को उचित प्रशिक्षण देना ही पूरा काम पड़ेगा।

व्यवस्था हो, विज्ञान पढ़ाने की सुविधाएँ बढ़ाना और उन्हें व्यापक रूप देना, गिना और बच्चों के बारे में मार्ग-प्रदर्शन की व्यवस्था करना, परीक्षा-पद्धति और उत्तर-पुस्तिकाएँ जानने की प्रणाली में सुधार करना, बच्चों की शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करना, लड़कियों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएँ देना और छात्रवृत्तियाँ, आदि देकर योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करना।

23 उपर्युक्त दिशाओं में पुनर्निर्माण की दृष्टि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में बहुत फेरबदल करनी होगी तथा उसमें नई पद्धतियों और कार्यविधियों का समावेश करना होगा। सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन-जैसे विषय तथा विभिन्न ऐच्छिक पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत नई बातें हैं, जो अब तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थीं। इन सबके कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने-आपको नए तौर पर ढालें। फलतः नौकरी में रहते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों के शिक्षा-विभागों और विशेष विस्तार-सेवाओं-द्वारा आयोजित देशव्यापी कार्यक्रम आवश्यक हो गए हैं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नए विषय अच्छी तरह पढ़ाने के योग्य बनाने के लिए अच्छी तरह तैयार करना है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो परिवर्तन हुए हैं, उनको देखते हुए नौकरी से पहले के स्तर पर शिक्षकों के शिक्षण-कार्यक्रम को फिर से सगठित करना होगा। विज्ञान की शिक्षा को इस स्तर तक ऊँचा उठाना है कि उससे राष्ट्र की भावी वैज्ञानिक प्रगति को पूरा-पूरा सहारा मिल सके। बहुदेशीय विद्यालयों के कार्य-संचालन में जो भी खामियाँ देखी गई हैं, उन्हें दूर करना होगा और इस योजना को स्थायी आधार प्रदान करना होगा। गिना और काम-बच्चों के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन के कार्यक्रम को भी विस्तार देना होगा, ताकि अधिक-से-अधिक विद्यालय और विद्यार्थी उससे लाभ उठा सकें। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्संगठन के समूचे कार्यक्रम को पक्की नींव पर स्थापित करने के लिए कुछ और कार्रवाइयाँ भी करनी होंगी—जैसे, शिल्प-शिक्षा में सुधार, विद्यालय-पुस्तकालयों का संगठन, श्रव्य-दृश्य तकनीकों का बेहतर उपयोग, आदि। इसलिए तीसरी योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन के सभी पहलुओं में उसका स्तर ऊँचा करने और नींव मजबूत करने पर खास जोर दिया जाएगा।

24 भरती-पहली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 7,288 (1950-51) से बढ़ कर लगभग 16,600 (1960-61) हो गई। नवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक में भरती होनेवाले बच्चों की संख्या करीब 12 लाख से बढ़ कर 29 लाख हो गई। हालाँकि इस अवधि में इन कक्षाओं में लड़कियों की संख्या 2,00,000 से बढ़ कर 5,20,000 हो गई, फिर भी उनकी संख्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों की संख्या का पाँचवाँ हिस्सा ही रही। जैसा कि अगली तालिका से स्पष्ट है, दूसरी योजना के अन्त में 14-17 वय-वर्ग की केवल लगभग 4.2 प्रतिशत लड़कियों ने उच्च विद्यालय-स्तर की शिक्षा का लाभ उठाया, जब कि लड़कों का अनुपात 18.4 प्रतिशत के आसपास रहा। इस प्रकार, हम देखते हैं कि दोनों वर्गों की भरती में बड़ा भारी अन्तर है और इसका शिक्षिकाओं, नर्सों, ग्राम-मेडिकाओं, नमाज-सेविकाओं और दूसरे काम करनेवाली स्त्रियों की उपलब्ध-संख्या पर बड़ा अंतर पड़ता

है। तीसरी योजना में विद्यालय जानेवाली लड़कियों की मध्या लगभग दुगुना हो जाएगी परन्तु ममत्र वय-वर्ग में उनका अनुपात कम हो रहेगा—कुल लगभग 7 प्रतिशत, जब कि लड़कों का अनुपात 24 प्रतिशत होगा।

तालिका-सत्या 9

14-17 वय-वर्ग, के विद्यार्थी

वर्ग	नवीं से ग्यारहवीं कक्षाओं तक भरती (लाख)				14-17 वय-वर्ग की आबादी में प्रतिशत अनुपात			
	लड़के		लड़किया		लड़के		लड़किया	
	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	
1950-51	10 2	2	12 2	2	8 7	1 8	5 3	
1955-56	15 8	3	18 8	8	12 8	2 6	7 8	
1960-61	23 9	5 2	29 1	1	18 4	4 2	11 5	
1965-66	35 7	9 9	45 6	6	23.7	6 9	15 6	

इन स्तर पर भरती की राज्यवार स्थिति अनुबन्ध 3 में दी गई है।

25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग की एक प्रमुख निफारिश यह थी कि उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का रूप दे दिया जाए, ताकि पाठ्यक्रम पहले से अधिक व्यापक हो जाए और विद्यालय-शिक्षा में एक वर्ग का समय बड़ा कर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए। इसके फलस्वरूप ऐसे बहुत-से विद्यार्थियों के लिए वही शिक्षा का अन्तिम बिन्दु होगा, जिन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा के बाद भी वे जीवन के क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न राज्यों में 3,121 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए। अगला है, तीसरी योजना के अन्त तक यह मध्या बढ कर 6,390 हो जाएगी।

26 विज्ञान की शिक्षा : दूसरी योजना में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के प्रसार और सुधार के काम को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने निफारिश की थी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हर विद्यार्थी को महत्पूर्ण अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, ताकि अगले सामान्य शिक्षा के अग्र-रूप में वह आवश्यक परिमाण में वैज्ञानिक ज्ञान का भी धारण करे। इसके अनतिरिक्त उन विद्यार्थियों के लिए, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वैज्ञानिक विषय के रूप में भी विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था की जानी थी। इसी योजना के अन्त तक नानग नगरी विद्यालयों में सामान्य या प्राथमिक विज्ञान पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया और लगभग 4,625 विद्यालयों में वैज्ञानिक विषय के स्तर में शिक्षा की पढाई शुरू हो गई। नैसर्गिक अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी प्रशासनिक और आर्थिक-सामान्य तथा उपयुक्त पठन-पुस्तकों और हैट्रुकों में सम्बन्धित

बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हुई हैं। सामान्य विज्ञान पढ़ाने के लिए जिस समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षक तैयार किए जाने हैं। यह भी जरूरी है कि विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सृजनात्मक और मौलिक काम के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रशिक्षण-कालेजों में विज्ञान-ब्लवों की स्थापना करके दूसरी योजना के दौरान इस दिशा में प्रयत्न किए गए थे। इस अवधि में इस प्रकार के लगभग 450 विज्ञान-ब्लव खोले गए।

तीसरी योजना में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था तो की ही जाएगी, 21,800 विद्यालयों में से 9,500 से भी अधिक में वैकल्पिक स्तर पर विज्ञान की पढाई का इन्तजाम किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरा हो जाने पर तीसरी और बाद की योजनाओं में विष्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के विस्तार के लिए अब के मुकाबले में अधिक सुदृढ़ नींव की स्थापना हो जाएगी। विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने और उसकी नींव पक्की करने के लिए कई और उपाय भी किए जा रहे हैं, जिनसे काफी सहारा मिलेगा। आजकल विभिन्न राज्यों में विज्ञान के जो पाठ्यक्रम चालू हैं, उन पर फिर से विचार किया जाएगा और उनमें यथावश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि शिक्षा के शुरू और बाद के स्तरों पर विज्ञान के जो पाठ्यक्रम नियत हैं, उनके और इनके बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। शिक्षकों के लिए हैडबुक, विद्यार्थियों के लिए निर्देशिकाएँ, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तथा विज्ञान की अनुपूरक पाठ्य सामग्री तैयार करने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ा कर तथा मौजूदा विज्ञान-शिक्षकों के लिए नौकरी में रहते हुए विषयवस्तु और प्रक्रिया-प्रविधि के क्षेत्र में विविध प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके विज्ञान-शिक्षकों की मौजूदा कमी को भरसक दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। प्रयोगशाला-सहायकों को प्रयोगशाला का सामान सम्हाल कर रखने और सही तरीके से उसे उठाने-धरने का प्रशिक्षण देना भी इस अरसे में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, वैज्ञानिक उपकरणों में डिजाइनों को मानक रूप देने तथा देना भी ही उनका निर्माण शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। विज्ञान की पढाई के सारे कार्यक्रम में तालमेल रखने, उसका मार्गदर्शन करने तथा उसे निर्देशित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, तीसरी योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय विज्ञान-शिक्षा-संगठन की स्थापना करने का विचार है। वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज की भी एक योजना शुरू की जाएगी, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ही हीनहार वैज्ञानिकों का पता लगाया जा सके और उनकी प्रतिभा के विकास का अवसर दिया जा सके।

27 बहुद्देश्यीय विद्यालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली के मुख्य दोषों में से एक यह था कि उसका स्वरूप एकपक्षीय था। यह जाने बिना कि किसी विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचि और योग्यता किस दिशा में है, सबके लिए एक ही तरह के पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए जाते थे। अतः उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने बहुद्देश्यीय विद्यालय खोलने की सिफारिश की, जिनमें पढाई के प्रवाह के साथ-साथ कई व्यावहारिक शिक्षण-क्रमों की भी व्यवस्था होगी। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी के सामने कई तरह के शिक्षण-क्रम रहेंगे और वह अपनी खास रुचि के अनुसार उनमें से किसी को भी चुन सकता है। पहली दो योजनाओं के दौरान 2,115 बहुद्देश्यीय स्कूल खोले गए। इनमें मानविकी (ह्यूमनिटीज)

और विज्ञान के अतिरिक्त टेक्नोलाजी, कृषि, वाणिज्य, गृह-विज्ञान और ललित कलाओं में भी एक या उसमें अधिक व्यावहारिक शिक्षण-क्रमों की व्यवस्था होंगी। हालांकि बहुद्देश्यीय विद्यालयों के विचार को तुरन्त ग्रहण कर लिया गया है और इस योजना का विस्तार भी बड़ी तेजी से हुआ है, फिर भी कुछ कठिनाइयाँ नामने आई हैं जैसे, ऐसे शिक्षकों की कमी, जो व्यावहारिक विषय पढ़ाने का प्रशिक्षण पा चुके हों, अध्यापन-सामग्रियों की अस्वास्तता, वास तौर से पाठ्य ग्रन्थों और हँडबुको की, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की नौमित परिधि और शिक्षा तथा व्यावहारिक क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन की सुविधाओं की अपर्याप्तता। इसलिए तीनरी योजना में विचार किया गया है कि जो मस्यौदा स्थापित हो चुकी हैं, उन्हें मजबूत बना कर इस योजना की नींव पक्की करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। विस्तार-कार्यक्रम लगभग 331 नए विद्यालयों तक ही नौमित है। बहुद्देश्यीय विद्यालयों के लिए एक नमन्वित शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इन काम के लिए चार प्रादेशिक प्रशिक्षण-कालेज खोले जाएंगे। इन कालेजों में व्यावहारिक और वैज्ञानिक, दोनों विषयों में नौकरी के दौर में और नौकरी में पहले के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षक बहुद्देश्यीय विद्यालयों के लिए तैयार किए जाएंगे। ऐसे अध्ययन-क्रमों की व्यवस्था करने के लिए, जो विभिन्न स्तरों की योग्यतावाले लोगों के लिए उपयुक्त हों, बहुद्देश्यीय विद्यालयों में और अधिक प्रयोगात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इन अध्ययन-क्रमों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के विशेष कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

28 शिक्षा और व्यवसाय के लिए पथ-प्रदर्शन : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के नकल नगठन के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन का एक सुनोजित कार्यक्रम तैयार किया जाए, ताकि विद्यार्थियों और उनके माना-पिता को नवने उपयुक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम और नवने अधिक सन्तोषजनक व्यवसाय चुनने में नहायता मिल सके। अब तक बहुद्देश्यीय विद्यालयों के काम में इस तरह के पथ-प्रदर्शन के सुनोजित कार्यक्रम का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा रही है। दूसरी योजना के दौरान एक केन्द्रीय शिक्षा एवं व्यवसाय-विषयक पथ-प्रदर्शन-कार्यालय स्थापित किया गया और बारह राज्यों में इस तरह के राज्य-कार्यालय स्थापित किए गए। ये कार्यालय विद्यालयों के लिए व्यवसाय-मास्टर और मलाहकार प्रशिक्षित करने, परीक्षा-पद्धति का निर्माण करने और पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था करने के कार्यक्रम लागू करते रहे हैं। फिर भी, इन कामों का अभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर कोई खाम अन्तर नहीं पड़ा है। अतः तीनरी योजना में नव जगह राज्य-कार्यालयों को इस ढंग से नगठन करने का विचार है कि उन्हें इन पथ-प्रदर्शन-कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में नहायता मिले और नगठन-ने-ज्यादा विद्यालयों में व्यवसाय-विषयक सूचना प्रदान करने का एक नाम नगठन का कार्यक्रम कार्यान्वित हो सके।

29 शिल्प-शिक्षा : उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्नगठन अध्ययन-क्रम में शिल्प का एक केन्द्रवर्ती विषय के रूप में न्नीकार किया गया है। काफी नन्धा में शिल्प-शिक्षा पाने योग्य शिल्प-शिक्षा को सुधारने की समस्या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यवसाय-शिक्षा, दोनों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षा-मन्त्रालय इस समस्या का विशेष अध्ययन नगठन है और इस अध्ययन के जो निष्कर्ष होंगे, उनका शिल्प-शिक्षा-व्यवसाय-शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित करने में उपयोग किया जाएगा।

30 विद्यालय-पुस्तकालय : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक और पहलू है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पहलू है, विद्यालय-पुस्तकालयों का संगठन। पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में विद्यालय-पुस्तकालयों को सुचारु के लिए कदम उठाए गए थे, पर इम मिलसिले में अभी बहुत-कुछ करना बाकी है कि पुस्तकालय-सुविधाओं का और अच्छा उपयोग हो तथा विद्यार्थियों की पढ़ने की आदतें सुधरे। पुस्तकालय-सुविधाओं का उपयोग करना मिशाना कक्षा की पढाई का अभिन्न अंग होना चाहिए। तीसरी योजना में चुने हुए प्रशिक्षण-कालेजों में सलमन प्रदर्शन-विद्यालयों में कुछ आदर्श पुस्तकालय खोलने का विचार है। ये पुस्तकालय संगठन और संचालन के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के साथ-साथ शिक्षक-पुस्तकालयाव्यक्तों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र का भी काम देंगे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के वर्तमान संगठन और उसमें अपेक्षित सुधारों का अभी अध्ययन हो रहा है।

31 उत्तर-वुनियादी विद्यालय : कुछ राज्यों में बुनियादी से ऊपर के स्तर के विद्यालय खोले गए, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सीनियर बुनियादी विद्यालयों का क्रम जारी रह सके। अभी इस तरह के कोई 66 विद्यालय हैं। हाल में एक समिति ने इस बात पर विचार किया कि इन विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का आपस में क्या सम्बन्ध होना चाहिए। प्रस्ताव किया गया है कि अध्ययन-क्रम, पढाई, उपकरण, प्रयोग-शाला और शिक्षक-वर्ग, सब की दृष्टि में इन्हें अपना स्तर ऊंचा करने में सहायता दी जाए, ताकि ये उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय विद्यालयों के स्तर पर आ जाए। जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन विद्यालयों की अन्तिम परीक्षा को नौकरी, आदि के मामले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिए जानेवाले प्रमाण-पत्र के समकक्ष समझा जा सकता है।

32 शिक्षकों का प्रशिक्षण : प्रशिक्षण-कालेजों की सख्या सन् 1950-51 में 53 थी, जो सन् 1960-61 में बढ़ कर 236 हुई गई। आधा है, तीसरी योजना के दौरान यह सख्या बढ़ कर 312 हो जाएगी। मौजूदा प्रशिक्षण-कालेजों का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक सख्या में प्रशिक्षित अध्यापक मिल सकें। इन उपायों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की सख्या अत्यन्त बढ़ जाएगी, किन्तु प्रशिक्षण-कालेज-कार्यक्रम को फिर से संगठित करने और दृढ़तर बनाने के लिए भी कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मौजूदा जल्दगी को पूरा कर सकें। इस मिलसिले में इन बातों पर खाम तोर से जोर दिया जाएगा विज्ञान और समाज-अध्ययन के शिक्षकों का नौकरी में पहले प्रशिक्षण, मूल्यांकन की नई पद्धतियों का समावेश, विविध प्रकार के विशेष विषयों की व्यवस्था—जैसे पथ-प्रदर्शन, श्रव्य-दृश्य शिक्षा—और अनुसन्धान का संगठन।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नौकरी में रहने प्रशिक्षण पाने की सुविधाएँ देने के ध्यान से दूसरी योजना के दौरान 54 चुने हुए प्रशिक्षण-कालेजों में विस्तार-केन्द्रों की स्थापना की गई। ये केन्द्र अध्यापकों के नौकरी में रहने हुए प्रशिक्षण पाने के व्यापक कार्यक्रम पर अमल करते रहे हैं। कार्यक्रम में ये चीजें शामिल हैं—मनोच्छिन्ना, कर्मशालाएँ और सम्मेलन, श्रव्य-दृश्य साधन, पुस्तकालय और पथ-प्रदर्शन-सेवाएँ तथा प्रकाशन।

हर केन्द्र अपने निश्चित क्षेत्र में अनेक विद्यालयों के लिए (जिनकी संख्या 100 से 300 तक होती है) विस्तार-सेवा की और विलकुल पान के कुछ चुने हुए विद्यालयों के लिए (जिनकी संख्या करीब 20 होती है) गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। विस्तार-सेवा-कार्यक्रम नौकरी में रहते हुए निम्न प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम और प्रशिक्षण-कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को परस्पर निकट सम्पर्क में रखने का साधन साबित हुआ है। तीसरी योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार करके और बहुत-सारे प्रशिक्षण-कालेजों को इनकी परिधि में लाने का विचार है। अन्तिम लक्ष्य यह है कि विस्तार-सेवा प्रशिक्षण-कालेजों के काम का एक अभिन्न अंग बन जाए।

विश्वविद्यालय-शिक्षा

33 प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का विस्तार होने के कारण पिछले दस वर्षों में उच्चतर शिक्षा की माग बेहद बढ़ गई है। सन् 1950-51 में विश्व-विद्यालयों की संख्या 27 थी। सन् 1955-56 में यह संख्या बढ़ कर 32 हो गई और सन् 1960-61 में 46। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या एक दर्जन और बढ़ जाएगी। कालेजों की संख्या सन् 1955-56 में 772 थी, जो सन् 1960-61 में बढ़ कर 1,050 हो गई (इनमें इंटरमीडिएट कालेज शामिल नहीं हैं)। तीसरी योजना के दौरान हर वर्ष कालेजों की संख्या में लगभग 70-80 की वृद्धि होती रहेगी। हाल के वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या में ज़िदत ने वृद्धि हुई है, उनके कारण कई समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। इनका विवेचन विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की सन् 1959-60 की रिपोर्ट में किया गया है।

आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर शिक्षा का स्तर गिरने न देने के लिए यह जरूरी है कि विद्यार्थियों की संख्या जितनी बढ़े, उनी हिनाब ने अव्यापन की भौतिक और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार हो। तीसरी योजना में इन मिलमिले में और अधिक सुविधाएँ दी जा रही हैं कि विद्यार्थी व्यावहारिक और टेक्नोलॉजी-विषयक शिक्षा की ओर अधिक संख्या में जाएं। फिर भी, यह तो स्पष्ट है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इन सुविधाओं को ध्यान में रखने पर भी इनमें नन्देह नहीं कि कला, विज्ञान और वाणिज्य के उच्चतर शिक्षा-क्रमों में प्रवेश चाहनेवालों की संख्या बहुत अधिक होगी तथा उनके चुनाव के लिए ठीक-ठीक कमीटिया निर्धारित करनी होंगी। योजना में उच्चतर शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाने की ती व्यक्तियों की ही गई है, सामान्य कालेजों, पत्राचार शिक्षा-क्रमों और बाहर के उम्मीदवारों को डिग्री देने के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है।

34 विज्ञान की शिक्षा . इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि तीसरी योजना में विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएँ बढ़ाने का कार्यक्रम है। इस मिलमिले में अधिक वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ-साथ विज्ञान के अधिक अव्यापकों को नियुक्त करनी पड़ेगी। शिक्षा-अधिकारियों के मार्ग-अदर्शन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की प्रामाणिक सुविधा तैयार कराने का भी विचार है। इन तरह का जरूरी सामान कम लागत पर तैयार कराने और बटवाने की योजनाएँ भी शुरू की जाएगी। विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को बढ़ी संख्या में छात्रवृत्तियाँ भी दी जाएगी। हर स्तर पर

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अध्यापन और परीक्षा के मानकों को बराबर जांच की जाती रहेगी। इनके साथ ही, शिक्षा-कार्यक्रमों में उपयोग के लिए आवश्यक प्रामाणिक पाठ्य ग्रन्थ तैयार कराने और छपवाने की योजना भी शुरू की जाएगी।

35 स्नातकोत्तर-अध्ययन और अनुसन्धान तीसरी योजना के अन्तर्गत विज्ञान और मानविकी (ह्यूमेनिटीज) के क्षेत्र में स्नातकोत्तर-अध्ययन और अनुसन्धान का अधिक विस्तार किया जाएगा। दूसरी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रयोगशालाओं के वास्ते अतिरिक्त स्थान, उपकरण और पुस्तकालय-सुविधाओं के लिए सहायता दी गई। दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-प्रनुदान-आयोग ने जो कदम उठाए, उनका सम्बन्ध वैज्ञानिक अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में—जैसे भूभौतिकी, ज्योतिष, नक्षत्र-भौतिकी, व्यावहारिक भौतिकी, समुद्रवर्णना, व्यावहारिक भौतिकी और पशु-जनन-विज्ञान, आदि—विश्वविद्यालयों में नए विभाग खोलने से था। मानविकी के क्षेत्र में, वीद्व दार्शन और संस्कृति, आदि के अध्ययन तथा अफ्रीकी अध्ययन के विभाग खोले गए तथा हिन्दी, भाषा-विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र, सभ्रहालय-विद्या, संगीत, आदि के भी संस्थान अथवा विभाग स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय-प्रनुदान-आयोग ने दूसरी योजना में स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान-छात्रवृत्तियां और बजाके देने का कार्यक्रम भी शुरू किया। दूसरी योजना को अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए गए, वे तीसरी योजना की अवधि में भी जारी रखे जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा। आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्नातकोत्तर विभागों को स्नातकोत्तर-अध्ययन तथा अनुसन्धान का विकास करने में सहायता देगा। विज्ञान की शिक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। विज्ञान में स्नातकोत्तर-अध्ययन-क्रम में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों की संख्या कोई 7,000 तक और शोधार्थियों की लगभग 1,000 तक बढ़ जाने की आशा है। कला-विषयों के विद्यार्थियों की संख्या में क्रमशः 7,000 और 2,000 की वृद्धि होने की आशा है। कुल मिला कर स्नातकोत्तर के बाद के विज्ञान-छात्रों की भरती में 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

36 स्त्री-शिक्षा . ऐसी शिक्षित स्त्रियों की काफी कमी है, जो विभिन्न व्यवसायों को अपना सकें। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में कुल जिनने विद्यार्थी भरती होते हैं उनमें छात्राओं का अनुपात बढ़े। सन् 1955-56 में भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्राओं का अनुपात केवल 13 प्रतिशत था। सन् 1960-61 में यह अनुपात बढ़ कर करीब 17 प्रतिशत हो गया और सन् 1965-66 में इसके 21 प्रतिशत हो जाने की आशा है। दूसरी योजना में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या के लिए तो कालेजों और विश्वविद्यालयों में व्यवस्था की ही गई, उनकी विज्ञान के अध्ययन-क्रम भी शुरू किए गए—जैसे, गृह-विज्ञान, संगीत, चित्रकारी, नर्सिंग, आदि। इन सुविधाओं का अभी और विस्तार करना होगा। दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-प्रनुदान-आयोग ने लड़कियों के कालेजों और छात्रावासों के लिए उदारतापूर्वक सहायता दी। तीसरी योजना में भी यह सहायता जारी रहेगी। इसके अलावा, छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष छात्रवृत्तियां बराबर दी जाती रहेंगी। इस समय स्त्रियों को संगठन, प्रशासन और प्रबन्ध-कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान स्थापित करने के सुझाव पर भी विचार हो रहा है।

37 ग्राम-संस्थान : गांव के विद्यार्थियों को उनके अपने ही वातावरण में उच्चतर

माध्यमिक स्तर के बाद की उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य में दूरगामी योजना की अवधि में ग्यारह ग्राम-संस्थान स्थापित किए गए। इस प्रकार की शिक्षा में गावों के अपने नेता पैदा होंगे और सामुदायिक विकास तथा कल्याण-कार्यक्रमों में गाव की जनता के सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य ग्राम-विकास, सह-कारिता, समाज-कल्याण, समाज-शिक्षा तथा लघु उद्योगों, आदि के क्षेत्रों में विशेष कार्यों के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना था। ग्राम-संस्थानों में ग्राम-सेवाओं, ग्रामीण और अर्सेनिक इंजीनियरी, कृषि और स्वास्थ्य-सेवाओं के डिप्लोमा अध्ययन-क्रम शुरू किए गए। दूसरी योजना के अन्त तक इन संस्थानों में 2,300 से अधिक विद्यार्थी भरती हुए और विभिन्न अध्ययन-क्रमों को पूरा करनेवालों की संख्या प्रति वर्ष 500 में ऊपर रही।

यह कार्यक्रम अभी प्रयोग की अवस्था में है। तीसरी योजना में इसे जारी रखा जाएगा, ताकि ये संस्थान अपने काम का पूरा-पूरा विकास कर सकें। विशेष नमिति-द्वारा कुछ ग्राम-संस्थानों के काम की समीक्षा भी की गई और इनकी मिकारिणों के अनुसार सुधार के उपाय किए गए। तीसरी योजना में इन संस्थानों की पूरी-पूरी सम्भावनाओं तथा ग्राम-विकास के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में इनके योगदान की जांच करना जरूरी होगा, ताकि ग्राम-समुदाय की विकास-आवश्यकताओं को देवते हुए इन्हें पूरी तरह से लैस किया जा सके।

38 तीसरे वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम : उच्चतर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से अधिकतर विश्वविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-परीक्षा के बाद करना, विज्ञान और वाणिज्य का तीन वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम अथवा वर्तमान मैट्रिकुलेशन या उनके समकक्ष परीक्षा के बाद पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर पर एक वर्ष का पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। तीन वर्ष के डिग्री-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत और सुधार भी शामिल हैं—जैसे, अध्यापक-छात्र-अनुपात में सुधार, ट्यूटोरियल पद्धति का आरम्भ, सामान्य शिक्षा, पुस्तकालयों का सुधार, प्रयोगशालाओं और अध्यापन-भवनों का निर्माण। विभिन्न विषयों के अध्यापकों के लिए दूरगामी योजना की तरह समय-समय पर सम्मेलन, नर्गाण्डिया होती रहेंगी और ग्रीष्म-संस्थानों तथा प्रत्यान्वेषण-पाठ्यक्रम भी चलते रहेंगे। अध्यापकों को बोर्डे करने के लिए अनुसन्धान-केन्द्र देने के हेतु विशेष अनुदान भी दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाएंगी, उनमें से भी शामिल हैं—छात्रावासों का व्यवस्था, शौकिया काम-वर्गों का कर्मशालाएं, अनावानी छात्र-केन्द्र, स्वास्थ्य-केन्द्र, परामर्श-व्यवस्था तथा विद्यार्थी-सहायता-निधि की व्यवस्था। तीसरी योजना में ये सभी चीजें जारी रहेंगी।

लड़कियों की शिक्षा

39 विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की समस्या के कुछ पहलुओं की चर्चा पहले प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षा के संदर्भ में की जा चुकी है। इस विषय के कुछ मुख्य पहलू ऐसे हैं, जिन पर और विचार करने की जरूरत है। पिछले दस वर्षों में 1 करोड़ 32 लाख और लड़के शिक्षा-संस्थाओं में भरती हुए, जब कि नई भरती होनेवाली लड़कियों की संख्या सिर्फ 68 लाख रही। मई 1961 की जनगणना से पता

चला है कि पुरुषों में साक्षरता का अनुपात 34 प्रतिशत है, जब कि सिर्फ 13 प्रतिशत स्त्रियाँ ही साक्षर हैं। फलतः शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा को मुविधाएँ बढ़ाना होना चाहिए। जो कार्यक्रम निर्धारित किए जा चुके हैं, उनके अनुसार 6-14 वय-वर्ग में विद्यालय जानेवाली लड़कियों का अनुपात बढ़ कर 46 प्रतिशत हो जाना चाहिए। इसकी तुलना में लड़कों का अनुपात 73 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तीसरी योजना में विभिन्न वय-वर्गों में लगभग 2 करोड़ 4 लाख और बच्चे स्कूलों में भरती किए जाएंगे। आशा है कि इनमें 1 करोड़ 3 लाख लड़कियाँ होंगी। सबसे नीचे के वय-वर्ग में उनका अनुपात 56 प्रतिशत होगा। तीसरी योजना के अन्त में यद्यपि लड़कियों और लड़कों के अनुपात का वैपम्य कुछ कम हो जाएगा, तथापि वह काफी होगा। ऊपर जो अनुमान बताए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए देश-भर में बड़े विराट प्रयत्न की आवश्यकता होगी—खाम तौर से उन राज्यों में, जहाँ लड़कियों की शिक्षा का कार्य काफी पिछड़ा हुआ है।

40 योजना के अन्तर्गत शिक्षा-विकास के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उनमें से अनुमानत 175 करोड़ रु० लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। इसमें से लगभग 114 करोड़ रु० प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय-स्तर पर खर्च करने के लिए है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लड़कियों की शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम को सहारा देनेवाली विशेष योजनाओं के लिए भी कुछ रकम की व्यवस्था की गई है। यह सुझाव है कि राज्यों की योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं, उन पर अमल करने में वे राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-समिति की रिपोर्ट में की गई विस्तृत सिफारिशों को अवश्य ध्यान में रखें। जैसा कि बताया जा चुका है, ऐसी ममुचित परिस्थितियाँ पैदा करने पर ध्यान और दिया जाना चाहिए कि माता-पिता को अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजने की प्रेरणा मिले, उपयुक्त जनमत तैयार हो, ऐसी श्रांमोण स्त्रियों की मन्ना बटे, जो अध्यापन का धन्वा अपना सकें और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियाँ गावों के विद्यालयों में शिक्षिका की जगह स्वीकार करने के लिए तैयार हों। विचार है कि हर वर्ष नावधानी से इसका मूल्यांकन किया जाए कि लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम लागू करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है और तीसरी योजना के लक्ष्य पूरे करने के लिए अभी जहरी उपाय किए जाएं। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में यह खास तौर से जहरी है कि देश के विभिन्न भागों में जो उपाय सफल रहे, उनका वारीकी में अध्वयन किया जाए और वर अनुभव सबके लिए सुलभ हो। वार्षिक योजनाएँ तैयार करने में भी उन बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम श्रायिक माधनों की कमी के कारण पिछड़ने न पाए और वे मभी मगठन-मम्बन्वी तथा मामाजिक बाधाएँ भरनन जन्दी-ने-जल्दी दूर हो जाए, जो प्रगति में बाधक होती हैं।

छात्रवृत्तियाँ

थी, जो सन् 1956-57 में बढ़ कर 8 8 लाख हो गई। इसमें से 7 8 लाख विद्यार्थी विद्यालयों के थे और कोई 1 लाख कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के। इनके अलावा, सन् 1956-57 तक लगभग 50 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क छात्रत्व और दूसरी आर्थिक रिश्चायतें मिलने लगी थी। इनमें से 1 5 लाख कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी थे तथा 48 5 लाख विद्यालयों के। कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति और बजोफे पानेवाले विद्यार्थियों का अनुपात सन् 1950-51 में 9 प्रतिशत था। इन नमय अनुमान है कि यह अनुपात 16 प्रतिशत है। तीसरी योजना की अवधि में ये छात्रवृत्तियां जारी रखी जाएगी।

छात्रवृत्तियों की एक महत्वपूर्ण योजना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद की छात्रवृत्तियों के बारे में है। ये कुछ वर्ष पहले शुरू की गई थी और अब इनमें 50,000 विद्यार्थी लाभ उठाते हैं। इस पर प्रतिवर्ष 2 7 करोड़ ₹० के करीब खर्च होता है। मैट्रिकुलेशन-पूर्व स्तर पर सन् 1960-61 में इन वर्गों के 40 से 50 लाख के बीच बच्चों को छात्रवृत्तियां और दूसरी रिश्चायतें मिली और इस मद में दूसरी योजना के अन्तर्गत 12 करोड़ ₹० खर्च किए गए।

42 तीसरी योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नई छात्रवृत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार है

	(करोड़ ₹० में)
शिक्षा-कार्यक्रम	
पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर	4
विश्वविद्यालय-स्तर	6
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रम	
पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर	11
विश्वविद्यालय-स्तर	6
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा	
इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी	8
गिल्पी	2
योग	37

ऊपर जिन रकमों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की अनुसन्धान-छात्रवृत्तियां और बजोफे तथा कृषि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान, आदि क्षेत्रों की छात्रवृत्ति-योजनाएं भी हैं।

43 राज्य-योजनाओं में छात्रवृत्तियों के मौजूदा कार्यक्रमों के विस्तार की व्यवस्था है। शिक्षा-मन्त्रालय ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उनमें मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर भेधावी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना तथा विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की योजना का उल्लेख किया जा सकता है। इनके अलावा, विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं-द्वारा भारतीय विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम के अन्तर्गत, आशा है, विद्यालय-स्तर पर छात्रवृत्तिधारियों की संख्या बढ़ कर लगभग 70 लाख हो जाएगी।

जहां तक तकनीकी शिक्षा का प्रश्न है, अभी सिर्फ 6,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां या दूसरी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, पर आशा है कि यह संख्या बढ़ कर लगभग 32,000 हो जाएगी, यानी कुल भरती का 18 प्रतिशत।

44 तीसरी योजना में छात्रवृत्तियों को जो महत्व दिया गया है, उसे देखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारें तथा सन्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालय इस उद्देश्य को सामने रख कर अपनी मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करें कि जिन नियमों के अधीन छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उनका अगर ठीक-ठीक पालन होता रहे, तो इसमें मजबूत होना चाहिए किन्तु साथ ही जरूरतमन्द विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में सहायता मिलती रहेगी और साधारणतः बीच में सहायता बन्द नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए केवल मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों का सवाल है, लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस तरह के जितने विद्यार्थी आए, उनके लिए उचित व्यवस्था हो और उनमें से अधिकाधिक विद्यार्थी शिक्षा के उच्चतर स्तरों पर पहुंच सकें। यह देखा गया है कि चूँकि काफी संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं आते, इसलिए इस वर्ग के लिए जगहें आरक्षित रखने के बारे में जो प्रशामकीय विनियम हैं, उनका हमेशा पूरा-पूरा पालन नहीं किया जाता। अन्त में, कुछ श्रेणियां कर्मचारियों की ऐसी भी हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है, पर ग्राम तौर से उनमें उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त ही रहती है—जैसे विज्ञान के शिक्षक, शिक्षिकाएँ, नर्स आदि। हर राज्य में इस बात की भलीभांति जाच-पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसी श्रेणियां कौन-कौन-सी हैं और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर ही इन तरह के होनाहार विद्यार्थी छांट लिए जाए और प्रशिक्षण की पूरी अवधि में छात्रवृत्तियों और वजीफों के रूप में उन्हें सहायता दी जाए। उन्हें यह विश्वास दिना दिया जाए कि उन्हें निश्चय ही नौकरी मिल जाएगी और इसके बदले में वे भी एक नियत अवधि तक नौकरी करने के लिए बाध्य हों।

शिक्षकों के वेतन-मान और नौकरी की परिस्थितियां

45 पहली योजना के अन्त में अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ाने की समस्या को ध्यान में रखकर विचार दिया गया। दूसरी योजना में इस दिशा में काफी प्रगति हुई और अनुमान है कि विद्यालय-शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के फलस्वरूप लगभग 30 करोड़ रु० का खर्च हुआ। इसके फलस्वरूप लगभग सभी राज्यों में प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षकों के—और कुछ हद तक उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों के—मूल वेतन पहले से अच्छे हो गए। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय-अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ाने के कारण भी काफी प्रगति करना पड़ा। कुछ राज्यों ने तीसरी योजना में अध्यापकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की व्यवस्था की है।

तीसरी योजना में शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय बराबर किए जाते रहेंगे। अध्यापन के क्षेत्र में विविधता के लिए नव 1958 में राष्ट्रीय पुरस्कार देने की जो पद्धति शुरू की गई है, वह अपने-आप में एक उदात्त प्रेरणादायक सूत्र है। तीसरी योजना में इन पुरस्कारों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। योजना के अन्त में

प्रारम्भिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए योग्यता-छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था है।

शैक्षणिक अनुसन्धान और महत्वपूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण

46 किन्हीं भी शिक्षा-पद्धति के विकास के लिए शैक्षणिक उद्देश्यों, तरीकों और तकनीकों के अनुसन्धान का एक जानदार कार्यक्रम आवश्यक होता है। भारत में आज इसका खान तौर में बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ तेजी से विकास करते हुए समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मारी पद्धति नगोचित हो रही है। पहली दोनो योजनाओं के दौरान कई अनुसन्धान-मस्याएँ खोली गईं। राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-मस्या ने बुनियादी शिक्षा में सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के बारे में कई अन्वेषण कराए हैं, राज्यों में महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों और नगोष्ठियों का मगठन किया है तथा विभिन्न समस्याओं पर कई मूल्यवान अध्ययन प्रकाशित कराए हैं। राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केन्द्र ने समाज-शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया है तथा जिला-समाज-शिक्षा-मगठनकर्ताओं के कई दलों को प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य-शिक्षा-मस्या सामूहिक सम्पर्क के विभिन्न—नए और पुराने—माध्यमों के बारे में अनुसन्धान करता है। उसने इन क्षेत्र में काम करनेवाले महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए कई सगोष्ठियों का आयोजन किया है। केन्द्रीय शैक्षणिक और व्यावसायिक पय-प्रदर्शन-कार्यालय ने विभिन्न विषयों में परीक्षाएँ लेने तथा विद्यार्थियों की विशेष रुचियों और रुझानों का पता लगाने के लिए—ताकि अध्ययन-क्रम और व्यवसाय चुनने में उनका मार्गप्रदर्शन किया जा सके—कई वस्तुपरक परीक्षणों का विकास किया है। राज्यों में मार्गप्रदर्शन करनेवाले कर्मचारियों के लिए यह कार्यालय नगोष्ठियों तथा अल्पकालीन अध्ययन-क्रमों की व्यवस्था करता है। इन उपायों से व्यावसायिक और शैक्षणिक मार्ग-प्रदर्शन का तो विकास होगा ही, विद्यालयों और कालेजों में मानसिक स्वास्थ्य-मेवाएँ गुरु करने में भी सहायता मिलेगी। इनमें विद्यार्थियों की निजी और भावनात्मक समस्याओं के बारे में मलाह देना भी शामिल है। राज्यों में भी इसी तरह की मस्याएँ खोलने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय ने सहायता दी है। केन्द्रीय पाठ्यग्रन्थ-अनुसन्धान-कार्यालय विभिन्न राज्यों में निम्न पाठ्यग्रन्थों का विषयवस्तु और उनके चुनाव में अपनाई गई कार्य-विधि की दृष्टि में अध्ययन करता है। पाठ्यग्रन्थों का मूल्यांकन करने की कसौटियाँ भी तैयार कर ली गई हैं। लेखकों को पाठ्यग्रन्थ तैयार करने का प्रशिक्षण देने के लिए कर्मचालाओं का भी प्रवन्ध किया जा रहा है।

47 दूसरी योजना की अवधि में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समस्या के अन्वेषण के लिए प्रशिक्षण-कालेजों को सहायता दी गई थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार-कार्यक्रम-निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा में सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया है—जैसे परीक्षा-पद्धति का सुधार, पुनर्संगठित माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए विषयों का पाठ्यक्रम, विज्ञान-शिक्षा की समस्याएँ, अध्ययन-क्रमों में विविधता लाने का प्रयत्न, आदि।

48 ऊपर अनुसन्धान के जिन कामों का उल्लेख किया गया है, वे सभी तीसरी योजना में जारी रहेंगे और उनका विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अनु-

सन्धान का एक केन्द्र विकसित करने के विचार में एक राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण-मन्त्रालय स्थापित करने का विचार है। मौजूदा केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय तथा दूसरी केन्द्रीय मन्त्रालयों और अभिकरण उन्नी में मिला दिए जाएंगे। विचार है कि उक्त संस्था एक स्वायत्त-मन्त्रालय के रूप में काम करेगी और उसके काम की परिधि में शिक्षा-विषयक अनुसन्धान के विविध क्षेत्र आ जाएंगे। इन क्षेत्रों में ये भी शामिल होंगे—प्रारम्भिक, उच्चतर माध्यमिक, सामाजिक और दृश्य-श्रव्य शिक्षा तथा इन और दूसरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण-मन्त्रालयों के माध्यम से विस्तार-मेवाओं के कार्यक्रम में तालमेल रखना और उनका निदेगन करना राष्ट्रीय संस्था का काम होगा।

120 प्रारम्भिक शिक्षक-प्रशिक्षण-मन्त्रालयों में विस्तार-विभाग खोले जाएंगे, जो चुने हुए क्षेत्रों में अनुसन्धान करेंगे और प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को उनके नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे।

पाठ्य पुस्तकें

49 हाल के वर्षों में पाठ्य पुस्तकों की समस्या बराबर अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई है और इसका जल्दी ही कुछ हल निकाला जाना चाहिए। किसी पाठ्य पुस्तक में जिन पहलुओं पर विचार किया जाता है, उनमें प्रमुख ये हैं—विषय-वस्तु, उसे प्रस्तुत करने का ढंग, छापाई, गेट-अप और मूल्य। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पाठ्य पुस्तक का चुनाव का तरीका क्या होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मामले में जो कठिनाइयाँ सामने आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए राज्य-सरकारों ने प्रयोग के तौर पर पाठ्य पुस्तकों का 'राष्ट्रीय-करण' शुरू कर दिया है। अभी यह प्रयोग इतना छोटा है कि इससे कोई निश्चित निकर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेखकों और चित्रकारों का चुनाव करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहन देने के लिए तथा कागज की मात्रा बढ़ाने और छापाई की उचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। वडे पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में केन्द्र और राज्यों को अपने प्रयत्नों में समन्वय लाना होगा, ताकि एक तो कीमते कम हों और दूसरे कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य बराबर सबके सामने रहें। विश्वविद्यालय-स्तर पर अनिवार्यतः विदेशी पुस्तकों पर काफ़ी भरोसा करना पड़ता है—उनकी कीमते कम करने के लिए उन्हें भारत में छपवाने के प्रबन्ध पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, भारतीय लेखकों के हितों की भी पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद की समस्या और इन भाषाओं में मौलिक किताबें लिखने की समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में उनका उपयोग बढ़ता जा रहा है।

परीक्षा-पद्धति में सुधार

50 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के क्षेत्र और विविधता में विस्तार के कारण वर्तमान परीक्षा-पद्धति उसके उपयुक्त नहीं रह गई है। हाल के वर्षों में उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने परीक्षा-पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार-कार्यक्रम-निदेशालय में दूसरी योजना के अन्तिम दौर में एक जाच-टुकड़ी की नियुक्ति की गई

और परीक्षा-पद्धति के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इन कार्यक्रम के अर्वाचन परीक्षा की तकनीकी में क्रमबद्ध सुधार करने का विचार किया गया है और उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं

- (1) विद्यालय के विविध विषयों के अध्ययन में जो विविध शैक्षणिक उद्देश्य निहित हैं, उन्हें स्पष्ट करना और उनकी व्याख्या करना,
- (2) बाहरी परीक्षाओं के तरीकों का इन उद्देश्यों के साथ समन्वय करना, ताकि परीक्षा-प्रश्नों और अन्य परीक्षणों में यह जांचा जा सके कि इनके मन्दर्भ में विद्यार्थियों की उपलब्धियां क्या हैं,
- (3) विद्यालय की निर्जी परीक्षाओं में उन्नी हिमाव में परिवर्तन करना,
- (4) विद्यालय के अपने मूल्यांकन को अधिकाधिक महत्व देना,
- (5) हर विषय के लिए जो शैक्षणिक उद्देश्य निश्चित किए जाएं, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के तरीकों और अध्ययन-क्रम में सुधार करना।

कार्यक्रम का जितना अर्थ अब तक पूरा हुआ है, उन्में नगोष्ठियों और कर्मगणालाओं के माध्यम में बहुत-से अध्यापकों को नई तकल्पनाओं और पद्धतियों में परिचित कराने और प्रशिक्षण-कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-भइनों और दूसरी नस्य.ओं को परीक्षा-पद्धति में सुवार की नमस्याओं की जानकारी कराने में मदद मिली है। आगे के लिए भी काफी तैयारियां कर ली गई हैं। तीसरी योजना में ऊपर बताई गई दिशाओं में और तेजी से काम किया जाएगा। राज्यों में मूल्यांकन-टुकडियां स्थापित करने का विचार है, जो कार्यक्रम को लागू करने में केन्द्रीय टुकडों के साथ तालमेल रखते हुए काम करेंगे। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने तीन विश्वविद्यालयों में परीक्षा-शोध-टुकडियां खोलने में सहायता दी है। आगे भी अनुसन्धान-कार्य का आयोजन किया गया और अधिक नस्य. में मूल्यांकन-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कुछ विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान और मूल्यांकन-टुकडियां भी खोली जाएंगी।

51 हिन्दी और संस्कृत का विकास : पहली दो योजनाओं में हिन्दी के विकास के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए—हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, शब्दकोश और मौलिक साहित्य की रचना, विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों का हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशकों की माफत हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन। हिन्दी के प्रचार-कार्य में सलग स्वतन्त्र नस्य.ओं को अधिक सहायता दी गई। अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में विद्यालय-मुस्तकालयो और दूसरी शिक्षा-नस्य.ओं को उपहार-स्वरूप पुस्तकें दी गईं। हिन्दी-गिनकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने तथा हिन्दी-शिक्षक-प्रशिक्षण-कालेजों की स्थापना के लिए कुछ राज्यों को अनुदान दिए गए। अहिन्दी-भाषी राज्यों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी-शिक्षकों को नियुक्ति के लिए और उनके वेतनमान बढ़ाने के लिए धन-राशि की भी व्यवस्था की गई। पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, तीसरी योजना में उन्हें जारी रखा जाएगा तथा उनका विस्तार किया जाएगा।

52 देश में संस्कृत-शिक्षा की अवस्था के प्रश्न पर हर पहलू से विचार करने के लिए और उनके विकास के तरीके सुझाने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय ने एक संस्कृत-आयोग की नियुक्ति की थी, जिमने सन् 1957 में अपनी रिपोर्टों में देश की। दूसरी योजना के

दौरान इन सिफारिशों पर अमल शुरू हो गया। सस्कृत के प्रचार और विकास के प्रगणे पर भारत-सरकार को सलाह देने के लिए सन् 1959 में केन्द्रीय सस्कृत-मडल की स्थापना की गई। उसकी सलाह से कुछ कदम भी उठाए गए हैं। तीसरी योजना के कार्यक्रम में ये बातें शामिल होंगी—साहित्य का निर्माण करना, अनुसन्धान के लिए छात्रवृत्तियाँ देना, गुरुकुलों का विकास करना, सस्कृत-पाठशालाओं को आधुनिक रूप देना, शब्दकोश तैयार करना और अव्यापको के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय सस्कृत-संस्था की स्थापना करना। इसी तरह के कार्यक्रम लागू करने के लिए कुछ राज्यों ने भी आवश्यक बजट-राशि की व्यवस्था की है।

53 विकलांगों की शिक्षा : दूसरी योजना के अन्तर्गत विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तीसरी योजना में इन्हें जारी रखा जाएगा। राष्ट्रीय अन्वजन-केन्द्र को बढ़ाया जाएगा और एक राष्ट्रीय ब्रेल-पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। वयस्क बहुरी के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोला जाएगा तथा मानसिक विकृति-वाले बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। छात्रवृत्ति की उस योजना को और भी बढ़ाया जाएगा, जिसके अधीन विकलांग विद्यार्थियों को उच्चतर और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। स्वतन्त्र संस्थाओं की माफत विकलांगों के लिए सेवाओं को विकास पर और शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार-दफतरी की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा।

शारीरिक शिक्षा, खेल और युवा-कल्याण-कार्यक्रम

54 इस क्षेत्र में दूसरी योजना की अवधि में जो महत्वपूर्ण बातें हुईं, उनमें ये उल्लेखनीय हैं ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा-कालेज की स्थापना (जो देश में अपनी तरह का पहला कालेज है), बाल-भवन की स्थापना (जिससे बच्चों की मनोरंजन की आवश्यकताएँ पूरी हों) और सावधानी से श्रेणीबद्ध परीक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता-आन्दोलन की शुरुआत। दूसरी योजना के अन्त में विभिन्न खेलों और क्रीडाओं में उच्च श्रेणी के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल-कूद-संस्था की स्थापना की गई। युवकों के लिए जो काम किए गए उनमें स्टेडियम, तैराकी के तालाब और खुली रंगशालाएँ, आदि के निर्माण के लिए अनुदान भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मैन्यु गिजार्थी-दल, महायुक्त सैन्य शिक्षार्थी-दल, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और राष्ट्रीय अनुनामन-पोजन के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कदम उठाए गए।

तीसरी योजना में ये सभी कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे। राष्ट्रीय खेल-कूद-संस्था का विकास किया जाएगा, ताकि उसमें सभी महत्वपूर्ण खेलों का समावेश हो जाए। इस संस्था में प्रशिक्षण पानेवाले खेल-शिक्षकों की सहायता से एक राष्ट्रीय खेल-शिक्षा-योजना शुरू की जाएगी, जिसमें खेलों की शिक्षा की व्यापक सुविधाएँ दी जाएँगी, ताकि खेलों का स्तर धीरे-धीरे ऊपर उठे। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता-आन्दोलन को भी जोरदार तरीके से चलाया जाएगा, ताकि उसका ज्यादा अमर हो। बाल-भवन के संपूरक के रूप में एक राष्ट्रीय बाल-संग्रहालय स्थापित करने का भी विचार है।

समाज-शिक्षा और वयस्क-साक्षरता

जैसा कि पहली योजना में बताया गया था, समाज-शिक्षा का मतलब है—'सामुदायिक

प्रयत्न के द्वारा समाज के उत्थान का सर्वव्यापी कार्यक्रम।' इस प्रकार, समाज-शिक्षा में माक्षरता, स्वास्थ्य, मनोरंजन और वयस्कों के गार्हस्थ्य जीवन के कार्यक्रम, नागरिकता का प्रशिक्षण और आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए मार्गप्रदर्शन भी शामिल है। वारीकी ने मोचने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सुयोजित विकास की संकलता—जिसको परिधि में लाखों लोगों की आवश्यकताएं आ जाती हैं—समाज-शिक्षा के प्रसार, प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा सामुदायिक नागरिकता की भावना के विकास पर निर्भर होती है। फिर भी कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य तथा कुछ अन्य कल्याण-कार्यक्रमों के शैक्षणिक उद्देश्य पूरा करना सबसे अधिक कठिन है। पिछले दस वर्षों में कई दिशाओं में काफी प्रगति हुई है—जैसे, सामुदायिक केंद्रों के विकास में, गांवों में वाचनालय खोलने में, नवयुवकों और स्त्रियों के संगठित क्रियाकलाप की उत्पत्ति में और ग्राम-पंचायतों तथा सहकारिता-आन्दोलन में नए प्राण फूंकने में। फिर भी, समाज-शिक्षा का एक पहलू, जो कई तरह से सबसे महत्वपूर्ण है, चिन्तनीय है। सन् 1951 और 1961 के बीच साक्षरता 17 प्रतिशत में बढ़ कर केवल 24 प्रतिशत तक पहुंची है। जिला-स्तर और खंड-स्तर पर पंचायती राज लागू हो जाने और ग्राम-पंचायतों को जो कार्य-भार सौंपा गया है, उसके महत्व को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भरमक कम-से-कम समय में वयस्क आवादी का काफी बड़ा भाग पढ़ने-लिखने के योग्य हो जाए। यह उनके अपने हित में तो होगा ही, इनमें सारे समाज का भी भला होगा। चूंकि इस दिशा में अभी तक काफी प्रगति नहीं हुई है, इसलिए वयस्क-साक्षरता का तेजो से प्रसार करने के उपाय निकालने के लिए इस समस्या पर फिर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।

56 शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था के अग्र-रूप में राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केंद्र के विकास, नवमाक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण, समाज-शिक्षा-कार्य में मूल्यन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता तथा पुस्तकालय-सुविधाओं के विस्तार की व्यवस्था है। राज्यों की शिक्षा-योजनाओं में पुस्तकालयों, सम्पर्क-स्थापक वर्गों, कुछ हद तक वयस्क-विद्यालयों तथा वयस्क-साक्षरता के प्रोत्साहन के लिए अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था है। समाज-शिक्षा के लिए धन-राशि की मुख्य व्यवस्था सामुदायिक विकास-वायधम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के बजट में की गई है। यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना में समाज-शिक्षा के लिए कुल मिला कर 25 करोड़ रुपये मिल सकेंगे।

57 वयस्क-साक्षरता के किन्हीं भी बड़े और कारगर कार्यक्रम के लिए हर स्तर पर उन कर्मचारियों का अधिकाधिक सहयोग आवश्यक है, जो शिक्षा और सामुदायिक विकास के कार्य में मूल्यन हैं। इसके लिए उपलब्ध जन और धन-साधनों को जुटाना जरूरी होगा, स्वयं-सेवा कार्यकर्ताओं और नगठनों को एक साथ एक ही दिशा में सक्रिय होना पड़ेगा, तथा ग्राम-पंचायतों और ग्राम-स्तर पर तथा हर शहर और नस्ले में वयस्क-शिक्षा और साक्षरता के कार्य का विस्तार करना होगा, ताकि वह अधिकाधिक जन-आन्दोलन का रूप धारण करे। शिक्षा-संस्थाओं को—विशेषकर गांवों के विद्यालयों को—पंचायतों तथा महत्वपूर्ण समितियों और स्वैच्छिक नगठनों के सहयोग से समाज-शिक्षा और वयस्क-साक्षरता को प्रोत्साहित करने के रूप में विकसित करना होगा। मोटे तौर पर, उद्देश्य यह होगा कि शिक्षा-संस्थाओं में कुछ लोग—जो मिल कर एक बड़ा का रूप धारण करने के लिए तैयार हों—पढ़ने की इच्छा प्रकट करें, वहीं शिक्षक और शिक्षा-संस्थाओं के रूप में उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध दी जाएं। प्रत्येक शिक्षा-संस्था को इन प्रयत्न में योग

देना चाहिए और इन काम में जो शिक्षक हाथ बटाए, उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। साथ ही, ग्राम-पंचायत और अन्य मस्याओं को भी इन दिशा में उचित योगदान करना चाहिए। नमोज-शिक्षा-मगठनकर्ताओं, खड-शिक्षा-अधिकारियों और निजी शिक्षा-मस्याओं को परम्पर-महयोग में ग्राम कर्कके स्वानीय पंचायत-समितियों, ग्राम-पंचायतों तथा स्वीच्छिक मगठनों के लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटानी चाहिए, ताकि लोगों में उत्साह पैदा हो और बराबर बना रहे तथा एक अनवरत आधार पर ऐसे तरीके से व्यवस्था-शिक्षा और नाशानता का विनाश हो कि उनका उनकी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों में अभिन्न सम्बन्ध हो। पुरुषों और स्त्रियों, दोनों में मालरता के प्रसार के लिए हर कदम पर स्वानीय नेताओं, शिक्षकों और स्वीच्छिक कार्यकर्ताओं को इस आन्दोलन में शामिल किया जाना चाहिए।

58. पुस्तकालय : पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था किसी भी सुयोजित शिक्षा-प्रणाली का एक आवश्यक अंग है। भारत-सरकार-द्वारा नियुक्त पुस्तकालय-समिति ने मन् 1959 में अपनी रिपोर्ट में इन और गकेत किया था कि पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था की मागों और उनकी वर्तमान स्थिति के बीच बहुत बड़ी खाई है। यह खाई लम्बे समय के और उचित रीति से व्यवस्थाओं में बटे हुए कार्यक्रम के द्वारा ही पाटी जा सकती है। तीमरी योजना में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के चारों राष्ट्रीय पुस्तकालयों की स्थापना या विकास की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में पुस्तकालयों को उन्नत करने तथा जिलों और तालुकों में पुस्तकालयों का मस्या बढ़ाने की भी व्यवस्था है। इनके अलावा, शिक्षा-मस्याओं के अपने पुस्तकालय हैं। तीमरी योजना के दौरान इनकी उन्नति और सुधार किया जाएगा। पुस्तकालयों के प्रमुख कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना में एक पुस्तकालय-विज्ञान-सस्था स्थापित की गई थी। तीमरी योजना में इनका और विकास किया जाएगा। अन्य विश्व-विद्यालयों में भी पुस्तकालय-विज्ञान में अनुमन्धान करने की सुविधाएँ तथा पुस्तकालय-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएँ हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

59 नई पीढ़ी की मागों को देखते हुए कला, साहित्य, नृत्य, नाटक, और संगीत के क्षेत्र में भारत की विशिष्ट परम्परा को और भी विकसित करना होगा। भारत की सांस्कृतिक एकता के सम्प्रेषण के लिए पुरातात्विक स्मारकों और प्राचीन कला की रक्षा करनी होगी तथा उनकी पुनर्वास्था करनी होगी। इन दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, उनमें से कुछ ये हैं ललित कला-अकादेमी, साहित्य-अकादेमी, संगीत-नाटक-अकादेमी, राष्ट्रीय-समूहालय एवं राष्ट्रीय कला-भवन की स्थापना। इसके अलावा, दूसरी योजना में जिन अन्य कार्यक्रमों पर अमल किया गया, उनमें समूहालयों तथा पुस्तकालयों का पुनर्गठन और विकास तथा गजेटियर तैयार करने के काम शामिल हैं, जिनका तीसरी योजना में और विकास किया जाएगा।

दूसरी योजना में जिला तथा भारतीय गजेटियरों के सशोधन का जो काम शुरू किया गया था, उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। पुरानी पाठ्यलिपियाँ प्रकाशित करने, उनका परिदक्षण करने और वर्णक्रमानुसार उनकी सूची तैयार करने का काम तथा

दुर्लभ पांडुलिपियों का एक माइक्रोफिल्म-पुस्तकालय स्थापित करने तथा इस प्रकार की पांडुलिपिया उपलब्ध करने का काम भी इस योजना का एक अंग है।

60 यह बहुत जरूरी है कि हिन्दी और मस्कून के माध्याम आधुनिक भारतीय भाषाओं का भी विकास किया जाए। डिभापिक-शब्दकोश तैयार करने, अनुवादों पर पुरस्कार देने, विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में विध्वकोश और अंग्रेजी-भारतीय भाषा का शब्दकोश तैयार कराने की व्यवस्था करने तथा पुरानी पांडुलिपिया और दुर्लभ ग्रन्थ, सूचीपत्र और ग्रन्थ-सूचिया प्रकाशित कराने का भी विचार है। तीमरी योजना में भाग के भाषागत सर्वेक्षण की भी व्यवस्था है।

हाल में ही साहित्य-अकादेमी ने नम-नामयिक भागतीय साहित्य का सर्वेक्षण किया है। राष्ट्रीय पुस्तक-न्याय (नेशनल बुक ट्रस्ट) इन बात के लिए कदम उठा रहा है कि अच्छे साहित्य का निर्माण हो और पुस्तकालयों, शिखा-न्यायों और ग्राम जनता को अच्छी पुस्तकें नस्ती कीमत पर मिल सकें। विदेशी भाषाओं को प्रसिद्ध पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में तथा एक भारतीय भाषा की प्रामाणिक पुस्तकों का दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराना भी इस न्याय का उद्देश्य है।

भारत की साम्कृतिक एकता के विकास के लिए यह जरूरी है कि भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य को देश के विभिन्न भागों में प्रसारित और प्रचारित करने के काम को काफी महत्व दिया जाए। केन्द्रीय शिखा-मलाहकार-मडल ने इस पटनू पर जोर दिया है और सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हर विद्यार्थी को अपनी मातृ-भाषा के अलावा एक और भारतीय भाषा पढाई जानी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को मुविवाए दी जा रही है। तीमरी योजना के मन्दर्भ में कहीं व्यापक आधार पर इन मुविवाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

61 मग्रहालयों का पुनर्गठन और विकास विशेष-मग्रहालय-सर्वेक्षण-समिति (1955) की सिफारिशों और इनी उद्देश्य ने स्थापित केन्द्रीय मग्रहालय-मलाहकार-मडल के परामर्श के अनुसार किया जाएगा। तीमरी योजना में राष्ट्रीय आधुनिक कला-दीर्घा के लिए कला-मग्रह प्राप्त करने की एक परियोजना शामिल है और इन मिलसिले में सरकार को मलाह देने के लिए समितिया बना दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद के सालारजंग-मग्रहालय को अपने अधिकार में ले लिया है, जिसे दक्षिण-भारत के लिए राष्ट्रीय मग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा।

62 पुरातत्व-विभाग ने कुछ कार्यक्रम बना रखे हैं, जो तीमरी योजना में जारी रहेंगे—जैसे, प्राचीन इमारतों का परीक्षण, प्राचीन चित्रों की प्रतिलिपिया तैयार करना और पुरानी चीजों का सर्वेक्षण कराना। इसके साथ ही खुदाई-माला का और विकास किया जाएगा। ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय मन्दर्य के ऐसे स्थानों की देखभाल के लिए जो पुरातत्व-विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते, एक राष्ट्रीय न्याय कायम किया जाएगा।

63 तीमरी योजना में नृत्यशास्त्र और नृजाति-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए विभिन्न साम्कृतिक क्षेत्रों में विद्यालयों और युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां

दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें विदेश भेजने के लिए भी कुछ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

64 तीसरी योजना में अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के काम को और प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो योजनाएँ बनाई गई हैं, उनमें ये भी शामिल हैं—भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद् का विकास, दिल्ली-विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी-गृह का निर्माण तथा विदेशों में सांस्कृतिक सस्थाओं के उपयोग के लिए चित्रों, मूर्तियों और भारतीय कलाकृतियों की नकलें तैयार करना।

दूसरी योजना की अवधि में दिल्ली में बुद्ध-जयन्ती-स्मारक बनाने की जो योजना शुरू की गई थी, उसे तीसरी योजना में पूरा किया जाएगा। उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान की वर्तमान सस्थाओं का अधिक विकास किया जाएगा। अन्य कार्यक्रमों में दिल्ली में एक राष्ट्रीय रंगमाला और एक विशाल खुला रंगमंच स्थापित करना भी शामिल है।

65 दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर 4 करोड़ रु० खर्च किए गए थे—2 करोड़ रु० केन्द्र-द्वारा और 1 करोड़ रु० राज्यों-द्वारा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए 10 करोड़ रु० की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 6 करोड़ रु० केन्द्र-द्वारा और 4 करोड़ राज्यों-द्वारा खर्च किए जाएंगे।

राष्ट्रीय एकता

66 भारत में आर्थिक आयोजन की सफलता बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर होगी कि भाषा, धर्म, जाति और प्रदेश की विविधताओं के बीच हममें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की कितनी क्षमता है। लोकतन्त्र में एकता का आधार नमान सांस्कृतिक परम्परा तथा नमान रूप से स्वीकृत गाँधी लक्ष्य की चेतना तथा उन्हें अभिव्यक्ति देने के अनावरत प्रयत्न ही हो सकते हैं। भारत की एक समृद्ध और सामाजिक संस्कृति है। समाज के प्रत्येक वर्ग का उसमें योगदान है और इसके लिए गर्व का अनुभव करना उचित ही है। इस संस्कृति के मूल तत्व हैं—उदारता, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच मनुलन, तथा महयोग पर आधित जीवन-प्रणाली जिसमें किमी समुदाय के विभिन्न व्यक्ति नमान रूप से स्वीकृत अधिकारों और दायित्वों के द्वारा एक-दूसरे से बंधे हैं। भारत के भावी लक्ष्य उनके अधिकारों में निहित है और उन्हें प्राप्त करने के मुख्य माधन हैं, उनकी विकास-योजनाएँ।

67. नई पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक नामजन्म पैदा करने में विद्या-संस्थाओं को बड़ा सहजपूर्ण काम करना है। विद्यालय का कार्यक्रम इन तन्त्रों पर विद्या जाता चाहिए कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागे और इनके लिए विद्यालयों में महकारी आत्मनिर्भरता और लोकतान्त्रिक मिद्धान्तों पर आगानि नामुदात्त जीवन की व्यवस्था की जानी चाहिए, विद्या के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन-रतन में भागन के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी उद्युत्त पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, जिनमें विद्यार्थियों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जागे। नवित कथाओं—मृत्प, नाटक, संगीत तथा नाट्य—के माध्यम में भागन की सामाजिक सामुदायिक परम्परा के पुनरुद्धान और विद्यालय पर प्रयत्न होना चाहिए। विद्यालय-संस्थानों को बंध देने के लिए कुछ और गम भी उभरे हैं—होने, विद्यार्थियों को

एक मंच पर लाने और शिक्षा-यात्राओं के द्वारा उन्हें देश की वैविध्यपूर्ण मन्कृति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कराने का कार्यक्रम, आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राचीन भाषाओं का विकास और उनके समृद्ध साहित्य-भांडार को अनुवादों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में अधिकाधिक लोगों को उपलब्ध कराना, आदि। इसके साथ ही, यह भी जरूरी है कि विद्यालयों में योजना की व्यापक और सही ममक्ष पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएं। इन सब उपायों का उद्देश्य भावात्मक और रचनात्मक ढंग में राष्ट्रीय मगठन और एकता की शक्तियों को बल प्रदान करना है।

इस समय एक विशेष समिति हमारी शिक्षा-मदति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता लाने और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के मवाल पर विचार कर रही है। समिति की जो भी सिफारिशें होंगी, उनकी रोशनी में शिक्षा-नीतियों और कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करना होगा।

अनुबन्ध 1

6-11 वय-वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय-सम्बन्धी सुविधाएं (1960-61 और 1965-66)

(संख्याएं लाख में)

	6-11 वय-वर्ग में आबादी का प्रतिशत अनुपात (अनुमानित)											
	I से 5 तक की कक्षाओं में भरती				1960-61				1965-66			
	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
..	28.2	17.5	10.7	14.2	25.4	18.8	60.3	74	46.2	84.5	96.1	72.7
..	10.68	6.79	3.89	15.08	8.99	6.09	61.7	73.7	48	77.4	86.6	66.9
.	32	21	8	18	30	18	53.5	80	26.9	72.6	90.4	51.7
.	20	12.3	7.7	26.63	15.62	11.01	72	85.9	57.3	81.2	95.8	71.9
..	1.97	1.51	0.13	3.02	2.21	0.78	15	66.1	21	62.3	87.2	31.2
.	23.11	12.54	10.86	26.61	11.28	12.33	108.8	118	99.7	108.7	117.8	99.7
.	20	16	1	30	20	10	47	73.5	19.3	61	83.3	13.8
.	13.5	21.26	12.21	17.5	25.5	22	78.9	99.7	58	100	106.8	93.1
.	39	21.17	11.53	51	32.3	21.7	73.3	89	56.6	90.5	101.8	75.3
.	21.11	13.61	7.9	11.11	16.08	15.36	67.1	81	50.1	89.2	98.1	88.1
.	19	7.8	2.5	16	10.5	5.5	17.8	71.6	23.9	61.6	85	11.3
.	14.5	12.26	1.6	22.88	15	7.96	51.9	81	36.3	71.6	91.1	55.2
.	11.51	9.71	-	21	11.0	7.1	42	66.2	15.1	69.2	86.2	14.1

अनुसूच्य 1—(जारी)												
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
उत्तरप्रदेश ..	10 43	32	8 43	66 5	45	21 5	45 4	68 6	19 9	61 7	79 5	41 9
पश्चिम-बंगाल .	28 52	18 67	9 85	35 02	21 5	13 52	65 6	80 8	48 4	73 4	84 5	60 7
बिहारी .	2 91	1 68	1 23	1 08	2 21	1 87	86 6	89 3	83 1	99 5	104 2	94 4
हिमाचलप्रदेश ..	0 8	0 63	0 17	1 14	0 71	0 43	48 8	73 3	21 8	69 5	83 5	54 4
पश्चिमी	0 35	0 2	0 15	0 17	0 25	0 22	72 9	83 3	62 5	87	92 6	81 5
प्रत्येक-वार्षिक योग	1 79	1 23	0 56	2 8	1 68	1 12	62 6	84 2	40	78 2	91 8	64
योग	343 4	233 76	109 64	496 35	301 16	195 19	61 1	80 5	40 4	76 4	90 4	61 6

अनुबन्ध 2

11-14 वय-वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय सम्बन्धी सुविधाएं (1960-61 और 1965-66)

(सख्याएं लाख में)

राज्य का नाम	1-14 वय-वर्ग में आबादी का प्रतिशत अनुपात (अनुमानित)												
	1960-61			1965-66			1960-61			1965-66			
	योग	सड़के	सड़किया	योग	सड़के	सड़किया	योग	सड़के	सड़किया	योग	सड़के	सड़किया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
आंध्रप्रदेश	3 55	2 74	0 81	6 13	4 68	1 45	15 6	23 9	7 2	21 9	33 1	10 4	
बंगाल	2 05	1 19	0 56	3 25	2 2	1 05	27 4	37 4	16	35 3	11 8	24 5	
बिहार	5 5	1 9	0 6	9 25	7 1	1 85	19 4	34 3	1 2	26 7	12 6	10 7	
कर्नाटक	3 56	2 67	0 89	5 77	3 56	2 21	26 8	39	13 8	31 9	41 8	27 6	
मध्य प्रदेश	0 6	0 51	0 09	0 88	0 72	0 16	27 8	11	9	33 5	51 1	13	
पंजाब	5 11	1 18	2 26	6 19	3 61	2 58	50 3	59 1	11 3	15 3	53 1	37 3	
राजस्थान	1 27	2 73	0 51	1 96	4 16	0 8	16 3	26 6	5 5	20 3	33 3	6 7	
उड़ीसा	6 36	1 11	1 92	9 36	6 57	2 79	30 1	11 8	18 3	35 9	50 1	21 5	
झारखण्ड	7 25	3 35	1 9	11 17	8 22	1 25	28 5	10 7	15 5	36 2	50 2	21 2	
कोलकाता	1 61	2 66	0 99	5 61	3 66	1 98	23 8	31 1	11 1	29 5	17 5	21 2	
मद्रास	0 85	0 71	0 11	1 7	1 36	0 31	7 9	13 8	2	13 1	21	5 2	
गुजरात	1 75	2 75	1	5 55	3 51	2 01	28 1	38 8	16 1	31 8	10 3	26 1	
हरियाणा	1 31	1 66	0 25	1 85	1 1	0 75	11 5	21 5	1 1	23 9	36 7	9 8	

अनुबन्ध 2—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरप्रदेश ..	8 6	7 5	1 1	11 6	10	1.6	18 6	30 9	5	20 5	33 7	5 9
वर्धमान-बंगाल ..	4 72	3 6	1 12	9 02	5 3	3 72	21.1	30 3	10 7	33 3	36 7	29 4
दिल्ली ..	1 02	0 7	0 32	1 65	1 06	0 59	60 4	73 7	43 2	67 3	84 1	49 6
हिमाचलप्रदेश ..	0 2	0 17	0 03	0 3	0 25	0 05	28 6	45 9	9 1	36 6	59 5	12 5
पश्चिमी ..	0 08	0 06	0 02	0 1	0 07	0 03	33 3	50	16 7	35 7	51	21 4
अन्य केंद्र-शासित क्षेत्र ..	0 53	0 37	0 16	0 81	0 54	0 27	38 1	52 9	23 2	43 5	58 1	29
योग	62 88	48 22	14 66	97 48	70	27 48	22 8	34 3	10 8	28 6	39 9	16 5

अनुसूच्य 3

14-17 वय-वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय-सम्बन्धी सुविधाएं (1960-61 और 1965-66)

(संख्याएं लाख में)

राज्य का नाम	9 से 11 तक की कक्षाओं में भरती						14-17 वय-वर्ग में छात्रावृत्तों का प्रतिशत अनुपात (अनुमानित)					
	1960-61			1965-66			1960-61			1965-66		
	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्रप्रदेश	1 86	1 62	0 24	2 36	1 94	0 42	8 8	15 1	2 3	9 6	15 7	3 5
अरुणाचल	1 1	0 87	0 23	1 71	1 31	0 4	17 5	26	7 8	22 9	32 9	11 5
बिहार	3 1	2 9	0 2	5 4	4 4	0 6	12 4	23	1 5	17 3	30 3	4 2
गुजरात	1 48	1 14	0 34	2 26	1 53	0 73	12 2	18 2	5 8	15 9	20 8	10 6
कर्नाटक	0 2	0 17	0 03	0 27	0 23	0 04	9 9	15 9	3 2	11 8	18 9	3 7
केरल	2 25	1 39	0 86	2 95	1 8	1 15	21 6	27	16 3	24 2	30	18 7
मध्य प्रदेश	0 78	0 67	0 11	1 1	0 95	0 15	4 3	7 3	1 3	5 3	9	1 5
मद्रास	2 66	1 98	0 68	3 97	2 71	1 26	13 4	19 9	6 9	17 3	23 4	11
महाराष्ट्र	3 15	2 42	0 73	4 97	3 78	1 19	13 6	20 1	6 5	18 2	26 8	9
पंजाब	1 37	1 16	0 31	2 05	1 11	0 61	10 4	16 6	1 5	12 3	16 9	7 5
उड़ीशा	0 1	0 36	0 01	0 8	0 67	0 13	4 2	7 5	0 8	7 4	12 1	2 4
राजस्थान	1 15	1 25	0 2	2 25	1 82	0 43	12	19 3	3 6	16 1	21 1	6 6
तमिलनाडु	0 86	0 79	0 07	1 53	1 33	0 2	7 4	13	1 3	11 2	18 6	3 1

अनुबन्ध 3—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरप्रदेश ..	5 12	4 6	0.52	7 4	6 6	0 8	12 2	20 9	2 6	15 3	26 1	3 5
पश्चिम-बंगाल ..	2 38	2	0 38	5 3	4	1 3	11 2	17 6	3 8	21.9	31 1	11 5
दिल्ली ..	0 54	0 4	0 14	1.19	0.9	0.29	32 5	43	19 2	60 1	88 2	30 2
हिमाचलप्रदेश ..	0 06	0 05	0 01	0 08	0.06	0 02	10 2	16 1	3 6	9 8	14 3	5
पाण्डिचेरी ..	0 03	0 02	0 01	0 06	0 04	0 02	13 6	18 2	9 1	23 1	30 8	15 4
अन्य केन्द्र-शासित क्षेत्र .	0 19	0 12	0 07	0 31	0 2	0 11	12 8	16	9 6	16 4	21 1	11 7
योग	29 08	23 91	5 17	45 56	35 71	9.85	11 5	18 4	4 2	15 6	23 7	6 9

तकनीकी शिक्षा

कर्मचारियों की आवश्यकता, प्रशिक्षण-कार्यक्रम तथा जन-शक्ति की आवश्यकता आर्थिक विकास की तीन आधारभूत बातें हैं। तीसरी और चौथी योजना के सन्दर्भ में इन तीन बातों से सम्बन्धित मूल नीतियों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। इस अध्याय में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी तथा जिलियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य औद्योगिक विकास, शिक्षा और अनुसन्धान की विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी तैयार करना है। ये कार्यक्रम बताते हैं इस बात का ध्यान रखा गया है कि विज्ञान और टेक्नोलाजी के विकास के साथ-साथ समय-समय पर प्रशिक्षण-प्रणाली में परिवर्तन करना होगा और शिक्षा-पद्धति में सुधार लाना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में, प्रत्येक स्तर पर, प्रशिक्षित कर्मचारियों की वृद्धि करना, पर्याप्त सख्या में शिक्षक तैयार करना, प्रतिभागाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों और शिष्यवृत्तियों की व्यवस्था करना, ग्रहकालीन, अल्पकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, कुछ क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, उपनग्न भौतिक साधनों का समुचित उपयोग करना, अपव्यय में कमी और अनुसन्धान का विकास करना—इन सब पर तीसरी योजना के कार्यक्रमों में विशेष जोर दिया गया है।

2 तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की डिग्री व डिप्लोमा की शिक्षा का विस्तार करने की व्यवस्था है, जिससे प्रति वर्ष डिग्री-पाठ्यक्रमों में 13,860 के बजाय 19,140 और डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों में 25,570 के बजाय 37,390 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के ग्रहकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रम चलाने और कुछ विशेष प्रकार के शिक्षा-संस्थान खोलने की भी व्यवस्था है।

विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य-सरकारों और निजी उद्योगों-द्वारा संचालित विभिन्नों के प्रशिक्षण की योजनाओं के अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थानों में तीसरी योजना की अवधि में 42,000 के स्थान पर 1,00,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। प्रशिक्षकों (इस्ट्रक्टर्स) के प्रशिक्षण के लिए इस समय चार केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थान हैं, जिनमें से एक महिलाओं के लिए है। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में इन चारों संस्थानों का विकास किया जाएगा और तीन नए संस्थान खोले जाएंगे।

3 तीसरी योजना में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए 560 करोड़ रुपये की व्यय-पद्धति है, जिसमें से 142 करोड़ रुपये इंजीनियरी और टेक्नोलाजी-सम्बन्धी तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों पर व्यय किए जाएंगे। पहली और दूसरी योजनाओं में शिक्षा-संस्थानों का कुल व्यय क्रमशः 13 और 19 प्रतिशत भाग तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया था, जब कि तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा पर लगभग 25 प्रतिशत व्यय करने की व्यवस्था है।

शिल्पियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए दूसरी योजना में 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, जब कि तीसरी योजना में इस मद के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण-

मत्स्याओं के विकास, राष्ट्रीय शिष्यता-प्रशिक्षण योजना (नेशनल ट्रेनिंगिग स्कीम), औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मायकासीन वधाओं श्री गिल्ड-प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण के लिए 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

विस्तार-कार्यक्रम

4 दूसरी योजना में इंजीनियरी शिक्षा की सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। इंजीनियरी कालेजों की संख्या 65 से बढ़ कर 100 हो गई है और प्रति वर्ष 5,890 के बजाय 13,860 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने लगा है। डिप्लोमा प्रदान करनेवाले पॉलिटेक्नीकों की संख्या 114 से बढ़ कर 196 हो गई है और इनमें प्रति वर्ष 10,490 के बजाय 25,570 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने लगा है। दूसरी योजना में कुल मिला कर प्रति वर्ष डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या 4,020 से बढ़ कर लगभग 5,700 हो गई और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालों की संख्या 4,500 से बढ़ कर 8,000 से भी अधिक हो गई। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी योजना के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग दूसरी योजना के अन्त तक स्थापित मन्थानों-द्वारा पूरी हो जानी चाहिए। तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक योजना आगामी योजना के लिए आधार तैयार करती है।

5 चौथी योजना के लिए इंजीनियरी डिग्री-धारियों और डिप्लोमा-धारियों की सम्भावित आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में 17 नए इंजीनियरी कालेज खोले जाएंगे, जिनमें 7 प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज होंगे। दूसरी योजना में 8 प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों की व्यवस्था की गई और उनमें से एक को छोड़ कर बाकी सब चल रहे हैं। प्रत्येक प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज में 250 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों में खनिज विज्ञान, धातु-कर्म और रसायन-इंजीनियरी, खादि इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी की विशेष शाखाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। इन शाखाओं में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, प्रशिक्षित कर्मचारियों की काफी संख्या में आवश्यकता होगी। तीसरी योजना में 67 नए पॉलिटेक्नीक खोलने का कार्यक्रम है। इनमें से प्रत्येक पॉलिटेक्नीक में 180 या इससे भी अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। इनके प्रतिरिक्त, जहां कहीं सम्भव होगा, वर्तमान मत्स्याओं की प्रवेश-क्षमता बढ़ाई जाएगी। नीचे की तालिका में अब तक की प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है:

इंजीनियरी कालेजों और पॉलिटेक्नीकों की प्रवेश-क्षमता तथा निकासी

वर्ष	डिग्री-पाठ्यक्रम			डिप्लोमा-पाठ्यक्रम		
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश-क्षमता	निकासी	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश-क्षमता	निकासी
1950-51	49	4,120	2,200	86	5,900	2,480
1955-56	65	5,890	4,020	114	10,480	4,500
1960-61	100	13,860	5,700	196	25,570	8,000
1965-66	117	19,140	12,000	263	37,390	19,000

विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित विस्तार-सम्बन्धी जानकारी इस अध्याय के अनुबन्ध के अन्तर्गत एक विवरण में दी गई है।

6 तीसरी योजना में इजीनियरी और टेक्नोलॉजी की विभिन्न शाखाओं को अग्र-कालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की व्यवस्था है। इसका ब्योरेवार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सामान्यतः पत्र-व्यवहार-पाठ्यक्रम 20 से 35 वर्ष तक की अवस्था के विद्यार्थियों के लिए होंगे। उद्देश्य यह है कि इनसे परिपक्व बुद्धिवाले विद्यार्थी लाभ उठा सकें। अशकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के संचालन से विद्यार्थियों को यह लाभ होगा कि वे इस्टीमेट आफ इजीनियर्स-जैसी सस्याओं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए मुख्यस्थित ढंग में तैयारी कर सकेंगे।

प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अधीन 12 केंद्रों में 1,000 इजीनियरी डिप्लोमा-धारियों को अशकालीन प्रशिक्षण देने की एक प्रारम्भिक योजना तैयार की गई है। ये केंद्र विद्यार्थियों को इस्टीमेट आफ इजीनियर्स के 'एसोसिएट मेम्बरशिप' परीक्षा के भाग 'क' और 'ख' के लिए तैयार करेंगे। दूसरी योजना की अवधि में कलकत्ता और मद्रास में यान्त्रिक इजीनियरी के मध्यवर्ती पाठ्यक्रम तजुर्वे के तौर पर आरम्भ किए गए थे। ये पाठ्यक्रम अन्य केंद्रों में आरम्भ किए जाएंगे—हो सकता है, शिक्षा की नई शाखाओं में भी आरम्भ किए जाए।

7 विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति के कारण यह आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी सस्थानों में गणित-शास्त्र, भौतिक-विज्ञान और रसायन-विज्ञान, आदि दूनियादी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाए। इस बात पर विश्व-विद्यालय-अनुदान-आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिषद्, दोनों ने जोर दिया है। दूसरी योजना के अन्तर्गत रुइकी इजीनियरी विश्वविद्यालय में विज्ञान-मकाय स्थापित किया गया, जिसमें भौतिक-विज्ञान, गणित-शास्त्र, रसायन-विज्ञान, भूगर्भ-विज्ञान और भू-भौतिकी-विभाग खोले गए हैं। टेक्नोलॉजी के सस्थानों में आम तौर पर वैज्ञानिक विषयों के विभागों में सम्पूर्ण साज-सामान की व्यवस्था होती है।

8 इंडियन इस्टीमेट आफ टेक्नोलॉजी, खडगपुर को, जो पहली योजना में स्थापित किया गया था, सन् 1957 में संसद् के एक अधिनियम के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व का सस्थान' घोषित किया गया। इंडियन इस्टीमेट आफ माइन्स, बंगलौर में इजीनियरी की स्नातकोत्तर-शिक्षा भी प्रारम्भ कर दी गई है और मन् 1959 में उसे विश्व-विद्यालय-अनुदान-आयोग-अधिनियम के अनुसार एक विश्वविद्यालय मान लिया गया है। दूसरी योजना की अवधि में बम्बई, मद्रास और कानपुर में भी टेक्नोलॉजी के सस्थान खोले गए हैं।

9 दूसरी योजना में इजीनियरी और टेक्नोलॉजी के स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रम 34 चुने हुए इजीनियरी कालेजों और विश्वविद्यालय-विभागों में आरम्भ किए गए। स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रमों और अनुसन्धान-कार्य की प्रगति पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की गई है। समिति को यह सुझाव भी देना है कि इन क्षेत्र में भावी विकास की रूपरेखा क्या हो। समिति को सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इजीनियरी कालेजों में स्नातकोत्तर-कार्य और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, विभिन्न राज्यों की योजनाओं में व्यवस्था कर दी

गई है, ताकि प्रत्येक मस्थान अनुमन्वान-कार्य प्रारम्भ कर सके। इजीनियरी और टेक्नोलाजी में स्नातकोत्तर-अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को वृत्तिनाए और इजीनियरी के विषयों में अनुमन्वान करनेवालों को छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था की गई है।

10 तीमरी योजना में इजीनियरी और टेक्नोलाजी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दूसरी योजना में कुछ चुने हुए तकनीकी संस्थानों में खनिज विज्ञान, धातु-कर्म, रसायन-इजीनियरी, भू-भौतिकी, पेट्रोलियम-टेक्नोलाजी और औद्योगिक इजीनियरी की शिक्षा की सुविधाए प्रदान की गईं। उनके अतिरिक्त, नगर-आयोजन, भवन-निर्माण, मुद्रण और व्यवसाय-प्रवन्ध विषयों में विद्यार्थियों को सुविधाए प्रदान की गईं। 'मेट्रल स्कूल आफ प्लानिंग एंड आरकिटेक्चर' दिल्ली में 'इस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानिंग' के सहयोग में प्रारम्भ किया गया था। तीमरी योजना में इनका सम्पूर्ण विकास किया जाएगा। इलाहाबाद, बम्बई, कनकता और मद्रान में चार प्रादेशिक मुद्रण-विद्यालय हैं। इनमें 410 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। इन विद्यालयों में मुद्रण और लीथो-कार्य की विभिन्न शाखाओं में अग्रगण्य तथा पूर्णकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। तीमरी योजना में उनका और अधिक विकास किया जाएगा तथा दिल्ली (पोलिटेक्निक में एक केन्द्रीय मुद्रण-विद्यालय की स्थापना-द्वारा अतिरिक्त सुविधाए प्रदान की जाएगी।

इंडियन इस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, खडगपुर, विक्टोरिया जुबिली टेक्निकल इस्टीट्यूट, बम्बई और इंडियन इस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर में औद्योगिक इजीनियरी और औद्योगिक प्रवन्ध के स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए।

कई केन्द्रों में व्यवसाय-प्रवन्ध के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहे हैं। दो अखिल भारतीय प्रवन्ध-संस्थानों की स्थापना की भी योजना है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिषद्-द्वारा नियुक्त एक समिति ने हाल ही में वाणिज्य-शिक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयों का अध्ययन किया है। यह अध्ययन वाणिज्य-स्नातको के रोजगार के वर्तमान अवसरों को आकने और हमारी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप वाणिज्य-शिक्षा की एक समुचित पद्धति सुझाने के लिए किया गया। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि मेट्रिक के बाद या माध्यमिक शिक्षा की दसवी कक्षा के बाद विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य-शिक्षा का एक डिप्लोमा-पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए, ताकि व्यापार और वाणिज्य-प्रशासन के माध्यमिक स्तर के पदों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त हो सकें। यह भी सिफारिश की गई है कि ये पाठ्यक्रम पोलिटेक्नीको और जूनियर कमांडियल स्कूलों में प्रारम्भ किए जाए। समिति ने स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर वाणिज्य-शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था और व्यवसाय-प्रशिक्षण तथा प्रवन्ध-शिक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की हैं।

11 औद्योगिक इजीनियरी की तकनीको और पद्धतियों का उपयोग करने-योग्य प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी तैयार करने के लिए औद्योगिक इजीनियरी में प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

तीसरी योजना में राची के हेवी फाउंड्री और फोर्जिंग कारखाने के सहयोग से, जहां प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और अग्रगण्य शिक्षकों के रूप

में काम करने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इस क्षेत्र में विगोपजो को प्रशिक्षित करने के हेतु राची में 'सेन्ट्रल इस्टीमेट्स आफ फोजिंग ऐंड फाउंड्री इंजीनियरिंग' खोला जाएगा।

12 दूसरी योजना में वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार, निजी उद्योगों और वाणिज्यिक संस्थाओं के संयुक्त और सहकारी प्रयास से हैदराबाद में प्रशासनिक कर्मचारी कालेज की स्थापना की गई।

अधिकांश विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी का पंचवर्षीय समन्वित डिग्री-पाठ्यक्रम आरम्भ करने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना में छात्रावास-सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने, राज्यों में तकनीकी शिक्षा-मंडलों को शक्तिशाली बनाने और कला-सम्बन्धी शिक्षा का विकास करने के कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

13 सन् 1960-61 में लगभग 2,180 इंजीनियरी डिग्री और डिप्लोमा-वारियों को औद्योगिक संस्थाओं और प्रतिष्ठानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाया गया। व्यावहारिक प्रशिक्षण-वृत्तियाँ देने के कार्यक्रम को तीसरी योजना में न केवल जारी रखा जाएगा, बल्कि बढ़ाया जाएगा। अनुमान है कि प्रति वर्ष इंजीनियरी की डिग्री प्राप्त करनेवालों में से 25 प्रतिशत को और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालों में से 12½ प्रतिशत को तीसरी योजना में व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ दिलाई जा सकेंगी, जब कि दूसरी योजना में ये संख्याएँ क्रमशः 12 और 3 प्रतिशत ही थीं। जहाँ तक खनिज उद्योग में प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, इस उद्योग की सहायता से निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वांगीण प्रशिक्षण-कार्यक्रम बनाए जाएंगे। जहाँ कहीं आवश्यकता अनुभव होगी, प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावासों की भी व्यवस्था कर दी जाएगी।

14 दूसरी योजना में तजुबों के तौर पर 14 से 17 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए जूनियर तकनीकी स्कूलों की एक योजना बनाई गई, जिसके अन्तर्गत 38 स्कूल खोले गए। तीसरी योजना में 96 जूनियर तकनीकी विद्यालय और खोले जाएंगे। ये स्कूल काफी हद तक पोलिटेक्नीको से सम्बद्ध होंगे। राज्यों की योजनाओं में लड़कियों और महिलाओं के लिए तकनीकी संस्थानों की भी व्यवस्था है।

15 भारतीय तकनीकी संस्थानों और प्रादेशिक कालेजों में 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। अन्य संस्थानों में इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था बहुत ही कम है। ऐसी भागा है कि तीसरी योजना में यह कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तीसरी योजना में वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त योग्यता के आधार पर और ऋण के रूप में छात्रवृत्तियाँ देने के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना में देश-भर के तकनीकी संस्थानों में शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों में से 14 प्रतिशत से भी अधिक को आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जब कि दूसरी योजना के अन्त तक केवल 5 प्रतिशत को ही सहायता मिल रही थी। अन्य पहलुओं के अतिरिक्त, अधिक छात्रवृत्तियाँ देने का एक लाभ यह भी होगा कि तकनीकी संस्थानों में कुछ हद तक बर्बादी को रोका जा सकेगा, क्योंकि शिक्षा पानेवाले गरीब विद्यार्थी भी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे।

16 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है, तकनीकी संस्थानों में

विद्यार्थियों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त पाठ्य-पुस्तकों उपलब्ध कराना, देश में ही उन पुस्तकों को तैयार कराना और उन्हें विदेशी पुस्तकों उपलब्ध कराना। इस समय इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।

शिक्षक

17 तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि पर्याप्त संख्या में योग्यता-प्राप्त शिक्षक मिले। इस समय इंजीनियरी कालेजों और पॉलि-टेक्नीकों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए बहुत-से उपायों पर विचार किया जा रहा है। दूसरी योजना में देश तथा विदेशों में जो शिक्षक-प्रशिक्षण-कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, उनका और विकास किया जाएगा। तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के वेतन-क्रम बढ़ाए जा रहे हैं और उनकी सेवाओं की सामान्य शर्तों में सुधार किया जा रहा है। ऐसी योजनाओं को अवैकांगिक बढ़ाया जाना चाहिए, जिनके अन्तर्गत शिक्षकों को अग्रिम नियुक्ति की जा सके और संस्थानों में शिक्षा-कार्य के लिए सामान्य संख्या में अधिक पदों को स्वीकृति दी जा सके। इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी में स्नात-कोत्तर-अध्ययन का विकास होने के फलस्वरूप शिक्षण-कार्य के लिए पहले से अधिक संख्या में विशेषज्ञ और अनुसन्धान-सम्बन्धी योग्यतावाले व्यक्ति मिल सकेंगे। संस्थानों के लिए यह वांछनीय है कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्य करनेवाले इंजीनियरों और कार्यपालक अधिकारियों को अद्यकालीन शिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए आमन्त्रित करें। प्रदान-प्रमाण-पाठ्यक्रमों तथा गोष्ठियों से प्रत्येक स्तर के शिक्षण-कार्य को उन्नत किया जा सकता है।

शिल्पियों का प्रशिक्षण

18 औद्योगिक विकास के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि कुशल कर्मचारियों या शिल्पियों की संख्या में समुचित वृद्धि ही जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उनकी कारीगरी में गुण की दृष्टि से उत्तरोत्तर सुधार होता जाए। विशिष्ट कौशल और तत्सम्बन्धी प्रक्रियाओं को समझने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसलिए विभिन्न देशों में व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश के लिए अनिवार्य निम्नतम योग्यता और सामान्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की प्रवृत्ति रही है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तीसरी योजना में 13 लाख शिल्पियों की आवश्यकता होगी—8,10,000 की इंजीनियरी व्यवसायों में और शेष की ग्रैर-इंजीनियरी व्यवसायों में। इस समय शिल्पियों या कुशल कर्मचारियों और कामगारों को कई प्रकार के संस्थानों में विभिन्न ढंगों से प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें से शामिल हैं (1) थम तथा नियोजन-मन्त्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण-मन्त्रालय, (2) प्रतिरक्षा, रेल, डाक-तार, आदि मन्त्रालयों के विभाग एवं संस्थाएँ और नाविक-प्रतिष्ठान, जिनमें प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, (3) राज्यों के उद्योग-विभागों और वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय-द्वारा उद्योगों के लिए प्रदत्त प्रशिक्षण-सुविधाएँ, (4) सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों के प्रशिक्षण-केंद्र, (5) निजी तौर पर बनाए जानेवाले

असल्य औद्योगिक स्कूल, और (6) एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से कारीगरी सीखने का परम्परागत तरीका।

19 आजकल जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें विधिवत प्रशिक्षण-प्राप्त गिल्पियों की पहले से कहीं अधिक सख्या में आवश्यकता है। पहली योजना के अन्त में श्रम तथा नियोजन-मन्त्रालय-द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 59 प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा चुके थे। इनमें लगभग 10,500 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। दूसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण-केन्द्रों की सख्या 167 हो गई थी, जिनमें 42,000 व्यक्तियों को प्रवेश मिल सकता था। इसके अतिरिक्त, विस्थापित लोगों के लिए प्रशिक्षण की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना में लगभग 57,850 गिल्पियों को प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ जुटाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार कुल सख्या लगभग एक लाख हो जाएगी। तीसरी योजना के अन्त तक शिल्पी-प्रशिक्षण-केन्द्रों की सख्या लगभग 318 हो जाएगी। इन सुविधाओं के विस्तार का राज्यवार कार्यक्रम अनुबन्ध में दिया गया है। आशा है कि राष्ट्रीय शिष्यता-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत लगभग 12,000 व्यक्तियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, शिष्यता-प्रशिक्षण को शीघ्र ही अनिवार्य कर दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में विधान बनाया जा रहा है।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सायकलीन कक्षाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप 11,000 से भी अधिक व्यक्तियों को प्रवेश मिलने लगेगा, जब कि इस समय लगभग 2,000 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल पाता है। गिल्पियों के प्रशिक्षण में 'ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स' के वाद एक 'हायर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स' की भी व्यवस्था की जाएगी। यह कोर्स व्यवसाय-विशेष को दृष्टि में रखते हुए 6 से 12 महीने तक की अवधि का हो सकता है।

20 रेल और प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों की आवश्यकताएँ उनके अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रमों से पूरी की जा रही हैं। रेल-विभाग में अर्द्धकुशल और अकुशल, दोनों प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ हैं। जिन औद्योगिक कर्मचारियों के पास व्यवसाय-विशेष में कोई मान्यता-प्राप्त योग्यता नहीं है, उनके लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्-द्वारा आयोजित परीक्षाएँ देकर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने की व्यवस्था है। तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों और बहुल-में निजी उद्योगों में अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण-सुविधाओं का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है। उन व्यवसायों के लिए, जो उपर्युक्त योजनाओं में नहीं आते, राज्यों के उद्योग-विभाग लघु उद्योग-कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण-योजनाओं का संगठन करेंगे। ये योजनाएँ व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्-द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार बनाई जाएगी। लघु उद्योग-सेवा-संस्थानों और उनके विस्तार-केन्द्रों-द्वारा प्रदान की जानेवाली प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि प्रबन्धकों, निरीक्षकों और विस्तार-कर्मचारियों की मांग पूरी हो सके। कई केन्द्रीय मन्त्रालयों और उनसे सम्बद्ध विभागों में कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक

प्रशिक्षण के विद्योप कार्यक्रमों की व्यवस्था है। इनमें राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, परमाणु-यक्ति-प्रतिष्ठान, सिन्धाई तथा विजली-मन्त्रालय, भाग्यतीय अन्तु-विज्ञान-विभाग और आकाशवाणी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त अखिल भारतीय नयु उद्योग-मंडलों—नारियल-जटा, रेशम हथकरघा और हस्तशिल्प—तथा नारी शो-गानोयोग-प्रयोग-द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के कुशल तथा अर्द्धकुशल उन्मोचार्थियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् शिल्पियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का समन्वय करेगी और उन्हें अधिक उपयोगी बनाएगी।

21 औद्योगिक प्रशिक्षण-मस्थानों और अन्य मस्थानों में शिल्पियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक धंधों के शिल्प-प्रशिक्षणों की आवश्यकता होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए दूरगो योजना के अन्त तत्कालता, अम्बई और कानपुर में तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण-मस्थान खोले गए थे। इनके खुल जाने से कुल प्रवेश-क्षमता 500 में भी अधिक हो गई है। इनके अतिरिक्त, महिला प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण-मस्थान है। तीनरी योजना में इन मस्थानों की प्रवेश-क्षमता 1,000 में भी अधिक हो जाएगी। इनके अतिरिक्त, मद्रास, हैदराबाद और लुधियाना में तीन नए मस्थान खोले जाएंगे, ताकि तीनरी योजना के अन्त तत्काल विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण के लिए लगभग 1,800 व्यक्तियों को प्रवेश मिलने लगे। ऐसा अनुमान है कि तीनरी योजना में इन मस्थानों में लगभग 7,800 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

तकनीकी संस्थाओं का राज्यवार ब्योरा : 1960-61 और 1965-66

राज्य	इजीनियरी कालेज						वोल्टेज्जनीक						औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान					
	1960-61		1965-66		1960-61		1965-66		1960-61		1965-66		1960-61		1965-66			
	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1 आन्ध्रप्रदेश	8	1,060	9†	1,210	19	2,473	20	2,593	10	2,834	18	5,314						
2 अरुम	2	240	3	550	3	480	6	1,080	6	1,166	12	2,966						
3 बिहार	7	1,346	7	1,480	11	1,620	16	2,700	15	2,932	27	11,880						
4 गुजरात	5	1,055	6	1,325	12	1,610	16	2,150	12	1,720	18	4,232						
5 जम्मू और कश्मीर	1	120	1	120	2	240	2	240	2	328	5	1,016						
6 केरल	5	580	7†	1,040	11	1,494	12	2,044	6	2,048	10	4,968						
7 मध्यप्रदेश	7	1,085	8	1,385	13	1,352	18	1,982	8	2,980	14	6,020						
8 मद्रास	12	1,332	14†	2,142	24	3,090	27†	3,790	10	2,480	24	6,012						
9 महाराष्ट्र	10	1,515	12	2,155	16	2,155	22	2,915	18	4,210	30	10,386						
10 मेगूर	11	1,155	11	1,545	24	2,885	26	3,245	13	2,170	18	4,694						

टिप्पणी - टेक्नोलॉजी-संस्थान-जैसे अखिल-भारतीय संस्थानों को उन राज्यों में विलाया गया है, जहाँ वे स्थित हैं।

† तीसरी योजना में आरम्भ की जानेवाली निजी संस्थाएँ भी शामिल हैं।

अनुसूच्य—(जातीय)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11. उद्योग	1	120	2	430	6	880	8	1,180	7	1,440	13	2,512
12. पञ्जाब	6	585	7	955	11	1,480	20	2,740	17	3,546	32	7,970
13. राजस्थान	3	405	4	770	5	760	8	1,330	6	1,264	17	3,712
14. उत्तरप्रदेश	11	1,152	13	1,842	18	2,182	31	4,492	15	5,904	48	16,304
15. पश्चिम-बंगाल	10	1,578	12†	1,878	17	2,510	24	3,770	11	3,884	18	7,896
16. दिल्ली	1	200	1	310	1	60	3	720	7	1,684	8	3,008
17. हिमाचलप्रदेश	—	—	—	—	1	120	1	120	2	202	3	598
18. मणिपुर	—	—	—	—	1	60	1	60	1	96	1	184
19. पाटीचैरी	—	—	—	—	—	—	1	60	—	—	—	—
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	1	120	1	180	1	248	2	312
योग	100†	13,858	117	19,137	196†	25,571	263	37,391	167	42,136	318	99,984

† तीसरी योजना में आरम्भ की जानेवाली निली संस्थाएं भी शामिल हैं।

‡ सन् 1960-61 तक आरम्भ किए गए सभी संस्थान सम्मिलित हैं।

वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान

(1)

वैज्ञानिक अनुसन्धान की भूमिका

किमी देश के विकास में वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान का बुनियादी महत्व होता है। इसके कारण फलसे पहले से बढ़िया और अधिक मात्रा में हुई हैं, रोगों की रोक-थाम और इलाज-द्वारा जनता के स्वास्थ्य में उन्नति हुई है, जल, स्थल और वायु, तीनों प्रकार के परिवहन-माधनों का विकास हुआ है तथा उनकी रफ्तार में वृद्धि हुई है, और इन सबके माध्यम-माध्यमों लोको के लिए अधिक सख्या में तथा विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 'शान्ति के लिए परमाणुओं का प्रयोग' और 'अन्तरिक्ष की खोज' इस अनुसन्धान की नवीनतम चुनौतिया हैं।

2 विज्ञान और टेक्नोलाजी की प्रगति तथा उसके साथ-साथ द्रुत गति से हुए विकास के कारण ही अधिक उन्नत देशों में रहन-सहन का स्तर उच्च हुआ है। नवीन वैज्ञानिक ज्ञान का प्रवाह अबाध है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसके अन्तर्गत शूद्र तथा व्यावहारिक, दोनों प्रकार के अनुसन्धान आते हैं। शुद्ध अनुसन्धान से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रकृति तथा उसके नियमों की जानकारी मिलती है। इसी वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर व्यावहारिक अनुसन्धान का कार्य चलाया जाता है। नए उत्पादन और नई प्रक्रियाओं में नए सिद्धान्त और नए विचार अपनाए जाते हैं। टेक्नोलाजी की प्रगति विज्ञान के समक्ष नई समस्याएँ प्रस्तुत करती है और साथ ही उन समस्याओं को मूलज्ञान के लिए नए उपकरण भी प्रदान करती है।

3 दूसरे महायुद्ध के समय से अधिक उन्नत देशों में वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान का कार्य काफी बढ़ा है। इन देशों की अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक अनुसन्धान का स्थान बड़े महत्व का है और उसे हर प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है। अनुसन्धान के क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ इस कार्य पर उत्तरोत्तर अधिक धन लगाया जाता है, वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए गहरी खोज की जाती है, अनुसन्धान-कार्यकर्ताओं की मर्यादा और योग्यता में उन्नति होती है, अनुसन्धान-कार्य तेजी से किए जाते हैं और उनके परिणामों तक पहुँचने में कम समय लगता है। अधिक उन्नत देशों में अनुसन्धान के विकास का एक और प्रतिफल यह है कि उनमें तथा कम उन्नत देशों में जो अन्तर है, वह बढ़ता जा रहा है। हमारे देश भारत को अधिक उन्नत देशों के बराबर आना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान का विकास करना होगा और अपने विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों को विज्ञान के सहारे बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें अधिक प्रयास करना होगा।

4 वैज्ञानिक अनुसन्धान पर हम जो-कुछ व्यय करते हैं, वह देश की समृद्धि के लिए महान् और स्थायी योगदान है। उदाहरणार्थ, हम कह सकते हैं कि भारत में चीनी और कपास के उत्पादन में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वह मुख्यतः पीछे

की नस्लों से सम्बन्धित तकनीकी अपनाने के कारण है। अधिक उन्नत देशों में सरकार के अतिरिक्त उद्योगो-द्वारा अनुसन्धान के लिए बड़ी मात्रा में धन लगाया जाता है। उद्योग अनुसन्धान पर धन खर्च करते हैं और बदले में अनुसन्धान उद्योगो को उन्नत करता है, इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित होता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उद्योगो की ओर से इस समय जो कार्य किया गया है, वह अर्थव्यवस्था की उन्नति और योजनावद्ध विकास के कारण उपलब्ध अवसरों की दृष्टि से समुचित नहीं है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उत्तरोत्तर अधिक धन की व्यवस्था की गई है। कृषि, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सुविधाओं, कच्चे माल की तलाश और तैयारी, एक प्रकार के कच्चे माल के स्थान पर दूसरे प्रकार के माल की उपलब्ध, और उद्योग, परिवहन, विजली, संचार-साधन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए उपकरण और तकनीक प्रस्तुत करने में जो उन्नति हुई है, उससे यह पता चलता है कि हमें वैज्ञानिक अनुसन्धान पर लगाए गए धन से कई गुना अधिक लाभ हुआ है। वर्तमान उद्योग-धन्ने चलाने तथा नए उद्योग-धन्ने आरम्भ करने के लिए आवश्यक सामग्रियों का आयात करने का जो बोझ हम पर पड़ा है, उसे हम अनुसन्धान के द्वारा उत्तरोत्तर कम कर सकेंगे और साथ ही अनुसन्धान हमारे निर्यात को बढ़ाने और तकनीकी योग्यता तथा जानकारी में वृद्धि करने में भी सहायक होगा।

5 वैज्ञानिक नीति के लक्ष्य : मार्च 1958 के वैज्ञानिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में भारतीय वैज्ञानिक नीति के लक्ष्य निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए गए हैं -

- (1) तमाम उपयुक्त साधनों-द्वारा विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के शुद्ध, व्यावहारिक एवं शैक्षणिक, तीनों पक्षों के विकास को ध्यान में रखना, समुन्नत करना और बनाए रखना,
- (2) देश-भर में समुचित सख्या में उच्चतम योग्यता रखनेवाले अनुसन्धान-कर्ता वैज्ञानिकों की सेवाएँ उपलब्ध कराना और उन वैज्ञानिकों के कार्य को राष्ट्र की शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग मानना,
- (3) विज्ञान तथा शिक्षा, कृषि तथा उद्योग, और प्रतिरक्षा-सम्बन्धी देश की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से समुचित रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को यथासम्भव शीघ्रतापूर्वक आरम्भ करना और बढ़ावा देना,
- (4) पुरुषों और स्त्रियों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करने के पूर्ण अवसर जुटाना,
- (5) शिक्षा के स्वतन्त्र वातावरण में नवीन ज्ञान की खोज और ज्ञान की प्राप्ति तथा उसके प्रसार के लिए व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन देना, और सामान्य रूप से
- (6) ऐसा नूनिद्विचत वातावरण तैयार करना, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का नमस्त जनता के हित के लिए प्रयोग किया जा सके।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने यह निश्चय किया कि वैज्ञानिकों के लिए सेवा की शर्तें ऋद्धी रखी जाए, नीति-निर्धारण के कार्य में उनका सहयोग लिया जाए और उन्हें राष्ट्रीय जीवन में नम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए।

6 अनुसन्धान कार्यक्रम: पहली पंचवर्षीय योजना में अग्रिक ध्यान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसन्धान-संस्थानों के निर्माण की ओर दिया गया। दूसरी योजना में उपलब्ध सुविधाओं का विकास किया गया, अनुसन्धान के कार्यक्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया गया, तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य अनुसन्धान-केन्द्रों में अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाया गया। तीसरी योजना में वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान-कार्यक्रम विशेषतः निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाएगा

- (1) वर्तमान अनुसन्धान-संस्थानों को मजबूत बनाना और अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं में यथावश्यक वृद्धि करना, ताकि विस्तृत क्षेत्र में अनुसन्धान किया जा सके,
- (2) विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना,
- (3) इंजीनियरी और टेक्नोलाजी में अनुसन्धान के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन देना,
- (4) अनुसन्धान-कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और अनुसन्धान-शिष्यवृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को बढ़ाना,
- (5) वैज्ञानिक और औद्योगिक श्रौंजारों के निर्माण और विकास के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना,
- (6) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, वैज्ञानिक सघों की प्रयोगशालाओं तथा सरकारी विभागों के अनुसन्धान-संगठनों में किए जानेवाले अनुसन्धान-कार्य में समन्वय स्थापित करना, और
- (7) प्रायोगिक उत्पादन-सयन्त्रों तथा बड़े पैमाने के परीक्षणों, आदि के आधार पर आजमाइश करने के बाद अनुसन्धानों के परिणामों को प्रयोग में लाना।

7 प्रथम दो योजनाओं की अग्रवि में हुए विकास के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक अनुसन्धान-संस्थानों का एक विस्तृत जाल-सा बिछ गया है, और बहुत-से केन्द्रों में शुद्ध अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान तथा विशिष्ट अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यतः विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिक संस्थाओं तथा सघों की प्रयोगशालाओं में शुद्ध विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद् तथा देश-भर के विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में बुनियादी अनुसन्धान को बढ़ावा दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, सहकारी औद्योगिक अनुसन्धान-सघों तथा कुछ औद्योगिक उपक्रमों में व्यावहारिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा है।

कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, टेक्नोलाजी-सम्बन्धी संस्थानों, विश्वविद्यालयों ने नम्यद इंजीनियरी कालेजों और सड़क, रेल, भवन-निर्माण, सिंचाई, विजली, मचार-मानन, उड्डयन, आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सहकारी विभागों के अनुसन्धान-संगठनों में इंजीनियरी के निपयों पर अनुसन्धान किया जा रहा है।

भारतीय खान-संस्था, भारतीय मूल्य-सर्वेक्षण-संस्था, राष्ट्रीय वातुर्कर्म-प्रयोग-शाला, केन्द्रीय डैक्शन-अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय खनिज अनुसन्धान-केन्द्र और तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग-द्वारा खनिज विज्ञान में अनुसन्धान किया जा रहा है।

चिकित्सा-अनुसन्धान का कार्य मुख्यतया भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान-परिषद्-द्वारा किया जाता है। परिषद् बहुत नए केन्द्रों की अनुसन्धान-योजनाओं का समारम्भ कराती है तथा उनका समन्वय करती है।

भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् तथा जिन्य-समितियां कृषि-अनुसन्धान के कार्यों का समारम्भ कराती हैं और उनका समन्वय करती हैं। यह कार्य केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों की ओर से चलाए गए अनेक संस्थानों और अनुसन्धान-केन्द्रों में किया जाता है।

परमाणु-शक्ति तथा आइसोटोपों में सम्बन्ध रखनेवाला अनुसन्धान तथा विकास-कार्य परमाणु-शक्ति-विभाग की देख-रेख में ट्रान्से के परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में परमाणु-शक्ति-विभाग के न्यूक्लियिक अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

8 वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी-विषयक अनुसन्धान के लिए साधन : नीचे दी गई तालिका में केन्द्रीय सरकार की ओर से वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी-विषयक अनुसन्धान के विकास के लिए किया गया व्यय और तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर प्रस्तावित व्यय दिखलाया गया है।

(करोड़ रुपये)

	दूसरी योजना (अनुमानित व्यय)	तीसरी योजना
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् (इसमें बड़े पैमाने के प्रयोग भी शामिल हैं) तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मन्त्रालय	20	35
परमाणु-शक्ति-विभाग	27	35
कृषि-अनुसन्धान	13 8	26 4
चिकित्सा-अनुसन्धान	2 2	3 5
अन्य केन्द्रीय मन्त्रालय (प्रतिरक्षा को छोड़कर) के अनुसन्धान	9	30 89
योग	72	130

तीसरी योजना की अवधि में प्रस्तावित व्यय के अतिरिक्त 75 करोड़ ₹० दूसरी योजना के अन्त तक आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने पर खर्च किए जाएंगे।

9 वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी-विषयक अनुसन्धान के सम्बन्ध में पहली दो योजनाओं की प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों का लेखा-जोखा निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत आगे दिया गया है।

- (1) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ;
- (2) वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय,
- (3) परमाणु-शक्ति-विभाग,
- (4) कृषि तथा उनमें सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसन्धान,

- (5) चिकित्सा-अनुसन्धान,
- (6) अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम .
 - (क) सिचाई और बिजली ,
 - (ख) परिवहन और निर्माण,
 - (ग) खनिज पदार्थ,
 - (घ) संचार,
- (7) चीनी, पटसन तथा अन्य उद्योग,
- (8) विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नोलाजी के संस्थानों में (जिनमें इजीनियरी अनुसन्धान और अक-सकलन-सम्बन्धी संस्थान शामिल हैं) अनुसन्धान,
- (9) वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग,
- (10) वैज्ञानिक श्रृंखार, और
- (11) मानकीकरण, श्रेणी-नियन्त्रण और उत्पादकता।

(2)

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्

10 प्रगति का लेखा-जोखा : वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् अपनी प्रयोगशालाओं और संस्थानों में अनुसन्धान-कार्य करती है और विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसन्धान-संस्थानों के लिए अनुसन्धान-योजनाओं का समारम्भ कराती है।

11 इस समय 23 राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रयोगशालाओं में मुख्यतः व्यावहारिक अनुसन्धान-कार्य किया जाता है। दूसरी योजना में केन्द्रीय मैकेनिकल इजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला और असम की प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला नामक नई प्रयोगशालाएं आरम्भ की गईं। इनके अतिरिक्त, तीन वर्तमान प्रयोगशालाओं का कार्य-संचालन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ने अपने हाथ में ले लिया। इन प्रयोगशालाओं के नाम इस प्रकार हैं—भारतीय जीवरसायन और प्रायोगिक चिकित्सा-संस्था, प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला, हैदराबाद और प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला, जम्मू। कलकत्ता में विडला औद्योगिक और टेक्नोलाजी-विषयक सग्रहालय की स्थापना की गई है। परिषद् ने औपवीय वनस्पति की उपज बढ़ाने के लिए केन्द्रीय भारतीय औपवीय वनस्पति-संगठन की और वैज्ञानिक श्रृंखार बनाने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक श्रृंखार-संगठन की भी स्थापना की है।

12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कच्चे माल का सर्वेक्षण और अकलन किया गया है तथा विदेशों से मंगाए जानेवाले तथा देश में कम पाए जानेवाले कच्चे माल के स्थान पर प्रयोग की जा सकनेवाली सामग्री के उत्पादन का विकास किया गया है। निर्माण-विधियों को उन्नत किया गया है और बहुत-से नए उत्पादनों का विकास किया गया है। इन सम्बन्ध में जिन चीजों के उत्पादन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैं—अन्न-अवशेष की इन्वुलेटिंग ईंटों का निर्माण, देसी चूने

माल से चश्मे, आदि बनाने के काम आनेवाले काच का उत्पादन, निकल-रहित स्टेनलेस इस्पात और सिक्के बनाने के काम आनेवाले धातु मिश्रण का विकास, एक प्रायोगिक सयन्त्र पर घटिया किस्म के खनिज लोहे से लोहे का उत्पादन करने और अघातुकर्मीय कोयले का उत्पादन करने के लिए नीची शैफ्टवाली भट्ठी की स्थापना, बहुप्रयोजनीय खाद्य, खली तथा दूसरे अनाजों पर आधारित प्रोटीनमय खाद्य, मक्खन निकले हुए मैस के दूध से बनाए गए वच्चो के आहार, सूखे फलों से बनाई गई चीजें, तम्बाकू-अवशेष से निकोटीन सल्फेट का उत्पादन, इमली के बीजों से बनाए गए 'पोल्योसैस', काजू के छिलके से निकलनेवाले लाल पदार्थ से आयन-विनिमयकारी रेजिन का उत्पादन, घटिया किस्म के कोयले से रंग-विरोधी एवं आयन-विरोधी क्राबन निकालना, लकड़ी के बुरादे और दूसरे लिग्नी-सेल्युलोजिक फालतू पदार्थों से भवन-निर्माण के काम आनेवाले तर्त बनाना, मिट्टी के कठन्सर का निर्माण, यातायात-नियन्त्रण के लिए स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र की तैयारी और बधिर वच्चो के लिए समूह-श्रवण सहायक यन्त्र का निर्माण। कोयला, मैंगनीज और अन्य धातुओं का स्तर ऊँचा करने की विधियाँ का भी विकास किया गया है।

13 परिपद् ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त देश-भर में बहुत-से अनुसन्धान-केन्द्रों और इकाइयों की स्थापना की है। सुगन्धित तेल के पौधों की खेती के विकास के लिए लगभग पांच अनुसन्धान-संस्थान केवल सुगन्धित तेलों के सम्बन्ध में शोध कर रहे हैं, दिल्ली के चन्द्रावल वाटर वर्क्स में एक जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान-केन्द्र और एक बर्पा तथा मेघ-सम्बन्धी भीतिकी अनुसन्धान-इकाई काम कर रही है। गैस-ट्रवाइनों, वात-शक्ति, औपवीय वनस्पति और भूचाल-इंजीनियरी, आदि के लिए भी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

14 परिपद् विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसन्धान-योजनाओं का समारम्भ भी कराती है और विभिन्न अनुसन्धान-योजनाओं के लिए सहायता-अनुदान देती है। ये अनुदान परिपद् की विभिन्न विषयों पर काम करनेवाली 13 अनुसन्धान-समितियों की सलाह पर दिए जाते हैं। इन समितियों में विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-संस्थानों, उद्योगों तथा सम्बद्ध सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। सन् 1960-61 में 90 विभिन्न केन्द्रों में 360 से भी अधिक अनुसन्धान-योजनाएँ आरम्भ की गईं।

15 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद् में एक राष्ट्रीय रजिस्टर-इकाई है, जो देश-भर के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखती है। यह इकाई विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले भारतीय वैज्ञानिकों को एक अलग सूची भी रखती है।

छोटे और बड़े दर्जों की अनुसन्धान-शिष्यवृत्तियाँ देने की एक योजना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद् ने आरम्भ की है। ये शिष्यवृत्तियाँ राष्ट्रीय प्रयोग-शालाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के विद्यार्थी भी प्राप्त कर सकते हैं।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद् में एक वैज्ञानिक समुच्चय भी है, जो विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए वैज्ञानिकों को अस्थायी तौर पर कार्य

दिलाता है और जब तक उन्हें उन विषयों से सम्बन्धित कार्य नहीं मिल जाता, जिनमें कि वे विशेषज्ञ हैं, तब तक उन्हें उपयुक्त कार्य दिलाता रहता है। इस वैज्ञानिक समुच्चय की क्षमता हाल में 100 से बढ़ा कर 200 कर दी गई है।

सेवा-नियुक्त अनुसन्धान-कार्य करनेवाले वैज्ञानिकों को अपने सक्रिय अनुसन्धान जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना सन् 1958 में आरम्भ की गई थी।

16 औद्योगिक अनुसन्धान : परिपक्व की यह नीति रही है कि उद्योग-सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान करने के लिए उद्योगों-द्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-संघों को प्रोत्साहन दिया जाए। इस नीति के अनुसार, परिपक्व ने रेशम तथा नकली रेशम, रबर और रजक-उद्योगों-द्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-इकाइयों तथा भ्रमदावाद, चर्मई और कोयम्बतूर में वस्त्र-उद्योग-अनुसन्धान-एसोसिएशन-द्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-इकाइयों को सहायता दी है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने विभिन्न उद्योगों को तकनीकी सलाह और परीक्षण की सुविधाएँ प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं ने अप्राप्य कच्चे माल के स्थान पर प्रयोग करने-योग्य सामग्री की जाच करने में भी सहायता दी है। परिपक्व औद्योगिक संघों, वाणिज्य-चेम्बरों और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के तकनीकी विभागों से सम्पर्क रखती है, ताकि समस्याओं का सही ज्ञान हो सके और उपयुक्त प्रयोगशालाओं में उनका अध्ययन किया जा सके। उद्योगों से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए औद्योगिक सम्पर्क-कार्यालयों की भी स्थापना की गई है।

17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्यक्रम : प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने अपने कार्य का लेखा-जोखा किया है और तीसरी योजना के लिए विकास-कार्यक्रम बनाए हैं। इन कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख बातों का संक्षेप में यहाँ जिक्र कर देना उचित होगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रेडियो के हिस्सों के विकास के लिए एक प्रायोगिक सयन्त्र के स्तर पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की ओर से रगई की सामग्री तथा अकार्बनिक अन्तरायाको और सुगन्धित तेलों से सम्बद्ध नए विभाग शुरू किए जाएंगे और बहुत-सी नई प्रायोगिक सयन्त्र-परियोजनाएँ आरम्भ की जाएगी। राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला मिश्र इस्पात के लिए और विभिन्न परिस्थितियों में क्षरण की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना करेगी। केन्द्रीय डेवन-अनुसन्धान-संस्था घटिया किस्म के कोयले का उपयोग करने के सम्बन्ध में कार्य करेगी और बड़े पैमाने पर प्रायोगिक सयन्त्र पर परीक्षण आरम्भ करेगी। काच और मृत्तिका-संस्था चरम, आदि बनाने के काम आनेवाले काच के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक सयन्त्र और अन्नक से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए एक अलग शाखा स्थापित करेगी। केन्द्रीय औषध-अनुसन्धान-प्रयोगशाला की कीटाणुनाशक तथा बद्धिया रसायनों के लिए एक विभाग खोलेगी। केन्द्रीय खाद्य-टेक्नोलॉजी अनुसन्धान-संस्था फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए कुछ प्रादेशिक केन्द्र खोलेगी। केन्द्रीय सड़क-अनुसन्धान-संस्था पुल-निर्माण-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए एक नए विभाग की स्थापना करेगी। केन्द्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्धान-संस्था पाच प्रादेशिक अनुसन्धान-इकाइयाँ आरम्भ करने का विचार रखती है। केन्द्रीय चर्म-अनुसन्धान-संस्था

की श्रौर से भी प्रादेशिक विस्तार-केन्द्र खोले जाएंगे। केन्द्रीय विद्युत-रसायन-अनुसन्धान-संस्था क्षरण तथा रसायन-भौतिकी पर अनुसन्धान करने के लिए नए विभाग खोलेंगे। केन्द्रीय नमक-अनुसन्धान-संस्था 'एल्गोलाजी' पर कार्य करेगी और 'साल्ट-विटर्न्स' से उपोत्पादन प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजनाएँ आरम्भ करेगी।

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेख-केन्द्र का विस्तार किया जाएगा, ताकि वह वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के राष्ट्रीय सूचना-केन्द्र के रूप में काम कर सके।

दूसरी योजना में जो संस्थान आरम्भ किए गए थे, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं - दुर्गापुर की केन्द्रीय मेकैनिकल इंजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, नागपुर की केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, बंगलोर की राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, असम की प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला, केन्द्रीय भारतीय औपघीय वनस्पति-संगठन और केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-संगठन। तीसरी योजना में इन संस्थानों में हर प्रकार के साज-सामान की व्यवस्था की जाएगी।

18 तीसरी योजना में नए अनुसन्धान-संस्थान : तीसरी योजना में बहुत-से नए संस्थान और अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। इन संस्थानों में पेट्रोलियम-संस्था, राष्ट्रीय जीवविज्ञान-प्रयोगशाला और एक प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला भी शामिल हैं।

पेट्रोलियम तथा इससे बनाई गई चीजों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए देहरादून में पेट्रोलियम-संस्था स्थापित की जा रही है।

राष्ट्रीय जीवविज्ञान-प्रयोगशाला में शरीर-विज्ञान 'साइटोलाजी' तथा प्रजनन-विज्ञान, प्रायोगिक भ्रूण-विज्ञान जीवाणु-विज्ञान, विषाणु-विज्ञान तथा उपचार-विज्ञान, जीव-भौतिकी तथा 'बायोमेट्री' और जीव-रसायन-विज्ञान के विभाग खोले जाएंगे।

रुड़की की केन्द्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्धान-संस्था की बम्बई-स्थित प्रादेशिक इकाई के साथ एक अग्नि-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस केन्द्र में आग लग जाने की समस्याओं पर अनुसन्धान किया जाएगा और यह केन्द्र आग लग जाने के खतरी से बचने की समस्याओं पर सलाह देगा।

भवनों पर भूचाल के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में अध्ययन करने तथा भूचाल-सह भवनों के डिजाइन बनाने के लिए दूसरी योजना में रुड़की में जो भूचाल-इंजीनियरी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया गया था, उसको और सुगठित किया जाएगा।

राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला, जमशेदपुर, में नीची शैफ्टवाली भट्ठी की परियोजना के अन्तर्गत एक मार्गदर्शक सयन्त्र स्थापित किया गया था। यह सयन्त्र कोक बनानेवाले कोयले का प्रयोग किए बिना लोहा-उत्पादन का परीक्षण करने के लिए स्थापित हुआ था। लौह-मिश्र धातुओं का उत्पादन करने के लिए इन सयन्त्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत नीची शैफ्टवाली भट्ठी की गैस से घटिया दर्जेवाली कच्ची मैंगनीज की किस्म को बढ़िया करने तथा परिसुद्ध लोहे के उत्पादन का भी काम किया जाएगा।

तीसरी योजना में स्वचालित वाहनों, सीमेंट, गढाई, छगई, खाद्य तथा सम्बद्ध उद्योगों के लिए सहकारी अनुसन्धान-मध्य स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(3)

वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय

19 भारतीय सर्वेक्षण-संस्था, राष्ट्रीय एटलस-संगठन, वनस्पति-विज्ञान तथा प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-संस्थाओं और केन्द्रीय भूभौतिकीय मडल-जैसे अनुसन्धान-संगठनों का विकास करने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए अनुदान देने का काम वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय करता है।

20 भारतीय सर्वेक्षण-संस्था - पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में मानक पैमाने पर देश में 1 66 लाख वर्ग मील क्षेत्र का विभागीय सर्वेक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, पश्चिम-पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा-रेखा के निर्धारण का कार्य अधिकांशतः पूरा कर लिया गया। इस संस्था ने 150 में भी अधिक नदी-घाटी, बाढ़-नियन्त्रण तथा औद्योगिक परियोजनाओं के सिलसिले में लगभग 1,10,000 वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए गए अध्ययनों में भारतीय सर्वेक्षण-संस्था ने भाग लिया। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के सर्वेक्षण-कार्य तथा उनके मानचित्र बनाने के काम की भारी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण-संस्था ने विस्तार, यन्त्रीकरण और आधुनिकीकरण की एक योजना बनाई है। तीसरी योजना की अवधि में भारतीय सर्वेक्षण-संस्था 'कार्टोग्राफी', 'ज्योडेसी' और 'फोटोग्रामेट्री' के लिए अलग-अलग अनुसन्धान-प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार रखती है।

21 राष्ट्रीय एटलस-संगठन : राष्ट्रीय एटलस-संगठन की मजूरी सन् 1956 में दी गई थी। इसके सामने बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस संस्था ने भारत के राष्ट्रीय एटलस का प्रारम्भिक हिन्दी-संस्करण निकाल दिया है और आजकल मुख्य संस्करण की तैयारी में व्यस्त है। यह संस्था जनसंख्या, प्रकृति, परिवहन, इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के मानचित्र धारावाहिक रूप से निकालने का विचार रखती है।

22 भारतीय वनस्पति-विज्ञान-सर्वेक्षण संस्था : भारतीय वनस्पति विज्ञान-सर्वेक्षण-संस्था ने तीसरी योजना के लिए एक विकास-कार्यक्रम बनाया है। इन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक वनस्पति-विज्ञान और औषधीय पौधों के लिए विभाग स्थापित करना, मसूढ़ी जल तथा दूसरे जल में होनेवाले पौधो-महित नर और नाटा-विहीन पौधों का एक राष्ट्रीय संग्रह बनाना, लकड़ी, 'पालेन', 'फामिन' और 'कार्पोनात्रिनन' वस्तुओं का एक केन्द्रीय समुच्चय बनाना, और मित्र जनवायुवाले क्षेत्रों में प्रायोगिक उद्यान लगाना सम्मिलित है। मरस्थल-नियन्त्रण, बाढ़-नियन्त्रण, मिट्टी-संरक्षण और अन्य प्राणियों पर और अधिक ध्यान देने के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी-अनुसन्धान-परिषद् का और विकास करने का प्रस्ताव है। वनस्पति-विज्ञान-सर्वेक्षण-संस्था नीमरी योजना में दो नए संगठन बनाने का विचार रखती है। इनमें से एक ऊष्ण वटिग्रन्थ की मन्थनाओं पर कार्य करेगा।

23 भारतीय प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-विभाग : दूसरी योजना में प्रतिविज्ञान-सर्वेक्षण-संस्था की ओर से पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में, माभर झील के सम्बन्ध में तथा पट्टिनेरी-कराइकल का सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षणों के अन्तर्गत कई हजार पशु-पक्षी संग्रह

किए गए, उनका अध्ययन किया गया और राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान-मग्रहालय में रखा गया। तीसरी योजना में इस विभाग की विकास-योजनाओं में 'इकोलाजी' और वन्य-प्राणी-संरक्षण तथा 'पालेजुलाजी' के लिए नए खड खोलने की और स्वच्छ जल तथा ऊंचे घरातल के जीवन-विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान करने के लिए दो नए क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की व्यवस्था भी शामिल है। समुद्र-सर्वेक्षण इकाई का भी विस्तार किया जाएगा।

24 केन्द्रीय भूभौतिकी मंडल : दूसरी योजना में केन्द्रीय भूभौतिकी मंडल ने भूभौतिकी अनुसन्धान-शाखा और समुद्र-वर्णना-अनुसन्धान-शाखा आरम्भ की। ये शाखाएं अभी आरम्भिक अवस्था में ही हैं। तीसरी योजना के आरम्भ में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद इन शाखाओं का कार्य-भार सम्भाल लेगी। भूभौतिकी अनुसन्धान-शाखा भू-भौतिकी समन्वेषण और उपकरण-सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देगी।

समुद्र-वर्णना-अनुसन्धान-शाखा अरब-सागर और बंगाल की खाड़ी के विस्तृत क्षेत्रों में सामुद्रिक तथ्य एकत्र करेगी। यह शाखा सन् 1960-64 में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र-अभियानों में भाग लेगी।

25 वैज्ञानिक संस्थाओं और संघों के लिए सहायता . वैज्ञानिक संस्थाएं और संघ अपने अनुसन्धान-संस्थान चलाते हैं तथा उदीयमान युवक-वैज्ञानिकों को छात्र-वृत्तियां और शिष्यवृत्तियां प्रदान करते हैं। दूसरी योजना में वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय ने वैज्ञानिक संस्थाओं और संघों को लगभग 2 करोड़ रुपये सहायता-अनुदान के रूप में दिए। जिन संघों को सहायता दी गई, उनमें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान-संस्था, भारतीय विज्ञान-कांग्रेस-संघ, भारतीय विज्ञान-उन्नयन संघ, बौद्ध-संस्था, भारतीय विज्ञान-प्रकाशनी (रमण-संस्था), भौतिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला (अहमदाबाद) और वीरबल साहनी पालियो-वनस्पति-विज्ञान-संस्था शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, गणित-शास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, प्राणिविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, खनन-विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में काम करनेवाली अन्य योग्य वैज्ञानिक संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है।

26 पिछले कुछ वर्षों से देश में पर्वतारोहण के सम्बन्ध में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। दार्जिलिंग में हिमालय-पर्वतारोहण-संस्था स्थापित होने के बाद से इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तीसरी योजना में पर्वतारोहण-सम्बन्धी अनुसन्धानों और अभियानों को आवश्यक सहायता दी जाएगी।

दूसरी योजना के अन्त में दार्जिलिंग में हिमालयवर्ती प्राणी-उद्यान की स्थापना की गई थी। तीसरी योजना में इसका और अधिक विकास किया जाएगा।

27 विज्ञान-मन्दिर : विज्ञान-मन्दिर-योजना (ग्रामीण विज्ञान-प्रयोगशाला) का उद्देश्य वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार और ग्रामीण जनता के नित्य-प्रति के जीवन में विज्ञान का समावेश करना है। दूसरी योजना के अन्त तक 39 विज्ञान-मन्दिर स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना के कार्य का लेखा-जोखा एक समिति ने लिया है। इस समिति की सिफारिश है कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के क्षेत्र में विज्ञान-मन्दिरों को प्रसिद्ध सार्वजनिक संघों और शैक्षणिक संस्थाओं के निकट सहयोग में कार्य करना चाहिए और इन विज्ञान-मन्दिरों का प्रशासन राज्य-सरकारों को सम्भाल लेना चाहिए। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं। अस्थायी रूप से यह अनुमान लगाया गया है

कि तीसरी योजना के काल में 160 अतिरिक्त विज्ञान-मन्दिरो की स्थापना की जाएगी।

(4)

परमाणु-शक्ति-विभाग

28 परमाणु-शक्ति-विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं विजली के उत्पादन में परमाणु-शक्ति के प्रयोग का विकास, और वैज्ञानिक अन्वेषणों में 'ट्रेसरो' के रूप में तथा विकिरण के साधन के रूप में ग्राइसोटोपी के व्यापक प्रयोग-द्वारा कृषि, जीवविज्ञान, उद्योग तथा चिकित्सा में उसका अधिकाधिक प्रयोग है। विश्व में थोरियम का सत्रने बड़ा भांडार भारत में है। हमारा अन्तत उद्देश्य यह है कि देश में न्यूट्रिक शक्ति का उत्पादन थोरियम पर आधारित हो। इस काम के लिए काफी लम्बे समय तक अनुसन्धान करना होगा और भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, धातुकर्म और इंजीनियरी के क्षेत्र में कितनी ही कठिन टेक्नोलॉजी-विषयक समस्याओं को हल करना होगा।

29 परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान : ट्राम्बे में जनवरी 1957 में स्थापित किया गया परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान परमाणु-शक्ति के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी विकास-कार्य का मुख्य केन्द्र है। इस समय 1,300 से भी अधिक स्नातक वैज्ञानिक और इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं। इनको प्रतिष्ठान में काम करते हुए उच्च प्रशिक्षण दिया गया है। प्रतिष्ठान का कार्य कोई 15 विभागों में बटा हुआ है। ये विभाग भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीवविज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरी और धातुकर्म-सम्बन्धी वैज्ञानिक कार्य करते हैं।

भौतिक विज्ञान-समूह में न्यूट्रिक भौतिकी, स्वास्थ्य भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स-विभाग तथा तकनीकी भौतिकी अनुभाग है। न्यूट्रिक भौतिकी विभाग विभिन्न पदार्थों में न्यूट्रिनो के विग्रह तथा उनके धीमे पड जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण खोज-कार्य कर रहा है। यह कार्य ठोस पदार्थों के बुनियादी भौतिक स्वत्प की जानकारी प्राप्त करने तथा न्यूट्रिक प्रतिकारियों के डिजाइन तैयार करने के लिए आवश्यक है। न्यूट्रिनो के बिखरने और उनकी दूसरी प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में भी कार्य आरम्भ किया जानेवाना है।

स्वास्थ्य भौतिकी विभाग का 'एयर मानिटोरिंग' अनुभाग न केवल ट्राम्बे-प्रतिष्ठान के इर्द-गिर्द के प्रमुख स्थानों पर एयर मानिटोरिंग का कार्य करता है, बल्कि इनमें वायु वर्षा-जल और दूध में रेडियो-सक्रिय तत्वों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 34 केन्द्र भी स्थापित किए हैं। इनमें परमाणु-विस्फोटों की विनाशकारी तत्व-वर्षा की रोकथाम सम्भव होती है। विशेष रूप से बम्बई के आसपास उगने-वाली बनस्पति में रेडियो-सक्रिय तत्वों को मापा जाता है और पन्माणविक विनाशकारी तत्व-वर्षा के कारण गृहीत रेडियो-स्ट्रानटियम का अमर जानने के लिए जानवरों और मनुष्यों की हड्डियों में स्ट्रानटियम को मापा जाता है।

स्वास्थ्य भौतिकी विभाग के विकिरण-परिभाष-अनुभाग ने ट्राम्बे-प्रतिष्ठान में विकिरण तथा रेडियो-सक्रिय पदार्थों में सम्बद्ध नमंवारियों के लिए शीट न्यूट्रिक

रूप से देश के अस्पतालों और अनुसन्धान-संस्थानों के लिए एक 'फिल्म वैंज रविम' चला रखी है।

इलैक्ट्रानिक्स-विभाग ने परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में काम आनेवाले तथा रेडियो-सक्रिय खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण में काम आनेवाले लगभग सभी उपकरण तैयार कर लिए हैं। तीसरी योजना के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक उपकरणों की समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन-कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। 'अप्परा' और 'जरलीना' प्रतिकारियों की नियन्त्रण-प्रणालियों का विकास प्रतिकारी-नियन्त्रण-अनुभाग ने किया था, जो अब हर प्रकार के प्रतिकारियों के लिए, जिनमें न्यूट्रिक शक्ति-केन्द्र भी शामिल हैं, नियन्त्रण-प्रणाली की रचना कर सकता है।

तकनीकी भौतिकी अनुभाग उन उपकरणों के निर्माण और विकाम-कार्य में लगा है, जो अब तक विदेशों में मगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के कितने ही 'स्पेक्ट्रोमीटरों' तथा अन्य उपकरणों के डिजाइन बनाए जा चुके हैं और उन्हें तैयार भी किया जा चुका है।

30 रसायन-विज्ञान-समूह में विश्लेषणात्मक रसायन-विज्ञान, आइसोटोप, रेडियो-रसायन और रासायनिक इंजीनियरी के विभाग हैं तथा एक कठिन कार्य-अनुभाग है। इस समूह ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है, जिनसे परमाणविक दृष्टि में शुद्ध पदार्थों में जरा-सी भी अशुद्धता को दूढ़ निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रीफाइट में करोडवें हिस्से तक के बेरोल का पता लगाया जा सकता है। रेडियो-आइसोटोपों के उत्पादन तथा प्रयोग के सम्बन्ध में और रेडियो-आयोडीन, रेडियो-फासफोरस, रेडियो-स्वर्ण, रेडियो-सोडियम, रेडियो-सोड, इत्यादि-जैसे अत्यधिक रेडियो-सक्रिय पदार्थों के प्रयोग तथा प्रवन्ध के सम्बन्ध में तकनीकों का इतना विकास कर लिया गया है कि अब अनुसन्धान और चिकित्सा के कार्यों में उनका प्रयोग करना सरल हो गया है। प्रयोग में आ चुके ईंधन के तत्वों से प्लुटोनियम और दुर्लभ भूतिकाएँ अलग निकालने की औद्योगिक प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए प्लुटोनियम और दुर्लभ भूतिकाओं के रासायनिक गुणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण कार्य किया जा चुका है। अपरिष्कृत यूरेनियम साल्ट के परमाणविक रूप में शुद्ध यूरेनियम तैयार करने के लिए अनुसन्धान और विकास-कार्य किए गए हैं। इस कार्य के आधार पर एक प्रायोगिक सयन्त्र का सफलतापूर्वक डिजाइन बनाया गया और उसका निर्माण किया गया, जो सन् 1959 के अप्रैल मास से कार्य कर रहा है। इस सयन्त्र से जो यूरेनियम तैयार किया गया, वह 'जरलीना' और 'कनाडा-भारत' प्रतिकारी के लिए ईंधन का काम देता है। कच्चे यूरेनियम से यूरेनियम निकालने के लिए विद्यार में जो यूरेनियम-कारखाना स्थापित किया जानेवाला है, उसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ और 'प्लोशोट' तैयार कर ली गई हैं। ताबे के अवशेष से छोड़े परिमाण में यूरेनियम निकालने के लिए एक प्रक्रिया का विकास किया गया है, जिसका एक प्रायोगिक सयन्त्र पर परीक्षण किया जा रहा है। नवम्बर 14-जैसे स्थायी आइसोटोप बनाने के लिए प्रायोगिक सयन्त्र स्थापित किए गए हैं। भारी पानी तैयार करने की विभिन्न विधियों पर काम किया जा रहा है। परमाणु प्रतिकारियों में प्रयोग के बाद भारी पानी का स्तर गिर जाता है, उसे फिर से उच्च स्तर पर लाने के सम्बन्ध में काफी काम किया जा रहा है। यूरेनियम, थोरियम तथा परमाणु-विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण अन्य मिश्र धातुओं के

विकास के सम्बन्ध में बुनियादी अनुसन्धान-कार्य धातुकर्म-विभाग में किया जा रहा है। 'एलीमेंट' के उत्पादन के लिए एक कारखाने का डिजाइन बनाने, उसका निर्माण करने और उसे चलाने का भी श्रेय इसी विभाग को है। यूरेनियम-धातु और ईंधन-निर्माण-सम्पन्नो की स्थापना के फलस्वरूप भारत को उन कुछ देशों के बीच स्थान प्राप्त हो गया है, जो अपनी ईंधन-सामग्रियों की स्वयं व्यवस्था करते हैं।

31 इजीनियरी-समूह में तीन विभाग हैं प्रतिकारी-इजीनियरी, प्रतिकारी-संचालन और इजीनियरी-सेवा। इस समूह का सम्बन्ध परमाणु-प्रतिकारियों की डिजाइन निर्माण और संचालन-सम्बन्धी इजीनियरी समस्याओं से है। प्रतिकारियों में प्रयुक्त सामग्रियों के आचरण का अध्ययन करने के लिए इस समूह ने सात 'लूपों' के डिजाइन तैयार किए और उनका निर्माण किया। 'अप्सरा' और 'जरलीना' के यान्त्रिक तथा इजीनियरी डिजाइन भी इसी समूह ने तैयार किए थे।

अगस्त, 1956 को 'अप्सरा' ने कार्य आरम्भ किया और चार वर्ष तक लगातार बिना किसी गड़बड़ी के काम करता रहा, 4 अगस्त, 1960 को मरम्मत तथा नवीकरण के लिए इसे बन्द करना पड़ा। इन चार वर्षों में यह प्रतिकारी 22 लाख किलोवाट-घंटे चला और भारत में तैयार किए गए अधिकांश रेडियो-आइसोटोप यहीं बने। इसके अतिरिक्त, भौतिक विज्ञान-सम्बन्धी प्रयोगों के लिए भी यह प्रतिकारी बहुत मूल्यवान साबित हुआ। जनवरी 1961 से यह प्रतिकारी पुनः कार्य-सज्जत है। अब इसकी नियन्त्रण तथा शक्तिकरण-प्रणाली में काफी सुधार कर दिया गया है। 'जरलीना' ने अपना कार्य 15 जनवरी, 1961 को आरम्भ किया। 'कनाडा-भारत' प्रतिकारी का कार्य पहले-पहल 16 जून, 1960 को आरम्भ हुआ था। यह प्रतिकारी ऊर्ध्व 'फ्लुक्स' का है, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, और इसमें भारी पानी को सन्तुलित करने तथा हल्के पानी को ठंडा करने की व्यवस्था है। इजीनियरी-अनुसन्धान के लिए यह एक शक्तिशाली प्रतिकारी है और न्यूट्रिक शक्ति-केन्द्र की डिजाइन के लिए आवश्यक मुविधा प्रदान करता है। यह अधिकतम क्षमतावाले आइसोटोपो का उत्पादन करनेवाला प्रतिकारी है और भारत को सामूहिक रूप से उत्पादित आइसोटोपो के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। इन आइसोटोपो में 'रेडियो-कोबाल्ट' जैसे आइसोटोप भी शामिल हैं, जिनका चिकित्सा-सम्बन्धी कार्यों में उपयोग होता है।

32 जीवविज्ञान-विभाग और चिकित्सा-विभाग ने जीवविज्ञान-सम्बन्धी प्राणियों पर विकिरण के प्रभावों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह कार्य विशेष रूप से कोशिकीय स्तर पर किया गया है।

33 टाटा बुनियादी अनुसन्धान-संस्था की स्थापना सन् 1945 में हुई थी। यह संस्था न्यूट्रिक विज्ञान और गणित-विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा आधारभूत अनुसन्धान के लिए प्रमुख केन्द्र है। इस संस्था ने सैद्धान्तिक भौतिक विज्ञान में प्रारम्भिक कथों के क्षेत्र में जो अनुसन्धान-कार्य किया है और ब्रह्मांडीय किरणों, भू-भौतिकी, न्यूट्रिक भौतिकी तथा उसके गणित-सम्प्रदाय में जो प्रयोग किए हैं, उन्हें व्यापक मान्यता मिली है। गणित, ब्रह्मांडीय किरणों, भू-भौतिकी तथा न्यूट्रिक भौतिकी में किए जानेवाले आधारभूत कार्य को और बढ़ाया जाएगा। इस संस्था में नवीनतम प्रकार का एक द्रुत गतिवाला ट्रांज़िस्टरभय अक-गणना-यन्त्र लगाने का विचार है। इस समय

40 टाटा बुनियादी अनुसन्धान-संस्था के सहयोग से परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान एक प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इसमें स्नातकोत्तर शिक्षा-प्राप्त करनेवाले लगभग 200 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रवेश दिया जाता है। ये विद्यार्थी देश-भर के विश्व-विद्यालयों से लिए जाते हैं। तीसरी योजना में यह प्रशिक्षण-विद्यालय भारतीय विश्व-विद्यालयों के स्नातकोत्तर-शिक्षा प्राप्त करनेवाले और अधिक वैज्ञानिकों को शिक्षा-सुविधाएँ प्रदान करनेवाले। इनके साथ ही, विदेशी वैज्ञानिकों को भी सीमित नक़्सा में इस विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान ने विश्वविद्यालयों में पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर-स्तर के छात्रों को प्रति वर्ष 120 छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना चालू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रतिष्ठान का विचार है कि दो अन्तर्विश्वविद्यालय-केन्द्र—एक उत्तर-भारत में तथा दूसरा दक्षिण-भारत में—खोले जाएँ, जिनमें विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को इस प्रकार के अनुसन्धान की सुविधाएँ दी जाएँ, जिनमें प्रायोगिक प्रतिकारियों और अन्य मूल्यवान् साज़-सामान की आवश्यकता पड़ती है।

(5)

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसन्धान

41 केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्थाओं तथा राज्यों के अनुसन्धान-केन्द्रों में कृषि-अनुसन्धान का कार्य किया जाता है। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्, दिल्ली, वन-अनुसन्धान-संस्था, देहरादून, भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-संस्था, इज्जतनगर; और राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धान संस्था, करनाल के अतिरिक्त कई केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्थाओं में चावल, आलू और मछली-उद्योग के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन तथा अनुसन्धान किया जाता है। स्थानीय समस्याओं के बारे में बहुत-से अनुसन्धान केन्द्रों में अनुसन्धान किया जाता है, जिन्हें भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् की ओर से तथा कपास, पटसन, तेलहन, तम्बाकू, गन्ना, चुपारी, नारियल और लाख-सम्बन्धी जिनस-समितियों की ओर से सहायता दी जाती है। बागानी फसलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान का कार्य चाय, काफी और रबड़-मंडलों-द्वारा कराया जाता है। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् और जिनस-समितियाँ प्रादेशिक या अखिल भारतीय स्वरूप की समन्वित अनुसन्धान-परियोजनाओं में भी सहायता देती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कपास, तेलहन और ज्वार के लिए 17 सामासिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किए गए। इन अनुसन्धान-केन्द्रों की स्थापना से कृषि-सम्बन्धी जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की सुविधा मिली है। केन्द्रीय मिट्टी-संरक्षण-मंडल के तत्वावधान में मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान किया जाता है।

42 कृषि : पिछले दस वर्षों में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धानों के कारण बढ़िया फसल उगाने के क्षेत्र में कई सफलताएँ मिलीं। यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ने गेहूँ की कुछ ऐसी किस्में तैयार की हैं, जिनमें कीटा नहीं लगता। इनमें से एक किस्म परमाणु-शक्ति के प्रयोग से परिवर्तन पैदा करके

तैयार की गई थी। पहली और दूसरी योजना में जो अनुसन्धान-कार्य किए गए, वे अधिक चावल देनेवाली धान की किस्में तैयार करने, नई किस्में तैयार करने, पर्वतीय धान की किस्म को उन्नत करने और चावल की रोग-अवरोधक किस्में तैयार करने के सम्बन्ध में थे। चावल के पौधों की अभिवृद्धि के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन भी किए गए। ज्वार और बाजरे की अधिक अन्न देनेवाली किस्में तैयार करने के लिए मिश्रण-सम्बन्धी तकनीक का प्रयोग किया गया। कई केन्द्रों में बाजरे के सम्बन्ध में उन्नत कृषि-प्रणालियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। केरल में 'एन्ड्रूज' किस्म की समुद्र-द्वीपीय कपास का जनवायु-अनुकूलन कृषि-अनुसन्धान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है। मद्रास और पंजाब में काफी लम्बे रेशेवाली कपास तैयार की गई और व्यावसायिक आधार पर उसकी खेती की निफारिश की गई। मिश्र मक्का के धीज का उत्पादन करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। टेपिओका तथा आलू-जैसे सहायक खाद्य की फसलो, टमाटर तथा बंगन-जैसी सद्भिज्यो, अमूर तथा पपीता-जैसे फलों और दालों तथा तेलहनो की कई उन्नत किस्में तैयार की गई हैं। यह भी निश्चित कर लिया गया है कि विभिन्न फसलो के लिए कितनी खाद और कितना पानी देना उपयोगी है। घाम-पात को बढ़ने से रोकने और शीतल छिड़क कर रोगों तथा कीड़ों पर नियन्त्रण रखने के कारण फसलो से अधिक उपज प्राप्त हुई है।

4.3 तीसरी योजना में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ने राज्यों में अनुसन्धान-मुविधाओं का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान कृषि-संस्थाओं का विस्तार किया जाएगा तथा विभिन्न प्रदेशों में भूमि तथा जलवायु के आधार पर प्रायोगिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। चावल का उत्पादन करनेवाले प्रत्येक राज्य में चावल-अनुसन्धान-केन्द्र तथा उप-केन्द्र खोले जाएंगे। गेहूँ के कीड़े की रोकथाम-सम्बन्धी अनुसन्धान तथा मिश्र मक्का पर समन्वित कृषि-अर्थशास्त्र-सम्बन्धी परीक्षण और अनुसन्धान को विस्तृत किया जाएगा। ज्वार-बाजरा, कपास और तेहनो पर अनुसन्धान करने के लिए मिश्र जिनस-केन्द्र भी विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक बड़ी नदी-घाटी-परियोजना के क्षेत्र में कृषि-अनुसन्धान-केन्द्र खोले जाएंगे और इन क्षेत्रों का कृषि-अर्थशास्त्र-सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाएगा। उर्वरक-टेक्नोलॉजी, चारा और घाम-भूमि-सम्बन्धी-अनुसन्धान, भूमि-अनुसन्धान और पौधों के विषाणु-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए नई संस्थाएँ खोलने का विचार है। फलों, मसालों, काजू और कोको पर किए जानेवाले अनुसन्धान-कार्यों का विस्तार किया जाएगा। आलू के अतिरिक्त जमीन के नीचे पैदा होनेवाली अन्य फसलो पर अनुसन्धान करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय पौधशाला स्थापित की जाएगी, जो भारत में लाए गए तमाम पौधों के भांडार के रूप में काम देगी। कृषि-उपकरणों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने, उनकी किस्म उन्नत करने तथा उनका परीक्षण करने के लिए मुविधाओं का समुचित विकास किया जाएगा।

4.4 भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् के सभी विभागों का तीसरी योजना की अवधि में विस्तार किया जाएगा। मक्का और ज्वार-बाजरे की कई बढियाँ, मिश्र और सश्लिष्ट किस्में तैयार की जाएगी। फसलो को उन्नत करने के लिए रेडियो-आइसोटोपी और रासायनिक 'मुटेजनों' के प्रयोग में परिवर्तन पैदा करने की विधियों का और भी

विक्रम किया जाएगा। पीवी को उन्नत करने तथा उनके विकास के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए कृत्रिम-जलवायु-गृह (फाइटोट्रान) की सुविधाओं का प्रयोग और विस्तार किया जाएगा। मिट्टी-सम्बन्धी भौतिकी पर अनुसन्धान-कार्य को सघन करने का विचार है। कृषि-फसलो को नुकसान पहुंचानेवाले 'नेमाटोडों' पर अनुसन्धान करने के लिए 'प्लाट नेमाटोलाजी' का एक अनुभाग खोला जाएगा। फसलो के कीड़ों पर, उनकी उत्पत्ति और पीवी को उनसे लड़ने की क्षमता की दृष्टि से अनुसन्धान का काम बढ़ाया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त भूमि जोतने के सम्बन्ध में एक प्रयोगशाला और एक जलीय तथा सामान्य इजीनियरी-प्रयोगशाला खोली जाएगी।

45 विभिन्न जिन्स-समितियों के अधीन विभिन्न जिन्सों के बारे में जो अनुसन्धान किए जाएंगे, उनका उद्देश्य साधारणतया उपज बढ़ाना और उपज की किस्म को उन्नत करना होगा। अधिक उपज प्रदान करनेवाली तथा रोग-अवरोधक फसलें प्राप्त करने के लिए उन पर होनेवाले अभिजनन-कार्य का विस्तार किया जाएगा। कपास, पटसन, तम्बाकू, इत्यादि पर किए जानेवाले टेक्नोलाजी-विषयक, अनुसन्धान उनके विधायन, पैकिंग और निर्माण-सम्बन्धी विधियों को उन्नत करने के उद्देश्य से किए जाएंगे। पटसन और लाख के नए उपयोग ढूँढ निकालने के प्रयास किए जाएंगे। नारियल के छिलके, पटसन की डठल, नारियल की जटाएँ, तम्बाकू के अवशेष, लाख के अवशेष, कपास के अवशेष, विनीले के छिलके, इत्यादि जैसे उपोत्पादनों को उपयोग में लाने पर भी जोर दिया जाएगा।

46 पहली दोनो योजनाओं में खाद्य तथा कृषि-मन्त्रालय-द्वारा आरम्भ किए गए कृषि-सम्बन्धी आर्थिक अनुसन्धान-केन्द्रों का और विकास किया जाएगा। तमाम राज्यों में चुने हुए क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए फार्मों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अध्ययन-सुविधाओं में विस्तार करने का भी विचार है।

47 मिट्टी-संरक्षण : भारत में मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी मुख्य समस्याओं को प्रदेशों के आधार पर बांट दिया गया है और बहुते-से अनुसन्धान-कार्यक्रम आरम्भ कर दिए गए हैं। वर्तमान अनुसन्धान-सह-प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के अतिरिक्त साल मिट्टीवाले क्षेत्रों के लिए दो और अनुसन्धान-केन्द्र तीसरी योजना की अवधि में खोले जाएंगे। इनमें से एक उड़ीसा में अधिक वर्षावाले क्षेत्रों के लिए और दूसरा आन्ध्रप्रदेश में कम वर्षावाले क्षेत्रों के लिए होगा।

मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यक्रमों में प्रायोगिक तथा आचारभूत, दोनों प्रकार के अध्ययन सम्मिलित किए जाएंगे। प्रायोगिक अध्ययनों में ये प्रमुख हैं—मिट्टी के विभिन्न पहलू, खेती और फसलो के हेर-फेर के सम्बन्ध में कृषि-अर्थशास्त्र की दृष्टि से अध्ययन, मिली-जुली खेती, भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर की जानेवाली खेती, हरी खाद की फसलो के परोक्षण, पर्वतीय ढलानों और औद्योगिक फसलो की खेती, भूमि-क्षरण के नियन्त्रण और चरागाह-प्रबन्ध के लिए विभिन्न प्रकार की घासों पर घास-विज्ञान-सम्बन्धी अध्ययन, वनरोपण-सम्बन्धी अध्ययन, भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना और जलाशय-प्रबन्ध, नियन्त्रण-वाधों और 'बैंच-टैरेसों' के विभिन्न क्रॉस-सेक्शन, श्रेणियों तथा लम्बाइयों के सम्बन्ध में इजीनियरी अध्ययन, विभिन्न प्रकार के अवरोधन-वाधों-द्वारा कन्दराओं को फिर से खेती के योग्य बनाना, मिट्टी के वाधों का निर्माण और रेगिस्तानी भूमि के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, तथा मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी उपायों के आर्थिक पक्ष का अध्ययन।

आधारभूत अध्ययनों में इन विषयों को शामिल किया जाएगा—विभिन्न प्रकार की प्रबन्ध-प्रणालियों के अर्धीन जलाशयों के जल-विज्ञान-सम्बन्धी व्यङ्गहारों को अनुशासित करने-वाले बुनियादी कानूनों के सम्बन्ध में जाच-पडताल और मिट्टी तथा जल-संरक्षण के सम्बन्ध में बुनियादी मिट्टी-परीक्षण ।

48 पशुपालन : पशुपालन-सम्बन्धी अनुसन्धानों के अन्तर्गत नस्ल की तैयारी, पोषण और रोग-नियन्त्रण के विभिन्न पहलुओं पर कार्य हो चुका है । वहुत-से केन्द्रों ने पर्वतीय और अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में अनुल्लिखित पशुओं के संकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय परिस्थितियों में अनुसन्धान किए । इन अनुसन्धानों से यह मालूम हुआ कि इन परिस्थितियों में नई नस्ल से अधिक दूध प्राप्त होने लगता है । अधिक दूध देने की क्षमता रखनेवाले पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के साथ स्थानीय पशुओं का गर्भाधान कराकर उनकी नस्ल सुधारने के बजाय स्थानीय पशुओं में से ही एक विशिष्ट प्रकार की नस्ल तैयार करने के गुण-दोष की छान-बीन करने के लिए एक समन्वित अनुसन्धान-योजना आरम्भ कर दी गई है । पशुओं की नस्ल सुधारने के कार्य के लिए कृत्रिम गर्भाधान-सम्बन्धी अनुसन्धान-द्वारा नस्लें तैयार करनेवालों को एक नया सूत्र मिल गया है ।

इञ्जतनगर में पशुओं के लिए पीष्टिक आहार के सम्बन्ध में किए जा रहे अनुसन्धान के अतिरिक्त प्रादेशिक पशु-पीष्टिकता-केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं । इन केन्द्रों में विभिन्न प्रदेशों में मिलनेवाली खाद्य-सामग्रियों के रासायनिक मिश्रण और पीष्टिक मूल्य के सम्बन्ध में एव पीष्टिक तत्वों की कमी का पता लगाने तथा उन्हें पूरा करने के सम्बन्ध में अध्ययन की सुविधाएँ सुलभ हैं । धान के पुआल में पाए जानेवाले पीष्टिक तत्वों को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए गए हैं । भारत में पशुओं को खाद्य-सामग्री के रूप में सबसे अधिक धान का पुआल दिया जाता है । इसका पीष्टिक तत्व बढ़ाने के लिए किए गए अनुसन्धान से ऐसे साधारण उपायों का पता चला है, जो धान के पुआल के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं । अकाल पड जाने पर या अभाव के समय पशुओं को दी जा सकनेवाली पेंड की पत्तियों और कुछ अन्य प्रकार के चारे में पाए जानेवाले पीष्टिक तत्वों के सम्बन्ध में भी कार्य किया गया है ।

पशुओं के रोगों के सम्बन्ध में भी बहुत विस्तार से अनुसन्धान किए गए हैं । कुछ रोगों के कारणी तथा उनके उपचार और रोकथाम के बारे में लाभदायक परिणामस्वरूप बकरी के ठडक में सुझाए गए 'टिड्युओ' से तैयार किए गए टीकों का विकास हुआ है । यह टीका मैदानी क्षेत्रों के उन पशुओं को प्रतिरक्षित करने के काम में लाया जा रहा है, जो महामारी का अपेक्षाकृत अधिक मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं । पर्वतीय क्षेत्रों के सहज ही महामारीग्रस्त होनेवाले पशुओं को प्रतिरक्षित करने के लिए 'लैपिनाइण्ड' और 'लैपिनाइण्ड-एविनाइण्ड' टीके के विकास के लिए भी अनुसन्धान किया गया है । पशुओं को 'पामन्थुरेलासिस' से प्रतिरक्षित करने के लिए भी एक टीका तैयार किया जा रहा है ।

49 तीसरी योजना के काल में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् पशुपालन-सम्बन्धी अनेक वर्तमान अनुसन्धान-योजनाओं को जारी रखेगी । अधिक वर्षावाले तथा ऊँचे धरातलवाले क्षेत्रों में देशी पशुओं के संकरण-सम्बन्धी प्रायोगिक अनुसन्धान चानू

रखे जाएंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनी हुई नस्ले तैयार करने, नस्लें उन्नत करने और सकरण के तुलनात्मक लाभों का अध्ययन करने के लिए कार्य जारी रखा जाएगा। भारतीय पशुओं और भैसों के लिए पीरिटिक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में और अध्ययन किए जाएंगे। पशुओं के ककुद पर होनेवाली बीमारियों का नियन्त्रण करने तथा उनको समूल नष्ट करने के लिए समन्वित आचार पर अनुसन्धान किए जाएंगे। पशुओं में होनेवाले 'ब्रुमेलोसिस' रोग तथा भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट, आदि को होनेवाले विभिन्न रोगों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए जाएंगे। नूअर तथा अन्य पशुओं की नस्ले तैयार करने के सम्बन्ध में अध्ययन-कार्य का विस्तार किया जाएगा। पशुओं की विभिन्न जातियों और नस्लों के शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी प्रतिमानों, चारा-उत्पादन और पशुओं की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से चरगागाहों एवं चारे की फनलों की क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे। फार्मों के पशुओं को होनेवाली श्लेष्मत्वचा की बीमारी तथा 'साल्मोनेला' नामक जूत की बीमारी और पशुओं की पीलिया की बीमारी के सम्बन्ध में भी नई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। धय-रोग की रोक-थाम के लिए भी अनुसन्धान किए जाएंगे। स्थानीय तथा प्रादेशिक समस्या-सम्बन्धी अनुसन्धानों पर जोर देने के लिए राज्यों में पशुधन-अनुसन्धान केन्द्र आरम्भ करने का विचार है। पशुओं के लिए प्रादेशिक पौष्टिक आहार-अनुसन्धान-केन्द्रों को स्वावी रूप दे दिया जाएगा।

50 पोशाकें बनाने के काम आनेवाली बढ़िया ऊन उपलब्ध करने के लिए विशेष प्रकार की नस्लों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भेड़ों की चुनी हुई नस्लें तैयार करने का कार्य किया गया तथा उनका 'रेमवायलेट' जैसी विदेशी नस्लों से प्रसकरण कराया गया। मिलीजुली खेती की व्यवस्था में भेड़ों का प्रजनन बढ़ाने के सम्बन्ध में तीसरी योजना में अनुसन्धान किया जाएगा। भेड़ों में भी कृत्रिम गर्भाधान कराने के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् का विचार है कि एक केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया जाए।

51 कुक्कुटपालन के विकास के लिए कम खर्चवाले सन्तुलित कुक्कुट-खाद्य तैयार किए गए हैं। अधिक अडे प्राप्त करने की दृष्टि में एक प्रकार के देशी पक्षियों की नस्ल सुवारी गई है। बहुत समय तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अडों को पिंडोत्पत्ति-अवरोधक बनाने के उपाय विकसित किए गए हैं। कम खर्च में अडे देने का कार्य करनेवाले केन्द्र सफलतापूर्वक स्थापित किए गए और कुक्कुटपालन विकास-खंडों की स्थापना करते समय इन केन्द्रों की उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया। इस क्षेत्र में बहुत सफल परिष्करण किए गए, जिनमें 10 मण्टाह के समय में 3½ पांड बज्जन के चूड़े तैयार किए गए। तीसरी योजना में कुक्कुटों पर चुनी हुई अन्तरज नस्लों के प्रसकरण का कार्य किया जाएगा और कुक्कुटों पर सन्तति-सम्बन्धी परीक्षण किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सामान में बनाए गए मस्ते कुक्कुट-गहों में कुक्कुट-खाद्यों के बारे में जो समन्वित योजनाएँ चल रही हैं, उन्हें जारी रखा जाएगा। ये योजनाएँ मस्ते खाद्य दूध निकालने में आरम्भ की गई हैं। इन खाद्यों में कृषि-उत्पादन तथा उद्योगों की अवशिष्ट सामग्रियाँ भी शामिल हैं।

52 दूध-उद्योग - ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प व्यय में दूध की चीजें और उपोत्पादन तैयार करने की विधियों के बारे में अनुसन्धान-कार्य किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में दूध के जीवाणुओं तथा रासायनिक गुणों के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किए गए हैं, उनसे प्राप्त

जानकारी से कई दूध-उद्योग-विकास-योजनाओं के निर्माण में सहायता मिली । धी तैयार करने के भी उन्नत तरीके ढूँढे गए हैं और दूध में मिलावट पकड़ने का नया एक तरीका निकाला गया है ।

देशी गाथी एव जरसी साडो के प्रसकरण-द्वारा नई नस्ले तैयार करने और थारपरकर पशुओ की सहायता से कगायम नस्ल को उन्नत करने के सम्बन्ध में नए अध्ययन किए जाएंगे । विशिष्ट दूध-उद्योग, एकरस खेती-बारी तथा मिली-जुली खेती-बारी की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्यो को और बढ़ाया जाएगा । दूध के स्थान पर अन्य पदार्थ खिलाकर बछडो के पोषण पर होनेवाले व्यय में कमी करने के उद्देश्य से अध्ययन किए जाएंगे । अधिक परिमाण में दूध के संग्रहण और परिवहन-सम्बन्धी समस्याओ तथा मक्खन, इत्यादि बनाने के लिए अधिक भ्रमलवाली श्रीम तैयार करने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाएगा । रेडियो-सक्रिय आइसोटोपो की सहायता से जुगाली करनेवाले पशुओ के शरीर के खनिज तत्वो के सम्बन्ध में परीक्षण किए जाएंगे ।

राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धान-संस्था विभिन्न नस्लो के पशुओ की पीष्टिक आहार-सम्बन्धी शरीर-रचना, चरागाह-प्रबन्ध और बछडो के विकास की मात्रा के बारे में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ करेगी । यह संस्था बहुत बडे परिमाण में दूध के विधायन, रख-रखाव तथा वितरण के सम्बन्ध में टेक्नोलाजी-विपयक पहलुओ पर तथा दूध से बनी चीजो के उत्पादन, पैकिंग एव संग्रहण के सम्बन्ध में भी अध्ययन आरम्भ करेगी । दूध-उद्योग में काम आनेवाले बर्तनो, दूध और दूध की बनी चीजो के जीवाणु शास्त्र, अवशिष्ट कृमि-नाशको, दूध के प्रादेशिक मिश्रणो, मिलावट का पता लगाने के कार्य, अधिक समय तक दूध को सुरक्षित रख सकने और दूध के खनिज सन्तुलन के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएंगे । दूध और दूध की बनी चीजो के पीष्टिक तत्वो पर अनुसन्धान करने के लिए एक नया आहार-विभाग खोला जाएगा ।

53 वन-अनुसन्धान : तीसरी योजना में उन बहुत-सी अनुसन्धान-योजनाओ को बालू रखा जाएगा, जो दूसरी योजना के काल में देहरादून-स्थित वन-अनुसन्धान-संस्था में स्वीकृत की गई थी । इन योजनाओ में इन विषयो पर अध्ययन शामिल है—वन-वृक्षो की वश-परम्परा, वन के प्रभाव, जगली कीडो आदि की महामारी, जलीय कीटाणुओ से इमारती लकडी का रक्षण, हरे बासो का परिरक्षण, मलाया की वैत का भारत में प्रचलन, राज्यों में किए जानेवाले वृक्ष-मालन-सम्बन्धी अनुसन्धानो का समन्वय, भारतीय इमारती लकडी तथा अन्य प्रकार की लकडी का उत्पादन तथा परिमाण । इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना में वन-मिट्टी-अध्ययन, वनो में पाए जानेवाले पशु-पक्षियो का परिस्थिति-विज्ञान, चरागाहो और चारे के सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा भारतीय वृक्षो की छाल के उपयोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान-जैसी नवीन योजनाओ पर भी कार्य किया जाएगा, प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र, जलपुर में एक जीवविज्ञान-शाखा तथा नागपुर में एक उपयोगिता-शाखा स्थापित करने का भी विचार है । दगलोग तथा कोयमुत्तूर-स्थित अनुसन्धान-केन्द्र को मजबूत बिधा जाएगा ।

54 मछली-उद्योग मडपम-स्थित केन्द्रीय समुद्री मछली-उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र में भारतीय समुद्री मछली-उत्पादन-क्षमता, मछली-उद्योग के सम्बन्ध में नमुद्री का अध्ययन, मोल्सूसकन मछली-उद्योग, मछलीलाघ-उपलब्धि, आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान-योजनाओ

पर कर्ना जारी रखा जाएगा। नई योजनाओं के अन्तर्गत 'मेकेरल', 'सारडीन' 'प्रान', आदि किस्मों को मछलियों के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे।

वैरकपुर-स्थित केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली-उद्योग केंद्र में तालाबों, नदियों, झीलों और समुद्रों में पाई जानेवाली मछलियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान जारी रखे जाएंगे। इस केंद्र में जो नई परियोजनाएँ आरम्भ की जाएंगी, उनमें वृहत्पुत्र का सर्वेक्षण, ऊँचे धरातल, स्वच्छ जल तथा पशु जन में मछली-उद्योग, बाघों का मछलियों पर प्रभाव, आदि शामिल हैं।

बम्बई में केन्द्रीय गहरा सागर-मछली-केंद्र मछली पकड़ने के समुद्री क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करने, मछली पकड़ने के मौसम तथा मछली पकड़ने के गहन प्रयास करने के सम्बन्ध में निबन्धन करने, मछली पकड़ने के उपकरणों की उपयुक्तता जाचने, इस क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, इत्यादि के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। तीसरी योजना के काल में बम्बई, तुत्तुकुडि-कोचीन और विशाखापटनम में मछली पकड़ने के समन्वयी तथा परीक्षात्मक कार्यक्रमों का विकास करने के अतिरिक्त मंगलोर, काकीनाडा, परदीप, और पोर्टब्लेयर में अतिरिक्त इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।

कोचीन-स्थित केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेकनोलॉजी-अनुसन्धान-केंद्र मछली पकड़ने की नौका तथा यन्त्र की डिजाइनों, नौका तथा यन्त्र-सम्बन्धी सामान तथा उसके परिरक्षण, मछली पकड़ने की विधि तथा मछली-परिरक्षण, मछली के मानक, अय-विक्रय और निरोक्षण, आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य करता है। विभिन्न क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए यन्त्र-सज्जित नौकाओं, पुलिन नौकाओं, नौकाओं में लगनेवाले यन्त्रादि की डिजाइनें उन्नत करने और उनके परिरक्षण के लिए तीसरी योजना में विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।

(6)

चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान

55 भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धानों का प्रवर्तन तथा समन्वय करती है। तीसरी योजना के कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्य की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। क्षय रोग, हैजा, कुष्ठ रोग, वालातिसार, फीलपाव, इत्यादि सत्रामक रोगों पर गहन अनुसन्धान करने का और क्षय रोग तथा हैजे के सम्बन्ध में स्थायी अनुसन्धान-केंद्र स्थापित करने का विचार है।

'ऐम्फोपोड-बोर्न' विषाणुओं पर अनुसन्धान करने के लिए पूना में एक सर्वसम्पन्न केंद्र स्थापित किया जा चुका है और कुन्नूर-स्थित चरागाह-नस्था में विषाणु-अनुसन्धान की सुविधाओं को उन्नत कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् ने कुछ चुने हुए मेडिकल कालेजों में विषाणु-रोगों के अनुसन्धान-कार्य को बढ़ावा दिया है। पूना-स्थित विषाणु-अनुसन्धान-केंद्र में चिकित्सा-वैज्ञानिकों को विष-विज्ञान-सम्बन्धी तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। तीसरी योजना के काल में विषाणु-रोगों के क्षेत्र में किए जानेवाले कार्य का विकास किया जाएगा और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय के सहयोग से आखों के रोगों के सम्बन्ध में एक अनुसन्धान-केंद्र स्थापित किया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् 'कार्डियो-वास्कुलर' रोगों, पाचन-सम्बन्धी विकारों, 'इंटेस्टाइनल पैरासिटिज्म' और यौन-रोगों तथा अन्य रोगों के सम्बन्ध में

किए जानेवाले कार्यों को बढ़ावा देती रही है। इन कार्यों को चालू रखने के अतिरिक्त, तीसरी योजना की अवधि में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से सम्बद्ध पाचन-समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आंतररोगों के सम्बन्ध में 'एंटामोएवा' द्वारा परीक्षण आरम्भ किए जाएंगे। विभिन्न 'हैलमिन्थिक पैरासाइटों' के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए जाएंगे। बंगलोर-स्थित अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य-संस्थान में मानसिक रोगों पर अनुसन्धान किए जाएंगे। प्रसूति, बाल-कल्याण, पौष्टिक आहार तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान-कार्यों का विकास किया जाएगा। मेडिकल कालेजों में उपलब्ध अनुसन्धान-सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। अखिल भारतीय सफाई तथा जन-स्वास्थ्य-संस्था में किए जानेवाले कार्यों के अतिरिक्त दो-तीन ऐसे नए केंद्र खोले जाएंगे, जहां विभिन्न व्यवसायों से सम्बद्ध स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में अनुसन्धान किए जाएंगे।

56 दूसरी योजना की अवधि में भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् ने देशी औषधों के सम्बन्ध में परीक्षण करने के लिए काफी सख्या में अनुसन्धान-इकाइया स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। अभी तक ऐसी सात इकाइया स्थापित की जा चुकी है। तीसरी योजना में कुछ और औषधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा।

57 दूसरी योजना की अवधि में परिवार-आयोजन के सम्बन्ध में सामाजिक स्थिति, चिकित्सा और जीवविज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान किए गए हैं। बहुत बड़ी सख्या में मेकैनिक्ल तथा रासायनिक गर्भ-निरोधक उपकरणों का परीक्षण किया गया है। मौखिक गर्भ-निरोधक औषधों पर अनुसन्धान किए जा रहे हैं। इन मौखिक औषधियों में 'मेटा-एक्साइलो-हाइड्रोक्विनान' और देशी औषध भी शामिल है। वम्बई-स्थित मानव-विभेद-इकाई कुछ क्षेत्रों में 'जीनो' के वितरण के सम्बन्ध में कार्य कर रहा है। सन् 1954 में जुड़वा वक्चो और रक्त-सम्बन्ध के विषय में एक दीर्घकालीन अध्ययन आरम्भ किया गया था, उसे भी जारी रखा गया। तीसरी योजना में इन अन्वेषण-कार्यों को चालू रखा जाएगा और इनका विकास किया जाएगा।

(7)

अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम

58 सिंचाई और विजली : इस समय भारत में पनविजली और सिंचाई-सम्बन्धी अनुसन्धान करनेवाले 19 केंद्र हैं। इनमें से दो केंद्र (जो पूना और दिल्ली में स्थित हैं) केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध में और अन्य राज्य-सरकारों के प्रबन्ध में हैं। केन्द्रीय सिंचाई और विजली-मंडल सिंचाई और विजली-सम्बन्धी अनुसन्धानों का समन्वय करता है। सन् 1953 में इस मंडल ने सिंचाई-सम्बन्धी आघारभूत तथा प्रायोगिक अनुसन्धानों का एक सर्वांगीण कार्यक्रम तैयार किया और विभिन्न अनुसन्धान-केंद्रों को कार्य करने के लिए परियोजनाएँ सौंपी। जिन समस्याओं के सम्बन्ध में अन्वेषण आरम्भ किए गए, उनमें ये भी शामिल हैं—'एअर-एट्रेनमेंट', 'टरबुलेन्स' 'कैविटेशन', जल-मापों की डिजाइनों, मिट्टी के तत्व, रेत आदि इकट्ठा हो जाने के कारण जलाशयों के कार्य में रुकावट, भूमिगत पानी, 'पुञ्जोलाना' के रूप में सुर्ती का प्रयोग, और निर्माण-कार्यों में पत्थरों के स्थान पर काम में लाई जानेवाली मस्ती चीजन।

ये अन्वेषण तीसरी योजना की अवधि में जारी रखे जाएंगे। तीसरी योजना में जिन नई अनुसन्धान-संस्थाओं पर कार्य किया जाएगा, उनमें ये भी शामिल हैं—अधोभूमि-जल के अध्ययन में आइसोटोपी का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की मिट्टी का मिश्रण, जलीय ढांचों के लिए ढलाई-पूर्व तकनीकों का विकास, तलछट हटाने की तकनीकों का आविष्कार और सोखन, रत्न तथा उद्घाटन के कारण होनेवाली हानि को न्यूनतम करने के उपाय।

59 बंगलोर-स्थित विजली अनुसन्धान-संस्था के कार्य-क्षेत्र का विकास करने का विचार है। भोपाल में भारी विजली-सामान-नयन्त्र के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ उसके पास ही एक स्विचगियर-परीक्षण और विकान-प्रयोगशाला स्थापित करने का भी विचार है। बंगलोर-स्थित विजली-अनुसन्धान-संस्था में उपकरणों से पूर्णतः सज्जित 4 विभाग खोले जाएंगे, जो उच्च वोल्टेज, सामान्य विजली-इंजीनियरी, यान्त्रिक इंजीनियरी और जलीय इंजीनियरी के क्षेत्र में काम करेंगे। ये विभाग प्रायोगिक सयन्त्र चलाने और छोटे पैमाने पर क्षेत्र-अध्ययन करने के लिए आवश्यक सहायक मुविद्यार्थों के सम्बन्ध में भी कार्य करेंगे। यह संस्था देश में उपलब्ध तकड़ी, अन्नक, कागज, आदि-जैसी विजली की इसुलेटिंग-सामग्रियों पर विकास-कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इस संस्था में क्षमता और विद्युत्-धारा के 'ट्रांसफार्मरो' तथा दूसरे उपकरणों का विकास करने के लिए और मेघ-विद्युत् की प्रकृति, उसकी लहरों और संचरण-नाइनों की यान्त्रिक समस्याओं पर अध्ययन किया जाएगा।

60 परिवहन तथा निर्माण : 'रेल-अनुसन्धान, डिजाइन और मानक-नंगठन' का मुख्यालय शिमला में है और इसका परीक्षण तथा अनुसन्धान-उपकरणों से सज्जित अनुसन्धान-निदेशालय लखनऊ में है। इस अनुसन्धान-निदेशालय में बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन से सज्जित एक यार्ड है। अनुसन्धान-निदेशालय का वातुकर्म तथा रसायन-सम्बन्धी अनुभाग चित्तूरजन में है। वहा इस अनुभाग के लिए परीक्षण और प्रयोग करने का प्रबन्ध है। रेल-सम्बन्धी अनुसन्धान के मुख्य क्षेत्रों में जो कार्य आते हैं, वे इस प्रकार हैं रेल की लाइन तथा चलते हुए पहियों का परस्पर-व्यवहार, प्रोटीटाइपो का परीक्षण, जिसमें चलती हुई तथा रुकी हुई गाड़ियों का परीक्षण सम्मिलित है, सम्पूर्ण रूप में जोड़े गए इजिनो, डिब्बों, लाइनों और पुलों तथा इनके हिस्सों, ईंधन, स्नेहकों और सरसकों का प्रदर्शनात्मक परीक्षण, रेलों में इस्तेमाल होनेवाले विदेशी सामान के स्थान पर उत्तरोत्तर देशी सामान का प्रयोग, कोयले की राख, लकड़ी का बुरादा, प्रयोग किए गए स्नेहक, आदि-जैसे अनुपयोगी उत्पादों का इस्तेमाल, और तटों, कतरनों तथा ढांचों की बुनियाद को मजबूत करने की वृष्टि से मिट्टी-सम्बन्धी कार्य।

61 परिवहन-मन्त्रालय अपनी सबक-शाखा के द्वारा सबकों के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा नहायता करने का कार्य करता है। पिछले कुछ वर्षों में सबकों की जिन कुछ समस्याओं पर, विशेषकर केन्द्रीय सबक-अनुसन्धान-संस्था-द्वारा ध्यान दिया गया, उनमें ये शामिल हैं—सभी मौसमों में चलनेवाली कम लागत की सबकें बनाने के लिए स्थानीय सामान के प्रयोग-द्वारा मिट्टी को मजबूत बनाने की विधियां, सबकें बनाने के लिए काली मिट्टीवाली भूमि को मजबूत बनाना, मिट्टियों की सहन-शक्ति का अध्ययन, सबक-निर्माण के लिए पत्थर और ईटों

के मसाले का मूल्यांकन, विटुमिन मिलाकर वारीक रेत को मजबूत बनाना, मरुस्थलों में सड़को के लिए स्थानीय कंकड़ों का प्रयोग, अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में विटुमिनवाली सड़को का विश्लेषण, पुलिया और छोटे पुलों की तुरन्त मरम्मत करने के तरीके, विभिन्न प्रकार की पटरियों की मोटाई और डिजाइन, सड़क-निर्माण में इस्तेमाल होनेवाले विभिन्न प्रकार के सामान के भार-वहन-गुण, दलदलवाले क्षेत्रों में सड़क-निर्माण के तरीके, सड़क इस्तेमाल करनेवालों के व्यवहार की परीक्षा, तेज, धीमे और मिले-जुले यातायात के लिए उपयुक्त सड़को और चौराहों की ज्यामितिक डिजाइनें, सड़को पर सुरक्षा-व्यवस्था-सम्बन्धी यातायात-समस्याएँ, और बैलगाड़ियों की धुरी और पहियों के डिजाइन में सुधार। तीसरी योजना में सड़क-शाखा हल्के यातायात के लिए प्रयोग के तौर पर कम खर्चवाली कच्ची सड़के बनाएंगी। केन्द्रीय सड़क-अनुसन्धान-संस्था के अनुसन्धान-कार्यक्रमों को पाँच मुख्य भागों में बाँट दिया गया है। वे भाग इस प्रकार हैं भूमि, विटुमिन, कच्ची सड़क-डिजाइन और यातायात-इंजीनियरी। तीसरी योजना में संस्था का विचार पुलों-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ करने का है।

62 तीसरी योजना में राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन नई और सस्ती सामग्रियों, भवन-निर्माण की नई तकनीकों और उन्नत पद्धतियों के प्रयोग-द्वारा भवन-निर्माण के व्यय को कम करने के लिए कार्य करेगा। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन इन विषयों पर अनुसन्धान और परीक्षण कराएगा—परम्परागत और नवीन भवन-निर्माण-सामग्रियाँ, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और अच्छे भवन बनाने के लिए डिजाइन, भूमि की सहन-शक्ति, इन्हें बनाने के लिए मिट्टी की उपयुक्तता, सिक्कनेवाली भूमि पर रखी जानेवाली नींवों के उपयुक्त डिजाइन, निर्मित ढाँचे की मजबूती, लोहे को जंग लगाने में बचाने और नमी को रोकने के उपाय। विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए मानक भी निर्धारित किए जाने हैं। 'प्रिस्ट्रेसड कंक्रीट', 'शेल-कन्स्ट्रक्शन', 'प्रिफैब्रिकेटेड कन्स्ट्रक्शन', आदि तरीकों अपना कर निर्माण की तकनीकों का विकास किया जाएगा। भवन-निर्माण-उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं का भी उत्पादकता की दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा।

63 खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण और अनुसन्धान में लगे हुए मुख्य संगठनों के नाम इस प्रकार हैं—भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था, भारतीय खान-विभाग और तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग।

तीसरी योजना की अवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था के अनुसन्धान-कार्यक्रमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं वुनियादी शैल-तत्व, रसायन और पुराजीव-सम्बन्धी अनुसन्धान, भूगर्भीय मानचित्र-सम्बन्धी प्रायोगिक अध्ययन, प्रारम्भिक खनिज-आकलन, कोयला, सस्ती धातु तथा अन्य खनिज पदार्थों एवं धातुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान, इंजीनियरी भूगर्भ-विज्ञान, भूमिगत जल का आकलन और भू-भौतिकी-सम्बन्धी समस्याएँ। यह संस्था विभिन्न प्रकार के धातु-भांडारों तथा अन्य खनिज भांडारों के परीक्षणों में खोज के भू-भौतिकी तरीकों का प्रयोग कर रही है।

भारतीय खान-संस्था-द्वारा देश के विभिन्न भागों में अलौह धातुओं के लिए भरपूर भूगर्भीय अध्ययन किया जाएगा। लोहा, कोयला, ऐस्बेस्टस, वास्पाइट, सोना और हीरा, आदि अन्य धातुओं के सम्बन्ध में भी अध्ययन किया जाएगा।

खनन-अनुसन्धान का कार्य, भी भरपूर किया जाएगा। तब, कच्चे तब, मीठे-जस्ते और कच्ची मैंगनीज के संस्करण के लिए प्रायोगिक समय-परीक्षण किए जाएंगे। इस सत्सा के अनुसन्धान-कार्यक्रमों में 'सिटीरिंग'-द्वारा कच्चे लोहे के कणों को उपयोग में लाने के काम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। क्रोमाइट, इल्मेनाइट रेत, पाइ-राइट, खडिया मिट्टी, मैग्नेसाइट, चूना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लुओरोस्पार और मिट्टी के उपचार के लिए उपयुक्त प्रणालियां ढुंढी जाएंगी। कच्ची घातुओं तथा खनिज पदार्थों के अस्तित्व की सूचना देनेवाले नवीन माध्यमों के प्रयोग में विद्युत्पणात्मक विधियों का विकास किया जाएगा। इससे नमय और धन की बचत होगी। खनिज पदार्थों तथा कच्ची घातुओं का रासायनिक मूल्यांकन करने के लिए विलायक तत्व निकालने की तकनीकों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए जाएंगे। वैटरिया बनाने में देशी मैंगनीज डाइआक्साइड का प्रयोग करने, 'अर्ब्रिजिन्स' में सिलिका का प्रयोग करने, और लौह-मैंगनीज-उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में किए जानवाले कार्य का विस्तार किया जाएगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग का अनुसन्धान-कार्य उसके भूगर्भ-विज्ञान, भू-भौतिकी-विज्ञान और इजीनियरी विभागों में किया जाता है। भूगर्भ-विज्ञान-विभाग उपस्तरीय सरचनात्मक प्रवृत्तियों को चिन्तित करने के लिए लगभग 2,50,000 वर्ग मील क्षेत्र में फोटो-जिओमाफोलॉजिकल अध्ययन करता है। दलदलों की खुदाई, तेल के कुओं के सीमेंट, केन्द्रवर्ती नमूनों के गुणों, अशोधित तेलों के परीक्षण और उसके उपचार, पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए तत्सम्बन्धी चट्टानों के अध्ययन और रूद्रों के माध्यम से प्राकृतिक गैस के प्रवाहमान गुणों के सम्बन्ध में भी यह विभाग अध्ययन करने का विचार रखता है।

64 सवार-साधन सचार-साधन-सम्बन्धी अनुसन्धानों में ऋतु-विज्ञान, प्रमाण, वेतार और दूर-संचार तथा नागरिक उड्डयन शामिल हैं।

तीसरी योजना में ऋतु-विज्ञान-विभाग की कर्मशालाओं तथा प्रयोगशालाओं को विवसित तथा उन्नत किया जाएगा, ताकि मौसम-सम्बन्धी जानकारी के लिए काम आनेवाले उपकरणों की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो सकें। मेघों की ऊंचाई एवं मोटाई नापने, हाव की गति का निश्चय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तूफान का पता लगानेवाले राडार के डिजाइन तैयार किए जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा। भारत के ऋतु-विज्ञान पर एक पुस्तक तथा कृषि-जलवायु-विषयक एक मान-चित्रावली भी प्रकाशित करने का विचार है। आधुनिक साज-सामान से पूरित 18 अतिरिक्त केन्द्र खोल कर राविन्मिडे-रेडियोसोडे केन्द्रों की शृंखला को और अधिक मजबूत कर दिया जाएगा। भूकम्प-अध्ययन के लिए कुछ और वेधशालाएँ स्थापित की जाएंगी और ऋतु-विज्ञान-विभाग की कर्मशालाओं में भूकम्प-मूचक यन्त्र बनाए जाएंगे। कुछ केन्द्रों में नभोविद्युत् तथा वायुमंडलीय दौधों को मापने का कार्य भी आरम्भ किया जाएगा। कोलावा-वेधशाला में आयनमंडलीय अध्ययन किए जाएंगे और रात्रि-आकाश तथा वायु-प्रकाश के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे। कोडाइ-कनाल-वेधशाला, उज्जैन के निकट खोली जानेवाली केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला और नौसेना की ज्योतिषीय-वेधशाला में खगोल-भौतिकी एवं खगोलशास्त्र-सम्बन्धी अध्ययनों

की सुविधा प्रदान की जाएगी। नई दिल्ली में उत्तर-गोलाद्ध-सम्बन्धी एक सकलन तथा विश्लेषण-केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह केन्द्र सम्पूर्ण उत्तरी गोलाद्ध से सम्बन्ध रखनेवाले ऋतु-विज्ञान-विषयक तथ्यो तथा विश्लेषणो को एकत्र करने, उनका अध्ययन करने तथा प्रसार करने के उद्देश्य से खोला जाएगा। यह परियोजना उद्भयन के लिए मौसम-सम्बन्धी पूर्वसूचना देने और विशेषकर लम्बे उद्भयनो के लिए पूर्वसूचना देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

65 तीसरी योजना में आकाशवाणी के अनुसन्धान-विभाग की ओर से जो कार्य किए जानेवाले हैं, उनमें ये भी सम्मिलित हैं — बहुत ऊँची तथा अत्यन्त ऊँची आवृत्तियो तथा सूक्ष्म तरंग तकनीको एव प्रसारण, सेमी-कंडक्टर और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजिया तथा प्रसारण-उपकरणो के डिजाइनो में उनका प्रयोग, और टेलीविजन के प्रसारण एव प्राप्ति के क्षेत्रो में सघन अध्ययन। वातावरण-सम्बन्धी कोलाहल और आयनमंडल-सम्बन्धी ग्राह्यता की जाच करने के लिए आयनमंडलीय तथ्य एकत्र करने के लिए उपकरणो तथा सुविधाओ में सुधार और विशु खल प्रसारण का अध्ययन करने का विचार है। आकाशवाणी तथा अन्य प्रसारण-संगठनो के बीच रिकार्ड की हुई सामग्रियो का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से टेप-रेकार्डिंग की तकनीको तथा उपकरणो का मानकीकरण किया जाएगा। प्रसारण के लिए आवश्यक श्रवण-उपकरणो तथा स्टीरियो प्रसारण एव प्राप्ति के लिए स्टीरियो तकनीको का मानकीकरण तथा विकास किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना स्टूडियो मे ध्वनि-ग्रहण तथा 'इसु-लेशन' के काम ग्रानेवाली सामग्री के सम्बन्ध में होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत उपयुक्त देशी सामग्रियो के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

66 परिवहन तथा संचार-मन्त्रालय की वेतार-आयोजन एव समन्वय-शाखा के कार्यक्रम में निम्नांकित कार्य भी सम्मिलित हैं -

- (1) 50 किलोसाइकिल्स से 30 मेगासाइकिल्स तक के वैंड पर होनेवाले वायुमंडलीय कोलाहल का व्यवस्थापूर्वक अध्ययन,
- (2) भारत के विभिन्न स्थानो की आयन-सम्बन्धी परिस्थितियो का व्यवस्था-पूर्वक अध्ययन,
- (3) शहरी क्षेत्रो में मनुष्य-कृत कोलाहलो के कारण होनेवाले व्यतिकरण को आकने के लिए व्यवस्थापूर्ण परिभाषन, और
- (4) विभिन्न प्रकार के दूर-संचार-सर्किटो के विभिन्न स्तरो तक विश्वसनीय कार्य-संचालन के लिए आवश्यक कोलाहल-अनुपातसूचक संकेतो का निश्चय।

दूर-संचार-अनुसन्धान-केन्द्र डाक तथा तार-महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है। इस केन्द्र का मुख्य कार्य जनता के लिए टेलीफोन तथा तार-नेवाओ को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अनुसन्धान तथा विकास-कार्य करना और भारतीय टेलीफोन-उद्योग एव देश की टेलीफोन बनानेवाली अन्य इकाइयो को दूर-संचार-उपकरणो के डिजाइन उपलब्ध कराना है।

67. नागरिक उद्भयन-विभाग के अनुसन्धान तथा विकास-निदेशालय को तीसरी

योजना की अवधि में जिन मुख्य परियोजनाओं पर काम करना है, वे इस प्रकार हैं—
 (1) 'एयरफ्रेम्ट' तथा पक्षी का ढाँचे की दृष्टि से सम्पूर्ण परीक्षण, (2) चालक पखे-
 सहित टर्बाइन गति-संयन्त्रों और प्रेषण-यन्त्रों की किस्मों का परीक्षण, (3) देशी
 वायुयान-सामग्रियों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का विकास तथा मानकीकरण,
 (4) सुरक्षा-विविधों का विकास, (5) व्यक्तिगत कृषि-सम्बन्धी तथा अन्य कार्यों
 में प्रयुक्त हल्के वायुयानों तथा ग्लाइडरो के डिजाइन बनाना एवं उनका विकास करना,
 और (6) वायुयानों के ढाँचों की शिथिलता तथा नागरिक उड्डयन के लिए बुनियादी
 महत्व की अन्य समस्याओं का अध्ययन ।

(8)

चीनी, पटसन और अन्य उद्योग

68 धातुकर्म, इजीनियरी, रसायन, खाद्य तथा खनन-उद्योगों के लिए अनुसन्धान-
 कार्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विभिन्न विभागों तथा अनुसन्धान-संस्थाओं में किए
 जाते हैं । इनके अतिरिक्त, चीनी, पटसन, कपास और रेशम तथा नकली रेशम-उद्योगों,
 कुटीर-उद्योगों एवं लघु उद्योगों-सम्बन्धी अनुसन्धानों का जिक्र कर देना भी उपयुक्त
 होगा ।

चीनी पर अनुसन्धान कानपुर-स्थित राष्ट्रीय चीनी-संस्था में किया जाता है ।
 तीसरी योजना की अवधि में यह संस्था उच्च अनुसन्धान के लिए आवश्यक प्रयोगशाला-
 उपकरणों, एक परीक्षात्मक कारखाने और प्रायोगिक संयन्त्रों की व्यवस्था करेगी ।
 जिन समस्याओं का इस संस्था में अध्ययन किया जाएगा, उनमें ज्वलन-क्रिया-नियन्त्रण,
 हाई पोलिमर्स, कैंडी तथा मिठाई-उद्योगों पर अनुसन्धान और उपोत्पादनों का उपयोग
 सम्मिलित है ।

भारतीय केन्द्रीय पटसन-समिति की टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान-प्रयोग-
 शालाओं के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन के 'हेमोसेल्युलोजों' के गठन और
 रासायनिक सुधार-पर अनुसन्धान किया जाएगा, ताकि वे पानी में जल्दी न फूलें और
 छोटे जीवाणुओं से पूर्विक्षा अपनी अधिक रक्षा कर सकें । इसके अतिरिक्त, पटसन के रेशे
 पर ताप तथा नमी के प्रभाव, वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में पटसन के रेशे के नव्यतन एवं
 कोपायतन, पटसन के पौधों को नष्ट करनेवाले बैक्टेरिया तथा फुण्गों के अध्ययन,
 सुगन्धी तथा कागज बनाने में पटसन के डठलों के उपयोग, घर सजाने के बस्त्री-
 सहित पटसन के सम्भावित नए उपयोग, पटसन के परिष्कृत घागों की आर्द्रता-
 विषयक मजबूती को बढ़ाने, पटसन के रेशों से छन-छन कर सोमेट का निकलना
 रोकने, त्रिदमाओं में काम आनेवाले कपड़े, रेविजन तथा अन्य उपयोगों के लिए
 पटसन का मोटी बुनाई का वस्त्र तैयार करने, और मेल्टा तथा अन्य प्रतिस्थापित
 रेशों के विधायन को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएंगे । भारतीय
 पटसन-राना-संघ की अनुसन्धान-संस्था में जूट तथा 'वास्ट' के रेशे के मैकेनिकल
 तथा अन्य गुणों और रासायनिक मिश्रण के अध्ययन, पटसन पर विनाशकारी प्रभाव
 डालनेवाले फुण्गियों, बैक्टेरियों तथा अन्य परिस्थितिजन्य कारणों के प्रभाव;
 और पटसन के रेशों के 'प्रूफिंग' तथा 'फिनिशिंग' के विकास के सम्बन्ध में कार्य हो
 रहा है ।

भारतीय केन्द्रीय कपास-समिति की टेक्नोलाजी-विषयक प्रयोगशाला में कपास की किस्में तैयार करनेवालों की सहायता के लिए कताई-परीक्षण रेशो के गुणों के माप और कताई की दृष्टि से रेशो के महत्व का निश्चय किया जाता है। ग्रहणवादाद-वस्त्र-उद्योग-अनुसन्धान-संघ ने भी तीसरी योजना की अवधि के लिए एक अध्ययन-कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे—'सेल्यूलोजी' के आणविक गठन और तत्वों के बीच का सम्बन्ध, कपास के रेशो पर 'थर्मसिटिंग रेजिनो' का प्रयोग करने पर पोलिमर का उद्भव, 'साइज मिक्चर्स' बनाने समय काम आनेवाली 'स्टार्च'-जैसी 'पोलिमरों' के तत्वों पर मसृणकारियों और अकार्बनिक लवणों के प्रयोग का प्रभाव, ताप-शुष्कीकरण की प्रक्रियाओं का सुधार, शुष्कीकरण की प्रक्रियाओं का वस्त्र की 'फिनिश' पर प्रभाव, धुलाई-सम्बन्धी टेक्नोलाजी, वस्त्र-उद्योग के काम आनेवाले वैज्ञानिक औजारों के डिजाइन और उनका विकास, सूत के रेशो की व्यवस्था का सूत की किस्म पर प्रभाव और वस्त्र के रेशो-द्वारा विभिन्न प्रकार के तत्वों की ग्राह्यता-सम्बन्धी क्रियाविधि।

रेशम तथा तकली रेशम-कारखाना-अनुसन्धान-संघ की स्थापना सन् 1958-59 में हुई थी। इसके मार्गदर्शक कारखानों, प्रयोगशालाओं और तकनीकी सस्था के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह संघ अपने सदस्यों-द्वारा रेशो, सूत और कपड़े के बारे में प्रस्तुत समस्याओं पर विचार करेगा, निर्माण-प्रक्रियाओं के दोष मालूम करेगा और उन्हें दूर करने तथा निर्यात के लिए रेशम कपड़े की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अध्ययन करेगा। रेशा-उत्पादन में सुधार, सूत के परिष्करण, कपड़ा के उत्पादन और उसकी फिनिश के सम्बन्ध में संघ काम करेगा।

69 कूटीर तथा लघु उद्योग : अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग-मंडल के अधीन एक केन्द्रीय ग्रामोद्योग-अनुसन्धान-सस्था वर्धा में काम कर रही है। इस सस्था में प्रक्रियाओं और उत्पादनों को नियन्त्रित तथा विकसित करने के लिए प्रयोगशालाएँ, उपकरणों के डिजाइन बनाने और उन्नत किस्म के उपकरण तैयार करने के लिए कर्मशालाएँ तथा उपकरणों और तकनीकों का अध्ययन करने के लिए परीक्षात्मक उत्पादन-केन्द्र हैं। इस सस्था के अतिरिक्त और भी बहुत-से अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

नारियल-जटा-मंडल की केन्द्रीय नारियल-जटा-अनुसन्धान-सस्था केरल में और उसकी एक शाखा पश्चिम-बंगाल में है। मंडल नारियल जटा के रेशो और धागे के आधारभूत तथा प्रायोगिक, दोनों पहलुओं पर अनुसन्धान करने का विचार रखता है। आधारभूत अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत नारियल-जटा के रेशो और धागे के रचनामूलक, रासायनिक, जैविक तथा अन्य बुनियादी तत्वों का पता लगाया जाएगा। 'सिसल' और 'एलो'-जैसे प्रतियोगी रेशो का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा। प्रायोगिक अनुसन्धान-योजनाओं के अन्तर्गत नारियल-जटा का रेशा निकालने की विधियों पर कार्य किया जाएगा। यह कार्य रेशो को खराब होने से बचाने और उस पर किए जानेवाले श्रम को कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाव से चलाई जानेवाली एक उन्नत किस्म की कताई-मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, तीन 'मीटिंग लूम' वाला एक प्रायोगिक सयन्त्र, नारियल-मज्जा और नारियल-जटा के अवशेषों के प्रयोग, नारियल-जटा के रेशो और धागे की रंगाई तथा नारियल-जटा एवं उसके उत्पादनों के नए

प्रयोगों के विकास के सम्बन्ध में कार्य किया जाएगा ; रेशम के कीड़े पालने-सम्बन्धी तीन अनुसन्धान-संस्थाएँ पश्चिम-बंगाल, मैसूर और असम-राज्यों में हैं। केन्द्रीय रेशम-मडल बिहार और जम्मू तथा कश्मीर में दो प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र और कलिंगपुर में एक उपकेन्द्र भी खोलेगा। रेशम-उद्योग की मुख्य समस्याएँ रेशम की किस्म को उन्नत करने और रेशम पर होनेवाले व्यय में कमी करने से सम्बद्ध हैं। अनुसन्धान-केन्द्रों पर रेशम के कीड़े की नई तथा उन्नत नस्लें तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।

हयकरघा-मडल ने हयकरघा-टेक्नोलॉजी की दो वर्तमान संस्थाओं का पुनर्गठन करने की योजनाएँ तैयार की हैं। मडल का विचार बहुत-सी अनुसन्धान-योजनाओं पर काम करने का है—जैसे, एक उपयुक्त छोटे 'साइजिंग' और 'बीमिंग' उपकरण का डिजाइन, शहदूत के अतिरिक्त वृत्तों पर तैयार किए गए रेशम के बत्तों का प्रयोग, संश्लेषित रेशे के परिष्कार और रंगाई-सम्बन्धी कुटीर-उद्योग, हयकरघा पर तैयार किए गए बत्तों को 'एटी-क्रीज' बनाना तथा अन्य प्रकार से 'फिनिश' करना, टसर बनाने के लिए छोटी रीलिंग मशीन का डिजाइन, संश्लेषित रेशे के साथ वनस्पति-रेशे का प्रयोग और मशीन-द्वारा बास की तपचिया तैयार करना।

सधु उद्योगों के क्षेत्र में सधु उद्योग-सेवा-संस्थाओं और विस्तार-केन्द्रों के कार्यकलाप को संगठित करने और उनका विस्तार करने का काम किया जाएगा। इन केन्द्रों में वे केन्द्र भी शामिल हैं जो कच्ची सामग्रियों के समुचित प्रयोग, उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं और मशीनों के डिजाइन-सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान करते हैं।

(9) -

विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर टेक्नोलॉजी की संस्थाओं में अनुसन्धान

70 विज्ञान की समस्त शाखाओं में आधारभूत अनुसन्धान-कार्य मुख्यतः विश्व-विद्यालयों में किया जाता है। उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वैज्ञानिक कर्मचारी भी विश्वविद्यालयों से ही प्राप्त होते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्रुत विकास के सन्दर्भ में विश्वविद्यालयों का स्थान असाधारण महत्व का हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र में बढ़िया किस्म का व्यावहारिक अनुसन्धान करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसन्धान-कार्य को सहायता दी जाए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिपद्, भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिपद् तथा भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिपद्—जैसे सगठन विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान-परियोजनाओं को सहायता दे रहे हैं, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि बुनियादी अनुसन्धान पर ही विशेष बल दिया जाए। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने भी विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने में सहायता दी है।

71. टेक्नोलॉजी-संस्थाओं के अतिरिक्त इस समय 46 विश्वविद्यालय हैं। इनमें नये अधिवास में विज्ञान की कई शाखाओं में उच्च अनुसन्धान करने की सुविधाएँ हैं। दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की सहायता ने विश्वविद्यालयों में कई विशिष्ट अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—दृष्टबाध में परीक्षण-संग्रहण विद्या; दिल्ली में सैद्धांतिक खगोलविद्या; अलौगढ़ एवं जम्मू-बरमौर में ब्रह्मांडीय किरण-अनुसन्धान, अन्ननद एवं त्रिवेन्द्रम में जैविक समुद्र-

घास्य, फलकता, ग्रान्ध, दिल्ली एव ग्रनीगढ में क्ष-किरण और विल्लीर-विद्या; वाराणसी एव फनटिक में चणपटशास्त्र, फालकता एव इलाहाबाद में इलैक्ट्रानिकस तथा प्रायोगिक भौतिक घास्य; चढीगढ में पशु-वक्ष-विकास-शास्त्र; और वाराणसी, दिल्ली एव फनकता में पीयो का रचना-सम्बन्धी शास्त्र। वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ने रुढकी-विश्वविद्यालय में भूकम्प-सम्बन्धी एक विद्यालय की स्थापना की है। तीसरी योजना की अवधि में वर्तमान अनुसन्धान-विभागो का विकास किया जाएगा और प्रायोगिक भूगर्भ-विज्ञान, भूमौतिकी, रेडियो-खगोलविद्या, समुद्र-शास्त्र और चिकित्सा-सम्बन्धी दुनियादी विज्ञान में अनुसन्धान-सुविधाओं की अभिवृद्धि की जाएगी।

72 इंजीनियरी अनुसन्धान : यद्यपि पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में रुढकी-विश्वविद्यालय ने जलशक्ति-सम्बन्धी अनुसन्धान में अभिनव कार्य किया, तथापि पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में इंजीनियरी-अनुसन्धान प्रारम्भिक अवस्था में ही था। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर विकास हुआ, उसके परिणामस्वरूप भारतीय इंजीनियरी को मौलिक तथा सृजनात्मक अनुसन्धान करने और बड़े-बड़े डिजाइन बचाने तथा फील्डकेशन और निर्माण-कार्य का उत्तरदायित्व सम्भालने के नए-नए अवसर मिले। फिर भी, अब तक वर्तमान कालेजों में कुछ ही ऐसे हैं, जहाँ अनुसन्धान करने की सुविधाएँ हैं, हालांकि अब भारतीय विज्ञान-संस्था, रुढकी-विश्वविद्यालय, यादवपुर-विश्वविद्यालय, मद्रास-टेक्नोलॉजी-संस्था और सडगपुर, बम्बई, मद्रास एव कानपुर की टेक्नोलॉजी-संस्थाओं-जैसी संस्थाओं का उच्च टेक्नोलॉजी-विषयक और स्नातकोत्तर शिक्षण-संस्थाओं के रूप में विकास किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में रुढकी-विश्वविद्यालय में जल-शक्ति-सम्बन्धी अनुसन्धानों का पुनस्तगठन किया गया और भूकम्प-सम्बन्धी इंजीनियरिंग एव 'स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स'-सम्बन्धी समस्याओं पर कार्य किया गया। बगलोर-स्थित भारतीय विज्ञान-संस्था ने विजली-इंजीनियरी, धातुकर्म, आन्तरिक ज्वलन-प्रिया इंजिन, गैस टरबाइनो और वैमानिक इंजीनियरी-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य किए। सडगपुर-स्थित भारतीय टेक्नोलॉजी-संस्था इलैक्ट्रन द्यूब आसिलेटरो एव ऐम्पलीफायरो, ट्रांसिस्टरो एव सूक्ष्म तरंगों, नौसेना-वास्तुविद्या और 'शिप माडल टैंक' सम्बन्धी परीक्षणों पर अनुसन्धान कर रही थी।

73 वात-शक्ति, जल-शुद्धीकरण, सौर शक्ति, इत्यादि-जैसी इंजीनियरी-अनुसन्धान-योजनाओं और विभिन्न प्रकार की मेकैनिकल, विजली-विषयक एव दूर-संचार-सम्बन्धी परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्राप्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ इंजीनियरी-सम्बन्धी अनुसन्धान कर रही हैं, उनमें ये भी सम्मिलित हैं—केन्द्रीय सडक-अनुसन्धान-संस्था, राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला, केन्द्रीय ईंधन-अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय इलैक्ट्रानिकस इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय जल-स्वास्थ्य-इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय मेकैनिकल इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था और केन्द्रीय खनन-अनुसन्धान-केन्द्र।

द्वान्वे-स्थित परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में भी इंजीनियरी-विषयक काफी अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है। यहाँ मुख्यतः सस्ती न्यूक्लियर शक्ति के उत्पादन और अनुसन्धान-

कार्य के लिए आवश्यक परमाणु प्रतिकारियों के डिजाइन तथा निर्माण-सम्बन्धी इंजीनियरी-समस्याओं के सम्बन्ध में मार्ग दिया जा रहा है। सामाजिक विनिर्गहार्थी परिस्थितियों में सम्पूर्ण प्रतिकारी-प्रणालियों, एव सामग्रियों के परीक्षण के सम्बन्ध में भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रांज़िस्टर बनाने के लिए निर्दिष्ट एव जर्मैडियम तथा इलेक्ट्रॉनिक श्रोद्धारी के उत्पादन के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है।

इंजीनियरी-अनुसन्धान के विभाग के लिए तीमरी योजना में अधिष्ठान-धन-सहायता की व्यवस्था की गई है। इस समय एक विशेष मन्त्री इंजीनियरी-सम्बन्धी मातृकोत्तर शिक्षण तथा अनुसन्धान-सम्बन्धी कार्य-क्रमों का अध्ययन कर रही है।

74 अक्र-संकलन-सम्बन्धी अनुसन्धान : पर्यटन से योजनाओं की श्रवण में अक्र-संकलन-अनुसन्धान-सम्बन्धी मूल्यांकन का समुचित विभाग किया गया है। राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था अक्र-संकलन-सम्बन्धी तथ्यों को एकत्र करने के लिए नमूना-सर्वेक्षण करती है। राज्यों के अक्र-संकलन-सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था, दोनों मिल कर तमने के सम्बन्ध में जाप-संगठन करने हैं। भारतीय अक्र-संकलन-संस्था विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए नए अक्र-संकलन-उपकरणों के विकास तथा अक्र-संकलन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्राधान्य प्राप्त अनुसन्धान करती है। राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा भी जातवाली पुराण, की स्मरणेता तैयार करने तथा सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों की मातृकोत्तर तैयार करने का काम भी यही संस्था करती है। भारतीय अक्र-संकलन-संस्था की अधिष्ठान-सहायता मार्ग-संगठन, अनुसन्धान-इकाई और प्रादेशिक सर्वेक्षण-इकाई आयोजन-सम्बन्धी तमनीति अध्ययन करती है। केन्द्रीय अक्र-संकलन-संगठन तथा राज्यों के अक्र-संकलन-सर्वेक्षण एव-दूसरे के निकट सहयोग से काम करने हैं। हान में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा राज्य-सरकारों को अक्र-संकलन की समस्याओं पर गवाह देने और अक्र-संकलन के लिए आवश्यक नियम एव मानक निर्दिष्ट करने के बारे में सामान्य निर्देश देने का कार्य करने के लिए अक्र-संकलन-विभाग की स्थापना की है। कृषि-प्रक्र-संकलन-संस्था कृषि-सम्बन्धी अक्र-संकलन के क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य कर रही है।

(10)

वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग

75 कुछ वर्षों से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के परिणामों का व्यावसायिक स्तर पर तेजी से और व्यापक आधार पर उपयोग किया जाए। प्रयोगशालाओं में होनेवाले अनुसन्धान-कार्यों के परिणामों का व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग करने के उद्देश्य से 7 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय अनुसन्धान-विकास-निगम की स्थापना की गई थी। निगम ने देश में हुए अनुसन्धानों के आधार पर तैयार की गई वस्तुओं के लिए लगभग 120 साइन्सों के सम्बन्ध में वातचीठ की है, जिनमें से 30 ने अधिक व्यावसायिक उत्पादन के लिए हैं। निगम ने 16 विकास-परियोजनाएँ भी चलाई हैं। फिर भी, देश में होनेवाले वैज्ञानिक अनुसन्धानों के बहुत बड़े भाग का अभी उपयोग नहीं हो पाता। प्रयोगशाला में अनुसन्धान पूरा हो जाने पर भी काफी अर्थ तक उसकी जानकारी जनता को नहीं होती। इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता

है। सुझाया गया है कि अनुसन्धान के परिणामों का तुरन्त उपयोग न होने के कुछ मुख्य कारण ये हैं—मार्गदर्शक समन्वय और डिजाइन तथा फ़ैब्रीकेशन-सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव; उद्योगों और अनुसन्धान-संगठनों के बीच समुचित सम्पर्क का अभाव, विदेशों से मगई जानेवाली वस्तुओं को देश में ही बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में उद्योगों का उपेक्षा-भाव, और लाइसेंस-सम्बन्धी नीति और अनुसन्धान के विकास-कार्यक्रमों के बीच समुचित समन्वय का अभाव। मार्गदर्शक समन्वयों के डिजाइन और फ़ैब्रीकेशन की सुविधाएँ अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और जो-कुछ कमी रह गई है, वह तीसरी योजना में पूरी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऊपर जिन अन्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, उनका सम्बन्ध मुख्यतः संगठनात्मक कार्यों से है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि अनुसन्धान-कर्ताओं और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो, उन्हें समस्याओं और अनुसन्धान के परिणामों के बारे में पूरा ज्ञान हो, और ऐसे उद्योग अनुसन्धान के परिणामों का प्रयोग करने के लिए सुविचारित योजनाएँ बनाएँ तथा देश में होनेवाले अनुसन्धान के आधार पर विदेशों से मगई जानेवाली चीजों को देश में बनाया जाए और उत्पादन का स्तर ऊँचा किया जाए। विशेष रूप से विकास-परिपदों और विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित संगठनों को चाहिए कि दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं को अपने विकास-कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग मानें। उन्हें इसका प्रवन्ध भी करना होगा कि अनुसन्धान-कार्यकर्ताओं को औद्योगिक समन्वयों तथा विभिन्न उद्योगों में कार्यपालक अधिकारियों और इंजीनियरों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो।

76 उद्योगों की भाति परिवहन, निर्माण और विजली-जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों में भी अनुसन्धान के परिणामों का उपयोग तुरन्त नहीं हो पाता। अनुसन्धान के द्वारा बहुत आशाजनक परिणाम निकलते हैं और नए-नए डिजाइनों, तकनीकों और विशेष विवरणों का आविष्कार किया जाता है, किन्तु उनका विस्तृत उपयोग नहीं हो पाता। सम्भवतः उद्योगपतियों की सकोचशील मनोवृत्ति के कारण ऐसा होता है। अतः अनुसन्धान पर किए गए व्यय का हम पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाते और इसीलिए तकनीकी प्रगति तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी शिथिल पड़ जाती है। सडक-विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों की अनुसन्धान-प्रयोगशालाओं में सडक-निर्माण और तत्सम्बन्धी विशेष बातों की उन्नत तकनीकें खोजने के सम्बन्ध में कार्य हो रहा है, ताकि उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके। सुझाव रखा गया है कि राज्य-सरकारें सडकों के लिए तीसरी योजना में निर्धारित धन-राशि का एक प्रतिशत प्रायोगिक तकनीकों और तीसरी योजना में बनाई जानेवाली सडकों के कुछ भागों के निर्माण पर व्यय करें। यह तरीका अपनाते से राज्य-सरकारों को कुछ अतिरिक्त व्यय तो जरूर करना पड़ेगा। किन्तु इसके लिए भी केन्द्र के सडक-कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यवस्था कर दी गई है। प्रस्ताव है कि भारतीय सडक-कांग्रेस की एक समिति सडक-निर्माण की नई तकनीकों का चुनाव करे और उनको आजमाया जाए। इन तरीकों को निर्माण के क्षेत्रों तथा सार्वजनिक उपयोग-सेवाओं आदि के लिए भी काम में लाया जा सकता है।

77. आविष्कार और पेटेंट : किसी देश की टेक्नोलाजी-विषयक प्रगति का पता

बहा किए गए आविष्कारों की सख्या से लगता है। कुछ तो ऐसे महत्वपूर्ण अनुसन्धान होते हैं, जो प्रयोगशालाओं में दीर्घकाल तक किए जाते हैं, किन्तु कुछ ऐसे आविष्कार भी होते हैं, जिनका कुशल कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों को अपने प्रति दिन के कार्य में सहसा पता लग जाता है। किसी समस्या का हल खोजते समय कई बार वे बहुत ही महत्वपूर्ण परिणामों पर पहुँच जाते हैं। उद्योगीकरण की प्रक्रिया के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिकों, तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जाए। सन् 1959 में केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्र रूप से काम करनेवाले कारीगरों, शिल्पियों और तकनीकी कर्मचारियों में आविष्कार की भावना उत्पन्न करने और उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आविष्कार-विकास-मंडल की स्थापना की। यह मंडल इन लोगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है। आशा की जाती है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा निजी उद्योग और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के विभिन्न संगठन अपने तकनीकी कर्मचारियों में आविष्कार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की योजना बनाएंगे और उन्हें अपने आविष्कार को पूरा करने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देंगे।

पेटेंट चालू करने का उद्देश्य कानूनी जामा पहनाना है। तथा उद्योगों को इन आविष्कारों को तुरन्त ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देना है। किन्तु कई वर्षों तक पेटेंटों से सम्बन्धित कानूनों के बारे में काफी असन्तोष प्रगट किया जाता रहा है। भारतीय पेटेंटों में से अधिकांश पर विदेशियों का अधिकार है और वस्तुतः इनमें से देश में बहुत कम बनाए जाते हैं। पेटेंटों के सम्बन्ध में कानून बनाने और उनकी प्रशासनिक तथा अन्य प्रकार की व्यवस्था पर विस्तृत रूप से हाल में विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिए गए हैं, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार कर रही है।

(11)

वैज्ञानिक औद्योगिक

78 वैज्ञानिक औद्योगिकों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने के कारण वैज्ञानिक अनुसन्धान के विकास और विद्यालयों तथा कालेजों में विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओं के सुधार और विस्तार में बड़ी भारी बाधा आती है। सन् 1959 में वैज्ञानिक औद्योगिक समिति ने विभिन्न क्षेत्रों की वैज्ञानिक औद्योगिकों की आवश्यकता का आकलन किया और यह सिफारिश की कि वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय में एक वैज्ञानिक औद्योगिक-निदेशालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद् के अधीन एक वैज्ञानिक औद्योगिक-संगठन स्थापित किया जाए। इन सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिपद् ने अक्टूबर 1959 में केन्द्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक-संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने वैज्ञानिक औद्योगिकों का उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धि, उत्पादन-क्षमता का विस्तार, किस्म-नियन्त्रण, आदि की तकनीकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक औद्योगिकों के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। इस समय लगभग 35 बड़ी और माध्यम इकाइयाँ विज्ञान, ड्राइंग, सर्वेक्षण, गणित और उद्योगो-सम्बन्धी औद्योगिकों का उत्पादन कर रही हैं। सन् 1956 में 63 लाख रुपये के मूल्य के औद्योगिकों का उत्पादन हुआ था, जब कि सन् 1960 में 3 करोड़ मूल्य के औद्योगिकों का

किए गए। इसके अतिरिक्त, छोटी इकाइयों में भी वैज्ञानिक श्रमिकों के उत्पादन की काफी गुंजाइश है। सन् 1956 में छोटी इकाइयों में कुल 35 लाख रुपये के मूल्य के श्रमिकों का उत्पादन होता था, जब कि सन् 1960 में 60 लाख रुपये के मूल्य के श्रमिकों का उत्पादन होने लगा। अभी प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये के वैज्ञानिक श्रमिकों का आयात किया जाता है। इस दृष्टि से, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें उत्पादन बहुत तेजी से और काफी बढ़ाया जा सकता है। सरकारी विभागों और शिक्षा-संस्थाओं को चाहिए कि वे वैज्ञानिक श्रमिकों की अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं का हिसाब लगा लें और उत्पादन करनेवाली फर्मों को अपनी मांग बता दें, ताकि वर्तमान तथा सम्भावित उत्पादनकर्ता उत्पादन के दीर्घकालीन कार्यक्रम बना सकें। देखा जाता है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिक खरीदने की कोई अभिन्न योजना नहीं बनाई जाती, क्योंकि कई बार तो शिक्षा-संस्थाओं को वर्ष के अन्त में ही धन दिया जाता है। परिणामतः रुपये जल्दी में खर्च किए जाते हैं और घटिया किस्म का सामान खरीद लिया जाता है। केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के क्रय-संगठनों और माल की भाग लेने-वाले विभिन्न अधिकारियों को चाहिए कि वैज्ञानिक श्रमिक-उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पद्धतियों के सुधार के लिए मिल कर प्रयत्न करें।

(12)

मानकीकरण, किस्म-नियन्त्रण और उत्पादकता

79 **मेट्रिक माप-तौल** : देश-भर में माप-तौल की प्रणाली का मेट्रिक पद्धति पर मानकीकरण करने का निश्चय दूसरी योजना के आरम्भ में ही कर लिया गया था। पिछले वर्षों में कई क्षेत्रों में मेट्रिक पद्धति को अपनाया गया है। कपास और पटसन के बस्त्र, लोहा और इस्पात, अलौह धातु, इजीनियरी, रसायन, सीमेंट, कागज, पेट्रोलियम, आदि उद्योगों में व्यापक लेन-देन में अब मेट्रिक पद्धति अपना ली गई है। सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क की दरें अब मेट्रिक इकाइयों में बताई जाती हैं। रेलवे, बन्दर-गाहों, जहाजरानी, आयात और निर्यात-व्यापार-नियन्त्रण और अन्य बहुत-सी केन्द्रीय और राज्यीय संस्थाओं ने मेट्रिक पद्धति अपना ली है। कुछ क्षेत्रों में मेट्रिक वाट अक्टूबर 1958 में लागू किए गए थे और अक्टूबर 1960 में उनका प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। देश के अन्य भागों में अप्रैल 1962 से मेट्रिक वाटों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। व्यापार में सन् 1961 में मेट्रिक क्षमता-माप और सन् 1962 में मेट्रिक लम्बाई-माप लागू करने का विचार है। अगले तीन वर्षों में मेट्रिक पद्धति बहुत हद तक अन्य पद्धतियों का स्थान ले लेगी। दिसम्बर 1966 के बाद देश में केवल मेट्रिक पद्धति को ही कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

80 **मानकीकरण** : औद्योगिक विकास और भाषनों के समुचित उपयोग की दृष्टि से मानकीकरण का बहुत महत्व है। सन् 1947 में भारतीय मानक-संस्थान की स्थापना हुई थी। इस संस्थान ने अब तक अधिकांश उद्योगों के लिए, जिनमें कृषि और साध-उत्पादन भी सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय मानक तैयार कर दिए हैं और अभी लगभग 1,900 मानक काम में लाए जा रहे हैं। 'इंडियन स्टैंडर्ड्स नॉटिफिकेशन मार्क एन्ट, 1952' के अन्तर्गत भारतीय मानक पर सही उत्तरनेवाले माल को प्राथमिक घोषित

करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक सख्या में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। भारतीय मानक-संस्थान उद्योगों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। मानकीकरण के उद्देश्यों को विशेष मानक-सम्मेलनों से बढ़ावा मिलता है और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों ने यह नियम बना लिया है कि वे सरकारी कार्यालयों के लिए भारतीय मानक के आचार पर ही माल खरीदेंगे। दूसरी योजना में भारतीय मानक तैयार करने की गति में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना के अन्त में जो गति थी, तीसरी योजना की श्रवण में उसे दुगुना करने का कार्यक्रम है। तीसरी योजना में उपभोक्ता-माल के मानक तैयार करने पर अधिक बल दिया जाएगा। मानकों को दृढ़तापूर्वक लागू करने के लिए कारखानों के स्तर पर मानकीकरण को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किए जाएंगे, वर्तमान उपभोक्ता-संगठनों को मजबूत बनाया जाएगा और नए संगठन स्थापित किए जाएंगे, तथा जन-शिक्षा पर बल दिया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य की विभिन्न शाखाओं में मेट्रिक प्रणाली लागू करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय मानक-संस्थान अपने वर्तमान मानकों को मेट्रिक पद्धति के अनुसार बना रहा है तथा अन्य ऐसे मानक तैयार कर रहा है, जिनकी नए माप-तौल के नियन्त्रण के लिए आवश्यकता होगी। संस्थान की वर्तमान सुविधाओं का, जिनमें अनुसन्धान-प्रयोगशालाएँ और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, विस्तार किया जाएगा। देश-भर की प्रयोगशालाओं में विभिन्न समस्याओं पर परीक्षण की व्यवस्था करने के अतिरिक्त संस्थान अपनी अनुसन्धान-प्रयोगशालाओं में दीर्घकालीन समस्याओं का अध्ययन भी करेगा।

81 किस्म-नियन्त्रण : मानकों से उत्पादनो की अपेक्षित किस्म का तो पता चलता है, किन्तु उनकी वास्तविक सफलता वैसी किस्म का माल प्राप्त करने के लिए अपनाई जानेवाली उन विभिन्न तकनीकों पर निर्भर करती है, जो 'किस्म-नियन्त्रण' के अन्तर्गत आती हैं। 'किस्म-नियन्त्रण' की अक-सकलन-पद्धतियों और नमूनाजन्य तकनीकों का उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरणों में स्थान है, जो इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इन तकनीकों को ठीक से अपनाने से कच्चे माल के इस्तेमाल की दृष्टि से सामग्रियों, मशीनों और कर्मचारियों के उपयोग के क्षेत्र में दक्षता बहुत बढ़ती है और अपेक्षित किस्म का माल तैयार होता है। भारतीय अक-सकलन-संस्था और इसकी शाखाओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, यह संस्था विभिन्न उद्योगों को अक-सकलन-विषयक-नियन्त्रण की समस्याओं पर सलाह देती है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना में इसका और तेजी से विस्तार किया जाएगा। किस्म-नियन्त्रण की सम्भावनाएँ असीम हैं—इसके कारण उत्पादन की किस्म में सुधार होता है, आहूको में विश्वास बढ़ता है तथा निर्यात का भी विस्तार होता है। अतः अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। किस्म-निर्भरण की बहुत-सी योजनाओं को अधिक-से-अधिक लागू किया जा रहा है—जैसे, भारतीय मानक-संस्थान की प्रमाणीकरण मार्किंग, ऐगमार्क योजनाएँ, तथा निर्यात-विकास-परिपक्षो-द्वारा संचालित योजनाएँ। तीसरी योजना में बहुत-से नए क्षेत्रों में इन गति-विधियों के विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है—विशेषकर, जहाज में माल लाने से पूर्व उसका परीक्षण तथा ऐसे ही कुछ अन्य आसान तरीके अपनाने होंगे, ताकि निर्यात किए जानेवाले माल की किस्म की जाच की जा सके। ऐसे तरीके उत्पादन के

सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए । यदि आवश्यक हो, तो कानून भी बनाया जाना चाहिए ।

82 उत्पादकता . विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता की वृद्धि की शीघ्र गति से ही किसी उद्योग की प्रगति की गति का सही-सही पता लगता है । जैसा कि पहले एक अध्याय में बताया जा चुका है, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा आवश्यकता का वास्तविक आधार उत्पादकता की वृद्धि है । हमारे देश में उत्पादकता-आन्दोलन अभी आरम्भ ही हुआ है । किन्तु इसके महत्व को अब मली-भाति अनुभव किया जाने लगा है । सन् 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् की स्थापना की गई थी । तब से भारतीय उद्योगों में उत्पादकता-वृद्धि का आन्दोलन उत्तरोत्तर तेज होता जा रहा है । पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् के तत्वावधान में 43 स्थानीय उत्पादकता-परिषदें स्थापित की गई हैं और बहुत-से लोगों ने उत्पादकता-सम्बन्धी विचार-गोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लिया है । इस प्रकार यह प्रयत्न किया गया है कि इस क्षेत्र की समस्याओं और तकनीकों को अधिक-से-अधिक लोग समझें । राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् ने 230 प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों का सगठन किया है, जिनमें लगभग 4 हजार प्रबन्धकों, तकनीशियनों और निरीक्षकों ने भाग लिया है । उच्च प्रबन्ध-कार्यक्रमों में वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों ने भी भाग लिया है । आशा है कि कुछ समय बाद राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् के कार्यक्रमों का सम्बन्ध अखिल भारतीय प्रबन्ध-संस्था और राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी-प्रशिक्षण-संस्था के कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया जाएगा । तीसरी योजना में प्रबन्धकों, तकनीशियनों और निरीक्षकों के सामान्य प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है । प्रशिक्षण के अन्तर्गत कारखानों में पहले से अधिक मात्रा में उत्पादकता-सम्बन्धी तकनीकों को अपनाने का कार्यक्रम भी शामिल होगा । साथ ही, उत्पादकता की कुछ विशेष तकनीकों में प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा । राष्ट्रव्यापी स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए न केवल अधिक उन्नत पद्धति और बेहतर सगठन तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाने की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्तिगत मानवीय सम्बन्धों में परिवर्तन करने, प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता देने तथा मिल कर काम करने और प्रत्येक उद्योग में सामूहिक हित और दायित्व की भावना उत्पन्न करने की भी आवश्यकता है ।

स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन

तीसरी योजना में स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन-सम्बन्धी कार्यक्रमों का उद्देश्य मोटे तौर पर स्वास्थ्य-सेवाओं का विस्तार, एक निश्चित न्यूनतम शारीरिक कल्याण की व्यवस्था से जनता के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार तथा अधिक कुशलता और उत्पादकता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करना है। निरोधक सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाओं पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा। दूसरी योजना के समान तीसरी योजना में भी सफाई, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, विशेष रूप से गाँवों और शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार, सक्रामक रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य-सेवाओं के लिए और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सत्यागत सुविधाओं की व्यवस्था तथा मातृ और शिशु-कल्याण, स्वास्थ्य-शिक्षा और पौष्टिक आहार-सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए गए हैं। तीसरी योजना में परिवार-आयोजन को भी बहुत ऊँची प्राथमिकता दी गई है।

2 पहली और दूसरी योजनाओं में इन कामों के लिए निश्चित व्यय-राशि क्रमशः 140 और 225 करोड़ रुपये थी। इसकी तुलना में तीसरी योजना के कार्यक्रमों के लिए कुल 342 करोड़ ₹० रखे गए हैं। इसमें से लगभग 297 करोड़ ₹० राज्यों की योजनाओं के लिए तथा शेष केंद्रीय कार्यक्रमों के लिए निश्चित किए गए हैं। इस राशि को विभिन्न मदों में इस प्रकार बाँटा गया है।

तालिका-संख्या 1
व्यय-राशि का वितरण

कार्यक्रम	(करोड़ रुपये)		
	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
स्वास्थ्य			
जल की व्यवस्था और सफाई (ग्रामीण और शहर)	49 0	76 0	105 3
प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवाएँ, अस्पताल और शोधालय	25 0	36 0	61 7
मन्त्रालय रोगों की रोकथाम	23 1	64 0	70 5
शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान	21 6	36 0	56 3
देशी चिकित्सा-प्रणालियाँ, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा	0 4	4 0	9 8
अन्य योजनाएँ	20 2	6 0	11 2
परिवार-आयोजन	0 7	3 0	27 0
योग	140 0	225 0*	341 8

* आनुवंशिक व्यय 216 करोड़ ₹० होने की सम्भावना है।

(1)

स्वास्थ्य

प्रगति और कार्यक्रम

3 पिछले दस वर्षों में विभिन्न स्वास्थ्य-कार्यक्रमों में बहुत प्रगति हुई है, अनेक दिशाओं में तो उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम के फलस्वरूप इस रोग से ग्रस्त होनेवालों की संख्या में काफी कमी आई है। सन् 1958 में रोकथाम के स्थान पर मलेरिया को समूल नष्ट कर देने का कार्यक्रम अपनाया गया। फाइ-लेरिया, तपेदिक, कोढ़ और यौन रोग-जैसे सक्रामक रोगों की रोकथाम की दिशा में भी प्रशान-नीय प्रगति हुई है। अस्पतालों और औपचारिकों की संख्या सन् 1950-51 में 8,600 थी, जो सन् 1960-61 में बढ़ कर 12,600 हो गई, रोगी-शय्याओं की भी संख्या 1,13,000 में बढ़ कर 1,85,600 हो गई। 20 करोड़ की आबादी के 2,800 विकान-खंडों में बुनियादी ढंग के स्वास्थ्य-संगठन स्थापित किए जा चुके हैं, जो सामान्यतः सभी रोगों के सम्बन्ध में निरोधक और उपचारात्मक कार्य करते हैं। दूसरी योजना के अन्त में देशी चिकित्सा-प्रणाली की शिक्षा देनेवाली 78 संस्थाएँ थीं, जिनमें प्रतिवर्ष 1,375 विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे। आजकल 98 अस्पतालों और 5,372 औपचारिकों में देशी प्रणाली से चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं; इनमें कुल 2,462 रोगी-शय्याएँ हैं। गहरो में पीने का पानी मुह्य्या करने और जल-निकासी-सम्बन्धी 664 योजनाएँ, जिन पर खर्च का अनुमान 112 करोड़ रु० है, या तो पूरी हो चुकी हैं या उन पर काम जारी है। सामुदायिक विकान-कार्यक्रमों, स्थानीय विकान-कार्यों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यों के अन्तर्गत देहातो में पीने का पानी मुह्य्या करने की जो योजनाएँ क्रियान्वित हो चुकी हैं, उनके अतिरिक्त स्वास्थ्य-कार्यक्रम के अन्तर्गत 228 और योजनाएँ हाथ में ली गई हैं। इन पर कुल खर्च का अनुमान 20 करोड़ रु० है।

4 जन्म और मरण की दर-सम्बन्धी आकड़े तैयार करने के काम की अपनी सीमाएँ हैं और सन् 1951 के बाद के काल के लिए कच्चे अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। फिर भी, नीचे की तालिका से जनता के स्वास्थ्य में हुए क्रमिक सुधार का मोटे तौर पर पता चलता है

तालिका-सरया 2

जन्म-दर, मरण-दर और सम्भावित आयु-सीमा--1941-61

अवधि	जन्म- दर	मरण- दर	वाल-मृत्यु-दर		जन्म के समय आयु की सम्भावित सीमा	
			पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1941-51	39.9	27.4	190.0	175.0	32.15	31.65
1951-56	41.7	25.9	161.4	116.7	37.76	37.49
1956-61	40.7	21.6	142.3	127.9	41.68	42.06

5 दूसरी योजना की अवधि की समाप्ति तक व्यापक और मन्द-गति से बहुत विकान होने के बावजूद कुछ घुटिया विरोध रूप में परिभाषित हुईं। अन्तर्गत में सत्तागत सुविधाएँ विल्कुल अपर्याप्त थीं—निरीर रूप में देशों में। देशों की

में डाक्टरों की नख्या उचित अनुपात में नहीं थी, अनेक शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों की संख्या बहुत अधिक थी, तो देहाती क्षेत्रों में आम तौर पर बहुत कम। अस्पतालों और औपचालयों में भी कर्मचारियों की नख्या पूरी नहीं थी। प्रशिक्षित कर्मचारियों और कुछ हद तक साज-सामान की कमी के कारण देश के अनेक भागों में सक्रामक रोगों की रोकथाम के काम में बहुत कठिनाइया आईं। ग्रामों में पीने का पानी मुहय्या करने के काम में कुछ प्रगति होने के बावजूद बहुत बड़ा देहाती क्षेत्र ऐसा बच गया, जहाँ पीने का साफ-सुरक्षित पानी नहीं पहुँचाया जा सका। अनेक शहरी क्षेत्रों में आवादी तेजी से बढ़ने के कारण जल-निकाली की समस्या उत्पन्न हो गई।

6 तीसरी योजना का उद्देश्य, मोटे तौर पर, वे सब कमियाँ दूर करना है, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। एक मुख्य लक्ष्य यह है कि तीसरी योजना के अन्त तक देश के प्रायः सभी गावों में पीने का पानी पहुँचा दिया जाए। सत्यागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य-सेवाएँ धीरे-धीरे अधिक लोगों तक पहुँच सकें, विशेष रूप से देहाती में। मनेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा तथा चेचक के उन्मूलन एवं फाइलेरिया, हैजा, तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्य सक्रामक रोगों की रोकथाम के प्रयत्न किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल-निकाली का प्रबन्ध किया जाएगा।

नीचे की तालिका में तीसरी योजना के विशिष्ट भौतिक लक्ष्यों तथा पहली और दूसरी योजना की प्रगति का विवरण सार-रूप में दिया गया है।

तालिका-संख्या 3

उपलब्धियाँ और लक्ष्य

वर्ग/इकाइया	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
अस्पताल और औपचालय				
नस्थाएँ	8,600	10,000	12,600	14,600
रोगी-शय्याएँ	1,13,000	1,25,000	1,85,600	2,40,100
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइया	—	725	2,800	5,000
मेडिकल शिक्षा				
मेडिकल कालेज	30	42	57	75
वार्षिक प्रवेश-नख्या	2,500	3,500	5,800	8,000
दन्त-चिकित्सा-शिक्षा				
दन्त-कालेज	4	7	10	14
वार्षिक प्रवेश-नख्या	150	231	281	400
प्रशिक्षण-कार्यक्रम				
डाक्टर*	56,000	65,000	70,000	81,000
नर्स*	15,000	18,500	27,000	45,000
महापक नर्स-मिडवाइफें और मिडवाइफें*	8,000	12,780	19,900	48,500
स्वाम्थ्य-निरीक्षक*	521	800	1,500	3,500

* प्रशिक्षित या नौकरी पर रहे व्यक्तियों की संख्या।

तालिका-संख्या 3—(जारी)

वर्ग/इकाइया	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
नर्स-डाइया/डाइया*	1,800	6,400	11,500	40,000
सफाई-निरीक्षक*	3,500	4,000	6,000	19,200
श्रीपथ-निर्माता	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	42,000	48,000
सक्रामक रोगों की रोकथाम				
मलेरिया				
इकाइया	—	133	390	390†
साम उठानेवाली जन-संख्या (लाख में)	—	1,070	4,380	4,970
फाइलेरिया				
इकाइया	—	11	48	48
साम उठानेवाली जन-संख्या (लाख में)	—	15 1	24 6	अनुपलब्ध
तपेदिक				
बी० सी० जी० दल	15	119	167	167
तपेदिक-श्रीपथालय	110	160	220	420
तपेदिक के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-केन्द्र	—	3	10	15
रोगी-अभ्यास	10,371	22,000	26,500	30,000
कुष्ठ रोग				
सहायता-केन्द्र	—	33	135	235
यौन रोग				
यौन रोग-श्रीपथालय	—	—	83	189
मातृ और शिशु-स्वास्थ्य-केन्द्र	1,651	1,856	4,500	10,000

पानी की व्यवस्था और सफाई

7 गावों में पानी की व्यवस्था: गावों में पानी पहुँचाने की समस्या हर प्रदेश में भिन्न-भिन्न रूप में है, अनेक बार तो एक ही प्रदेश में समस्याएँ एक जैसी होती हैं। गावों में पानी पहुँचाने का कार्यक्रम मुख्यतः सामुदायिक विकास, स्थानीय विकास और निर्मिते वर्गों के कल्याण-कार्यक्रमों के अंतर्गत रहा है। 'स्वास्थ्य' के अंतर्गत राष्ट्रीय जल-पानुनि और 'साम' के कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम का पूरक है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उपयोग उन गावों में पानी पहुँचाने के लिए किया जाता है, जहाँ जल-व्यवस्था के डिजाइन बनाने तथा निर्माण कार्य में सहायता

*प्रैक्टिस या चौकरी कर रहे व्यक्तियों की संख्या।

†तीसरी योजना के उत्तरार्ध में ये इकाइयाँ धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाएँगी।

कुशलता की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम में उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां पानी की वेहद कमी है, पानी अत्यधिक खारा है और जहां पानी के कारण रोगों की अधिकता है। पहली और दूसरी योजनाओं में इस कार्यक्रम पर कुल 33 करोड़ २० खर्च किए गए थे और पाइप डाल कर 11,000 गांवों में पानी पहुंचाया गया था।

8 अनेक राज्यों में देहातो में जल-आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के संश्लेषण में सर्वेक्षण किया जा रहा है। जहां ऐसे सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किए गए हैं, वहां इनकी व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार हर राज्य की समस्या का सही अनुमान लगाया जा सकेगा और यही तीसरी योजना में क्रियान्वित होनेवाले विस्तृत कार्यक्रम का आधार होगा। तीसरी योजना के अन्त तक अधिकतर गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य के लिए केवल सघन प्रयत्न ही आवश्यक नहीं हैं, बल्कि इस बात की भी जरूरत है कि खिल्ला और लड-स्तर पर, देहातो को पानी पहुंचाने के कार्य में लगी सभी समस्याओं में ठोस समन्वय हो और स्थानीय लोगों से पहल एवं अधिकतम योगदान प्राप्त किया जाए। पहली और दूसरी योजनाओं के अनुभव ने सुझाया है कि ग्रामीण जल-व्यवस्था के तकनीकी डिजाइन और अनुमान तैयार करने तथा खर्च कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

9 विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों में पानी पहुंचाने के लिए तीसरी योजना में लगभग 67 करोड़ २० की व्यवस्था है। इसमें 35 करोड़ २० ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम के लिए, 16 करोड़ २० 'स्वास्थ्य' के अन्तर्गत राज्यों के कार्यक्रमों के लिए, 12-13 करोड़ २० सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए और 3-4 करोड़ २० पिछड़े वर्गों के विकास के कार्यक्रम के लिए शामिल है। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम के लिए निश्चित राशि का मुख्य भाग इन क्षेत्रों के लिए है : (क) पिछड़े क्षेत्र, (ख) सामुदायिक विकास-कार्यक्रम ने बाहर के क्षेत्र, (ग) पूर्व-विस्तार खड, और (घ) वे खड, जो सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना पहला और दूसरा दौर पूरा कर चुके हैं। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम-स्तर पर देहातो में पानी पहुंचाने का प्रयत्न करना है। नियम के रूप में, प्रति गांव पर 10,000 २० की सीमा अपनायी होगी। जन-सहयोग 50 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है, परन्तु दुर्गम या पिछड़े क्षेत्रों में यह अनुपात बदला जा सकता है। जन-समूहों की योजनाएं, जहां पाइपों से पानी पहुंचाना है और कार्यक्रम के लिए इंजीनियरी-सरीखे कामों की आवश्यकता है, 'स्वास्थ्य' के अन्तर्गत आती हैं, परन्तु ऐसी योजनाओं के लिए भी ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम की 10,000 २० प्रति गांव की दर में से कुछ धन दिया जा सकता है। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम का संचालन पंचायत-नमितियों और ग्राम-पंचायतों के द्वारा लड-स्तर पर किया जाएगा और इसके लिए लड-स्तर के मजदूर की मार्फत धन, मुहैया किया जाएगा। सुझाव है कि स्थानीय स्तर पर एक सामान्यतः सर्वोत्तम कार्यक्रम होना चाहिए, जिनके अन्तर्गत जल-व्यवस्था के लिए निर्धारित कुल राशि का प्रभावशाली टग से उपयोग हो सके। यह कार्यक्रम सावधानी से किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित होना चाहिए।

10 गांवों में पानी पहुंचाने के साथ ही गांवों में नफाई के कार्यक्रम पर, विशेष रूप से गांवों के नल की उचित तरीके से व्यवस्था करने पर, अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। गांवों में शौचालयों के उचित डिजाइन और निर्माण की समस्याओं तथा इन कार्यक्रमों के शिक्षा और मजदूर-सम्बन्धी पहलुओं का ध्यान में ही अध्ययन किया गया था। कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कार्य करने की मोटी दररेवा काफी हद तक तैयार कर ली गई है। शुरू में,

प्रगति यद्यपि बहुत धीमी रहेगी, तथापि यह जरूरी है कि हर विकास-खंड में ग्राम-स्वच्छता की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाने और स्कूलों, शिविरो, मकान-समूहों और जहा सम्भव हो, हर मकान के लिए अलग और स्वच्छ शौचालयों के उपयोग का प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जाए। यदि स्थानीय सफाई-निरीक्षक शौचालय तैयार करने के काम में भी प्रशिक्षित हो, तो शौचालयों का प्रचलन अधिक लोगों में करना आसान हो जाएगा। स्थानीय लोगों के योगदान से ऐसे शौचालय बहुत कम खर्च से तैयार किए जा सकते हैं। खड-कार्यक्रम के रूप से इस पर काम शुरू करने से शीघ्र ही अधिक ठोस परिणाम निकलने की सम्भावना है। स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा निस्सन्देह ग्राम-स्वच्छता के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साफ, दुर्गन्धरहित और सस्ते शौचालयों से होनेवाले लाभ और सुविधाए स्पष्ट हैं। मानव-मल के खाद-गुणों की रक्षा करने तथा भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी ये कम आवश्यक नहीं हैं।

11 शहरों में पानी की व्यवस्था : शहरों में पानी की आपूर्ति के कार्यक्रमों पर केंद्रीय और राज्य-सरकारों के ऋणों की सहायता से नगरपालिकाएँ और नगर-निगम अमल कर रहे हैं। शहरों में पानी की आपूर्ति के कार्यक्रमों के लिए स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में जो प्राथमिकताएँ दूसरी योजना में स्वीकार की गई थी, वे तीसरी योजना में भी कायम रहेंगी। वे इस प्रकार हैं

- (1) नगरपालिका के वे क्षेत्र, जहा साफ पानी पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है,
- (2) उन शहरी क्षेत्रों में पानी की वर्तमान व्यवस्था का विस्तार अथवा उसमें सुधार, जहा वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है अथवा जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक है,
- (3) तीर्थ-स्थान, और
- (4) नलों-द्वारा पानी की व्यवस्थावाले क्षेत्र, जहा गन्वगी की सफाई तथा जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी खतरों दूर करने के जल-निकासी की नई व्यवस्था करना अथवा वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक हो।

12 पहली दो योजनाओं में शहरों को पानी मुहय्या करने एवं सफाई के कार्यक्रमों का उद्देश्य डेढ़ करोड़ शहरी जनता को साफ पानी देना और जल-निकासी की व्यवस्था करना था। इनमें से 450 कार्यक्रम दूसरी योजना के अन्त तक पूरे हो जाएंगे और बाकी तीसरी योजना में जारी रहेंगे। पहली और दूसरी योजनाओं के कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं बम्बई की नैतरणा-तन्सा-योजना, तथा दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर, अहमदाबाद, उत्तर-प्रदेश के कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ नगरो एवं आंध्रप्रदेश के विशाखा-पटनम नगर की जल-आपूर्ति और जल-निकासी-व्यवस्था में सुधार। इन कार्यक्रमों को पूरा करने में कुछ ऋटिया रह गईं। ये ऋटिया मुख्यतः प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव, अपर्याप्त सगठन एवं आयोजन, तथा सामग्रियों, विशेष रूप से गलबनाइड लौह पाइप, पम्प सेट और सम्बद्ध उपकरणों-की कमी के कारण रह गई थी।

13 दूसरी योजना के शहरी जल-आपूर्ति-कार्यक्रमों के अनुभवों के परिणामस्वरूप तीन मुख्य सुझाव पेश किए जा सकते हैं। पहला, शहरी जल-आपूर्ति-योजनाओं को विशेष रूप से बड़ी योजनाओं को समुचित रूप से क्रमबद्ध करना जरूरी है, ताकि परियोजना के विभिन्न अंग सिलसिलेवार रहें और हर दौर में व्यय की गई राशि का कुछ लाभ मिलता जाए। विलम्ब रोजने

के लिए योजनाओं और अनुमानों की तकनीकी जाच-पड़ताल आवश्यक है। दूसरा, प्राप्त धनराशि का सबसे अधिक लाभकारी उपयोग करने की दृष्टि से यह उचित होगा कि बहुत-सी योजनाओं में थोड़ा-थोड़ा धन न लगाया जाए। इसके लिए समुचित सिद्धान्त तय करके शहरी जल-आपूर्ति-योजनाओं का सावधानी से चुनाव करना जरूरी है। तीसरा सुझाव यह कि एक बार परियोजना के स्वीकृत होने पर सम्बद्ध नगरपालिका राज्य-सरकार-द्वारा निश्चित सीमा तक उसके निर्माण में न केवल खर्च का कुछ बोझ उठाए, बल्कि निर्माण के बाद उसके अनुरक्षण की भी जिम्मेदारी सम्भाले। सभी राज्यों में सुगठित जन-स्वास्थ्य-इंजीनियरी-विभागों की भी आवश्यकता है। ये विभाग विभिन्न जल-आपूर्ति-योजनाओं के इंजीनियरी और स्वास्थ्य के पहलुओं में आवश्यक समन्वय कर सकते हैं, चाहे वे योजनाएँ राज्य-सरकारों की हों अथवा नगर-निगमों या नगरपालिकाओं की। जहाँ भी यह समन्वय नहीं हो सका, वही काम पूरा करने में देर हुई और अनुरक्षण भी सन्तोषजनक नहीं रहा। कानून-द्वारा स्थापित जल और मल-व्यवस्था-मंडल, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्र में जल-आपूर्ति और मल-व्यवस्था की योजनाएँ चलाने के लिए बनाया गया हो और जिन्हें ऋण जारी करने एवं शुल्क लगाने का भी अधिकार हो, जल-आपूर्ति-योजनाओं के कुशल प्रबन्ध और संचालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सस्याएँ हैं।

14 तीसरी योजना के काल में शहरी जल-आपूर्ति तथा जल-निकासी-योजनाओं के लिए 89 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। शहरी जल-आपूर्ति के लिए निश्चित रकम से एक सीमित संख्या में ही नई योजनाएँ हाथ में ली जा सकती हैं। राज्यों-द्वारा आरम्भ की जानेवाली अन्य जल-आपूर्ति एवं जल-निकासी-योजनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएँ भी गुरु अथवा पूरी की जाएँगी : मद्रास, जवलपुर, बगलोर, भयलोर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और उत्तरप्रदेश के कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ नगर, आन्ध्रप्रदेश की विशाखापटनम और मजीरा जल-आपूर्ति-योजनाएँ तथा केरल की एरणाकुलम-मत्तनचेरी एवं त्रिवेन्द्रम जल-आपूर्ति तथा जल-निकासी-योजनाएँ।

15 जल-निकासी एवं मल-व्यवस्था के कार्यक्रमों के महत्व और प्रबल आवश्यकता तथा कस्बों और अन्य नगरों में मल की समुचित व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जल-आपूर्ति के मुकाबले उक्त सुविधाएँ अभी पिछड़ी हुई हैं और यह आवश्यक है कि जल-निकासी और मल-व्यवस्था की योजनाएँ भी जल-आपूर्ति के साथ ही चलाई जाएँ और वे एक समन्वित कार्यक्रम का अंग बनें। इससे शहरों की जल-आपूर्ति-योजनाओं के परिणामस्वरूप मच्छरों की संख्या में वृद्धि तथा सफाई-व्यवस्था की श्रवणति से बचाया जा सकेगा। 1,00,000 से ऊपर की आबादीवाले नगरों में आवश्यक है कि जल-आपूर्ति-योजनाओं की अनुमानित लागत का 20 से 30 प्रतिशत तक हिस्सा मल-व्यवस्था पर खर्च किया जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयाँ, अस्पताल और औषधालय

16 दूसरी योजना के अन्त तक अधिकांश विकास-खंडों में 2,800 प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयाँ स्थापित हो चुकेगीं। अस्पतालों और औषधालयों की संख्या सन् 1951 के 8,600 से बढ़ कर सन् 1961 में 12,600 हो जाएगी। इसी अवधि में अस्पतालों में रोगी-शय्याओं की संख्या 1,13,000 से बढ़ कर 1,85,600 हो जाएगी।

दूसरी योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों के कार्य-संचालन से मालूम पड़ता है कि इस कार्यक्रम की प्रगति में निम्नलिखित बाधाएँ रही (1) स्वास्थ्य-कर्मचारियों की कमी, (2) इमारतों और कर्मचारियों के रहने के क्वार्टरों के निर्माण में देरी, (3) देहातों में सेवा के लिए आनेवाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाएँ। प्राथमिक-स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने की भी जल्दत महसूस की गई है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य-सेवाओं की सामान्य गतिविधियों में भलेरिया, तपेदिक, आदि की रोकथाम की सेवाओं का जल्दी-से-जल्दी समन्वय करने की भी आवश्यकता अनुभव की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाए जानेवाले अन्य कदम ये हैं - न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को व्यवस्था, आवश्यक-प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था तथा उस क्षेत्र की अन्य स्वास्थ्य-सेवाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों के कार्यों का एकीकरण।

17 पर्याप्त मख्या में डाक्टर प्राप्त करने में कठिनाई महसूस की गई है। देहाती क्षेत्रों के लिए कर्मचारियों को आकृष्ट करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ और वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं

- (1) जैसा कि कुछ राज्यों में हो भी रहा है, शहरी और देहाती क्षेत्रों में काम करनेवाले कर्मचारियों का एक ही वर्ग होना चाहिए। सेवा-नियमों में यह शर्त शामिल कर दी जाए कि कर्मचारियों के वर्ग में आनेवाले हर व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक देहातों में काम करना पड़ेगा, इसके बाद ही वह अगला ऊँचा वेतन-क्रम पा सकेगा या योग्यता-अवरोध को पार कर सकेगा। जल्दी पद-वृद्धि करने, अधिम वेतन-वृद्धि करने तथा स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण के लिए चुनाव करते समय देहातों में की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- (2) देहातों में काम करनेवाले चिकित्सा-कर्मचारियों को रहने के लिए मकान और अन्य सुविधाएँ दी जानी चाहिए। उनके अतिरिक्त व्यय-भार (बच्चों की शिक्षा, आदि) का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
- (3) प्रशिक्षणार्थी छात्रों को बड़ी सख्या में छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ, वशतकि वे यह प्रतिज्ञा करें कि स्नातक बनने के बाद एक निश्चित न्यूनतम अवधि तक देहातों में काम करेंगे।
- (4) शहरी और देहाती, दोनों स्थानों पर काम करनेवाले डाक्टरों को सेवाएँ अस्पतालों और औपचारिक तथा स्कूल-स्वास्थ्य-सेवा के लिए आंशिक समय के लिए प्राप्त की जाएँ।
- (5) प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों और उप-केंद्रों के लिए चिकित्सा-अधिकारियों के अलावा देणी चिकित्सा-अणालियों में समुचित रूप से प्रशिक्षित स्नातकों को भी सेवाएँ प्राप्त की जाएँ।

18 प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों का स्तर बनाए रखने और उन्हें विशेष सुविधाओं का लाभ पहुँचाते रहने के लिए यह जरूरी है कि इन इकाइयों को जिला के और अन्य विशिष्ट अस्पतालों से सम्बद्ध किया जाए। फिलहाल विशेष सेवाएँ बड़े नगरों के ही अस्पतालों में उपलब्ध हैं। छोटे कस्बों और गावों की जनता को इन सेवाओं का लाभ पहुँचाने के लिए

यह जरूरी है कि जिला और सब-डिवीजन के अस्पतालों में रोगी-शय्याओं की संख्या बढ़ाई जाए और वहा एक्स-रे, खून, धूक, आदि की परीक्षा, चिकित्सा, आपरेशन आदि तथा प्रसूति-सम्बन्धी विशेष सुविधाएँ उपलब्ध की जाएँ। अस्पतालों में शय्याओं की संख्या में वृद्धि के अतिरिक्त, बाहरी रोगियों की चिकित्सा के विभागों को बहुरोगी-अस्पतालों का रूप दिया जाए, जिससे बाहरी विभाग में ही तकनीकी साज-सामान उपलब्ध हो और चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो सके।

19 तीसरी योजना में 2,000 नए अस्पताल और औषधालय खोलने तथा 54,500 अतिरिक्त शय्याओं का प्रबन्ध करने का लक्ष्य है।

संक्रामक रोगों की रोकथाम

20 तीसरी योजना में मलेरिया, फाइलेरिया, तपेदिक, चेचक, यौन रोग, कुष्ठ रोग, हैजा और गिल्लड-जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। मलेरिया और चेचक के उन्मूलन पर विशेष बल दिया जाएगा। संक्रामक रोगों की रोकथाम पर पहली योजना में 23 करोड़ रु० तथा दूसरी योजना में 64 करोड़ रु० खर्च किए गए। तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर कुल 70 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे।

21 मलेरिया-उन्मूलन : पहली दो योजनाओं में किए गए मलेरिया-निरोधक उपायों से इस रोग की भीषणता में बहुत कमी हुई है। सन् 1952-53 में मलेरिया ने साठे सात करोड़ लोगों पर आक्रमण किया था, जब कि सन् 1960-61 में यह संख्या घट कर 1 करोड़ रह गई। बच्चों के तिल्ली बढने की दर सन् 1956 में 7.7 प्रतिशत थी, जो सन् 1960 में गिर कर 1.4 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, जिन बच्चों के रक्त में मलेरिया के कीटाणु पाए गए, उनका दर 1.8 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत रह गई तथा पशुओं के मामले में यह दर 0.7 प्रतिशत से घट कर 0.1 प्रतिशत रह गई। दूसरी योजना के अन्त में 390 मलेरिया-उन्मूलन-इकाइयाँ काम कर रही थीं। साथ ही, निगरानी की कार्रवाई भी चालू कर दी गई है और ज्यों-ज्यों तीसरी योजना आगे बढ़ेगी, त्यों-त्यों ये इकाइयाँ कम कर दी जाएँगी और आवश्यकता पडने पर, विशेष रूप से सीमा-क्षेत्रों में, केवल थोड़ी-सी इकाइयाँ काम करने के लिए रख ली जाएँगी।

22 फाइलेरिया की रोकथाम : फाइलेरिया रोग विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी योजना की अवधि में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि संक्रामक क्षेत्रों में 4 करोड़ व्यक्तियों को इन रोगों की आशंका है। इसकी रोकथाम के उपायों में सामूहिक रूप से दवा-वितरण, मच्छर-नाशक कार्रवाई और सारवा-नाशक कार्रवाई शामिल है। फाइलेरिया मुख्यतः एक बाहरी समस्या है तथा इसके निरोध के लिए प्रभावशाली वीरुषकालीन उपाय सफाई का समुचित प्रबन्ध है। सन् 1956 में फाइलेरिया-निवन्धन-केन्द्रों की संख्या 11 थी, जो 1961 में बढ़ कर 48 हो गई। तीसरी योजना में फाइलेरिया-निरोधक उपाय जारी रहेंगे, परन्तु इन रोगों से अस्त दाहरो में जल-निकासी-कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

23 चेचक : चेचक को भारत में एक महामारी का स्वरूप प्राप्त है और अन्य देशों में भी पहले भयंकर का बरतार सतता रहता है। टीके लगाने के आन्दोलनों के कारण चेचक रोग

से मरनेवालों और बढसूरत हो जानेवालों की सख्या में कमी हुई है, परन्तु वर्ष के कुछ मौसमों में चेचक का आक्रमण अब भी हो जाता है तथा 5-6 वर्ष में एक बार यह महामारी के रूप में प्रकट हो जाती है।

चेचक ऐसा रोग है, जिसे रोकना सम्भव है। टीका लगाना ही इस रोग के लिए सबसे बड़ा निरोधक अस्त्र है। इसलिए तीसरी योजना में यह तय किया गया है कि चेचक रोग का समूल नाश करने का प्रयत्न किया जाए। सन् 1960-61 में सभी राज्यों में परीक्षण के लिए प्रारम्भिक योजनाएँ शुरू की गई थी। तीसरी योजना के कार्यक्रमों की मुख्य बातें ये होंगी - (1) टीके की दवा के उत्पादन में वृद्धि, (2) टीका लगानेवाले कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, (3) अगली बार महामारी के रूप में चेचक फैलने से पहले सारी आवादी को टीका लगाने का काम। टीके की दवा का उत्पादन बढ़ाने की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है।

24 तपेदिक : चिकित्सा-सम्बन्धी भारतीय परिपद के तत्वावधान में हाल में ही नमूने के तौर पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में फेफड़ों की तपेदिक के रोगियों की सख्या प्रायः 50 लाख है, जिसमें से 15 लाख को छूतवाली तपेदिक है। यह भी पता चला है कि तपेदिक से मरनेवालों की सख्या चाहे कम हो गई हो, उससे अस्त रोगियों की दर शहरो और देहातो, दोनों में प्रायः उतनी ही है। दूसरी योजना में करीब 12 करोड़ लोगों की वी० सी० जी० का टीका लगा कर जाच की गई थी। तपेदिक के औपचालकों की सख्या सन् 1956 के 160 से बढ़ा कर सन् 1961 में 220 कर दी गई। तपेदिक-निरोधक तरीकों का प्रदर्शन करने तथा उनका प्रशिक्षण देने के लिए 10 केन्द्र स्थापित किए गए। तपेदिक के रोगियों के लिए शय्याओं की भी सख्या बढ़ा कर सन् 1956 के 22,000 की तुलना में सन् 1961 में 26,500 कर दी गई। सन् 1959 में बंगलोर में एक राष्ट्रीय तपेदिक-प्रशिक्षण-संस्थान की स्थापना की गई।

तीसरी योजना में वी० सी० जी० का टीका लगाने का आन्दोलन बढ़ाया जाएगा तथा 10 करोड़ और व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। औपचालकों की सख्या भी 220 से बढ़ाकर 420 कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रों में सेवा के लिए 25 चलते-फिरते औपचालकों का प्रवन्ध किया जाएगा, जिनमें एक्स-रे की छोटी फिल्में लेने तथा सूत-पूक आदि के नमूने लेने एवं साधारण परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी। तपेदिक-सम्बन्धी प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए 5 और केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। तपेदिक के रोगियों के लिए 3,500 अतिरिक्त शय्याओं का प्रवन्ध किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप कुल रोगी-शय्याओं की सख्या सन् 1966 तक 30,000 हो जाएगी। रोग-मुक्ति के बाद की देखभाल तथा रोगमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 7 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

25 यौन रोग : देश में सामान्यतः व्याप्त यौन रोगों में जुड़ाक और गरमी प्रमुख हैं। नगरो, बन्दरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों और हिमालय के अञ्चल के क्षेत्रों में यह रोग अधिक है। शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण इन रोगों के और अधिक फैलने की आशंका है। दूसरी योजना के अन्त तक इन रोगों की रोकथाम के लिए 75 जिला-औपचालको और 8 मुख्यालय-औपचालको की स्थापना की जा चुकी थी। शोध विधान और उपचार के कारगर तरीकों के इस्तेमाल से आवादी में छूत लगने के कारणों को रोकने में काफी सफलता मिली है। तीसरी योजना में 100 और जिला-औपचालको तथा 6 और

मुख्यालय-श्रीषघालय स्थापित किए जाएंगे और रोग की रोकथाम के लिए प्रोकेन एल्युमीनियम मोनोसिट्रियेट (पी० ए० एम०) का मुफ्त वितरण किया जाएगा ।

26 कुष्ठ रोग - देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 20 लाख है । इनमें से 20-25 प्रतिशत का रोग तो छूत से फैलनेवाला है । रोग फैलने की घटनाएँ 0.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक हैं । आधुनिक दवाओं, विद्युत् रूप से सल्फोन, की सहायता से बड़े पैमाने पर उपचार के व्यापक और सघन उपायों से कोष्ठ पर नियन्त्रण रखा जा सकता है । दूसरी योजना के अन्त तक कोष्ठ के अध्ययन और उपचार-सम्बन्धी 135 केंद्रों की स्थापना की जा चुकी थी । 70 लाख व्यक्तियों का सर्वेक्षण हो चुका था और 90,000 व्यक्तियों का उनके घरों में ही उपचार किया गया था । विंगलपट-स्थित केन्द्रीय कुष्ठ रोग-शिक्षण और अनुसन्धान-संस्थान में इस रोग के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं पर अनुसन्धान होता है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । सन् 1958 में कुष्ठ रोग-नियन्त्रण-कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्थापित कुष्ठ रोग-सलाहकार-समिति ने भारत में कोष्ठ-नियन्त्रण-कार्य बढ़ाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं । कुछ सिफारिशें ये हैं - इस क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता और रहने के लिए मुफ्त मकान देना, सेवा-नियमों में सुधार करना और उनके लिए केन्द्रीकृत प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाना ।

तीसरी योजना में कुष्ठ रोग पर नियन्त्रण के कार्यक्रम में 100 और नियन्त्रण-इकाइयों की स्थापना, सर्वेक्षण, शिक्षण और उपचार-केंद्रों की स्थापना तथा चालू कार्यक्रमों को जारी रखने की व्यवस्था है । इस कार्यक्रम में अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं तथा समाज-सेवियों का भी सहयोग लिया जाएगा । महामारी के क्षेत्रों में हर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाई को कोष्ठ-नियन्त्रण-कार्य में केन्द्र-विन्दु के रूप में गठित किया जाएगा ।

27 हैजा . बहुत लम्बे समय से भारत में हैजा रोग बुरी तरह फैला हुआ है । हाल में ही एक विशेषज्ञ-समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पश्चिम-बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश और मद्रास की मुख्य नदियों के डेल्टा-क्षेत्र में पांच महामारी-क्षेत्र हैं, जिनमें से पश्चिम-बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र अधिक गम्भीर हैं । हैजा की महामारी को बार-बार भडकने से रोकने के लिए इन क्षेत्रों को समाप्त करना होगा । इसके लिए वहाँ की आबादी को पीने का शुद्ध पानी पहुँचाना होगा और मल-निकासी-व्यवस्था के आधुनिक तरीके अपनाने होंगे । व्यावहारिक उपाय यह है कि उन शहरों में पहले रोकथाम के उपाय किए जाएँ, जहाँ हैजा जल्दी फैलता है । देहातों की वारी बाद में आ सकती है, क्योंकि वहाँ की आबादी घनी न होने से रोग फैलने की सम्भावना कम है । भारत में सबसे बड़ा हैजा-केन्द्र वृहत्तर कलकत्ता है, जो पश्चिम-बंगाल के मुख्य हैजा-क्षेत्र के मध्य में है । नदी का पानी साफ करने की वर्तमान व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसका काफी विस्तार करना चाहिए । इस समय नगर का केवल दो-तिहाई हिस्सा ऐसा है, जहाँ भूगर्भ-नालियों-द्वारा मल-निकासी की व्यवस्था है । जल-आपूर्ति, जल-निकासी और मल-निकासी-व्यवस्था में सुधार और उनके आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक आयोजन करना और तुरन्त कार्य करना बहुत जरूरी है । विद्व-स्वास्थ्य-संगठन की ओर से एक दल ने हाल में ही कलकत्ता-क्षेत्र की जल-आपूर्ति एवं सफाई की स्थिति का अध्ययन किया था और अनेक कार्रवाइयों द्वारा ही शुरू की गई है ।

28 हैजे को जड़ से खत्म करने के लिए जल-आपूर्ति और सफाई की व्यवस्था में पहली और दूसरी योजनाओं के मुकाबले कहीं अधिक काम करना आवश्यक है। तीसरी योजना में सुरक्षित पानी की आपूर्ति का बड़ा कार्यक्रम अमल में लाया जाएगा। हैजाग्रस्त राज्यों में इस कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा महामारी के क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इन क्षेत्रों के लिए अलग से विशेष योजनाएं भी फौरन ही तैयार कर लेनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से कुछ और लेकर उक्त कार्यक्रम पूरे करने चाहिए। कोई कारण नहीं है कि तीसरी योजना के दौरान हैजे की तीव्रता काफी कम न हो जाएगी और चौथी योजना के अन्त तक इसका पूरा उन्मूलन नहीं हो जाएगा।

29 गिल्लड रोग : हिमालय के अंचल के क्षेत्रों में गिल्लड रोग बहुत फैला हुआ है। दूसरी योजना की अवधि में भारत-सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-सकट-कोश के सहयोग से राजस्थान की साभर झील के निकट एक कारखाने की स्थापना की, जहाँ पंजाब के रोगग्रस्त जिलों में वितरण के लिए आयोडाज्ड/आयोडेटेड साल्ट (आयोडिनकृत नमक) बनाने का काम शुरू किया गया। इस कारखाने में 27 लाख व्यक्तियों—सत्रों में पंजी जनता का एक-तिहाई हिस्सा—के लिए आयोडिनकृत नमक तैयार किया जा सकता है। गिल्लड रोग का उन्मूलन करने के लिए आयोडिनकृत नमक का उत्पादन बढ़ाना होगा तथा दो और कारखानों की स्थापना करनी होगी।

30 तीसरी योजना में ट्रेकोमा (रोहा रोग) के उपचार और नियन्त्रण के लिए भी व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में कैंसर के तुरन्त निदान और इस क्षेत्र में अनुसन्धान की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

डाक्टरों शिक्षा और अनुसन्धान

31. पहली दो योजनाओं में मेडिकल (चिकित्सा-सम्बन्धी) और पैरा-मेडिकल (सहायक चिकित्सा-सम्बन्धी) कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार-सम्बन्धी आकड़े तालिका-संख्या 3 में दिए गए हैं। तीसरी योजना में मेडिकल कालेजों और सलमन अस्पतालों में प्रशिक्षण की सुविधाओं का और भी विस्तार किया जाएगा तथा 18 नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे, जिसे मेडिकल कालेजों की कुल संख्या 75 हो जाएगी। सामाजिक और निरोधक चिकित्सा के अध्ययन के लिए सभी मेडिकल कालेजों में अलग विभागों की स्थापना की जाएगी। आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विस्तार का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और कई मेडिकल कालेजों में कतिपय विभागों का दर्जा बढ़ाया जाएगा। साथ ही, स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान की व्यवस्था की जाएगी।

32 पहली दो योजनाओं में डाक्टरों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार आवादी की वृद्धि के अनुपात के साथ मुश्किल से रह सका है। सन् 1951-61 के दशक में आवादी और डाक्टर का अनुपात 6,000 : 1 का रहा है। तीसरी योजना के कार्यक्रमों के बाद भी यही अनुपात बना रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम बनाते समय वर्तमान मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देहातों में डाक्टरों की कमी और जमे दूर करने के लिए आवश्यक उपायों का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है। एक नया उपाय यह भी है कि जल्दी ही मेडिकल सहायकों के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम चालू किया जाए। प्रशिक्षणार्थी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों में 3 से 5 वर्ष तक काम करे,

जिसके बाद उन्हें सामान्य मेडिकल योग्यता प्राप्त करने और लोकसेवा-क्षेत्र में कार्य करते रहने के लिए विशेष सुविधाएँ दी जाएँ।

33 स्नातकोत्तर-डाक्टरी शिक्षा : नए मेडिकल कालेजों की स्थापना और वर्तमान कालेजों के तेजी से विस्तार के कारण शिक्षकों की मांग बढ़ जाएगी। छात्रों की एक बड़ी संख्या को विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर-स्तर तक प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे मेडिकल कालेजों में अध्यापन का काम सम्भाल सकें। स्नातकोत्तर-शिक्षा की वर्तमान सुविधाएँ प्रतिवर्ष 750 छात्रों के लिए ही पर्याप्त हैं और 250 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके निकल सकते हैं। अनुमान है कि वर्तमान मेडिकल कालेजों में फिलहाल 2,000 शिक्षकों की कमी है। इन कालेजों के सम्भावित विस्तार और नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के कारण 2,500 शिक्षकों की अछरत पड़ेगी। इसका अर्थ है कि तीसरी योजना-काल में कुल 4,500 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तीसरी योजना में स्नातकोत्तर-शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 35 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है और आशा है कि योजना के आरम्भिक वर्षों में ही यह पूरा हो जाएगा।

34 दन्त-शिक्षा : फिलहाल देश में कुल 10 दन्त-शिक्षा कालेज हैं, जिनमें प्रतिवर्ष 280 छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था है। तीसरी योजना में 4 नए कालेज स्थापित किए जाएंगे और कुछ वर्तमान कालेजों का विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार, वार्षिक प्रवेश-संख्या 400 हो जाएगी। तीसरी योजना में दन्त-श्रीपञ्चालय और दन्त-चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए भी व्यवस्था की गई है।

35 चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान : भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् की सिफारिशों के आधार पर दूसरी योजना के लिए अनुसन्धान-कार्यक्रम तैयार किए गए थे। इन कार्यक्रमों में सक्कामक रोगों, विशेष रूप से तपेदिक, ट्रेकोमा, कुष्ठ रोग, हैजा और कीटाणुजन्य अन्य रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य सम्मिलित है। पीपण-सम्बन्धी अव्यवस्था और उससे होनेवाले रोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उद्योगों की वेकार चीजों तथा कल-कारखानों की गन्दगी से नदियों का पानी दूषित होने से बचाने के तरीकों का विकास करने के लिए भी अध्ययन किए गए। कीटाणुजन्य रोगों के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान-कार्य शुरू किया गया है। तीसरी योजना में चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यक्रमों का उल्लेख और विवरण वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी-विषयक अनुसन्धान-सम्बन्धी अध्याय में दिया गया है। सफाई और सक्कामक रोगों की समस्याओं के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अनुसन्धान-कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देशी श्रम पर भी अनुसन्धान-कार्य तेज किया जाएगा।

अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रशिक्षण

36 पहली योजना के आरम्भ से अब तक नर्सों और अन्य अधीनस्थ स्वास्थ्य-कर्मचारियों (बाइयो, आदि) के प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार के लिए बराबर प्रयत्न होते रहे हैं। फिर भी, उनकी भारी कमी बराबर बनी हुई है। तालिका-संख्या 3 में अब तक की प्रगति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य-सम्बन्धी आकड़े दिए गए हैं। तीसरी योजना में इस समस्या को निम्नलिखित ढंग से हल करने का इरादा है।

- (1) नर्सों : नर्सों के लिए काम की स्थिति सुधारने और बड़ी सख्या में स्त्रियों को इस पेशे की ओर आकृष्ट करने के लिए सुझाव रखा गया है कि हर राज्य में विशेष नर्सिंग-सेवा हो तथा स्वास्थ्य-सेवाओं के निदेशक को परामर्श एव सहायता देने के लिए नर्स सुपरिन्टेंडेंट की नियुक्ति की जाए। अस्पतालों में योग्य और अनुभवी नर्सिंग सिस्टरो की भी नियुक्ति होनी चाहिए।
- (2) सहायक नर्स / मिडवाइफें : सहायक नर्स / मिडवाइफो को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों में और अन्यत्र मिडवाइफो का स्थान ले ले। तीसरी योजना में इनके प्रशिक्षण की सुविधाएँ काफी बढ़ाई जाएगी।
- (3) स्वास्थ्य-निरीक्षक : वर्तमान कार्यक्रमों में स्वास्थ्य-निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने-वाले सस्थानों की सख्या 30 से बढ़ा कर 50 करने की योजना है, वार्षिक प्रवेश-सख्या 650 से बढ़ा कर 850 की जाएगी। स्वास्थ्य-निरीक्षकों की सख्या में वर्तमान कमी तथा देहाती स्वास्थ्य-सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण की सुविधाएँ काफी बढ़ाई जाएँ। यह सुझाव है कि राज्यों में प्रशिक्षण-कार्यक्रमों पर पुनर्विचार किया जाए तथा उनमें स्वास्थ्य-निरीक्षकों और ग्राम-स्वास्थ्य-कार्यक्रमों को भ्रमल में लानेवाली अन्य महिला कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जाए।
- (4) दाइयाँ : गावों में दक्कों की पैदाइश का काम प्रायः दाइयों के ही जिम्मे रहता है। परन्तु दाइया प्रशिक्षण-प्राप्त नहीं होती। योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य इन दाइयों को प्रशिक्षण देना तथा मोटी दातों की जानकारी कराना है, जिससे वे गावों में पहले से अधिक अच्छी तरह कार्य कर सकें। योजना में ऐसे प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है।

37 जन-स्वास्थ्य-इंजीनियर : तीसरी योजना में जन-स्वास्थ्य-इंजीनियरों, अधीनस्थ कर्मचारियों तथा जलव्यवस्था का मचालन करनेवाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण जल-आपूर्ति-व्यवस्था के कार्यक्रमों के लिए इन वर्गों के कर्मचारियों की मांग और बढ़ गई है।

योजना में सफाई-निरीक्षकों, प्रयोगशालाओं के तकनीकी जानकारों, किरण-वक्रता से सम्बन्धित कर्मचारियों, चर्म बनानेवालों, रेडियोग्राफरों तथा कुष्ठ रोग, यीन रोग और तपेदिक की चिकित्सा के क्षेत्र में काम करनेवालों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है—स्वास्थ्य-सम्बन्धी आकड़े रखने का प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

38 औषध-निर्माता (फारमासिस्ट्स) : औषध-निर्माताओं की शिक्षा का नियमन सन् 1948 के फारमेसी-अभिनियम के अनुसार किया जाता है। यह अभिनियम अस्पतालों और औषधालयों में काम करनेवाले औषध-निर्माताओं के प्रशिक्षण का स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। आजकल सामान्यतः दवाएँ बनाने के लिए नियुक्त कम्पाउण्डरों के स्थान पर प्रशिक्षित औषध-निर्माताओं की नियुक्ति करना एक लम्बी प्रक्रिया है। फिर भी, तीसरी योजना में आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की सख्या में से, जो 6,000 है, अधिक-से-अधिक सख्या में औषध बनानेवाले प्रशिक्षित किए जाएंगे। वर्तमान योजनाओं

के अनुसार 2,000 औषध-निर्माताओं की कमी अनुभव होती है, जो मुख्यतः वर्तमान प्रशिक्षण-संस्थाओं के विस्तार से दूर की जा सकती है।

स्वास्थ्य-शिक्षा

39 अपने व्यापक अर्थों में स्वास्थ्य-शिक्षा ही एक सफल जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम की नींव है। जैसा कि पहली योजना में बताया गया था, स्वच्छता के सामान्य नियमों का अज्ञान और उनका पालन करने में लापरवाही ही अस्वास्थ्य का मुख्य कारण है और स्वास्थ्य-शिक्षा के प्रतिरिक्त कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है, जो व्यय-राशि के अनुपात में अधिक लाभ दे सकती हो। स्वास्थ्य-शिक्षा के कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए स्वास्थ्य-सेवाओं के महानिदेशालय में मई 1956 में केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा-ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अनेक राज्यों ने भी ऐसे ब्यूरो स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य-शिक्षा के मुख्य पहलू ये हैं— निजी स्वच्छता, पास-पड़ोस की सफाई, संक्रामक रोगों की रोकथाम, उचित पोषण, व्यायाम, विवाह-सम्बन्धी ज्ञान, प्रजनन से पहले और बाद की स्वास्थ्य-रक्षा तथा प्रसूति और शिशु-स्वास्थ्य, आदि। स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर चलाना चाहिए तथा सामुदायिक विकास-छात्रों में सामाजिक शिक्षा-कार्यों में इस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तीसरी योजना में स्वास्थ्य-शिक्षा के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रदर्शन और प्रचार की सुविधाएँ बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। शहरी और गावों, दोनों में वर्तमान स्वास्थ्य-शिक्षा के तीसरी को में परिवर्तन की गुंजायश है, जिनसे व्यापक स्वास्थ्य-शिक्षा में उन्हें ठोस आधार बनाया जा सके।

स्वास्थ्य-बीमा

40 कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों के लिए तथा अग्रदायी स्वास्थ्य-सेवा-योजना के अन्तर्गत दिल्ली-स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कर के स्वास्थ्य-बीमा की शीघ्र एक कदम उठाया गया है। इस अनुभव के प्रकार में केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को इसी प्रकार की अन्य योजनाएँ चालू करनी चाहिए, जिनसे कुछ काल बाद आवादी के बड़े भाग के लिए एक अग्रदायी स्वास्थ्य-बीमा की एक बहुमुञ्जी व्यवस्था शुरू हो जाए। इस सम्बन्ध में विभिन्न समन्वयों का अध्ययन करने का इरादा है, जिससे योजना पर अमल के लिए क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया जा सके।

स्कूली छात्रों का स्वास्थ्य

41 दूसरी योजना के अन्त में 4 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे; तीसरी योजना में इन संख्या में 2 करोड़ और वृद्धि होने की सम्भावना है। तीसरी योजना के अन्त तक 6 से 11 वर्ष की आयु के स्कूली छात्रों की संख्या 5 करोड़ होगी। बच्चों की इतनी बड़ी संख्या के स्वास्थ्य की देखभाल अपने-आप में तो महत्वपूर्ण है ही, नारे नमाज के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। स्कूल-स्वास्थ्य-समिति ने एक वर्ष पूर्व अपनी प्रस्तावित रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि नमूचित पोषण न मिलने और अन्य निरोग्य कारणों से स्कूली छात्रों में रोगों से पीड़ित होनेवालों की संख्या बहुत अधिक है। रिपोर्ट मुद्रित करा गया है कि राज्यों की तीसरी योजना के लिए स्वास्थ्य-कार्यक्रम तैयार करने समय स्कूलों में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ न्यूनतम सेवाओं का निश्चित

रूप से प्रदन्व होना चाहिए। वे सेवाएँ इस प्रकार हैं (1) स्कूलों में पीने का साफ पानी तथा सफाई, आदि की व्यवस्था, (2) डाक्टरी जाच की व्यवस्था, (3) विकास-खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाई के सहयोग से स्कूल-काल को बाद भी स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था, तथा (4) शिक्षकों को स्वास्थ्य-शिक्षा देने का प्रदन्व।

बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के ख्याल से, विशेष रूप से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के महत्व को देखते हुए, इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यों स्थानीय जनता इस कार्यक्रम में समुचित योग देने लगे, बढ़ाना चाहिए। 'शिक्षा' के अभाव में इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया जा चुका है। कालान्तर में यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों की कुल सख्या के लिए, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए, लागू हो जाना चाहिए।

मातृ और शिशु-स्वास्थ्य

42 दूसरी योजना के अन्त तक देश में लगभग 4,500 प्रसूति और शिशु-कल्याण-केन्द्र थे। प्रत्येक केन्द्र 10,000 से 25,000 की आबादी की सेवा कर रहा था। इनमें से एक-तिहाई केन्द्र शहरी इलाकों में हैं। पहली दो योजनाओं में जन्माओं की देखभाल की व्यवस्था में हुए सुधार के परिणामस्वरूप, जन्माओं की मृत्यु-दर, जो सन् 1938 में जीवित शिशु-जन्म पर 20 प्रति हजार थी, घट कर 12.4 प्रति हजार रह गई। बच्चों की पैदाइश के बाद जन्माओं में खून की कमी की घटनाएँ भी उन क्षेत्रों में बहुत घट गई हैं, जहाँ सेवाएँ भली भाँति स्थापित हैं, शिशु-मृत्यु-दर में भी बहुत कमी हुई है। दूसरी योजना में देहातों में प्रसूति और शिशु-कल्याण-सेवाएँ ग्राम स्वास्थ्य-सेवा का अभिन्न अंग बन गईं। अधिकांश राज्यों में प्रसूति और शिशु-कल्याण-अ्यूरों स्थापित कर दिए गए हैं। दूसरी योजना में वात-चिकित्सा की प्रशिक्षण-व्यवस्था में भी सुधार के लिए कदम उठाए गए। हाल के वर्षों में मेडिकल कालेजों में वात-चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों-द्वारा मुहय्या की जानेवाली प्रसूति और शिशु-कल्याण-सेवाओं को कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं और स्वैच्छिक सगठनों की सेवाओं से पूरा किया जाता है।

तीसरी योजना में इरादा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों से सम्बद्ध प्रसूति और शिशु-कल्याण-सेवाएँ जिला-अस्पतालों की विस्तृत सुविधाओं में जोड़ दी जाएँ। प्रसूति और शिशु-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करनेवालों के लिए अल्पकाल के अभ्यासक्रम चलाए जाएँगे।

मानसिक स्वास्थ्य

43 केन्द्रीय सरकार-द्वारा हाल में ही स्थापित मानसिक स्वास्थ्य-कार-समिति ने जन-स्वास्थ्य और डाक्टरी सुविधाओं के विकास के कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य-सेवाओं के बढ़ते हुए महत्व पर प्रकाश डाला है। मानसिक चिकित्सानियों में अभाव-सम्भव अधिक-से-अधिक उपचार-सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त अल्प-मानसिक-आचार-सम्बन्धी निरोधक सेवाओं पर, और विगोप रूप में प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की आवश्यकता का ध्यान देना जरूरी है। तेजी से हो रहे उद्योगीकरण, टेक्नोक्रैटिक-परिवर्तन और आबादी के गाँवों से शहरों की ओर जाने के कारण कुछ मानसिक अस्वस्थताओं का उदय आ जाता है, जिन्हें आरम्भिक दौर में ही ठीक करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चिकित्सा-

विशेषज्ञों, जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम करनेवालों और समाज-सेवकों, विशेष रूप से प्रसूति और शिशु-स्वास्थ्य-केन्द्रों में काम करनेवालों को मानसिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी देना जरूरी है। स्वास्थ्य-शिक्षा-कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य-शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल-मनोविज्ञान-बेत्ताओं और मनोवैज्ञानिक समाज-सेवकों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाएँ बराबर बढ़ती जानी चाहिए। शिक्षा-क्षेत्र में स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य-कार्यक्रम के विशेष अंग के रूप में यह आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों की छोटी-मोटी व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं पर उन्हें उचित मार्गदर्शन मिल सके, माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों के पालन के ठोस सिद्धान्तों पर मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए तथा स्कूल-शिक्षकों को मानसिक आचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाए। सामाजिक जीवन में मनोवैज्ञानिक तत्वों की भूमिका के कारण समाज-कल्याण के कार्यक्रमों में मानसिक आचार-सम्बन्धी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और उसके अधिकाधिक जटिल होने के साथ-साथ अनेक प्रकार की नई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ पैदा हो रही हैं, जिनके बारे में बहुत कम ज्ञात है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्ययन और विशेष सर्वेक्षण की सुविधाएँ दी जानी चाहिए। ग्राम जनता को इस दिशा में शिक्षित करने, बाल-मार्ग-दर्शन-केन्द्रों को सहायता देने तथा और कई तरह से स्वीच्छिक सस्याएँ बढ़त बड़ा काम कर सकती हैं।

महत्त्वपूर्ण आंकड़े

44 काफी समय से यह महसूस किया जा रहा है कि महत्त्वपूर्ण आंकड़ों की व्यवस्था का न होना वर्तमान अर्थ-व्यवस्था की सबसे गम्भीर श्रुतियों में से एक है। पहली पंचवर्षीय योजना में इन समस्या पर विस्तार से विचार किया गया था, परन्तु पिछले दशक में इन दिशा में अपेक्षाकृत बहुत कम प्रगति हुई है। अप्रैल 1961 में इन विषय के नयी पहलुओं पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार किया गया था। उसने सिफारिश की है कि ऐसी महत्त्वपूर्ण जानकारी के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए, जिनमें महत्त्वपूर्ण घटनाओं की सामान्य व्याख्या हो, अनिर्धार रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार के कार्य और महत्त्वपूर्ण आंकड़े देने के तरीके हो और ऐसा न होने पर दंड की व्यवस्था हो। इसको अमल में लाने के लिए प्रशासन-व्यवस्था तथा अन्य बातें राज्य-सरकारों पर छोड़ दी जाए। नगरपालिका-क्षेत्रों, राज्य-पंचायत-कानून के अन्तर्गत अधिनूचित क्षेत्रों और अन्य देहाती क्षेत्रों के अग्ररूप व्यवस्था, जिला-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति, जातकारी संग्रह करने तथा उसके सफलन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिए गए थे। यह भी सुझाव दिया गया था कि जनसंख्या की वृद्धि तथा जातियों की सामाजिक स्थिति के विवेचन के विषय में अनुमान लगाने के लिए नमूने के तौर पर वार्षिक जनगणना करने के अलावा, क्षेत्रों के नमूने के तौर पर रजिस्ट्रेशन की भी योजना बनाई जाए, जिससे विभिन्न राज्यों और प्रदेशों में जन्म-मरण के विषयवर्ती आंकड़े मिल सकें। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। राज्यों में महत्त्वपूर्ण आंकड़े संग्रह करने के काम में सुचारु का कार्यक्रम तैयार से अमल में लाना जरूरी है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार से और भी आवश्यक सहायता ली जा सकती है।

औषध

45 तीसरी योजना में देश में ही औषधों का उत्पादन बढ़ाने तथा आयातित औषधों और कच्चे माल के स्थान पर देश में ही निमित्त सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा

देने की व्यवस्था की गई है। अतीत काल में औषधों की किस्म और स्तर आयानि न औषधों पर निर्भर थे, परन्तु आयात प्रायः बन्द होने और देश में ही उत्पादन बढ़ने में अब राष्ट्रीय औषध-उत्पादन-नियम तथा सिद्धान्तों पर ही औषधों के स्तर तथा उद्योग के विकास का आधार रहेगा। आयातित और स्वदेशी औषधों की किस्म पर सन् 1940 के औषध-अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रण रहता है। यह कानून सभी राज्यों में लागू है, परन्तु आम तौर पर इसे पूरी तरह अमल में नहीं लाया जा रहा है। इस ढील का कारण कुछ तो कर्मचारियों की कमी है और कुछ निर्माताओं एवं व्यापारियों से लिए गए नमूनों के रसायनिक विश्लेषण की सुविधाओं का अभाव। हाल में ही इस कानून में सगोचन करके केन्द्रीय सरकार ने औषधों के उत्पादन-सम्बन्धी अधिकार राज्यों के समान स्वयं भी ले लिए हैं। कर्नाटका-नियत केन्द्रीय औषध-प्रयोगशाला की सेवाएँ राज्य-सरकारों को भी देने की व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु यह जरूरी है कि राज्य-सरकारें अपने नमूनों के परीक्षण-विश्लेषण, आदि के लिए स्वयं अपनी प्रयोगशालाएँ स्थापित करें। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के नाथ ही औषध-उत्पादन पर नियन्त्रण के लिए कुछ कर्मचारी अपनी ओर से भी नियुक्त कर दिए हैं, परन्तु कानून का रोझाना के कामों में पूरी तरह अमल करवाने के लिए राज्यों-द्वारा अपने कर्मचारियों की वर्तमान संख्या जल्दी ही बढ़ाया जाना जरूरी है। फिन्हाल स्थिति यह है कि बहुत कम नमूने एकत्र किए जाते हैं और उनके विश्लेषण में बहुत समय लग जाता है।

विश्लेषण की सुविधाएँ और उसके लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के माय-साथ यह भी जरूरी है कि किस्म और स्तर बनाए रखने के लिए औषध-निर्माता और विक्रेता-सब भी अपनी जिम्मेदारी भली भाँति निभाएँ। उपभोक्ता-संघों, स्थानीय संस्थाओं और स्वैच्छिक सगठनों का कर्तव्य है कि स्तर में गिरावट आने अथवा मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने की सूचनाएँ आम जनता तथा सम्बद्ध अधिकारियों तक पहुँचा दें।

46 बहुत-से आवश्यक औषधों की कीमतें उचित स्तर तक ही रग्यी जा रही हैं, परन्तु भारतीय एजेंटों-द्वारा वितरित अनेक विदेशी दवाओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं और उन पर भारी मुनाफा कमाया जाता है। यथामुभव औषध-निर्माताओं और वितरकों की सहायता से इस स्थिति को सुधारना चाहिए। यह भी जरूरी है कि भारतीय निर्माता, डॉक्टर-वर्ग और राज्य-सरकारें राष्ट्रीय औषध-निर्माण प्रायुष्यों में दिए गए निर्देशों का पालन करें। इनमें समय-समय पर भण्डारण-परिवर्तन होने चाहिए और इन्हें नवीनतम जानकारी से युक्त रखा जाएगा। बड़ी रकमों के अभाव अल्प उत्पादकों के औषधों में जनता का विश्वास जमाने के लिए राज्य-सरकारों को विशेष-नियन्त्रण और निरीक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए।

बाजारों में विकनेवाली अनेक दवाएँ, विशेष रूप से जीवाणुओं में बननेवाली अतिरिक्त किस्म की होती हैं। अक्सर मिलावटी दवाएँ भी बाजार में बिकती हैं। औषध-निर्माण में हाल में संशोधन कर के मिलावटी दवा बनाने और बेचने पर कम-से-कम एक वर्ष की सजा की व्यवस्था कर दी गई है।

खाद्य में मिलावट

47 खाने-पीने की शुद्ध चीजें मुह्य्या बनाना सभी निर्माताओं और विक्रेतों का कर्तव्य है। इनका पालन कड़ाई से होना ही चाहिए। परन्तु हाल में तो खाद्य

मिल नहे है, उन्हें देखते हुए कहना पड़ता है कि न्यति विगडती ही जा रही है और शहरो एव गावों में भी ग्राम उपभोग की वस्तुओं—जैसे, घी, दूध, तेल और चिकनाई, मसालो, आटा, दाल, आदि—में अन्तर मिलावट पाई जाती है। खाद्य में मिलावट के तरीके अधिक व्यवस्थित होने जा रहे हैं जिनमें उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद् ने हाल में ही एक विधेय गोष्ठी में खाद्य में मिलावट को समस्या पर विचार किया था और अनेक मुझाव पेज किए गए थे। खाद्य-मिलावट-निरोधक अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपराधियों को कटा दड देने, खाद्य के निरीक्षण की व्यवस्था मजबूत बनाने तथा नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला-सम्बन्धी सुविधाएँ बढ़ाने और प्रणामनिक तथा मिलावट-सम्बन्धी अपराध गैरगैर की अन्त प्रक्रियाओं में सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं। उपभोग की विभिन्न वस्तुओं के एक निश्चित मान का पालन करने के सम्बन्ध में भी सिफारिश की गई है। मिलावट उत्पादन के समय भी होती है और विधायन तथा वितरण के समय भी—यह धोक और पृष्ठव विनी-म्यलो पर की जाती है। यह जरूरी है कि उपभोक्ता के पास मिलावटों चीज न पहूने। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाई के साथ-साथ ऐसी कार्यवाई भी की जाए, जिससे पहूने के दौंगे में गुजरते समय मिलावट पकड़ी और रोकी जा सके तथा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों और पक्षों को कानूनी एव प्रणामनिक कार्यवाई के अन्तर्गत लाया जाए। स्थानीय मस्याओं, न्वैडिज नन्पाओं और उपभोक्ता-गठनों को मिलावट करनेवालों को प्रकाश में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सम्बद्ध अधिकारियों को जनता की शिकायत पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसा कि महकारिता के अध्याय में बताया गया है, शहरो में शुद्ध नाद्य-वस्तुएँ मूह्यता करने के लिए अधिक-से-अधिक सहकारी उपभोक्ता-भाडार खोलना प्राय-तः है।

देशी चिकित्सा-प्रणालिया

पूर्णत योग्य बना सके। अनेक राज्यों में मिश्रित प्रशिक्षण-क्रम चलाए जा रहे हैं, कुछ राज्यों में मिश्रित शिक्षण के अलावा शुद्ध आयुर्वेद-शिक्षा-केन्द्र भी हैं। अनुभव से मालूम हुआ है कि जहाँ भी मिश्रित चिकित्सा-शिक्षाक्रम चलाए गए हैं, वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक तैयार नहीं हुए हैं, जब कि उक्त पाठ्यक्रम का लक्ष्य ही यह था। मिश्रित पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों की प्रवृत्ति आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली अपनाते की ओर होती है, जिसमें उन्हें आशिक प्रशिक्षण ही मिला होता है। सच तो यह है कि मिश्रित प्रशिक्षण देनेवाले दो कालेजों का स्वरूप हाल में ही बदल दिया गया है और उन्हें आधुनिक चिकित्सा-कालेज बना दिया गया है। यह भी देखा गया है कि कुछ वैद्य आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली की अनेक दवाएँ देने लगे हैं, जब कि उन्हें उक्त औषधों के प्रयोग का प्रशिक्षण नहीं मिला होता।

50 विभिन्न राज्यों में कालेजों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम, क्लिनिकल और पूर्व-क्लिनिकल विषयों के छात्रों की व्यावहारिक शिक्षा, क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए न्यूनतम मानदंड तथा डिप्लोमा एव डिग्रियों के बारे में कोई एकस्वता नहीं है।

स्वास्थ्य-मन्त्रालय-द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक अनुसन्धान-परिषद् ने सिफारिश की है कि देशी चिकित्सा-प्रणालियों के शिक्षाक्रम में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली की समानतावाले पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। योजना-आयोग द्वारा आयुर्वेद के सम्बन्ध में स्थापित मडल ने अपने सदस्यों की आम राय के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशों की हैं

“आयुर्वेद के लिए चार वर्ष का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें आयुर्वेद का गहन अध्ययन हो। साथ ही, इससे पूर्व के एक वर्ष में भौतिकशास्त्र, रसायन-शास्त्र और जीवशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था रहे। इसमें पहले वर्ष में दर्शन, पदार्थ, विज्ञान, संस्कृत, आदि की प्रारम्भिक शिक्षा भी शामिल की जाए। प्री-क्लीनिकल विषयों (पहले दो वर्षों) में शरीरविज्ञान, द्रव्यगुण और रसायनशास्त्र शामिल हो। डिग्री-पाठ्यक्रम में सरकारी नौकरी करने के इच्छुकों को दो वर्ष और प्रशिक्षण दिया जाए। क्लीनिकल विषयों में (अन्तिम तीन वर्षों) निदान, चिकित्सा, स्वास्थ्यवृत्त, प्रसूति-तन्त्र, स्त्री-रोग, बाल-रोग, शल्य, शालक्य और व्यवहार-आयुर्वेद की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाए। इसके साथ-साथ ‘वृहद्वर्षी’ (चरक संहिता, सुश्रुत-संहिता और वाग्भट्ट-संहिता) में से एक की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। छ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जाए। पहले चार वर्षों केवल आयुर्वेद की गहन शिक्षा दी जाए। अन्तिम दो वर्षों में वैज्ञानिक पहलुओं की शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। सव्यवह विज्ञान की प्रगति के प्रकाश में आयुर्वेद की शिक्षा में भी सुधार एवं विस्तार होना चाहिए। साधारण शल्य-क्रिया (सर्जरी), मज्जामक रोग-निवारण, मिड-बाइफ के काम, निरोधक औषधों आदि की शिक्षा भी शामिल करनी चाहिए, जिससे स्नातक राज्यों के स्वास्थ्य-मण्डलों में काम करने की योग्यता भी प्राप्त कर लें।”

51 योजना-आयोग-द्वारा स्थापित आयुर्वेद-मडल या स्वास्थ्य-मन्त्रालय-द्वारा स्थापित केन्द्रीय आयुर्वेद-परिषद् ने जो सुझाव दिए हैं, उनमें से कुछ अगले पृष्ठ दिए गए हैं।

- (1) आयुर्वेदिक शिक्षा के नियमन एवं निरीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा-मन्त्रन्वी केन्द्रीय परिषद् की स्थापना
- (2) सभी राज्यों में भारतीय चिकित्सा-मन्त्रन्वी पृथक् निदेशालय तथा कानून-द्वारा स्थापित परिषदों एवं मंडल की स्थापना,
- (3) देशी चिकित्सा-प्रणालियों के लिए पृथक् केन्द्रीय औषध-निर्माण-संस्थान की स्थापना,
- (4) आयुर्वेदिक और यूनानी औषध-निर्माण-शास्त्र (फारमाकोपिया) का नक्कल,
- (5) औषध-निर्माण-मन्त्रन्वी अनुसन्धान-उकाइयों की स्थापना, जो आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेसियों में प्रयुक्त कच्चे माल के लिए एक कामचलाऊ मान निश्चित करने का मार्ग तैयार कर सकें। ये उकाइया कालेजों के वनस्पतिशास्त्र-विभागों में मन्त्रद्ध की जाए, तो अधिक उपयोगी होंगी,
- (6) हर राज्य में एक जड़ी-बूटी-उद्यान तथा केन्द्र की ओर से समुचित स्थान पर एक और उद्यान की स्थापना, जिनमें स्थानीय वृद्धिया उगाई जाए, तथा
- (7) सामान्यतः प्रचलित और अनेक आम रोगों में गुणकारी प्रमाणित हो चुकी वृद्धियों का सर्वेक्षण।

आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को प्रोत्साहन देने और उसका प्रसार करने के लिए यह आवश्यक है कि अनुसन्धान-कार्य अधिक तेजी से और गहराई से किया जाए। इन उद्देश्यों के नीमरी योजना में आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों, साहित्य और क्लिनिकल तथा औषध-मन्त्रन्वी अनुसन्धान का काम हाथ में लिया जाएगा। देशी चिकित्सा-प्रणालियों के विकास के लिए तीसरी योजना में 98 करोड़ ६० ली व्यय का बजट है। विकास-कार्यक्रम में 5 नए कालेज खोलने, 31 वर्तमान कालेजों का विस्तार करने, औषधों के मन्त्रन्वय में अनुसन्धान, 1,800 औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना, वर्तमान संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने, फार्मेसियों का सुधार करने एवं जड़ी-बूटी-संग्रहालयों की स्थापना की व्यवस्था है। सर्वविध है कि धरो में किन्हीं ही प्रकार की देशी दवाएं काम में लाई जाती हैं। तीसरी योजना में विचार है कि अलग-अलग विकास-खंडों में शुद्ध में स्थानीय रूप में प्राप्त हुए बोटों-जड़ी-बूटियों के संग्रहालय बनाए जाए।

जिससे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की सहायता लेकर प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली को अधिक ठोस आधार दिया जा सके ।

53 होम्योपैथी : केन्द्रीय सरकार ने होम्योपैथिक सस्याओं की स्थापना तथा वर्तमान सस्याओं का दर्जा बढ़ाने एवं उनमें सुधार करने और अनुसन्धान-कार्यों के लिए अनुदान दिया है । स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने होम्योपैथी-सम्बन्धी एक परामर्श-समिति भी नियुक्त की है । इस समिति की सलाह से होम्योपैथिक औषध बनाने की सुविधाएँ देने और दवाओं का मान नियत करने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । तीसरी योजना में होम्योपैथिक सस्याओं को अनुदान देने तथा अनुसन्धान-कार्य चलाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है । समुचित प्रशिक्षण-प्राप्त एवं योग्य होम्योपैथ डाक्टरों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा-कार्य के लिए भेजने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए ।

कुछ होम्योपैथिक कालेज और अस्पताल खोलने के सुझाव रखे गए हैं । उन पर आगे विचार किया जाना चाहिए ।

54 यूनानी : भारत-सरकार ने स्वास्थ्य-मन्त्रालय के अन्तर्गत इस विषय पर भी एक सलाहकार-समिति नियुक्त की है । अनुसन्धान-कार्य, वर्तमान सस्याओं का दर्जा बढ़ाने और उनमें सुधार करने तथा नई यूनानी सस्याओं की स्थापना के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं ।

पोषण

55 स्वास्थ्य-सुधार के कार्यक्रमों में समुचित पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है । पहली दो योजनाओं के दौरान पोषण में सुधार, भोजन की आवृत्तियों में परिवर्तन अथवा इस समस्या के प्रति जनता को जागरूक बनाने का कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया था । तीसरी योजना में उत्पादन-वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार के कार्यक्रमों के कारण पोषण की समस्या के व्यवस्थित हल की कोशिश करना अब सम्भव हो गया है । ठोस परिवर्तन में समय लगेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु यदि शुरु से ही कार्यक्रम उचित आधार पर बनाए जाएँ, कार्यक्रमों को सही प्राथमिकता दी जाए और प्रत्येक समुदाय पोषण का सही महत्व तथा अपने साधनों और प्रयत्नों से उसमें योग देने की आवश्यकता को भली भाँति समझ ले, तो आगे चल कर उसके पर्याप्त परिणाम निकल सकेंगे ।

पोषण की समस्या में मोटे तौर पर सभी परिचित हैं । आम तौर पर भारत के अधिकांश भाग में अनाज ही भोजन है । इस भोजन में शरीर की रखा और उसके निर्माण के लिए उपयोगी पदार्थ—जैसे, दूध, मांस, अंडे, सब्जियाँ और फल—नहीं हैं । इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सन् 1935-48 तथा सन् 1955-58 की दो अर्धशताब्दियों में भोजन-सम्बन्धी सर्वेक्षण कएये । इनसे ज्ञात हुआ कि अनाज एवं दालों के इस्तेमाल में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु गैर-अनाजवाली चीजों की खपत में प्रति व्यक्ति कुछ कमी आ गई । गुराक की इन चर्चाओं का बुरा असर गरीब जनता के वृद्धिशील बच्चों पर अधिक पड़ता है । हिमालय के अंचल के क्षेत्रों में आयोडिन की कमी के कारण गिल्लड रोग बहुतायत में पाया जाता है । ममियाँ के और भी कुछ कारण हैं—जैसे, भोजन पकाने के गलत तरीकों में चीजों के पोषण-तत्वों का नष्ट हो जाना (चावल और सब्जियों में विषाणु रूप में), अनाज माफ करने की प्रक्रिया, जैसे मिनो

में चावल की सफाई-कुटाई में, परिवहन और ठंडे स्थान पर सुरक्षित रखने की सुविधाओं के अभाव में फलो और मछली का नुकसान, तथा कम आवश्यक कामों में भोजन की विशेष चीजों का इस्तेमाल, जैसे मिठाई बनाने में दूध का उपयोग। इस प्रकार, पहली दो योजनाओं में दूध की प्रति व्यक्ति खपत में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। संतुलित खुराक में 10 औंस दूध प्रति व्यक्ति प्रति दिन होना चाहिए, परन्तु इसकी तुलना में आज का औसत 4.9 औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। मछली का कुल उत्पादन 7,00,000 टन से बढ़ कर 14,00,000 टन हो गया है और तीसरी योजना के कार्यक्रमों के अनुसार यह उत्पादन 18,00,000 टन हो जाने की आशा है। मछली-उद्योग के समुचित संगठन तथा विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को कुशलता से अमल में लाने से यह मात्रा बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है। आलू, बाकरकन्द, पत्तीवाली और अन्य प्रकार की सब्जियाँ, आसानी से उगाए जानेवाले फल, जैसे पपीता और केला, ताड़-गुड़ और शहद तथा केन्द्रीय खाद्य-टेक्नोलॉजी-अनुसन्धान-संस्थान, मैसूर में तैयार खाद्य-सामग्रियों के पूरक खाद्य के रूप में अधिक-से-अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने की भी बहुत सम्भावनाएँ हैं।

56 विकास की वर्तमान स्थिति में पोषण में सुधार के कार्यक्रम दो वर्गों में रखे जा सकते हैं— पोषण के सम्बन्ध में आम जनता तथा विभिन्न समूहों को शिक्षित करना एवं ममाज के दुर्बल जन-समूहों की पोषण-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उचित कदम उठाना। सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत गावों में महिला-मंडलों और स्वैच्छिक मण्डलों के द्वारा प्रदर्शन, आदि की सहायता से जनता को पोषण-सम्बन्धी जानकारी भोजन में पोषक तत्व सुरक्षित रखने, गलत इस्तेमाल रोकने एवं दुरुपयोग न होने देने की सलाह दी जानी चाहिए। साथ ही, डाक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य-निरीक्षकों, स्कूल-शिक्षकों, आदि के दलों को पोषण-सम्बन्धी अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिस वर्ग को क्षति पहुँच सकती है और जिसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें ये लोग आते हैं गर्भवती और दूध पिलानेवाली माताएँ, शिशु, स्कूल-पूर्व और स्कूल जानेवाले बच्चे, विशेष कर निम्न वय-वर्ग के बच्चे। स्कूली छात्रों को सबसे अधिक लाभ दोपहर के भोजन के कार्यक्रम से पहुँचाया जा सकता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जिन बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, उनके लिए दूध, आदि तथा भोजन की सहायता के लिए बहु-प्रयोजनीय खाद्य, विटामिन, आदि अनिवार्य हैं। शैक्षणिक कारखानों की कैटीनो, स्कूली और कालेजों के छात्रावासों तथा आम जनता के लिए होटलों एवं रेस्तरांओं में सस्ते परन्तु संतुलित भोजन की व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार के कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए केन्द्र और राज्यों में जन-स्वास्थ्य-पोषण-सेवाओं की ओर भी मजबूत बनाना चाहिए। केन्द्र में पहले ही एक राष्ट्रीय पोषण-सलाहकार-समिति काम कर रही है। राज्यों के जन-स्वास्थ्य-विभागों में पोषण-सम्बन्धी विशेष खंडों की स्थापना की आवश्यकता बराबर बताई गई है। राज्य-स्तर पर इस दिशा में, जैसा कि एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयत्न में होता है, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन डेरी-उद्योग, मछली-उद्योग, शिक्षा, समाज-कल्याण और प्रचार-विभागों में घनिष्ठतम सहयोग होना चाहिए। जिला और खंड-स्तर पर पोषण में सुधार के सुयोजित कार्यक्रमों में जनता का सहयोग, समर्थन तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की सहायता मिल सकती है। तीसरी योजना में इन आचारों पर काम होने से पोषण में सुधार के बढते हुए प्रयत्नों के

लिए ठोस नीव रखी जा सकती है—समाज के स्वास्थ्य में रोगग्रस्त हो जानेवाले वर्गों के स्वास्थ्य में सुधार का काम ठोस आधार पर चलाया जा सकता है।

भविष्य के लिए आयोजन

57 15 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य-मवॅक्षण और विकास-समिति (भोर-समिति) ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। तब से अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन हो चुके हैं। यह जरूरी है कि अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों से धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी स्वास्थ्य-सेवाओं के विकास के कार्यक्रम भविष्य पर दृष्टि रखते हुए बनाए जाए, विशेष रूप से अगली तीन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए। जून 1959 में स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने स्वास्थ्य-सर्वेक्षण और आयोजन-समिति नियुक्त की और उसे स्वतन्त्रता के बाद से अब तक डाक्टरी सहायता एवं जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कार्य का मूल्यांकन करने तथा स्वास्थ्य-विकास का भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपनी सिफारिशें देने का काम सौंपा। समिति फिलहाल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरी सहायता, जन-स्वास्थ्य (पास-पडोस की सफाई-सहित), सक्काम रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा और अनुमन्धान, जनसंख्या एवं परिवार-आयोजन तथा औषधों एवं मेडिकल स्टोर्स की समस्याओं का गम्भीर अध्ययन कर रही है।

(2)

परिवार-आयोजन

58 परिवार-आयोजन-कार्यक्रम की सिफारिश करते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था

“स्पष्ट है कि पैदाइश की दर उस सीमा तक कम करने से ही आवादी पत्र नियन्त्रण किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार जनता की संख्या को एक स्तर तक रखने के लिए आवश्यक है। जब बड़े पैमाने पर जनता परिवार सीमित रखने की आवश्यकता समझे, तभी यह कार्य हो सकता है। परिवार-आयोजन की आवश्यकता का मुख्य कारण परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण का विचार ही है। माता को स्वस्थ रखने तथा बच्चों के उचित पालन-पोषण के लिए परिवार सीमित रखना अथवा बच्चों के जन्म के बीच काफी अन्तर रहना आवश्यक तथा वाछनीय है। इसलिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होनेवाली कार्रवाई जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम का ही अंग होना चाहिए।”

उक्त नीति के अनुसार ही परिवार-आयोजन के क्षेत्र में, विशेष रूप से दूनीयोजना के काल में, कार्यों का निश्चित रूप से विस्तार हुआ है। तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर स्वास्थ्य-मन्त्रालय की विशेष समिति और योजना-आयोग के स्वास्थ्य-मन्त्रों ने हाल में ही विचार किया था।

59 दीर्घकालीन आर्थिक विकास के अन्तर्गत 15 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि के कुछ अनुमानों का उल्लेख किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयोजित विकास के मूल में जनसंख्या की वृद्धि को एक निश्चित मात्र में एक र्क मा

के अन्दर ही रखने का उद्देश्य होना चाहिए। इस मन्दमं में, तीसरी पंचवर्षीय योजना और आगे की अन्य योजनाओं में परिवार-आयोजन पर सर्वाधिक बल देना होगा। इसके लिए सधन शिक्षा तथा प्रत्येक ग्रामीण और ग्रामीण समुदाय को इस मन्वन्ध में अधिकाधिक अधिक बढ़े पैमाने पर मलाह और सुविधाएँ देना तथा व्यापक रूप में जनता के अपने प्रयत्न जल्दी है। देश की आज की परिस्थिति में परिवार-आयोजन को एक बड़े विकास-कार्यक्रम के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए बेहतर जीवन की मूल प्रवृत्तियों को राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के रूप में चलाना होगा।

60 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 126 और देहाती क्षेत्रों में 21 परिवार-आयोजन-केन्द्र स्थापित किए गए। दूसरी योजना-काल में ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ कर ग्रामीणों में 549 और गावों में 1,100 हो गई। इनके अतिरिक्त, 1,864 ग्रामीण और 330 ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-केन्द्रों में परिवार-आयोजन-सेवाओं की व्यवस्था की गई है। वन्द्याकरण के लिए भी अनेक केन्द्र खोले गए हैं। ये कार्यक्रम केन्द्रीय और राज्य-परिवार-आयोजन-मंडलों-द्वारा चलाए जा रहे हैं। नयी राज्यों में परिवार-आयोजन-कार्य के लिए विशेष इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इटियन कॉमिल ग्राम मेडिकल रिमिड और ग्राम इडिया इस्टीमेट और हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता के मिडेशन में बन्धु के गर्भनिरोध-उपकरण-परीक्षण-केन्द्र तथा अन्य म्थानों पर काफी अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है। बन्धु, कलकत्ता, दिल्ली और दिवेन्द्र में समाजशास्त्र-सम्बन्धी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अनेक उपयोगी क्षेत्रीय अनुसन्धान किए गए हैं— जैसे, भारत-हार्बर्ड-युधियाना-जनन-संख्या-अध्ययन तथा मैनूर में रामनगरम्, नई दिल्ली की सोदी कालोनी, दिल्ली के ममीप नजफगढ़, और कलकत्ता के निकट सिगूर में हुए अध्ययन। एक व्यापक प्रशिक्षण-कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र, एक ग्रामीण प्रशिक्षण-प्रदर्शन-केन्द्र, प्रशिक्षण-क्लिनिकों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण-केन्द्रों के रूप में विस्तार, पर्यटन प्रशिक्षण-दल तथा तदर्थ प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। डाक्टरों तथा अन्य सहायक चिकित्सा-कर्मचारियों की शिक्षा-संस्थाओं के साधारण प्रशिक्षण-कार्यक्रम में परिवार-आयोजन भी शामिल कर दिया गया है। पहली योजना में इस मद में 65 लाख रु० खर्चे गए थे, परन्तु दूसरी योजना में इसके लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

61 तीसरी योजना में परिवार-आयोजन के कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों के लिए व्यवस्था की गई है (1) परिवार-आयोजन के लिए प्रेरणा और शिक्षा, (2) सेवाओं की व्यवस्था, (3) प्रशिक्षण, (4) साज-सामान की व्यवस्था, (5) उद्देश्यों का प्रचार और प्रेरणा-सम्बन्धी अनुसन्धान, (6) समाजशास्त्र-सम्बन्धी समस्यारों का अनुसन्धान, (7) डाक्टरों और जीवशास्त्र-सम्बन्धी अनुसन्धान। स्वीकृत कार्यक्रम पर 50 करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट परिवार-आयोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम को मीमित करने का कारण आर्थिक नहीं, बल्कि संगठन एवं कर्मचारियों की कमी से सम्बद्ध है, क्योंकि इस कमी से ही कार्यक्रम के अमल में सबसे बड़ी बाधा आती है।

62 विभिन्न अध्ययनों से मालूम हुआ है कि जनता में परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित रखने तथा इस सम्बन्ध में क्रियात्मक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा है। इनका यह अर्थ नहीं कि परिवार-आयोजन का मन्देश फैलाने और उनके लिए

लोगों को प्रेरणा देने की कठिन समस्या हल हो गई है अथवा सलाह और सगठन की दिशा में भी काफी अच्छी शुरुआत हो गई, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में। तीसरी योजना में इन प्रश्नों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षात्मक कार्यक्रम को तेज करना सारे कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार-आयोजन-सम्बन्धी शिक्षा वेहतर जीवन बिताने की शिक्षा का अग्र है, इस कारण उसे अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ गूथ देना चाहिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों, सामुदायिक विकास-खंडों और स्वैच्छिक मगठनों के कार्यों के साथ उसका गहरा सम्बन्ध रहना चाहिए। जनता को बड़े पैमाने पर उन परिस्थितियों की जानकारी देना जरूरी है, जिनमें हर व्यक्ति निश्चित होकर परिवार-आयोजन के तरीके अपना सके।

63 परिवार-आयोजन सम्बन्धी-सेवाएँ आज की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में मुह्य्या करनी होंगी। इस कार्य में मुख्य प्रश्न परिवार-आयोजन को सामान्य चिकित्सा और स्वास्थ्य-सेवाओं, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों के द्वारा उपलब्ध सेवाओं में मिला देने का है। कुछ सीमा तक ये सेवाएँ स्वैच्छिक सस्थाओं के केन्द्रों, चलती-फिरती इकाइयों तथा औद्योगिक एवं अन्य सस्थाओं के द्वारा भी उपलब्ध की जा सकती हैं। तीसरी योजना के लिए अस्थायी तौर पर तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार परिवार-आयोजन क्लिनिकों की सख्या, जो दूसरी योजना के अन्त में 1,649 थी, बढ़ कर 8,200 हो जाएगी इसमें से 6,100 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और 2,100 शहरी क्षेत्रों में। सरल गर्भनिरोध-उपकरण वाटने और सामान्य सलाह-मशिवरा देने का काम काफी बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सस्थाओं, परिवार-आयोजन-कार्य के लिए प्रशिक्षित डाइयो तथा अन्य चिकित्सा-कर्मचारियों को सौंपा जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयों को परिवार-आयोजन-सम्बन्धी सेवाएँ मुह्य्या करने-योग्य बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तथा अन्य खर्च की व्यवस्था का प्रश्न प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों के कार्यक्रम में पूरे तौर पर शामिल करने का विचार है। इस कार्य में मुख्य वाचा पर्याप्त मख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता, विशेष रूप से स्त्री कार्यकर्ता, प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। प्रशिक्षण-सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक सघन अल्पकालीन पाठ्यक्रम आरम्भ करना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों के लिए सुझाव रखा गया है कि गैर-सरकारी डाक्टरों की अतिरिक्त मदद लेकर सलाह-मशिवरा देने, उपकरण वाटने और जहां तक सम्भव हो, वन्व्याकरण का काम किया जाए।

64 बड़े पैमाने पर परिवार-आयोजन-कार्य को चलाने के लिए गर्भनिरोध-उपकरणों का देश में ही उत्पादन करना आवश्यक है। इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है, परन्तु उसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इन वस्तुओं की आपूर्ति का चालू अनुमान बहुत ही सीमित कार्यक्रम के आधार पर लगाया गया है। कार्यक्रम का स्वरूप देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार स्वयं इन वस्तुओं के उत्पादन में अतिरिक्त हिस्सा लेने, उनका मानक तैयार करने तथा मूल्य निश्चित करने में पहल करे। आरम्भिक दौर में जनता के कुछ वर्गों को ये चीजें मुफ्त अथवा नाममात्र लागत पर मुह्य्या करना भी जरूरी होगा। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार और निजी फर्मों-द्वारा गर्भनिरोध-उपकरणों के उत्पादन के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस उद्देश्य को

सामने रखना चाहिए कि यथाशीघ्र जिन पैमाने पर आवश्यकता है, उसके अनुसार ये चौबे मुह्य्या की जा सकें ।

65 तीसरी योजना में अनुसन्धान का पहले से अधिक विस्तृत कार्यक्रम शुरु किया जाएगा । अन्य पहलुओं-सहित निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसन्धान किया जा रहा है

- (1) मानव-उत्पत्ति-सम्बन्धी अध्ययन का विकास ।
- (2) सन्तानोत्पत्ति के प्राकृतिक नियमों का अध्ययन ।
- (3) अधिक कारगर बाहरी उपयोग-योग्य गर्भ-निरोध-उपकरणों का विकास ।
- (4) खाने-योग्य उपयोगी गर्भ-निरोधक का विकास ।
- (5) वन्ध्याकरण के बाद पुरुष और स्त्री, दोनों की जाच-पड़ताल, जिससे ऐसे मामलों में दाद में पड़नेवाले प्रभाव मालूम पड़ सकें ।

खाने-योग्य गर्भ-निरोधकों के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ-समिति की स्थापना की गई है, जो इन दिशा में होनेवाले कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और अपनी निफारिशें पेश करेगी । हाल में ही एक और समिति नियुक्त की गई है, जो परिवार-आयोजन का नदेश फैलाने, प्रेरणा देने तथा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अनुसन्धान का काम करेगी । परिवार-आयोजन के साथ सम्बद्ध सामाजिक समस्याओं पर भी पहले से अधिक व्यापक आधार पर विचार करना चाहिए ।

66 पिछले पाच वर्षों में वन्ध्याकरण की सुविधाएँ कई राज्यों में मुह्य्या की गईं । अब तक लगभग ऐसे 1,25,000 आपरेशन किए जा चुके हैं । परिवार-आयोजन-कार्यक्रम में स्वेच्छा से वन्ध्याकरण स्वीकार करने का बहुत बड़ा योग है । तीसरी योजना में वन्ध्याकरण की सुविधाएँ जिला-अस्पतालों, सबडिवीजन के अस्पतालों और ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में भी मुह्य्या करने का इरादा है, जहाँ चीर-फाड़ के काम के लिए आवश्यक सुविधाएँ पहले से मौजूद हैं । चलती-फिरती इकाइयों की नहायता से ये सुविधाएँ और भी विस्तृत की जा सकती हैं ।

67 तीसरी योजना में परिवार-आयोजन के क्षेत्र में मुख्य काम कुछ बुनियादी समस्याओं का हल निकालना है तथा परिवार-आयोजन के समर्थन में शिक्षा तथा विस्तार-कार्य के लिए सभी उपलब्ध सत्थाओं का उपयोग करना है । केन्द्र और राज्यों में प्रशासन-संगठन बहुत मजबूत करने होंगे । हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों और बाद में उनके उपकेन्द्रों को कर्मचारियों और साज-सामान में नुनज्जित करने के काम और गाव-गाव में केवल मलाह देने के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार-आयोजन के लिए क्रियात्मक नहायता देने के लिए भी पहुंचने के काम को छोटा या सरल नहीं नमसना चाहिए । गैर-सरकारी डाक्टरों, देशी चिकित्सकों और ग्रामीण दाइयों को परिवार-आयोजन-केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों के साथ परिवार-आयोजन के कार्य में नहायता देने के लिए तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर पूरी नावधानी से आयोजन करना होगा । आवश्यकता के अनुसार बड़े पैमाने पर गर्भ-निरोध-उपकरणों के उत्पादन की व्यवस्था करना भी एक बड़ा काम है । इन कार्य के लिए स्त्रैच्छिक मगठनों, श्रम-मगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम कर रही मन्ध्याओं में जिनने दबे पैमाने पर हो सके, नहायता लेना तथा प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें एक नूय में बाधक श्रियात्मक महयोग में कार्यक्रम चलाना आवश्यक है ।

68 अन्त में, यह भी बताना आवश्यक है कि परिवार सीमित करने के किसी भी व्यापक प्रयत्न के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों, समय तथा स्त्री-शिक्षा पर, जिन्हें स्त्रियों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों, तथा विवाह को वय बढ़ाने पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सन्तति-नियमन पर सलाह देने के साथ-साथ परिवार-आयोजन की शिक्षा में यौन और पारिवारिक जीवन-सम्बन्धी शिक्षा तथा परिवार को सुखमय बनाने के अन्य उपायों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

आवास तथा शहरी और ग्रामीण आयोजन

आवास-कार्यक्रम का, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ कर दिया गया था, मुख्य लक्ष्य औद्योगिक मजदूरों और निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करना था। इन कार्यक्रम को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गन्दी बस्तियों को नफाई और मृदाय बागानों के मजदूरों के आवास, ग्राम-आवास तथा भूमि-अधिग्रहण और विकास के कार्य प्रारम्भ करके बहुत विस्तृत कर दिया गया। नीचे दी गई तालिका में दूसरी योजना में इन मद में पूर्वानुमानित व्यय-राशि दिखाई गई है।

तालिका-सदया 1

दूसरी योजना में पूर्वानुमानित व्यय

योजनाएं	पूर्वानुमानित व्यय (करोड़ रुपये)
नहायता-आ त औद्योगिक आवास	24.2
गन्दी बस्तियों को सफाई	9.9
निम्न आय-वर्ग के आवास	37.6
ग्राम-आवास	3.7
बागान क्षेत्रों में आवास	0.1
मध्यम क्षेत्रों में मध्यवित्त-वर्ग के आवास	0.3
राज्यों की आवास-योजनाएं	1.2
भूमि-अधिग्रहण और विकास	2.0
नगर-आयोजन	1.1
योग	50.3

2. उपर बताई गई आवास-योजनाओं के अतिरिक्त नगरों के विशेष वर्गों— जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में परिणमित जातियों, परिणमित आदिम जातियों और पिछड़ी जातियों हेतु— शूल-करो, विन्यापित, आदि के लिए भी कुछ विशेष आवास-योजनाएं प्रारम्भ की गईं। कोदला और अन्न-उद्योगों के मजदूरों के लिए आवास-योजनाओं को इन उद्योगों के अन्तर्गत—कोदला द्वारा दिए गए धन से पूरा किया गया। दूसरी योजना की अवधि में जीवन-नीमा-निर्माण ने मध्यवित्त-वर्ग को भूकान-निर्माण के लिए और राज्य-सरकारों को अपने निम्न आयवाले कर्म-चारियों के लिए किराए के मकान बनाने के लिए धन मुहैया किया। केंद्रीय सरकार के विभागों-द्वारा तथा निजी उद्योगपतियों-द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में मकान बनाने का कार्य किया गया। दूसरी योजना की अवधि में मासिक आवास के लिए कुल व्यय-परिमाण 250 करोड़ ६० के लगभग था तथा लगभग 5,00,000 मकान बनाए गए।

3 यद्यपि पहली और दूसरी योजनाओं में आवास-सम्बन्धी प्रयत्नों को उत्तरोत्तर बढ़ाया गया, तथापि जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण मकानों की कमी की समस्या को हल करना आगामी अनेक वर्षों तक एक सिरदर्द बना रहेगा। सन् 1951 और सन् 1961 के बीच 20,000 या इससे अधिक की आवादीवाले नगरों की जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना में यह अनुमान लगाया गया कि सन् 1961 में शहरी क्षेत्रों में 50 लाख मकानों की कमी रहेगी, जब कि सन् 1951 में 25 लाख मकानों की कमी थी।

4 जनसंख्या में, विशेष रूप से शहरी की जनसंख्या में, जो वृद्धि हुई है, उनसे तीसरी और उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में आवास-कार्यक्रमों को किस प्रकार विकसित किया जाए, इस सम्बन्ध में कम-से-कम तीन सामान्य विचारणाय वाते सामने आती हैं। पहली बात, आवास-नीतियों को आर्थिक विकास और बड़े तथा छोटे, दोनों पैमाने के उद्योगीकरण एवं आगामी एक या दो दशकद्वियों में सामने आनेवाली समस्याओं को व्यापक पूँजभूमि में निश्चित करना चाहिए। इसी कारण उद्योगों के स्थान एवं उनके विकराव के प्रस्ताव आवास-समस्या को हल करने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी बात यह आवश्यक है कि सम्बद्ध सभी अभिकरणों के प्रयत्नों में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों, या सहकारी क्षेत्र के, या निजी क्षेत्र के, समन्वय होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान की तैयारी का महत्व अब पहले से अधिक हो गया है, क्योंकि इन योजनाओं के बिना सुव्यक्त सामान्य उद्देश्यों की विशा में, जिनके लिए अनेक वर्षों से क्रमबद्ध प्रयत्न किया जा रहा है, विभिन्न अभिकरणों को समन्वित करने और उनके योगदान को अधिकतम रूप से प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। तीसरी बात, इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनमें मकान-निर्माण का सारा कार्यक्रम—सरकारी और निजी, दोनों ही प्रकार का—इस तरह से नवगठित हो कि समाज के निम्न आयवाले वर्गों की आवश्यकताएँ विशेष रूप से पूरी हो सकें। तीसरी योजना के लिए आवास-कार्यक्रम बनते समय इन बातों को ध्यान में रखने का प्रयत्न किया गया है।

5 विगत कुछ वर्षों से आवास की जिन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, उन्हें तीसरी योजना में भी जारी रखा जाएगा तथा उनका विस्तार किया जाएगा। इनमें सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास, निम्न आयवाले वर्गों के आवास, शहरी वस्तियों की सफाई, वागान-मजदूरों के आवास, भूमि-अधिग्रहण और विकास, तथा ग्रामीण आवास के कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भूमि-अधिग्रहण और विकास पर विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि यह सभी आवास-कार्यक्रमों की सफलता की बुनियाद है। आर्थिक दृष्टि से समाज के निचले वर्गों, गोदी-कर्मचारियों और पटरियों पर रहनेवालों के लिए भी नए आवास-कार्यक्रम हाथ में लिए जाएँगे। राजधानियों, औद्योगिक नगरों और मानव-स्रोतों से सम्पन्न क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान और प्रादेशिक विकास प्लानों के निर्माण के लिए सधन प्रयत्न किया जाएगा। तीसरी योजना में भवन-निर्माण की तकनीकों में अनुसन्धान और परीक्षात्मक आवास-निर्माण का काम प्रारम्भ करने की व्यवस्था है। इनके मात्र ही आवास-सम्बन्धी अकों का भी सकलन किया जाएगा, जिनका अभाव अतीत काल में अब वर्गों बाधा रहा है।

व्यय-परिमाण और लक्ष्य

6 दूसरी योजना के सशोधित व्यय-परिमाण की तुलना में, जो 84 करोड़ रु० था, तीसरी योजना का व्यय-परिमाण 142 करोड़ रु० रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि जीवन-बीमा-निगम भी इस मद में अनुमानत 60 करोड़ रु० की राशि प्रदान करेगा। तीसरी योजना में विभिन्न योजनाओं के लिए व्यय-परिमाण नीचे की तालिका में दिखाया गया है

तालिका-संख्या 2

तीसरी योजना का व्यय-परिमाण—1961-66

(करोड़ रु०)

योजनाएं	व्यय-परिमाण
(1) निर्माण, आवास और सम्भरण-मन्त्रालय	
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	29 8
शोदी-कर्मचारियों का आवास	2 0
गन्दी बस्तियों की सफाई, सुचारु और रैन-वसेरो का निर्माण	28 6
निम्न आयवाले वर्गों का आवास	35 2
सघीय क्षेत्रों में मध्यवर्ति-वर्ग का आवास	2 5
ग्राम-आवास	12 7
वागान-मजदूरों का आवास	0 7
भूमि-अधिग्रहण और विकास	9 5
परीक्षणार्थक आवास, अनुसन्धान और अक-संकलन योग	1 0
	122 0
(2) अन्य योजनाएं	
राज्यों की आवास-योजनाएं	2 3
मास्टर प्लानों का निर्माण-सहित नगर-आयोजन	5 4
शहरी विकास-योजनाएं	12 3
योग	20.0
योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों का योग (1 और 2)	142.0
(3) जीवन-बीमा-निगम की वित्तीय सहायता से चलाए जानेवाले कार्यक्रम सर्वयोग	60 0
	202 0

तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है

तालिका-संख्या 3

तीसरी योजना के लक्ष्य

	भकानों/शौचडिघों की संख्या
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	73,000
निम्न आयवाले वर्गों का आवास	75,000
गन्दी बस्तियों की सफाई	1,00,000
ग्राम-आवास	1,25,000

7 ऊपर वर्णित आवास-व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी वित्तीय सहायता-प्राप्त कुछ आवास-कार्यक्रम हैं। तीसरी योजना की अवधि में कोयला और अभ्रक-खान-कल्याण-कोश-द्वारा 60,000 मकानों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रु० दिए जाने की आशा है। पिछड़ी जातियों के लिए जो कल्याण-कार्यक्रम हैं, उनमें उन्हें आवास मुहैया करना भी शामिल है। रेलवे, वाणिज्य और उद्योग, संचार तथा अन्य मन्त्रालयों के अस्थायी अनुमानों से पता चलता है कि ये मन्त्रालय भी तीसरी योजना की अवधि में अपने कर्मचारियों के लिए लगभग 200 करोड़ रु० खर्च करके 3,00,000 मकान बनवाएंगे। कुल मिला कर, तीसरी योजना में विभिन्न आवास-कार्यक्रमों और मन्त्रालयों के निर्माण-कार्यों के अधीन 9,00,000 मकानों के बनाए जाने की सम्भावना है, जब कि दूसरी योजना की अवधि में 5,00,000 मकान बनाए गए।

8 निजी क्षेत्रों में भी बहुत अधिक मकान बनाए गए, परन्तु उसकी विपुलता का ठीक अनुमान लगा सकना कठिन है। पहली योजना में मकानों और निजी निर्माण-कार्यों पर 900 करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई। दूसरी योजना के लिए यह अनुमान 1,000 करोड़ रु० का है। तीसरी योजना में मकानों तथा अन्य निजी निर्माण-कार्यों में निजी क्षेत्र की पूंजी के विनियोग का अनुमान 1,125 करोड़ रु० का है।

आवास-मंडल

9 विकास की वर्तमान स्थिति में सरकार-द्वारा दी गई सीधी वित्तीय सहायता से आवास-सम्बन्धी आवश्यकताओं के एक अल्प भाग की ही पूर्ति हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिनमें से अधिकांश की आय बहुत कम है, अपने मकान स्वयं बनाने में समर्थ हो सकें। इसके लिए सगठनात्मक व्यवस्था की जरूरत है। इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय आवास-मंडल स्थापित करने की सम्भावनाओं पर इन समय विचार किया जा रहा है। इस प्रकार का सगठन आवास के लिए अतिरिक्त कोश प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, अनेक बातों के द्वारा, जिनमें बन्धक भी शामिल है, आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था कर सकता है, ऋण-विषयक व्यवहार में सुधार कर सकता है और आवास के लिए सुघरी हुई बन्धक-पद्धति की व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह सगठन कुछ सीमा तक स्वयं वित्त जुटा सकता है और राज्य-सरकारों को या राज्यों के आवास-मंडलों को जमीन की खरीद और विकास के लिए, मकान बनाने के लिए तथा गन्दी बस्तियों के अधिग्रहण एवं उनके पुनर्विकास के लिए ऋण प्रदान कर सकता है। जीवन-बीमा-निषम और केन्द्रीय सरकार-द्वारा प्राप्त कोश भी इन्हीं के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। उन राज्यों में, जहाँ आवास-मंडल पहले से स्थापित हैं, वे सामान्यतः राज्यों के आवास-कार्यक्रमों के परिपालन के लिए निर्माण-अभिकरणों के रूप में कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय आवास-मंडल तथा राज्यों के आवास-मंडलों में उचित समय पर आवास-साधनों के विकास के लिए वे साधन प्राप्त हो सकते हैं, जिनका नामान्य स्थिति में उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। ये संस्थाएँ मिल कर ऐसी आवास-नीति के निर्माण में सहायता दे सकती हैं, जिससे सीमित साधनवाले व्यक्तियों को अपने निज के प्रयोग के लिए मकान बनाने में सुविधा मिले और जिससे बैंक तथा अन्य वित्तीय नगटन विभिन्न सेवा-कार्य कर सकें। यह प्रस्ताव है कि तीसरी योजना के आवास-कार्यक्रमों को पूरा करने

तथा भविष्य में विशाल विकास की बुनियाद रखने की दृष्टि में इन पहलुओं पर और अधिक विचार किया जाए ।

भूमि-अधिग्रहण और विकास

10 आवास-कार्यक्रमों के मफन सम्पादन के लिए यह ध्यावर्ष्य है कि भवन-निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्यों पर भूमि उपलब्ध हो । उम्निग तीमरी योजना में आवास के लिए उपलब्ध धन के एक पर्याप्त बड़े भाग को भूमि-अधिग्रहण और विषाम के लिए निश्चित किया गया है । सन् 1959 में राज्य-मन्त्रालयों को चुने हुए स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण और विकास करने के लिए 10 वर्षों में लौटाने-योग्य ऋण के द्वारा निम्न सहायता देने के कार्यक्रम को जारी किया गया था । इन प्रकार, जिन भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उनका उपयोग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवास, निर्माण तथा समाज की दी जानेवाली विभिन्न सुविधाओं—जैसे, मावैज्ञानिक उद्यान, खेल के मैदान, स्कूल, प्रस्पताल, दुकानें, डाकघर, आदि—के लिए किया जाएगा । तीमरी योजना में (जिवन-वैमान-निर्माण का योगदान-सहित) भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए 26 करोड़ २० लाख व्यय-निर्माण निश्चित किया गया है । इस कार्यक्रम के अर्धीन जो मापन प्राप्त होंगे, वे राज्यों में 'गतिमान कोश' के रूप में और उन्हें बड़ी मात्रा में भूमि के अधिग्रहण और विषाम के लिए काम में लाया जाएगा ।

श्रीछोमिक श्रमिकों का आवास

11 सहायता-प्राप्त श्रीछोमिक आवास-कार्यक्रम के अर्धीन, जिसे सन् 1952 में मुख्यतः निजी क्षेत्र के कारखानों और खदानों में काम करनेवाले श्रीछोमिक मजदूरों को आवास-सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, केन्द्रीय नगरपाल राज्य-नरकारी, राज्यों के आवास-मन्त्रालयों और नगरपालिकाओं को कुल खर्च का 50 प्रतिशत ऋण के रूप में और शेष 50 प्रतिशत सहायता के रूप में प्रदान करती है । उद्योग-प्रतियोगी और श्रीछोमिक मजदूरों की सहकारी समितियों को कुल व्यय के प्रमश 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अथ तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई । इन दोनों मामलों में सहायता की अनुदान-राशि 25 प्रतिशत है । श्रीछोमिक मजदूरों को खर्च का शेष 10 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए यह अनुमति दी गई कि वे अपनी भविष्य-निधि (प्रोविडेंट फंड) में न लौटाने-योग्य ऋण ले सकते हैं । दूसरी योजना के अन्त तक 45 करोड़ २० लाख लागत के 1,40,000 मकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई । उनमें से 1,00,000 मकान बन कर तैयार हो गए हैं तथा शेष निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

12 यदि सहायता-अनुदान की दर में नियत किए गए किराए मजदूरों की आर्थिक क्षमता की दृष्टि से अधिक न होते, तो यह कार्यक्रम और अधिक प्रगति करता । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में बनाए गए मकानों में श्रीछोमिक मजदूर रहने के लिए गए ही नहीं । अतः किराए को कम करने के प्रयत्न पर, जिसमें वह मजदूरों की दे सकने की क्षमता के अनुकूल हो, और विचार किया जाना चाहिए । इसके साथ ही मजदूरों को अपने काम के स्थान तक ले जाने के लिए सस्ते परिवहन भी उपलब्ध कराने चाहिए । योजना के कुछ पहलुओं को मशोचित भी कर दिया गया है । मजदूरों को विभिन्न प्रकार की आवास-व्यवस्थाओं में से किसी एक को चुनाव के पर्याप्त अवसर है । मजदूर खाली और विकसित

प्लॉट, तथा उसके साथ ही मकान बनाने एवं छत डालने के काम में फर्निशमेंट सामान ले सकते हैं तथा निर्धारित स्वरूप के मकान स्वयं बना सकते हैं। तो मजदूर खुले प्लॉट पर 'स्वनिर्मित' मकान नहीं लेना चाहते, उन्हें 'टाचायुक्त' फ्लॉट, जिममें नींव, भवन-कुर्सी और छत होती है, प्रदान किए जाने हैं। गृह निर्माण प्लॉट का मासिक किराया 2 से 3 रु० तक है, जब कि टाचायुक्त मकान का निर्माण 8 रु० मासिक है। परिवार के साथ न रहनेवाले मजदूरों के लिए ऐसे आवास या कमरे बनाए गए हैं, जिनमें एक साथ कई लोग रह सकें। आवास-निर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में ऋण अदा करने की अवधि में वृद्धि, भवन-निर्माण में काम आनेवाले सामान में छूट देना तथा मकान बनानेवाले मजदूरों के मेहनताने में हुई वृद्धि को देखते हुए मकानों के अपेक्षित स्तर को उनके अनुरूप करना, एलाटमेंट-सम्बन्धी नियमों को मजबूत बनाना और नगरपालिका तथा महकरी समितियों को विकसित प्लॉट देने की व्यवस्था करना, आदि कुछ परिश्रम भी किए गए हैं। हाल ही में उद्योगों के मालिकों को अपने निम्न आयवाने में शामिल होने के लिए बनाए गए गए मकानों पर आनेवाले व्यय का 20 प्रतिशत प्रारम्भिक व्ययमुक्त करने के रूप में, आय-कर में छूट दी गई है। यह छूट उममें अलग है, जो छोटे मकानों के लिए है।

कर्मचारियों के लिए मकान बनवा सकें। एक उचित मार्ग यह हो सकता है कि सरकार कुल निर्माण-व्यय का 80 प्रतिशत तक ऋण-अनुदान के रूप में दे दे। योजना में जो व्यवस्था की गई है, उससे 5,000 मकानों का निर्माण सम्भव होना चाहिए। हाल के वर्षों में बन्दरगाहों का विकास बड़े पैमाने पर हो रहा है और बन्दरगाह-अधिकारियों के सहयोग से बन्दरगाहों में आवास-समस्या के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास

15 निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास-कार्यक्रम में मकान-निर्माण पर आनेवाले व्यय का 80 प्रतिशत तक ऋण-अनुदान, जो कि 8,000 रु० से अधिक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को देने की व्यवस्था है, जिसकी वार्षिक आय 6,000 रु० से अधिक नहीं है। इसी पैमाने पर स्थानीय निकायों, 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलनेवाली सार्वजनिक संस्थाओं, मान्य ना-आप्त स्वास्थ्य, बर्माय और शिक्षण-संस्थाओं एवं सहकारी समितियों को भी सहायता दी जाती है।

16 मन् 1954 से, जब इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया, लगभग 85,000 मकानों के निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है तथा दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 53,000 मकान बन कर तैयार हो गए थे। इस कार्यक्रम के अर्धीन ऋण की बहुत भाग है। नगरो में, जहाँ विकसित प्लाट उपलब्ध हैं, इस दिशा में अधिक प्रगति हुई है। यह अनुभव किया गया है कि तीसरी योजना में समाज के उन वर्गों के लिए, जो आर्थिक दृष्टि से कम-खोर हैं, जिनकी वार्षिक आय 1,800 रु० या इससे कम है, तथा जो इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा सकते हैं, विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। इस वर्ग के लोग 10-12 रु० या बहुत-हुआती 15 रु० मासिक तक किराया दे सकने की स्थिति में होते हैं। इनको आवास-प्रदान करने का मुख्य तरीका यह है कि इनको किराए पर देने के लिए या तो आवास-मंडल और स्थानीय निकाय या आवास-सहकारी समितियाँ मकान बनाएं। इस समस्या पर और अधिक विचार के आधार के रूप में, यह सम्भव हो सकता है कि स्थानीय निकायों को मूद की आपान दरों पर लम्बे समय में लौटाने-योग्य ऋण दिया जा सके—पक्के मकानों के अतिरिक्त, औद्योगिक आवास-वृद्धि पर जाली विकसित प्लाटों और ढाचायुक्त आवास के प्रदान करने और गन्दी वस्तियों की सफाई, कार्यक्रमों पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसी आवास-सहकारी समितियों को, जिनके सदस्य प्रायः समाज के निर्वन वर्ग के व्यक्ति हैं, इसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है। मोटे रूप में, निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास-कार्यक्रम का एक-तिहाई भाग आर्थिक दृष्टि से निर्वन व्यक्तियों के लिए होगा। राज्य और स्थानीय करों से मुक्ति के प्रश्न पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ज्यों-ज्यों निम्न आयवाले वर्गों के आवास के लिए संस्थाओं से वित्तीय सहायता नामान्यत उपलब्ध होगी, स्थानीय सरकार-द्वारा इन मद में दी गई राशि के एक बड़े भाग को आर्थिक दृष्टि से निर्वन वर्गों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

वागान-मजदूरों का आवास

17 सन् 1951 के वागान-मजदूर-अधिनियम में यह व्यवस्था है कि वागान-मालिक वागान में रहनेवाले मजदूरों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक आवास-पुर्विधाएं

प्रदान करें। यह आवास-व्यवस्था प्रतिवर्ष कुल मजदूरो के 8 प्रतिशत भाग को उपलब्ध बनाने के हिसाब से तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक सभी मजदूरों को आवास न मिल जाय। अनेक वागान-मालिकों ने, विशेषतः छोटे वागान-मालिकों ने, वित्तीय साधनों के अभाव में इस दायित्व को पूरा करने में असमर्थता अनुभव की। इसलिए ऐसे वागान-मालिकों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए सन् 1956 में वागान-मजदूर-आवास-योजना लागू की गई। इस योजना के अर्धीन मकान पर आनेवाले कुल व्यय का, जिसमें भूमि का मूल्य और विक्राम-व्यय शामिल नहीं है, 80 प्रतिशत तक ऋण के रूप में दिया जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि यह ऋण-राशि प्रति मकान उत्तर-भाग में 2,00 रु० और दक्षिण-भारत में 1,920 रु० से अधिक नहीं होगी। औष 20 प्रतिशत राशि वागान-मालिकों को अपने स्रोतों में जुटानी होगी।

18 दूसरी योजना के अन्त तक केवल 700 मकान बनाने की स्वीकृति दी गई थी और 300 तैयार हो गए थे। इस कार्यक्रम के मार्ग में मुख्य बाधा वागान-मालिकों-द्वारा ऋणों के लिए उचित गारंटी प्रदान न करने की रही है। कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि वागान-मालिक ऋण की गारंटी के लिए अपने वागानों में बने मकानों और उनकी भूमि का राज्य-सरकारों के नाम बन्धक रख दें। वागान-मालिक इस शर्त का पालन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी भूमियाँ एवं सम्पत्ति पहले ही वागानों की चताने के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के लिए बैंकों के नाम प्राय बन्धक होती हैं।

19 वागान-मालिक इन ऋणों का लाभ उठा सकें, इसके लिए कुछ नए तरीके गारंटी की इस शर्त को भी ढीला कर दिया है। वागान-मालिकों को दिए गए ऋणों का प्रतिशत अतिरिक्त सूद लेकर एक 'सामूहिक गारंटी कोष' की स्थापना करने की प्रस्ताव है। इस कोष से प्राप्त होनेवाले सूद को भी इसी कोष में जमा कर दिया जाएगा। यह कोष ऋण-अनुदानों के लिए एक सामूहिक गारंटी के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। यदि हानि इस कोष की सम्पत्ति में अधिक हुई, तो उसका भार केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार और सम्बद्ध मजल मिल कर वहन कर लेंगे।

की गई है, परन्तु इस बात की सम्भावना है कि जीवन-नीमा-निगम-द्वारा प्रदत्त राशि में से 20 करोड़ रु० मध्यवित्त-गर्ग की आवास-योजना के लिए तथा नीचे उल्लिखित राज्य-सरकारों के कर्मचारियों को किराए पर मकान बनाने की योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

राज्य-सरकारों के कर्मचारियों के लिए किराए के आवास

21 राज्य-सरकारों के कर्मचारियों को किराए पर मकान देने की योजना का उद्देश्य राज्य-सरकारों को अपने निम्न आयवाले कर्मचारियों के लिए आवास-व्यवस्था करने में सहायता देना है। इस योजना के अधीन, जिने सन् 1959 में लागू किया गया था, जीवन-नीमा-निगम 5 प्रतिशत वार्षिक मूद की दर में राज्य-सरकारों को ऋण देता है। यह ऋण 20 वर्षों में लौटाया जा सकेगा। दूसरी योजना की अधि में इस कार्यक्रम के अधीन राज्य-सरकारों को 7 करोड़ रु० दिए गए तथा 2,500 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 735 का निर्माण पूरा हो गया।

गन्दी वस्तियों की सफाई और सुधार

22 तीसरी योजना के कार्यक्रम में गन्दी वस्तियों की सफाई और सुधार के लिए लगभग 29 करोड़ रु० खर्चे गए हैं। राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को बड़े नगरों की कुछ अत्यधिक गन्दी वस्तियों की सफाई के लिए वित्तीय सहायता देने के कार्यक्रम को दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया था। दूसरी योजना के अन्त तक विभिन्न कस्बों और नगरों में गन्दी की स्थिति में रहनेवाले 58,200 परिवारों के पुनर्वास के लिए 19 करोड़ रु० की लागत की 208 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। मकानों की 18,000 इकाइया तैयार हो गई हैं। ऐसे परिवारों के लिए, जो पक्के कमरों के लिए सहायता-अनुदान के अनुसार किराया देने में भी असमर्थ हैं, उक्त कार्यक्रम में डाचा-आवासों और बिना बने विकसित प्लाटों को, जिनके साथ प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग स्नानागारों के चबूतरे और शौचालय भी हैं, देने की व्यवस्था है। गन्दी वस्तियों में रहनेवालों पर ही इसका भार छोड़ दिया जाता है कि वे राज्य-सरकारों के तकनीकी परामर्श के अनुसार बनाए गए ढंग पर अपने मकान स्वयं बना लें।

23 गन्दी वस्तियों की सफाई और उनके सुधार के कार्य में आनेवाली कुछ कठिनाइया ये हैं गन्दी वस्तियों के अधिग्रहण के लिए लम्बी और समय लेनेवाली प्रक्रिया, कम समय लेनेवाली प्रक्रियाएँ, काम के वर्तमान स्थानों के निकट वैकल्पिक स्थानों का न मिलना और यदि मिल भी जाए, तो उनका बहुत अधिक महंगा होना, गन्दी वस्तियों के निवासियों की सहायता-अनुदान के अनुसार किराया देने में भी असमर्थता और जिन इलाकों को सफाई के लिए चुन लिया गया है, वहाँ से हटने में उनकी आनाकानी। मैसूर, मद्रास, मध्यप्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, आदि राज्यों तथा दिल्ली-प्रशासन ने गन्दी वस्तियों के अधिग्रहण के कार्य में श्रद्धा लाने तथा मुआवजे की राशि में कमी करने के लिए कानून भी बनाए हैं। इस प्रकार के कानून जहाँ नहीं बने हैं, वहाँ भी बनाने की आवश्यकता है। योजना की परियोजना-समन्वी समिति-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल ने तथा गन्दी वस्तियों की सफाई के बारे में बनाई गई परामर्श-समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की थी। इन समितियों ने यह सिफारिश की है कि जहाँ दीर्घकालीन योजना आवश्यक है, वहाँ यह और

भी जरूरी है कि गन्दी वस्तियों को नरक के सगन स्थिति को दूर करने के लिए अल्पकालीन उपाय बरतने पर भी विचार किया जाए। इस दिशा में अखिलम्ब कार्रवाई के रूप में न्यूनतम सुविधाएँ—यथा, स्वच्छ शौचालय, पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियाँ, स्वच्छ जल-आपूर्ति, मुख्य सड़क से मिलानेवाली सामान्यतः अच्छी सड़कें, पटी हुई गलियाँ और प्रकाश की समुचित व्यवस्था—प्रदान की जानी चाहिए। इन समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद गन्दी वस्तियों की सफाई के कार्यक्रम के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, जिससे उसकी परिधि में गन्दी वस्तियों का सुघार भी आ जाए। छत्रमुख्य नगरों—यथा, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद—में गन्दी वस्तियों की समस्या को अखिलम्ब प्राथमिकता देने के लिए बड़ी मात्रा में साधन प्रदान किए गए। इन नगरों में गन्दी वस्तियों की सफाई के लिए कुल सहायता-अनुदान को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 62½ प्रतिशत कर दिया गया है और इसमें केंद्रीय सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 37½ प्रतिशत कर दिया गया है।

24 ऊपर बताए गए छत्र नगरों में इस कार्यक्रम के अधीन अधिकतम प्रयत्न जारी रहना चाहिए। तीसरी योजना में यह प्रस्ताव है कि सिद्धान्ततः राज्य-सरकारें जहाँ समझें कि गन्दी वस्ती की समस्या उन्नत रूप में है, वहाँ गन्दी वस्तियों की सफाई और सुघार का कार्य हाथ में लिया जा सकता है। साधनों के सीमित होने के कारण यह विचार किया गया है कि सामान्यतः उन नगरों को प्राथमिकता दी जाए, जिनकी जनसंख्या 1,00,000 या इससे अधिक है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारें गन्दी वस्तियों के सर्वेक्षण की व्यवस्था करा सकती हैं तथा उनका दो श्रेणियों में—ऐसे क्षेत्र, जिन्हें पूरी तरह साफ करा कर नए सिरे से विकसित करना होगा; और दूसरे वे, जिनको आसपास की परिस्थितियों में सुघार कर रहने योग्य बनाया जा सकता है—वर्गीकरण कर सकती हैं। दूसरी श्रेणी में आनेवाली गन्दी वस्तियों के मालिक यदि स्वयं आवश्यक सुघार न करें, तो स्थानीय निकायों को यह कार्य स्वयं करके उसका खर्चा मालिकों से वसूल कर लेना चाहिए, जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ सम्पत्ति को अपने अधिकार में भी लिया जा सकता है। जहाँ कहीं सरकारी भूमि पर या अधिग्रहण की गई भूमि पर स्थित गन्दी वस्तियों में सुघार का कार्य स्थानीय निकाय करें, वहाँ उन निकायों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। गन्दी वस्तियों की सफाई और सुघार के कार्य में स्वेच्छिक सगठनों और सामाजिक कार्यकर्तियों का भी पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए।

25 जहाँ वर्तमान गन्दी वस्तियों की सफाई के लिए कदम उठाए गए हैं, वहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नई गन्दी वस्तियों को भी पनपने न दिया जाए। इस लक्ष्य की भी पूर्ति कोई सरल बात नहीं है। सभी बढ़नेवाले नगरों और कस्बों के लिए मास्टर प्लान बनाने तथा उस पर कठोरता से अमल करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि नगरपालिका के उपनियमों और भवन-निर्माण-नियमों को भी लागू किया जाए, तथा इसके साथ-साथ निम्न आयवाले और आर्थिक दृष्टि से निर्धन वर्ग के लोगों को भी आवास-सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। सक्रमणकालीन कदम के रूप में यह आवश्यक है कि पटरियों पर रहनेवालों और बिना परिवार के मजदूरों के लिए रैन-वतरे और शयनागार बनवाए जाएँ। इसी प्रकार, भगियों और मेहलरों के आवास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना

चाहिए। सफाई और सुचारु करने के लिए गन्दी वस्तियों के चुनाव में, जहाँ भगी और मेहतर बड़ी सख्या में रहते हों, उन इलाकों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शहरी आयोजन और भूमि-नीति

26 शहरीकरण आर्थिक और सामाजिक विकास के क्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अन्य अनेक समस्याओं से निकट रूप से जुड़ा हुआ है—ग्रामीणों का ग्रामों से शहरों की ओर प्रवास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर, नगरों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक सेवाएँ मुहैया करने में आनेवाला सापेक्ष व्यय, जनता के विभिन्न वर्गों के लिए आवास-व्यवस्था, जल-सम्भरण, सफाई, परिवहन और बिजली, आदि की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास का ढाँचा, उद्योगों का स्थान और उनका वितरण, नागरिक प्रशासन, वित्तीय नीतियाँ और भूमि के उपयोग का आयोजन। शहरों के लिए, जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सब पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे नगरों की सख्या, जिनकी जनसंख्या 1,00,000 या इससे अधिक है, सन् 1951 में 75 थी, परन्तु सन् 1961 में इनकी सख्या बढ़ कर 115 हो गई है, तथा इनकी जनसंख्या कुल शहरों की जनसंख्या का 43 प्रतिशत भाग है। ऊपर जो पहलू बताए गए हैं, उनमें अन्ततः सर्वाधिक निर्णायक आर्थिक विकास का स्वरूप और उद्योगों के स्थान के बारे में अपनाई गई ग्राम नीति है। व्यापक उद्देश्य यह होना चाहिए कि बड़े, मध्यम आकार के और लघु उद्योगों में तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास हो। जब कि यह भी कोई आसान काम नहीं है, विकास-नीति के मुख्य तत्त्व या घटक इस प्रकार हैं

- (1) जहाँ तक सम्भव हो, नए उद्योगों को बड़े और अधिक घने वस्ते नगरों से दूर स्थापित किया जाए।
- (2) बड़े उद्योगों के आयोजन में, क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में, आयोजन वर्तमान क्षेत्र की परिधि से बाहर बड़े क्षेत्र को ध्यान में रख कर होना चाहिए, जिनके विकास के लिए नया उद्योग मुख्य केंद्र बन सके।
- (3) सामुदायिक विकास-परियोजनाओं में या जिले के ही अन्य क्षेत्रों में, विकास के ग्रामीण और शहरी घटक परस्पर एक समग्र योजना के अंग में सम्बद्ध हों तथा प्रत्येक मामले में योजना का आचार नगरों और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर आर्थिक निर्भरता को बल प्रदान करना हो।
- (4) प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में इन प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए कि खेती पर ही अत्यधिक निर्भर रहने के स्थान पर लोग अधिकाधिक पेशों के विविधतापूर्ण ढाँचे को अपनाए।

आगामी दशक में शहरी समस्या के सम्भावित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इन मामलों को स्थिति है, उसको ठीक किया जाए तथा भविष्य के लिए उन प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिनमें जो भी समस्या नामने आए, उनके लिए ठीक ढंग में उपाय जा सके।

27 शहरी विकास का ध्येय : तेजी से बढ़ते नगरों में जीवन की स्थितियों में जो विगाड आता जा रहा है, उसका कारण शहरी विकास का—विशेषतः जल-आपूर्ति, गन्दे पानी की निकासी के लिए नालियाँ, परिवहन एवं अन्य सेवाओं का—अत्यधिक व्ययसाध्य होना है। यह स्थिति बेकारी, अत्यधिक भीड़भाड़, गन्दी बस्तियों के बढ़ने और इस तथ्य के कारण और भी अधिक विपन्न हो गई है कि अनेक नगरों में पर्याप्त बड़ी सत्या में लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था नहीं है। समस्याएँ आकार-प्रकार, दोनों में ही विशाल और जटिल हैं। इनका समाधान दो ही प्रकार से हो सकता है प्रथम यह, कि न केवल राज्य-सरकारें, अपितु नगरपालिका-प्रशासन और जनता भी इसकी विकरालता को समझें, और दूसरा यह कि सामुदायिक प्रयत्नों को और नागरिकों के इसमें भाग लेने को अधिकार्थिक बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे न्यूनतम निर्देश हैं, जिन पर तीसरी योजना में कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने कम-से-कम भविष्य में एक उचित मार्ग निश्चित हो सके। ये हैं

- (1) सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण-द्वारा तथा उचित वित्तीय नीतियों-द्वारा शहरी भूमि के मूल्यों पर नियन्त्रण,
- (2) भूमि के प्रयोग के बारे में भौतिक आयोजन और मास्टर प्लानों का निर्माण,
- (3) आवासों तथा नगरों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाने-वाली विभिन्न सेवाओं के लिए एक उचित मानदंड का निर्धारण, साथ ही ये सेवाएँ कितनी अधिक आवश्यक हैं, इसका भी मानकीकरण, और
- (4) विकास की नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए नगरपालिका-प्रशासन को सक्षम बनाना।

28 शहरी भूमि के मूल्यों का नियन्त्रण : यकानों के एवं अन्य प्रकार के जर्खों में वृद्धि का तथा निम्न आयवाले वर्गों के हित के लिए हाथ में लिए गए विकास-कार्यों की गति को मन्द करने का सर्वाधिक मुख्य कारण भूमि की कीमतों का बहुत अधिक बढ़ जाना है। भूमि के मूल्यों में सामान्य वृद्धि के अलावा वृद्धि का एक मुख्य कारण सट्टेबाजों हैं। कुछ नगरों में नए उद्योगों तथा नए सरकारी और अन्य निजी कार्यालयों की स्थापना एक ऐसा प्रभावशाली तत्व है, जिससे भूमि की सट्टेबाजों को प्रोत्साहन मिलता है। चूंकि सारे देश में द्रुत गति से आर्थिक विकास हो रहा है तथा इसका प्रभाव सभी दिशाओं में पड़ रहा है, इसलिए भूमि का मूल्य बढ़ानेवाले तत्व प्रायः सभी शहरी क्षेत्रों में विद्यमान हैं। अनेक शहरी क्षेत्रों में इस बात की आवश्यकता है कि भूमि के मूल्यों की वृद्धि को रोकने और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि-अधिग्रहण के हेतु कानूनी एवं अन्य प्रकार के कठोर कदम उठाए जाएँ। स्थिति के अनुसार, बिना किसी अपवाद के, प्रत्येक नगर में शहरी भूमि और सम्पत्ति पर कराधान, आदि के द्वारा उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

29 भूमि के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम तभी सफल हों सकते हैं, जब भूमि के प्रयोग के बारे में मुख्यतः राजधानियों एवं बड़े और विकसित नगरों तथा नए औद्योगिक कस्बों में, कठोर नियम बनाए जाएँ। आगे चल कर मास्टर प्लानों के निर्माण की जो बात कही गई है, वह ऐसे ही नगरों के लिए विशेष महत्व की है। भूमि के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए अगले पृष्ठ पर दिए हुए मुख्य कदम उठाए जा सकते हैं।

- (1) सार्वजनिक अधिकारियों-द्वारा शीघ्र भूमि-अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए भूमि के मूल्यों को कम करने-सम्बन्धी आदेश जारी करना ।
- (2) सट्टेबाजों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी अधिकारी अन्तरिम सामान्य प्लानों के अधीन भूमि का अधिग्रहण और विक्रम करें । भूमि का अधिग्रहण बड़ी मात्रा में कर लिया जाना चाहिए, हालांकि कहीं-कहीं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, अधिग्रहण को क्रमशः भी करना पड़ सकता है । अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र हीनी चाहिए । इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी यथामुम्भव सरल हीनी चाहिए । अधिग्रहण की गई भूमि का शीघ्र विकास करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है । अनिवायं मेवाओं की व्यवस्था सार्वजनिक अधिकारी करे । सरकारी अधिकारियों-द्वारा किए गए विकास-कार्यों के अतिरिक्त उचित नियमों के अधीन महकारी समितियों और निजी अभिकरणों का भी इस कार्य में नाम उठाया जाना चाहिए ।
- (3) भूमि का आवंटन लीज के आधार पर होना चाहिए । एक नियम के रूप में सार्वजनिक अधिकारियों-द्वारा अधिगृहीत भूमि को केवल लीज पर ही दिया जाना चाहिए, ताकि भूमि के किराए के रूप में आवंटक आय के अतिरिक्त, भूमि के मूल्य में जो वृद्धि हो, उसका लाभ भी समाज को मिलता रहे ।
- (4) कृषि-भूमि के कृषि-मिन्न कार्यों के लिए प्रयोग पर रूढ़हाली उपकर और कर हो । राज्य-सरकारी और स्थानीय निकायों के लिए ये राजस्व के उत्तरोत्तर बढ़नेवाले साधन हैं, परन्तु कुछ राज्यों में इस दिशा में जो कानून हैं, वे अपर्याप्त हैं ।
- (5) फ्री-होल्ड भूमि के हस्तान्तरण पर पूजी-कर ।
- (6) विकसित क्षेत्रों में खाली पड़े प्लाटों पर कर, और यदि उन पर एक नियत अवधि में मकान न बनाया गया, तो उनके अधिग्रहण का अधिकार ।
- (7) व्यक्तिगत प्लाटों के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, और एक व्यक्ति अधिकतम कितने प्लाट रख सकता है, इसकी भी सख्या निश्चित करना ।
- (8) किराए के उचित ढांचे या स्वरूप का निर्धारण तथा किरायों का नियमन और नियन्त्रण ।

— योजनाबद्ध शहरीकरण के प्रस्तावों के आधार में यही कदम है तथा उच्चतम प्राथमिकता के रूप में इनकी टोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए ।

30 मास्टर प्लानों का निर्माण - नगरो एव कस्बों के व्यवस्थित विकास के लिए नगर-आयोजन अपरिहार्य है । इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में अन्तरिम ग्राम प्लाटों का निर्माण है, जिसमें विकास की जानेवाली भूमि के प्रयोग का सामान्य स्वरूप भी निर्धारित हो । इसके बाद शहरी और क्षेत्रीय विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाए जाने चाहिए । सर्वप्रथम बड़े नगरो, राज्यों की राजधानियों, बन्दरगाहों, नगरो, नए औद्योगिक केन्द्रों तथा अन्य बड़े और बढ़ते हुए नगरो के लिए, जहाँ पर सामान्यतः स्थिति के अधिक

बिगडने का भय है, मास्टर प्लान बनाए जाने चाहिए। तीसरी योजना की अवधि के लिए ऐसे नगरो* की एक अस्थायी सूची बनाई गई है। वर्तमान नगरो के पुनर्विकास और नए शहरो के निर्माण के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रादेशिक आचार पर काम हो। सामाजिक और आर्थिक विकास में उचित सन्तुलन के लिए तथा विकासशील नगर-समाज के जीवन में अधिक सांस्कृतिक एकता और सामाजिक अखण्डता के लिए यह आवश्यक है। पास्त-पडोस की परिस्थितियों पर अधिक ध्यान देने तथा जनता की दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओं को समझने से सभी नागरिकों में परस्पर सीहार्द की भावना पैदा होगी और शहरी जीवन में अधिक तारतम्य का निर्माण होगा।

31 मास्टर प्लान के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य-सरकारों और सम्बद्ध स्थानीय प्रशासन की है। तीसरी योजना में इन नगरो का मास्टर प्लान बनाने के लिए केन्द्र-द्वारा राज्य-सरकारों को सहायता देने की सीमित व्यवस्था की गई है। इस बारे में प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि नगरो और गावों के आयोजन के लिए उचित कानून बनाया जाए। यह भी आवश्यक है कि राज्य-सरकारें नगर-आयोजन सगठन बनाए, जिनमें काफी प्रशिक्षित कर्मचारी हों। केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर-आयोजन सगठन राज्य-सरकारों को तथा नए नगरो की स्थापना से सम्बद्ध सगठनों को मास्टर प्लानों के निर्माण में तथा शहरी और प्रादेशिक विकास की उचित नीतियों के निर्धारण में सहायता दे सकता है।

32 मानदंड : अधिकांश जनता की आवास-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए तथा गन्दी वस्तियों और अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सारे समाज की आवश्यकताओं को और उपलब्ध सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए रिहायशी मकानों, कार्यालय-भवनो तथा अन्य सेवाओं के लिए एक न्यूनतम मानदंड निश्चित किया जाए। यह भी वाछनीय है कि अधिकतम मानदंड भी निर्धारित कर दिए जाए। इससे आवास पर किए गए पूजी-विनियोग का परिणाम समाज के लिए अधिक

* (अ) बड़े नगर, राज्यों की राजधानियां और बन्दरगाह वाले नगर	(आ) औद्योगिक केन्द्र	(इ) साधन स्रोतों के क्षेत्र
अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, कोचीन, दिल्ली (बड़े नगर का क्षेत्र) बृहत्तर बम्बई, बृहत्तर कलकत्ता हैदराबाद-सिकन्दराबाद, जयपुर, काठला, कानपुर, सखारऊ, मद्रास, पटना, पूना, शिलांग, श्रीनगर, धाराणसी, बिशाखापटनम और त्रिवेन्द्रम।	इलाहाबाद, आसनसोल, वरीनो, भद्रावती, मिलाई, बोकारो, बिलरजन, कोयमुतूर देहरी-आन-सोन, धनबाद, डिम्बोई, दुर्गापुर, गौहाटी, गोरखपुर, देवरिया, गुड्डर, जमशेदपुर, काठगुदाम, भिर्जापुर, भुगलतराय, नगल, पनवेल, राची, श्रद्धिकेश-हरिद्वार, राउरकेला, सिन्वरी, तिनसुखिया, बिजयवाड़ा और वारंगल।	भालुवा-नंगल-क्षेत्र, दामोदर-घाटी, दंडकारण्य, राजस्थान- नहर-क्षेत्र और रिहन्द-क्षेत्र।

उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। ऐश्वर्यशोक भवनो के निर्माण एव गहरी भूमि के दुरुपयोग को भी रोका जाना चाहिए, जिनमे उतने ही खर्च में छोटे भवन बड़ी नर्या में बनाए जा सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य तरीके ये हैं (क) वित्तीय नीतिया अपनाना, जिनमें ऐसे स्थानीय कराधान भी हों, जिनका उद्देश्य ऐश्वर्य साधनयुक्त आवालों के निर्माण में पूजी लगाने को निरुत्साहित करना हो, (ख) मकानों के डिजाइनों के बारे में परामर्श, (ग) स्थानीय निकायों के वर्तमान भवन-निर्माण-नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन, जिससे न्यूनतम मानदंडों और शर्तों के साथ कम खर्च के घरों के निर्माण में सुविधा हो सके, (घ) भवनों के हिस्सों को पहले से ही अलग से बनाना, और (ङ) स्थानीय रूप से प्राप्त सस्ते माधनों का अधिक प्रयोग। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन के कार्य का मुख्य पहलू मानदंडों का क्रमबद्ध अध्ययन और तदनुसार परामर्श देना है।

33 नगरपालिका-प्रशासनो को सक्षम बनाना : जहाँ तक स्थानीय स्तर का प्रश्न है, केवल नगरपालिका-प्रशासन ही गहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक नेवाओं को, आवागमन-व्यवस्था के विस्तार को और जीवन की स्थितियों में सुधार के काम को मन्तोप-जनक ढंग से हाथ में ले सकते हैं। अधिकांश नगरपालिका-प्रशासन इतने समर्थ नहीं हैं कि इन कार्यों को अपने हाथ में ले सकें। इन्हें सावनी एव कर्मचारियों में वृद्धि तथा क्षेत्र और कार्यों में विस्तार के द्वारा समर्थ बनाना चाहिए। जहाँ चुने हुए नगरों के वर्तमान क्षेत्र समस्या के समाधान में सहायक नहीं हैं, वहाँ उनके क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। विकसित नगरों के बारे में प्रारम्भ से ही यह वास्तविक है कि उनका नगरपालिका-क्षेत्र छोटा न रख कर बड़ा रखा जाए, जिनमे मविष्य में नगर को तथा उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अधिकार-क्षेत्र के कारण आनेवाली बाधाओं के बिना नमन्वित रूप से विकसित किया जा सके। नगरपालिका-प्रशासनो को नेवाए प्रदान करने में अनिवार्य रूप से पहले से कहीं अधिक काम करना पड़ेगा। आशा है, भविष्य में अधिकान नगरों की अपनी पृथक् विकास-योजनाएँ होंगी तथा इन्हे राज्य की योजनाओं से मुसम्बद्ध कर दिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में प्रत्येक राज्य में देश के बड़े नगरों को छोड़ कर एक लाख या इससे अधिक जनसंख्यावाले नगरों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय इदमों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

ग्रामीण आवास और आयोजन

34 ग्रामों में आवागमन की स्थिति का सुधार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इनसे जीवन का स्तर ऊँचा उठेगा, काम के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। ग्रामीण जीवन को नया रूप देने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी, समस्या के विद्याल होने तथा सम्भावित परिवर्तों कठिनाइयों के कारण, ग्रामों में आवागमन-स्थितियों के सुधार के काम को, एक पृथक् लक्ष्य न समझ कर, ग्रामीण विकास की एक बड़ी योजना के अंग के रूप में समझना चाहिए। परिणामतः ग्रामीण आवास सहजात रूप से सामुदायिक विकास और ग्रामीण आयोजन का एक अंग है। ग्रामीण आवागमन के विधेय कार्यक्रम का उद्देश्य खंड और ग्राम-स्तर पर तकनीकी परामर्श, प्रदर्शन, सुचरे हुए डिजाइनों और से-आउट की व्यवस्था, स्थानीय सामान के अच्छे प्रयोग और कुछ सीमा तक वित्त की व्यवस्था, आदि के द्वारा सामुदायिक विकास-आन्दोलन के माधनों में वृद्धि करना है। इसका अनिवार्य उद्देश्य

ग्रामीण जनता के सभी वर्गों के लिए स्वस्थ वातावरण और परिस्थितियों के निर्माण में तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के विकास में एक सन्तुलन बनाए रखने में सहायता देना है। सन् 1957 में जिस आवास-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था, उस पर इसी पृष्ठभूमि में विचार और उसके कार्य की समीक्षा होनी चाहिए।

35 ग्राम-आवास-कार्यक्रम में चार से छह तक के समूहों में गावों को चुनने की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद इनके लिए ले-आउट प्लान बनाने की व्यवस्था है। ले-आउट प्लान पर कार्य तथा मकानों के पुनर्निर्माण का कार्य क्रम हाथ में लिया जाता है, जिसमें, 8-10 वर्षों में सारे गाव का ही कायाकल्प हो जाए। मकानों के विभिन्न हिस्सों के निर्माण के लिए अलग-अलग मजदूरी समितियाँ संगठित की गई हैं। निर्माण पर आनेवाले व्यय का 66% प्रतिशत, जो 2,000 रु० से अधिक न हो, प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। राज्य-सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वर्तमान मकानों की मरम्मत व नुवार के लिए भी ऋण दिए जाते हैं। कार्यक्रम में गलियों, सामुदायिक भवनों, मकानों के लिए नए स्थानों और भीड़भाड़ को कम करने, आदि के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की व्यवस्था है। भवन-निर्माण के काम में आनेवाली सामग्री तथा निर्माण-तकनीक में सुधार के लिए अनुसन्धान करने और कार्यक्रम को अमली रूप देने के हेतु आवश्यक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए छह स्थानों में अनुसन्धान-माहित प्रशिक्षण-केंद्र खोले गए हैं। राज्यों में ले-आउट प्लान और आवास डिजाइन, आदि बनाने के लिए जो ग्रामीण आवास-संगठन स्थापित किए गए हैं, उन्हें और सुदृढ़ बनाया गया है।

36 दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3,700 ग्रामों को चुना गया। उनमें से 2,000 का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 1,600 गावों के ले-आउट प्लान तैयार किए गए तथा 15,400 मकानों के निर्माण के लिए 36 करोड़ रु० के ऋणों की स्वीकृति दी गई। 13,000 मकान बन कर तैयार हो गए हैं तथा शेष निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है।

37 दूसरी योजना में ग्राम-आवास-कार्यक्रम पर अमल के समय यह देखा गया कि सब जगह नियम के रूप में अलग-अलग गावों को लिया गया, जब कि कार्यक्रम में ग्राम-समूहों को लेने पर बल दिया गया था। यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक ग्राम-समूह पर काम किया जाएगा, तभी ईंटों का भंडा लगाना तथा निरन्तर माग के कारण सहकारिता के आधार पर मकानों के हिस्सों को बनाने की व्यवस्था करना सम्भव हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास-कार्य का नियोजन में वृद्धि और आमपास की परिस्थितियों में सुधार-सम्बन्धी पूरा परिणाम तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कार्यक्रम को निकटवर्ती ग्राम-समूहों में क्रमवद्ध रूप से प्रारम्भ नहीं किया जाता। इस समय सामान्य रूप में चुने हुए गावों के ले-आउट प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इनमें ग्राम-स्थान के विस्तार, गावों की सुवर्ती हुई गलियों और नालियों, तथा स्कूल, बच्चों के खेलने के लिए मैदान और 'पंचायत-भवन'-जैसी ग्राम सुविधाओं की व्यवस्था है। परन्तु अभी इस दिशा में जितना चाहिए, उतना नहीं किया जा रहा है, और जो उपलब्ध राशि है, उसका उपयोग मुख्यतः छोटे घरों के निर्माण या मरम्मत में किया जा रहा है। यह मुद्दा दिया गया है कि ग्राम-आवास-कार्यक्रम के अग्रणी प्रदान की गई राशि को सर्वप्रथम ग्राम-स्थान के विस्तार, नई

श्रीर नालियो में सुधार तथा सारे ग्राम-समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक कार्यों में लगाया जाए। मकानों में सुधार ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धि पर निर्भर करता है। जहाँ तक सम्भव हो सके, ग्राम-समाज का ही प्राथमिक व्यवस्था के द्वारा आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करनी चाहिए। फिर भी, ग्राम-समाज का कृषि-मजदूरी और हरिजनो के मकानों के लिए स्थान प्राप्त करने में कुछ सीमा तक सहायता दी जानी चाहिए। ग्राम-आवास को सुधारने के कार्यक्रम में प्रथम स्थान हरिजनो, कृषि-मजदूरी और समाज के उस वर्ग के लोगों के आवास को देना चाहिए, जिनके घरों का अचानक अत्यधिक दयनीय है। परिगणित आदिम जातियों और परिगणित जातियों का गांव तीर पर ग्राम-आवास-कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध सहायता के अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के आवास-कार्यक्रम के भी अन्तर्गत सहायता-अनुदान के रूप में मदद दी जानी है। इन दोनों कार्यक्रमों में निदिष्ट व्यवस्थाओं का समन्वित रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

38 राज्यों में स्थापित ग्रामीण आवास-संगठन और अनुसन्धान-निर्देश प्रशिक्षण-केन्द्र देश के विभिन्न भागों के लिए उपयुक्त आवागो के डिजाइन बनाने और स्थानीय सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में सलाह करने में लगे हैं। उन दिशा में काम और अधिक जोर देकर किए जाने की आवश्यकता है। सामान्यतः प्रयुक्त यह है कि स्थानीय सामग्री के प्रयोग, निर्माण-व्यय में मितव्ययिता, गांव की सांस्कृतिक परम्पराओं और पृष्ठभूमि को तथा ग्रामीण जीवन की औपचारिक आवश्यकताओं पर पर्याप्त बल दिए बिना ही महंगे ढंग के ईंट और सीमेंट के मकान बनाने प्रारम्भ कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही सड़को और नालियो को सुधारने, ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए भूमि, आदि के योगदान पर और सुधारे हुए मकान बनाने में प्राथमिक सहायता के लिए सामुदायिक प्रयत्नों पर भी जितना बल दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया जाता है। ग्रामीण-आवास समस्या का स्वरूप इतना विशाल है कि इस मद में दी गई और राशि का भी, जो कि आवश्यक है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। समस्यामुक्त उन्नत और अच्छे जीवन के लिए एक व्यापक आकांक्षा पैदा करने, ग्रामीण परिस्थितियों को सुधारने के लिए व्यावहारिक तरीके निकालने और अपेक्षितया कम मूल्य पर, सहकारी आत्म-सहायता, सामुदायिक प्रयत्न और योगदान एवं स्थानीय भवन-निर्माण-सामग्री के आधारे पर अच्छे मकानों का निर्माण करने की है।

39 तीसरी योजना में यह आवश्यक होगा कि इस कार्यक्रम को सामुदायिक विकास की अन्य योजनाओं तथा जल-आपूर्ति, सड़को, नालियो का निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि से सम्बद्ध किया जाए। यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण आवास-कार्यों का ग्रामीण विकास के अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाया जाए, जिनसे ग्राम-आवास-कार्यक्रम के अधीन चुने हुए ग्रामों को उपलब्ध साधनों के सीमित होने पर भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए, परिगणित जातियों और परिगणित आदिम जातियों की जीवन-स्थिति को सुधारने के कार्यक्रम के अधीन दिए जानेवाले सहायता-अनुदान को इस योजना के अधीन चुने हुए गांवों में रहनेवाली उन्नत जातियों के सदस्यों को प्रदान किया जाए। जहाँ तक सम्भव हो सके, इन चुने हुए गांवों में श्रमोद्योग और सघु उद्योग भी स्थापित किए जाने चाहिए। ईंटों के मट्टो और मकानों के हिस्सों—यथा, दरवाजे, खिड़कियाँ, आदि—के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों का गठन

किया जाना चाहिए तथा उन्हें लकड़ी और कोयले का चूरा, ग्रादि सामग्री और तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए ।

40 विनाश परती भूमियों को कृषि-योग्य बनाने तथा नए कृषि-क्षेत्रों के विनाश के कारण अनेक नए ग्रामीणों का निर्माण हुआ है । इन ग्रामीणों के ले-आउट प्लान पहले ही तैयार कर लिए जाने चाहिए तथा उनका विकास योजनापूर्वक होना चाहिए । वर्तमान गावों में, जहाँ समस्या पुनर्विक्रम की है, कार्यक्रम की सफलता उनके समुचित चुनाव पर निर्भर करती है । योजना में पहले से ही यह व्यवस्था है कि अन्य बातों की तुलना में इन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी (क) ऐसे गाव, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैं, (ख) ऐसे गाव, जिनमें पिछड़ी जातियों और कृषि-मजदूरों की संख्या काफी है, (ग) ऐसे गाव, जिनमें एक-दो का कार्य पूरा हो गया है या सफलतापूर्वक किया जा रहा है, और (घ) ऐसे गाव, जिनके निवासी बड़ी विकास-परियोजनाओं या प्राकृतिक विपत्तियों के कारण विस्थापित हैं । ऐसे गावों को भी, जिनमें काफी संख्या में कारीगर रहते हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए । ग्राम-आवास-कार्यक्रम के लिए उपयुक्त गाव का चुनाव करने में महत्त्वपूर्णता के आधार पर स्वावलम्बन, ग्रामीणों की ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए स्थान देने की रणनीति और हरिजनो एव पिछड़ी जातियों के आवास को प्राथमिकता देने-सम्बन्धी बातों पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए । चुने हुए गावों में, जिनमें उचित षट् पूरा करना है, आवश्यक प्रयत्नों को मूच्यारूप देने के लिए यह आवश्यक है कि सारे गाव के पुन-आयोजन के अनिवार्य कदम के रूप में ग्राम-पंचायत को गाव की गलियों और गलियों के सुधार के लिए कुछ सीमित वित्तीय सहायता दी जाए ।

41 खेतिहर श्रमिकों के लिए आवास-स्थान . कुछ राज्यों में भूमि-सुधार के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनमें ग्राम-आवास-स्थलों की किराएदारी को मोटे-मोटे या स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है । कुछ राज्यों में मुआवजा देने पर स्वामित्व के हस्तान्तरण की व्यवस्था है । यह आवश्यक है कि भूमि-सुधार के लिए प्राथमिकता भूमिहीन कृषि-मजदूरों के परिवारों को दी जाए । उनके लिए मयामम्बन परती और नूतन में प्राप्त भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए । कुछ ग्रामीण आवासीय गावों में, जहाँ गाववालों को ही अपने उत्तरदायित्व को स्वयं समझने पर बल देना चाहिए कि कृषि-मजदूरों के आवास-स्थल के लिए भूमि का अधिग्रहण कर ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करना भी जरूरी है । राज्य-सरकारों को ऐसे गावों में, जहाँ भूमिहीन कृषि-मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, उनके आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए तथा जो कार्यक्रम उन्होंने हाथ में ले रखे हैं, उनके लिए ग्रामीण आवास-पारिक्रम के अंतर्गत 5 करोड़ रु० का अनुदान देने की व्यवस्था है ।

आवास-सम्बन्धी प्राकट्य

42 आयोजन की आवश्यकताओं की तुलना में आवास-सम्बन्धी स्थानों में वर्तमान स्थिति अनुत्तोपजनक है । केवल प्रति दस वर्षों बाद होनेवाले नए गावों के निर्माण कुल गृहस्थों या मकानों की संख्या के अतिरिक्त वर्तमान अल्प-निर्माण-परियोजनाओं के अंतर्गत वर्षों में होनेवाले मकानों, प्रयोध की जानेवाली भवन-सामग्री की मात्रा और उनके निर्माण-सामग्री का उत्पादन और सप्लाई, और उनके सम्बन्धी स्थानों के बारे में...

आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन् 1961 की जनगणना में आवास-स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी बातों की सूचनाएँ एकत्र की गई हैं। इन आकड़ों से देश के मकानों के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार करने में सहायता मिलेगी।

43 राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन केन्द्रीय और राज्यों के सार्वजनिक निर्माण-विभागों तथा अन्य विभिन्न निर्माण-अभिकरणों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में आवास-सम्बन्धी शकों के संकलन की व्यवस्था कर रहा है। अन्य क्षेत्रों में शकों के वास्तविक संकलन का कार्य उचित अभिकरणों-द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए बना तरीका और दृष्टि रखी जाए, इस प्रश्न पर केन्द्रीय भवन-निर्माण-संगठन और केन्द्रीय शक-संकलन-संगठन विचार करेगा। मकानों और निर्माण के बारे में शक-संकलन की असन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए नवम्बर 1960 में केन्द्रीय स्वायत्त-शासन-परिषद् ने यह प्रस्ताव किया कि स्थानीय निकायों को अपने उप-नियमों में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए कि प्रार्थी के लिए दोनों ही समय, मकान बनाने के लिए स्वीकृति लेने समय तथा पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करते समय, यह अनिवार्य हो कि वह खर्च एवं अन्य बातों के बारे में विस्तार से सूचना दे। फरवरी 1961 में केन्द्रीय शक-संकलन-संगठन ने राज्यों के शक-संकलन-अ्यूरों से प्रार्थना की थी कि वे नगर-निगमों और नगरपालिकाओं से एक समान ढंग पर सूचनाएँ संग्रह करने के लिए कदम उठाए। केन्द्रीय शक-संकलन-संगठन ने इस बारे में जो स्वरूप सुझाया है, उसमें मकानों का सामान्य वर्गीकरण, निर्माण का आकार-प्रकार, क्षेत्र, अनुमानित व्यय, रिहायशी मकानों के सम्बन्ध में रहने की इकाइया तथा दीवारों, छत और फर्श के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री के बारे में सूचनाएँ प्राप्त करना शामिल है। चूंकि यह विषय अत्यधिक जटिल है तथा इसका बड़ी संख्या में नगरीय और कस्बों से सम्बन्ध है, इसलिए यह वाछनीय है कि सर्वप्रथम कुछ नगरों और कस्बों में ही भवन-सम्बन्धी सख्याओं के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था की जाए और इसके बाद अन्य नगरों में भी इसे बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में कार्यक्रम अपनाया जाए। यह लाभप्रद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि भवन-सम्बन्धी ये सूचनाएँ नियमित रूप से भवन-निर्माण के नियम और उपनियमों के प्रशासन की सामान्य विधि के रूप में प्राप्त होती रहें।

44 भवन-निर्माण के काम आनेवाली सामग्री की मांग और सम्भरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने के लिए भी इन प्रकार की सामग्री के उत्पादन और खपत के आकड़े आवश्यक हैं। इस्पात, सीमेंट, ग्रादि संगठित उद्योगों के उत्पादन के आकड़े तो उपलब्ध हैं, किन्तु इंट, चूना, ग्रादि सामग्री के बारे में, जिनका उत्पादन असंगठित क्षेत्र में है, कोई विश्वमनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। नियतकालिक नमूना-सर्वेक्षणों-द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भवन-निर्माण-सामग्री की खपत और आवश्यकताओं के बारे में, आकड़ों के कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन के आधार पर, निर्माण के व्यय से सम्बद्ध तकनीकी अनुपात के प्रयोग से, अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ प्रकार के अध्ययन देश में हो भी रहे हैं। इनके कार्य और क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है। कुछ चुनौतूई भवन-सामग्री के मूल्यों को तथा कुछ चुने हुए केन्द्रों में मजदूरी की दर के आकड़ों को भी नियमित रूप से एकत्र करना चाहिए तथा राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन और राज्यों के शक-संकलन-अ्यूरों को इन्हें प्रकाशित करना चाहिए।

अनुसन्धान और प्रशिक्षण

45 विगत कुछ वर्षों में केंद्रीय भवन-अनुसन्धान-मस्या में तथा कुछ अन्य केंद्रों में आवास और निर्माण के क्षेत्र में काफी अनुसन्धान-कार्य हुआ है। मन् 1954 में स्थापना के बाद से राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन ने भी अनेक अनुसन्धान-परियोजनाएँ प्राग्मन की तथा अनुसन्धान के परिणामों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार, मिट्टी की दीवारों पर पानी का असर न होने के लिए सामान और तकनीक के बारे में, ताप को रोकने के लिए दीवारों की मोटाई और छत की ऊँचाई का प्रभाव, हृत्के पार्टीगनों के लिए घटिया किस्म के जिप्सम के प्रयोग, निर्माण-सम्बन्धी कोलतार, खोखली ईंटें और खपरौली, हल्की-फुल्की वस्तुओं के लिए फालतू लोह, आदि के टुकड़े-जैसे उत्पादनों का प्रयोग और घरों के डिजाइन तथा अन्य पहलुओं के बारे में श्रुतु-सम्बन्धी एवं प्रादेशिक बातों के प्रमाण, आदि पर भी अनुसन्धान किए गए। भवन-निर्माण के सम्बन्ध में अनुसन्धान निर्माण में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि आवास और निर्माण के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाए और इस समय जो कार्य हाथ में हैं, उनके लिए अधिक प्रयत्न किया जाए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का निर्माण-कार्य करनेवाले मजदूरों को प्रशिक्षण देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इस प्रशिक्षण-कार्य को अतीत की अपेक्षा यहाँ अधिक जोरदार, व्यापक और त्रमबद्ध रूप से करने की आवश्यकता है। ग्रामीण आयोजन के लिए अनुसन्धान-सहित प्रशिक्षण-केंद्रों का कार्य दूरगामी परिणामवाला है। ग्रामीण आवास के लिए नए डिजाइनों की खोज के परिणामों और स्थानीय भवन-निर्माण-ताम्रों के पूर्णतर उपयोग की शिक्षण और क्रियात्मक प्रदर्शनों-द्वारा व्यवहार में लाना चाहिए।

46 नगरीय और कस्बों में जनसंख्या में भारी वृद्धि और अर्थव्यवस्था की प्रगति के कारण आवास तथा शहरी और प्रादेशिक विकास की समस्याओं का उत्तरपूर्वी पञ्च-वर्षीय योजनाओं में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होगा। इन समस्याओं का उचित नगराज सामाजिक स्थिरता और जन-साधारण का कल्याण, दोनों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होगा। ये समस्याएँ विभिन्न रूपों में उन्नत और कम-उन्नत, दोनों ही प्रकार के देशों के सामने हैं। वर्षों के प्रयत्नों के बाद संयुक्त राष्ट्र-मण, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अतिकरणों तथा विदेशों में अनुसन्धान-केंद्रों और संस्थानों ने इस बारे में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन, जो पहले से ही एशिया और मुद्दर-गुय के लिए अतिरिक्त आयोजन (इकाफे) के क्षेत्र में गरम और शुष्क क्षेत्रों की समस्याओं के अनुसन्धान और प्रमाण के लिए प्रादेशिक आवास-केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है, अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय परि-करणों-द्वारा किए गए अध्ययन और परीक्षणों के परिणामों को भाग्य के विभिन्न भागों के निर्माण-अतिकरणों और संगठनों को उपलब्ध कराना है।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

(1)

सामान्य तथ्य

अनुसूचित आदिम जातियो, अनुसूचित जातियो और अन्य पिछड़े वर्गों को शोष समाज के बराबर स्तर तक लाने से सम्बद्ध कार्यक्रमो का पहली और दूसरी योजनाओ की अवधि में हाथ में लिए गए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमो में स्थान था। इन कार्यक्रमो के क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसका मूल्यांकन कर सकना एक मुश्किल काम है। सामाजिक संगठन और सामाजिक आचार-व्यवहार में दूरगामी परिवर्तन, उन वर्गों की स्थिति में सुधार, जिन पर कल्याण-कार्यो का सीधा प्रभाव पडता है, एवं भारतीय समाज के ढांचे का, विशेष रूप से गावों में, पुनर्गठन करने के काम में प्रगति ही कल्याण-कार्यो की सफलता के मापदंड हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में इस निदेशक सिद्धान्त की व्यवस्था है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक हित-साधन का विशेष ध्यान रखेगा, खास तौर पर अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के हितो का, और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनको रक्षा करेगा। संविधान में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के लिए कुछ और भी संरक्षण हैं। अरम्भ में ये संरक्षण 10 वर्ष के लिए ही थे, परन्तु हाल में संविधान में संशोधन करके इन संरक्षणो की अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई है। चूंकि इन संरक्षणो से सम्बद्ध वर्गों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रकट होती है, इसलिए ससद् की कार्रवाई दो प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहली बात यह, कि अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो और अन्य पिछड़े वर्गों का जीवन-स्तर उठाने की समस्या पहले के अनुमान से कहीं अधिक जटिल है तथा लम्बे समय तक निरन्तर प्रयत्न करके इसे सुलझाना होगा। दूसरी बात यह, कि देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सतत और द्रुत विकास के साथ-साथ, कम-से-कम अगली दो-तीन योजनाओ में, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो और अन्य पिछड़े वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयत्न तीव्र करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ये जातियां अन्य वर्गों के बराबर स्तर तक पहुंच जाए। तीसरी योजना की अवधि में राज्यों और केन्द्र की ओर से चलाए जानेवाले विकास-कार्यक्रमो की इस दृष्टि से समीक्षा होती रहनी चाहिए और विभिन्न दिशाओ में योजना का प्रभाव बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। एक संगठित समाज की स्थापना तथा देश के लिए एक सुगठित अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है।

2 सन् 1956 में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो की सूची पर पुनर्विचार हुआ था। इन आचार पर, सन् 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियो के मदस्यो की मख्या 2 करोड 25 लाख और अनुसूचित

जातिवालो की सख्या 5 करोड 50 लाख थी। असूचित (भूतपूर्व जरायम-पेशा) आदिम जातियो के सदस्यो की सख्या का अनुमान 40 लाख था। विभिन्न राज्यो में, स्थानीय कारणो से, कुछ और भी समूह पिछड़े वर्गों में शामिल कर लिए गए है, जिनके हितो की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए है।

पंचवर्षीय योजनाओं में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शामिल किए गए विकास-कार्यक्रमो का उद्देश्य उन वर्गों-को कृषि-सहकारिता, सिंचाई, छोटे उद्योग, संचार-साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ग्रामो में जल-आपूर्ति, आदि विभिन्न क्षेत्रो के विकास-कार्यक्रमो से मिलनेवाले लाभ के अलावा और भी फायदे पहुंचाना है। पिछले दस वर्षों का अनुभव बताता है कि अनेक कारणो से, लाभ और आम तौर पर ये कमजोर वर्ग विभिन्न क्षेत्रो में होनेवाले विकास-कार्यक्रमो का पूरा लाभ नही उठा पाते। उन्हें उनका उचित हिस्सा प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि सहायता के सामान्य कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार उनकी और विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जाए। यह विशेष व्यवस्था समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, के लिए आवश्यक है। यह देखा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कुछ कार्यक्रमो में जितने धन की व्यवस्था की जाती है, उसका कुछ हिस्सा अतिरिक्त सहायता-अनुदान या सहायता का खर्च पूरा करने पर खर्च कर दिया जाता है, ताकि पिछड़े वर्गों के लोग सामान्य विकास-कार्यक्रमो का लाभ उठा सकें। इसका परिणाम यह होता है कि पिछड़े वर्गों के लिए जो विशेष व्यवस्था की जाती है, उसका पूरा उपयोग इन वर्गों के विकास से सम्बद्ध अतिरिक्त कार्यक्रमो में नही हो पाता। इस समस्या पर और भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जरूरी है कि एक और आम विकास-कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाए, जिससे पिछड़े वर्गों के हितो की भी पर्याप्त रक्षा हो सके तथा दूसरी ओर योजना में उन वर्गों के लिए जो पूंजक व्यवस्था की गई है, उसका उपयोग उनके अतिरिक्त एव अधिक सघन विकास के लिए किया जाए।

3 पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पहली योजना में 30 करोड २० के व्यय की व्यवस्था की गई थी, जबकि दूसरी योजना में यह राशि 79 करोड २० थी। तीसरी योजना में इन कार्यक्रमो के लिए 114 करोड २० रखे गए है। विभिन्न वर्गों में इस राशि का वितरण इस प्रकार है

(करोड २०)

	पहली योजना (व्यय)	दूसरी योजना (प्रत्याशित व्यय)	तीसरी योजना के कार्यक्रमों का अनुमानित व्यय
अनुसूचित आदिम जातिया	19 83	43	60 43
अनुसूचित जातिया	7 08	27 66	40 4
अनुसूचित आदिम जातिया	1 1	2 89	4
अन्य पिछड़े वर्ग	2 03	5 86	9 04
योग	30 04	79 41	113 87

अनुसूचित आदिम जातियो के कल्याण के लिए राज्यो की योजनाओं में की गई व्यवस्था के अलावा उत्तर-पूर्व सीमान्त-अभिकरण, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में, जहां

की प्रायः सारी जनसंख्या अनुसूचित आदिम जातियों की है, विकास-कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में 40 करोड़ रु० से अधिक की व्यवस्था की गई है, जबकि दूसरी योजना में यह राशि 20 करोड़ रु० से कुछ ही अधिक थी।

4 तीसरी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए रखा गई 114 करोड़ रु० की रकम में से लगभग 42 करोड़ रु० शिक्षा-विकास की योजनाओं के लिए, 47 करोड़ रु० आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए और 25 करोड़ रु० स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाओं के लिए है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की ही समस्या है, जिन्हें सामाजिक असमानताओं से भी न्यूनाधिक क्षति उठानी पड़ती है। अनुसूचित आदिम जातियों का अपना वर्ग है, जिसे समाज में खपा लेने में विशेष कठिनाइयां होने पर भी ऐसा करना बहुत आवश्यक है। एक तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था में अनुसूचित आदिम जातियां अन्य वर्गों से कटकर अलग-अलग नहीं रह सकती, जैसा कि वे विगत वर्षों में रहती आई हैं। उद्योगीकरण और सिंचाई तथा विजली की परियोजनाओं के आरम्भ होने पर उनके मामले अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और पुनर्वास की समस्या और भी जटिल हो गई है। यद्यपि कुछ समस्याएँ सबके लिए नमान हैं, तथापि देश के विभिन्न भागों में निवास कर रही अनुसूचित आदिम जातियों के अन्दर ही अनेक विभिन्नताएँ हैं और इस कारण विभिन्न आदिम जाति-समूहों की विशिष्ट परिस्थितियों तथा समस्याओं को सदा ध्यान में रखना होगा।

(2)

अनुसूचित आदिम जातियाँ

5 आदिम जातियों और आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी जागेवाली व्यापक नीति की समीक्षा हाल में ही योजना की परियोजना-समिति-द्वारा स्थापित समाज-कल्याण एवं पिछड़ा-वर्ग-कल्याण अध्ययन-दल, विशेष बहुदृष्टीय आदिम जातीय उद्घ-समिति, और केन्द्रीय आदिम जातीय कल्याण-मराम-संदाता-मंडल-द्वारा तथा उत्तर-पूर्व सीमान्त-अभिकरण और नागालैंड-जैने आदिम जातीय क्षेत्रों के विशेष अध्ययनों के क्रम में की जा चुकी है। इनका नामान्वय मत यही है कि जब देग की शेष जनता प्रगति कर रही है तथा भारत और विश्व तेजी से बदल रहे हैं, तब आदिम जातीय क्षेत्र विल्कुल अलग बँचे रह सकते हैं। साथ ही, यह भी गलत होगा कि विकास के नाम पर इन क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रशानन आरम्भ कर दिया जाए और बहुत-सारे अधिकारियों तथा बाहरी लोगों को आदिम जातियों में काम करने के लिए भेज दिया जाए। अतः इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है।

6 शिक्षा, प्रशिक्षण-सुविधाओं की व्यवस्था, कृषि में सुधार, संचार-साधनों का विस्तार, स्वास्थ्य-सुधार, चिकित्सा की सुविधाएँ और पीने के पानी की व्यवस्था करना आवश्यक और अनिवार्य, दोनों हैं। विकास के इन कार्यक्रमों के साथ आदिम जातियों को उनके अपने तौर-तरीकों और उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार बटने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनकी परम्परागत कला और नस्लति का वास्तविक रूप में आदर किया जाना चाहिए तथा बाहरी दबाव या आग्रह के बिना ही उन्हें सहारा दिया

जाना चाहिए। आदिम जातीय क्षेत्रों में प्रशासन और विकास का काम सम्भालने के लिए उन्हीं लोगों में से कुछ को तैयार और प्रशिक्षित करने के सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए। बाहर के कुछ तकनीकी कर्मचारियों को बुलाने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी—शुरु में तो यह और भी जरूरी होगा—परन्तु प्रयत्न यही होना चाहिए कि समाजसेवी और सरकारी अधिकारी, सभी स्थानीय जनता में से ही तैयार किए जाए। विगत अनुभव बताते हैं कि विकास-कार्यक्रमों पर अमल करने का निश्चय करते समय यह ध्यान रखा जाए कि कुछ छोटी-छोटी असम्भूत योजनाएँ न चलाई जाएँ, क्योंकि उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इसके विपरीत दुनियादी महत्त्व के कुछ थोड़े से कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि गरीबी कम की जा सके, नए हुनर सिखाए जाएँ, जनता का स्वास्थ्य सुधरे और जीवन-स्तर ऊँचा हो, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं को आघात पहुँचाए बिना संचार-साधनों का भी विकास हो तथा आदिम जातियों के अपने समाज में अपनी दायित्वों, नेतृत्व की परम्परा, आदि को भी कोई ठेस न पहुँचे।

7 विकास-कार्यक्रमों को अमल में लाने के मार्ग में बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ और बन्धन प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय कर्मचारियों या संचार-साधनों की कमी होने पर विकास-कार्यों में लगे कर्मचारियों तथा जातीय परम्परानुसार मान्य प्रथाओं और नेतृत्व के बीच सम्बन्धों में सदैव ही आदिम जातियों के बारे में ऊपर लिखी विभिन्न नीतियों का पालन नहीं किया जा सकेगा। फिर भी, इन नीतियों से विकास-कार्यक्रम बनाने और उन पर अमल करने के कार्य का मोटे तौर पर मार्गदर्शन हो सकेगा। समस्याओं का विशिष्ट रूप देखकर ही सविधान के अनुच्छेद 339 में यह व्यवस्था की गई थी कि सविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर ही एक आयोग की स्थापना की जाए, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करे। अप्रैल 1960 में स्थापित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग ने हाल में ही 9 राज्यों (आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान) और एक केन्द्रशासित क्षेत्र (हिमाचलप्रदेश) के कार्यों के बारे में एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की ओर तत्कास ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है

- (1) अधिकांश राज्यों में आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने तथा बाहरी व्यक्तियों-द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए की गई व्यवस्था ने सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं किया है। महाजनो, बनों के ठेकेदारों और अन्य शोषकों की अवाञ्छनीय कार्रवाइयों से आदिम जातीय क्षेत्रों में जमीन का स्वामित्व बड़े पैमाने पर बदलता रहा है। बनों के पुनर्गठन तथा नई नीतियाँ निर्धारित होने से बनों, मछली पकड़ने और शिकार में आदिम जातियों के अधिकार कम हो गए हैं। बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में औद्योगिक और अन्य विकास-योजनाओं के कारण बहुत-से आदिम जातिवालों को घर-बार छोड़ना पड़ा है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों

की व्यवस्था मजबूत करने तथा कुछ मामलो में उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।

- (2) आदिम जातीय क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगों—विशेष रूप से, आदिम जाति-कल्याण-अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं—की आवश्यक संख्या के बारे में पूरी तरह अनुमान नहीं लगाया गया है। कल्याण-कार्यक्रमों को अमल में लाने के क्षेत्र में इसी कारण बाधाएँ उपस्थित होती हैं। आवश्यकताओं का दीर्घकालीन अनुमान लगाएँ बिना कर्मचारियों की भरती असन्तोषजनक निम्न हुई है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी की शिकायत निरन्तर बनी रहती है। इन क्षेत्रों में काम करनेवालों को आदिम जातियों के तौर-तरीकों से भली प्रकार परिचित होना चाहिए और उनकी कमियों, अयोग्यताओं, आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। गैर-आदिम जातीय क्षेत्रों के ढंग के विकास-कार्यक्रम आदिम जातीय क्षेत्रों में प्रभाव डालने या प्रगति करने में सामान्यतः असफल रहे हैं। अतः विशिष्ट समस्याओं और अन्य माध्यमों से आदिम जातीय क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे कर्मचारियों को परिचयात्मक प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। कठिन परिस्थितियों में काम करनेवाले कर्मचारियों को विशेष भत्ते, आदि देने की समस्या का भी सन्तोषजनक हल ढूँढा जाना चाहिए।
- (3) आदिम जातीय क्षेत्रों में अनेक ऐसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनका वैज्ञानिक ढंग पर मूल्यांकन और अध्ययन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आदिम जातीय क्षेत्रों में उद्योगीकरण का प्रभाव, भूमि की वेदखली की दर, ऋण आदि की विभिन्न प्रणालियों, विशिष्ट विकास-योजनाओं एवं आश्रम-विद्यालयों, वन-श्रमिक सहकारी संस्थाओं, अनाज-गोलों, आदि का आदिम जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, आदि कुछ ऐसी समस्याएँ हैं।
- (4) आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों का बड़ा महत्त्व है। इन संगठनों को सावधानीपूर्वक बनाएँ गए एवं अन्य गतिविधियों से समन्वित कार्यक्रमों के आचार पर भरपूर महायता दी जानी चाहिए।

वर्तमान व्यवस्थाओं पर आयोग की मिकारिगों के प्रकाश में आगे विचार दिया जाना चाहिए और जहाँ कहीं आवश्यक हो, उनमें सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

8 दृष्टिगत योजना के दौरान आदिम जातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास-योजनाएँ शुरू की गईं। आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम में भूमि की व्यवस्था, भूमि-पुनर्हस्तार, बीज-निर्माण, प्रदर्शन-कार्यों की स्थापना, सेवा-सहकारी और वन-श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना तथा संचार-साधनों में सुधार भी शामिल हैं। शिक्षा-सम्बन्धी

कार्यक्रम में वजीफो, फीस की माफी और अनुदान के अन्य तरीको, मैट्रिक से पहले और बाद में छात्रवृत्तियो, नए विद्यालयो, जिनमें आश्रम-पद्धति के विद्यालय भी शामिल हैं, की स्थापना, तथा कृषि एवं औद्योगिक हस्तकलाएँ सिखाने की व्यवस्था पर बल दिया गया। पीने के पानी की व्यवस्था करने, आवास-स्थिति सुधारने, श्रौषालय, प्रसूति एवं शिक्षु-कल्याण-केन्द्र खोलने तथा चलते-फिरते स्वास्थ्य-केन्द्र आरम्भ करने की योजनाओं पर भी अभल किया जा रहा है।

9 दूसरी योजना में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में एक विशेष कार्यकारी दल ने उन सामान्य सिद्धान्तों पर विचार किया, जिनके आधार पर तीसरी योजना के कार्यक्रम तैयार किए जाने थे। यह सिफारिश की गई है कि आर्थिक उन्नति के कार्यक्रमों में, अवल-बदन कर खेती करने में जुटे हुए लोगों के आर्थिक पुनर्वास, अनुसूचित आदिम जातियों की सहकारी संस्थाओं-द्वारा वनों का कार्य-संचालन करने और आदिम जातीय किसानों एवं भित्पियों को उनका माल बेचने में सहायता पहुंचाने के लिए बहुदृष्टीय सहकारी संस्थाएँ स्थापित करने के काम की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित धन-राशि में से आदिम जातीय क्षेत्रों में भूमि-सुधार, भूमि-युनरद्धार और मिट्टी-संरक्षण, छोटी सिंचाई, उन्नत बीजो, खादो, उपकरणो तथा बैलो के वितरण, प्रशिक्षण-सुविधाओं, उन्नत तरीको के प्रदर्शन, पशुघन, मछलीपालन, मुर्गीपालन, नूअरपालन तथा भेड़पालन के विकास, प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्रों की स्थापना तथा कुटीर उद्योगो में लगे हुए ग्रामीण शिल्पियो को सहायता और सलाह देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा-कार्यक्रम में, सामान्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरो पर भी छात्रावासो और छात्रवृत्तियो की व्यवस्था होनी चाहिए। तकनीकी प्रशिक्षण में भी छात्रवृत्तियो और फीस-माफी की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य राजपथो का निर्माण सामान्य विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत होना चाहिए और अनुसूचित आदिम जातियो के लिए निर्धारित धन-राशि दुर्गम स्थानो पर पहुंचाने के लिए नालों, पुलियो और पुलो के निर्माण, बड़ी सड़को को मिलानेवाली छोटी सड़को तथा जंगल से गुजरनेवाली जीप-यात्रा-योग्य सड़को के निर्माण, दूरस्थ और दुर्गम स्थानो से सम्बन्ध जोड़नेवाले संचार-साधनो की मरम्मत, आदि पर ही खर्च होनी चाहिए। चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि हर क्षेत्र में बहा की खास बीमारियो के लिए निरोधक कार्रवाइयो, चलती-फिरती चिकित्सा-इकाइयो की स्थापना, प्रसूति एवं शिक्षु-कल्याण-केन्द्र तथा दुर्गम इलाको में पीने के पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

10 राज्यों की योजनाएँ आम तौर पर ऊपर लिखे सुझावों के अनुसार ही बनाई गई हैं। फिर भी, उन पर दो पहलुओं से पुनर्विचार की आवश्यकता है (क) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग की सिफारिशो के आधार पर कार्यक्रमो को मजबूत बनाना, तथा (ख) यह देखना कि विशेष धन-व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त कार्यक्रमो के लिए हो, न कि विकास की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को उपलब्ध की जानेवाली सहायता के स्वल्प-परिवर्तन-मात्र के लिए। अनिवार्यतः इन वर्गों के हितो के लिए आवश्यक सघनी जानेवाली रियायतें

उन योजनाओं में ही निहित होनी चाहिए और उनके लिए पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ विशेष रूप से निर्धारित सीमित धन-राशि पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए।

11 योजना में आदिम जातीय विकास-खंडों के एक विद्यालय कार्यक्रम की व्यवस्था है। इनका उद्देश्य आदिम जातीय क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के सामान्य शक्ति के आधार पर समन्वित और सघन विकास करना है, परन्तु इनमें आदिम जातियों की परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा नशोधन कर दिया गया है तथा अतिरिक्त माघन की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना में इन कार्यक्रम के अधीन कुल 43 विकास-खंड आए थे और हर खंड के लिए 27 लाख ₹० की व्यवस्था की गई थी। इनमें से 12 लाख ₹० की व्यवस्था सामुदायिक विकास के अन्तर्गत तथा शेष 15 लाख ₹० की व्यवस्था गृह-मन्त्रालय की ओर से की गई थी। अब इस योजना में परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पहले चरण में इन खंडों में से प्रत्येक को 22 लाख ₹० (गृह-मन्त्रालय का योगदान 10 लाख ₹०) मिलें तथा दूसरे चरण के 5 वर्षों में 10 लाख ₹०। इनमें से 5 लाख ₹० सामुदायिक विकास की ओर से मिलेंगे और 5 लाख ₹० गृह-मन्त्रालय की ओर से। विशेष बहू-दृष्टीय आदिम जातीय खंड-समिति की निफारिशों के अनुसार इन क्षेत्रों की विकास-योजना की ओर उदार बना दिया गया है। अब यह कार्यक्रम केवल आदिम जातीय क्षेत्रों में ही लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि उन क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा, जहाँ आदिम जातीय लोगों की संख्या कुल आबादी का दो-तिहाई या अधिक भाग होगी। अब जो कार्यक्रम अपनाया गया है, उनमें प्राप्त माघनों के विभिन्न कामों में वितरण का नविन्तर विवरण देने के बजाय यह निश्चित कर दिया गया है कि 60 प्रतिशत धन आर्थिक उन्नति पर, 25 प्रतिशत नकार-साधनों पर और 15 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि पीने के पानी की समस्या को अधिक अच्छी तरह हल करने के लिए आर्थिक उन्नति के खाते में से कुछ राशि इन पर खर्च कर दी जाए। तीसरी योजना में कुल 300 आदिम जातीय विकास-खंडों की व्यवस्था है।

12 हाल के विचार-विमर्श के फलस्वरूप उन बुनियादी आवश्यकताओं और वतावरण के सम्बन्ध में एकमत स्थापित हो गया है, जिनमें आदिम जातीय विकास-खंडों के कार्यक्रमों का सफल नचालन हो सकता है। इनमें प्रमुख हैं सावधानी से आयोजन, कार्यक्रमों में समन्वय, आदिम जातीय समुदायों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा विषयज्ञान कराना, विशेष निर्वन और अधिक दुर्गम क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना, भूमि और जगलों पर आदिम जातीय लोगों के अधिकारियों का समादर, तथा परम्परागत आदिम जातीय संगठनों और नेताओं का विकास-कार्यक्रमों की कार्यान्विति में सक्रिय सहयोग प्राप्त करना। आदिम जातीय विकास-खंडों के कार्यक्रम को एक केन्द्र-नचालित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन वर्गों के अन्य विकास-कार्यक्रमों में महकारिता (वन-महकारी समितियों-नहित), हाट-व्यवस्था-नह-उपमोक्ता-सहकारी समितियों, मैट्रिक के बाद की पढाई के लिए छात्रवृत्तियों, आदिम जातीय-अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण आदि का स्थान है।

13 जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध कार्यक्रम पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने 9 राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश के बारे में दी गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में 73 करोड़ २० की व्यय-राशि की सिफारिश की है, जबकि योजना में फिलहाल (राज्यों और केन्द्रीय कार्यक्रमों को मिला कर) कुल 54 करोड़ २० की व्यवस्था है। नीचे की तालिका में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए की गई व्यवस्था तथा आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में वर्णित क्षेत्रों के लिए की गई सिफारिश की तुलना की गई है

(करोड़ २०)

	सब राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश		9 राज्य और एक केन्द्रशासित प्रदेश	
	तीसरी योजना में व्यवस्था	तीसरी योजना में व्यवस्था	अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में व्यवस्था	अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में व्यवस्था
शिक्षा	14 48	12 26	15 38	15 38
आर्थिक उन्नति	37 12	34 39	46 07	46 07
स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं	9 55	6 99	9 45	9 45
योग	61 15	53 64	72 9	72 9

आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ और क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इनके लिए कुछ पूरक साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। विकास-कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आयोग के प्रस्तावों के कारण, जिन पर मावधानी-पूर्वक विचार किया जाएगा, कुछ और साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। उचित समय पर इन बातों पर भी विचार किया जाएगा कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित धन-राशि में निश्चित रूप से और कितनी रकम जोड़ी जानी चाहिए, योजना में की गई सामान्य व्यवस्था में से ही विभिन्न कार्यक्रमों के लिए यह पूरक राशि किस सीमा तक प्राप्त की जा सकती है, और केन्द्र तथा राज्यों का योगदान कितना होना चाहिए।

विकास की समस्याएं

14 पहली दो योजनाओं की अवधि में किए गए कामों तथा विरोध-निर्माणों और अन्य लोगों के अध्ययन के परिणामस्वरूप आदिम जातीय क्षेत्रों में विकास का एक सामान्य स्वरूप अब प्रायः निश्चित हो चुका है। हा, उनकी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना निःसन्देह आवश्यक है। समय-समय पर प्रगति की गति को बढ़ाकर भी आवश्यक है। वस्तुपरक मूल्यांकन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आदिम जातियों के कल्याण-जैसे जटिल क्षेत्र में अग्रगण्य नियंत्रित नीति-...

वास्तविक क्षेत्र में उन पर हुए अमल में बहुत बड़ा अन्तर रह जाता है। आदिम जातीय क्षेत्रों में यह अन्तर न केवल अवांछनीय है, बल्कि निराशा का भी कारण बन सकता है, जिनके फलस्वरूप गम्भीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं।

15 तीसरी योजना में विकास के कार्यक्रमों पर अमल करते समय कुछ पहलुओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आदिम जातियों के लोगों की मुख्य आर्थिक समस्या पूरे समय काम न मिलना तथा ऋण का बोझ है। वस्तुतः ये दोनों एक-दूसरे में सम्बद्ध समस्याएँ हैं। आदिम जातियाँ अपनी जीविका के लिए प्रायः खेती और वनों पर निर्भर करती हैं, भूमि और जंगलों में उनके अधिकारों को रखा के महत्त्व पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। कुछ राज्यों में—जैसे, महाराष्ट्र और गुजरात में—अनुसूचित क्षेत्रों में जंगलों का नारा काम बन-श्रमिक-सहकारी समितियों के माध्यम से होता है, जिनके सदस्य आदिम जातियों के ही लोग होते हैं। कुल मिलाकर इन समितियों का काम सन्तोषजनक सिद्ध हुआ है। फिर भी, यह ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं श्रमिकों का शोषण तो नहीं किया जा रहा है—चाहे वह बन-विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों-द्वारा हो अथवा आदिम जातीय लोगों में से ही कुछ स्वयंसेवकियों-द्वारा। समाज-सेवकों और आदिम जाति-कल्याण-विभागों के अधिकारियों को इन सहकारी समितियों के साथ सम्बन्ध रखना ही चाहिए। उन राज्यों में, जहाँ जंगलों का काम मुख्यतः ठेकेदारों-द्वारा किया जाता है, वर्तमान प्रथा को जल्दी-से-जल्दी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

16 अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार बहुत-कुछ कृषि का स्तर उठाने में मिलनेवाली सफलता पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि जहाँ भी व्यवस्थित खेती चल रही है, वहाँ उन्नत किस्म के बीज, खाद और ऋण की सुविधाएँ देने, सिंचाई का विस्तार करने, मिट्टी-संरक्षण और भूमि सुधार, बढ़िया किस्म के उपकरणों के उपयोग और तकनीकी मार्गदर्शन पर ध्यान दिया जाए। जहाँ बदल-बदल कर खेती होती है, वहाँ व्यवस्थित खेती की नींव डालने का काम मन्द गति से और लम्बे समय तक चलने की सम्भावना है। इन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बदल-बदल कर की जानेवाली खेती भी वैज्ञानिक आधार पर ही ताकि भूमि उपजाऊ वनों रहे तथा उन रीति से होनेवाली खेतों की हानियाँ कम-से-कम हो जाएँ। बदल-बदल कर की जानेवाली खेती के मुकाबले व्यवस्थित खेती के लाभ अतीत की अपेक्षा अब अधिक अच्छी तरह समझे जाने लगे हैं, फिर भी हर क्षेत्र में उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह काम कृषि एवं आदिम जातीय विशेषज्ञ तथा उन कार्य में लगे समाज-सेवक मिनकर करें। इनके बाद ही आदिम जातीय लोगों को उनकी पुरानी रीति छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

17 आदिम जातीय लोगों के बीच सहकारिता के आधार पर विकास-कार्य चलाने के पक्ष में कई अनुभव प्राप्त हैं। फिर भी, ग्रामदली का स्तर बढ़ाने तथा उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से होनेवाले सहकारी प्रयत्नों की सफलता के लिए यह जरूरी है कि आदिम जातीय लोगों की सन्तोषिता की समस्या पर अतीत की अपेक्षा अब अधिक

बुनियादी ढंग से विचार किया जाए। राज्यों में हाल में ही इस दिशा में कुछ कार्य किया गया है। उदाहरण के लिए, आन्ध्रप्रदेश में जनवरी 1957 में किसी भी कर्जदार पर जो भी व्याज चढ़ा था, वह माफ कर दिया गया, केवल मूल धन चुकाना शेष रहा। व्याज की दरों का भी नियमन कर दिया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, मद्रास असम, उड़ीसा, हिमाचलप्रदेश और पंजाब के लाहौल तथा स्पीति-क्षेत्र में इस बात की जाच को गई है कि अनुसूचित आदिम जातियों में ऋणप्रस्तुता किस सीमा तक है। इस सम्पूर्ण समस्या पर नए सिरे से विचार किए जाने की जरूरत है। प्राप्त जानकारी पर एक विशेष समिति को विचार करना चाहिए, जिससे ठोस नीति और कार्यक्रम निश्चित किया जा सके। इन कार्यक्रमों में ऋण की रकमों समाप्त करना और उनका निवटारा करना तथा नए ऋणों के नियमों तथा शर्तों का नियमन, ये दोनों बातें शामिल की जानी चाहिए। भविष्य में पूंजी लगाने तथा उत्पादित माल की बिक्री के लिए सहकारी व्यवस्था पर ही मुख्यतः निर्भर रहना होगा। इस सिलसिले में आन्ध्र-अनुसूचित आदिम जाति सहकारी वित्त एवं विकास-निगम-जैसी योजनाओं का निकट से अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि आदिम जातीय लोगों में सहकारी विकास की दिशाएँ निश्चित की जा सकें। यह जरूरी है कि सहकारी संगठनों की रचना अनुसूचित आदिम जातियों की वास्तविक आवश्यकताओं और विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार की जाए तथा उनके नियम, आदि अत्यधिक सरल बना दिए जाए। गृह-मन्त्रालय ने अभी हाल में एक विशेषज्ञ कार्यकारी दल नियुक्त किया है, जो इस बात पर विचार करेगा कि अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाने में किस तरह सहायता पहुँचाई जा सकती है। दल को सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रों के सहकारी संगठन और नियम-उप-नियमों में सशोचन सुझाने का भी काम सौंपा गया है।

18 आदिम जातीय क्षेत्रों में काफी अद्वैतरोजगारी है। सुझाव दिया गया है कि तीसरी योजना के ग्रामीण निर्माण-कार्यों में आदिम जातीय क्षेत्रों में खेती की दृष्टि से निष्क्रिय मौसम में बढ जानेवाली बेरोजगारी को दूर करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

19 राज्यों की योजनाओं में आदिम जातीय क्षेत्रों में कुटीर-उद्योग शुरू करने के अनेक कार्यक्रम हैं। प्रतीत होता है कि अतीत में कुटीर-उद्योग-कार्यक्रमों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि किरायेत में चलाए जानेवाले उद्योग चुनने में कठिनाई हुई हो तथा दूसरे यह कि कर्मचारियों की कमी रही एवं बिक्री तथा ऋण-सुविधाओं का अभाव रहा। विशेष बहूद्देशीय आदिम जातीय विकास-द्वन्द्व-समिति के सुझाव के अनुसार यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र की कला और हस्तशिल्प का निकट से अध्ययन किया जाए, उनके विकास और सुधार के तरीके खोजे जाए तथा किरायेती एवं सन्तोषजनक रीति से हस्तशिल्प के नए काम शुरू किए जाए। इस सिलसिले में एक और नई समस्या का उल्लेख किया जा सकता है। आदिम जातीय क्षेत्रों में 11 और 14-15 वय-वर्ग के ऐसे लड़कों की नख्या बढ्ते बढी है, जो या तो कमी विद्यालय गए ही नहीं अथवा जिनकी शिक्षा अचूरी रह गई। यदि आदिम जातीय क्षेत्रों में सरल ढंग का व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम

चलाया जाए, तो इन सबको को उत्पादक धनो के लिए तैयार किया जा सकता है।

20 पिछले कुछ वर्षों में आदिम जातीय क्षेत्रों में सिंचाई, विजली और उद्योगों के विकास की अनेक बड़ी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं के एक तत्काल प्रभाव-स्वरूप कुछ अस्त-व्यस्तता आई है और कुछ लोगों का विस्थापन हुआ है। इन तरह विस्थापित परिवारों की सख्या हजारों तक पहुँच गई है। उन्हें भूमि या नकदी, अथवा दोनों के रूप में मुआवजा देने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि मुआवजा इतना हो कि उनका पुनर्वास ठीक ढंग से हो सके। जहाँ तक सम्भव हो, मुआवजा भूमि के रूप में होना चाहिए। मुआवजे की राशि दी जानेवाली भूमि की उत्पादन-शक्ति को ध्यान में रखकर तय की जाए। यह प्रायः देखा गया है कि नकदी के रूप में दिया गया मुआवजा जल्दी खर्च हो जाता है, भूमि के रूप में मुआवजा देने पर भी यह अक्सर देखा गया है कि किन्हीं कारणों से पुनर्वास सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो पाया। परियोजना-स्थल पर कुछ समय तक तो अकुशल कर्मचारियों को काम मिल सकता है, परन्तु जब परियोजना का निर्माण का हिस्सा पूरा हो जाता है और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, तब विस्थापित आदिम जातीय लोगों को काम देने की गुंजाइश कम रह जाती है। इन परिस्थितियों में उस समुदाय या उस व्यक्ति को पहुँची हानि अपूरणीय होती है तथा इसके परिणामस्वरूप अन्तःसंगर्भ बढ़ता है। तीसरी और अन्य भावी योजनाओं में तेज विकास के साथ-साथ यह समस्या और भी बड़ी होती जाएगी और इस पर बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत पड़ेगी। परियोजनाओं के लिए स्थान निश्चित करते समय उस स्थान पर पहले से बसे हुए लोगों को वेदखल न होने देने अथवा वेदखली कम-से-कम करने की सम्भावनाओं पर विचार कर लिया जाना चाहिए। जहाँ और कोई रास्ता नहीं हो, वहाँ वेदखली और पुनर्वास की समस्या ने स्वयं अपने अधिकारियों अथवा राजस्व-अधिकारियों के डरिए चलाने के बजाय आदिम जातीय कल्याण-विभागों और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए। यदि परियोजना के आरम्भ से ही इन संगठनों को विश्वास में लिया जाए और उन्हें आवश्यक साधन उपलब्ध कर दिए जाएँ, तो वे आवादी के स्थानान्तरण, उनके पुनर्वास और उन्हें समुचित रूप से बसाने के अन्य कामों में बहुत सहायक हो सकते हैं। समस्याओं को हल करने में उन संगठनों को कुछ अधिकार एवं छूट भी मिलनी चाहिए। यह बात याद रखने की जरूरत है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों को मुआवजा देने के बावजूद आदिम जातीय समाज का अग्र होने के कारण उन्हें एकदम मसल, अकेला नहीं मसला जा सकता—वे एक बड़े समुदाय के अंग हैं, जिसकी अपनी जीवन-मदति, संगठन और आचार-सहिता है।

21 आदिम जातीय कल्याण-कार्यक्रमों का प्रभाव काफी बड़ी जनसंख्या पर पड़ता है और विकास के जो अनेक नए कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके परिणामस्वरूप आदिम जातीय समाज के जीवन और उनकी परम्पराओं में बुनियादी तौर पर परिवर्तन आ सकते हैं। इनने उत्पन्न होनेवाली समस्याओं को सन्तोषजनक ढंग में हल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और जनसेवकों के एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता है,

जिसे उन इलाकों और निवासियों के बारे में पूरी जानकारी हो, जिने अपने काम में पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया हो और जो सद्भावना में परिपूर्ण हो। उन अधिकारियों से काम नहीं चल सकता, जो थोड़े समय के लिए आदिम जातीय क्षेत्रों में आए और फिर तबादला हो जाने के कारण कहीं और चले जाए। अनुसूचित आदिम जातियों को शेष समाज के बराबर स्तर तक लाने के लिए हज़ारों जनसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी को और सम्भवतः उसने अगली पीढ़ी को भी, इस काम में खप जाना होगा और ये कार्यकर्ता आदिम जातीय लोगों में ही अधिक-से-अधिक आने चाहिए। पहली दो योजनाओं की अवधि में काफी काम हुआ अवश्य है, परन्तु राज्यों में आदिम जातीय क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम चलाने के लिए स्थापित विभागों में कर्मचारियों की बहुत कमी है तथा अक्सर इस असाधारण रूप से कठिन काम के लिए उन्हें आवश्यक मह्यता भी नहीं मिलती। इन परिस्थितियों में, सविधान में वर्णित विशेष दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह विचारणीय बात है कि राज्य-सरकारें और केंद्रीय सरकार मिलकर तकनीकी और अन्य कर्मचारियों का एक ऐसा विशेष वर्ग तैयार करें, जो अनुसूचित क्षेत्रों में और आदिम जाति-बहुल अन्य क्षेत्रों में काम कर सके। यह क्षेत्रीय कर्मचारियों में ऊपर के स्तर के कर्मचारी तैयार कर सकता है। सामान्यतः इस वर्ग के कर्मचारी अपने-अपने राज्यों में ही काम करेंगे, परन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण काम के स्तर पर, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अन्य राज्यों में भी भेजा जा सकेगा। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू निश्चय ही यह है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का यह वर्ग अपनी सेवा को सारी अवधि आदिम जातीय क्षेत्रों और आदिम जातीय लोगों में ही पूरी करे, ताकि उनके ज्ञान, अनुभव और आदिम जातीय लोगों के प्रति एकात्मभाव के कारण तीव्र और अबाध विकास चलता रहे। सरकारी कर्मचारी-वर्ग को मजबूत करने के उपायों के साथ-साथ सरकारी नीति के रूप में यह भी जरूरी है कि आदिम जातियों के बीच काम करने के लिए मजबूत स्वैच्छिक संपर्क बनाए जाए।

(3)

अनुसूचित जातियां

22 अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न, अनुसूचित जातियां सारे देश में फैली हुई हैं और यद्यपि वे सामान्य समाज का अंग हैं, तथापि सामाजिक अलमताओं तथा आर्थिक दुर्बलता के कारण उनका एक विशेष वर्ग तैयार हो गया है। सविधान में 'अस्पृश्यता' का जन्मलन कर दिया गया और किसी भी रूप में उनके व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत छुआछूत सारे देश में हस्तक्षेपजन्य और दृश्य अपराध घोषित कर दिया गया। अनुसूचित जातियों की अपनी विशेष सामाजिक समस्याएँ हैं, परन्तु जहाँ तक आर्थिक समस्याओं का प्रश्न है, वे प्रायः अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के भयान ही हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, तीसरी योजना में अनुसूचित जातियों में मम्बदा विशेष कार्यक्रमों के लिए 40 करोड़ ६० की व्यवस्था है, जबकि दूसरी योजना में यह राशि 28 करोड़ ६० तथा पहली योजना में 7 करोड़ ६० थी। अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की योजनाओं

में 30 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से आधी रकम शिक्षा-कार्यक्रमों के लिए है तथा शेष में से आधी-आधी (क) आर्थिक उन्नति, और (ख) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए। योजना के अन्तर्गत विकास के सामान्य कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों को मिलनेवाले क्रमशः वृद्धिशैल लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिए ही उक्त पूरक व्यवस्था की गई है—विशेष रूप से इसलिए कि योजना में समाज के कमजोर वर्गों को हर कार्यक्रम के लाभ का उचित हिस्सा देने की और ध्यान दिया गया है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम, ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम, भूमि-पुनर्वितरण-कार्यक्रम, ग्राम और लघु उद्योग-कार्यक्रम तथा खेतहर श्रमिकों के हितों के लिए बनाई जानेवाली योजनाओं का अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का जीवन-स्तर उठाने के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है।

23 पहली दो योजनाओं में अनुसूचित जातियों के विकास-कार्यक्रमों में शिक्षा पर ही अधिक बल दिया गया था। सन् 1956-57 में जहाँ अनुसूचित जातियों के छात्रों को 6 लाख छात्रवृत्तियाँ दी गईं, वहाँ दूसरी योजना के अन्त में छात्रवृत्ति पानेवालों की संख्या 9 लाख थी। मैट्रिक से ऊँची कक्षाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ पानेवाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या पहली योजना के आरम्भ में 1,100 से भी कम थी, परन्तु दूसरी योजना के अन्त में 40 हजार हो गई।

24 जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, तीसरी योजना में अनुसूचित जातियों के लिए शामिल किए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेष कार्य सम्पन्न करना है। ये कार्यक्रम किसी भी रूप में सारे समाज के लिए चलाए जानेवाले विकास-कार्यक्रमों का स्थान नहीं ले सकते। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य ये हैं कि यथामुम्भव छात्रवृत्तियाँ उन्हीं छात्रों को दी जाएँ, जो आवश्यकताग्रस्त होने के साथ-साथ योग्य भी हों, शिक्षा-संस्थाओं के मिश्रित छात्रावासों में उन्हें रहने की सुविधा दी जाए, फीस माफ हो तथा आवश्यकताग्रस्त छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए। आर्थिक उन्नति के लिए भूमि एवं सहायता प्रदान कर उन्हें कार्तकारों के रूप में बसाने, ग्रामोद्योगों एवं छोटे उद्योगों के प्रशिक्षण तथा परम्परागत हस्तशिल्पों में सुधरे हुए तरीके अपनाने पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रायः अधिकांश विशेष सहायता-कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं के अंग हैं, परन्तु निम्नलिखित केन्द्र-संचालित कार्यक्रमों के लिए गृह-मन्त्रालय ने व्यवस्था की है—

- (1) गन्दगी उठाने, आदि के काम में लगे हुए लोगों की स्थिति सुधारना, जिसमें मल-भूज सिंर पर उठाने का चलन समाप्त करने का कार्य भी शामिल है,
- (2) भगियों और मेहतरों के लिए भकान बनाने में सहायता,
- (3) अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों के लिए भकान बनाने के स्थान की व्यवस्था, जो (क) गन्दगी ढोने का काम करते हैं और (ख) जो भूमि-हीन श्रमिक हैं,
- (4) मैट्रिक से आगे पढाई करने के लिए छात्रवृत्तियाँ देना, और
- (5) स्वैच्छिक सगठनों को सहायता।

सामान्य आवास-कार्यक्रमों में भूमि के अविग्रहण तथा उसे मुधारने के लिए घन की व्यवस्था की गई है। यह भूमि मकान बनाने के लिए खेतिहर श्रमिकों को दी जाएगी, जिनमें अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में हैं।

25 अनुसूचित जाति के लोग आम तौर पर छोटे-छोटे समूहों में अन्य जातियों के साथ ही मिलकर रहते हैं। इसलिए उनके कल्याण और उन्नति का प्रश्न नारे समाज के साथ सम्बद्ध है। उनकी जीवन-स्थिति में सुधार और उनकी आमदनी का स्तर उठाना देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक बड़ा प्रमाण होगा। अनुसूचित जातियों की सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए जा चुके हैं और धीरे-धीरे जनमत के समर्थन से उन कानूनों पर अमल का प्रबन्ध भी मजबूत किया जा रहा है। श्रव भी जो सामाजिक अक्षमताएँ बच गई हैं, उनका कारण आर्थिक पिछड़ापन है। इसलिए आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने का विनियम महत्त्व है। तीसरी योजना में विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के लाभ समाज के कमजोर वर्गों को जिस मात्रा में पहुँचेंगे, उतनी ही मात्रा में उनका लाभ अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को मिलेगा।

26. अनुसूचित जातियों के कल्याण-कार्यक्रमों में शिक्षा-सम्बन्धी सहायता को उच्च प्राथमिकता दी गई है और सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रने गए हैं। फिर भी, अक्सर ऐसा होता है कि निश्चित अनुपात में वे लोग उपलब्ध नहीं होते। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में यह स्थिति भी है कि कुछ थोड़ी से शिक्षा-प्राप्त अनुसूचित या पिछड़े वर्ग के लोग भी बेरोजगारों में शामिल हैं। उनके सम्बन्ध में यह स्थिति विनियम रूप से है, जिनकी शिक्षा उन्हें क्लर्क या ऐसी ही किसी नौकरी के योग्य बना गई है। इसलिए तकनीकी और उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में सुझाया गया है, छात्रवृत्तियों अथवा शिक्षा में सहायता के अन्य कार्यक्रम इस प्रकार चलाए जाए कि मेधावी छात्र अपना अध्ययन पूरा कर स्थायी रोजगार के योग्य बन सकें। यह उचित होगा कि अनुसूचित और अन्य जातियों में से कम उम्र के बच्चे छात्र लिए जाए, उन्हें अपनी शिक्षा की नागरी शक्ति में सहायता दी जाए और जहाँ भी सम्भव हो, उन्हें रोजगार में लगा दिया जाए।

27 छुआछूत हटाने के लिए जनता को शिक्षित करने के काम में नैतिक सहायता दी जाती है। तीसरी योजना में उन्हें इस काम के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। यह जरूरी है कि स्वैच्छिक मत्वाएँ प्रचार और मन्वद काम तक ही सीमित न रहें, बल्कि विद्यालय, अस्पताल, ग्राम-महासभा नमिनिया, उद्योग-केन्द्र आदि खोलें तथा उन्हें चलाने में मदद दें। ऐसे क्षेत्रों में नैतिक सहायता के कार्य के लिए ठोस आधार बन सकेंगे तथा अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों के आर्थिक पुनर्वास के लिए बहुत मूल्यवान प्रमाणित होंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुष्म नैतिक रिपोर्टों से अनुसूचित जातियों की समस्याएँ हल करने की प्रानि या पानि है। योजना की परिचयनाओं-सम्बन्धी नमिति-दान नमान-कल्याण के क्षेत्र में नैतिक अध्ययन-दल ने एक सामान्य मूल्यांकन का प्रयत्न किया था। विशेष नमिति-दल ने विविध समस्याओं का अध्ययन किया है—इन्ने हन्दिनी के निर्देश

विचार करने के लिए हरिजन-कल्याण-सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार-मंडली-द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्टें। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति पर विकास-कार्यक्रमों के प्रभाव की अधिक जल्दी-जल्दी और पूरी जांच की आवश्यकता है, जिससे अनुभव के आधार पर नए तरीके निकाले जा सकें और मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

(4)

असूचित आदिम जातियाँ

28 भूतपूर्व जरायमपेशा जातियों को असूचित करने के बाद राज्यों में उनके विकास और पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 4 करोड़ रु० रखे गए हैं, जबकि पहली और दूसरी योजनाओं में यह राशि क्रमशः 1 करोड़ रु० और 2 9 करोड़ रु० थी। सन् 1952 में जरायमपेशा आदिम जाति-अधिनियम 1924 के रद्द किए जाने से स्पष्ट है कि भूतपूर्व जरायमपेशा जातियों के प्रति निगरानी और दख के रख के बजाय सुधार, पुनर्वास और शेष समाज में खपा लेने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। उनके प्रति दृष्टिकोण में यह निश्चय ही एक बुनियादी परिवर्तन है। इन आदिम जातियों के लोगों की कुल संख्या यद्यपि 40 लाख है, तथापि ये बहुत-से समूहों में बंटे हुए हैं, हरेक की अपनी विशेषताएँ एवं स्थानीय तथा परम्परागत पृष्ठभूमि है। इनमें से कुछ अनुसूचित जातियों में शामिल किए गए हैं। इन आदिम जातियों के पुनर्वास की भी अनेक समस्याएँ हैं। शिक्षा की कमी के साथ-साथ दूसरी जातियों से अलग-थलग ये लोग आम तौर पर काश्तकार भी अच्छे नहीं हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इनकी परम्पराएँ और दृष्टिकोण बदलने में समय लगेगा। कुल मिला कर हाल के कुछ वर्षों में असूचित आदिम जातियों के हितों के लिए शुरु किए गए आर्थिक विकास-कार्यक्रम का आम तौर पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ा है। हाँ, उन लोगों की बात अवश्य अलग है, जिन्हें कुछ वस्तियों में बसा दिया गया था और जिनका अच्छा-खासा समृद्ध समाज बन गया है। आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी और सामाजिक कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह जरूरी है कि स्वीच्छिक कार्यकर्ताओं और संगठनों को अधिक काम सौंपा जाए। वस्तुतः इन जातियों के अन्दर बैठ गए भय और आशंका को दूर करने तथा उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक धैर्यपूर्वक काम करने की जरूरत होगी। वर्षों के प्रयत्नों के बाद ही बेहतर सामाजिक और आर्थिक जीवन बिताने की भावना उनमें पैदा की जा सकेगी और उन्हें नए-नए काम सीख कर और कुशल काश्तकार बन कर शेष जनता में घुल-मिल जाने का मौका मिलेगा।

29 असूचित आदिम जातियों के पुनर्वास में अभी तक अधिक सफलता न मिलने के कारण यह जरूरी है कि हर क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं का निकट से अध्ययन किया जाए तथा समुचित कार्यक्रम तैयार किए जाए। इस कार्य में उनकी समस्याओं की जटिलता को ध्यान में रखा जाए, साथ ही इस तथ्य को भी कि वे समस्याएँ बहुत समय से चली आ रही हैं। योजना की परियोजनाओं-सम्बन्धी समिति-द्वारा नियुक्त अध्ययन-

दल की सिफारिशों के प्रकाश में मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं .

- (1) असूचित आदिम जातियों के पुनर्वासि के लिए सुधार और कल्याण की समन्वित नीति, जिसके साथ सामाजिक शिक्षा का भी कार्यक्रम शामिल हो,
- (2) विशेष आर्थिक कार्यक्रम, जिनमें उनके स्वभाव के अनुसार तथा विशेष रूप से उनके चारित्रिक गुणों—साहसिक वृत्ति और परम्परागत कारीगरी—का पूरा ध्यान रखा गया हो,
- (3) औद्योगिक और अन्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना,
- (4) सरकारी नौकरियों में भरती के अवसर देना तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं वौद्धिक स्तर उठाने की व्यवस्था,
- (5) जहाँ भी असूचित आदिम जातियों के लोगों की मूल्या काफ़ी बढ़ी हो, वहाँ ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का वर्ग तैयार किया जाए, जो उन लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाज में परिचित हों और उनके साथ घुल-मिल कर काम कर सकें ।

30 असूचित आदिम जातियों की समस्याओं को ऊपर दिए गए मुद्दों के अनुसार हल करने के प्रयत्नों के साथ इन जातियों के विभिन्न वर्गों के गहन-गहन और उनकी समस्याओं का निकट से अध्ययन भी आवश्यक है। अतः तक इन आदिम जातियों के सम्बन्ध में जो जाच-पड़ताल हुई है, वह एक मीमिन उद्देश्य लेकर। फलतः असूचित आदिम जातियों के बारे में तो पूरा ज्ञान हो गया और न ही उन पर देश में चल रही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के प्रभाव का ज्ञान नहीं हो सका। लोगो की सख्या तथा समस्या की जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि जाच और अध्ययन के विषयो का व्यवस्थित ढग ने चुनाव हो तथा इनमें समाज-कार्य-विद्यालयो एवं अन्य संस्थाओं की पूरी सहायता ली जाए। अनुचित आदिम जातियों की समस्याओं से सम्बद्ध सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाए एवं नवीन संगठनों तथा अनुसन्धान-कार्यकर्ताओं का घनिष्ठ सहयोग लिया जाए। आन्त से ही उद्देश्य यह रहे कि इन जातियों को अन्य लोगों में घुला-मिला निया जाए तथा इस प्रयत्न में उन जातियों के प्रतिशील तथा विचारशील तत्त्वों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें सहायता दी जाए।

कल्याण-कार्यक्रम

समाज-कल्याण

किसी विकास-योजना के आधिक और सामाजिक पहलू परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होते हैं। तीसरी योजना से सम्बद्ध अनेक सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चा पहले के अध्यायों में की जा चुकी है। इस अध्याय में तीन मुख्य कल्याण-कार्यक्रमों के बारे में जो समाज-कल्याण, मद्य-निषेध और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बद्ध हैं, विचार किया गया है।

2 पहली और दूसरी योजनाओं के अविभाज्य अंग के रूप में गत दशहत्वी में समाज-कल्याण-सम्बन्धी क्रिया-कलापों में जो विकास हुआ है, उसका महत्त्व स्थापित सेवा-श्रृंखलाओं अथवा प्रयुक्त साधन-स्रोतों की तुलना में कही अधिक है। ये क्रिया-कलाप समाज की अपने विभिन्न पीड़ित वर्गों के कल्याण के प्रति चिन्ता को स्पष्ट करते हैं और राष्ट्रीय विकास के एक अनिवार्य मूल्य पर बल देते हैं। सृजनात्मक सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सत्या में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को, और विशेषतः महिला कार्यकर्ताओं को लाने के कारण समाज स्वयं भी समृद्ध और शक्तिशाली हुआ है। अनिवार्यतः समाज-कल्याण-जैसे व्यापक एवं विविधतापूर्ण क्षेत्र में क्रिया-कलापों के विस्तार से कुछ समस्याएँ भी सामने आती हैं। और इसके लिए यह आवश्यक है कि जो-कुछ सफलता प्राप्त हुई है, समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाए तथा कल्याण-सेवाओं की कोटि को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों पर विचार किया जाए। जिला और खड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना के बाद स्वैच्छिक संगठन अपने काम को किस प्रकार पूरा करेंगे, इस पर और विचार करने की आवश्यकता होगी।

3 समाज-कल्याण-कार्यक्रमों में, जिन्हें केन्द्र और राज्य-सरकारों की सहायता से स्वैच्छिक संगठनों-द्वारा कार्यान्वित किया गया है, अन्य कार्यों के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य-सरकारों के समाज-कल्याण-महलों-द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ, सामाजिक रखा से सम्बद्ध कार्यक्रम, सामाजिक एवं नैतिक आरोग्य और उत्तरवर्ती सेवाएँ तथा अन्य कल्याण-कार्यक्रम भी शामिल हैं। कल्याण-सेवाएँ मुख्यतः समाज के उन वर्गों के लिए हैं, जिन्हें विशेष देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। इनका विकास करने में उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत और अव्यवस्थित सहायता अथवा दान के स्थान पर संगठित और सतत शिक्षण को तथा समाज के सामूहिक समर्थन के द्वारा कल्याण और पुनर्वास के कार्यों को पूरा किया जाए। कल्याण-सेवाओं को मात्र सत्या न रह कर अधिकाधिक रूप से सामाजिक और पारिवारिक स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। निवारणात्मक सेवाओं का महत्त्व पूर्ववत् बना रहेगा। छात्रों और युवकों को परामर्श देने, बाल पथ-प्रदर्शन-केन्द्रों और विवाह के बारे में सलाह देने-जैसी मानसिक आरोग्य-सेवाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इन सेवाओं का जैसे-जैसे विस्तार और विकास होता है, वैसे-वैसे इनके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी अधिक आवश्यकता

पड़ती है। चूँकि बहुत-सारे स्वीच्छिक सगठन कल्याण-कार्यों के लिए वेतनमोगी बर्गचारी रखते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण का एक स्तर कायम किया जाए और उनके उचित वेतन-क्रम और सेवा की शर्तों तथा परिस्थितियों को भी निश्चित कर दिया जाए। इस बात की भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि स्वीच्छिक कल्याण-कार्यकर्त्तों के लिए ज्ञानवर्धन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

4 केंद्रीय और राज्य-सरकारों की ओर से दी गई वित्तीय सहायता के द्वारा विगत कुछ वर्षों में अनेक कल्याण-सेवाओं का विकास हुआ है। विकास के प्रत्येक चरण के बाद इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए कि नई सेवाएँ स्थायी रूप में जारी रहें। तीसरी योजना में जो साधन प्रदान किए गए हैं, उनको वर्तमान कल्याण-सेवाओं का विस्तार करने और पहले से स्थापित कल्याण-सेवाओं को जारी रखने के हेतु स्वीच्छिक सगठनों को सहायता देने में प्रयुक्त किया जा रहा है। इस सीमा तक नई सेवाओं का विकास मॉसित है। भावी विकास के हित में यह वाछनीय है कि स्वीच्छिक सगठनों-द्वारा पहले से स्थापित सेवाओं को जारी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था और नए विकास के लिए प्रदान किए गए साधनों के अन्तर को स्पष्ट कर दिया जाए। स्वीच्छिक सगठनों को वित्तीय सहायता के द्वारा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ आवश्यक सेवाएँ नहीं हैं, उन्हें आरम्भ करें और जिन कल्याण-सेवाओं को वे अब तक नहीं करते रहे हैं, उनके लिए भी पहल करें।

5 कल्याण-सेवाओं का विकास अब इस स्थिति में पहुँच गया है कि उपलब्ध साधनों के अधिक अच्छे उपयोग और प्रदान की गई सेवाओं को सुधारने के लिए केंद्र धीरे-धीरे स्थापित करें। इससे समान प्रयोजनों के लिए की जानेवाली प्रारंभिक प्रयत्नों द्वारा और अलग-अलग विचार करने, उनके लिए दोहरी सहायता देने तथा स्वीच्छिक सगठनों-द्वारा अनेक सरकारी अभिकरणों के पास अलग-अलग जाने से बचा जा सकेगा। इसके माप ही यह भी आवश्यक है कि स्वीच्छिक सगठन अपने-अपने विविष्ट क्षेत्र में विद्यमान हों। प्रत्येक सगठन को अपने क्रिया-कलाप के लिए एक क्षेत्र चुना लेना चाहिए, जिनमें उन्नत कार्यकर्त्ता अनुभव प्राप्त करें तथा समस्याओं को निकट से समझे-बुझें।

6 समाज-कल्याण का स्वरूप ही ऐसा है कि इसकी प्रगति को प्रामाण्य में नहीं आका जा सकता है। इसकी सच्ची कसौटिया यही है कि कितनी अधिक मत्वा में स्वीच्छिक कार्यकर्त्ता समाज-कल्याण-सम्बन्धी कार्यों में भाग लेते हैं और प्रत्येक स्थानीय समाज-कल्याण सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कितना योगदान करता है। उनकी नर्त जो कमियाँ हैं—इस प्रकार के कठिन क्षेत्र में कमियाँ होना स्वाभाविक है—उन दशाओं में निर्या गया कार्य अनेक प्रकार से विलक्षण रहा है। केंद्र और राज्यों के समाज-कल्याण मंडलों-द्वारा देश के विभिन्न भागों के लगभग 6,000 स्वीच्छिक कल्याण-सगठनों का स्थापन दी गई है। इनमें से 2,900 सगठन महिलाओं-सम्बन्धी कल्याण-कार्य में 2-460 स्वीच्छिक रूप से शिशु-कल्याण से सम्बद्ध कार्य कर रहे हैं। दूसरी योजना की अन्तर्गत से भी अधिक स्वीच्छिक कल्याण-सगठनों को 26 करोड़ 70 लाख रुपये के अन्तर्गत में दी गई। केंद्र और राज्यों के समाज-कल्याण-मंडल जिन अन्य कार्यों में निर्या में हैं, उनमें 75 सहृदी सामुदायिक केंद्रों, महिलाओं को अपनी शक्त बताने में सम्बन्ध

देने के लिए 21 उत्पादन-इकाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों में 42 रैन-यमरों की स्थापना शामिल है। बड़ी संख्या में वयस्क महिलाओं को मधन पाठ्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम पौष्टिक योग्यता प्राप्त करवाई गई। पहली योजना की अवधि में कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं की स्थापना के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। प्रत्येक कल्याण-विस्तार-परियोजना-द्वारा लगभग 25 गांव में वित्तित थे, जिनमें प्रभृति और सिंगु-स्वास्थ्य-सेवाओं, हस्तकिल्प की कक्षाओं, महिलाओं के लिए समाज-शिक्षण और बालवाडियों-द्वारा बच्चों की निगरानी की व्यवस्था है। इन परियोजनाओं को दूसरी योजना में आरम्भ की गई 134 नई परियोजनाओं के साथ महिला-मठों को जोड़ दिया गया है। इन्हें केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल-द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में सामुदायिक विनाम-कार्यक्रम के माध्यम से 337 कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ शुरू की गईं। उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल से तथा कुछ राज्य-सरकारों और सामुदायिक विकास-गटों के बजट में भिन्नी।

7 दूसरी योजना में समाज-कल्याण-कार्यों पर 15 करोड़ ₹० खर्च किए गए। मुख्य विकास-कार्यक्रमों में उल्लेखनीय हैं—कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ, केन्द्रीय समाज-कल्याण मंडल-द्वारा स्वीच्छिक सगठनों को दी गई महत्वपूर्ण (लगभग 10 करोड़ ₹०), सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक और नैतिक आरोग्य तथा उत्तरवर्ती देखभाल की सेवाएँ एवं राज्य-सरकारों के कल्याण-कार्यक्रम (लगभग 5 करोड़ ₹०)। सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम और सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य एवं उत्तरवर्ती देखभाल की सेवाओं के अधीन 327 सत्याएँ स्थापित की गईं और 128 आध्यात्मिक तथा कल्याण-अधिकारी नियुक्त किए गए।

8 तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 28 करोड़ ₹०—16 करोड़ ₹० केन्द्र में और 12 करोड़ ₹० राज्यों में—की व्यवस्था है। केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल के कार्यक्रमों के लिए जिनमें स्वीच्छिक सगठनों और कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण भी शामिल है, 12 करोड़ ₹० की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त, शिक्षा की मद में सिंगु-कल्याण एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए भी 3 करोड़ ₹० की व्यवस्था है। समाज-कल्याण के अधीन जो अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे, वे ग्रामीण सामुदायिक कल्याण-परियोजनाओं, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा और उत्तरवर्ती देखभाल तथा केन्द्रीय सुधार-सम्बन्धी प्रशासन-संस्था की स्थापना में सम्बद्ध हैं। यह भी प्रस्ताव है कि इन प्रकार के व्यक्तियों—आर्थिक दृष्टि से विकलांग, काम करने में असमर्थ वृद्धों, महिलाओं और बच्चों—को, जिनकी आजीविका का कोई साधन या सहारा नहीं है, सहायता देने के लिए छोटे पमाने पर शुरुआत की जाए।

9 तीसरी योजना में केन्द्रीय और राज्यों के समाज-कल्याण-मंडलों-द्वारा किए जाने-वाले मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं

- (1) लगभग 6,000 स्वीच्छिक सगठनों को अनुदान देना,
- (2) महिला-मंडलों को उन्हें सौंपी गई-कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के लगभग 1,700 केन्द्रों में सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए सहायता देना,
- (3) पूरे 5 वर्षों की अवधि के लिए सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों से सम्बन्धित कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं को जारी रखना,

- (4) महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम,
- (5) वयस्क महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के योग्य बनाने के हेतु सघन प्रशिक्षण-माध्यम,
- (6) शहरी कल्याण-परियोजनाएँ,
- (7) रैन-बमेरे,
- (8) वच्चों के लिए अवकाशगृह, तथा
- (9) महायता-प्राप्त सस्थानों के लिए समाज-कल्याण-प्रगामन और तकनीकी पथ-प्रदर्शन ।

तीसरी योजना में शिशु-कल्याण-कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल दिया गया है। विचार है कि दूसरी योजना में जो कार्य प्रारम्भ किए गए थे, उनको जारी रखने के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश में शिशु-कल्याण के बारे में चिकित्सा और मार्गदर्शक स्वास्थ्य शिक्षा, समाज-कल्याण तथा अन्य अभिकरणों-द्वारा प्रदत्त सेवाओं में पूर्ण समन्वय के आकार पर कम-से-कम एक मार्गदर्शक परियोजना अवश्य आरम्भ की जाए। आशा है कि इन मार्गदर्शक परियोजनाओं से विभिन्न सेवाओं में समन्वय स्थापित करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त होंगे। कुछ में तो यह समन्वय पहले से स्थापित है। प्रस्ताव है कि एक पूर्व-विद्यालय शिक्षण-कार्यक्रम और शिशु-कल्याण-कार्यकर्ताओं (बाल-सेविकाओं) का प्रशिक्षण-कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया जाए। प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम वर्तमान शिशु-कल्याण-केन्द्रों (बालवाडियों) को सुधारने और नए केन्द्र खोलने की योजना का एक भाग है।

10 सामाजिक सुरक्षा-कार्यक्रम में निरोधक और बाल-अपराधियों की चिकित्सा, सामाजिक और नैतिक आरोग्य तथा स्त्रियों और लड़कियों के वेध्यावृत्ति के लिए प्रयोग को रोकने की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। यह सुझाया गया है कि शिक्षा-वृत्ति की समस्या पर क्रमिक रूप से प्रहार किया जाए। परामर्श और रोगोपरान्त देखभाल की सेवाओं के विकास में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महिलाओं और बालकों की विशेष रूप से सहायता की जाए। व्यावसायिक रूप प्राप्त वेध्यावृत्ति की समस्या को हल करने के लिए सन् 1956 में वेध्यावृत्ति-निरोधक कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार प्रभावित होनेवाली महिलाओं और लड़कियों के मरक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आवश्यक सस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं। दूसरी योजना की अवधि में 10 सरक्षण-गृह, 16 उद्धार-गृह और 70 स्वागत-केन्द्र स्थापित किए गए। तीसरी योजना में और भी केन्द्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त इस बात पर विचार करना भी महत्त्वपूर्ण है कि किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का वर्तमान कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली और उस रूप में किया जा सकता है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास के कार्य में समुदाय और परिवार भी पूरी तरह भाग ले सकें।

11 दूसरी योजना की अवधि में बाल-अपराधियों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए जो नई सस्थाएँ स्थापित की गईं, उनमें 40 मन्दन-गृह, 17 प्रमाणित विद्यालय और 5 बोस्टेल विद्यालय भी शामिल हैं। बालकों के मन्वन्व में अनेक राज्यों में पहले से ही विशेष कानून बने हुए हैं, परन्तु बय-सीमा और बाल-अपराधियों की श्रेणियों के बारे में व्यवस्था एक-जैसी नहीं है। केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए सन् 1960

में बाल-अधिनियम की स्वीकृति के साथ ही यह सुझाव दिया गया है कि आवश्यक मामलों में नमूने देश में एकलपता होनी चाहिए। बाल-अपराधों और व्यावसायिक दण्ड की बेव्यावृत्ति और स्त्रियों के श्रान्तिक व्यापार के पीड़ितों में निवृत्ति के क्षेत्र में आन्वयिक अधिकारियों का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी योजना में इनकी संख्या 100 में बढ़ कर 304 हो गई है। तीसरी योजना में 112 नए आन्वयिक अधिकारी नियुक्त करने का विचार है।

12 भिक्षावृत्ति एक बहुत पुरानी सामाजिक बुराई है, जिसे काफी लम्बे समय तक चलने दिया गया है। इसके कारण नैतिक ह्रास तो होता ही है, यह देश के लिए कलक-स्वरूप भी है। इस समस्या का अनेक स्थानों पर अध्ययन किया गया है और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को प्रभावशाली ढंग से इसका मुकाबला करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सर्वप्रथम भिक्षावृत्ति को बड़े गहरो, तीर्यस्थानों, और पर्यटन-केन्द्रों में समाप्त किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से भिखारियों की 4 श्रेणियों हैं—(अ) बाल भिखारी, (आ) बीमार, विकलांग, असमर्थ या बूढ़, (इ) समर्थ और पेनेवर भिखारी, तथा (ई) धार्मिक भिक्षुक।

13 बाल-भिखारियों की समस्या की अलग में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो बालक भिक्षावृत्ति अपनाते हैं, वे सामान्यतः शोषक दलों के शिकार होते हैं। बाल-अपराधियों के लिए जिनमें आचारानर्द, अपराधी बालक और अपराधपूर्व-स्थिति के बालक भी शामिल हैं, विशेष पुलिस-दल नियुक्त होने चाहिए। भारतीय दंड-नहिता में ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है, जो समाज-विरोधी उद्देश्य के लिए बालको का शोषण करने, उनका अपहरण करने या भिक्षावृत्ति के लिए उनको विकलांग करने के अपराधी पाए जाएंगे। बाल-कानून में भी समाज-विरोधी कार्यों के लिए, जिनमें भिक्षावृत्ति भी शामिल है, वच्चों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था है। इस प्रकार आवश्यक कानून बने हुए हैं, आवश्यकता इन बातों की है कि उन्हें प्रभावशाली ढंग से अमल में लाया जाए।

14 दूसरी श्रेणी के भिखारियों की, जो बीमार, अर्वाहज, असमर्थ या बूढ़ हैं, स्वैच्छिक संगठनों-द्वारा संचालित आवास-संस्थाओं में देखभाल की जानी चाहिए। राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों की सह्यता तथा समाज के समर्थन के अतिरिक्त इन संगठनों को छोटे पैमाने पर उन विशेष कोशों में सहायता दी जा सकती है, जिनका 'अमनीति' के अन्वय में उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार तीन प्रकार के व्यक्तियों—विकलांगों, काम करने में असमर्थ बूढ़ों, तथा महिलाओं और बालकों—को सहायता और राहत दी जाए।

15 समर्थ शरीरवाले भिखारियों को पकड़ कर विभिन्न परिोजनाओं के निर्माण-स्थलों के कार्य-विधियों में भेज दिया जाना चाहिए। इनके लिए छोटे चढ़ावों और कृषि में पुनर्वासि-कार्यक्रम को भी संगठित किया जाना चाहिए। समर्थ शरीरवाले व्यक्तियों-द्वारा भिक्षावृत्ति को एक मार्वाजनिक अपराध माना जाना चाहिए।

16 धार्मिक भिखारियों की भी विभिन्न श्रेणियां हैं और वर्तमान स्थिति में यह बांछनीय है कि उनकी समस्याओं का समाधान भारत-साव-समाज या उन्नी प्रकार के अन्य संगठनों के आन्वय में किया जाए।

17 यह वाछनीय है कि भिक्षावृत्ति और आचारागदी के निबन्धन और निवारण के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

18 विगत कुछ वर्षों में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों—विशेषतः नेत्रहीनों, गूंगों और बहुरों के लिए और उन व्यक्तियों के लिए, जो विकलांग और मानसिक दृष्टि से अपूर्ण हैं—विशेष सेवाओं और सुविधाओं के विकास में प्रगति हुई है। इन समूहों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रदान की गई सेवाओं का मुख्य लक्ष्य काम के द्वारा उन्हें अपने पुनर्वास के लिए समर्थ बनाया जाना चाहिए। चूंकि इन समूहों के अनेक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, जहां परम्परागत रूप से समाज बड़ी उदारता में सहायता प्रदान करता है। इसलिए यह वाछनीय है कि इन समूहों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के कार्यक्रमों को ग्रामीण स्वरूप प्रदान किया जाए। कुछ कार्य-नियोजन-कार्यालयों में भी विकलांग व्यक्तियों के लिए काम बढ़ाने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। स्थानीय निकाय और स्वैच्छिक संगठन विकलांग व्यक्तियों की सेवा करने में पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा कर रहे हैं। इनकी सेवाओं को नीचे दिए आधार पर और विकसित किया जाना चाहिए:

- (अ) विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों में ही भिक्षा देना,
- (आ) जो चल-फिर नहीं सकते, उन्हें घरों में ही या पड़ोस में काम प्रदान करना,
- (इ) विकलांगों, बुढ़ों और असमर्थ लोगों को मनोरंजन-सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना; तथा
- (ई) विधोष अनुदानों के द्वारा मदद करना।

नए रोजगार के लिए प्रशिक्षण की अवधि में वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

19 शहरी सामुदायिक विकास में शहरी समुदायों में उनके विविधतामूलक आचार-व्यवहार के बावजूद एक सामाजिक और भास-पास की परिस्थितियों में परिचर्चन करने की विपुल सम्भावनाएं निहित हैं। इस कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः इन बात पर निर्भर करती है कि जनता कहां तक स्वावलम्बी होती है। अधिकारियों का काम अनिवार्य रूप से स्वैच्छिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना होगा। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए काम करने के व्यापक अवसर हैं, और नगर-निगम तथा नगर-मान-काए उनको सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग कर सकती हैं। शहरी सामुदायिक विभाग-मान-कर्मों के द्वारा, जिनमें जनता का समर्थन पहले और उनको गतिशील रूप में संगठित करना भी शामिल है, कठिन शहरी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए बुरा प्रभिनता परीक्षण भी आरम्भ कर दिए गए हैं।

सारे देश में शीघ्रता से और प्रभावशाली ढंग से मद्य-निषेध लागू करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाए।”

इन प्रस्ताव के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक सिफारिशों की गईं। यह बताया गया कि नविवान में पहले ही निदेशक सिद्धान्तों के रूप में मद्य-निषेध को स्वीकार किया गया है और अब आवश्यकता इस बात की है कि इसके प्रति एक सामान्य राष्ट्रीय नीति अपनायी जाए। राज्य-सरकारों को सारे देश के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत आधार पर अपने क्रमिक मद्य-निषेध के कार्यक्रम बनाने चाहिए और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि निरन्तर विवेचना और स्थिति का आकलन होता रहे। प्रथम कदम के रूप में यह सुझाव दिया गया कि शराब-सम्बन्धी विजापनों और शराब की और जनता को आकर्षित करने के अन्य तरीकों पर रोक लगाई जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर (होटलों, हॉस्टलों, रेस्तरा, क्लबों आदि में) और सार्वजनिक स्वागत-समारोहों में शराब पीने पर पाबन्दी लगाई जाए। इनके साथ ही अन्य अनेक कार्रवाइयों का भी सुझाव दिया गया है। ये सुझाव थे

- (1) शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या क्रमशः कम की जाए;
- (2) सप्ताह में शराब की दुकानों बन्द रखने के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए,
- (3) शराब की दुकानों को दी जानेवाली शराब की मात्रा कम की जाए,
- (4) भारतीय डिस्टिलरियों में बन्देवाली शराब की मात्रा में क्रमशः कमी की जाए,
- (5) विशिष्ट औद्योगिक और अन्य विकास-परियोजना-क्षेत्रों में या उनके निकट शराब की दुकानों बन्द की जाए ,
- (6) नगरीय और ग्रामों में शराब की दुकानों को मुख्य सड़कों और रिहायशी भवनों से दूर हटा दिया जाए;
- (7) सस्ते और स्वास्थ्यवर्द्धक पेयों के निर्माण एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाए,
- (8) स्वैच्छिक अभिकरणों को मनोरंजक-केंद्रों की स्थापना में सहायता दी जाए, और
- (9) सामुदायिक विकास-क्षेत्रों में तथा समाज-कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं में मद्य-निषेध को एक रचनात्मक कार्य के रूप में सम्मिलित किया जाए।

ऊपर दिए गए सुझावों के अनुसार अनेक राज्यों में कार्रवाई की गई है, परन्तु सामूहिक रूप से सारे देश में इस दिशा में हुई प्रगति बहुत मन्द है।

21 दूसरी योजना में यह सिफारिश की गई थी कि एक केंद्रीय समिति नियुक्त की जाए, जो मद्य-निषेध-कार्यक्रम की प्रगति की विवेचना करे, विभिन्न राज्यों की गति-विधियों में समन्वय स्थापित करे तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों में सम्पर्क रखे। यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्यों में मद्य-निषेध-मंडल और जिला-मद्य-निषेध-समितियां स्थापित की जाएं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मद्य-निषेध-प्रशानक नियुक्त किए जाएं। तृ-मन्त्रालय ने मग 1960 के अन्त में एक केंद्रीय समिति का निर्माण किया

22 मद्य-निषेध अनिवार्य रूप से एक समाज-कल्याण-आन्दोलन है। समाज-मुधार के लिए एक स्वीच्छिक आन्दोलन के रूप में इसकी सफलता कुछ बातों पर निर्भर करती है। एतद्सम्बन्धी विशिष्ट बातें निम्नलिखित हैं।

- (1) एक सार्वजनिक नीति के रूप में इसे स्वीकार करना और इसके साथ ही इस नीति को वास्तविक बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाना,
- (2) जनता के एक बड़े वर्ग-द्वारा समर्थन और मुख्य स्वीच्छिक सगठनों तथा बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्त्तियों-द्वारा सक्रिय भाग लेना,
- (3) रोजगार-जैसी समस्याओं का व्यावहारिक हल ढूढना और उन उत्पादकों के विधायन तथा उपयोग की व्यवस्था करना, जो कि अन्यथा क्षराव-निर्माण के काम आएंगे, और
- (4) मद्य-निषेध की प्रगति के कारण राज्यों के राजस्व में होनेवाली सम्भावित हानि को पूरा करना।

23 सर्वप्रथम राजस्व में हानि के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि दूसरी योजना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वुनियादी सामाजिक नीति पर विचार करते समय वित्तीय प्रश्नों को, चाहे वे व्यावहारिक दृष्टि से कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, निपुणतात्मक नहीं माना जा सकता। मद्य-निषेध के कारण साधनों में सम्भावित हानि स्थायी न होकर अस्थायी रूप से प्रभावित करनेवाली हो सकती है और सन्तुलन में भी यह हानि कभी-कभी लगाए जानेवाले अनुमान के मुकाबले में कहीं कम हो सकती है। यदि मद्य-निषेध-आन्दोलन ठीक मार्ग पर आगे बढ़े—और यही मान्यता है, जिस पर मद्य-निषेध के प्रस्ताव आधारित होने चाहिए—तो व्यक्ति और समुदाय का जीवन अधिक स्वस्थ हो, व्यक्तिगत रूप से श्रमिक और उसका परिवार अधिक उत्पादनशील हो, और राष्ट्रीय वचत में वृद्धि हो। परन्तु प्रारम्भिक अवस्था में यह सम्भव है कि मद्य-निषेध-नीति के अनुसार उठाए गए कदमों के कारण उत्पाद-शुल्क से प्राप्त होनेवाली राशि उससे कम हो, जिसका अनुमान राज्यों ने अपनी योजनाएँ बनाते समय लगाया था। इस पहलू पर केन्द्र और राज्यों-द्वारा पुन विचार किया जाना चाहिए। स्पष्टतः केवल वित्तीय कारण एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के लिए, जिसे देशभर में बहुसंख्यक जनता के हित के लिए आवश्यक समझा गया है, दुनियादी रूकावट नहीं बन सकते।

24 मद्य-निषेध के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में यदि यह स्वरूप रहे, तो प्रत्येक राज्य के लिए अगली कार्यवाही पर विचार कर सकना सम्भव होगा। यह परिकल्पना नहीं की गई कि राज्यों को पूर्ण मद्य-निषेध के बारे में एक तिथि निश्चित कर देनी चाहिए, क्योंकि अंगरार में ऐसी तिथि पर कार्य करना या उस पर कायम रहना बड़ा कठिन है। फिर भी एक देश-व्यापी दृष्टिकोण से सभी राज्यों के लिए मद्य-निषेध-नीति कार्यान्वित करना और अंगरार के अन्तर्देशीय और अन्तःजिला तस्कण-व्यापार को रोकना सरल हो जाएगा। दूसरी योजना में जो विभिन्न कदम सुझाए गए थे, वे सीमित किन्तु व्यावहारिक हैं और उन्हें आगामी 2 या 3 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उन राज्यों के लिए, जिनमें कुछ राज्यों में मद्य-निषेध लागू कर रखा है, यह भी सम्भव हो सकेगा कि वे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करें। इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि मद्य-निषेध-नीति को लागू करने में

29 शहरी क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के सामने अलग ढंग की समस्याएँ थीं और कुछ रूपों में ये बड़ी उलझनपूर्ण थीं। विस्थापित आवादी को आवास प्रदान किया जाना था और उन्हें इस बात के लिए समर्थ बनाना था कि वे व्यापार, उद्योग और अपने पेशों में नया जीवन प्रारम्भ कर सकें। उनकी आवश्यक मांगों की पूर्ति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवाओं को भी बढ़ाना था। लगभग 25 लाख विस्थापित व्यक्तियों को आवास प्रदान किया जाना था, जबकि निष्प्रभितों की सम्पत्ति में इनमें से केवल आधे को ही स्थान प्रदान किया जा सकता था। कुल मिला कर 19 पूर्णतया विकसित नगरो और 136 नई बस्तियों का, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य नागरिक सुविधाएँ प्रदान की गई थी, निर्माण किया गया। कुल 1,55,000 मकान बनाए गए। विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार और उद्योग में अपना पुनर्वास स्वयं करने के लिए 15 13 करोड़ रु० के छोटे शहरी ऋण दिए गए। यह राशि पुनर्वास-वित्त-प्रशासन-द्वारा ऋण के रूप में दी गई 10 28 करोड़ रु० की राशि के अतिरिक्त है। मझले उद्योगों और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की 23 योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

30 विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा-सम्बन्धी सहायता देने के लिए नए विद्यालय और कालेज प्रारम्भ किए गए तथा वर्तमान संस्थाओं को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता दी गई। अनेक विस्थापित शिक्षा-संस्थाओं को अपने को नए क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए सहायता दी गई। 1,10,000 व्यक्तियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।

पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

31 पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास मुख्यतः पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में हुआ। पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या अनेक वर्षों तक लगातार आग्रजन के कारण तथा पश्चिम-बंगाल की भूमि और आर्थिक जीवन पर भारी दबाव रहने के कारण विशेष रूप से कठिन हो गई थी। इस सिलसिले में विभिन्न मदों में किया गया व्यय इस प्रकार है।

पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास पर व्यय (करोड़ रु०)

कार्यक्रम	पहली योजना से पूर्व	पहली योजना	दूसरी योजना	योग
शहरी ऋण	1 63	5 5	1. 87	9
ग्रामीण ऋण	2 27	14 36	12 12	28 75
आवास	4 63	15. 52	17 61	37. 76
उद्योग	—	0. 71*	3. 55	4. 26
पुनर्वास-वित्त-प्रशासन	—	—	0 98*	0. 98
शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण	—	5 76	9. 36	15. 12
चिकित्सा	—	—	2 13	2. 13
दडकारण्य-परियोजना	—	—	7 75	7 75
योग	8. 53	41. 85	55 37	105 75

*इसमें पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए किया गया व्यय भी सम्मिलित है।

32 पहली योजना के अन्त तक पूर्वी क्षेत्र में लगभग 5,00,000 परिवारों को बसाया गया। इनमें से लगभग 4,00,000 परिवारों को खेती-बारी या ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सहायक धंधों में लगाया गया। दूसरी योजना के बारे में अनुमान था कि लगभग 1,70,000 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। पश्चिम-बंगाल में भूमि पर अधिक दबाव होने के कारण अन्य राज्यों में भी विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के कार्यक्रम बनाए गए। कुल मिला कर ग्रामीण क्षेत्रों में 78,000 परिवारों को बसाया गया। 38,000 परिवारों को भकान बनाने के लिए ऋण दिए गए और अनेक बस्तियों का विकास किया गया। बटे और छोटे उद्योगों में 14,000 व्यक्तियों को काम दिलाया गया। पुनर्वास-उद्योग-निगम ने—जिसे 5 करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी से स्वयं या निजी उद्योगपतियों के सहयोग से ऐसे केंद्रों में, जहां विस्थापितों की सख्या अधिक है, उद्योग स्थापित करने के लिए बनाया गया था—बड़े और मझले उद्योगों की 21 योजनाएँ स्वीकार की हैं। पहली योजना की श्रवधि में 28,000 और दूसरी योजना में 22,000 विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया। विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से पश्चिम-बंगाल में बड़ी सख्या में नए विद्यालय और कालेज खोले गए।

33 दूसरी योजना की श्रवधि में दहकारण्य-परियोजना के विकास का काम पश्चिम-बंगाल के जिलों में निवास कर रहे पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने और स्थानीय आबादी, विशेषतः आदिवासियों, के कल्याण-कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से हाथ में लिया गया। इस परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 21,000 एकड़ भूमि साफ की गई है और 13,000 एकड़ से अधिक भूमि कृषि-योग्य बनाई गई है। लगभग 3,700 एकड़ भूमि में खेती भी शुरू की गई है और प्रायः 3,200 एकड़ कृषि-योग्य भूमि वितरण के लिए जिला-अधिकारियों को सौंपी गई है। कृषि-योग्य बनाई गई भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा आदिम जातियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। मछली उद्योग और कुक्कुटपालन के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उमरकोट-क्षेत्र में भास्कुल बाध के निर्माण की बात स्वीकार कर ली गई है। इसमें 13,750 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 90,000 एकड़ भूमि को प्रभावित करने-वालों बाधों का सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजनाएँ तैयार की जा रही हैं। अन्य कार्यक्रमों—यथा मलेरिया-उन्मूलन, स्वास्थ्य-सुविधाओं की व्यवस्था, शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार, आदि—को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। फरवरी 1961 के अन्त तक 2,391 विस्थापित परिवारों को, जिनके सदस्यों की सख्या 10,599 है, दहकारण्य में रखा गया था। यहाँ बसाए गए परिवारों को बैल, दुधारू पशु और कृषि-उपकरण, आदि खरीदने के लिए ऋण के रूप में भी सहायता दी जा रही है।

तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम

34 विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम क्रमशः समाप्त हो रहा है। जहाँ तक पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितों का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में की गई व्यवस्था मुख्यतः आवास-योजनाओं के लिए निवास-सम्बन्धी आवश्यकताओं और शिला तथा न्याय्य-सेवाओं के लिए सहायता देने तक सीमित है। पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के

सन्दर्भ में, दो मुख्य उद्देश्य पश्चिम-बंगाल के विस्थापित-शिविरो और अन्य केन्द्रों में रहनेवाले 28,600 और पश्चिम-बंगाल में ही आशिक रूप से बसाए गए 2,00,000 विस्थापित परिवारों का पुनर्वास है। यद्यपि इनके लिए वित्तीय व्यवस्था 'पुनर्वास' की मद में की गई है, तथापि कुछ पुनर्वास-योजनाओं—जया, पुनर्वास-उद्योग-निगम, विस्थापित छात्रों की वित्तीय सहायता, शय्याओं, और अस्पताल, आदि का आरक्षण—को पुनर्वास-मन्त्रालय से लेकर सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों को सौंप दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था के लिए सहायता-योजनाओं और प्रशिक्षण-योजनाओं को भ्रमशः राज्यों की योजनाओं में ही सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। पुनर्वास-मन्त्रालय ने सम्बद्ध राज्य-सरकारों के परामर्श से जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें 74 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है। इनमें से 41 करोड़ रु० पूर्व-पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 26 करोड़ रु० दृष्टकारण्य-परियोजना के लिए और लगभग 7 करोड़ रु० पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए है। अभी तक तीसरी योजना में पुनर्वास के लिए 40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। फिर भी, चूंकि लक्ष्य यथासम्भव कम समय में पूर्ण पुनर्वास का है और पुनर्वास-कार्यक्रमों का अपना विधेय स्वरूप है, अतः यह प्रस्ताव है कि अनिवार्य कार्यक्रमों को भूत रूप देने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था पुनर्वास के कार्य में हुई वास्तविक प्रगति और किए जानेवाले अवशिष्ट कार्य को देखते हुए प्रति वर्ष की जाती चाहिए।

35 पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास-कार्यक्रम की कुछ मुख्य बातों का यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। आशा है कि 18,000 किमान-परिवारों को भूमि देकर बसा दिया जाएगा—लगभग 3,000 परिवारों को पश्चिम-बंगाल और उत्तर-प्रदेश में तथा शेष परिवारों को दृष्टकारण्य-क्षेत्र में। किसानों को सिंचाई, भूमि-पुनरुद्धार और आवश्यक कृषि-उपकरण खरीदने के लिए ऋण भी दिया जाएगा। आवास-इकाइयों के निर्माण और नगरों में मकानों के निर्माण के लिए ऋण-अनुदान देने का एक ठोस कार्यक्रम बना लिया गया है। छोटे पैमाने के तथा मझमे स्तर के लोगों के लिए भी ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अन्य बातों के अतिरिक्त योजना में शिविरो में रहनेवाले विस्थापितों के बच्चों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ देने, विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली, लिजी शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने और निर्धन तथा उपयुक्त विस्थापित छात्रों को मदद देने की भी व्यवस्था है। योजना में पश्चिम-बंगाल में रहनेवाले विस्थापितों के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने की भी व्यवस्था है। दृष्टकारण्य-क्षेत्र के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इनमें भूमि-पुनरुद्धार, सिंचाई, सबक-विकास, और पुनर्वास के लिए ऋणों और अनुदानों की योजनाएँ, तथा शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं के लिए व्यवस्था भी सम्मिलित है।

पुनर्वास और विकास

36 अपने अन्तिम चरणों में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास-कार्य पूर्व-अवधि के अवशिष्ट कार्यों का ही रूप अविकाशिक ग्रहण करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयत्नों में—विशेषतः इन राज्यों और प्रदेशों के, जिन पर सर्वाधिक भार पड़ा है—विलीन हो रहा है। विकासशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पुनर्वास और विकास के एकीकरण से विस्थापित व्यक्तियों की द्रुत आर्थिक एकात्मकता में सहायता मिलेगी।

समय 15 वर्ष पूर्व पुनर्वास की चुनौती विचलित करनेवाली, आकस्मिक, और शीघ्रता तथा गुरुतापूर्ण थी और उसके बाद से अब तक अनेक नाजुक मौके आए हैं। परन्तु कष्टों और संकटों, जिनके बीच लाखों व्यक्तियों को रहना पड़ा, और अनेक कमियों के बावजूद विस्थापितों की बड़ी समस्याओं को एक-एक करके हल किया गया है और नए जीवन की एक अच्छी और वास्तविक नींव रख दी गई है।

उपसंहार

इस रिपोर्ट में हमने उन कार्यों की व्यापकता और विशालता पर बल दिया है, जिन्हें भारत को तीसरी योजना की अवधि में पूरा करना है। हमारे साधन-स्रोतों पर इनके चलते काफी भार पड़ेगा और इनके लिए राष्ट्र तथा उसके प्रत्येक नागरिक को यथामुम्भव अपने सर्वोत्तम अर्पण के लिए तैयार रहना होगा। यदि शीघ्रतापूर्वक और जी-जान लगा कर काम किया गया, तो राष्ट्र निश्चय ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।

जवाहरलाल नेहरू
अध्यक्ष

गुलजारीलाल नन्दा
उपाध्यक्ष

मोरारजी आर० देसाई
वी० के० कृष्णमेनन
सी० एम० त्रिवेदी
श्रीमन्नारायण
टी० एन० सिंह
ए० एन० खोसला
पी० सी० महलानबीन
सदस्य

विष्णु सहाय
सचिव
तरलोक सिंह
प्रतिरिक्त सचिव
3 अगस्त, 1961

परिशिष्ट

परिशिष्ट अ : प्रमुख आर्थिक सूचक

- अ-1 : प्रमुख आर्थिक सूचक, 1950-51—1960-61
- अ-2 : थोक मूल्यों के सूचकांक, 1950-51—1960-61
- अ-3 : कृषि-उत्पादन के सूचकांक
- अ-4 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक
- अ-5 : ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, 1951 और 1961

परिशिष्ट आ : पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में व्यय और व्यय-व्यवस्था

- आ-1 : पहली और दूसरी योजनाओं में व्यय-व्यवस्था—वर्षानुक्रम से
- आ-2 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था—राज्य
- आ-3 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था—केन्द्रशासित प्रदेश

परिशिष्ट इ : जनसंख्या और नियोजन पर टिप्पणियाँ

- इ-1 : चौथी और पाचवी योजनाओं में जनसंख्या का विस्तार
- इ-2 : तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन के अनुमान

परिशिष्ट अ
विवरण अ-1 : प्रमुख आर्थिक सूचक, 1950-51—1960-61

शीर्षक	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61
राष्ट्रीय आय (1960-61 के मूल्यों के आधार पर) (करोड़ ₹०)	10,240	10,515	10,930	11,590	11,880	12,130	12,710	12,590	13,510	13,680	14,500
मुद्रा-भाण्ड (क) (करोड़ ₹०)	1,979	1,804	1,765	1,794	1,921	2,184	2,313	2,388	2,499	2,703	2,908
अनुसूचित श्रेणी में जमा राशि (क) (करोड़ ₹०)	906	878	844	856	951	1,051	1,186	1,481	1,668	1,935	1,910
योजना की व्यवस्था (करोड़ ₹०)	—	259.6	267.6	343	475.9	614.1	632.8	884.2	1001	42010	5 1071
घाटे की वित्त-व्यवस्था (करोड़ ₹०)	—	2	44	36	94	157	253	496	136	112	(—)49
शेष मूल्यों का सूचनांक (ख) (आधार : 1952-53=100)	125.2	99.9	100.8	100.3	90.8	98.1	105.6	105.4	112.3	118.9	127.5
जीवन-यापन-व्यय का सूचनांक (आधार : 1949=100)	101	105	104	106	99	96	107	112	118	123	124
नियोजन का सूचनांक (संगठित क्षेत्र) (आधार : 1950-51=100)	100	99.3	102	101	103.5	104	111.2	115.9	114.9	119	121(ग)
पारिश्रमिक का सूचनांक (आधार : 1950-51=100)	100	107.1	115	114.9	114.9	121.3	125	127.6	132.6	135(ग)	137(ग)
शुद्ध-उत्पादन का सूचनांक (आधार : 1949-50=100)	95.6	97.5	102	114.3	117	116.8	124	114.6	132.3	127.2	135
खाद्यान्न-उत्पादन का सूचनांक (आधार : 1949-50=100)	90.5	91.1	101.1	119.1	115	115.3	120.8	107.9	130.1	124.3	131.6
औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक (आधार : 1950-51=100)	100	112.2	113.4	117.3	129.1	138.6	151	152.5	157.2	175	194.3
आयात (करोड़ ₹०)	650	963	633	592	684	761	1,100	1,234	1,030	924	1,075
निर्यात (करोड़ ₹०)	646	730	602	540	597	641	635	668	576	623	625

- (क) वित्तीय वर्ष के अन्तिम शुक्रवार के अनुसार ।
 (ख) मार्च मास के सप्ताहों के औसत से सम्बद्ध अंक ।
 (ग) अनुमानित ।

विवरण अ-2 : थोक मूल्यों के सूचकांक, 1950-51—1960-61
(आधार : 1952-53=100)

प्रवर्ग	(सम्बद्ध महीनों के सन्दाहों का औसत)																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
काष्ठ वस्तुएं																	
अनाज																	
चावल																	
गेहूं																	
शराब ईंधन, शक्ति, औद्योगिक कच्ची																	
कच्चा तेलहन																	
निर्मित वस्तुएं																	
सामान्य																	
कपास																	
कच्ची सामग्रियां																	
तम्बाकू स्नेहक																	
1949-50																	
मार्च	108.3	92	87	98	91	6	91	1	119	1	93	128	132	98	9	106	4
1950-51																	
जून	111.4	91	90	90	96	90	1	122	100	127	136	98.7	108.4				
सितम्बर	116.9	94	94	93	103	8	92	3	127	104	128	147	100	7	112.8		
दिसम्बर	109.2	97	96	99	100.7	93.7	132	8	128	127	144	103	5	110	6		
मार्च	112.1	100	100	100	112	9	97.5	153	7	144	204	149	118	7	120	2	
1951-52																	
जून	116.9	101	110	93	115	3	95	4	166	8	128	314	151	123	2	126	1
दिसम्बर	113.7	105	109	95	125	4	91	1	132	121	172	130	117	6	117	3	
दिसम्बर	110.2	99	99	93	130	97	6	136	6	135	193	129	119	9	117	1	
मार्च	93.7	95	97	90	121	5	98	103	2	109	131	85	107	6	99	9	
1952-53																	
जून	97.9	100	103	96	101	7	99	1	98	102	113	88	101	2	99	1	
दिसम्बर	103.7	102	102	100	98	3	101	1	106	1	109	101	107	100	7	103	

विवरण क्र-2 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दिसम्बर	96.5	97	95	100	95.5	99.7	93.8	90	89	96	97.5	96.4
माघ	102.2	100	99	102	92.8	98.8	101.5	96	82	115	98.9	100.8
1953-54												
जून	113.3	104	107	95	99	98.9	113.7	99	101	137	100.1	108.8
सितम्बर	111.7	103	107	95	101.7	99.8	113.8	101	95	137	98.8	107.7
दिसम्बर	101.6	92	93	92	99.2	98.5	107.2	105	108	111	98.1	101.4
1954-55												
माघ	98.6	88	87	88	96	98	106.2	108	98	109	100.6	100.3
जून	97.3	82	88	69	94.3	98.5	103.1	103	95	102	101.1	99.3
सितम्बर	100.4	85	90	76	94.1	96.8	100.5	100	99	95	100.8	100.3
दिसम्बर	87.7	73	74	72	83.8	96.5	100.9	104	123	84	99.8	93.4
1955-56												
माघ	82.9	70	72	71	86	95.7	97.2	92	142	71	101.1	90.8
जून	83.7	69	76	60	82.3	95	93.3	93	116	74	98.2	89.7
सितम्बर	85.3	75	81	68	79.5	94.1	94.5	95	113	81	98.3	90.6
दिसम्बर	87.5	77	76	80	79.6	95.2	101.9	102	110	92	100.2	93.5
1956-57												
माघ	92.8	86	86	85	78.7	96.8	109.4	107	122	106	102.9	98.1
जून	99	93	85	82	80.5	98.7	112.9	111	113	116	103.5	102.1
सितम्बर	103.6	99	101	87	83.6	106.2	116.8	109	122	124	109	106.9
दिसम्बर	105.1	97	94	94	87.7	106.8	119.4	109	138	124	108.8	108.1
माघ	102.3	99	97	95	87.2	106.5	117.3	113	133	119	106.2	105.6

विवरण अ-3 : कृषि-उत्पादनों के सूचकांक (क)

(आधार : 1949-50=100)

वस्तु/वर्ग	1950-	1951-	1952-	1953-	1954-	1955-	1956-	1957-	1958-	1959-	1960-									
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61									
चावल	87	90.1	96.8	118	6	105.8	114	2	120	4	104	8	127	6	123	3	131	6		
गेहूँ	101	1	93.9	112.7	120	135.4	131.3	144.7	116	5	147	1	146	5	151					
सभी अनाज	90	3	91	2	101.4	120	1	114.5	114	9	120	5	108	5	129	3	125	3	132	6
दालें	91	7	90.3	98.8	112	118	5	118	4	122	9	104	2	135	2	117	2	125	5	
सभी साधारण	90	5	91.1	101	1	119	1	115	115	3	120.8	107	9	130	1	124	3	131	6	
तेलहन	98	5	97.4	91.9	103.7	122	6	108.6	120	3	115	6	133.4	122	5	136	9			
गन्ना	113	7	122.8	101	6	89.5	115	9	119	8	137	2	134	7	139	4	148	5	156	7
कपास	110.7	119.2	121	151	8	163	6	153	9	181	2	179	7	178	115	7	193	8		
पटसन	106	3	151.4	118	6	100	94	8	135	8	138	7	131	158	6	139	8	122	9	
चाय	103	8	109.6	115.4	100	6	110	4	107	2	108	7	116	9	122.9	121	124	9		
कच्चा	112.3	112	7	125	9	146.5	151.8	196.1	204	1	229	8	211	2	245	7	252	6		
खट	93	8	94	4	106	1	131.8	127	6	146	1	113	1	140	1	137	9	155	5	
सभी वस्तुएं	95.6	97.5	102	114.3	117	116	8	121	111	6	132	3	127	2	135					

(क) आंकड़े पूर्ण में समाप्त होनेवाले कृषि-वर्षों के बारे में हैं।

विवरण अ-4 : औद्योगिक उत्पादनों के सूचकांक

(माधार : 1950-51=100)

वस्तु/वर्ग	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61										
	(क)																			
सूती वस्त्र	109	3	116	6	123	7	126	7	127	9	134	7	127	3	123	4	127	5	133	1
रसायन और रासायनिक वस्तुएं	114	9	135	144	2	162	9	179	3	192	1	203	6	233	2	260	1	288	1	
लोहा और इस्पात	111	107	3	106	119	7	121	6	126	7	126	3	130	7	189	5	238	2		
मशीनें (सभी प्रकार की)	115	9	106	7	119	2	150	9	191	8	258	5	320	8	370	1	412	1	503	2
सामान्य सूचकांक	112	2	113	4	117	3	129	1	138	6	151	152	5	157	2	175	194	3		

(क) अस्थायी

विवरण अ-5 · ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, 1951 और 1961

(संख्या)

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	1951			1961		
	शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण	योग
आन्ध्रप्रदेश	54 4	258 2	312 6	62 6	297 2	359 8
असम	4 1	86 3	90 4	8 9	109 7	118 6
बिहार	26 2	361 6	387 8	39 2	425 4	464 6
गुजरात	136 5	346 1	482 6	52 8	153 4	206 2
महाराष्ट्र				110 3	284 7	395
जम्मू-कश्मीर	—	—	44 1	6	29 8	35 8
केरल	17 8	117 7	135 5	25 3	143 4	168 7
मध्यप्रदेश	31 3	229 4	260 7	46 3	277 6	323 9
मद्रास	73 1	226 6	299 7	89 9	246 6	336 5
मैसूर	44 5	149 5	194	51 9	183 6	235 5
उड़ीसा	6	140 5	146 5	11 1	164 5	175 6
पंजाब	30 7	130 6	161 3	40 8	162 2	203
राजस्थान	29 6	130 1	159 7	32 3	169 1	201 4
उत्तरप्रदेश	86 3	545 9	632 2	94 8	642 7	737 5
पश्चिम-बंगाल	62 8	200 2	263	81	268 7	249 7
अन्दमान और निकोबार- द्वीपसमूह	—	—	0 3	0 1	0 5	0 6
दिल्ली	14 4	3 1	17 5	23 4	3	26 4
हिमाचलप्रदेश	0 5	10 6	11 1	0 6	12 9	13 5
लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी-द्वीपसमूह	—	0 2	0 2	—	0 2	0 2
त्रिपुरा	0 4	0 6	6 4	1	10 4	11 4
मणिपुर	—	—	5 8	—	—	6 4
नागालैंड	—	—	5 6	—	—	6 1
नेफा	—	—	1 4	—	—	1 6
पाकिस्तान	—	—	0 3	—	—	0 3

टिप्पणी सन् 1951 की जनगणना में ऐसे सभी स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक थी तथा कुछ ऐसे स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम थी, किन्तु जिनका स्वरूप शहरी था, शहर के रूप में गिने गए। सन् 1961 की जनगणना में इन तीन शर्तों को पूरा करनेवाले स्थानों को शहर के रूप में माना गया—(1) जनसंख्या 5,000 से कम न हो, (2) जनसंख्या का घनत्व 1,000 प्रति वर्गमील से कम न हो, और (3) बयस्क पुरुषों को कम-से-कम तीन-चौराई सख्या कृषि से भिन्न कामों या धन्वों में लगी हो।

परिशिष्ट 'अ'
विवरण आ-1 : पहली और दूसरी योजनाओं में व्यय-व्यवस्था, वर्षानुक्रम से
(लाख रु०)

विकास की मद	योग											
	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1951-52	1951-61
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
छोटी सिंचाई-सहित कृषि-उत्पादन	2,343	2,223	3,004	4,312	5,730	17,612	2,597	3,061	4,037	4,726	4,783	19,204
दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति-सहित पशुपालन	246	267	252	328	460	1,553	314	507	670	841	1,015	3,347
मछली-उद्योग	44	36	39	54	98	271	72	111	156	255	312	906
वन-विकास और मिट्टी-संरक्षण	96	115	147	239	553	1,150	413	550	739	995	992	3,689
1 कृषि-कार्यक्रम	2,729	2,641	3,442	4,933	6,841	20,586	3,396	4,229	5,602	6,817	7,102	27,146
गोदाप, राठ-व्यवस्था और भांडारण-सहित सहकारिता	77	71	92	98	162	500	319	645	633	939	1,345	3,881
पंचागत और स्थानीय विकास-कार्य-सहित सामुदायिक विकास	127	286	1,066	2,548	3,876	7,903	3,186	3,708	4,681	4,731	5,567	21,873
2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	204	357	1,158	2,646	4,038	8,403	3,505	4,353	5,314	5,670	6,912	25,754
प्रादेशीय परियोजनाएँ	3,533	4,138	5,117	5,587	5,284	23,661	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)
वाट-निर्माण-सहित सिंचाई	2,569	3,146	3,184	4,586	6,259	19,744	8,233	8,175	8,083	8,243	9,283	42,017
निर्जल	2,233	2,495	2,851	2,968	4,336	14,883	8,019	7,921	8,388	9,414	10,807	44,549

गणनामिति

(न) प्रादेशीय परियोजनाओं के प्रत्येक वर्ष को सिंचाई और विजली में बांट दिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
१ विद्यार्थी शोध विस्तार	८,३३७	९,७७९	११,१५२	१३,१११	५,८७९	५८,२८८	१६,२५२	१६,०९६	१६,४७१	१७,६५७	२०,०९०	९६,५६६	१,४४,८५४
गति-चक्र (साम-सहित) यांचे शोध मंडोळे उद्योग	९१८	७५६	१,१२६	१,९९३	१,६७९	५,४७२	५,२८७	१९,३९१	२४,१४९	२३,१०९	१८,०५३	८९,९८९	९५,४६१
श्रम शोध तंत्र उद्योग	१११	१८३	७१०	१,१५८	२,०१६	४,२११	२,८६५	३,३३७	३,७८५	३,७७६	३,८०३	१७,५६६	१७,७७७
४. उद्योग शोध मजत	१,०६२	९३९	१,८१६	२,१५१	३,६९५	९,०८३	८,१५२	२२,७२८	२७,९३४	२६,८८५	२१,८५६	१,०७,५५५	१,१७,२३८
रेलवे	४,०८६	३,०१८	३,४२१	६,६२१	८,८५१	२६,०००	१३,३३२	२०,५२२	१९,९३०	१४,०७५	१८,१५२	८६,०११	१,१२,०११
शाबडे	१,५४३	१,९९६	२,५६२	२,८८२	४,०९२	१३,०७५	४,२२४	४,१६४	४,२३०	४,७३७	५,००९	२२,३६४	३५,४३९
गन्त-परिचलन	११४	२६१	२६४	३४४	२२८	१,२१४	३४९	३९३	२६७	३७७	४३२	१,८१८	३,०३२
बरेलगाट शोध पराम	१२०	१४३	५४८	८५९	१,०१०	२,०८०	८३०	६४५	६४२	५२२	७००	३,३३९	६,०१९
शान्त-चार	५५३	६१७	८२१	९६८	९२५	३,८८४	९५२	९५१	१,००२	१,०२०	१,१३४	५,०५९	८,९४३
जंदाजराणी	१९४	१०७	३४३	६१६	५६६	१,३२६	८९७	८८२	१,०७२	१,१६१	१,२५६	५,२६८	७,०९४
ताम्रगिण उद्योग शोध प्रमाण	२४२	२२३	५६०	१,०३४	७८६	२,८४५	९८६	१,००६	१,१७१	१,४७५	१,०१०	५,६४८	८,४९३
५. परिवहन शोध संचार-सामन	२३	११	४९	५२	१२२	२५७	१२३	१०९	७५	४७	११४	४६८	७२५
विद्युत	६,८७५	६,१७९	८,५६८	१३,३७६	१६,५८३	५१,७८१	२१,६९३	२८,६७२	२८,३८९	२३,४१४	२७,८०७	१,२९,९७५	१,८१,७५६
विद्युत	१,९८४	२,२४३	२,६५९	३,६५१	४,३६५	१४,९०२	२,३३८	३,४९४	५,२००	६,७३४	७,८१०	२५,५७६	४०,४७८
संचार	१,१७२	१,३२५	१,६५०	२,२८७	३,३५१	९,७८५	२,६११	३,३५८	४,०४४	५,५७४	६,०४७	२१,६३४	३१,४१९
श्रम	२८४	३३७	४७६	७१९	१,५३२	३,३४८	१,१८२	१,०४७	१,७०९	१,९२९	२,१६६	८,०३३	११,३८१
विद्युत वीज तंत्र मजत	३२५	३८९	६२८	८१०	१,०३२	३,१८४	८०९	१,१५२	१,३८९	२,३७२	२,२१९	७,९४१	११,१२५
गन्त-परिचलन, श्रम शोध श्रम-मजत	७४	७७	७३	७७	१०१	४०२	१४९	३८२	८०२	८११	१,३५५	३,४९९	३,९०१
पुनर्वसन	२,६१८	२,०२६	१,३४७	१,५६९	२,०१०	९,५७०	१,७०४	१,२३६	१,२२०	१,१३१	१,०५०	६,३४१	१५,९११
६ समाज-सेवा	६,४५७	६,३९७	६,८३३	९,११३	१२,३९१	४१,१९१	८,७९३	१०,६६९	१४,३६४	१८,५५१	२०,६४७	७३,०२४	१,१४,२१५
७ विविध	२९६	२६१	१,३१५	२,२३२	१,९०४	६,०६८	१,४९२	१,६७२	२,०७०	२,०५७	२,६८९	९,९८०	१६,०४८
संशोधन	२५,९६०	२६,७५३	३४,३०४	४७,५९२	६१,३९१	१,९६,०००	६३,२८३	८८,४१९	१,००,१४४	१,०१,०५१	१,०७,१०३	४,०६,०००	६,५६,०००

चिबरण आ-2 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था—राज्य

विकास की संव	(साख रु०)										
	आयुधप्रवेश		भ्रमण		बिहार		गुजरात		केरल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
शुद्धि-उत्पादन	546	1,246	235	507	1,343	1,936	424	798	464	1,400	
छोटी विपदा	710	1,826	191	390	827	839	880	1,500	170	572	
विद्युत्-परिधान	77	163	10	50	161	250	149	827	22	120	
परिपालन	206	385	68	117	366	468	55	250	69	150	
राम-उद्योग और राम-क्राफ्ट	54	296	6	23	41	212	117	185	18	60	
रत्न	105	145	110	90	176	295	98	224	65	375	
मदनी-उद्योग	61	115	32	50	31	89	64	123	72	450	
गोमय, हाट-परिधान											
और भाग्य	30	72	59	35	17	50	89	93	(क)	41	
1. कृषि-कार्यक्रम	1,789	1,218	711	1,262	2,962	4,139	1,876	4,000	880	3,171	
महसुलिया	700	575	111	200	280	518	357	457	56	246	

(क) 'महसुलिया' के अंतर्गत व्यय

विवरण आ-2 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सामुदायिक विकास परामर्श	1,575	2,550	526	835	2,147	3,500	1,563	1,367	456	805
	22	300	150	140	97	92	(ख)	114	—	72
2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	1,897	3,425	790	1,175	2,524	4,110	1,920	1,938	512	1,123
सिंचाई	5,816	7,380	97	228	2,582	6,157	3,536	5,124	834	1,142
वाहन-विवरण	—	243	529	500	—	900	—	50	67	421
नियोजी	4,169	6,194	530	2,750	3,125	7,062	1,555	4,648	2,204	4,356
3 सिंचाई और बिजली घरे और मराने उद्योग	9,285	14,117	1,156	3,178	5,707	14,119	5,091	9,822	3,105	5,919
	167	600	160	535	213	280	(ग)	318	118	920
गन्धक-विकास	—	11	—	—	11	20	(ग)	50	—	—
ग्राम और लघु उद्योग	863	1,267	306	440	684	1,103	485	373	430	800
4. उद्योग और तन्त्र	1,030	1,878	466	975	908	1,403	485	741	548	1,720
गडके	522	800	717	850	1,333	1,900	1,838	1,650	518	900
गडक-परिवहन	12	350	68	25	30	200	355	300	102	63
बन्दरगाह और पत्तन	—	—	—	—	—	—	196	200	—	25
अन्य परिवहन	—	—	3	130	—	30	—	—	—	50
पर्यटन	7	6	10	10	1	10	—	30	6	50
5. परिवहन और संचार- साधन	561	1,156	798	1,015	1,364	2,110	2,389	2,180	626	1,088
सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम	968	2,066	675	1,369	1,697	3,403	1,078	1,415	1,119	1,469

सकनीकी शिक्षा	214	295	168	305	194	504	(घ)	307	(घ)	378
स्वास्थ्य	1,027	1,900	414	865	1,294	2,150		1,644	501	1,350
आवास	457	610	113	275	391	575		885	135	430
पिछड़े वर्गों का कल्याण	461	537	824	1,030	434	728		305	260	195
समाज-कल्याण	43	83	29	20	32	35	(ङ)	41	10	39
श्रम और श्रम-कल्याण	65	135	36	100	106	280	(ङ)	146	19	80
जन-सहयोग	—	(घ)	—	(घ)	—	(घ)	—	5	—	5
6. समाज-सेवाएँ	3,235	5,626	2,259	3,964	4,148	7,675		4,748	2,044	3,946
अन्न-संकलन	15	5	17	22	36	18		11	—	15
सूचना और प्रचार	25	20	22	34	38	50		25	—	13
स्थानीय निकाय	47	—	20	25	—	—		35	—	—
राज्य-राजधानी-परि- योजनाएँ	180	—	—	—	—	—		—	—	—
ग्रन्थ	—	25	76	50	—	50		—	—	5
7. विविध	267	50	135	131	74	118		109	71	185
सर्वयोग	18,064	30,500	6,315	12,000	17,687	33,704		14,683	23,500	7,900

(क) 'सामुदायिक विकास' के अन्तर्गत व्यवस्था

(ग) 'ग्राम और समु उद्योग' के अन्तर्गत व्यवस्था

(घ) 'सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम' के अन्तर्गत व्यवस्था

(ङ) 'पिछड़े वर्गों का कल्याण' के अन्तर्गत व्यवस्था

(च) इन राशियों में जन-सहयोग के लिए व्यय-व्यवस्था तीसरी योजना के स्वीकृत अधिकतम व्यय-परिमाण में ही उपयुक्त समकाल के द्वारा करनी होगी—आय-प्रवेश और विहार - 6 साल १० प्रत्येक, असम : 1 साल ४०।

विवरण आ-2 (जारी)

विकास की संव	महाराष्ट्र		मध्यप्रदेश		महारास		मैसूर		उड़ीसा	
	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
कृषि-उत्पादन	832	1,489	729	1,400	450	1,067	434	1,304	269	682
छोटी सिंचाई	998	1,579	849	1,500	632	1,280	1,027	1,600	165	304
मिट्टी-संरक्षण	604	2,084	95	300	131	250	152	300	50	84
पशुपालन	137	166	172	400	197	352	75	195	151	228
दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति	238	512	31	120	117	275	22	175	8	41
वन	124	295	196	600	71	212	106	279	48	160
मछली-उद्योग	154	249	20	75	79	222	44	130	80	190
गोदाम, हाट-व्यवस्था और भांडारण	(क)	130	—	40	(क)	40	32	112	18	30
1. कृषि-आयंक्रम	3,087	6,504	2,092	4,435	1,680	3,698	1,892	4,105	789	1,722
सहकारिता	680	957	282	670	180	471	240	175	104	237
सामुदायिक विकास	2,432	2,400	1,700	2,250	1,343	2,036	999	1,535	995	1,750
पंचायतें	(ख)	227	56	290	—	10	32	69	49	101

2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	3,112	3,584	2,038	3,210	1,523	2,517	1,271	2,079	1,148	2,088
सिंचाई	3,097	6,604	2,852	4,160	1,693	2,742	2,800	4,066	2,805	2,141
वाहन-नियंत्रण	—	30	—	20	—	—	—	—	—	250
शिक्षा	4,067	8,124	2,736	7,600	7,885	10,019	2,688	6,967	1,372	4,462
3 सिंचाई और बिजली	7,164	14,758	5,588	11,780	9,578	12,761	5,488	11,033	4,177	6,853
बड़े और मजोले उद्योग	(घ)	695	25	191	114	310	132	689	35	35
पारिवारिक	(ग)	85	6	30	—	25	155	108	25	153
ग्राम और नग्न उद्योग	498	810	362	829	1,272	2,016	512	775	353	510
1 उद्योग और वनस्पति	498	1,590	393	1,050	1,386	2,351	799	1,572	413	698
मच्छि	1,582	3,051	892	1,700	533	1,100	924	900	557	800
नगरपालिका और पराम	223	630	2	70	—	—	430	200	25	46
यन्त्र-पम्पिङ्ग	96	50	—	—	—	—	5	215	—	—
पर्वट	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—
5 परिवहन और मत्तार-साधन	—	34	—	10	5	25	11	15	2	5
सामान्य शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रम	1,901	3,795	894	1,780	538	1,125	1,370	1,330	584	851
सामाजिक शिक्षा	1,525	2,391	1,230	2,712	1,141	2,564	978	1,620	579	1,514
सामान्य	(घ)	715	229	483	232	652	203	436	91	215
	1,518	2,722	971	2,130	1,435	2,150	1,147	1,700	352	914

(क) 'सहकारिता' के अन्तर्गत व्यय

(ग) 'सामुदायिक विकास' के अन्तर्गत व्यय

(घ) 'ग्राम और लघु उद्योग' के अन्तर्गत व्यय

(च) 'सामान्य शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रम' के अन्तर्गत व्यय

विवरण आ-2 (जारी)

	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
प्रायतः	1,809	1,678	288	550	480	700	325	500	108	200
मिछठे वर्ग का करवाण	603	778	269	800	459	326	279	440	341	463
समाज-कल्याण	(८)	114	36	70	18	52	35	30	10	16
श्रम और श्रम-कल्याण	(९)	302	51	120	48	133	40	102	47	76
जन-सहयोग	—	—	(च)	—	(च)	(च)	(च)	—	—	4
6. समाज-सेवाएं	5,485	8,703	3,074	6,865	3,813	6,577	3,007	4,828	1,528	3,402
भात-सकलन	(छ)	29	21	28	9	24	5	18	18	27
सूचना और प्रचार	144	37	20	39	16	35	6	35	26	34
स्थानीय निकाय	—	—	61	75	76	—	34	—	18	25
राज्य-राजधानी-परियोजनाएं	—	—	365	700	—	—	—	—	215	275
अन्य	12	—	4	38	—	—	—	—	20	25
7. विविध	156	66	471	880	101	59	45	53	297	386
सर्वयोग	21,403	39,000	14,550	30,000	18,619	20,088	13,872	25,000	8,936	16,000

(८) 'मिछठे वर्गों का कल्याण' को अन्तर्गत व्यवस्था

(९) इन राज्यों में जन-सहयोग के लिए व्यवस्था तीसरी योजना में स्वीकृत अधिकतम व्यवस्था में ही उपयुक्त समंजत के द्वारा करने होगी—मध्यप्रदेश और मद्रास : 6 लाख रु० प्रत्येक, मैसूर : 5 लाख रु०।

(१०) सूचना और प्रचार में सम्मिलित

विवरण आ-2 (जारी)

	पञ्जाब		राजस्थान		उत्तरप्रदेश		पं० बंगाल		जम्मू-कश्मीर		सभी राज्यों का योग	
	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
ग्राम-उत्पादन	604	1,133	320	659	1,814	2,746	430	1,634	46	350	8,940	18,351
छोटी शिफार्ड	487	752	394	670	1,634	3,300	204	1,032	99	125	9,267	17,269
मिट्टी-उत्पादन	53	189	40	140	127	409	53	466	38	100	1,765	5,732
पशुपालन	121	268	120	471	225	666	99	411	47	65	2,108	4,592
सूत-उद्योग और सूत-भाण्डि	69	180	9	69	32	300	354	600	—	35	1,116	3,086
वन	117	278	131	245	231	662	121	234	42	100	1,741	4,204
मकली-उद्योग	8	45	6	20	33	102	36	205	6	25	726	2,090
गिराना, हाट-व्यवस्था और भाजराण	11	31	10	26	12	97	19	43	—	—	300	843
1 फुनि-कार्यक्रम	1,173	2,876	1,030	2,300	4,108	8,282	1,316	4,625	278	800	25,963	56,167
मकली-उद्योग	171	424	176	400	405	1,084	113	165	28	80	3,486	6,959
भाण्डारिक विभाग	839	1,230	1,095	1,200	2,644	5,167	928	1,239	345	325	19,587	28,189
पशुपालन	60	112	55	580	—	411	59	197	—	109	580	2,824

आवास	450	305	219	420	849	920	583	172	110	200	6,925	9,620
मिछड़े वर्गों का कल्याण	261	336	171	325	542	961	141	250	29	24	5,372	7,498
समाज-कल्याण	29	74	15	40	30	80	47	310	3	11	337	1,048
श्रम और श्रम-कल्याण	48	155	42	100	162	414	90	346	6	30	760	2,519
जन-सहयोग	—	5	—	5	—	—	—	(क)	—	1	—	34
6 समाज-सेवाएँ	2,424	4,690	2,342	4,595	4,515	12,485	5,262	7,273	611	1,348	16,590	86,725
श्रक-संकलन	9	19	8	30	25	66	1	22	3	8	—	322
सूचना और प्रचार	29	50	35	65	35	72	21	40	12	13	—	562
स्थानीय निकाय	—	—	—	75	—	—	67	—	71	75	—	310
राज्य-राजधानी-परियोजनाएँ	676	500	34	—	—	—	—	1,000	—	—	—	2,175
अन्य	65	46	25	40	121	336	8	53	60	407	—	1,075
7 विविध	779	615	102	210	199	454	97	1,115	116	503	4,163	4,744
सर्वयोग	15,143	21,139	9,986	23,600	22,832	49,700	15,584	25,000 (ख)	2,682	7,500	2,08,256	3,84,731

(क) जन-सहयोग के लिए 6 लाख २० की व्यय-व्यवस्था तीसरी योजना की अधिकतम स्वीकृत राशि में ही उपयुक्त समजत के द्वारा करनी होगी ।
 (ख) पश्चिम-बंगाल के लिए व्यय-व्यवस्था का वितरण (अ) वासोदेव-घाटी-निगम में २० बंगाल के श्रमदान, और (ब) बड़े हुए सावनों के, जिनके 43 करोड़ २० होने का अनुमान है और बिह्र राज्य-सरकार 'वित्तीय साधन' शीर्षक छठे अध्याय में उल्लिखित ढग से 90 करोड़ २० से भी अधिक करने की आशा करती है, के अनुसार होनेवाले समजत के आधार पर किया जाएगा ।

विवरण आ-3 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था—केन्द्रासित प्रदेव (शाख रुपये)

विकास की भव	वित्तीय		हिमाचलप्रदेव		लक्ष्मीप-समूह		पाण्डिचेरी		मणिपुर	
	अनुमानित व्यय	तीसरी योजना	अनुमानित व्यय	तीसरी योजना	अनुमानित व्यय	तीसरी योजना	अनुमानित व्यय	तीसरी योजना	अनुमानित व्यय	तीसरी योजना
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
जति-उत्पादन	9	23	82	199	2	2	13	39	11	29
छोटी सिंचाई	12	30	68	75	—	—	5	12	5	13
मिट्टी-परक्षण	7	8	—	198	—	—	—	12	—	1
पशुपालन	11	18	37	64	—	3	7	14	6	15
दूध-उद्योग और दूध-यापूर्ति	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—
वन	(क)	6	56	80	—	—	—	—	4	25
मछली-उद्योग	1	10	5	13	7	18	7	9	2	7
गोधाम, हाट-व्यवस्था और भांडारण	—	5	10	4	—	—	1	—	—	—
1 कृषि-कार्यक्रम	13	105	258	639	9	23	33	86	28	9
सहकारिता	15	18 ^a	9	38	—	8	7	12	9	18
सामुदायिक विकास	27	11	195	160	—	—	31	18	70	98
पचापते	3	—	27	22	—	—	—	—	—	3

2 सामुदायिक विकास और सहकारिता										
सिंचाई	45	29	231	220	—	8	41	30	79	119
वाढ-नियन्त्रण	—	—	—	—	—	—	21	10	—	—
विजली	11	110	—	—	—	—	—	5	—	12
3 सिंचाई और विजली	134	1,790	163	197	1	5	58	69	44	107
बड़े और मझोले उद्योग	145	1,900	163	197	1	5	79	84	44	119
गन्निज-विकास	—	—	1	29	—	—	—	—	—	—
ग्राम और लघु उद्योग	165(ख)	165	39	82	2	6	25	30	9	49(ख)
4 उद्योग और खनन	165	165	40	111	2	6	25	30	9	49
राजपे	26	220	622	800	—	—	40	60	186	397
राजप-परिवहन	—	320	58	140	—	—	—	—	32	39
बन्दरगाह और पत्तन	—	—	—	—	8	18	37	—	—	—
अन्य परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पर्यटन	—	—	2	12	—	—	—	2	—	5
5. परिवहन और संचार-साधन	26	540	682	952	8	18	317	62	218	441
मातृमय शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम	402	1,144	72	205	12	19	26	142	65	110
तकनीकी शिक्षा	—	114	4	18	—	—	6	25	—	—
स्वास्थ्य	115	1,509	150	213	10	10	48	160	40	172
आवासर	181	1,905	33	60	—	2	14	21	13	24
गिद्धे वर्गों का कल्याण	15	23	40	82	—	5	5	10	87	128

(क) 'मिस्ट्री-संरक्षण' के अन्तर्गत व्यवस्था

(ख) सैद्धिक पद्धति के लिए व्यवस्था सम्मिलित।

विवरण आ-3 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
समाज-कल्याण	—	74	4	17	—	—	2	8	2	4
श्रम और श्रम-कल्याण	2	141	—	331	—	—	1	5	—	—
जन-सहयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 समाज-सेवाएँ	715	4,910	303	632	22	36	102	371	207	438
शक-सकलन	1	3	2	7	—	—	1	4	1	2
सूचना और प्रचार	2	3	11	25	—	1	1	5	3	5
स्थानीय निकाय	—	—	7	10	—	—	7	20	2	25
राज्य-राजधानी-परियोजनाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	—	520	—	—	—	—	—	—	1	31
7 विविध	3	526	20	42	—	1	9	30	37	32
संबन्ध	1,142	8,175	1,697	2,793	42	97	366	693	622	1,288

विवरण आ-3 (जारी)

विकास की मद	शिवपुरा		अन्वत्सान		नेफा		नागालैंड		केन्द्रशासित् प्रवेगों का योग			
	शुनमनित् शुव	सोसरी शोवना शुव	शुनमनित् शुव	सोसरी शोवना शुव	शुनमनित् शुव	सोसरी शोवना शुव	शुनमनित् शुव	सोसरी शोवना शुव	शुनमनित् शुव	सोसरी शोवना शुव	शुनमनित् शुव	सोसरी शोवना शुव
	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(20)	(21)
कृषि-उत्पादन	28	67	107	164	23	33	13	+2	288	598		
छोटो सिंचाई	6	35	—	—	1	5	—	7	97	177		
सिद्धी-संरक्षण	1	17	—	10	—	—	—	—	8	246		
पशुपालन	8	24	3	4	3	20	4	10	82	172		
दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति	3	9	—	4	—	—	—	—	3	24		
वन	14	44	14	57	29	+3	5	12	122	268		
मछली-उद्योग	4	22	2	15	—	5	1	4	29	102		
गोदाम, हाट-अवस्था और भांडारण	—	1	—	—	—	—	—	—	11	10		
I कृषि-कार्यक्रम	64	219	126	254	56	106	23	75	640	1,597		
सहकारिता	16	32	1	4	6	12	—	9	63	151		
सांसाधनिक विकास	61	90	12	25	29	93	36	83	464	578		
पचायते	—	28	—	3	—	—	—	—	30	56		

विवरण भा-3 (जारी)

	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	77	150	13	32	35	105	36	92	557	785
सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	21	10
वाढ-नियंत्रण	—	10	—	—	—	—	—	—	11	137
विपत्ती	34	73	1	14	9	60	21	30	465	2,345
3 सिंचाई और विजली	31	83	1	14	9	60	21	30	497	2,492
उड़े और मशीने उद्योग	1	2	—	1	—	—	—	—	2	32
खनिज-विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्राम और लघु उद्योग	43	61	3	13	6	11	1	5	293	425
4 उद्योग और खनन	44	66	3	14	6	11	1	5	295	457
सड़कें	380	430	70	238	142	180	184	250	1,650	2,575
सड़क-परिवहन	—	50	1	10	—	—	—	—	91	559
बादरगाह और पत्तन	—	—	—	—	—	—	—	—	45	18
अन्य परिवहन	—	—	99	263	—	25	—	—	99	288
पर्यटन	—	—	—	3	10	—	—	—	12	22
5 परिवहन और संचार-साधन	380	480	170	514	152	205	184	250	1,897	3,462
सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम	103	240	13	57	45	82	17	105	785	2,104
तकनीकी शिक्षा	22	16	—	—	—	—	(क)	—	32	173
स्वास्थ्य	94	168	12	51	68	133	63	150	600	2,566
आवास	10	45	24	16	—	—	1	3	276	2,076
पिछड़े वर्गों का कल्याण	76	135	—	6	—	—	—	—	223	389

समाज-कार्य	1	11	—	—	—	—	1	—	10	114
श्रम और श्रम-कल्याण	1	1	—	3	—	—	—	2	4	189
जन-सहयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 समाज-सेवाएँ	307	616	49	133	113	215	112	260	1,930	7,611
शक-संरक्षण	—	7	—	1	1	3	—	—	6	27
सूचना और प्रचार	3	9	—	3	2	4	1	3	23	58
स्थानीय विकास	32	—	—	10	—	—	—	—	48	65
राज्य-राजधानी-परियोजनाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	—	2	—	4	—	6	—	—	31	533
7 विविध	35	18	—	18	3	13	1	3	108	683
सर्वयोग	941	1,632	362	979	374	715	378	715	5,924	1,708

दिये गये : वृत्तरी योजना का अनुमानित व्यय राज्यो-द्वारा योजना-आयोग के 7 फरवरी, 1961 के पत्र के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर है।
(क) 'सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम' के अन्तर्गत व्ययस्या।

जनसंख्या और नियोजन पर टिप्पणियाँ

चौथी और पांचवीं योजनाओं में जनसंख्या का विस्तार

सन् 1951 की जनगणना-सम्बन्धी रिपोर्ट में सन् 1981 तक जनसंख्या में वृद्धि के बारे में दो विस्तार-क्रमों का अनुमान लगाया गया। ये अनुमान दो प्रकार की मान्यताओं पर आधारित थे। प्रथम यह कि इन अवधि में जनसंख्या में वृद्धि का क्रम या तो (अ) 1921-50 की अवधि के आकड़ों के अनुसार रहेगा, या (आ) 1941-50 की अवधि के आकड़ों के अनुसार। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में विस्तार के लिए इन्हीं अनुमानों को आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। तालिका-संख्या 1 के दूसरे स्तम्भ में इन अनुमानों को प्रस्तुत किया गया है।

2 सन् 1951 की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा सामाजिक आकड़ों का अग्रदृष्टि गृह किया गया। इन आकड़ों में निरन्तर यह संकेत मिलता रहा कि जनसंख्या में वृद्धि की गति कहीं अधिक रहेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में प्रयोग के लिए सन् 1959 में रजिस्ट्रार-जनरल की सहायता में केन्द्रीय अंक-नकलन-संगठन-द्वारा नए अनुमान तैयार किए गए। ये अनुमान तालिका-संख्या 1 के तीसरे स्तम्भ में दिए गए हैं।

तालिका-संख्या 1

जनसंख्या का विस्तार 1961-1976

(करोड़)

वर्ष	दूसरी पंच- वर्षीय योजना	1959 के केन्द्रीय अंक- नकलन-संगठन	1961 अध्ययन- दल
1961	40 8	43 1	43 8*
1966	43 4	48	49 2
1971	46 5	52 8	55 5
1976	49 9	57. 8	62 5

3 सन् 1961 की जनगणना का अस्थायी अनुमान 43 8 करोड़ है। यह संख्या तीसरी योजना की रूपरेखा में अपनाए गए अंक में 2 प्रतिशत अधिक है, तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिए गए विस्तार के अनुमान में 3 करोड़ (7 प्रतिशत) अधिक। रजिस्ट्रार-जनरल और केन्द्रीय अंक-नकलन-संगठन की सहायता में एक अध्ययन-दल ने निम्न धारणाओं पर आधारित नए अनुमान तैयार किए। सामान्य उत्पादकता-क्रम सन् 1971 तक 189 प्रति हजार बना रहेगा और इसके बाद सन् 1976 तक इसमें 10 प्रतिशत की कमी आ जाएगी, इसी तरह सन् 1961 में जन्म के आधार पर जो आयु-सीमा 47 5 वर्ष है, वह सन् 1966 तक प्रति वर्ष 0 75 वर्ष और सन् 1976 तक 0 5 वर्ष की गति में बढ़ेगी। इन विस्तारों को तालिका-संख्या 1 के चौथे स्तम्भ में दिया गया है। इसी अध्ययन-दल ने पुरुषों और स्त्रियों के अलग-अलग व्य-क्रमों के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए हैं। ये अनुमान तालिका-संख्या 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

*सन् 1961 की जनगणना का अस्थायी योग।

संख्या-संख्या 2
1966, 1971 और 1976 में जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि

(साल)

वय-वर्ग	1961			1966			1971			1976		
	योग	पुरुष	स्त्रिया	योग	पुरुष	स्त्रिया	योग	पुरुष	स्त्रिया	योग	पुरुष	स्त्रिया
	0-4	713	366	347	798	408	390	899	459	440	977	498
5-9	586	303	283	666	343	323	755	387	368	857	439	418
10-14	461	236	225	569	294	275	650	335	315	738	378	360
0-14	1,760	905	855	2,033	1,045	988	2,304	1,181	1,123	2,572	1,315	1,257
15-19	401	206	195	450	230	220	558	288	270	638	328	310
20-24	370	191	179	392	200	192	441	224	217	548	282	266
25-29	338	172	166	361	185	176	382	195	187	432	219	213
30-34	301	153	148	326	166	160	346	180	166	373	191	182
35-39	265	137	128	288	147	141	314	160	154	336	175	161
40-44	230	122	108	253	131	122	277	142	135	304	155	149
45-49	194	104	90	217	115	102	240	124	116	264	135	129
50-54	159	85	74	180	96	84	202	107	95	226	117	109
55-59	127	67	60	143	76	67	164	87	77	185	97	88
60-64	95	49	46	109	57	52	125	65	60	144	75	69
15-64	2,480	1,286	1,194	2,719	1,403	1,316	3,049	1,572	1,477	3,450	1,774	1,676
65-69	63	32	31	76	38	38	90	46	44	103	53	50
70 और ऊपर	77	35	42	87	41	46	104	49	55	126	60	66
65 और ऊपर	140	67	73	163	79	84	194	95	99	229	113	116
सभी वय-वर्ग	4,380	2,258	2,122	4,915	2,527	2,388	5,547	2,848	2,699	6,251	3,202	3,049

4 जन्म श्रौ मृत्यु की दरों में परिवर्तन अत्यधिक दुरुह किस्म के माने जाते हैं। भारत में परिवार-आयोजन पर बल दिया जा रहा है, परन्तु अभी यह अनिश्चित है कि आगामी 5 या 10 वर्षों में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तालिका-संख्या 2 में जनसंख्या के विस्तार का जो क्रम बताया गया है, वह कतिपय धारणाओं पर आधारित होने के कारण कुछ हद तक काल्पनिक है। जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि उक्त धारणाओं से भिन्न भी हो सकती है, परन्तु आगामी वर्षों के लिए विभिन्न योजना-संख्याओं के आकलन के सदर्भ में जनसंख्या के आकड़ों का एक मानक रूप अपरिहार्य है। यहाँ विस्तार का जो स्वरूप दिया गया है, वह अस्थायी रूप से वर्तमान प्रयोजनों के लिए ही अपनाया गया है। इस बात को अच्छी तरह समझ लिया गया है कि अनुमानों को सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि दो जनगणनाओं के मध्य की अवधि में पर्याप्त विव्वसनीय सामाजिक आकड़े एकत्र किए जाए।

(2)

तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन के अनुमान

तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए विकास-कार्यक्रमों और परियोजनाओं के फल-स्वरूप तीसरी योजना की अवधि में सम्मिलित अतिरिक्त नियोजन का अनुमान लगाते समय जो दृष्टि अपनाई गई है, उसके बारे में 'नियोजन और जनशक्ति' शीर्षक 10-वें अध्याय में एक सामान्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बात की निरन्तर आवश्यकता है कि अतिरिक्त आकड़े एकत्र किए जाए, धारणाओं को जाच की जाए और अनुमान लगाते के तरीकों में सुधार किया जाए। वर्तमान अनुमानों में सुधार तथा और अधिक अध्ययन में भुविधा की दृष्टि से इस टिप्पणी में ग्रामीण विकास तथा हाथ में लिए जानेवाले अन्य कार्यक्रमों की विशेष योजनाओं के अलावा तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन की सम्भावनाओं का आकलन करने के लिए अपनाई गई मुख्य धारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

2 यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तीसरी योजना में 1 करोड़ 40 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इनमें से लगभग 1 करोड़ 5 लाख को कृषि-भिन्न कार्यों में तथा 35 लाख को कृषि-कार्यों में काम मिलेगा। कृषि कर्म के भिन्न कार्यों में अतिरिक्त रोजगार का वितरण इस प्रकार किया जा सकता है .

कृषि-भिन्न कार्यों में अतिरिक्त नियोजन

क्षेत्र	(लाख)
1. निर्माण-कार्य	23 ^३
2. सिंचाई और विजली	1

*निर्माण-कार्यों में नियोजन का आगे विभाजन :

	(लाख में)
1 कृषि और सामुदायिक विकास	61
2 सिंचाई और विजली	4.9
3 कूटोदर और लघु उद्योगों-सहित उद्योग और खनिज	4.6
4 रेलवे-सहित परिवहन और संचार-साधन	3.4
5 समाज-सेवाएं	3.5
6 विविध	0.5
योग	23

क्षेत्र	(लाख)
3 रेलवे	1 4
4 अन्य परिवहन और संचार-साधन	8 8
5 उद्योग और खनिज	7 5
6 लघु उद्योग	9
7 वन-विकास, मछली-उद्योग और सम्बद्ध सेवाएँ	7 2
8 शिक्षा	5 9
9 स्वास्थ्य	1 4
10 अन्य समाज-सेवाएँ	0.8
11 सरकारी नौकरी	1 5
	योग
	67 5
12 1 से लेकर 11 तक की मदों में 56 प्रतिशत के हिसाब से व्यापार-वाणिज्य-सहित अन्य	37 8
	सर्वयोग
	105 3

3 अतिरिक्त नियोजन के अनुमान तीन प्रारम्भिक धारणाओं पर आधारित हैं। पहली बात, वर्तमान क्षमता के सम्बन्ध में उत्पादन और नियोजन को वर्तमान स्तर से नीचे गिरने नहीं दिया जाएगा। विक्षोभ, अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार काम करने में मालिक जो कठिनाइयाँ अनुभव करेंगे, उन्हें दूर किया जाएगा और वर्तमान इकाइयों में नियोजन को कम-से-कम यथावत् रखा जाएगा। दूसरी बात, योजना में उपबन्धित विभिन्न विकास-कार्यों को आवश्यक कुशलता और मितव्ययिता से पूरा किया जाएगा तथा उत्पादन जारी रखा जाएगा। तीसरी बात, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्माण-कार्यों में सघन धन-पद्धतियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4 तीसरी योजना में विकास के सन्दर्भ में अतिरिक्त नियोजन का अनुमान इन दृष्टियों से लगाया जाना चाहिए .

(अ) कृषि-मित्र क्षेत्रों में इनके सम्बन्ध में

(1) निर्माण का चरण;

(2) निर्माण-प्रक्रिया की अवधि में उत्पन्न सम्पत्ति के सञ्चालन और रख-रखाव के परिणामस्वरूप कार्य जारी रहने का चरण, और

(3) कृषि से बाहर मुख्यतः व्यापार, वाणिज्य और विविध सेवाओं में, जिनमें सघटित क्षेत्र से बाहर की परिवहन-सेवा भी सम्मिलित है, अप्रत्यक्ष नियोजन।

(भा) कृषि में।

निर्माण-कार्यों में नियोजन

5 विकास के सभी क्षेत्रों में निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। इन शीर्षक के अन्तर्गत अतिरिक्त नियोजन के अनुमान योजना के अग्रणी परियोजनाओं की सम्पूर्ण श्रेणियों—यथा, मिर्चाई और विजली, मडकों, रेलवे, कारखानों के भवन, आवास, विद्यालयों और अस्पतालों के भवन, आदि के निर्माण—के सम्बन्ध में है। मुख्य रूप से, निर्माण के चरण में नियोजन का अनुमान आधार-वर्ष 1960-61 के स्तर की तुलना में 1961-66 में हुई व्यय-परिमाण में वृद्धि के आधार पर लगाया गया है। व्यय-परिमाण और उनकी स्थिति के बारे में आकड़े केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों से प्राप्त सूचनाओं से और विशेष अध्ययनों या अन्य ऐसी सूचनाओं के आधार पर, जिन्हें एक साथ रखा जा सकता है, निकाले गए हैं। इस बात का प्रयत्न किया गया है कि कार्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 करोड़ रु० विकास-व्यय के आधार पर वर्ष में 300 दिनों के लिए नियुक्त किए जानेवाले सम्भावित व्यक्तियों की सख्या का अनुमान लगाया जाए। इस बात को उदाहरण-द्वारा समझाने के लिए निर्माण के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों (1) सिन्हाई एव विजली, और (2) परिवहन के नियोजन-सम्बन्धी आकलनों को नीचे विस्तार में प्रस्तुत किया गया है

(1) सिन्हाई - मन् 1955-56 और 1960-61 के सम्भावित व्यय-परिमाण के अन्तर का अनुमान लगभग 37.5 करोड़ रु० है। 'दूसरी पचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य परियोजनाओं की प्रगति' (मार्च 1961) में किए गए विश्लेषण के अनुसार दूसरी पचवर्षीय योजना का अनुभव यह बताता है कि विश्लेषण में सम्मिलित परियोजनाओं में मोटे तौर पर नियोजन और पूंजी-विनियोग का अनुपात प्रति करोड़ 7 000 मानव-वर्ष है। इन आधार पर सिन्हाई-परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों में अतिरिक्त नियोजन के सम्भावित मानव-वर्ष लगभग 2 63 लाख मानव-वर्ष होंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चूंकि प्रगति की रिपोर्टें में वर्णित परियोजनाएँ बड़ी परियोजनाओं में हैं, अतः इस प्रकार नियोजन का जो अनुमान लगाया जाएगा, वह सिन्हाई पर पूंजी-विनियोग की नियोजन-सम्बन्धी सम्भावनाओं को कुछ कम ही बतानेवाला होगा।

विजली : दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में विजली-परियोजनाओं के व्यय में 140 करोड़ रु० की वृद्धि का अनुमान है। दूसरी योजना का अनुभव बताता है कि विजली-परियोजनाओं में एक करोड़ रु० के विनियोग से निर्माण-चरण में 1,600 मानव-वर्ष का नियोजन हो सकता है। इन आधार पर विजली-परियोजनाओं और बहुद्देशीय परियोजनाओं के विजली-सम्बन्धी अथवा अतिरिक्त निर्माण-विषयक नियोजन लगभग 2 24 लाख मानव-वर्ष होगा।

इस प्रकार, सिन्हाई और विजली-परियोजनाओं में कुल अतिरिक्त नियोजन 4 87 (या 4 9) लाख मानव-वर्ष होगा।

(2) परिवहन : परिवहन के अन्तर्गत निर्माण-कार्य मुख्यतः रेलवे, मडकों, बन्दरगाहों और पत्तों तथा अन्य परिवहन और संचार-साधनों के बारे में विभाजित है। रेलों के बारे में अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में वार्षिक व्यय में लगभग 53.5 करोड़ रु० की वृद्धि होगी। रेलों में प्रति करोड़ रु० पर निर्माण-कार्यों में लगभग 1,900 मानव-वर्ष का नियोजन होगा। इन आधार पर योजना की अवधि में रेलों में अतिरिक्त निर्माण-विषयक नियोजन लगभग 1 लाख मानव-वर्ष होगा। सड़कों के बारे में भी इसी प्रकार के आकलन से,

जहाँ नियोजन के स्वरूप को 'भारत की सड़कों पर मुख्य इंजीनियरो की रिपोर्ट' (1961-81) के आधार पर निर्वाह किया गया है, यह पता चलता है कि योजना के अन्तिम वर्ष में सम्भावित वृद्धि के अनुसार अतिरिक्त नियोजन 2.14 लाख मानव-वर्ष होगा। बन्दरगाहों, पत्तनों तथा अन्य परिवहन और संचार-साधनों के सम्बन्ध में किए गए आकलन के अनुसार इनमें निर्माण-निर्वाह के परिमाण में लगभग 31,000 की वृद्धि होगी। इस धीरे-धीरे के अन्तर्गत कुल मत्त्या 3.45 लाख ठहरती है (पैराग्राफ 2 की तालिका में इसे 3.4 लाख दिखाया गया है)।

निर्माण-नियोजन के अन्य क्षेत्रों में भी आकलन की इसी तरह की पद्धतिया अपनाई गई हैं।

स्थिर नियोजन

6 निर्माण के चरण की अपेक्षा उनके बाद के स्थिरतामूलक चरण में प्रत्यक्ष नियोजन के अनुमान लगाने में कहीं अधिक कठिनाई है। आर्थिक जीवन की विभिन्न शाखाओं में अनुभवों के निकट अध्ययन पर आधारित सूचनाएँ नीमित हैं। कृषि-क्षेत्र में बाहर स्थिर नियोजन के अनुमानों को या तो स्थिर नियोजन में निश्चित मूल्यो पर लगाई गई प्रति व्यक्ति आवश्यक पूँजी में जोड़ना पड़ेगा या उत्पादकता में वृद्धि के लिए उपयुक्त छूट देने के बाद प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ उसे समन्वय करना पड़ेगा। इस पद्धति के स्पष्टीकरण की दृष्टि से तीन मुख्य क्षेत्रों (1) ग्राम और लघु उद्योगों, (2) शिक्षा, और (3) खनन के बारे में नियोजन के आकलनों को नीचे प्रस्तुत किया गया है

(1) ग्राम और लघु उद्योग : लघु उद्योग-मंडल-द्वारा स्थापित अध्ययन-मंडलों ने कुछ विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, जिन पर तीव्र योजना में खर्च किए जाने की सम्भावना है, विविध और नियोजन के अनुमान के बारे में कार्य किया है। लघु उद्योगों में एक व्यक्ति के नियोजन का अर्थ औसत रूप से 5,000 रु० का खर्च है। हस्तशिल्प के बारे में यह अनुमान 1,500 रु० और कारखाने-उद्योग तथा रेडम के कीड़े पालने के उद्योग के बारे में मोटे तौर पर 1,000 रु० है। ग्राम और लघु उद्योगों के अन्तर्गत इनके विभिन्न कार्यों के लिए तीव्र योजना में किए गए बटवारे के आधार पर मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र के व्यवस्थापन के मुकाबले नियोजन का अनुमान 3.57 लाख है। निर्जी क्षेत्र में भी इसी प्रकार के अनुमानित व्यवस्थापन में 5 लाख के नियोजन की सम्भावना है। दोनों क्षेत्रों को मिला कर कुल नियोजन 8.57 लाख या 9 लाख ठहरता है। इसमें हथकरघा, बिजली-चालित करघा और गद्दों तथा ग्रामोद्योगों का सरकारी क्षेत्र का 130 करोड़ रु० का व्यवस्थापन सम्मिलित नहीं है, जिसमें मुख्यतः अर्द्ध-रोड़ाकार लोगों की स्थिति मुखरोपी।

(2) शिक्षा : जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिर नियोजन का प्रावधान अध्यापक-द्वारा के अनुपात पर आधारित है। आकलन के विस्तार को नीचे की दृष्टि में दिखाना गया है। पर्याप्त सख्या में अध्यापकों की उपलब्धि के मार्ग में उपस्थित बाधाएँ कठिनाईयों के कारण इन आकड़ों में लगभग 30,000 का समजन किया गया है। इसलिए शिक्षा के अन्तर्गत कुल नियोजन 5.9 लाख दिखाया गया है।

शिक्षा-योजनाओं के कारण अतिरिक्त नियोजन

(लाख)

वय-वर्ग	दरज नाम	प्रति शिक्षक ध्याय	शिक्षकों की संख्या
(अ) 6-11 वय-वर्ग			
1960-61	343 4	1 37	9 28
1965-66	496 4	1 38	13 06
	अतिरिक्त		3 78
(आ) 11-14 वय-वर्ग			
1960-61	62 9	1 28	2 25
1965-66	97 5	1 28	3 48
	अतिरिक्त		1 23
(इ) 14-17 वय-वर्ग			
1960-61	29 1	1 14	2 08
1965-66	45 6	1 16	2 85
	अतिरिक्त		0.77
(ई) विश्वविद्यालय-शिक्षा			0.4
	योग		6.18
	घटाइए		0 30
			5.88
अथवा लगभग 5 9 लाख			

(3) खनन-नियोजन के ऐसे आकलन के लिए, जिनमें केवल भौतिक लक्ष्यों का प्रयोग किया गया है, उदाहरण के रूप में खनन में जिस प्रकार अतिरिक्त नियोजन के लिए कार्य किया गया है उसे पेश किया जा सकता है। पैराग्राफ 2 की तालिका में 'उद्योग और खनिज' शीर्षक के नामने 7 5 लाख का जो नियोजन दिखाया गया है, उसमें खनिज पदार्थों के बारे में नियोजन कुल का एक-तिहाई भाग (लगभग 2.5 लाख) है। आकलन के विवरण नीचे की तालिका में दिखाए गए हैं।

उत्पादन	लाख टन	उत्पादकता प्रति व्यक्ति	नियोजित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
(अ) कोयला :			
1960-61	546	140	3 9
1965-66	970	180	5 4
अतिरिक्त नियोजन			1 5
(आ) खनिज लोहा :			
1960-61	107	170	0 6
1965-66	300	225	1.3
अतिरिक्त नियोजन			0 7
योग कोयला और खनिज लोहा			2 2

जहाँ तक अन्य खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है, सन् 1951-58 की अवधि में प्राप्त हुए अनुभवों में स्पष्ट है कि नियोजन में वृद्धि की गति प्रति वर्ष 7,000 व्यक्ति है। उनी पाषाण पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त नियोजन के 35,000 होने की सम्भावना है। इसलिए कुल अतिरिक्त नियोजन का अनुमान 2.55 लाख है, जिसमें से पहले लिए गए उल्लेख के अनुसार, पूर्व अनुमान में केवल 2.5 लाख को ही शामिल किया गया है।

7 बड़े और मझोले उद्योगों में स्थिर नियोजन का स्वरूप भिन्न होगा। नीचे की तालिका, जो अनिवार्यतः वृष्टान्त के रूप में है, यह संकेत देती है कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में प्रति व्यक्ति कितनी पूँजी की आवश्यकता है।

उद्योग का नाम	प्रति व्यक्ति आवश्यक पूँजी (₹०)
इस्पात	1,60,000
उर्वरक	40,000
मशीनी औद्योगिक (वर्गीकृत)	25,000
भारी मशीनी-निर्माण-सयन्त्र	1,00,000
ढलाई-गढ़ाई-सयन्त्र	1,00,000
कोयला-खनन-मशीनें	60,000
भारी बिजली का सामान	50,000

8 यहाँ यह कह देना उचित होगा कि चिन आकड़ों पर उक्त आकलन आधारित है, वे कुल मिला कर अत्यल्प हैं। इसलिए इनसे जो परिणाम निकाले गए हैं, उनका तात्पर्य केवल एक सामान्य परिधि का सुझाव देना है। वस्तुतः इस क्षेत्र में निश्चित अनुमान सुदीर्घ अध्ययन से ही प्राप्त हो सकते हैं।

9 पैराग्राफ 2 की तालिका के प्रथम 11 क्षेत्रों की विभिन्न मदों में प्रदर्शित नियोजन के अलावा अर्पणव्यवस्था में ऐसे अन्य क्रियाकलाप भी होंगे, जिनमें नियोजन में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, खनन, उद्योग, रेलवे, परिवहन, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, संचार-साधन, आदि-जैसे धन्वों के समान ही व्यापार, वीकेंग, बीमा, परिवहन (रेलवे और मण्डित सड़क-परिवहन से भिन्न परिवहन), भांडारण, गोदाम, पेना और विविध व्यक्तिगत सेवाओं के बारे में भी उनसे सम्बद्ध कार्यवाही होगी, जिन्हें इस प्रकार के नियोजन की विधिगत स्थिति के कारण नियोजन के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ क्षेत्र आत्म-नियोजन के हैं, और काम करनेवाले व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा भाग आत्म-नियोजनमूलक धन्वों में लगा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के अनुमानों में पर्याप्त अनिश्चय की स्थिति रहेगी, क्योंकि आत्म-नियोजित क्षेत्र में इस समय जो लोग लगे हुए हैं, वे धन में अर्थ-नियोजित समझते हैं। उनमें तथा उन अन्य लोगों में, जो काम चाहते हैं, अतिरिक्त काम के वितरण की सही स्थिति मालूम करना, इस क्षेत्र में नियोजन-सत्र-सम्बन्धी हमारे वर्तमान ज्ञान को देखते हुए बहुत कठिन है। फिर भी, जो अध्ययन किए गए हैं, उनसे यह मालूम होता है कि इस समय इस प्रकार का अतिरिक्त नियोजन पैराग्राफ 2 की तालिका की प्रथम 11 श्रेणियों में बड़े हुए नियोजन का 56 प्रतिशत होगा। जैसा कि 'नियोजन और जनसक्ति' शीर्षक अध्याय में बताया गया है, यह अनुमान सन् 1951 की जनगणना के आकड़ों

पर आधारित है। जब नवीनतम जनगणना के आकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, तब इन प्रकार के नियोजन के परिणामों का अधिक मही लगाना सम्भव हो सकेगा।

कृषि-क्षेत्र में नियोजन

10 कृषि के क्षेत्र में, कुल अतिरिक्त नियोजन और अर्द्ध-नियोजित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य में किए जानेवाले नियोजन के विस्तार में अन्तर करना बड़ा कठिन है। जो सीमित-सी जाच की गई है, उससे यह प्रकट होता है कि सिंचाई, मिट्टी-संरक्षण और बाढ़-नियन्त्रण में लाभान्वित क्षेत्रों में कृषि में अतिरिक्त नियोजन में 30 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। भूमि का फिर से उद्धार करने और भूमिहीन श्रमिकों को बसाने की योजनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाला नियोजन लगभग अतिरिक्त वृद्धि ही माना जाएगा। यदि 4 एकड़ में एक व्यक्ति को नियोजित माना जाए, तो अतिरिक्त नियोजन इस प्रकार होगा - सिंचाई में 15 लाख, मिट्टी-संरक्षण और भूमि-पुनरुद्धार से 12 लाख, बाढ़-नियन्त्रण, नालियों और प्लावन-निरोधी योजनाओं से 3 लाख, और भूमि पर भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को बसाने से 5 लाख। सब मिला कर लगभग 35 लाख व्यक्तियों को नियोजित किया जा सकेगा।

परिवर्तन-तालिका

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ / पैराग्राफ / पक्ति	निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित पढ़िए
अध्याय 3		
37 / फुट नोट	सांख्यिकी आँकड़ों	संख्या-संग्रह
45 / 29 / 4	तेल के पहले मुद्रित 'एक'	निकाल दीजिए
अध्याय 4		
57 / 11 / 7	विजली और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए	विजली के विकास के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए
अध्याय 5		
76 / 31 / 3	2,00,000	2,05,000
85 / स्तम्भ 5 / अन्तिम मद	40	—
87 / स्तम्भ 7 / 4	3 रेलवे-इंजिन वाप्यचालित	4,114
96 / स्तम्भ 10	मद 'जन-सहयोग और स्थानीय कार्य' के सामने 5,000 की संख्या के साथ (झ) रखिए	
97 / फुट नोट	फुट नोट (ज) के नीचे यह 'झ) जन-सहयोग के लिए 7 5 करोड़ रुपये-महित'	फुट नोट जोड़िए—
अध्याय 6		
131 / दूसरी मद का अन्तिम स्तम्भ	374 17	374 1
अध्याय 8		
149 / तालिका-संख्या 4 / यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सामने का अन्तिम स्तम्भ	18	18 2
अध्याय 12		
196 / तालिका-संख्या 1 / अन्तिम मद का अन्तिम स्तम्भ	320	330

पृष्ठ / पैराग्राफ / पंक्ति	निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित पढ़िए
197 / तालिका-संख्या 1 / प्रथम मद का अन्तिम स्तम्भ	400	405
203 / 23 / 1	3 लाख	5 लाख 20 हजार
203 / 24 / 2	11 लाख टन	8 8 लाख टन
	अध्याय 13	
216 / 8 / 3	आवश्यकता	आवश्यकताओं
	अध्याय 18	
311 / 21 / 4	राष्ट्रीय विस्तार- सेवा-खंड	सामुदायिक विकास-खंड
	अध्याय 19	
315 / 4 / 2	290 करोड़ रुपये	294 करोड़ रुपये
330 / तालिका-संख्या 5 / तेलहन के सामने का अन्तिम स्तम्भ	38	38 6
342 / आन्ध्रप्रदेश के सामने 'तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन' वाला स्तम्भ	87 69	87 99
342 / अन्तिम पंक्ति/ 'योग' के सामने 'तीसरी योजना में अतिरिक्त उत्पादन' वाला स्तम्भ	236.05	236.04
342 / अन्तिम पंक्ति/'योग' के सामने 'तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन' वाला स्तम्भ	1,005 47	1,005.46
345 / (4) तेलहन वाले खंड में उत्तरप्रदेश के सामने दूसरा स्तम्भ	765	756
	अध्याय 20	
352 / मद-संख्या (9)	व्यापक शिक्षा तथा कर्तव्यों	व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षा तथा कर्तव्यों
	अध्याय 22	
376 / 5 / 2	वन लगाने	वनो को फिर से ठीक-ठाक करने
381 / 28 / 3	72 करोड़ ₹०	73 करोड़ ₹०